

श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर (महिलाश्रम) सागर

के

❀ कलशारोहणोत्सव ❀

-: पर :-

अभिनन्दनग्रन्थ समर्पण - समारोहाध्यक्ष

माननीय श्री रतनलाल जी गंगवाल अध्यक्ष दिग. जैन महासमिति

द्वारा

स म पि त

दिनांक :- सोमवार, १६ मार्च, १९६०

मिति :- चैत वड़ी द्वितीय सप्तमी, संवत् २०४३

श्री/श्रीमती पं० पद्मनाभूषण शास्त्री, संपादक, अनेकान्त
मई दिल्ली : २ को सतीश्वर

ST. ५८ बाली लाल नारायण

दिनांक :- 23/4/90.

प्रधान संपादक

सरस्वती वरद पुत्र

पं० वंशीधर व्याकरणाचार्य

अभिनन्दनग्रन्थ प्रकाशन समिति



सरस्वती-वसुदेव
पण्डित बंशीधर त्याकराचार्य
अभिलेख-ग्रन्थ

• • • •

आवरण परिचय

आवरण-पर सौरईके १८२ वर्ष प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिरका चित्र है, जो कुछ वर्षों बाद मूर्ति-रहित किमी कारणवश हो गया तथा उसमें प्राईमरी स्कूल लगने लगा और जिसमें व्याकरणाचार्यजी ने आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की।

सरस्वती-वरदपुत्र
पं. बंशीधर व्याकरणाचार्य
अभिनन्दन ग्रन्थ

प्रधान सम्पादक

डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य

सम्पादक

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलोवाल | • | पं० बलभद्र जैन, न्यायतौर्य |
| डॉ० राजाराम जैन | • | श्री नीरज जैन |
| डॉ० भागचन्द्र भागेन्दु | • | डॉ० सुदर्शनलाल जैन |
| डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी | • | डॉ० शीतलचन्द्र जैन |

प्रबन्ध-सम्पादक

बाबूलाल जैन फागुल्ल

प्रकाशक

सरस्वती-वरदपुत्र : पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य
अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशन समिति, वाराणसी-१०

प्रकाशक

● सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ
प्रकाशन समिति, वाराणसी-१०

● वीर नि० सं० २५१५ सन् १९८९

● मूल्य १५१) रुपया

मिलने का पता

● डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य
बीना इटावा (सागर) म० प्र०

● वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट

बी० ३२/१३ बी० नरिया काशी, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५

मुद्रक

● बाबूलाल जैन फागुल

महावीर प्रेस, भेङ्गपुर, वाराणसी-२२१०१०



पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य, बीना

प्रकाशकीय

जैन समाजके वरपुत्र विद्वान्, साहित्यकार, समाजसेवी और राष्ट्रसेवी ८५ वर्षीय 'सरस्वती वरदपुत्र' सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, साहित्य-जैनवर्धन शास्त्री और न्यायतीर्थका 'अभिनन्दन-ग्रन्थ' द्वारा हमने अभी तक अभिनन्दन नहीं किया, जबकि उन जैसे प्रायः सभी विद्वानोंको अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट कर समाज सम्मानित कर चुका है, यह भूल कुछ दिनोंसे कोंचली रही।

इसके लिए हमने परोक्ष पत्र व्यवहार किया और प्रत्यक्षमें अनेक प्रतिष्ठित महानुभावोंको बैठक बुलाकर परामर्श किया। सभीने एक स्वरसे श्रेष्ठ पण्डितजीको अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट करनेकी अपनी सम्मति प्रकट की। उसके लिए एक समिति बनानेका भी निर्णय ले लिया गया।

सौभाग्यसे १७ फरवरी १९८९ को श्री पावन तीर्थक्षेत्र कुण्डलगिरि (दमोह) में अखिल भारत-वर्षीय दि० जैन विद्वत्परिवर्षका नैमित्तिक अधिवेशन श्रीमान् पं० भैरवलालजी जैन न्यायतीर्थ, जयपुरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ। इसमें श्री बाबूलालजी फागुल्ल, वाराणसी भी सम्मिलित हुए थे। वहाँ इन्होंने कई विद्वानोंसे श्रेष्ठ पण्डितजीको अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करनेकी चर्चा की। इन सभी विद्वानोंने उसका समर्थन एवं अनुमोदन सहर्ष किया।

इसके उपरान्त हमारा काम था एक सुयोग्य विद्वानोंके सम्पादक-मण्डलका चयन करना। हर्ष है कि जिन विद्वानोंका सम्पादक-मण्डलमें चयन किया गया था उन सभीकी हमें स्वीकृति प्राप्त हो गयी और इसके लिए उन्होंने अपना अहोभाग्य समझा।

सम्पादक-मण्डलकी प्रथम बैठकमें व्यवस्थित क्रमेटीका निर्माण किया गया। और उसका नाम सर्व-सम्मतिसे 'सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य, अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशन-समिति' रखा गया। इसका कार्यालय-महावीर प्रेस, भेकूपुर, वाराणसी-१० निश्चित किया गया।

सम्पादक-मण्डलने भी अपनी कई बैठकों की और जिनमें उसने अभिनन्दन-ग्रंथमें देय सामग्रीका सम्पादन किया। श्रेष्ठ पण्डितजीके ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित महत्त्वपूर्ण एवं चिन्तयुक्त लेखों व निबन्धोंको इसमें दिया गया है।

इस कार्यमें सम्पादकोंके सिवाय सबस्यों, सहयोग-राशि प्रदाताओं और शुभकामना / संस्मरण / समीक्षापत्रोंके हम अत्यन्त आभारी हैं।

महावीर प्रेसने ग्रंथको अल्प समय (एक माह) में छापकर हमें दे दिया उसके लिए उसे हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

विनीत

साँसब डालचन्द्र जैन
अध्यक्ष

बाबूलाल जैन फागुल्ल
मंत्री तथा प्रबन्ध सम्पादक

सरस्वती वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन-समिति

अभिनन्दन-ग्रंथ प्रकाशन समितिके पदाधिकारी

परम संरक्षक

माननीय श्री मोतीलालजी बोग, मुख्य मंत्री म० प्र०
संरक्षक

स्वस्तिश्री भट्टारक चारुकीर्ति स्वामीजी, मूडबिंद्री
स्वस्तिश्री भट्टारक चारुकीर्तिजी, श्रवणबेलगोला
समाजस्वतन् साहु श्रेयास प्रसाद जैन, बम्बई
श्री निर्मलकुमार सेठी, लखनऊ
श्री वीरेन्द्र हेगडे, धर्मस्थल
श्री विजयकुमार मल्लया, दमोह
साहु अशोककुमार जैन, दिल्ली
श्री त्रिलोकचन्द्र कोठारी, कोटा
श्री अमरचन्द्र पहाडिया, जयपुर

अध्यक्ष

श्री सेठ डालचन्द्र जैन (सासद) सागर

उपाध्यक्ष

स० सि० धन्यकुमार जैन, कटनी
श्रीमती वृजमनी देवी, गोरखपुर
(धर्मपत्नी राय देवेन्द्रप्रसाद)
रायबहादुर देवकुमार सिंह, इन्दौर
श्री महाराजा बहादुर सिंह, इन्दौर
श्री रतनलाल गंगवाल, कलकत्ता
श्री जयकुमार इटोरया, दमोह
स० सि० सुमेरचन्द्र, जबलपुर
सि० आनन्द कुमार, बीना
प्रो० फूलचन्द्र सेठी, खुरई
श्री देवेंद्रकुमार मोटरवाले, सागर
लाला गिखरचन्द्र, दिल्ली
श्री ज्ञानचन्द्र खिन्नुका, जयपुर
प० बालचन्द्र काव्यनीर्ध, नवापराराजिम
श्री खेमचन्द्र मोतीलाल बीडी वाले, सागर
श्री महेन्द्रकुमार मल्लया, सागर
लाला प्रेमचन्द्र जैन, दिल्ली
श्री सोमाय्यमल जैन, लखनऊ
सेठ बालूचाल जैन मोरई वाले, सागर
सन्तोषकुमार बँटरी वाले, सागर
श्रीमन्त सेठ राजेन्द्रकुमार जैन, बिदिशा
श्रीमती शान्तिदेवी जैन, लखनऊ

कोषाध्यक्ष

सिचई जीवनकुमार जैन, सागर
मंत्री

बाबूलाल जैन फागुल्ल, बाराणसी

परामर्शदाता मण्डल

पं० फूलचन्द्र शास्त्री, हस्तिनापुर
पं० नाथूलाल गान्धी, इन्दौर
ब्र० माणिकचन्द्र चवरे, कारंजा
प्रो० सुधालचन्द्र शोरावाला, बाराणसी
श्री यशपाल जैन, दिल्ली
श्री अक्षयकुमार जैन, दिल्ली
पं० भँवरलाल न्यायनीर्ध, जयपुर
डॉ० भागीरथ त्रिपाठी वागोश शास्त्री, बाराणसी
डॉ० नयमल टाटिया, लाहन्
पं० लालबहादुर शास्त्री, दिल्ली
श्री लक्ष्मोचन्द्र जैन, दिल्ली
प्राचार्य नरेन्द्र प्रकाश जैन, फिरोजाबाद
डॉ० हरीन्द्रभूषण, उज्जैन
प्रो० उदयचन्द्र जैन, बाराणसी
पं० हीरालालजी कौशल, दिल्ली
पं० अनूपचन्द्र न्यायनीर्ध, जयपुर
डॉ० भागचन्द्र भास्कर, नागपुर
पं० श्यामसुन्दर शास्त्री, फिरोजाबाद
डॉ० दामोदर शास्त्री, दिल्ली
श्री बाबूलाल पटौदी, इन्दौर
श्री दलमुख भाई मालवणिया, जहमदाबाद
डॉ० मागर्मल जैन, बाराणसी
श्री नारायणशंकर त्रिवेदी गडबोकेट, सागर
श्री विमलराम जैन, दिल्ली
डॉ० प्रेम मुमन, उदयपुर
श्री गुलाबचन्द्र 'पण' टीकमगढ
डॉ० रतनचन्द्र जैन, भोपाल
श्री सुरेशचन्द्र जैन, भोपाल
डॉ० होरालाल जैन, गीवा
डॉ० मोतीलाल जैन, खुरई
श्री नाराचन्द्र प्रेमी, फिरोजपुरझिरका
डॉ० आधा मल्लया, सागर
पं० जवाहरलाल, भिषण
डॉ० कम्पूचन्द्र 'मुमन' श्रीमहावीरजी
पं० सत्यन्धरकुमार सेठी, उज्जैन
डॉ० श्रेयास कुमार जैन, बडौत
डॉ० कुमुम पटौरिया, नागपुर
श्रीमती विमला जैन, भोपाल
श्रीमती कस्तूरी बाई बडगुल, बाराणसी
(मातेस्वरी जयप्रकाश जैन)


प्रकाशन समितिके पदाधिकारो



म० लालचन्द्रजी जैन (मामद)
अध्यक्ष



म० बाबूलालजी धामीनीवाले, सागर
प्रकाशन समितिके अध्यक्ष



सिचई जीवनकुमारजी जैन, सागर
कोषाध्यक्ष



श्री बाबूलाल जैन, फागुल, वाराणसी
प्रकाशन मंत्री

आत्म-कथ्य

सम्माननीय पं० बंशीधर जी व्याकरणाचार्य समाजके एक ऐसे मनोवीर विद्वान् हैं, जिनकी प्रवृत्तियाँ चतुर्मुखी हैं। वे स्वतन्त्रता-सेनानी हैं, जो गण्टुपिना महात्मा गांधी जी द्वारा उद्घोषित ९ अगस्त, १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें मन्त्रिण्ड लिन रहे और ९, १० माह सागर, नागपुर और अमरावतीकी जेलोंमें रहे।

समाज सेवामें भी व्याकरणाचार्य जी पीछे नहीं रहे। दस्मा-पूजाधिकार जैसे आन्दोलनमें आगे होकर कार्य किया। स्थानीय संस्था, विद्वत्संघ और श्री गणेश प्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमाला आदि संस्थाओंके माध्यमसे मन्त्री एवं अध्यक्ष पद पर रहकर दीर्घकाल तक आपने समाजकी सेवा करते-सेवाका एक मानदण्ड स्थापित किया है।

सबसे बड़ी उनकी सेवा है साहित्य-साधना। उन्होंने जब अनुभव किया कि आगम-वाक्योंका अन्वेषण अर्थ किया जा रहा है और उन्हें तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है तब उन्होंने विद्वद्गोष्ठीका आह्वान किया तथा युक्ति और आगम पुरस्मर चर्चा की। इतना ही नहीं, जैन तत्त्वमीमासाकी भीमाभा, जैनदर्शनमें कार्यकारण-भाव और कारक व्यवस्था, जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार, खानिया (जयपुर) नत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा प्रभृति ग्रन्थ लिखकर आगमपक्षको पुष्ट एवं स्पष्ट किया। आज भी वे उन्नी माहिल्य-साधनामें निरंतर संलग्न हैं। यद्यपि वे आरम्भसे स्वतन्त्र वस्त्रव्यवसायी हैं। किन्तु अब उसे पुत्रोंको मौपकर एकमात्र जिन-वाणीकी सेवा-साधनामें लग्न रहते हैं।

१७ फरवरी १९८९ को श्री दि० जैन क्षेत्र कुण्डलगिरि (कुण्डलपुर, दमोह) में भा० दि० जैन विद्वत्परिषदका नैमित्तिक अधिवेशन विद्वद्गण १० भँवरलाल जी न्यायदीर्घ, जयपुरकी अध्यक्षतामें आयोजित था। अधिवेशनकी समाप्ति पर कुल विद्वानोंमें चर्चा हो रही थी कि माननीय पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यको अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जाना चाहिए। उनकी विद्वत्ता और सेवाये अभिनन्दन विद्वानोंमें कम नहीं है। वे विद्वान् थे—श्री बाबूलालजी फागुल शास्त्री, वाराणसी, डॉ० कस्तूरचन्द्रजी कामलोवाल, जयपुर और डॉ० भागचन्द्र जी 'भागन्दु' दमोह। मैं भी वहाँ आ गया था। फागुलजी तथा कामलीवालजी तो बोले कि "हम पूरा सहयोग देंगे।" मैंने कहा कि "बहुत अच्छा है, अवश्य होना चाहिए!" यह चर्चा आगे बढ़ी और फागुलजी ने एक रूपरेखा भी बनाकर मेरे पास भेज दी। मैं उस समय श्रीमहावीरजीमें था। वहाँ दो बैठके बुलाइ। १७ मई १९८९ को हुई बैठकमें निम्न निर्णय लिए गये— "सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ 'ममिति' का गठन तथा ममितिमें निम्न पद रखे गये। १—१—पद्म मंत्रधक, २—मरधक, ३—अध्यक्ष, ४—उपाध्यक्ष, ५—महामन्त्री और ६—मदस्य। २—मम्पादक मण्डलका गठन, जिसमें १—डॉ० पं० पन्नालाल साहित्याचार्य, २—डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, ३—पं० बलभद्र न्यायदीर्घ, दिल्ली, ४—डॉ० भागचन्द्र 'भागन्दु', दमोह, ५—श्री नीरज जैन, सतना, ६—डॉ० राजाराम जैन, आरा, ७—डॉ० मुदरनलाल जैन, वाराणसी, ८—डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी, वाराणसी, ९—डॉ० शीतलचन्द्र जैन, जयपुर और १०—मैं (प्रधान मम्पादक)। जब अभिनन्दन-ग्रन्थके नामकी चर्चा आयी तो पर्याप्त विचार-विमर्शके पश्चात् उसका नाम "सरस्वतीके वरद्वेष पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ" रखनेका निर्णय लिया। प्रस्तुत ग्रन्थपर एक फोल्डर निकालनेका भी अधिकार प्रधान मम्पादक जीको दिया गया। ३—ग्रन्थमें मामान्यतः अध्यायोंके विषय-विभाजनका निर्णय भी लिया गया। ४—यह भी निर्णय लिया गया कि एक ग्रन्थ-समर्पण समितिका गठन किया जाये तथा सदस्यता शुल्क १००/०० रुपये रखा जाय और ग्रन्थमें उनके नाम दिये जायें।

श्रीमहावीरजीसे जब मैं बीना चला आया तो ग्रन्थकी सामग्री तथा अर्थसंग्रहपर विचार-विमर्श करने-के लिए सम्पादक-मण्डलकी दो बैठके बीनामे बुलाई। अन्तिम चौथी बैठककी १५ उप-बैठके हुई। यह अन्तिम बैठक ११ अगस्त से १५ अगस्त तक पांच दिन चली और पर्याप्त उद्घापोह हुआ। ग्रन्थमे देय सामग्री पर १५ वाचनाये हुई। इनमे कई वाचनायें दिनमे तीन बार और रात्रिमे १२ बजे तक मान्य सम्पादकोंने कीं। सम्पादकोंको व्याकरणार्थार्थ जोके लिए अभिनन्दन-ग्रन्थके हेतु भी तैयार करना पडा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्थ भेट किया जाये। पर सम्पादक मण्डल उसके औचित्यको जानता था। समाजके सैकड़ो महानुभावोंने तो हर्ष भी प्रकट किया। आदरणीय राय देवेन्द्रप्रसाद जैन, एडवोकेट, गोरखपुर-ने तो एक पत्रमे लिखा है कि "आपने समाजकी भूलको ठीक किया है।" इस प्रकार इस पथको सम्पादक-मण्डलने सजगताके साथ तैयार किया है।

हमे प्रसन्नता है कि हमारे स्नेही सभी सम्पादक-मित्रोंने इस ग्रन्थको इस मुन्दर रूपमे प्रस्तुत करनेमे जो अपना बहुमूल्य समय, शक्ति और प्रतिभाका सहयोग किया है उसके लिए हम उनके हृदयसे आभारी हैं। सुहृद्वर डॉ० कस्तूरचन्द्र जी कामन्नीवालने तो अपना विद्वत्पूर्ण महत्त्वका सम्पादकीय लिखकर हमे अधिक आभारी बनाया है।

हमारे आदरणीय श्री डालचन्द्र जी जैन, संमद सदस्यने ममिनिके अध्यक्ष पदको स्वीकार कर जो बल प्रदान किया है उनके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। जब हम २७ मितम्बर, '८९ को मिर्घई जीवनकुमार जैन, कोषाध्यक्ष एवं श्री विनीतकुमार कोठियाके साथ उनके आवागमपर मार्गमे उनसे मिले तो बड़े भद्गद्भावसे भेंट की और एक घण्टे तक अभिनन्दन-ग्रन्थकी चर्चा की। उसकी प्रगतिमे उन्हें बड़ा मन्तोष हुआ। हमे खुशी है कि आपका आरम्भसे अन्त तक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

प्रिय बाबूलाल जी फागुल्लको हम कितना धन्यवाद दे। यह अभिनन्दन-ग्रन्थ उन्हीके विचारो और प्रयत्नोका मुफल है। यदि हम इसे एक आश्चर्य माने तो अत्युक्ति न होगी, जो कुछ मान्ने (लगभग छह-सात माह) मे तैयार हो गया। लोग वर्षो पूर्वसे अभिनन्दन ग्रन्थोका विज्ञापन पत्र-पत्रिकाओमे देते और पत्रव्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, आयोजनकी तिथि भी प्रकाशित करते हैं। पर अभिनन्दन-ग्रन्थ तैयार नहीं हो पाते। वास्तवमे अभिनन्दन-ग्रन्थोका प्रकाशन ही दुष्कर है। वह ऐसा कार्य है, जो परम्पराश्रित है। लेखक स्वयं समयपर लेख भेजे और सम्पादक उन्हें सम्पादित कर समयपर उन्हें प्रेसमे भेज दे। इतना होनेपर भी प्रेस और प्रूफरीडर विलम्ब कर देते हैं। प्रेस समयपर छापकर नहीं देता। वह दूसरे ग्रन्थोके प्रकाशनमे संलग्न रहता है। किन्तु हमे प्रसन्नता है कि ये सब प्रत्येक इम अभिनन्दन-ग्रन्थमे नहीं आए। इस सबका श्रेय श्री बाबूलाल जी फागुल्ल, मन्चालक, महावीर प्रेस, वाराणसीको है, जिन्होंने यह सब आदि-से-अन्त तक किया। उन्होंने पत्रव्यवहारसे लेकर छपाई पर्यन्त सारा कार्य तन्मयता और आत्मीयतासे किया। इसका सूत्र-पात भी उन्होंने किया। फागुल्ल जीने अपने दीर्घकालीन अभिनन्दन-ग्रन्थोके प्रकाशानुभवको भी इसमे उल्लेख किया है। मेरा उन्हें हार्दिक धन्यवाद है।

इस अवसरपर मैं श्रद्धेया काकीजी श्रीमती कस्तूरीबाई (धर्मपत्नी, स्व० मौजीलाल जी जैन) और उनके परिवार (प्रिय भाई जयप्रकाश, सौ० शशि बहू, वि० राजू और आयु० अन्नो, वाराणसी) को नहीं भूल सकता, जिनके पास एक-सवा माह धुल्लमिल कर रहा और सभी सुविधायें मुझे प्रदान की। मैं उनका अनु-गृहीत हूँ। मुझे संदेव उनका स्नेह मिला और मिलता रहता है।

(डॉ०) दरबारीलाल कोठिया
प्रधान सम्पादक

सम्पादकीय

“विद्वान् सर्वत्र पूज्यते” इस उक्तिके अनुसार विद्वानोंका समाहर सदासे ही होता आया है। विद्वान् किसी एक देश, किसी एक धर्म, किसी एक जाति अथवा किसी एक सम्प्रदायका नहीं होता, क्योंकि उसके प्रबन्धनों, लेखों, पुस्तकों एवं वाणीसे सभी लाभान्वित होते हैं, इसलिये वह जहाँ भी चला जाता है वही उसका सम्मान होने लगता है।

हमारे आचार्य, साधु एवं पंडित अपनी जातिसे नहीं, बल्कि अपने गुणोंसे समावृत होने हैं। उनकी न कोई जाति पूछता है और न प्रवेशका नाम जानता है। उनकी ज्ञान-साधना ही उनका परिचय है, उनकी लेखनी ही उनके गुणोंको उजागर करने वाली है और उनकी वाणी ही उनके जीवनपर प्रकाश डालने वाली होती है। जैसे हीरेको कितना ही छुपाया जावे वह कभी भी नहीं छिपता है उसी प्रकार साधु एवं विद्वान् भी यदि अपने आपको छिपाना चाहते तो गुणीजन उनको स्वयं खोज लेते हैं और फिर उनकी प्रशस्तियाँ पढ़ने लगते हैं।

ऐसे ही एक विद्वान् है पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य। वे पण्डित हैं, ज्ञानके अगाध भण्डार हैं, सशक्त लेखनीके धनी हैं, वाणीमें अपने विचारोंको सम्यक् रूपसे प्रकट करनेकी क्षमता है, समाज एवं देशके लिये उन्होंने जेल यातनाओंको सहा, समाजमें आगम-परम्पराको सशक्त बनानेके लिये सदैव आगे रहे तथा अपने ८४ वसन्तोंमेंसे ६० वसन्त समाजसेवा एवं ज्ञानाराधनामें व्यतीत किये। लेकिन फिर भी उनमें कीर्ति, यश एवं अभिनन्दनकी कभी चाह पैदा नहीं हुई और स्वातः सुखाय अपनी मम्यक् प्रवृत्तियोंमें लगे रहे।

ज्ञानाराधनामें लगे हुए विद्वानों, सन्तोंको खोज निकालना भी सरल कार्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान युगमें मानव अपनी यश-कामनाके पीछे इतना पड़ा रहता है कि जीवनमें एक पुस्तक लिखनेपर वह अपने आपको सबसे बड़ा लेखक समझने लगता है तथा चाहता है कि समाज एवं देश उसकी प्रशंसाओंका पुल बाँध दे तथा उसका एक कार्य ही जीवन भरकी कमाईका साधन बन जावे। लेकिन पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका स्वभाव एवं प्रवृत्ति ठीक इसके विपरीत है। वे यशसे दूर भागते रहे और अपने अभिनन्दनसे हमेशा कतराते रहे। यदि डॉ० कोटिया साहब उनसे बार-बार अनुरोध नहीं करते, हम उन्हें अपना अभिनन्दनीय मानकर अपने बहुमूल्य कृतित्वसे समाजको लाभान्वित करनेका अनुरोध नहीं करते तो सम्भवतः वे अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशनकी स्वीकृति भी नहीं देते। जब हमने उनसे कहा कि अभिनन्दन-ग्रन्थमें आपकी प्रशंसा नहीं-के-बराबर होगी, अपितु आपकी लेखनोंके चमत्कारका दिग्दर्शन मात्र रहेगा। आपके द्वारा जो गूढ़ लेख लिखे जा चुके हैं, लेकिन जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें छपनेके पदचात् भी तिरोहित हो गये हैं। समाज जिनके अस्तित्वसे अनजाना बन गया है और जिनके प्रकाशनकी वर्तमान वातावरणमें बहुत आवश्यकता है, आपके समीक्षात्मक ग्रन्थोंका मम्यक् प्रकारसे समाजको परिचय मिल सकेगा। इसलिये एक बार पुनः उनपर सशक्त लेखनीसे समीक्षात्मक विवरण छपनेकी आवश्यकता है। यह सब आपका अभिनन्दन नहीं है लेकिन उन सिद्धान्तों एवं मान्यताओंको प्रकाशमें लाना है जो समयके प्रवाहमें छिपे गये हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पण्डितजी सा० ने हमारे इस अनुरोधको स्वीकार कर लिया और अपना साहित्य एवं पुराने पत्रोंकी फाइलोंको जो उनके पास थी, उन्हें डॉ० कोटियाजीको हस्तगत कर दी।

प्रस्तुत अभिनन्दन-ग्रन्थका शीर्षक सरस्वतीका वरदपुत्र है। पण्डितजी वास्तवमें सरस्वतीके कृपा-पात्र

पुत्र है, जिनकी लेखनी एवं वाणी दोनों में जिनवाणीके अमर सन्देश भरे पड़े हैं। जो आचार्य मन्तभद्रके शब्दों में :

“अमूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतम्” के रूपमें लिखे गये हैं। तथा जिनका जिनना अधिक अध्ययन होगा उतना ही वे मरस बनकर समाजके खूनमें गमा जायेंगे।

इन्हीं तथ्योंको ध्यानमें रखकर अभिनन्दन ग्रन्थको ६ खण्डोंमें विभाजित किया है। उन खण्डोंमेंके केवल दो खण्डोंमें पण्डितजीके जीवन एवं व्यक्तित्वपर देश एवं समाजके माने हुये सेवाभावी प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों एवं विद्वानोंके मस्मरण, लेख एवं शुभकामनाएँ दी गई हैं। सीमित पृष्ठोंके कारण बहुतेसे महानुभाव ऐसे रह गये जो पण्डितजीके गुणों, उनकी लेखनी एवं वाणीसे परिचित हैं लेकिन हम उनसे सन्देश, शुभ कामना अथवा मस्मरण नहीं माग सके। लेकिन जीवन-परिचय, भेटवार्ता एवं उनके व्यक्तित्वपरक लेखोंसे हम उनके विशाल व्यक्तित्वका अनुमान लगा सकते हैं। उनकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था अभावों एवं निर्धनतासे जकड़ी हुई थी। ज्ञानार्जन जहाँ दिवास्वप्नके समान था। माता-पिताकी छत्रछाया बचपनमें नहीं रही थी। ऐसी स्थितिमें पण्डितजीका व्याकरणाचार्य तक शिक्षा प्राप्त करना कितना कष्टप्रद एवं दुःख रहा होगा यह तो मुक्तभोगी ही जान सकता है।

दूसरे खण्डमें पण्डितजीकी कृत्रियोंकी विस्तृत समीक्षा दी गयी है। सभी समीक्षाएँ अधिकारी विद्वानों द्वारा की गयी हैं और पण्डितजीके मौलिक लेखन पर प्रकाश डालनेवाली हैं। समीक्षा करनेवाले विद्वानोंके नाम निम्न प्रकार हैं।

जैन तत्त्व मीमांसाकी मीमांसा
भाष्य एवं पुरुषार्थ एक नया अनुचिन्तन
जयपुर खानिया तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
जैनदर्शनमें कार्यकारण भाव एवं
कारक व्यवस्था
जैनदर्शनमें निश्चय और व्यवहार
पर्यायें क्रमबद्ध भी होनी ह और अक्रमबद्ध भी

पं० बलभद्र न्यायतीर्थ, देहली
डॉ० कस्तूरचन्द्र कामलीवाल, त्रयपुर
डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी, वाराणसी
श्री नीरज जैन, सतना
पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य, मागर
स्वस्तिश्री भट्टारक चारुकीर्ण जो
डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य
डॉ० मुदर्शनलाल जैन, वाराणसी
पं० विजयकुमार शास्त्री, श्रीमहावीरजी

यद्यपि पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यने पहले ही अपना रचनाओंमें उन ग्रन्थोंका समीक्षा लिखी थी जो आगममम्भन विचारोंसे कुछ हटकर लिखे गये थे तथा जिनके कारण समाजके वातावरणमें विरोधके स्वर सुनाई देने लगे थे। सर्वप्रथम पण्डितजीने ही समीक्षात्मक पुस्तकें लिखनेका श्रेय प्राप्त किया। ऐसी पुस्तकोंकी समीक्षा करनी यद्यपि दुःख कार्य है फिर भी समीक्षकोंने जिस रूपमें इन पुस्तकोंकी समीक्षाएँ लिखीं उनसे पुस्तकोंका मूल्यांकन करनेमें बड़ा महयोग मिलेगा और इन पुस्तकोंका वास्तविक उद्देश्य आम जनताके सामने आ सकेगा।

अभिनन्दन ग्रन्थके शेष चार खण्डोंमें पण्डितजीके चयनित निबन्धोंको प्रस्तुत किया गया है। ये चारो खण्ड ही इस ग्रन्थकी आत्मा हैं जो धर्म और सिद्धान्त, दर्शन और न्याय, साहित्य और इतिहास, सस्कृति और समाज जैसे विभिन्न शीर्षकोंमें विभाजित हैं। इन खण्डोंमें दिये गये निबन्धोंसे पण्डितजीके बहुमूर्ती कर्तृत्व क्षमताका परिचय मिलता है। वे केवल समीक्षात्मक पुस्तकें लिखनेवाले विद्वान् ही नहीं, अपितु जैनधर्मके विविध पक्षोंको अपनी सशक्त लेखनी द्वारा उजागर करनेवाले हैं।

सम्पादक मण्डल



डॉ० दरबारीलाल कोठिया, स्यापाचार्य



डॉ० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य



प० बलभद्र जैन, स्यापतीर्थ



डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल



डॉ० राजाराम जैन

सम्पादक मण्डलके सभी विद्वानोंका आभारी हूँ। अभिनन्दन ग्रन्थके सम्पादनमें सभी सम्पादकोंने जो रुचि ब्रिंसायी है तथा अपना अमूल्य समय देकर पूरे ग्रन्थका सम्पादन किया है, यह सब पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके प्रति उनकी अनन्य निष्ठा एवं श्रद्धाका ही सुपरिणाम है। माननीय डॉ० कोटियाजी एवं बाबूकाजी फागुल्ल दोनों ही विशेष रूपसे धन्यवादके पात्र हैं, वास्तवमें उन्हींकी लगन एवं रुचिके कारण यह अभिनन्दन ग्रन्थ इतने अल्प समयमें हमारे सामने मूर्तरूपमें आ सका।

अन्तमें अभिनन्दन ग्रन्थके सभी सम्पादक एवं सदस्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके दीर्घ-जीवनकी कामना करते हुये यही अपेक्षा करते हैं कि उनकी लेखनी इसी प्रकार अनवरत रूपसे चलती रहे और समाजका मार्ग दर्शन करती रहे।

(डॉ०) कस्तूरचन्द्र कासलीवाल
कृते सम्पादक मण्डल

विषय-क्रम

खण्ड १ : आशीर्षजन, संस्मरण, शुभकामनाएँ

बहुभूत विद्वान्	आचार्य विद्यानन्दजी महाराज	१
मंगल आशीर्षाद	मुनि ब्रह्मानन्दसागरजी महाराज	१
श्रद्धा सुमन	श्रुल्लक चित्तसागरजी	१
जैनागमके ममंजमनीषी	पंडिताचार्य भट्टारक चाल्कीति स्वामीजी भूडविद्वी	२
बहुमुखी प्रतिभाके धनी	कर्मयोगी चारकीतिजी भट्टारक, अक्षयबेलापोला	२
सन्देश	सम्मानिय राजीव जी गांधी, प्रधान मंत्री, भारत	३
सन्देश	सम्मानिय डूटासिंहजी, गृहमंत्री, भारत	४
राष्ट्रीय स्तरके मनीषीका अभिनन्दन	साहू अशोक कुमार जैन	५
मूल आम्नायके संरक्षक विद्वान्	श्री निर्मलकुमार जैन सेठी	५
सरस्वतीके भण्डारको भरते रहें	श्री डालचन्द्र जैन, सासद	५
कर्मठ जिनवाणी सेवक	श्री निर्मलचन्द्र सोनी, अजमेर	५
जैन विद्वानोमे कीर्तिमान	श्री देवकुमार सिंह, कासलीवाल	६
समाजकी महान् विभूति	श्री रमेशचन्द्र जैन	६
मंगल कामना	स० सि० धन्यकुमार जैन	६
सही अर्थमें सरस्वती बरदपुत्र	श्री बाबूलाल पाटोदी	६
सेवा ही जिनका लक्ष्य है	श्री ज्ञानचन्द्र सिन्धुका	७
गार्हस्थ्य, संन्यास और विद्वत्ताकी त्रिवेणी	राय देवेन्द्रप्रसाद जैन, एडवोकेट	७
जिनवाणीके परम आराधक	श्रीमन्त सेठ राजेन्द्रकुमार जैन, एडवोकेट	८
जैनजगत्के गौरव पुत्र	श्री सीभाम्यमल जैन	८
अनुकरणीय साहित्य-साधना	श्री प्रेमचन्द्र जैन	८
श्रद्धा-सुमन	श्री ताराचन्द्र प्रेमी	९
जैन आगमके जागरूक प्रहरी	स० सि० जिनैन्द्रकुमार जैन गुरहा	९
सिद्धान्तके लोह पुरुष	श्री भगतराम जैन	१०
नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठाकी प्रतिमूर्ति	सि० आनन्दकुमार जैन	१०
सादा जीवन सच्च विचार	स० सि० सुमेरचन्द्र जैन	११
समाजके बरिष्ठ विद्वान्	श्री बालचन्द्र चौधरी	११
दीर्घ भक्त पण्डितजी	सेठ शिखरचन्द्र जैन	११

प्रतिभाशाली विद्वान्	डॉ० कपूरचन्द्र जैन	११
वे स्वस्थ और दीर्घजीवी हों	श्री अशायकुमार जैन	११
आगमनिष्ठ विद्वान्	श्री महावीरप्रसाद जैन नृपत्या	१२
हार्दिक मनोभावना	मान्य डॉ० प० माणिकचन्द्र खर	१२
निर्भीक वक्ता	प० डॉ० गोरेलाल शास्त्री	१२
मैं अभिनन्दन करता हूँ	प० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री	१२
स्वतन्त्र विचारक एवं चिन्तक	प० अंबरलाल न्यायतीर्थ	१३
मैंने जैसा देखा-संग्रहा	श्री नेमोचन्द्र पटोरिया	१३
सफल कार्यकर्ता और यशस्वी विद्वान्	प० नाथूलाल जैन शास्त्री	१४
कर्मठ विद्वान्	डॉ० लालबहादुर शास्त्री	१४
क्या तुम्हारे सहपाठी देव हैं ?	प० अमृतलाल जैन, शास्त्री, साहित्याचार्य	१५
एकान्तका विरोध आपका लक्ष्य	प० जवाहरलाल जैन	१५
सरलता व सहजताके धनी	प० राजकुमार जैन, शास्त्री	१६
समाजके लिये गौरव	प० भगवानदास जैन, शास्त्री	१६
अनूपम व्यक्तित्वकी मूर्ति	श्री गुलाबचन्द्र 'पूष्य', प्रतिष्ठाचार्य	१७
जैनधर्म और सिद्धान्तके अधिकारी विद्वान्	प्रो० प्रवीणचन्द्र जैन	१७
सादा जीवन और उच्च विचारके धनी	प० सत्यधर कुमार सेठी	१८
धूमकामनाएँ	प्रो० फूलचन्द्र सेठी	१८
धर्म और समाजके सच्चे हितचिन्तक	प० हीरालाल जैन, 'कीशल'	१९
मंगल कामनाएँ	प० अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ	१९
आपका अभिनन्दन जिनवाणीका अभिनन्दन है	डॉ० कच्छेदीलाल जैन	१९
लौह लेखनीके धनी	प० हेमचन्द्र शास्त्री	२०
जैन आगमके उच्चकोटिके विद्वान्	प० प्रकाश हितैषी	२०
जैन दर्शनके बंशीधर	प० दयाचन्द्र साहित्याचार्य	२१
मिद्धान्त रक्षक	डॉ० श्रेयासकुमार जैन	२१
स्वाभिमान और प्रज्ञाकी मूर्ति	प० रविचन्द्र जैन, शास्त्री	२२
चिन्तनशील विद्वत्प्रवर	प० भंयालाल शास्त्री	२२
सम्पूर्ण जीवन बेमिशाल है	डॉ० जयकुमार जैन	२३
आगमनिष्ठ विद्वान्	डॉ० रमेशचन्द्र जैन	२३
पाण्डित्यके अभिनव हस्ताक्षर	श्री निहालचन्द्र जैन	२४
पाण्डित्यकी प्रतिमूर्ति	पंडित विमलकुमार सोरया	२५
अद्वितीय साहित्य साधक	डॉ० प्रेम सुमन जैन	२६
मेरे नानाजी	श्रीमती गुणमाला जैन	२६
यशस्वी सारस्वत	डॉ० आर० सी० जैन	२७
मौन साधक	श्री मिश्रीलाल जैन, एडवोकेट	२७
असाधारण मेधावी	डॉ० नरेंद्रकुमार जैन	२७

जिनवाणीनन्दनका अभिनन्दन	विद्यावारिधि डॉ० महेन्द्र सागर प्रचंडिया	२८
मुन्देलक्ष्णकी धाती	पं० बालचन्द्र शास्त्री	२८
स्वतंत्र व्यक्तित्वके धनी	पं० कमलकुमार शास्त्री	२९
साह्र अभिनन्दन	प० लक्ष्मणप्रसाद जैन, शास्त्री	२९
आदर्श विद्वान्	श्री नेमिचन्द्र जैन	३०
सरस्वतीके अनुरागी	पं० जम्भूप्रसाद शास्त्री	३०
देहा श्रुत और समाजसेवी	श्रीमती पुष्पलता 'नाहर'	३०
महान् व्यक्तित्वके धनी	पं० विजयकुमार जैन, साहित्याचार्य	३१
बहुमुखी प्रतिभाके धनी	पं० हरिश्चन्द्र शास्त्री	३१
जिनवाणीके अपूर्व सेवक	प० जमुनाप्रसाद शास्त्री	३१
धर्म, समाज और राष्ट्र-सेवाके मगम	डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन'	३२
शुभकामनाएं	डॉ० श्रीमती रमा जैन, साहित्यरत्न	३२
निरभिमान व्यक्तित्व	पं० शैया शास्त्री आयुर्वेदाचार्य, प० शान्तिदेवी शास्त्री एव उनके परिवारके समस्त सदस्यगण	३३
मेरे उन्हे शुभ मंगल कामनाएं	पण्डित मुन्नालाल जैन	३३
समाजकी नञ्जके पारिखी	आचार्य जिनेन्द्र	३४
अभिनन्दनीय पण्डितजी	श्री श्रेयाम जैन	३४
शान्तिप्रिय क्रान्तिकारी समाज-सेवक	डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी साहित्याचार्य	३५
जैनधर्मके प्रकाण्ड विद्वान्का सम्मान	श्री महेन्द्रकुमार 'मानव'	३६
मालिकी भीत्राके लिए भावाञ्जलि	शाह प्रेमचन्द्र जैन	३७
कन्या राक्षिका चमत्कार	प० स्वतन्त्र जैन	३८
समाजके मार्गदर्शक	श्री लालजी जैन, बां० कांम	३९
एक जागृक मनीषी	पं० खुशालचन्द्र बडेराय, शास्त्री	४०
बशीधरो जयतात्	श्री अमृतलालो जैन साहित्य-जैनदर्शनआचार्य	४१
मरम्बतीके वरद-पुत्र है । बशीधर व्याकरणाचार्य	प० अनुपचन्द्र न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न'	४२
सविनय-अभिनन्दन	सी० रत्नप्रभा पटोर्गिया	४३
हे मरस्वतीके वरदपुत्र ! शत-शत बन्दन शत-शत प्रणाम	डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन'	४४
विनय सुमन	वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल	४५
सरस्वतीके वरदपुत्रका शत शत अभिनन्दन है	पं० बाबूलाल जैन कणीश	४६
बंशीधरको बंशी गूँज, उठी	पं० जीबन्धर जैन	४७
शब्द-सुमन से अभिनन्दन है	हास्य कवि हजारांगलाल 'काका'	४८
सुमनाञ्जलि देते है	पं० पूर्णचन्द्र 'सुमन'	४९
हे सरस्वती के वरदपुत्र विद्वद्वर सुमको शत प्रणाम	प० विजयकुमार जैन	५०
बंशीधरके ही प्रकाश से जिनवाणी है जगमग दमकी	श्री हीरालाल जैन	५१
युग गाये गुण गान	श्री गोकुलचन्द्र 'मयूर'	५२
गुरुवर जीवें वर्ष हज़ार	पं० बिहारीलालजी मोदी, शास्त्री	५३

आपको करें समर्पित	पं० धरणेन्द्रकुमार जैन, शास्त्री	५३
जैन साहित्याराधनामे समर्पित	श्री सुरेश जैन I. A. S. संचालक, लोक शिक्षण	
	श्रीमती विमला जैन, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	५४
श्रद्धा-सुमन समर्पित है	पं० गुलजारीलाल जैन, शास्त्री	५४
पण्डित परम्पराके मूर्धन्य मनीषी	डॉ० ऋषभचन्द्र जैन फौजदार	५४
किमाश्चर्यमल परम	पं० दयाचन्द्र साहित्याचार्य	५५
स्तुत्य निर्णय	श्री जयप्रकाश जैन, बडकुल	
	श्रीमती शशि जैन बडकुल	५६
नैतिकताकी प्रतिमूर्ति	वैद्यराज पं० सुरेन्द्रकुमार जैन आयुर्वेदाचार्य	५६
पूज्य पण्डितजीसे एक बार्ता	श्री श्रेयासकुमार जैन, पत्रकार	५७
आगमके पक्षधर	वैद्य पं० धर्मचन्द्र शास्त्री	५८
बहु आयामी व्यक्तित्व	डॉ० मोतीलाल जैन	५९
अभिनन्दनीयका अभिनन्दन	पं० रवीन्द्रकुमार जैन, विशारद	५९
विशिष्ट प्रतिभाके धनी	डॉ० शीतलचन्द्र जैन	६०
मंगल कामना	शाह खूबचन्द्र जैन	६०
एक निस्पृही साधु-सम वास्तविक गृहस्थ	श्री सुलतान सिंह जैन, एल० एल० बी०	६१
श्रद्धेय पण्डितजीका स्तुत्य अभिनन्दन	पं० कमलकुमार शास्त्री, 'कुमुद'	६२
देश, समाज एवं राष्ट्रकी अनुपम विभूति	श्री बाबूलाल जैन फागुल्ल, श्रीमती पुष्पादेवी जैन	६२

खण्ड २ : जीवन परिचय, भेंट बार्ता, व्यक्तित्व तथा कृतित्व

श्रद्धेय पण्डितजी एक परिचय	पं० दुलीचन्द्र जैन	१
साक्षात्कार (डॉ० कोठिया और व्याकरणाचार्य)	डॉ० दरबारीलाल कोठिया	९
विशाल व्यक्तित्व के धनी	डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	१६
सौरई के प्राचीन जिनमन्दिर का वैदिका लेख .		
एक दस्तावेज	डॉ० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य	२४
सौरई पूज्य पिताजी की जन्मभूमि	श्री विनीत कोठिया	२७
गोलापूर्वान्वय एक परिशीलन	डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन'	३२
अप्रतिम प्रतिभा के धनी	पं० पन्नालाल साहित्याचार्य	५१
बन्धनीय व्यक्तित्व के धनी	श्री नीरज जैन	५३
ख्याति-लाभ-मानसे परे	प्रो० लुशालचन्द्र गोरवाला	५६
साधना-पथ के निष्ठावान पथिक	श्री यशपाल जैन	५९
विलक्षण प्रतिभा के मनीषी	प्रो० उदयचन्द्र जैन	६१
बीसवी सदीके गम्भीर-वार्शनिक विद्वान्	प्रो० राजाराम जैन	६०
राष्ट्र एव समाज की अतुलनीय विभूति	डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन	६४
विद्वत्ता और सहृदयता के सगम	डॉ० रतनचन्द्र जैन	६४
स्वामिमानी विद्वान्	डॉ० भागचन्द्र जैन भास्कर	६६

मंस्मरण-शाह अमृतलाल जैन बीना जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा	नं० डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	६७
शास्त्रीय मान्यताके परिप्रेक्ष्यमें जैनदर्शनमें कार्य-कारणभाव और कारक व्यवस्था एक समीक्षा	पं० बलभद्र जैन	६९
जैनदर्शनमें कार्य-कारणभाव और कारक व्यवस्था एक अनुशीलन	डॉ० पन्नालाल साहित्यपाचार्य	७५
जयपुर (झानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा . एक मूल्यांकन	श्री नीरज जैन	७७
भाग्य और पुद्गलार्थ : एक नया अनुचिन्तन समीक्षात्मक समीक्षा	डॉ० फूलचन्द्र प्रेमी	८०
पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी . एक समीक्षा	डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	८८
पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी एक अध्ययन	डॉ० सुदर्शनलाल जैन	९०
जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार . एक परिशीलन	डॉ० विजयकुमार जैन	९३
जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार एक विमर्श	स्वस्तिश्री भट्टारक चार्लकीति, मूडबित्री	९५
मनस्वी मनीषी कुछ मंस्मरण	डॉ० दरबारीलाल कोठिया	९८
श्रद्धा-सुमन	पं० बालचन्द्र सिद्धांतशास्त्री	१०१
	पं० शोभालाल जैन	१०२

खण्ड ३ : धर्म और सिद्धान्त

१. तीर्थंकर महावीरकी धर्मतत्त्व-वेदाना	३
२. जैन-दर्शनमें आत्मतत्त्व	१८
३. निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग	३१
४. निश्चय और व्यवहार धर्ममें साध्य-साधकभाव	५१
५. निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थबिधान	५७
६. व्यवहारनयकी अभूतार्थताका अतिप्राय	८७
७. संसारी जीवोंकी अनन्तता	९२
८. जैनदर्शनमें भ्रम्य और अभ्रम्य	९८
९. जीव-ध्या : एक परिशीलन	१०३
१०. जैनायममें कर्मबन्ध	११६
११. आयममें कर्म-बन्धके कारण	१२५
१२. गौत्र कर्मके विषयमें मेरा चिन्तन	१३३
१३. भुज्यमान आयुमें अपकर्षण और उत्कर्षण	१३८
१४. क्या असंज्ञी जीवोंमें मनका सञ्जाव है ?	१४१
१५. पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी	१४७

१६ जयपुर खानिया तत्त्वचर्चा और उमकी ममीक्षाके अन्नगंत उपयोगी
प्रश्नोत्तर १, २, ३, ४ की सामान्य ममीक्षा

१६६

खण्ड ४ : दर्शन और न्याय

१. भारतीय दर्शनोंका मूल आधार	३
२. जैनदर्शनमें प्रमाण और नय	९
३. ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार	१४
४. जैनदर्शनमें नयवाद	२०
५. अनेकान्तवाद और स्याद्वाद	४०
६. स्याद्वाद दर्शन और उसके उपयोगका अभाव	४४
७. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगका विश्लेषण	६८
८. जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान	५८
९. जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप एक दार्शनिक विश्लेषण	६२
१०. जैनदर्शनमें सप्ततत्त्व और षट्द्रव्य	६८
११. अर्थमें भूल और उमका समाधान	८०

खण्ड ५ : साहित्य और इतिहास

१. वीराष्टकम्—समस्या-कान्ताकटाक्षाक्षत (क्षता)	१
२. समयसारकी रचनामें आचार्य कुन्दकुन्दकी दृष्टि	३
३. तत्त्वार्थ-सूत्रका महत्त्व	७
४. जैन व्याकरणकी विशेषताएँ	१२
५. षट्स्रष्टागमके 'संज्ञद' पदपर विमर्श	१८
६. मास्कृतिक मुरझाकी उपादेयता	२७
७. जैन संस्कृति और तत्त्वज्ञान	३४
८. युगधर्म बननेका अधिकारी कौन	४४
९. ऋषभदेवमें वर्तमान नक जैनधर्मकी स्थिति	४८

खण्ड ६ : संस्कृति और समाज

१. हमारी द्रव्य पूजाका रहस्य	१
२. साधुत्वमें मग्नताका महत्त्व	८
३. जैनदृष्टिमें मनुष्योंमें उच्च-नीच व्यवस्थाका आधार	१५
४. भगवान् महावीरका समाज दर्शन	२६
५. जैन मंदिर और हरिजन	२९
६. भारतीय संस्कृतिके सन्दर्भमें हिन्दू शब्दका व्यापक अर्थ	३३
७. परिशिष्ट	३४



आशीर्वचन • संस्मरण •
शुभकामनाएँ

शु भा शी ष

बहुभुत विद्वान्

- आचार्य विद्यानन्दजी महाराज

सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य बहुभुत विद्वान् है। वे स्वतन्त्र चिन्तक हैं। उन्होंने आगमानुकूल और गम्भीर भाषामें ग्रन्थोंकी रचना की है। उन्हें हमारा शुभाशीर्वाद है।

मङ्गल आशीर्वाद

- श्री १०८ मुनि ब्रह्मानन्द सागरजी महाराज

पण्डितजीको अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है, यह उनके योग्य है।



मैं पाँच माह एक चानुमासमें बीना रहा। मुझे पण्डितजीके तीन गुण याद आ रहे। प्रथम गुण उनका निस्वार्थ भावसे ज्ञानदान देना है। उन्होंने मुझे पाँच माह नियमित स्वाध्याय कराया है। उनके समझानेकी शैली उत्तम है। सामान्य व्यक्ति भी उनकी सरल शैलीसे विषयको समझ लेता है।

उनका दूसरा गुण है गृह भक्ति और विनय। पाँच माहमें वे रोज आते और बड़ी भक्ति तथा विनयके साथ स्वाध्याय कराते थे। हमने उनमें बड़ी विनम्रता एवं निरभिमानता देखी।

उनमें तीसरा गुण है समयकी नियमितता। एक मिनट भी वे विलम्ब नहीं करते। जो समय उन्होंने नियमित किया उस समयपर अवश्य आ जाते थे। विषय आरम्भ कर देते थे। बहुत ही मितभाषी और गम्भीर हैं। हमारा उन्हें शुभाशीर्वाद है।

श्रद्धा-सुमन

- क्षुल्लक पित्तसागरजी, घाटोल

विद्वत्वर्य वयोवृद्ध पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके अभिनन्दनार्थ एक ग्रन्थ प्रकट होने जा रहा है ऐसा 'जैन गजट' में पढ़ा। अतः भाव हुए कि कुछ पक्ति श्रद्धासुमनरूप भेजूं। इसका फल यह है।

महासभाकी भी मीटिंगोंमें तथा विद्वानोंकी मीटिंगोंमें मैंने गृहस्थकालमें पण्डितजीको प्रथम देखा था। सामान्य बातचीत भी हुई थी, पत्र-व्यवहारसे परिचय बढ़ा। यात्रा प्रवासमें एक दिन उनके घर पर आतिथ्य भी अनुभवमें आया था। वह इतना सरल, ऋजु और शालीन था कि वह मैं कभी भी भूल नहीं सकता।

व्याकरणाचार्य पण्डित होते हुए अपनी आजीविकाके लिए उन्होंने कपडेका धंधा पसन्द किया था और खूब-खूबीसे चलाते हैं। धायद समाजका रुख पहलेसे ही उनकी पनी दृष्टि पा गई थी। समाज मनीषियोंको जिस दृष्टिसे देखता है, परखता है और आधिक सकटोसे विडम्बना रूप तरीकोसे बचाना चाहती है वह सब अब सभी विदित है। अतः परिणामतः आज विद्वान् शोध नहीं बन रहे हैं और भविष्यमें वहाँ एक बड़ा दुःख मात्र ही नजर आयेगा। यह है हमारी घन पूजाका कुफल ! भाग्यहीनता !

सोनगडकी गलन प्ररूपणाके बारेमें पण्डितजीकी सशक्त कलम से खूब लिखा, किन्तु समाजने उसे कितना प्रोत्साहन दिया, इसकी कथना अतिकरुण है। कोई सहृदयी होता तो उसे कहनेका मौका मिलता किन्तु वहाँ भी निर्जनता है।

विद्वान् उपयोगी दीपक है। उसका संरक्षण हमारी मस्कृतिका रक्षण है। जितनी उदासीनता इस बारेमें रहेगी इतने कटु परिणाम हमें ही भोगने पड़ेंगे।

जैनागमके मर्मज्ञ मनीषी

● स्वस्तिश्री भट्टारक चारुकीर्ति पण्डिताचार्यवर्य स्वामीजी, मूढबिद्वान्

जैनदर्शनके मूर्धन्य विद्वान् समाजमान्य विद्वद्वर्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य जैन आगमके मर्मज्ञ प्रकाण्ड मनीषी हैं। प्रथम-द्वयमी व परम भद्र गणिगामी हैं इम वृद्धावस्थामें इस समय समाजमें सर्वाधिक चर्चित विषयपर आपने सन्तुलित लेखनी चलाई है। जैनागमके अधिकारी विद्वान् द्वारा गम्भीर विषयोंका अध्ययन व मनन करके जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे महत्त्वपूर्ण हैं। और उमसे धर्म-मस्कृतिका रक्षा हो सकती है। वे स्वस्थ रहे यही हमारा उन्हे साजुवाद है।

बहुमुखी प्रतिभाके धनी

● कर्मयोगी भट्टारक चारुकीर्ति स्वामीजी जैन मठ, श्रवणवेलगोला

सारस्वत, स्वतन्त्रता-संध्यामी, सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके अभिनन्दन ग्रन्थ-प्रकाशनकी योजना ज्ञात कर वडी प्रसन्नता हुई।

आदरणीय पण्डितजीका जीवन जैन सिद्धान्तके चिन्तन, मनन एवं लेखनमें ही अधिक सलग्न है। आप बहुमुखी व्यक्तित्वके प्रतिभावान् विद्वान् हैं। आपकी लिखी अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकोंने एवं पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित आपके दार्शनिक, सैद्धान्तिक एवं सामाजिक लेखोंमें आपका व्यक्तित्व सत्र श्लोकना है। आपने जीवनमें सचित ज्ञानके वितरणको ही औचित्य ममक्षा। परिणामस्वरूप कई मौलिक ग्रन्थ आपके प्रकाशमें आये। आज चौरासी वर्षकी आयुमें भी आप अपनी उसी प्रक्रियामें रहकर चौरासीसे मुक्त होनेके सत् प्रयत्नमें लगे हैं। अतः आप जैसे सारस्वतीके जीवनकी अनेक उपादेय घटनाओंके साथ सिद्धान्त, दर्शन आदिके महत्त्वपूर्ण लेखोंसे भरा यह अभिनन्दन-ग्रन्थ ज्ञानवर्धक होनेसे संग्रहणीय रहेगा।

हमारी भावना है कि आप चिरायु हो और आपके जीवनवृत्त एवं व्यक्तित्वका दर्शक यह अभिनन्दन-ग्रन्थ समाजके जिज्ञासुओंके लिए नूतन स्रोत बने।

भद्रं भूयात्—वर्षता जिनशासनम् । इत्याशीर्वाह ।





मायाचार्य पुत्र्य या मण्डपमहा जी वर्णा
 प्रियता कर-जायाम गी, उभ्रन प्र-पवन विद्या ।

म १ यदाधरता ग्याल ग्यालमयत। बा। पावम्यास जानना इ । उलम प्रकनिका मन्त्र ह ।
 जनपमम प्रकाय यडा १ । १ भी भा आगमीवगया उरपण नही दन ।

-- मण्डपमहा वर्णा



प्रधान मंत्री,
आया
नई दिल्ली
१ सितम्बर, १९८९

सन्देश

पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य के उपलक्ष्य में प्रकाशित किए जा रहे अभिनन्दन-ग्रन्थ की सफलता के लिए कृपया सभी संबंधितों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ सम्प्रेषित करें ।

राजीव गांधी



गृह-मंत्री,

भारत

नई दिल्ली-११०००१

१६ सितम्बर, १९८९

ऋतदेश

यह बड़े हर्ष का विषय है कि आप वयोवृद्ध स्वतंत्रता-सेनानी और विद्वत्पर पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य के अभिनन्दन का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रशंसनीय प्रयास के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।

पं० बंशीधरजी ने आजादी की लड़ाई और साहित्य-साधना के साथ ही समाज-सुधार के क्षेत्र में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं वे नयी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्थायी स्रोत हैं। मैं पं० बंशीधरजी की दीर्घायु के साथ ही आपके प्रयास की सफलता की मंगल-कामना करता हूँ।

बूटा सिंह

राष्ट्रीय स्तरके मनीषीका अभिनन्दन

● साहू अशोक कुमार जैन, अध्यक्ष, अ० भा० दि० जैन तीर्थरक्षा कमेटी

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आदरणीय पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका राष्ट्रीय स्तरपर सम्मान किया जा रहा है और इस अवसरपर अभिनन्दन-ग्रन्थके प्रकाशन की भी योजना है।

निस्सन्देह पं० बंशीधरजी जैन समाजके मूर्धन्य विद्वानोंमेंसे हैं। देश, समाज और जैन बाह्यमयके प्रति उनकी सेवाएँ अमूल्य हैं। समाजका यह गौरव है कि उसे पं० बंशीधरजी जैसे महान् मनीषी, चिन्तक और विचारकका सान्निध्य प्राप्त है। उनके व्यक्तित्व और कृतिस्त्वकी जितनी भी मराहना की जाय, थोड़ी है। इस महान् योजनाके साथ आपने मुझ भी जोटा है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरी कामना है कि आदरणीय पण्डितजी चिरायु हों तथा समाज उनके ज्ञानसे निरन्तर लाभान्वित होना रहे। पण्डितजीके प्रति मेरी आदरपूर्ण विनयाजलि।

समारोह एवं अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशन योजनाकी पूर्ण सफलताकी शुभ कामनाओंके साथ।

मूल आम्नायके संरक्षक विद्वान्

● श्री निर्मलकुमार जैन सेठी, अध्यक्ष, अ० भा० दि० जैन महासभा

मझे जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि जैन आगमके महान विद्वान व मूल आम्नायको सुरक्षित रखने-की आनमें विद्वत् वर्गमें जो भावसे ज्यादा चिन्ता है ऐसे महान् व्याकरणाचार्य व जैन संस्कृतिके उन्नायक पण्डित बंशीधरजीको समाजने अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करनेका निश्चय किया है यह महासभके लिये अत्यन्त ही प्रमन्नता की बात है। सच तो यह है कि मद्रासभाको आगे बढ़कर दो दशकोके पहले ही पण्डितजीको यह आदर देना चाहिये था।

वे चिरायु हो, यही कामना है।

सरस्वतीके भण्डारको भरते रहें

● श्री डालचन्द्र जैन, सामद तथा अध्यक्ष, अ० भा० दि० जैन परिषद

सरस्वती वरदपुत्र पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य जैन समाजके श्याति प्राप्त विद्वान् हैं। उनकी अविरल सेवाओंके फलस्वरूप अभिनन्दन ग्रन्थका प्रकाशन हो रहा है। यह समाजको गौरवकी बात है।

आदरणीय पण्डितजी जैनदर्शन और जैन सिद्धान्तके अधिकारी विद्वान् तो हैं ही लेखक, ग्रन्थकार, सफल संपादक और समाज-सेवी व्यक्तित्व तथा स्वतन्त्रता मंत्राम सेनानी भी हैं। वे सदैव समाज एवं संस्थाओं से साबद्ध रहे हैं और इस बृद्धावस्थामें भी चिन्तन और लेखनकी दिशामें सतत मग्न हैं।

श्री वीरप्रभुसे प्रार्थना है कि वह श्रद्धेय पण्डितजीको स्वस्थ जीवन और दीर्घायु प्रदान करे, ताकि वह सरस्वतीके भण्डारको भरते रहे।

मैं इस प्रयासकी सफलताकी कामना करता हूँ।

कर्मठ जिनबाणी सेवक

● श्री निर्मलचन्द सोनी, अजमेर

अभिनन्दन समारोह समितिने जैन विद्वज्जगत्के कर्मठ जिनबाणी सेवक श्री सरस्वती पुत्र पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यको उनकी ज्ञानाराधनाके उपलक्ष्यमें अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण करनेका उपक्रम किया है यह अत्यन्त उपयुक्त एवं सराहनीय है। आगम सेवकोका समाज जो भी सम्मान करे वह थोड़ा है।

६ सरस्वती-वरदपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ

मैं पण्डितजीसे व्यक्तिगत कभी परिचित नहीं हुआ है, फिर भी उनकी लेखनीसे प्रसूत आगमनिष्ठ, तर्कपूर्ण लेखावली तथा ग्रन्थावलीसे अवश्य प्रभावित हूँ।

प्रकाश्य अभिनन्दन ग्रन्थ उनकी व्यक्तिगत स्याद्वादगमित रचनाओका एक प्रामाणिक महत्त्व होगा और उसे विद्वद्गण और स्वाध्यायनिष्ठ जनता अपनायेगी तथा स्वाध्याय करेगी, ऐसी आशा है।

आदरणीय पण्डितजीके प्रति मैं अपने ध्रुवा-सुमन समर्पित करता हुआ उनसे स्वस्थ एवं चिरायुयकी मंगल-कामना करता हूँ।

जैन विद्वानोंमें कीर्तिमान

● श्री देवकुमार सिंह, कासलीवाल, इन्दौर

आदरणीय पण्डितजीने जैन विद्वानोंमें कीर्तिमान स्थापित वर विशेष स्थान प्राप्त किया है, उस परिप्रेक्ष्यमें उनका अभिनन्दन समयोचित एवं प्रशंसनीय है।

आदरणीय पण्डितजी स्वस्थ एवं दीर्घायु हो, ऐसी वीर प्रभुमें प्रार्थना है।

समाजकी महान् विभूति

● श्री रमेशचन्द्र जैन, कायकारगे निदेशक, टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

सिद्धान्ताचार्य पण्डित बंशीधरजी शास्त्री व्याकरणाचार्य जैन समाजके मुग्रन्थ विद्वानोंमें हैं। उनके ज्ञानके आलोकमें जैन वाङ्मयकी आभा चारों ओर फैली है। समाज गौरवान्वित और धन्य हुआ है। ऐसे विद्वान्, मनीषी और साहित्यके माधकका आप अभिनन्दन कर रहे हैं, यह नितान्त हृषका विषय है।

जैनदर्शनके अधिकारी विद्वान् पण्डित बंशीधरजीका जीवन प्रेरणाका अजस्र स्रोत है। ८४ वर्षकी अवस्थामें भी यह कमठ व्यक्तित्व साहित्य-साधनामें मग्न है। ज्ञान, ध्यान, चिन्तन और मननके माग्यको महत्कर पण्डितजीने जिस मूधारमका पान समाजको कराया है, समाज उससे अभी उच्छ्रुण नहीं हो पायेगा। पण्डितजी हमारी विभूति हैं। प्रभु उन्हें चिरायु करें, वे स्वस्थ रहे, यही उनके चरणोंमें मेरी विनयाञ्जलि है।

मंगल कामना

● स० सि० धन्यकुमार जैन, कटनी

पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना पुरानो पीढीके पण्डित वर्गमेंसे एक विद्वान् हैं। आज उनकी आयु ८४ वर्षकी है। पुराना पीढीके विद्वानोंमें प्रायः कुछ ही विद्वान् बचे हैं। इन्होंने अपने जीवनकालमें राष्ट्र, समाज, जाति और धर्मकी सेवा की है। अपनी स्वतन्त्र-विचारधारा, चिन्तन-मनन और लेखनकी उनकी अपनी विशेष शैली रहो है। जैन आगम पर उन्होंने साहित्य सृजन किया है। उनके अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पण योजनाका मैं स्वागत करता हूँ। वे दीर्घजीवी हो, समाज और धर्मकी चिरकाल तक वे सेवा करें—इसकी मैं मंगल कामना करता हूँ।

सही अर्थोंमें सरस्वती वरदपुत्र

● श्री बाबूलाल पाटोदी, इन्दौर

श्रेयसे पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य सही अर्थोंमें सरस्वती वरदपुत्र हैं। मुझे उन्हें मुननेका अवसर प्राप्त हुआ, उनकी स्पष्ट भाषा, तार्किक शैली भ्रमण-परम्परासे कभी विमुख नहीं हुई। वे जिनवाणी एवं आचार्याके कथनमें किसी प्रकारकी मिलावट नहीं चाहते। उन्हें कभी पद एवं प्रतिष्ठाका मोह नहीं रहा।

जिनवाणी-मानाके निष्पन्न चिन्ताके रूपमें अपना जीवन जिया। खानिया तन्त्रचर्चामें आपने जैनदर्शन और जैन मिद्धान्तका जिस प्रकार गम्भीर विचार्यके रूपमें स्वतन्त्र चिन्तन दिया उसने विद्वानोंको सोचनेके लिये नई विधा प्रदान की। जो भ्रमिन हो रहे थे उन्हें सही राह बताई।

पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णानि बुन्देलखण्डकी जैन वाङ्मयके अनेको विद्वान् दिये। आज समाजमें जो सर्वाङ्ग पण्डितोंकी कमी महसूसकी जा रही है व उनके स्थानपर साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक शिक्षण-शिबिरोमें भाषण सुनकर कथित पण्डित निमित्त हुए हैं, उन्होंने धर्म एवं वाङ्मयका जिनना अहित किया है, शताब्दियोंमें उतना नहीं हुआ।

पूज्य पण्डित बर्षाचरजी वर्तमान युगके स्वतन्त्र चिन्तक, जिनकी कथनी व करनीमें कोई भेद नहीं, हमारी अपूर्वनिधि हैं। उनका अभिनन्दन करके विद्वत्जन एवं समाज अपना श्रेष्ठ हलका कर रहा हैं। सम्पूर्ण समाज पण्डितजीको हृदयसे नमन करना है।

सेवा ही जिनका लक्ष्य है

- श्री ज्ञानचन्द्र खिन्दुका, श्रेष्ठ, श्री दि० जैन अ० क्षेत्र श्रीमहावीरजी

पण्डित बर्षाचरजी व्याकरणाचार्यका नाम जैन समाज, दर्शन, साहित्यके क्षेत्रमें एक जाना-माना/सुपरिचित नाम है। व्यवसायी होने हुए भी आप साहित्य और समाजकी सेवामें जिम् प्रकार जुड़े हुए हैं वह ग्लाघनीय है। मच तो यह है कि प्रारम्भसे ही "सेवा" आपके जीवनका एक अभिन्न अंग रही है, देश-सेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा ये ही तो लक्ष्य/उद्देश्य रहे हैं आपके जीवनके। अध्ययन-मनन-चिन्तन-लेखनमें आप आज भी सक्रिय एवं मग्न हैं। ऐसे कर्मठ प्रेरणास्पद व्यक्तित्वके प्रति मैं अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ। उनको स्वस्थ आर सक्रिय दीर्घ-जीवनकी कामना करता हूँ।

गार्हस्थ्य, संन्यास और विद्वत्ताकी त्रिवेणी

- राय देवेन्द्रप्रसाद जैन, एडवाकेट, गोरखपुर

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जीवनपर्यन्त जैनसमाज तथा जैनसाहित्यकी सेवा करनेवाले स्वनाम धन्य मिद्धानाचार्य पण्डित बर्षाचरजी व्याकरणाचार्य, शास्त्री एवं व्याघ्रतीर्थकी सेवाओंको स्मरण करने और उनके प्रति आभार ज्ञापनाथं अभिनन्दन ग्रन्थका प्रकाशन होने जा रहा है।

श्रेष्ठ पण्डितजीका नाम तो मैं बहुत मुन रखा था पर उनके दर्शनका सौभाग्य मुझे डॉ० दरबारी-लालजी कोठियाके अभिनन्दन ग्रन्थ समारंभके समय हुआ। पण्डितजीसे बात करनेपर मैं उनकी विद्वत्ता, गहन अध्ययन, जैनदर्शनमें उनकी गहरी पैठ देखकर आश्चर्यचकित रह गया।

दुमरी बार पण्डितजीके घरपर दो दिन ठहरनेका सौभाग्य मिलनेपर उनके निकट साहचर्यका अवसर प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा मन्यास तीनोंका आश्चर्यजनक समिक्षण पण्डितजीमें देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उनकी दिनचर्या प्रातः ३ बजेसे प्रारम्भ होती है। अध्ययन, चिन्तन लेखनके प्रति उनका समर्पण बड़ा प्रणालादायक रहा। गृहस्थ जीवनमें ऐसी रुचि तथा अध्यात्मसे प्रेम दोनों गुण एक साथ बहुत कम देखनेको मिलने हैं। पण्डितजीका मधुर भाषण तथा सादा जीवन अनुकरणीय है। मेरे जैसे सामान्यजनको रूचि देने वाले जिनसे गूढ़ विषयको सरल तथा बोधगम्य भाषामें थोड़े समयमें ही प्राप्त करा दिया। यह उनकी विलक्षणता है।

अनन्य पण्डितजीके दीर्घायु होनेकी हादिक कामना करते हुए पुनः प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ कि पण्डितजी जैसे महान् धर्मसेवी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, साहित्यिक तथा समाजसेवीकी सेवाओंके प्रति

८ : सरस्वती-अरबपुत्र पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ

आभार प्रकट करनेके लिए अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनका निर्णय उचित ही है। यह अभिनन्दन पंडितजीका नहीं है बल्कि साहित्य तथा इग्नका अभिनन्दन है ऐसी मेरी भावना है। मेरा बारम्बार नमन।

जिनवाणीके परम आराधक

● श्रीमन्त सेठ राजेन्द्रकुमार जैन, एडवोकेट, विदिशा

परम आदरणीय श्रद्धेय पं० बंशीधरजीका अभिनन्दन उनकी ही नहीं, प्रत्युत उनकी विद्वत्ताकी महिमाका परिचायक है। आदरणीय पंडितजीने अपना जीवन जिनवाणीमें लगानार सार्थक किया है। इसके परम लक्ष्यसे उनका जीवन जीवत होगा। जिनवाणीका परमलक्ष्य वीतराग विज्ञानताका है और इससे समन्वित जीवन ही जीवत होता है। ऐसे जीवनको पीकर भवचक्रकी परवाह नहीं रहती। जिनवाणीका यही भाव भाषण उनके जीवनमें आवे, यह भावना है और यही उनका वास्तविक सम्मान है।

जैनजगत्के गौरव पुंज

● श्री सोभाग्यमल जैन, लखनऊ

श्रद्धेय पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, निदान्तचार्य समय जैन जगतके चोटीके मूर्चबन्धु विद्वान् एव गौरव पुंज हैं। श्रद्धेय पं० जी आरम्भसे अब तक चौरासी वर्षको उम्र होने पर भी जैनधर्मको महती न्यायपूर्ण समीचीन आर्थमागकी सैद्धान्तिक सेवा कर रहे हैं। श्रद्धेय पं० जीने कानजी पंथके विरुद्ध खानिया तत्त्व चर्चामें प्रमुख भाग लिया था और उस विषय पर सप्रमाण अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। वे उनकी अनेकानमयी आर्थमाग पर दृढ़ श्रद्धाको प्रतिष्ठापित करते हैं।

मैं वीर प्रभुसे मगल कामना करता हूँ कि आप दीर्घजीवी हो एव आर्थमाग वीतरागमागके अनुयाइयोंको समुचित मार्गदर्शन देते रहें।

अनुकरणीय साहित्य-साधना

● श्री प्रेमचन्द्र जैन, अध्यक्ष-राजकुण्ठ जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली

हमें यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि विद्वद्द्वय पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यको अखिल भारतीय स्तरपर समाज अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करनेको जा रहे हैं। पण्डितजीकी सेवाओंको देखते हुए समाजका यह निर्णय निःसन्देह प्रगंसनीय है।

व्याकरणाचार्यजी आरम्भमें ही स्वतंत्र चिन्तक और विचारक हैं। उन्होंने शिक्षाको कभी आजीविकाका साधन नहीं बनाया। अतएव वे स्वतंत्र व्यवसायी रहते हुए देश, नमाज, साहित्य और धर्मकी सेवामें सलग्न हैं। आपने गजरथ विरोधी आन्दोलन व अनेक आन्दोलनमें भाग लिया। वामोराका दस्ता पूजा-धिकारका ऐतिहासिक मुकदमा भी आपने लड़ा। आप गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, वाराणसीके वर्षों मन्त्री रहे। अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्के अनेक वर्षों तक मन्त्री व अध्यक्ष रहे। गुप्त गोपालदास वरंदा शताब्दी समारोह आपके अध्यक्ष कालमें सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था।

आप सफल पत्रकार, लेखक और सम्पादक भी हैं। शान्तिसिन्धु और सनातन जैन पत्रोका आपने योग्यतापूर्वक सम्पादन किया है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें सैकड़ों लेख आपने लिखे हैं। उनमें अनेक लेख तो बहुत ही चिन्तनपूर्ण और गभीर हैं। जैनतत्त्व-मीमांसाकी समीक्षा, जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चाकी समीक्षा, जैनदर्शनमें निश्चय और व्यवहार जैमी पुस्तके तो जैनसाहित्यकी अमूल्य निधि हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी समाजकी सेवा और साहित्यकी साधना निश्चय ही वर्तमान और भावी पीढ़ीके लिए अनुकरणीय है।

समाज और साहित्यकी तरह आपकी राष्ट्र-सेवा भी उल्लेखनीय है। मन् १९३१ से ही आप राष्ट्रीय कार्योंमें सक्रिय सहयोग देने लगे थे। सन् १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलनमें आपने सागर, नागपुर और अमरावतीकी जेलोंमें असह्य कष्ट सहें। खादीकी अपनाकर भी अन्य खादीधारी नेताओंसे बचे रहें। भारत सरकारने आपको स्वतन्त्रता सेनानीके रूपमें ताम्रपत्रपर अंकित प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया है।

समाजके विश्रुत विद्वान् स्वर्गीय पं० बालचन्द्रजी शास्त्री और डॉ० पं० दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य आपके परिवारके सदस्य (भतीजे) हैं। आपके पुत्र श्री सुयोग्य व धार्मिक विचारधारके हैं। ऐसे देश, समाज, साहित्य और धर्मसेवी विद्वान्को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंटकर समाज निश्चय ही गौरवान्वित होगा।

श्रद्धा-सुमन

● श्री ताराचन्द्र, प्रेमी, महामंत्री भा० दि० जैन मंथ, मथुरा

मुझे यह ज्ञातकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि परम श्रद्धेय भाई साहब पं० बंशीधरजीको अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित करनेका समाजने निर्णय लिया है।

वस्तुतः वे उमके योग्य हैं। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ किसीसे छिपी नहीं हैं। दस्ता पूजाधिकारमें उनका प्रमुख भाग रहा है। ममाजमें खासकर बुन्देलखण्डमें गजरधोंकी भरमार थी और उनमें कितना ही अपव्यय होता था, जिससे समाजमें शिक्षा जैसे विषेयात्मक कार्य नहीं हो पाते थे। पण्डितजीने इस दिशामें कदम उठाया और गजरधोंका विरोध किया। सहस्रो लोगोंने उनका समर्थन किया। फलतः आज गजरधोंमें कमी हो गयी है और उनमें सुधार हुआ है। शिक्षाका प्रसार एवं प्रचार भी हुआ है।

पण्डितजीकी राष्ट्र-भक्ति भी कम नहीं है। सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें भाग लेनेपर वे जल भी गये। आज उनका नामोल्लेख बड़े गर्वके साथ स्वतन्त्रता-सेनानियोंमें किया जाता है।

हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके शतायु होनेकी मंगल-कामना करते हैं।

जैन आगमके जागरूक प्रहरी

● म० सि० जिनेन्द्रकुमार जैन गुरहा, खुरई

जैन आगमके जागरूक प्रहरी धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्र-सेवाके सभी क्षेत्रोंमें पं० जीकी स्तुत्य सेवा सदा स्मरणीय है। आर्षप्रणीत जिनागम एवं आध्यात्मिक ग्रन्थोंके अध्ययन, मनन और चिन्तनमें ८४ वर्षकी इस आयुमें भी पं० जी मत्त मग्न रहें हैं। सावधानीसे अपनी लेखनीसे जैनसाहित्य एवं रचनायें, समाज एवं विद्वानोंको अर्पित कर रहे हैं और उनका आह्वान कर रहे हैं कि वे जिनागमके प्रतिकूल प्रचार व आक्षेप न करें, जो कि आजकल चल पडा है। यह अनेकान्त विरोधी "एकांत मत" समाजमें अनेक विवाधो-विकारों की जन्म दे रहा है। मन् ६३ में जयपुर (खानिया) में "इन नये" व "पुरातन" विचार वाले विद्वानोंके मध्य तत्त्व चर्चाका आयोजन निकर्ष पूर्ण नहीं रहा। फलतः आगम अनुकूल विद्वानोंको "शंका पक्ष" व इन "एकान्तियों" समाधान पक्ष-बना डाला है, जिससे तत्त्व निष्पन्न होनेकी अपेक्षा उलझ गया। इसी हेतुसे पं० जीने व अन्य ममाजके विद्वानोंने इस "सौनगढ" पक्षकी समीक्षा करनेका संकल्प लेकर लेखन कार्य किया है। "खानियाँ तत्त्व चर्चाका समीक्षा", "जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार", "पर्याय क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी" तथा समय-समय पर जैन पत्रिकाओंमें प्रचुर शोधपूर्ण लेख लिखे हैं।

उनकी कृतियाँ सम्भोर मनन, चिन्तन, अध्ययनकी विषय हैं जो कि निष्पक्ष भावसे पढ़ने पर "बोध गम्य" है। जैन संस्कृति-संस्कार अलुभ्य रहे। श्रद्धेय पं० जी दीर्घायु हों यही शुभ कामना है।

सिद्धान्तके लौह पुरुष

● श्री भगत राम जैन, मंत्री, अ० भा० दिगम्बर जैन परिषद, दिल्ली

पं० बंशीधर शास्त्रीका स्थान जैनमजामे उच्चकोटिके विद्वानोमेसे है ।

पं० बंशीधर शास्त्रीजी अ० भा० दिगम्बर जैन परिषदसे प्रारम्भसे जुड़े हुए हैं । इन्होंने परिषदकी रीतिनीतिका सर्वैक समर्थन किया है । अब भी वह परिषद केन्द्रकी प्रबन्धसमितिके मदस्य है । उनपर किसी दबाव या प्रलोभनने उनके विचारोमें कोई परिवर्तन नहीं होने दिया ।

कपड़के व्यापारमें व्यस्त होत हुए भी अपनी धार्मिक लगनमें लम्नशील हैं । प्रतिष्ठा प्राप्तिकी भावनासे दूर रहते हैं । सादगीका जीवन सरल स्वाभावी सभी विशेषताये इनमें गाँटी जाती है । समाजमें इगके द्वारा लिखित ग्रन्थोका अपना स्थान है ।

मुझपर उनका बड़ा स्नेह है । मुझे जब भी बीना जानेका अवसर मिलता है मैं मीषा उन्हीके यहाँ पहुँचता हूँ । सामाजिक चर्चाएँ भी होती हैं ।

अपनी श्रद्धाके सुमन अर्पित करने हुए उनके दीर्घजीवनकी कामना करता हूँ ।

नैतिकता और कर्त्तव्यनिष्ठाकी प्रतिमूर्ति

● सि० आनन्दकुमार जैन पूर्व अध्यक्ष नगर पा० एव स्थानीय जैन हितोपदेशिनी मभा, बाना

पण्डितजी वाराणसीमें अध्ययन समाप्तकर मन् १९२८ में बीना आये थे और तभीसे उन्होंने बीनाको अपना कार्यक्षेत्र बनाया ।

जैनदर्शनके मौलिक चिन्तक एव विचारकके रूपमें जहाँ एक ओर आपका प्रतिभाका उद्भूत हुआ, वही दूसरी ओर महात्मा गान्धीके स्वतन्त्रताके राष्ट्रीय आन्दोलनसे आपका हृदय उद्वेलित होने लगा । धर्म एव राष्ट्र एक दूसरेके सम्भूरक होते हैं । इस भावनासे अनुप्राणित होकर आप राष्ट्रीय कार्योंमें सक्रिय हो गये और सन् १९४२ में आन्दोलनमें आप सागर व नागपुर, अमरावतीकी जेलमें न जाने कितने कष्ट महे ।

युगकी आवश्यकताको दृष्टिगत रखते हुए आपने सम्पूर्ण प्रचारिणी मर्मिनि द्वारा देवगढ और केवलारों गजरथ विरोधी आन्दोलन किये ।

एक स्वतन्त्र व्यवसायीके रूपमें अपना जीविकोपार्जन करते हुए अपने पाठित्यको अर्थोपार्जनका माध्यम नहीं बनाया । आपकी विद्वत्ता और चिन्तनशीलता उच्चकोटिकी है । साथ ही दो बातें, जा मेने आपके जीवनमें देखी, वे हैं—कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिकता । समाज, राष्ट्र और धर्मके विकोणपर आपने अपना इन विशेषताओं को आजीवन जीवन्त बनाये रखा है । एक महान् लेखक और साहित्य-मनीषीके रूपमें भी आप विधुत हैं । आज भी साहित्यप्रणयनका महानयज्ञ इम ८४ वर्षकी वयोवृद्धावस्थामें अनवरत चालू है ।

अपने ठोस और आगम तकिके द्वारा-एकान्त नयका बहुत स्पष्ट और मूझबूझ पूर्वक सैद्धान्तिक स्पष्टन कर आर्ष परम्परा और आजके तथाकथित धार्मिक साहित्यमें आये दोषोका निराकरण न केवल अपने चिन्तन-शील निबन्धों / लेखोके द्वारा किया अपितु 'जैनशासनमें निरस्य और व्यवहार' जैसी कृतियाँ लिखकर समाज, शासन एवं धर्मका महान उपकार किया है ।

बीनाकी स्थानीय मस्था श्री नाभिनन्दन दि० जैन हितोपदेशिनी सभाके आप वर्षों मन्त्री पदपर आसीन होकर, इस मभाको जीवनदान देकर ममन्तत किया था ।

पण्डितजी धार्मिकप्रिय, अनुशासनप्रिय और मितभाषी हैं । इन्ही गुणाका प्रभाव आपके परिवारपर पडा । समाजके मार्ग दर्शक एव राष्ट्रके निःस्पृह सेवक जनानु होनेकी मगल कामना करता हुआ अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ ।

सादा जीवन उच्च विचार

- स० सि० सुमेरचन्द्र जैन, जबलपुर

पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना (सागर) बुदेलखण्डके महान् जैन विद्वान् हैं। मन् १९५० में पण्डितजी का पहला परिचय खुरईमें महावीर जयंतीके शुभअवसरपर हुआ था। उस समय रात्रिको आपके भाषणको सुननेका लाभ मिला था। पण्डितजीका जीवन बहुत ही सादगी पूर्ण है। घरपर या दुकानपर हमने हमेशा ही चिन्तन-मनन करते हुए देखा। ता० ११-५-८९ को हम बीनामें पंचकन्याण गजरथके शुभ अवसरपर मिले थे। तब हमने आपमें विगम्बर जैन समाज बीनाके सघटन वाचत चर्चा की थी। अच्छा यह हुआ कि इस कार्यमें सफलता मिली। पण्डितजीने अपने जीवनमें अनेक महत्त्वपूर्ण जैन ग्रन्थोंको लिखा है, जिनमें आपने अनेक जैन विषयोपर अच्छा प्रकाश डाला है। हम आपका हार्दिक अभिनन्दन करने तथा शुभकामना करते हैं कि आप शतायु हो।

समाजके वरिष्ठ विद्वान्

- श्री बालचन्द्र चौधरी, चौधरी सदन, सतना

राष्ट्र व समाजके वरिष्ठ विद्वान् महामनीषी प० बंशीधर व्याकरणाचार्यको उनकी राष्ट्रीय, सामाजिक साहित्यिक और धार्मिक सेवाओंके उपलक्ष्यमें समाज अभिनन्दन-ग्रन्थ भेटकर अभिनन्दित एवं सम्मानित कर रहा है, यह उचित एवं ग्नुन्य निर्णय है। मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। वे दीर्घजीवी होकर समाज और साहित्यकी सतत सेवा करने रहे।

तीर्थ-भक्त पण्डितजी

- सेठ गिल्लरचन्द्र जैन मंत्री, श्री सिद्धक्षेत्र रेशदीगिर

अति प्रसन्नता हुई, जब हमें ज्ञात हुआ कि समाज द्वारा पण्डितजीको अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है। पण्डितजीका इन क्षेत्रमें पूर्वका नाता व लगाव है। उनके ही भतीजे प० डॉ० दरबारी-लालजी कोटियाकी जन्मस्थली यह पावन तीर्थ भूमि पण्डितजीके अभिनन्दनके शुभावसरपर उनके दीर्घ-जीवनकी कामना करती है। पण्डितजीका तीर्थोंके प्रति लगाव व भक्ति उनकी प्रतिभासे स्वयमेव झलकती है यही कारण है कि उनमें संस्थाओं व तीर्थोंकी अनवरत सेवा की है। उनका ध्यान तीर्थोंके सरक्षण व सम्बर्धन हेतु बना रहे इसी कामनाके साथ।

प्रतिभाशाली विद्वान्

- डॉ० कपूरचन्द्रजी जैन, महामंत्री, दि० जैन सिद्धक्षेत्र अहारजी

आदरणीय प० श्री समाजके प्रतिभाशाली विद्वान् भूषण्य लेखक एवं ओजस्वी वक्ता हैं। उनके द्वारा ग्रन्थ लेखन एवं विद्वत्तापूर्ण भाषणों द्वारा किया गया धर्मका प्रचार तथा सामाजिक सेवाये इतनी अधिक हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। मैं उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायुकी कामना करता हूँ।

वे स्वस्थ और दीर्घजीवी हों

- श्री अक्षयकुमार जैन, पूर्व मन्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली

श्रद्धेय प० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यने समाज, साहित्य और दर्शनको जो दिया है उसके लिए हम सब सदा ऋणी रहेंगे। उनके अभिनन्दनके अवसरपर मैं अपनी विनयाजली प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु पण्डितजीको स्वस्थ और दीर्घजीवी करे, यही कामना है।

आगमनिष्ठ विद्वान्

● श्री महावीरप्रसाद जैन नृपत्या, जयपुर

शुद्धे मह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि जैन समाजके वरिष्ठ एवं आगमनिष्ठ विद्वान् पंडित बंधीधरजी व्याकरणाचार्यका अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है। विद्वान् समाजकी धरोहर होते हैं तथा वे धर्म एवं संस्कृतिके संरक्षक माने जाते हैं। पण्डितजी मा० ने अपना समस्त जीवन जैन परम्पराओंकी सुरक्षित रखने तथा उसके संवर्धनमें लगाया है। वे मरस्वतीके बरद पुत्र हैं, जिनकी लेखनी अजस्र प्रवाहित होनी प्यती है।

मैं उनके अभिनन्दनके अवसरपर अपनी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ तथा भावना भाता हूँ कि कृत्यायुः होकर इसी प्रकार जिनबाणीकी सेवा करते रहें।

हार्दिक मनोभावना

● मान्य डॉ० पं० माणिकचन्द्र श्वरे, अधिष्ठाता महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा

विद्वद्वयं पंडित श्री बंधीधरजी व्याकरणाचार्य अपने विषयके निश्चित ही अख्यवसायी, विवेक और विशिष्ट विचारोंके धनी हैं। विद्वत् परिषदके मान्य अध्यक्ष रह चुके हैं। जीवनमें पूरी सादगी है। उपजीविका के निमित्त वस्त्र-व्यवसाय करते हुए भी स्वाध्याय-विशेषमें सतत निमग्न रहते हैं। सुरई संस्थाके निमित्त जब-जब बीना पढ़ैचना हुआ, आपको सदाही स्वाध्याय मग्न पाया। आपसे भेंट करके हमेशा प्रसन्नता पायी। हमें सतिषाय वात्सल्य प्राप्त हुआ।

पं० पू० स्व० आचार्य श्री शिवसागरजी महाराजकी परमकृपासे हुई प्रसिद्ध 'ज्ञानियाचर्चा'के समय पूर्णपक्ष बलशाली रूपमें रखनेमें आपके पजने कोई कसर नहीं रखी, उत्तरदाताओंको उत्तर देनेके लिए जो भारी शक्ति और उपयोग लगाने पड़े उनका साक्षात्कार पदसे समय होता ही है। प्रश्नोत्तरोकी इस विस्तृत प्रक्रियामें सूक्ष्म प्रयोगोंकी सूक्ष्मता घटाई प्रामाणिक अन्यासियोंके लिए अपूर्व रूपमें उपलब्ध हुई। एक अद्भुत अध्ययनकी वस्तु सिद्धान्त वेत्ताओं द्वारा समाजको प्राप्त हुई। दोनों पक्षोंका मैं स्वयं ऋण ही मानता हूँ।

इस अभिनन्दनकी प्रशस्त पुष्यवेलामें विद्वद्वर पण्डितजीको निरामय दीर्घायुमें निर्विकल्प ज्ञानध्यानके लिए पूरी अनुकूल साधन-सामग्री उपलब्ध रहे, यह हार्दिक मनोकामना करता हूँ।

निर्भीक वरता

● पं० डॉ० गोरेलाल शास्त्री, उदासीनाश्रम, द्रोणगिरि

सरस्वतीधरदपुत्र पण्डित बंधीधरजी व्याकरणाचार्य वास्तवमें सरस्वतीके बरदपुत्र हैं। वे निर्भीक वक्ता, लेखक, मित्रजनोकी झूठी प्रशंसासे विमुक्त हैं। उन्हें मैंने नजदीकसे देखा, प्रबचन सुना। उनके कथनमें विद्वत्ता व निर्भीकता टपकती है। वे व्याकरणाचार्य तो हैं ही। सब विषयोंमें उनकी अबाधगति है। सॉरई जैसे एक छोटे ग्राममें जन्म लेकर महान् विद्वान् हो गये। विद्वत्ताकी अपेक्षा वे सर्वोपरि विद्वान् हैं। मेरी शुभकामना है कि पण्डितजी कृत्यायु होकर समाज और राष्ट्रको ज्ञान देते रहें।

मैं अभिनन्दन करता हूँ

● पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, हस्तिनापुर

मान्य श्री पं० बंधीधर जी व्याकरणाचार्यको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर उनके अभिनन्दनकी तैयारी हो रही है, वह स्वागत योग्य है...के इतके योग्य है। इसलिये मैं उनके अभिनन्दनका स्वागत करता हूँ और उनका स्वयं अभिनन्दन करता हूँ।

स्वतन्त्र विचारक एवं चिन्तक

● पं० भैरवलाल न्यायतीर्थ, सम्पादक 'वीर वाणी', अध्यास, विद्वत्परिषद्

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद्के भूतपूर्व मन्त्री एवं अध्यास, सिद्धान्ताचार्य, व्याकरणशास्त्र, न्यायतीर्थ, साहित्यशास्त्र आदि अनेक उपाधिधारी विद्वान् पं० बंशीधरजी बीनाका अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशनकी योजना एक प्रशंसनीय कार्य है। यह अभिनन्दन किसी व्यक्तिविशेषका नहीं, माँ सरस्वतीके एक उपानमका अभिनन्दन है, सम्मान है। पूज्य पं० जी स्वतन्त्र विचारक है, चिन्तक है और निर्भीकतापूर्वक अपने विचारोंको प्रकट करते हैं। वृद्धावस्थामें भी अपने चिन्तन-मननके आधारपर तर्कों द्वारा अपने मन्तव्यको लोकोक्ति गले उतारनेमें सक्षम हैं।

सिद्धान्तशास्त्री पं० कूलचन्द्रजी द्वारा रचित 'जैन तत्त्वमीमांसा' के उत्तरमें आपने 'जैनतत्त्व मीमांसा की मीमांसा' की रचना की थी। जैनदर्शनमें कार्य-कारणभाव और कारक व्यवस्था नामक पुस्तक भी आपने लिखी है। आपने अनेक पत्रोंमें सैद्धान्तिक निबन्ध भी लिखे हैं। अभी वीरवाणीमें आपने "आगममें कर्मबन्ध-पर विचार" शीर्षक एक महत्त्वपूर्ण निबन्ध लिखा था, जिसके उत्तरमें मममागत विद्वानोंके विचारोपर "कर्म सम्बन्धी स्वकीय दृष्टिका स्पष्टीकरण" शीर्षक लेख द्वारा आपने अपने मन्तव्यको मममानिका मफल प्रयत्न किया है। विचार-भेद / मान्यता-भेद भले ही आपकी रचनाओसे हो, पर आपका चिन्तन तर्क प्रधान है।

पं० बंशीधरजी जहाँ सैद्धान्तिक चर्चाओंमें अपनी विशेषता रखते हैं वहाँ सामाजिक महत्त्वपूर्ण सुधारवादी क्रान्तिकारी विचारोंमें भी कम नहीं हैं। आप दत्सा पूजाधिकार, गजरथ-विरोध आदि आन्दोलनमें भी अगुवा रहे हैं। साथ ही राष्ट्रके स्वतंत्रता-आन्दोलनमें खूब भाग लिया है और सेवा की है। सन् १९३१ में ही गांधीजीके आन्दोलनमें कूद पड़े थे और सन् १९४२ में कृष्ण-मन्दिर की यात्रा भी की है, यातनायें सही हैं।

आपका जन्म ८४ वर्ष पूर्व हुआ। बचपनमें ही माता-पिताका वियोग सहना पड़ा। कठिन श्रम करके एक ऊँचे दर्जेके विद्वान् बने। परिस्थिति और संकटोंमें जूझने वाले ही तपे स्वर्णके समान निखरते हैं। पंडित जी ऐंसे ही गो, निखरे हुए पुरानी पीढीके विद्वान् हैं जिनपर समाजको गर्व है। पंडितजी स्वस्थ दीर्घ-जीवो हो और माँ सरस्वतीकी इसी प्रकार सेवा करते रहे, यह मेरी हार्दिक कामना है।

मैंने जैसा देखा-समझा

● श्री नेमीचन्द्र पटोरिया, एम० ए०, एल-एल० बी०, बम्बई

समाज-भ्रान्त्य विद्वान् श्री पं० बंशीधरजी व्याकरणशास्त्र समाजके जाने माने अग्रणी विद्वान् हैं। वे न किसी गुट या किसी तबकेसे जुड़े या बँधे हैं। वे केवल उसीसे जुड़े हैं जो सिद्धान्त व तर्क-संगत प्रतीत होता है। वे अपने विचार मरल और स्पष्ट शब्दोंमें बिना लगाव व 'दुरावके कह देते हैं' इसीमें उनकी विशेषता है।

कभी-कभी उनके गंभीर विचार साधारण जहन्धके पल्ले कम पड़ते हैं, किन्तु विद्वद्-मंडलमें उनके विचारोंका उचित समादर होता है।

आरम्भसे ही मेरे मनपर इनका प्रभाव पड़ा कि ये विद्वान् सरल प्रकृतिके हैं। परिधानमें खानपानमें, बोलचालमें, व्याख्यानमें वे सरलताके प्रतीक मुझे लगे। मानों वे एक खुली पुस्तक हैं। कहीं कोई छिपाव या दुराव नहीं है, जो कहते हैं स्पष्ट सरल शब्दोंमें कहते हैं।

इनके विचारोंसे कोई इन्हें पुरातन-पंथी मानता है, कोई इन्हें नूतन व उपवादी । किन्तु उनके हृदयके द्वार सिद्धान्त और तर्कमें कसे विचारोंके लिये सतत खुले रहते हैं ।

हमारे चरित्र-नायक सब ब्रह्मदोसि दूर आदर्श और धर्ममय गृहस्थ-जीवन यापन करते हैं । वे किसी संस्था या मुठसे जुड़े नहीं हैं, स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं, इससे इनके विचारोंमें स्वतंत्रताका हम पुट पाते हैं और जो कहते हैं, स्पष्ट और बेलगाव, चाहे सुननेवालेको प्रिय हो या न हो । 'सत्यं मित्रं' से डूबे उनके विचार रहते हैं, 'सुन्दर' पर उनका ध्यान नहीं है ।

मेरी समझमें आवश्यकता है ऐसे मनीषी विद्वानोंके लेख, व्याख्यान और विचारोंका संकलन, जो सुसंपादित और प्रकाशित हो, जिससे सर्वसाधारण और विशेषकर नवयुवकोंको समुचित मार्ग दर्शन मिले ।

मैं अभिनन्दनीय विद्वान्के स्वास्थ्य और दीर्घ-जीवनकी कामना करता हूँ ।

सफल कार्यकर्ता और यशस्वी विद्वान्

● पं० नाथलाल जैन शास्त्री, प्राचार्य, सरहुकमबंद दि० जैन संस्कृत महाविद्यालय, इन्दौर

संस्कृत राष्ट्र भाषा या लोकभाषा प्रयत्न करनेपर भी नहीं हो सकी, हमका कारण उसके व्याकरणको क्लिष्टता है, बिना मुलाय किये उसके व्याकरणका उपयोग संभव नहीं है । सभी संस्कृत पद्योंका अर्थ भी सरलतापूर्वक बता देना किसी भी संस्कृतज्ञ विद्वान्की शक्तिके बाहर है । संस्कृतमें लिख लेना और बोल लेना भी सहज नहीं है । ऐसी संस्कृत व्याकरणको प्रारम्भसे आचार्यके पटखंड तक संपूर्ण अध्ययन कर उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर लेनेका शायद प्रथम श्रेय पं०जीको ही प्राप्त है । क्योंकि अन्य जो भी प्रसिद्ध विद्वान् हैं, उसमें अधिक व्याकरण, न्याय आदिके पटखंड उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें व्याकरण, न्याय आदिके आचार्य पदसे संबंधित किया जाना है । पंडितजी साहित्य, जैन दर्शन आदिके भी निष्णात विद्वान् हैं । राष्ट्रीय आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेकर ६-७ बार आपने कारावास भी भोगा है । ज० भा० दि० जैन विद्वत् परिषद्के अध्यक्ष, नगर कार्रेस कमेटीके अध्यक्ष आदि विशिष्ट पदोंपर रहकर आपने राष्ट्र, समाज एव साहित्यके क्षेत्रमें खूब सेवायें की हैं । जैन शासनमें निश्चय और व्यवहार, जैन दर्शनमें कार्यकारण भाव आदि विषयोंपर आपके चिन्तनपूर्ण श्रेय एव ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं । जयपुर खानिया तत्त्वचर्चामें आपका प्रमुख भाग था । पण्डितजी सफल कार्यकर्ता और यशस्वी विद्वान् हैं । वे आर्थिक दृष्टिसे मपन्न और स्वावलम्बी होनेसे श्रीमान एव धीमान् दोनों हैं । हमारा विद्वन् समाज आपसे गौरवान्वित है । इस अभिनन्दनके सुअवसरपर मैं उनका हार्दिक अभिनन्दन एवं चिरायु कामना करता हूँ ।

कर्मठ विद्वान्

● डॉ० लालबहादुर जैन, शास्त्री अध्यक्ष, शास्त्री परिषद्, दिल्ली

विगम्बर जैन समाजके प्रसिद्ध विद्वानोंमें श्री पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका अपना एक स्थान है, जिन्होंने अपने बौद्धिक परिश्रम और आत्मिक सिद्धान्त ज्ञानसे मिथ्यावादियोंके प्रचार-प्रसारको खण्डित करके जिनवाणीकी रक्षा की है । आपका अभिनन्दन ग्रन्थ तो वस्तुतः बहुत पहले ही प्रकाशित होना था । परन्तु जो कुछ होना है वह प्रायः अपने समयके अनुसार ही होता है । अदरणीय पण्डितजीकी ज्ञान-गरिमा और गम्भीर आगम ज्ञानसे प्रभावित होकर मैं पुनः-पुनः उनका अभिनन्दन करता हूँ ।

क्या तुम्हारे सहपाठी देव हैं ?

● पं० अमृतलाल जैन, शास्त्री, साहित्य-जैन दर्शनाचार्य, लाहन्

सन् १९३३ की बात है । मैं उस समय श्री गो० दि० जैन सि० महाविद्यालय, भोरेनाका छात्र था । उस समय वहाँ केवल चार ही विशिष्ट विद्वानोंके नाम गिनाये जाते थे—सर्वश्री न्यायालङ्कार, बादीभकेसरो, पं० मन्मथलालजी शास्त्री, पं० खूबचन्द्रजी शास्त्री, इन्दौर, बशीधरजी पण्डीत, सोलापुर (आप अपने नामके आगे पण्डीत लिखा करते थे, न कि पण्डित) और पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, सहारनपुर । पं० बशीधर-जी व्याकरणाचार्यका नाम नहीं सुना था । आप अपने भतीजे पं० बालचन्द्रजी सि० शास्त्री, प्राचार्य दि० जैन विद्यालय, जारखी (आगरा) से मिलने गये थे । वहाँसे लौटते समय आप भोरेना विद्यालयमें पत्रारे थे । आपसे मिलकर सभी (बुन्देलखण्ड) छात्रोंकी—जो प्रायः बड़ी कक्षाओंके थे—यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि आप दि० जैन समाजके सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य हैं । आपने लगातार ग्यारह वर्ष परिश्रम करके प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्यके सभी खण्डोंमें प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होकर 'आचार्य' उपाधि प्राप्त की थी । (पू० पं० गणेशप्रसादजी वर्णा और पं० माणिकचन्द्रजीने आचार्यके सभी खण्ड पाम नहीं किये थे ।) फलतः उक्त छात्रोंने आपके अभिनन्दनार्थ सभा करनेका विचार किया । किन्तु... । वहाँ उस समय कोई बुन्देलखण्डी विद्वान्, विद्वानोंकी कोटिमें गणनीय नहीं हो सकता था ।

आप असाधारण विद्वान् हैं फिर भी निरहङ्कार और मिलनसार हैं—ऐसा अनुभव करके मैं भी आपसे मिला । पूछनेपर मैंने आपसे कहा मैं बमराना (झाँसी) का निवासी हूँ यहाँ गतवर्ष आया था । इस वर्ष सर्वाभिमिद्धि, प्रमंथरलमाला, पुरुदेवचम्पू, वाग्भट्टालङ्कार, शाकटायन और अग्नेजी पढता हूँ । प्रायः मासिक आदि सभी परोक्षाओंमें मेरे नम्बर धर्म आदि विषयोंमें सहपाठियोंसे अधिक आते हैं, पर व्याकरणमें सबसे कम ३३ या ३४ । आपने पूछा—ऐसा क्यों ? क्या तुम्हारे सहपाठी देव हैं ? मैंने उत्तर दिया—देव तो नहीं हैं, पर वे सभी खूब रटते हैं, मैं रटता नहीं, केवल समझनेका प्रयत्न करना हूँ । आपने समझाया—कि सूत्र रटना चाहिये, सूत्र रटे बिना व्याकरणका ज्ञान नहीं हो सकता और इसके बिना संस्कृतसे अनभिज्ञ रहोगे । ये बातें मेरी समझमें आ गईं और आपका यह प्रश्न—'क्या तुम्हारे सहपाठी देव हैं ?' मेरे मनमें धर कर गया । इसलिये मैंने उमी दिनसे सूत्र रटना प्रारम्भ कर दिया, साधन प्रक्रियाको तो पहलेसे ही ममत्त रखा था । फलतः श्रैमासिक आदि सभी परोक्षाओंमें और सोलापुर एवं महासभाकी परोक्षाओंमें भी ८०-८० नम्बर प्राप्त हुए तथा प्रथम पुरस्कार भी । उस वर्ष दोनों ही परोक्षालयोंसे कुल मिलाकर अठारह रु० पुरस्कार या पारितोषिकके रूपमें मिले थे । यह आपके 'क्या तुम्हारे सहपाठी देव हैं ?'—इस प्रश्नके प्रभावसे ही हुआ । तभीसे आपके साथ मेरा सम्बन्ध बना हुआ है ।

एकान्तका विरोध आपका लक्ष्य

● पं० जवाहरलाल जैन, भीषर (राजस्थान)

परमश्रद्धास्पद बंशीधरजी ग्यारह वर्षों तक काशी महाविद्यालयमें पढ़े थे । आज आप भारतके प्राचीनतम विद्वानोंमेंसे एक हैं । स्वाध्यायकी रखा आपका लक्ष्य सदा रहा है । आचार्य शिवसागर महामुनिकी छत्र-छायामें हुई तत्त्वचर्चा (ज्ञानियाजी-जयपुर)में आप तथा रतनचन्द्र मुस्तार प्रमुख थे । पूज्य स्व० रतनचन्द्र मुस्तार मेरे गुरुवर थे । उनके प्रति बंशीधरजीकी बर्षोंसे अपार श्रद्धालिप्त मैत्री रही थी । इसका पुष्टप्रमाण यह भी है कि जयपुर (ज्ञानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा प्रथम भाग नामक ग्रन्थार्थ आपने पूज्य स्व० मुस्तार सा० की स्मृतिमें उन्हें ही समर्पित किया है । आगमके सर्वोपरि शाश्वत अनुगामी, करणानुयोगके

पारमार्थी मनोवी मुस्तार सा०के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा आप (बंशीधरजी) की निकट भंग्यताको सूचित करती है ।

बंशीधरजीसे कादाचित्क होनेवाले पत्राचारसे तो बर्षोंसे मेरा परिचय था । प्रत्यक्ष परिचय मई, जून ८७ मे धबला वाचनाके कालमें ललितपुरमें हुआ । चर्चाओं-परिचर्चाओंके दौरान आप बहुत सरल स्वाभावी, समता शान्तिसे प्राधिनकके प्रश्नोंका समाधान करनेवाले सूरि प्रतीत हुए । एकान्तका विरोध आपका ध्येय रहा; जो प्रशस्य ही है । आगममें विभिन्न स्थलों पर किये गये समीचीन अर्थोंका परिमार्जन आपकी करणीय कार्योंकी लिस्टमें निहित है । धवलामे शोधन विषयक आपने मुझे हिदायत भी ललितपुरमे ही दी थी । आर्य-मार्गके उद्योतक पण्डित बंशीधरजीके दीर्घजीवित्व, स्वस्थता, सदा प्रसन्नता आगम प्रणवन तल्लीनता, मुनि मार्ग पोषणकी अनवरत साधना तथा अनेकान्त सम्पोषणका सातत्यकी सदा कामना करता हूँ ।

आपका मार्ग मदा प्रशस्त रहे । शुभास्ते पन्थान । भद्रम् भूयात् ।

सरलता व सहजताके धनी

● पं० राजकुमार जैन शास्त्री, दमोह

ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध पं० बंशीधरजीको व्याकरणाचार्यके नामसे समूचा प्रबुद्ध व विद्वत् वर्ग अच्छी तरह जानता है । उन्होंने अपने समस्त बीते हुए जीवनको मरस्वतीके मंरक्षण व सम्बर्धनमे समर्पित तो किया ही है साथ ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखायकी सूक्तिको कृतार्थ करके चरितार्थ कर दिया । ममाज, धर्म और राष्ट्रहितमे अपने जीवनको समर्पित किया । वे बड़े सरल एवं सहज हैं । मैं प्रभुसे यही कामना करता हूँ कि वे चिरायु हों और अपने अक्षुण्ण ज्ञानकोषको मुक्त हृत्से वितरित करते रहे । ।

समाजके लिये गौरव

● पं० भगवानदास जैन शास्त्री, रायपुर

समाजके मूर्धन्य विद्वान् व्याकरणाचार्यका अभिनन्दन समाजके लिये गौरवकी ही बात है ।

विद्वान् समाज व राष्ट्रके दर्पण होते हैं । वे समाजके प्रतिनिधि, पथप्रदर्शक एवं उन्नायक होते हैं । उन्हीके विचारो व प्रेरणाओंसे समाजकी बल मिलता है । समाज उनकी सेवाओंसे कभी उच्छ्रण नहीं हो सकता ।

पण्डित बंशीधरजी मेरे अनन्य मित्र व अन्यतम सहपाठी हैं । हम दोनों स्याद्वाद जैन विद्यालय, काशीके एक ही छात्रावासमे रहते थे । यद्यपि विद्यार्थी जीवनके पश्चात् मात्र ५-६ बार उनसे भेंट हो सकी, किन्तु मैं उनकी स्वतन्त्र विचार-बुद्धि, विनयशीलता तथा स्वाभिमानी स्वभावसे अच्छी तरह परिचित हूँ । मुझे याद है कि एक बार रत्तोइयसे अनबन हो जानेके कारण उन्होंने अपने हाथोंसे ही भोजन बनाना प्रारम्भ-कर दिया था ।

आपकी समालोचक बुद्धि छात्र जीवनसे ही विकसित हुई । आपने अपने विचारोकी अभिव्यक्तिके लिये ६ स्वतन्त्र पुस्तकें भी लिखी, जो समाजके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई ।

आपके सम्बन्धमें यही कहा जा सकता है कि—

स जातो येन जातेन येन तत्त्वं समीक्षितम् ।

परिवर्तनि संसारे मृतः को वा न जायते ॥

इन्ही विचारोके साथ मैं अपनी अशेष मंगल कामनायें व्यक्त करता हूँ कि श्री व्याकरणाचार्यजी यशस्वी, सुदीर्घ, नीरोगतापूर्ण जीवनका उपभोग प्राप्त करें तथा समाजकी निरन्तर सेवा करते रहें ।

अनुपम व्यक्तित्वकी मूर्ति

● श्री गुलाबचन्द्र 'पुष्य', प्रतिष्ठाचार्य, टीकमगढ़

'शोरई' ग्रामकी घरा धन्य है, जहाँ संवत् १९६२ मे शील-मल्लमीकी पावन बेलासे पं० मुकुन्दलालजीकी धर्मपत्नी श्रीमती राधाबाईकी पवित्र कससे जैनसिद्धांतके आराधक एवं देशभक्तका जन्म हुआ। शिशुका नाम रखा गया बंशीधर। बंशीधर मचमुचमे बंशीघर थे, जिनकी बंशीकी मुनकर लोगोंकी भीड़ लग जाती थी। आज भी जिनके आगम-आनको पाकर जनता आत्म-विभोग हो जाती है।

प्राथमिक शिक्षा जन्मभूमि-शोरईके प्राइमरी स्कूलमे पायी और उच्च शिक्षा उस प्राचीन नगरी वाराणसीके न्यायाद्वय महाविद्यालयमे ग्रहण की, जहाँ सातवें तीर्थंकर मुपाश्वर्नाथ और तेईसवें तीर्थंकर पारश्वनाथ ने जन्म लेकर उसे पावन एवं विभूत किया। सान्निध्य मिला अध्यात्मवेत्ता पूष्य श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैसे महान् गुरुका। फिर क्यों नहीं प्रकाण्ड विद्वान् होते। व्याकरण, साहित्य, न्यायके प्रखर विद्वान् होते हुए भी जैनागमके आप अद्वितीयवेत्ता और साधक हैं। आपने आगमके रहस्यको खोला और 'जैन शासनमें निश्चय और व्यवहार' जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंमें भी आप अग्रणी हैं। देशभक्ति भी आपमे कूट-कूट कर भरती हुई है। फलन आप 'स्वतन्त्रता सेनानी' भी हैं।

ऐसे व्यक्तित्वका सम्मान करना राष्ट्र और समाजके लिए सर्वथा उचित है। हमे प्रसन्नता है कि उनकी सेवाओंके उपलक्ष्यमे उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। हम उनके दीर्घ जीवनकी कामना करने हुए अपनी बिनवाञ्छालि अपित करते हैं।

जैनधर्म और सिद्धान्तके अधिकारी विद्वान्

● प्रो० प्रवीणचन्द्र जैन निदेशक-जैन विद्या मस्थान, श्रीमहावीरजी

व्याकरणाचार्य पं० बशीधर न्यायतीथ उन कतिपय विशिष्ट विद्वानोंमेंसे एक हैं जो सुदीर्घ कालसे भारतीय समाजके राष्ट्रीय और आध्यात्मिक अभ्युत्थानमें अपना बहुमुखी योग देते रहे हैं।

आप जैनधर्म और सिद्धान्तके ममज्ञ और अधिकारी विद्वान् हैं। तत्त्वोंकी चर्चा, उनका समीक्षण, निश्चय और व्यवहार, भाष्य और पुरुषार्थ तथा पर्यायोंकी क्रमबद्धता जैसे महत्त्वपूर्ण और जटिल विषयोंपर प्राजल भाषामे लिखी हुई आपकी अनेक कृतियों और पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होते रहनेवाले लेख, जहाँ आपकी पाण्डित्यपूर्ण प्रतिभाका प्रकाश करते हैं वहाँ उनसे समाजके उदीयमान युवावर्गको दिशा और प्रेरणा मिलती है।

अनेक पत्र-पत्रिकाओंके सम्पादन तथा समारोहोंके आयोजनोंसे आप समाजके निकट सम्पर्कमें आते रहे हैं। इससे समाज को निश्चय ही बहुआयामी लाभ मिले है।

देशके स्वातन्त्र्य संग्राममें आपने जो कर्मठता दिखायी है वह आजकी पीढीको अनेक समस्याओंसे चिरे हुए भारतकी विकासोन्मुख प्रवृत्तियोंमें सजीव योग देते रहनेकी प्रेरणा देती रहेगी।

आप जैसे प्रबुद्ध मानवका अभिनन्दन और सम्मान निश्चय ही समाजके गौरवको बढ़ानेवाला एक प्रगस्त कार्य है। इसे जितने उल्हास और वैभवके साथ सम्पन्न किया जा सके, करना चाहिये। यह हम सब लोगोंका परम कर्तव्य है।

अभिनन्दनके इस बड़े अवसरपर मैं चौरामी वर्षीय महामना पं० बंशीधर जीके लिए अपनी शुभकामनाएँ अपित करता हूँ। वे दीर्घायु हो और स्वस्थ रहते हुए समाजकी आध्यात्मिक सेवाके बहुविध क्षेत्रोंमें अपना सहज-स्वभावी योग देते रहे।

सादा जीवन और उच्च विचारके धनी

● पं० सत्यंवर कुमार सेठी, उज्जैन

अभी मैं विद्वत्परिषद तथा महासमितिके अधिवेशनों में आगरा गया था। तब बनारसके सम्मानीय विद्वान् बाभूलाजी फामुलने चर्चामें कहा कि सेठीजी आपको यह जानकार हर्ष होगा कि हम समाजके प्रसिद्ध विद्वान् माननीय पं० बंशोघरजी व्याकरणशास्त्रार्थ जैसे महाविद्वान् ही मेवाओ व समर्पित जीवनके प्रति कृतज्ञता प्रकाशनार्थ एक अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करनेकी योजना बना रहे हैं जिसमें आपका भी सहयोग बाछनीय है। यह सुनते ही मेरे हृदयने आवाज दी कि आज भी जैन समाजमें विद्वानोंके प्रति अगाध श्रद्धा और उच्चतम भावनायें हैं जो किसी-न-किसी रूपमें अपना कृतज्ञता प्रकाशित करके श्रद्धासुमन उनके चरणोंमें अर्पित करना चाहता है। जैन समाजने व्यक्ति विशेषको महत्त्व कभी नहीं दिया है। यह समाज हमेशा गुणोंकी ही पूजा करता आ रहा है। सम्मानीय पण्डितजीका यह अभिनन्दन ग्रन्थ वर्तमान पीढ़ीके लिए ही नहीं किन्तु भावी पीढ़ीके लिए भी प्रेरणा दायक होगा—ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

श्रद्धेय पण्डित बंशोघरजी जैन जगत्के विद्वानोंमें एक आदर्श और उत्कृष्ट विचारोंके विद्वान् हैं। मैंने उनके प्रत्यक्ष दणन द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्रपर होनेवाले गजरथ महोत्सव के समय किये थे। उस समय अखिल-विश्व जैन मिशनका अधिवेशन था, तब मुझे भी जानेका सौभाग्य मिला था। प्रथम प्रवचनमें ही मैं श्रद्धेय पण्डितजीके विचारोंसे काफी प्रभावित हुआ। मैं उनके निवास स्थानपर पहुँचा। कई धार्मिक और सामाजिक चर्चायें आपसे मैंने की। जिससे ज्ञात हुआ कि आप कमकाण्डी विद्वान् नहीं हैं। आपका झुकाव अन्तर्जीवन की टटोलपर है, और वास्तवमें वे भगवान् कुण्डकुन्दके विचारोंके अनन्य भक्त विद्वान् हैं। आपका चिंतन बहुते विशाल है और गृहस्थ होते हुए भी आपके विचारोंसे मैंने यह निर्णय लिया कि आप सही रूपमें तिलिप्य जीवनके धनी हैं। द्रोणगिरिके बाद किसी व्यक्तिगत प्रसंगको लेकर कई बार आपके घरपर ठहरनेका मुझे सौभाग्य मिला है। आपका आतिथ्य सत्कार भी बड़ा बजांड है। महाविद्वान् होते हुए भी मैंने हमेशा आपको विनम्रताकी मूर्तिके रूपमें ही देखा। न आपके जीवनमें कोई दिखावा है और न किसी भी प्रकारका प्रदर्शन। सादा जीवन और उदार विचार ही आपके जीवनका लक्ष्य हैं। आपने अपने जीवन कालमें माहिल्यिक सेवायें तो की हैं, लेकिन आपने राष्ट्रीय आन्दोलनमें भी सक्रिय रहकर जैन समाजका मस्तक ऊँचा किया है। जीवन में जेल जानेका भी आपको सौभाग्य मिला है। जैन समाजमें समय-समयमें अनेक आन्दोलन चले हैं लेकिन उन आन्दोलनोंमें आपने अपने आपको कभी नहीं उलझाया हमेशा आप ज्ञाता और दृष्टाके रूपमें ही रहे और आज भी हैं। आप अद्भुत प्रतिभाके धनी विद्वान् ह अत विद्वत् परिषद जैसे महान् मस्थाका नेतृत्व करके आपने समाजको ही मार्ग दर्शन नहीं दिया, विद्वानोंको भी मार्ग दर्शन देकर जैन दर्शनकी अनुकरणीय सेवा की है। विद्वानोंको आज भी आपके विद्वत्ताके प्रति श्रद्धा और गौरव है। और विद्वज्जन उनको अभिनन्दनीय मानकर उनके प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करते हैं। ऐसे महाविद्वान्के चरणोंमें श्रद्धा प्रकट करता हुआ मैं भी अपने आपको धन्य मानता हूँ। और भगवान् महावीरसे प्रार्थना करता हूँ कि माननीय पण्डितजी शतजीवि बनकर इसी तरह समाज, देश व राष्ट्रको मार्ग दर्शन दते रहे।

शुभकामनाएँ

● प्रो० फूलचन्द्र सेठी, सुरई

पण्डित बंशोघरजी व्याकरणशास्त्रार्थ, धीनके सम्बन्धमें अभिनन्दन-ग्रन्थ छप रहा है। मैं श्रद्धेय पण्डित-जीकी दीर्घायुकी शुभकामनायें अर्पित कर रहा हूँ। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हो तथा जैनधर्मकी सेवा अपनी लेखनी द्वारा निरंतर करते रहें।

धर्म और समाजके सच्चे हितचिन्तक

● पं० हीरालाल जैन 'कौशल' मंत्री-अ० भा० वि० जैन विद्वत्परिषद्

सम्माननीय पं० बंशीधरजी व्यानरणाचार्य ममाजके सर्वप्रथम व्याकरणाचार्य हैं। उन समय यह विषय अत्यन्त कठिन मानकर इस ओर छात्र जाते ही न थे। ऐंमे विद्वान्को सस्वाधोमे स्थानकी कमी न थी, पर पण्डितजी समाजके उन गिने चुने विद्वानोमेसे हैं, जिन्होने समाजकी अपने जीवनयापनका आधार न बनाकर स्वतन्त्र (कगडेके) व्यवसायको अपनाया और उसमे अपनी ईमानदारी तथा मद्ब्यवहारसे अपनी गहरी साक्ष बनाई एवं सम्मानपूर्वक उल्लति करके अपनी स्थितिको सुदृढ बनाया। साथ ही अपनी योग्यता, सतत अध्ययन एवं गम्भीर चिन्तनके द्वारा ममाजके प्रथम श्रेणोके वरिष्ठ विद्वानोमे अपना सम्माननीय स्थान बनाया। आप समाजकी प्रत्येक गतिविधिसे सदा जुडे रहे और उसमे योगदान देते रहे।

व्याकरणाचार्यजी व्याकरणके अपूर्व विद्वान् होनेके साथ ही दर्शन तथा अध्यात्म आदिके भी प्रकाष्ठ पण्डित है। वे अपनी पैनी दृष्टि एवं सूक्ष्म पकडके द्वारा प्रत्येक विषयका गम्भीरतासे मथन करते हैं, तथा विषयका विद्वलेषणकर सप्रमाण उमपर लेखनी उठाते हैं। उनके लिखित ग्रन्थोमे यह सब बाते स्पष्ट दृष्टि-गोचर होती हैं।

वे शान्तस्वभावी, निरभिमानी, उदारहृदय, दिसावट-बनावटसे दूर सावधीपसन्द व्यक्तित्व हैं। धर्मके दृढ श्रद्धाली हैं पर कुगीतियो, कुप्रथाओ तथा षोषडमके सदा विरोधी रहे हैं। धर्म व समाजके सच्चे हितचिन्तक हैं। समाजकी सुप्रतिष्ठित मंस्थाओके अध्याक्ष एवं मंत्री आदि जिम्मेवारीके पदोपर रहकर आपने समाजकी अनुपम सेवा की है। समाजके द्वारा आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं।

आप मच्चे देश भक्त भी हैं। आपने स्वतंत्रता आन्दोलनमे जेल जाकर देशको स्वतंत्र करानेमे अपना योगदान दिया। विद्वानोमे वे ऐसे प्रथम विद्वान हैं। आपका जीवन वस्तुतः एक आदर्श एवं अनुकरणीय है। इस आयुमे भी आप माहिल्य एव समाज सेवाके कार्यमे लगे रहते हैं। भगवानसे प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो तथा इसी प्रकार समाजका हित करने रहें।

मंगल कामनाएँ

● पं० अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ, जयपुर

पूज्य पण्डितजी पुरानी पीढीके विद्वानोमे अग्रगण्य हैं। जिस प्रकार आपने आर्षभागकी परम्परा निभाते हुए समाजको सम्माहित्य दिया उमी प्रकार स्वतंत्रता सेनानीके रूपमे राष्ट्रको अपने कातिकारी एवं सुचारवादी विचारधारारसे प्रभावित किया। युगानुसार नूतन-प्राचीन विचारोके सामंजस्यसे युवापीढीको धर्मकी ओर आकृष्ट किया है। सादा जीवन एव उच्च विचार ही आपके जीवनका लक्ष्य रहा है।

मेरी मंगल-कामना है कि आप युगो-युगोतक हमें मार्गदर्शन देने रहें। बिना वासुरीके भी श्री बंशीधर अपनी मनमोहन तान सुनाते रहें।

आपका अभिनन्दन जिनवाणीका अभिनन्दन है

● डॉ० कच्छेदीलाल जैन, सम्पादक 'जैन सन्देश', रामपुर

आपके सम्मानमे अभिनन्दन-ग्रन्थका प्रकाशन हो रहा है। यह जानकारी मुझे वाराणसीसे प्राप्त पत्रक-से हुई। प्रसन्नता हुई। आपने समाजसे स्वतंत्र रहकर कार्य किया यह अच्छी बात है, गौरवपूर्ण है। समाज पर निर्भर न रहकर अपनी विद्वत्ताका उपयोग किया। परन्तु यदि आप व्यवसायके स्थानपर अध्यापन-कार्य करते तो आपकी प्रतिभा तथा योग्यताका इससे कई गुना लाभ समाजको मिलता। आपका अभिनन्दन प्रकारान्तरसे जिनवाणीका अभिनन्दन है। इस कार्यक्रमके आयोजनकी रूपरेखासे मुझे प्रसन्नता हुई।

लौह लेखनीके घनी

● ४० हेमचन्द्र शास्त्री, अजमेर

सम्भवतः सन् १९३१ का सत्र शुरु हुआ था। मैंने जम्बू विद्यालय, सहारनपुरसे प्रवेशिका पगोडा उत्तीर्ण कर श्री० स्यादाद दि० जैन विद्यालय, बनारसमें प्रवेश पानेके लिये विद्यालयका प्रवेश फार्म भेजा था। मुझे वहाँ प्रवेश मिल गया और वहाँका छात्र बन गया। उस समय विद्यालयकी प्रतिष्ठा शिक्षा जगतमें आश्चर्यजनक थी।

विद्यालयके स्नातक अवतक न्यायाचार्य तो हुए थे सो भी अपूर्ण थे। परन्तु अन्य व्याकरण-साहित्य आदि विषयके कोई विद्वान् जैन समाजमें नहीं थे। सर्वप्रथम इन विषयके विद्वानोमें यदि किन्हींका नाम गिना जा सकता है तो वे हैं श्री ४० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य और श्री ४० परमानन्दजी साहित्याचार्य। श्री ४० परमानन्दजी पंचकूलामें कार्यरत रहे और वे अब हमारे बीचमें नहीं हैं।

सर्वप्रथम मैंने इन दोनों वरिष्ठ स्नातकोकी विद्यालयमें देखा। वहाँका मात्स्यिक जीवन और शिक्षाकी लगन अपूर्व ही थी। आज उसीका फल है कि मेरा भी जीवन जिनवाणी आराधनामें व्यतीत हो रहा है। श्री व्याकरणाचार्यजी अत्यन्त सरल, मृदुस्वभावी, दुबले पतले, मयमशील, मतल जानाम्यामी, कर्मठ छात्र रहे। आप किसी सामाजिक संस्थामें कार्य न कर गृह-व्यवसायी रहे। परन्तु आश्चर्य है कि आपकी जिनवाणी साधना वहाँ भी सतत चलती रही और उसीका शुभ परिणाम है कि आपका वृद्ध जीवन अब भी जिनवाणीको पूर्णतः समर्पित है।

आपकी लौह लेखनी व्याकरणाचार्य होते हुए भी जैनदर्शनके गूढतम विषयोपर चलती रही है, जिससे आगम स्यादाद सूर्य आव्योमित हुआ है तथा मिथ्या धारणाएँ नष्ट हुई हैं। आपका लिखन साहित्य आपको अमरता प्राप्त कराता रहेगा। पंडितजीकी रचनाओको हृदयगम कर मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ। श्री पंडितजी दीर्घजीवी होंकर इस प्रकार स्वाभ्यायियोंको मार्गदर्शन देते रहें। मैं उनके स्वस्थ एवं निराकुल जीवनके लिये वीरप्रभुसे प्रार्थना करता हूँ।

ममस्त ममाजने पंडितजीका अभिनन्दन करनेका जो उपक्रम किया है वह उनकी जिनवाणी मेवाके अनुरूप है। मैं ग्रन्थके उत्तम प्रकाशनके लिये समितिको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

जैन आगमके उल्लेखकोटिके विद्वान्

● ४० प्रकाश हितैषी, मम्पादक—सम्पति सन्देश, दिल्ली

आदरणीय व्याकरणाचार्य ४० बंशीधरजी शास्त्रीको मैं ६० वर्षमें जानता हूँ क्योंकि आपके निवास स्थल बीना (इटावा) में मैंने प्रारम्भिक धार्मिक शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय ४० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य और ४० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री भारतके स्वतन्त्रता संग्राममें प्रमुख सेनानी माने जाते थे। फलस्वरूप उन्होने जेल यात्रायें भी की हैं। उस समय उनकी निर्भीकता एवं देशकी स्वतन्त्रताके प्रति समर्पण उल्लेखनीय रहा है। उन दिनों इन दोनों विद्वानोंकी राम-लक्ष्मण जैसी जोड़ी लोग कहा करते थे।

समाज मुश्कारमें भी ये अग्रगण्य थे। मरणभोज एवं अन्य सामाजिक बुराईयोंका भी खुलकर विरोध करते थे। अनावश्यक होनेवाले गजरथ—पंचकल्याणकोका भी इन्होंने खूब विरोध किया था। वे कहा करते थे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठाके लिए ये प्रतिष्ठाएँ बनना अपव्यय हैं। इनका विरोध करनेके लिए इन्होंने एक समितिका भी निर्माण किया था। आप समाज सेवामें विश्वास करते थे, लोकेवणासे सदा दूर रहते थे।

आप आगमके उच्चकोटिके विद्वान् हैं। ये हमेशा म्वनन्त्रजीवी रहे हैं। इन्होंने कभी भी सामाजिक संस्थाओंकी गुलामी स्वीकार नहीं की। इनका विचार है कि स्वतंत्र रहकर ही समाज सेवा की जा सकती है। अनेक पुस्तकें लिखी हैं। व्यवसाय करते हुए भी आपकी कलम निरन्तर चल्ती रहती है। वे दीध-जीवी रहकर जनकल्याणकारी प्रेम दे, यही मंगल कामना है।

जैन दर्शनके बंशीधर

● पं० दयाचन्द्र साहय्याचार्य, प्राचार्य श्री वि० जैन मं० महाविद्यालय, सागर

जिम प्रकार बंशीधर (श्रीकृष्ण) ने गीताकी वशी ध्वनित कर, केवल अज्ञानको ही नहीं, किन्तु विश्वके मानवोंकी पुरुषार्थ करनेके लिये जागृत किया, कर्तव्य पालन करनेके लिये प्रेरित किया और गीताका उपदेश देकर कल्याणके पथका प्रदर्शन किया। गीतामें यह कथन ध्यातव्य है—

स्वस्वे कर्मण्यभिरत, संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरत सिद्धिं, यथा विन्यति तच्छृणु ॥

अर्थात्—स्वभावजन्य गुणोंके अनुसार प्राप्त होनेवाले अपने-अपने कर्मोंमें सबंदा प्रवृत्त होनेवाला पुरुष तदनुसार सिद्धिको प्राप्त करता है।

इसी प्रकार जैनदर्शनके क्षेत्रमें बंशीधरने अपने तत्त्वज्ञानकी बंशीको ध्वनित कर मानव समाजको जागृत किया, कर्तव्यमें निष्ठ होनेके लिये प्रेरित किया एवं स्वकीय जीवनमें महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

भौतिक ममीक्षात्मक ग्रन्थोंका सृजन कर मानवको म्याद्वादात्मक आत्मकल्याणके मार्गपर प्रगति करनेके लिये यथार्थ पथिक बनाया है। उन हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्वके विषयमें मंगलकामना करते हैं।

“दीर्घायिरस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु

सद्बुद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु ॥”

सिद्धान्त रक्षक

● डॉ० श्रेयासकुमार जैन, महामंत्री-अ० भा० दि० जैन शास्त्रपरिवद्, बड़ौता (उ० प्र०)

आगम और अध्यात्मके नलस्पर्शी जानवाले महामनीषी सिद्धान्ताचार्य पण्डित बंशीधर व्याकरणार्थ-का व्यक्तित्व सिद्धान्त मरक्षकके रूपमें विरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि विगत पचास वर्षोंमें जिन आगम विरुद्ध मान्यताओंका प्रचलन आर प्रसार हुआ, उनका निराकरण पण्डितजीने आगमके परिप्रेक्ष्यमें अपनी सिद्धहस्त लेखनीमें किया।

व्याकरण और न्यायके विषयोंकी विशद मीमांसाके साथ अध्यात्मके रहस्यको उद्घाटित करने वाले एकमात्र विद्वान् हैं। निषेध-व्यवहारकी आगमिक मीमांसा और खानिया तत्त्व चर्चामें आगम पक्षका प्रतिनिधित्व इनके जीवनका सर्वश्रेष्ठ कृतित्व है।

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्र-परिषद्के प्रमुख स्तम्भोंमें इनका श्रेष्ठ स्थान है। पण्डितजीने अपने जीवनका बहुभाग देव-गृह-शास्त्रकी मर्यादाके मरक्षणमें समर्पित किया। आर्य परम्पराका पोषण किया।

जहाँ पण्डितजीका जीवन जैन सिद्धान्तके प्रचार-प्रसारमें बीता, वहाँ उन्होंने राष्ट्रके हितमें स्वतंत्रता सेनानीके रूपमें स्वयंको समर्पित किया। पण्डितजी संस्कृति, कला, ज्ञान तथा विद्वत्ता के मूर्तिमान प्रतीक हैं। समाज तथा राष्ट्रकी शोहर है।

सिद्धान्ताचार्यका अग्रिमन्धन सरस्वतीका अभिनन्दन है। हम मंगल कामना करते हैं कि इनकी अजस्र लेखनी दीर्घकाल तक आगम-प्रभावनाकी निमित्त बनी रहे।

स्वाभिमान और प्रज्ञाकी मूर्ति

● पं० रविचन्द्र जैन, शास्त्री, दमोह

अद्वेय पं० जी उन व्यक्तिगणों में हैं, जो अपना जीवन स्वयं निर्माण करते हैं। वे स्वतंत्र विचारक, गम्भीरचेता, महान् अध्येता और समयानुकूल ममाजसुधारक हैं। उन्हें अपना प्रदर्शन बिलकुल पसन्द नहीं है। मीन कार्य करना ही उन्हें प्रिय है। स्पष्टवादिता, भौतिकतासे दूर रहना, प्रतिफलकी अपेक्षा न करना और सेवादृष्टि रखना ये आपके महज गुण हैं। राष्ट्र, समाज और साहित्य इनके लिए समर्पित जीवन इनका लक्ष्य है। इनके द्वारा की गयी। इनकी सेवा अभिनन्दनीय है।

जब भी विद्वानोका प्रकरण आता है तो पण्डितजीका सादगीपूर्ण रहन-महन, निदल्ल वृत्ति, स्वतन्त्र व्यवसाय और गरिमामण्डित व्यक्तित्व आँसुके सामने आ जाता है। इनने उद्भट विद्वान् होते हुए भी सामाजिक नोकरीसे कोमो दूर रहकर आपने अपना स्वतः व्यापार किया। फिर भी उसमें अनासक्त रहते हुए राष्ट्र, समाज और माहित्यकाँ सेवामें सलग्न हैं। आपने किसीकी जो हज़ूरी करके अपना स्तर नीच नहीं किया। स्वाभिमान आपका पहला गुण रहा है। इससे उन्हें जो मान-सम्मान मिला है वह किसी भी व्यक्तिके लिए स्पृहणीय है।

स्वतन्त्र व्यवसायी होनेपर भी आप आगम और उसके सिद्धान्तोकी रक्षामें निरन्तर सलग्न हैं। फलतः कई ग्रन्थोंकी रचना आपके द्वारा हुई है। यह भी मुयोगकी बात है कि आपके परिवारमें भारतीय स्तरके दो विद्वान् भतीजों—पं० बालचन्द्रजी मिद्वान्तशास्त्री और डॉ० पं० दम्बाराजलाल कोटिया ग्यायाचार्यके द्वारा भी जिनवाणीकी सेवा हो रही है। इन्होंने भी अनेक ग्रन्थोका सम्पादन-हिन्दी अनुवाद और लेखन किया है। यह समाजके लिए आपकी और आपके परिवारको उल्लेखनीय देन है।

आपकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ भी कम नहीं रहीं। गजरथविरोध, दम्भापूजाविचार आदिमें सक्रिय भाग लिया और उनमें सफलता भी प्राप्त की। आप स्वतन्त्रता-सेनाना भी हैं। ऐसे जीवट एवं कर्मठ विद्वत्प्रवरको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

'तुम जियो हजारी साल, सालके होवे वर्ष हजार।'।

चिन्तनशील विद्वत्प्रवर

● पं० भैयालाल शास्त्री, बीना

विद्वत्प्रवर पं० बशीधरजी व्याकरणाचार्यसे मेरा परिचय सन् १९२५ से है, जब मैं श्री अभिनन्दन वि० जैन पाठशाला क्षेत्रपाल ललितपुर (उ० प्र०) में अध्ययन करता था और पण्डितजी स्यादादमहार्जिवालय, बाराणसीमें पढ़ते थे। आन श्रीमाजकाशमे अपने साथियो—पं० परमानन्दजी साहित्याचार्य, पं० बालचन्द्रजी शास्त्री, पं० पद्मचन्द्रजी आदिके साथ क्षेत्रपालमें ठहरते हुए अपनी जन्मभूमि सोरईकी जाने थे। उस समय आपसे अनायाम भेंट हो जाती थी। व्याकरण बड़ा कठिन विषय माना जाता था, किन्तु आपने अपने अध्ययनका विषय उसे ही बनाया था। इससे छात्रोंको आश्चर्य होता था।

बीनामें श्रीमान् साहू मौजीलालजी कठरया बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। उनके एकमात्र कन्या थी, जिसके विवाहकी उन्हें चिन्ता थी। पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने उन्हें बंशीधरजीका नाम सुझाया। वे बनारस गये और बंशीधरजी योग्य जँके और उनका सम्बन्ध उनकी लड़की लक्ष्मीबाईके साथ हो गया। पण्डितजी बीनामें रहने लगे और कपड़का व्यवसाय करने लगे। आपने भादमे अपनी एक बात रखी, कन्यती-बढ़ती

बेताना अच्छा नहीं समझा। फलतः उनकी दुकान एक विध्वस्त दुकान मानी जाने लगी और पण्डितजी जन-जनके विध्वान पात्र हो गये।

सामाजिक कार्यमें भी हाथ बटाते हुए श्री नाभिनन्दन पाठशालाके संचालनमें मंत्री बनकर कुशलता दिखाई तथा संस्थाको व्यवस्थित बनाया।

मेरा भी यही बीनामें व्यापार करनेमें मन लग गया और इस तरह पण्डितजी और मेरा प्रतिदिन मिलना-जुलना होना रहा। इसमें और अतिरिक्त निकटता होनी गयी और आज भी वह है। कभी-कभी मेरा भोजन भी उन्हींके यहाँ होता है। पण्डितजी व्याकरणशास्त्रके विशेषज्ञ होकर भी विलक्षण दार्शनिक प्रतिभासे मण्डित हैं। व्यापार करने हुए भी सरस्वतीके मन्त्रें उपासक हैं। पण्डितजीकी विशेषता है कि वे प्रदर्शनसे दूर रहते हैं। वास्तवमें इने-गिने विद्वानोंमें वे एक हैं। वे अद्वितीय चिन्तनशील हैं।

उन्होंने अपनी लेखनी और प्रवचनों द्वारा सोनगढके उठे बवण्डारको मेस्तनाबून दे दिया। सोनगढके दृष्टिकोणके मर्मधनमें लिखी गई 'जैनतत्त्व मीमांसा' के उत्तरमें आपने अकाठ्य यत्नियोंमें युक्त 'जैन-तत्त्वमीमांसाकी मीमांसा' लिखी। इनका ही नहीं 'जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव', 'जैनदर्शनमें निश्चय और व्यवहार' तथा 'जयपुर (सानिया) तत्त्वचर्चाको समीक्षा' जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ भी आपने लिखे हैं।

ममात्रने जो उन्हें उनकी सेवाओंके उपलक्ष्यमें अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करनेका जो निश्चय किया है वह उचित और स्तुत्य है। हम एमं नि स्वार्थ सेवी एवं सरस्वतीके वरदपुत्र मिष्ठान्ताचार्य-व्याकरणाचार्यजीको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करने हुए उनके शतायु होने की मंगल-कामना करते हैं।

सम्पूर्ण जीवन बेमिशाल है

● डॉ० जयकुमार जैन, सस्कृत विभाग, एस० डी० कालेज, मुजफ्फरनगर

पूज्य प० सरस्वती-वरदपुत्र पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्यका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक सभी क्षेत्रोंमें बेमिशाल है। धार्मिक क्षेत्रमें तत्त्वका निर्णय कर उसे प्रकट करनेमें उनको निर्भीकता जैन पण्डित परम्पराके लिए सर्वथा अनुकरणीय है। उनकी यह निर्भीकता देखकर विगत वर्ष इन्दौरमें विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठकमें मैं दंग रह गया। मेरी तो स्पष्ट धारणा है कि—

'अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्याना च व्यतिक्रमः।

श्रीणि तत्र प्रवचन्ते दुर्मिधं मरणं भयम्॥

प्रमन्ननाकी बात है कि जैन समाज पूज्य पुरुषोंका व्यतिक्रम न करके उनकी सेवाओंका आकलन कर रही है। मेरी हार्दिक मंगलकामना है कि पूज्य पण्डित जी दीर्घायुव्य होकर हम युवकोंका मार्ग प्रशस्त करते रहें तथा अपने सार्वजनिक व्यक्तित्वसे राष्ट्र, समाज एवं धर्मकी सेवा करते रहें।

आगमनिष्ठ विद्वान्

● डा० रमेशचन्द्र जैन, सम्पादक-पार्ष्वण्योति, बिजनौर

श्रद्धेय पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य को देखनेका सुअवसर मुझे तब प्राप्त हुआ, जब मैं स्याद्-वाद् महाविद्यालय, वाराणसीमें उलग्गमध्यमाका छात्र था। विद्वत् परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठक बनारसमें आयोजित थी, उमी मिलमिलेमें पण्डितजी भी आये हुए थे। रात्रिमें स्याद्वाद् प्रचारिणी सभाकी ओरसे विद्वानोक्त अभिनन्दन था। मङ्गलाचरणके बाद छात्रोंसे कुछ बोलनेके लिए कहा गया। समस्त छात्र चुप रहे। विद्वानोंके सामने क्या बोलते। कुछ साधियोंने मेरी ओर इशारा किया। छात्रोंकी ओरसे कोई कुछ न

कहे, यह मुझे अस्वर रहा था। युवकोचित उत्साहसे प्रेरित होकर मैं बोलनेके लिए खड़ा हुआ, विद्वानोंकी भरपूर प्रशंसा की साथमे विद्वत्-परिषद् और शास्त्रपरिषद् जैसी दलबन्दीको समाप्त करनेका मुद्दाव भी दिया। कुछ विद्वानोंने इसे अपना अपमान समझा। फलन्वरूप मेरे बोलनेके बाद ही विद्वान् दो सेमेमें बैठ गये। कुछ लोगोंने अपनी वाग्मिता द्वारा यह सिद्ध करनेका प्रयास किया कि हम चाहे भले ही अलग-अलग विचारधाराओ वाले हो किन्तु एक दूसरेके लिए न्योछावर रहते हैं। छात्रको बड़ोको सोख देनेका अधिकार नहीं है। श्रद्धेय डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री प्रभृति विद्वानोंने मेरी बातका समर्थन किया और कहा कि मेरा कहना विद्वानोंके लिए एक खतरकी घटी है, जिसे सुनकर विद्वानोंको आपसी मनोमालिन्धका परित्याग करना चाहिए। मेरी बातका समर्थन पूज्य पण्डित बंशीधरजी, बीनाने भी जोरदार शब्दोंमे किया। इस प्रकार अपने पक्षमे भी आधे वक्ताओको बोलता देखकर मेरा भय कम हो गया और कुछ प्रसन्नता भी हुई कि मेरे विचारों को आधार बनाकर विद्वानोंमें एक अच्छा मन्थन हो गया। बादमे पूज्य पण्डित बंशीधरजीने मेरा परिचय पूछा और उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मूलन मेरे पूर्वज भी उसी सोरई ग्रामके निवासी थे जहाँ पण्डितजीका जन्म हुआ है।

इस घटनाके बाद अनेक बार पण्डितजीसे भेंट हुई। ये एक आगमनिष्ठ विद्वान् हैं। अपने दैनिक व्यवहारमे भी वे सच्चाई और ईमानदारीका प्रयोग करते हैं। उनको वाणों सुलझी हुई और शास्त्रोक्त होती है जन्होंने जिनवाणीका अध्ययन, मनन और चिन्तन किया है। ऋषिवादितासे वे भी दूर हैं। विद्यम्बरत्वके प्रति उनके मनमे अगाध श्रद्धा हैं। वे अनेक गुणोंके पुज हैं। मेरे हृदय मे उनके प्रति हादिक श्रद्धा और बहुमान हैं।

पांडित्यके अभिनव हस्ताक्षर

● श्रीं निहालचन्द्र जैन, व्याख्याता, बीना

पण्डित बशीधरजी—समयकी शलाकापर लिखा एक ऐसा हस्ताक्षर है, जिसने चौरासी पडावोंकी यह जीवन-यात्रा निस्पृह और निर्लिप्त भावसे समाज व धर्मकी मूक सेवा करने हुए तब की। आज भी उम्रकी इस दराजपर पहुँचकर जीवनकी कर्मठता लिए ज्ञानाराधनामे मगन नलम्न एक शिल्पकारकी भाँति साहित्य-सृजनमे लगे हुये हैं। पण्डितजीने समयकी चुनौतियोंको स्वीकार कर न केवल उनका करारा उत्तर दिया, अपितु अपने मौलिक चिन्तन और तर्कोंसे जैनदर्शनकी गुत्थियोंको खोलनेमे लगे हैं।

प्रायः स्थानसे व्यक्तिका परिचय जुड़ा होता है, परन्तु जैन जगत्मे १० बंशीधर व्याकरणाचार्यजीके नामसे बीना नगरका परिचय जुड़ा है। पण्डितजीका व्यक्तित्व उस कोरी पुस्तकके समान है जिसमे ज्ञान-पांडित्य, स्वाभिमान, कर्मक्षेत्रकी ईमानदारी, राष्ट्रसेवा भाव, निर्लोभवृत्ति यथा व सम्मान चाहसे दूर आदि जैसे गुणोंके प्रतीक-पृष्ठ हैं और उन पृष्ठीपर केवल पण्डितजीके स्वर्ण हस्ताक्षर अंकित हैं।

पण्डितजी मेरे 'पूज्य बब्बा' हैं। क्योंकि सोरई और मडावरा पड़ोसो गाँव होनेमे आप मेरे पूज्य पिताश्री से जुड़े रहे और जब मे १९८३ मे बीना आया तो पण्डितजीने उसी भावसे स्वीकारा, जैसे एक पितामह अपने नातीको देखता है। मैंने न केवल आपके पाम बैठकर स्वाध्याय किया, बल्कि पण्डितजीके अनुमूल्य उपहारोंसे अपनी क्षोकी भरी।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमें पण्डितजीको जैसा देखा और जाना उसे कह देना भी प्रासांगिक समझता हूँ।

१ आपने अपने ज्ञान और पांडित्यको कभी व्यवसाय नहीं बनाया।

२ नीतकता व ईमानदारीकी प्रतिमाकी प्राण प्रतिष्ठा आपने अपने व्यवसाय व कर्मक्षेत्रमे की तथा अपने योग्य तीन पुत्रोंको भी अपने गुणोंके अनुवर्ती बनाया। यही कारण है कि बीना इटावामे आपका वस्त्र

प्रतिष्ठान एक ऐसी गौरवशाली परम्परा लिए हैं कि एक निश्चित लाभाश लेकर एक ही दामसे वस्त्र विक्रम करते हैं तथा एक पैसेकी टैक्स चोरी नहीं करते ।

३. जीवनके प्रति एक रचनात्मक दृष्टि है । आपका कहना है कि यदि जीवनको पूर्ण नियम और सय मसे बिताया जाय तो दीर्घायु उपहारमे मिल जाती है । यही कारण है कि आपका आहार, बिहार, अभ्य-यन-लेखन, शयन सभी दैनिक कर्म घड़ोको सुईयोने बँधा स्वानुशासित है ।

४. सोनगढ़की एकान्त आँधोमें बड़े-बड़े नामधारी पण्डित डुलक गये लेकिन आर्ष परम्परा और स्यादाव-अनेकान्तके इस सजग प्रहरीने अपनी लेखनी उठाकर उस एकान्त विचारधाराका डटकर सिद्धान्तिक खण्डन किया और एक सशक्त साहित्यका प्रणयन कर दिशा-दृष्टि दी ।

यह सुयोग ही ममज्ञना चाहिए कि आपके सुयोग्य भतीजे जैन जगतके क्वातिप्राप्त विद्वान पं० डा० दरबारीलालजी कोठियाने बनारसमे बीनाको अपनी कर्मस्थली बनाया और आपके परिवारमे दूध-पानीकी भाँति मिलकर समाज-सेवा एव साहित्य साधनाको ही पूर्ववत् अपनाया ।

मैं पंडितजीके दीर्घायुकी मंगल कामना करते हुए आपकी लेखनीने प्रसूत अन्य साहित्यिक । आध्यात्मिक ग्रन्थोके प्रणयनकी आशा करता हूँ ताकि वे आनेवाले युगकी चुनौतियोका सामना कर सके और आर्ष परम्पराके मंरक्षणके प्रतिमान बन सके ।

पाण्डित्यकी प्रतिमूर्ति

- पंडित विमलकुमार सोरया, सम्पादक-वीनराल बाणी, टीकमगढ

वर्तमान शताब्दीके प्रथम श्रेणीके विद्वानोमे सिद्धान्ताचार्य विद्वत्त्रल पण्डित बशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीनाका नाम आदरके साथ लिया जाता है । पंडितजीके सम्मानमें जो ग्रंथ आज प्रकाशित किया जा रहा है वह आजसे २० वर्ष पूर्व ही प्रकाशित होना चाहिए था ।

मैद्वान्त्रिक ज्ञानकी परिपक्वता व्याकरण और न्यायकी दीवाल पर आधारित होती है । थ्रडेंय पण्डितजी अभिघाओके प्रतिभा सम्पन्न अधिकारी विद्वान हैं यही कारण है कि जैन दर्शनके परिप्रेक्ष्यमे उनका प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका ज्ञान न्याय और व्याकरणकी तराजू पर सत्य रूपमे बटित हुआ । पण्डितजीका मैद्वान्त्रिक ज्ञान जितना अथाह है दर्शनकी गहराई भी उसनी अलौकिक है । सामान्य भावकसे लेकर विद्वान तकके बीचमें आपकी आध्यात्मिक चर्चामे अपना मौलिक चिन्तन अपना तथ्यपूर्ण सत्य और अपनी विचारण सिद्धान्तके आलोकमें पूर्णतः प्राणवान देखी गई ।

विद्वत्ता स्वरूप व्यक्तिका प्रवृत्तिमें अनुभूत किया जाता है । एक बार मैं और थ्रडेंय पण्डितजी एक साथ अशोकनगरमें किसी धार्मिक प्रसंग पर आमंत्रित किए गए । सौभाग्यकी बात थी कि जिस गाडीसे मैं अशोकनगर जा रहा था उसी गाडी और उम्मे डिब्बेमें थ्रडेंय पण्डितजी भी थे । बडी प्रसन्नताके साथ हम पण्डितजीसे चर्चा करते हुए जा रहे थे । अशोकनगर स्टेशन आते ही समाजके दार्ताधिक व्यक्त बडी-बडो मालागै-ध्वजागँ लिए हम दोनोको लेने बँध-बाजों सहित आये हुए थे । जब पण्डितजी ने यह तमाशा प्लेटफार्म पर ट्रेनके पहुँचते हुए देखा तो मुझसे बोले सोरया जी आप गाडीसे नीचे उतरते हैं बाधकसमं धुड़ि करके आता हूँ । यह बात मैं समझ नहीं पाया और मैं जैसे ही प्लेटफार्म पर डिब्बेसे उतरा लगोने आगवानी करके मालागै पहनाना शुक किया । उस भौड मे २/४ मिनटके लिए भूल गया कि पण्डितजी भी गाडीसे उतरकर आने वाले हैं । जबकि पण्डितजी पिछले दरवाजेसे उतरकर पीछेंसे अपना बैग लिए चुपचाप प्लेटफार्मसे आये निकल गये । ट्रेन चलने लगा मुझकर देखा कि पण्डितजी नहीं दिखे—मैंने स्वागतकर्ताओसे पण्डितजीके आने

की बात कही। पण्डितजीको लेने जब वह द्विद्वेमें गए, खोजा तो पता चला कि पण्डितजी तो कभीके स्टेशनसे निकलकर रिक्सेमें बैठकर शहरमें निकल गए थे। मार्गजिनक सम्मानकी आकांक्षामें दूर जिनकी यह धारणा रही हो, जो भद्रकीके सम्मानमें अपना सम्मान न समझ रहे हो यथार्थत उनका ज्ञान ही अपना ज्ञान है। पण्डितजीके समीप जब भी उनमें मिलने गया और कोई भी मंडान्तिष्ठ चर्चा उनसे की उन्होंने उसे इतनी गहराई और मौलिकतामें स्पष्ट किया। जो अपने आपमें प्राणवान् नहीं—जीवनमें ऐसा प्रभावी अधिकारी विद्वान् मैंने एक ही देखा। यथायंत ऐसे ज्ञान प्रतिभाका सम्मान उस समाजका सम्मान है जिसके बीचमें पण्डितजी जैसा देदीप्यमान दिवाकर आलोकित है।

ऐसे महान् गौरवशाली विद्वानके यशस्वी सुखी दीर्घ धर्ममय जीवनकी मंगल कामना करता हूँ।

अद्वितीय साहित्य साधक

- डॉ० प्रेम सुमन जैन, अध्यापक जैन विद्या ऽव प्राकृत, उदयपुर वि० वि०, उदयपुर

साहित्यकी सेवा करना और समाजको मार्गदर्शन देना ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पन्न करना और फिर भी समादत्त बने रहना दुष्कर कार्य है। किन्तु मध्यप्रदेशके सपूत सरस्वती-वरदपुत्र पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यने इस साहित्य और समाजके मंगलकी मुक्ति बना दिया है। अपने विभिन्न प्राच्य-विद्याओंकी उपाधियाँ प्राप्त कर सरस्वतीजी आराधना की, अनेक तत्त्वार्थ ग्रन्थों को शोध-खोजपूर्ण लेखों द्वारा अनुसन्धानको दिशाबोध दिया तथा समाजकी विभिन्न समस्याओंका समाधान प्रस्तुत कर उन एकताके सूत्रमें बांधनेका प्रयास किया। अतः आज यदि पण्डितजीको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाता है तो वह सर्वथा उपयुक्त है।

पण्डितजीने साहित्य, समाज और राष्ट्रकी जो सेवाएँ की हैं, वे आदर्श हैं। जो इन राष्ट्रके नागरिक की पहिचान है। विद्यासे विनय और सादगी आती है, इस आदर्शके प्रत्यक्ष उदाहरण है—व्याकरणाचार्यजी। मेरी उनके सुदीर्घ, स्वस्थ और सुखद जीवनके लिए हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं।

मेरे नानाजी

- श्रीमती गुणमाला जैन, भारतीय स्टेट बैंक, इन्दौर

उनके बारेमें लिखूँ, क्या न लिखूँ? कहसि शुरु कैसे? कहनेको तो इतना अधिक है कि यह लेखनी भी शायद थक जाये।

३ बजे सबेरे उठनेसे लेकर रात ९-९॥ बजे तककी उनकी दिनचर्याको मैंने बहुत नजदीक से देखा, समझा और सोचा भी। लेकिन अनुसरण नहीं किया। उनके सरल और यथार्थतावादी व्यक्तित्वके सामने अपना अस्तित्व ही खो बैठती हूँ। बीनामें मेरे अध्यापनका कुछ भयम बीता और उनके सात्त्विक्यमें रहनेका मौभाग्य मिला। और उन बीती बातोंका पिढारा अभी वर्तमान तक सुरक्षित रखे हुये हूँ।

नानाजीके व्यक्तित्वके समान मेरी नानीजीका भी व्यक्तित्व सीधा सादा था। रातभर बिस्तर पर बैठकर कहानी सुनाता था। ऐसी कहानियाँ सुनाती थी, जिसमें सत्य ही सत्य था, मर्घ्य था और निरन्तर चलते रहनेकी प्रेरणा भी, वह उन कहानियोंके नायक और कोई नहीं नानाजी थे। जिनपर आज पूरा समाज गर्व करता है।

कैसे बचपन बीना, कैसे बनारस पहुँच, कैसे शादी हुयी, कैसे स्वतन्त्रता-संग्राममें भाग लिया, किसलिये राजनैतिक जीवनमें मग्न्यास लिया और बीना जैन समाजके लिये क्या-क्या सेवा की। यही उनमें था। यही कहानी मैं एक बार नहीं कई बार दुहराती हूँ जब अपनांमें बैठती हूँ तब।

एक कोनेमें इच्छा जरूर दुबकी रही कि जैन संस्कृतिका जो संग्रह उनके पास है उसका अध्ययन करूँ। लेकिन वह इच्छा पूरी नहीं हुयी। नानाजीके मामले में कुछ ममत्त ही नहीं आता था कि उनसे किस विषयमें बात करूँ ?

आने-जाने उनकी किताबोंपरसे झूठ झटकारती रहो, लेकिन पृष्ठ पलटनेका प्रयत्न ही नहीं किया।

मेरी बेटी पूणिमाने एक दिन मुझसे पूछा—'संस्कृत क्या होगी है माँ ?' उनके उत्तरमें मेरे पास सिर्फ इतने शब्द थे कि बेटा मेरे नानाजी संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान है। उसका प्रश्न और मेरा अबूरा उत्तर कचोटता रहना है कि नानाजीमें हम लोगोंने क्या मीत्सा ? अपना समय कितना व्यर्थ किया ?

मचमुच वे समयके साथ-साथ ही चलते रहे। और आज भी इस उम्रमें भी उसी तरह गतिशील है अपने ध्येय की ओर। उन्हें मेरे श्रद्धा पूर्ण अनन्यः नमन।

यशस्वी सारस्वत

● डॉ० आर० सी० जैन, प्रवाचक, सांख्यिकी विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

सारस्वती-वरदपुत्र, पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके सम्मानमें अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। यह प्रसन्नताका विषय है। समाजका यह कर्तव्य है कि त्रह समय-समयपर अपने विद्वानोंका अभिनन्दन कर उनका उत्साहवर्धन करें। पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य राष्ट्र एव समाजके एक यशस्वी और साहित्योपार्णक मारस्वत है। मैं उनके दीर्घ-आवनकी मंगल कामना करता हूँ।

मौन साधक

● श्री मिथीलाल जैन एडवोकेट, गुना

जैनदर्शनके मनीषी विद्वान श्रद्धेय पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका स्नेह, आशीर्ष प्राप्त करने और उनके प्रवचन मुननेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैन दर्शनके विद्वानोंमें आपका विशिष्ट स्थान है। आपका ज्ञान अमीम और चिन्तन मौलिक है। जीवन सरल, मार्त्विक और निरुद्ध है। पण्डितजी परम स्वाभिमानी हैं, पर उनमें अहंकार की गंध तक नहीं है।

जैन दर्शनके विद्वानोंकी बाढ-सी आ गई है। मुझसे अपरिचित विद्वानोंने जैन-दर्शनको इतना मध दिया है कि नवनीत खोजनेपर भी नहीं मिलता। मैं आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवानसे पण्डितजीके शतायु होनेकी कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्रद्धेय पण्डितजी अपनी मौन साधनाका परित्याग कर अपने अमृत्यु ज्ञानमें भागनीय समाज और संस्कृतिको उपकृत करने की अनुकम्पा करेंगे।

असाधारण मेधावी

● डॉ० नरेन्द्रकुमार जैन, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय अजिन्धरी, वाराणसी

आदरणीय प० बंशीधर जी व्याकरणाचार्य संस्कृत व्याकरणके वेत्ता होनेके साथ जैन आध्यात्म, न्याय और दर्शनके उन रहस्योंके ज्ञाता और चिन्तक हैं, जिनकी ममत्तनेमें मामान्य पण्डितकी मेधा काम नहीं करती। खानिया तन्त्रचर्चा-समीक्षा, निरुचय और व्यवहार जैसे गूढ-तत्त्वोंके रहस्यको खोलने वाले ग्रन्थोंका प्रणयन करके नि सन्देह आपने मूल जैन आम्नायके वाङ्मयके मिट्टान्तकी सुरक्षा करनेमें महनीय योगदान किया है। आप सारस्वती और लक्ष्मी दोनोंके वरदपुत्र हैं। आप किसी भी प्रलोभनके सामने झुके नहीं और आजीवन अपने आर्षसम्मत चिन्तनका परिचय देते आ रहे हैं। बीसवीं शतीके ममीषक विद्वान यदि उनका अनुकरण करें तो उन्हें शिक्षा मिल सकती है। मैं उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ।

जिनवाणीनन्दनका अभिनन्दन

● विद्याधारिणि डॉ० महेन्द्र सागर प्रचंडिया, अलीगढ़

आदरणीय पंडितरत्न श्री बंसीधरजी व्याकरणाचार्यका अभिनन्दन उनको गुणगरामिका अभिनन्दन है। गुणकी बन्दना करना हमारा स्वभाव भी रहा है और परम्परा भी। जिनवाणी सदा गुणोकी बन्दना किया करते हैं।

नन्द शब्द मौलिक है जिसका अर्थ है पुत्र। पुत्र प्राप्तिसे बड़ा और अन्य कोई आनन्ददायिक प्रसंग नहीं होता है। इसी प्रसन्नतापर आयुत है आनन्द शब्द। नन्दका बहुश्रवणामा शब्द बना नन्दन। अभि उपसर्ग शुभ और विस्तारवादी है। इस प्रकार अभिनन्दन शब्दका अर्थ हुआ पुत्र प्राप्ति जैसा आनन्दातिरेक।

पंडितजी जिनवाणीके वरद्वयुक्त हैं। उन्होंने जिनवाणीमाताकी महनीय सेवा की है फिर न जाने कितने पुत्ररत्नोंका उन्हें असाधारण आनन्द भोगनेको मिला है। इसी मत्स्यको आधार बनाकर उनके प्रशंसक समुदायने इस शाब्दिक सत्कारको मूर्तरूप देनेका शुभ संकल्प किया है। भावना है कि इस शुभ संकल्प पूर्वमें वे आशातीत सफलता प्राप्त करें, मेरी मंगल कामनाएँ हैं और भावनाएँ भी। मेरी सम्मतिमें यह काम कम-से-कम अर्द्ध दशमिद पूर्व हो जाना चाहिए था। वन्दनाके अवसरपर मेरी तमाम श्रद्धा मुझ शाब्दिक वातायनसे उन्हें सम्प्रेषित है।

भावना और कामना है कि महामनीषी पंडित जी दश दशमिद्वयिका निर्वाण जीवन व्यतीत करें।

बुन्देलखण्डकी धाती

● वं० बालचन्द्र शास्त्री, नवपाररराजिम

बुन्देलखण्डकी माटी ऐसी है जिसने बड़े-बड़े धीरोंको जन्म देकर देशको स्वतन्त्र और मज्जु बनाया है और जैन विद्वानोंको जन्म देनेमें वह विश्रुत है। यथार्थता भी यही है कि अभी जितने भी गणमान्य विद्वान हैं उनमेंसे अधिकांश विद्वान् बुन्देलखण्डके ही हैं और इसका श्रेय परमपूज्य १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णाजीको ही है जिनकी जन्म स्थली ग्राम हूसेरा (उ० प्र०)के पास वाले गाँव सोरईमें हमारे पद्मविद्वान् व्याकरणाचार्य वं० बंसीधरजीने जन्म लेकर बुन्देलखण्डको ही गौरवान्वित किया है।

आने जैन ममाजमें व्याप्त बुराईयो, रूढियोंको दूरकर तथा ज्ञानके माध्यमसे नये प्रमाण और निरचयनय, व्यवहार नयको स्थितिको स्पष्ट किया है। खानियार्थी तत्त्वचर्चा जैसी चर्चामें भी भाग लेकर प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

देशकी स्वतन्त्रता प्राप्तिमें भी आपने प्रहरीका कामकर जेल यातनाओंको भी झेला है, उगमे आपके दुःख संकल्पने ही काम किया है, और देशकी स्वतन्त्रता प्राप्तिमें महयोगी रहे हैं। यह देशभक्ति भी प्रशंसनीय है।

देश तथा समाजकी भाटी-भारीका गई इन सेवाओंका प्रतिफलमे मात्र अभिनन्दन करने ही हम संतुष्ट हो रहे हैं। जबकि ऐसे व्यक्तित्वके प्रति समाजका कर्तव्य होता है कि उनके प्रतिष्ठाके अनुरूप शोध संस्थान जैसी संस्था स्थापित कर दी जाती।

अन्तमें आपके उज्ज्वल भविष्य, यशस्वी और दीर्घायु जीवनकी भवधानसे प्रार्थना करता हूँ।

स्वतंत्र व्यक्तित्वके धनी

● पं० कमलकुमार शास्त्री, टीकमगढ़

उन दिनों मैं मागारमें रहता था। श्रद्धेय पं० जीसे कोई विशेष परिचय भी नहीं था। उस समय मेरी उम्र ही क्या था केवल १९-२० वर्षकी लेकिन मैं भी पंडित कहलाने लगा था। मैंने सुन रखा था कि बीनर् में कोई बंशीधर नामके विद्वान् रहने हैं। मैंने कल्पना कर रखी थी कि व्याकरणाचार्य हैं व्याकरणके विद्वान्, रुस स्वभाव, नीरस विषयका अध्ययनसे नीरस जीवन, कडा व्यक्तित्व समाजसे दूर भागनेवाला एकाकीमन पसंद करनेवाले होने हैं। फिर वे कपड़ोंकी दुकान करते हैं। और मैं भी डरता सा था कि व्याकरणके विद्वान् हैं वैसे ही रुले स्वभावके होते हैं इनसे क्या मिलना। ऐसे ही बहुत दिन बीत गये। मैं सागर छोड़कर पपीरा विद्यालयमें अध्यापक हुआ। सन १९६५ की बात है उसी समय पपीराजीमें भारत वर्षके प्रसिद्ध मुनिसंघ आचार्य शिवसागरजी का चातुर्मास सम्मन्व हुआ। श्रद्धेय पं०जीको आमंत्रित किया गया। पहलीबार ही उनके दर्शन किए थे। सफेद सट्टरका कुर्ता, सफेदकी धोती और सफेद टोपी, लम्बा कद, मिलनसार जीवन, सरलताकी प्रति-मूर्ति, हममुख चेहरा, विनोद पूर्ण वार्तालाप, अगाध पांडित्य, मोठी वाणी, मधुर व्यवहार, मादा जीवन, उच्च-विचार, स्वतंत्रता प्रेमी और जिन्होंने शिक्षा को कभी आर्थिक आधार नहीं माना। आजीविकासे भी स्वतंत्र और स्वतंत्र विचारोंसे भरा हुआ व्यक्तित्व। मेरी पुरातन धारणाओं से बिल्कुल विपरीत पाया मैंने उनको। अतः देखकर प्रसन्नता हुई। और जब आपका भाषण हुआ सभा मंच-मुख हों सुन रही थी। आपकी सम्मर्दशन की व्याख्या सम्यग्दृष्टि और उपाका दर्शन (विचार) क्या हैं इसकी विवेचना पं० जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सम्यग्दर्शनकी व्याख्या किताबों, शास्त्रों और पुराणोंके माध्यमसे नहीं बताऊंगा। मैं तो सम्यग्दृष्टिके उन बहिरंग विचारोंको चर्चा कर रहा हूँ जिसे वह व्यावहारिक जीवनमें उतारता। गहरे सत आह्वय मैं कहता हूँ कि एक सम्यग्दृष्टि बुकान पर धोने लिये जाता है। वही दूसरा व्यक्ति भी था। सम्यग्दृष्टिने धोती दिखानेको कहा, दूसरा व्यक्ति भी धोती ही लेना चाहता है दोनोंने धोती देखा, दूसरा कहता है कोई अच्छी भी किनार वाली धोती दिखाइए जबकि इसका सूत कपडा बडा सुन्दर था। सम्यग्दृष्टि बोला भाई किनार पहनोगे या धोती मुझे किनारमें मतलब नहीं मुझे धोती चाहिए शरीर को ढकनेके लिये। क्या मसमली, क्या धनी। दूसरा बिगड पडा ऐसा क्यों कहने हो। यही तो बात है जिसने जीव और पुद्गलके स्वरूपको ठीक-ठीक समझा होगा वही इन बातोंको समझ पायेगा यही तो सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिमें अन्तर है। हृदयमें जिन दिन ये भेद भाव निकल जायगा अच्छा क्या और बुरा क्या दोनों दूर खड़े होंगे। समताका रस बह रहा होगा, अगर्भमें ममता वही सम्यग्दर्शन विद्यमान है। इस तरह पं० जीके प्रवचनने मुझे आकर्षित किया फिर तो कई बार बीनर्में आपसे मिला। आपकी लिखी हुई जैन नत्त्व मोमासाका मोमामा, निश्चय और व्यवहार आदि किताबें पढी, चर्चा हुई। तबसे ही पं० जीका बहुत भजन है।

उनके वीर्यजीवनकी मगल कामना करता हूँ।

सादर अभिनन्दन

● पं० लक्ष्मणप्रसाद जैन न्या० ती० शास्त्री, मडावर

नय, प्रमाण—सापेक्ष साधित पक्ष स्याद्वाद्य—अनेकान्तक धर्म-धर्मि, ममावेशिन वस्तु स्वभावी। अनेकान्त विश्व शान्ति, मुख्यका एक मात्र साधनोपाय।

अहिंसा, कर्मवाद अनीश्वर वाद इत्यादि जैनधर्मकी असाधारण विशेषताओं एवं क्रम, अक्रमबद्ध पर्यायिके समालोचक, तथा श्री भगवान् कुन्दकुन्दाम्नाथ-पयानुपधिक-सरस्वती पुत्र पं० जीका सादर अभिनन्दन।

आदर्श विद्वान्

● श्री मैमिचन्द्र जैन, प्राचार्य गुप्तकुल, खुरई

पंडित बंसीधर जी जैनधर्मके शांता-भागीय विद्वानोंमें मूर्धन्य हैं। इन्होंने काशीस्थ स्यादाव दि० जैन महाविद्यालयमें रहकर व्याकरण शास्त्रका गहन अध्ययन किया और व्याकरणाचार्यकी उच्चतम उपाधि प्राप्त की। उच्चतम शिक्षा प्राप्त करनेके बाद अधिकांश विद्वान समाज या सामनके आश्रित हो जाते हैं। परन्तु पंडितजीने न समाजपर अवलम्बित रहे और न शासनपर। स्वयंका कपडका व्यापार करते हुए सम्पत्तिका अजित की तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी। इन्होंने व्यापार करते हुए भी निरन्तर स्वाध्याय करते हुए कई ग्रन्थों की रचना की है जो वर्तमानमें पठनीय, विवेचनीय एवं विचारणीय हैं। पंडितजीका अगाध पाण्डित्य सम्पूर्ण भारतके विद्वानों द्वारा प्रशंसित है। पंडितजी अप्रतिम प्रतिभाके धनी, स्वावलम्बन पूर्ण जीवन जीनेवाले, स्वतन्त्र विचारक, श्रेष्ठ लेखक एवं समालोचक हैं। उनका जीवन वस्तुतः आदर्श एवं अनुकरणीय है। वे शतायु हों, ऐसी हार्दिक मंगल कामना है।

सरस्वती के अनुरागी

● पं० जम्भूप्रसाद शास्त्री, मठावारा

आपके गुणों एवं सरस्वतीकी महान् सेवार्थी देखकर जो समाज एवं विद्वान्गुणोंने आपके अभिनन्दन करनेकी योजना बनाई है, सो अति क्लेश्य है। आपने जो जैनोमें भी एकान्तवादका गलत प्रचार हो रहा है। उसे अपने साहित्य द्वारा जैसे निश्चय-व्यवहार, निर्मित, उपादान व क्रमबद्ध गायीय आदिकी सार्थकता व उपयोगिताको सिद्ध किया है। और फैले हुए अज्ञान अन्धकारको दूर करनेका प्रयत्न किया है तथा आपने अपने जीवनमें—विधा एवं अर्थका अच्छी तरहसे संचय किया है। इसी तरहसे आपने विद्या, एवं अर्थका दान भी अच्छी तरहसे किया। यह आपकी महानता है। यह सरस्वती और लक्ष्मीका एक स्थानमें सम्बन्ध जोडा इसलिए आपने जो साहित्य लेखन किया और उसका अपने ही द्वारा स्थापित किये कण्डसे प्रकाशित कराया। इससे आपको साहित्य प्रकाशनके लिये परमुखापेक्षी नहीं बनना पडा, स्वतन्त्रतासे आपने समाजकी और धर्मकी जो सेवार्थी की है वह सदा स्मरणीय रहेगी। आपके गुणोंकी क्या प्रशंसा की जाय। मनुष्य गुणोंसे ही उन्नत होता है उच्च आसन पर बैठनेसे नहीं, आपका हमारा सम्बन्ध चिरकालसे है अनेक जगह वाचनाश्रोमें मिलनेसे, अनेक तत्त्वचर्चा आदि करनेका भी शुभ अवसर मिला। आपका हमारे ऊपर क्लिष्ट स्नेह है और हमारी भी आपके प्रति अति-श्रद्धा। ऐसे माननीय सम्बन्धोंके अनुरागी, वरद-पुत्रके प्रति सखियन विनयाञ्जली समर्पित और आरोग्यता सहित चिरायु होनेकी कामना करता हूँ।

देश भूत और समाजसेवी

● श्रीमती पुष्पलता 'नाहर' बाँसातरखेडा

आदरणीय पं० ब्रह्मिधर जी शास्त्री बीना देशप्रेम, श्रुतज्ञान और समाजसेवाके अनुपम आभार हैं। उत्तम व्यवसायी होकर भी आपके द्वाराकी घयी श्रुतसेवा क्लेश्य है।

आगमके आप मर्मज्ञ विद्वान् हैं। विद्वानोंका अभिनन्दन समाजका अभिनन्दन है। उनकी सेवाओंको ध्यानमें रखते हुए उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किये जानेकी योजना स्तुत्य एवं सराहनीय है।

चौरासी वर्षीय वयोवृद्ध विद्वान् पं० बंसीधर जी शास्त्रीके अभिनन्दन समारोहके अवसर यहाँकी महिला-समाज कामना करती है कि शास्त्रीजी अधिकसे अधिक आयु प्राप्त करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर चौरासीके चक्रमें निवृत्त हो।

महान व्यक्तित्वके धनी

● पं० विजयकुमार जैन, साहित्याचार्य, दर्शनाचार्य, श्रीमहावीरजी

वर्तमान जैन विद्वत् समाजमें श्री पं० बंशीधर व्याकरणाचार्य एक ऐसे विद्वान् हैं जिनका नाम हृदय पटलपर अंकित होते ही राष्ट्रसेवा, समाज सेवा, साहित्य सेवा एवं अनवरत विद्वत्ताका मूर्त रूप साक्षात्कृत हो जाता है। आपकी गंभीर मनीषा एवं सरलताके प्रति श्रद्धाभावसे हृदय ओतप्रोत और माधा अवगत हो जाता है। आप हैं जैन समाजके प्रथम प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य। कितने भाम्यवान् हैं पं० व्याकरणाचार्यजी, कि सरस्वती और लक्ष्मी जिनके आजू-बाजू सेवाके लिये खड़ी हैं। राष्ट्रके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी आजकी कुटिल राजनीतिसे पूर्णतः विरक्त। ममाजमें व्याप्त धार्मिक कुरुडियोंपर आपने सक्रिय प्रहार किया और गजरथ जैसी अपव्ययी प्रवृत्तिका दूरतासे विरोध किया। वर्णी ग्रन्थमालाके अनेक नवीं मंत्री रहकर जहाँ आपने अतिशय साहित्य सेवा की, वही खानिया तत्व चर्चा-समीक्षा, जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार जैसे चिन्तनीय ग्रन्थोंकी रचनामें जैन आगमका बिलोडनकर आपने जिनवाणीकी अग्र्य सेवा की है। इन ग्रन्थरत्नोंके माध्यमसे जैनागमके क्षेत्रमें उठी भ्रान्तियोंको आपने अपनी समन्वयात्मक समीक्षासे दूर कर सम्यक् तत्त्वबोध प्रदान किया। भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत् परिषद्के अध्यक्ष पदसे आपने जैन विद्वानोंको साहित्य व समाज सेवा एवं जैन तत्त्व ज्ञानके प्रसार की नयी दिशा दी है।

ऐसे ज्ञानपुरुज, महूदय एवं सरल चेता पं० जी का अभिनंदन करते हुए कामना है शाताधिक वर्षों तक साहित्य, ममाज सेवा व जैन तत्त्वज्ञानका उद्घाटन करते हुए, हम सबके लिये अविरल प्रेरणा प्रदान करते रहे।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी

● पं० हरिचन्द्र शास्त्री, श्री गो० वि० जैन सि० स० महावि० मुरैना

श्रद्धास्पद पूज्य पंडित जी समाजके मान्य विद्वानोंमें एक हैं। आप व्याकरण शास्त्रके साथ-साथ जैन सिद्धान्त एवं जैनदर्शनके भी महान् ज्ञाता हैं। इसका प्रमाण है आपके द्वारा लिखे गये दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक ग्रन्थ हैं। आप स्वयं एक दिनचर्या हैं। मैं पण्डितजीसे तां कुछ प्राप्त नहीं कर सका, पर उनके दर्शनसे ही अपने आपको धन्य मानता हूँ।

ऐसे पूज्य पंडितजीके प्रति मैं मन, वचन, कायसे उनके चिरायु होनेकी प्रमल शुभकामना करता हुआ, उनके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।

जिनवाणीके अपूर्व सेवक

● पं० जमुनाप्रसाद शास्त्री, कटनी

मान्यवर श्रीमान् पं० बंशीधरजी जैन व्याकरणाचार्य हमारे बचपनके चिर परिचित हैं। उनका साधारण जीवन, उच्च विचार, अनुपम ज्ञान, सरल स्वभाव सदा रहा। पं० जीने सदैव धर्म समाज एवं राष्ट्रकी सेवा तन मन धनसे की। आप स्वतंत्रताके महासमरके सेनानी भी थे। जीवन एक विनम्र व्यापारीके रूपमें बिताया। आपके किये यश और अपयश एक-सा रहा कोई विकार नहीं। गृह लक्ष्मीके विपयोग होनेपर भी आपने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और जिनवाणीकी अपूर्व सेवा कर रहे हैं। आपको कोई लोभ देकर विचलित नहीं कर पाया। ऐसे सेवाभावी गुरु बंशीधर व्याकरणाचार्य युग-युग जियें—उनका नाम अमर रहे।

धर्म, समाज और राष्ट्र-सेवाके संगम

● डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन' प्रभारी जैनविद्या संस्थान, श्रीमहावीरजी

देशके जैनागम-अभ्येताओंमें 'व्याकरणाचार्य' पदसे विश्रुत प० बंशीधर जी शास्त्रीका नाम सर्वोपरि है। आपने आगमका मर्म समझा है। आगमके विरोधमें दिये गये वक्तव्योंका निर्भीकता पूर्वक परिहार भी किया है। आगमकी यथार्थताका उद्घाटन करनेमें आप कभी पीछे नहीं रहे। खानियाँ तत्त्वचर्चामें आपका नाम विशेष रूपसे चर्चित रहा है। 'जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार' पर्याप्त क्रमबद्ध भी है और अक्रमबद्ध भी यदि ग्रन्थ आपके आगम स्नेह की ही देन है।

समाज सेवाके तो आप सजग प्रहरी हैं। अधिशा, अल्पशिल्पसे प्रस्तुत प्रदेशमें बहुव्ययसाध्य बहुलतासे होनेवाले गबरप जैमी प्रवृत्तियोंका भी समाजके हितोंको ध्यानमें रखते हुए आपने विरोध किया है। समाजके किसी वर्गका जैना हो, भले ही वह ब्रह्मा ही क्यों न हो, उसे अर्हंत-पूज्यका अधिकार दिलानेमें हमेशा आप प्रयत्नशील रहे हैं।

देश-सेवाके तो आप अग्रदूत ही हैं। देशके लिए आपने महर्षि जेल-यातनाएँ सही हैं। राष्ट्रमें आज स्वतन्त्रता सधाम सेनानीके रूप में आपका बड़ा सम्मान है।

चौरासी वर्षकी अवस्थामें भी आप नित्य प्रातः चार बजे सोकर उठ जाते हैं। अनवरत २ घंटे अध्ययन करते हैं। आहार इतना अल्प रह गया है मानो शरीरकी स्थितिके लिए ही आहार लेते हो। आप धर्म, समाज और देश सेवाके संगम स्थल हैं।

ऐसे धर्म, समाज और राष्ट्रसेवी मनीषीको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करनेका निर्णय समाजके गौरवका विषय है। पूर्ण हार्शोल्लासके साथ इस समारोहका आयोजन होना चाहिए।

इस अवसरपर मैं बड़े मान भगवानसे कामना करता हूँ कि अभिनन्दनीय श्री प० व्याकरणाचार्यजी स्वस्थ रहे और दीर्घतम आयु प्राप्त कर इसी प्रकार धर्म, समाज और राष्ट्रकी सेवा करते रहें।

देश और समाजकी निधि सरलताकी मूर्ति को।

शत शत नमन अर्पित 'सुमन' श्रुतसेवियोंके जमन को ॥

शुभकामनाएँ

● डॉ० श्रीमती रमा जैन, साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ, छतरपुर

मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रो० सुमतिप्रकाश जैन शास्त्र महाविद्यालय बीनामें कार्यरत हैं। इस निमित्तने एक बार मुझे अपने पति (डॉ० नरेन्द्र विद्याधी) के साथ बीना जानेका अवसर मिला। हम लोगोंके आगमनकी सूचना मिलने ही पूज्य प० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यमें हम लोगोंको भोजनके लिए निमंत्रित किया। हम लोग उनकी ओर उनके पूरे परिवारकी आतिथ्यभावनाको देखकर गद्गद हो गये। भोजनोपरांत शोषहरकी जब पंडितजी अपने भतीजे प० दुलीचन्द्रजीको समयगारका पारायण करा रहे थे, मैं भी उसमें सम्मिलित हो गयी। उस समय प्रकृत विषयमें प्रस्तुत शकाओंका समाधान पंडितजीने विद्वत्तापूर्ण ढंगसे किया। उनकी ताकिक एव दार्शनिक शैलीमें मुझे अपने गुरु स्व० प० नेमीचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यका स्मरण दिला दिया।

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि प० श्री न केवल व्याकरणके आचार्य हैं, अपितु न्याय एवं जैन दर्शनके भी आचार्य हैं। आज भी उनका स्मरण आने ही ऐसा लगता है कि पुनः अवसर मिले और मैं उनके प्रवचनमें सम्मिलित होकर कुछ ज्ञानकण प्राप्त करूँ।

ऐसे बहुश्रुत विद्वान् पंडितजी शतायु हो, यही मेरी मंगल कामना है।

निरभिमाम व्यक्तित्व

- पं० भैया शास्त्री आपुर्बेदाचार्य, शिवपुरी
- पं० शान्तिदेवी शास्त्री, शिवपुरी एवं उनके परिवारके समस्त सदस्यगण

इतिहासके पृष्ठोंको पलटकर देखें तो आचार्य परम्परा तथा पण्डित परम्परा कुन्दकुन्द स्वामीसे लेकर आज तक अविच्छिन्न रूपसे चली आ रही है। आचार्य परम्परामें उनकी स्तुति, गिलाखण्डो या ताम्रपत्रों पर प्रशस्तिके रूपमें उल्कीर्ण की जाती रही। लगभग ४०-५० वर्षोंसे विद्वानों व श्रीमानोंके सम्मानमें—अभिनन्दन या स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित कर अभिनन्दन परम्पराका उदय हुआ जो अब द्रुतपतिते समाजके सामने गतिमान होता जा रहा। विद्वानोंके कृतित्व एवं व्यक्तित्वके प्रति सम्मान ज्ञापित करनेकी परम्परा एक स्वच्छ एवं मानद परम्पराके रूपमें अनुकरणीय बनती जा रही है, इस परम्पराके निर्वाहमें आज तक लगभग पचास मुनियों, विद्वानोंका या श्रेष्ठ वर्गका सम्मान लिया जा चुका है उनका यह सम्मान इतिहासमें अमर रहेगा। इस गौरवपूर्ण परम्पराके उपक्रममें हमी दशकमें चार पाँच विद्वानोंका अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जा चुकी है। कुछ विद्वानोंके अभिनन्दनकी बात सुनी जा रही है। कुछ विद्वानोंके अभिनन्दन ग्रन्थ अधूरे हैं, कुछ के प्रेममें, कुछ पूर्ण होकर सामने आ रहे हैं इसी शृंखलामें प्रस्तुत अभिनन्दन-ग्रन्थ पाठकोंके हाथमें है।

वस्तुतः मरस्वती और लक्ष्मीके वर्गद्वय श्री बंशीधरजी व्याकरणाचार्य जिस गरिमाके उत्कृष्ट स्थान पर है वे स्वयं अपनेमें एक ही हैं, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व एक अनूठा और अनोखा है। पं० श्री स्वतन्त्र व्यक्तिसाया होकर सुधारकके रूपमें अपने विभागके स्वतन्त्र रहे हैं यही कारण है कि गजधर विरोधी आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन, जीवन तत्त्वबोधासाकी मीमांसा बड़ी निडरतासे तत्त्वपूर्ण-तर्कपूर्ण रूपमें लिखी गई। उनका जीवन समाज सुधारकका दिशा बोधमें बीता है, निर्माकनामें ममाजमें व्याप्त कुरीतियोंके उखाड़ फेंकनेमें शंखनाद किया है तो इन्हीं मनोपा विद्वानने किया। 'विद्वान् ममाजका दर्शक होता है' इन तथ्यको सिद्ध कर दिया है।

उनकी मधुर वाणीमें सरलता है मन और मस्तिष्कमें साहस है। उनमें देवशास्त्र गुणके प्रति अदृष्ट श्रद्धा है, भक्ति है। अप्रतिहत प्रतिभा उनकी मंगिनी है।

ऐसे सिद्धान्ताचार्य पण्डितवयं जो स्वाभिमानी गरिमासे गरिष्ठ एवं बरिष्ठ हैं उनके प्रति अनेक शुभ कामनाएँ हैं कि वे जलायु होकर ममाजको दिशा बोध करते रहें।

मेरी उन्हें शुभ मंगल कामनाएँ

- पण्डित मुन्नालाल जैन, शास्त्री मस्कृत-प्रबक्ता, श्री तारणतरण जैन उ० मा० वि०, गजबासोदा

श्रद्धेय परम-पुण्य पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीनाका जीवन-चरित्र प्रशंसनीय ही नहीं, अष्टि अनुकरणीय है। लक्ष्मी एवं मरस्वती दोनोंका योग विशेष पुण्यसे ही मिलता है। पर आपमें दोनोंकी कृपा है। प्राकृतिक सौम्यता एवं मुस्कराहट अन्तरकी भद्रता तथा मन्त्र कथायके प्रत्यक्ष उदाहरण है। 'सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रदीप्य' वाला बात आपके जीवनमें चरितार्थ दिखती है।

अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समितिने आपके अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनका जो निर्णय लिया है एवं डॉ० दरबारीलालजी कोठिया को इसका प्रधान सम्पादक बनाया गया है। मैं अभिनन्दन ग्रन्थके प्रकाशन एवं पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके दीर्घ आयु होने की मंगल कामना करता हूँ।

समाजकी नब्बके पारिखी

● आचार्य जिनन्द, सामनी (अलीगढ़)

“चारिसं स्लु धम्मो” के अनुसार आज भी प्राचीन कठीके मोती यत्र-तत्र देखने / दर्शन करनेको प्राप्त हो साने हैं। ऐसे ही प्रंत शास्त्र व्याकरण/चारित्रके धनी पं० बंशीधरजीके दर्शन मुझे उनके स्थायी निवास बीना (मध्य प्रदेश) में हुए।

पं० जी संस्कृत भाषाकी कठिनतम विधा व्याकरणसे आचार्य हैं। उस समय व्याकरणसे आचार्य करनः जैन समाजके लिये तो कीतुक/गीरवकी ही बान मानी जाती।

अगस्त १९७३ में नाभिनन्दन संस्कृत विद्यालय, बीना में मात्र ३ माहके लिये पठाने गया। प्राचार्य पं० मोतीलालजी थे। पं० बंशीधरजीके पास प्रतिदिन बैठता था। उन्हें देखकर मुझे स्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसीके संघाकरण दिवाकर जोशीजीकी उक्ति याद आती कि बेटे, व्याकरण पठना—लोहेके थने चबाना है, क्योंकि यह लोक कहावत है—

डाल गले में गधरी, निश्चय जानो मरण।

कुं बु, ७, तु पु रटिये, तब आवे व्याकरण ॥

किन्तु थड्ये पं० बंशीधरजी जहाँ इतने कठिन विषयके विद्वान् हैं वही एक बड़े प्रतिष्ठित वस्त्र-व्यवसायी भी हैं। मैंने देखा पर्वणमें जब पं० जी धर्म-ध्यानमें अधिक समय लगाते तो ग्राहक दुकानके बाहर बैठे रहते कि जब पं० जीकी दुकान खुलेगी तभी हम खगददारी करेंगे। उनकी नैतिकता और विश्वास इसका कारण था।

पं० जी गम्भीर विचारक एवं ममाज धर्मके ज्ञाता हैं। मैं गाडगवाडा दशलक्षण पर्वमें प्रवचन करने गया। वापिस आया तो बहूँकी समाजके एक दलाल महोदय एवं मशीजीका पत्र आया कि हमारी भेंट/दक्षिणा वापिस करो या फला संस्थाकी दानकी रसीद भेजो। मैं आश्चर्य/असमजसमें था कि जिन समाजने भक्तिभावसे प्रवचन सुना और धर झूझकर स्टेशन तक भेजने आये, उनके नुमाइन्दोकी ऐसी हरकत ?

मैंने पं० जीसे इस घटना चक्राना जिक्र किया तो पं० जी गम्भीर मुद्रामें विचारपूर्वक बोले शास्त्रीजी आप समस्त दक्षिणा वापिस भेज दो। यह समाज सेवा है। समाजका अनुभव अभी आप और करेंगे। उनके अन्तर्मनकी अनुभूति मैंने समझ ली और तुरन्त वंसा ही किया।

आज सोचता हूँ कि पण्डितजी जैसे व्याकरणविद्, धर्मशास्त्रके ज्ञाता वैयनिक ममाज-सेवासे दूर कैसे रहे ? वे सचमुच समाजकी नब्बके पारिखी हैं। नभो तो उन्होंने मूक चिन्तन/लिखनके साथ-साथ म्ब व्यवसायी/स्वावलम्बी रहनेका निश्चय किया। वे सचमुच सरस्वती पुत्र हैं। उनके साथ रहकर एक अनुभव-जन्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वे सर्वव स्वाध्याय करने हैं और गम्भीर विषयोंपर लेखनी चलाते हैं। सत्य धर्मका पालन व्यापारमें करनेका मूलमंत्र तो कोई पण्डित श्री बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना वालेंसि पूछे। उन जैसे मनीषीका मैं अभिनन्दन एवं अभिवन्दन करता हूँ। मेरी शतध. उन्हें शुभ कामनाएँ हैं।

अभिवन्दनीय पण्डितजी

● श्री श्रेयास जैन, पत्रकार टोकमगढ़ (म० प्र०)

थड्ये पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य एक ऐसे सारस्वत हैं, जिनकी सरस्वती चतुर्मुखी है। हम देखते हैं कि उन्होंने समाज, राष्ट्र, माहित्य मभो क्षेत्रोंमें अपनी सरस्वती का सफल उपयोग किया है। उन्होंने समाजको विशिष्ट करने वाली रुढ़ियोंको दूर करनेमें सक्रिय कदम बढ़ाया है। १९४२ के ‘भारत छोड़ो’

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलनमें न केवल भाग ही लिया है, अपितु ९, १० माह जेलमें भी रहे। अपने क्षेत्रमें कांग्रेसके महत्व जनकर राष्ट्रीय गिरन्तर सेवा की है।

आश्चर्य यह है कि आपने इन सामाजिक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियोंके साथ आर्थ सम्मत सैद्धांतिक, दार्शनिक और तांत्रिक लेखों एवं ग्रन्थों द्वारा मध्यमज्ञानका भी प्रचार किया है।

ऐसी बहुमुखी सेवाओंके उपलक्ष्यमें उनका अभिबन्धन एवं अभिनन्दन नितान्त आवश्यक था। आज समाज उनका अभिनन्दन कर रहा है, यह परम प्रमोदकी बात है। मैं भी एक लघु पत्रकारके नाते इस अवसर पर उनका अभिबन्धन करने हुए अपने श्रद्धा-पुष्प अर्पित करता हूँ कि वे हम लोगोंको दीर्घकाल तक मार्ग दर्शन करते रहें।

शान्तिप्रिय क्रान्तिकारी समाज-सेवक

● डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी साहित्याचार्य, एम० ए०, पी-एच० डी० पूर्व विधायक, छतरपुर

समाज सेवाके क्षेत्रमें

जैन तीर्थ क्षेत्र देवगढमें जब एक विद्यालय गजरथका आयोजन हुआ, तब सागरके जैन जातिभूषण सि० कुन्दन लालजी तथा पूज्य प० दयाचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री (प्रधानाध्यापक श्री गणेश दि० जैन संस्कृत विद्यालय, सागर) के साथ मैं भी देवगढ गया। आदरणीय सिपईजोका स्नेहिल आदेश और पं० जीकी साथ ले चलनेकी स्वीकृति, दोनों मेरे लिये वरदान थे। वही पूज्य पं० बशीधरजीके सर्वप्रथम दर्शन हुए। नव स्थापित "सन्मार्ग प्रचारिणी सभा" के मंचसे गजरथकी असामयिकतापर इनके भाषणसे मैं इनपर मन-ही-मन नाराज हो गया, क्योंकि उन समय गजरथ मेरी दृष्टिमें सबसे बड़ा धार्मिक कार्य था। इतने बड़े रथकार सा० क्या वर्तमानको नहीं जानते? यही पं० एक समझदार हूँ? इत्यादि कल्पनाएँ मनमें उठनी रही। पर इनको भी तो सुनना चाहिये, सुननेमें क्या हर्ज है? सोचकर इनका भाषण सुना और कहकर चला आया कि विरोध ही करना है तो बड़े जोरमें बोलना चाहिये। पं० जीकी गम्भीरता और हमारा लडकपन कैसे मेल खाते?

आगे चलकर सागर जिलेके केवलारी ग्राममें भी गजरथका आयोजन हुआ, मैं विद्यालयकी ओरसे थी पं० मूलचन्द्रजी बिलौआ मुपरिपेण्डेण्ट सा० की सहाय्यतार्थ भेजा गया। पं० बशीधरजीका विचार-मंच वहाँ भी लगा और हमारे विद्यालयका तम्बू भी इन्हींके पास लगा। फिर वही गजरथ-विरोधी भाषण। अबकी बार तो न सुनना चाहते तो भी सुनना पड़ते थे। सुबह ४ बजे पं० जीका भाषण भगवन्नामस्मरणके साथ प्रारंभ हो जाता। इनके साथ पं० जीके तत्कालीन परम मित्र माननीय पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री थे, वे भी बारी-बारीसे विरोधी भाषण देते थे। मैंने पहले दिन सोचा इन पण्डितोंको कोई अच्छा काम नहीं आता? पर जब चाहे-अनचाहे इनके भाषण दो दिन सुने, और सोचा तब मेरी समझमें आ गया कि मैं ही गलतीमें था। मेरी विचार-धारामें परिवर्तन आया और मैंने अपने विद्रोह विचार एक कवितामें व्यक्त कर दिये। कविताका अन्तिम छन्द था—

‘कल्याणक को पूर्णविधि को मनगढन्त होते देखा।

ऐसे भी गजरथ धर्म अंग है, मुखों को कहते देखा ॥’

पाठक स्वयं ही सोच सकते हैं। इस कवितामें गजरथकी लुली आलोचना थी। इससे बौखलाकर एक सज्जन आये, कौन है यह कविता वाला विद्यार्थी? मैंने कह दिया साहब आखिर इतना बिगड़ने की क्या बात है? वे बोले—सुनने नहीं सुना वह कह रहा था ऐसे भी गजरथ धर्म अंग है, मुखोंको कहते देखा। मैंने कहा हाँ, यह बात तो सुनते ही गलत लगना स्वाभाविक है, परन्तु गम्भीरताके साथ अगर आप सोचें तो शायद आप

भी उससे सहमत हो जावेंगे, क्योंकि भाग एक भद्र एवं विचारशील व्यक्तिवत्के घनी दिखते हैं। आपके अप्तरंगकी बात भगवान् जानें ? अपनी प्रशंसा सुनकर वे शान्त होकर चले गये।

विचार मंचके बाहर हुई इस शाब्दिक मुठभेड़को मैं कभी भूल नहीं पाता। पं० जीकी शान्त विचार-शीलीने मुझे भी गजरथ-विरोधी बना दिया। परन्तु दुःख की बात यह है कि जैन समाजपर उसका कोई असर नहीं है। अतः तीर्थ क्षेत्रोपर चलने वाले गजरथका समर्थन परवश करना पड़ता है। जबकि शिक्षा संस्थाओंके पुनरुज्जीवनमें व्ययका सदुद्देश बताते हैं। पर जब यह छलना मात्र होती है तब मन-ही-मन धुटन होने लगती है कि समाज कब पण्डितजी जैसे विचारकोके मद् विचारोसे लाभ लेगा ?

इस गजरथ महोत्सवमें प्रतिष्ठाचार्य पं० हरिप्रसादजी पठा (टीकमगढ वाले) थे, जो बादको दिगम्बर मुनि हो गये। समानके अनेक प्रतिष्ठित जन इसमें पधारे थे।

राष्ट्रीयताके क्षेत्रमें

पण्डितजीकी शान्तिप्रिय क्रांतिकारिताका दूसरा उदाहरण उनके द्वारा सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें भी भाग लेनेका है, जिसमें उन्होंने बड़ी शालीनताके साथ अपने राष्ट्रीय विचारोंको अभिव्यक्ति भी और जेल की सजा पाई।

सांस्कृतिक संरक्षाके क्षेत्रमें

तीसरा उदाहरण जैन सांस्कृतिक परम्पराके संरक्षणमें सक्रिय योगदानका है। "जैन तत्त्वमीमामात्री मीमामा" ग्रन्थमें उनके विचार बहुत स्पष्ट हैं। सोनगढी मिद्वान्तोंके मन्बन्धमें जैन समाज केवल इतना जानना था कि कहाना जो भाईने केवल जैनधर्मका अस्पष्ट व्याख्याको मुस्पष्ट किया है, विस्तृत किया है, नाकि लोग आगमिक रहस्योंको सरलतासे समझ सकें। इसमें मिलावट या अर्थान्तरका प्रश्न ही नहीं है, ऐसा मैं भी मानता था। परन्तु जब पण्डितजी जैसे अध्यापकोंने गम्भीर अध्ययनके बाद निष्कर्ष निकाला कि जहाँतक वाग्विभाषा भाई की कथनी है: यह पूर्वाचार्योंके प्रतिपादनकी व्याख्यामात्र नहीं है किन्तु उसका खण्डन है जब मुझे आश्चर्य हुआ। विद्वानोंकी दृष्टिमें या जैनधर्मिक परम्परापर भीतरी आक्रमण था। परिणामतः मूल मान्यताओंकी सांस्कृतिक संरक्षाके लिये शान्तिपूर्ण ढंगसे प्रयास करनेका निर्णय दिगम्बर जैन मन्कृति मेवक समाज द्वारा लिया गया। इन प्रयासका श्री गणेश माननीय पं० बंशीधरजी द्वारा पं० फूलचन्द्र जी मिद्वान्तशास्त्री द्वारा लिखित "जैन तत्त्व मीमामा की मीमामा" लिखकर किया गया। उक्त मीमामाकी मीमामा ग्रन्थमें पण्डितजीको गहन दार्शनिक एवं तार्किक प्रतिभाके दर्शन होते हैं।

मन्कृति-सेवक समाजके संकल्पके अनुसार पण्डितजी समयसार, समयसार कल्प और मोक्षमार्ग प्रकाशक जैसे ग्रन्थोंका विशेषणार्थक अध्ययन (कानजी भाईकी विचार धाराके साथ तुलनात्मक रूप में) प्रस्तुत करनेमें समर्थ हों, दीर्घायु हो, यही मंगल कामना है।

जैनधर्मके प्रकाण्ड विद्वान्का सम्मान

● श्री महेंद्रकुमार 'मानव', छतरपुर

जैन समाजमें पांडित्यका अभाव देखकर पूज्य वर्णोजीने काशीमें स्थापित विद्यालयकी स्थापना की थी। पूज्य वर्णोजीके जीवनकालमें ही उनका सपना पूरा हुआ था और समाजमें जैनधर्मके अनेक प्रकाण्ड पण्डित बने। इन पण्डितोंकी सेवाओंसे जैन वाङ्मयका अध्ययन, शोध और विवेचना हुई। इसी कक्षीमें पं० बंशीधर-जीका नाम आता है। उन्होंने व्याकरणसे आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही जैनधर्मके गहन ग्रन्थोंका भी

अध्ययन किया। उनके अध्ययनका परिचय उनके द्वारा विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें लिखित सामयिक, ताकिक शोधपूर्ण लेखोंसे मिलता है। पंडितजी एक ऐसे दीपक हैं, जिन्होंने एक माधारण परिवारमें जन्म लेकर अपने पूरे परिवारको पंडित बना दिया। 'दीपक-से-दीपक जलता है' यह उक्ति उनके जीवनसे चरितार्थ हुई। उनके भतीजे पं० बालचन्द्र मिश्रान्तगास्त्री अभी कुछ ही दिन पूर्व दिवंगत हुए हैं। वे तो स्वर्गीय ही गये परन्तु बटखंडागम-ग्रन्थ सिद्धांत जैसे गहन आगम ग्रन्थका सम्पादन एवं अनुवाद करके अपनी अक्षय कीतिको भूलतपर छोड़ गये। पंडितजीके ही दूसरे भतीजे पं० दरबारीलाल कोटिया न्यायाचार्य जैन समाजके अब एक मात्र न्यायके विश्रुत विद्वान् हैं।

जैन समाजमें सैद्धान्तिक मान्यताओंको लेकर उठे हुए विवादके बावलोंको पं० बंशीधरजीने 'जैनतत्त्व मीमांसा की मीमांसा' जैसे स्पष्ट ग्रन्थ की रचना कर सम्मार्ग प्रकाशित किया है।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बुन्देलखंड जैसे पिछड़े और गरीब प्रान्तने ही जैनधर्मके सूर्य्य बहु पंडितोंको जन्म दिया है जिनके ज्ञानसूर्यके प्रकाशमें पूरे भारतका जैन समाज उपकृत हुआ है।

पंडितजीसे मिलनेका मुझे कई बार अवसर मिला है। उनके पाठित्वमें तो मैं प्रभावित हुआ ही, लेकिन उनकी सादगोने भी मेरे मनपर अमिट छाप छोड़ी है। एक सम्मेलनमें हम लोग धर्मशालामें ठहरे हुए थे। शामको पंडितजी अथऊ कर रहे थे। जबतक पंडितजीने शामके भोजनमें मुझे शामिल नहीं कर लिया तबतक वे नहीं माने। पंडितजीको दो हुई पूडियो और मागका स्वाद आज भी मेरे स्मरणमें है। पंडितजी बीर्षायु हों और जैन वाङ्मयकी निरन्तर सेवा करते रहें, यही कामना है।

साले की भौआके लिए भावाञ्जलि

● शाह प्रेमचन्द्र जैन, बीना

हमारे 'भौआ'के साथ मेरे बचपनकी कुछ यादें जुडी हैं, जिनमें भौआका सम्बन्ध है और मेरा भी। बुन्देलखण्डमें बहनोईको 'भौआ' शब्दसे सम्बोधन और आदर व्यक्त किया जाता है। हमारे बड़े ददा श्री शाह मीजीलालजीके दामाद ही हमारे भौआ हैं और वे हैं लब्ध प्रतिष्ठ एवं ख्यातिप्राप्त जैन समाजके शीर्ष विद्वान् पण्डित श्री बंशीधरजी व्याकरणाचार्य।

हम-सब एक ही मकानमें रहनेके कारण उगते सूरजसे डूबने तक और डूबनेसे उगने तक छोटी-बड़ी बातों, घटनाओं और निकटस्थ जीवनसे जुड़े हैं। मेरे बचपनकी यात्रा और भौआके राजनैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवनके एक समूचे व्यक्तित्वकी यात्रा मेरी दृष्टिमें है जो बढनी उमरके साथ भूली-बिसरी शलकियोंको फिर याद करानेसे स्फूर्ति देती है, प्रफुल्लता और प्रेरणा देती है। कुछ-न-कुछ छाप, उनका प्रभाव मेरे जीवनपर पडा है। निकटता-समीपता और संगतका असर जरूर होता है, यही मेरा सौभाग्य है।

हाँ, तो मैं ६-७ सालका रहा हूँगा। खेलता फिरता और दौड़ लगाता। घरके भीतर हमबोलीके भागजे-भानजी सनतकुमार और बिमलके साथ खेलते। घरमें लूटी पर टंगी बिगुलको उतारते और फूँकते। बिगुल बजाते और कंधेपर टांगनेका शौक करते। बच्चे थे बड़ोंकी नकल करते, कभी नेता बनते, कभी मिलिट्रीवाले बनते। बिगुल हमें एक सिलौना था।

भौआका घर उन दिनों बीनाकी राजनैतिक गतिविधियोंका अड्डा था। सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इकट्ठे होते। सन् १९४२ की क्रांति और भौआकी बीना स्टेशन पर गिरफ्तारी मेरी बचपनी आँखोंमें खेल सी समझ। स्टेशनसे घर तक नहीं आ पाये कि उन्हें स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हमें 'कै'के रोनेकी आवाज मिली। बुन्देलखण्डमें बहनको 'बेन' या 'जिजी' शब्दसे सम्बोधित किया जाता है।

हमारे शाह खानदानमें बड़े लोग 'लड़ा बेन' और हम छोटे लोग 'बेन' कहते थे। कहते थे, इसलिए कि जनका नाम लक्ष्मीबाई था और वे भी अबसे पन्द्रह वर्ष पूर्व स्वर्गस्थ हो चुकी हैं।

बेन के साथ हम लोग लागापर स्टेशन पहुँचे। शामका वक्त था। उन दिनों बीना एक छोटा कस्बा था। इटावासे स्टेशन पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी। कस्बामें बिजली नहीं थी, पर पूरे कस्बेमें यह खबर बिजलीकी भाँति फैल गई कि पण्डितजीको गिरफ्तार कर लिया है। लोग उमड़ पड़े स्टेशनकी ओर। स्टेशन-पर भारी भीड़ और अंग्रेजी पुलिसका बन्दोबस्त। हज़ूम बढ़ता जाता था। गहराता कोलाहल नारों-पर-नारों का तेज स्वर। इंकलाब-जिन्दाबाद, पण्डितजी जिन्दाबाद। जनताका जोश और आक्रोश, भीड़से बचानेके लिए एक ऊँचे मंचपर पण्डितजी जनताको सम्बोधन दे रहे थे। हम लोग उनतक नहीं पहुँच पाये। मंचके चारों ओर रस्सियोंसे घेरा गया था। दूरसे देखा, दूरसे सुना। उन दिनों बीनामें लाउडस्पीकर उपलब्ध नहीं थे। क्या कह रहे हैं, समझने नहीं आया। भाषण सत्म होते ही सिपाही उन्हें उतार ले गये। कहाँ ले गये? कहाँ ले जायेंगे? पता नहीं। सब लोग कह रहे थे—जेल ले जायेंगे। रात स्याह हो चली थी भीड़-लौटने लगी। हम लोग भी लौट आये। कस्बेमें उदासी थी, मुहल्लेमें मायूसी और घर-पड़ोसमें अजीब सन्नाटा।

रात सोचनेमें चली गई। अंग्रेज मिलिट्रीका आतंक, पण्डितजीको जेल यात्रा और आन्दोलनका विगुलनाद, विगुल अब मुझे खिलीना नहीं रहा। विद्रोह, विरोध और आन्दोलनका अलख जगानेवाला एक शास्त्र।

'विगुल बज उठा आजादीका गगन गूँजता नारोंसे' आज जब कभी यह गीत सुनते हैं पण्डितजीके घर टँगी विगुल याद आ जाती है।

भोजाकी जेल यात्रामें सनत चिन्तित हो गया। एक शोक यह भी और एक याद यह भी।

उनकी जीवन यात्रामें राजनीतिके कई पड़ाव हुए। सामाजिक सेवामें चलने लगे। विद्रोहाका घर भरते रहे। सरस्वतीकी साधनामें अबतक संलग्न। सरस्वतीका यह वरदपुत्र वृद्धापस्थामें अब कलमके सिपाही है उनके कमरेमें अब विगुल नहीं, कलमदान है। वे आत्म-विश्वासके घनी हैं, दीर्घ जीवन जीने और बहुत कुछ करने की ललक है। उनके द्वारा भरे घट और उनका जीवन घट भरा रहे। हम सब पीते रहें, रीते नहीं। यही भावाञ्जलि भोजाके दीर्घ जीवन यात्राके लिये है।

कन्या राशिका चमत्कार

● पं० स्वतन्त्र जैन, गंजवासीदा

[पूर्व भाग]

बहुत पुरानो बात है और मेरे बचपनकी बात है, स्व० पं० महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य हु० महाविद्यालय इन्दौरमें न्यायाधीशकी पदार्थमें संलग्न थे। उस समय मैं भी इन्दौरमें प्रवेशिका खण्ड २ में पढ़ता था। एक दिन पं० जीने व्यंग (किन्तु सत्य) में कहा, देखो यह कन्या राशिका ही चमत्कार मानना चाहिये कि पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका विवाह श्री मौजीलालजी बीनाकी लड़कीसे हो गया है। मजेकी बात यह है कि दोनों (वरदपुत्र) को कन्या राशि है, और पण्डितजीको घर जमाई रख लिया है। पण्डित महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्य तो बनारस पहुँचनेपर सुहृद्दर पं० डॉ० कोठियाके साथ बायमें हुये थे। बात आयी-गयी-सी हो गयी, और समय अपनी अरोक गतिसे भागता रहा।

अब फरवरी सन् १९४१ का जमाना आ गया। इसी साल सूरसमें जैनमित्रादि कार्यालयोंमें नियुक्ति

हुयी थी। जूनमें कुछ दिनोंका अवकाश लेकर मैं मिरोंज आया। मामाजीने कहा, तुम बीना चले जाओ, लड़का देख जाओ, कस्तूरीका सम्बन्ध करना है, मैंने कहा ठीक है। अब बीना मैं किसके यहाँ ठहरे यह प्रश्न मेरे सामने था। इस समय मुझे पं० महेन्द्र कुमारजीको बात याद आयी "कन्या राशिका चमत्कार", क्यों न मैं चमत्कार वालोंका मेहमान बनूँ ? शामको मैं बीना जा गया। आते ही मैंने अपना परिचय दिया। पण्डितजी बड़े लुश हुये, और अपने आत्मीयभावसे मुझे बहुत ही प्रभावित किया, मैं गद्-गद हो गया। लड़का मुझे पसन्द नहीं आया, किन्तु पण्डितजीके अपार स्नेहको लेकर लौट आया। यह जून सन् १९४१ की बात है। यही पूज्य पं० बंशीधरजीसे प्रथम परिचय था।

सन् १९४८ई मासमें सोनगढमें विद्वत् परिषद्का अन्वेषण हुआ। यह कानजी स्वामीके उदय-कालका अवसरपर था। इस अन्वेषणमें समाजके चोटीके मूर्धन्य अनेक विद्वान् पहुँचे थे। वहसि लौटते समय पं० बंशीधरजी सूरत आये। मेरे ही घर ठहरे थे, आपको जैनमित्रकी पुरानी फायलोकी आवश्यकता थी। वे फायले कार्यालयसे लाकर उन्हें दे दी थी। दो दिन ठहरकर बीना चले गये। पूज्य पण्डितजीके आगमनपर मुझे बहुत ही आनन्द मिला। फिर तो पूज्य पण्डितजी समय-समयपर कई बार मिले। परिचयने निकटता-वनिष्ठताका रस ले लिया। फिर तो पण्डितजीके घर कई बार जाना-जाना होता रहा।

[उत्तर भाग]

पूज्य पण्डितजी जैन समाजकी नजरसे ओझल रहे और अपनी ख्याति एवं प्रसिद्धिसे दूर रहे। यही कारण है कि सामान्य जैन समाज आपको न जान सका। ६० वर्षों तक चारो अनुयोग ग्रन्थोंका जालोडन एव मन्थन कर आपने नवनीत निकाला। मैंने स्वयं देखा है कि पण्डितजी ठीक ३ बजे उठकर या तो कुछ लिखते हैं या किम्सा ग्रन्थका पारायण करते हैं। जबकि मैं ६ बजे उठता था जबकि मैं पण्डितजीके घर मेहमानके रूपमें होता था। खानिया तत्त्वचर्चामें आपका प्रमुख हाथ था। जैनदर्शन और जैनसिद्धान्तके आप अधिकारी विद्वान हैं। वीरवाणी पत्रिकामें कर्म सिद्धान्त सम्बन्धी लेख माला कई अंकोंमें निकलती रही। ऐसी लेखमालाका पुस्तकाकार छपना बहुत आवश्यक है। हमारे समाजमें गुण-ग्राहकता नहीं जैसी है। यही कारण है कि पण्डितजीको ८४ वर्षकी आयुमें अभिनन्दन ग्रन्थ देनेका निर्णय समाजने लिया, यह पण्डितजी अभिनन्दनीय है ही किन्तु वे इससे अधिक अभिनन्दनीय एवं अभिनन्दनीय हैं।

अभिनन्दनकी पावन भागलिक बेलपर मैं पूज्य पण्डितजीके सुखी, स्वस्थ जीवन और शतायुष्यकी मंगल कामना करता हूँ।

समाजके मार्गदर्शक

● श्री लालजी जैन, बी० कॉम, अनुभाग अधिकारी विभाग, परीक्षा का० हि० वि० वाराणसी नियंत्रक कार्यालय यह परम प्रसन्नताकी बात है कि समाजने पंडित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके अभिनन्दन करनेका निर्णय लिया है और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं दार्शनिक योगदान स्वरूप एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित करनेका निश्चय किया है।

आधरणीय पंडितजी साधुकी प्रतिभूति एवं भद्रपरिणामी व्यक्ति हैं। अध्ययन-अध्यापनके क्षेत्रसे दूर रहते हुए भी पंडितजीने जैनवाङ्मयकी जो सेवा की है, वह अपने आपमें एक मिसाल है। केवल स्वाध्यायके बलपर पंडितजीने जैन सिद्धान्त, दर्शन, न्याय, इतिहास आदिका जो दिग्दर्शन अपने लेखों एवं कृतियोंमें कराया है वह अत्यन्त प्राज्ञ एवं आगमानुकूल है। तथ्योंका जो विवेचन पंडितजीने प्रस्तुत किया वह सांगोपाग एवं सरल है। सुधीजन ही नहीं अपितु सामान्यजन भी उसका लाभ उठा सकते हैं। दार्शनिक

विषयमें तो मौलिकता कूट-कूट भरी हुई है। लेकिन अध्ययनसे यह पता नहीं चलता कि वे स्वयंकी उनकी कृति नहीं है। सामान्य पाठक भी यदि उनका अध्ययन मनोभावसे करे तो उसे उन्नतका अनुभव नहीं होता और उसके पठनकी ओर वह अग्रसर होता जाता है।

यह पण्डितजीके गहन अध्ययन एवं स्वाध्यायका ही परिणाम है कि वे खानिमा तत्त्वचर्चापर आधुमानुकूल समीक्षा प्रस्तुत कर सके। उनकी रचनाओंको नो ममाजके लिए अलगसे प्रकाशित करवेका प्रयास करना चाहिये।

ऐसे विद्वान्का समाज कितना ही अभिनन्दन करे, वह थोडा है। पण्डितजी शतायु हों एवं ह्य-लोगोंका मार्गदर्शन इसी प्रकारसे करते रहे, यही मेरी शुभकामना और जिनेंद्र भगवानसे प्रार्थना है।

एक जागरूक मनीषी

● पं० खुशालचन्द्र बठेराय, शास्त्री, तेजगढ

यह हमारा धर्म एवं कर्तव्य होता है कि अपने लिये जिनके द्वारा कुछ प्राप्त हो उनका गुणस्मरण अवश्य ही करें।

पं० जीने अपना सारा जीवन जैनधर्म एवं समाज-सेवामें लगाया है और आज भी सजग भावसे सलमन है। आपने समाजमें लगे मजाज और धर्म विरोधी तत्त्व रूपी धुनको निकाल फेकने हेतु जो सतत प्रयत्न किये वे आज भी स्मरणीय हैं।

केवलारी गजरथ : एक अतीतकी झाँकी—पत्रों द्वारा लगातार प्रचार एवं प्रसारको देखकर श्री पं० जीने अपने विचारोंको दबाना एक अपमान तथा कायरता द्योतक समझ जोरदार आन्दोलन उठाया एवं पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री बनारस, भागचन्द्रजी इटोरया दमोहको आह्वस्त किया और लिखा क्या दमोह जिलेकी केवलारी बस्तीमें जहाँपर मात्र एक ही घर जैनसमाजका हो वहाँपर गजरथ जैसे महान और पवित्र धार्मिक अनुष्ठानकी स्थापना की जाय। यह नाटक नहीं कि कही भी किसी हालतमें खेला जा सके।

श्री भागचन्द्रजी इटोरयाने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओंको आर्म्भित कर सलाह भसवरा करके पं० मूलचन्द्रजी "बत्सल" पन्नालालजी चौ०, भागचन्द्रजी इटोरया एवं मैं भी तैयार होकर पं० जीके साथ केवलारी शाहपुरसे पहुँचे। श्री सि० धरमचन्द्रजी गजरथकारसे मिले तब उन्होंने कहा कि रथ चलेगा। इससे मेरा तथा गाँवका बदनम होगा। बहुत ममहाया गया अनेको उदाहरणों द्वारा विषय सामग्री प्रस्तुत करनेपर भी सि० जी सहमत नहीं हुए।

अन्ततोगत्वा रथ चलनेकी शुभबेला आ गई। सर्वमडली सहित पं० जी केवलारी पहुँचे। चर्चा विरोधकी चल रही थी कि पं० फूलचन्द्रजी अनशन प्रारम्भ कर एक मंथपमें बैठ गये। समाजमें झूलझुली मच गई। पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री प्र० पा० कटनी जैन पाठशाला आये और बड़े आह्वानोंके बीच पं० जीका अनशन तुडबाया। आम सभा हुई जिससे सर्वसम्मतिसे १५१ आदर्शियोंकी एक कमेटी बनी और निर्णय हुआ कि इस कमेटीकी स्वीकृतिपर ही गजरथ चलेगे।

इसी बीच बाबू जमुनाप्रसाद कलरैया सवजग नागपुरसे पधारे। चर्चाके दौरान लोगोंने कहा बुन्देल-खण्डमें दस्ताओंको पूजन प्रशाल आधिका अधिकार नहीं है। तब पं० बंशीधरजीने अपनी नद्गव बाणियोंमें कहा इधर गजरथ पंचकन्याणक प्रतिष्ठाएँ हों उधर पुजारियोंका अभाव हो दोनोही बातें धर्मसे भर गिटनेकी है उस दिनसे दस्ताओंकी पूजनका अधिकार दिया गया। पं० बशीधरजी एक लगनशील, कर्मठ, उदारमना हैं। आपका जैन साहित्यमें पूर्ण आधिपत्य है। हम आपके शीर्षजीवी होनेकी कामना करते हैं।

वंशीधरो जयतात्

श्री अमृतलालो जैनः साहित्य-जैनदर्शनाचार्यः, लाहूरू

(शाईलविक्रीडितम्)

श्रीसीमण्डलवर्तिनी विजयते धन्या पुरी 'सौरई'

यत्राजायत नव्यभव्यभवने राधा-मुकुन्दात्मजः ।

स्तुत्यानेकशरीरविह्वलितप्रज्ञाप्रकर्षोदयः ।

श्रीवंशीधरनामलब्धगरिमा

जातोऽभिनन्दोऽयुना ॥ १ ॥

स्याद्वादात्समस्तशास्त्रविषयज्ञानो

गणेशाश्रयो

नैकोपाधिविभूषितो

गुरुसमप्राज्ञप्रसाधाबभूत् ।

आचार्यत्वमवाप्य यः प्रथमतो लेभ प्रतिष्ठा परा-

मथान्तं श्रमतो न कोऽत्र मुमति प्राप्नोति शुम्भदासः ॥ २ ॥

पद्माद् य प्रविहाय धिसणगृहं व्यापारलम्नोऽपि सन्

न्याय्यं मूल्यमूर्षित नोनमधिक कस्मादपि ग्राहकात् ।

तस्मात् सोऽपि परत्र याति न जनः क्रेतु पट कर्हिषिष्-

व्यापारेऽपि जन स एव सफलो जायते यो न्यायवान् ॥ ३ ॥

व्यापारार्थमुपस्थितोऽपि विपणी ग्रन्थं न यो मुञ्चति

प्राप्ते क्रेतरि सत्वरं वितनुते कार्यं तदीयं ततः ।

निश्चिन्तं पुरतो निघाय मनसा तच्चिन्तने लीयते

नत्वं वेत्ति न एव यस्य हृदयं नित्यं निमग्नं श्रुते ॥ ४ ॥

लोकस्लाभ्यगुणीधमण्डनयुता याता यदा गेह्निनी

स्वर्गं वित्सते समस्तमसृतिमवा निःसारता भावयन् ।

अन्त शोकनिपीडितोऽपि नितरा व्यक्तं न चक्रे बहिः

सत्यं ते विरला ममस्तभुवने मुञ्चन्ति धैर्यं न ये ॥ ५ ॥

सत्कर्कनिपीडितास्त्रिलजगच्छास्त्राधिपुकोष्णयो-

नानालेखविलेखनोत्थयसाशुक्लीकृताशास्त्रम् ।

वक्ता श्रेष्ठतमश्च कर्चचतुरो ग्रन्थप्रणेता महाब्-

श्रीवंशीधरपण्डितो विजयते विश्वम्भराविभुतः ॥ ६ ॥

धर्षीयानपि यो युवेव नितरामुसाहसम्भन्धी

कार्यकार्यविवेकसूर्यमहिमप्रख्यस्तचिन्तानिधः ।

लक्ष्मीः साऽय सरस्वती भगवती यं नोज्ज्वलः कर्हिषित्

सोऽय विज्ञसमाजमस्तकमणिवंशीधरो भाग्यभाक् ॥ ७ ॥

(पथ्यार्या)

आचार्यो व्याकरणे तीर्थं न्याये तथा च साहित्ये ।

यः शास्त्री स विपश्चित्—प्रवरो वंशीधरो जयतात् ॥ ८ ॥



सरस्वतीके वरद-पुत्र हे ! बंशीधर व्याकरणाचार्य

पं० अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ, 'साहित्यरत्न' जयपुर

१

बन्धन है, अभिन्नदनीय हे !
विज्ञ मनीषी परम उदार !
साक्षात् गुण-ज्ञान पयोनिधि ।
साधा जीवन उच्चविचार ॥

२

स्याद्वाच-विद्यालय काशी
गुरु 'गणेश' से पाया ज्ञान ।
बर्षों जी साहित्य-न्यायके
बने प्रखर उद्भटविद्वान् ॥

३

शुष्क विषय व्याकरण कठिन अति
उसके भी आचार्य महान ।
बिना बंसुरी, हे बंशीधर ।
करा दिया गीता का ज्ञान ॥

४

आगम जी सिद्धांत ग्रन्थ के
सफल प्रवक्ता व्याख्याकार ।
बतलाया है "जिन शासन में
महत्त्वपूर्ण निश्चय व्यवहार ॥"

५

पूर्ण स्वतंत्र विचारक लेखक ।
बन्धन और भयन में लीन ।
भौतिक सत् साहित्य रचा अति
आर्ष-मार्ग अनुसार प्रवीण ॥

६

विद्वत् परिषद् मार्ग-प्रदर्शक ।
दृढ श्रद्धानी आस्थावान ॥
पत्रकार निर्भोक साहसी
शुद्ध समालोचक गुणवान ॥

७

सेवा में नि स्वार्थ समर्पित
मिला सहज सम्मान अपार ।
भारत छोड़ी आंदोलन में
जेल गये कितनी ही बार ॥

८

सभी धार्मिक जी सामाजिक
मंस्था से संबन्धित आज ।
पाकर एक मूक सेवक को
गौरवान्वित हुआ समाज ॥

९

जन-सेवा में बीते जीवन
सुखी स्वस्थ हो सब परिवार
मंगलमयी कामना येही
देखो अमी बसंत हजार ॥

१०

श्रद्धा से मस्तक झुक जाता
देख समूचे अद्भुत कार्य
सरस्वती के वरदपुत्र हे ।
बंशीधर व्याकरणाचार्य ॥

सविनय-अभिनन्दन

सौ० रत्नप्रभा पटोरिया

१

हे सरस्वती के बरवपुत्र ! चिर जियो, तुम्हारा अभिनन्दन ।
मेरा शत शत बन्दन, चिर जियो, कहेँ मैं अभिनन्दन ॥

२

जब गांधीजी ने स्वतन्त्रता का,
भारत में बिगुल बजाया था ।
उस समय तुम्ही ने मोह त्याग,
अपना अनुराग छुटाया था ॥

३

सन् बयालीस में सहे कष्ट,
जिसका हिसाब नहीं लेना था ।
दुःख सहे सीकचों के भीतर,
निज राष्ट्र-विजय-हित सोचा था ॥

४

ले ज्ञान दीप निज कर में तब,
कई ग्रन्थ लिखे अनुवाद किये ।
ये स्याद्वाद नय और प्रमाण,
इन सब को अति ही सरल किये ॥

५

स्वदेश, जैन-दर्शन के हित,
जो कार्य अनेकों सुपुङ्ग किये ।
शब्दों में उन्हें न बाँध सकूँ,
वे अनुपम अमर प्रकाश किये ॥

६

बन्दा और तारे चमकेंगे,
जब तक इस पृथ्वी के ऊपर ।
यथा गान तुम्हारा गावेंगे,
मिल कोटि कोटि कण्ठों से सब ॥

हे सरस्वती के बरव पुत्र ! चिर जियो तुम्हारा अभिनन्दन ।
मेरा बन्दन शत-शत, बन्दन, चिर जियो कहेँ मैं अभिनन्दन ॥



हे सरस्वतीके वरदपुत्र ! शत-शत वन्दन शत-शत प्रणाम

डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन', श्रीमहावीरजी

हे सरस्वती के वरदपुत्र ! शत शत वन्दन शत शत प्रणाम ।

१

सम्बत् उन्नीस ती बासठ के
शुभ भाद्र मास की शुभ बेला ।
शुभ शुक्ल पक्ष तिथि शुभ सातें
थी भारत-भू की अलबेला ॥
गोलापूर्वाब्धय में जन्मे
निजबंश कौटिया के ललाम ।
हर्षाए नगरनिवासी सब
तब भूल गये थे दुःख तमाम ॥

२

भारत वसुन्धरा धन्य हुई,
धरती का कण-कण हर्षाया ।
हो गयी पुनीता सौरई-भू
'राधादेवी' ने सुत जाया ॥
यों जन्म-भूमि जननी दोनों
हो गयी बंध पावन सु नाम ।
श्री सिधई 'मुकुन्दलाल'-नन्दन
को वन्दन बेरा है अकाम ॥

३

हर्षायी राधा देख लाल
हर्षाये लख सुत मुकुन्दलाल ।
पर पढ न सके जीवनरेखा
प्यारे सुत की जो रही भाळ ॥
त्रय मास मात्र देकर दुलार
बल दिये पिताश्री स्वर्णधाम ।
माता का प्यार बना सम्बल
बच रहा सहारा जननि-नाम ॥

४

जननी भी बारह वर्ष बाद
एकाकी इनको छोड गयी ।
संघर्षों में जीवन बीता
विपदारें आयीं नई-नई ॥
यों माता-पिता विहीन हुए
तब तजा आपने पितृ-धाम ।
बारासिवनी में मामा घर
आकर पाया था लघु विराम ॥

५

वर्षों जी का कुल योग मिला
पढने का अवसर हाथ लगा ।
बल दिये बनारस पढने को
था नही संग कोई बन्धु सखा ॥
साहित्य जैनदर्शन शास्त्री
उत्तीर्ण हुए स्यादाद-धाम ।
व्याकरणार्थाय व न्यायतोर्य
पदवियां प्राप्त की गंग-धाम ॥

६

गम्भीर विचारक चिन्तक हैं
जिन आगम के अध्येता हैं ।
आगम विरोध इटकर करते
आगम पर चोट न सहते हैं ॥
जयपुर में हुयी तत्त्वदर्शा
के प्रथम समीक्षक को प्रणाम ।
उस समय पक्षधर आगम के
राधा सुत ही थे जग-ललाम ॥

७

निश्चय-व्यवहार उभय जग में
है उभय नेत्र सम प्रिय दोनों ।
गति को आवश्यक चरण-युगल
जैसे सरिता को तट दोनों ॥
शिव-पथ के दोनों साधन हैं
दोनों से सचता मोक्ष-धाम ।
तब ग्रन्थि लिखा राधा सुत ने
निश्चय-व्यवहार है ग्रन्थ नाम ॥

८

रुमबद्ध न केवल पर्यायें
वे तो अक्रम भी होती हैं ।
जो लिखी पुस्तकें वे जग की
उत्पन्न भ्रान्तियां हरती हैं ॥
शान्तिस्निग्ध-सम्पादन का
हृषित होकर के किया काम ।
गजरथ विरोध के अपद्रुत
विद्वत् परिषद् के हैं ललाम ॥

९

आत्म से आपको प्यार यथा
है देण-प्रेम भी वैसा ही ।
तन से तनकर बलकर दिय जेल
नहि किया प्यार था तन मे भी ॥
है राष्ट्र प्राणप्रिय इन्हे सतत्
प्यारा है इनको नहीं चाम ।
तन-भन से सेवा करते हैं
आवश्यक हो तो देत दाम ॥

१०

वैशिष्ट्य आपके जीवन का
शिक्षा न जीविका का माधन ।
व्यवसाय बुद्धि के आगे नन
लक्ष्मी करती नित आराधन ॥
लक्ष्मीपति है पर विष्णु नही
बिनु मुरली के है कृष्ण, राम ।
बोना है कर्मभूमि इनकी
इनके घर लक्ष्मी का विराम ।

११

श्रुतदेवी और लक्ष्मी का
वरदान इन्हें ही प्राप्त हुआ ।
भू पर अनेक विद्वान् किन्तु
विरलों का यो संयोग हुआ ॥
विधि का ही कर्हाण यह विधान
जग में जो कि है आज नाम ।
श्रीमन्त और धीमन्त सभी
आकर करते सविनय प्रणाम ॥

१२

ये मरस्वनी के वरदपुत्र
हित-मित भाषी हैं ज्यों बन्दन ।
अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित कर
हम करते विद्वत्-अभिनन्दन ॥
ये सत्य और शिव सुन्दर भी
इनको मेरे साष्टांग प्रणाम ।
'सुमन' रहे सुख भरे जगत में
मिलता रहे इन्हें आराम ॥

विनय सुमन

वैद्य प्रभुदयाल कासलीवाल, भिषगाचार्य, जयपुर

बंशीधर है नाम वासुरी तुमने बजाई कभी नही ।
किन्तु वासुरी तान सुनी जो बाजो तुम्हारी प्रति दिन ही ॥
बंशीधर गोपाल कहाते गी तुमने पाली न कभी ।
लेकिन जिनवाणी दोहन कर जानामृत तुमने पाया ही ॥
नागदमन बंशीधर कीना मिष्यात्त्व दमन कर तुम हो जी ।
अज्ञान कंस के नाशक बन जिनवाणी यश फैलाया जी ॥
तत्त्वज्ञान तुमने पाकर माहित्य रचा ज्ञानेन्दु बने ।
जिससे निश्चय व्यवहार उभय उपयोगी है मन्तव्य बने ॥
क्रम-अक्रम पर्यायो का विश्लेषण तुमने कीना है ।
हे बंशीधर जिन अक्षर की बंशी से तुम्हें पिछाना है ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र मे कलें कामना प्रति दिन ही ।
शत शत वर्षों की आयु पा तुम वास करो अब निज मे ही ॥

●

सरस्वती के वरदपुत्रका शत शत अभिनन्दन है

पं० बाबूलाल जैन फणीश, पावागिरि उन

सरस्वती के वरद पुत्र का शत शत अभिनन्दन है ।
दीप्तपुत्र "श्री बंधीधर" को बारम्बार नमन है ॥

(१)

जिसने निज के जीवन को कष्ट कंटकों से पाया ।
जो कार्टों में पलकर भी 'मुकुन्द' गुलाबसा खिल आया ॥
झांसी मण्डल सोरई ग्राममें, मुकुन्दलाल प्रतिभा चमकी ।
सरल मूर्ति भी 'राधा' ने भी उर से 'बन्धी' मोहन सी दमकी ॥
'स्याद्वाद' वाराणसी गंङ्गा में व्याकरणार्थ ज्ञान किया ।
धर्मशास्त्र से न्यायतीर्थ बन जीवन ज्योति जगा लिया ॥
दिग्धिगन्त उज्ज्वल जीवन पा चमके नित कुन्दन है ।
ज्ञान पूज्य श्री बंधीधर को बारम्बार नमन है ॥

(२)

मध्य प्रदेश बीना नगर को स्व आश्रय पथ पाया ।
महावीर की दिव्य देशना से जगको पाठ पढाया ॥
सत्य, अहिंसा जैन संस्कृति से जन जन को उन्नत बनाया ।
अभ्युत्थी पथ से विद्वद् परिषद को नित्य आपने महकाया ॥
पूज्य गणेश वर्णी माला से अपना हाथ बटाया ।
जैन वाङ्मय सरस्वती को तत्त्व भीमांसा से चमकाया ॥
विष्व शांति नित प्रतीक बन चमके तुम चन्द्र वदन है ।
राष्ट्र धर्म के दृढ संकल्पी का महके जीवन नन्दन है ॥

(३)

आप विशाल जैनधर्म के माहिस्वाकार महान हो ।
आप सुपथ दर्शक जैन जाति के युग कर्णधार हो ॥
स्वामिमान गौरव के स्वामी दिग्गज लेखाकार हो ।
परम विशाल जिनागम के पोषक उत्तम पत्राचार हो ॥
स्याद्वाद और अनेकान्त से जग को पथ बतलाया ।
भूले भटके मानव को भी धार्मिक जीवन पनपाया ॥
सर्वोदय से नित्य आपका महका जीवन चन्दन है ।
वासत्य मूर्ति श्री बंधीधर का शत शत अभिनन्दन है ॥

(४)

विद्व श्री दरबारीलाल ने शरण आपका पाया ।
और मनीषी बालचन्द्र ने गुणगान आपका गाया ॥

शोभा राम ने शोभा पाकर प्रेम सलिल वर्षाया ।
 निवर्ण भारती मेरठ द्वारा सिद्धान्ताचार्य पद पाया ॥
 विविध अनेकों कार्यों से नित, दार्शनिक जीवन पाया ।
 अपनी प्रतिभा के पराग से गौरवान्वित होकर आया ॥
 जब तक नभ मे चन्दा मूरज चमको सदैव स्पर्शन है ।
 प्रथम मूर्ति श्री बंशीधर को नत "कणीश" बन्दन है ॥



वंशीधर की वंशी गूज, उठी

पं० जीवनधर जैन, बीना

ब—ना सदा मितव्ययी जीवन
 शी—ल कर्तों को अपनाया
 ध—रम मरम मे जीवन बीता
 र—सा मोह निश्चय नय का
 जी—वन में व्यवहार न छोडा
 व्या—मोह हुआ दोनों नय का
 क—संख्य निष्ठ होकर महान्
 र—स लिया सुपथ जीवन पथ का
 णा—निमित्त और न उपादान
 चा—ही दोनों की सार्थकता
 र—म गये तस्व चर्चा में जब
 य—हूँ खनिया मे जाकर ठहरे
 बी—णा का तार झनझना उठा
 ना—म हुआ रोशन इनका
 फिर स्याद्वाय अरु अनेकाल की
 ध्वनि सुनाई सब को बी
 फिर पंडितगण सब मीन रहे
 बंशीधर की बंशी गूज उठी



शब्द-सुमन से अभिनन्दन है

हास्य कवि हजारी लाल 'काका' सरकार

बनें श्रेष्ठ आचार्य व्याकरण का तन मन से किया मनन है,
पण्डित श्री बंशीधर जी का शब्द सुमन से अभिनन्दन है,

संवत् उन्निस सी बासठ की भादो सुदी सप्तमी आई,
श्री सिषई मुकुन्दलाल के द्वारे बजने लगी बघाई,
जिला ललितपुर की सोरई मे उस दिन उत्सव गया मनाया,
राधादेवी की गोदी मे यह बालक आकर मुस्काया,
जिसने भी देखा बालक को प्रमुदित हुआ सभी का मन है,
पण्डित श्री बंशीधर जी का शब्द सुमन से अभिनन्दन है,

होनहार विरवान के अक्षर पात चीकनें ही होते हैं,
बजने वाले बालक अक्षर अपना समय नहीं छोते है,
ग्यारह वर्ष बनारस मे ही बर्णोजी से शिक्षा पाई,
न्यायतीर्थ साहित्यशास्त्री आदि अनेकों पदवी पाई,
सिद्धान्ताचार्य की उपाधि के साथ मिला था काफी धन है,
पण्डित श्री बंशीधर जी का शब्द सुमन से अभिनन्दन है,

सरस्वति का भडार भर दिया जब से कलम उठाई कर में,
ऊँचा किया बुन्देलखंड का नाम आपने भारत भर में,
जैन संस्थाओं मे हरदम ऊँचे-ऊँचे ओहदे पाये,
स्वतंत्रता के आंदोलन मे जेल यात्रा भी कर बाये,
इसीलिये उपराष्ट्रपति ने किया आपका अभिनन्दन है,
पण्डित श्री बंशीधर जी का शब्द सुमन से अभिनन्दन है,

धों तो त्याग चुके पण्डित जी जीवन से सारा आडम्बर,
ऐसा लगता है, घर मे रहते हो अम्बर सहित दिगम्बर,
कवि 'काका' की एक विनय है अब तो ऐसा अबसर लायें,
कर मे पिछी कमंडल लेकर सच्चा अभिनन्दन करवायें,
नर जीवन का सार यही है कहता यही जैनदर्शन है,
पण्डित श्री बंशीधर जी का शब्द सुमन से अभिनन्दन है,

सुमनाञ्जलि देते हैं

पं० पूर्णचन्द्र 'सुमन' दुर्ग

जनक मुकुन्दलाल, मातृ राधा के सलीने लाल
बाल बाल नहीं फिर भी बंशीधर कहते हो ।
प्रकृति से सुरम्य सोरई पाम में जन्म लेकर
बंशी की तो बात क्या अब बीणा वाले कहते हो ॥
स्थापना, महाविद्यालय, बाराणसी में अध्ययन को
पूष्य सन्त वर्णाजी के शानिद्व मे रहे हो ।
अनवरत वर्ष एकादश—अध्ययन कर
शास्त्री न्यायतीर्थ व्याकरणाचार्य कह्यो हो ॥
आपके चिन्तन और लेखन की तो कोई मिसाल नहीं
मौलिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक, लेख सभी प्रमाण है ।
मिथुन्य और व्यवहार खानिया तत्त्व चर्चा
तत्त्व मीमासा की मीमासा आदि महान् हैं ॥
देश की आजादी में भी आप तनमन से जुटे
जेलों के कष्टों को कुछ भी नहीं माने हैं ।
नागपुर, सागर, अमरावती—कारागार
उन्नीसवीं वियालीस के आन्दोलन जाने हैं ॥
समाज की सेवा के कार्य भी अछूते नहीं
अनेक मस्याओं के मंत्री सभापति रहे हैं ।
विद्वद् परिषद् वर्णा ग्रंथमाला—आदि के
महत्त्वपूर्ण संचालन के—गौरव आप बने हैं ॥
समाज-सुधारक, पत्रकार, दार्शनिक
समन्वयवादी—स्थापना वक्ता हैं ।
ओजन्वी-सरल-मधुरवाणी से ओतप्रोत
जैन सिद्धान्त के प्रसार-प्रवक्ता हैं ॥
आपका स्वभाव इतना सरल और प्रभावक है
सहज ही समीजन—आपके हो जाते हैं ।
ज्ञान के तो इतने अगाध भण्डार है
आतिथ्य सेवा में बेजोड़ पाते हैं ॥
इतनी बुद्धय में भी लेखनी को विराम नहीं
अनवरत—सैद्धान्तिक गुत्थियाँ सुलझाते हैं ।
ऐसे महान् महनीय विद्वान् पं० जी के
चरणों में "सुमन" सुमनाञ्जलि देते हैं ॥
बाद और सितारों का जबतक निवास रहे ।
तबतक चिरायु रहें—ऐसी शुभ कामना भाते हैं ॥

हे सरस्वती के वरदपुत्र विद्वद्वर तुमको शत प्रणाम

पं० विजयकुमार जैन, श्रीमहावीरजी

हे सरस्वती के वरद पुत्र, विद्वद्वर ! तुमको शत प्रणाम ।
हे जिन-बाणी के परम भक्त ! व्याकरण विज्ञ, तुमको प्रणाम ॥

चिन्तन-सागर से मोती चून, प्रज्ञा से उनकी चमकाया ।
उद्भ्रान्त जगत के अंगन में लो तुमने उनको बिसराराया ।
जिनबाणी का नित मन्थन कर तुमने जो अमृत पाया है ।
तत्त्वार्थी जन को जो तुमने उसका आस्वाद कराया है ।
सत्त्वार्थी तुम तत्त्वार्थी तुम स्वाध्याय निरत हे ख्यात नाम ।
विख्यात हुए विद्वद्गण मे तुमको हम सबका नित प्रणाम ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र***

पुरुषार्थी बन जीवन मे तुमने नित नियतिवाद को टुकराया ।
लख भारन माँ को पराधीन सेनानी जीवन अपनाया ।
लखकर कुस्वदियों को तुमने विद्रोही बिगुल बजाया है ।
शासन-समाज हो स्वच्छ सदा-बह गीत आपने गाया है ॥
अपने बलबूते पर चलकर तुम बने सदा ही एकनाम ।
अभिनव चिन्तन की सरणि पकड़ तुम बड़े तुम्हें है नित प्रणाम ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र***

हे ज्ञानपुञ्ज ! तुमने भूत के मंथन का पथ नित अपनाया ।
पुरुषार्थ और व्यवसाय बुद्धि लख लक्ष्मी ने भी अपनाया ।
हे राष्ट्रभक्त ! हे धर्मभक्त ! तुमने सुनाम यह पाया है ।
'वर्णी गणेश' पथ-चिह्नो पर तुमने अपने को पाया है ॥
विद्वत्ता के हे मूर्तरूप तुमसे समाज है ख्यातनाम ।
हे पुरुषार्थी व्यवसायी हे ! विद्वद्वर तुमको नित प्रणाम ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र***

अभिनन्दनीय हे विद्वद्वर 'स्याद्वाच' तुम्हें नित है भाषा ।
मिथ्या अभिमानी जन-जन जब एकान्तदृष्टि दूषित पाया ।
तब सुनयवाद का दीपक ने उनको सन्मार्ग दिखाया है ।
जिन आगम का ही सही मर्म तुमने उनको बतलाया है ॥
हे तत्त्वसमीक्षक चिन्तक हे तुम निज जीवन मे हो अकाम ।
हे सत्य-तत्त्व के नबदृष्टा तुमको समाज का नित प्रणाम ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र***

हे विज्ञ, जिजो तुम युगयुग तक जो सत्य तुमने अपनाया ।
उस पर बढ़कर निज जीवन का तुमने रहस्य है जो पाया ।
बह शान्ति-क्रान्ति का रूप आज जनजन के मन को भाषा है ।
हे सौम्य, आपने अपने को उससे विमुक्त कब पाया है ?
तुमसे सुविज्ञ को पाकर के है धन्य आज यह धराधाम ।
अभिनन्दन रत जन-जन का मन तुमको करता है नित प्रणाम ॥
हे सरस्वती के वरद पुत्र***



बंशीधरके ही प्रकाश से जिनवाणी है जगमग दमकी

श्री हीरालाल जैन, बीना

लेकर जनम सभी जगती पर
बढ़ते-फलते अपने रूप-
जो समृद्ध धरा पा लेता
वह बन जाता दिव्य-स्वरूप

बडना, फलना वह कहलाता
जो निज बल से बढ़ जाता
साधन और विपुलता पाकर
अपना कुछ नहीं गढ़ता करता ।

उपवन का हर पादप भाई
नहीं जरूरी छाया फल दे
पर फलदार वृक्ष बिन सींगे
पन्थी को सबही दे डाले ।

जैन-जगत-के इस उपवन में
नन्दे पीधे से बन तस्कर-
छाया अरु फल दोनों मिश्रित
दिये समाज को शाश्वत् प्रियवर ।

पाया समाज ने रतन अनोखा
जिसकी आभा प्रतिक्षण धमकी
“बंशीधर” के ही प्रकाश से-
जिनवाणी है जगमग दमकी ।

निश्चय और व्यवहार द्वन्द को
सरल-सहजता से समझाया
दोनों का निष्पादन करके
पय से पानी सम नितराया ।

है आकांक्षा यह समाज को
अपनी आभा और ज्ञान से
कर आलोकित और प्रकाशित
रहें निरन्तर चिरभिमान से ।

युग गाये गुण गान

श्री गोकुलचन्द्र "मधुर", हटा

अमिनंदन है विज्ञ आपका, रहे सदा सम्मान
पंडित बंशीधर जी का युग, गायेगा गुणगान ।

(१)

सचमुच मैं बुन्देलखण्ड का, गौरव मय इतिहास
सन्त, सूरमा, गुणी जनों का, हरबम रहा निवास
इसी धरा के विद्वद्भर श्रीमन व्याकरणाचार्य
जिनवाणी की सेवा करके, किये महा सत्कार्य
धन्य ग्राम सोरई जिसकी रज, सचमुच बड़ी महान
पंडित बंशीधर जी का युग गायेगा गुण गान

(२)

पुण्यवान वो पिता सिधई जी श्री मकुन्दी लाल
धन्य मात राधादेवी की गोदी हुई निहारु
जिसने ऐसे सुत को जन्मा, जीवन धन्य बनाया
जिसकी विद्वत्ता को लख कर, जन मानस मुसकाया
औन तप्य का ज्ञाता अनुपम है उद्दमट विद्वान
पंडित बंशीधर जी का युग गायेगा गुण गान

(३)

तुम समाज के गौरव, तुम हो महा धरोहर बाती
तुमने सच्चे मन से पठ ली, जैनधर्म की पाती
बेते रहें मार्ग दर्शन, पूरी करना आशायें
हैं साहित्य प्रणेता, किन्तु विधि से एहमान चुकायें
"मधुर" आपकी बनी रहे, इस भूतल पर मुस्कान
पंडित बंशीधर जी का युग गायेगा गुण गान



गुरुवर जीवें वर्ष हजार

पं० बिहारीलाल मोदो, शास्त्री, बड़ामलहरा

श्रेष्ठ सुधी आपमके ज्ञाता, अभ्यासमके उद्भट वेदान् ।
सरल स्वभावी अतिमृदुभाषी, मिलनसार अरु श्रेष्ठ पुमान् ॥
जगत हितैषी, जन-जन के प्रिय, विद्याल हृदय अरु बतुर सुजान ।
ऐसे पण्डित बंशीधर को, करता हूँ शत शत वन्दन ॥ १ ॥

खानिया तत्वचर्चा की जिसने, लिखी समीक्षा सोच विचार ।
बारीकी से किया विवेचन, शंका समाधान द्वारा विस्तार ॥
मंजन किया प्रमित भावों को, लिखकर निश्चय व्योहार ।
ऐसे पण्डित प्रवर गुह का, अभिनन्दन करता शत बार ॥ २ ॥

जोखस्वी वाणी के द्वारा, जैनधर्म का किया प्रसार ।
विद्वज्जन मे रहे अग्रणी, विद्याबोध का सीला द्वार ॥
“लाल बिहारी” करें कामना, गुरुवर जीवें वर्ष हजार ।
श्रद्धा सुमन समर्पित करता, पादपद्म मे बारम्बार ॥ ३ ॥



आपको करें समर्पित

पं० धरणेन्द्रकुमार जैन, शास्त्री, दमोह

(१)

हे ! विद्वतवर सुयश,
आपका क्या हम गायें ।
हे ! गौरव गुण खान,
आपके गुण क्या गाये ॥

(२)

काव्य, तर्क, व्याकरण,
शास्त्र के ज्ञाता नामी ।
पूजनीय वर्षी गणेश,
के पद अनुगामी ॥

(३)

छात्र और संस्थाओं के,
अति ही हित चिंतक ।
जैन जगत व विद्वानों के,
अति ही शुभ चिंतक ॥

(४)

कृपा दृष्टि पड़ गई,
जिघर कल्याण हुआ है ।
कदम जिघर पड़ गये,
उधर उत्थान हुआ है ॥

(५)

देव धर्म हित सदा,
आपने कष्ट सहे हैं ।
गांधी जी के साथ,
आप भी जेल गये हैं ॥

(६)

आज आपके अभिनंदन पर
सब हम हर्षित ।
विनय सहित कुछ सुमन,
आपको करें समर्पित ॥



जैन साहित्याराधनामें समर्पित

- श्री सुरेश जैन J. A. S., संचालक, लोक-शिक्षण, भोपाल
- श्रीमती विमला जैन, मुख्य न्यायिक बण्डाधिकारी, भोपाल

हमें यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि सकल जैन समाजने सरस्वतीके वरदपुत्र श्रद्धेय पं० बंशीधर जी व्याकरणाचार्यको अभिनन्दन-ग्रंथ भेंट करनेका निर्णय लिया है। यह अत्यन्त ही सराहनीय कार्य है।

श्रद्धेय पण्डितजी विगत साठ वर्षकी गुदीर्घ समयावधिसे अतुलनीय निष्ठा, लगन और रचिसे जैन साहित्याराधनामें समर्पित हैं। वे अभी भी जिनवाणीकी साधनामें अनवरत संलग्न हैं। यह उनकी जीवटता एवं कर्मठताका प्रतीक है। गुण्णा गुरूकी यह साधना तथा योगदान निश्चित ही स्तुत्य है। उनके द्वारा लिखित ग्रन्थ समूचे समाजकी एक अद्वितीय एवं अमूल्य धरोहर हैं।

भगवान्से प्रार्थना है कि पण्डितजी स्वस्थ और जागरूक रहकर सतत रूपसे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें।

श्रद्धा-सुमन समर्पित हैं

- पं० गुलजारीलाल जैन, शास्त्री, सागर

पूज्य काकाजीके विषयमें कुछ भी लिखना मूर्खको दीपक दिखाना होगा, क्योंकि समाजमें चाहे वह बुद्धिजीवी हो या व्यवसायी सभी केवल 'बीना वाले पं० जी' ऐसा कह देनेपर समझ ही नहीं जाता बल्कि वह भाव-विभोर हो जाता है और अगर रिश्तेदार हुआ तो गर्बका अनुभव करने लगता है।

मुझे गर्व इनसे भी अधिक है क्योंकि जिस मिट्टीमें उनका जन्म हुआ उसी मिट्टीमें मेरा जन्म हुआ है और मेरे पितामह एवं पिताजीमें वैसा ही संबन्ध रहा जैसा कि किसी कुटुम्बी या भाई-भाई में रहता है।

पूज्य काकाजीकी विशेषता है कि वे भटा-भाजी छोड़नेके उपदेशक पण्डितजी नहीं, वरन् धर्मतत्त्वके धेता और उनके उपदेशकके रूपमें हैं इसके अतिरिक्त राजनैतिक जीवन गौरवपूर्ण है।

सामाजिक जीवन आपका कुटुम्बीजनोके उठानेमें तो लगा और लग रहा है। प्रत्युत रिश्तेदारोको ऊपर उठानेका प्रयत्न किया। समाजकी कुरानियोंसे सदैव आपका सघर्ष चलता रहा व चल रहा है। जब दस्सा पूजाधिकारका प्रबल समाजमें आया तो उसका आपने पुरजोर समर्थन किया। हमें प्रसन्नता है कि समाज आपको अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने जा रही है। आपके पादकमलोंमें हमारे श्रद्धासुमन अर्पित हैं।

पण्डित परम्पराके मूर्धन्य मनीषी

- डॉ० श्रेष्ठभचन्द्र जैन फौजदार, आरा

पण्डित-परम्पराके पोषण, जिनवाणीकी सेवा तथा प्रचार-प्रसारमें पं० बंशीधर जी व्याकरणाचार्यका महनीय योगदान है। चौरामी वर्षकी अवस्था होनेपर भी आय सतत चिन्तन, मनन और लेखनमें संलग्न रहते हैं। प्राचीन पद्धतिके विद्वान् होते हुए भी पण्डितजीका चिन्तन किसी आधुनिक विचारकसे कम नहीं है। उनकी राष्ट्रीय, सामाजिक और मास्कृतिक सेवाओके उपलक्ष्यमें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करनेका निर्णय स्तुत्य है तथा पण्डितजी को यह समाज और विद्वत् समुदायके लिए विशेष गौरवकी बात है।

मान्य पण्डितजीके बोधायुष्यकी कामनाके साथ उन्हें मेरी हादिक मंगल-कामनाएं हैं।

किन्मादुर्ध्वमतः परम

● पं० दयाचन्द्र साहित्याचार्य, सागर

वाराणसीके एक संस्कृतज्ञ विद्वान्के मुखसे व्याकरणकी किल्लटनाके विषयमें हमने सुना है कि
कारक कठिन कण्ठ नहि आवे
तब समास मुगरा ले चावे ।
तद्धित बाप बाप बिल्लावे
हा हा कर कृदन्त धरवि ॥

इतना कठिन व्याकरण विषय होने पर भी श्री पं० बंशीधरजीने व्याकरणाचार्य-सागरको अपने वृद्धि-बलसे पारङ्गत किया ।

सन् १९४५ में श्री नाभिनन्दन दि० जैन विद्यालय, बीनामें प्रधानाध्यापक पदपर सरस्वती सेवाका शुभावसर प्राप्त किया । उस समय हमारे हृदयमें विचार आया कि यहाँपर एक व्याकरणाचार्य रहते है, जो वस्त्रके व्यापारी हैं । उनके सान्निध्यमें व्याकरणका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । सबसे प्रथम आपने व्याकरणका महत्त्व दर्शाते हुए हमें व्याकरणके अध्ययनमें उत्साहित किया । आपने व्याकरणका महत्त्व व्यक्त किया—

विना व्याकरणं वाणी, रमणी रमण विना ।
विवेकेन विना लक्ष्मीः, न मुक्ताय कदाचन ॥ १ ॥
व्याकरणेन पदे शुद्धिः, पदशुद्धार्थनिर्णयः ।
निर्णयात् तत्त्वतः ज्ञानं, तत्त्वज्ञानान्तरे शिवम् ॥ २ ॥

एक वैयाकरण विद्वान् पिता अपने पुत्रसे कहता है—

यद्यपि बहुनाधीष, तथापि पठ पुत्र ! व्याकरणम् ।
स्वजनं स्वजनं माभूत्, सकलं शकलं शकृत् शकृत् ॥

तात्पर्य—पिता अपने पुत्रसे कहता है, कि हे पुत्र । यदि तुम अन्य विषय नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, परन्तु व्याकरण विषय अवश्य पढ़ो, जिससे कि शब्दोंकी सिद्धि और उनके अर्थोंका स्पष्ट बोध हो सके । यदि तुम व्याकरणसे शब्दोंका स्पष्ट अर्थ नहीं जान सके तो स्वजन (अपने भाई) को स्वजन (कुत्ता), सकल (सब) को—शकल (सण्ड या टुकड़ा) और शकृत् (एक बार) को शकृत् (मलमूत्र) समझकर अर्थका अनर्थ-कर जाओगे ।

व्याकरणके इन महत्त्वपूर्ण श्लोकोंको सुनकर व्याकरणके पठन-पाठनमें हमारा उत्साह अत्यन्त वृद्धिगत हो गया । तदनन्तर हमने आपसे दैनिक-अध्ययन कर “वैयाकरण सिद्धान्त कीमती” ग्रन्थका तीन वर्षोंमें सम्पूर्ण पारायण कर लिया ।

इस महान् विद्यादानरूप उपकारके उपलक्ष्यमें हम आपके प्रति भूय भूय कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ।

‘न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ।’

स्वाहाय महाविद्यालयमें अध्ययन समाप्त करनेके उपरान्त आपने किसी शिक्षा केन्द्रमें अध्यापन नहीं किया, अपितु निमित्तकारणोंके मिलने पर विद्वद्वरने स्वतन्त्र व्यवसाय करना अपना लक्ष्य बनाया । ‘अनन्यासे विधं विद्या’ इति नीतिके अनुसार आत्मामें अधीत विद्याका विस्मरण ही जाना चाहिये था पर बाप अनुभूत विषय—न्याय, व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त और दर्शनको विस्मृत नहीं कर सके यह आश्चर्यका विषय है ।

स्तुत्य निर्णय

- सिधई जी अयप्रकाश जैन, बड़कुल, वाराणसी
- भीमती शशि जैन बड़कुल, वाराणसी

हमें अब यह ज्ञात हुआ कि समाजके वर्य्य विद्वान् सिद्धान्ताचार्य पं० बंधीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना (म० प्र०) को अखिल भारतीय स्तर पर समाज अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित कर रही है, तो हय लोगोको हार्दिक प्रसन्नता हुई ।

हमारा परिवार पण्डितजीसे पिछले ७०, ७५ वर्षसे सुपरिचित ही नहीं है, उनके आत्म-स्नेहसे ओत-प्रोत रहा है । हमारे बाबा पूज्य सिधई पन्नालालजी बड़कुल अर्द्धय पण्डितजीके ज्येष्ठ भ्राता सि० पं० हजारीलालजी कोठिया (आदरणीय दाऊ डा० पं० दरबारीलाल कोठियाके पिताजी) को अपने पुत्रों (पूज्य चाचा रूपचन्द्रजी, चाचा राजधरलालजी, चाचा डालचन्द्रजी और पिताजी श्री मीजीलालजी) को पढ़ाने हेतु नैनागिरजी (सिद्धजैन श्री रेंशिबीगिर, छतरपुर) से सन् १९१४ में लिबा लाये थे । तभीसे पण्डितजीसे हतार परिवारका निकटय है । वे अपने बड़े भाईके पास आते-जाते रहते थे । हमारे बाबा उनसे बड़ा स्नेह रखते थे । यद्यपि आज न हमारे बाबाजी हैं, न तीनों चाचा हैं और न पिताजी हैं फिर भी उनका हमसे लगाव है । सास कर दाऊ (डा० कोठिया) और पिताजी बचपनमें तथा वाराणसी-सेवाकाकाममें एक साथ बचों (लगभग तीन दशक) रहे । पिताजी काशी विश्वविद्यालयके कई कालेजोंमें प्रधान कार्याधिकारी और दाऊ इसी विश्वविद्यालयके संस्कृत कालेजमें प्रवक्ता और बादको रीडर (जैन-बीडवर्शन) रहे । आज पिताजीके न रहनेपर भी दाऊ बनारस आनेपर घर ही ठहरते हैं और वही स्नेह बना हुआ है, जो पिताजीके साथ था । आज पूरा परिवार (माताजी, चिरंजीव राजू और आयुष्मती अम्नो) बहुत खुश है कि अर्द्धय काकाजी—पं० बंधीधरजी व्याकरणाचार्य को समाज अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करके सम्मान कर रहा है ।

अर्द्धय पण्डितजीने राष्ट्र, समाज और साहित्यकी अपूर्व सेवा की है । राष्ट्रको गुलामीसे मुक्त करानेमें सन् ४२ के स्वतन्त्रता-आन्दोलनमें जेल-यातना सह्यी, दस्सापूजाधिकार आदि सामाजिक आन्दोलनोंमें समाजका मार्गदर्शन किया और आगम-पक्षको मुद्द करानेके हेतु अनेक ग्रन्थ लिखकर जिन-बाणीकी साधना की । इस प्रकार पण्डितजी समाज द्वारा सम्मान पानेके निःसन्देह योग्य हैं । उन्हें हमारे अर्द्ध-सुमन अर्पित है ।

नैतिकताकी प्रतिमूर्ति

- वैद्यराज पं० सुरेन्द्रकुमार जैन आयुर्वेदाचार्य, बीना

मेरा आदरणीय पण्डितजीके साथ चार दशकसे नुसंयोग चला आ रहा है । कमी-कमी उनसे कोई चर्चा छिड़ गयी तो घंटों वह चलती रही । भले ही चर्चा तार्किक हो या सामाजिक । वे चर्चामें इतने डूब जाते हैं कि दुकानदारीकी ओर भी उनका ध्यान नहीं जाता । उनके ज्ञानके तलको स्पर्श करना दुष्कर है । वैचारण होकर भी बड़े सूक्ष्म प्रज्ञ तार्किक एवं दार्शनिक हैं । आचार्योंकी कठिन पण्डितयोंके रहस्यको समझनेमें उन्हें देर नहीं लगती है । ऐसी असाधारण उनकी प्रज्ञा एवं विद्वत्ता है ।

पण्डितजीने कही किसी विद्यालयमें अध्यापन न कर आरम्भसे बीनामें ही वस्त्र व्यवसाय किया है । उनकी उत्प्रेक्षणीय विशेषता है कि वे एक भाव पर विक्रम करते हैं और ग्राहक विश्वासपूर्वक खरीदते हैं । उनके क्रय-विक्रयमें एक पैसेका अन्तर नहीं होगा, चाहे आठ वर्षका बच्चा ही उनकी दुकान पर पहुँचे ।

वस्त्र-व्यवसायके अलावा समस्त लोकव्यवहारोंमें भी उनकी असाधारण नैतिकता समाई हुई है ।

मैं उनके भूरि पुण्योंकी प्रशंसा करता हुआ उनके स्वास्थ्य एवं धर्तायुष्मकी शुभ कामना करता हूँ ।

पूज्य पण्डितजीसे एक वार्ता

● श्री श्यांसकुमार जैन, पत्रकार, ककरवाहा (टीकमगढ़)

आवरणीय कोटियाजीका ७६वें जन्म दिन पर १३ जून ८७ को ककरवाहा, (टीकमगढ़) में अमृत-महोत्सवका आयोजन था। उसके पश्चात् उन्हें बोना तक पहुँचानेकी विन्मोबारी मुझे सौंपी गई।

बीना पहुँचने पर मैंने पंडितजीके २४ घण्टेकी दैनिक, अनुशासित, व्यवस्थित दिनचर्या देखी, आश्चर्य हुआ। मैंने पूज्य पण्डितजीसे कहा कि मैं आपके सम्बन्धमें आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपने आजादीके समयमें संघर्ष किया है। अतः वार्ता उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी संबंधी व्यक्तिके जीवनसे प्रेरणा ले।

पहले पण्डितजी साहबने मुझे प्रेमसे बैठाया, घर-परिवार एवं अन्य घबर्षि की। तत्पश्चात् बोले—
पूछो, क्या पूछना है ?

प्रश्न—आप जैन जगत्के प्रमुख विद्वानोमें से एक हैं। ऐसे समय, जबकि हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि बननेकी आकांक्षा रखता था। संस्कृत जैसे कठिनतम विषयको पढ़नेका प्रेरणास्रोत क्या रहा ?

पं० जी—जिस समय हमने पढ़नेका विचार किया उस समय दो बातें थी, एक धार्मिक भावना और दूसरा साधनोंका अभाव।

प्रश्न—जैन दर्शनमें ही आपने आगम और अध्यात्मको छोड़कर व्याकरणको प्रमुखता क्यों दी ?

पं० जी—मेरी दृष्टि सिद्धान्त और धर्मको स्पष्ट करनेकी रही है। इतिहास, पुरातत्त्व और साहित्यिक नहीं।

प्रश्न—मानव-जीवन क्या है अर्थात् उसका रहस्य क्या है, जबकि आपने जिन्दगीके हर पहलूको नजदीकसे देखा है ?

उत्तर—मनुष्यता उसे कह सकते हैं, जिसका आधार नैतिक हो। यानि मनुष्यको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें राजनीतिक, आर्थिक, जीवन-मचालन आदि जितनी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं उन सबमें कर्तव्य भावना एवं नैतिकता रखनी चाहिए।

प्रश्न—बिद्यार्थी-जीवनको कोई अविस्मरणीय घटना है ?

पं० जी—कोई नहीं।

प्रश्न—एक ओर जैन पुराने मन्दिर और शास्त्र जीर्ण हो रहे हैं और दूसरी ओर निन नये मन्दिर बनना साहित्य सृजन किया जा रहा है। इस सम्बन्धमें आपकी क्या राय है ?

पं० जी—आज मन्दिरोंका निर्माण आवश्यक नहीं है। समाजको इधरसे ध्यान हटाकर संस्कृतिके विकास और पुराने मन्दिरोंके जीर्णोद्धार तथा शास्त्रोंकी सुरक्षाकी ओर ध्यान लगाना चाहिये।

प्रश्न—पं० जी साहब, आपने स्वतंत्रता आन्दोलनमें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रताके पूर्व एवं आजाकी राजनीतिमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं ?

पं० जी—जिस समय देशको स्वतंत्र बनाना था उस समय जो लोग आन्दोलनमें कूड़े उनकी एक ही भावना थी देशको स्वतंत्र बनाना और उन्होंने इस सम्बन्धमें जो भी कार्य किये व्यक्तिगत लाभ और हानिकी उम्मेद करके किये। जबकि आज प्रत्येक व्यक्ति चाहते राजनीतिक हो, चाहे वह गैर राजनीतिक हो सभी व्यक्तिगत लाभका आदि पोंडित हैं। इनके सामने राष्ट्रके संरक्षण, उत्थान आदिका कोई महत्त्व नहीं है।

प्रश्न—पं० जी साहब, अब एक निजी प्रश्न पर आ गया है। आपने प्रारम्भसे व्यापारिक क्षेत्रमें ही क्यों पक्षीय किया ? नौकरी या अन्य क्षेत्रको क्यों नहीं चुना ?

पं० जी—मेरी दृष्टि सविसकी ओर तो रही है, परन्तु वह आजोविकाकी दृष्टिसे नहीं रही। जैन संस्कृतिकी सेवा और उसके उत्कर्षकी भावनासे रही। मेरी भावना व्यापारिक क्षेत्रमें आनेकी मजबूरीमें हुई और मजबूरी यह थी कि मेरे मसुर साहब ऐसी कठिनाईमें नहीं डालना चाहते थे जिस कठिनाईका निराकरण करनेके लिये उन्होने मुझे अपना दामाद बनाया था।

प्रश्न—आपने अनुभव किया होगा कि आजका युवा वर्ग वीथ उद्वेलित हो जाता है। आपके विचारसे इसके क्या कारण हो सकते हैं ?

पं० जी—आज उद्वेलित तो सभी लोग हो रहे हैं और इसका कारण यह है कि उनका एक तो भोग और सग्रह अनगल हो गया। दूसरे धार्मिक शिक्षण संस्थान जिस आशासे खोले गये थे उससे निकले हुए विद्वानोंने अपना कर्तव्य निष्ठासे नहीं निभाया है। इसीलिये ये धर्मके विषयमें समाजको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा-सामाजिक बन्धन जो समाजके हितमें थे वे भी वर्तमान उच्छृंखल बातावरणसे टूट गये। फलतः जो बुराई फौली उनपर अब नियन्त्रण नहीं रहा। आजकलकी शिक्षा भी व्यक्तिको उच्छृंखल ही बना रही है।

प्रश्न—आजका ज्वलंत सामाजिक प्रश्न पंजाब समस्या है, उसपर आपकी क्या राय है ?

पं० जी—पंजाब समस्या या अन्य राष्ट्रीय समस्यायें राजनीतिक पार्टियोंकी देन हैं। व्यक्ति या जातियाँ स्वभावतः स्वार्थी हैं राष्ट्रीय भावनाका सभीमें अभाव है इसीलिये ऐसी समस्याओंका लगातार महात्मा गाँधी जैसे व्यक्तित्वको जीवनमें उतारने वाले व्यक्ति ही हल कर सकते हैं।

प्रश्न—पण्डितजी साहब, युवा-पीढीको आपका सन्देश क्या है ?

पं० जी—मैं किसीको भी संदेश देनेमें सक्षमताका अनुभव नहीं कर रहा हूँ।

पण्डितजीसे हुई इस बातसे विभिन्न पहलू उजागर होते हैं। मैं उनका अभिनन्दन करते हुये जीवेत् धारद-शतम्की कामना करता हूँ।

आगमके पक्षधर

● वैद्य पं० धर्मचन्द्र शास्त्री, इन्दौर

श्रीमान् पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीनाका नाम स्वर्णाक्षरोंमें लिखे जाने योग्य है। उन्होने आगमका पक्ष लेकर जो लेख अथवा ग्रन्थ लिखे हैं उनसे पण्डितजीकी आगम-विज्ञता एव निष्ठा समाजके सामने आयी है। उनका 'वीर वाणी'में प्रकाशित 'आगममें कर्मबन्धके कारण' लेख कर्म बन्धपर बहुत ही स्पष्ट और नया प्रकाश डालनेवाला है।

इसी प्रकार अन्य लेख भी उनकी दार्शनिक और आगमिक विद्वत्ताको प्रकट करते हैं। सोनगढ़ विचारधाराके समर्थनमें लिखी गयी "जैन तत्त्वमीमासा"में लिखी गयी आपकी "जैन तत्त्वमीमासाकी-मीमासा" आगम पक्षको स्पष्ट करती और उसका समर्थन करती है।

"खानिया (जयपुर) तत्त्वचर्चा" का पुस्तकका आपने 'खानिया तत्त्वचर्चा' और उसकी समीक्षा' शीर्षक-से लिखे ग्रन्थ द्वारा जो उत्तर दिया है वह पूर्णनया आगमाधारमें दिया गया सटीक एवं सप्रमाण उत्तर है।

इस तरह पण्डितजीकी विद्वत्ताका लाभ जैन समाजको जो मिला है वह स्तुत्य है। उन्हें हम अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करके अपने कर्तव्यका निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें हमारे शत-शत नमन हैं।

बहु आयामी व्यक्तिस्व

● डॉ० मोतीलाल जैन, सुरई

सम्माननीय पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका व्यक्तिस्व बहु आयामी है। स्वतन्त्र वस्त्र-व्यवसायसे लेकर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन तकमें उन्होंने असाधारण योगदान किया है। उनका वस्त्र-व्यवसाय इतना नैतिक है कि वे आज पूरे प्रदेशमें बड़े आदर और श्रद्धाके साथ देखे जाते हैं। एक तो उनका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं है और कोई हो भी तो उसके भी हृदयमें उनकी नैतिकताकी धाक सुस्थिर है। उनके ग्राहक बड़ी संख्यामें हैं और वह निरन्तर बढ़ रही है। उनका विश्वास भी इतना है कि किसान वस-वस, बीस-बीस हजार रुपया बैंकमें न रखकर उनके पाम रख जाते हैं और पण्डितजी उन रुपयोंको एक-एक लिकाफेमें उनके नामसे अलग रखते हैं। किसान जब भी समय-बेमस्य आता है वे रुपये उसे बर्षा दिये जाते हैं। पण्डितजीकी इस नीतिको उनके सुपुत्रोंने भी अपना रखा है। 'गक भाव' की दुकान चलाना और किसानों तथा ग्राहकोंका ऐसा विश्वास अर्जित करना आजके समयमें कम है।

पण्डितजीकी निस्मृता इतनी है कि स्वतन्त्रता सेनानियोंको शासनने कई सुविधाओंके साथ जमीनें भी दी थी। पर पण्डितजीने उनकी चाह न करके उपेक्षा कर दी। जब उन्हें समझाया गया कि 'अन्य हजारों स्वतन्त्रता-सेनानियोंकी भी ये सुविधाएँ दी गयी हैं, आप भी स्वीकार करें।' तब पण्डितजीने उन्हें स्वीकार किया।

समाज और उसकी संस्थाओंको मन्त्री, अध्यक्ष आदि पदोंसे जो मार्ग-दर्शन दिया है वह उल्लेखनीय है। चाहे विद्वत्परिषद्, वर्णी ग्रन्थमाला जैसी सार्वजनिक संस्थाएँ हो और चाहे स्थानीय नाभिनन्दन विगम्बर जैन हितोपदेशनी संस्था हो, मन्त्रीका पण्डितजीने निष्ठाके साथ संचालन किया है।

साहित्य-माधना तो उनके जीवन व्यापी है और आज भी ८५ वर्षकी अवस्थामें उसमें तन्मयताके साथ लगे हुए हैं। वस्तुतः वे असाधारण प्रतिभा और बहु आयामी व्यक्तिस्वके धनी हैं।

उन्हें अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पणके अवसरपर हमारे बहुधा नमन है। वे स्वस्थ मेधा, स्वस्थ वाणी और स्वस्थ शरीरसे युक्त शत वर्ष जोबी हो।

अभिनन्दनीयका अभिनन्दन

● पं० रवीन्द्रकुमार जैन, विशारद, दमोह

हमने श्रद्धेय व्याकरणाचार्यजीको बहुत देरमें पहचाना। उनका अभिनन्दन हमसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किन्तु 'जब जागे तभी सबैदा' की उचिन्तके अनुसार उनका अब अभिनन्दन हो रहा है, यह सुधीकी बात है।

पण्डितजीसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा, जिसमें उन्होंने अधिकारपूर्वक कार्य न किया हो। राष्ट्रीय क्षेत्रमें की गयी उनकी सेवा और त्यागको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वे 'स्वतन्त्रता-सेनानी'के रूपमें प्रदेशमें तथा देशमें हमेशा याद किये जायेंगे।

समाजके क्षेत्रमें उन्होंने वस्त्रापूर्जाधिकारके आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया और वह अधिकार उन्हें विलाया। वे आज हमारे साथ बराबरीमें हैं।

साहित्य-साधना तो उनकी अनूठी है। वे आज भी आगमके पक्षधर हैं और आगमानुसार अनेक विषयोंका स्पष्टीकरण करनेमें संलग्न हैं।

हम उन्हें श्रद्धाके साथ नमन करते और उनके स्वस्थ एवं सतायुष्क जीवनकी कामना करते हैं।

विशिष्ट प्रतिभाके धनी

● डॉ० वीतलचन्द्र जैन, प्राचार्य, श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर

व्याकरणाचार्यजीके नामसे प्रसिद्ध पं० बंशीधरजीको भारतके जैन विद्वानोंमें उनकी स्वयंकी विशिष्ट विचार शैलीके कारण एक पृथक् भूषण्य मनीषी विद्वान्की कोटिमें गिना जाता है ।

आप मात्र चारों अनुयोगिकि ही ज्ञाता नहीं है, अपितु आप स्वतन्त्र विचारक, समाज सुधारक, स्वतन्त्रता-सेनानी और निर्भीक वक्ताके रूपमें भी जाने जाते हैं ।

सौभाग्यसे सरस्वतीके साथक-आराधक मनीषी पूज्य पण्डितजीके अभिनन्दन-ग्रन्थके सम्पादक मण्डलमें मुझे भी स्थान मिला हुआ है । अतः पण्डितजीके प्रायः सभी विचारोंसे सम्बन्धित लेख पढ़नेको मिले । उन लेखोंके पढ़नेसे मुझे कभी ऐसा आभास होने लगता था कि ऐसी विचारधारा जैन शास्त्रोंमें तो नहीं मिलती । परन्तु जब लेखको पूर्ण पढ़ करके पूज्य गुरुवर्य पं० डॉ० हरबारीलालजी कोठियासे एवं स्वयं व्याकरणाचार्य-जीसे विचार-विमर्श होनेपर पूरा सिद्धान्त गले उतरनेमें देरी नहीं लगती थी । मेरी स्वयंकी मान्यता है कि व्याकरणाचार्यजीकी चाहे सानिया तत्त्वचर्चा हो या कार्यकरणभाव और कारकव्यवस्था आदि ग्रन्थ, सभी उनकी स्वयंकी विशिष्ट विचार-शैलीसे युक्त है । जैसे कि पण्डित "जैन दर्शनमें कार्यकारण भाव और कारक-व्यवस्था" नामक ग्रन्थमें व्यवहारनयकी चर्चामें उन्होंने कहा है कि आगममें व्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है परन्तु अभूतार्थका अर्थ असत्य ग्रहण करना नहीं है अपितु अभूतार्थका अर्थ है कि वह (व्यवहार) वस्तुके स्थायित्व और अभेदात्मक स्वरूपको ग्रहण नहीं करके पराश्रित व भेदात्मक स्वरूपको ग्रहण करता है । इसलिये व्यवहारनय अभूतार्थ कहा है । इसी प्रकार पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, वाराणसी द्वारा 'सन्मति-सन्देश', वर्ष १६, अंक २ में प्रकाशित "उपादानकारण ही कार्यका नियामक होता है" इस लेखके उत्तरमें इसी पुस्तकके परिशिष्टमें जो उत्तर दिया है वह उत्तर इतना साधार एवं युक्ति-युक्त है कि उपादान और निमित्त दोनोंकी नियामकताको सिद्ध करता है ।

वस्तुतः पण्डितजीके सभी ग्रन्थ एवं लेख आगम एवं न्यायके विशिष्ट ग्रन्थोंके समझनेके लिये मार्ग-दर्शकका कार्य करते हैं । जैनदर्शनमें कार्यकारण और कारक व्यवस्था जैसी पुस्तक विश्वविद्यालयमें दर्शन-शास्त्रके छात्रोंके पाठ्यक्रममें निर्धारित करने योग्य है ।

ऐसे विशिष्ट विचार शैलीके धनी मनीषी विद्वान् व्याकरणाचार्य हम सभी नवीन शैलीके विद्वानोंके लिये दीर्घकाल तक मार्गदर्शक बने रहें इस भावनाके साथ मैं उनके दीर्घ जीवनकी कामना करता हूँ ।

मंगल कामना

● साहू कुबचन्द्र जैन, बीना

मुझे इस बातसे अत्यन्त प्रसन्नता है कि पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका अभिनन्दन होने जा रहा है । आठ वर्षकी छोटी आयुमें न उनके ऊपर माँका साथ था और न ही पिताका । तभीसे उनके जीवनमें संघर्षोंकी शुरुआत हुई और आज तक संघर्ष किये जा रहे हैं । आठवाँकी बात यह है कि उनका संघर्ष स्वयं केन्द्रित कभी नहीं रहा । सन् १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलनमें, दस्ता प्रजाधिकारके मामलेमें, गजरथ विरोधी आन्दोलनमें तथा कई राष्ट्रीय तथा सामाजिक संस्थाओंमें आपने सक्रिय भूमिका निभाई । आज भी वे अपनी लेखनीसे आममानुसूल जिनवाणीकी महहराई नापनेका प्रयास किये जा रहे हैं । वे हमारे बहनोई होनेके कारण वैसे भी अभिनन्दनीय हैं । समस्त समाजके द्वारा अभिनन्दन किया जाना उनके द्वारा अबतक किये गये संघर्षों एवं जिनवाणीकी सेवाका परिणाम है । वे क्षतायु हों तथा अपने लक्ष्यको प्राप्त करें यही मंगल कामना है ।

एक निस्पृही साधु-सम वास्तविक गृहस्थ

● श्री मल्लान सिंह जैन, एल० एल० बी०, मुल्दशहर

आपकी शिक्षा ऐसे गुल्के आश्रममे हुई कि आप उनके ही समान निर्भीक जैनदर्शनके माने हुए विद्वान् बन गये। पं० बंशीधरजी, व्याकरणाचार्यने पू० शुक्लक गणेशप्रसादजी वर्णकी छत्रछात्रागमे स्याद्वाद महा-विद्यालय, वाराणसीसे व्याकरणाचार्य, माहिल्यग्राम्नी आदि उपाधियाँ प्राप्त कर अपना जीवन प्रारम्भ किया।

आपकी जीवन-यात्राको हम तीन भागोंमे बाँट सकते हैं। (१) स्वतन्त्रता-सेनानीके रूपमें (२) सामाजिक-सुधारकके रूपमें और (३) तत्त्व-निर्णायकके रूपमें।

१ स्वतन्त्रता सेनानी—१९३० मे महात्मा गाँधीने पूर्ण स्वतन्त्रताका नारा लगाया। १९३१ में नमक कानून तोड़नेका आवाहन किया, आप तभीमे इस मंत्राममें कूद पड़े। १९४२ के देशव्यापी भारत छोड़ो आन्दोलनमें आप ९-१० माह तक मांगर व नागपुरकी जेलोंमें भी रहे। आप प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य रहे और वर्षों नगर कांग्रेस कमेटीके अध्यक्ष रहे।

२. समाज-सुधारक—जहाँ देशमे स्वतन्त्रताकी लहर दौड़ रही थी, वही समाजमें सुधारोंकी बाढ़-नी आ रही थी। आपने दस्ता प्रजाधिकारका पूर्ण समर्पण किया। जो लोग वर्षसे घर्मकी अमिलापासे तड़प रहे थे, उन्हें उनका अधिकार दिलानेमे पूर्ण सहयोग दिया।

आप वर्षों मनानत जैन पत्रके सम्पादक रहे। पत्रका सम्पादन बड़ी तत्परता, निर्भीकता और लगनसे किया। मेरा परोक्ष परिचय तभीसे आपसे है क्योंकि मेरे पिता श्री मगतराय जैन, साधु भी सनातन जैन समाजके एक अंग थे। प्रत्यक्ष दर्शन आपके शास्त्रीय परिषद्के ललितपुर अधिवेशनमे हुए।

आपका व्यक्तित्व बड़ा सरल है, आपने अपनी विद्याकी जीवन-पापनका साधन नहीं बनाया, वरन् अपने स्वतन्त्र व्यापारमे मंगलन रहे हैं।

३. तत्त्व-निर्णायक—सोनगढसे निश्चय-एकान्त-मिथ्यात्वकी बाँग आ० कुन्दकुन्दके समयसारके नामपर लगी। स्वभावतया विद्वानोका उधर ध्यान आकर्षित हुआ। लगभग सभी विद्वानोंने उसका विरोध किया। समाजका दुर्भाग्य रहा कि स्वर्णकी चमकमे एक-आध विद्वान् सोनगढके हाथ बिक गया।

यही नहीं, कुछ श्रेष्ठी वर्ग भी ऐसे ही मोहमे और आत्माकी बातके लोभमे आ गये, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि आल्हा-ऊदल मुनकर आदमी वीर रसमें बह जाता है। खानिष्ठा तत्त्वचर्चामें व्याकरणाचार्यजीका प्रमुख हाथ रहा है। जयपुरखानिया तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षाका पहला भाग ४ प्रश्नोका प्रकाशित हो चुका है। दो भाग और होने हैं, जो प्राय तैयार हैं, जिनका प्रकाशन समाजका सहयोग चाहता है। इस पुरतककी एक प्रति अवश्य होगी चाहिये और पहली तीन पुस्तकोकी कम-से-कम तीन-तीन प्रतियोंका होना आवश्यक है। एक मन्दिरपर इस हिसाबसे १००) का खर्चा आता है जो कुछ भी नहीं है। इन पुस्तकोके निकलनेपर अगले भागोका प्रकाशन सुगम हो जायेगा और समाजको सावधान करता रहेगा।

इतना वेशभक्त और जिनवाणी भक्त होते हुए भी न तो देशवासियोंने इन निस्पृही व्यक्तिको ऊँचा उठाया, न दि० जैन समाज उसको याद कर सका। अब उनकी आँखें खुली हैं और उनको कुछ लताड़ा है, साथ ही अब भी थपकी दे रहे हैं जिसका फलन्त उदाहरण २०-७-८९ का जैन सन्देशका सम्पादकीय है।

अन्तमे मान्य गुल्देवकी दीर्घायुकी मंगल-कामना करते हुए, उनके चरणोंमें नत-भस्तक होकर नमस्कार करता हूँ।

अद्वैत पण्डितजीका स्तुत्य अभिनन्दन

● पं० कमलकुमार शास्त्री, 'कुमुद', लुरई

अद्वैत पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यका सदा स्मरण किया जावेगा। उन्होंने आगमकी रसा की है और उसे विकृत होनेसे बचाया है। निरुचयएकांतका जो धुजाधार प्रचार किया गया उसमें सामान्यजनोंकी बात ही क्या, अच्छे-अच्छे सिद्धान्ताचार्य विद्वान् भी उसमें बह गये।

व्याकरणाचार्यजीने निमित्तको अकिंचित्कर बतानेवालोंका डटकर मुकाबला किया और उसके लिए 'जैन दर्शनमे कार्य कारणभाव और कारक व्यवस्था' ग्रन्थमें सिद्ध किया कि कार्योत्पत्तिमें निमित्त उतना ही भागीदार है जितना उपादान। उपादानको निमित्त न मिले तो वह अनन्तकाल तक उपादान ही बना रहेगा, उपादेय नहीं बन पायेगा। रोटीके बननेमें आटा उपादान है पर उसमे पानी, रोटी बनाने वाला, उरसा, बेलन, आग, लकड़ी आदि सहकारी कारण न मिलें तो आटा त्रिकालमें रोटी नहीं बन सकेगा। भव्य जीवको देव-शास्त्र-गुरुका सान्निध्य न मिले और अन्तरंगमें दर्शनमोहनीयका उपशम-क्षय-अयोपशमका निमित्त न मिले तो उसे सम्यग्दर्शन अनन्तकालमें भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार व्याकरणाचार्यजीने निमित्तोको कार्यकारी सिद्ध करके उपादानोपादेय भावकी तरह निमित्त-नैमित्तिक कार्यकारणभावको भी आवश्यक एवं अनिवार्य सिद्ध किया है। यही आगमकी प्ररूपणा है।

व्याकरणाचार्यजीने अपनी कृतियों द्वारा स्तुत्य प्रयास करके आगमको विकृत होनेसे बचाया है। वे समाज द्वारा अवश्य अभिनन्दनीय है। हम उनके स्वास्थ्य एवं शतायुष्यकी हार्दिक कामना करते हैं।

वैश, समाज एवं राष्ट्रकी अनुपम विभूति

● श्री बाबूलाल जैन फामुल्ल, वाराणसी ● श्रीमती पुष्पादेवी जैन, वाराणसी

अद्वैत पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके अगाध ज्ञानकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। वे आगम ग्रंथके महाज्ञाना और पारखी है। उनकी लेखनीमें बल है कि किसी भी प्रकारकी गुल्फीको इतनी सरलतासे आगम प्रमाणोंके आधार पर अकाठ्य बना देते हैं और विषयका प्रतिपादन ऐसी सूक्ष्म रीतिसे करते हैं कि सामान्य पाठक भी सहजतासे हृदयंगम कर लेता है।

जयपुर खानिया तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा, जैनशासनमें निरुचय और व्यवहार, जैन तत्त्वमीमांसाकी मीमांसा जैसी महान् कृतियाँ है जिनका सभी क्षेत्रोंमें समावर हुआ है और उन्हें यश भी मिला है। और उनकी ज्ञानाराधनाकी साधना सफल हुई है। यही नहीं, वैश और राष्ट्रकी सेवामें भी वे अग्रणी रहे हैं यही कारण है कि वे धुनके पक्के, चिन्तनशील एवं विचारक हैं साथ ही सहृदय भी। सबको अपना बना लेनेकी उनकी कला भी अनूठी है। हम लोगों के प्रति उनका सहज स्नेह है।

ऐसे प्रतिभाशाली समाजसेवी, राष्ट्रभक्त चिन्तक मनीषीका इस अभिनन्दन ग्रंथ समर्पणकी बेलामें हृदयसे मंगलकामना है कि वे स्वस्थ तथा दीर्घायुष्य प्राप्त कर हम सबको मार्गदर्शन देते रहें ताकि धर्म, समाज, राष्ट्रकी सेवा होती रहे। इसी भावनाके साथ मैं अपने अद्धा-सुमन, विनयाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

बे अहितोद्योग व्यक्तित्व हैं

• श्री देवेन्द्र कुमार जैन, भीतरवाले, साबर

पूज्य पंडितजीकी दिनचर्या विचित्र है। उनका वस्त्र-व्यवसाय व्याप्ययुक्त और प्रत्येकके लिए विद्वान्-स्रोत्याचक है। उदारता और वास्तव्य ही उनमें ऐसे हैं कि वे कभी उनके करने में चूकते नहीं हैं। विद्वानों के प्रति उनका अनन्य स्नेह रहता है। अपने सिद्धान्त के वे पक्के हैं। जब मेरी बच्ची आयुष्मती दिल्लीका विवाह उनके भ्रात्रे पुत्र बि० विवेक कुमारके साथ हुआ तो उन्होंने मंटेमें एक रुपया और एक नारियल स्वयं दिया तथा अन्य सभी बरातीयोंको भी एक रुपया और एक नारियल मात्र दिलाया। क्या गृह, क्या दुकान, क्या जीवन-व्यवहार और क्या धार्मिक जीवन सबमें एकरूपता है। मैं उन्हें एक आदर्श पुरुष मानता हूँ। उनके अभिमानचक्रके अवसरपर उन्हें थड़ा-मुमन सजाया जाता करता हुआ उनके शतायुः होने की शुभ-कामना करता हूँ।

सहजता एवं धीरजकी जूति

• श्री लक्ष्मीचंद सिंघई, एम. काम, एल. एल. बी. एडवोकेट, सुरई

पंडितजी स्वतन्त्र चिन्तक और गम्भीर विचारक हैं। "सुखी जीवनके लिये स्वतंत्र विचार होना चाहिये।" (दार्शनिक मते)। स्वतंत्र विचार हेतु निष्कर्मण्यताका त्याग होना आवश्यक है, जिसे पंडितजीने अपने जीवनमें कभी नहीं आने दिया। जीवनमें अपनी जगह न दूँड़ पानेवाले आश्रमियोंकी प्रवृत्तिके पंडितजी ने कभी फटकने नहीं दिया। पंडितजी गुस्से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे सजीव जुड़े रहे। स्वतंत्रता-संघातके सैनिक रहे।

मैंने बहुत पाससे पंडितजीके जीवन व नियतको देखा और पढ़ाया है, सिद्धान्तोंसे समझीता पंडितजीने सीखा ही नहीं। बीना-इटावाका पोस्ट-ऑफिस पंडितजीके निवासके पास रहा आया। पंडितजीका खाता उसमें था। कातेमेंसे बालसाजीसे कुछ रुपया पोस्ट-ऑफिस कर्मचारियोंके हेरा-केरी कर दिया। लम्बे समयके बाद पंडितजीको पता चला। मुझे बकलत हुए क्रोध करीब ३ वर्ष हुए थे, पंडितजीने मुझे कार्यवाही किशंगत तौरसे करने हेतु कहा। मैंने उन्हें आग्रह किया कि मात्र कुछ ही रुपयोंका गड़बड़ हुआ है, न्यायालयमें समय व पैसा दोनों का भारी खर्च होता है। आपको इतना खर्च कहाँ है। पंडितजीने एक ही उत्तर दिया कि यदि हम कार्यवाही नहीं करेंगे तो यह गलत आदत न जाने कितने लोगोंको क्षति पहुँचावेगी। इसलिये मात्र छोटी रकम न देखकर प्रजातान्त्रिक प्रणालीके स्वतंत्र भारतमें न्याय व कानूनका डर बना रहे, अपनेको कार्यवाही करना है। न्यायाधीश महोदय श्री ए० के० अवस्थी थे, जिनके न्यायालयमें प्रकरण चला। सालमें पोस्ट-ऑफिसके अधीक्षकको खर्चा भरना पड़ा। वह खर्चा हेरा-केरी की गई राशिसे दोगुनेसे ज्यादा होता था, न्यायाधीश महोदयने भी पंडितजीसे प्रकरण समाप्त करने हेतु सुझाव दिया, क्योंकि प्रकरणकी विषय-वस्तु मात्र छोटी-सी राशि थी, किन्तु पंडितजीने इंकार कर दिया। केवल इसलिये कि ऐसा करने वालोंको भविष्यमें ऐसा न हो, इसके लिये ही मात्र उन्होंने कानूनी कार्यवाही चाही है। आगे चलकर जब पोस्ट-ऑफिसके संबंधित कर्मचारियोंको प्रकरणमें फसते व नीकरीसे निकाले जानेकी स्थिति देखी तो पंडितजीने क्षमा कर दिया और सारा खर्चा व राशि छोड़ दी। करीब २ वर्षक पेशियोंमें आनेकी चिन्ता नहीं की और प्रकरण वापिस ले लिया, यह विचित्रता एवं अमानक गण पंडितजीमें देखा। यह घटना करीब सन् १९७२ की है।

इसी प्रकारके और भी कई प्रसंग मैंने पंडितजीमें देखे । दूसरी घटना यूँ ही कि इटावा (बीना) जैन मंदिरका पंजीकृत न्यास है । पंडितजीके साथमें इटावाके निष्ठावान समाजसेवी सिधई आनन्दकुमारजी भी रहे आये हैं जो निरबिरोध नगरपालिकाके निर्वाचित अध्यक्ष एवं कृषि उाज मंडीके अध्यक्ष रहे । दोनों ग्गानुभावोंने मुझे संपर्क किया । मंदिर की ६० एकड़ भूमिपर कच्चा वा नामदर्ज नहीं हो पा रहा था । राजस्व विभागमें कानून कम द्रव्य अधिक महत्त्वपूर्ण रहता है । पण्डितजीको मैंने स्पष्ट कहा कि कानूनी स्थिति तो मंदिरके पक्षमें पूरी है किन्तु झप्टाचारके आगे सिष्टाचार कमजोर पड़ रहा है । पंडितजी एवं सिधईजीने कहा कि जो पैसा खर्च हो जहाँ तक भी लड़ना पड़े कानूनसे चलेगे, हम लोग निजो खर्च करेंगे, किन्तु झप्टा आचरण नहीं करेंगे और न ही श्री जैन मंदिरका एक पैसा गलत उपयोग होने देंगे, न ही क्षति होने देंगे, कार्यवाही करो । मैंने उनके दृढ़ विववासपर कार्यवाही की । कुछ परेशानियाँ आईं । किन्तु बिना गलत रास्ता अपनाये विजयश्री प्राप्त हुई । पंडितजीको कभी-कभी न्यायालयमें अपने निजी कार्यसे भी आना हुआ दिन भर बैठनेके बाद शामकी पेशी बढा दी जाती कोई कार्यवाही आगे प्रकरणमें नही होती किन्तु पंडितजीने ऐसा कोई आभास अपने आचरणसे नहीं होने दिया, जिससे न्यायालयको यह भास हां सके कि कोई विशिष्ट प्रकारका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पंडितजी है । एक बार जब ज्यादाती मेरे मनको छू गई तो मैंने न्यायालयको बताया, जिसपरसे श्रीमान् एन० एच० खान सिविल जज महोदयने क्षीभ प्रकट किया और पंडितजीसे आग्रह किया कि आपको बताना चाहिये या तो पंडितजीने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए नम्र व शिष्ट भावसे निवेदन कर कहा कि न्यायालयमें सभी बराबर है । आवेश व कार्यवाहीमें समय लगता है, छोटे-बड़ेका भेद नहीं होता, उसे मानना हमारा कर्तव्य है । साहस पूर्वक धीरज भी रखना चाहिये, इस प्रकारकी सहजता, धीरजकी मूर्ति इटावा-बीना सहस्रील खुरई और बुदेलखण्डकी मिट्टीमें जन्मे जैन-दण्डनके मूर्धन्य विद्वान्, समाजमान्य श्री पंडित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यमें हैं जिनके दीर्घ जीवन एवं स्वस्थ रहने हेतु भगल-कामना में, मेरे परिवारजन, मित्रगण करते हैं ।

“जैनं जयतु शासनम्”

बात्सल्य की विलक्षण प्रतिमूर्ति

● श्री सुमतिप्रकाश जैन, सहायक प्रध्यापक शास० महाविद्यालय, बीना

जीवन है उनका सरल-सरल

इतना मधुमय, निदग्धल अद्भुत,

कि प्रकृति स्वयं कहती घुमे

वह है केवल एक पुरुष,

जुँकि मेरे पिताश्री (डॉ० नरेश विद्यार्थी) एवं मातृश्री (डॉ० श्रीमती रमा जैन) के प्रति पण्डितजीका अनन्य आशीष और शिष्यत्वभाव शुद्धसे हो रहा है । अतः मुझे भी बीनामें पण्डितजी और उनके परिजनोसे अपनत्व, स्नेह और आशीष मिला ।

आज पण्डितजी जैसा आतिथ्य और विद्वत् प्रेमी मिलना बड़े दुर्लभ सौभाग्यकी बात है । जहाँ वे एक विशुद्ध पण्डित तथा विद्वान्के रूपमें जाने जाते हैं वहीं वे एक शुद्ध शालीन और सत्यनिष्ठ व्यवसायोके रूपमें प्रसिद्ध हैं । बीना तो क्या, आस-पासके इलाकोमें उन जैसा 'एकदाम' एवं सारी व्यावसायिक व सरकारी औपचारिकताओं-देयताओंका पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारीसे समयपर नियमानुसार पालन करनेवाला व्यवसायी नहीं मिलेगा । उनका पारिवारिक एवं व्यावसायिक आचरण उच्चस्तरीय शुद्धता व शिष्यवासका प्रतीक माना जाता है ।

मेरा बीना-प्रवास सुखद और भाग्यशाली इसीलिए है कि मुझे एक-साथ दो महापण्डितों पूज्य पण्डित बंशीधरजी व पूज्य डॉ० दरबारी लालजी कोटियाका स्नेहाशीघ्र घर बंटे ही मिल रहा है। इसे मैं अपना सीमाग्य मानता हूँ।

मैं पूज्य पण्डितजीके सुदीर्घ स्वास्थ्यकी कामना करता हूँ।

मेरा उन्हें शत्-शत् अभिबन्धन

● श्री विमल कुमार जैन, गोरखपुर

सिद्धान्ताचार्य पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, शास्त्री, न्यायतीर्थकी लेखनी युवाकालसे ही मानव-कल्याण हेतु, सतन् ज्ञान-वर्द्धन करती चली आ रही है। आप जैन दर्शनके प्रख्यात विद्वान् हैं। आज ८५ वर्षकी आयुमें भी आपकी लेखनी अबिरल गतिसे चल रही है।

आपकी “जैन-शासनमें निश्चय और व्यवहार”, जैन दर्शनमें कार्यकारणभाव और कारक व्यवस्था”, “पर्याय क्रमबद्ध भी होती है और अक्रमबद्ध भी”, “भाग्य और पुरुषार्थ”, आदि अनेक मौलिक कृतियाँ जैन सिद्धान्तकी प्रदर्शिका हैं।

हम परम प्रतिभावान् पण्डितजीके दीर्घायुकी कामना करते हुए उनके चरणोंमें सादर-वन्दन करते हैं।

श्रेष्ठेय सरस्वतीपुत्रको शत्-शत् प्रणाम

● शोमती पुष्पा शाह, बीना

आदरणीय पण्डितजी हमारे ननदेऊ साहब हैं। हमारे परिवारके शिरोधार्य हैं। हमारे परिवारके साथ उनका सदैव स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा है। उन्हें निष्ठावान् एवं प्रतिष्ठावान् कहनेमें हमें गौरवका अनुभव होता है।

शोकप्रस्त होनेपर जब मैं रूभी उनके पास जाती हूँ, तब वह काफी समवेदना प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकारका वैमनस्य पैदा होनेवाला प्रसंग नहीं आता तथा सदैव अपने आपमें तटस्थ रहते हैं।

वास्तवमें वे वैभवशील, विवेकशील एवं विनीत ब्यक्तित्वके धनी हैं, इसी कारण उनके परिवारमें सुखद सुगन्ध फैल रही है। हमारी ननद लक्ष्मीबाई वास्तवमें नामके ही अनुरूप थीं। वह पण्डितजीके प्रति बड़ी ही कर्तव्यपरायणा रही।

आदरणीय भौवाजीके सम्बन्धमें क्या लिखूँ, हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। हम तो यही शुभ-कामना कर रहे हैं कि वे स्वस्थ एवं दीर्घायु हों।


मेरी हृदयाञ्जलि

● डा० कपूरचन्द जैन, खतौली

“कोऊ पंडित भये है जैन साहित्य के प्रगटावने खो
और भारी भये है वश पंडिताईं दिखावने खो।
पर सूखी विद्या जा व्याकरण खो, कोऊ पढ़त नईयाँ
वश बंशीधर ही भये है ‘जैन व्याकरण’ के तारणे खों।।”

पूज्य पण्डितजीके दीर्घायु जीवनकी कीटिका: शुभकामनाएँ।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में विशिष्ट आर्थिक सहयोग देनेवाले महानुभाव



दाह स्वचन्द्र जैन, बीना



मेठ मोहनलाल बरायटावाले
मागर



मेठ दरबारीलाल, D C M. वाले
मागर



श्री कोमलचन्द्र जैन, मागर



श्री मन्तोपकृमार जैन. मागर



मेठ कोमलचन्द्र गिदवाहा वाले
मागर



श्रीमती शालिदेवी जैन, लखनऊ.
(धर्मपत्नी श्री सोमाशयमल जैन)



श्रीमती कस्तूरीबाई बडकुल
(माने० जयप्रकाश, वाराणसी)



श्रीमती पुष्पादेवी जैन, वाराणसी
(धर्मपत्नी बाबुलाल जैन फामुल्ल)

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में विशिष्ट आर्थिक सहयोग देनेवाले महानुभाव



मठ हूकमचन्द्र ब्रह्मोरीवाल, मागर



श्रीमती सुधागानी जैन, मागर
(धर्मपत्नी सठ डालचन्द्र जैन)



श्री सौभाग्यमल जैन, लखनऊ



श्री नरेंद्रकुमार जैन, हदराबाद



श्रीमती सकुन्तला, मागर
(धर्मपत्नी श्री इन्द्रचन्द्र जैन)



श्री अमृतलाल जैन, बीना



श्री जयकुमार इटोरिया, दमोह



श्रीमती वृजमनी देवी, गोरखपुर
(धर्मपत्नी गय देवेन्द्रप्रसाद)



श्री० शाह निर्मलकृमार, बीना

अभिनन्दन-ग्रन्थ के प्रकाशन में जांचिक सहयोगियों की नामावली

- ५००१) सेठ मोहनलाल बाबूलालजी धारीनी वाले, सागर
 ५००१) डॉ० दरबारीलालजी कोठिया, बीना
 ३००१) सेठ देवेन्द्र कुमारजी, मोटरवाले, सागर
 ३००१) सेठ हुकमचन्दजी डॉ० महेन्द्र कुमार जैन, सागर
 ३००१) श्री नरेन्द्र कुमार जैन, हीवराबाद
 २१००) अखिल भारतवर्षीय वि० जैन विद्वत्परिषद्
 २१००) श्रीमती सुधारानी जैन, सागर (धर्मपत्नी सेठ डालचन्द जैन)
 २०००) डॉ० मोतीलालजी जैन, खुरई
 २१००) श्री दिगम्बर जैन समाज, स्टेशन मण्डी, गंजबासीवा
 ११०१) श्रीमती सुगन्धी जैन, बीना
 ११०१) श्रीमती नलिनी जैन, बीना
 ११०१) श्रीमती किरण जैन, बीना
 १०००) अरिहन्त एण्ड एलायन लिमिटेड, मूजफ्फरनगर
 ११०१) श्रीमती शकुन्तला जैन, सागर (धर्मपत्नी श्री इन्द्रचन्द जैन)
 १००१) श्रीमती नारारानी खुरई (धर्मपत्नी सुदेशचन्द जैन)
 १००१) श्री सुदेश कुमार जैन, गुरुकुल, खुरई (म० प्र०)
 ७०१) श्री जयकुमार इटोरया, दमोह, (सार्वजनिक न्याय)
 ५५१) श्री सोभाग्यमल जैन, लखनऊ
 ५५०) श्रीमती शान्तिदेवी जैन, लखनऊ
 ५०१) श्री शीलचन्द जी पटोरिया, इन्दीर
 ५०१) श्री कोमलचन्द जशोक कुमार जैन, पिडरुवा वाले, सागर
 ५०१) सेठ मोहनलाल लखमीचन्दजी जैन, सागर
 ५०१) श्री कोमलचन्द सुबोध कुमार, सागर
 ५०१) डॉ०, पं० माणिकचन्दजी चवरे, अधिष्ठाता म० ब० कारंजा (महाराष्ट्र)
 ५०१) सेठ दरबारीलाल, बिजयकुमार जैन, सागर
 ५०१) श्री सन्तोष कुमार जैन, सागर
 ५००) श्री नीरज जैन, सतना
 ५०१) पण्डित बालचन्दजी जैन, नवापाराजम
 ५०१) शाह अमृतलालजी, बीना
 ५०१) श्रीमती पुष्पा शाह, बीना (मातुजी दिल्लीय, प्रबोध, वीकेच, राजा शाह,
 ५००) श्रीमती बुजमनी देवी गोरक्षपुर (धर्मपत्नी राम देवेन्द्र प्रसाद)
 ५०१) श्रीमती कस्तूरीबाई बड़कुल, वाराणसी (मत्तोषवरो जयप्रकाश जैन)
 ५०१) श्रीमती पुष्पादेवी जैन, वाराणसी (धर्मपत्नी बाबूलाल जैन फागुल)
 ५०१) सिंघई जीवनकुमार अरणकुमार जैन, सागर
 ५०१) श्रीमती श्रीदेवी (धर्मपत्नी सि० नेमिचन्दजी जैन, पधरिया)
 ५०१) श्रीमती भीना जैन, वाराणसी (धर्मपत्नी नरेन्द्र कुमारजी)

- ५०१) सि० देवकुमार राधेलीय, कटनी
 ५०१) श्री विजयकुमारजी मल्लया, दमोह
 २५१) पण्डित रविचन्द्रजी जैन, दमोह
 ३०१) श्री दुल्लीचन्द्रजी नाहर, सागर
 २०१) श्री कौमलचन्द्रजी, दमोह
 २००) श्री महावीर प्रसाद नूपत्या, जयपुर
 २००) पण्डित राजकुमारजी शास्त्री, निबाई
 १५०) श्री धान्ति प्रसादजी जैन, टिकैतनगर
 १५१) श्री सुरेश चन्द्रजी जैन, अम्बिकापुर
 १५१) श्री पन्नालालजी जैन, इलाहाबाद
 २५१) श्री सुरेशचन्द्रजी जैन, भोपाल
 १५१) सिधई हीरालालजी सेसईवाले, बीना
 १५१) श्रीमती फुलन बाई जैन, बीना
 १५१) डॉ० नरेन्द्र कुमार विद्याधी छतरपुर वाले एव सुमति प्रकाशजी
 १०१) ए० पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर
 १०१) श्री अशोक कुमार फुसकेले वकील सदन, सागर
 १५१) श्री निमल कुमार राजेश कुमार जैन, तेंदुखेड़ा
 १०१) श्री अशोक कुमारजी शिक्षक, गुरुकुल, खुरई (म० प्र०)
 १०१) श्री नेमिचन्द्रजी जैन, प्राचार्य, गुरुकुल, खुरई (म० प्र०)
 १०१) श्री सि० राजेश कुमार जिनेश्वरदास जैन, खुरई (म० प्र०)
 १०१) श्री डॉ० राजकुमारजी जैन, एम. बी. बी. एस., खुरई
 १०१) श्री सि० वीरेन्द्रकुमारजी जैन, खुरई (म० प्र०)
 १०१) श्री सुमत प्रसादजी जैन, दिल्ली
 १०१) श्री पूर्णचन्द्र जैन सुमन, दुर्ग
 १००) श्री मेवाराजजी जैन, बम्बई
 १०१) प्रो० निहालचन्द्रजी जैन, बीना
 १११) श्री गुलाबचन्द्रजी आदित्य, भोपाल
 १०१) डॉ० हीरालाल जैन, रोवा
 १०१) पण्डित गुलाबचन्द्रजी 'पुष्प' टीकमगढ़
 १०१) श्री वीरेन्द्र प्रधान भारतीय स्टेट बैंक, सागर
 १०१) श्रीमती सोभाबाई (धर्मपत्नी सिधई भागचन्द्रजी, कटंगी)
 १०१) श्रीमती नन्ही बाई, पथरिया (धर्मपत्नी हेमचन्द्रजी जैन)
 १०१) श्री सिद्धचन्द्रजी जैन, बालवाले, गंजबासीवा
 १०१) श्री पदमचन्द्रजी जैन, गंजबासीवा
 १०१) श्री प्रमोदयालजी जैन, गंजबासीवा
 १०१) श्री रतनचन्द्रजी ज्ञानचन्द्रजी, गंजबासीवा
 १०१) श्री सुहासमलजी वकील, गंजबासीवा
 १०१) श्री रतीचन्द्रजी रामछाळजी, (द्वारा श्री हीरालालजी जैन) गंजबासीवा

- १०१) श्री बालचन्द्रजी अशोक कुमार जैन, गंजबासीदा
 १०१) श्री नेमीचन्द्रजी बकील साहब, गंजबासीदा
 १०१) श्री भगवानदास ऋषभ कुमारजी जैन, गंजबासीदा
 १०१) श्री नन्मूल रमेशचन्द्रजी, गंजबासीदा
 १०१) श्री शीलचन्द्रजी जैन, दालवाले, गजबानीदा
 १०१) बाबू रतनचन्द्रजी विमलचन्द्रजी मरफि, गंजबासीदा
 १०१) श्री गुलाबचन्द्रजी धीपचन्द्रजी, गंजबासीदा
 १०१) श्री नन्दकिशोर जैन प्राचार्य, गंजबानीदा
 १०१) श्री डॉ० जवाहरलाल जैन, गंजबासीदा
 १०१) श्री राजकुमारजी बकील, गंजबासीदा
 १०१) श्री बाबूलाल जैन, गंजबासीदा
 १०१) डॉ० गुलाबचन्द्रजी जैन नोगई वाले, गंजबासीदा
 १०१) श्री मिट्टूलालजी जैन बकील, गंजबानीदा
 १०१) श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, सिरनीदा, गंजबासीदा
 १५१) सेठ कोयूलालजी, तेंदूखेडा
 १०१) श्री गचीन्द्र कुमार मोदी, तेंदूखेडा
 १०१) मिषई दयाचन्द्रजी पडवारवाले, सागर
 १५१) डॉ० नरेन्द्र कुमार जैन, वाराणसी
 १०१) श्री कमलचन्द्र विमल कुमार समैया, मण्डीबामीरा
 १०१) श्री बाबूलालजी, मण्डीबामीरा
 १०१) पण्डित बाबूलाल राजकुमार, मण्डीबामीरा
 १०१) भाई खुशालचन्द्र कठरया, मण्डीबामीरा
 १०१) श्री सुन्नीलालजी कठरया, मण्डीबामीरा
 १०१) श्री लक्ष्मीचन्द्र प्रदीपकुमार चौधरी, मण्डीबामीरा
 १०१) श्री चम्पालाल विजय कुमार नायक, मण्डीबामीरा
 १०१) श्री हुकमचन्द्र अजित कुमार बडकुल, मण्डीबामीरा
 १०१) श्रीमती ताराबाई पटोरिया, रायपुर
 १०१) श्री ऋषभ कुमारजी एवं श्रीमती स्नेहलता जैन, खुरई
 १०१) श्रीमती चन्द्रा सेठी (धर्मपत्नी फूलचन्द्र सेठी,) खुरई
 १०१) श्री घन्नालालजी सेठी, खुरई
 १०१) श्री जिनेन्द्र कुमारजी गुरहा, खुरई
 १०१) श्री चौधरी शिखरचन्द्रजी साहिल्यरत्न, रीठी
 १००) श्रीमती धामीदेवी नन्दलाल जैन, बम्बई
 १०१) पं० विजय कुमार जैन, श्रीमहावीरजी
 १०१) पण्डित दुलीचन्द्र जैन, बीना
 १०१) श्री शाह प्रेमचन्द्र जैन, बीना
 १०१) सि० लोलाधरजी जैन, महरौनी
 १०१) श्रीमती साधना जैन (धर्मपत्नी श्री राकेशजी) बक्सवाहा

- १०१) सि० शोभारामजी जैन, सागर
१०१) श्रीमती नन्हीबाई (बर्मपत्नी श्री हेमचन्द्रजी जैन,) पचरिया
१०१) श्रीमती शोभाबाई (बर्मपत्नी स्व० सि० भागचन्द्रजी) कटंगी
५३) श्री राजेन्द्रकुमारजी सि० मुस्कूल, सुरई (म० प्र०)
११) ज्ञानचन्द्र जैन, तेंदुखेड़ा
११) श्री नेमीचन्द्रजी जैन शिक्षक, तेंदुखेड़ा



जीवन-परिचय-भेंट-वार्ता
व्यक्तित्व तथा कृतित्व

श्रद्धेय पण्डितजी : एक परिचय

● पण्डित दुलीचन्द्र जैन, बीना

कुटुम्ब : एक दृष्टिमें

श्री बंशीधरजीके पिताजीका नाम पण्डित मुकुन्दीलालजी था। वह तीन भाई थे पण्डित मुकुन्दीलाल जी सबसे छोटे थे। उनसे बड़े नन्नुलालजी और सबसे बड़े चुरामनजी थे।

श्री चुरामनजीके दो पुत्र अच्छेलालजी और भूरैलालजी थे। अच्छेलालजीके दो पुत्र थे; एक श्री सैयालालजी तथा दूसरे श्री प० बालचन्द्रजी, जिन्होंने षट्सण्डागमके सम्पादन और अनुवादका डॉ० हीरालालजीके साथ महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। उनका स्वर्गवास अपने पुत्रों (नरेन्द्रकुमार और सुरेन्द्रकुमार) के पास रहते हुए दिनांक १७-४-८९ को हैदराबादमें हो गया। उनके तीन पुत्र हैं—राजकुमार, नरेन्द्रकुमार और सुरेन्द्रकुमार। राजकुमार र्वालयरमें शासकीय विज्ञान कॉलेजमें गणितका प्रोफेसर हैं। अन्य दोनों पुत्र हैदराबादमें क्रमशः डिप्टी चीफ इन्जीनियर और अपनी फीकट्रीके मंचालक हैं। भूरैलालजीके दो पुत्र हैं—पं० दुलीचन्द्र (लेखक) और फूलचन्द्र। पं० दुलीचन्द्र बीनामें कपड़ेका व्यवसाय करते हैं व फूलचन्द्र अपनी जन्मभूमि सोरई (ललितपुर) में व्यापार करते हैं। पं० दुलीचन्द्रका एक पुत्र अशोककुमार है, जो बी० ए०, एम० ए०, एल० एल० बी० है। वह सागर युनिवर्सिटीमें कुछ समय तक तैरिस करनेके उपरान्त बीनामें ही स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं। तथा फूलचन्द्रके भी एक पुत्र है—ऋषभ कुमार, जो एम० काम०, एल० एल० बी० है, और इन्दौरमें एक प्राइवेट कम्पनीमें कार्यरत है।

श्री नन्नुलालजीके दो पुत्र थे—अयोध्याप्रसादजी व पं० शोभारामजी। पं० शोभारामजीने श्री भा० दि० जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बम्बईके महोपदेशकका कार्य कई वर्षों तक किया और उसके बाद अनेक स्थानोंकी पाठशालाओंमें अध्यापन किया। उनके दो पुत्र हुए—परमेष्ठीदाम और सुदेशचन्द्र। परमेष्ठीदासका शादीके छह महीने पश्चात् ही स्वर्गवास हो गया था। उसकी पत्नी पूनाबाई पटेरा (म० प्र०) में शासकीय कन्या विद्यालयमें अध्यापन कार्य करते हुए रिटायर होकर आजकल पटेरामें ही रह रही है। सुदेशचन्द्र एम० ए० (हिन्दी) श्री पाठ्वनाथ दि० जैन मुस्कूल खुरई (म० प्र०) में व्याख्याता एवं उसकी धर्मपत्नी ताराबाई भी वही शासकीय कन्याशालामें अध्यापिका हैं। उनके तीन पुत्र हैं। वे तीनों इन्जीनियर हैं। उनके नाम हैं—आजाद, अजित और आलोक।

पं० मुकुन्दीलालजीके चार पुत्र हुए। कारेलालजी, पं० हजारीलालजी, छतारेलालजी और पं० बंशीधर जी। इनमें आदिके तीन पुत्रोंका स्वर्गवास हो चुका है। कारेलालजीका एक पुत्र था, जिसका नाम हरप्रसाद था। तीन वर्ष पहले उसका देहावसान हो गया। दूसरे पुत्र पं० हजारीलालजी थे, जो स्वयं पण्डित, शास्त्र-लेखक और अध्यापक थे। नैनागिर, हुबुवा आदि कई पाठशालाओंमें उन्होंने अध्यापन किया था। डॉ० पं० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य उन्हीके सुपुत्र हैं। पं० मुकुन्दीलालजीके सबसे छोटे सुपुत्र हैं—पं० बंशीधर जी। इन्हीका यहाँ कुछ परिचय प्रस्तुत है। उसे प्रस्तुत करनेके पूर्व उनका एकमात्र बहिन गौरा बाईका परिचय दे देना आवश्यक है।

गौराबाईका सम्बन्ध ग्राम भोड़ी (ललितपुर) में सिचई पूर्णचन्द्रजीके साथ हुआ था। वह बड़ी दयालु और सौम्यमूर्ति थी। साथ ही बड़ी निरलस और वात्सल्यमयी थी। जब भी कोई रिस्तेदार भोड़ी पहुँचा कि उनकी आँखोंसे स्नेहके आसुओंकी झड़ी लग जाती थी। पं० बंशीधर जी, पं० बालचन्द्रजी और पं० दरबारी

लालजी उनके स्नेहके बशीमूल होकर महीनों गर्मियोंके अवकाशमें भीड़ीमें रहा करते थे। मुझे भी कई बार भौड़ी जानेका अवसर मिला। उनके दो पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं। उनके बड़े पुत्र श्री लीलाधर व उनकी धर्म-पत्नी श्रीमती बेटीबाई भी उन्हींकी तरह स्नेह रखती हैं। श्री लीलाधरजीने अपनी माँ गौराबाई एवं पिता श्री पूर्णचन्द्रजीके स्वर्गस्थ होनेके पश्चात् अपना निवास अब महरोनी (ललितपुर) में बना लिया है। उनके भी दो पुत्र तथा एक पुत्री हैं। एक पुत्र भागचन्द्र महरोनीमें ही वर्णा कलेजमें अध्यापक हैं तथा दूसरा पुत्र उत्तमचन्द्र भी गुढ़ा (ललितपुर) में शिक्षक हैं। दोनों पुत्र सेवामावी एवं कर्मठ हैं।

दूसरा पुत्र कपूरचन्द्र भी, शास्त्री पास करके कई वर्षोंसे अशोकनगर, म० प्र० में अध्यापनरत हैं। उसके भी दो पुत्र तथा दो पुत्रियाँ हैं। पुत्र हेमन्त व अशोककुमार हैं।

जन्म :

श्री बंशीधरजीका जन्म भाद्र शुक्ला ७, वि० सं० १९६२ में हुआ। पिताका नाम श्री प० मुकुन्दी-लालजी और माताका नाम श्रीमती राधादेवी था। पिताजी उस क्षेत्रके माने हुए विद्वान् पण्डित, शास्त्र-प्रतिलेखक और प्रतिष्ठाचार्य थे। समाजमें जहाँ-कहीं जल-याना, सिद्धचक्रविधान, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि धार्मिक कार्य होते थे उनमें उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाता था। दशलक्षण (पयु'षण) पर्वमें भी शास्त्र-वचनिकाके लिए वे समाजके आमंत्रणपर जाते थे। उनके हाथके लिखे हुए शास्त्र आज भी कई मदिरोंमें उपलब्ध हैं। लोग न्यौछावरके लिये उन्हें लिखवाते थे।

श्री बंशीधरजी जब तीन माहके ही शिशु थे, पिताजीको दैवने उनसे छीन लिया था। जैसे-तैसे माताजी शिशुका पालन-पोषण कर रही थी, किन्तु १२ वर्षकी अवस्थामें उनका भी साया उनपरसे उठ गया। वे अभावों में पले-पुये और आगे बढ़े।

जन्मस्थान :

(पंडितजी) बंशीधरजीका जन्मस्थान सौरई है, जो बहुत पहले गढाकोटा (सागर) म० प्र० की आगीर थी और अब उत्तरप्रदेशके ललितपुर जिलेका एक प्रख्यात ग्राम है। यह प्रसिद्ध मंत श्री गणेशप्रसाद वर्णा (मुनि श्री १०८ गणेशकीर्ति) की जन्मभूमि हंसैरा ग्राम (ललितपुर) से दो किलोमीटर पूर्वमें अवस्थित है।

१. यहाँ पहले 'सौर' जातिके आदिवासी रहते थे, जो इस ग्रामके पास पाये जानेवाले घने जंगलोंमें उपलब्ध जड़ो-भूटियों, अचार, महुआ, गुली, गोद, लाख, भूसली आदि वन्य वस्तुओंका बंधा करके अपनी आजीविका चलाते थे। इन चीजोंके खरीददार व्यापारी एवं ठेकेदार भी यहाँ काफी संख्यामें रहते थे। सम्भवतः उनके निवासके कारण (सौर + ई = सौराकी आवास भूमि होनेसे) इस ग्रामका नाम "सौरई" पड़ा है।

२. कहा जाता है कि यहाँके व्यापारी उक्त चीजोंको लदरा बैलोंपर बहुसंख्यामें लादकर मिर्जापुर ले जाते थे और वहाँके बाजारोंमें उन्हें बेचते थे। तथा वहाँसे पीतल, ताँबे आदिके बर्तन खरीब कर लाते थे। ऐसे लोगको 'सौरया' कहते थे। अब भी वे यहाँ हैं और अच्छी स्थितिमें हैं। इनमें बहुतसे मठाबरा, टीकमगढ आदि स्थानोंपर चले गये हैं। आज यह (सौरया) उनका बंधा बन गया है। पर यह सच है कि उनका उद्भव इसी ग्रामसे हुआ है। जैसे 'खण्डेला' ग्रामसे खण्डेलाल और 'अग्रोहा' ग्रामसे अग्रवाल माने जाते हैं। गोलामुव जातिके ५८ वंशोंमें यह भी एक वंश है।

३. सौरईका, व्यापारिक महत्त्वके अलावा, सांस्कृतिक महत्त्व भी है। यहाँ चन्देलवंश राजाओंके शासनकालके दो प्राचीन मठ (मन्दिर) हैं, जो पत्थर-शैल-पत्थरके बने हैं और जिनमें एक मठ जैनोंका और दूसरा मठ हिन्दुओंका है। जैनिके मठ (मन्दिर) में अभी भी खण्डित मूर्तियाँ विद्यमान रही हैं। इसके पास ही प्रभाविके लिए उपयोगमें लाने हेतु पत्थरसे मजबूत बना एक जलकूप भी है। देख-भाल न होनेके कारण यह मठ आज अरक्षित दशामें पड़ा है।

४. यह 'रोनी' (रोहिणी) नदीके तटपर अवस्थित है, जो पासके बौद्ध जंगलसे निकली है और 'बसान' नदीमें आकर 'ककरबाहा' ग्राम (ललितपुर) के पास मिली है।

५. 'सौरई' का एक और महत्त्व है। वह है प्रशासनिक। इसके प्रशासनके लिए राजाका विशाल किला बना है, जो दो ओर (पश्चिम ओर उत्तर) से रोनी नदीके तटोंसे घिरा है एवं विस्तृत और ऊँच टोलेपर निर्मित है। कहा जाता है कि यह किला राजा बख्तबलोने बनवाया था, जो शाहजद (म० प्र०) के राजाके अधीन था। इस किलेसे एक रास्ता भूमिके अन्दर-ही-अन्दर बगीचेमें बनी सुन्दर वापिके लिए जाता है, जिससे राजाको रानियाँ वापिकामें स्नान करनेके लिए वहाँ जानी-आती थी। दूसरा रास्ता मडा-वराके किले तक जाता है, जो सौरईसे ५ किलोमीटर है। किन्तु अब ये दोनों रास्ते बन्द हैं। मालूम पड़ता है कि राजनैतिक उथल-पुथल ही इन रास्तोके निर्माणका कारण रही है।

६ किलेके पूर्वी द्वारपर उससे लगा हुआ राजाके जैन दीवान द्वारा १८२ वर्ष पूर्व बनवाया दि० जैन मन्दिर है, जो वर्तमानमें जिनप्रतिमाखून्त्य है। ज्ञात नहीं, इसमें कितने वर्षोंतक प्रतिभाजी विराजमान रही और कब कैसे बहसि उल्टे हटा दिया गया। मन्दिरके जिनप्रतिमारहित हो आनेपर उसमें शासनके द्वारा प्राइमरी स्कूल लगता रहा। इसी स्कूलमें हमारे चरित्रनायककी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जो १५०-१७५ वर्ष वहाँ रहा जान पड़ता है। मन्दिरके सर्वथा जोर्ण-शोर्ण और खण्डहर ही जानेके कारण अब उसमें स्कूल भी नहीं लगता। स्कूल दूसरी जगह लगने लगा है। आज वह मन्दिर खण्डहरके रूपमें अरक्षित दशामें पड़ा है।

७ इस ग्रामके आस-पास पहले ताँबा और लोहा बडो मात्रामें निकलता रहा। अब तो कई वर्षोंके अन्वेषणके बाद यहाँ फास्फोरस पत्थर, जो खाद बनानेके काममें आता है तथा यूरैनियम जैसी महत्त्वपूर्ण धातुका भी भण्डार भू-वैज्ञानिकों एवं कुशल इंजीनियरोंने खोज निकाला है और बहुलतासे उसका काम चल रहा है। इससे इस ग्रामका राष्ट्रीय महत्त्व भी बढ गया है। यह हमारे एवं देशके लिए गर्वकी बात है। इसके अतिरिक्त सिमेन्टका पत्थर, स्लेटका पत्थर आदि भी यहाँ उपलब्ध हुआ है।

८. इस ग्राममें वर्तमानमें तीन दिगम्बर जैन मंदिर हैं, २५-३० जैन घरोंके अतिरिक्त लगभग तीन हजारकी यहाँ आबादी-जनसंख्या है। (१) पार्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर (जिसे बडा मंदिर कहा जाता है) (२) छोटा मंदिर और (३) बाजारका मंदिर और तीनों ही बस्तीके बीचों-बीच स्थित हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि डॉ० पं० दरबारोकालजी कोठिया न्यायाचार्यने अपनी धर्मपत्नी स्व० चमेकोबाईकी स्मृतिमें ४,२००/०० रुपयेसे बाजारसे लेकर बड़े मंदिर और बड़े मंदिरसे छोटे मंदिर तक चौड़े-बड़े पत्थरोंकी फर्ला बिछाकर अच्छा रास्ता बनवा दिया है, जिससे आने-जानेवालोंको बड़ी सुविधा हो गयी है। तथा २,५००/०० प्रदानकर बड़े मंदिरकी छतका भी उन्होंने जीर्णोद्धार करा दिया है।

९. यह ग्राम है तो छोटा, लेकिन इसकी एक विशेषता और है। वह यह कि यह प्राण्य-विद्या प्राकृत एवं संस्कृतके विद्वानों(पण्डितों) की (आकर) खान है। ब्याकरणाचार्यजी, पं० शोभारामजी महोपदेशक

नीरंजने कमेटी बम्बई, विद्याभूषण पं० रामलालजी प्रतिष्ठारत्न अशोकनगर, पं० परमानन्दजी साहित्याचार्य बालाबिहारी भारा, पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री (सिद्धान्त ग्रन्थोंके सम्पादक-अनुवादक) हैदराबाद, पं० पद्मचन्द्रजी शास्त्री बड़ा मलहरा (सं० प्र०) डॉ० पं० दरबारीलालजी कोटिया, न्यायाचार्य सेवानिवृत्त रीडर का० हि० वि० वि० वाराणसी (वर्तमान बीना), पं० गुलझारीलालजी न्यायतीर्थ, सागर, पं० बुलीचन्द्र शास्त्री बीना आदि विद्वान् यहीकी देन है और वे विभिन्न स्थानोंमें समाज एवं साहित्य-साधनामें संलग्न हैं या संलग्न रह चुके हैं। इसीसे कितने ही लोग इस ग्राम सोरईको न केवल यूरेनियम आदि धातुओंका खान कहते हैं, अपितु आध्यात्मिक विद्वानोंकी खान भी कहते हैं।

यह भी उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि अब सोरईका यातायात कठिन नहीं रहा। यहाँसि ललित-पुर, सागर और बांजा आदिको सरलतासे आ-जा सकते हैं। पक्की सड़के और सड़कोंपर चलनेवाले वाहन प्रचुर मात्रामे उपलब्ध हैं।

'जननी जन्मभूमिश्चय स्वर्गादपि गरीयसी।'

यह कतिना प्यारा वाक्य है। अतएव पंडितजीकी जन्मभूमि सोरई तुझे शतग प्रणाम।

प्राथमिक शिक्षा :

पंडितजीकी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय प्राईमरी स्कूलमें कक्षा ४ तक हुई। जब पंडितजी कक्षा २ में पढ़ते थे तब शिक्षाधिकारी कक्षा ४ के छात्रोंकी परीक्षा लेनेके लिए स्कूलमें आया। उसने कक्षा ४ के एक छात्रसे एक सवाल पूछा। वह उसका उत्तर न दे सका। यह भी वही खड़े थे। इन्होंने उसका उत्तर दे दिया। इस पर शिक्षाधिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और इनसे बोला "तुम पढ़ानेकी नौकरी करना चाहते हो तो हम नौकरी दे सकते हैं"। इन्होंने उत्तर दिया कि "हम अभी आगे पढ़ेंगे"। पंडितजी आरम्भसे तीक्ष्ण बुद्धि एवं मेधावी छात्र रहे हैं।

वाराणसीमें उच्चशिक्षा :

चौथी कक्षा पास कर आप अपने मामाके पास वाराणसी (सं० प्र०) चले गये। वहाँ कुछ समय रहे। परन्तु वहाँ उच्चशिक्षाके साधन न थे। अतएव वहाँसे पं० शोभारामजीके साथ सागर आ गये और सागरसे पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णा अपने साथ वाराणसी ले गये। वहाँ स्वाहाद दि० जैन महाविद्यालयमें उनकी छत्र-छायामें ?? वर्ष तक मुख्यतया व्याकरण और सामान्यतया साहित्य, दर्शन और सिद्धान्तका उच्च अध्ययन किया। आपने किसी भी विषयमें द्वितीय या तृतीय श्रेणी प्राप्त नहीं की। प्रथम श्रेणीमें ही सभी विषयोंमें उत्तीर्णता प्राप्त की है। व्याकरणाचार्य परीक्षा तो प्रथम श्रेणी प्रावीण्य सूचीमें द्वितीय स्थानसे पास की।

शातव्य है कि सोरईसे परमानन्द, पद्मचन्द्र, लोकमन, बालचन्द्र ये भी उसी समय पढ़नेके लिए वाराणसी पहुँचे। इन्होंने परमानन्द और बालचन्द्रसे कहा कि हम तीनों तीन विषयोंके आचार्य बनें—हम व्याकरणाचार्य और तुम दोनों क्रमशः साहित्याचार्य और न्यायाचार्य। इस तरह हम तीनों एक ही ग्रामके तीन विषयोंके तीन आचार्य हो जावेंगे। इनमें पंडितजी व्याकरणाचार्य और परमानन्दजी साहित्याचार्य ही गये। पर बालचन्द्रजी न्यायमध्यमा उत्तीर्ण कर अध्यापनहेतु पन्नालाल दि० जैन विद्यालय, जारखी (आगरा) में चले गये। अन वे न्यायाचार्य नहीं कर सके, किन्तु उत्तरकालमें वे सिद्धान्तग्रन्थोंके सम्पादक एवं अनुवादक बने और उच्चकोटिका उन्होने वैदुष्य प्राप्त किया एवं जीवमके अन्त तक जिनवाणीकी साधना की। हाँ, पंडितजीके विचार एवं भावनाको उन्हींके भतीजे डॉ० पं० दरबारीलाल कोटियावले अवश्य 'न्यायाचार्य'

पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य और उनका परिवार



श्री प बंशीधर व्याकरणाचार्य



श्रीमती लक्ष्मी बाईजी (पत्नी)



व्याकरणाचार्यजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री विभवकुमार जैन और उनका परिवार



व्याकरणाचार्यजी के द्वितीय पुत्र श्री विवेककुमार जैन और उनका परिवार।



व्याकरणाचार्यजी के तृतीय पुत्र श्री विनीतकुमार जैन और उनका परिवार




व्याकरणाचार्यजी की ज्येष्ठ पुत्री
सौ बिमलाबाई एव
दामाद डॉ मोतीलाल जैन
खुरई (सागर) तथा उनका परिवार



व्याकरणाचार्य की द्वितीय पुत्री सौ. पुष्पाबाई एव दामाद मास्टर मुन्नालाल जैन
टीकमगढ़ (म प्र.) और उनका परिवार



व्याकरणाचार्यजी के भतीजे डॉ दरबारी लाल कोठिया
श्रीमती चमेली बाई (पत्नी डॉ कोठियाजी)



व्याकरणाचार्यजी के भतीजे प दुलीचन्द्र जैन, बीना (म.प्र) एवं उनका परिवार



ध्याकरणाचार्यजी के सतीबे
पं० बालचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री और
उनका परिवार

श्रद्धेय ध्याकरणाचार्यजीकी कनिष्ठ पुत्री
मी० वैजयन्ती बाई एवं उनके दामाद
डॉ० हांगलाल जैन, गीवा (म० प्र०)



पण्डितजीके ज्येष्ठ भ्राता स्व० पूज्य
पं० शोभारामजीके सुपुत्र प्रिय सुरेश-
चन्द्र जैन, शिक्षक अपने परिवारके साथ

होकर श्रीकल फेब्रुअरी अबलपुरमे कार्यरत हैं और तीसरा पुत्र विनीत कुमार, बड़े भाईके साथ वस्त्रव्यवसायमे संलग्न हैं, इसके सिवाय वह बीमा, बैंक एवं पोस्ट आफिसमे फिक्स डिपॉजिट करानेका कार्य भी करता है। तीनों पुत्रोंके विवाह हो चुके हैं। विभव कुमारका सम्बन्ध सेठ बाबूलालजी सागरकी पुत्री सुगन्धी बाई, विवेककुमारका सम्बन्ध सेठ देवेन्द्र कुमार जी सागरकी पुत्री नलिनो बाई तथा विनीत कुमारका सम्बन्ध सेठ हकमचन्द्रजी सागरकी पुत्री किरणबाईके साथ सम्पन्न हुए हैं। पण्डितजीकी तीनों बहूएँ भी पुत्रोंकी तरह कर्तव्यनिष्ठ, सेवामावी, विनम्र और आज्ञाकारिणी हैं। विभवके एक पुत्र पि० बीरेश कुमार और पाँच पुत्रियाँ—प्रोति, दीप्ति, नीति, स्मृति और कृति हैं। विवेककुमारसे दो पुत्र-विशेष और सित्तिय तथा एक पुत्री—रंगोली हैं। और विनीतकुमारके तीन पुत्रियाँ—निधि, सोनू एवं गुडिया हैं।

पण्डितजीकी तीनों पुत्रियोंके भी सम्बन्ध हो चुके हैं। बड़ी पुत्री विलमाबाई (५७), का डॉ० मोतीलालजी खुरईके साथ, दूसरी पुत्री पुष्पाबाई (३७) का मा० मुन्नालालजी ठीकमगढ और तीसरी पुत्री वैजयन्तीबाई (३५) का डॉ० हीरालालजी रोवाके साथ हुआ है। पण्डितजीके तीनों दामाद सुयोग्य और अपने-अपने कार्यमे रत हैं।

मधुर एवं स्नेहपूर्ण सम्बन्ध .

पण्डितजीके स्वजन और परिजन सभीके साथ मधुर एवं अच्छे सम्बन्ध हैं। कुटुम्बियोंके प्रति जहाँ अवाध स्नेह है वहीं समुरालमे रहते हुए अपने समुर शाह मौजिलालजी, काका समुर शाह अर्जुनलालजी और शाह दयाचन्द्रजी तथा च बरे सालो-शाह अमृतलाल, शाह खूबचन्द्र, शाह फूलचन्द्र, शाह स्व० निर्मलकुमार और शाह प्रेमचन्द्र एवं उनके परिवारोंके साथ भी पण्डितजीके स्नेहपूर्ण सम्बन्ध बने हुए हैं। इनमे एकमात्र कारण उनकी लोकज्ञता, व्यवहारकुशलता और गम्भीरता हैं। उनका चिन्तन दूरगामी है।

समुरालपक्ष भी पण्डितजीका सदा आदर करता है। हमें एक घटना याद आती है। जब पण्डितजी स्वतन्त्रता-संग्रामके आन्दोलनमे सन् १९४२मे जेलमे थे और घरपर उनके प्रथम पुत्र सनतकुमारका स्वर्गवास हो गया था, तब पण्डित बालचन्द्रजी शास्त्री अमरावतीसे इस दुःखमे संवेदना प्रकट करनेके लिए बीना आये और आते ही वे बीमार हो गये। बुलार ठीक नहीं हो रहा था। पण्डितजीके समुर शाह मौजिलालजीने अपने मूनीम श्री कच्छेदीलालजीको अमरावती भेजकर उनके बाल-बच्चोंको बीना बुलवा लिया और जब तक उनकी तबियत ठीक नहीं हुई तब तक सभीको अपने पास रखकर उनका इलाज करवाया। जब उनकी तबियत ठीक हो गयी तब उन्हें जाने दिया। ऐसी श्री शाह मौजिलालजी की आत्मीयता और सहृदयता। अभी भी शाह परिवारके पण्डितजी तथा उनके कुटुम्बके साथ प्रिय सम्बन्ध हैं, जो अनुकरणीय हैं।

विशेष गुण .

पण्डितजीमे कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो अन्य मे प्रायः दुर्लभ होंगे। इनमे कुछका यहाँ दिग्दर्शन कराना आवश्यक समझता हूँ—

(क) स्वामिभाव—पण्डितजी व्याकरणार्थ्य हुए ही वे कि उन्हें स्थानकदासी साधुओंको अध्यापन करानेके लिए व्यावर (राजस्थान) से आमन्त्रण आया। वे वहाँ गये और पहले दिन उन्हें थोडा पढाया। इसपर एक महाराज बोले—“पण्डितजी, इतना ही पढायेंगे। आपसे पहलेके पण्डितजी तो दो-तीन घण्टे सुबह और इतने ही समय शामको पढाते थे।” पण्डितजीने कहा कि—“आपने इतना पढ करके भी कुछ नहीं पढ़ा। इसप्रकारके फुटने-पढानेसे क्या लाभ। कुछ अनुभव और मनन भी होना चाहिए। यदि आपको पूर्ववत्

पढ़ना है तो आप किसी और विद्वान्को बुला लें। हम तो इसी प्रकार पढ़ावेंगे।" बस, उस दिनेके बाद सभी साधु पण्डितजीसे यथोचित आदर करते हुए पढ़ने लगे। पण्डितजीके अध्यापनसे सभी साधु अनुभव करने लगे कि पण्डितजीके अध्यापनसे हमारी व्युत्पत्ति और विशिष्ट ज्ञान हुआ है। सभी महाराज संतुष्ट और प्रसन्न थे। यह था पण्डितजीका स्वाभिमान। ऐसे अनेक प्रसंग उनके जीवनसे जुड़े हुए हैं।

(क) **व्यवहारमें कठोरता, किन्तु सच्चाई**—पंडितजी व्यवहारमें कठोर हैं, पर सच्ची बात कहनेमें वे संकोच नहीं करते। उन्हें मीठी, किन्तु झूठी बात या चापलूसीसे बेहूष नफरत है। उनसे बानचीत करनेवाला व्यक्ति कुछ समय समझता है कि पण्डितजीने इतना भी लिहाज नहीं किया। किन्तु विशेष परिचयमें जानेपर वही व्यक्ति स्वीकार करता है कि यह सिद्धान्त और नीतिकी बात है, जो सभीके लिए अनुपालनीय है। यह सत्य है कि "हित मनोहारि च दुर्लभं वच ।" बात हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, दुर्लभ है। कई लोग तो यहाँ तक कह उठते हैं कि "आप बहुत सच्चे हैं।" किन्तु पण्डितजी उसकी भी परवाह नहीं करते। और यथार्थ कहनेपर दुःख रहते हैं।

(ख) **व्यवसायमें एक बात**—जब पण्डितजीने कपड़ेका व्यवसाय आरम्भ किया तो उन्होंने कपड़ा बेचनेमें "एक बात" (एक भाव) का सिद्धान्त स्थिर किया। कई लोगोंने कहा कि "पण्डितजी, आप एक बातके सिद्धान्तपर चलेंगे, तो दुकान नहीं चलेगी और न आप सफल हो पायेंगे।" पण्डितजीने कहा कि "दुकान चले या न चले। हम सिद्धान्तका परित्याग नहीं करेंगे। दुकान विस्वासपर चलती है और ग्राहक विस्वस्त होकर खरीदेगा।" फलतः पण्डितजी "एक बात" के सिद्धान्तमें पूर्ण सफल हुए। ग्राहकोका विस्वास जम गया। आज स्थिति यह है कि अर्द्ध शताब्दी हो गयी और उनका वस्त्रव्यवसाय दस गुना हो गया और दुकानकी विस्वसनीयता सर्वत्र हो गयी। उनके पुत्र भी उसी सिद्धान्तपर चल रहे हैं। नम्बर दो का कोई कार्य नहीं होता। सेल्स टेक्स आफोसर एक तां जाता नहीं और आये भी तो झाली हाथ चला जाता है। उसे घूस देने जैसा प्रश्न ही नहीं उठता। दुकान, घर आदिका सारा कार्य एक नम्बरमें ही होता है। साते बही आदि सब सही रहते हैं।

(ग) **कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिकता**—पण्डितजीने सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओंमें दीर्घकाल तक कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिकताके साथ मानद सेवायें की हैं। स्थानीय श्री नाभिनन्दन विगम्बर जैन हितोपदेशिनी सभा द्वारा मंचालित मन्दिर और विद्यालयके मन्त्री पदसे लगभग १८ वर्ष तक उनकी सुचारु रूपसे सेवा की है। उस समय जो मन्दिर और विद्यालयका कार्य अव्यवस्थित था उसे पूर्णरूपसे व्यवस्थित बनाया। कभी-कभी पण्डितजीको सस्थाके कार्यसे सागरकी अदालतमें जाना पड़ता था। उस समय आप गेडाजीकी धर्मशाला-में ठहरते थे और वहाँसे पैदल कचहरी जाते थे। वहाँ जब क्लर्कसे संस्थाके कार्यके सम्बन्धमें बात की तो वह कुछ श्रद्धा मीनने लगा। पण्डितजीने उसे इस तरह डाटा कि वह भयभीत हो गया और क्षमा माँगकर उसने तत्काल कार्य कर दिया। इसके बाद जब-जब पण्डितजीको कचहरी जाना पड़ा, तब-तब उस क्लर्कने उनके कार्यको प्राथमिकता दी। आज भी हम देखते हैं कि वे कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिकतासे अपने जीवनको संजीये हुए हैं।

(ङ) **समयके प्राग्बन्ध**—पण्डितजी समयके नियमित हैं। मन्दिर, स्वाध्याय, दुकान, भोजन, शयन, लेखन और बाहर गमन आदि उनका समयबद्ध है। बाहर जाना या आना है तो पण्डितजी समयपर स्टेशन पहुँच जायेंगे। गाडी भले ही लेट आये या जाये। यही उनकी समयनियमितता सभा-सोसायटियोंकी है। उनके कार्यक्रमोंमें विलम्ब हो सकता है पर पण्डितजीके उनमें शामिल होनेमें विलम्ब नहीं होता। यह कहना चाहिए



पण्डितजीके श्वसुर
शाह मौजिलालजी, बीना



पण्डितजीके काका श्वसुर
शाह अर्जुनलालजी, बीना



पण्डितजीके काका श्वसुर
शाह दयाचन्द्रजी बीना



ग्याह रणाचार्यजीके ज्येष्ठ भ्राता
पं० शोभारामजी, न्यायतीर्थ

करके पूरा किया। इतना ही नहीं, कोटियाजीने शास्त्राचार्य (जैनदर्शन), एम० ए० (संस्कृत) और पी-एच० डी० (जैन तर्कशास्त्र) की पदोन्नतियाँ देकर उनमें प्रथम एव उच्च द्वितीय श्रेणीमें उत्तीर्णता भी प्राप्त की। कहना होगा कि उच्च शिक्षा स्वयं ग्रहण करने और दूसरोंको उसके लिए प्रेरित करनेमें पंडितजीकी रुचि और दूरदृष्टि कितनी सार्थक रही है।

गृहस्थाश्रममें प्रवेश :

जब पंडितजी वाराणसीमें व्याकरणाचार्यके चार स्रष्ट उत्तीर्ण कर चुके थे और पंचम स्रष्टकी तैयारीमें सलग्न थे। तब संयोगसे शाह मौजीलालजी, बीना अपने बहनोई मिर्चड नन्हेलालजी टोपीवाले सागर-के साथ व्यापारिक कार्यसे वाराणसी गये। वाराणसी सातवें तीर्थकर सुपाखननाथ और तेईसवें तीर्थकर पाखननाथकी जन्मभूमि है तथा समाजका प्रसिद्ध स्यादाद महाविद्यालय भी यहीं है, जहाँ पंडितजी उच्च अध्ययन कर रहे थे। दोनों महानुभाव दोनों स्थानोंके दर्शन करते हुए स्यादाद महाविद्यालय पहुँचे। शाहजी अपनी लड़कीके लिए योग्य लड़केकी खोजमें थे। यहाँ पंडितजीसे सम्पर्क हुआ। दोनों महानुभावोंको पंडितजी सुयोग्य ज्ञे। घर आकर और अपने दोनों भाईयो (शाह अर्जुनलालजी, व शाह दयाचन्द्रजी, परिवार जनों तथा रिश्तेदारोंसे परामर्श करके शाहजीने निर्णय लिया कि अपनी लड़कीके लिए पंडितजी सबसे उपयुक्त और सुयोग्य लड़के हैं। फलतः पंडितजीका सम्बन्ध सन् १९२८ में शाह मौजीलालजीकी सुपुत्री लक्ष्मीबाईके साथ सम्पन्न हो गया।

पंडितजीके अनुरूप धर्मपत्नी :

यो तो प्रत्येक पुरुषकी धर्मपत्नी उनके अनुरूप होती या बन जाती है। किन्तु पंडितजीको धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई स्वभावान् उनकी समान-गुणधर्मा थी। उनमें गाम्भीर्य, सहज स्नेह, वात्सल्य, उदारता, दयालुता, सहनशीलता, अक्रोध, अमान, अमाया, अलोक जैसे गुण विद्यमान थे। अस्वस्थ होने पर भी वे पंडितजीकी दिनचर्या और आतिथ्यमें कभी शैथिल्य नहीं करती थी। कुटुम्बियों और रिश्तेदारोंके प्रति उनके हृदयमें अगाध स्नेह एवं आदर रहा। पंडितजीको यह भी पता नहीं रहता था कि घरमें क्या चीज है और क्या नहीं है। पैरोंमें कभी चप्पले नहीं पहनी। लोग कहते थे कि—“देखो, लछोबाईको इननी सम्पन्न होनेपर भी उसकी कितनी सादी वेश-भूषा है। पैरोंमें चप्पलें भी नहीं पहनती हैं।” वास्तवमें लक्ष्मीबाई सतयुगी गृहणी थी और स्वयं लक्ष्मी। सहनशीलता एवं कुटुम्बप्रेम तो उतना था कि प० बालचन्द्रजी सिद्धान्ताश्रमी (भतीजे), डॉ० प० दरबारीलाल कोटिया न्यायाचार्य (भतीजे), प० बालचन्द्रके दो बच्चों और एक बच्ची तथा हमारी (प० हुलीचन्द्र, भतीजेकी) दो बच्चियोंकी धार्मिक उन्नोने अपने घरसे ही की। पर कभी अन्यथाभाव प्रदर्शित नहीं किया। यह स्त्रीस्वभावकी दृष्टिसे कम महत्त्वकी बात नहीं है। यह वैदकी विदम्बना है कि वे ५८ वर्षकी आयुमें ही कालकवलित हो गयीं। अपने पीछे वे तीन सुयोग्य पुत्रों तथा तीन सुयोग्या पुत्रियोंके भरे-पूरे परिवारको छोड़ गईं। ऐसी सतयुगी देवी श्रेष्ठया श्रीमती लक्ष्मीबाईको हमारे शत-शत नमन हैं।

परिवार :

पंडितजीके तीन पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। यह संयोग ही है कि पुत्र-पुत्रियोंकी सख्या समान है। पुत्र हैं १. विभव कुमार (४२), २. विवेक कुमार (४०), ३. विनोत-कुमार (३२)। विभवकुमार अपने पश्चिम वस्त्रव्यवसायमें संलग्न हैं। दूसरा पुत्र विवेक कुमार इन्जीनियर

सिद्धान्तार्य ढरिहत डंशरिशर त्ढारकरणाचार्य के
कुछ अरररररणीर क्खणों की
चररररर ड्ढाँकी



श्रीमती स्व० लक्ष्मी बाई
(व० प० पं० बंजीधर व्याकरणाचार्य)



श्रद्धेय प० बंजीधर व्याकरणाचार्य, बीना




सत्याश्रीके रूपमें
व्याकरणाचार्यजी




श्रावस्ती वि० प० के अध्यक्षके रूपमें
श्री प० बनीधर व्याकरणाचार्य



व्याकरणाचार्यजी जयपुर खानिया
तत्त्वचर्चकी समीक्षाके लेखनमें व्यस्त ।



व्याकरणाचार्यजी स्वाभ्यासमें तल्लीन हैं ।




मुम्बई-गुरु ५० गोपालदासजी वैज्या जन्मसनान्दिके समागोह-अवसर पर
समस्त भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वानों और श्रीमन्तोके साथ प्रथम पत्रिके दि० ५० के अध्यक्ष
५० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, साहु शान्तिप्रसाद, मर सैठ भागचन्द्रजी मोनी, ५० कैलाशचन्द्रजी, ५०
फूलचन्द्रजी शास्त्री, ३० रतनचन्द्रजी मुस्तार, प्रो० लुशालचन्द्रजी गोरवाला, डॉ० दरबारीलालजी
कोठिया आदि ।



५० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य
भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणी तथा १० वर्षी जैन ग्रन्थमाला समिति,
वाराणसीकी बैठकोमे सम्मिलित सदस्यगणके साथ (१९६५-६६)



ब्याकरणाचार्यजी दीर्घ निवृत्ति भारती मेटकी ओरमे सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत



ब्याकरणाचार्यजी सागर-वाचनामे विद्वत्परिवर्द्धके अध्यक्ष डॉ० दरबारीलाल कोटिया द्वारा विद्वत्परिवर्द्धकी ओरसे 'जैन शासनमे निदधय और व्यवहार' कृतिके लिए पुरस्कृत एवं सम्मानित



व्याकरणाचार्यजी सागर-वाचनामे मुनिमंथ
समितिको ओरमे उसके अध्यक्ष सि० जीवन-
कुमार द्वारा सम्मानित



व्याकरणाचार्यजी सागर-वाचनामे सागर-समाजकी ओरसे उनके अध्यक्ष श्री सागरचन्द्र दिवाकर
द्वारा सम्मानित



व्याकरणाचार्यजीको सागर-बाचनाके अवसरपर सागर समाज द्वारा दिया जा रहा सम्मान पत्र समाजके प्रतिष्ठित विद्वान् प० जगन्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री पढ़ रहे हैं ।



पूज्य आचार्य विद्यानागरजीके सन्निधानमें हुर्द सागर-बाचना वर्णी भवन, मोगाजीमें आयोजित विद्वत्सम्मान समारोहमें सम्मानित व्याकरणाचार्यजी अपने सम्मानपर कृतज्ञता प्रकट करते हुए ।



मिवनी-अधिवेशनमें व्याकरणाचार्यजी अध्यक्षीय भाषण करने हुए ।



मिवनी अधिवेशन सन् १९६५

निवर्तमान अध्यक्ष नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य और निर्वाचित अध्यक्ष प० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य



सागर-वाचनामे सम्मिलित विद्वान्तोके साथ व्याकरणाचार्यजी प्रथम पत्रिके आमोन हे ।



श्रद्धेय व्याकरणाचार्यजी अपने भ्रातृव्य डॉ० दरबारीलाल कोटिया न्यायाचार्यके साथ



स्याद्वाद परिवार

स्याद्वाद दि० जैन महाविद्यालय वाराणसीके भूतपूर्व एवं वर्तमान छात्र तथा अध्यापकगण, १९६५-६६
व्याकरणाचार्यजी प्रथम पवित्रमे दायसे छटे स्थान पर ।



२२-१०-६३ से १-११-६३ तक जयपुर स्वानियामें आयोजित तत्त्वचचामि सम्मिलित
त्यागीवर्ग, विद्वद्गर्ग और श्रेष्ठिवर्ग
व्याकरणाचार्यजी पहली पक्तिमें दायसे तीसरे स्थान पर आसीन हैं ।



श्री बंशीधर मुकुन्दलाल




स्वतंत्रता के पच्चीसवें वर्ष


के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में
स्मरणीय योगदान के लिये राष्ट्र की ओर से
प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने
यह सन्मानपत्र भेंट किया

15 अगस्त 1972

24 मार्च 1894 एकादश



श्री बंशीधर
मुकुन्दलाल



श्रद्धेय व्याकरणाचार्यके सम्मानमें
वीर निर्वाण २५००वें महोत्सव पर मन १९७४ में
वीर-निर्वाण-भारती द्वारा दिया गया प्रशस्ति-पत्र



११ अगस्त १५ अगस्त १९८९ तक आयोजित मायादेक-मण्डली बैठकमें
संस्थादेक-मण्डल अभिनन्दन-भाष्यकी मासवीके वाचनमें व्यस्त ।

साक्षात्कार

डॉ० कोटिया और व्याकरणाचार्य

• डॉ० दरबारीलाल कोटिया, बीना

[अभिनन्दनीय सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य राष्ट्र एवं समाजके उन वरिष्ठ मनीषियोंमें हैं, जिनकी राष्ट्रसेवा एवं सैद्धान्तिक पकड़ बहुत गहरी है और जो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियोंमें भाग लेनेके साथ 'स्वतंत्रता-सेनानी' भी हैं। हालमें आपसे हमने जो साक्षात्कार लिया वह महत्त्वपूर्ण एवं ज्ञातव्य होनेसे यहाँ दिया जाता है।

—प्र० सं०]

को० : स्वतंत्रता-आन्दोलनमें आपकी प्रवृत्ति कैसे हुई ?

व्या० : मैं सन् १९२० के अन्तमें संस्कृतका अध्ययन करनेके लिए पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी न्यायाचार्यके, जो बादमें अपनी अल्पम अवस्थामें मुनि श्री १०८ गणेशकीर्तिके नामसे विगम्बर साधु हो गये थे, साथ वाराणसी गया था और उनकी छत्रछायामें रहकर स्यादाद विगम्बर जैन विशालयमें सन् १९३१ के अप्रैल तक मैंने संस्कृतका अध्ययन किया।

देशमें स्वतंत्रता आन्दोलन चल ही रहा था। अतः मेरे अन्तःकरणमें देशकी स्वतंत्रताकी भावना जागृत हुई। यन् उस समय मैं अध्ययनरत था, इसलिए इच्छा रहते हुए भी स्वतंत्रता आन्दोलनमें मैंने भाग नहीं लिया। उनके पश्चात् सन् १९३५ तक स्थिर होकर नहीं रह सका। सन् १९३५ के अन्तमें बीना (म० प्र०) में कपड़ेका व्यापार प्रारम्भ किया। तब कांग्रेसका सदस्य बनकर उस समयके वातावरणमें कांग्रेसकी नीतिके अनुसार प्रवृत्तियाँ करता रहा और सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें कूद पडा। और जब महारमा गांधी सहित कांग्रेस कार्यकारिणीके सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गये, तब आन्दोलनसे सम्पूर्ण देश अछूटा न रह सका। बीनाके गांधी भाने जानेवाले श्री नन्दकिशोर मेहता सर्वप्रथम गिरफ्तार कर लिए गये। उसके पश्चात् मेरी गिरफ्तारी हो गयी और मुझे सागर (म० प्र०) जेलमें भेज दिया गया।

को० : सागर (म० प्र०) जेलमें आप कब तक रहे और अन्य जेलोंमें कहाँ-कहाँ रहे ? उनके कुछ अनुभव भी बताइये ?

व्या० : सागर जेलमें करीब आठ दिन रहा और उसके बाद मुझे कई आन्दोलनकारियोंके साथ नागपुर सेट्रल जेलमें भेज दिया गया। उस समय पं० रविशंकर शुक्ल और पं० डारिकाप्रसाद मिश्र जैसे अनेक मध्यप्रान्तीय नेता भी उसी जेलमें थे। जेलका वातावरण बहुत अच्छा था। समय भी अच्छी तरह बीत रहा था। और भी आन्दोलनकारी उस जेलमें आते रहे। सभीको ब्रिटेशनमें रखा गया। धीरे-धीरे कैस चलनेकी प्रक्रिया चालू हुई। मुझे भी कैस चलानेके इरादेसे करीब साढ़े छह मास बाद सागर जेलमें प्रत्यावर्तन (वापसी) कर दिया गया। मजिस्ट्रेटने मुझे तीन माह कैदकी सजा दी। तब जेल अधिकारियोंने अनेक व्यक्तियोंके साथ अमरावती जेलमें भेज दिया। वहाँ मासूम अली जेलका सुपरिन्टेण्डेंट था, जो बहुत क्रूर था। उसने सागरके पं० ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी व पद्मनाभ तेलंगकी गुनाहखानेमें पहले ही भेज दिया था।

जिस दिन हम लोग अमरावती जेलमें पहुँचे, उस दिन धनिवार था। दूसरे दिन रविवार-की छुट्टी थी। हम सभी व्यक्ति श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी और पद्मनाभ तैलंगके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनेके लिए एक साथ बैठे तथा अपना भविष्यका कार्यक्रम निर्धारित करनेकी बात हम लोगोंमें सोची। सब लोगोंमें एक स्वरसे पं० ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी और पद्मनाभ तैलंगको गुनाह-खाने भेजनेके विरोधमें कार्यक्रम निर्धारित करनेका निर्णय किया। यह तो ठीक था, पर मैंने सबके सामने यह बात रखी कि सभीको ब्याप्तगत हैसियतसे भी विरोध करनेके लिए तैयार रहना चाहिए, तो सभी पीछे हट गये।

सोमवारके प्रातः जिस समय सुपरिन्टेण्डेंट आनेवाला था, उसके पहले मुझे और श्री हर्षचन्द मारीठी दमोहवालोंको छोड़कर सभी सुपरि० के कार्यक्रममें सम्मिलित होनेके लिए बैरकसे बाहर आ गये और उनके आदेशका पालन करने लगे। इसके पश्चात् जेलरके माथ सुपरि० बैरकमें आया और मुझसे कहा कि 'कार्यक्रममें क्यों सम्मिलित नहीं हुए, क्या तुम्हें गुनाहखानेमें जाना है?' मैंने उत्तर दिया कि मैं श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी और पद्मनाभ तैलंगको गुनाहखानेमें भेजनेका विरोध करता हूँ। तब उसने जेलरसे कहा कि इन्हें गुनाहखानेमें भेज दो। फिर मारीठीजीके पास वह पहुँचा और कहा कि तुम भी गुनाहखानेमें जाना चाहते हो। उन्होंने उत्तर दिया कि जहाँ चाहो वहाँ भेज दो। मैं भी ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी और पद्मनाभ तैलंगको गुनाहखानेमें भेजनेका विरोध करता हूँ।' इस तरह हम दोनोंको गुनाहखानेमें भेज दिया गया और आगे चलकर हमारी 'बी' क्लासकी सभी सुविधाये छीनकर 'सी' क्लासमें परिवर्तित कर दी गई। तीन माह कैदकी मजा पूरी होनेपर जेलके नियमोंको तोड़नेके आधारपर जेलके अन्दर ही मजिस्ट्रेटको बुलाकर केस चलाया। हमने जमानतपर छूटनेकी दरखास्त दी, जिसे मजिस्ट्रेटने अस्वीकार कर दिया। तब हम दोनोंने अमरावतीमें रह रहे अपनी मम्बन्धियोंके पाम सदेश भिजवाया कि जमानतके लिए सेवान कोर्टमें जमानत स्वीकृत करनेके लिए दरखास्त देनेकी व्यवस्था करो। हम लोगोंकी जमानत स्वीकार कर ली गयी और हमारे भतीजे पं० बालचन्द्र शास्त्री, अमरावतीके प्रतिष्ठित सिधार्थ पन्नालालजी रईस-को, जो जमानतदार थे, साथ लेकर जेल आये। साथमें मारीठीके जमानतदार भी थे। इन सबको जेलके फाटकपर चार-पाँच घण्टे इन्तजार करना पडा, तब कहीं शामको ५ बजे हम लोगोंको जमानतपर छोड़ा गया। जेलसे बाहर आनेपर केस आगे बढ़ा। उसमें हमलोगोंके वकीलने, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बिना फीम लिए केस लडा। परिणाम यह हुआ कि अदालतने हम दोनोंको निर्दोष घोषित कर छोड़ दिया।

को० . स्वतन्त्रतासे मम्बन्धिन और उसके बाद उत्पन्न परिस्थितियोंके सम्बन्धमें आपके क्या विचार हैं ?

व्या० . स्वतन्त्रता आन्दोलनमें यद्यपि देशवाशियोंने नि स्वार्थभावसे भी भाग लिया था, परन्तु उस समय कांग्रेसके जो चुनाव होते थे, उनमें कांग्रेसीजन प्रायः अनैतिक हथकण्डे अपनाकर सफलता प्राप्त कर लेते थे। ऐसी घटनाये हमेशा होती ही रहती थी। मैं ऐसी बातोंका विरोध भी करता था। पर कांग्रेसके उच्च पदाधिकारी भी उसको उपेक्षित कर देते थे। ये बार्न राजनैतिक नेताओंके भावी आचरणोंका संकेत थी।

ऐसी ही एक घटना मेरे साथ हुई थी। बीनाकी नगर काँग्रेस कमेटीके सदस्योंने सर्व-सम्मतिसे मध्यप्रान्तीय काँग्रेस कमेटीकी सदस्यताके लिए मेरे न चाहते हुए भी मुझे उम्मीदवार

घोषित किया था। पर जिला कांग्रेस कमेटीके पदाधिकारियोंके कहनेपर एक अन्य व्यक्ति उम्मीदवार बन गया था, जिसके कारण मतदान हुआ और उसमें अनुचित तरीके भी अपनाये गये। हालांकि मैं सफल हुआ, क्योंकि मेरे पक्षमें श्री नन्दकिशोरजी मेहताने बड़ी मेहनत की थी।

आज देशका जो राजनैतिक गंदा वातावरण चल रहा है, उसका कारण यही है कि लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए देशकल्याणकी उपेक्षा कर रहे हैं। जो शासन पार्टी है वह अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए गलत तरीके अपना रही है और दूसरी राजनैतिक पार्टियाँ भी सत्ता पानेके लिए गलत तरीके अपनातेसे नहीं नूक रही हैं। इसे देशका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। आज जो समूचा देश भ्रष्टाचारमें डूबा हुआ है वह इसीका परिणाम है।

को० : आपकी दृष्टिमें उसे दूर करनेका क्या कोई उपाय है ?

व्या० : स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर महात्मा गाँधाने कांग्रेसी नेताओंको यह मुझाव दिया था कि कांग्रेसका राजनीतिक स्वरूप समाप्त कर दिया जाये। उमे केवल लोक-संस्था ही बनी रहने दिया जाये। परन्तु कांग्रेसी नेताओंने महान्माजीके उन मुझावको अस्वीकृत कर दिया था। यदि महात्माजीके मुझावको तत्कालीन कांग्रेसी नेता स्वीकार कर लेते, तो भ्रष्ट विश्वास है कि राजनीतिक पार्टियाँ और देश पतनकी ओर नहीं जाते। आज एक उपाय सम्भव है कि शासक पार्टी अपनेको सुधारें तो दूसरी राजनैतिक पार्टियाँ और देश सुधर सकता है। सुधार ऊपरसे ही हो सकता है, नीचेसे नहीं।

को० : क्या आपने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियोंमें भी भाग लिया है और वे कौन-कौनसी हैं ?

व्या० : हाँ, लिया है। प्रथमतः दत्तापूजाधिकारको ले लें। समाजमें यह प्रथा चालू रही है कि कोई व्यक्ति विधवा-विवाह कर ले, तो उसे जातिसे बहिष्कृत कर दिया जाता था और उसे धर्मसाधनके स्थान मन्दिरमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ऐसे व्यक्तियोंको दत्ता कहा जाता था और उनको पीढ़ी-दर-पीढ़ी सन्तान भी दत्ता कही जाती थी। धीरे-धीरे इस प्रक्रियामें सुधार हुआ। पर ऐसे व्यक्तियोंको मन्दिरमें पूजा करनेका अधिकार फिर भी नहीं था। गुरु गोपालदास बरैयाने इस विषयमें चल रहे एक अदालती केसमें बहुत पहले दत्ताओंके मन्दिर-प्रवेश और पूजाधिकारका दृढतासे अपनी गवाहीमें समर्थन किया था।

वर्तमानमें करीब मन् १९३८ में, ग्राम बामौरा, जिला सागरमें एक व्यक्तिके विधवा-विवाह करनेपर मन्दिरके सब अधिकार वहाँकी समाजने उससे छीन लिए। लेकिन वह इसके विरुद्ध आवाज उठाता ही रहा। इसी मिलसिलेमें वह बीना आया और पं० फूलचन्द्रजी मिदान्तमान्नी और मुझसे सम्पर्क स्थापित किया। उस समय पं० फूलचन्द्रजी और मैं समानरूपसे सुधारवादी दृष्टिकोणके थे। इसलिए हम लोगोंने एक "सन्मार्ग प्रचारिणी समिति" की स्थापना की। हालांकि दिगम्बर जैन परिषद् पहलेसे ही इमका आन्दोलन चला रही थी। पर हमलोगोंने उसे गति देनेके लिए इस समितिकी स्थापना की थी। समितिके द्वारा हमलोगोंने बामौराकी समाजको सम्झानेका प्रयत्न किया। परन्तु जब वहाँकी समाज उन व्यक्तिको पूजाधिकार देनेके लिए तैयार नहीं हुई, तो बाकायदा अदालतमें केस ले जानेका निर्णय किया। केस चला। परन्तु इस क्षेत्रकी जैन समाजका बल बामौराकी समाजको मिला और उस केसमें हमें सफलता नहीं मिली।

को० : क्या दत्तापूजाधिकारका मामला फिर आगे नहीं बढ़ा ?

व्या० : बड़ा है। इसी बीच कुम्हारई ग्राममें परवार समाजा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशनमें पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री और पण्डित महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने दत्तापूजाधिकारका प्रस्ताव विचारार्थ रखा। अधिवेशनके सभापति पण्डित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री थे और महात्मनी श्रीमन्त सेठ बृद्धिचन्द्रजी सिवनी थे। उन्होने समाजके प्रतिरोधको झेझकर उस प्रस्तावको अप्राप्त करनेके लिए एक समानान्तर प्रस्ताव तैयार किया, जिसे पण्डित फूलचन्द्रजी और पण्डित महेन्द्रकुमारजी माननेके लिए तैयार नहीं थे। मैं भी उस अधिवेशनमें सम्मिलित हुआ था। पर परवार समाज का अंग न होनेके कारण मुझे बोलनेका अधिकार नहीं था। इसलिए अध्यक्षकी आसन्दीके पास जाकर उनसे मैंने वह प्रस्ताव मुझे दिखानेका आग्रह किया। उस प्रस्तावको मैंने गौरसे देखा और अध्यक्ष महोदयसे उसे पास करानेका आग्रह किया। साथ ही मैंने पं० फूलचन्द्रजी और पं० महेन्द्रकुमारजीसे कहा कि अपने प्रस्तावको वापिस ले लो और जो समानान्तर प्रस्ताव तैयार किया गया है उसे पास होने दिया जाये। पं० फूलचन्द्रजी और पं० महेन्द्रकुमारजी मेरी बातको मान गये और वह समानान्तर प्रस्ताव पास हो गया। उसमें जो महत्त्वकी बात थी वह यह थी कि उस प्रस्तावमें दत्तापूजाधिकारके विषयमें उस-उस ग्रामकी पंचायतोंको यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहें, तो दत्ताओंको पूजा करनेका अधिकार दे सकती हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि परवार समाजको दत्ताओंका मन्दिरमें जाकर पूजा करनेका अधिकार मान्य है।

अब स्थिति यह है कि दत्ता लोग मन्दिरमें जाकर बेरोकटोक पूजा-प्रशाल करते हैं और दिगम्बर मुनियोंको आहारदान भी देते हैं और अब तो बेटी-व्यवहार भी होने लगा है।

को० यह तो आपकी सामाजिक गतिविधि हुई, वास्तविक भी कोई आपकी गतिविधि है ?

व्या० : सांस्कृतिक गतिविधियों में मैंने भाग लिया है। जब देवगढ़ तीर्थक्षेत्रपर श्री गणपतलालकी मुद्रा खुर्दकी ओरसे गजरथका आयोजन किया जा रहा था, तब सम्मार्ग-प्रचारिणी समितिने विरोध करनेका आंदोलन अपने हाथमें लिया। मैं समितिका मंत्री था और पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री उसके संयुक्त मंत्री थे। पत्र-पत्रिकाओंके माध्यमसे गजरथ-विरोधी आन्दोलनका धीरे-धीरे प्रभाव समाजमें बढता गया, जिसे अनुभव कर दिगम्बर जैन परिषद आन्दोलनमें सामने आई। परिणामतः वह आंदोलन परिषद्के अन्तर्गत चला गया, क्योंकि सम्मार्ग प्रचारिणी समिति उसके सिद्धान्तोंको स्वीकार करती थी। पर परिषद्के एक प्रमुख कार्यकर्ताने समाचारपत्रोंमें यह घोषणा कर दी कि मैं और मेरी पत्नी प्रथम व्यक्ति होंगे; जो रथके सामने लेटकर सत्याग्रह करेंगे। इसका प्रभाव समाजपर प्रतिकूल पड़ा। फलतः यह आन्दोलन स्थगित करना पड़ा।

इसके पूर्व एक गजरथका आयोजन बारबौन (ललितपुर) में हुआ था। उसे रोकनेके लिए परवार समाजके प्रमुख पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, श्रीमन्त सेठ बृद्धिचन्द्रजी सिवनी और सिधई कुंवरसेनजी सिवनी (म०प्र०), महावरा (ललितपुर, उ०प्र०) गये थे। उन्होंने महावरामें एक बैठककी, जिसमें महावराकी समाजके साथ बारबौनके गजरथकार श्री चन्द्रभानजी भी सम्मिलित हुए थे। उस बैठकमें अनुकूल निर्णय न हो सकनेके कारण परवार समाजके उक्त तीनों प्रतिनिधियोंने अनमन करनेकी घोषणा की और उस घोषणाका प्रभाव जब गजरथकारपर नहीं पड़ा, तो उन्होने गजरथकारके सामने यह प्रस्ताव रखा कि गजरथ तो किया जाये, पर पण्डितभोज बन्द करके उसमें व्यय होने वाले इन्धनोंके देवगढ़ क्षेत्रके लिए दे दिया जाये। फिर क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। तात्पर्य यही है कि उस अवसरपर परवारसभा भी गजरथ विरोधकी हामी थी।

को० : केवलारी (सागर) के गजरथ-विरोधमें आपका क्या दृष्टिकोण रहा ?

व्या० : देवगढ़के गजरथके बाबू केवलारी, जिला सागरमें भी गजरथका आयोजन हुआ था। और सम्पूर्ण प्रचारिणी समितिने उसके विरोधमें भी आन्दोलन किया था तथा दमोह, टीकमगढ़ आदि नगरोंके गजरथ विरोधी व्यक्ति भी गजरथके अवसरपर केवलारोमें झकूटे हुए थे। वहीपर यह निर्णय किया गया था कि अनसन द्वारा गजरथके विरोधमें आवाज बुलन्द की जाये। इस निर्णयके अनुसार कुछ व्यक्ति, जिनमें पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री प्रमुख थे, अनसनपर बैठे, जिसका प्रभाव यह हुआ कि पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री व पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री आदि परभार समाजके प्रमुख व्यक्तियोंने गजरथके विषयमें भविष्यके लिये नीति-निर्धारण करनेकी बात सोची और सम्मेलन भी आयोजित किया। उसमें गजरथविरोधी व्यक्ति भी सम्मिलित हुए। उस सम्मेलनमें एक प्रस्ताव पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्रीने प्रस्तुत किया, जिसे गजरथविरोधियोंकी तरफसे स्वीकार करनेकी बात मंजूर नहीं। पर पं० जगन्मोहनलालजीने स्वयं एक संशोधन उपस्थित कर दिया। उसको भी जब मंजूर स्वीकार किया, तो उसपर भी एक संशोधन उन्होंने रखा। इस तरह कई संशोधन एक-के-बाद-एक वे रखते गये और सभीको गजरथविरोधी स्वीकार करते गये; क्योंकि वे गजरथविरोधी भावनाके अनुकूल थे। अन्तमें सम्मेलनमें तय हुआ कि स-भाग प्रचारिणी समितिका कोई पदाधिकारी कारंजा पहुँचकर पं० देवकीनन्दनजी सि० शा० के साथ विचार-विनिमय करे और योग्यतम निर्णय करनेमें पं० देवकीनन्दनजीको सहयोग दे। मैं इसी उद्देश्यसे कारंजा गया। परन्तु पं० देवकीनन्दनजीने निर्णय करनेमें उत्सुकता नहीं दिखाई। उसका परिणाम यह हुआ कि बागै चलकर गजरथ निराज्वाब चलने लगे, जो अबतक चल रहे हैं।

यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि केवलारी सम्मेलनमें तो संशोधन एक-के-बाद-एक रखे गये, उस सम्मन्धमें मैंने दूसरे दिन पं० जगन्मोहनलालजीसे कहा कि आपका प्रस्ताव और उसके प्रत्येक संशोधन गजरथविरोधियोंने मान्य कर लिए, फिर क्यों आपने संशोधनों सहित प्रस्ताव पारित नहीं कराया और क्यों नये-नये संशोधन प्रस्तुत किये ? उन्होंने जवाब दिया कि परवारासमाजके कुरबाई अधिवेशनमें दस्सापुजाधिकारके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पास किया था, उसे जब पं० फूलचन्द्रजी और पं० महेन्द्रकुमारजीने स्वीकार कर लिया, तो हम लोगोंको शंका हुई कि प्रस्तावमें कोई-न-कोई सामी अवश्य है। वही शंका गजरथके विषयमें रखे गये प्रस्ताव और संशोधनोंको गजरथ-विरोधियों द्वारा स्वीकार कर लिए जानेपर हम लोगोंको हुई, जिससे गजरथके विषयमें नीति-निर्धारणकी बात आगेके लिए टाल दी गयी है। आगे जो कुछ हुआ, वह ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है।

को० : आपने सस्थाओंकी भी सेवा और संचालन किया है, उनके विषयमें आपके कैसे अनुभव हैं ?

व्या० : बीना (सागर) में, जहाँ मैं रहता हूँ, जैन समाजकी एक सामाजिक संस्था है, जो बहुत पुरानी है। वह संस्था सांस्कृतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाके साथ सामाजिक व्यवस्था भी करती है। उसका मैं सन् १९३८ से १९४० तक सहायक मंत्री रहा। उसके पश्चात् सन् ४१ से ४३ तक मंत्री रहा। सन् ४४ में संस्थाके अध्यक्षकी नीतिसे क्षुब्ध होकर कई पदाधिकारियोंके साथ मैंने मनी पदसे त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद सन् ५३ में इच्छा न रहते हुए सदस्योंके आग्रहपर संस्थाका मंत्रित्व पुनः सम्हालना पड़ा। फलतः सन् ६८ तक मैं उसका मंत्री रहा। आर अशक्तित्वका मंत्रित्व छोड़ देनेपर तीन वर्ष तक उसका उपाध्यक्ष रहा।

ज्ञातव्य है कि सन् ५३ में संस्थाका जो चुनाव हुआ, उसमें गोलालारीय समाजका योग्यतम व्यक्ति अध्यक्ष चुना गया और गोलार्पूर्व होते हुए भी मुझे मंत्री चुना। इसपर सुरई (सागर) की परवार समाजने बीनाकी परवार समाजके प्रति कहा कि बीनामें परवार समाजका बाहुल्य होनेपर भी गोलालारीय समाजके व्यक्तिको अध्यक्ष और गोलार्पूर्व समाजके व्यक्तिको मंत्री निर्वाचित करना बीनाकी परवार समाजकी अयोग्यता सूचित करता है। पर इसका कुछ भी प्रभाव बीनाकी समग्र समाजपर नहीं पडा और सन् ७१ तक यहाँकी समाजका ऐसा ही दृष्टिकोण बना रहा।

किन्तु सन् ७१ में संस्थाका जो चुनाव हुआ, तो परवार समाजके कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा तीनों समाजोंमें श्रेयकी नीति अपनाई गई। इससे मुझे ग्लानि हुई और मैंने सस्यसे ही त्यागपत्र दे दिया। खेद यही है कि हम छोटे-छोटे भेदोंमें उलझ जाते हैं और सम्पूर्ण समाजके ऐक्यके उदार दृष्टिकोणको त्याग देते हैं। यह हमारो संकुचितताका ही दोष है।

को० : क्या आप अन्य संस्थाओंसे भी संबद्ध रहे हैं ?

ज्या० : हाँ, मैं कई ग्रन्थ तत्वाधानों में संबद्ध रहा हूँ। उनमें मुख्यरूपमें दो संस्थायें हैं—(१) श्री गणेश प्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमाला और (२) अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद्। वर्णा जैन ग्रन्थमालाके स्थापनाकालमें ही मैं उसका मंत्री रहा और पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री उसके सहायक मंत्री रहे। पर बादमें उनसे मतभेद हो जानेके कारण मैंने संस्थाके मंत्री पदसे त्यागपत्र दे दिया। पं० फूलचन्द्रजीके मुझावके अनुसार ग्रन्थमालाको पं० पन्नालालजी साहिद्याचार्यके अध्यक्षपदकल्पमें सागर भेज दिया गया। पर कुछ कारणोंसे उन्होंने उसे पुन बाराणसी वापिस बुला लिया। इसके पश्चात् डॉ० दरबारीलाल कोटियाको उसका मंत्री बनाया गया। डॉ० कोटियाने उसे काफी समुन्नत बनाया। परन्तु ऐसी परिस्थितियोंका निर्माण हुआ कि उन्हें भी ग्रन्थमालाके मंत्रित्वसे त्यागपत्र देना पडा।

दूसरी संस्था भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्का भी मैं कई वर्षतक मंत्री रहा और मन् १९६५ में हुए सिवनी अधिवेशनका अध्यक्ष चुना गया। श्रावस्तोमें हुए उसके नैमित्तिक अधिवेशनका भी अध्यक्ष मैं ही रहा। मुझे प्रमन्नता है कि मेरे अध्यक्षकालमें गुरु गोपालदास शाताब्दि-समारोह विद्वत्परिषद्ने माहू शान्तिप्रसादजी जैनकी अध्यक्षतामें दिल्लीमें मनाया और गुरु गोपालदास वर्ण्या स्मृति-ग्रन्थका प्रकाशन भी इस अवसरपर उसने किया। विद्वत्परिषद्के ये दोनों कार्य स्मरणीय रहेंगे।

को० : आपकी स्फुट प्रवृत्तियाँ और भी रही होगी, उनके सम्बन्धमें कृपया दिग्दर्शन करें ?

ज्या० : मेरी कुछ स्फुट प्रवृत्तियाँ भी रही। उदाहरणार्थ—जब पं० फूलचन्द्रजी सि० शा० नाते-पोते (सोलापुर) में कार्य कर रहे थे, तब वहाँकी समाजने 'शान्ति-सिन्धु' नामसे एक मासिक पत्र निकालनेका निर्णय लिया। उसका सम्पादक पं० फूलचन्द्रजीका और उपसंपादक मुझे बनाया गया। सनातन जैन समाजकी ओरसे प्रकाशित होनेवाले 'सनातन जैन' मासिकपत्र का भी सम्पादक कई वर्षों तक रहा। यह पत्र बुलन्दशहरसे निकलता था और उसके प्रकाशक थे श्री मंगतराय 'साधु'।

को० : सोनगढ़ और उसकी विचारधाराके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है ? आज उसकी सर्वाधिक चर्चाका कारण क्या है ?

ज्या० : श्री कानजी स्वामीके आग्रहमें सोनगढ़में सन् १९४७ में अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्का अधिवेशन बुलाया गया था और अधिवेशनके अध्यक्ष पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री निर्वाचित हुए

ये। विद्वानोंको भी स्वामीजीके विचारोंसे परिचित होनेकी इच्छा थी। इसलिए अधिवेशनमें प्राय सभी सदस्य-विद्वान् पहुँचे थे। वहाँ पं० फूलचन्द्रजी बीमार पड़ गये। अतः उन्हें कुछ समय वहाँ रहना पड़ा। वहन्नि आनेके बाद उन्होंने 'जैन तत्त्वमीमासा' नामसे एक पुस्तक लिखी। उनकी इच्छानुसार उसका वाचन जैन समाज बीनाके आमन्त्रणपर बीनामें एक विद्वद्गोष्ठीमें किया गया। विद्वद्गोष्ठीमें समाजके अनेक प्रमुख विद्वान् सम्मिलित हुए थे। पं० फूलचन्द्रजीकी उस पुस्तकपर विद्वानोंमें मतभेद फिर भी बना रहा।

उनकी उक्त पुस्तक प्रकाशित होनेपर कई विद्वानोंने उसके विरोधमें पुस्तक व लेख लिखे। मैंने भी 'जैन तत्त्वमीमासाकी मीमासा' नामक पुस्तक लिखी, जिसे पण्डित राजेन्द्र कुमारजी जैन, न्यायनीध, मधुराने 'दिगम्बर जैन संस्कृति-सेवक समाज' के द्वारा वरैया ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्रकाशित किया। इसके पश्चात् मैंने दूसरी पुस्तक 'जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था' के नामसे लिखी। उसका भी प्रकाशन पण्डित राजेन्द्रकुमारजीने उक्त संस्थाके द्वारा उक्त ग्रन्थमालाके अन्तर्गत किया। इसके पश्चात् 'जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार' पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 'श्रीमती स्व० लक्ष्मीबाई (धर्मपत्नी पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य) पारमार्थिक फण्ड' से हुआ। जिन विषयोंको पण्डित फूलचन्द्रजीने अपनी उक्त पुस्तकमें उल्लानेका प्रयत्न किया है उन्हींका इन पुस्तकों द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है।

सोनगढने अपनी विचारधाराको केवल अध्यात्मपरक ऐकान्तिकरूपमें निरूपित किया, जो जैनदर्शनके अनु-कूल नहीं है। उसीका नया संस्करण टोडरमल स्मारक भवन जयपुर है। दोनोने जैनदर्शनके तत्त्वोंको गलत रूपमें प्रस्तुत किया है और किया जा रहा है। उन्हीपर जयपुर (खानिया) में विद्वानोंकी परिषद्का आयोजन किया गया था। वह मंगोष्ठी कई दिन तक चली थी। पण्डित फूलचन्द्रजी शास्त्री, पण्डित जगन्मोहनलालजी शास्त्री और श्री नेमीचन्द्रजी पाटनी एक पक्षके प्रतिनिधि थे तथा न्यायाचार्य पण्डित भागिकचन्द्रजी, पण्डित मन्वान लालजी शास्त्री, पण्डित जीवन्धरजी न्यायतीर्थ, पण्डित पन्नालालजी साहित्याचार्य और मैं (पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य) एक पक्षके प्रतिनिधि थे। ध्यातव्य है कि इस परिषद्में और भी बहुत विद्वान् सम्मिलित हुए थे। यद्यपि परिषद्का बीतरागकषाके रूपमें आयोजित को थी, जिससे जैनागमका रहस्य खोला जा मके। किन्तु वह उससे हटकर विजिगीषुकषा बन गयी। इसलिए मुझे उस तत्त्वचर्चाकी समीक्षा करनेका संकल्प करना पड़ा। और उसके लिए 'जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा' के नामसे पुस्तक लिखनेका निर्णय किया, जिसका प्रथम खण्ड 'श्रीमती लक्ष्मीबाई (ध० पं० पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य) पारमार्थिक फण्ड' बीनासे प्रकाशित किया गया। इस खण्डमें प्रश्नोत्तर एकसे चार तककी समीक्षा की गयी है। द्वितीय खण्डमें पाँचवे प्रश्नोत्तरकी समीक्षा जो लगभग तैयार है। पर अभी उसका प्रकाशन आर्थिक व्यवस्था न हो सकनेके कारण नहीं हो सका। इन दो खण्डोंके अतिरिक्त दो खण्ड और होंगे। तीसरे खण्डमें छठे प्रश्नोत्तरोंसे लेकर आगेके कतिपय प्रश्नोत्तरोंकी और चौथे खण्डमें शेष प्रश्नोत्तरोंकी समीक्षा की जावेगी।

बात यह है कि सोनगढ और उसका पूर्णतया अनुयायी टोडरमल स्मारक भवन, जयपुरने दिगम्बर जैनधर्मके तत्त्वोंका ऐकान्तिक प्रचार एवं प्रसार किया और कर रहे हैं। इसी कारण दिगम्बर जैन समाजमें उनकी सर्वाधिक चर्चा है, क्योंकि समाजमें उन्होंने दूट पैदा कर दी है और जिसे रोकना जरूरी है।

व्याकरणाचार्यजी, हम आपके अत्यन्त आभारी हैं। आपने हमारे प्रश्नोंके जो समाधान किये हैं उनसे हमें ही नहीं, अपितु महकों पाठकोंको भी लाभ होगा और उन्हें कितनी ही नयी जानकारी मिलेगी।



विज्ञान व्यक्तित्वके धनी

● डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, जयपुर

जैन समाजके वरिष्ठ विद्वान् पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य क्याति-प्राप्त मनीषी हैं। वे प्रथम व्याकरणशास्त्रकार हैं। जैनशास्त्रके अन्धे व्याख्याता ही नहीं, किन्तु लेखनीके धनी भी हैं। जैन विद्वान्त एवं तत्त्वचर्चापर उनके लेख जैन पत्रोंमें प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। वे बड़े गम्भीर विद्वान् हैं। जब कभी समाजमें किसी सैद्धान्तिक पक्षको लेकर चर्चा छिड़ जाती है अथवा किसी मान्यताको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है तो पंडितजी चुप नहीं रहते और पूर्ण निर्भीकताके साथ अपने विचार समाजके सामने रख देते हैं। उनके विचार आजके अनुसार होते हैं। उनमें नीर-धीरका विवेक देखा जा सकता है।

पंडितजीने सन् १९६३ में सर्वप्रथम जयपुर (सानिया) तत्त्वचर्चामें सोनगढ़पक्षके विरुद्ध प्रमुख प्रवक्तृत्वाके रूपमें उभरिस्थित होकर अपनी विद्वत्ता एवं प्रतिभाकी धाक सारे समाजमें बिठा दी थी। पंडितजीने इस तत्त्वचर्चामें उस समय अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जब सोनगढ़का सूर्य अपने पूर्ण क्षितिजपर था। इसके पश्चात् उनकी कल्पम कभी नहीं बकी और निश्चयनय और व्यवहारनय जैसे बहुचर्चित विषयपर एक कृति लिखकर समाजको कस्तुका सही मूल्यांकन करनेमें महान् योगदान दिया।

अभी कुछ महीनों पूर्व जब आदरणीय डॉ० दरबारीलालजी कोटियायने कुछदलपुरमें विद्वत् परिषद्के वैयक्तिक अधिवेशनपर पंडित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यको अभिनन्दनग्रंथ भेंट करनेकी चर्चा चलाई, तो मैंने अपना प्रसन्नता प्रकट करते हुए डॉ० कोटिया साहबसे इस शुभ कार्यको धीमातिशीघ्र सम्पन्न करने तथा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करनेका प्रस्ताव भी उनके समक्ष रख दिया। इसके १-२ महीनोंके पश्चात् ही श्री बाबूलालजी फागुल, वाराणसीका अभिनन्दनग्रंथकी पूर्ण योजनावाला पत्र मिला। इसके पश्चात् अभिनन्दन-ग्रंथकी पूरी योजनाके संबंधमें डॉ० कोटिया साहबसे भीमहावीरजी जाकर भी चर्चा की। अभिनन्दनग्रंथके संबंधमें डॉ० कोटियाजी एवं फागुलजीके बराबर पत्र मिलते रहे। जब उन्होंने मुझे पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके व्यक्तिगत एवं जीवनपर एक विस्तृत लेख लिखनेके लिये लिखा, तो मैंने विषयव्यवस्था किया कि मुझे पंडितजीके व्यक्तिगतकी पूरी जानकारी लेनेके लिये स्वयं बीना जाना चाहिये।

आखिर मैं दि० ११ अगस्त, ८९ को प्रातः ९ बजे बीना पहुँचा। स्टेशनसे रिक्शा स्टैण्ड तक आया। जब मैंने रिक्शा वालोंसे पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यके घरपर चलनेको कहा, तो रिक्शा वालोने पंडितजीका नाम सुनते ही मुझे रिक्शामें बैठनेको कहा और २०-२५ मिनटमें ही मुझे उनकी दुकानपर लाकर छोड़ दिया। दुकानपर देखा पंडितजी एवं उनके पास दो युवक (उनके सुपुत्र प्रिय विभवकुमार एवं प्रिय विनीतकुमार) बैठे हुए हैं। मैंने अपना नाम बताया। पंडितजीको पहिचाननेमें न मुझे देर लगी और न उनको। उनसे मिलनेमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ट्रेनके लेट जाने एवं मार्गमें होने वाली अशुविधाओंके बारेमें बात होने लगी। थोड़ी ही देरमें डॉ० कोटिया साहब भी आ गये और फिर हम सभी बातोंमें डूब गये।

घर आनेपर पंडितजीको समीपसे देखनेका प्रथम अवसर मिला। प्रातः ३ बजेसे रात्रिके १० बजे तक उनकी विनयवादी देखी। पंडितजी ८४ पार कर चुके हैं। लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। घरमें उनका अलग ही कमरा है, जिसमें वे लेखनकार्य एवं स्वाध्याय करते हैं। पास ही पुस्तकोंका ढेर लगा है, जिनको वे कन्सर्ट करते रहते हैं। आज भी वे शास्त्रीय चर्चामें उतने ही जागृतक हैं जितने कभी अपनी युवावस्थामें रहे हैं। कमरेमें पुस्तकोंके अतिरिक्त कुछ प्रकाशितपत्र, जो उन्हें समय-समय पर राष्ट्र और समाज द्वारा मिलते

रहे हैं, आचार्योसि चित्र, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती रहती है, उनका एवं उनकी पत्नीका अलग-अलग बड़ा चित्र भी कमरेमें लगा हुआ है, जो संभवत युवावस्थाका है। उनकी पत्नीका कुछ वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। अपने स्वाध्याय एवं लेखनके अतिरिक्त बिना नागा प्रात ८ बजे मन्दिर जी जाते तथा प्रवचन करते हैं और वहाँसे आकर दुकानमें बैठ जाते हैं। पर पुत्रोंको परामर्शके मित्राय पंडितजी कुछ नहीं करते। दुकान दोनों पुत्र सभालते हैं। पुत्र सुयोग्य और विनम्र है।

दो दिन ठहरनेके पश्चात् मैंने उनमें कहा कि मुझे आपके बारेमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। यदि आपकी स्वीकृति हो, तो आज ही कुछ देर बैठ जावे। पंडितजीने पहले तो कहा कि उनके पास अपने बारेमें कहनेको क्या है, क्योंकि जीवनमें ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, जिसकी आपसे चर्चा कर सकूँ।

मैंने पंडितजीमें पुनः निवेदन किया कि आपका जीवन तो समाजकी धाती (धरोहर) है। समाजको गर्व है कि उन जैसा व्यक्तिव उसे मिला हुआ है, इसलिये उनके जीवनकी घटनाओसे वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आगे आनेवाली पीढ़ीको भी प्रेरणा मिलती रहेगी। जब मैंने उनसे पुनः अपने खट्टे-मीठे संस्मरण सुनावेके लिये कहा, तो पंडितजीने कहा कि 'ठीक है, जब आप कुछ प्रश्न पूछना ही चाहते हैं तो फिर मुझे प्रश्नोका उत्तर देनेमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

प्रश्न—आपका जन्म कब और कहाँ हुआ ?

उत्तर—पंडितजीने प्रश्नका उत्तर देते हुये कहा कि उनका जन्म सौरई (ललितपुर) ग्राममें संवत् १९६२ में हुआ था।

प्रश्न—मैंने सुना है आपको पिताश्रीका चिन्तन बहुत जल्दी हो गया ?

उत्तर—पंडितजीने चिन्तनमें डूबते हुये कहा कि डॉ० साहब, मेरे पिताजीका साया, जब मैं केवल तीन महीनेका शिशु था, तभी उठ गया था।

प्रश्न—उस समय घरमें कौन-कौन थे ?

उत्तर—मेरी माँ, मेरे बड़े भाई छतारेलालजी एवं एकमात्र बहिन थी।

प्रश्न—घरमें फिर कमाने वाला कौन बचा ?

उत्तर—घरमें कोई कमानेवाला नहीं था। मेरी माँने ही जैसे-तैसे (छोटी दुकान) करके मुझे, बड़े भाई व बड़ी बहनको पाला-पोषा।

प्रश्न—सुना है आपकी माँ भी आपको बाल्यावस्थामें ही छोड़कर स्वर्ग निधार गई ?

उत्तर—पंडितजीको अपने बाल्यकालकी याद आ गई और बड़े दुःखके साथ कहने लगे कि जब मैं केवल ११ वर्षका था, तभी माँ गुजर गई। यही नहीं, माँके चार दिन पहले ही बड़ा भाई गुजर गया। बहनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। डॉ० साहब, मेरा बाल्यकाल बड़ा संकटग्रस्त रहा। पहले तो घरमें कोई कमाने वाला था ही नहीं, लेकिन माँ एवं बड़े भाईके मरनेके पश्चात् मैं एकदम अनाथ हो गया।

प्रश्न—उस समय आप स्कूल तो जाते ही होंगे ?

उत्तर—वहाँ स्कूल जाता था। चौबी कक्षा पास करके स्कूल जाना छोड़ दिया। गाँवमें चार कक्षा तक ही स्कूल था। बाहर जाकर पढ़नेका तो प्रश्न ही नहीं था।

प्रश्न—माँके मरनेके पश्चात् आपका जीवन कैसे गुजरा ?

उत्तर—हाँ साहब, जीवनाका क्या गुजरना था, पहले डेढ़ वर्ष तक मामाके यहाँ रहा और फिर सगर चला गया ।

प्रश्न—आप बाराणसी ऐसी अवस्थामे कैसे चले गये ?

उत्तर—सागरमे एक दिन बड़े पण्डितजी गणेशप्रसादजी वर्षाके दर्शन हो गये । उस समय मैं कोई १४ वर्षका होऊँगा । पता नहीं, क्या देखकर वे मुझे अपने साथ बाराणसी ले गये और वही स्थापना महा-विद्यालयमे भर्ती करा दिया ।

प्रश्न—बनारसमें कितने वर्ष तक पठते रहे ?

उत्तर—वर्षाजीके कहनेसे मुझे प्रवेशिकामें भर्ती कर लिया । बाराणसीमे ११ वर्ष तक अध्ययन किया । व्याकरणाचार्य वहीसे पास किया । हमारे जमानेमे धर्मशास्त्रका कोई विशेष महत्त्व नहीं था । पं० कैलाशचन्द्रजी, पं० फूलचन्द्रजी हमसे सीनियर थे और वे ही हमें कभी-कभी धर्मशास्त्र पढा दिया करते थे ।

प्रश्न—विद्यालयकी कोई घटना याद हो, तो बतलाइये ?

उत्तर—एक दिन पं० फूलचन्द्रजीका झगडा किसी छात्रसे हो गया । अपने साथ अन्न व्यवहारको देखकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । उस समय मैं बीना आया हुआ था । जब मैं वापिस बाराणसी गया तो मैंने फूलचन्द्रजीसे त्यागपत्र नहीं देनेके लिये कहा । मेरी और फूलचन्द्रजीसे घनिष्ठता थी । जब कैलाशचन्द्रजी कक्षामें पढाने आये, तो हमने उनका विरोध किया और फूलचन्द्रजीका पक्ष लिया ।

प्रश्न—आपके अध्ययनकालमे विद्यालय कैसे चलता था ?

उत्तर—हमारे जमानेमे विद्यालयमें करीब ४० छात्र थे, जो विभिन्न कक्षाओमे पढते थे । सभी बोर्डिंगमें रहते थे तथा विद्यालयका अच्छा वातावरण था और उसकी प्रतिष्ठा भी काफी अच्छी थी । उस समय थी सुमतिचन्द्रजी विद्यालयके मन्त्री थे । वे संस्थाकी अच्छी तरह देख-भाल करते थे । सभी छात्रोंमें सामंजस्य था ।

प्रश्न—आपने खानिया तत्त्वचर्चामें क्यों भाग लिया ?

उत्तर—पं० फूलचन्द्रजी शास्त्रीकी 'जैन तत्त्वमीमांसा' पुस्तककी समाजमे बड़ी चर्चा रहती थी । उसका हमने बीनामें आठ दिनतक वाचन भी कराया । वाचनमें पं० कैलाशचन्द्रजी, पं० जगमोहनलालजी पं० लालबहादुरजीने तथा मैंने भाग लिया । विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी मीटिंग भी वहाँ थी । विद्वत् परिषद्की ओरसे पुस्तकपर विचार करनेके लिये एक सम्मेलन बुलाया था । अन्तमे वाचनमे पं० फूलचन्द्रजीके प्रयासकी तो सराहना की गयी । किन्तु उनके द्वारा प्रतिपादित मिद्धान्तोंका विरोध भी किया गया ।

प्रश्न—मैंने सुना है कि आपने 'जैन तत्त्वमीमांसाकी मीमांसा' भी लिखी थी ?

उत्तर—आप जो कह रहे हैं वह सही है । मैंने बीना-वाचनके पश्चात् 'जैन तत्त्वमीमांसाकी मीमांसा' पुस्तक लिखी थी, जिसकी बादमें काफी चर्चा रही ।

प्रश्न—'जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा' के इतिहासके बारेमें भी कुछ प्रकाश डालें ?

उत्तर—हां साहब, यह एक लम्बी कहानी है । खानिया तत्त्वचर्चा अक्टूबर सन् १९६२ मे हुई थी । इसके पूर्व मैंने कितने ही लेख लिखे थे, जिनमे जैन तत्त्वमीमांसाकी आलोचना की गई थी । मेरे प्रायः सभी लेख 'जैन गजट' में प्रकाशित हुये थे । लेकिन कुछ समय बाद जैन गजटने लेख प्रकाशित करना बन्द

कर दिया। तब मैंने पं० फूलचन्द्रजीको एक स्थानपर बैठकर तत्त्वचर्चाकी योजना बनानेके लिये बीनमें बुलाया और वे आ भी गये। हम दोनोंने मिलकर तत्त्वचर्चाकी योजना बनाई, जिसे अक्षबारोंमें प्रकाशनके लिये भेज दिया गया।

प्रश्न—तत्त्वचर्चाके लिये आपने जयपुर ही क्यों चुना ?

उत्तर—पहले तो मैंने पं० फूलचन्द्रजीसे कहा कि तत्त्वचर्चा आप जहाँ अपना बड़ समझें वही चर्चा की जा सकती है। लेकिन जब देखा कि जयपुर (झानिया) में आचार्य शिवसामरजी महाराजका चातुर्मास हो रहा है तो वही स्थान उपयुक्त समझा गया। सेठ हीरालालजी पाटनी निवाईवाले तत्त्वचर्चा-आयोजनका पूरा ध्यय उठानेको तैयार हो गये तथा ३० लाइमलजोने सभी विद्वानोंको हमसे बिना पूछ ही निमंत्रण भेज दिये। इसके पश्चात् पहले तो तत्त्वचर्चामें पं० फूलचन्द्रजीने आनेसे मना कर दिया। इसलिये विद्वानोंको भी आनेसे मना कर दिया गया। लेकिन जब वे अक्टूबरमें जयपुर पहुँच गये तो विद्वानोंको पुनः तार देकर बुलाया गया। हम भी वहाँ पहुँच गये। हम लोभके पहुँचनेके पूर्व ही तत्त्वचर्चाके नियम भी तय कर लिखे गये थे।

प्रश्न—तत्त्वचर्चाका प्रमुख मुद्दा क्या था ?

उत्तर—सोनगढ विचारधारासे हम लोग सहमत नहीं थे, इसलिये उनकी विचारधारा ही तत्त्वचर्चा का मुख्य मुद्दा बन गया। यह चर्चा कई दिन तक चली।

प्रश्न—जरा, इसपर विस्तारसे प्रकाश डालिये ?

उत्तर—तत्त्वचर्चाके तीन दौर चले। हमने शंका रखी, जिसका दूसरे पक्षने जवाब दिया। उस उत्तर पर फिर हमने शंका प्रस्तुत की, उसका भी उत्तरपक्षने तत्काल उत्तर दे दिया। फिर चर्चाका तीसरा दौर चला और उसको वही स्थिति रही। लेकिन किसी विद्वानको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि चर्चा चलते कोई १० दिन हो गये और इसलिये सभी थक-से गये। इसके बाद हम सब विद्वान् दिल्ली चले गये और वहाँ भी सोनगढ पक्षके उत्तरको हमने समीक्षा की, जिसका उत्तर भी मिला। इसके बाद तो चर्चा ही बन्द हो गई। फिर सोनगढको ओरसे झानिया तत्त्वचर्चाका प्रकाशन किया गया, जिसको दोनों पक्षोंको ओरसे छापना था।

प्रश्न—मैंने तो उस समय सुना था कि झानिया तत्त्वचर्चामें आपका पक्ष हार गया ?

उत्तर—यह तो सोनगढपक्षकी ओरसे फैलाई गई निराधार एवं भ्रामक अफवाह थी। सोनगढपक्षने तो कभी कोई प्रश्न नहीं रखा। ऐसी कोई सोनगढपक्षकी शंका नहीं थी, जिसका हमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन अब प्रश्न व उत्तरसे अथवा तत्त्वचर्चासे क्या फायदा ? चर्चामें कभी कोई पक्ष अपनी हार नहीं मानता।

प्रश्न—इसके पश्चात् आपने सोनगढ-विचारधाराका प्रभाव कम करनेके लिये और क्या किया ?

उत्तर—मैंने सोनगढकी विचारधाराको गलत सिद्ध करनेके लिये बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। इनमें (१) झानिया तत्त्वचर्चाको समीक्षा और उसमें सहायक (२) जैन तत्त्वमीमासाकी मीमासा, (३) जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारण-व्यवस्था तथा (४) जैन धासनमें निश्चय और व्यवहार नय (५) 'परमयें क्रमबद्ध भी होती है और अक्रमबद्ध भी' के नाम उल्लेखनीय हैं।

इन पुस्तकोंके अतिरिक्त कितने ही लेख लिखे और वर्तमानमें भी लिखनेके प्रयत्नमें हूँ। समाजसे

अब आधिका अनुसार आर्थिक सहयोग नहीं मिला, तो २००००/-६० का १९७४-७५ में एक पारम्परिक-ट्रस्ट स्थापित किया, जिसके द्वारा 'जयपुर (स्लानिया) तत्वचर्चा और उसकी समीक्षा एवं जैन धारणमें निधचय और व्यवहार नय' पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। लेकिन उक्त साहित्यकी उचितरूपमें बिक्री न होनेके कारण आर्थिक कमी अभी बनी हुई है।

प्रश्न—वर्तमानमें सोनगढके प्रभावके बारेमें आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—वर्तमानमें तो अधिकाश व्यक्ति सोनगढका नाम लेनेसे भी कतराते हैं। सोनगढी होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिये मेरी दृष्टिसे समाजमें सोनगढके प्रभावमें कमी तो अवश्य आई है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उस कमीका मुख्य कारण क्या है। मेरे साहित्यका जितना एवं जैसा प्रचार होना चाहिये था वैसा नहीं हो रहा है।

प्रश्न—वर्तमानमें जैन समाजकी स्थितिके बारेमें आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—जैन समाज अभी तक द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोगके महत्त्वको नहीं समझ पा रहा है इसलिये जो सामाजिक वातावरण बना हुआ है वह धार्मिक दृष्टिसे और व्यावहारिक दृष्टिसे अच्छा नहीं है।

प्रश्न—युवकोंमें धार्मिक जागृतिके सम्बन्धमें क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

उत्तर—संस्कृतिके महत्त्वको जबतक हमारे युवकगण नहीं समझेगे तबतक युवकोंमें धर्मके प्रति रुचि जागृत होना कठिन है। जब पूरा समाज ही धर्मके प्रति जागरूक नहीं है तब युवकोंसे क्या आशा की जा सकती है।

प्रश्न—आजकल समाजमें जो विस्फोटक स्थिति बन गई है उसके निराकरणके क्या उपाय हैं ?

उत्तर—विस्फोटक स्थिति होना कोई नई बात नहीं है। समाजमें तो ऐसी स्थिति बनती ही रही है। ऐसा कौन-सा युग था, जिसमें पूरे समाजमें शान्ति रही हो। इसलिये यह तो ऐसा ही चलता रहेगा, इससे चिन्तित होने जैसी कोई बात नहीं है।

समय काफी हो गया था तथा पण्डितजी साहब भी कुछ थक-से गये थे, इसलिये आगे मैंने प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन पण्डितजीकी हाजिर जबाबी तथा स्मरणशक्तिको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पण्डितजीका व्यक्तित्व एवं लोकप्रियता जैन समाजमें कंसी है, क्योंकि विद्वानका अपने घरमें कम सत्कार होता है और वह बाहर अधिक सम्मान पाता है। इसलिये मैं बीना समाजके बूढ़ एवं क्रान्तिकारी व्यक्तियों के भी पण्डितजीके प्रति विचार जाननेके लिये उनसे मिलने चल दिया। डॉ० कोटिया साहब एवं डॉ० भागेन्दु जी भी मेरे साथ हो लिये। और मुझे समाजसे मिलानेमें अत्यधिक सहवयता दिखाई।

पण्डितजीके प्रति बीना समाजके प्रमुख व्यक्तियोंके उद्गार

सर्वप्रथम हयलोग शाह अमृतलालजी जैनसे मिले। शाह किरानाके व्यापारी हैं तथा आपकी दुकान पण्डितजीकी दुकानके पास ही है। उनकी आयु ६८ वर्षकी होगी। आपके विचार काफी विस्तृत हैं इसलिये उन्हें अलगसे प्रस्तुत ग्रन्थमें दिया गया है। बीसे शाह साहब पण्डितजीके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और पण्डित जीके स्वभाव, व्यवहार, पाठित्य एवं सामाजिकताके बड़े प्रशंसक हैं तथा पण्डितजी जैसे विशाल व्यक्तित्वको बीना नगर सहित समस्त मध्यप्रदेशकी शरोहर मानते हैं।

श्री नन्हेंलाल बुखारिया

इसके पश्चात् हमलोग श्री नन्हेंलालजी बुखारियाके पास पहुँचे। बुखारियाजी पंडितजीसे आयुमें बड़े हैं। उनकी आयु ८७ वर्षकी है। अभी भी शरीरमें कड़कपन है। लेकिन ज्यादातर वे घरमें ही रहते हैं। बुखारियाजी वर्षों तक समाजके अध्यक्ष रहें हैं। उनकी पत्नी श्रीमती रतनोबाई ८४ वर्षकी होंगी।

जब मैंने अपने आनेका कारण बताया तो कहने लगे पण्डित बंशीधरजीके बारेमें क्या कहना है? उनका स्वभाव तो बड़ा मधुर है। सबसे मिलते-जुलते रहते हैं। विद्वान हैं। पर कभी-कभी वे अपनी बातपर अड जाते हैं और फिर अपनी ही बातको रखनेका प्रयास करते हैं।

प्रश्न—क्या आप बता सकेंगे कि उनके प्रति समाजमें कैसी धारणा है?

उत्तर—पण्डितजी २१ वर्षों तक बीना-समाजमें सब कार्योंमें आगे रहे। वे अच्छे राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, स्वतन्त्रता सेनानी हैं। इसलिये उनके बारेमें मैं क्या कह सकता हूँ?

प्रश्न—मैंने बातको आगे बढ़ाते हुये जानना चाहा कि उनके जमानेमें संस्थायें कैसी चलती थी और आजकल कैसे चलती है? क्या इनमें आपको कुछ उतार-चढ़ाव दिखाई देता है?

उत्तर—वे अपने पलंगपर ही लेटे हुये कहने लगे कि विशालय तीन आधारपर चलते हैं—संचालक अध्यापक एवं विद्यार्थी। संस्थायें तो पण्डितजीके पूर्व भी चलती थी। लेकिन पण्डितजी द्वारा मंभालनेके पश्चात् सभीने आशासीत उन्नति की है। और जब उन्होंने उन्हे छोड़ दिया तो उनमें फिरसे शिथिलता आ गई। इसीसे आर उनके व्यक्तिस्वतो पहिचान सकते हैं। पण्डितजीका बीना समाजमें कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि वे सबको साथ लेकर चलते हैं।

प्रश्न—मैंने सुना है कि आप भी स्वतन्त्रता-सेनानी रहे थे?

उत्तर—इस प्रश्नपर वे मुस्कराने लगे। वे कहने लगे कि मैं और पण्डितजी दोनों ही जेल गये थे। सागर जेलमें हमदोनों साथ रहे। सागरसे उन्हे दूसरी जेलमें भेज दिया गया और मुझे सागर ही रखा गया। मैं सी क्लास में था और पण्डितजी बी क्लासमें थे।

वे आगे कहने लगे कि आजकल समाजका वातावरण बहुत खराब है। यहाँकी मस्याओंको एक-बैठ लासकी इनकम है लेकिन झगड़ेंकी जड़ भी वही है। इतनी इनकममें तो बहुत अच्छा विशालय चल सकता है। लेकिन उधर कोई ध्यान मत्री देता। उन्होंने अपनी बातको जारी रखते हुये कहा कि वर्तमानमें निश्चय और व्यवहारका झगडा चल रहा है। पण्डितजी व्यवहारके पोषक हैं तथा उसका वे पूरा समर्थन करते हैं। हम पण्डित फूलचन्द्रजीकी पुस्तक "जैन तत्त्वमीमासा" पढते रहते हैं, लेकिन दोनों ही एकागी लिखते हैं। पण्डितजी तो बहुत बड़े विद्वान हैं लेकिन हम तो बहुत कम पढे लिखे हैं। इसलिये इस सम्बन्धमें कह भी क्या सकते हैं। इतना कहनेके पश्चात् वे चुप हो गये और हम उनसे क्षमा याचना करते हुये उठकर चले आये।

सिघई आनन्दकुमारजी

इसके पश्चात् श्री सिघई आनन्दकुमारजी जैनसे घरपर जाकर भेंट की। सिघईजी बीना निवासी हैं। व्यापारी हैं तथा ७६ वर्ष पार कर चुके हैं। सर्वप्रथम डॉ० कोटियाजीने मेरा एक डॉ० भागेन्दुजीका परिचय कराया। मैंने सर्वप्रथम अपने आनेका कारण बतलाया तथा पण्डितजीके अभिनन्दन-ग्रन्थकी चर्चा की तो वे स्वत ही कहने लगे कि पण्डितजीमें मेरा सन् १९२८में परिचय है। उनकी यही शादी हुई थी। पासके

मकानकी और संकेत करते हुये कहा कि पण्डितजीकी इसो मकानमें साधो हुई थी। उस समय मेरी आयु १४ वर्षकी थी। उनका विवाह बहुत ही साधे ढंगसे हुआ था।

प्रश्न—पण्डितजीका यहाँ आना कैसा रहा ?

उत्तर—पण्डितजीके यहाँ आनेसे समाजमें बड़ो चेतना जागी। उन्होंने पूरे दिगम्बर जैन समाजको संभाला तथा संस्थाओंके संचालनमें ज़ौज दिया तथा समाजको एक सूत्रमें रखा तथा जहाँ तक हो सकता था समाजको सुधारकी दिशामें मोड़नेमें सफल रहे।

प्रश्न—क्या आप पण्डितजीके विचारोंसे सहमत रहे हैं ?

उत्तर—पण्डितजीका तो वैवाभानी जीवन रहा है। उन्होंने बेटनके नामसे समाजसे अथवा किसी संस्थासे एक पैसा भी नहीं लिया। वही नहीं, कमी मानपत्र भी स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन पूर्ण नित्यही जीवन रहा है। उन्होंने हृदय समाजको एवं युवकोंको अच्छे मार्गपर लगाया। मैं जब मूनिस्फल शैशवमें था, तो पण्डितजीको बुझावमें लडा होनेके लिये बहुत कहा गया, लेकिन उन्होंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया।

वे कहने लगे कि बीकानमें जब कभी मुनियोंका बिहार होता है, पण्डितजी मुनिसंघकी बहुत सेवा करते हैं, उनको स्वाध्याय कराते हैं। अमी मुनि श्री सुधासागरजी महाराज आये थे, तो पण्डितजीने एक महोने तक सम्मसारकी वाचना की। शिशुचय-व्यवहार, उपादाल-निमित्त आदिके अंगठोमें बीना समाजने सदैव पण्डितजीका साथ दिया है। अमी समझारकी वाचनमें कितने ही विद्वानोंको भी आमंत्रित किया गया था। पण्डितजीने उनकी सुन्दर व्यवस्था करके बीना निवासियोंका हृदय जीत लिया।

प्रश्न—पण्डितजीकी और क्या विशेषता है, एक-दो गिनाइये ?

उत्तर—हमारे सागर-अंडलके सभी राज्याधिकारी पण्डितजीकी ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा एवं सच्चाई-से प्रभावित हैं। कचहरीमें पण्डितजीने जो कुछ कह दिया उसीको सही माना जाता है। यह, क्या पण्डितजीकी कम विशेषता है ? इतना कहकर वे चुर हो गये और हमने मां हाथ जोड़कर उनसे विदा मांग ली। पण्डित भैयालालजी शास्त्री

इसके पश्चात् मुझे पं० भैयालालजी शास्त्री बीना निवासीसे भेंट करनेका अवसर मिला। पं० भैयालालजी शास्त्री पं० बंशीचरजीके घरपर ही आ गये थे। आप दोनों एक ही उम्रके हैं। बहुत सक्रिय हैं। मैं जब बीना गया तो वहाँ समाजके बुनावोंकी चर्चा थी। पं० भैयालालजी शास्त्री बुनावमें तो जीत गये, लेकिन उनकी पार्टी बहुमतमें नहीं आ सकी। जब मुझे बताया गया कि वे पं० फूलचन्द्रजीके छोटे भाई हैं तो मुझे उनसे मिलनेमें और भी प्रसन्नता हुई। लेकिन विचारोंमें दोनों भाई अलग-अलग हैं। एक व्यवहारका पूर्ण समर्थन करते हैं तो दूसरे पं० फूलचन्द्रजी निश्चयका पक्ष करते हैं। जब मैंने पं० भैयालालजी शास्त्रीसे पं० बंशीचरजीके बारेमें कुछ विचार प्रकट करनेके लिये कहा तो वे कहने लगे कि हम तो ६२ वर्षसे पं०जीके सम्पर्कमें हैं। हमारा तो उनको पूर्ण सहयोग रहता है। हम दोनोंमें सोनगढ़को लेकर खूब चर्चायें होती रहती हैं। बड़ा आनन्द आता है चर्चा करने में। पण्डितजीका बहुत ऊँचा ज्ञान है, इसलिये वे प्रत्येक बातको स्पष्ट रखते हैं।

प्रश्न—पण्डितजी बस्त्रव्यवसायी कैसे बन गये ?

उत्तर—पण्डितजीका प्रारम्भसे व्यापारकी ओर ध्यान रहा। उन्होंने अपने स्वयंसे लोन लेकर बस्त्र-व्यवसाय करना प्रारम्भ किया। और उद्यममें पूर्ण सफलता प्राप्त की। उनकी सच्चाई एवं प्रायणिके साथ

अच्छा बताव ही उनकी सफलताका मूल कारण है। चाहे कंसा हो शिक जा जाने वे एक भाव बोलते हैं और उसे कभी कम नहीं करते हैं, इसलिये ग्राहकोंका आपकी दुकानके प्रति विश्वास जम गया और वे उनके यहाँ खूब आने लगे।

ठाकुर हरनाथसिंहजी

हमारी बातचीतके बीचमें वहाँ ठाकुर हरनाथसिंहजी आ गये, जो रेलवे लॉक्समें हैं और ५३ वर्षकी आयुके हैं। मूल निवासी मौज ग्रामके हैं, जो रायबरेली जिलेमें हैं। ठाकुर साहब पण्डितजीके पक्के ग्राहक कैसे बने, उसे अपनी बीती बात कहकर बतलाने लगे। मैं बीना स्टेशनपर हाँसी स्टेशनसे तबाबला होकर बीना आया। कुछ दिनों बाद मैं बीना ग्राममें कुछ कपड़े खरीदनेके लिये आया। तीन-चार दुकानोंपर कपड़ा देखा, लेकिन पसन्द नहीं आया तथा भाव भी तेज लगा। अन्तमें मैं भूमता-भूमता पण्डितजीकी दुकानपर आया। वहाँ साठी देखी। पसन्द आ गई। पण्डितजीने साठीके १४.२५ बोले। हमने उन्हें १४ रुपये देनेके लिये कहा। लेकिन पण्डितजीने चार आना कम करके देनेमें मना कर दिया। फिर मैं दूसरे दिन आया। और चार आना कमपर साठी देनेके लिये कहा। लेकिन पण्डितजीने फिर मनाकर दिया। फिर हम तीसरे दिन आये, यह सोचकर कि अब तो साठीको १४.२५ रुपयेमें ही ले लेंगे। लेकिन दुकानपर जब आये तब मालूम पडा कि साठी बिक चुकी है। लेकिन दुकानके एक व्यक्ति हरप्रसादजीने कहा कि तुम्हारे आपने भी साठी खरीदी है। आखिर मुझे पण्डितजीकी ईमानदारीपर विश्वास हो गया और उस समयके बाद पण्डितजी की दुकानसे ही कपड़ा खरीदने लगा। वैसे पण्डितजीकी ईमानदारी एवं एकभाव सारे नगरमें चर्चाका विषय रहते हैं।

ठाकुर साहबने पण्डितजीकी उदारताकी एक और घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरी लकड़ीकी शादीमे पण्डितजीने मुझे उधार पैसे देकर उस समय मदद दी, कि जब मैं चारों ओरसे निराशा हो चुका था तथा जहाँ कहींसे पैसा आने वे वहाँसे नहीं आये। मैं पण्डितजीके पास प्रीत काल पहुँचा। स्नान भी नहीं किया था। पण्डितजीको मनकी बात कहनेमें डर-सा लग रहा था। लेकिन जब अपनी बात कहनी ही पड़ी तो पण्डितजी मेरी पूरी सहायता की और अपने घर खाना भी खिलाया तबसे आजतक हम तो पण्डितजीकी दुकानके पक्के ग्राहक बन गये हैं।

इसके पश्चात् मैंने पण्डित भैयालाल शास्त्रीसे पण्डितजीके बारेमें कुछ और बतानेका अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि पण्डितजी जब विद्वत् परिषद्के अध्यक्ष थे, तब मुझे उनके साथ दो-तीन स्थानोंपर जानेका अवसर मिला। उनका मुझे पूर्ण वात्सल्य एवं सहयोग मिला।

उन्होंने आगे कहा कि सैद्धांतिक चर्चा करनेमें पण्डितजीकी बहुत रुचि रहती है। उनका इस संबंधमें अगाध ज्ञान है और वे अपने ज्ञानको चारों ओर बिखेरना चाहते हैं।

बीनामें और भी बहुतसे बृद्ध एवं युवा समाजसेवी हैं जो पण्डितजीके पूरे प्रशंसक एवं शिष्यके रूपमें हैं। लेकिन समय कम होनेसे उनसे मेंट नहीं कर सका।

पण्डितजीका विशाल व्यक्तित्व तथा आगे बढ़ता रहे तथा वे समाजकी अपने सैद्धांतिक ज्ञानसे इसी तरह सेवा करते रहें। इसी भावनाके साथ मैं भी उनके प्रति अपनी अज्ञा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ।

सौरईके प्राचीन जिनमन्दिरका बेदिका लेख : एक दस्तावेज

● डॉ० दरबारीलाल कोठिया, बीना

सौरईके एक प्राचीन विगम्बर जैन मंदिरकी बेदिकाके नीचे पाषाण-पट्टीपर जो लेख खुदा हुआ है उससे इस धामकी प्राचीनता, सम्पन्नता और जनबहुलतापर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह मंदिर कैसे बना और कैसे उजड़ा, इसका तो इस लेखमें कोई संकेत नहीं मिलता। किन्तु वृद्ध-परम्परासे सुना जाता है कि मन्दिरके निर्माता सिधई मोहनदास राजाके विनाधिकारी जैसे किसी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे और राजाके अत्यन्त प्रिय थे। वह उनपर बहुत प्रसन्न था। राजाने उनसे आग्रह किया कि आप जिन भगवानकी भक्ति-के लिए किलेसे सटा हुआ अपना जिनमन्दिर बनवा लें। सिधई मोहनदासने राजाके प्रेम और आज्ञासे विगम्बर जैन मंदिर बनवा लिया और विचिन्त उसकी प्रतिष्ठा भी हो गई। कुछ लोगोंने इसके विरुद्ध राजाके कान भर दिये और राजाने कुपित होकर मन्दिरजीसे श्रीजी हटवा दिए। कितने वर्षों तक इस मन्दिरमें श्रीजी विराजमान रहे, कहा नहीं जा सकता। लेखमें इतना ही उल्लेख है कि विक्रम संवत् १८६४ में इसकी प्रतिष्ठा हुई और मन्दिरकी नीव वि०सं० १८६२ में रखी गयी। दो वर्ष इस मन्दिरके निर्माणमें लगे। बादकी इसमें प्राईमरी स्कूल लगने लगा।

इसमें प्राईमरी स्कूल सबसे लगा, यह जानकारों धासनके कागजातोंसे प्राप्त हो सकती है। पर अनुमानसे संप्रति इतना कहा जा सकता है कि १८२ वर्ष पूर्व बने इस मंदिरमें, कुछ वर्ष खाली पड़ा रहनेपर, १५० से १७५ वर्षों तक स्कूल लगता रहा है। व्याकरणाचार्य श्रद्धेय पं० बंशीधरजी (८४) उनके पिताजी और पितामहने इसी स्कूलमें पढ़ा है। हमने भी इसीमें सत्तर वर्ष पूर्व अध्ययन किया था।

इस लेखमें कई तथ्य महत्त्वपूर्ण उपलब्ध होते हैं। उनमें कुछ निम्न प्रकार हैं—

१ यह मन्दिर माघ वदी १३, वि०सं० १८६४ में प्रतिष्ठित हुआ था।

२ इसकी नीव अथाह सुधो ७ बुधवार, वि०सं० १८६२ में रखी गयी थी।

३ मूल संघ, बलात्कारगण, मरस्वतीगच्छ और कुन्दकुन्दाचार्याम्नायमें जिनागमके उपदेशानुसार इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई थी।

४ इसके प्रतिष्ठाकारक थे वैश्यवर्ण, वंश इडवाकु, गोत्र पद्मावती, [जाति] गोलापूर्व, बैक चन्देरिया, श्री साहू किमोरी, उनके पुत्र (प्रथम) कृते सिधई, दूसरे पुत्र अजब सिधई, कृते सिधईके दो पुत्र, (प्रथम) श्री साहू इन्द्रमन, उसकी पत्नी मौनदे, उसका प्रथम पुत्र सिधई धनसीध, उसकी पत्नी दीपा, उसका पुत्र धोकल, और द्वितीय पुत्र सिधई कुबरमन, उसकी पत्नी पजो, उसके दो पुत्र, प्रथम मनराखन, द्वितीय करनजू। कृते सिधईकी पत्नी मोता, उसके लघु पुत्र (द्वितीय पुत्र) यज्ञ (प्रतिष्ठा) कर्ता (कारक) श्री सिधई मोहनदास, उसकी पत्नी जैको, उनका पुत्र श्री लाला मान्धाता। ये सभी चिरंजीव हो। मन्दिरके निर्माता और प्रतिष्ठाकारक मुख्यतया श्री सिधई मोहनदास थे।

५ लेखमें प्रतिष्ठाचार्यका नामोल्लेख नहीं है, जैसा कि आजकल होता है। किन्तु प्रतिष्ठा-कारकके दो हवलदारों (कार्यकर्ताओं-कारन्दाओं), एक श्री राउत हरीसिध लोधी ठाकुर, गोन सौरमपुरिया और द्वितीय हवालदार उदीनन्द साव कटोरे पचलोरो दामपवार, लडिया लालजू व मोकम व उपसाव धोकलजी, बीजकके लेखक श्री फौज दार ललू कटोरे पिपलासेवारे, बसंत कारीगर जैसोकें नाम अंकित है।

१. भौगोलिक एवं ऐतिहासिक तथ्य भी इस लेखमें हैं। उस समय सौरई, जो आज उत्तरप्रदेशके ललितपुर जिलेके अन्तर्गत है, श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा राजा मरदनसिंघजू देवकी जागीर श्री, जिनकी राजधानी गढाकोटा (सागर, मध्यप्रदेश) थी और उनकी जागीरदारीमें सौरईका प्रशासन ठाकुर श्री महाराजकुमार श्री दिवान दुरजन सिंघजू देव, उनकी ठाकुराईन श्री महाराज कुमार श्री दुर्लया हंसकुंवरजू देवकी अधीन था।

ये तथ्य ऐसे हैं, जो सौरईकी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकताको प्रकट करते हैं।

मूल लेख और लेखमें उल्लिखित वंशावली दोनों यहाँ दिये जाते हैं। लेख हमें प्रिय भाई पं० दुली-चन्द्र शास्त्री एवं भाई विनीतकुमारने मौरई स्वयं जाकर और खण्डहर पडो बैदिकासे लाकर बिया है।

मूल बैदिका-लेख


मन्वत् १८६४ ऋषे नाम माग वदि १३ सुभे ता दिन श्री जिनमंदिर प्रतिष्ठा अस्थापनीयतुं श्री मूल-सिंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुंदकुंदचार्यन्याये श्रीजिनायमउपदेसनीयतु महान जग्य, जागीर श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजा मरदनसिंघजू देव राजधानी गढाकोटा तस्य जागीर मधे नय सौरईके ठाकुर श्री महाराज कोमार श्री दिवान दुरजनसिंघजूदेव तस्य ठाकुराईन श्री महाराजकोमार श्रीदुर्लेहिया हंसकुंवरजू देव्य तत्र पुर वैहीसवनं वंस इष्वाक गोत पद्मावती गोलापूरब बैक बंदेरिया श्री साहू किसोरी तस्य पुत्र श्री साहू कूत्तेशिंघ दुतिय सुत अजबमिंघ कूत्तेशिंघके सुव दोही श्री साहू इद्रमन तस्य भार्जा मीनदे तस्य पुत्र अ प्रथम मिंघही घनसिंघ भार्जा दोया पुत्र चौकल दुतिय सुत श्री सिंघही कुवरमन भार्जा पजो सुत देव (वो) प्रथम मनराखन दुतिय करनजू कूनेमिंघके भार्जा मोता लघुसुत जग्यकरना श्री सिंघही मोहनदास भार्जा वैको तस्य पुत्र लाला मानघाता चिरजीवन ताके ह्मालदार करता श्री राउत हरीसिंघ लोधी ठाकुर गोत पोरंमपुरिय दुतिया ह्वालदार उदीनंद साबा कडोरे पचतीरो व दाम पंवार गुर लडिया लालजु वा मोकम वा नुप साबा चौकल बोजकके लिबैया श्री फोजदार ललू कड़ारो पिपलासेवारे बसंत कारीगर नै श्री जिन मंदिर जू की संवत् १८६२के अषाढ सुदि ७ बुधेको नो घरी मुभं ।

मन्दिरके निर्माता एवं प्रतिष्ठाकारक

सिंघई मोहनदासकी वंशावली

किलेसे सटे निर्मित स्कूल वाले सोरईके दि० जैन मन्दिरकी वेदिकाके नीचे पायाण-पट्टपर उत्कीर्ण लेखानुसार

श्री साहू किसोरी



नोट—पुरुषके नामके साथ () ऐसे कोष्ठकोमें दिये गये नाम उनकी पत्नियोंके नाम हैं ।



सोरई : पूज्य पिताजीकी जन्मभूमि

• श्री विनीत कोठिया, बीना

सोरई (ललितपुर), उत्तरप्रदेशके मडावरा-मदनपुर मार्गके बीच बम्हरीी ग्रामसे ३ किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थानका नाम "सोरई" कैसे रखा गया, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन सुननेमें आया है कि इस स्थानपर स्वर्ण भण्डार है। अतः स्वर्णमयी नगरी होनेसे इसका नाम "सोरई" रखा गया। इस स्थानकी महत्ता मेरे लिए इसलिए है कि यह मेरे पूज्य पिताजीकी जन्मभूमि है।

मुझे उस समय अत्यन्त प्रसन्नता हुई जब परम आदरणीय प० दरबारीलालजी कोठियाने मुझे एवं आदरणीय भैयाजी पण्डित दुलीचन्दजी, सोरई वालोको सोरई जानिका आदेश दिया। तथा उन्होने हमलोगोको कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य दिये, जिन्हे हमे सोरई जाकर पूर्ण करना थे।

पूज्य पिताजीके "अमिनन्दन-ग्रन्थ" के लिए उनकी जन्मभूमिके सन्दर्भमें सामग्री जुटानेका काम हमे सौंपा गया था। हमें कुछ जानकारी एकत्रित करनी थी जैसे कि—इस समय वहाँकी स्थिति, वहाँके जैन मन्दिरोंके बारेमें जानकारी तथा उनके फोटोग्राफ इत्यादि। इन सबमें प्रमुख था वहाँके एक प्राचीन जैन मंदिर, उस मंदिरके शिलालेखकी पूरी इवारत तथा उस शिलालेखका एक फोटोग्राफ भी। इस मंदिरजीके बारेमें जानकागु एकत्रित करनेकी आवश्यकता इसलिए भी थी, क्योंकि पूज्य पिताजीने अपनी शिक्षा यहींसे प्रारम्भ की थी।

सोरई : यात्रा-विशेष

मैं जब आदरणीय भैयाजीके साथ सोरई-ग्रामके लिए रवाना हुआ तो अपने आपमें बहुत प्रसन्न था, क्योंकि पूज्य पिताजीको जन्मभूमिके दर्शन करनेका मुझे सौभाग्य मिल रहा था। इससे पहले मैं वहाँ गया अवश्य था। लेकिन बहुत पहले, समय गुजरनेके साथ-साथ वहाँकी याद भी धुँधली पड़ चुकी थी। जुलाईका महीना होनेके कारण मौसम हमारे अनुकूल नहीं था, लेकिन हमलोगोको वहाँकी जानकारी जुटाना है, यह सोचकर हमलोग रवाना हो गये।

हमलोगोंने बस द्वारा सोरईमें प्रवेश किया। आदरणीय भैयाजीने मुझे बताया कि "बहुत पहले ये बसें इत्यादि नहीं चला करती थी। मभीलोग यहाँसे मडावरा तक पैदल जाया करते थे, और वहाँसे अन्यत्र जानेको बस मिलती थी। कभी-कभी तो ललितपुर तक पैदल जाना पडना था। लेकिन आजकल कई साधन मौजूद हैं, सोरईसे बीना, सागर, मडावरा और ललितपुरको जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं और बसें भी सब जगहको जानेके लिए मिल जाती हैं।"

आदरणीय भैयाजी राहमें चलते, मिलनेवाली सभी प्रमुख जगहोंकी मौखिक जानकारी हमें देते रहे। उन्होंने अपने जीवनके लगभग ४० वर्ष यहाँ व्यतीत किये थे। सबसे लेकर आजतक ज्ञान-ज्ञान वहाँ काफी परिवर्तन हो चुके थे, अतः वे पहलेकी स्थिति और वर्तमान स्थितिका तुलनात्मक वर्णन कर रहे थे।

पहले हम लीग घर पहुँचे, जहाँ वर्तमानमें आद० भैयाजीके छोटे भाई श्री फूलचन्द्रजी रहते हैं। उन्होंने इस घरके बारेमें भी बताया कि किस तरह संघर्षमयी जीवन बिताते हुए इस घरका निर्माण कराया गया था। उन्होंने कुछ ऐसे स्थानोंके बारेमें भी बताया जहाँ पहले एकदम खुला मैदान था। आज वहाँ मकानोंने अपना डेरा जमा लिया है। उनके कथनानुसार "जहाँ बाजार लगता है वहाँ पहले पर्याप्त जगह थी लेकिन आज मकानोंकी भीड़ने उस स्थानको तंग कर दिया है।"

सौरई : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सफरकी पकालके बावजूद हम लोग उसी दिनसे काममे जुट गये । सबसे पहले हम लोग उस प्राचीन जैन मंदिरकी ओर रवाना हुए, जो बावमे स्कूलका रूप ले चुका था । इसी स्कूलमें पूज्य पिताजीकी शिक्षा आरम्भ हुई थी । जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे, तो मैंने मंदिरजीको ऐसी स्थिति देखी, जिसकी मुझे कदापि कल्पना नहीं थी । कभी वहाँ मंदिर रहा होगा, लेकिन वर्तमानमे वह जोर्ण-शीर्ष हालतमे एकदम लण्डनर हो चुका था । जगह-जगह उस मंदिरजीकी दीवालओपर घास उग आई थी । घरातलसे करीब १५ फुट ऊँचे टोलेपर बने उस मंदिरमें जानिका मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा था । ऊबड़-खाबड़ रास्तेसे ऊपर चढ़कर जाना पडा, तब कही हम लोग उस मन्दिरके मुख्य द्वारतक पहुँच सके । जैसे ही मैं मन्दिरके अन्दर प्रवेश हुआ, तो पाया वहाँ एकदम अन्धेरा, केवल मुख्य द्वारसे मद्धिम रोशनी अन्दर प्रवेश कर रही थी, जो हमें अन्दरका रास्ता बतानेके लिए पर्याप्त थी । अन्दर मकड़ियोने भी अपने जाल फैला लिए थे, 'कुछ देरके लिए मैं सोचमे पड़ गया । जहाँ कभी मन्दिर रहा, उसके बाद प्राईमरी स्कूल रहा तब वहाँ अच्छी-खासी चहल-पहल रहती होगी, लेकिन आज एकदम वीरान्'...!"

मैं पुनः वर्तमान स्थितिमें लौट आया और वहाँके मन्दिरजीकी प्रतिष्ठाका शिलालेख खोजने लगा । आदरणीय भैयाजीका साथ था । अतः किसी किस्मकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई । मन्दिरजीके फर्शपर मिट्टी आदिका जमाव भी काफी हो गया था, कारण कि मैंने देखा कि मन्दिरका ऊमरी हिस्सा डहकर नीचे गिर गया था । जैसे ही भैयाजीने वहाँकी वेदिकाके नीचे पाषाणपर उत्कीर्ण "प्रतिष्ठा-लेख" की ओर इशारा किया तो मैंने देखा कि वहाँकी वेदिकापर इस समय कोई पत्थर नहीं था, हाँ ! केवल शिलालेखका वह पत्थर वहाँ ज्यों-का-त्यों अवश्य लगा था । समय बीतनेके साथ-साथ धूल, मिट्टी आदि उस शिलालेख एवं वेदिकापर अपना स्थान बनाती रही । हम लोगोंने वहाँके स्थानीय व्यक्तियोंकी सहायतासे उस शिलालेखको साफ करनेकी असफल कोशिश की । तब भी उसपर खुदे हुए अक्षर अस्पष्ट थे, जो पढ़नेमे बिल्कुल नहीं आ रहे थे । अतः हम लोगोंने शिलालेखपर मूले जूनेका लेप लगाया, जिससे शिलालेखके शब्द उभरकर सामने आ गये, जिन्हें अब आसानीसे पढ़ा जा सकता था । करीब ५ फुट लम्बे और आधा फुट चौड़े इस शिलालेख पर चार पंक्तियोंमें इस मन्दिरजीकी प्रतिष्ठा सम्बन्धी जानकारी अंकित थी ।

उस शिलालेखको मैं पढ़ता गया और आठ-भैयाजीने उसकी इबारत एक कागजपर उतार ली । तत्पश्चात् उन्होंने शिलालेख पढ़ा और मैं एक दूसरे कागजपर ज्यों-का-त्यों लिख लिखा, ऐसा इसलिए किया ताकि शिलालेखका सार समझनेमे हम लोगोंको कोई परेशानी न हो । इसके बाद तुरन्त ही मैंने उस शिलालेखके विभिन्न दिशाओसे कुछ चित्र कैमरेको मददसे ले लिए । शिलालेखसे ज्ञात हुआ कि यह मन्दिर १८२ साल पुराना है । शिलालेख वि० स० १८६४ में लिखा गया था, लेकिन मन्दिरका निर्माण वि० स० १८६२ मे आरम्भ हो गया था, लगभग दो वर्ष इसे बनानेमें लगे । मन्दिरजीसे बाहर आकर मैंने मन्दिरजीके कुछ चित्र लिए । एक खास बात मुझे यह भी देखनेको मिली कि यह मन्दिर ठीक सौरईके किलेसे सटकर बना हुआ है । अतः मैंने उत्सुकतावश मन्दिर एवं किलेका संयुक्त चित्र अपने कैमरेमें कैद कर लिया ।

यहाँ हम लोगोका अधिकांश समय व्यतीत हो गया था । समय रहते भैयाजीने मुझे उस मकानके दर्शन करायें, जहाँ पूज्य दादीजी और पूज्य पिताजी रहा करते थे । "पुराने तरीकेका बनाकच्चा मकान, जिसमें सामनेकी तरफ दो दरवाजे थे । एक बड़ा और एक छोटा । बाहरकी ओर दरवाजेके पास ही दो आठे बने

व्याकरणाचार्य की जन्मभूमि सोरई के मनोहारी दृश्य



सोरई का भम्भ पाश्वनाथ मंदिर (बडा)



सोरई का छोटा दि० जैन मन्दिर



पण्डितजीने जिस स्कूलमे पढा है उसका एक चित्र
और जो प्राचीन मंदिर रहा ।



सोरई का चन्देलकालीन एक प्राचीन जैन मन्दिर, जो
अब सण्डहर के रूप में अवस्थित स्थिति में है ।



सोरई का प्राचीन किला



पण्डितजीके सोरईके मकानका एक चित्र

हुए थे तथा एक खंटी भी लगी हुई थी। अन्दर एक बड़ा-सा कमरा तथा इसके बाद एकदम खुला आगन, जिसे दीवालोंने चारों ओरसे घेर रखा था। एक दहलान भी थी तथा पशुओं आदिके लिए पर्याप्त व्यवस्था।" आदरणीय भैयाजीने यहाँके बारेमें बताया कि किस प्रकार पूज्य पिताजी उस घरमें रहा करते थे, उन्होंने बताया कि 'वर्तमानमें बिजलीकी समुचित व्यवस्था है। परन्तु उस समय बिजली नहीं थी, तब पूज्य पिताजी लाइटके ज्वालामे पड़ाई करते थे।' बाहर निकलकर मैंने उस मकानके कुछ फोटो उतार लिए।

इसके बाद हम लोग अपने स्थानपर आ गये। आद० भैयाजी मुझे और भी बहुत-सी जानकारियाँ देते रहे कि किन प्रकार पूज्य पिताजीने अपने जीवनमें अभावों और कष्टोंसे संघर्ष किया।

दूसरे दिनका काम इतना जटिल नहीं था, क्योंकि इस दिन हम लोगोंको उन सभी जैन मन्दिरोंके बारेमें जानकारी एकत्रित करनी थी, जो वर्तमानमें व्यवस्थित रूपसे विद्यमान हैं। अब मैं सौरईके उन रास्तोंसे गुजर रहा था, जिनपर पूज्य पिताजीने अपना बचपन व्यतीत किया था। मैंने वहाँ बच्चोंको खेलते पाया तो उनके भी कुछ चित्र मैंने ले लिए।

जैसे ही हम लोग मन्दिरजीको जाने वाले रास्तेकी ओर मुड़े तो मोहरपर ही मैंने एक 'मार्गसूचक पटल' देखा, जिसे पढ़नेपर ज्ञात हुआ कि आदरणीय पं० दरबारीलालजीने इस रास्तेका फर्शिकरण, आदरणीया भाभीजी श्रीमती चमेलीबाई कीटियाकी पुण्य स्मृतिमें, उनके नामसे कराया है। यह रास्ता ठीक एक मंदिरसे होकर दूसरे मंदिरकी तक समाप्त होता है। मैंने उस पटल एवं उस रास्तेका भी चित्र कैमरेमें उतार लिया। इसके बाद हम लोग बड़े जैन मन्दिरकी गये। वहाँके दर्शनोपरान्त कुछ फोटो अन्दरके लिए। सुरई (गर्मगृह) के भीतर वेदिगृहपर भगवान् पार्श्वनाथकी एक भव्य एवं बड़ी मूर्तिके नीचे आसनपर एक श्लोक लिखा था। मैंने मूर्ति एवं श्लोकका एक-एक चित्र कैमरेकी सहायतासे ले लिया। तत्पश्चात् उन श्लोकको एक कागजपर लिख लिया। बाहर आकर मैंने देखा कि इस मन्दिरकोके ठीक सामने एक जैन धर्मशालाका भी है। उस धर्मशालाका भी एक चित्र मैंने लिया। उस धर्मशालाका मुख्य द्वार बहुत ही कलात्मक बना हुआ था। उसी धर्मशालाकी छतपरसे बड़े मन्दिरकीका एक सुन्दर चित्र मैंने अपने कैमरेमें उतार लिया। इसके बाद हमलोग छोटे मन्दिरके लिये रवाना हो गये। उन मन्दिरका भी एक खूबसूरत चित्र मैंने खींच लिया। दर्शनोपरान्त अन्दरके भी कुछ चित्र ले लिये। सौरईके ये दोनो मन्दिर शिखरबन्द, कलात्मक एवं व्यवस्थित बने हुए हैं।

इसके पश्चात् हमलोग वहाँके चौथे मन्दिर जिसे बाजारका मन्दिर कहा जाता है, गये। यह मन्दिर चैत्यालयनुमा बना हुआ है। मामने ही मामा श्री राजकुमारजीका घर है। उन्हींके मकानकी छतसे मैंने एक फोटो उस मन्दिरका भी ले लिया। तत्पश्चात्, वहीसे गाँवके चारो ओर मैंने नजर घुमाई तो देखा चारो ओर हरियाली-ही-हरियाली है। गाँवका यह दृश्य मनभावन लग रहा था।

इसके तुरन्त बाद ही हमलोग सौरईके किलेकी ओर रवाना हुए। किलेका भी एक खूबसूरत चित्र खींचकर, मैं किलेके अन्दर प्रविष्ट हो गया तथा वहाँके कुछ बच्चोंकी सहायतासे मैं किलेकी बुर्जपर जा पहुँचा। वहाँसे भी गाँवकी सुन्दरता आसमान छू रही थी। इस समय मैं गाँवके सबसे ऊँचे स्थानपर खड़ा था। एकदम खुली-स्वच्छ हवा, चारो ओर हरियालीकी मुस्कान और भरपूर छोटे-बड़े पेड़-पौधे मनको मोह रहे थे। किलेकी बुर्जसे मैंने देखा कि वही दोनो जैन मन्दिर, जिनका उल्लेख मैंने पीछे कर चुका है, अब एक दूसरेके बिल्कुल नजदीक नजर आ रहे हैं, साथ ही दूर हनुमानजीका मन्दिर, जैन धर्मशाला तथा उसका पूरा आँगन एवं गाँव का अधिकांश हिस्सा भी। यह दृश्य सचमुच अद्भुत था, जिसे मैं कैमरेमें उतारे बिना न रह सका।

इतना काम हो जानेके बाद अब केवल एक जगह शेष रह गयी थी—‘सौरदेका बगीचा’। इसमें मुख्य था उस बगीचेमें स्थित मठ (मन्दिर)। शीघ्र ही हमलोग बगीचा पहुँच गये। वहाँ जाकर मैंने देखा बगीचेके बीच एक मठ बना हुआ है, पत्थरोंको तराशाकर तथा पत्थरों, लम्बों आदिको एकके ऊपर व्यवस्थित ढंगसे रखकर इस मठका निर्माण किया गया है। मैंने उस मठका भी एक सुन्दर चित्र खींच लिया। मैंने आभास किया कि वक्त गुजरनेके साथ-साथ मठकी स्थिति बिगड़ती चली गयी। मैंने मठको इस समय एक ओर झुका हुआ महसूस किया। शायद उसका एक खम्भा तिरछा हो जानेके कारण तथा ऊपर रखा गोल चक्रनुमा हिस्सेके भी टुकड़े हो चुके हैं। फिर भी खूबसूरती लिये हुए सौरदेका यह ऐतिहासिक मठ (जैन मन्दिर) अभी भी अपने स्थानपर विद्यमान है।

सौरदे : आसपास

हमारा काम लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन उत्सुकतावश मैंने वहाँके स्थानीय व्यक्तियोंसे भी सम्पर्क किया। तरह-तरहकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, जिसे मैं आगे लिख रहा हूँ—

सौरदे ग्रामको यदि ‘खनिजोंका गाँव’ कहा जाये, तो कोई अतिपयोक्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ—लोहा, ताँबा, सीसेटका पत्थर, ग्रेफाइट आदि प्रचुर मात्रामे मौजूब है। लोहा यहाँ भारी मात्रामे उपलब्ध है। पुराने जमानेमें यहाँ लोहेका काम भी बहुत होता था, किन्तु माँगकी कमीके कारण यह काम बादमें बन्द हो गया। ताँबेकी खदानें तो गाँवमें ही स्थित हैं। प्रयत्न किया जाये तो ताँबेका अच्छा-खाना भण्डार मिलनेकी पूर्ण सम्भावनायें यहाँ नजर आती हैं। इससे पहले यहाँ खुदाई अवश्य हुई और ताँबा निकाला गया, परन्तु साधनोंकी कमीके कारण पूर्णरूपेण सफलता नहीं मिल पायी।

‘फास्फेट’ एक महत्वपूर्ण पत्थर यहाँ विपुल मात्रामे उपलब्ध है। इसका काम खाद बनानेके रूपमें विद्योय होता है। यहाँसे थोड़ी दूर एक स्थानपर, जिसे ‘टोरी’ कहते हैं, फास्फेट निकालनेका काम तेजीके साथ चल रहा है। यहाँपर बाहरके एव स्थानीय करीब एक हजार मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। फास्फेट पत्थरकी छोटी-छोटी गिट्टी बनाकर ट्रकों द्वारा बाहर भेजनेका क्रम अभी भी जारी है।

‘युरेनियम’ एक वैशकीमती खनिज, जिसकी प्राप्तिको पूर्ण सम्भावनाये यहाँ व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा विदेशी सहयोगसे उसकी खोज अभी भी जारी है।

इसके अलावा सौरदेसे लगा हुआ एक घना जङ्गल भी है। इस जङ्गलमें महुआ, गोंद, चिरोजी एवं कई प्रकारकी अनेक जड़ी-बूटियोंका विशाल भण्डार है। यहाँके आदिवासी (सौर) इन्हीके द्वारा अपना उदर-पोषण कर रहे हैं।

भारत-सरकार द्वारा निर्मित ‘रोहणीबीच’ गाँवके बीच निकली रोहणी नदीपर लगभग दो किलो-मीटरका नीचेकी ओर बनाया गया है, जिससे सौरदेके ग्रामके रहवासियोंको तो कोई फायदा नहीं, लेकिन नीचे रहनेवाले गरीबोंको नहरों द्वारा भरपूर पानीकी व्यवस्था उपलब्ध है।

सौरदेसे पूर्व दिशाकी ओर अतिघाय क्षेत्र गिरार है। वहाँ घसान नदीके किनारे बना हुआ दि० जैनमन्दिर दर्शनीय है। किसी समय यह स्थान काफी उन्नतिशील रहा है। ऐसा सुननेमें आया है कि यहाँ बहुत बड़ा बाजार लगना था, जिसमें बाहरी व्यापारी भी अपना व्यापार करने आते थे। अब वहाँ खण्डहर मात्र शेष है। मात्र सुन्दर मन्दिर बना हुआ है।

सौराष्ट्रि पश्चिम दिशाकी ओर मदनपुर तरफ पूज्य श्री गणेशप्रसादजी वर्षीकी जन्मभूमि हंसैरा गाँव है। वहाँ उनके स्मारकके रूपमें एक छतरी-बबूतरा बनवाया गया है। उनकी ही छत्र-छायामें पूज्य पिताजीने ११ वर्ष काराणसीमें अध्ययन किया था। यहूति चलकर आगे अतिशयलोक मदनपुर है, जहाँ पाठासाहके बनवाये हुए कई प्राचीन मन्दिर है जो इस समय अवशेष मात्र ही बिसायी देते हैं। यहीपर फुमकेले बंशके महातुभाबंके द्वारा बनवायी पञ्चमढियाँ भी हैं। कुछ वर्ष पहले समाजने वहाँका जीर्णोद्धार किया, अब वहाँ पक्की सड़क, धर्मशाला इत्यादि सहूलियतें मौजूद हैं।

इस तरह मैंने अनुभव किया कि ग्राम सौरई अतीतमें एक विभूत ग्राम रहा है। और अब उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। इस विकसित होनेमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा।

अन्तमें मैं पूज्य पिताजीके चरणोंमें अपनी और समस्त परिवारकी ओरसे श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ।



गोलापूर्वान्वय : एक परिशीलन

● डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन', एम० ए०, पी-एच० डी०, धीमहावीरजी

मास्यवर प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री वाराणसीने 'न्यायाचार्य डॉ० दरबारीलाल कोटिया अभिनन्दन-ग्रन्थ' में सन् १९८२ में 'गोलापूर्व अन्वयके आलोकमें' शीर्षक शुभकामना-लेखमें गोलापूर्व अन्वयके विषयमें अनुसन्धानात्मक महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है तथा आदरणीय डॉ० कोटियाजीकी ओर लक्ष्य करके लिखा है कि 'कुछ समय पहले श्री डॉ० दरबारीलालजीसे भेंट होनेपर इस विषयमें काम करनेका मैंने संकल्प लिया था। इस ओर तत्काल उनका ध्यान भले ही न गया हो, यह विषय ऐसा है कि दृष्टि-सम्पन्न कतिपय सेवाभावी बन्धु यदि इस दिशामें प्रयत्नशील हों तो ऐतिहासिक दृष्टिसे अतिउपयोगी एक कमीकी पूर्ति हो सकती है।'

उल्लिखित अभिनन्दन-ग्रन्थमें जब मैंने पण्डितजीका उक्त शुभकामना-लेख पढ़ा और कोटियाजीने मुझे इस दिशामें कुछ लिखनेकी प्रेरणा की, तो मेरी उक्त विषयमें अध्ययन करनेकी उत्सुकता बढ़ी, मैंने अपनी पी० एच० डी० के लिए मध्यप्रदेशके जैन पुरातत्त्वपर काम किया था, इसलिए भी इस लेखको लिखनेमें उत्साहित हुआ। अध्ययन करनेपर जो जानकारी एकत्रित कर सका। प्रसंग पाकर उसे यहाँ दे रहा हूँ। इतिहास ऐसा विषय है, जिसमें अनुसन्धानकी अपेक्षा बनी रहती है।

गोलापूर्वान्वय :

'गोलापूर्वान्वय' में गोलापूर्व और अन्वय ये दो शब्द हैं। इनमें 'अन्वय' शब्दके अनेक अर्थ हैं। अभिलेखोंमें इस शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है। यह शब्द प्रायः दो अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है—(१) आचार्य परंपराको बशानेके लिए और (२) जैन उपजातियोंके नामोंके निर्देश करनेके लिए। जहाँ आचार्य-परम्पराको बताना इष्ट रहा है वहाँ 'अन्वय'का पूर्ववर्ती पद किसी-न-किसी आचार्यके नामसे युक्त मिलता है। यथा—कुन्दकुन्दा-ग्रन्थ,^१ भद्रान्वय,^२ देशनन्दियुगसर्ववराग्रन्थ^३ आदि। इनमें क्रमशः आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य भद्र और देशनन्दियुगसर्ववराग्रन्थके नाम पूर्वपदमें आये हैं। अभिलेखोंमें इसका उपयोग स्वयंको ऐसे अन्वयोंका अनुगामी बताने के लिए किया गया है।

अन्वयका दूसरा व्यवहार कुल और जातिके लिए हुआ है। इस अर्थमें अन्वयका पूर्वपद कोई ऐसा शब्द होता है, जिसका चौरासी जैन उपजातियोंमें किसी-न-किसी जैन उपजातिते सम्बन्ध रहता है। जैसे अहारके भूतिलेखोंमें सडिल्लवालान्वय, जैसवालान्वय, पीरपाटान्वय, गोलाराडान्वय आदि मिलते हैं। यहाँ सम्बन्धवाल आदि जैन उपजातियोंके अर्थमें 'अन्वय' शब्द व्यवहृत हुआ है।

आचार्य जिनसेनने पितार्के अन्वयको बुद्धिको कुल और माताके अन्वयको बुद्धिको जाति संज्ञा दी है।^४ आचार्य कुन्दकुन्दने भी देश, जाति और कुलकी बुद्धिपर बल दिया है और उनसे युक्त आचार्यको नमन किया है।^५ उनकी दृष्टिमें बुद्धि (गुण) बिहोन जाति और कुल बन्ध नहीं है।^६

आचार्य समन्तभद्रने जाति और कुलकी बुद्धिको गौरवका विषय मानते हुए भी उनके अभिमानको मर्दोंमें परिगणित किया है और आठ भदोंमें कुल और जातिके भदोंका भी उल्लेख किया है।^७

इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कुल और जाति दोनों प्राचीन रहे हैं। भले ही उनमें परिवर्तन होता रहा हो। और ऐसा समयानुसार सम्भव भी है।

डॉ० अर्गलके अनुसार जाति ममान वर्गके कुटुम्बोंका समूह होती है। इसका अपना निजी नाम होता है। विवाह आदि अपने समूहमें ही होते हैं। इसका उद्भव किसी पौराणिक देवता या पुरुषसे बताया जाता है।^{१८} आचार्य जिससेनने केवल नामकर्मसे उत्पन्न मनुष्यजातिका ही अस्तित्व स्वीकार किया है। उन्होंने आजीविकाके भेदसे उनके चार भेद बनाये हैं।^{१९} यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि आचार्य सोमदेव सूरिने जातियोंकी अनेकताका भी उल्लेख किया है तथा उन्हें अनादि बताया है।^{२०} तात्पर्य यह है कि 'अन्वय' का अर्थ यहाँ जन्म या उपजातिपरक विवक्षित है।

भूतिलेखोंमें जातिपरक अन्वयोंके उल्लेख

मध्यप्रदेशकी प्राचीन प्रतिमाओं, मन्दिरों और शिलालेखोंसे उनतीस अन्वयोंके नामोल्लेख प्राप्त हुए हैं। उनकी संख्या निम्न प्रकार है—

क्र०	नाम अन्वय	संख्या	क्र०	नाम अन्वय	संख्या
१.	गोलाढान्वय	१	१६.	गुर्जरान्वय	२
२.	चित्रकुटान्वय	१	१७.	प्रागवाटान्वय	२
३.	दुम्बरान्वय	१	१८.	मेखवालान्वय	२
४.	देउवालान्वय	१	१९.	लमेचुकान्वय	२
५.	नेवान्वय	१	२०.	वैश्यान्वय	२
६.	परपाटान्वय	१	२१.	अवधपुरान्वय	३
७.	परवाडान्वय	१	२२.	कुटकान्वय	३
८.	पुरवाडान्वय	१	२३.	पौरपाटान्वय	४
९.	महद्वितवालान्वय	१	२४.	गर्गराटान्वय	५
१०.	मखवालान्वय	१	२५.	वर्द्धमानपुरान्वय	६
११.	माधुरान्वय	१	२६.	खण्डेलवालान्वय	७
१२.	माधुन्वय	१	२७.	जैसवालान्वय	१२
१३.	माधुवान्वय	१	२८.	गृहपत्यन्वय	१९
१४.	बेमकान्वय	१	२९.	गोलापूर्वान्वय	२६
१५.	श्रीमाल	१			

इनमें कुछ अन्वयोंके उल्लेख अष्टद्व और पुनश्च भी हो सकते हैं।

महाकवि आशाधरने भी तीन अन्वयोंका उल्लेख किया है। उनके नाम हैं—पोरवाल, बघेरवाल और खण्डेलवाल।^{२१} इनमें पोरवालको पुरवाडान्वयसे समोक्त किया जा सकता है।

उपजातियोंका उद्भव

प्राचीन साहित्य और अभिलेखोंमें मध्यकालसे पूर्व उपजातियोंके नाम-निर्देश न मिलनेसे प्रतीत होता है कि इस समय तक चार वर्णोंकी व्यवस्था सुचारुरूपसे चलती रही है। वर्णाश्रित सामाजिक-व्यवस्थामें कालान्तरमें क्षिणिलता आई। समाजके आचार-विचारमें परिवर्तन हुआ और ऋह उपजातियोंके उद्भवका कारण बना।^{२२}

एक उपजातिमें, उसीमें जनमें और विवाहित सदस्य रह गये। अन्य व्यक्तित उसमें प्रवेश नहीं पा सके।^{१३} एक उपजातिका आचार-विचार, ज्ञान-दान, रीति-रिवाज दूसरी उपजातिसि भिन्न रहने लगा। वैवाहिक क्रियायें अपनी-अपनी उपजातियों ही सम्पन्न होने लगी।^{१४}

जैन उपजातियोंका उद्भव

आचार्य जिनसेनके महापुराणमें आजीविकाके भेदसे चार वर्ण बताये गये हैं—१. ब्राह्मण, २. क्षत्रिय, ३. वणिक् (वैश्य) और ४. शूद्र। इनमें वणिक् वर्णका कार्य न्यायपूर्वक जनोपार्जन करना कहा गया है।^{१५} मध्यप्रदेशके दूबकुण्ड स्थानसे प्राप्त संवत् ११४५ के एक प्रशस्तिलेखमें ऐसे वणिक्वंशका उल्लेख है, जिसके एक धावकको 'अच्छी' पदसे विभूषित बताया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वह श्रावक जिनेंद्रका अर्चक और सम्प्रदोषि था। वह चारों प्रकारके पात्रोंको दान देता था।^{१६} अहारसे प्राप्त संवत् १२०३ (ई० ११४६) के एक मूर्ति-लेखमें वैश्य अन्यके श्रावकोंको जिनेंद्रकी नित्य वन्दना करते हुए बताया गया है।^{१७}

इन उल्लेखोंके आधारसे कहा जा सकता है कि वणिक् या वैश्य एक ही वर्णके श्रावक थे। इनमें एक वर्ग ऐसा था, जिसके श्रावक जिनेंद्रकी आराधना करते थे। व्यापार इनकी आजीविकाका साधन था। इस वर्गके आचार-विचारमें कालान्तरमें शिथिलताने जन्म लिया, जिससे अपनी विशुद्धि बनाये रखनेके लिए इस वर्गके लोग छोटे-छोटे वर्गोंमें विभाजित हो गये। इनमें कुछ वर्गोंके नाम उनकी निवास-भूमियोंके नामपर रखे गये। जैसे चित्रकूटके जैन वैश्योंने अपने वर्गका नाम 'चित्रकूटान्वय' रखा। इसीप्रकार गुर्जर देशके श्रावकोंने अपने वर्गका नाम 'गुर्जराण्वय', अवधके निवासियोंने 'अवधपुराण्वय', वर्द्धमानपुरके वासियोंने 'वर्द्धमानपुराण्वय', खण्डेलाके निवासियोंने 'खण्डेलाण्वय' नाम रख लिए। कालान्तरमें ये नाम जैनोकी उपजातियाँ बन गयी और ये अपने-अपने वर्गोंमें सीमित हो गयी। इनके विवाह आदि व्यवहार अपने वर्गमें ही होने लगे। इस प्रकार शनै-शनै-प्रत्येक वर्गके आचार-विचार, ज्ञान-दान और रीति-रिवाज भिन्न-भिन्न हो गये। यह कबसे हुआ, यह अन्वेषणीय है। पर सबका धर्म एक रहा, जिससे वे एक-दूसरेसे सम्बद्ध रहे।

गोलापूर्व :

'गोलापूर्वान्वय' के उत्तरपद 'अन्वय' की विवेचना करनेके पश्चात् विवेच्य है पूर्वपद—गोलापूर्व। इसमें भी दो पद हैं—गोला और पूर्व।

इनमें 'गोला' कोई स्थान-विशेष रहा है। गोलापूर्वान्वयी जैन मूलतः इसी स्थानके निवासी थे। यह स्थान वर्तमानमें कहाँ है, इस सम्बन्धमें विद्वानोंकी निम्न धारणाएँ हैं—

डॉ० जगदीशचन्द्र जैन—आपने इसे दक्षिणमें गुधूर जिलेकी गल्लक नदीपर स्थित 'गोलि' स्थानसे समीकृत किया है।^{१८} अपनी एक अन्य कृतिमें एक 'गोल्ल' देशका उल्लेख करते हुए आपने उसे गोदावरी नदीके आसपासका प्रदेश बतलाया है। यहूकि निवासी काले और कठोर वचनवाची होते हैं। चैत मासमें भी यहाँ ठंढ पड़ती है।^{१९}

पं० परमानन्द शास्त्री—आपने 'गोला' स्थानको 'गोल्लागढ', वर्तमान गोलाकोटसे समीकृत किया है। उन्होंने गोल्लागढकी स्थिति खनियाधाना स्टेट (अब मध्यप्रदेश) में निर्देशित की है।^{२०}

श्री प्रभुलाल पोहरी—आपने वर्द्धमानपुराणमें कहे गये 'गोयलगढ' को ग्वालियर किलेके अभिलेखोंमें उल्लिखित 'गोहलगढ' से समीकृत किया है और 'गोलापूर्वान्वय' का उद्भव ग्वालियरसे बताया है।^{२१}

पं० नाथूराम प्रेमी—आपने एक प्रतिमालेखमे आया 'गोला' नामक स्थान सूरसे निकट स्थित महूआ और रानीतालको माना है और वहाँसे इस अन्वयका उद्भव बतलाया है ।^{२५}

पं० मोहनलाल शास्त्री—आपने ओरछा और छतरपुर दोनों या एकको गोलापूर्वान्वयका उद्भव-स्थान बताया है । आपने लिखा है कि 'ओरछा स्टेट (मध्यप्रदेश) में अह्वार और पपीरा तथा छतरपुर स्टेट (म० प्र०) में छतरपुर और महोबा ऐसे स्थान हैं, जहाँमें गोलापूर्वान्वयके प्रचुर मूर्तिलेख प्राप्त हुए हैं ।' ग्वालियर स्टेट (म० प्र०) में इस अन्वयके अभिलेख प्राप्त न होनेसे उन्हें ग्वालियरको उसका उद्भव स्थान मानना इष्ट नहीं है । उनकी दृष्टिमें यह सब क्षेत्र 'गोला' कहा जा सकता है ।^{२६}

श्री विद्याधर जोहरापुरकर—आपने अपने 'सट्टारक सम्प्रदाय' ग्रन्थमें 'गोलाराडान्वय' का उल्लेख किया है । पर 'गोलागढ़' कहाँ रहा, इस सम्बन्धमें कुछ नहीं लिखा ।^{२७}

डॉ० दरबागोलाल कोठिया—आपने आहार क्षेत्रके पास स्थित 'गोलपुर' नामक एक ग्रामको 'गोला' में समीकृत किया है, क्योंकि आहार क्षेत्रमें इस अन्वयकी प्रचुर मूर्तिया उपलब्ध है ।^{२८}

डॉ० कन्नूरचन्द्र काम गोवाला—आपने अपने 'खण्डेलवाल जैन समाजका बृहद् इतिहास' (पृ० ५८) में लिखा है कि इस जानिका निवास गोल्लागढ़ (गोलाकोट) की पूर्व दिशामें रहा है । उसकी पूर्व दिशामें रहने वाले गोलापूर्व कहलाये ।

समीक्षा

डॉ० जगदीशचन्द्र जैनका 'गोला' नामक स्थानको गुन्टर जिलेके 'गोलि' स्थानसे समीकृत करना अभिलेख आदि साक्ष्योंके अभावमें तर्कमंगत नहीं है और न गोदावरीके आमपासका प्रदेश भी उनके अभावमें 'गोला' माना जा सकता है । तमिल, केरल आदिके लोग भी काले होते हैं । अतः उनका यह आचार भी उसमें सहायक नहीं है ।

श्री प्रभुलाल पोहरीका संवत् १८२५ में लिखे गये नबलशाहके बर्द्धमान-पुराणमें आये 'गोयलगढ़' को ग्वालियरके अभिलेखोंमें आये 'गोइलगढ'से समीकृत करना और उसे गोलापूर्वान्वयका उद्भव-स्थल बताना युक्त नहीं है । इस सम्बन्धमें निम्न बाधक हैं—

(१) तीर्थंकर ऋषभदेवका गोयलगढ आना और वहाँके वैश्योंको उपदेश देना तथा उसे उनके द्वारा ग्रहण करना ये ऐसी बातें हैं, जिनका आदिपुराण (९वीं शती) में^{२९} कोई उल्लेख न होनेसे विश्वसनीय नहीं कही जा सकती है ।

(२) नबलशाह स्वयं गोलापूर्व जैन थे । ऐसी कथा लिखनेमें अतिशयोक्ति भी कर सकते हैं ।

(३) ग्वालियरमें गोलापूर्वान्वयके कोई प्राचीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए । श्री प्रभुलालका यह कहना भी तर्कयुक्त नहीं है कि तैमूर और औरंगजेबने गोलापूर्व समाजके मन्दिरों और मूर्तियोंकी 'इतिथी' कर दी है, क्योंकि कोई कितना ही विनाश क्यों न करे, उनके अवशेष तो मिलते, जबकि एक भी अवशेष प्राप्त नहीं होता ।

गोलापूर्वान्वयके सम्बन्धमें प्रचलित निम्न जनश्रुति भी इस विषयमें वलिष्ठ नहीं है—

गोलापूर्व वानिया गोयलगढ़के जान ।

पाणाशाह ता वंशमें सर्वप्रतापी मान ॥^{३०}

इस जनश्रुतिमें पाणाशाहको गोलापूरब बताया गया है। पर यूबोन रिपोर्टमें इसे अयबाल कहा है।^{१८} दूसरे, यदि यह गोलापूर्व और नवप्रतापी था, तो इसके प्रतिष्ठित मंदिर और मूर्तियाँ अवश्य उपलब्ध होते। अतः प्रमाणोंके अभावमें उक्त जनश्रुति भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करती।

प्रेमीजीके बताये मूरतके महुआ और रानीताल भी साध्योंके अभावमें 'गोला', नहीं है। अत वे इस अन्वयके उद्भव-स्थल सिद्ध नहीं होते।

पं० मोहनलाल शास्त्रीने टीकमगढ जिलेके अहार और पपीरा तथा छतरपुर जिलेके छतरपुर और महोबासे प्राप्त अभिलेखोंके आधारपर इन स्थानोंको 'गोला' मानकर उनमेंसे किसी एक स्थानको इस अन्वयका उद्भव-स्थल बताया है। पर वह सवेहास्य है। यद्यपि टीकमगढ जिलेमें स्थित अहारक्षेत्रके पास मौजूद 'गोलपुर' ग्रामको 'गोला' से समीकृत किया जा सकता है और गोलपुरके निकट स्थित अहार और पपीरा ऐसे स्थल हैं, जहाँ गोलापूर्वान्वयके प्रचुर प्रतिमान-लेख उपलब्ध हैं। परन्तु गोलपुरमें वैश्योंको बहुलता नहीं रही, जो इस समाजको जन्म देते।

डॉ० कोठियाका भी सम्भावित यह गोलपुर इस अन्वयका इसी कारण उद्भव-स्थल सभव नहीं है। गोलागढको 'गोला' स्थान माननेके सदर्भमें प० परमानन्दजी शास्त्रीका कथन तर्कसंगत प्रतीत होता है। इसके निम्न हेतु हैं—

(१) गोलागढको वर्तमानमें गोलाकोट कहते हैं। यह मध्यप्रदेशके शिवपुरी जिलेमें खनियाधानसे छह किलोमीटर दूर है। यहाँ एक गोल पहाड़ीपर गोल काट बना हुआ है। इस काटके भीतर ११९ मूर्तियाँ हैं, जिनकी आसनोपर वि० सं० १००० से १२०० (ई० ९४३ से ११४३) तकके अभिलेख अंकित हैं। एक विशाल ध्वज मन्दिर भी बना हुआ है।^{१९} अत यह स्थान (गोलागढ) 'गोला' कहा जा सकता है।

(२) चन्द्रगिरि (श्रवणवेलगोल) में उल्लिखित ई० ११६३ के एक लेखमें गोलदेश और वहाँके राजाके किसी कारणवश (सत्सारभयसे) विरक्त होकर मुनि होने तथा उनके प्रसिद्ध आचार्य 'गोलाचार्य' नामका उल्लेख किया गया है, जो इस सन्दर्भमें ध्यातव्य है।

(३) उक्त चन्द्रगिरिसे ही प्राप्त एक अन्य लेखमें भी उक्त प्रकारसे उल्लेख किया गया है। विशेष यह कि उर्युक्त राजाको गोलदेशका प्रसिद्ध भूपाल तथा अभिनव चन्देलवंशनरेन्द्रचूडामणि कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें वीरनन्द विष्णुधेन्द्रकी परम्परामें होनेवाला प्रसिद्ध आचार्य गोलाचार्य बतलाया गया है।^{२०}

इन दो धिलालेखोंसे प्रकट होता है कि गोलदेश चन्देलवंशी राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र था और सम्भवत इसीको 'गोला' या 'गोला' कहा जाता था। अब देखना है कि यह गोला या गोला (गोल) देश कहाँ है, जिस पर चन्देले राजाओंका शासन रहा है। इतिहासकार डॉ० ज्योतिप्रसाद जैनने लिखा है कि ई० ८३१ में नन्नुक चन्देलेने इस वंशकी स्थापना की थी और उसने खजुराहोको अपनी राजधानी बनाया था। षण इस वंशका बड़ा महत्त्वाकांक्षी राजा था। खजुराहोका पावननाथ मंदिर इस शासकके प्रथम शासन-वर्ष ई० ९५४ में बना था। यह मुनि वासवचन्द्रका आदर करता था।^{२१} इसके पौत्र विशाखदेवके द्वारा ई० १०२८ में खजुराहोके शातिनाथ मंदिरमें आदिनाथकी विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित कराई गई थी। कीर्तिवर्मन् चन्देलेके मंत्राँ अस्सराजने देवगढमें दुर्ग बनवाकर उसका 'कीर्तिगिरि' नाम रखा था।^{२२}

मदनवर्मदेव इस वंशका धार्मिक निर्माण-कार्योंमें अधिक रुचि लेनेवाला प्रसिद्ध शासक रहा है। जगत्सागर (छतरपुर) और पपीरा (टीकमगढ) में ई० ११४५ के, मऊ (छतरपुर) से ई० ११४६ के, खजु-

राहो (छतरपुर) तथा अहार (टीकमगढ) से ई० ११४८, ११५५ और ११५८ के तथा महोबासे ई० ११६३ के प्राप्त अभिलेखोंमें वहाँ मदनवर्मदेवका राज्य बतलाया गया है।

गोलागढ (गोलाकोट) इसकी मम्भवत. राजधानी थी और उसके चारों ओर उसका शासन था। शिवपुरी, टीकमगढ, छतरपुर, पन्ना, सागर, झांसी और मिश्र-भदावरका क्षेत्र उसके अन्तर्गत था। अहारका मदनसागर तालाब और सौरईके पास स्थित मदनपुर इसीके नामपर रहे मालूम होते हैं।

हम पहले कह आये हैं कि गोलागढके पास स्थित गोल्पहाडीपर गोल्पकोटेके भीतर बने जैन मन्दिरमें ११९ मूर्तियां विराजमान हैं। इसके द्वारा शासित यह उपयुक्त क्षेत्र गोल्पहाडीके कारण ही 'गोला' या 'गोल्लदेश' के नामसे प्रसिद्ध हुआ हो, तो आश्चर्य नहीं है।

इसका शासन-काल ई० ११२९ से ११६३ माना जाता है। इमने अपने देशका ३४ वर्ष शासन किया है। इसके शासन-कालमें विभिन्न स्थानोंपर अनेक जैन प्रतिमा-प्रतिष्ठाएँ हुई हैं। यह अपने पूर्वज धंग, विद्याधरदेव आदिसे अधिक जैनधर्मप्रेमी था।

चन्द्रगिरि (श्रवणबेलगोला) के अभिलेखोंमें आचार्य वीरनन्दी 'विबुधेन्द्र' की परम्परामें दीक्षित जिन प्रसिद्ध आचार्य गोलाचार्यका उल्लेख किया गया है और जिन्हें गोल्लदेशाधिप तथा चन्देराजवंशचूडामणि दीक्षाके पूर्व बताया गया है, वह राजा और कोई नहीं, मदनवर्मदेव (ई० ११२९-११६३) चन्देल ही था और उसका शासित क्षेत्र गोल्लदेश था।

यहाँ विचारणीय है कि उसकी विरक्ति और जैनधर्ममें दीक्षित होनेका कारण क्या है? इस विषयमें दो कारण प्रतेत होते हैं। एक तो यह कि गोलागढमें कोई प्रभावशाली जैन धर्मोपदेशक भट्टारक या विशिष्ट आचार-विचार सम्पन्न विद्वान् आया हो, जिनके प्रभावपूर्ण उपदेशसे जहाँ नगरका अधिकांश वैश्य समाज प्रभावित हुआ हो और उसने अपने आचार-विचारमें परिवर्तन किया हो वहाँ राजा मदनवर्मा (ई० ११६३) भी उनके उपदेशसे इतना प्रभावित हुआ हो कि उसने राज्यको तुणवत् त्यागकर चन्द्रगिरि (श्रवणबेलगोला, कर्नाटक) में जाकर विगम्बर जैन धर्मणकी दीक्षा ले ली हो और गोल्लदेशके राजा होनेसे वे 'गोलाचार्य' नामसे प्रथित हुए हो। वे जैनधर्मके अतिशय भक्त थे।

दूसरा कारण यह ज्ञात होता है कि इमके राज्यपर किसी दूसरे शत्रु राजाके द्वारा आक्रमण किया गया हो और जिसका मुकाबला कर सकना मम्भव न देखकर मदनवर्मा राज्यको त्यागकर दूरवर्ती एव पावन क्षेत्र श्रवणबेलगोला पहुँचें हों तथा वहाँ चन्द्रगिरिपर आ० वीरनन्दी 'विबुधेन्द्र' की परम्परामें दीक्षित हो गये हों। दीक्षा लेनेके पूर्व यत वे गोल्लदेशनरेश थे, अत वे 'गोलाचार्य' नामसे प्रख्यात हुए। यही सबब है कि अभिलेखोंमें मदनवर्माके वैराग्यका स्पष्ट कारण न बताकर 'केन च हेतुना', 'किमपि कारणेन' (किसी कारणसे, कुछ कारणसे) मात्र कहा गया है। वह कौन शत्रु राजा था, जिसका आक्रमण मदनवर्माके लिए अपरिहार्य रहा, यह इतिहासके आलोचकमें अन्वेषणीय है। ई० ११६३ के बाद मदनवर्माके विषयमें इतिहास मौन है। इतीतिहास उसके सम्बन्धमें उक्त दो कारणोंको सम्भावना की गई है।

नगरके धार्मिक वैश्य समाज भी धर्मक्षतिके भयसे सुरक्षित दूरमें स्थानोंपर चले गये हो। सपादलक्ष-देशपर म्लेच्छ (साहिबुद्दीन तुर्कगज) द्वारा आक्रमण किये जानेपर जैसे पण्डितप्रवर आशाधर (१३०० संवत्) बहुत परिवारोंके साथ पूर्व स्थान माण्डलगढ़को छोड़कर चरित्रनाथके भयसे घारापुरीमें जा बसे थे।

'गोला' शब्दके प्रसंगसे इतना प्रासंगिक कहनेके उपरान्त उसके उत्तरपद "पूर्व" पर भी विचार

किया जाता है। यहाँ 'पूर्व' पहले पूर्व दिशा लिया जाना चाहिए। जो गोस्लागडकी पूर्वदिशामें आभार-विचार सम्पन्न वैश्य समाज रहता था और जैनधर्मका पालक था वे गोलापूर्व कहे जाते थे, उनके समीप उत्तरदिशामें जो धार्मिक वैश्य समूह रहता था, उन्हें गोलालरे या गोलादाख कहा जाता था और जो भूषणोके परिवारानमें अधिक रुचि रखते थे या उस वैश्य (गोस्लदेश) के भूषण माने जाते थे उन्हें गोस्लभूषणार या गोस्लसिंघारके नामसे अभिहित किया जाता था। ये उस नगरके बाईं या मुहुरेके थे। ये वर्ग व्यवसायकी दृष्टिसे क्षत्राभ्यसे दूरे नगरों एवं गावोंमें आते-जाते रहते थे। जो व्यापारके लिए पूर्व दिशाकी ओर गये वे यही बस गये। पर उन्होंने मूलनिवासके नामको नहीं छोड़ा। वे उनके अन्वय, आम्नाय या जाति बन गई। जैसा कि मूर्ति-लेखोंमें उल्लिखित है। जो परिवार गोस्लागड और गोस्लदेशको छोड़कर बाहर चले गये, उनके परिवारोंमें वृद्धि हुई तथा बावको बहसि और परिवार भी जाते रहे। उदाहरणार्थ खण्डेलवाल समाजके अनेक परिवार आसाम, बंगाल, मध्यप्रदेश आदिके नगरों-गावोंमें जा बसे हैं और सब खण्डेलवाल कहे जाते हैं। गोलापूर्व समाजके परिवारोंमें ऐसा ही एक परिवार बहोरीबन्द (जबलपुर) के शान्तिनाथ-मन्दिर एवं उस विद्यालय, मूर्तिका निर्माता एवं प्रतिष्ठाकारक है, जिसने सन् १००० या १०१० या १०७० में मंदिर तथा मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई थी। मूर्तिके पादपीठमें जो उत्कीर्ण लेख है उसमें 'गोस्लापूर्व आम्नाय' का स्पष्ट उल्लेख है। और इस आम्नायको 'उल्लुत्ताम्नाये' पद देकर उन्नत (श्रेष्ठ) आम्नाय बतलाया है। वह परिवार था 'तर्क-ताकिकभूषणमणिश्रीमन्माधवमन्दि' से अनुग्रहीत (उपकृत) या उनका कृपापात्र साधु श्री सर्वधर और उसका पुत्र महाभोज, जो धर्म, दान और अध्वयनमें रत रहता था। वह लेख निम्नप्रकार है—

'स्वस्ति सक्त् १० फाल्गुन वदी ९ श्रौमे श्रीमद्गयकपदेवविजयराज्ये राष्ट्रकूटकुलोद्भव-महामामन्ताधिपतिश्रीमद्गोल्हणदेवस्य प्रवर्धमानस्य श्रीमद्गोस्लापूर्वाम्नाये वेल्प्रभाटिकायामुस-कृताम्नाये तर्कताकिकभूषणमणि-श्रीमन्माधवमन्दिनानुग्रहीत साधुः सर्वधर तस्य पुत्र धर्मदानाध्ययने रतः महाभोज । तेनेव कारित रम्यं शान्तिनाथस्य मन्दिरम् ।'

—प० बलभद्र जैन, भारतके दि० जैन तीर्थ (म० प्र०), पृ० ३७।

यह परिवार गोस्लागडको छोड़कर यहाँ कब आया, कहा नहीं जा सकता। किन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसीने विशाल (१३ फुट ९ इंच अवगाहना तथा आसन सहित १५ फुट ६ इंच ऊँची) खड्गासन मूर्ति एवं उसके योग्य मन्दिरके निर्माणकी क्षमता और सम्पन्नता प्राप्त करनेके लिए तथा वहाँ स्थायी होनेके लिए १००-१५० वर्षका समय तो लगा होगा। अतः यह परिवार मूल निवासको छोड़कर ८वीं, ९वीं शताब्दीमें आया होगा।

प्रतिष्ठाके समय कलचूरिबंसके राजा गयकर्णदेवका राज्य और उनके प्रभाक शासक राष्ट्रकूटकुलोद्भव गोल्हणदेवका प्रभावी शासन था। गयकर्णदेवका राज्य अनुमानत ई० १११५ से ११५३ तक माना गया है।^{३७} यही समय गोल्हणदेवका जानना चाहिए। प्राय यही बन्देलनरेश मदनवर्माका इतिहाससम्बन्ध शासनकाल ई० ११२९ से ११६३ तक माना जाता है।^{३८} जैसा कि पहले कहा जा चुका है।

पश्चित फूलचन्द्रजो सिद्धान्तशास्त्रीने गोल्हणदेवका जन्म गोल्हणदेशमें होने या गोल्हणदेशका राजा होनेकी सम्भावना की है और उन्हें तथा गोस्लाचार्यको एक होनेका अनुमान किया है।^{३९} पर वे दोनों अलग-अलग व्यक्तित्व हैं। गोल्हणदेव राष्ट्रकूटवंशी थे और गोस्लाचार्य बन्देलवंशी थे। गोल्हणदेव कलचूरिनरेश गयकर्ण-देवके एक शासक थे, जिनका शासन बहोरीबंद (जबलपुर) क्षेत्रमें था और गोस्लाचार्य दीक्षाके पूर्व गोल्ह-णदेशके नरेश तथा बन्देलनरेशभूषणमणि थे, जिनका शासित क्षेत्र गोल्हणदेश था, जो सिवपुरी, छतरपुर,

पत्ना, झाँसी और टीकमगढ़ तक था। जतः गोल्लण्डेको गोल्लाचार्य माननेकी सम्भावना या अनुमान संगत नहीं है।

हाँ, शास्त्रीजीके इस विचारने हम सहमत है कि 'बुन्देलखण्डके जिस अञ्चलमें गोल्लापूर्व, गोल्लारे और गोल्लअंगारके परिवार बसते आये हैं वह पूरा प्रदेश गोल्ला राड् कहा जाता रहा है।' उन्होंने जिस प्रदेशको गोल्ला राड् कहा है सम्भवतः वह गोल्लदेश ही है और वह बुन्देलखण्ड (उत्तर भारत) का ही अञ्चल है, दक्षिणका नहीं।

सीकरसे प्रकाशित 'चारित्र्यमंत्रकाश' नामक ग्रन्थ में और 'तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा' भाग ४ के पृष्ठ ४४१ पर दो गई नन्दिमंथकी पट्टावलीमें बारहवें क्रमांकपर वि० सं० ३५८में संघके पट्टपर आरूढ हुए गणनन्दिका नामोल्लेख हुआ है। और 'चारित्र्यमंत्रकाश' में दी गयी, पट्टावलीके अनुसार पण्डित फूलचन्द्र सिद्धास्तशास्त्रीने गणनन्दिको दक्षिण देशस्थ भद्रपुरका गोल्लापूर्व पट्टाधीश बलाकर दक्षिणमें भी गोल्लापूर्वान्वयका आवास अनुमानित किया है। उनकी मान्यता है कि दक्षिणके जिन प्रदेशमें गोल्लापूर्वान्वयका पूर्वकालमें निवास रहा है वही गोल्लदेश है और गोल्ला राड्, गोल्लापूर्व तथा गोल्लअंगार तीनों अन्वयोंके वंशधर वहाँसे आये हैं।^{३८} इन मन्त्रमें प्रथमतः विचारणीय है कि शास्त्रीजीने आचार्य गणनन्दिको गोल्लापूर्व किस आधारपर बताया है? क्योंकि 'तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा' भाग ४ के पृ० ४४१ में दी गयी नन्दिमंथकी पट्टावलीमें गणनन्दिके दक्षिणदेशस्थ भद्रिलपुरके पट्टाधीश होनेका उल्लेख तो किया गया है, किन्तु उनके गोल्लापूर्व होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्रीजीने यदि 'चारित्र्यमंत्रकाश' में कोई उल्लेख देखा हो, तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह ग्रन्थ अबतक लेखकको अप्राप्त है। डॉ० नैमिचन्द्र जैन शोधोन्मोजी विद्वान् थे। यदि आचार्योंकी श्रालिके उल्लेख उन्हें प्राप्त हुए होते, तो वे उसके उल्लेख अवश्य करते।

दूसरे, यदि गोल्लापूर्वान्वयका वि० सं० ३५८ में जन्म हो गया था तो इस अन्वयके प्राचीन प्रतिपालेख आदि भी मिलना चाहिए थे। यद्यार्थमें गोल्लापूर्वान्वय ही नहीं, अन्य कोई अन्वय भी इस समयमें नहीं थे। यही कारण है कि उम समयके उनके कोई लेख प्राप्त नहीं होते हैं।

तीसरे, दक्षिणमें साध्योंके अभावमें न गोल्लदेशकी सम्भावना की जा सकती है और न ही गोल्लापूर्व, गोल्ला राड् और गोल्लअंगार अन्वयोंका उसे उद्भवस्थल स्वीकार किया जा सकता है। शास्त्रीजी इससे पूर्व इसी लेखके आरम्भमें बुन्देलखण्डके महोबा-भिण्ड-भवावर अञ्चलको गोल्लदेश या गोल्ला राड् सम्भावित कर आये हैं। किन्तु अब दक्षिणमें गोल्लदेश होनेकी सम्भावना कर रहे हैं, जो परस्परविरुद्ध है। चन्द्रगिरिके अभिलेखोंमें ही गोल्लदेशका उल्लेख किया गया है और उन्हींमें उसका शासक चन्देलनरेशचूडामणिको बताया गया है, जिसने बादको दिगम्बर मुनि-दीक्षा आ० वीरनन्दि 'विबुधेन्द्र' की परम्परामें ग्रहण की थी और वे गोल्लाचार्योंके नामसे प्रथित हुए थे। यह चन्देलनरेशचूडामणि मदनवर्मदेव चन्देलनरेश था और जिसने गोल्लागढ़ वर्तमान गोल्लाकोटपर ई० ११२९ से ११६३ तक शासन किया, जिसके अन्तर्गत शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, झाँसी, मदनपुर आदिका क्षेत्र था। ध्यातव्य है कि चन्देल राजवंश उत्तरभारतमें ही रहा है, दक्षिणमें नहीं। इतने विचार-विमर्शके बाद हम इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि चन्देलवंशी राजा मदनवर्मके द्वारा शासित गोल्लागढ़ ही गोल्ला राड् या गोल्लप्रदेश है। इसी प्रदेशसे इसके शासनकालमें प्रतिष्ठित सर्वाधिक जैन मूर्तियाँ एवं जैन मन्दिर उपलब्ध हुए हैं। दक्षिणके किसी स्थानसे नहीं प्राप्त हुए।

साहित्यिक सन्दर्भ

जैन जातियोंकी संख्या चौरासी बताई गई है। इनमें 'गोला' पदसे जिनके नाम आरम्भ हुए हैं उनमें तीन जातियाँ हैं—'गोलापूर्वान्वय', 'गोलाराड्' और^३ 'गोलभुंगार'। माणिक्यसुन्दरसूक्तिन मवत् १४७८ के 'पृथ्वीचन्द्रचरित-नाम्बिलास' में इन तीनका उल्लेख नहीं है, केवल 'गोला' नामक १५ जातिका क्रमांक तिरैसठपर उल्लेख है।^{३२}

श्री पूर्णचन्द्र नाहर द्वारा अकाराधिक्रमसे प्रकाशित नामावलीमें अठारहवें क्रमांकपर 'गोलावा' जातिका नाम आया है।^{४०} इसीप्रकार मोहम्मदशाहके समयकी जातियोंमें 'गोलावाल'^{४१} और कवि लावण्यसमयकी कृति 'विमलप्रबन्ध' में 'गोलवाल' जातिका नामोल्लेख हुआ है।^{४२} श्रीमौभाग्यनन्दिसूरि रचित संवत् १५७८ के 'विमलचरित'में अवश्य गोलाराड्, गोलसिंगारा और गोला इन तीन जातियोंके नामोल्लेख हुए हैं।^{४३} इनमें गोलापूर्व जातिका नामोल्लेख नहीं हुआ है। पर प्रतीत होता है कि इनमें 'गोला' शब्द गोलापूर्व जातिके अर्थमें व्यवहृत हुआ है। गोलाराड्का प्रशस्तियोंमें गुलाराड्, गोलाराडिय और गोलाणायउ नामोंमें व्यवहार हुआ है।^{४४}

इन गोला, गोलावाल, गोलवाल, गोलाराड् और गोलसिंगारा जानीय नामोल्लेखोंसे ज्ञान होता है कि इन नामोंमें उनके आदिमें प्रयुक्त 'गोला' पद उन 'गोला' नामक स्थान या देशका सूचक है जहाँके वे मूल निवासी थे। चौरासी जातियोंमें अग्रवाल, खण्डेलवाल, बघेरवाल और मेडतवाल आदि अन्वयोंके नामोंमें यह सम्भावना होती है क्योंकि ये जातियाँ भी अपने स्थानविशेषोंकी प्रकाशक हैं।

संवत् १८२५के नवलघाटहून हिन्दी 'वद्वंभन पुराण' तथा बरुनराम रचित मवत् १८२७ के 'बुद्धि-विलास' ग्रन्थमें 'गोलापूर्वान्वय' का नाम सर्वप्रथम दर्शाया गया है। इसके पश्चात् गोलाराड्, गोलसिघारे आदिका उल्लेख किया गया है।^{४५}

प्रतीत होता है कि 'गोला' नामक स्थानसे उद्भूत जातियोंमें गोलापूर्वान्वयके श्रावक सर्वप्रथम 'गोला' स्थानसे निकले थे। इसीसे वे 'गोलापूर्व' कहे गये। 'पूर्व' शब्दके दो अर्थ हैं—एक पूर्व दिशा और दूसरा किसी अन्यकी अपेक्षा पहले। 'पूर्व' पदके इन दोनों अर्थोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'गोलापूर्वान्वय' के श्रावकोंने गोलाराड् और गोलसिघारे अन्वयोंसे पहले 'गोला' या 'गोल' नामक नगरसे निर्गमन किया था तथा वे वहाँसे पूर्व दिशाकी ओर जा बसे थे। सर्वप्रथम श्रावकके व्रत ग्रहण करने और सर्वप्रथम 'गोला' नगरसे निर्गमन करनेके कारण तथा गोलानगरसे पश्चात् निर्गमन करने वाले एवं व्रत ग्रहण करनेवाले अपने परवर्ती अन्वयोंकी अपेक्षा अपनेको अपूर्व (विशिष्ट) बतानेके लिए सम्भवतः इन्होंने अपने समूहको 'गोला-पूर्वान्वय' मंजासे अभिहित किया था। यह मान्यता सवत् १८२७ तक अद्युष्ण रहीं ज्ञात होती हैं। इस उल्लेखसे मदनवर्मदेवके वैराग्यके सम्बन्धमें पहले की गयी कल्पना भी युक्त प्रतीत होती है।

इस प्रकार गोलागढ, मऊ, महोबा, सजुराहो, छतरपुर, मलहरा, द्रोणगिरि, रेश्मन्दिगिरि, मदनपुर, अहार, पगीरा, मोनागिरि आदि जिन स्थलोंमें मदनवर्मदेव चन्देलके अभिलेख प्राप्त होते हैं वे स्थल तथा वर्तमान छतरपुर, टोकमगढ, पन्ना, दमोह, सागर, ग्वालियर, खनियाघाना, भिण्ड और उत्तरप्रदेशके झासी व कलितपुर जिले 'गोल्लदेश' के नामसे विख्यात रहे प्रतीत होते हैं। गोलागढ सम्भवतः राजधानी थी।

इतिहासकार रतिभानुसिंह नाहरने सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड और दक्षिणमें अबलपुरके पड़ोसका प्रदेश मदन-वर्मदेव चन्देलके राज्यमें सम्मिलित रहा बताया है।^{४६} उन्होंने मदनवर्मदेवका अन्त कौसे हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। पर इस सम्बन्धमें अभिलेखोंसे ज्ञात होता है कि ई० ११६३ में किसी कारणसे चिरन्त

होकर उसने दक्षिणकी ओर प्रस्थान कर श्रवणबेलगोलमें चन्द्रगिरिपर मुनि वीरनन्दी या उनकी परम्परामें हुए किसी आचार्यसे मुनिदीक्षा धारण कर ली थी। ई० ११६३ के पूर्व ही इसका राज्य गोल्लदेशके नामसे विख्यात हो गया था। परन्तु इसका नामोल्लेख अब तक चन्देल राज्यसे प्राप्त किसी भी अभिलेखमें प्राप्त नहीं होता।

गोम्लागढ (गोलाकोट) का गोल पहाड़ीपर स्थित जैनमन्दिरकी मूर्तियोंके अभिलेखोंके मूलपाठ इस सन्दर्भमें पठनीय है। सम्भवतः उनमें गोल्लदेशका नाम उल्लिखित हो।

हम यह पुनः कहेंगे कि चन्दे-शासकोंका शासन उत्तरभारतमें रहा है। उस वंशका संस्थापक ननुक चन्देल (ई० ८३१) था। उसने खजुराहो (छतरपुर) को अपनी राजधानी बनायी थी। इस वंशमें धंग (९५४ ई०), विद्याधरदेव (ई० १०२८), कीर्तिवर्मन् जैसे चन्देले राजा शासक हुए। इस सन्दर्भमें डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन द्वारा लिखित 'भारतीय इतिहास एक दृष्टि' दृष्टव्य है, जो भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित है।

गोलापूर्वान्वयके गोत्र

'गोत्र' जैनदर्शनके आठ कर्मोंमें मातवाँ कर्म है।^{५०} धवला पुस्तक ६, पृष्ठ ७७ में गोत्रका अर्थ कुल या वंश बताया गया है।^{५१} परन्तु जातियोंके सन्दर्भमें गोत्रका अर्थ बैंक होता है। कवि नवलशाहने इसी शब्दका व्यवहार किया है। उन्होंने दो सर्वया और एक दोहेमें गोलापूर्वान्वयके अट्ठानवन बैंक बताये हैं। उनके नाम कविके शब्दोंमें निम्न पद्योंमें द्रष्टव्य है—

खाग, फूसकेले और चन्देरिया, मरैययी पपौरहा, बनोनहा, सु टेंटवार जानिये ।
भर्तपुरिया, छोरकटे, कोठिया, दुमैले औ बरघरिया, जुझौतिया, बैरिया, बसानिये ॥
इन्द्रमहा (जन), खुदेंले, भिलसैया, रौनेले, जनहारिया, निर्मालक, तिंगेले प्रमानिये ।
धोनी, पेशवार, रहदले, कपासिया, गोदरे मुगौरिया, बनौलिया जु ठानिये ॥
दंडकार सरखडे, साधारण, टीकाके, रावत, बबरोठिया, सौनी, सौंसरा सु लीजिये ।
पतरिया, बुधौलिया, गडोले, पचलौरे, सनकुटा, मौरया, हीरापुरिया सुनीजिये ॥
कनकपुरिया, कनसेनियाँ, पटौरहा सु विलविले, नाहर, करैया, सांभेले गणीजिये ।
पडैले, सैनियाँ, दरगैयाँ, मपोतहा मसगैयाँ, लखनपुरिया, बोदरे गनीजिये ॥
सिरसपुरिया, कोनियाँ ये अट्ठान बैंक । 'नवल' कहे संक्षेपसे निजकुल वरणों नेक ॥^{५२}

कविके इन पद्योंमें जिन बैंकोंके नाम बताये हैं वे क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

१. खाग, २. फूसकेले, ३. चन्देरिया, ४. मरैया, ५. पपौरहा, ६. बनोनहा, ७. टेंटवार, ८. भर्त-
पुरिया, ९. छोरकटे, १०. कोठिया, ११. दुमैले, १२. बरघरिया, १३. जुझौतिया, १४. बैरिया, १५. इन्द्र-
महा, १६. खुदेंले, १७. भिलसैया, १८. रौनेले, १९. जनहारिया, २०. निर्मालक, २१. तिंगेले, २२. धोनी,
२३. पेशवार, २४. रहदले, २५. कपासिया, २६. मोदरे, १७. मुगौरिया, २८. बनौलिया, २९. दंडकार,
३०. सरखडे, ३१. टीकाके, ३२. रावत, ३३. बबरोठिया, ३४. सौनी, ३५. सौंसरा, ३६. पतरिया, ३७.
बुधौलिया, ३८. गडोले, ३९. पचलौरे, ३०. सनकुटा, ४१. मौरया, ४२. हीरापुरिया, ३३. कनकपुरिया,
४४. कनसेनियाँ, ४५. पटौरहा, ४६. विलविले, ४७. नाहर, ४८. करैया, ४९. सांभेले, ५०. पडैले, ५१.
सेनिया, ५२. दरगैयाँ, ५३. मपोतहा, ५४. मसगैयाँ, ५५. लखनपुरिया, ५६. बोदरे, ५७. सिरसपुरिया
और ५८. कोनियाँ ।

गोत्र-नामकरण

अन्वयोंके सूजनमें जैसे प्रधानतः उनकी चारित्रिक विद्युत्कारण शक्ती है, ऐसे ही गोत्रोंके सूजनमें भी
२-६

सम्भवतः यही कारण रहा है। अन्योक्त नामकरण जैसे उनकी मूल निवासभूमियों पर हुए, ऐसे ही गोत्रोंके नाम भी उनके मूल निवासस्थानोंके नामोंपर रखे गये ज्ञात होते हैं। जिन गोत्रोंके नाम इस प्रकारके प्रतीत होते हैं उनके मूल निवासस्थानोंका परिचय निम्न प्रकार है—

- १ चन्देरिया : इस बैंकका नाम चन्देरी, जो धूनन (धूबोन) के पास है, के नामपर रखा गया ज्ञात होता है।
- २ पपीरहा : मध्यप्रदेशके टीकमगढ जिलेमें टीकमगढसे नातिदूर पपीरा एक अतिथय क्षेत्र है। यहाँ सबत् १२०२ के दो मूर्तिलेख ऐसे हैं, जिनमें गोलापूर्वाभयका उल्लेख हुआ है। अतीतमें इस अन्वयके परिवारोंकी यह आवासभूमि रही है। वे किसी कारणवश अन्यत्र चले गये। परन्तु उन्होंने अपनी जन्मभूमिकी नहीं भुलाया। उन्होंने पपीराके मूलनिवासी होनेके कारण अपने गोत्रका नाम 'पपीरहा' रखा।
- ३ बनोनहा : यह नाम बुन्देलखण्डके 'बनेडिया' ग्रामके नामपर रखा गया जान पड़ता है। इस ग्रामकी स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है।
- ४ भरतपुरिया : सैषा और मलहराके बीच 'भरतपुरा' एक ग्राम है। इस ग्रामके नामपर इस गोत्रका नाम प्रसिद्ध हुआ ज्ञात होता है।
- ५ बरखरिया : यह नाम मूलत 'बरखरिया' ज्ञात होता है। रहलीके पास 'बरखेरा' ग्रामके नामपर इसका नामकरण हुआ होगा। इस ग्राममें आज भी गोलापूर्वीका आवास है।
- ६ बेरिया : टीकमगढ जिलेमें एक 'बेरी' नामक ग्राम बताया गया है, जिसके नामपर इस गोत्रका नाम रखा गया। आगरा-शिवपुरी रोडपर बसे 'बरई' गाँवके नामपर भी यह नाम रखा जाना संभावित है।
- ७ इन्द्रमहा : जबलपुर जिलेमें सिंहोरा-महगवाँके पास एक 'इन्द्राना' नामका ग्राम है। जहाँ जैन भी है। इस गोत्रका नाम इसी ग्रामके नामपर रखा गया ज्ञात होता है।
- ८ भिलसैया : टीकमगढ जिलेके 'भिलसी' ग्रामके नामपर इस गोत्रका नाम रखा गया प्रतीत होता है।
- ९ जनहारिया : इस गोत्रका नाम मूलत 'जतहारिया' होना चाहिए। टीकमगढसे पास एक 'जतारा' ग्राम है। उसके नामपर इसका नामकरण हुआ कहा जा सकता है।
- १० जुझोतिया : 'जुझार' ग्रामके नामपर इसका नाम रखा गया है।
- ११ तिगले : यह बुन्देलखण्डके 'तिगोडा' ग्रामके नामपर रखा गया।
- १२ धौनी : मलहराके पास 'धौनी' ग्रामका सूचक है।
- १३ पेथवार : विविधतासे ५० मील दूर उत्तर-पूर्वमें स्थित पथारि ग्रामपर इसका नामकरण हुआ है।
- १४ रहदेले : इस गोत्रके धावक सम्भवत मूलरूपसे 'रहली' के वासी थे।
- १५ गोदरे : यह नाम या तो क्षत्रियाघानासे आठ किलो मीटर दूर स्थित 'गुडर' या 'गोवल्लमऊ' ग्रामके नामपर रखा गया है।
- १६ गुगौरिया : बण्डा तहसीलके 'गुगरा' ग्राम पर यह नाम रखा गया है।
- १७ बबोलिया : यह नाम मूलतः बबोलिया होगा और "बन्हीरो" ग्रामके नाम पर इसका नामकरण हुआ होगा।
- १८ सरखडे : इस गोत्रका नाम दमोह जिलेके "सरखडी" ग्रामके नाम पर रखा गया हो।
- १९ टीकाके : यह सागर जिले के "टीकापर" ग्रामका सूचक है।

- २० रावल सागर जिलेके 'हरावन' ग्रामके नामपर इसका नामकरण हुआ है।
- २१ बबरीठिया बण्डाका "बरायठा" ग्राम इसका उद्भव स्थल है।
- २२ सोंसरा सागरका समीपवर्ती "सेसई" ग्राम इस गोत्रका मूल निवास रहा है। इसी ग्रामके नामपर इसका नाम रखा है।
- २३ मझौले इस गोत्रके पूर्वज संभवतः शिवपुरी जिलेमें "गुडार" ग्रामके निवासी थे, अतः यह नाम उन्होंने इस ग्रामके नामपर रखा है।
- २४ पचलोरे इसका नामकरण सम्भवतः शिवपुरी जिलेके "पचरई" ग्राम पर हुआ है।
- २५ सौरया यह गोत्र ललितपुर जिलेके "सोरई" ग्रामकी देन है।
- २६ हीरापुरिया यह गोत्र "हीरापुर" ग्रामके नामपर निर्मित हुआ है।
- २७ कनकपुरिया अपभ्रंश भाषाके विद्वान् रङ्गने सोनागिरिको "कणयद्दि"—कनकगिरि कहा है। इससे ज्ञात होता है कि यह गिरितले बसा ग्राम "कनकपुरी" के नामसे प्रसिद्ध रहा होगा। मंथिर नं० १६में विराजमान गोलामुखनियकी सं० १२१३ की एक पद्मासनस्थ प्रतिमासे प्रतीत होता है कि यहाँ गोलामुख श्रावकोंका भी आवास था। इस गोत्रका नाम इसी कनकपुरीके नामपर रखा गया है।
- २८ पटोरहा इसका नाम रहलीके समीपवर्ती 'पटना' अथवा 'पटेरा' (कुण्डलपुर) के नामपर रखा गया प्रतीत होता है।
- २९ विलविले : यह नाम करेलीके समीपवर्ती 'विलहरा' ग्रामके नामपर रखा गया कहा जा सकता है।
- ३० करैया म्वालयिकर 'करहिया' ग्राम, जहाँके निवासी वरैया-विलास प्रन्थक लेखक पण्डित लेख-राजजी थे, इसका उद्भव स्थल है।
- ३१ सोनो यह बकस्वाहाके निकटवर्ती 'सुनवाहा' ग्रामके नामपर निर्मित गोत्र है।
- ३२ कनसेनिया कटनोके पास एक प्राचीन स्थल है—'कारीतलाई'। इसका प्राचीन नाम कर्णपुर था। यह गोत्र सम्भवतः इसी ग्रामके नामपर बना है।
- ३३ पडूले 'पिडरुवा' या 'पडवार' ग्रामके नामपर इस गोत्रका नामकरण हुआ है।
- ३४ सैनिया सेनपा (सैंधपा) के नामपर निर्मित गोत्र है।
- ३५ दरगैया इस गोत्रके निवासी मूलतः 'दरगुवा' के निवासी थे।
- ३६ मसगैया : जबलपुर जिलेके 'मसगुवा' गावके नामपर यह इस गोत्रका नामकरण हुआ है।
- ३७ लखनपुरिया खानियाधानाके पास स्थित 'लखारी' ग्राम इस गोत्रका मूल निवास प्रतीत होता है।
- ३८ बोदरे : यह गोत्र खानियाधानानामे लगभग आठ मील दूर स्थित 'निबोदा' ग्रामके नामपर निर्मित ज्ञात होता है।
- ३९ कोनिया पाटनके पास हिरनदीके तटपर स्थित 'कोनी' ग्रामके नामपर इस गोत्रका नामकरण हुआ कहा जा सकता है।

ध्यान रहे, ये नाम उसीप्रकार प्रसिद्ध हुए, जिसप्रकार जयपुरिया, जोषपुरिया आदि नाम प्रचलित हैं। और वे गोत्र बन गये।

गोत्र-सूचीमें कुछ नाम ऐसे भी हैं, जो मूल निवासस्थानोके नामपर निर्मित न होकर श्रावकोंके प्रमुख व्यवसायके नामोंपर निर्मित हुए हैं। ऐसे गोत्रोके नाम निम्न प्रकार हैं—

१ कोठिया : कोठारका कार्य करने वाले श्रावकोंका गोत्र।

- २ दुभेले विवाह आदिसे या अन्य किसी युक्तिसे विरोध समाप्त कर दो व्यक्तियोंका मिलन करना बाले धावकोंका गोत्र है ।
 ३ कपासिया : कपासका व्यवसाय करने वालोंका गोत्र
 ४ दंडकार . प्रशासन करके आजीविका करनेवालोंका गोत्र ।
 ५ सनकुटा . सनके व्यापारियोंका गोत्र ।

जिन छेव छौह हू गोत्रोंके नामकरणका आधार अन्वेषणीय है उनके नाम हैं—

१. साग, २ फुसकेले, ३. मरैया, ४. टेंटवार, ५. छोरकटे, ६. खुर्वेले, ७. रीतेले, ८. निर्मोळिक, ९. सपोतहा, १० पतरिया, ११ घुंघोलिया, १२. नाहर, १३. साबेले, १४ सरसपुरिया ।

वर्तमानमे उपलब्ध गोत्र

नवगुहाहू द्वारा बताये ५८ गोत्रोंमें निम्न गोत्र ही सम्प्रति परिचयमें आते हैं । यथा—

- १ साग, २. फुसकेले, ३ चन्देरिया, ४. मरैया, ५ बनोनहा, ६ टेंटवार, ७ कोठिया, ८. जुसोतिया, ९ बैरिया, १०. खुर्वेले, ११. गोबरे, १२ गडोले, १३ सनकुटा, १४ सोरया, १५. नाहर, १६ साबेले, १७ पडेले, और १८ पटोरहा (पटोरिया), १९ कपासिया ।

वर्तमानमे कुछ गोत्र ऐसे भी मिलते हैं, जिनका इस सूचीमे उल्लेख नहीं है । मरैया (मालवीय) और चौसरा ऐसी ही गोत्र हैं । सूचीमे एक सोंसरा गोत्रका उल्लेख है, जो सम्भवत कालान्तरमे चौसरा हो गया है । राधेलीय गोत्र रहदेलका अपरनाम ज्ञात होता है । मरैया, जिसे मालवीय कहा जाने लगा है, मरैया गोत्रका अपर नाम है ।

ब्राह्मण-गोत्र

नवगुहाहूके अट्ठावन गोत्रोंमें उपलब्ध रावत और जुझीतिया गोत्र ब्राह्मणोंमे भी पाये जाते हैं । रावत गोत्र खण्डेलवालोंमे भी पाया जाता है । ब्राह्मणोंमें एक “गोलापूर्व” गोत्र भी होता है । इस गोत्रके ब्राह्मण राजस्थानमें जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, उत्तरप्रदेशमें आगरा तथा मध्यप्रदेशमें इन्दीर, सण्डवा और नरसिंहपुर जिलोंमें बसे हुए हैं । मध्यप्रदेशके होशंगाबादमें तो गोलापूर्व ब्राह्मणोंका एक पृथक् वार्ड भी बताया गया है ।

गोलापूर्व ब्राह्मण-गोत्रका उद्भव

जैन ‘गोलापूर्वान्वय’के समान इस गोत्रके ब्राह्मण मूलत गोल्ददेशके निवासी ज्ञात होते हैं । सम्भवत. ये भी जैनधर्मोपदेशकके उपदेशसे प्रभावित होकर जैन हो गये थे । किन्तु जैनधर्मको किसी कारणवश अंगीकार करनेमें असमर्थ हो जानेसे ये पुन अपना पूर्व वैष्णव धर्म मानने लगे । जिन ब्राह्मणोंमे अपने धर्मको नहीं छोडा था, उन्होंने इन्हें जाति-न्युत समझकर अंगीकार नहीं किया, फलस्वरूप ये ब्राह्मण गोलापूर्वगोत्रके नामसे प्रसिद्ध हुए और ये परस्परमें ही अपना सामाजिक व्यवहार करने लगे ।

बताया जाता है कि ये मूलत कृषक हैं । गोपूजक हैं । कच्चा भोजन सजातियोंके घर करते हैं । विजातियोंके घर पक्का भोजन ही ग्रहण करते हैं । इनके आचार-विचार अग्रवालोंके आचार-विचारोंके समान होते हैं ।

गोलापूर्वान्वयके तीन भेद

नवगुहाहू कृत हिन्दी बर्द्धमान-पुराणमे इस अन्वयके तीन भेद (समूह) बताये गये हैं—१. बीसबिसे, २ दसबिसे और ३ पचबिसे । उन्होंने लिखा है—

गोलापूरब मेद त्रय, प्रथम विसविसे जान ।

ओर दसविसे, पचविसे, कहीं कहीं तक गुणवान ।।

इन नेदोंके सम्बन्धमे विद्वानोंकी धारणा रही है कि ४०० परिवारोंका समूह बीसविसे, दोसौ परिवारोंका समूह दसविसे और १०० परिवारोंका समूह पचविसे कहलाता है । नाममे ऐसा अर्थ निकलता भी है । किन्तु यहाँ यह सभ्या इस अर्थमे प्रयुक्त नहीं हुई है । यह संख्या इनकी विद्युद्धिकी प्राचीनताकी सूचक है । यहाँ "विसविसे"का अर्थ है ऐसे गोलापूरबं भी ४०० वर्षसे विद्युद्ध हैं, जिनके कुल और जातिकी चारित्रिक विद्युद्धि ४०० वर्ष पूर्वसे यथावत् बनी हुई है, जो मज्जातित्वके धनी हैं, जिन्हें सत्परमस्थानोंमे प्रथम स्थान प्राप्त है ।

जो केवल २०० वर्ष पूर्वसे अपनी चारित्रिक निर्मलता बनाये हुए रहे, वे श्रावक "दसविसे" और जो जाति तथा कुलकी विद्युद्धिमे १०० वर्ष पूर्वसे ही विभूषित है वे "पचविसे" नामसे विभूत हुए ।

आधिक सम्पन्नता ओर धर्म-वात्सल्य

गोलापूर्वान्वयकी आधिक सम्पन्नता ओर उसका धर्म-वात्सल्य प्रशस्त तथा अनुकरणीय रहा है । इस अन्वयके श्रावकों द्वारा प्रतिष्ठापित मूर्तियों और मंदिरोंसे इस तथ्यका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । इस अन्वय द्वारा की गयी प्रतिष्ठाओंका विवरण निम्न प्रकार है—

स्थान	समय	संख्या	स्थान	समय	संख्या
उदयमठ	मं० ११४९	१	बहोरीबन्द	मं० १०००	१
"	सं० ११७१	१	मठ	सं० ११९९	२
जतारा	सं० ११९९	१	जगत्सागर	मं० १२०२	१
अहार	मं० १२०२	१	पपीरा	मं० १२०२	२
मठ	मं० १२०३	१	अहार	मं० १२०३	५
छतरपुर	मं० १२०५	१	अहार	मं० १२०९	२
बहार	मं० १२१३	१	सोनागिरि	सं० १२१३	१
अहार	सं० १२१८	१	अहार	सं० १२३७	३
अहार	मं० १२३१	१	महोबा	मं० १२१९	१
अहार	मं० १२८८	१	नाबई-नवागढ	मं० १२०३	१
जेवपास	मं० १२०२	१	(ललितपुर)		

अध्यावेशमे उनकीस अन्वयोंके श्रावकोंने प्रतिमा-प्रतिष्ठान-समारोह सम्पन्न कराये हैं । इन अन्वयोंमें सर्वाधिक २६ प्रतिमा-प्रतिष्ठाने गोलापूर्वान्वय द्वारा कराया जाना उनकी आधिक सम्पन्नता ओर धर्म-वात्सल्यका द्योतक है । पं० फूलचन्द्र मिश्रान्तधारास्त्रीने भी इस अन्वयके धर्मवात्सल्यकी सराहना की है । प्रतिमा-प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक कार्योंमे इस अन्वयके श्रावक अन्य अन्वयोंका सहयोग करनेमे भी पीछे नहीं रहे ।^{५२}

धी-सम्पन्नता

धी-सम्पन्नताके समान धी-सम्पन्नता भी इस अन्वयकी उल्लेखनीय रही है । साहित्य-सृजन करने^{५३} और करानेमें^{५४} भी ये पीछे नहीं रहे । कुछ साहित्यकार निम्न प्रकार है—

शंकर—कवि शंकर अपभ्रंशके विद्वान् थे । इन्होंने "हरिवेण-चरित" की रचना की थी । यह कृति

संवत् १५२६ के भाद्र मासमे शुक्ल पक्षकी परिवा, सोमवारके दिन पूर्ण हुई थी। कविके पिता पण्डित भीमदेव गोलापूर्व थे। उन्होंने लिखा है—

गोलापुण्डवस सुपवित्त भीमदेउ पंडितवउ पुत्त
सकग् कया पुरह यह कहो दिक्खाकारण कीमउ चौपही
संवत् पंद्रह मह हो गये वल्लि छब्बीस अधिक तह भए
भादव सुदि परिवा समिबार दिक्खा पक्षु तह अक्खियउसाउ
अव यह कब्बु संपूरण भयउ सिरि हरिषेण संघ कहू जयउ ॥^{५५}

पहण—ये सानपति गोलापूर्वके सुपुत्र थे। इन्होंने संवत् १५४० मे “उत्तरपुराण” की रचना कर साहित्य-समृद्धिमें योगदान किया था।^{५६}

मुखदेव—ये गोलापूर्व विहारीदाम पंचविसेके सुपुत्र थे। इन्होंने संवत् १७१७ में “वणिकप्रियाप्रकाश” की रचना की थी। इनके परिचयसम्बन्धी निम्न दोहे हैं—

गोलापूरव पंचविसे वादि विहारीदाम ।
तिनके सुत मुखदेव कहि वनिकप्रियाप्रकाश ॥
संवत् मत्रहसे सत्रह बरष सं वत्सरके नाम ।
कवि करता मुखदेव कहि लेखक मायागम ॥^{५७}

धनराज—ये शिवपुरीके राजानन्द गोलापूर्वके पुत्र थे। इन्होंने संवत् १९६४ के आमपास भक्तामर-स्तोत्रका पद्यानुवाद कर उसका “भयानन्दपचाशिका” नाम रखा था। यह सचित्र प्रति मुनि कातिसागरके पास बताई गई है।^{५८}

खज्जसेन—ये धनराजके चाचा जिनदासके पुत्र थे। इन्होंने (भक्तामरके) एक-एक काव्यपर पन्द्रह-पन्द्रह पद्य बनाये थे।^{५९}

नवलशाह—इनके पिताका नाम सिधई देवराय चन्देरिया और माताका नाम प्रानमती था। खटीरा इनकी जन्मभूमि थी। इनके तीन छोटे भाई थे—सुलाराम, घासीराम और खुमानसिंह। इनके पूर्वज भेलसीके निवासी थे। पूर्वजोमे भीषम साहूने स० १६९१ मे प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय औरछानरेश जुद्धारसिंहका शासन था।^{६०} इन्होंने स० १८२५ मे चैत्र शुक्ल पूर्णिमाके दिन “वर्द्धमान-पुराण” की रचना की थी।^{६१}

बोसतीं शारीमें हुए इस अन्वयके निर्घन्व मुनि —इस शताब्दीमे मुनि आदिसागरका नाम ध्यासव्य है। ये २८ मूलगुणोके धारक थे। सरलता व और सन्तोषवृत्ति उनके जीवनके अंग थे।

शु० पिदानन्दजी कठोर तपस्वी एवं ज्ञानप्रचारक थे। उनसे बुन्देलखण्ड बहुत प्रभावित रहा। शु० पद्मसागरजी अभीष्टज्ञानोपयोगी थे। इनकी समाधि द्रोणगिरिमे हुई थी।

वर्तमानमें आचार्य विद्यासागरजी महागजके संघस्थ मुनि अमासागरजी, मुनि गुप्तिसागरजी, ऐलक अभयसागरजी, शु० उदारसागर जी तथा अन्य संघस्थ मुनि विरागसागरजी, शु० कामविजयनचिजीके नाम उल्लेखनीय हैं।

विद्वान्—इस अन्वयके विद्वानोंमें सर्वाधिक चयोन्मद मनीषी पं० मुन्नालालजी न्यायतीर्थ राबेकीय सागर एवं मित्रान्ताचार्य पं० बंशीधर शास्त्री व्याकरणाचार्य बीनाके नाम उल्लेखनीय हैं। अनेक साहित्यिक रचनाओं द्वारा इन्होंने समाजको गौरवान्वित किया है।

दर्शन एव न्यायके क्षेत्रमे काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे सेवानिवृत्त रीडर डॉ० बरबारीलाल

कोठिया न्यायाचार्य, सिद्धान्तके क्षेत्रमें षट्छण्डागम आदि सिद्धान्त-ग्रन्थोंके सम्पादक स्व० पं० बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री हैदराबाद, पुराणोंके सम्पादन तथा साहित्यिक रचनाओंके क्षेत्रमें डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य सागर, सम्पादन-प्रकाशनके क्षेत्रमें पं० मोहनलाल शास्त्री, जबलपुर और इतिहासके क्षेत्रमें स्व० पं० परमानन्द शास्त्री, दिल्लीकी साहित्यिक सेवाएँ जैन जगतमें सदैव स्मरणीय रहेंगी।

शासकीय शिक्षा-संस्थाओंमें विभागाध्यक्षोंके रूपमें डॉ० गोकुलचन्द्र बाराणसी, डॉ० भागचन्द्र भास्कर, नागपुर, डॉ० रतनचन्द्र जैन भोपाल, डॉ० पवनकुमार जैन सागर, तथा महाविद्यालयोंकी शैक्षणिक सेवामें संलग्न डॉ० वीरेन्द्रकुमार जैन छतरपुर, डॉ० भागचन्द्र "भागन्दु" दमोह, प्रो० राजकुमार जैन ग्वालियर, डॉ० उदयचन्द्र जैन उदयपुर, डॉ० सनतकुमार जैन जयपुर, डॉ० श्रेयासकुमार जैन जयपुर, डॉ० विनयकुमार जैन दमोह तथा भारतीय ज्ञानपीठके शोधाधिकारी पं० गोपीलाल "अमर" प्रभृतिकी शैक्षणिक सेवाओंके लिए समाज उन्हें सदैव स्मरण रखेगा।

डॉ० बालचन्द्र जैन पुरातत्वके क्षेत्रमें, ऐतिहासिक उग्रान्य लिखनेके क्षेत्रमें श्री नीरज जैन, बोधकथाओंके लेखन-क्षेत्रमें श्री नेमोचन्द्र पटौरिया श्रीमहावीरजी, चिकित्साके क्षेत्रमें प्रो० डॉ० नरेन्द्रकुमार पटौरिया बम्बई, वैद्य कामताप्रसाद गुडा, पत्रसम्पादनके क्षेत्रमें डॉ० नेमीचन्द्र जैन, इन्दौरकी सेवाओंसे समाज लाभान्वित है। प्राचार्यके रूपमें डॉ० शीतलचन्द्र जैन जयपुर, पं० जयकुमार साहूमल और पं० नेमीचन्द्र खुरईके नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रतिष्ठाचार्योंमें पं० गुलाचन्द्र पुण्य टीकमगढ़, पं० जगनप्रसाद टीकमगढ़, पं० विजयकुमार शास्त्री श्रीमहावीरजी, पं० हरिश्चन्द्र साहित्याचार्य मुरैना, पं० बर्मचन्द्र शास्त्री ग्वालियर, पं० गोविन्ददास कोठिया अहार (टीकमगढ़), स्व० पं० शीलचन्द्र साहूमलके नाम उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय सेवा करनेवाले अधिकारियोंमें श्री सुरेश जैन आय० ए० ए०, संवालयक लोकशिक्षण मं० प्र० शासन भोपालका नाम बहुचर्चित है। कमिश्नर कन्हैयालाल संवीका नाम भी सम्मान लिया जाता है।

राजनैतिक क्षेत्रमें भी इस जातिका योगदान है। श्री रतनलाल मालवीय भू० पू० केन्द्रीय उपमन्त्री, डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी, भू० पू० त्रिधायक विध्यप्रदेश, श्री कपूरचन्द्र धुवारा भू० पू० विधायक मं० प्र०, महेन्द्रकुमार फुलकेले, श्री जयन्तकुमार मलैया भू० पू० विधायक, श्री प्रकाशचन्द्र जैन उच्च-शिक्षा राज्यमंत्री मध्यप्रदेश और सागरके श्री दुलीचन्द्र नाहर तथा श्री विजयकुमार मलैया दमोहकी राजनैतिक सेवाओंसे समाज सम्मानित है।

इस समाजकी महिलाये भी शिक्षाके क्षेत्रमें पीछे नहीं हैं। डा० आशा मर्त्या सागर, डॉ० पुष्पलता जैन नागपुर, डॉ० सुनीता जैन आरा, डॉ० सुषमा जैन सागर, डॉ० सावित्री दमोह, डॉ० कुसुम पटौरिया नागपुर, डॉ० सुधा इन्दौर और श्रीमती धारदा जैन जयपुरके नाम शिक्षाके क्षेत्रमें और विधि तथा न्यायके क्षेत्रमें श्रीमती बिमला जैन न्यायाधीश भोपाल तथा चिकित्साके क्षेत्रमें डॉ० अलका जैनके नाम उल्लेखनीय हैं। व्यवसाय एवं उद्योगके क्षेत्रमें बालचन्द्रचन्द्र मलैया, दानवीरोमें जैनजातिभूषण सि० कुन्दललालजी सागरके नाम इष्ट समाजके विकासमें सदैव सम्माननीय रहेंगे।

विकास

गोलापूर्वान्वयके श्रावक गोल्लागढ़ वर्तमान (गोलाकोट) से निकलकर सर्वप्रथम बुन्देलखण्डके अचलोंमें ही फैले। आरम्भमें ये महोबा और अहार एव पपीराकी ओर गये।

जो श्रावक महोबाकी ओर गये वे छतरपुरके निकटवर्ती स्थानोंमें बसते गये। उर्दमठ, जगतसागर, मऊ, खजुराहो आदि उनकी निवासभूमियां रही। कालान्तरमें ये मलहारा, दमोह, कटनी और जबलपुर तथा

उनके आसपासके क्षेत्रोंमें जा बसे । जबलपुरके पास बहोरीबन्ध भी इनकी आवासभूमि रही । इन्जामन, मसलवा, सिहौरी, बान्गल, रीठी और पनागर इस अन्वयके केन्द्र स्थल रहे हैं । यहासे ये आषक पाटनकी ओर बढ़े हैं । दमोहसे जबलपुरकी ओर अगना, तेंदुखेडा, कटंगो नगरोंमें जाकर ये रहने लगे ।

जो आषक अहार, पनीराकी ओर आये थे वे जलारा होते हुए आगे बढ़े और हीरापुर, बण्स्वाहा, बम्होरी, सुनबाहा, करावन, शाहगढ, बरायठा, पिडरुआ, जुआर, बीरी, भेलसी, लिगोबा, धिनोषी, पधारी, गुडर, भूगरा, पचरई, सौरई, करैया, पडवार, दरगुवा, पाटन, विजावर, भरतपुरा, सेंघवा, लखारी, निबीषा आदि बुन्देलखण्डके अनेक ग्रामोंमें जाकर बस गये ।

जो आषक सागरकी ओर आये वे रहली, पटना, बरखेरा, बलेह, गढाकाकेटा, सरखड़ी और बांखालार-खेडा, रजपुरा ग्रामोंमें जाकर आजीविका करने लगे ।

इस प्रकार टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, जबलपुर, शिवपुरी, खालियर, इन्धौर आदि मध्य-प्रदेशके और उत्तरप्रदेशके क्षासी, ललितपुर जिले आरम्भमें इस अन्वयके निवास स्थान बने । कालान्तरमें आजीविकाकी दृष्टिसे बुन्देलभूमिको छोडकर इस अन्वयके आषक साहडोल, कोतमा, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ, जैतहरी, बालाघाट, गोदिया, नागपुर, बम्बई, दुर्ग, मिलाई, राजनादगाव, राजिम, डोंगरगाव, जयपुर, बाराणसी कुलक्षेत्र, उदयपुर, जबलपुर आदि भारतके विभिन्न नगरोंमें रहने लगे । विदेशोंमें भी इस अन्वयका आवास हो गया है ।

सन्दर्भ सूची

- १ जैनशिलालेखमग्रह, भाग २, माणिकचन्द्र जैनग्रन्थमाला, हीराबाग-बम्बई-४, सितम्बर १९५२ प्रकाशन, अभिलेख संख्या २०९, पृ० २६९ ।
- २ इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ११, पृ० ३१० ।
३. लेखकको स्व० प० परमानन्दजीसे प्राप्त ऊन (पावागिरि) का सं० १२५८ का लेख ।
४. वितुरन्वयशुद्धिर्वा तत्कुलं परिभाष्यते ।
मानुरन्वयशुद्धिस्तु जातिरित्यभिलष्यते ॥
—महापुराण, पर्व ३९, श्लोक ८५ ।
५. देसकुलजाहशुद्धा विमुद्धमणवयणकायमंजुता ।
—आचार्यकुन्दकुन्द, आचार्यभक्ति, गाथा प्रथम ।
६. णवि देहो बंदिज्जइ णवि य कुलो णवि य जाहमंजुतो ।
को बंदिमि गुणहीणो णहु सवणो णेय सावजो होई ॥
—बही, दर्शनपाठुड : गाथा २७ ।
७. जानं पूजा कुलं जाति बलमुद्धि तपो बपु ।
अष्टावाश्रित्यमानित्वं स्मयमाहुर्गंतस्मया ॥
—आचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्डकभावकाचार, श्लोक २५ ।
८. डॉ० राजेश्वरप्रसाद जर्गल, समाजशास्त्र, आगरा, ई० १९५३ प्रकाशन, पृ० २०१ ।
९. मनुष्जातिरैकैव जातिनामोदयोद्भवा ।
वृत्तिभेदाहिताद्भेदाष्वाप्तुविध्यमिहास्तुते ॥
—महापुराण, पर्व ३८, श्लोक ४५ ।

१०. जातयोजनादयः सर्वास्तत्क्रियायामि तथाविधा ।

यथास्तित्त्वकथम्पु, ८.१७ ।

११. सागर और अनगरधर्मासुत ।

१२. पी० एन प्रभु, सोमल आगनाइजेसन, तृतीय संस्करण, पृ० २९४ ।

१३. डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार, समाजशास्त्र, पृ० ३९३ ।

१४. डॉ० ऋषिदेव विद्यालंकार, मानवविज्ञान व नृत्यशास्त्र, पृ० १०४-१०५ ।

१५. ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रिया शस्त्रधारणात् ।

बाणिज्योऽर्जानान्याभ्यात् शुद्रा न्यवृत्तिमंश्रयात् ।

आचार्य जिनसेन, महापुराण, पर्व ३८, श्लोक ४६ ।

१६. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० २३२-२४०, प्रथास्तित्त्व-पंक्ति ३२-३३ ।

१७. प्राचीन शिलालेख, अहार, लेख क्रमांक ३९ ।

१८. डॉ० जगदीशचन्द्र जैन, भारतके प्राचीन तीर्थ, ई० १९५२ प्रकाशन, पृ० ६६ ।

१९. बही, प्राकृत साहित्यका इतिहास, ई० १९६१, चौखम्बा संस्करण, पृ० २३७, ४२७ ।

२०. अनेकान्त, वर्ष २४, किरण १, पृ० ४३ ।

जैनसन्देश, षोडश-६, पृ० २१७ ।

२१. श्री अ० भा० दि० जैन गोलापूर्व डायरेक्टरी, वी० नि० सं० २४६८ प्रकाशन, प्रस्तावना पृ० ख ।

२२. जैन धातुप्रतिमालेखसंग्रह, भाग १, ले० क्रमांक ५० । दिगम्बर जैन डायरेक्टरी, पृ० १४१८-१४१९ ।

२३. गोलापूर्व डायरेक्टरी, प्रस्तावना, पृ० ग ।

२४. भट्टारक सम्प्रदाय, ले० क्र० २५२, २५७, ३१० ।

२५. डॉ० कोठियाका भाषण, ई० १९६६, अहार प्रकाशन, पृ० ३ ।

२६. जैनमित्र, वर्ष ४१, अंक ३ ।

२७. गोलापूर्व डायरेक्टरी, प्रस्तावना, पृष्ठ ख ।

२८. बही, पृ० ख ।

२९. श्री बलभद्र जैन, भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ, भाग ३, पृष्ठ ७६ ।

३०. इत्याद्यमुनीन्द्रसन्ततिविधी श्रीमूलसंघे ततो

जाते नन्दिगणप्रभेदविलसद्देशीगणे विद्युते ॥

गोल्लाचार्य इति प्रसिद्धमुनिपोऽभूद्गोल्लदेशाधिप

पूर्व केन च हेतुना भवमिया बीजा गृहीतस्सुधी ॥ १ ॥

वीरनन्दिबिबुधेन्द्रमन्ततौ नूत्नचन्दिनरेन्द्रवंशानुडामणि ।

प्रथितगोल्लदेशभूपालक किमपि कारणेन म ॥ २ ॥

जैनशिलालेख संग्रह, भाग १, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ले० सं० ४०, ४७ पृष्ठ २५, ६० ।

३१. भारतीय इतिहास एक दृष्टि, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृ० १७३-१७४ ।

३२. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १३६ ।

३३. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पृ० १७४ ।

३४. श्री भा० दि० जैन गोलापूर्व डायरेक्टरी, प्रस्तावना, पृ० क ।

३५. भारतके दि० जैन तीर्थ (म० प्र०), पृ० ३९ ।

५० : सरस्वती-वरचपुत्र वं० वंशीधर आचार्याचार्य अभिनन्दन-ग्रन्थ

३६. वही, पृ० ३९ ।
 ३७. डॉ० बरवारीलाल कोटिया अभिनन्दनग्रन्थ, पृ० ५१ ।
 ३८. वही, पृ० ५२ ।
 ३९. श्री अमरचन्द्र नाहटा, जैन सन्देश, शोधाक २५, पृ० १५ ।
 ४०. वही, पृ० १६ ।
 ४१. वही, पृ० १६ ।
 ४२. वही, पृ० १५ ।
 ४३. वही, पृ० १७ ।
 ४४. पं० परमानन्द शास्त्री, जैन ग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह, भाग २, प्रशस्ति-संख्या १०४-१०५, पृष्ठ १२९, १३२-१३३ ।
 ४५. डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा, भाग ४, पृ० ३०५ ।
 ४६. प्राचीन भारतका राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, पृ० ६३८ ।
 ४७. तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ८, सूत्र ५, १३ ।
 ४८. वर्ण-अवस्था, श्री शान्तिवीरनगर, श्री महावीरजी प्रकाशन, पृ० ४७ ।
 ४९. गोलापूर्व डायरेक्टरी, वही, प्रस्तावना, पृ० ठ ।
 ५०. श्री यशवन्त मर्ळया दमोह, अनेकान्त, वर्ष २५, किरण २, पृ० ६९ ।
 ५१. आचार्य जिनसेन, महापुराण, भाग २, पर्व ३९, श्लोक ८५-८६ ।
 ५२. छेन्नकका अभिलेखसंग्रह, ले० सं० ६४ ।
 ५३. अनेकान्त, वर्ष २४, किरण-१, और जैन सन्देश, शोधाक-६ ।
 ५४. जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह, भाग १, पृ० ७६-८१ ।
 ५५. अनेकान्त, वर्ष २४, किरण १, पृ० ४३, किरण-३ पृ० १०६ ।
 ५६. जैनसन्देश, शोधाक-६ ।
 ५७. अनेकान्त, वर्ष २४, किरण ३, पृ० १०६ ।
 ५८. पं० परमानन्द शास्त्री, जैनधर्मका प्राचीन इतिहास, भाग २, पृ० ५४७ ।
 ५९. अनेकान्त, वर्ष २४, किरण ३, पृ० १०७ ।
 ६०. सोरह-सौ इक्ष्यानवे अगहन शुभ तिथिवार ।
 नृप जुष्कार बुन्देलकृत तिनके राज मन्तार ॥ —वही, पृ० १०८-१०९ ।
 ६१. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा, भाग ४, पृ० ४४४-४४६ ।

अप्रतिम प्रतिभाके धनी

● डॉ० पं० पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर

आद्य व्याकरणाचार्य

सरस्वतीके वरद पुत्र पंडित बंशीधरजी जैन समाजके आद्य व्याकरणाचार्य हैं। 'गुरुणां गुरुः' गोपालदासजी बरैया और पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णिके सत्प्रयाससे मुरैना, वाराणसी, सागर, इन्दीर तथा कटनी आदि स्थानोंपर जैन विद्यालय तो स्थापित हो गये थे। पर उनमें व्याकरण, साहित्य और न्याय पढ़ानेके लिए ब्राह्मण विद्वानोंको ही नियुक्त करना पड़ता था। यह परावलम्बनता वर्णाजीको लटकती रहती थी, जिससे वे प्रतिभामग्न छात्रोंको व्याकरण तथा साहित्य आदि पढ़नेकी प्रेरणा देते रहते थे। उसीके फलस्वरूप स्याददाद विद्यालयके छात्र बंशीधरजीने व्याकरण, परमानन्दजीने साहित्य, दरबारीलालजी कोठिया तथा महेश्वर कुमारजीने न्यायदर्शन विषय लिया। सागरमें मैंने भी व्याकरणमध्यमाके बाद साहित्य विषय लिया। ये सब अपने-अपने विषयोंके आचार्य बने। फलस्वरूप वाराणसीको छोड़ अन्य जगहोंके विद्यालयोंमें इन विषयोंके अध्यापनका दायित्व जैन विद्वानोंने सम्हाल लिया।

आद्य व्याकरणाचार्य होनेके साथ ही पं० बंशीधरजी, जैन न्यायके भी अच्छे विद्वान् हैं। सन् १९३० में न्यायतीर्थकी परीक्षा देने जब वे कलकत्ता गये थे, तब मैं भी काव्यतीर्थकी परीक्षा देनेके लिए उनके साथ कलकत्ता गया था। व्याकरणाचार्य होनेके बाद पं० बंशीधरजी कहीं अध्यापनके लिए गये, पर दो-चार माहके बाद ही वे बीना आ गये और वहाँ कपड़ेकी दुकान चालू कर ली। अपने बुद्धि-शीलसे उन्होंने अपने व्यवसायको समुन्नत किया।

पण्डितजीका विवाह बीनामें ही शाहू मौजीलालजीकी पुत्री लक्ष्मीबाईके साथ हुआ था। मौजीलालजीके सन्तानके रूपमें यही एक पुत्री थी, अतः उन्होंने अपने दामाद बंशीधरजीको अपने ही घर रखकर और पुत्रवत् उन्हें समुन्नत बनाया।

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद्के मंत्री

सम्भवतः सोलापुर अधिवेशनमें आप मंत्री चुने गये थे और मैं संयुक्तमन्त्री बनाया गया। पण्डितजीने विद्वत्परिषद्का कार्यालय अपने पास न रखकर मेरे पास रखा और मुझे मार्गदर्शन करते रहे। कार्य करनेका उत्साह था, जिससे विद्वत्परिषद्का प्रभाव बढ़ा और उसके फलस्वरूप जगह-जगह अधिवेशन आमंत्रित होने लगे। विद्वत्परिषद्ने मथुरा, सागर, बीना तथा कटनी आदि स्थानोंपर शिविर और विद्वद्-गोष्ठियाँ चालू कीं। पं० बंशीधरजीका जीवन प्रामाणिक जीवन है। ये घूस देकर अपना कार्य सिद्ध नहीं करते। इसका एक प्रसंग मुझे याद है।

जब पूज्य वर्णाजी इटावामें विराजमान थे। तब विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणी की बैठक वहाँ आमंत्रित हुई। बीना होते हुए हम चार-छह सदस्य इटावाको चले। सासीसे इटावा जानेवाली गाडीमें बैठना कठिन लगा, तब सब फस्ट क्लासमें बैठ गये। आगे चलकर चेकरने जुमानाके साथ फस्ट क्लासका चार्ज माँगा, जो बहुत था। चेकरने अन्तमें कहा कि आप कुछ रुपये दे दें, मैं रसीद नहीं दूँगा। आप लोग आरामसे चले जायें। पण्डितजीने चेकरसे कहा कि आप रसीद दोजिये और पूरा पैसा लीजिये। रसीद लेकर पण्डितजीने पूरा रुपया अपनी जेबसे दिया। हमें लगा कि पण्डितजीने व्यर्थमें बहुत रुपया दे दिया। पर प्रामाणिकता भी तो कोई महत्त्व रखती है।

एक बार कटनीमें विद्वद्गोष्ठी थी। सागरसे कुछ लोग गये थे। सागरमें म्युनिसिपल चुगी रहनेसे

सब वस्तुएँ मंगही रहती हैं। कटनीमें चुगी न रहनेसे सस्ती रहती है, अतः सागरके लोगोंने उपयोगी वस्तुएँ कटनीमें खरीदीं। मैंने वं० बंशीधरजीसे कहा—“मैं भी कुछ खरीद लाऊँ। पण्डितजीने कहा कि यहाँ सस्ती होनेसे खरीद कर तथा बिस्तारसे छिपाकर ले जाओगे। सागरकी म्युनिसिपैलटी, चुगी लेकर आपके बच्चोंको फ्री शिखा देती है। बर्षमें कुछ थोड़ा-सा टेक्स देकर आपके बौचालयोंको साफ कराती है और सगरमें स्वच्छता तथा प्रकाशकी व्यवस्था निःशुल्क करती है, इतने पर भी आप उसे चुंगी नहीं देना चाहते। मेरी रायमें आप अपनी उपयोगी वस्तुएँ सागरमें ही खरीदें तो ठीक होगा। मुझ पण्डितजीकी राय उत्तम प्रतीत हुई।

वैदुष्यकी गहराई

एक बार सागरमें एक माह तक चलने वाले शिलाग-शिविरके अन्तिम दिनमें विद्वत्सम्मेलनका आयोजन किया गया उसका विषय था “षट्स्रष्टागमके तेरानवें सूत्रमें सजद पदका अस्तित्व”। इसपर एक गोष्ठी बम्बईमें हो चुकी थी। और उसके आघारपर आचार्य शान्तिसागरजीने ताम्रपत्रपर लिखी जानेवाली प्रतिसे “संजद पद” अलग करा दिया था। उस समय विद्वत्परिषद्का वर्चस्व था, अतः यथार्थ निर्णय करनेके लिए कार्यालयमें पत्र आया। सम्मेलनमें पण्डित कैलाशचन्द्रजी, पं० बर्द्धमान शास्त्री, पूज्य वर्णीजी तथा अन्य अनेक विद्वान् थे। सम्मेलनमें पं० बंशीधरजी और बर्द्धमानजीके बीच अच्छा तर्क-वितर्क हुआ। अन्तमें विद्वत्परिषद्ने तेरानवें सूत्रमें “संजद” पदके अस्तित्वका समर्थन किया और प्रसन्नताकी बात रही कि ताम्रपत्रीय प्रतिसमें भी उसका अस्तित्व मिल गया।

आर्षमार्गिके अनुयायी

सोनगढकी विचारधाराके आप कभी समर्थक नहीं रहे। निश्चय और व्यवहारनय एवं निमित्त और उपादानकी चर्चा आप अनेकान्तके आधयसे ही करते हैं। आपके द्वारा लिखित जैन शासनमें ‘निश्चय और व्यवहार’ नामक ग्रन्थ विद्वत्परिषद्के द्वारा पुरस्कृत है।

आचार्य शिवसागरजीके चातुर्मासिके समय खानिया जयपुरमें स्व० हीरालालजी पाटनी निवाइके सौजन्यमें उभय पक्षीय विद्वानोंको एकत्रित कर तत्त्वचर्चाका आयोजन किया गया था। इस आयोजनमें पं० मणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, पं० बंशीधरजी, न्यायालंकार, पं० मन्मथलालजी, पं० कैलाशचन्द्रजी, पं० फूलचन्द्रजी, पं० जीवन्धरजी, पं० रतनचन्द्रजी मुस्तार तथा पं० पन्नालालजी सोनी आदि अनेक विद्वान् पधारे थे। मैं भी गया था। लिखित चर्चा होती थी। सोनगढपक्षकी ओरसे पं० फूलचन्द्रजी प्रधान थे और दूसरे पक्षसे पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य प्रमुख थे। दस दिन तक चर्चा चलती रही। विद्वानोंका अभीक्षणज्ञानीपयोग वर्तनीय था। प्रकरण लम्बा है। सक्षेपमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चर्चके निष्ठापनमें पं० बंशीधरजीने पूर्ण मनयोगसे कार्य किया। घरमें पितृदुःख स्वसुर शाह मौजीलालजीका स्वर्गवास होनेपर भी वे स्थानीय चर्चसे विरत नहीं हुए। तथा चर्चके तीन दौर समाप्त हो जानेपर भी उनकी लेखनी अपने लक्ष्यसे विरत नहीं हुई।

स्वतंत्रता-संग्राम सेनानी

स्वतंत्रता-संग्रामके समय आपने निर्भय हो राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लिया, जेल गये और वर्तमानमें सागर जिलेके स्वतंत्रतासंग्राम-सेनानियोमें आपका नाम गौरवके साथ लिया जाता है।

श्री भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष

सन् १९६५ में पंचकल्याणक-प्रतिष्ठाके समय सिवनीमें होनेवाले विद्वत् परिषदके जनरल अधिवेशनके

अध्यक्ष थे। अध्यक्षीयपदसे दिया गया आपका भाषण विद्वत् समूहमें समादृत हुआ था। इसी अधिवेशनमें श्री गोपालदासजी बरैयाका शताब्दी-महोत्सव मनानेका निश्चय किया गया। फलस्वरूप डॉ० नेमीचन्द्रजी शास्त्री, आराके सम्पादकत्वमें विद्वत् परिषद्में "गोपालदास बरैया स्मृतिग्रन्थ" प्रकाशित किया। शताब्दी-समारोह दिल्लीमें स्वर्गीय साह गान्धिप्रसादजीकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था। यह ग्रन्थ इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ कि उसकी सम्पूर्ण प्रतियाँ धीघ्र ही समाप्त हो गयीं।

श्रावस्ती पत्रकल्याणकके समय होनेवाला नैमित्तिक अधिवेशन भी आपकी ही अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था। विद्वत्परिषद्के सभी अधिवेशनोमें उसके सदस्य बड़ी शक्तिसे भाग लेते थे।

सदा जागरूक

८४ वर्षकी अवस्थामें भी आप समाज-हितमें जागरूक हैं। दुकानका कार्य पुत्रोंने सम्हाल लिया है। उस ओरसे निश्चित हो आप माहित्य-साधनामें लीन रहते हैं। मैंने देखा कि आप प्रातः चार बजेके पूर्व ही उठकर तथा स्नानादिमें निवृत्त हो अपने अध्ययन और लेखनके कार्योंमें लग जाते हैं। वीर प्रभूसे प्रार्थना है कि यह मरस्वनीका वरद पुत्र स्वस्थ रहना हुआ देश एवं समाजका दीर्घकाल तक मार्गदर्शन करता रहे।

वन्दनीय व्यक्तित्वके धनी

● श्री नीरज जैन, सनना

बीना नगरमें प्रवेश करते ही तिगहमें जैन मंदिरकी ओर चलनेपर बाँयें हाथ एक मामाग्य-नी कपड़ेकी दुकान है। दुकानकी गादीपर कपड़ोके थानके बजाय आगमग्रन्थोका विस्तार हो और मादगी भरा, ऊँचा पूरा, एक क्षीण-काय बृद्ध पुरुष उस वातावरणमें एकाग्रतापूर्वक, निर झुकाव अपने लेखनमें दत्त-चित्त दिखाई दे जाय, तो किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। वही है सिद्धानाचार्य पण्डित बंशीधर व्याकरणाचार्य।

लगभग पचासी साल पहले बुन्देलखण्डके एक निपट देहानमें जन्मा हुआ बालक बंशीधर शिशुवसे ही ज्ञान-पिपासु रहा। अनुकूल माधनोके अभावमें भी कैसे उसकी यह ज्ञान-यात्रा आगे बढ़ती रही, इसका विवरण एक रोचक कथामें कम नहीं है। उस यात्रामें एक ओर जहाँ कष्ट-साध्य साधनाका दर्शन होता है, वही दूसरी ओर सांसारिक महत्वाकांक्षाओंको पीछे ढकेल कर मरस्वतीको मेवाके लिए आगे बढ़नेका दृढसंकल्प भी अनायास झलकना है।

जैन विद्याकी विलुप्त प्राय स्थितिमें, ऊढियोंने जकड़े हुए और अज्ञान-अधकारसे भरे बुन्देलखण्डमें जिन्होंने ज्ञानकी ज्योति प्रज्वलित की, उन प्रातः स्मरणीय युगपुरुष श्री गणेशप्रसादजी वणीका दिव्य अबदान ही बंशीधरके लिए भी प्रभय-वितान बनकर छा गया। जिन मंत्रका पारस-स्पर्श पाकर राहके अनेक मटमैले कंकड़ धीरे-धीरे कुन्दन बनते चले गये, उसी पावन स्पर्शमें बंशीधरको भी अज्ञसे विज्ञ बना दिया। पूज्य वर्णाजीके द्वारा बनारसमें स्थापित स्यादाद् महाविद्यालयमें एक बार प्रवेश क्या मिला, बंशीधरकी ज्ञान-पिपासा बढ़ती ही चली गई। जैनदशन शास्त्री, साहित्यशास्त्री, व्याकरणाचार्य और न्यायतीर्थकी परोक्षाएँ एकके बाद एक धानदार ढंगसे उत्तीर्ण करनेके बाद भी ज्ञानार्जनकी नृणा अतृप्त ही बनी रही। शायद यह पिपासा उन्हें किन्ही सुदूर ऊँचाइयों तक ले भा जाती, परन्तु तभी "धर कारागृह, बनिता बेटी और परिजन जन रक्ष-बारोने" मिलकर उन्हें बाध लिया।

स्वाधीनता-संग्राम

अभी जीवनके सचर्चेसि सामना हुआ ही था कि भारतमाताके मुक्ति-संग्रामका विगुल पूरे जोरसे बज उठा। कुछ दिन पहले अयनोंका जो आग्रह और गृहस्थीका जो आकर्षण उन्हें ज्ञान-साधनामें लीचकर बनाकरसे बीना ले आया था, मान्भूमिकी पुकारके मामने वह आकर्षण भी अक्षत हो मिट्ट हुआ। पन्वीस-छब्बीस मालकी युवावस्थामें अपनीकी मारी चिन्ता छोड़कर बंशीधर स्वतंत्रता-संग्राममें कूद पड़े। देशकी चिन्ता अपनी सारी चिन्ताओंसे ऊपर हो गई और मातृभूमिकी पुकारके सामने धर गृहस्थीकी मारी मनुहार बिचार कर रह गई। चाहे १९३१ का असहयोग आन्दोलन हो या १९३७ के एसेम्बलीके चुनाव हो, १९४१ का व्यक्तिगत सत्याग्रह हो या १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन हो, बंशीधरने तन, मन और धन सब कुछ उस महायज्ञमें होम करते ममय कोई संकोच नहीं किया। जैसी निष्ठा और ममर्पणके साथ उन्होंने ज्ञानकी आराधना की थी, वैसी ही निष्ठा और समर्पणके साथ मातृभूमिकी सेवामें भी उन्होंने अपने आपको नियोजित कर दिया।

नगर कांग्रेस-कमेटीकी अध्यक्षतासे लेकर प्रांतीय कांग्रेस-कमेटीकी सदस्यता तक उन्हें जब, जहाँ, जो काम सौंपा गया उसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थसे परे, एक अनोखी गरिमाके साथ निभाया। सन् १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलनमें पण्डित बंशीधरजीकी भूमिका इतनी स्पष्ट रही, उनका योगदान ऐसा अनुकरणीय रहा और उनका सेवा-संकल्प इतना दृढ़ रहा कि वे अपने ही साधियोंमें उदाहरण बनते चले गए। कितनोंने उन विषय परिस्थितियोंमें उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कितने घरोंमें उनकी सहायतामें मनोबलके दीप जलते रहे, इसकी कोई मूची न कभी बनी, और न बन सकेगी। जहाँ सेवक ही मोन-वती हो वहाँ सेवा-कार्योका लेखा-जोखा ही भी कैसे मकता है।

आज तो रिवाज बदल गए हैं। देशसेवा एक लाभजनक व्यापार बनकर रह गई है। परन्तु १९३१ से १९४६ तकके पच्चीस साल स्वाधीनता-संग्रामके ऐसे साल थे, जब इस यज्ञमें आहुतियाँ तो थी परन्तु जय-कारे नहीं थे, मालाएँ नहीं थी। ममर्पित करनेके लिए तो बहुत कुछ था, परन्तु उनके बदलेमें आत्म-संतोष ही एक मात्र उपलब्धि मानी जाती थी। सागर और मागपुरके जेलोंमें बिताया गया बंदी जीवन ही या अमरावती जेलमें सही गई दुर्दम यातनाएँ, पण्डित बंशीधरका अपराजय व्यक्तित्व कहीं तनिक भी झुका नहीं। जेलकी इन यात्राओंने उन्हें 'बसुवैव कुटुम्बकम्' के नये पाठ पढाये। छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक कुुरी-तियोंके विरुद्ध जूझनेका साहस और संकल्प प्रदान किया। यहीसे उनके व्यक्तित्वमें एक नया निखार प्रारम्भ हुआ।

बंशीधरजीके जीवनका एक चमकदार पहलू यह भी है कि उन्होंने स्वाधीनता-संग्रामकी अपनी सेवाओंको मुनासिका कभी बिचार तक नहीं किया। उन योगदानके उपलक्ष्यमें किसी प्रतिफलके लिये वे अपने प्रमाणपत्र हाथमें लेकर कभी सत्ताधीशोंके द्वारपर दण्डवत् करने नहीं गये। उन्होंने यह मान लिया कि स्वतंत्रता प्राप्तिके साथ ही वह लड़ाई समाप्त हो गई है, और यही माचकर उन्होंने अपने आपको सेवाके दूसरे कार्योंमें नियोजित कर लिया। इमोलिए प्रदेशमें जब सत्ताका सदावर्त खुला और लोग तरह-तरहके जुगुड़ करके उसमें आगे बढ़नेकी कोशिश करते दिखाई दिये, तब जो इने-गिने आस्थावान और गैरतमन्व लोग उस पंक्तिसे पृथक् रहे, उनमें पण्डित बंशीधरजी बहुत आगे थे। मूक-सेवाकी यह प्रवृत्ति ही उन्हें देशसेवाकी इस दिशामें जितना आगे ले गई थी, सरस्वतीकी सेवाके क्षेत्रमें भी उतना ही आगे बढ़ाती जा रही है। प्रतिफल और पुरस्कारकी कोई आकांक्षा नहीं है, कहीं किसी पदका कोई ध्यामोह नहीं है, शायद इसीलिए आज जीवनके संघाकालमें भी वे वैसे ही सक्रिय हैं और उतनी ही निष्ठा और लगनके साथ अध्ययन-मनन, चिन्तन और

लेखनमें संलग्न रहते हैं। आज वर्षोंसे यही उनका जीवनव्रत है और इससे निष्पन्न आत्म-संतोष ही उनका स्व-अर्जित पुरस्कार है।

संस्थाओंकी सेवा

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्संस्थानके इतिहासमें पण्डित बंशीधरजीकी अध्यक्षताका काल गरिमाके साथ अंकित है। गुरु गोपालदाम बैरैयाका शताब्दी-समारोह उसी बीच आयोजित हुआ और उनकी सफलतामें पण्डितजीका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। श्री गणेशप्रसाद वर्णा जैन ग्रन्थमालाके मन्त्रीके नाते उन्होंने उस संस्थाकी निरन्तर आगे बढ़ानेका प्रयास किया। उनके पश्चात् डॉ० पं० दरबारीलालजी कौठियाके कार्यकालमें विकासकी वह गति बनी रही और संस्थाने स्थायित्वकी ओर एक लम्बी यात्रा तय की। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिये कि पूज्य वर्णाजीके समर्पित शिष्यों और उनके भक्तोंके परिश्रम और सहयोगसे जो संस्था सरस्वतीकी सक्रिय सेवा कर रही थी, वह अब मौन है।

सोनगढ़-विचारधाराका खण्डन

जब मोरारूपमें सोनगढ़से एकान्तकी आधी उठी और समाजके मूर्धन्य माने जाने वाले कतिपय विद्वानोंका एक स्वार्थ-प्रेरित ममुदाय, आगमकी अवहेलना करता हुआ उस आधीमें बह चला, तब उस विषय कालमें बंशीधरजीके व्यक्तित्वका वह पुराना जुझारू रूप फिर साकार होकर सामने आया।

खानिया तत्त्वचर्चके छद्मको अनावृत्त करनेका उन्होंने बीडा उठाया। इस बातकी पण्डितजीने कभी कोई चिन्ता नहीं की कि इस दिशामें लेखन और प्रकाशनसे लेकर वितरण तक वे निनांत अकेले ही खड हैं। उसी छोटी-सी दुकानमें बैठकर उनका चिन्तन चलता रहा और लेखनी अविश्राम गतिसे दौड़ती रही। वे बहुत जल्दी, शायद आठ बजेके पहले ही सो जाते हैं और पिछले पहर दो-दार्द बजे उठकर अपने लेखनमें जुट जाते हैं। वर्षोंमें बिना रुके, और बिना थके उनकी साधनाका यह क्रम अनवरत चला आ रहा है। इसीका फल है कि उनके द्वारा प्रणीत साहित्यकी सूची प्रतिवर्ष लम्बी होती जा रही है। एक दिन यमुनामें विचहरे नागका उस बंधी बालेने जैमे मर्दन किया था, वैसे ही मिथ्या मान्यताके कणधरका मर्दन करनेका प्रयास यह मनस्वी बंशीधर अपनी आसंदीपर बैठकर निरन्तर कर रहा है।

पण्डितजीका यह पुरुषार्थ इस पृष्ठभूमिमें और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि सोनगढ़ विचारधारासे विरोध रखने वाले विद्वान् तो समाजमें अनेक हैं, पर उस दिशामें अपना समय और साधन लगाकर लेखन/प्रकाशन करने वाले बहुत बिरले हैं। सैद्धांतिक आधारपर सप्रमाण लेखनी चलाने वाले तो और भी कम हैं। 'आ बैल मुझे मार' की चाल कोई चलना नहीं चाहता। इस न द्धर्ममें पं० बंशीधरजीका कृतित्व सदा आश्चर्यपूर्वक याद किया जाता रहेगा।

साहित्यका सुजन

'खानिया तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा' लिखकर पण्डितजीने आगमका वह पल सामने रखा है, जिसे कुछ लोग प्रयास-पूर्वक दबानेकी चेष्टामें नाना प्रकारके प्राणायाम कर रहे हैं। 'जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार' पुस्तकके माध्यमसे पण्डित बंशीधरजीने वस्तु-स्वरूपका सहज और सर्वमान्य निरूपण करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि व्यवहारकी सर्वथा अनुपयोगिता मान लेने पर जीवनमें कितनी बड़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। निश्चय साध्य है और व्यवहार उमका साधक है, नयोकी ऐसी मैत्रीके बिना ज्ञानकी साधनामें एक पग भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं है।

पण्डितजीकी तीन पुस्तकें- 'जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारणक व्यवस्था', 'पर्याय क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी', तथा 'आत्म और पुरुषार्थ', ऐसी पुस्तकें हैं जिनके माध्यमसे उन्होंने आजकी अनेक विवक्षा-

बिहीन और मिथ्यात्व-बोधक एकांत स्थापनाओंका न केवल निषेध किया है वरन् पूर्व पक्षकी मान्यताओंको खण्ड-खण्ड करके विखेर दिया है। विशेषता यह है कि पण्डितजीने अपने लेखनमें हर जगह सबल और सार्थक धार्मिक-सन्दर्भ उद्धरणके रूपमें प्रस्तुत किये हैं। उनके अर्थ करते हुए कही भी कल्पनाका आश्रय या हठाग्रह-का सम्बल उनके लेखनमें दिखाई नहीं देता। यदि अनाग्रही मनसे उनके लेखनको पढा जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बड़ा-से-बड़ा विरोधी भी प्रभावित होगा और अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करनेके लिये विवश हो जाएगा। परन्तु यह तभी सम्भव है जब हमारी लौकिक लाभकी आकांक्षा कुछ ढीली पड़े और मानका बिसर्जन होकर भादबका मुहुता हमारे मनमें अवतरित हो। जब भी ऐसा होगा, जैनशासनके लिए निश्चित ही वह बड़ा शुभ समय होगा।

“जैनतत्त्व बीमांसाको बीमांसा” पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी मौलिक पुस्तक “जैनतत्त्व-बीमांसा”के प्रत्युत्तरमें, उनकी भ्रामक स्थापनाओंका खण्डन करके आगमकी मान्यताओंको स्थापित करनेका उद्देश्य लेकर लिखी गई पुस्तक है।

अपनी जीवन-संयिनीके चिरविद्योगके अवसर पर उन्होंने दानमें कुछ द्रव्य निकाल कर उसे एक ट्रस्टका रूप दिया है। उसी ट्रस्टकी ओर से वे अपने साहित्यका प्रकाशन करते हैं और उसमेंसे कुछ भेट स्वरूप और कुछ लागत मूल्य पर सुगान्ठ पाठकोंके हाथों तक पहुँचाते रहते हैं। कुछ अन्य संस्थाओंने भी पण्डितजीकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनका लेखन उत्सुकतासे पसन्द किया जाता है और चावसे पढा जाता है।

मंगल मनीषा

जीवनका अधिकांश भाग जैनशासनकी सेवामें लगानेके उपरान्त आज भी पण्डित बशीधरजी पूरी तरह सक्रिय, सावधान और सेवामग्न हैं। परिवार तथा परिग्रहके प्रति उनका विशेष भ्रमत्व कभी नहीं देखा गया। इधर कुछ वर्षोंसे उन्होंने स्वर्गको अपने ही भीतर समेटनेका अभ्यास भी किया है। सघन अधकार में निष्कम्प शिक्षावाग्ने दीपककी तरह वे अपने परिकरके बीच भी, अपनी शारीरिक अनुकूलताओंके अनुरूप, साधनामें दिन-रात सलग्न हैं। मैं मसन्नता हूँ कि इस अभिनन्दनके बहाने उनके जीवनव्यापी श्रमको कागजके पर्नों पर उतारकर हम स्वयं अपना ही अभिनन्दन करनेकी चेष्टा कर रहे हैं। ध्येयकी प्राप्तिके लिए ऐसा एकांत-समर्पण, ऐसी मूक साधना और ऐसी अनवरत सलग्नता जिसे भी प्राप्त हो जाय उसका व्यक्तित्व बन्दनीय और जीवन अभिनन्दनीय ही होगा। आइये उनके स्वस्थ दीर्घ-जीवनकी कामना करें।

ख्याति-स्वाभ-मानसे परे

● प्रो० खुशालचन्द्र गौरावाला, वाराणसी

शामो मण्डल बुन्देलो वीरता और मराठी क्रान्तिका २५ मई १८५८ तक गढ़ या। और यदि इस दुदिनपर कर्नल ह्यूरोज रास्ता बदलकर मदनपुर-घाटीकी ओर मुडकर शाहगढराजकी नूतन राजधानी महावरापर सौरईकी मूनी गढीपर कब्जा करके आगे न आता, तो मालधीन-घाटी ‘घोरई’ पर बुन्देलावीर बाल-पुरनरेश मदनसिंह और शाहगढनरेश वक्तबलीसिंहके सेनापतित्वमें फिर्गी सेनाका सफाया करके, रणबन्धी माता लक्ष्मीबाईको दक्षिणी आक्रमणसे, सहज ही मुक्त कर लेते। तथा क्रान्तिकारियोंका साथ देनेके लिये भेजे अकेले पड़े ओगछाके दीवान नत्थूसाके मफेद झण्डा दिखाकर देशद्रोहसे अनायास ही रोक लेते एवं मुगल साम्राज्य-नवनाशके समान अग्नेजी-साम्राज्यकी भ्रूणहत्या हो गयी होती। किन्तु ‘अनहोनी न होय करारिचत्’ ही तथ्य रहा। तथा १९४७ तक बुन्देला वीरभूमि अग्नेजी क्रूर दमन और उपेक्षाका लक्ष्य रही। खण्डहर

किलों और गदियोंसे व्याप्त इस अंचलको वर्षा ऋतु आनेपर चौपालोंमें आल्हाकी घुँजने और ढोलककी हूँकारने बुन्देली भावनाकी बेलको सूखने नहीं दिया ।

मध्यमवर्ग दि० जैन समाज

‘इत जमना उत नर्मदा’ अंचलमें श्रम तथा शस्त्रप्रवण लोदी, ठाकुर एवं किसान और शास्त्ररत ब्राह्मण और विपणन एवं संस्कृति प्रधान श्रमणोंकी मुख्यता है । फलतः श्रमण एव ब्राह्मण (वैदिक) धर्मके आगार ही शिक्षा, स्वास्थ्य एव समाजसंचालनके केन्द्र रहे हैं । दोनो धर्मोंके अनुयायियोंमें नित्य देवदर्शन, त्याग, सेवा और स्वाध्यायको परम्परा है । श्रमण अन्य वर्गोंकी अपेक्षा आर्थिक दृष्टिसे अधिक समर्थ है । अतएव गाँव-गाँवमें मन्दिरोंके समान शिशु-शालाएँ चलाना भी इनके नित्य कार्योंमें माना जाता है । धर्म-समदृष्टि इतनी अधिक है कि एक घर मुसलमान होनेपर भी ताजिये ऐसे निकलते हैं जैसे पुरा गाव ही मुस्लिम हो । इस मौमनस्यके कारण श्रमण-वाठशालाओंमें ही बहुधा गाव भरके शिशुओंका विद्यारम्भ होता है । इस प्रावैदिक परम्पराकी यह देह देह कि वीणधर धरमें उत्तम गुरुवर गणेशप्रसाद श्रमण-संस्कृतिके बौद्धिक जागरणके अग्रदूत हो मके । और प्रथम राष्ट्रपति (महामहिम राजेन्द्र बाबू) तथा गांधीजीके अहिंसा-सत्याग्रहके प्रथम मार्शल बिनोबाजीके द्वारा राष्ट्रमन्त्रके रूपमें मान्य हुए । ‘नास्तिको वेदनिन्दकः’का आजोवन ब्रह्मचारी गणेशप्रसाद वर्णनि शिष्यरूपमें विमर्जन करके काशीमें स्याद्वाद महाविद्यालयकी स्थापना की । और सर्वप्रथम वैश्य-न्यायाचार्य होकर पूरे बुन्देला-अंचलको श्रमण-वाठशालाओंकी दीपमालिकासे चमका दिया । तथा पूरे देशकी पगयात्रा करके मुस्लिम-साम्राज्यके कारण फारसी (उर्दू नहीं) पढनेवाले पंजाब ही क्या, पूरे उत्तर भारतके मध्यमवर्ग-को प्राकृत-संस्कृतकी ओर आकृष्ट किया ।

स्याद्वाद-महाविद्यालयका स्वर्णयुग

गुरुवर गणेशप्रसाद वर्णों पद-प्रतिष्ठासे सर्वदा एवं सर्वथा विमुक्त रहे । इस यथार्थ विरक्तिका ही यह सुफल था कि स्याद्वाद महाविद्यालयके संस्थापक होकर भी उन्होंने प्रथम-अधिष्ठाता बाबा भागीरथजीको बनाया था । तथा इनके बाद धर्म-मेवामे उत्तरे अभिजात (श्री उमरावसिंह रईश) युवक आजोवन ब्रह्मचारी ज्ञानानन्दजी तथा ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीको इस महार्चपदपर प्रतिष्ठित किया था । अपने सुधारक विचारोंके कारण शीतलप्रसादजीके हट जानेपर कानपुरके राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें योगदानके साथ इस श्रमण-संस्कृतिके तथा अपने गुरुकुलके नैतिक भारको सम्भाला था । विशेषता यही थी कि अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि वैध पंक्तिका भार देशके विद्याप्रेमी श्रीमानोंके ऊपर ही रहता था । तथा वे भी इनके लोकोत्तर व्यक्तित्वके कारण मेवा तथा त्यागको मुख्य मानकर चलते थे । तथा काशी विद्वविद्यालयकी स्थापनाके पूर्व ही यह विद्यालय दक्षिण तथा उत्तरके छात्रोंका अनुपम केन्द्र बन गया था । यही कारण था कि राष्ट्रपिता उक्त विद्व-विद्यालयकी स्थापनाके समय इस विद्यालयमें ही आकर ठहरे थे । तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्रामके स्कन्धावार (छावनी) काशी विद्यापीठकी योजना इसकी विद्यालय छतपर ही साकार हुई थी । तथा स्वदेशी-आन्दोलनका ओकार भी ३० ज्ञानानन्दजीके ‘अहिंसा प्रेस’ से यही हुआ था । सन् ‘२५ से ३१’ तकके युगमें इस विद्यालयने न्याय, साहित्य, सिद्धान्त आदिके अनेक आचार्य देशको दिये थे । यद्यपि व्याकरण शुष्क एवं क्लिष्ट विषय माना जाता था, किन्तु इस स्वर्णयुगमें, अंग्रेजों द्वारा १८५८ में सर्वप्रथम आक्रान्त सोरई (शाहगढ़ राज) के ही किशोर बसोधरजीने सानन्द लेकर प्रथम वैश्य-व्याकरणाचार्य देश और समाजको दिया था ।

प्रतिभा-परीक्षण

गुरुवर गणेशवर्णोंकी दृष्टि समाजको सर्वशास्त्रोंके विद्वान देना थी । फलतः व्याकरण लेनेपर बंशीधर

पुष्पाँके सतिशय स्नेह-भाजन हुए थे। आचार्यमें व्याकरण-दर्शन पढाये जानेपर गुरुजी तथा इनको स्वयं यह आभास हुआ कि यह युवक तो वर्गन और न्यायके योग्य क्षयोपशमशाली है। इम प्रतिभा-परीक्षणके बाद बंशीधरजीने स्वयं स्वाध्यायद्वारा जैन न्यायके मानक महाग्रन्थोंका अध्ययन किया। और काशी विश्वविद्यालय-से जैनदर्शन शास्त्री एव बंगाल संस्कृत ऐसोशियेशनसे न्यायतीर्थ परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण करके सर्वप्रथम विद्वत्ताकी प्राप्ति किया। तथा प्रारम्भिक किशोर सहाध्यायियोंकी प्रतिभा-परीक्षणकी उनकी हितकामनासे अपनाया था। इन पक्तियोंके लेखकको १९२८ मे गुरुवर गणेशधरजीने ध्रमण-शिक्षामन्स्था-भ्रमणप्रक्रमसे पकड़ स्याद्वाद महाविद्यालयकी लोकोत्तर-छात्रता बंशीधरजी, परमानन्दजी तथा भैयाजी हरिप्रसादके आग्रहपर ही चिलामी थी, क्योंकि उस समयतक छात्रावासमे एक भी स्थान रिक्त नहीं रहा था। एक दिन विद्यालयकी छत पर अग्यास करते समय इन्होंने अष्टसहस्रीकी कारिका—

“हेतोरद्वैतसिद्धिश्चेद् द्वैतं स्याद्वैतुसाध्ययोः। हेतुना चेद्विना सिद्धिः। द्रत वाङ्मात्रतो न किम् ॥”

दिसायी और विचारद प्रथमलण्डके लघुतम छात्रको इसका अनुवाद करनेको कहा। याद नहीं, अनुवाद कैसा, क्या रहा होगा ? पर इन्होंने अपने न्यायतीर्थ-परीक्षाप्रपत्रके साथ उसका भी न्याय-प्रथमाका परीक्षा-प्रपत्र भरवा दिया। और उच्चकक्षा-छात्र वं० श्रुतसागरजीकी कृपाने दो मासमें न्यायप्रथमाकी तैयारी करके न्यायशास्त्र रचिकर बना सका था, जिसकी पूर्णा वह साहित्यशास्त्री (ग० म० को०) तथा तृतीयवर्ष कला (का० वि० वि०) के साथ इनके समान ही न्यायतीर्थ (ब० सं० ए०) करके कर सका था।

न्यायबुद्धि

वं० बंशीधरजीकी न्यायप्रियता शास्त्र-अध्ययन तक ही सीमित न थी। अपितु वह प्रत्येक अनुचितके प्रतिरोधरूपसे प्रसफुटित होती थी। इसका प्रथम प्रदर्शन मुझे १९२९ मे विद्यालयमें ही देखनेको मिला था। विशेष बुद्धिमान् छात्रोंको योग्यतावृत्तिया भी मिलती थी। फलत विद्यालयमे यह नियम बन गया था कि एक-से-अधिक योग्यता-वृत्ति पानेवाले छात्रोंको भोजनशुल्क पांच रुपया मा० जमा करनी होगी। संयोगात् छात्रोंने इसका उल्लंघन किया। और एक ऐसे ही छात्रने झूठ भी नहीं बोला। फलत उसे तत्कालीन उप-अधिष्ठाताजीने छात्रावाससे पृथक् कर दिया। व्याकरणाचार्यने भाग को थी कि ‘ऐसे सभी छात्रोंको पृथक् किया जाय।’ इसपर उन छात्रोंको छोडकर इन्हें ही पृथक् कर दिया गया। किन्तु ये न्यायमागंपर रहे और छात्रा-वास छोडकर चले गये तथा बाहर रहकर भी अपने गुरुकुलके छात्ररूपसे ही व्याकरणाचार्य पूर्ण करके उसे गौरवान्वधित किया था।

मनस्विता

सयोगात् इनका विवाह एक सम्पन्न घरानेकी एकमात्र पुत्रीके साथ हुआ था। किन्तु व्याकरणाचार्य होते ही ये व्यावरके जैन मन्त्रदायी साधुओंको पढानेके लिए आमन्त्रित किये गये, तो इन्होंने समुरालकी विपुल सम्पत्तिकी उपेक्षा करके अल्पवित्त आत्मभरताको ही वरीयता दी। तथा समुरके एकमात्र संतानस्नेहकी भावनात्मक सुकुमागताका पालन करते हुए भी व्यवसायी-बुद्धिजीवी ही रहे। तथा परम आन्यात्मिक साधक वं० भागचन्दजी आदिके ममान ग्राहक निवटाकर शारदा-साधनामे ही लगे रहे।

युक्तिमद्दर्शन यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः

व्याकरणाचार्यजीका शब्दशास्त्रका पूर्ण अध्ययन तथा भ्रमणधर्म-न्यायपरिष्कृतता स्वान्त सुखाय ही रही है। यह इनका पूर्वपुण्योदय था कि मूर्धन्य विद्वान् होकर भी इन्होंने जिनवाणीसे आजीविका कमी नहीं

की है। और अपने अबाध ज्ञान और मननका जीव-उद्धार तथा परम्परया समाज-वेश उद्धारके लिए ही उपयोग किया है। इसीलिए मकुचित मान्यनाओके अर्थप्रधान समाजमे ये प्रकाशस्तम्भका कार्य करते रहे हैं। पंच-कल्याणकणजरथ आदि कालानीत प्रभावनाओका ही प्रतिरोध आपके द्वारा नहीं हुआ है; अपितु लक्ष्मीके सामने शारदाको झुकानेवाले अपने प्रौढ सुधार-साधियोंका भी सुधार करनेमे वे अग्रणी रहे हैं। और ब्रह्मा-मुयोगलोपके कारण अध्यात्महीन श्रमण-सम्प्रदायी एकाध साधु द्वारा केवल अध्यात्मके एकाध प्रस्थके आधार पर ही अपनाये गये निश्चयैकान्तका, दृव्यानुयोगके धनी श्रमणधर्मी प्रौढ विद्वानों द्वारा समर्थन किये जानेपर व्याकरणशास्त्रार्थको अपने एकाकी प्रयास द्वारा सिद्धान्ताचार्यकी भूमिका निभा सके हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि धर्मशास्त्री, कमी भी अंधशास्त्री नहीं होता। और न ही वह व्यवहारैकान्ती होता है, चाहे व्यवहारै-काली स्वपक्षमे लानेके लिए स्थान-ग-भका भण्डार उसके नामने उडेल देवें। उसकी तो वादाधी स्वामी समन्तभद्रके चरणनिहोपर चलकर "युक्तिशास्त्राप्रविरोधवाक्" मात्र ही एक गति है, क्योंकि ऐसा करनेपर ही उसका इष्ट, प्रसिद्ध दृष्टका साधक होता है।

अपनी इस प्रखर दृष्टिके कारण स्वजन एवं परिजनके विरोध करनेपर भी अपने राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राममे भी भाग लिया था। और १८५८ मे घोखेसे आक्रान्त मोरैई (अब जिला ललतपुर) को भी अकेले ही मर्यादाही बनाया था। अंचल, गुरुकुल और अन्य प्रकारोंमे वे लेखकके अग्रज हैं। अतः स्वाति-लाम-मानसे परे इन एकमात्र धर्मण-पण्डितजीको प्रणाम ही करना समुचित है।

साधना-पथके निष्ठावान पथिक

● श्री यज्ञपाल जैन, दिल्ली

मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि पंडित बशीधर व्याकरणशास्त्रार्थका दीर्घकालीन सेवाओके उपलक्ष्यमें सार्वजनिक सम्मान किया जा रहा है और उस शुभ अयमर पर उन्हें एक अभिनन्दनग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। मैं उनका पुरे हृदयमे अभिनन्दन करना हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायुकी प्रमुख कामना करता हूँ।

पंडितजी जैन ममात्रके उन इने-गिने विद्वानोमेसे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी और लेखनीसे जैन समाज-को असामान्य प्रेरणा दी है और जैन वाङ्मयको समृद्ध किया है। उनको कई पुस्तके जैन तत्त्व-ज्ञान, जैन तत्त्व-मीमांसा आदिके सम्बन्धमे बड़ी मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत करती है। उनको सब-से-बड़ी विशेषता प्रामाणिकता, विचारोकी स्पष्टता और विवेचनकी मौलिकता है।

मुझे पंडितजीके निकट सम्पर्कमे आनेका अवसर नहीं मिला, किन्तु जब भी उनमे साक्षात्कारका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनको सरलता और सादगीमे मुझे बहुत प्रभावित किया है। विद्वत्ता प्रायः व्यक्तिको जटिल और अभिमानी बना देती है, परन्तु पंडितजीके जीवनको जटिलता और अभिमान स्पष्ट नहीं नहीं कर पाये। उनको विद्वत्ता किमोको भी आतंकिन नहीं करती, उल्टे स्नेह और आदर उत्पन्न करती है।

उत्तरप्रदेशके बुन्देली-भाषी सौरैई ग्राममे जन्मे पंडितजीकी प्रारंभिक शिक्षा जन्म-स्थान पर हुई। अनंतर वह ११ वर्षकी अल्पायुमे वाराणसी चले गये, जहाँ स्याद्वाद महाविद्यालयमे उनका नियमित शिक्षण हुआ। और बहीसे वह व्याकरणशास्त्र, साहित्य-शास्त्री, जैन-दर्शन-शास्त्रो और न्यातीर्थकी उपाधियोंसे अलंकृत हुए।

इतनी उपाधियाँ मिलना आसान बात नहीं थी। इसके पीछे उनका गहन अध्ययन, परिश्रमशीलता और लगन थी। किशोरावस्थाके ये गुण उनके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए। वह बराबर आगे बढ़ते गये और एक दिन उन्नतिके चरम शिक्षण पर पहुँच गये। आज उनको गणना जैन समाजके उन विद्वानोंमें होती है, जिनके नाम उँगलियों पर गिने जा सकते हैं।

पंडितजी चाहते तो अपनेको जैन दर्शन और जैन साहित्य तक ही सीमित रख सकते थे, किन्तु समाजको भी उन जैसे निःस्पृही और निःस्वार्थ सेवककी आवश्यकता थी। उन्होंने जैन और जैनतर समाजोंकी चेतनाको आगत करनेके लिए सतत प्रयत्न किये। वह पुरातन पीढ़ीके थे, किन्तु उन्होंने यह नहीं माना कि जो कुछ अच्छा है, वह केवल प्राचीनताकी देन है। उन्होंने वर्तमान उपलब्धियोंको भी देखा और उनमें जो ग्राह्य था, उसे ग्रहण किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन परम्पराओं, आचार-विचारों और संस्कृतिके प्रति प्रतिबद्ध होते हुए भी उन्होंने आधुनिक विचारोंके सम्बन्धमें उदार दृष्टिकोण रखा और यथासम्भव दोनों विचार-धाराओंके बीच समन्वय स्थापित किया।

पंडितजीका जीवन बहुआयामी है। वह विद्वान है। समाजसेवी है, लेकिन साथ ही राष्ट्र-सेवी भी हैं। जिस समय देशमें नमकसत्याग्रहके फलस्वरूप एक नई चेतना जाग्रत हुई और सारा देश पूर्ण स्वतन्त्रताकी शपथ लेकर मैदानमें आ खड़ा हुआ, पंडितजी भी पीछे नहीं रहे। देश-सेवाके कार्योंमें सक्रिय योगदान दिया और जब सन् १९४२ में ९ अगस्तको 'भारत छोड़ो' आन्दोलनका सूत्रपात हुआ तो पंडितजी राष्ट्र-सेवकोंकी प्रथम पंक्तिमें आ खड़े हुए, जेल गये। सागर, नागपुर और अमरावतीकी जेलोंमें उन्होंने नौ-दस माह कठिन कष्टमें बिताये, उसकी कहानी आज भी दिल दहला देती है। पंडितजी नगर कार्य-समितीके अध्यक्ष और मध्यप्रांतीय कांग्रेस-कमेटीके सदस्य भी रहे।

जो मुक्त हस्तसे देना है, उसका भण्डार कभी रिक्त नहीं होता, उल्टे समृद्ध होता है। कहते हैं, सर्वोत्तम दान विद्यादान होता है। पंडितजीने अनेक पुस्तकें तो लिखी ही, विभिन्न विषयोंके दर्जनों लेख भी लिखे। गणेशप्रसाद वर्णा ग्रन्थमाला और भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषदके वर्षों तक मंत्री रहे। सिवनी तथा श्रावस्तीके विद्वत्परिषद्-अधिवेशन उन्हींकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुए। इन अधिवेशनोंमें उन्होंने जो भाषण किये, उन्हें सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध रह गये।

उन्होंने कई पत्रोंका सम्पादन भी किया।

छ दशकसे वह लगातार समाज, साहित्य, धर्म और संस्कृतिकी सेवामें सलग्न है। अध्यापनमें उन्होंने अधिक समय नहीं लगाया, अधिकांश समयका उपयोग अध्ययन और लेखनमें किया। वह मौलिक चिन्तक हैं और लेखनमें भी उनकी विशेष गति और मति है। यह जैनदर्शन और जैन साहित्यके अधिकारी विद्वान् हैं।

मैंने एक स्थान पर लिखा है कि साधक कभी शकता नहीं, कभी शकता नहीं। पंडितजी एक महान् साधक हैं। चौरासी वर्षकी वयमें आज भी वह सक्रिय हैं। उनका चिन्तन और लेखन अबाध गतिसे चलता रहता है।

सेवाके प्रति समर्पित व्यक्तित्वकी विशेषता होती है कि वह अपने जीवनकी प्रत्येक द्वांस और प्रत्येक षड़ीका सदुपयोग करता है। एक क्षण भी प्रमादमें नहीं खोता। पंडितजीका सम्पूर्ण जीवन सेवाके लिए समर्पित रहा है। इसीसे समर्थका उनके लिए बड़ा सूर्य है।

पंडितजी अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, अनेक सम्मान उन्हें मिलते रहें हैं, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि उनमें पंडितजी नहीं, वे स्वयं गारवान्वित हुए हैं।

पंडितजीसे कब-कब और कहीं-कहीं मिलना हुआ, अब याद नहीं आता, किन्तु उनके चेहरेकी सौम्यता और वाणीकी मृदुलताकी छाप अब तक मेरे मन पर बनी हुई है ।

आज सार्वजनिक जीवनमें मूल्योका बड़ा ह्रास हो गया है । जैन समाज भी उमका अपवाद नहीं है । पंडितजीका सर्वोत्तम अभिनन्दन यही होगा कि जैन समाज उनकी कठोर माधनाका स्मरण करे, उससे प्रेरणा लें, और अपने आचरणसे जैनधर्म, संस्कृति और दर्शनके उज्ज्वल स्वरूपको प्रस्तुत करके एक नये युगकी स्थापनामें सहायक हों ।

“जोबेम शरद शतम्”—पंडितजी शतायु हों ।

विलक्षण प्रतिभाके मनीषी

● प्रो० उदयचन्द्र जैन, जैन-बौद्धदर्शनाचार्य, पूर्व रीडर, का० हि० वि०

श्रीमान् पं० बगीशरजी व्याकरणाचार्य एक लब्धप्रतिष्ठ वयोवृद्ध विद्वान् हे । आपमें अनेक ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण जैन समाजमें ही नहीं, किन्तु भारतीय समाजमें भी आपका विशिष्ट स्थान है । विद्वत्समाजमें तो आप एक प्रतिभाशाली मूर्धन्य विद्वान्के रूपमें मुप्रसिद्ध हैं ।

आपने प्रातः मरणीय परमपूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी द्वारा सस्थापित श्री स्यादाद महाविद्यालय वाराणसीमें रहकर ११ वर्ष तक उच्चकोटिका अध्ययन किया है । आप जैनसमाजके प्रथम व्याकरणाचार्य हैं । व्याकरणाचार्यको उपाधि प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है । साहित्य, दर्शन, न्याय आदि विषयोंमें व्याकरण अति कठिन विषय है । ऐसे कठिन विषयमें आपने प्रवीणता प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ मकल्प वाले व्यक्तिके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होना है । अतः व्याकरणाचार्यको उपाधि आपकी विशिष्ट प्रतिभाकी सूचक है ।

जैनदर्शन और जैनसिद्धान्तके मूर्धन्य विद्वान् होनेपर भी आपने शिक्षा-समाप्तिके अनन्तर किसी विद्यालय आदिमें सविम नहीं की, किन्तु बीनामें स्वतंत्र व्यवसायको अपनाकर वणिक्पुत्रोंमें भी अपना श्रेष्ठ स्थान बना लिया । ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मीका विरोध है । परन्तु आपने इस कथनको असत्य सिद्ध कर दिया है । आप सरस्वतीके वरदपुत्र होकर भी लक्ष्मीके भी परम प्रिय पुत्र बने ।

उच्चकोटिके विद्वान् होनेके साथ ही आप स्वतंत्र विचारक और लेखक भी हैं । व्यवसायमें संलग्न व्यक्ति प्रायः चिन्तन तथा लेखनके लिए बहुत कम समय निकाल पाता है । परन्तु आप इसके अपवाद हैं । यही कारण है कि आपकी लेखनीसे ‘जैन शासनमें निश्चय और व्यवहार’, ‘जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था’ आदि ऐसी अनेक कृतियोंका सुजन हुआ है जो महत्त्वपूर्ण होनेके साथ ही पठनीय और मनीषी हैं । इतना ही नहीं, अभी ८४ वर्षकी वयस्थामें भी आप लेखन तथा चिन्तनके कार्यमें बराबर संलग्न रहते हैं ।

जैन विद्वानोंमें स्वतंत्रता-सेनानी प्रायः बहुत-कम मिलेंगे । किन्तु आपने स्वतंत्रता-सेनानी होनेका महान् गौरव प्राप्त किया है । सन् १९४२ के ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलनमें आपने सक्रिय भाग लेकर मागर, नागपुर और अमरावतीकी जेलोंमें ९-१० मास तक अनेक कष्टोंकी शान्तभावसे सहन किया है ।

समाज-सेवा, देश-सेवा और साहित्य-सेवा तीनोंको आपने अपने जीवनका प्रधान लक्ष्य बनाया है ।

सन् १९६५ में आप भा० वि० जैन विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष चुने गये। फरवरी मासमें सिवनीमें आपकी अध्यक्षतामें विद्वत्परिषद्का अधिवेशन हुआ। उस समय आपने श्रीमान् कोटियाजीको लिखा कि वाराणसीके सब विद्वानोंको साथ लेकर सिवनी आओ। कोटियाजी आदि विद्वानोंके साथ मैं भी सिवनी गया। विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणी समितिने चुनावके समय सिवनी अधिवेशनमें आपने मुझे विद्वत्परिषद्का संयुक्तमंत्री बना लिया। और प्रसन्नता है कि कुछ वर्षों तक विद्वत्परिषद्के संयुक्तमंत्री पदपर रहकर कार्य करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ।

आप हित, मित और प्रियभाषी हैं। जब आप विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष थे तब आपने स्नेहपूर्वक एक दिनके लिए बीना बुलाया। उस समय आपने अनेक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण चर्चा की थी तथा मुझे भी अनेक परामर्श दिये थे। आपका स्नेहपूर्ण आतिथ्य तो सदा स्मरणीय रहेगा। आप श्रीमान् कोटियाजीके आदरणीय चाचाजी हैं। इसलिए आप जब कभी कोटियाजीके यहाँ वाराणसी आते थे तब आपसे मिलकर परम प्रसन्नता होती थी। अप्रैल सन् १९८७में ललितपुरमें श्रद्धेय डॉ० कोटियाजीके कुलपतित्वमें हुई जैन न्याय-विद्या-वाचनाके समय भी आपसे मिलनेका सुअवसर प्राप्त हुआ था।

हमें है कि ऐंसे महान् विद्वान्की सार्वजनिक सेवाओंके उपलक्ष्यमें उन्हें अभिनन्दनग्रन्थका समर्पित किया जाना एक अत्यन्त स्तुत्य कार्य है। इस मुसुद अवसरपर उनकी दीर्घायुकी कामना करता हुआ उन्हें अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ।

बीसवीं सदीके गम्भीर-दार्शनिक विद्वान्

● प्रो० (डॉ०) राजाराम जैन, स्नातकोत्तर संस्कृत-प्राकृत विभाग, ह० दा० कालेज, आरा

जो स्वतन्त्र मूलिक विचारोंके धनी तथा स्वाभिमानी प्रवृत्तिके विद्वान् होते हैं, वे किसीके आदेश-निर्देश और पराधीनताको स्वीकार नहीं करने। अमेरिकाके एक महान् दार्शनिक इमर्सनके विषयमें कहा जाता है कि उसने नगरसे दूर एक जंगली-सरोवरके किनारे एक झोपड़ेमें रहना और अपनी आजीविकाके लिए छोटा-मोटा कृषि-कार्य करने द्वारा तत्त्व-चिन्तन एवं लेखनकार्य तो पसन्द किया, किन्तु राजकीय-सेवा या अन्य मस्थाओंकी पराधीनतापूर्ण सेवामें रहना पसन्द नहीं किया। यही स्थिति है हमारे जनस्वी महोपस्थित श्रद्धेय पं० बंशीधरजी शास्त्री व्याकरणाचार्यकी भी।

श्रद्धेय पण्डितजी जैनोत्तर व्याकरणाचार्योंमें प्रथम पत्रिकेत तथा जैन समाजमें व्याकरणाचार्योंका ज्ञाता खोलनेवाले आद्य व्याकरणाचार्य हैं। न्यायाचार्य, साहित्याचार्य एवं सर्वदर्शनाचार्य आदि तो जैन समाजमें अनेक तीयार हुए, किन्तु व्याकरणाचार्य इने-गिने ही मिलेगे। उसका मूल कारण है कि वह विषय प्रायः सभी-को नीरस एवं दुर्लभ लगता है। इस कारण बहुत कम लोगोंकी गति उसकी ओर हो पाती है।

पण्डितजीके जीवनका जब यह दृढ संकल्प बना कि यदि समाजकी ठोस सेवा करनी हो तो समाजके बेतन-भोगी सेवक मत बनो। उन्होंने वही किया भी। समाजके प्रतिष्ठित पदोंको प्राप्त करनेका उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। उसके बदलेमें उन्होंने बीना (सागर) जैसे छोटे-से नगरकी ही अपनी कर्मभूमि मानकर वही पर कपड़ेके छोटे-से व्यापारको अपने परिवारकी आजीविकाका साधन बनाया तथा व्यापारिक कार्योंसे बच हुए समयको अपने स्वाध्याय एवं प्रवचनमें लगाया।

पण्डितजीके कारण बुन्देलखण्डका अत्यन्त लघु नगर 'बीना' भारतकी विद्वत्ताके मानचित्रमें सुखियों-भरा स्थान पा गया। समाजमें जब भी शास्त्रार्थ होना या कोई समस्या उठ खड़ी होती, मभीका ध्यान बीना-नगरके उस एकान्त साधककी ओर चला जाता और निश्चय ही वहामि उसका समाधान निकाल आता।

इन पण्डितजीका लेखक तो पपीराजी विद्यालयके अध्ययनकाल (मन् १९३८) में ही उनका नाम सुनता चला आ रहा था। सयोगसे मेरे आस विद्या-गुरु श्री पण्डित डॉ० दरबारीलालजी कोठिया न्यायाचार्यके सौजन्यसे वे पपीराजीके एक नैमित्तिक अत्रिवेशनमें पधारे। अत्यन्त साधारण, किन्तु शुद्ध सद्गुरुधारी पण्डित बंशीधरजीको अपने बीच पाकर हम लोग कृतकृत्य थे। हमारी छात्रसभामें भी उनका उद्योचक भाषण हुआ। शब्दावली तो मुझे स्मरण नहीं, किन्तु उसका मारास यही था कि "त्रिनवणी एवं जैन समाजके उद्धारका भार नवीन पीढ़ी पर है। इनके माथ ही राष्ट्रके निर्माणकी जिम्मेवारी भी उन्हीं पर है। अतः छात्रोंको अपने अध्ययनके साथ-साथ स्वस्थ रहकर समाज एवं राष्ट्रकी सभी समस्याओंको समझकर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार उनके उद्धार एवं निर्माणकी दिशामें भी कार्य करनेकी योग्यता हासिल करना चाहिए।"

सन् १९५७ के आमपाम मैने डॉ० हीरालालजी एवं डॉ० ए० एन० उपाध्येके आदेशमें हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थोंपर शोधकार्य प्रारम्भ किया था। उस प्रसंगमें मैं महाकवि रघुकी पाण्डुलिपियोंकी खोजमें राजस्थान एवं गुजरातके बाघ बीना पहुँचा था। वही मेरी उनसे प्रथम साक्षात् भेंट थी। मैने उसी समय परखा कि नवीन उन्नतीषु पीढ़ीके प्रति वे कितने सहृदय, एवं सहयोगी-प्रवृत्तिके सज्जनोत्तम व्यक्ति हैं। भले ही वहाँके शास्त्र-मण्डारमें मुझे रघुकी कोई भी प्रति नहीं मिली, किन्तु उसकी खोजसे लेकर आतिथ्य तककी उनकी स्नेह-छाया मुझे अवश्य मिली।

जैन समाजमें कर्म-सिद्धान्तके ज्ञाना दो विद्वान् सर्वविदित हैं—सिद्धान्ताचार्य प० फूलचन्द्रजी शास्त्री एवं सिद्धान्ताचार्य प० बशीधरजी व्याकरणाचार्य। दोनों ही शुद्ध सद्गुरुधारी, दोनों ही पक्के गौधीवादी, दोनों ही जैन-सिद्धान्तके मर्मज्ञ, अभूतपूर्व प्रतिभाके धनी, दोनों ही मनस्वी एवं बेजोड स्वाभिमानी और दोनों ही राष्ट्रकी सेवामें समर्पित और स्वतन्त्रता-प्राप्तिके आन्दोलनकारी होनेके कारण जेलकी यातनाओंके योगी। दोनोंकी इतनी प्रगाढ़ मैत्री कि पूज्य प० फूलचन्द्रजी कहा करते थे कि हम दोनोंकी विचार-धारामें इतना मतभेद है कि किसी भी प्रश्नके उत्तरमें भाषामें भले ही होनाधिक अन्तर आ जाय, किन्तु विचारोंमें कभी भी अन्तर नहीं आ सकता। दार्शनिक-मान्यताको लेकर सम्भवतः यही स्थिति आगे नहीं चल सकी। 'जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा'में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। किन्तु मतभेद रहते हुए भी मनभेदकी स्थितिको वे दोनों ही पसन्द नहीं करते। यही उनकी महानता एवं बड़प्पन है।

पण्डितजीका जीवन एक खुली पुस्तकके समान है। वे व्यापारी अवश्य हैं किन्तु अणुव्रतोंके नियमोंके प्रतिपालक भी हैं। यह आश्चर्यका विषय है कि व्यापार करने हुए भी जैन-दर्शनके गहन रहस्योंका उद्घाटन वे कैसे कर पाते हैं? किन्तु निरपेक्षवृत्तिसे व्यापारमें लगे हुए पण्डितजी उसे आश्चर्य नहीं मानते, क्योंकि वे उस पथके पथिक हैं, जिसे भारतके सुप्रसिद्ध जीहरी एवं चिन्तक रायचन्द्र भाई (महात्मा गौधीके गुरु) जैसे भी अनुसृत किया है।

बुन्देलभूमि प्रारम्भसे ही साधक विद्वानोंकी खानि रही है। उसकी प्रथम पण्डितके विद्वानोंमें पण्डित बंशीधरजीका नाम चिरकाल तक प्रेरणाका अजस्र-स्रोत बना रहेगा। उन्हीं हमारा शतश-नमन है। वे शशायु-हों।

राष्ट्र एवं समाजकी अतुलनीय विभूति

● डॉ० हरीन्द्रभूषण जैन, मानद निदेशक अ० शो० पी०, उज्जैन

खादीकी स्वच्छ ध्वेत नुकीली टोपी, खादीके कुर्तेके ऊपर जवाहर जाकेट एवं खादीकी धोती, आँखों पर चष्मा, भोला बेहरा और सतकं नेत्र, संक्षेपमें यह है हमारे आदरणीय पण्डित बशीधरजीका बाह्य व्यक्तित्व और आन्तर व्यक्तित्व है उनका स्वाभिमानपूर्ण आगमिक एवं दार्शनिक चिन्तनसे ओतप्रोत तेजस्वी रूप ।

आप कहेंगे पण्डितजीका नाम बशीधर क्यों है ? बशीधरका अर्थ होता है श्रीकृष्ण । इनका नाम तो जैनेन्द्र, ऋषभ, अभिनन्दन, सत्यंघर आदि होना चाहिए था । इसका उत्तर यह है कि आजमे लगभग सौ-डेढ़-सौ वर्ष पूर्व समाजमे जैन पण्डित नहीं थे । जन्म और मृत्युके समय ब्राह्मण पण्डित ही हमारे शरण थे । यही कारण है कि हमारे बयोवृद्ध पण्डित-जनके नामोंपर उन्हीकी संस्कृतिकी छाप है । जैसे पण्डित गणेश-प्रसादजी वर्णा, बाबा भगीरथजी वर्णी, पं० गोपालदासजी बरैया, पं० देवकीनन्दनजी, पं० जगन्मोहनलालजी, आदि । उसी परम्परामें हमारे अभिनन्दननीय पण्डितजीका नाम पं० बशीधर रखा गया है ।

आदरणीय पण्डितजीने स्थापित महाविद्यालय वाराणसीमें जैनधर्म एवं दर्शनका अध्ययन समाप्त कर समाज, साहित्य एवं पत्रकारिके लिए अपनी सेवाएँ अर्पण करते हुए, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राममे भी योगदान किया ।

मैं आदरणीय पण्डितजीका जीवन जैन पण्डितोंके लिए आदर्श मानता हूँ । इसका कारण यह है कि उन्होंने विद्याको आधिक आधार न बनाते हुए स्वतन्त्र व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चलायी । इसी कारण उन्हें समाजमे विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ । आदरणीय पण्डितजी चौरासी वर्षकी आयुमे निष्प्रमादभावसे अपने जीवनके आदर्शोंको पूर्ण करनेमे सफल हैं, यह बात आजके विद्वानोंके लिए अनुकरणीय है ।

वेदोमे “जीवम शरद शतम्” कहकर सौ वर्षों तक जीनेका आदर्श रखा गया है । साथ ही “अदीना स्याम शरद शतम्” कहकर सौ वर्षों तक मनोबलको ऊँचा रखनेकी बात भी कही गयी है ।

हम आदरणीय पण्डितजीके शतायु होनेकी कामनाके साथ उनकी आनि श्रेयस् आध्यात्मिक समृद्धिकी हृदयसे कामना करते हैं ।

विद्वत्ता और सहृदयताके संगम

● डॉ० रतनचन्द्र जैन, रीडर-भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल

‘गङ्गित बशीधरजी भ्याकरणाचार्य’ यह नाम बचपनमे अपनी पिताश्री (पंडित बालचन्द्रजी प्रतिष्ठा-चार्य)के मंत्रमे सुना था । वे बड़े आदरसे यह नाम लिया करते थे । भ्याकरणाचार्यजीकी विद्वत्ताकी धार मेरे पिताजीके मनमे बड़े गहरे पैठी थी । उनके बारेमे बार-बार चर्चा करके पिताजी संभवतः हमलोगोको उन जैसा ही बननेकी प्रेरणा देते थे ।

बचपनमे एक बार उनके दर्शन भी पिताजीने सागरमें कराये थे । खट्टरकी घाँती, कुर्ता और टोपीमें मग्न लग रहे थे । उस समय उनकी आयु लगभग पैंतालिस वर्ष रही होगी । दिव्य तेज मुखपर झलक रहा था । पिताजीसे वे अत्यन्त चिन्तनतापूर्वक मिले थे । पिताजी अबस्थामें उनसे कुछ ज्येष्ठ थे ।

‘व्याकरणाचार्य’ उपाधि भी हमारे मनमें अत्यन्त श्रद्धा पैदा करनेवाली थी। संस्कृत-व्याकरणकी क्लिष्टतासे कौन अध्यायी परिचित नहीं है। लोहके चने हैं। ऐसे विषयमें जिनने आचार्यत्व प्राप्त किया हा वह अपनी अपूर्व मेधाके कारण कितना विस्मयोत्पादक, अनएव श्रद्धाका पात्र न होगा।

पण्डितजीने स्वतंत्रता-संग्राममें भी भाग लिया था और जेल गये थे। संस्कृत और जैन सिद्धान्तके उद्भूत विद्वान्की इम देशभक्ति और स्वातन्त्र्यप्रियताका जब हमें बोध हुआ तब हमारा मस्तक गर्वसे ऊँचा उठ गया और श्रद्धा द्विगुणिन हो गई।

लम्बा अरमा बीन गया। मन् १९८० में सागर (म० प्र०) में पूज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराजके प्रीष्मयोगके अवसर पर एक महानिबन्ध-प्रतियोगिताकी घोषणा हुई थी। विषय था ‘मोक्षमार्गमें निश्चय-व्यवहारकी उपयोगिता।’ मेरा निबन्ध इसमें पुरस्कारयोग्य एवं प्रकाशनायं पाया गया था। बादमें ज्ञान हुआ कि इसके तीन निर्णायकोमेंसे एक व्याकरणाचार्यजी भी थे। इम विषयमें माननीय डॉ० दरबारी-लालजी कोठियाणे एक रोचक किस्सा सुनाया। मेरे निबन्धकी प्रति जब व्याकरणाचार्यजीको प्राप्त हुई तब उन्होंने ‘निश्चय-व्यवहार’ विषय देखकर अचिपूर्वक उसे वि० प० के कार्यालयको लौटा दिया, क्योंकि एक अरसेमें एक विशेष विचारधाराके अन्तर्गत निश्चय-व्यवहारका अत्यन्त गलत प्रतिपादन किया जा रहा था। इमसे व्याकरणाचार्यजीका मन अत्यन्त विरम हो गया था। किन्तु आदरणीय डॉ० कोठियाजी द्वारा उसे अवश्य पढ़नेकी प्रेरणा करनेपर उसे उन्होंने कार्यालयमें पुन भगाया और उसे पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रतिबन्धमें इसे सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। यहीमें पण्डितजीका नैकट्य प्राप्त हुआ।

प्रतियोगिताका परिणाम घोषित होनेके पश्चात् चार माह बाद मुझे श्रेष्ठ व्याकरणाचार्यजीका एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि बीनाके एक सज्जन मेरे महानिबन्धको पुस्तकरूपमें प्रकाशित करना चाहते हैं। यदि मैं इच्छुक हूँ तो शीघ्र उनमें आकर मिलूँ। पण्डितजीका पत्र पाकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ। अपना अहोभाग्य समझा कि जैनदर्शनके एक वयोवृद्ध, मूर्खन्य विद्वान्ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैंने पण्डितजीको अपने पहुँचनेकी तिथि सूचित की और उनके पास बीना पहुँचा। पहुँचनेपर मैंने उनके चरणोका स्पर्श किया। पण्डितजी बोले—‘रतनचन्द्र, मुझे तुम्हारा निबन्ध बहुत अच्छा लगा। मेरा हृदय प्रसन्न हो गया।’

पण्डितजीने स्वयं चलकर स्नान वगैरहका स्थान बतलाया, अपने साथ भोजन कराया और अपने विश्रामकक्षमें ले जाकर विश्राम करनेके लिए कहा। साथ ही पूछा—‘विश्रामके बाद दूध-चाय क्या लोगे ? जो लेना हो, नि मकोच कहना, अपना ही घर समझना।’ यह कहकर पण्डितजी दुकानमें चले गये। बाजारका धिन था। दूकानमें सहयोग देना था।

पण्डितजीके इम अननुभूतपूर्व वात्सल्यमय आतिरयसे मैं गद्गद हो गया। लगा जैसे अपने घरमें आ गया हूँ। पण्डितजीके मानवीय व्यक्तित्वका साक्षात्कार कर मैं अपूर्व आनन्द और श्रद्धाके सागरमें डूब गया। विद्वत्ता और सहृदयताका अद्भुत मगम देखकर नेत्र सजल हो गये।

पचहत्तर वर्षकी अवस्थामें पण्डितजीकी दिनचर्या देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पण्डितजी रात्रिको नौ बजे सो जाते हैं और सुबह तीन बजे उठते हैं। उठकर स्वाध्याय और लेखन करते हैं। उन्होंने अधिकांश लेखन इनी समय किया है। यही समय उन्होंने मुझे बचकिले लिए दिया था। मैं भी तीन बजे उठ गया। पण्डितजीसे चर्चा हुई। उन्होंने मेरे निबन्धमें कुछ स्पष्टीकरण सुझाये। मैंने समाधानके लिए अनेक प्रश्न उनके सामने रखे। पण्डितजीने शान्तभावसे समाधान किया। पण्डितजीको समझानेकी शैली अत्यन्त

सहृदयतापूर्ण है। जिज्ञासुकी समझने न आनेपर वे खिन्न और उदासीन नहीं होते, अपितु बार-बार स्नेह-पूर्वक समझाते हैं। मैंने उनसे कतिपय प्रश्नोंपर बहुधा प्रश्न किये, किन्तु एक भी बार उत्पन्न नहीं हुए और बड़े शान्तभावसे बार-बार समझाते रहे। जिज्ञासुकी सत्यकी अनुभूति करा देनेकी किन्ती उत्कट भावना है ही पण्डितजीमें, यह मैंने अनुभव किया।

पिछले कुछ वर्षोंसे जैन समुदायमें जो एकान्तवादी विचारधारा चल पड़ी है और पूज्य वर्णीजीके द्वारा स्थापित संस्थाओमें अध्ययन करनेवाले पण्डितजनोंने भी उसमें शामिल होकर सिद्धान्तोंका आगमविषय प्रतिपादन किया है, उससे व्याकरणाचार्यजीकी जितना खेद है उतना शायद किसी अन्य विद्वान् को हो। 'जयपुर (झानिया) चर्चा'में आगमसम्मत विचारधाराकी पुष्टि करनेवाले विद्वानोंमें व्याकरणाचार्यजी प्रमुख थे। प्रतिपक्षने उक्त चर्चाका विवरण 'जयपुर तत्त्वचर्चा' नामसे दो ग्रन्थभागोंमें प्रस्तुत किया है। इसमें प्रतिपक्षने अपनी एकान्तवादी विचारधाराकी ही सही ठहराया है। इसकी समीक्षा हेतु अनेक प्रयोगों रचनाका परमावश्यक, श्रमसाध्य एवं प्रशंसनीय कार्य व्याकरणाचार्यजीने ही किया है। सत्यका आग्रह भगवान महावीर और महात्मा गाँधीका मन्त्रा अनुयायी ही कर सकता है। उसे लौकिक हानियोंकी परवाह नहीं होती। पण्डितजीने जिनवाणीकी जो प्रभावना की है वह स्वर्णाक्षरोंमें लिखी जाने योग्य है।

पण्डितजीके प्रति मेरे मनमें अगाध श्रद्धा इसलिए है कि उनमें कोरा पाण्डित्य नहीं है। उनके पास एक मुद्द तथा वात्सल्यसे परिपूर्ण निर्भय हृदय भी है, जिससे उनका पाण्डित्य सफल हुआ है। पण्डितजी दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, इस कामनाके साथ उन्हें मेरे कोटिश नमन एवं श्रद्धा-मुग्ध समर्पित है।

स्वाभिमानी विद्वान

● डॉ० भागचन्द्र जैन भास्कर, अध्यक्ष, पालि-प्राकृतविभाग, नागपुर वि० वि० नागपुर

'सौरई' जीमें दूर-दराज गाँवमें जन्मे व्यक्तिवने टेढो-मेढी पगडडियोंपर चलकर वाराणसीमें ज्ञान-साधना की और राष्ट्रीय तथा सामाजिक आन्दोलनोंके कठोर अज्ञावालोंमें झूलते हुए, बीनाकी अपना स्थायी निवास-स्थान बनाया। इम लम्बी यात्राने उन्हें अनेक पड़ाव दिये, चिन्तन-मन्यन करनेके लिए और उसका निष्पन्न निकला स्वतन्त्रतापूर्वक अजीविकोपार्जन। इम निश्चयकी पृष्ठभूमिमें थी प० जांकी स्वाभिमानी वृत्ति और आत्मविश्वासी प्रवृत्ति। वृत्ति और प्रवृत्तिके बीच घूमता हुआ उनका मानस तेजस्वी व्यक्तित्व, कभी थका नहीं, बल्कि अविराम सैनिक पथका निष्प्रमादी, परिश्रमां, पुरुषार्थी पथिक बनकर उसने विद्वानोंकी श्रेणीमें अग्रगण्य बननेका लीभाय पाया।

स्वाभिमानी, पर अभिमानसे दूर, व्यापारी, पर लिप्सासे मुक्त, अध्ययसायी, पर कठघरोंसे कटे हुए पण्डितजीके व्यक्तिवने नई पीढीको जो समय-समयपर मार्गदर्शन दिया वह अपने आपमें अनूठा रहा है।

पण्डितजीकी विद्वत्ता और सहृदयताका परिचय मुझे, प्रथम बार तब मिला, जब बीनामें जैनतत्त्व-मीमांसा (श्री प० फूलचन्द्रजी द्वारा लिखित) का प्रथम बाचन हुआ। लगभग सन् १९५८ में। उस विद्वत् समुदायमें वे जिन मुद्दोंको अपने अकाट्य तर्कोंके साथ उठाते थे, उनका परिहार सरल नहीं था। एक व्याकरणाचार्यकी सिद्धान्तधाराओंमें इतनी गहरी पैठ देखने लायक ही बनती थी। संगोष्ठीकी आवश्यक रूपयोगिता उनके ही परिश्रमका फल थी।

उसके बाद तो पण्डितजीका स्नेह मझे काफी मिला। श्रीलंकासे वापिस आनेपर उन्होंने बीनामें जो मेरा सत्कार किया कराया उससे तो मैं और भी अभिभूत हो गया। वस्तुतः पण्डितजीकी गुणग्राहिताने उनकी स्वाभिमानी बृत्तिमें थार थार लगा दिये। अध्यापन कार्यसे दूर रहकर भी विद्वत्ताको पनपाये रखनेका जो सुन्दर उदाहरण पण्डितजीने प्रस्तुत किया है वह बेमिसाल है, अनुपम है। उनके इस उदाहरणका अनुकरण यदि उस समयके विद्वानोंने किञ्चित् भी किया होता तो पण्डित-परम्पराको जो अपमानके घूट समाजने जहाँ-तहाँ पिलाये, उसका साहस उसे नहीं हो पाता। और पण्डित-परम्पराको अक्षुण्ण बनाये रखनेकी समस्या भी सुलभ नहीं हो पाती। दीनता और नैराश्यसे उभरने तथा स्वाभिमानीके साथ जीवन यापन करते हुए शैक्षणिक और सामाजिक सेवा करनेके लिए स्वतन्त्र व्यवसायमे जुट जानेके अतिरिक्त कोई दूसरा सुन्दर विकल्प नहीं है।

पचासी वर्षकी अवस्थामे भी पण्डितजी पूर्णतः स्वस्थ है। यह प्रसन्नताका विषय है। वे स्वस्थ रहे और अपने ज्ञानपुञ्जका प्रकाश प्रसृत करने रहें, यही हमारी मनोकामना है।

संस्मरण

● शाह अमृतलाल जैन, बीना संकलन ● डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलोच्चार

श्री शाह अमृतलालजी जैन/बीना निवासी/आयु ६७ वर्ष/व्यवसाय किरानाके व्यापारी।

श्री अमृतलालजी पण्डित बंशीधरजीके माले हैं। बीनानिवासी होनेके कारण पिछले ६० वर्षोंसे पण्डितजीके घनिष्ठ सम्पर्कमें रहे तथा उनकी प्रत्येक गतिविधिकी सूक्ष्म दृष्टिसे देखा है। जब मैंने पण्डितजीके विषयमें अपने संस्मरण मुनानेको कहा तो कहने लगे पण्डितजी आरम्भमें ही कठोर अनुशासन प्रिय थे, अपने सिद्धान्तोंके पक्के हैं तथा उनमें जरा भी ढिलाई पसन्द नहीं करते थे। यद्यपि मैं रिश्तेमें उनका साला हूँ लेकिन उनका मेरे साथ भी बैसा ही अनुशासन प्रिय व्यवहार रहता था, जैसा अन्य व्यक्तियोंके साथ रहता था। आरम्भमें तो मुझे उनका व्यवहार जरा सख्त लगता था लेकिन कुछ समय पश्चात् उनका वही व्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय बन गया।

प्रश्न—आपने तथा आपके परिवारके अन्य सदस्योंने पण्डितजीके जीवनका किन-किन विद्याओंमें अनुकरण किया।

उत्तर—पहले तो शाहजी प्रश्नका उत्तर क्या दिया जाये, इसको सोचने लगे। लेकिन कुछ देर बाद कहने लगे कि हमारे पूर्वज तो केवल अपने व्यवसायमें ही संलग्न रहता करते थे। न सामाजिक झगड़ोंमें पड़ते और न राजनीतिसे वे कोई सम्बन्ध रखते थे। किन्तु पण्डितजीकी सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शनसे हम लोग सामाजिक राजनीतिक एवं सार्वजनिक क्षेत्रोंमें कार्य करने लगे। तथा अपना व्यापार व्यवसाय करते हुए सामाजिक संस्थाओंके सभी पदोंपर कुशलतापूर्वक कार्य किया तथा सभी क्षेत्रोंमें पूर्ण ईमानदारीके काम करनेके कारण समाज एवं सार्वजनिक क्षेत्रमें हमने जो सम्मान प्राप्त किया उसके लिए हम पण्डितजीके पूर्ण आभारी हैं।

प्रश्न—पण्डितजीकी लोकप्रियताके क्या उदाहरण दे सकते हैं ?

उत्तर—क्यों नहीं। बीनामें पण्डितजीकी लोकप्रियता सदैव अपने सर्वोच्च शिक्षारपर रही। पण्डितजी

बीनाकी सभी संस्थाओंके मंत्री, उपाध्यक्ष एवं अब्जल पदपर रहे। जब चुनाव होते तो पण्डितजीके और हम लोगोंके सबसे अच्छे वोट आने। पण्डितजीने जब यहाँकी मस्याओंका कार्यभार सम्हाला तो उनको रोकडमें कुछ हो रुपये मिले थे। लेकिन जब उन्होंने संस्थाओंसे अपना त्यागपत्र दिया तो उन सबको लाखोंकी सम्पत्ति-वाली संस्था बनाकर छोड़ा। पण्डितजी तो पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारीसे कार्य करते थे। लेकिन जब समाजके कुछ लोगोंको उनकी लोकप्रियता सहन नहीं हुई तो परस्पर जानीघताको उलझा दिया गया। और अन्तमें पण्डितजीने मन् १९७१ में अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। और समाजके पूर्ण आग्रहके बाद भी अब वे संस्थाओंका मामला हाथमें लेनेको तैयार नहीं होते। हमने भी पण्डितजीके साथ ही संस्थाओंसे अपना हाथ खींच लिया।

इस सम्बन्धमें मुझे एक घटना और याद आती है कि कभी-कभी सागर जिलेके कलेक्टर एवं पंजीयन अधिकारी दूसरे जिलेके विभिन्न ट्रस्टोंके अधिकारियोंसे कहा करते थे कि यदि ट्रस्टका प्रयास-संचालन देखना एवं मीसना हो तो श्री अभिनन्दन दिगम्बर जैन हितोपदेशिनो सभा बीनाके मन्त्री प० बंशोधरजीके पास जाकर सीखिये और फिर मेरे पास आइये। हिसाब-किताबमें पण्डितजी कितने पक्के एवं व्यवस्थित हैं उसकी वे अधिकारीगण बराबर सराहना करते रहे।

श्री शाहजीने पण्डितजीको लोकप्रियताकी एक और घटना सुनायी। वे कहने लगे कि मन् १९४२के आन्दोलनमें पण्डितजीको लोकप्रियता देखकर बीनाकी पुलिसको उनको बीनामें गिरफ्तार करनेका साहस नहीं हुआ। लेकिन जब पण्डितजी सागरमें कचहराका कार्य करके वापिस लौट रहे थे, तो बीना जक़ानपर आपको गिरफ्तार कर लिया गया। पण्डितजीके गिरफ्तारीके समाचार बिजलीकी तरह बीना शहरमें फैल गये। और रात्रिमें ही कम-से-कम दस हजारकी भीड़ बीना जक़ानपर जाकर पण्डितजीकी जयके नारे लगाने लगी। पुलिसको चिन्ता हुई कि कहीं भीड़ बेकाबू होकर तोड़-फोड़ नहीं कर डाले, इसलिए पण्डितजीको आग्रहपूर्वक पुलिस बाहर लाई और जब पण्डितजीने भीड़को वापिस लौटनेके लिए कहा तभी लोगोंने बीना जक़ान खाली किया।

आपने अन्तमें कहा कि ऐसे कितने सम्मरण सुनाये जा सकते हैं। हम तो पण्डितजीके आदर्शोंपर चलने वाले हैं और हमारा पूरा परिवार उन्हें समर्पित रहा है। उनके अभिनन्दनग्रन्थ प्रकाशित होनेके समाचार मुनकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। हम तो उनकी दीर्घायु एवं यथास्वी जीवनकी ही मंगलकामना करते हैं।



जैनतत्त्वमीमांसाकी मीमांसा : शास्त्रीयमान्यताके परिप्रेक्ष्यमें

● पण्डित बलभद्र जैन, निदेशक—कुन्द-कुन्द भारती, नई दिल्ली

[१]

प्रस्तुत पुस्तक "जैनतत्त्वमीमांसाकी मीमांसा" जैनसमाजके बहुश्रुत और तत्त्वचिन्तक विद्वान् पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्य द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक समाजके विभूत विद्वान् पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्त-शास्त्री द्वारा लिखित 'जैनतत्त्व मीमांसा' नामक पुस्तकके उत्तरस्वरूप लिखी गई है। इस उत्तर-प्रत्युत्तरका मन्दर्भ समझनेके लिये इसकी पृष्ठभूमिमें जाना होगा। इसमें मन्देह नहीं है कि दोनों ही विद्वानोंकी गणना जैनमताके उच्चकोटिके विद्वानोंमें की जानी है। दोनोंने जो कुछ लिखा, वह तर्कपूर्ण और सप्रमाण लिखा। उनकी भाषा संत एवम् सम्यजनोपहित है। उनकी शैलीमें प्रौढता है। दोनों विद्वानोंकी पुस्तकें पढ़नेसे जैनदर्शनके अनेक दृष्टि विषयोंको समझनेका अवसर मूलभूत होता है। विषय जिनने गहन है, उनको अपने पक्षकी दृष्टिसे सिद्ध करनेवाले तर्क भी उनने ही गहन हैं। यदि उन्हें समझना है, तो उसके लिये गहन, मनन और चिन्तनकी आवश्यकता होगी। नभो यह निष्कर्ष निकल सकेगा कि किनके तर्कमें अधिक पाना है, किन्तु प्रस्थापनाएँ नवीन हैं और कौन सिद्धान्त एव परम्पराके अधिक निकट है।

नि मन्देह दोनों विद्वान् दो विचारधाराओंका प्रतिनिधित्व करने ह। १० फूलचन्द्रजीको विचारधारा कानजी स्वामीकी मोक्ष अधिक निकट ह। ११ बंशीधरजीको कोई स्वतन्त्र विचारधारा नहीं है; उनकी विचारधारा वही है जो समाजमें परम्परागत शास्त्रीय विचारधारा ह।

श्री कानजी स्वामी स्थानिकवासी समाजके सीराष्ट्रके आचार्य थे। वे अपनी उच्च विचारधाराके लिये उस समाजमें भी बहुचर्चित थे। वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें दिगम्बर समाजमें आना पड़ा। वे दिगम्बर समाजमें किन्तु दिगम्बर जैन मनि या आचार्यसे विधिवत दीक्षा लेकर नहीं आये। वे सामान्य ढंगमें नहीं आये। वे एक तूफानकी तरह आये। तूफान जब आता है, तो सूखे पत्तोंकी तो गिनती क्या है, बहुत कुछ उलट पुलट हो जाता है। कानजी स्वामीके प्रबल तूफानमें छोटे-मोटे जैन विद्वानोंकी तो बात ही क्या है जिन्हें जैनतत्त्वोंका गहन अध्ययन नहीं है, इसमें बड़े-बड़े सिद्धान्ताचार्य और पी०एच० डी० प्रोफेसर भी बह गये, जो यह कहनेमें भी नहीं चुके कि कानजी स्वामीके तो हमारे ऊपर अनन्त उपकार है। अनन्त उपकार तो केवल तीर्थंकर भगवानके होने हैं। सम्भवतः उनके व्यक्तित्वगत उपकारोंको वे अनन्त उपकार मानते ह।

इस तूफानमें दिगम्बर समाजके अनेक मेठ और सम्पन्न लोग भी बह गये, क्योंकि इस नये जमावड़ेमें सम्पूर्णदर्शनके लिये त्याग और चारित्र्यकी नहीं, मुमुक्षु-मण्डलके स्वाध्यायमें बैठने या उससे सहानुभूति रखनेकी आवश्यकता थी। सेठ सक्रिय यज्ञानुभूति दिखा ही सकते हैं। इसने इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें लाभ दिखाई देता है।

यह तो स्वीकार करना होगा कि कानजी स्वामीके इस तूफानों मिशनके कारण समाजके सर्वसाधारण वर्गमें समयसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रोंके स्वाध्यायकी रुचि बढ़ी है। किन्तु यह भी स्वीकार करना होगा कि इस स्वाध्यायका एकमात्र श्रेय केवल कानजी स्वामीको ही नहीं दिया जा सकता। स्वामीजीके अवतरणसे पूर्व प्रथमभूति क्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्षोंके प्रभावक व्यक्तिस्वरूप कारण त्यागीवर्गका मुकाबल समयसार आदि ग्रन्थोंके स्वाध्याय एव पठन-पाठनकी ओर हो रहा था। उच्च वर्णोंकी जहाँ प्रकाण्ड विद्वान् थे, वही वे चारित्र्य-धारी भी थे। चारित्र्यहीन ज्ञानका विशेष महत्त्व नहीं है।

ओ कानजी स्वामी और पूज्य वर्षीजी दोनों ही जैनसमाजकी महान विभूतियोंमें थे, जैनसमाजके ऊपर धोमोका महान प्रभाव था। दोनोंके प्रभावका अन्तर अथवा मूल्याङ्कन आश्चर्यणीय पण्डित बशीधरजीके शब्दोंमें इस प्रकार किया जा सकता है—

“वहाँ कानजी स्वामीके अल्प सम्पर्कमें आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपनेको समयसारका बेसा और सम्यग्दृष्टि समझने लगता है, वहाँ पूज्यपाद वर्षीजीके सम्पर्कमें आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्तःकरणमें तत्त्वज्ञानासुताका ही भाव उत्पन्न करता है।” —जैनतत्त्वमीमासाकी मीमासा, पृ० ३।

वास्तवमें कानजी स्वामीका व्यक्तिस्व बड़ा प्रभावक था। सम्पूर्ण जैन समाजमें अध्यात्मके सम्बन्धमें धारावाहिकरूपमें भाषण देनेवाला ओजस्वी वक्ता कानजी स्वामीके समान दूसरा कोई नहीं था। किन्तु वे दूसरी समाजसे विगम्बर समाजमें आये थे। इसलिये उनके पुराने अच्छे-बुरे संस्कार भी उनके साथ आये थे। मसलन वे आचार्यपदमें आये थे। यहाँ आकर आचार्य तो नहीं रहे, किन्तु उस पदका जो अहंभाव था, वह निकल नहीं सका। फलतः वे अपने आपको महाद्वती मयमी मुनियोंसे भी ऊँचा समझने लगे और दूसरे लोग भी ऐसा ही समझें। इसके लिये वे मुनियोंकी निन्दा भी करते थे। वे अपने आपको सुकुमार और कोमल समझते थे, इनलिये संयम और चारित्रिकी कठोरतासे प्रयत्नपूर्वक अपने आपको बचाते रहे। इसीलिये वे व्यवहारचारित्रिकी सदा निन्दा करते रहे और उसे बन्धका कारण कहते रहे। शूद्रोपयोगकी अपेक्षासे पुण्य शूद्रोपयोगको शास्त्रोंमें हेय बताया है, किन्तु स्वामीजी पुण्यको विच्छा बताते रहे। जबकि वे स्वयं पुण्यका भोग करने लगे, अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें जब पुण्य क्षीण हो गया और भयंकर रोगसे भयंकर पीडा होने लगी, तो तबाकषित आरमानुभव गायब हो गया और शरीरके मोहके कारण वेदनासे आर्तनाद करते रहे।

स्वामीजी प्रारम्भसे ही जैनधर्मकी मैद्धान्तिक विचारधाराके विरुद्ध बोलने लगे। वे कार्य मप्पादनमें पदार्थकी स्व-उपादान शक्तिकी भूमिकाको निर्णायक मानकर निमित्तको मंत्रया अकिञ्चिदकर मानते रहे। उन्होंने कार्य-कारणव्यवस्थाको अमान्य कर दिया। उनकी मान्यता है कि द्रव्योका परिणामन परनिरपेक्ष और क्रमनियमित होता है। वे यह भी अस्वीकार करते हैं कि जीवके वैभाविक परिणामोंके कारण कर्मण-कर्मणार्थ कर्मरूप परिणमित होता है और कर्मोदयके कारण जीवमें विभावभाव होते हैं। वे अकालमरणको भी नहीं मानते। अर्थात् उनकी मान्यतामें जैनधर्मकी सम्पूर्ण द्रव्य-व्यवस्था ही काल्पनिक है।

स्वामीजीकी इन और ऐसी ही अन्य स्वतंत्र मान्यताओंके कारण जैन समाजके विद्वद्बर्गमें तीव्र रोष व्याप्त हो गया और इसके विरोधमें पत्र-पत्रिकाओंमें लेख निकलने लगे। तब उनका समाधान करने और स्वामीजीकी स्वतंत्र मान्यताओंपर दार्शनिक मुलम्मा बढानेके लिये पं० फूलचन्द्रजीने ‘जैनतत्त्व मीमासा’ पुस्तक लिखी। उसको जैन सिद्धान्तकी मान्यताओंके विरुद्ध ममज्ञकर पण्डित बशीधरजीने ‘जैनतत्त्व मीमासाकी मीमासा’ नामक सम्युक्तिक और सप्रमाण पुस्तक उत्तरस्वरूप लिखी। मेरी विनम्र रायमें इस पुस्तकने ‘जैनतत्त्व मीमासा’का मुलम्मा उतार दिया है। वहाँ मेरा विचार ‘जैनतत्त्व मीमासाकी मीमासा’की मीमासा करनेका है।

[२]

‘जैनतत्त्व मीमासा’में पं० फूलचन्द्रजीने कुछ प्रस्थापनार्थकी हैं। किन्तु आगमविरुद्ध होनेसे पं० बशीधरजीने सही परिश्रममें इनकी मीमासा की है। वे प्रस्थापनार्थ इस प्रकार हैं—

प्रत्येक पर्याय और उसका काल नियत है

वस्तुमें पर्याय या परिणमनरूप कार्यकी उत्पत्ति केवल उसकी स्वतः सिद्ध स्वभावभूत नित्य उपादान-शक्ति और कार्योत्पत्तिअणुसे अश्वयवहित पूर्वअणुवर्ती पर्यायरूप अनित्य उपादानशक्तिके बलपर होती है। अनित्य उपादानशक्तिका दूसरा नाम समर्थ उपादान है। समर्थ उपादान प्रत्येक समयका अलग-अलग होता है। कार्य समर्थ उपादानके अनुसार ही होता है। स्वभाव और समर्थ उपादानमें फर्क है। स्वभाव कैकालिक होता है। इसीका दूसरा नाम नित्य उपादान है और समर्थ उपादान, जिस कार्यका वह उपादान होता है, उस कार्यके एक समय पूर्व होता है। ये समर्थ उपादान प्रत्येक वस्तुमें उतने ही माने जाते हैं, जितने कालके कैकालिक समय हैं। उनसे क्रमशः ओ-ओ पर्याय उत्पन्न होती है, वे नियत हैं, उनकी उत्पत्तिकाल भी नियत है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकालमें केवल उपादानकी अपनी योग्यताके आधारपर ही उत्पन्न होता है। तब निमित्त भी बहोपर तबनुकूल विद्यमान रहते हैं।

निमित्त अकिञ्चित्कर है

निमित्तको सद्भावमें भी तबतक कार्यकी सिद्धि नहीं होती, जबतक उसके अनुकूल उपादानकी तैयारी न हो। अतः निमित्त अकिञ्चित्कर है। उपादानके ठीक होनेपर निमित्त मिलते ही है। उन्हें मिलाना नहीं पड़ता। अर्थात् जब कार्य अपने उपादानके बलपर उत्पन्न हो रहा हो, तब उसके अनुकूल निमित्त रहते ही है।

इन प्रस्थापनाओंको अतिसंक्षेपमें इस प्रकार कहा जा सकता है—

—प्रत्येक पदार्थकी पर्याय नियत है, उसका काल भी नियत है, पर्यायका क्रम भी नियत है अर्थात् वह क्रमनियत अथवा क्रमबद्ध ही होती है।

—कार्य वस्तुकी अपनी उपादानशक्तिके बलपर होता है। उपादानके ठीक होनेपर निमित्त स्वतः ही मिल जाते हैं, वे स्वयं तो अकिञ्चित्कर हैं।

सारी जैनतत्त्व भीमासा इन्ही दो धुरियोपर बक्कर काट रही है। इन्हीमेंसे अनेक नई मान्यताओंका जन्म होता है। ये तो बीज हैं, जिनमेंसे कोपल, पत्ते, टहनी और डालें फूटती हैं। जैसे निश्चय ही मान्य है, व्यवहार तो उपचार मात्र है। अतः वह मान्य नहीं है। फलतः व्यवहारोपर भी मोक्षमार्गमें साधक नहीं हैं, बल्कि वह आस्रव और बन्धका कारण हैं। आदि ऐसी ही टहनियाँ और डालें हैं।

पण्डित फूलचन्द्रजीकी इन प्रस्थापनाओंका जो तर्क और युक्तिमय एवं परम्परा और आगम द्वारा समर्थित उत्तर दिया है और 'जैन तत्त्वभीमासा'की दार्शनिक शैलीमें जो भीमासा पण्डित बंशीधरजीने की है, उसे समझने और उसपर गहन मनन करनेकी आवश्यकता है।

कार्योत्पत्तिके समय निमित्तोंकी सत्ताको तो सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु जैनतत्त्व भीमासाकार कार्योत्पत्तिमें उनकी साधकताको अस्वीकार करते हुए उन्हें अकिञ्चित्कर मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तुके कैकालिक परिणमन निश्चिन्त हैं और वे अपनी उपादानशक्ति द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

इसकी भीमासा करते हुए पण्डित बंशीधरने तर्क दिया है - प्रत्येक वस्तुमें परिणमन दो प्रकारके होते हैं—एक तो स्वप्रत्ययपरिणमन और दूसरे स्वपरप्रत्ययपरिणमन। केवल स्व-उपादानके बलपर होनेवाले परिणमनको स्वसापेक्ष या स्वप्रत्ययपरिणमन कहते हैं तथा स्व (उपादान) तथा पर (निमित्त) दोनोंके बलपर होनेवाले परिणमनको स्व-परसापेक्ष अथवा स्व-परप्रत्यय परिणमन कहा जाता है।

यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यदि वस्तुमें विवक्षित रूपसे परिणमित होनेकी योग्यता नहीं है तो अनेक निमित्त मिलकर भी उसमें उस परिणमनको उत्पन्न नहीं कर सकते। उसी प्रकार विवक्षित रूपसे परिणमित होनेकी योग्यता होनेपर भी उस रूप परिणमित होनेके लिये यदि निमित्तोकी अपेक्षा अपेक्षित हो तो जबतक निमित्तोका सहयोग उसे प्राप्त नहीं होगा, तबतक वस्तु केवल परिणमित होनेकी योग्यताके बलपर कदापि उस रूप परिणमित नहीं होगी।

नियमसार गाथा १४ में स्पष्ट कथन है कि पर्याय दो प्रकारकी होती है—एक स्वपरसापेक्ष और दूसरी निरपेक्ष। इनमें निरपेक्ष पर्याय स्व-उपादानके बलपर होती है और स्वपरसापेक्ष पर्याय उपादान और निमित्त दोनोंके सहयोगसे होती है।

समयसारकी गाथा ८० और ८१ बतानी है कि जीवके परिणामके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं और पुद्गल कर्मोका निमित्त पाकर जीवका परिणमन होता है। जीव पुद्गलके परिणमनका और कर्म जीवके परिणमनका कर्ता नहीं है किन्तु निमित्त-निमित्तिकभावसे दोनोंका परिणमन होता है। जैसे यह कहा जाता है कि जब कार्य होता है, उस समय निमित्त स्वयं उपस्थित हो जाता है। इसे सहो परिप्रेष्यमें कहा जाय तो उमें यो कह सकने हैं अथवा यो कहना समीचीन होगा कि जब कार्य निष्पन्न होता है, उस समय उसकी महकारी सामग्रीको निमित्त मंजा प्राप्त होती है। इसे अन्वय-व्यतिरेक शैलीमें इय नरह भी कहा जा सकता है कि जहाँ-जहाँ कार्य होगा वहाँ-वहाँ निमित्त अवश्य होगा। जहाँ-जहाँ निमित्त नहीं होगा, वहाँ-वहाँ कार्य निष्पन्न नहीं होगा।

इन विषयको समझनेके लिये समयसारकी गाथा ३०१, ३०२ तथा उनका कलश-श्लोक अत्यन्त उपयोगी होंगे। इन गाथाओं और कलश श्लोकोका आशय संक्षेपमें इस प्रकार है—

त्रिय प्रकार शुद्ध (स्वत-मिद्ध निज निर्मल स्वभावका धारक) स्फटिकमणि परिणमनस्वभाववाला होने हुए भी स्वयं (अपने आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तुके सहयोगके बिना) रक्तादिरूपताको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध (स्वत मिद्ध निजज्ञान स्वभावका धारक) आत्मा परिणमनस्वभाववाला होने हुए भी स्वयं (अपने आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तुके सहयोगके बिना) रागादिरूपताको प्राप्त नहीं होता, किन्तु रागादि पुद्गलकर्मोका सहयोग पाकर ही वह रागादिरूप होता है।

पण्डित बंशीधरजीकी यह परम्परासे समर्थित मान्यता कि निमित्त सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं होत, अपितु वे भी सार्थक होने हैं, आचार्य कुन्दकुन्दकी मान्यताके अधिक निकट है और वह आर्षानुमोदिन हैं। और अपरपक्ष दार्ष्टनीय आचार्य प्रस्तुत करनेमें असफल रहा है। व्याकरणाचार्योकी इस सफल प्रस्थापनमें अपरपक्ष द्वारा उठाये गये अनेक कल्पित-विकल्प भी निरस्त हो जाते हैं। जैसे—

(१) प्रत्येक वस्तुमें कार्यरूपमें परिणत होनेकी उतनी ही उपादानशक्तियाँ विद्यमान हैं, जितने कालके वैकालिक समय सभव है।

(२) वस्तुके प्रत्येक परिणमनका समय निश्चित है।

(३) कार्योत्पत्तिमें निमित्तोका होना अकिञ्चित्कर है।

निश्चय और व्यवहार

निश्चय और व्यवहार—ये दो दृष्टिबिन्दु एक अपेक्षायें हैं। किन्तु दोनों विद्वानोंमें इनके सम्बन्धमें मत-भिन्नता है। एक पक्ष निश्चयको परमार्थसत्य और व्यवहारको उपचरित कहकर उसकी अवहेलनापर

बल देता है। उपचरितका अर्थ वह पक्ष अवास्तविक, कल्पित करता है। प्रायः उदाहरण दिया जाता है। जैसे किसी घटेमें धो रखा जाता है। उसे व्यवहारमें धोका बड़ा कहते हैं। बड़ा तो मिट्टीका है, धोका नहीं। किन्तु उपचारसे, व्यवहारके लिये उसे धोका बड़ा कह देते हैं। यह है व्यवहारको उपचरित मानने वाला पूर्वपक्ष। यहाँ पूर्वपक्षसे हमारा आशय पं० फूलचन्द्रजीसे है और उत्तरपक्षसे आशय व्याकरणाचार्यजीसे है। पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि निश्चय और व्यवहार कहनेमें आचार्योंकी दृष्टि क्या थी? इस विषयमें आचार्य कुन्दकुन्दने सन्तुलित दृष्टि अपनाई है। उन्होंने दोनों ही दृष्टियोंसे वस्तु-स्वरूपका कथन किया है।

पंचास्तिकाय, तत्त्वायं सूत्र आदि ग्रन्थोंमें द्रव्यकी परिभाषा दो प्रकारसे की है—(१) जिसकी सत्ता है अर्थात् जो सत्स्वरूप है, वह द्रव्य है और जिसमें उत्पाद, व्यय और प्रीव्य पाये जायें, वह सत्स्वरूप है। (२) जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है। द्रव्यमें अखण्ड एकरूपता या प्रीव्यता निश्चय है, उसमें भेदरूपता या उत्पाद, व्ययरूप परिणमन व्यवहार है। वस्तुका त्रैकालिक स्वभाव अर्थात् गुण निश्चय है और पर्यायदृष्टि व्यवहार है। द्रव्यमें अभेद, अखण्ड, एकत्वकी दृष्टि निश्चय है, भेद, खण्ड, अनेकत्वकी दृष्टि व्यवहार है। वस्तु या वस्तुरूपकी सामान्यरूपता निश्चय है और विशेषरूपता व्यवहार है। समयसारकी गाथा ६, ७ में आचार्य कुन्दकुन्दने उदाहरण देकर बताया है कि आत्मा स्वरूपकी दृष्टिसे न प्रमत्त है, न अप्रमत्त है, बल्कि जायकस्वरूप है, यह निश्चय है। व्यवहारसे—भेददृष्टिसे आत्मामें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र्य है। अर्थात् स्वार्थ्यता-स्वसापेक्षता निश्चय है और स्वपरसापेक्षता व्यवहार है। उपादानता निश्चय है और निमित्तता व्यवहार है। वस्तुके इन निश्चय और व्यवहाररूप धर्मोंको नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप निष्पत्तेमें अन्तर्भूत किया गया है और उन धर्मोंके ज्ञायक ज्ञानको और उनके प्रतिपादक शब्दको नयोंमें अन्तर्भूत किया गया है। और इन नयोंको श्रुतप्रमाण कहा गया है। इस प्रकार व्यवहार भी निश्चयके समान वास्तविक (सद्भूत) है, उपचरित नहीं, जैसा कि पं० फूलचन्द्रजी मानते हैं। जहाँ शास्त्रमें व्यवहारको उपचरित कहा गया है, वहाँ उसका अर्थ कल्पित या मिथ्या नहीं, बल्कि वहाँ उपचारका अर्थ पराभितता है।

आचार्य अमृतचन्द्रने समयसारकी गाथा १२ की टीका करते हुए किसी प्राचीन शास्त्रसे एक गाथा उद्धृत की है—

“जद् जिनमयं पवज्जइ, ता मा व्यवहारणिच्छए मुयह।

एककेण विणा छिज्जइ, तित्थं अण्णेण उण तच्च्वं॥”

इसका अर्थ यह है—यदि तुम जिनमतका प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयोंको मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहारनयके बिना तो तीर्थंका नाश हो जायेगा और निश्चयनयके बिना तत्त्व (वस्तुस्वरूप)का लोप हो जायेगा।

यहाँ ‘तीर्थं’ शब्द विशेष उल्लेखनीय है। तीर्थशब्दमें सम्पूर्ण व्यवहारमार्ग गभित है—जैनधर्मको धारण करनेवाले अनुष्योकी सामाजिक संगठना, मन्दिर-भूमियाँ, देव-गुह-शास्त्र और उनके प्रति भक्ति, पूजा अर्चा, व्रत, उपवास, तीर्थक्षेत्र आदि। यदि व्यवहार सर्वथा मिथ्या है तो मिथ्याके ऊपर लडा धर्म भी मिथ्या होगा। फिर मिथ्याको माननेका लाभ क्या। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश नहीं हो सकता। लोकमें भी देखा जाता है कि आदर्श तो लक्ष्य होता है और व्यवहार उस लक्ष्यकी प्राप्तिका साधन। ये दोनों नय हैं। नय सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं। निरपेक्ष नय तो मिथ्या होते हैं। आचार्य अमृतचन्द्रने स्याद्वाचको दोनों नयोंके विरोधका विष्वंसक बताया है।

निश्चयनय और व्यवहारनयके समान निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रयके सम्बन्धमे भी जैन-तत्त्वमीमांसामें भ्रान्त धारणा अपनाई है। आप लिखते हैं—

‘इस जीवको निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति होनेपर व्यवहाररत्नत्रय होता ही है। उसे प्राप्त करनेके क्रिये अलगसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। व्यवहाररत्नत्रय स्वयं धर्म नहीं है। निश्चयरत्नत्रयके सद्भावमे उसमें धर्मका आरोप होता है, इतना अवश्य है। इसी प्रकार रूडिवश जो जिम कार्यका निमित्त कहा जाता है, उसके सद्भावमे भी तबतक कार्यकी सिद्धि नहीं होती, जबतक जिस कार्यका वह निमित्त कहा जाता है, उसके अनुकूल उसके उपादानकी तैयारी न हो। अतएव कार्यसिद्धिमे निमित्तोका होना अकिञ्चित्कर है।’

व्याकरणाचार्यजीमे इस भ्रान्त मान्यताकी मीमासा करते हुए आचार्य विद्यानन्दकी अष्टसहस्री और आचार्य प्रभाचन्द्रके प्रथमकमलमार्तण्डसे उद्धरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि इन आचार्योंमे निमित्त-कारणकी अकिञ्चित्करनाके विरोध और उसकी कार्यकारिताके समर्थनमे ही अपना अभिमत प्रकट किया है। इससे यह बात निर्णीत होनी है कि कार्य यद्यपि उपादानगत योग्यताके आधारपर ही होना है, परन्तु निमित्त-कारणके सहयोगसे ही होता है। अतएव कार्यात्यन्तमे निमित्त अकिञ्चित्कर न होकर कार्यकारी ही होना है। स्वपरप्रत्यय कार्य उपादानगत निजी योग्यताके आधारपर होते हुए भी निमित्तकारणके सहयोगसे होता है।

इसी प्रकार निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रयके सम्बन्धमे भी व्याकरणाचार्यजीका अभिमत निश्चित है। आप लिखते हैं—‘यद्यपि निश्चयरत्नत्रयसे ही जीवको मोक्षकी प्राप्ति होती है, परन्तु उसे निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति व्यवहाररत्नत्रयके आधारपर ही होती है। इस तरह मोक्षके माक्षात् कारणभूत निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति कारण होनेसे व्यवहाररत्नत्रयमे भी परम्परया मोक्षकारणता सिद्ध हो जाती है। अतः मोक्ष-कार्यके प्रति व्यवहाररत्नत्रय भी अकिञ्चित्कर न होकर कार्यकारी ही सिद्ध होता है।’

उपसंहार

प्रस्तुत निबन्धमे हमारा काम पण्डित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी बहुचर्चित पुस्तक ‘जैनतत्त्व-मीमासा’की मीमासा करना नहीं है। उसकी शल्यक्रिया तो पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यने कर दी है। हमारा काम तो उस शल्यक्रियाकी मीमासा करना है—क्या शल्यक्रिया वैज्ञानिक पद्धतिमे की गई है ? उपकरण आयुर्विज्ञान सम्मन काममें लाये गये हैं ? शल्यक्रिया सफल हुई या असफल ? और विकृत अक्ष एव त्रिकारोको शल्यक्रिया करनेसे छोड़ा तो नहीं गया ? यदि एक वाक्यमे, शब्दोंकी कंजुमी करते हुए, मैं कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि शल्यक्रिया सर्वांशतः सफल रही है। और यदि भ्रुंसे लमा किया जाय तो दोनों आदरणीय विद्वानोंके प्रति सम्पूर्ण आदरके भाव रखते हुए यही कह सकता हूँ कि पण्डित फूलचन्द्रजी कानजी स्वामीकी मान्यताओंकी पिरबी करनेवाले वकीलके रूपमे उभरे हैं। सिद्धान्तग्रन्थोंके समर्थ टीकाकारके रूपमे उनकी जो छवि समाजने देखी थी, वह छवि इस पुस्तकमे निलगी नहीं। दूसरी ओर अज्ञातवासमे पड़े हुए पण्डित बंशीधरजी उक्त पुस्तकको मीमासा करके, उसके एक-एक वाक्यका, एक-एक नवकल्पित प्रस्थापनाका युक्ति और शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा उत्तर देकर आर्षपरम्पराके सजग प्रहरीकी छवि ब्रह्मामे सफल हुए हैं। विषय-को गहरी पकड़, तर्कमे पनापन, विषयको प्रस्तुत करने योग्य समुचित शब्दावली और कथ्यको शास्त्रीय आधार देनेकी तत्परता व्याकरणाचार्यजीकी अपनी विशेषता है। वे आर्षपरम्पराके कट्टर समर्थक, गहन तत्त्व-चिन्तक और सिद्धान्तके मर्मज्ञ विद्वान् हैं, उनकी पुस्तक पढ़नेपर पाठकके मनपर सहज ही यह छाप पड़ती है। वे समाजसे हर प्रकारका सम्मान पानेके अधिकारी हैं।

जैनदर्शनमें कार्य-कारणभाव और कारक व्यवस्था :

एक समीक्षा

● डॉ० पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर

कार्यकारणभाव और उसके आभासभूत कारकोकी शास्त्रीय विवक्षाको न समझनेके कारण कुछ लोगों-ने प्रचारित करना आरम्भ कर दिया कि कार्य स्वयं उपादानसे होता है, उसके लिये अन्य कारण या निमित्तकी आवश्यकता नहीं है। इस भ्रान्तिको दूर करनेके लिये जैनदर्शनके मर्मज्ञ, व्याकरणाचार्य पं० बंशीधरजी-बीनानि 'जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था' नामक पुस्तककी संरचना की है।

कार्यकारणभाव कारकव्यवस्थामें सम्बद्ध है, अतः सबसे पहले उन्होंने कारकका लक्षण लिखा है— (साक्षात्) 'क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्' अथवा 'करोति क्रिया निर्बल्यति' इति कारकम्। जिममें साक्षात् क्रिया-जनकत्व हो वह कारक है। साक्षात् पदका विनिवेश होनेसे 'देवबलस्य पुत्रः ओदन भुंक्ते' यहाँ देवदत्तमें कर्तृत्वका परिहार हो जाता है। देवबल भले ही दिवंगत हो गया हो तो भी पुत्रमें भोजनक्रियाका कर्तृत्व सुरक्षित है। यही कारण है कि सस्कृतमें सम्बन्धको कारक नहीं माना है।

कारकके ६ भेद हैं—१ कर्ता, २ कर्म, ३ करण, ४ सम्प्रदान, ५ अपादान और ६ अधिकरण। कार्य करनेमें जो स्वतन्त्र हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता अपनी क्रियाके द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, जिसे बनाना चाहता है अथवा जिमें विकृत—परिवर्तित करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जो कर्ताके अधीन हो अथवा जिमकी अनिवायं सहायतासे कर्ता कार्य करता है उसे करण कहते हैं। कर्ता अपने द्वारा निष्पाद्य पदार्थको जिसके लिये देना चाहता है उसे सम्प्रदान कहते हैं। जिससे किसी वस्तुको पृथक् किया जाता है उसे अपादान कहते हैं और कर्ता जहाँ स्थित होकर वाञ्छित कार्यको निष्पन्न करता है उसे अधिकरण कहते हैं। कार्यकी सिद्धि कारकोकी पारस्परिक सापेक्षतासे ही होती है।

कर्ता दो प्रकारका है—एक स्वयं कर्ता और दूसरा प्रेरककर्ता। प्राप्य, विकार्य और विवर्त्यके भेदसे कर्म भी तीन प्रकारका है। जिस प्रकार बाह्य षट्कारककी व्यवस्था है उसी प्रकार अभ्यन्तर षट्कारककी भी व्यवस्था है। बाह्य षट्कारककी व्यवस्था विभिन्न वस्तुओं पर निर्भर रहती है जबकि अभ्यन्तर षट्कारककी व्यवस्था एक ही वस्तु पर निर्भर होती है। बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारकी षट्कारकव्यवस्था व्यवहार-नयका विषय है। निश्चयनयको विवेचनामें आत्मद्रव्यको षट्कारकचक्रकी प्रक्रियासे उत्तीर्ण—रहित माना गया है क्योंकि निश्चयनय एक अक्षय वस्तुका प्रतिपादन करता है।

इस सब व्यवस्थाका प्रतिपादन लेखकने इस ग्रन्थमें अनेक प्रश्नोत्तरके माध्यमसे प्रस्तुत किया है। जिनागममें कारणके दो भेद कहे गये हैं—एक उपादान और दूसरा निमित्त। जो स्वयं कार्यरूप परिणत होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे कार्मणवर्णणारूप पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाता है, मिट्टी घटरूप हो जाती है और आटा रोटी बन जाता है। निमित्तकारण वह है जो स्वयं कार्यरूप परिणत नहीं होता, परन्तु उपादानके कार्यरूप परिणत होनेमें सहायक होता है। जैसे कार्मण-वर्णणके कार्यरूप परिणत होनेमें जीवका रागादिभाव और योगव्यापार सहायक होता है।

निमित्तकारण भी अन्तरङ्ग और बहिरङ्गके भेदसे दो प्रकारका है। जैसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमका होना अन्तरङ्ग निमित्त है और जिनबिम्ब-दर्शन अथवा देशना आदि बहिरङ्ग निमित्त है। अन्तरङ्ग निमित्तके होनेपर कार्य नियमसे होता है और बहिरङ्ग निमित्तके होनेपर कार्यकी सिद्धि ही भी और न भी हो। जैसे प्रत्याख्यानावरणकर्मका क्षयोपशम

होनेपर शिरका एक सफेद बाल दिखने मात्रसे गृहत्यागका भाव हो जाता है और प्रत्यास्थानावरणकषायका क्षयोपशम न होनेपर शिरके समस्त बाल सफेद हो जानेपर भी गृहत्यागका भाव उत्पन्न नहीं होता । अन्तरङ्गकारणके होनेपर बाह्यकारण कुछ भी हो सकता है । जिनागममे अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कारणकी अनुकूलताको समर्थ कारण कहा गया है और समर्थकारणसे ही कार्यकी उत्पत्ति कही गई है ।

इस बातको लेखकने स्वप्रत्यय और स्व-पर प्रत्ययके भेदसे स्पष्ट किया है । द्रव्यमें कार्यरूप परिणत होनेकी निजकी योग्यता स्वप्रत्यय है और स्व तथा पर—के प्रत्यय—कारणसे जो होता है उसे स्वपरप्रत्यय कहा है । धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्यमें जो उत्पाद, व्यय और धीव्यरूप परिणमन है वह मुख्यतः स्व-प्रत्यय है और उपचारतः कालद्रव्यके सहयोग पर निर्भर है । लेखकने जोर देकर इस बातको सिद्ध किया है कि मात्र परप्रत्ययसे कोई कार्य नहीं होता ।

‘निमित्तव्याप्ति च’ सूत्रकी व्याख्यामें पुज्यपाद और अकलंक स्वामीने प्रश्न उठाया है कि क्रियारहित द्रव्यमें उत्पादादि किस प्रकार होंगे ? और उनके न होनेपर उसमे द्रव्यत्व कैसे संघटित होगा ? इस प्रश्नका समाधान उन्होंने स्वप्रत्ययसे किया है । स्वप्रत्ययमें अणुलक्ष्णुणको स्वीकारा है और स्व-परप्रत्ययमें कालद्रव्य और अक्ष, महिष आदिकी गतिको । ठीक है कि जीव और पुद्गलमे गति और स्थितिकी योग्यता निजकी है, पर धर्म और अधर्म द्रव्यका सहकार उनकी गति और स्थितिमे अनिवार्य आवश्यक है । अतः कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्तकी अकिञ्चित्करता—कार्यकारणव्यवस्थाके प्रतिकूल है । जिनागममे इसे स्वीकृत नहीं किया गया है ।

उपादान और उपादेय भाव एक द्रव्यमें बनता है और निमित्त-नैमित्तिकभाव दो द्रव्योमे बनता है । समयसारमे स्वीकृत किया गया है कि जीवके रागादि भावका निमित्त पाकर पुद्गलद्रव्यरूप कामंणवर्गणा कर्मरूप परिणमन करती है और पीद्गलिक-चारित्रमोहकी उदयावस्थाका निमित्त पाकर जीवमें रागादिभाव उत्पन्न होते हैं । फलतः कर्मका उपादानकारण कामंणवर्गणा है और निमित्तकारण जीवका रागादिभाव । इसी प्रकार रागादिभावका उपादानकारण आत्मा है और निमित्तकारण चारित्रमोहका उदय । इस निमित्त-नैमित्तिकभावको स्वीकृत करते हुए भी यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा कर्मरूप और कर्म आत्मारूप परिणमन नहीं करते । अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यरूप परिणमन ही भी नहीं सकता, क्योंकि उनमे अत्यन्ताभाव है ।

इस निमित्तनैमित्तिक—कार्यकारणभावको यदि स्वीकृत नहीं किया जाता है तो सप्ततत्त्वकी मान्यता, छह द्रव्योकी पारस्परिक उपयोगिता, स्वभाव-विभावकी परिभाषा, कर्मबन्ध और मंत्रके विविध कारणोंका निर्देशन सिद्ध नहीं हो सकता और उसके सिद्ध न होनेपर जैनदर्शनका प्रासाद डह जावेगा ।

इन सभी बातोंका वर्णन लेखकने इसमे युक्ति और आगमके आधारपर बड़ी कुशलतासे किया है । ग्रन्थके अन्तमे ‘क्या उपादान कारण ही कार्यका नियामक होता है ?’ इस शीर्षकवाले परिशिष्टमे उपादान-उपादेयभाव और कार्यकारणभावका विशद विश्लेषण किया है । सम्पूर्ण पुस्तक लेखकके गहन अध्ययन और ज्ञानपरिभाषो सुश्रित करती है ।



जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था :

एक अनुशीलन

● श्री नीरज जैन, सतना

वस्तुस्वरूपकी विवेचनानामे कारकव्यवस्थाका सर्षोपरि महत्त्व है। वास्तवमे जिस प्रकार एकपर एक षडे रत्नकर मंगल अवसरपर स्वागत-द्वारा बनाया जाा है, उममे यदि पहला षडा उल्टा रत्न दिया जाय, तो फिर उसपर उल्टे त्री षडे रत्ने जा सकेंगे। एक भो सीधा षडा उल्टे षडेपर नही बिठायी जा सकता, उसी प्रकार यदि कारकव्यवस्थाके समक्षनेमे कोई भूल रह जाय तो वस्तुस्वभावके बारेमे विपरीत अनुमान ही लगते चले जायेगे और उनपर आधारित विपरीत मान्यतायें ही चिंतकके मनमें बनसी चली जायेंगी। ऐसे मनमें सम्यक् धारणाके लिये फिर कोई अवकाश ही नही होगा। इसलिये वस्तु-स्वरूपको किसी भी विवक्षाको समक्षनेके लिये कारकव्यवस्थाका सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है।

“जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था” नामकी छोटी-नी पुस्तकमे श्रीमान् पण्डित बंशीधरजी व्याकरणाचार्यने सर्वप्रथम कारक-व्यवस्थापर ही विचार किया है। आचार्य अमृतचन्द्रजी महाराज-के उद्धरण देकर उन्होंने भली-भांति ‘स्व-प्रत्यय’ और ‘स्वपर-प्रत्यय’ परिणमनकी सिद्धि करते हुए तकके आधारपर इस बातका निषेध किया है कि एक ओर जहाँ मात्र ‘पर-प्रत्यय’ कोई कार्य नहीं होता, वही दूसरी ओर ‘स्वपर-प्रत्यय’ कार्यको मात्र ‘स्व-प्रत्यय’ मान लेना भी आगमकी अवहेलना होगी। स्वपर-प्रत्ययरूप अशुद्ध या वैभाविक परिणमनको पाणिनामिक भावकी तरह परनिरपेक्ष और स्वाभाविक परिणाम नहीं माना जा सकता।

नत्कार्यसूत्रमे द्रव्यका विवेचन करते हुए “सत्-द्रव्यलक्षणम्” के साथ “उत्-वद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत्” सूत्र कहा गया है। इममे कही भी यह शर्त नही जोड़ी गई कि वह उत्पाद-व्यय किमी निमित्तका मुक्तापेक्षी होगा या निमित्तके लिए कभो वह परिणमन रुका रहेगा। इन सूत्रोका अर्थ करते समय आचार्योंने उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप परिणमनपर विस्तारसे विचार किया है। मूत्रमे छहो द्रव्योके स्वाभाविक परिणमनकी बात सामान्यसे कही गई है। छहो द्रव्योका शुद्ध या स्वाभाविक परिणमन तो होता ही है, परन्तु उनमेसे जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योका अशुद्ध या वैभाविक परिणमन भी होता है। वास्तवमे इसी वैभाविक परिणमनका नाम ही संसार है। यदि इम वैभाविक परिणमनको भी वस्तुकी पर-निरपेक्ष, स्वाभाविक परिणति मान लिया जायगा तो शुद्ध जीवके पुन अशुद्ध होनेका प्रमग आ सकता है, जो जैन दर्शनको स्वीकार्य नही है। इस विसंगतितसे बचनेके लिये आचार्योंने द्रव्यके परिणमनको दो रूपोमे व्याख्यायित किया है। एक “स्वप्रत्ययपरिणमन” और दूसरा “स्वपर-प्रत्यय परिणमन”।

मोटे रूपमे हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव्यका जो भी शुद्ध परिणमन है वह मात्र “स्व-प्रत्यय” होता है। उसमें किसी दूसरे निमित्तकी आवश्यकता नही है, परन्तु जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योमे होनेवाला अशुद्ध या वैभाविक परिणमन एक-दूसरेके सहकारके बिना सम्भव नही है। बिना दूसरेके—निमित्तके वैभाविक परिणमन कर सकें उनमें ऐसी क्षमति नही है, क्योंकि वँसा द्रव्यका स्वभाव नही है। अत सिद्ध है कि यद्यपि द्रव्य हमेशा अपनी नित्य उत्पादानक्षमितिसे ही परिणमन करेगा। परन्तु अशुद्ध परिणमनके लिए तो परका सहकार उसे अनिवार्य होगा। इसलिये ऐसे परिणमनको “स्वपर-प्रत्यय परिणमन” कहा गया है।

कार्य-कारणभाव

व्याकरणाचार्यजीने द्रव्यके परिणमनकी इस शुद्ध और अशुद्ध व्यवस्थाको कार्यकारणसम्बन्धके आधार-

पर बहुत सरलताके साथ, शास्त्रीय प्रमाणोका साथ सामने रखते हुए, स्पष्ट रूपसे निरूपित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दर्शनकी ऐसी गूढ-गुत्थियोंको सरलताके साथ, बोडेसे शब्दोंमें सुलहाकर रख देना उसीके द्वारा सम्भव है जिसकी दृष्टिमें वस्तु-स्वरूपकी व्यापकता स्पष्टरूपसे झलकती हो और जिसके मनमें आचार्योंके प्रति बहुमान तथा आगमके प्रति अटल श्रद्धा हो। समीक्ष्य आलेखके सन्दर्भमें पण्डितजी एक तत्त्व-दर्शी विद्वानके रूपमें इन सारी कमौटियोंपर खरे उतरने हैं। उनका यह लगभग सवासी पृष्ठका निबन्ध 'शागरमें सागर' कहा जा सकता है।

प्रमेयकमलमार्तण्डके व्याख्यानमें परोक्षामुखसूत्रके दूसरे अध्यायके दूसरे सूत्रके व्याख्यानमें दूसरे सूत्रका उद्धरण देते हुए पण्डितजीने यह स्पष्ट किया है कि—“कार्यकारणभावके प्रनयमें उपादानमें दो प्रकारकी शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं—एक द्रव्यशक्ति और दूसरी पर्यायशक्ति। इनमें अनादिनिधन स्वभाववाली होनेसे द्रव्यशक्ति नित्य मानी गई है और सादि-नात स्वभाववाली होनेमें पर्याय-शक्ति अनित्य ही मानी गई है। द्रव्यशक्ति यद्यपि नित्य है तथापि उसका यह अर्थ नहीं है कि महकारो कारणके बिना ही वस्तुमें कार्यकी उत्पत्ति सम्भव हो जायेगी, क्योंकि पर्यायशक्तिमें ममन्वित द्रव्यशक्ति ही कार्यका निष्पादन करनेमें समर्थ होती है। द्रव्यमें वह पर्याय—परिणति महकारीकारणके सहयोगसे ही होती है। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जब कार्यरूप परिणत होनेकी योग्यता-त्रिगुणित द्रव्यको उपयुक्त सहकारी कारणका सहयोग प्राप्त होता है तभी पर्याय उत्पन्न होती है।”

इस प्रकार द्रव्यकी योग्यताके बिना जिस प्रकार कार्यकी उत्पत्ति असम्भव है उसी प्रकार उसमें सहकारीकारण भी, अनिवार्य रूपमें, सहायक है, अकिञ्चित्कर नहीं है। द्रव्यमें कार्यरूप परिणत होनेकी निजी योग्यताका नाम हो “द्रव्यशक्ति” अथवा “नित्य उपादानकारणता” है। वह परिणतन जब केवल “स्व-प्रत्यय” होता है तब एक-के-पश्चात्-एक ही रूपमें, नियतधाराको लेकर, महकारणकारणकी अपेक्षासे रहित सतत होता रहता है। परन्तु ऐसी परिणतिमें पूर्व परिणतनको उत्तरपरिणतनका कारण मान लिया गया है। इस प्रकार उस पूर्व परिणतनका नाम ही “पर्याय-शक्ति” या “नित्य उपादानकारणता” है। परन्तु जब हम “स्वपर-प्रत्यय” परिणतनकी बात करते हैं तब द्रव्यमें पूर्व पर्यायरूप जो आन्तय उपादानकारणता है उसका विकास निमित्तकारणमापेक्ष ही होता है। इस तरह जब जैसे निमित्तोका महयोग उपादानकारणभूत वस्तुको प्राप्त होता है तब उस वस्तुका वैसा ही परिणतन अपनी योग्यताके कारण होता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि स्वपर-प्रत्यय परिणतन भी स्व-प्रत्यय कार्यकी तरह वस्तुकी अपनी योग्यताके अनुसार ही होता है परन्तु वह योग्यता अकेली ही कार्य उत्पादनमें समर्थ नहीं हुआ करती। पर्यायशक्तिरूप अनित्य उपादानकारणता वही अनिवार्य होती है और उस पर्याय—परिणतिका विकास निमित्तकारणका सहयोग मिलनेपर ही सम्भव होता है। यहाँ यह भी ध्यानमें रखना चाहिए कि द्रव्यमें अनेक प्रकारकी परिणति करनेकी योग्यता एक माय होगी है। परन्तु “स्वपर-प्रत्यय” विधानसे जैसे-जैसे निमित्तकारण मिलते जाते हैं, तन्नुसार ही पर्यायशक्तिका विकास होनेके कारण द्रव्यकी परिणति वैसी ही हो पाती है।

सिद्धांताचार्य पण्डित फूलचन्द्रजीने लिखा है—“उपादानकारण ही कार्यका नियामक होता है। पण्डित बंशीधरजीने अपनी पुस्तकके अन्तमें विस्तृत विवेचना करते हुए पण्डित फूलचन्द्रजीको इस विवक्षा-विहीन धारणाका खण्डन करते हुए मम्यक् प्रकारसे यह सिद्ध किया है कि—‘स्वपर-प्रत्यय कार्यका नियामक न केवल उपादान होता है और न केवल निमित्त ही होता है, किन्तु उपादान और निमित्त दोनों ही मिलकर उसके नियामक होते हैं। यह लिखना कि जैनाचार्य उपादानकारणको ही कार्यका नियामक मानते हैं, जैनाचार्योंका अपवाद ओर उनके द्वारा रचित आगमका अपलप्य करना ही है। पुस्तकका यह परिशिष्ट भी देखने योग्य है।

क्रमबद्ध पर्यायिका परीक्षण

केवलीके ज्ञानमें सभी द्रव्योंकी, भूत, भविष्यत्, वर्तमानको, सभी पर्यायों एक साथ प्रकट झलकती हैं, इस कथनका सहारा लेकर कुछ लोगोंने 'क्रमबद्ध-पर्याय'का एक नया विधान किया है। आश्चर्यकी बात है कि 'क्रमबद्ध-पर्याय' शब्दका प्रयोग सम्पूर्ण जैन आगममें, किसी भी आचार्यके द्वारा, कहीं भी नहीं किया गया है। चालीस-पचास साल पहले जबसे सोनगढमें यह शब्द गढा गया तभीसे आगमके ज्ञाता मनीषियोंने इसे मिथ्यात्व-बोधक धारणा बताकर बराबर इसका विरोध किया है।

पण्डित बंशीधरजीने इस सन्दर्भमें भी अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि—'पूर्वोक्त प्रकार केवलज्ञानमें जब प्रत्येक वस्तुकी त्रैकालिक पर्यायें यथास्थान नियत हैं तो उनकी उत्पातिका प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है क्योंकि केवलज्ञानको तो प्रत्येक वस्तुकी त्रैकालिक पर्यायें यथावस्थित रूप ही सतत वर्तमानवत् प्रतिभासित होती रहती हैं। इस तरह उपादानोपादेयकभावकी व्यवस्था श्रुतज्ञानमें ही सम्भव होती है। अर्थात् श्रुतज्ञानी जीव ही अभीप्सित फलकी आकांक्षासे कार्यको सम्पन्न करनेका नुकल्प करता है, कार्यकारणभावकी रूपरेखा निश्चित करता है, कार्यान्वितिके माधन जुटाता है और तब कार्यान्वितिके लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिये श्रुतज्ञानकी व्यवस्थामें बाधक कारणोंकी स्थिति स्वीकार करनेमें कोई असगति नहीं उत्पन्न होती है।'

इस प्रकार पण्डितजीका यह निष्कर्ष पूरी तरह आगमका अनुगामी है कि विवर्जित कार्य तभी होता है जब उपादानगत योग्यता हो, अनुकूल निमित्तसामग्रीका सहयोग हो और कार्यके बाधक कारणोंका अभाव हो। केवलीके ज्ञानमें सभी पदार्थ अपनी-अपनी त्रैकालिक पर्यायोंके साथ प्रतिलक्षण, वर्तमानवत् समानरूपसे प्रतिभासित होते रहते हैं, परन्तु केवलीका ज्ञान किसी भी द्रव्यके परिणमनमें नियामक नहीं है। वस्तुका परिणमन उसकी अपनी योग्यता और निमित्तोंकी अनुकूलताके अनुसार होता है।

विषयका उपसंहार करने हुए पण्डितजीने यह निष्कर्ष निकाला है कि—'जैनदर्शनमें कार्यकारणभावको उपर्युक्त प्रकारसे दो प्रकारका स्वीकार किया गया है—एक तो उपादानोपादेयभावरूप कार्यकारणभाव और दूसरा निमित्तनैमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव। इनमेंसे स्वप्रत्ययकार्यकी उत्पात्तिमें केवल उपादानोपादेयभावरूप कार्यकारणभाव ही कार्यकारी होता है और स्वपर-प्रत्यय कार्यकी उत्पात्तिमें उपादानोपादेयभावरूप तथा निमित्तनैमित्तिकभावरूप दोनों ही तरहके कार्यकारणभाव कार्यकारी होते हैं। विशेष इतना है कि उपादानोपादेयभावरूप कार्यकारणभाव तो उपादानके कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर कार्यकारी होता है। लेकिन निमित्तनैमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव उपादानकारणकी कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर कार्यकारी होता है। इस तरह दोनों ही कार्यकारणभाव अपने-अपने ढंगकी कार्यकारिताके आधारपर वास्तविक ही सिद्ध होते हैं और कोई भी कार्यकारणभाव कार्यान्वितिके अकिञ्चित्कर सिद्ध नहीं होता है। अतः निमित्तनैमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव कथनमात्ररूपमें व्यवहारनयका विषय नहीं होता, किन्तु वास्तविक अर्थात् सद्भावात्मक या कार्यकारीरूपमें ही व्यवहारनयका विषय होता है। दोनों कार्यकारणभाव विकल्पात्मक होनेसे केवलज्ञानके विषय नहीं होते। इतना ही नहीं, वे विकल्पात्मक होनेसे मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यायज्ञानके भी विषय नहीं होते, केवल विकल्पात्मक श्रुतज्ञानके ही विषय होते हैं।'

इस प्रकार "जैनदर्शनमें कार्यकारणभाव और कारकव्यवस्था" नामकी यह छोटी-सी पुस्तक लिखकर आधारणाचार्यजीने जैनदर्शनके बहुत संवेदनशील सन्दर्भोंपर अपनी अनुभव-सिद्ध लेखनी चलाकर उनका सहज और समर्थ विश्लेषण किया है। साथ ही अपनी तर्क-शक्ति और आगम प्रमाण द्वारा उन्होंने वर्तमानमें प्रचलमान अनेक भ्रान्त धारणाओंका निराकरण करके मनुष्य-समुदायपर बड़ा उपकार भी किया है।

जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा :

एक मूल्यांकन

● डॉ० फूलचन्द्र जैन प्रेमी. अध्यक्ष—जैनदर्शन विभाग, सं० सं० वि०, वाराणसी

सिद्धान्ताचार्य पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य द्वारा लिखित 'जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा' नामक समीक्षा-ग्रन्थ मेरे समक्ष है। पिछले कुछ महीनोंसे मैं इसका निरन्तर अध्ययन और मनन कर रहा हूँ। राष्ट्रभाषामें इस प्रकारके समीक्षा-ग्रन्थ प्राचीन विद्वानों द्वारा लिखित मूल-ग्रन्थसे कम महत्त्वके नहीं हैं। थले ही किसी भी विषयकी समीक्षा करने या उसके विषयमें सोचनेका अपना नजरिया (दृष्टिकोण) अलग (विशेष) हो। इस ग्रन्थके अध्ययनसे यह स्पष्ट है कि इसके लेखक सैद्धान्तिक विषयोंके मर्मज्ञ विद्वान् तो हैं ही, साथ ही किसी भी सैद्धान्तिक विषयको सूक्ष्मता और विस्तारसे प्रतिपादन करनेकी क्षमता भी उनमें विशेष है। इस ग्रन्थके विद्वान् सम्पादक डॉ० दरबारीलालजी कोठियाने अपने सम्पादकीय वक्तव्यमें ठीक ही लिखा है कि "व्याकरणाचार्यजीके चिन्तनकी यह विशेषता है कि वे हर विषयपर गम्भीरतासे विचार करते हैं और जल्दबाजीमें वे नहीं लिखते। फलतः उनके चिन्तनमें जहाँ गहराई रहती है, वहाँ मौलिकता और समतुला भी दृष्टिगोचर होती है। यह सब भी जैनागम, जैनदर्शन और जैन न्यायके समवेत प्रकाशमें उन्होंने किया है। इस दृष्टिसे उनका यह समीक्षा-ग्रन्थ निश्चय ही तत्त्व-निर्णय-परक एवं महत्त्वपूर्ण है।"

प्रस्तुत ग्रन्थ जिस ग्रन्थकी समीक्षा हेतु लिखा गया है वह है प० टोडरमल ग्रन्थमाला, जयपुरसे १९६७ में प्रकाशित एवं सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री वाराणसी द्वारा सम्पादित "जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा" नामक ग्रन्थ। इन समीक्षा-ग्रन्थका भी अपना इतिहास है। सोनगढसे प्रवर्तित अध्यात्म एवं कुछ अन्य सिद्धान्त अनेक जैन विद्वानोंकी दृष्टिमें एकाङ्की थे। उन थे इस धाराका विरोध करते थे। किन्तु कुछ विद्वान् इस धाराके प्रबल समर्थक थे। इनसे ममाजमें निरन्तर परस्पर विवाद एवं विरोधकी स्थिति बनी हुई थी। यद्यपि यही स्थिति आजतक विद्यमान है। अन्तर मात्र इतना ही है कि पहले सैद्धान्तिक रूपमें ही अधिक विरोध होता था, किन्तु आज सैद्धान्तिक कम और विरोधके लिए विरोध अधिक है जबकि खण्डन-मण्डन या विरोधकी परम्पराका निवृत्ति होना चाहिए। प्रस्तुत समीक्षा-ग्रन्थके रचयिता विद्वान्ने ओछे तरीके न अपनाकर शास्त्रीय और आगमिक प्रमाणों द्वारा उन सिद्धान्तों और मान्यताओंकी समीक्षा करके प्रशस्त मार्ग अपनाया, जो सिद्धान्त उनकी दृष्टिमें ठीक नहीं थे। इस दृष्टिसे मैं प्रस्तुत समीक्षा-ग्रन्थकर्ता विद्वानका प्रशंसक हूँ। विद्वान समीक्षकने भावों पीढीके लिए भी सैद्धान्तिक विषयोंकी समीक्षा एवं उनसे ज्ञानप्राप्तिका आदर्श-मार्ग एवं स्वस्थ परम्पराका पथ-प्रदर्शन किया है।

सोनगढकी विचारधाराके प्रति बढते सैद्धान्तिक विरोधके कारण समाजके अन्दर खिलराज एवं विवाद की बढती स्थितिको देखकर पूज्य स्व० आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज एवं अनेक विद्वानोंके मनमें इन विवादोंको परस्पर सैद्धान्तिक तत्त्वचर्चाके माध्यमसे दूर करनेकी प्रबल भावना उत्पन्न हुई, ताकि समाजके सौहार्दपूर्ण वातावरणमें कमी न आये। इसी धुम उद्देश्यसे डॉ० सेठ हीरालालजी एवं डॉ० लाडमलजी द्वारा आचार्यश्रीकी प्रेरणासे तत्त्वचर्चाहेतु एक विद्वत्-सम्मेलन बुलानेका निश्चय किया गया। तदनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गुलाबी नगर जयपुरके समीपस्थ खानिया तीर्थक्षेत्रमें विराजमान आचार्य श्री शिवसागरजीके सान्निध्यमें दोनों पक्षोंके विद्वानोंको परस्पर तत्त्वचर्चा हेतु सादर आमन्त्रित किया गया। इस

१. प्रकाशक—श्रीमती लक्ष्मीबाई (पत्नी प० बंशीधर शास्त्री) पारमार्थिक फण्ड, बीना (सागर) सं० प्र०, सन् १९८२, पृष्ठ सं० ५०५, मूल्य ५० रु०।

चर्चाका आयोजन पूज्य आचार्य श्रीके संघके सानिध्य एवं आदर्शगीय ५० वंशीधरजी न्यायालंकारकी मध्यस्थता में दि० २२ अक्टूबरसे १ नवम्बर १९६३ तक हुआ ।

इस तत्त्वचर्चामें परस्पर चर्चाओके हेतु दोनो पक्षोके विद्वानोमें प्रथमपक्ष (पूर्वपक्ष) के प्रतिनिधि सर्वश्री ५० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य, फिरोजाबाद, ५० मन्सूनलालजी शास्त्री, मुरैना, ५० जीवंधरजी न्यायतीर्थ, इन्दौर, ५० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य, बीना और ५० पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर तथा द्वितीयपक्ष (उत्तर पक्ष) की ओरसे सर्वश्री ५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, श्री नेमीचन्द्रजी पाटनी, आगरा तथा ५० जगन्मोहनलालजी शास्त्री ये तीन प्रतिनिधि थे ।

उपर्युक्त विद्वानोके अतिरिक्त अनेक गण्यमान्य विद्वान् भी चर्चाओंमें उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख हैं— सर्वश्री ५० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री वाराणसी, ५० रतनचन्द्रजी मुक्तार, सहारनपुर, ५० जगलकिशोरजी मुक्तार, ५० अचितकुमारजी शास्त्री दिल्ली, ५० राजेंद्रकुमारजी, मथुरा, ५० दयाचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, सागर, ५० इन्द्रलालजी शास्त्री, जयपुर, ५० परमानन्दजी शास्त्री दिल्ली, ३० श्रीलालजी काव्यतीर्थ श्री महावीरजी, ३० सूरजमलजी, खानिमा, ५० नरेंद्रकुमारजी भिस्तीकर कारंजा, ५० मिश्रीलालजी शास्त्री लाहौर, बाबू नेमिचन्द्र जी वकील, सहारनपुर, ५० हेमचन्द्रजी एवं श्री मनोहरलालजी अजमेर, ५० पन्नालालजी सोनी, कपूरचन्द्रजी वरैया लखर । इनके अतिरिक्त भी अनेक विद्वान् एव श्रावक, श्रीमन्त यहाँ उपस्थित थे ।

इस तत्त्वचर्चाकी मूल पृष्ठभूमिमें आ० ५० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री द्वारा लिखित 'जैन तत्त्व-मीमांसा' नामक बहुचर्चित ग्रन्थ भी प्रमुख रहा है, क्योंकि जिन विषयोंपर विरोध था, प्रायः उनका प्रतिपादन इस ग्रन्थमें किया गया है ।

आचार्य श्री शिवमागरजी महाराजके मधका उपस्थितिमें उस समय तक समागत सत्रह विद्वानोकी एक गोष्ठी हुई, जिसमें हम तत्त्वचर्चा हेतु निम्नलिखित कुछ सामान्य नियम निर्धारित किये गये, जिन्हें भविष्यमें उपयोगिताकी दृष्टिसे उद्धृत किया जा रहा है ।^२

१. तत्त्वचर्चा वीतरागभावसे होगी ।
२. तत्त्वचर्चा लिखित होगी ।
३. वस्तुसिद्धिके लिए आगम ही प्रमाण होगा ।
४. पूर्व आचार्यानुसार प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दीके ग्रन्थ प्रमाण माने जायेंगे ।
५. चर्चा शंका-समाधानके रूपमें होगी ।
६. दोनो ओरसे शंका-समाधानके रूपमें जिन लिखित पत्रोंका आदान-प्रदान होगा, उनमेंसे अपने-अपने पत्रोंपर अधिक-से-अधिक ५-५ विद्वानो और मध्यस्थके हस्ताक्षर होंगे । इसके लिए दोनो पक्षोंकी ओरसे अधिक-से-अधिक ५-५ प्रतिनिधि नियत होंगे ।
७. किसी एक विषय-सम्बन्धी किसी विशेष प्रश्नपर शंका-समाधानके रूपमें पत्रोंका आदान-प्रदान अधिक-से-अधिक तीन बार तक होगा ।

दिनांक २२ अक्टूबर १९६३ को आचार्यश्रीके सानिध्यमें इस तिथि तक समागत २३ विद्वानोंकी

१. जैन तत्त्व-मीमांसा—लेखक एवं संपादक—५० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, अशोक प्रकाशन-अंधिर, वाराणसी ५ ।

२. सिद्धान्तशास्त्री ५० फूलचन्द्र शास्त्री अभिनन्दनग्रन्थ : (पंचम खण्ड); पृ० ६४५-६४६ ।

उपस्थितिमें चर्चा-विषयक नियमोंमें ८वां नियम यह भी स्वीकृत किया गया कि चर्चामें सामाजिक, पंच तथा व्यक्तिके सम्बन्धमें कोई चर्चा न होगी ।

चर्चाहेतु आ० वं० मन्मथनलालजी शास्त्री द्वारा निम्नलिखित विषय प्रस्तुत किये गये—

१. द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गति होता है या नहीं ?
२. जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है या नहीं ?
३. जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?
४. व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक है या नहीं ?
५. द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं या अनियतक्रमसे ?
६. उपादानकी कार्यन्वय परिणतिमें निमित्तकारण सहायक होता है या नहीं ?

यद्यपि मूल-ग्रन्थ दो भागों (पुस्तकों) में जयपुरसे प्रकाशित हुआ है । अतः इनकी समीक्षा भी दो भागों—पुस्तकोंमें लिखी गयी है । किन्तु अभी तक इसका प्रथमभाग प्रकाशित हुआ है । दूसरा भाग लगभग तैयार है और प्रकाशनकी प्रतीक्षामें है ।

प्रस्तुत ग्रन्थके प्रथम भागमें अनेक प्रतिशंकाओ महिन निम्नलिखित चार शंकाओंके किये गये समाधानों की सभी शास्त्रीय प्रमाणों सहित समीक्षा प्रस्तुत की गई है—

- शंका १—द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गति भ्रमण होता है या नहीं ?
- शंका २—जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है या नहीं ?
- शंका ३—जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?
- शंका ४—व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक है या नहीं ?

प्रस्तुत ग्रन्थके इस खण्डमें इन चारों प्रश्नोत्तरोंकी समीक्षाके चार-चार प्रकरण निर्धारित है—
(१) सामान्य समीक्षा, (२) प्रथम दौरकी समीक्षा, (३) द्वितीय दौरकी समीक्षा, (४) तृतीय दौरकी समीक्षा ।
प्रथम प्रश्नोत्तर और इसकी समीक्षा

पूर्वपक्ष द्वारा प्रस्तुत “द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण होता है या नहीं ?”—इस प्रथम प्रश्नका समाधान उत्तरपक्षने मंशेपमें इस प्रकार प्रस्तुत किया कि “द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गति भ्रमणमें व्यवहारसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्तृकर्म सम्बन्ध नहीं है ।

यह समाधान पूर्वपक्षको पूर्ण प्रतीत नहीं हुआ तो अपने प्रश्नको समझाते हुए पूर्वपक्षने कहा कि हमारे प्रश्नका आशय यह था कि जीवमें जो क्रोध आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं क्या वे द्रव्यकर्मादयके बिना होते हैं या द्रव्यकर्मादयके अनुरूप होते हैं ? संसारी जीवका जो जन्म-मरणरूप चतुर्गतिभ्रमण प्रत्यक्ष ब्रह्माई दे रहा है क्या वह भी कर्मादयके अधीन हो रहा है या यह जीव स्वतंत्र अपनी योग्यतानुसार चतुर्गतिभ्रमण कर रहा है ?

प्रथम प्रश्नके इस स्पष्टीकरण पर उत्तरपक्षने कहा कि इस प्रश्नका समाधान करते हुए प्रथम उत्तरमें ही हम यह बतला जामे हैं कि संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिपरिभ्रमणमें द्रव्यकर्मका उदय निमित्तमात्र है । विकारभाव और चतुर्गति-परिभ्रमणका मुख्यकर्ता तो स्वयं आत्मा ही है । इस तथ्यकी पुष्टिमें हमने समयसार, पंचास्तिकायटीका, प्रवचनसार और उसकी टीकाओंके अनेक प्रमाण दिये हैं । किन्तु पूर्व

पक्ष इस उत्तरको अपने प्रश्नका समाधान माननेके लिए तैयार नहीं प्रतीत होता। एक ओर तो वह द्रव्यकर्मके उदयको निमित्त रूपसे स्वीकार करता है और दूसरी ओर द्रव्यकर्मावय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गति परिभ्रमणमें व्यवहारनयसे बतलाये गये निमित्त-निमित्तिक सम्बन्धको अपने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मानता।

समीक्षा

विद्वान् समीक्षकका ऐसा मानना है कि उत्तरपक्षने पूर्वपक्षके प्रश्नका जो उत्तर दिया उसकी पुष्टिमें प्रस्तुत की गई समयसारकी ८० से ८२ तककी तीन गाथाओंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है, उसमें गाथा सं० ८१ का अर्थ इस प्रकार किया है—

ण वि कुञ्चइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णमिस्सेण दु परिणामं जाण दोष्ह पि ॥

अर्थात् जीव कर्ममें विशेषता (पर्याय) को उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार कर्म जीवमें विशेषता (पर्याय) को उत्पन्न नहीं करता। परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो।^१

किन्तु उत्तरपक्ष द्वारा उपर्युक्त अर्थ करके स्वयं स्वीकृत सिद्धान्तकी उपेक्षा की गई है। इस गाथाका अर्थ इस प्रकार होना चाहिए—“जीव कर्मगुणको नहीं करता अर्थात् कर्मगुणरूप परिणत नहीं होता और कर्म जीवगुणको नहीं करता अर्थात् जीवगुण रूप परिणत नहीं होता। परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो।

इसी प्रकार समयसारकी गाथा सं० ८२^२ एक वस्तुमें अन्य वस्तुके कर्तृत्वका निवेद्य करती है, जो निर्विवाद है किन्तु इस प्रश्नके उत्तरमें इसकी उपयोगिता नहीं है।^३ अन्य प्रमाणोंके विषयमें भी यही कहा जा सकता है।

इस प्रकार उत्तरपक्ष संसारी जीवके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मको निमित्तकारण तो मानता है, परन्तु वह वही उसे उस कार्यरूप परिणत न होने और उपादानकारणभूत संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही मानता है जबकि पूर्वपक्ष उम कार्यके प्रति उस उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मको निमित्तकारण मानता है।^४

इस प्रकार विद्वान् समीक्षकने प्रथम प्रश्नोत्तरके १८९ पृष्ठोंमें ९९ कथनों द्वारा अलग-अलग समीक्षायें प्रस्तुत करके अपने सैद्धान्तिक ज्ञानकी गहनताका परिचय दिया और इस प्रथम प्रश्नोत्तरकी समीक्षाके अन्तमें उपसंहार किया है।

द्वितीय प्रश्नोत्तरकी समीक्षा

पूर्वपक्ष जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म और अधर्म मानता है। जबकि उत्तरपक्ष जीवित

१. जयपुर तत्वचर्चा, पृष्ठ १।

२. एण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुणालकम्मक्यायं ण दु कत्ता सम्भवावाण ॥ —समयसार ८२

३. समीक्षा, भाग १, पृ० ९।

४. वही, पृ० ११।

शरीरकी क्रियासे आत्मानें धर्म और अधर्म स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है। अतः पूर्वपक्षने निम्नलिखित प्रश्न रखा।

पूर्वपक्ष—जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मानें धर्म-अधर्म होता है या नहीं ?

उत्तरपक्ष—जीवित शरीरकी क्रिया पुद्गलद्रव्यकी पर्याय होनेके कारण उसका अजीवतत्त्वमें अन्तर्भाव होता है अतः वह स्वयं जीवका न तो धर्मभाव है और न अधर्मभाव ही है।^१

आ० पं० जीने उत्तरपक्षके कथनका विस्तृत विश्लेषण किया है। वस्तुतः जीवित शरीरकी क्रिया दो प्रकारकी होती है—प्रथम जीवके सहयोगसे होनेवाली शरीरकी क्रिया तथा द्वितीय शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रिया। इन दोनोंमेंसे पूर्वपक्षके प्रश्नका सम्बन्ध शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियासे है, क्योंकि धर्म और अधर्म ये दोनों जीवकी ही परिणतियाँ हैं और उनके सुख-दुःखरूप फलका भोक्ता भी जीव ही होता है। अतः जिस जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मानें धर्म और अधर्म होते हैं उसका कर्ता जीवको मानना ही युक्तिसंगत है, शरीरको नहीं।

विद्वान् समीक्षकका ऐसा मानना है कि उत्तरपक्षने जो प्रश्नोत्तर दिया है उससे उत्तरपक्षका यह मान्यता ज्ञात होती है कि वह जीवित शरीरकी क्रियाको मात्र पुद्गलद्रव्यकी पर्याय मानकर उसका अजीवतत्त्वमें अन्तर्भाव करके उससे आत्माने धर्म और अधर्म होनेका निषेध करता है। उत्तरपक्षकी इस मान्यतामें पूर्वपक्षको जीवके सहयोगसे होनेवाली शरीरकी क्रियाकी अपेक्षा तो कुछ विरोध नहीं है, परन्तु आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति पूर्वपक्ष द्वारा कारणरूपसे स्वीकृत शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाकी अपेक्षा विरोध है।^२

उत्तरपक्ष यदि शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाको स्वीकार न करे या स्वीकार करके भी उसे पुद्गलद्रव्यकी पर्याय मानकर उसका अजीवतत्त्वमें अन्तर्भाव करे तथा उसको आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति कारण न माने तो उसके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्माने धर्म और अधर्मकी उत्पत्तिका आधार क्या है ? किन्तु उत्तरपक्षके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। पर पूर्वपक्षके समक्ष यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि यह शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाको आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति कारणरूपसे आधार मानता है।

इस प्रकार द्वितीय प्रश्नोत्तरको विस्तृत समीक्षा यहाँ की गई है। द्वितीय प्रश्नका उत्तर तीन दोरोंमें सम्पन्न हुआ था। यहाँ इन सबकी तथा माथ ही सत्रह कथनों द्वारा उनकी समीक्षा की गई है।

तृतीय प्रश्नोत्तरकी समीक्षा

पूर्वपक्षका प्रश्न—जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?

उत्तर पक्ष—(क) इस प्रश्नमें यदि 'धर्म' पदका अर्थ पुण्यभाव है तो जीवदयाको पुण्यभाव मानना मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि जीवदयाकी परिगणना शुभपरिणामोंमें की गई है और शुभ परिणामको आगमने पुण्यभाव माना है। परमात्मप्रकाशमें भी कहा है—

सुहृपरिणामे धम्मु पर असुहं होइ अहम्मु।

दोहं वि एहं विवज्जियउ सुधुषु ण बंध कम्मु ॥२-७१॥

१. बयपुर तत्त्वचर्चा, पृ० ७६।

२. समीक्षा, भाग १, पृ० १९०।

अथत्ति शुभ परिणामसे मुख्यतया धर्म—पुण्यभाव होता है और अशुभ परिणामसे अधर्म—पापभाव होता है तथा इन दोनों ही प्रकारके भावसे रहित शुद्ध परिणामवाला, जीव कर्मबन्ध नहीं करता।

(ख) यदि इस प्रश्नमें 'धर्म' पदका अर्थ बीतरागपरिणति लिया जाय तो जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्योंकि जीवदया पुण्यभाव होनेके कारण उसका आसव और बन्धतत्त्वमें अन्तर्भाव होता है, संवर और निर्जरातत्त्वमें अन्तर्भाव नहीं होता।^१

समीक्षा

प्रस्तुत तृतीय प्रश्न उपस्थित करनेका पूर्वपक्षका उद्देश्य यह था कि आगममें जिस प्रकार जीवदयाको पुण्यरूप मान्य किया गया है उसी प्रकार उसे वहाँ धर्मरूप भी मान्य किया गया है। और फिर जीवदयाके भी तीन भेद हैं—१. पुण्यभूत जीवदया, २ जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप जीवदया और ३ इस निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारणभूत व्यवहारधर्मरूप जीवदया। इन तीन रूपोंको पूर्वपक्ष तो मानता है किन्तु उनमेंसे उत्तरपक्ष केवल पुण्यभूत जीवदयाको मान्य करता है, धर्मरूप जीवदयाको मान्य नहीं करता है इतना ही नहीं, वह पूर्वपक्षकी धर्मरूप जीवदयाकी मान्यताको मिथ्यात्व कहता है। इसी बातको लक्ष्य करके उपर्युक्त तृतीय प्रश्न उपस्थित किया गया।^२

इस परिप्रेक्ष्यमें विद्वान् समीक्षकका कहना है कि जिस प्रकार जीवदयाको पुण्य मानना मिथ्यात्व नहीं है उसी प्रकार उसे जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें व इस निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारणभूत व्यवहारधर्मके रूपमें धर्म मानना भी मिथ्यात्व नहीं है। पुण्यभूत जीवदया व्यवहारधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारण होती है तथा इस आधारपर ही आगममें पुण्यभूत जीवदयाको परम्परा मोक्षका कारण माना गया है। वास्तवमें तो पुण्यभावरूप जीवदया शुभप्रवृत्तिरूप होनेसे कर्मके आसव और बन्धका ही कारण होती है और पूर्वपक्ष भी ऐसा ही स्वीकार करता है।^३ इससे सिद्ध है कि पूर्वपक्ष पुण्यभावरूप जीवदयाको उस प्रकार मोक्षका कारण नहीं मानता जिस प्रकार व्यवहारधर्मरूप जीवदया मोक्षका कारण होती है। पूर्वपक्ष जीवदयाको पुण्यरूप भी मानता है, जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप भी मानता है और निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारणभूत व्यवहारधर्मरूप भी मानता है तथा अपनी इस मान्यताकी पुष्टिके लिए ही उसने आगमप्रमाणोंको उपस्थित किया है।^४

उत्तरपक्षने तत्त्वचर्चा पृष्ठ मध्या १२५ से १२८ तकका विवेचन जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमन-स्वरूप अशुभसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप व्यवहारधर्म तथा भाववर्ती शक्तिके परिणमनस्वरूप आत्माके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके स्वरूप भेदको नहीं समझकर ही किया है। फलत उत्तरपक्षको वहाँ स्वयंके द्वारा उपस्थित और पूर्वपक्ष द्वारा उपस्थित आगम प्रमाणोंका अर्थ करनेमें बहुत सीघातानी करनी पड़ी है।^५

प्रश्नोत्तर ४ और उसको समीक्षा

पूर्वपक्ष—व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साक्षक है या नहीं ?

१. तत्त्वचर्चा, पृष्ठ ९३।
२. ...समीक्षा, भाग १, पृ० २४९।
३. वही, पृ० २५२।
४. वही, पृ० २५८।
५. ज० तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा, पृ० २७२।

उत्तरपक्ष—निश्चयरत्नत्रयस्वरूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिकी अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक नहीं है, क्योंकि निश्चयधर्मकी उत्पत्ति परनिरपेक्ष होती है। ज्ञाने उत्तरपक्षने नियमसारकी गाथा सं० १३, १४ एवं २८ का प्रमाण देते हुए कहा कि यत् निश्चयरत्नत्रय स्वभावपर्याय है, अतः उसकी उत्पत्तिका साधक व्यवहारधर्म नहीं हो सकता। तथापि शत्रुघ्न मुकुटस्थानसे लेकर सविकल्प ब्रह्मसे व्यवहारधर्म निश्चयधर्मके साथ रहता है, अतः व्यवहारधर्म निश्चयधर्मका सहचर होनेके कारण साधक (निमित्त) कहा जाता है।^१

समीक्षा—उत्तरपक्षके इस समाधानपर पूर्वपक्षका कहना है कि चूंकि स्वभावपर्याय परनिरपेक्ष है और इस तरह निश्चयधर्म जब परनिरपेक्ष सिद्ध होता है तो इसे व्यवहारधर्म साधक कैसे माना जा सकता है? पूर्वपक्षने आगमप्रमाणोंके आधारपर व्यवहारधर्मको निश्चयधर्मका साधक स्वीकार किया है। उत्तरपक्षने निश्चयधर्मकी उत्पत्ति परनिरपेक्ष होती है—इसकी पुष्टिके लिए नियमसारकी जिन गाथाओंको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है इनके आधारपर उनकी मान्यता सिद्ध नहीं होती। क्योंकि ये गाथायें उपयोगप्रकरणकी हैं। इन गाथाओंके आधारपर केवलदर्शनोपयोगको इन्द्रियरहित और असहाय होनेसे स्वभावरूप और शेष सभी दर्शनोपयोगोंको इन्द्रियसहित और समहाय होनेसे विभावरूप बतलाना तो श्रेय है, परन्तु दर्शनोपयोगको स्वभावरूपताके आधारपर परनिरपेक्ष बतलाना ठीक नहीं है और इस तरह निश्चयधर्मकी उत्पत्तिकी उसकी स्वभावरूपताके आधारपर परनिरपेक्ष स्वीकार कर उसमें व्यवहारधर्मके साथ साम्य-साधकभावका निषेध करना ठीक नहीं है।

जबतक जीव स्वभावकी ओर अप्रसर नहीं होता, तबतक उसे व्यवहारधर्मके पालनमें भी सजग रहना आवश्यक है। जीव स्वभावमें स्थिर तभी होता है जब वह उसके अनुकूल पुरुषार्थ करता है। जीव स्वभावकी ओर अप्रसर न होनेके कालमें भी यदि व्यवहारधर्मकी अपेक्षा करता है तो वह स्वभावमें तो स्थिर होगा नहीं, साथ ही व्यवहारधर्ममें व्युत्त होकर अपने अन्त-मसारकी ही वृद्धि करेगा।^२

इस तरह विद्वान् समीक्षकने अनेक प्रमाणों द्वारा उत्तरपक्षके समाधानकी विस्तृत समीक्षा लगभग ३७ पृष्ठोंमें की है, जो तत्त्व-विज्ञानुओंको अवश्य पढ़ने योग्य है। यद्यपि विद्वानोंको प्रायः अपनी-अपनी मान्यताओंका ब्यामोह होता है। किन्तु निःस्वार्थभावसे आगमोंका आलोचन करके विद्वानों द्वारा जो 'नवनीत'के रूपमें तत्त्व-विमर्श किया जाता है, वही प्रत्येक तत्त्वविज्ञानु द्वारा प्राप्त है।

वस्तुतः जिस समय समाजमें सिद्धान्त और भावनाके बीच एक दरार पड़ रही हो उस समय इस तरहकी प्रशस्त तत्त्वचर्चाओंका अपना ऐतिहासिक महत्त्व हो जाता है। आरम्भमें इस तत्त्वचर्चाका मूल वीतरागभाव स्वीकार भी किया गया है। किन्तु लगता है कि वह वीतरागकथा विजिगीषुकथाकी ओर मुड़ गयी। जैसा कि उसके परिणामसे विदित है। यद्यपि भले ही इन चर्चाओंकी मूल भावना न समझकर आप्रह्वय नेतृवर्ग अपना-अपना राग आलापते रहें, किन्तु तटस्थवृत्ति वाले लोग ऐसे आयोजनोंका महत्त्व समझते हैं। प्रस्तुत समीक्षाग्रन्थके लेखक विद्वान् चूंकि इस तत्त्वचर्चामें पूर्वपक्षकी ओरसे प्रमुख प्रतिनिधि थे, अतः इसकी समीक्षाके सर्वाधिक अधिकारी भी वही थे और इस दायित्वका निर्वहण उन्होंने पूरी निष्ठाके साथ किया है।

१. जयपुर तत्त्वचर्चा, पृष्ठ १२९।

२. जयपुर तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा, पृ० २८३-२८४।

इस ग्रन्थके सुयोग्य सम्पादक श्रद्धेय आदरणीय डॉ० कोटियाजीने इसके सुन्दर सम्पादनमें काफ़ी परिश्रम किया है। यदि अनेक स्थानोंपर भावों, सिद्धान्तों एवं चर्चाओं आदिकी पुनरावृत्तिसे बचा जाता, तो और सौन्दर्य आ जाता।

इस ग्रन्थकी विशेषता है कि विद्वान् समीक्षकने मूल समीक्ष्य ग्रन्थ अर्थात् “जयपुर खानिया तत्त्व-चर्चा” को भी इस समीक्षा-ग्रन्थके साथ प्रकाशित किया है, ताकि तटस्थ जिज्ञासु निष्पक्षभावसे मूल असका भी अध्ययन कर यथार्थता ग्रहण कर सकें।

मूल ग्रन्थमें जहाँ शंकापक्षको “अपरपक्ष” नामसे प्रस्तुत किया गया है, वहाँ इस समीक्षा-ग्रन्थमें इसे ‘पूर्वपक्ष’ और समाधानपक्षको ‘उत्तरपक्ष’ नामसे प्रस्तुत करके प्राचीन न्यायशास्त्रकी परम्पराके गौरवकी पुनः प्रतिष्ठा की गयी है। पर तत्त्वचर्चा अपने मूल उद्देश्य—बीतरामचर्चासे भटककर विचिणीपुचर्चा बन गयी। अस्तु।

मुझे स्मरण है, जब मैं कटनीकी जैन शिक्षा-मंस्थानमें अध्ययन कर रहा था, उस समय सन् १९६४-६५ के लगभग श्रद्धेय गुरुवर्य पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री, आदरणीय पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकी सहयोग देने हेतु उनके समीक्ष्य मूलग्रन्थ जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चाकी कुछ विषय-सामग्रीका सकलन कर रहे थे, उनकी आज्ञानुसार उनके निवासपर प्रातः साफ़ प्रतिलिपि करने हेतु जाता था। अतः उस पुस्तकपर लिखे गये इस समीक्षा-ग्रन्थका मूल्यांकन (समीक्षात्मक अनुशीलन) लिखना, मेरे लिए प्रसन्नताका विषय है। मैं पुनः समीक्षक विद्वान्को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने सैद्धान्तिक मतभेदोंकी समीक्षा शालीनतापूर्वक उच्च-समीक्षा-ग्रन्थ द्वारा करके एक स्वस्थ परम्पराका निर्वाह किया और साथ ही साथ तत्त्व-जिज्ञासुओंको लाभान्वित किया है। ●



भाग्य और पुरुषार्थ : एक नया अनुचिन्तन : समीक्षात्मक अध्ययन

● डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल, निदेशक महावीर-ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

भाग्य और पुरुषार्थ विषयपर विद्यार्थी अवस्थामें हम लोग वाद-विवाद किया करते थे। एक बक्ता भाग्यकी बकालात करता और कहता कि "सकल पदारथ हूँ जग माही भाग्यहीन नर पावत नाही।" दूसरी ओरसे पुरुषार्थका समर्थन करने वाला कहता कि 'उद्योगिनं पुरुषनिहमुपैति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति' और पुरुषार्थ करनेको ही एकमात्र सफलताकी कुंजी बतलाता। वर्तमानमें यद्यपि ये विषय 'आउट ऑफ डेट' माने जाने लगे हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी भाग्य और पुरुषार्थपर वाद-विवाद छिड़ ही जाता है।

पं० बंशीचरजी व्याकरणार्थकी लघुपुस्तक "भाग्य और पुरुषार्थ. एक नया अनुचिन्तन" है। इसपर समीक्षात्मक लेख लिखनेके लिए डॉ० कोटिया साहबका पत्र मिला, तो मैंने समझा कि पुस्तकमें वही लकीर पीटने जैसी बात होगी और लेखकने भाग्य और पुरुषार्थमेंसे किसी एकका समर्थन किया होगा। लेकिन जब पुस्तक देखी और पढ़ी तो वह हमारे अनुमानसे एकदम विपरीत मिली तथा लेखकके भाग्य और पुरुषार्थपर उनके चिन्तनशील विचारोंको पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। पंडितजीने भाग्य और पुरुषार्थपर अपना एक नया चिन्तन किया है और उनके वर्णनके शूढ तत्त्वोंको इसमें उडेल दिया है।

पुस्तकमें भाग्यका लक्षण देते हुए लिखा है कि सामान्यरूपसे जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और कालरूप सभी पदार्थोंमें अपनी योग्यताके बलपर प्राकृतिक ढंगसे जो प्राप्त होता है उसे भाग्य कहते हैं। और जीवद्वारा अपने आध्यात्मिक और लौकिक जीवनमें पौद्गलिक मन, वचन और कायके अवलम्बनपूर्वक जो प्रयत्न किया जाता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पंडितजीने भाग्य शब्दका आगे चलकर और भी स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने लिखा है कि भाग्यका अर्थ वह वैभाविक शक्ति है जो सभी जीवोंमें तथा कर्मवर्गणा और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गलोमें सम्भवत पायी जाती है और उस वैभाविक शक्तिके आधारपर होनेवाली वैभाविक पर्यायों ही भाग्यका रूप होती है।

लेखकने पुरुषार्थको दो भागोंमें विभाजित किया है। एक शुभ पुरुषार्थ और दूसरा अशुभ पुरुषार्थ। शुभ पुरुषार्थ पुण्यकर्मोंके उदयमें किया जाता है अर्थात् पुण्यार्जनके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह शुभ पुरुषार्थ है तथा पापकर्मोंके उदयमें जो कुछ किया जाता है वह अशुभ पुरुषार्थ कहलाता है। जिन पाप-कार्योंसे जीवको दुर्गति मिलती है, कष्ट मिलता है, वेदना सहनी पड़ती है वह सब जीवके अशुभ पुरुषार्थका ही फल है। वह जीव अपने वर्तमान शुभ और अशुभ पुरुषार्थके बलपर आगामी कर्मों और नोकर्मोंका बन्ध करता है। इस प्रकार प्रत्येक जीवमें, कर्मवर्गणा और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गलोमें विभाव परिणामन होनेकी यह प्रक्रिया अनाधिकालसे चल रही है।

पंडितजीका भाग्य-पुरुषार्थपर लिखनेका उद्देश्य यह है कि जीव किस प्रकार अपने पुरुषार्थके बलपर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और अपने इस कथनको पूर्णत सत्य सिद्ध करनेके लिए उसमें विभिन्न पक्षोंका आश्रय लिया है। लेखकने पुरुषार्थके चार भेद बतलाते हुए कहा है कि प्रथम पुरुषार्थ जीवों द्वारा सकल्पी पाप या मिथ्याचारित्ररूप अशुभ प्रवृत्तिके रूपमें किया जाता है। द्वितीय पुरुषार्थ जीवों द्वारा वारम्भी पाप या अविरतरूप अशुभ प्रवृत्तिके रूपमें किया जाता है। तृतीय पुरुषार्थ जीवों द्वारा अशुभप्रवृत्तिके एकदेशत्याग—देवाविरत ब्रह्मचा पुण्यरूप प्रवृत्तिके रूपमें किया जाता है और चतुर्थ पुरुषार्थ जीवों द्वारा अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक

होनेवाली शुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहार धर्मके रूपमें किया जाता है। पुरुषार्थ करनेकी यह प्रक्रिया एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय संगी तकके सभी जीवोंमें अनादिकालसे ब्याप्तसम्भव रूपमें होती चली आ रही है।

पुस्तकमें आगे गुणस्थानोंकी विस्तृत चर्चा की है तथा कहा है कि तिर्यक्चरगतिकी अपेक्षा उसमें आदिके पाँच गुणस्थान सम्भव है तथा अनुष्यगगतिकी अपेक्षा उसमें प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्दश गुणस्थान तक सभी गुणस्थान सम्भव है। इस प्रकार पंडितजीने भाग्य और पुरुषार्थके वर्णनमें गुणस्थानोंकी जो चर्चा की है वह वास्तवमें पंडितजीके गहन अध्ययनका सुपरिणाम है। पंडितजीकी दृष्टि बहुत पैनी है, इसलिए विषयका विवेचन बहुत गम्भीर एवं गहन है।

लेकिन पुस्तककी भाषा सरल होते हुए भी पंडितजीने अपने विवेचनमें लम्बे-लम्बे वाक्योंका प्रयोग किया है जिससे पाठक उनमें उलझ जाता है और लेखक क्या बात कह रहा है उसे ससन्न पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। पुस्तकमें पहले विषयको तीन विवेचनोंके माध्यमसे रखा गया है और फिर उन तीन विवेचनोंके तीन स्पष्टीकरण दिये गये हैं। इस प्रकार छह प्रकरण और अन्तमें एक परिशिष्ट जोड़कर पुस्तकके विषयको तत्त्वचर्चके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक पूर्णतः पठनीय है तथा वह पाठकको नई विद्या देने वाली है।

प्रस्तुत पुस्तक वीरसेवामन्दिर ट्रस्ट-प्रकाशनकी ओरसे सन् १९८५में प्रकाशित हुई थी। इस ट्रस्टके संस्थापक आचार्य जुगलकिशोरजी मुख्तार थे तथा ट्रस्टके मम्पादक एवं नियामक जैन जगतके विद्वान् डॉ० दरबारीलालजी कोठिया हैं। इस ट्रस्टकी ओरसे अब तक प्रस्तुत पुस्तक सहित ३८ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत पुस्तक ५४ पृष्ठोंमें पूर्ण होती है तथा उसकी कीमत चार रुपये रखी गयी है। पुस्तक-प्राप्तिका स्थान—वीरसेवामन्दिरट्रस्ट प्रकाशन, बी-३२/१३ बी०, नरिया, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ है।



पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी :

एक समीक्षा

डा० सुवर्षान काल जैन, रीडर-संस्कृत विभाग, का० हि० वि० वि० वाराणसी

सिद्धान्ताचार्य पण्डित बंशोधर व्याकरणाचार्य द्वारा रचित प्रस्तुत लघुकाय ग्रन्थ विषयकी दृष्टिसे बहुत गम्भीर है। आपकी अन्य रचनायें भी गम्भीर विषयोंका ही प्रतिपादन करती हैं।

द्रव्यस्वरूप और पर्यायोंकी द्विविधता

जैनदर्शनके अनुसार द्रव्यका स्वरूप द्वे 'सत्' और 'सत्' उसे कहते हैं जो उत्पत्ति और विनाशरूप पर्यायोंके होते रहनेपर भी ध्रुव (नित्य) बना रहे।^१ इसी अर्थका पोषक द्रव्यका दूसरा लक्षण भी किया गया है। वह है—'जिसमें गुण और पर्यायें हो वह द्रव्य है।'^२ इन दोनों लक्षणोंमें भेद नहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

प्रत्येक द्रव्यमें स्वाभाविक रूपसे स्वतःसिद्ध अनन्त गुण रहते हैं तथा प्रत्येक द्रव्यमें द्रव्यपर्यायें और प्रत्येक गुणमें गुणपर्यायें रहती हैं। इस तरह पर्यायें दो तरहकी होती हैं—(१) द्रव्यपर्यायें और (२) गुणपर्यायें। चूँकि गुण द्रव्यके स्वतःसिद्ध स्वभाव हैं। अतः गुण भी 'सत्' कहलाने हैं। प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुणमें हमेशा उत्पाद्-व्ययकी प्रक्रिया चालू रहती है। द्रव्य और गुणकी स्व-स्व उत्तरपर्यायिकी उत्पत्तिका नाम है 'उत्पाद्' और उनकी स्व-स्व पूर्वपर्यायिकी विनाशका नाम है 'व्यय'। पर्यायोंके बदलनेपर भी द्रव्य अपनी द्रव्य-ताको और गुण अपनी गुणरूपताको कभी नहीं छोड़ते हैं। अन वे नित्य हैं, ध्रुव हैं।

स्पष्टीकरण

छद्म द्रव्योंमें धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन चार शुद्ध द्रव्योंकी पर्यायें स्वप्रत्यय, जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। शुद्ध जीव (मुक्त) और शुद्ध पुद्गल (परमाणु) में स्वप्रत्यय तथा शेष जीव-पुद्गलोमें स्वपरप्रत्यय पर्यायें होती हैं। तथा षट्गुणहानि-वृद्धिरूप गुणपर्यायोंको छोड़कर शेष सभी गुणपर्यायें भी स्व-परप्रत्यय होनी हैं। षट्गुणहानि-वृद्धिरूप गुणपर्यायें स्वप्रत्यय ही होती हैं। जो पर्याय निमित्तकारणभूत बाह्यसामग्रीकी सहायताके बिना ही मात्र उपादानकारणजन्य हो वह स्वप्रत्ययपर्यायें हैं। जो पर्याय निमित्तकारणभूत बाह्यसामग्रीकी सहायतापूर्वक उपादानकारणजन्य हो वह स्व-परप्रत्यय पर्यायें हैं। स्वप्रत्यय पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं और स्व-परप्रत्यय पर्यायें क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध दोनों रूप होनी हैं यही सिद्ध करना इस पुस्तकके लिखनेका उद्देश्य है।

क्रमबद्ध-अक्रमबद्धका अर्थ तथा विवाद-स्थल

क्रमबद्धताका अर्थ है पर्यायोंका नियतक्रमसे उत्पन्न होना और अक्रमबद्धताका अर्थ है पर्यायोंका अनियतक्रमसे उत्पन्न होना। यहाँ इतना विशेष है कि एकजातीय दो आदि अनेक पर्यायें कदापि युगपत् एक ही समयमें उत्पन्न नहीं होगी, अपितु एक जातीय पर्यायें एकके पश्चात् एकरूप क्रमसे ही उत्पन्न होती हैं। इसमें किमीको भी विवाद नहीं है। विवादका स्थल है स्व-पर प्रत्यय पर्यायोंको बाह्यनिमित्तकारण सपेक्षताके आधारपर अक्रमबद्ध माना जाए या नहीं। स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिके सन्दर्भमें मुख्य दो मत हैं—

(१) पुरातन सिद्धान्तवाची—ज्ञप्ति की अपेक्षा स्व-परप्रत्यय पर्यायें क्रमबद्ध होनेपर भी उत्पत्तिकी अपेक्षा

१. सद् द्रव्यलक्षणम् । उत्पाद्ध्ययप्रौढ्ययुक्तं सत् ।—तत्त्वार्थसूत्र ५-२९-३० ।

२. गुणपर्यायवद्द्रव्यम् । तत्त्वार्थसूत्र ५-३८ ।

क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध दोनों होती हैं। (२) सोनगढ़ सिद्धान्तवादी—उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों अपेक्षाओंसे स्व-परप्रत्यय पर्यायों क्रमबद्ध ही होती हैं, अक्रमबद्ध नहीं।

सोनगढ़ सिद्धान्तवादियोंका पूर्वपक्ष

सोनगढ़ सिद्धान्तवादियोंके पास अपनी मान्यताको बल देनेवाले मुख्यरूपसे दो तर्क हैं—

(१) आत्मस्थिति टीकाका क्रमनियमित शब्द—समयसारके सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारकी ३०८-११ तककी गाथाओंकी आत्मस्थिति टीकामें आया है—“जीवो हि तावत् क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः।” यहाँ आए ‘क्रमनियमित’ शब्दकी व्याख्या करते हुए डॉ० हुकुमचन्द्र भारिल्लने अपनी पुस्तक ‘क्रमबद्धपर्याय’ पृष्ठ १२३ पर लिखा है—क्रम = क्रमशः तथा नियमित = निश्चित। अर्थात् जिस समय जो पर्याय आनेवाली है वही आएगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इससे पुरुषार्थका निषेध और निश्चित भाग्यवादकी पुष्टि होती है। इसका यह भी तात्पर्य है कि सभी स्व-परप्रत्यय पर्यायों भी पूर्वनिश्चितक्रमानुसार होनेसे क्रमबद्ध है।

(२) केवलज्ञानका विषय होना—सर्वज्ञके केवलज्ञानमें प्रतिसमय युगपत् सम्पूर्ण द्रव्योंकी त्रैकालिक सभी स्व-परप्रत्यय पर्यायों प्रतिभासित होती है। अतः स्व-परप्रत्यय पर्यायोंको भी क्रमबद्ध हो मानना चाहिए अन्यथा अक्रमबद्ध (अनियतक्रम) होनेपर उन स्व-परप्रत्यय पर्यायोंका केवलज्ञानमें प्रतिसमय युगपत् क्रमबद्ध प्रतिभासित होना असंभव है।

ये दो ही मुख्य तर्क हैं जिनके आधारपर स्व-परप्रत्यय पर्यायोंको क्रमबद्ध सिद्ध किया जाता है।

पुरातन सिद्धान्तवादियोंका उत्तरपक्ष—

(१) ‘क्रमनियमित’का मही अर्थ—आत्मस्थिति टीकाके ‘क्रमनियमित’ शब्दका अर्थ ‘क्रमवर्ती समयके साथ नियमित (बद्ध)’ यह सोनगढ़ी अर्थ ठीक नहीं है अपितु ‘एक जातीय स्व-पर प्रत्यय पर्यायों एकके पश्चात् एकरूप क्रममें नियमित (बद्ध)’ यह अर्थ उचित है।

(२) उत्पत्ति और ज्ञप्तिका भेद—यह निर्विवाद मत्य है कि सर्वज्ञके केवलज्ञानमें त्रैकालिक स्व-परप्रत्यय पर्यायों युगपत् एक ही समयमें क्रमबद्ध ही प्रतिभासित होती है परन्तु इस आधारपर उन पर्यायोंकी उत्पत्तिको भी क्रमबद्ध मानना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि उन त्रैकालिक पर्यायोंका केवलज्ञानमें युगपत् एक ही समयमें क्रमबद्ध प्रतिभासित होना अन्य बात है तथा उनकी उपादान, प्रेरक तथा उदासीन निमित्तकारणोंकी यथा प्राक्तिके बलसे यथासंभव क्रमबद्ध या अक्रमबद्ध रूपमें उत्पन्न होना अन्य बात है। अतः उत्पत्तिकी अपेक्षा विचार करनेपर स्व-परप्रत्यय पर्यायों प्रेरक और उदासीन निमित्तकारण-सापेक्ष होनेसे क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध दोनों सिद्ध होती हैं। ज्ञप्तिकी अपेक्षा विचार करनेपर हम कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही और आगे उत्पन्न होनेवाली उन पर्यायोंका प्रतिभासन केवलज्ञानमें युगपत् एक ही समयमें क्रमबद्ध रूपमें होता है। पर्यायोंकी उत्पत्तिका निश्चय श्रुतज्ञानके आधारपर संभव है, केवलज्ञानके विषय-आधार पर नहीं।^१

दोनों सिद्धान्तोंमें भेदका हेतु

पुरातन सिद्धान्तवादी स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिमें देश और कालको महत्त्व न देकर उपादान-

कारणभूत बाह्यसामग्रीको महत्त्व देते हैं। परन्तु सोनगढी स्व-परप्रत्यय पर्यायीकी उत्पत्तिमें उपादानकारणभूत अन्तरंग सामग्रीको महत्त्व देते हुए भी निमित्तकारणभूत बाह्यसामग्रीको महत्त्व न देकर उस देश और कालको महत्त्व देते हैं जहाँ और जिस कालमें पर्यायीकी उत्पत्ति हुई थी, हो रही है या होगी। अर्थात् देश-कालको नियामक मानते हैं। परन्तु पुरातन मिडान्ती देश-कालको कार्योत्पत्तिमें उपयोगी नहीं मानते हैं। कार्यकारण-भाव अन्वय-व्यतिरेकके आधारपर उपादान और निमित्तसामग्रीके साथ ही मानते हैं। यही दोनोमें भेदका हेतु है।^१

केवलज्ञानकी विषय-मर्यादा^२

इसके अतिरिक्त पूर्ण आधिक केवलज्ञानमें संयुक्त या बद्ध पदार्थोंका प्रतिभासन संयुक्त या बद्धदशामें संयुक्त या बद्ध रूपसे न होकर पृथक्-पृथक् रूपसे होता है परन्तु मति, अवधि और मन पर्ययज्ञानोमें बद्ध पदार्थोंका ज्ञान बद्धरूपसे ही होता है। अतः सभी जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध होते हुए भी जब केवल-ज्ञानमें सत्त्वं अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता या पर्यायरूपता-सहित पृथक्-पृथक् ही प्रतिभासित हो रहे हैं तो उस स्थितिमें उन पदार्थोंकी संयुक्तदशाका एव जीव-पुद्गलकी बद्धदशाका प्रतिभासन केवलज्ञानमें नहीं हो सकता है। केवलज्ञानमें जब प्रतिक्षण पदार्थोंकी पृथक्-पृथक् रूपताका प्रतिभासन हो रहा है तो उनकी अवास्तविक दशाका प्रतिभासन सम्भव नहीं। अतः केवलज्ञानके प्रतिभासन हेतुसे 'स्व-परप्रत्यय पर्यायीकी क्रमबद्धतामात्र सिद्ध नहीं होती है।' यह केवलज्ञानकी विषय-मर्यादा कहाँ तक आगमोचित है—'इसका पं० श्यामसुन्दरलाल शास्त्रीने अपने प्राक्कथन (पृ० २) में संकेत किया है। वस्तुतः केवलज्ञानकी विषय-मर्यादाके मंदर्ममें विद्वान् लेखकने जो अपना पक्ष दिया है वह विद्वानोंके लिए अधिक विचारणीय है।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि जिनके क्रोध कषायका उदय चल रहा है वही चलते रहना चाहिए, क्योंकि सोनगढ़ सिद्धान्तमें पर्यायीकी क्रमबद्धता है। किन्तु देखा जाना है कि निमित्त मिलने ही उस व्यक्तिके क्रोधकषाय रुककर क्षमाकी धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे स्पष्ट है कि पर्यायि क्रमबद्ध भी है और अक्रमबद्ध भी है। निमित्तको अकिञ्चित्कर नहीं कहा जा सकता और न प्रत्यक्ष दृष्टका अपलाप किया जा सकता है। अग्नि जल रही है और पानी डालते ही वह बुझ जाती है। स्पष्ट है उसका क्रमबद्ध परिणमन रुककर अक्रमबद्ध परिणमन (विज्ञानीय शान्त परिणमन) हो जाता है। अग्निके दाहपरिणामसे विजातीय अदाह परिणाम होने लगता है। यह निमित्तभूत जलका ही प्रभाव है। फिर कैसे वह अकिञ्चित्कर है ? और कहाँ पर्यायि क्रमबद्ध रही ?

इस तरह सूक्ष्मवर्षी विद्वान्ने, जो न केवल वैयाकरण ही हैं अपितु एक अच्छे आगमज्ञ और दार्शनिक भी हैं, युक्ति और आगमके द्वारा पर्यायीकी क्रमबद्धता और अक्रमबद्धताको सिद्ध किया है। ऐसा मानना ही अनेकान्तमिद्वान्तके अनुकूल है। इसके अतिरिक्त विद्वान् लेखकने प्रसङ्गानुकूल पुद्गलको आवश्यक सूक्ष्म विवेचन भी प्रस्तुत पुस्तकमें किया है।^३

१. मूलग्रन्थ, पृ० ७-९

२. वही, पृ० २४-३१, ३५।

३. वही, पृ० ३१-३४।

पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी :

एक अध्ययन

● पं० विजयकुमार जैन-साहित्य-दर्शनाचार्य, श्रीमहावीरजी

जैन आगम-ग्रन्थोपर सौनगढी विचारधाराको धोपनेके बाद एक नया आन्दोलन और चल पडा है। इस विचारधाराके अनुसार वस्तुतत्त्वको एकान्तदृष्टिसे समझा-ममझाया जाता है। पर एकान्तदृष्टिसे वस्तुका सम्यग् विवेचन नहीं होता। सम्यग् विवेचनके अभावमें गृहीत तत्त्व तो मिथ्या होता ही है, हमारी दृष्टि भी मिथ्या हो जाती है।

सौनगढ विचारधारा वस्तुत्पत्ति या द्रव्यपरिणमनमें निमित्त और उपादान दोनों कारणोंमेंसे उपादानकारणको ही कारण मानती है। निमित्तको तो वह अकिञ्चित्कर स्वीकार करती है। वह तो उपस्थित मात्र रहता है, ऐसा उसका कथन है। इसी तरह वह पर्यायोंको क्रमनियमित मानकर निर्यातवादको अङ्गीकार करता है। आचार्यत्परम्पराके अनुसार परिणमनमें दोनों कारणोंका सम महकार है, जैसा कि समन्तभद्र स्वामी कहते हैं। बाह्योत्पत्तिपरिणमनप्रत्येय कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभावः।

अर्थात् बाह्य-निमित्त और इतर-अन्तरङ्ग कारणोंकी ममपतासे ही कार्य होता है, यही द्रव्यका अपना स्वभाव है।

सौनगढविचारधाराके पुष्ट करने हेतु डॉ० हुकुमचन्द्रजी भारिल्लने 'क्रमबद्ध पर्याय' पुस्तक लिखी, जिसमें पर्यायोंको एकान्तत क्रमनियमित मानकर नियतिवादको पुष्ट किया गया है। जैन दर्शन और जैन न्यायके स्थानिप्राप्त विद्वान् स्व० डॉ० पण्डित महेन्द्र कुमारजी न्यायाचार्यने अपने 'जैनदर्शन' ग्रन्थमें सौनगढकी इस एकान्त विचारधाराका विविध तर्कोंमें विशदरूपमें स्पष्टन किया है। जैन मनीषी पं० बशीधरजी व्याकरणाचार्यने भी इस लघु पुस्तकमें संबंध पर्यायोंकी क्रमबद्धताको अंगत और जैन तत्त्वदृष्टिसे विपरीत बताने हुए बहुत स्पष्ट रूपमें बताया है कि पर्यायें क्रमबद्ध ही नहीं, अक्रमबद्ध भी होती हैं।

सर्वप्रथम उमास्वामी महागजके 'गुणपर्यायवद्द्रव्यम्' (त० मू० ५-२८) का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए—(१) द्रव्यपर्याय (२) गुणपर्यायके रूपमें दो प्रकारकी पर्यायें बतायी हैं।

दूसरे अनुच्छेदमें सूत्रकारके 'सद्द्रव्यलक्षणम्' (त० मू० ५-३०) सूत्र पर विचार करते हुए द्रव्य तथा द्रव्यके स्वभावभूत-गुणोंको 'मन्' स्पष्ट किया है। अनन्तर इमी अनुच्छेदमें बताया है कि द्रव्यमें ही नहीं, गुणोंमें भी प्रतिसमय उत्पाद-व्यय चल रहा है। माध ही उत्पाद और व्ययकी व्याख्या भी स्पष्ट की गई है। आगे पर्यायोंको दूसरे प्रकारसे द्विरूप बताया गया है। (१) स्वप्रत्यय (२) स्व-परप्रत्यय। जो पर्यायें निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीके बिना ही उपादानकारणजन्य हैं वे स्वप्रत्यय व जो पर्याय निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीकी सहायतापूर्वक उपादानकारणजन्य हैं वे स्वपरप्रत्यय पर्यायें हैं।

इन द्विविध पर्यायोंकी पुष्टिके लिये ममयसारेके सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकारकी गाथा ३०८-३११, ३१२, ३१३, सर्वार्थसिद्धि व नियमसारादिके प्रमाण दिये हैं।

आगे बताया गया है कि निमित्त (१) प्रेरक और (२) अप्रेरक (उदासीन) दो प्रकारके होते हैं। प्रेरक निमित्त वे हैं जिनके साथ कार्यको अन्वय-व्यतिरेक व्याप्तियाँ हो तथा उदासीन निमित्त वे हैं जिनकी कार्यके साथ अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियाँ हों। श्री व्याकरणाचार्यजीने बताया है कि प्रेरक निमित्तोंके बलसे कार्य आगे पीछे भी किया जा सकता है। तथा अनुकूल उदासीन निमित्तोंका भी यदि उपादानको सहयोग प्राप्त न हो तो उस उपादानकी विवक्षित कार्यरूप परिणति नहीं हो सकती है। जैसे—उपादानरूप शिष्यकी पठनक्रिया निमित्तकारण (प्रेरक) भूत अध्यापक और अप्रेरक प्रकाश आदि निमित्तोंकी महायताके बिना नहीं हो सकती है।

(२) प्रेरक निमित्तकारणभूत इञ्जन और अप्रेरक रेलपटरूप निमित्तोंके बिना रेल नहीं चल सकती।

(३) प्रेरक निमित्तकारणभूत कुम्भकार एवं अन्य विविध दृष्टादि प्रेरक और उदासीनभूत कीली आदि अप्रेरक निमित्त कारणोकी महायतासे ही उपादानकारणभूत मिट्टी स्थास, कोश, कुबुल व षट पर्यावरण परिणत होती है ।

इस प्रकार स्व-प्रत्यय पर्यायिं नियत क्रमबद्ध और अनियत क्रमबद्ध भी होती है ।

यद्यपि आज्ञाफलका परिपाक अपने समय पर होता है, पर क्रमि उन्मासे उन्हें समयके पूर्व पकाया जा सकता है । वहाँ परिपाकरूप परिणमन अक्रमबद्ध ही होगा ।

जीवका मरण उनकी निश्चित आयु पर ही होगा, पर विषयान, शास्त्राघात, अग्निदाह, अकस्मात् दुर्घटना आदि वक्ष पहले भी अर्थात् अक्रमबद्ध समयपूर्व भी देखा जाता है ।

मोनगडसिद्धान्तवादी केवलज्ञान-विषयतापर ही पर्यायोका परिणमन मानते हैं पर उन्हें हम केवल-ज्ञानविषयतापर स्वयं विश्वास नहीं है । अन्यथा ९० वर्ष जितनी लम्बी आयु भोग लेनेपर भी धीकानजी स्वामी अन्तिम समय मरणभयसे पीडित न होने और शान्तिपूर्वक सल्लेखनामरणकी उपेक्षा कर जसूलोक अरुपालमें बाल-बालमरणपूर्वक शरीर न छोड़ते । प्रत्युत जैनाग्रमानुसार संयमके सोपानपर चढ़ते ।

सोनगडकी विचारधारा भवितव्यतापर जोर देती है । पर भवितव्यताके अनुसार ही कार्य हो, तो बुद्धि, पुण्यार्थ और अन्य सहायक कारणोंके बिना भी कार्य हो जायगा । किन्तु ऐसा नहीं है । आचार्य समन्तभद्रस्वामीका वचन है—'अल्प्यशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुदयाविष्कृतकार्यसिगा'—कि भवितव्यता, बुद्धि, व्यवसाय एवं विविधकारणसामग्रोपर अवलम्बित है ।

'ज जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि'

इत्यादि कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गायामोका अभिप्राय अपने प्रयत्नमें अमफल लोगोंको साम्यभावसे स्थिर करना ही है ।

स्वपर-प्रत्यय पर्यायोके विषयमें उत्पत्ति और शक्तिका यह अन्तर सोनगडविचारधाराके पक्षधर पं० कूलचन्द्रजी शास्त्री वाराणसीने भी जैन तत्त्वमीमासा'में निम्न प्रकार स्वीकार किया है कि—

'यद्यपि हम यह मानते हैं कि केवलज्ञानको मत्र द्रव्यो और उनकी सब पर्यायोको जानने वाला मानकर भी क्रमबद्ध पर्यायोकी सिद्धि मात्र केवलज्ञानके आलम्बनसे न करके कार्य-कारणपरम्पराको ध्यानमें रखकर ही की जानी चाहिए ।'

इस प्रकार सोनगडसिद्धान्तवादी वर्गको कार्यकारणभावके आधारपर होनेवाली स्वपर-प्रत्यय पर्यायोकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध तथा अक्रमबद्ध तथा केवलज्ञानसे होनेवाली उनकी शक्तिको क्रमबद्ध मान्य करनेमें आचार्यपरम्पराके समान कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

केवलज्ञान ही क्यों, मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनपर्ययज्ञानमें भी शक्ति-अपेक्षा ऐसा क्रमबद्ध प्रतिभासन यथायोग्य होता है । उनका विश्लेषण तो श्रुतज्ञान ही कारणसामग्रीके आधारपर करता है । आक्षिप्त पाँचों ज्ञानोंमें केवल श्रुतज्ञान ही वितर्कात्मक है ।

अतावत् पदार्थोंके परिणमनमें केवलज्ञानकी विषयताको आधार न मानकर कार्यकारणभावको ही आधार मानना चाहिए, यही आग्रमपरम्परा है और तबनुसार पर्यायिं क्रमबद्ध भी होती है और अक्रमबद्ध भी । यही निष्कर्ष आदरणीय पण्डित व्याकरणाचार्यजीने इस प्रबन्धमें प्रस्तुत किया है । अनेकान्तमय आग्रम भी यही कहता है ।

व्याकरणाचार्यजीने तर्क और आग्रमके आधारपर इसमें गहन चिन्तन किया है तथा पर्यायोको क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध सिद्ध किया है ।



जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार : एक परिशीलन

● स्वस्ति श्री भट्टारक चावकीर्तिजी, मुम्बई

अनन्तघर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।
अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥

—समयसारकल्पा २

मेरे सामने जैन समाजके मुख्य मनीषी श्री पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्यकी कृति “जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार” है। वर्तमानमें समाजमें सर्वाधिक बर्चित विषय व्यवहार और निश्चय है। इस चर्चसे समाजमें विवेक व स्वाध्यायकी प्रवृत्ति ता जागृत हुई ही है, साथ ही जो व्यवहार और निश्चयसे सर्वथा अपरिचित थे वे भी इस ओर आकर्षित हुए हैं। अनेकान्तवादके महत्त्व व रहस्यसे (उभय नयोकी चर्चामें) भी अनेक लोग परिचित हुए हैं। इसका श्रेय सोनगढ धामके आध्यात्मिक सन्त आत्मार्षी सत्पुरुष श्री कानजी स्वामीकी है।

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि नय क्या है ? तत्त्वार्थवार्तिककारने लक्षणकी परिभाषा इस प्रकार दी है —

“व्यतिकीर्णवस्तुव्यावृत्तिहेतुलक्षणम् ।”

—अर्थात् परम्पर मम्मिलित वस्तुओंमेंसे किन्नी एक वस्तुको अलग करने वाले हेतु (चिह्न) को लक्षण कहते हैं।

नयकी परिभाषा इस प्रकार है —

“प्रमाणगृहीतार्थकवैज्ञान्याही प्रमातुरभिप्राय. नय”

—अर्थात् प्रमाणमें ज्ञात पदार्थके एक देश (अंश) को ग्रहण करनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायविशेषको नय कहते हैं। अथवा “ज्ञातुरभिप्राय नय” —ज्ञाताका अभिप्राय नय है। नयोके द्वारा ही वस्तुके अनेक गुणाशोंका विवेचन संभवनीय है। किसी प्रसंगविशेषका ज्ञान नय द्वारा ही हो सकता है। स्पष्ट है कि जितने प्रकारके वचन हैं उतने ही प्रकारके नय रहे जा सकते हैं।

वस्तुका ज्ञान प्रमाण और नयसे होता है। तथ्य यह है कि नयके द्वारा वस्तुके एकदेश और प्रमाणके द्वारा वस्तुके सर्वांशका ज्ञान होता है। वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है। ध्रौव्यके अभावमें उत्पाद-व्ययका अभाव है और उत्पाद-व्ययके अभावमें ध्रौव्यका अभाव है। वस्तुके द्रव्यत्वका बोध ध्रौव्यसे होता है व पर्यायत्वका बोध उत्पाद-व्ययसे होता है। वस्तु द्रव्य-पर्यायात्मक है। वस्तुके पूर्ण ज्ञानके लिए यह आवश्यक है कि उसका द्रव्यदृष्टि और पर्यायदृष्टिसे अवगाहन किया जाय। नयका कार्य एक दृष्टिसे उसके एक अंश (पक्ष) का ज्ञान प्राप्त करना है, जबकि उभयदृष्टिकोणसे उसके दोनों (पक्षों) का ज्ञान होता है। निरपेक्ष नयसे प्राप्त ज्ञान मिथ्या है और सम्पूज्ज्ञान बही है जो सापेक्ष नयसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ‘निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेजर्षकृत्’ ऐसा सिद्धान्त है। वस्तुतः वस्तुका यथार्थ बोध प्राप्त करनेके लिए उभय नयोका आश्रय परमावश्यक है। यद्यपि आत्मानुभव ‘नयातीत’ व ‘पक्षातीत’ है। उसे इन विकल्पोकी कोई आवश्यकता नहीं है—यह इनसे अतिक्रान्त है—उद्यपि अतिक्रमणकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए वस्तुका परिचय भी आवश्यक है।

अध्यात्मशास्त्रमें विशेष रूपसे निश्चय व व्यवहारनयका कथन पाया जाता है। प्रमुख रूपसे नयके ये ही दो भेद हैं। इन्हें द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नय भी कहते हैं। जो भेददृष्टि या खण्डदृष्टिको लेकर कथन करता है वह व्यवहारनय है और जो अभेद या अखण्डदृष्टिको लेकर कथन करता है वह निश्चयनय है। अभेदविधिसे जाननेवाले नयको निश्चयनय तथा भेदविधिसे जाननेवाले नयको व्यवहारनय कहा गया है। जिस प्रकार द्रव्याधिक व पर्यायाधिक नय श्रुतप्रमाणके अंश होनेसे मय्य है उसी प्रकार निश्चयनय और व्याहारनय भी श्रुतप्रमाणके अंश होनेसे सत्य है। वस्तुको द्रव्यकी प्रधानतासे जाननेवाला नय द्रव्याधिक नय है और वस्तुको पर्यायकी प्रधानतासे जाननेवाला नय पर्यायाधिक है। निश्चय यह कि वस्तुको अभेदविधिसे जाननेवाला-निश्चय-नय है और वस्तुको भेदविधिसे जाननेवाला व्यवहारनय है।

उभय नयोंके सम्बन्धमें कहा गया है —

“स्वाश्रितो निश्चय” तथा “पराश्रितो व्यवहार”

जिस समय व्यवहारनयसे कथन किया जाता है उस समय निश्चयनय गौण हो जाता है और जिस समय निश्चयनयसे कथन किया जाता है उस समय व्यवहारनय गौण हो जाता है। उभय नय अपनी-अपनी जगह मय्यक है। एक नय अपर नयको गौण भले ही कर ले, तथापि उसको समाप्त नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार सम्भव हो तो समस्त नय निरस्त होकर निरपेक्ष हो जाएंगे, तब नयोंका जो मापेक्षवाद सिद्धान्त है वह मिथ्या हो जाएगा। एक ही नयको विस्वस्त मान लेना या एक ही नयको आधार बना लेना एतन्त है और उभय नयोंको समक्षकर उभयरूपमें कथन करना स्याद्वाद है। स्याद्वादके द्वारा समस्त विवाद व कलह शान्त हो जाते हैं। वस्तुको सर्वथा एकान्त समझना मिथ्यात्व है। स्याद्वादके आश्रय द्वारा ही वस्तुमें निहित अनन्तधर्मोंका (विभिन्न नयोंसे) ज्ञान होता है। नय तो स्याद्वादके अज्ञोपाङ्ग है। नय न तो पूर्ण मय्य है और न असत्य है, अपितु सत्याण है। किसी वस्तुका पूर्ण ज्ञान तभी होगा जब उसका सर्वाङ्ग अध्ययन हो। जो सत्यदृष्टा है या सत्यका प्रेमी है उन्हें तो सदा सापेक्षताके मिद्वान्तको स्वीकार करना होगा।

व्यवहारनय और निश्चयनयमें साधन व साध्यका सम्बन्ध है। जिस प्रकार मिट्टी साधन है, घटा साध्य है। जैनायोंके कथनानुसार व्यवहारनय बाह्यदृष्टिपरक है और निश्चयनय आन्तरिकदृष्टि वाला है। यथा—यह जीव हाड, मांस, रक्त, मज्जा, बीर्य आदिका पिण्ड है, नर्मबद्ध है, यह बाह्यदृष्टि है या व्यवहारनयका कथन है और यह जीव शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, अजरामर व सहजानन्दमय है, यह भीतरी दृष्टि है या निश्चयनयका कथन है—दोनोंमेंसे किसीको अमय्य या मिथ्या नहीं कहा जा सकता—सापेक्षत दोनो सत्य हैं और निरपेक्षत दोनों मिथ्या हैं।

आ. कुम्भकुन्दने समयमारकी १२वीं गाथामें कहा है —

सुद्धो सुद्धोदेसो णायब्बो परमभावदरिसोहि ।

व्यवहारदेसिदा पुण जे द्दु अपरमे ठिदा भावे ॥

—जो परमभावको देखनेवाले हैं उनके द्वारा तो शुद्ध तत्त्वका कथन करनेवाला शुद्ध नय जाननेके योग्य है और जो अपरमभावमें स्थित हैं उनके लिये व्यवहारनयका उपदेश कार्यकारी है। यह अवस्था (अपरमभाव) जीवनकी साधक दशा मानी गई है। साधक दशा क्षीणमोह १२वें गुणस्थान या षडहोवें गुणस्थानके उपान्त्य समय तक रहती है। जिन जीवोंको आत्माकी शुद्धताका ज्ञान नहीं हुआ है उन्हें तो व्यवहारनय प्रयोजनवान् है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थफल इसी पर निर्भर है। जैसा कि कहा भी है :—

अइ जिणमअं पवज्जहू तो मा ववहार-णिच्छणं मुयह ।

एकेण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तत्थं ॥

—अर्थात् यदि जिनेन्द्र भगवान्के मतकी प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों ही नयों-की मत त्यागो, क्योंकि यदि व्यवहारनयको त्याग दोगं तो तीर्थकी प्रवृत्तिका लोप हो जावेगा अर्थात् धर्मका उपदेश ही नहीं हो सकेगा । फलतः धर्मका लोप हो जावेगा । और यदि निश्चयनयको त्याग दोगे तो तत्त्वके स्वरूपका ही लोप हो जावेगा, क्योंकि तत्त्वको कहनेवाला तो वही है । अतः व्यवहारनय न तो सर्वथा ह्येय ही है और न अनुपयोगी ही । अद्यात्मशास्त्रके मर्मज्ञ श्रीमद् रायचन्द्रजी इसी तथ्यको स्पष्टरूपसे व्यक्त करते हुए कहते हैं :—

लह्युं स्वरूप न वृत्ति नुं ग्रह्यु वत अभिमान ।

ग्रहे नही परमार्थने लेवा लौकिक मान ॥२८॥

अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्दनी माय ।

लीये सद्व्यवहारने साधन रहित धाय ॥२९॥

निश्चय वाणी साभली साधन तजवा नोय ।

निश्चय राखी लक्ष मा साधन करवा सोय ॥३३१॥

नय निश्चय एकात थी भामा नथी कहैल ।

एकाते व्यवहार नही बन्ने सपि रहैल ॥३३२॥

—आत्मसिद्धिशास्त्र (रायचन्द्र)

—अर्थात् 'यदि कोई निश्चयदृष्टि अर्थात् नैतिक जीवनमें आन्तरिक प्रवृत्तियोंको ही प्रधानता प्रदान करता है और बाह्याचरण (व्रत, पूजा, दान आदि) का लोप करता है तो वह साधनामें दूर है । वास्तविकता यह है कि तार्किक निश्चयदृष्टिको अर्थात् आत्मा असंग, अबद्ध और नित्य सिद्ध है—इस वाणीको सुनकर साधन अर्थात् बाह्य क्रिया वर्जन नहीं करना चाहिए, अपितु परमार्थपथको आदर्शरूपमें स्वीकार करके अर्थात् उस पर लक्ष्य रख करके बाह्य क्रियाओंका आचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यथार्थ लौकिक जीवनमें एकान्त नैश्चयिकदृष्टि अथवा एकान्त व्यवहारदृष्टि अलग-अलग अपना अस्तित्व नहीं रखती, अपितु एकसाथ कार्य करती हैं । वस्तुतः इस जीवनका निर्माण अन्न पक्ष व बहिःपक्ष—दोनोंसे मिलकर ही बनता है । नैतिकताके क्षेत्रमें आन्तरिक धृम व बाह्य व्यवहार नैतिक जीवनके दो भिन्न पक्ष अवश्य हैं—परन्तु अलग-अलग तथ्य नहीं । उन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है किन्तु अलग-अलग किया नहीं जा सकता । अस्तु ।

प्रस्तुत कृतिके लेखक जैनदर्शनके मूर्धन्य विद्वान् समाजमान्य विद्वद्वयं श्री पं० बशीधरजी व्याकरणशास्त्राचार्य जैनागमके मर्मज्ञ प्रकाण्ड मनीषी हैं । प्रथम-द्वेदयी व भद्रपरिणामी हैं । इस बुद्धावस्थामें अस्वस्थ रहते हुए भी, इस समय समाजमें सर्वाधिक चर्चित विषयपर आपने समुल्लिख लेखनी चलाई है । जैनागमके अधिकारी विद्वान् द्वारा प्रस्तुत 'जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार' का अध्ययन व मनन करके निमित्त-उपादान, निश्चय-व्यवहार आदिसे स्याद्वाद व अनेकान्तके आधारपर समझकर मुमुक्षु जीव स्वात्मकल्याणकी ओर प्रवृत्त हों, यही सत्कामना है ।

'जैनं जयतु शासनम् ।'



जैनशासनमें निश्चय और व्यवहार : एक विमर्श

● डॉ० दरबारीलाल कौटिया, न्यायाचार्य

ज्ञेय (वस्तु) के यथार्थ ज्ञानको सम्यग्ज्ञान कहा गया है। ज्ञेयका यथार्थ ज्ञान दो तरहसे होता है। एक प्रमाणसे और दूसरे नयसे। आचार्य गृह्यपिच्छने^१ सम्यग्ज्ञानका विवेचन करते हुए लिखा है कि प्रमाण और नयोंके द्वारा सभी पदार्थोंका अभिगम—यथार्थ ज्ञान होता है। उनके आद्य टीकाकार आचार्य पूज्यपादने^२ उनके इस कथनकी व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रमाण दो प्रकारका है—एक स्वार्थ और दूसरा परार्थ। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल इन पाँच ज्ञानोंमें श्रुतज्ञानको छोड़कर दोष चारो ज्ञान स्वार्थ हैं और श्रुतज्ञान स्वार्थ तथा परार्थ दोनों प्रकारका है। उनमें ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ प्रमाण और वचनात्मक श्रुत परार्थ प्रमाण है। उन्हींके नय नय है। आगे पूज्यपादने^३ प्रमाण और नयके अन्तरको भी स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि सकलादेश (अखण्ड रूपमें पूरी वस्तु) को जानना प्रमाण है और विकलादेश (खण्ड रूपमें अंशरामक वस्तु) को जानना नय है। नयके अन्तर और उसकी विशेषताकी और अधिक स्पष्ट करते हुए आगमप्रमाणके उद्धरण द्वारा उन्हींने^४ पुन लिखा है कि प्रमाणसे वस्तुको जानकर उसकी किसी अवस्था (धर्म—अंध) विशेषसे पदार्थका निश्चय करना नय है।

इस विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि जैन संस्कृतिमें वस्तुका यथार्थ ज्ञान करनेके लिए प्रमाण और नय इन दो को मूल बस्त्वधिगमोपाय माना गया है। जैन मनीषियोंने इसीसे इन दोनोंका विवेचन करनेके लिए प्रमाणधर्मों^५ और नयधर्मोंकी^६ स्वतंत्र एवं सयुक्त रूपमें दर्जनोंकी संख्यामें रचना की है। सब पूछा जाय, तो प्रमाणकी अपेक्षा नयोंका ज्ञान लौकिक और पारमाधिक दोनों दृष्टियोंसे विशेष आवश्यक है। इसीसे ही सम्भवतः श्रुतज्ञानकी महिमा सर्वाधिक गायी गयी है, क्योंकि श्रुतसे ही अल्पजनोंकी सज्जान (आत्मज्ञान) की प्राप्ति होती है, जो संसारकी निवृत्ति और मोक्षका कारण है। जैसा कि निम्न आगमप्रमाणसे प्रकट है—

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदाऽस्तु मे ।

सज्जानमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥—सं० देव-शास्त्र-गुरु-पूजा

नयोंका प्रतिपादन शास्त्रकारोंने दो तरहसे किया है। एक तो वस्तुको जाननेकी दृष्टिसे और दूसरे हेयोपादेयकी दृष्टिसे। प्रथम प्रकारसे द्रव्याधिक और पर्यायाधिक इन दो मूल नयोंका कथन किया गया है, क्योंकि ज्ञेय वस्तु मूल दो अंशों—द्रव्य और पर्याय अथवा सामान्य और विशेषमें समभ्याप्त है। द्रव्य (सामान्य) को ग्रहण करनेवाला द्रव्याधिक नय है और पर्याय (विशेष) को विषय करनेवाला पर्यायाधिक नय है। इन दोनों मूल नयोंके भी भेदों और उपभेदोंका विवेचन विस्तारपूर्वक विशदताके साथ किया गया है। द्रव्याधिकके नैगम, संग्रह और व्यवहार इन तीनका तथा पर्यायाधिकके ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत इन चारका कथन शास्त्रोंमें बहुलतया उपलब्ध है।

१. 'प्रमाणनयैरधिगमः'—त० सू० १-६ ।

२. 'तत्र प्रमाणं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतवर्ज्यम् ।

श्रुत पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम् ।—सं० सि० १-६ ।'

३. 'सकलादेशः प्रमाणधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ।'—बही, १-६ ।

४. एव ह्युक्तं "प्रगृह्य प्रमाणतः" परिणतिविशेषादर्थविधारणं नयः"—बही १-६ ।

५. प्रमाणसंग्रह, न्यायविनिश्चय, प्रमाणपरीक्षा, परीक्षामुक्त, प्रमाणमीमांसा, न्यायदीपिका आदि ।

६. नयचक्र, द्वादशारण्यचक्र, नयविचरण, आलापपद्धति आदि ।

यद्यपि ये नय अपने-अपने अंशोंको जब ग्रहण करते—जानते हैं तो उनमें परस्पर विरोध दिखाई देता है और लगता है कि जब वस्तु द्रव्यरूप (शाश्वत) है तब वह पर्यायरूप (अशाश्वत) कैसे हो सकती है ? दोनों ही अंश (द्रव्य और पर्याय) परस्पर विरोधी हैं। वे एक ही वस्तुमें नहीं रह सकते। तब दो विरोधी नयीं (द्रव्याधिक और पर्यायाधिक) की प्रवृत्ति वस्तुमें सम्भव नहीं है ? किन्तु इन नयींके विरोधको मिटाने-वाला 'स्यात्त्व' है, जिसका प्रयोग स्याद्वाददर्शन (आर्हत दर्शन) में अभिप्रैत है। उसके बिना वस्तुसत्यका न कथन हो सकता है और न ज्ञान। आचार्य ममन्तभद्रने^१ स्पष्ट कहा है कि अभिप्रैत विशेषकी प्राप्तिके हेतु 'स्यात्कार'का प्रयोग, जो प्रत्येक वाक्यमें अन्तर्निहित रहता है, वक्तृ चाहे उसे बोले या न बोले, वस्तुसत्यका बोधक है। आचार्य अमृतचन्द्रने^२ भी जिनवचनोको उभयनयोमें दिखाई देनेवाले विरोधको मिटाने वाले 'स्यात्त्व' से अंकित बतलाया है। एकान्ती और अनेकान्तीके भाषाप्रयोग (कथन) में यही अन्तर बतलाया गया है। तात्पर्य यह कि द्रव्याधिक और पर्यायाधिक तथा उनका समूह श्रेय वस्तुका यथार्थ ज्ञान करानेके लिए उपविष्ट है।

द्वितीय प्रकारसे निश्चय और व्यवहार इन दो नयोका निरूपण किया गया है। निश्चयका अर्थ परमार्थ, वास्तविक, भूतार्थ, परसयोगमें रहित है और व्यवहारका अर्थ उपचार, अवास्तविक, अभूतार्थ, परसयोगमें सहित है। विश्व षड्द्रव्यात्मक है। उनमेंसे एक चेतन द्रव्य—आत्मा उपादेय है और बाकीके सब हेय। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन छह द्रव्योंमें जीव चेतन द्रव्य है, शेष पाँचों द्रव्य अचेतन हैं। जीवका पुद्गल (कर्म और नोकर्म) के साथ अनादि सम्बन्ध है, जिसके कारण जीव उससे प्रभावित है। आचार्य अमृतचन्द्रने^३ स्पष्ट लिखा है कि यद्यपि जीव शुद्ध चित् (चेतन) मात्रकी मूर्ति है। परन्तु उसमें जो पररूप परिणति हो रही है उसका निमित्तकारण मोहनीय नामके कर्मका उदय है। इस मोहनीय कर्मके उदयसे ही निरन्तर (अनादि कालसे) वह उत्पन्न राग-द्वेषादिसे कलुषित (विकृत) है। इसीसे जीव कर्म और नोकर्मसे बद्ध तथा स्पृष्ट है। यह नयोगी अवस्था है और वह उपादेय नहीं है—हेय है। निश्चयनय यही बतलाता है। वह जीवकी निज परिणति—रागादिरहित चैतन्यपरिणतिको ही उपादेय कहता है। उसकी दृष्टिमें जीवमें न कर्म है, न नोकर्म है और न उनके निमित्तसे होनेवाले राग-द्वेष-क्रोध-मान-माया-लोभ आदि परिणमन है। किन्तु कर्म और नोकर्मका सम्बन्ध जीवके साथ है और उनके निमित्तसे उसीमें रागादि परिणमन होते हैं, यह अयथार्थ नहीं है, यथार्थ है। अतएव जीव बद्ध है, स्पृष्ट है, अशुद्ध है और अज्ञ है। यह व्यवहारनय बतलाता है। इसीसे जैन दर्शन स्याद्वाददृष्टिसे हर वस्तुको, जो अनेकान्तात्मक है, स्वीकार करता है। अकलंकदेवने^४ लिखा है कि अनेकान्तको प्रतिपत्ति प्रमाण है, एक धर्मकी, जो अन्य धर्मोंकी अपेक्षा रखे—उनका तिरस्कार न करे, प्रतिपत्ति नय है और एक धर्मको स्वीकार कर वस्तुके शेष धर्मोंका प्रतिक्रोष (तिरस्कार) दुर्नय है। यह कथन उन्होने समन्तभद्रस्वामीके द्वारा प्रतिपादित नयलक्षणके व्याख्यान-

१. 'अभिप्रैतविशेषात् स्यात्कारः सत्यलाञ्छन ॥'—आप्तमी० ११२।

२. उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्के, जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वाग्तमोहाः।

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुर्ध्वं, अनवमनयपक्षाक्षुण्णमोहान्त एव ॥—समयसार कलश ४।

३. परपरिणतिहेतुमोहान्मोहानुभावावविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः।

मम परमविशुद्धिं शुद्धविन्मात्रमूर्तं भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूते ॥ स० सा० कलश ३।

४ 'अनेकान्तप्रतिपत्ति प्रमाणमेकधर्मप्रतिपत्तिर्नयस्तत्प्रत्यनीकप्रतिपत्तेषु दुर्नयं, केवलविपक्षविरोधप्रदर्शनैः स्वपक्षाभिनिवेशात्'—अष्टाध०, आप्तमी० का० १०६ की व्याख्या।

सम्बन्धमें किया है, जिसमें समन्तभङ्गने^१ बनलाया है कि स्याद्वाद (श्रुतप्रमाण) के द्वारा गृहीत वस्तुके नित्य-त्वादि पृथक्-पृथक् धर्मका प्रकाशक नय है। अकलकने एक ही धर्मको स्वीकार कर शेष धर्मोंका प्रतिलोप करनेवाले नयको दुर्नय क्यो कहा, इसका वे स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, क्योकि वह विपक्षका निषेध करके अपने ही पक्षका अभिनिवेश (आग्रह) करता है, जबकि वस्तु वंसी नहीं है। वस्तु^२ तो नयो और उपनयोके द्वारा ज्ञात होने वाले त्रिकालवर्ती एकान्तो (धर्मों) का, जिन्हें एक-दूसरेसे पृथक् नहीं किया जा सकता है अर्थात् जिनमें अविष्वक्भाव सम्बन्ध है, समुच्चय है।

जब वस्तु और उसे ग्रहण करनेवाले नयोकी ऐसी स्थिति है। तब एक पक्षको स्वीकार कर इतर पक्षका निषेध करना मिथ्या एकान्त ही कहा जायगा। उससे बचनेके लिए हमें स्यात्पदांकित वचनोका ही प्रयोग कर जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तत्वका प्ररूपण करना चाहिए।^३ आचार्य अमृतचन्द्रने^४ यह बिलकुल ठीक लिखा है कि जो शिष्य व्यवहार और निश्चयको मय्यक् प्रकारसे (एक दूसरेकी उपेक्षा या तिरस्कार न करके) दोनोंमें मध्यस्थ (तटस्थ) रहता है वही शिष्य स्याद्वादशासनके अविकल (पूर्ण) फलको प्राप्त करता है। इसीसे वे^५ अनेकान्तमयी मूर्ति (जिनवाणी) को, जो अनन्तधर्मा वस्तुके प्रत्येक धर्मका सही-सही प्रकाशन करती है, मदैव प्रकाशमान रहनेकी मङ्गल-कामना करते हैं। इतना ही नहीं, वे^६ एकान्तोके विवादोमें आगत विरोधको मिटाने वाले और जिनशासनके प्राण अनेकान्तको विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं।

प्रस्तुत रचनामें विद्वत्समाजके सिद्धान्तविद् मनोधी श्रद्धेय व्याकरणाचार्यजीने वर्तमानमें निश्चय और व्यवहारकी सन्धिसे भटके हुए लोगोंको निश्चय और व्यवहारके सुमेलका स्मरण दिलाया है तथा दोनाको देशना सर्वथा एकान्तका त्याग करके कथञ्चित् एकान्तपरक करनेकी प्रेरणा की है। निश्चय और व्यवहारके जितने रूप हो सकते हैं उन सबका हममें विस्तारपूर्वक विशदताके साथ विवेचन किया है। उनका यह आवश्यक प्रयास नि.सन्देश स्तुत्य है।

विश्वास है यह सन्तुलित और गम्भीर, किन्तु विशद शैलीमें रचित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ विद्वानों, जिज्ञासुओं और स्वाध्याय-प्रेमियों द्वारा निश्चय ही समादृत होगा।



१. 'स्याद्वादप्रतिभक्तार्थविशेषव्यञ्जको नय ॥'—आप्तमी० का० १०६।

२. नयोपनयैकान्ताना त्रिकालाना समुच्चय।

अविभ्राद्भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकवा ॥—वही, का० १०७

३. दुर्निवार-नयानीक-विरोध-ध्वंसनीर्षाधि।

स्यात्कारजीविता जोयाज्जैतो सिद्धान्तपट्टति ॥—व्यक्तिकाय टी० प्रार०।

४. व्यवहार-निश्चयो य. प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः।

प्राप्नोति देशनाया स एव फलमविकल शिष्य ॥—पुरुषार्थसि० श्लो० ८

५. अनन्तधर्मपंस्तत्त्वं पश्यन्तो प्रत्यघातमनः।

अनेकान्तमयी मूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम् ॥—स० सा० कलश २।

६. परमागमस्य जीर्वं निधिद्वजात्यन्धसिन्धुरविधानम्।

सकलनयविलसिताना विरोधमधर्म नभाम्यनेकान्तम् ॥—पुरुषार्थसि० श्लो० २।

मनस्वी मनीषी : कुल्ल संस्मरण

● पं० बालचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, हैदराबाद

[यह स्मरणार्थक लेख श्रद्धेय पं० बालचन्द्रजीने मेरे पास १३ अप्रैल १९८९ को भेजा था और वे १७ अप्रैल १९८९ को स्वर्गम्य हो गये, यह दैवकी विडम्बना है। भोजन वियोग ने नहीं जानने दोगे कि उनका दृष्टिकोणिक जीवन मात्र ४-५ दिनका है। स०]

पं० बंशीधरजी एक मनस्वी विद्वान् हैं। वे अभावोसे खूब जूझे हैं। किन्तु कभी म्वाभिमानको नहीं खोया और अपनी मनस्विता बनाये रखा। यद्यपि मैं उनका भतीजा हूँ, किन्तु उनसे तीन माह ज्येष्ठ होनेसे आरम्भसे मित्रवत् रहे हैं। अतः उनके जीवनसे सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण संस्मरण ये रहा हैं।

बचपनमें हम दोनों समवयस्क होनेसे सोरईमें साथ-साथ प्रेमसे खेलते-कूदते बल्लते-झगडते भी रहे हैं। दैववशात् वि० सं० १९७५ मे एक सार्वभौमिक बीमारी फैली, जिसे लाल बुखार (इनफ्लूजा) कहा जाता था। इस बीमारीमें बंशीधरजीके बडे भाई छनारेलाल (आयु लगभग १५, १६ वर्ष) और उनकी मा राधाबाई दोनोंकी ही २-४ दिनके अन्दरसे मृत्यु हो गयी, तब बंशीधरजी अकेले रह गये थे। उस समय उनकी अवस्था लगभग १२-१३ वर्ष रही होगी। मंयोगसे उनके मामा उन्हें वाराणसिमें (म० प्र०) अपने घर लिवा ले गये। पर वहाँ उच्च शिक्षाके साधन न होनेसे उन्हें काका पं० शोभारामजी उपदेशक भारत-वर्षीय दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, बम्बई अपने साथ सागर लिवा ले आये और वहाँ पं० मुन्नालालजी राघेलीय न्यायतीर्थ द्वारा सत्कर्म मुद्यातरंगिणी पाठशालामें उनके अध्ययनकी व्यवस्था करा दी गयी। मंयोगसे मैं भी तीन माह पहले सागर पहुँच गया था और उक्त पाठशालामें पढना था। बादको पूज्य पं० गणेशप्रसाद वर्णी हम दोनोंको बनारस ले गये और स्याद्वाद-विद्यालयमें प्रवेश करा दिया, यह उनका महोपकार था। मैं विद्यालयमें ८ वर्ष रहा और बंशीधरजी ११ वर्ष रहे। बंशीधरजी उस समयके विद्याथियोंमें अत्यन्त मेधावी छात्र होनेके कारण विद्यालयकी ओरसे अनिश्चित दस हफ्ता छात्रवृत्ति मिलती थी।

बंशीधरजीको अन्याय पसन्द नहीं रहा। एक छात्र प्रेमचन्द्र कटनीको अनुसरके सेठ म्मदीलालजी आठ रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने थे। यह विद्यालयके उपाधिष्ठाता बाबू हर्षचन्द्रजीको मालूम हुआ तो उन्होंने वह छात्रवृत्ति विद्यालयमें रोक ली और प्रेमचन्द्रको यह स्वीकार करनेके लिए बाध्य किया कि वह छात्रवृत्तिकी मांग न करे। इसपर बंशीधरजीने उपाधिष्ठाताजीसे कहा कि छात्रवृत्ति तो प्रेमचन्द्रको दे दी जाय और भोजन फीसके रूपमें वह छात्रवृत्ति उनमें विद्यालयमें जमा कर ली जाय। यह बात उपाधिष्ठाताजीको मान्य नहीं हुई और प्रेमचन्द्रको विद्यालयसे पृथक् कर दिया। इसका बंशीधरजीने विरोध किया, तो उपाधिष्ठाताजीने उनसे भी कहा कि 'क्यों न आपको भी विद्यालयसे पृथक् कर दिया जाय?' उत्तरमें बंशीधरजीने लिखकर दे दिया कि प्रेमचन्द्र छात्रका मामला समाप्त हो जानेपर मैं स्वयं ही विद्यालय छोड़ दूँगा। बंशीधरजी उपाधिष्ठाताजीकी बातका इसलिए विरोध कर रहे थे कि वे वह छात्रवृत्ति एक अन्य छात्रको दिलाना चाहते थे, जो उनकी जातिका था। उपाधिष्ठाताजीकी कार्यवाहीकी अधिकारी वर्गमें कड़ी प्रतिक्रिया हुई और अध्यक्षजीने प्रेमचन्द्रका मामला अपने हाथमें ले लिया। बंशीधरजीने भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार विद्यालयसे अलग होकर लाला छेदीलालजीके मन्दिरके नीचेके हालमें एक वर्ष रहते हुए व्याकरण-शास्त्रका अन्तिम क्लष्ट उत्तीर्ण किया। यह थी बंशीधरजीकी न्यायप्रियता और मनस्विता, जो छात्रवृत्तियासे ही प्रकट हो चुकी थी।

इनकी मनस्विताकी इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना है। ये सन् १९४२ में 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेनेसे सागरसे बीना आते समय बीना स्टेशनपर गिरफ्तार कर सागर जेलमें भेज दिये गये और वहाँसे अमरावती जेलमें भेजे गये। वहाँ जेलका सुपरिन्टेन्डेन्ट उस्मान अली था, जो बहुत क्रूर था।

उसने सागरके पं० ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी व पद्मनाभ तैलंगको बिना अपराधके गुनाहखानेमें भेज दिया था। इसका इन्होंने विरोध किया और उसके द्वारा निर्धारित कार्यक्रममें ये सम्मिलित नहीं हुए। तो उक्त सुपरिन्टेन्डेण्ट जेलर माधवरावके माथ इनके बैरकमें आया और इनसे कहा कि 'कार्यक्रममें क्यों सम्मिलित नहीं हुए, क्या तुम्हें भी गुनाहखानेमें जाना है?' इन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी व पद्मनाभ तैलंगको गुनाहखानेमें भेजनेका विरोध करता हूँ? तब उसने जेलरसे कहा कि 'इन्हें भी गुनाहखानेमें भेज दो।' इस तरह इन्हें गुनाहखानेमें भेज दिया गया और इनकी 'बी' श्रेणीको बदलकर 'सी' श्रेणी कर दी गयी तथा 'बी' श्रेणीकी सारी सुविधाएँ 'सी' श्रेणीमें परिवर्तित कर दी गयी। किन्तु बंशीधरजीने अन्याय पक्षका विरोध करना नहीं छोडा और न सुपरिन्टेन्डेण्टसे माफी माँगी। यह थी उनकी न्यायनिष्ठा।

तीसरी घटना इनके गृहस्थ-जीवनकी है। बंशीधरजीका विवाह बीनामें शाह मौजीलालजीकी एकमात्र सुपुत्री लक्ष्मीबाईके साथ सन् १९२८ में हुआ था। शाहजी चाहते थे कि बंशीधरजी बीनामें घरपर ही रहें। इन्होंने कर्तव्यकी दृष्टिसे अपने स्वसुर साहब (शाह मौजीलालजी) की कठिनाईको ध्यानमें रखकर बीनामें रहना स्वीकार कर लिया। किन्तु उनसे लोन लेकर कपड़ेका व्यवसाय करनेका निर्णय किया। उनका यह बन्धव्यवसाय आज करीब साठ वर्षसे सञ्चाररीत्या चल रहा है। अब तो उनके सुयोग्य दो पुत्रोंसे सम्भाल लिया है और अपनी योग्यता एवं पिताजीके मार्ग दर्शनमें उसे कई गुना बढा लिया है। तथा उनकी ही तरह न्याय-निष्ठा एवं प्रनिष्ठाको बना रखा है। यह है पं० बंशीधरजीका स्वामिमान और न्याय्यजीवनकी प्रतिष्ठा।

ध्यातव्य है कि बंशीधरजीने बन्धव्यवसायी होकरके भी अपने ज्ञानका निस्पृहभावसे उपयोग करना नहीं छोडा। प्रवचना करना, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें अनुसन्धान एवं चिन्तनपूर्ण लेख लिखना, मन्षाजीका योग्यतापूर्वक मंचालन करना, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्योंमें भाग लेना, आरम्भसे अबतक, ये सभी प्रवृत्तियाँ उनकी चालू हैं। तस्कुनि और सिद्धान्तपर कहीसे कोई बार होता है तो वे उसके निराकरणके लिए उद्यत रहते हैं।

सोनगढकी ओरसे प्रचारित एवं प्रमारित एकान्त अध्यात्मको वे जैनदर्शनके अनेकान्तवाद और स्याद्वादके प्रतिकूल मानते हैं। वे ही क्यों, सारा जैनागम और दि० जैन परम्परा उसके विरुद्ध है। निमित्त अकिंचित्कर है आदि मोनगढकी मान्यताएँ आगमविरुद्ध हैं। पं० बंशीधरजीने आगमका पक्ष लेकर इन मान्यताओंका दूढतासे निरसन किया है।

पं० बंशीधरजी निरुचय ही गम्भीर चिन्तक और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्वके स्वामी हैं। न्यायप्रियता और स्वामिमान उनके जन्मजात गुण हैं।

श्रद्धा-सुमन

● पं० शोभालाल जैन, साहित्याचार्य, जयपुर

पंडित बंशीधर व्याकरणाचार्यजीसे मेरा प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं रहा है, लेकिन उनके द्वारा लिखे गये गहन नैदानिक एवं आध्यात्मिक लेखोंसे जो बंध, संबन्ध और निर्जरा सम्बंधी तिकड़ीको नमस्त्राने एवं सुलझानेमें सच्चे गुरुके ममान कार्य कर रहे हैं।

दूसरा सम्बन्ध, मेरा पुण्यनीय डॉ० दरबारीलालजी कोठियाके माध्यमसे है। जैन जगत्के अब्भुत नैयायिकके रूपमें स्थाति प्राप्त डॉ० कोठियाजी साहब इनके भनीजे हैं। अतः पंडितजीके विषयमें कुछ कहना सूर्यको दीपक दिखाना है।

ऐसे महान् व्यक्तित्वके अभिनन्दनके लिये समाजका अभिनन्दन-ग्रंथ प्रकाशित कर उनकी सेवामें प्रस्तुत करना अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है। ऐसे अंगल अवसर पर मैं भी उन्हें अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करता हूँ।



धर्म और सिद्धान्त

धर्म और सिद्धान्त

- १ तीर्थकर महावीरकी धर्मतत्त्व-देशना
- २ जैन-दर्शनमें आत्मतत्त्व
- ३ निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग
- ४ निश्चय और व्यवहार धर्ममें साध्य-साधकभाव
- ५ निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थस्थान
- ६ व्यवहारकी अभिव्यक्तिका अभिप्राय
- ७ समान जीवोंकी अनन्तता
- ८ जैनदर्शनमें भय और अभय
- ९ जीव-दया एवं परिशीलन
- १० जैनधर्ममें कर्मबन्ध
- ११ कर्म-बन्धके कारण
- १२ मोक्षकर्मके विषयमें मेरा चिन्तन
- १३ भज्यमान आयमें अपकर्षण और उत्कर्षण
- १४ क्या अमर्त्य जीवोंमें मनुष्य सम्भाव है ?
- १५ पर्याय क्रमबद्ध भा होती है और अक्रमबद्ध भी ।



आप्त और अनाप्तके लक्षण

स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकश्रावकाचारमे ही आप्तका लक्षण निम्न प्रकार बतलाया है—

आप्तोनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेतिना ।

प्रवित्तव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥५॥

अर्थ—जो अपने सम्पूर्ण दोषोंको नष्ट कर चुका हो, सर्वज्ञ हो गया हो और धर्म-भागका प्रवर्तक बन चुका हो, उसे ही आप्त जानना चाहिए, क्योंकि इन तीन गुणोंके प्रकट हुए बिना आप्तता सम्भव नहीं है ।

परीक्षामुखसूत्र ग्रन्थके उपर्युक्त सूत्रकी टीका प्रमेयरत्नमालामे आप्तका लक्षण निम्न प्रकार निश्चित किया गया है—

यो यत्रावचकः स तत्राप्त ।

अर्थ—जो पुरुष जिस विषयमे अवचक है अर्थात् दूसरोंके साथ ठगाई नहा करता है, वह पुरुष उस विषयमे आप्त है ।

रत्नकरण्डकश्रावकाचार और प्रमेयरत्नमालाके उपर्युक्त उद्धरणोंसे यह बात निर्णीत होती है कि सर्वज्ञ तो आप्त होता ही है क्योंकि वह पूर्ण वीतरागी हो जानेसे सर्वथा अवचकवृत्ति हो जाता है । लेकिन अल्पज्ञ भी यदि किसी विषयमे अवचकवृत्ति हो तो उसे भी उस विषयमे आप्त जानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि हितकर उपदेशका नाम आगम है और जो द्वितक उपदेश देना है वह आप्त है । उस उपदेशकी हितकारिताका आधार उपदेश देनेवाले पुरुषकी अवचक-वृत्ति ही हुआ करती है तथा अवचकवृत्तिका निर्णय उसमे (उपदेश देनेवाले पुरुषमे) पाई जानेवाली वीतरागता (नि स्वार्थवृत्ति) से होना है । अतः आप्तताका निर्णय पुरुषमे विद्यमान वीतरागता (नि स्वार्थवृत्ति)के आधारपर ही करना चाहिए । इस तरह सर्वज्ञके साथ अल्पज्ञ भी आप्तकी कोटिमे गणित हो जाता है ।

उक्त कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि अल्पज्ञ भी सर्वज्ञकी तरह तभी आप्त हो सकता है जब कि वह अवचक वृत्ति हो । इसका फलितार्थ यह है कि अल्पज्ञ आप्त और अनाप्तके भेदमे दो प्रकारके होते हैं । उनमेंसे जो अल्पज्ञ अपनेमे यथासम्भव पाई जानेवाली वीतरागता (नि स्वार्थ वृत्ति) के आधारपर अवचक वृत्ति होते हैं, वे आप्त कहलाते हैं और जो अल्पज्ञ अपनेमे पाई जानेवाली मरागता (स्वार्थपूर्ण वृत्ति)के आधारपर अवचकवृत्ति होते हैं, वे अनाप्त कहलाते हैं ।

आगम और आगमाभासका प्रवर्तन

आगम और आगमाभासका प्रवर्तन अनादिकालसे चला आ रहा है, जिसका विवेचन इस प्रकार है कि निश्चयकाल (स्वतः सिद्ध कालनामा पदार्थ) नित्य (अनादिसे अनन्त काल तक रहनेवाला) है । इस निश्चय-कालकी पुद्गल-परमाणुके अत्यन्त मन्द-गमनके आधारपर विभक्त अक्षण्ड-वृत्तिरूप समय और यथायोग्य समयोंके समूहरूप आवली, घड़ी, मुहूर्त, घण्टा, प्रहर, दिन, यत्नाह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा वर्षोंके भी समूह—यह सब व्यवहारकाल है । यद्यपि ये सब निश्चय-कालकी पर्यायें हैं परन्तु इन्हें व्यवहारकाल इसलिए कहते हैं कि इनका अन्तित्य मूलन परवस्तुभूत पुद्गल-परमाणुके अत्यन्त मन्द गमनके आधारपर निश्चय होनेसे इनमे पराश्रितता पाई जाती है ।

इस व्यवहारकालका प्रवर्तन प्रवाहरूपसे अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता

तीर्थंकर महावीरकी धर्मतत्त्व-देशना

आगम और आगमाभासकी परिभाषा

परीक्षामुखसूत्र ग्रन्थके तृतीय समुद्देशमें आगमकी परिभाषा निम्न प्रकार बतलायी गयी है—

आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः ॥३-९९॥

अर्थ—आप्तके वचन आदिके आधारपर जो पदार्थ-ज्ञान हमें होता है वह आगम है ।

सूत्रमें 'वचन' शब्दके आगे पठित 'आदि' शब्दका अभिप्राय सूत्रकी टीका प्रमेयरत्नमालामें अंगुलि आदिके संकेतोंके रूपमें ग्रहण किया गया है ।^१ अतः जिस प्रकार आप्तके वचनोंके आधारपर हमें होने वाला पदार्थ-ज्ञान आगम है उसी प्रकार उसकी अगुल्यादिके संकेतोंके आधारपर हमें होनेवाला पदार्थ-ज्ञान भी आगम है ।

यह परिभाषा भावात्मक आगमकी है । लेकिन सूत्रका यह भी आशय है कि हमें उपर्युक्त प्रकारसे होनेवाले ज्ञानरूप भावात्मक-आगमके उद्भवमें निमित्तभूत आप्तके वचनों और उसकी अंगुलि आदिके संकेतोंको द्रव्यात्मक-आगम जानना चाहिए । स्वामी समन्तभद्रने वचनरूप द्रव्यात्मक-आगमकी रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें निम्न लिखित परिभाषा बतलाई है—

आप्तोपज्ञमनुल्लध्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् ॥९॥

अर्थ—शास्त्र (वचनरूप द्रव्यात्मक-आगम) वह है, जो आप्तके द्वारा कहा गया हो, अन्य मतों द्वारा अकाट्य हो, दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमान) द्वारा अबाधित हो, तत्त्व (तत्प्राप्तक^२ व सत्यात्मक^३ प्रयो-जनभूत वस्तु)का प्रतिपादक हो, सम्पूर्ण जीवोंके लिए हितकर हो और कुमार्ग (जीवोंके लिए बहिष्कृत मार्ग) का निषेध करने वाला हो ।

स्वामी समन्तभद्रने उक्त परिभाषामें आगमका प्रत्यक्ष और अनुमानसे समर्थित होना न बतलाकर जो "अदृष्टेष्टविरोधकम्" पद द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमानसे अबाधित होना बतलाया है, इसका अभिप्राय यह है कि आप्तके वचनरूप सम्पूर्ण द्रव्यात्मक-आगमका हमारे प्रत्यक्ष और अनुमानसे अल्पज्ञ होनेके कारण समर्थित होना सम्भव नहीं है, लेकिन अबाधित होना अवश्य सम्भव है—इस तरह आप्तके वचनरूप जो द्रव्यात्मक-आगम हमारे प्रत्यक्ष और अनुमानसे समर्थित हो, वह तो आगम है ही, लेकिन आप्तके वचनरूप जो द्रव्यात्मक-आगम हमारे प्रत्यक्ष और अनुमानसे अबाधित हो, उसे भी आगम जान लेना चाहिए ।

परीक्षामुखसूत्र ग्रन्थके उक्त सूत्रमें व रत्नकरण्डकश्रावकाचारके उक्त पद्यमें पठित 'आप्त' शब्दसे यह भी निर्णयित होना है कि पुरुष आप्त और अनाप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । उनमेंसे आप्तके वचन व उसकी अंगुलि आदिके संकेत ही आगम हैं, अनाप्तके वचन और उसकी अंगुलि आदिके संकेत आगम नहीं हैं । अतः अनाप्तके वचन व उसकी अंगुलि आदिके संकेतोंको आगमाभास जानना चाहिए ।

१. आदिशब्देनागुल्यादिसंज्ञापरिग्रह ।

२. परनिरपेक्ष (स्वतः सिद्ध) वस्तुस्थितिरूप ।

३. परसापेक्ष वस्तुस्थितिरूप ।

आयगा। आगममें बतलाया गया है कि व्यवहारकालका यह प्रवर्तन एकके बाद एक कल्पके रूपमें चल रहा है। एक कल्पकी मर्यादा बीस कोटाकोटी मात्र वर्षोंकी है, जो कि असंख्यत वर्ष प्रमाण होनी है।

प्रत्येक कल्प भी अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके रूपमें अपना प्रवर्तन किया करता है। अवसर्पिणी वह है, जिसमें मानव-समाज अपनी उच्चतम स्थितिको एक-एक समयके आधारपर धीरे-धीरे समाप्त कर क्रमशः हीनतम स्थिति तक पहुँचता है और उत्सर्पिणी वह है, जिसमें मानव-समाज अपनी हीनतम स्थितिको एक-एक समयके आधारपर ही धीरे-धीरे समाप्त कर क्रमशः उच्चतम स्थिति तक पहुँचता है। इस तरह अवसर्पिणीका प्रवर्तन सुषमा-भुषम (अत्यन्त सुखमय समय), सुषमा (सुखमय समय), सुषमा-दुःषमा (दुःख मिश्रित सुखमय समय), दुःषमा-सूषमा (सुख-मिश्रित दुःखमय समय), दुःषमा (दुःखमय समय) और दुःषमा-दुःषमा (अत्यन्त दुःखमय समय)—इन छह भेदोंके रूपमें तथा इसके पश्चात् उत्सर्पिणीका प्रवर्तन दुःषमा-दुःषमा (अत्यन्त दुःखमय समय), दुःषमा (दुःखमय समय), दुःषमा-सुषमा (सुखमिश्रित दुःखमय समय), सुषमा-दुःषमा (दुःखमिश्रित सुखमय समय), सुषमा (सुखमय समय) और सुषमा-सुषमा (अत्यन्त सुखमय समय) इन छह भेदोंके रूपमें हुआ करता है। इससे यह निकर्ष निकला कि क्रमशः एकके बाद एकके रूपमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीका प्रवर्तन होने लगा अनादिसे अबतक अनन्त कल्पकाल व्यतीत हो चुके हैं तथा आगे इन दोनों हुए कल्प-कालोंमें अनन्तगुण कल्पबाल व्यतीत हो जानेपर भी काल-द्रव्य (निश्चयकाल) का अस्तित्व अनादि-निघन होनेमें कल्पकालोंका प्रवर्तन कभी समाप्त नहीं होगा।

प्रत्येक कल्पकालका अवसर्पिणीके चतुर्थ दुःषमा-सुषमा भागमें और प्रत्येक उत्सर्पिणीके तृतीय दुःषमा-सुषमा भागमें मनुष्य जीवोंके लिए मोक्ष-प्राप्तिके साधनभूत धर्म-तीर्थका प्रवर्तन करनेवाले चौबीस महापुरुष उत्पन्न होना है, जिन्हें आगममें तीर्थकर' नाममें पुकारा गया है। इस तरह अनादि-कालसे अबतक अनन्त तीर्थकरोंकी अनन्त चौबीसियाँ हो चुकी हैं आगे आगे भी मतत तीर्थकरोंकी चौबीसियोंके होनेका यही क्रम चलना जायगा।

प्रत्येक तीर्थकर अपने समयमें अपनी दिव्यवाणी (दिव्यध्वनि) द्वारा जो धर्मतीर्थका उपदेश मनुष्यों को बोला दिया था, उसे आगममें 'देशना' नामसे पुकारा गया है और उस देशनाको तथा उस देशनाके आधारपर गणधर आदि अल्पज आप्तों द्वारा ग्रहित उपदेशको 'आगम' नामसे पुकारा गया है। इस तरह कहना चाहिए कि आगमका प्रवर्तन अनादि-कालसे चला आ रहा है और अनन्त कालतक चलना जायगा। यही स्थिति आगमाभासके प्रवर्तनकी ममज्ञता चाहिए।

वर्तमान आगमकी आधारभूमि

वर्तमानकाल अवसर्पिणीका षष्ठम भाग दुःषमाकाल है। इससे २५१४ वर्ष पूर्व इमी अवसर्पिणीका चतुर्थ भाग दुःषमा-सुषमा काल चल रहा था। उस समय तक इस अवसर्पिणीमें होनेवाले चौबीस तीर्थकरोंमें अन्तिम तीर्थकर भगवान् महावीर इस भारतभूमिपर विद्यमान थे, जिन्होंने अपनी पूर्व वीतरागता और सर्वज्ञताके आधारपर जगत्के प्राणियोंको हिनकारी उपदेश दिया था, जिसमें तीर्थकर महावीरकी देशना कहते हैं। यद्यपि तीर्थकर महावीरकी वाणी आज हमें उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनकी वाणीके आधारपर उत्तरोत्तर अल्पज आप्तों द्वारा रचित आगम वर्तमानमें भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा उनकी (तीर्थकर महावीरकी) देशनाकी झाकी हमें वर्तमानमें भी उपलब्ध हो रही है। इस तरह कहना चाहिए कि वर्तमान आगम यद्यपि अल्पज आसो द्वारा रचा गया है, परन्तु उसकी आधारभूमि तीर्थकर महावीरकी देशना ही है।

अल्पज्ञको आप्त माननेका प्रयोजन

उपर कहा गया है कि वर्तमानमे जितने कल्याणकारी उपदेशके रूपमे आगम उपलब्ध है वह माक्षात् तोर्षकर महावीरकी वाणी नही है, अल्पज्ञ आप्तकी ही वाणी है। अब यदि अल्पज्ञको आप्त नही माना जाता तो सर्वज्ञके अभाव रहनेके कारण वर्तमानमे कल्याणकारी मार्ग समाप्त हो जाता। दूसरी बात यह है कि अल्पज्ञको आप्त न माननेपर लोक-व्यवहारकी चल रही सम्पूर्ण व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जाती। तीसरी बात यह भी है कि सर्वज्ञकी सत्ता और उसके उपदेशकी प्रामाणिकताका निर्णय हम अल्पज्ञ आप्तो द्वारा बिरचिन आगमके आधारपर ही तो वर्तमानमे कर सकते है। अत अल्पज्ञको आप्त न माननेपर सर्वज्ञकी सत्ता और उसके उपदेशकी प्रामाणिकताके निर्णयके लिए आधार ही मरान्न हो जाता। ये सब कारण हैं जिसकी वजहसे अल्पज्ञको भी आप्त मानना अनिवार्य हो जाता है। इनकी वान अवश्य है और जैसा कि पूर्व मे बतलाया भी जा चुका है कि सर्वज्ञकी आप्तता तो असदिग्ध है क्योंकि वह पूर्ण वीतरागी हो जानेमे सर्वथा अवचक वृत्ति हो जाता है परन्तु अल्पज्ञकी आप्तताका निर्णय उममे अवचक वृत्तिका निर्णय हो जानेपर ही हो सकता है ऐसा जानना चाहिए। फिर भी जैसे सर्वज्ञका उपदेश जीवोको हितकर होनेसे आगम कहलाना है वैसे ही अल्पज्ञ आप्तोके उपदेशको भी जीवोको हितकर होनेसे आगम मानना चाहिए।

सर्वज्ञसे अल्पज्ञ-आप्तके उपदेशमे अन्त ! भी है

यद्यपि उपर यह बतलाया गया है कि जिन प्रकार सर्वज्ञका उपदेश जीवोको हितकर होनेसे आगम कहलाना है। उसी प्रकार अल्पज्ञ आप्तोके उपदेशको भी जीवोको हितकर होनेसे आगम मानना चाहिए। परन्तु सर्वज्ञसे अल्पज्ञ आप्तके उपदेशमे यह अन्तर भी समझना चाहिए कि जहाँ सर्वज्ञका उपदेश उमकी सर्वज्ञताके कारण हमारे प्रत्यक्ष और अनुमानसे नियमत समर्थित या अबाधित होनेसे निर्विवाद रूपमे आगम कहलाना है, वहाँ अल्पज्ञ आप्तका उपदेश उमकी अल्पज्ञताके कारण जबतक हमारे प्रत्यक्ष और अनुमानसे समर्थित या अबाधित रहेगा तभी तक वह आगम कहलावेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अल्पज्ञ आप्तका कोई उपदेश यदि कालान्तरमे प्रत्यक्ष या अनुमानसे बाधित हो जाय, तो उसे तब हमारे लिए आगम न माननेमे कठिनाई नही होना चाहिए।

उदाहरणके रूपमे यह कहा जा सकता है कि चन्द्रमाका रचना और भूमितलसे उसकी दूरी जिन रूपमे आगममे बतलायी गई है, उसमे विलक्षण ही चन्द्रमाकी रचना और भूमितलसे उसकी दूरी, उत्कण्ठी एक मीमा नक पहुँचे भौतिक विज्ञानने निर्णीत की है, जिस अस्वीकार करना सम्भव नही है, उन्मलिय इस सम्बन्धमे यही मानना श्रेयस्कर है कि वर्तमान आगमके रचयिता आप्त चैकि अल्पज्ञ थे, अत तथ्यपूर्ण स्थितिका पता लगानेके माधनोकी कमीके कारण जैसा उनकी समझमे आया वैसा प्रतिपादन चन्द्रमाकी रचना और भूमितलसे उनकी दूरी आदिका उस समय उन्होंने वर्णन किया था। इस प्रतिपादनको सर्वज्ञ आप्तके उपदेशके आधारपर किया हुआ नही समझना चाहिए। कारण कि सर्वज्ञके ज्ञानमे अगम्य परमाणुओके पिण्ड-स्वरूप चन्द्रमाका प्रत्येक परमाणु अपनी परिणतियोंके साथ पृथक्-पृथक् ही प्रतिभाषित हो रहा है, ऐसी दशामे उसको उन समस्त परमाणुओका चन्द्र पिण्डरूपसे ज्ञान होना सम्भव नही है तथा ध्रुतज्ञानका अभाव हो जानेसे श्रुतज्ञानकी विषयभूत चन्द्रमाकी भूमितलमे दूरी आदिका ज्ञान भी सर्वज्ञकी सम्भव नही है, अत निर्णीत होना है कि इन बातोंका प्रतिपादन सर्वज्ञ द्वारा नही किया गया है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि सर्वज्ञ स्वत-सिद्ध, अनादि-निघन और अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ताविशिष्ट प्रत्येक वस्तुका दृष्टा और ज्ञाता है तथा प्रत्येक वस्तुकी स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय सभी पर्याप्त

भी वस्तुरूपसे उसके दर्शन और ज्ञानमें प्रति समय प्रतिबिम्बित और प्रतिभासित होती है। दो आदि वस्तुओंका संयोग या बन्ध (मिश्रण) उनके दर्शन और ज्ञानमें प्रतिबिम्बित और प्रतिभासित नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सयुक्त अथवा बद्ध (मिश्रित) वस्तुओंकी अव्यक्त एकरूपता कदापि सम्भव नहीं है क्योंकि एक वस्तुके गुण-धर्म कभी दूसरी वस्तुमें प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे द्रव्यणु दो पुद्गल परमाणुओंके बन्ध (मिश्रण) से बना है, परन्तु उसमें प्रत्येक परमाणु एक-दूसरे परमाणुके निमित्तसे अपना-अपना पृथक्-पृथक् ही परिणमन कर रहा है। दोनों परमाणुओंका एक परिणमन नहीं हो रहा है। अतः जब दो परमाणु मिलकर एक परिणमन नहीं कर रहे हैं, तो वे उस मिले हुए रूपमें सर्वज्ञके ज्ञानके विषय कैसे हो सकते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञके दर्शन व ज्ञानमें द्रव्यणुके विद्यमान दोनों परमाणु एक-दूसरेके निमित्तसे होनेवाले अपने-अपने परिणमनके साथ तादात्म्यको प्राप्त होते हुए पृथक्-पृथक् ही प्रतिबिम्बित और प्रतिभासित होते हैं। यही बात द्रव्यणुके ऊपर छोटे-बड़े सभी स्कन्धोंके विषयमें जान लेना चाहिए।

एक प्रश्न

यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जब चन्द्रमाकी रचना और उसकी भूमितलसे दूरी आदिका तथ्यात्मक (जैसा है वैसा) ज्ञान अल्पज्ञ आप्तोंको नहीं था तो फिर उन्होंने उनका अतथ्यात्मक (जैसा नहीं है वैसा) प्रतिपादन क्यों किया है ?

समाधान

उक्त प्रश्नका समाधान यह है कि अल्पज्ञ आप्तोंने चन्द्रमाकी रचना और उसकी भूमितलसे दूरी आदि का अतथ्यात्मक प्रतिपादन (किसी कपायवश नहीं किया है, केवल तथ्यात्मक (जैसा है वैसा) प्रतिपादनके लिए साधनोंकी कमी होनेके कारण ही वह अतथ्यात्मक (जैसा नहीं है वैसा) प्रतिपादन जैसा समझमें आया वैसा प्रयोजनभूत समझकर किया है। इसलिये इन्हे मिथ्यादृष्टि या मिथ्याज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गोम्मतमार जीवकाण्डमें यह स्पष्ट लिखा है कि सम्यग्दृष्टि जीव तथ्यात्मक वस्तुका श्रद्धान तो करता ही है लेकिन साधनोंके अभावमें वह अतथ्यात्मक वस्तुको भी तथ्यात्मक समझकर उसका भी श्रद्धान करता है और ऐसा श्रद्धान करते हुए भी वह मिथ्यादृष्टि न होकर सम्यग्दृष्टि ही बना रहता है। इतना अवश्य है कि यदि उसे कालान्तरमें अपनी भूल किमो प्रकार समझमें आ जावे, फिर भी वह उस अतथ्यात्मक प्रतिपादनको तथ्यात्मक माननेका ही आग्रह करता है तो तब वह सम्यग्दृष्टि न रहकर मिथ्यादृष्टि ही हो जाता है।^१ इस तरह आज भौतिक विज्ञान द्वारा किया गया चन्द्रमाकी रचना व उसकी भूमितलसे दूरी आदिका निर्णय अल्पज्ञ आप्तों द्वारा प्रतिपादित आगमसे विपरीत होते हुए भी यदि तथ्यात्मक हो तो उसे स्वीकार करनेमें हमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानको कोई ठेस पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है।

एक बात और है कि अल्पज्ञ आप्तों द्वारा लोक-कल्याण भावनासे जान-बूझकर भी अतथ्यात्मक विवेचन कर दिया जाता है। जैसे भोले बच्चेकी माँ बच्चेकी सुरक्षाकी दृष्टिसे कह दिया करती है कि "बेटा !

१ सम्मादृष्टी जीवो उवद्दुं पवयण तु सहृदिवि ।

सहृदिवि असन्भाव अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७ ॥

सुत्तादो तं सम्म दरसिज्जंत जदा ण सहृदिवि ।

सो वेव हवइ मिच्छादृष्टी जीवो तवो पडुवि ॥ २८ ॥

सङ्क पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ हौवा बैठा हुआ है" तो यह कथन यद्यपि अतध्यात्मक है, परन्तु बच्चके प्रति कल्याण-भावनाकी दृष्टिसे कहा जानेके कारण लोकमें सत्य मान लिया जाता है। इसी तरह गायकी सुरक्षाकी दृष्टिसे अल्पज्ञ आप्तो द्राग कमाईको गायके जानेका सही मार्ग न बतलाया जाकर जो गलन मार्ग भी बतला दिया जाता है, उसे भी मत्यात्मक लोकमें मान लिया जाता है। यही कारण है कि स्वामी समन्तभद्र-ने रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें किमी प्राणीके लिए विपत्तिकारक सत्य-वचनको भी असत्य और हितकारक असत्य-वचनको भी मत्य-वचन कहा है।^१ तथा सकल्पी हिंसाके ममान पाप होते हुए भी स्वपर-कल्याण-भावनाके आधारपर की गई आरम्भी हिंसाको यथास्थान उचित बतलाया गया है।^२

आगमके भेद और उनके लक्षण

वर्तमानमें जितना भी आगम है, उसे चार भागोंमें विभक्त किया गया है—१. द्रव्यानुयोग, २. करणानुयोग, ३. चरणानुयोग और ४. प्रथमानुयोग।^३

१. द्रव्यानुयोग वह है, जिसमें अध्यात्म (आत्महित) को लक्ष्यमें रखकर विश्वकी समस्त वस्तुओंकी स्वतन्त्र सत्ता, उपयोगिता और उनकी स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्ययपर्यायोका निर्धारण किया गया हो। इस अनुयोगसे मसारी प्राणि योंके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करनेमें सहायता मिलती है।

२. करणानुयोग वह है, जिसमें अध्यात्म (आत्महित) को लक्ष्यमें रखकर समारी प्राणियोंकी पाप, पुण्य और धर्ममय पर्यायों और उनके कारणोंका विश्लेषण किया गया है। इस अनुयोगसे मसारी प्राणियोंको अपनी पाप, पुण्य और धर्ममय पर्यायो व उनके कारणोंका परिज्ञान होता है।

३. चरणानुयोग वह है जिसमें अध्यात्म (आत्महित) को लक्ष्यमें रखकर समारी प्राणियोंको पाप, पुण्य और धर्मके मार्गोंका परिज्ञान कराया गया हो। इस अनुयोगसे मसारी प्राणियोंमें अपने लक्ष्यकी पूर्तिके लिए पुरुषार्थ जाग्रत होता है।

४. प्रथमानुयोग वह है, जिसमें अध्यात्म (आत्महित) को लक्ष्यमें रखकर तध्यात्मक (जैसे हो वंमें) और आपेक्षिक सत्यताको प्राप्त प्रयोजनभूत कथानकोके आधारपर मसारी प्राणियोंको पाप, पुण्य और धर्मके फलोका दिग्दर्शन कराया गया हो। इस अनुयोगसे प्राणियोंमें अपने लक्ष्यकी पूर्तिके मार्गमें श्रद्धा (रुचि) जागृत होती है।

अध्यात्म (आत्माहित) और उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ?

श्रद्धेय प० दौलतरामजीने छहठालाके प्रथम पद्यमें अध्यात्म (आत्महित) का अर्थ मुख बतलाया है^४ और प्रथम ढालके प्रथम पद्यमें यह बतलाया है कि मसारके सभी अनन्तानन्त जीव मुख चाहत हैं और दुःखसे डरते हैं।^५ मुखप्राप्तिका साधन (मार्ग) स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डकश्रावकाचारमें धर्मको बतलाया है^६

१. रत्नकरण्डकश्रावकाचार, श्लोक ५५ ।

२. वही, श्लोक ५३ ।

३. प्रथम चरणं करणं द्रव्यं नम (शान्तिपाठ) व रत्नकरण्डकश्रावकाचारके पद्य ४३, ४४, ४५, व ४६ ।

४. आत्मकी हित है मुख इत्यादि ।

५. जे त्रिभुवनमें जीव अनन्त, मुख चाहें दुःखमें भयवन्त ।

६. देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणम् । संसारदुःखतः सत्त्वान् यो वरदुत्तमे सुखे ॥ २ ॥

इसलिए कहना चाहिए कि तीर्थंकर महावीरकी देशनाका मुख्य उद्देश्य भी संसारी प्राणियोंको दुःखके जनक अधर्मसे हटाकर सुखके जनक धर्मकी ओर मोड़ना ही था, जिसका प्रतिपादन चरणानुयोगमें किया गया है।

धर्म और अधर्मका स्वरूप

धर्म और अधर्मका स्वरूप बतलानेके पूर्व इस सम्बन्धमें लोककी दृष्टिको भी समझ लेना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है.—

१. प्रायः प्रत्येक मनुष्यकी दृष्टिमें वही सम्प्रदाय श्रेष्ठ है, जिसमें वह पैदा हुआ है, वही दर्शन सत्य है जिसे वह मानता है और उसी क्रियाकाण्डमें स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जो उसे कुल-परम्परासे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और मन्त्री सम्प्रदाय निम्न कोटिके, मन्त्री दर्शन असत्य और सभी क्रियाकाण्ड आडम्बर मात्र हैं। इस तरह लोकका प्रायः प्रत्येक मनुष्य इसी आधारपर अपनेको धर्मात्मा और दूसरोंको अधर्मात्मा मान रहा है।

२. लोकमें धर्मात्मा व्यक्तिके लिए आस्तिक और अधर्मात्मा व्यक्तिके लिए नास्तिक शब्दोंका प्रयोग किया जाता है और इन दोनों शब्दोंकी व्युत्पत्ति व्याकरणमें निम्न प्रकारकी गई है—

अस्ति परलोके मतिर्यस्य म आस्तिक, नास्ति परलोके मतिर्यस्य स नास्तिकः।

अर्थात् जो परलोकको मानता है, वह धर्मात्मा है और जो परलोकको नहीं मानता है वह अधर्मात्मा है।

वास्तवमें देखा जाय तो धर्म और अधर्मकी ये व्याख्याएँ पूर्णतः सही न होकर ये व्याख्याएँ ही पूर्णतः सही हैं कि लोकमें जिस मार्ग पर चलनेसे अन्ध-प्रदय (शान्ति) और अन्तमें निःश्वेयस (मुक्ति अर्थात् आत्म-स्वातन्त्र्य) प्राप्त हो सकता है, वह तो धर्म है और जो लोक तथा परलोक सर्वत्र दुःखका कारण हो वह अधर्म है। तीर्थंकर महावीरकी देशनामें इस बातको लक्ष्यमें रखकर ही चरणानुयोगमें प्रतिपादित धर्मके दश भेद स्वीकार किए गए हैं।

धर्मके दश भेद और उनका स्वरूप

क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, समय, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये धर्मके दश भेद हैं।^१ जीवनमें क्रमिक-विकासके आधारपर ही तीर्थंकर महावीरकी देशनामें धर्मकी यह दश सख्या निश्चित की गयी है। आगे इनका पृथक्-पृथक् विकास-क्रमके आधारपर स्वरूप-विवेचन किया जा रहा है।

१. क्षमा—कभी क्रोधवैशम्य नहीं आना, कभी किसीको कष्ट नहीं पहुँचाना, कभी किसीके साथ माली-मालीज या मार-पीट नहीं करना तथा सबके साथ सदा महिष्णुताका बर्ताव करना।

२. मार्दव—कभी अहंकार नहीं करना, कभी किसीको अपमानित नहीं करना, सबके साथ मदा समानताका व्यवहार करना और मनमें कभी प्रतिष्ठाकी चाह नहीं करना।

३. आर्जव—कभी किसीके साथ छल-कपट नहीं करना, कम देकर अधिक लेने और असली वस्तुमें नकली वस्तु देनेका कभी प्रयत्न नहीं करना—इस तरह अपने जीवनको लोकका विश्वासपात्र बना लेना।

४. सत्य—सबके साथ सदा सहानुभूति और सहृदयताका व्यवहार करना, हित, मित और प्रिय

वचन बोलना, आवश्यकतानुसार दूसरोंकी यथाशक्ति तन, मन और धनसे सहायता करना तथा जीवनके लिए उपयोगी कोटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, मानवोचित और सांस्कृतिक-संरक्षणका पूरा-पूरा प्रयत्न करना ।

५ शौच—अपने जीवनकी सुरक्षा और शान्तिके लिए कुटुम्ब, समाज, नगर, राष्ट्र, विश्व और संस्कृतिके संरक्षणका पूरा-पूरा प्रयत्न करने हुए जीवन-रक्षामें उपयोगी साधनोंके संग्रह और उपयोगका यथोचित ध्यान रखना अर्थात् न तो जीवन-रक्षाके लिए पराश्रित-वृत्ति अपनाना और न उपयोगमें कंजूसी करना ।

६ संयम—अपने जीवनकी सुरक्षामें साधन-भूत सामग्रीके संग्रह और उपयोगमें कुटुम्ब, समाज, नगर, राष्ट्र, विश्व और संस्कृतिके संरक्षणका पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकताओं और अपने अधिकारोंकी सीमा निर्धारित करना और अनावश्यक, प्रकृति-विरोध, संस्कृति-विरोध और लोक-विरोध एवं अधिकारके बाहर उपयोग नहीं करना—इस प्रकार जीवनमें सादगी बना लेना ।

७ तप—बाह्य प्रयत्नों द्वारा शरीरकी आत्मनिर्भर बनानेका प्रयत्न करना तथा अन्तरंग प्रयत्नों द्वारा आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिको जागृत करना—इस प्रकार जीवनकी वर्तमान आवश्यकताओंको कम करना ।

८ त्याग—बाह्य-प्रयत्नों द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धिगत शरीरकी आत्मनिर्भरता और अन्तरंग-प्रयत्नों द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धिगत आत्माकी स्वावलम्बनशक्तिके अनुरूप भोगसामग्रीके संग्रह और उपभोगमें धीरे-धीरे यथायोग्य क्रमसे कमी करते जाना अर्थात् जीवनरक्षाकी साधनभूत उपयोग-सामग्रीका धीरे-धीरे यथाक्रम-से यथाशक्ति त्याग करना ।

९ आकिंचन्य—उपर्युक्त दोनों प्रकारके प्रयत्नों द्वारा ही उत्तरोत्तर वृद्धिगत शरीरकी आत्मनिर्भरता व आत्माकी स्वावलम्बन-शक्तिके अनुरूप जीवन-रक्षाकी साधनभूत उपभोग-सामग्रीके अवलम्बनको यथोक्त क्रम से कम करते-करते अन्तमें अकिंचन (नम्र, दिग्म्बर-मुद्राधारो बनकर मोक्ष (आत्मस्वानन्द्य) की पूर्णता प्राप्त करनेके लिए गृहवासको छोड़कर बनबासी हो जाना ।

१० ब्रह्मचर्य—उपर्युक्त दोनों प्रकारके प्रयत्नों द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धिगत शरीरकी आत्म-निर्भरता और आत्माकी स्वावलम्बन-शक्तिके आधारपर ही भूख, प्यास, रोग आदि शारीरिक बाधाओंके पूर्णतः नष्ट हो जाने (शरीरके पूर्णरूपसे आत्मनिर्भर हो जाने), तथा आत्माकी स्वावलम्बन, शक्तिका चरम-विकास हो जानेपर आत्माके स्वभावभूत अनन्त-चतुष्टय (असोमित-दर्शन, असोमित-ज्ञान असोमित-वीर्य और असोमित-सुख) का उद्भव हो जानेके पश्चात् यथासमय आयुकी समाप्ति हो जानेपर मत्सर (शरीरके साथ आत्माके विद्यमान सम्बन्ध) का सर्वथा विच्छेद हो जाना और नव आगे अनन्तकालतक आत्माका अपने स्वतन्त्र-स्वरूपमें ही रमण करते रहना ।

इस प्रकार दश धर्मोंके स्वरूपका आगमके आधारपर जो यह दिग्दर्शन कराया गया है, वह मानव-जीवनमें धर्मके क्रमिक-विकासको बतलाता है तथा इससे तीर्थंकर महावीरकी देशनामें प्रतिपादित धर्मका स्वरूप और उसका प्राग्भिक व सर्वोत्कृष्ट रूप सरलतासे समझमें आ जाता है ।

उक्त दश-धर्मोंका वर्गीकरण

पूर्वमें स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डकश्रावकाचारके अनुसार धर्मोंको सुखका कारण बतलाया गया है। धर्म और सुखका यह कार्य-कारणभाव दीपक और प्रकाशकी तरह सहभावी है। अर्थात् जिस प्रकार जहाँ दीपक है वहाँ प्रकाश अवश्य रहता है और जहाँ दीपक नहीं है वहाँ प्रकाश भी नहीं रहता है। इसी प्रकार जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख अवश्य होगा और जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ सुख भी नहीं होगा। पूर्वमें धर्मोंका जो यह स्वरूप निर्धारित किया गया है कि लोकमें जिस मार्गपर चलनेसे अमृत्युदय (जीवनमें सुख शान्ति) और अन्तमें निःश्रेयस (मुक्ति अर्थात् आत्मस्वान्त्य) प्राप्त हो सकना है, वह धर्म है। इससे स्पष्ट होता है कि सुख दो प्रकारका होता है—एक तो अमृत्युदय अर्थात् लौकिक-जीवनमें शान्तिरूप सुख और दूसरा निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति या आत्म-स्वान्त्यरूप पारमार्थिक-सुख। इनके आधारपर धर्म भी मूलतः दो भेदोंमें विभक्त हो जाता है—एक तो अमृत्युदय अर्थात् लौकिक-जीवनमें शान्तिरूप सुखका कारणभूत लौकिक-धर्म और दूसरा निःश्रेयस अर्थात् मुक्ति या आत्म-स्वान्त्यरूप पारमार्थिक-सुखका कारणभूत पारमार्थिक-धर्म। जो मनुष्य उक्त पारमार्थिक-सुखको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो पारमार्थिक-धर्मकी शरणमें ही जाना होगा, लेकिन जो मनुष्य पारमार्थिक-धर्मकी शरणमें अपनी अग्रनिवेश नहीं जा सकता है, उसे कम-से-कम अपने लौकिक-जीवनमें शान्तिरूप सुखकी प्राप्तिके लिए लौकिक-धर्मकी शरणमें जाना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि मनुष्यका मुख्य कर्तव्य तो पारमार्थिक सुखको प्राप्तिके लिए पारमार्थिक-धर्मपर चलना ही है, लेकिन जो मनुष्य पारमार्थिक-धर्मपर चलनेमें असमर्थ है, उसे कम-से-कम लौकिक-जीवनमें सुख-शान्तिके उद्देश्यसे लौकिक-धर्मपर अवश्य ही चलना चाहिए। तीर्थंकर महावीरकी देशनामें जो धर्मके उपर्युक्त दश भेद बतलाए गए हैं, वे इसी आशयमें बतलाए गए हैं। इनलिए, उन दश धर्मोंके दो वर्ग निश्चित हो जाते हैं—एक तो लौकिक-धर्मोंका वर्ग और दूसरा पारमार्थिक-धर्मोंका वर्ग। क्षमा, मार्दान, आर्जव, सत्य, शौच और संयम ये छह धर्म तो लौकिक-धर्म कहलाने योग्य हैं और तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये चार धर्म पारमार्थिक-धर्म कहलाने योग्य हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पारमार्थिक-सुखकी प्राप्तिके लिए जिस प्रकार तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप पारमार्थिक-धर्मोंका मानव-जीवनमें महत्व है, उसी प्रकार लौकिक-जीवनमें सुख शान्ति प्राप्त करनेके लिए क्षमा, मार्दान, आर्जव, सत्य, शौच एवं संयम रूप लौकिक-धर्मोंका भी मानव-जीवन में महत्व है। यही कारण है कि धर्मके उल्लिखित दोनों वर्गोंको मानवकी बहत्तर कलाओंमेंसे प्रधान कलाके रूपमें स्वीकार किया गया है।^१ धर्मोंके क्रमिक-विकासकी दृष्टिसे एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि मानव-जीवनमें जब तक उक्त लौकिक धर्मोंका समावेश नहीं होता, तब तक उसमें उक्त पारमार्थिक-धर्मोंका विकास होना असम्भव ही है।

मानव जीवनमें लौकिक-धर्मोंके महत्त्वका कारण

मानव जीवनमें लौकिक-धर्मोंके महत्त्वका उपर्युक्त एक कारण तो यही है कि जब तक मानव-जीवनमें लौकिक धर्मोंका समावेश नहीं होगा, तब तक उसमें पारमार्थिक धर्मोंका विकास होना असम्भव है, लेकिन सामान्यरूपसे मानव-जीवनमें लौकिक-धर्मोंका महत्त्व इसलिए है कि तीर्थंकरकी देशनाके अनुसार प्रत्येक संप्राण शरीरमें उस शरीरसे अतिरिक्त जीवका अस्तित्व है। इतना ही नहीं, वह जीव शरीरके साथ इतना घुला-मिला है कि शरीरके अस्तित्वके साथ ही उसका अस्तित्व उसे समझमें आता है, उसके बिना नहीं। जीवके भीतर जो ज्ञान करनेकी शक्ति है वह भी शरीरकी अंगभूत इन्द्रियोंके सहयोगके बिना धुंधली बनी रहती

१. कला बहत्तर पुरुषकी तामे दो सरदार। एक जीवकी जीविका द्वितीय जीव उद्धार ॥

है और यह भी बात है कि जीव शरीरके इतना अधीन हो रहा है कि उसके जीवनकी स्थिरता शरीरकी स्वास्थ्यमय स्थिरतापर अवलम्बित है। जीवकी शरीरावलम्बनताका यह भी एक विचित्र किन्तु तथ्यपूर्ण अनुभव है कि यदि शरीरमें पिथिलता आदि विकार पैदा होते हैं, तो जीवको क्लेश होता है और जब उन विकारोंके नाशके अनुकूल साधनोंका सहयोग उसे प्राप्त हो जाता है, तो उन विकारोंका नाश हो जानेपर जीवको सुखानुभव होने लगता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि वे साधन अपना प्रभाव शरीरपर ही डालते हैं, परन्तु शरीरकी अधीनताके कारण सुखानुभक्ता जीव होता है।

अब यदि यह कथन मनुष्यके ऊपर लागू किया जाय तो समझमें आ जायगा कि मानव-प्राणी भी शरीरके अधीन है और उसका वह शरीर भी भोजनादिकके अधीन है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य भोजनादिकके उपभोगमें प्रवृत्त होता है। प्रत्येक मनुष्यको भोजनादिककी प्राप्ति अन्य मनुष्यके सहयोगसे ही होती है। यही कारण है कि तीर्थंकर महावीरने “परस्परौपग्रहो जीवानाम्” (त० सू० ५१२?) का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। वैसे तो यह सिद्धान्त सम्पूर्ण मंसारी जीवोपर लागू होता है, परन्तु मानव-जीवनमें तो इसकी वास्तविकता स्पष्ट परिलक्षित होती है और इसीलिए मनुष्यको सामाजिक प्राणी स्वीकार किया गया है जिसका अर्थ यह है, कि प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनमें सुख प्राप्त करनेके लिए कुटुम्ब, नगर, राष्ट्र और यहाँ तक कि विश्वके सहयोगकी आवश्यकता है। इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनमें सुख प्राप्त करनेके लिए कुटुम्ब, नगर, राष्ट्र और विश्वके रूपमें मानव-संगठनके छोटे-बड़े जितने रूप हो सकते हैं, उन सबको ठोस रूप देनेका सतत् प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर महावीरकी देशना में प्रत्येक मनुष्यको सर्वप्रथम उपदेश दिया गया है कि “आत्मनः प्रतिकूलानि परंपा न समाचरेत्” अर्थात् दूसरोंका जो आचरण उसको अपने प्रतिकूल जान पड़ता है वंसा आचरण उसको दूसरोंके साथ नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं, दूसरोंसे अपने प्रति वह वंसा आचरण चाहता है, वंसा ही आचरण उसे दूसरोंके साथ भी करना चाहिए।

वास्तवमें देखा जाय तो वर्तमानमें प्रत्येक मनुष्यकी यह दशा है कि वह दूसरोंको निरपेक्ष भावसे सहयोग देनेके लिए तो तैयार ही नहीं होता है, परन्तु अपनी प्रयोजन-निम्निके लिए वह न केवल दूसरोंसे निरपेक्ष-सहयोग प्राप्त करनेका सतत् प्रयत्न करना रहता है, प्रत्युत दूसरोंके साथ सघर्ष करने, उन्हें तिरस्कृत करने और उन्हें धोखेमें डालनेसे भी नहीं चूकता है। इतना ही नहीं, प्रत्येक मनुष्यका यह स्वभाव बना हुआ है कि वह अपना प्रयोजन रहते अथवा न रहते भी दूसरोंके साथ हमेशा अनुचित आचरण करनेमें आनन्दित होता है।

तीर्थंकर महावीरके समयमें भी मानव-समाजकी यही दशा थी और उन्होंने जाना था कि यह दशा मानव-समाजको विषटित करके प्रत्येक मनुष्यके जीवनको तस्त करनेवाली है, अतः उन्होंने अपनी देशनामें यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया था कि मानव-जीवनमें शान्ति-स्थापनाकी रीठ सामाजिक संगठनको सुदृढ करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके साथ, प्रत्येक कुटुम्बको दूसरे कुटुम्बोंके साथ, प्रत्येक नगरको अन्य नगरोंके साथ और प्रत्येक राष्ट्रको अन्य सभी राष्ट्रोंके साथ अपना प्रयोजन रहत न रहते सभी भी अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आवश्यकता पड़नेपर सभीको सभीके साथ निरपेक्ष-भावसे सतत् सहायकपनेका आचरण करते रहना चाहिए।

तीर्थंकर महावीरकी देशनामें तो यज्ञोंमें धर्मके नामपर होनेवाले पशुओंकी रक्षाके अनुकूल जनमत जागृत करनेके लिये यहाँ तक कहा गया था कि जब प्राणीमात्र एक-दूसरे प्राणीका उपकारक है तो प्रत्येक

मनुष्यको सतत् "मत्सेवु मैत्री" वाला पाठ याद रखना चाहिए और दूसरोंके साथ पूर्वोक्त स्वरूपवाले क्षमा, मार्दव, आर्जव तथा मत्स्य धर्मोंके रूपमें ही अपना पवित्र आचरण बना लेना चाहिए। इस तरह प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक कुटुम्ब, प्रत्येक नगर और प्रत्येक राष्ट्र अर्थात् विश्वका मानवमात्र जब नीरर्थकर महावीर ढागा उपदिष्ट पूर्वोक्त स्वरूपवाले क्षमा, मार्दव, आर्जव और सत्य धर्ममय अपना जीवन बना ले तभी वह अपनेको मानव या मत्स्य कहलानेका अधिकारी हो सकता है तथा विश्वमें मच्छी अहिंसाका प्रसार भी इसी आधारपर हो सकता है और मानव-जीवनमें इसी आधारपर सुख-शान्तिकी लहर दौड़ सकती है।

उमर मनुष्यके सामाजिक-जीवनकी क्षौकी बतलायी गयी है। इसके अतिरिक्त मनुष्यको जीवनमें सुखी बननेके लिए अपने व्यक्तिगत जीवनको भी धर्ममय बनाना होगा। अर्थात् लोकमें बहुतसे मनुष्य ऐसे देखनेमें आते हैं कि वे लोभके बर्षाभूत होकर सम्पत्तिके मंत्रहमें जितना आनन्द लेते हैं, उतना आनन्द वे उसके उपभोगमें नहीं लेते, यहाँ तक कि वे अपने शरीरकी आवश्यकताओंकी पूर्तिमें भी बड़ी कंजूसीके साथ काम लेते हैं। इसी तरह लोकमें बहुतसे मनुष्य ऐसे देखनेमें आते हैं कि वे लोलुपतावश पीची इन्द्रियाके विषयोका आवश्यकतासे अधिक उपभोग करते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते।

बात तो वास्तवमें यह है कि भोजनादि पदार्थ मनुष्यको मनसन्तुष्टिके लिए बिलकुल उपयोगी नहीं हैं, केवल शरीरके लिए ही वे उपयोगी सिद्ध होते हैं, फिर भी मनुष्य अपने मनके बर्षाभूत होकर ऐसा भोजन करनेसे नहीं चूकना, जो उमकी आर्गीरक प्रकृतिके बिलकुल प्रतिकूल पडता है। इसी प्रकार वस्त्र या अन्य सभी उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंके विषयमें प्रायः प्रत्येक मनुष्य जितनी मानसिक अनुकूलताकी बात सोचता है, उतनी शारीरिक अनुकूलताकी बात वह कभी नहीं सोचता है। ऐसा करनेसे मनुष्यके जीवनका ह्रास तो होना ही है, परन्तु माय ही उसके डम आचरणका मानव-समाजके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए तीर्थकर महावीरके उपदेशमें यह बात बतलायी गयी है कि भोजन आदि बाह्य-सामग्री जीवनके लिए बड़ी उपयोगी है। अतः मनुष्यको उसका जीवनमें उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो—इस बातका भी उसे पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह प्रत्येक मनुष्यको उपर्युक्त क्षमा, मार्दव, आर्जव और मत्स्य धर्मोंके साथ ही मद्रहयुक्तिकी समाप्त करनेवाले शौच-धर्म तथा विलासपूण-वृत्तिकी समाप्त करनेवाले मंगम-धर्मका अवलम्बन अपने जीवनमें अवश्य लेना चाहिए।

वास्तवमें विचार किया जाय तो लोक-शान्ति और जीवन-शान्तिके लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, मत्स्य, शौच और मयम ये छह धर्म हैं। इसलिए जबतक मानव-समाज इनके महत्त्वको न समझकर इनकी उपेक्षा करता रहेगा, तबतक उसके जीवनमें कुटुम्बमें, नगरमें, राष्ट्रमें और विश्वमें कभी भी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, और न कोई भी मनुष्य पारमाथिक सुखके कारणभूत पारमाथिक धर्मकी ओर ही वास्तविक रूपमें अग्रसर हो सकता है।

पारमाथिक धर्मोंकी मोल-कारणता

उमर बतलाया गया है कि पारमाथिक धर्म नि श्रयस अर्थात् मुक्ति या आत्मस्वानन्द्यरूप पारमाथिक सुखके कारण हैं और यह भी बतलाया गया है कि मानव-जीवनमें जबतक उपर्युक्त लौकिक-धर्मोंका समावेश नहीं होगा, तबतक उसमें उक्त पारमाथिक धर्मोंका विकास होना सम्भव नहीं है। अर्थात् उपर्युक्त प्रकार

१. सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यास्थ्याभाव विपरीतवृत्ती सदा ममात्मा विदधानु देव ॥—सामायिक पाठ ।

लौकिक धर्मोपर चलनेवाला मानव जब शारीरिक और ऐहिक दृष्टिसे सुखी हो जाता है, तभी वह यह सोचने-के लिए सक्षम होता है कि मेरा जीवन धरोगके अधीन है और शरीरकी प्थिरताके लिए मुझे भोजन, वस्त्र, आवास और इनको पूतिके लिए कुटुम्ब, नगर, राष्ट्र तथा विषय तकका महारा लेना पडता है। इस तरह मैं मानव-समूहके विशाल-जालमें फंसा हुआ हूँ। ऐसी स्थितिमें वह अपना भावी कर्तव्यका मार्ग इस प्रकार निश्चित करता है कि जिससे वह शरीर-बन्धनसे छुटकारा पा सके। उसके उम कर्तव्य-मार्गको तीर्थंकर महावीरकी देशानामे इस प्रकार बतलाया गया है कि सर्व प्रथम उसे अनशन आदि पूर्वोक्त बाह्य-प्रयत्नो (तपो) द्वारा शरीरमें आत्म-निर्भरता लानेका व प्रायश्चित आदि पूर्वोक्त अन्तरंग प्रयत्नो (तपो) द्वारा आत्मामें स्वावलम्बनता लानेका पुरुषार्थ करना चाहिए तथा इन बहिरंग और अन्तरंग प्रयत्नोके आधारपर ही जैसी-जैसी शरीरकी आत्मनिर्भरता और आत्माकी स्वावलम्बनता बढनी जाय, उसके आधारपर उसे बाह्य-पदार्थोके अवलम्बनको छोडने रूप त्याग धर्म (अणुव्रत आदि श्रावक धर्म) और इसके भी आगे आकिंचन्य धर्म (महाव्रत आदि मुनि-धर्म)को अगीकार कर लेना चाहिए। इस तरहका पुरुषार्थ उसे तबतक करने रहना चाहिए, जब-तक कि उसका शरीर पूर्ण आत्मनिर्भर न हो जाय और आत्मा पूर्ण स्वावलम्बी न बन जाय। शरीरके पूर्ण आत्मनिर्भर हो जाने और आत्माके पूर्ण स्वावलम्बी बन जानेपर वह सर्व प्रथम जीवनमुक्त परमात्मा बनता है और अन्तमें वह शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेपर ब्रह्मचर्यका धारक (आध्यात्म परमात्मा) बन जाता है अर्थात् नि श्रेयस (मुक्ति या आत्मस्वातन्त्र्य) को प्राप्तकर पारमार्थिक सुखका मोक्षता परमात्मा बन जाता है और वह सर्वथा अजर व अमर बना रहता है।

तीर्थंकर महावीरकी देशानामे उपविष्ट धर्मतत्त्वका यह विवेचन आगमके एक भेद चरजानुयोगके आधार पर किया गया है, क्योंकि तीर्थंकर महावीरके धर्मतत्त्वको समझनेके लिए हमें चरजानुयोग ही एक महारा है। चरजानुयोगमें धर्मतत्त्वको समझनेके लिए यद्यपि और भी कई प्रकार बतलाए गए हैं, परन्तु वे सब प्रकार भी धर्मतत्त्वको उपर्युक्त रूपमें ही प्रदर्शित करते हैं। यथा—

१ मिथ्यादर्शन (सुखकी अभिलाषासे दुःखके कारणोमें रुचि रखना), मिथ्याज्ञान (दुःखके कारणोको सुखके कारण समझना) और मिथ्याचारित्र (सुखकी प्राप्तिके लिए दुःखजनक प्रवृत्ति करना) यह सब अधर्म हैं तथा इनके ठीक विपरीत अर्थात् सम्यग्दर्शन (सुखकी अभिलाषासे सुखके कारणोमें ही रुचि रखना), सम्यग्ज्ञान (सुखके कारणोको ही सुखके कारण समझना) और सम्यक्चारित्र (सुख-प्राप्तिके लिए सुखके ही कारणोमें प्रवृत्त होना) यह सब धर्म हैं।^१

२ हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, भोगविलासमें जीवन बिताना और घनादिकके संग्रहको ही जीवनका लक्ष्य बना लेना—यह सब अधर्म हैं तथा इस प्रकारकी प्रवृत्तियोंको जीवनसे निकाल देना—यह सब धर्म हैं।^२

३ धार्मिक प्रवृत्ति (धर्मपुरुषार्थ), आर्थिक प्रवृत्ति (अर्थपुरुषार्थ) और भोगमें प्रवृत्ति (कामपुरुषार्थ) इनका जीवनमें समन्वय नहीं करना अधर्म है तथा इनका जीवनमें समन्वय करते हुए अन्तमें केवल धर्मपुरुषार्थ-पर आरुढ हो जाना अर्थात् मोक्षपुरुषार्थमय जीवनको बना लेना धर्म है।

पहले प्रकारमें जो सम्यग्दर्शादिकको धर्म कहा गया है, उनमेंसे सम्यग्दर्शनका अन्तर्भाव तो क्षमा,

१ रत्नकरण्डकत्रावकाचार, दलोक ३।

२. हिंसाभ्रूतस्तेबाह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ।—तत्त्वार्थसूत्र ७।९।

मार्दव, सत्य, शौच और संयम धर्मों में हो जाता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जबतक अपने जीवनमें इन छह धर्मोंको स्थापन नहीं देगा तब तक सम्यग्दृष्टि त्रिकालमें नहीं हो सकता है। इसका भी कारण यह है कि सम्यग्दृष्टिको वृत्ति और प्रवृत्ति कभी अन्धाय, अत्याचार आदि उच्छृंखलनाओंको लिए हुए नहीं हो सकती है और यदि इन तरहकी वृत्ति और प्रवृत्ति किसीकी होती है तो वह सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सम्यक्चारित्र्यका अन्तर्भाव तप, त्याग, आर्कचम्य और ब्रह्मचर्य धर्मों में हो जाता है। जैसा कि इन धर्मोंके पूर्वमें किए गए स्वरूप-विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है। सम्यग्ज्ञानके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि ज्ञान अपने आपमें न तो धर्म है और न अधर्म है, इसलिए जब तक उसका सम्बन्ध मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्र्यसे रहता है तब तक तो उसका अन्तर्भाव अधर्ममें होता और जब उसका सम्बन्ध सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यसे हो जाता है तब उसका अन्तर्भाव धर्ममें हो जाता है।

दूसरे प्रकारमें जो अहिंसादिकको धर्म कहा गया है उनका समावेश क्षमा आदि धर्मोंमें निम्न प्रकार होता है।

अहिंसा और अचौर्य ये दोनो निवृत्तिपरक धर्म हैं क्योंकि हिंसासे निवृत्ति अहिंसा, और चोरीमें निवृत्ति अचौर्य कहलाता है। दूसरोके लिए अश्रिय वचन बोलना अथवा बध, बन्धन, ताड़न, छेदन, भेदन आदि क्रियाओं द्वारा कष्ट पहुँचाना हिंसा है, अतः इन सबमें निवृत्ति स्वरूप अहिंसाका समावेश क्षमाधर्ममें होता है। इसी प्रकार दूसरोकी वस्तुओंको उनको आज्ञाके बिना अपनी बना लेना चोरी है। यह चोरी अपने आपमें अधर्म न होकर दूसरोको कष्ट पहुँचाने के लिए हिंसाका कारण होनेसे ही अधर्म है अतः कारणमें कार्यका उपचार होनेमें चोरी भी एक तरहसे हिंसाका ही रूप सिद्ध होती है, इसलिए चोरीमें निवृत्तिरूप अचौर्यधर्मका समावेश भी क्षमाधर्ममें हो जाता है। तथा यदि और बागीकीसे अहिंसा व अचौर्यका विश्लेषण किया जाय तो अहिंसाका समावेश क्षमाके माथ-माथ मार्दवधर्ममें होता है, कारण कि अश्रिय वचन बोलनेका अर्थ दूसरोका तिग्मस्कार करना ही तो है अतः दूसरोका तिग्मस्कार नहीं करने रूप अहिंसाका समावेश मार्दवधर्ममें भी हो जाता है। इसी तरह अचौर्य धर्मका समावेश आर्जव धर्ममें करना उचित है कारण कि छल-कपट करना चोरीका ही रूपान्तर है।

मत्स्य धर्म प्रवृत्तिपरक धर्म है। लोकमें दूसरोको कष्ट नहीं पहुँचाना, इनका तिग्मस्कार नहीं करना और उन्हें धोखेमें नहीं डालना—यह तो धर्म है ही, परन्तु अहिंसा और अचौर्य धर्मोंकी सीमा केवल इस तरहके अधर्मसे निवृत्ति रूपमें ही नहीं समाप्त हो जाती है प्रत्युत इस निवृत्तिके आगे इनका कुछ प्रवृत्तिपरक रूप भी होता है। इसलिये उक्त प्रकारसे अहिंसा और अचौर्यवृत्तिके धारक मनुष्यको तीर्थंकर महावीरकी देशनामें यह उपदेश दिया गया है कि दूसरोके प्रति हित-मित-प्रिय वचन बोलो, उनके साथ महानुभूति और सहृदयताका व्यवहार भी करो तथा आवश्यकतानुसार उन्हें यथाशक्ति तन-मन-धनसे सहायता भी पहुँचाओ। इस तरह अहिंसादि पाँच धर्मोंमें समाविष्ट सत्य-धर्म और क्षमा आदि दश धर्मोंमें समाविष्ट मत्स्य धर्म—इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता है। ये अहिंसा आदि तीन धर्म और क्षमा आदि चार धर्म लौकिक धर्म ही हैं, कारण कि ये सभी मानव-संगठनकी स्थिरताके आधार हैं।

'कुशील' शब्दका लौकिक दृष्टिमें अर्थ होता है—पर वस्तुओंका जावनको हानिकर एवं अमर्यादित होकर उपभोग करना, इसलिए इससे विपरीत अर्थके बोधक ब्रह्मचर्य धर्मका समावेश संयम धर्ममें होता है। परन्तु यहाँ पर इतना और ध्यान रखना चाहिए कि पारमार्थिक धर्मोंकी ओर बढ़ने वाले मनुष्यके लिए जो उपभोग आज आवश्यक है, कलुष वह उसे अनावश्यक भी हो जाता है। अतः ऐसे अनावश्यक उपभोगका त्याग

धर्ममें और अन्ततोगत्वा आकिचन्य धर्ममें समाविष्ट होता है। लोकमें और धर्मग्रन्थोंमें ब्रह्मचर्य धर्मका जो पर-पुरुष या पर-स्त्री-रमणका त्याग अथवा आगे स्वपुरुष और स्वस्त्री-रमणका भी त्याग अर्थ किया जाता है वह यद्यपि मिथ्या नहीं है परन्तु वह अपूर्ण अवश्य है, कारण कि मनके वशीभूत होकर अथवा शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए जितना पर वस्तुओंका अवलम्बन जीवनमें लिया जाता है वह सभी कुशीलमें अन्तर्भूत होता है। इसलिए परवस्तुओंके अवलम्बनका मानसिक दृष्टिसे तो सर्वथा त्याग हो जाना तथा शारीरिक दृष्टिसे शक्तिके अनुसार त्यागकर देना ही ब्रह्मचर्य धर्म है।

‘अपरिग्रह’ शब्दके दो अर्थ होते हैं—एक तो ईषत् परिग्रह (सग्रह) अर्थात् परिग्रह (सग्रह) का परिमाण और दूसरा परिग्रह (सग्रह) का त्याग। इस तरह परिग्रहके परिमाण रूप अपरिग्रह धर्मका समावेश लौकिकः धर्म होनेके कारण औच धर्ममें और परिग्रहके त्याग रूप अपरिग्रह धर्मका समावेश पारमाधिक धर्मके रूपमें त्याग तथा आकिचन्य धर्ममें होता है। और अन्तमें उपभोग तथा परिग्रह दोनोंका त्याग दशम ब्रह्मचर्यमें अन्तर्भूत होता है।

यदि उक्त पाँचों पापोंके उद्भवके सम्बन्धमें विचार किया जाय तो समझमें आ जायगा कि उनमेंसे कुशील (भोग) और परिग्रह (सग्रह) ये दोनों पाप जीवकी लोभ-वृत्तिके परिणाम हैं तथा हिंसा, झूट और चोरी क्रोध, मान और माया-वृत्तिके परिणाम हैं लेकिन इनमें यदि परस्परके कार्यकारणभावपर विचार किया जाय, तो कहा जा सकता है कि कुशील (भोग) और परिग्रह (सग्रह) ये दोनों पाप ही सब पापोंके मूल हैं क्योंकि प्रायः देखनेमें आता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वाध्यायपूर्तिके लिये ही हिंसा करनेमें उद्यत होता है, झूट बोलता है और चोरी भी करता है। इस तरह कहना चाहिए कि सबसे भयंकर पाप जीवकी स्वाध्याय-वृत्तिका परिचायक लोभ ही है। यही कारण है कि चरणानुयोग-आगममें “लोभ पापका बाप बलाना”के रूपमें लोभको पापका बाप कहकर पुकारा गया है।

इस प्रकार धर्मकी चाहे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप व्याख्या की जावे, चाहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप व्याख्या की जावे अथवा चाहे क्षमा आदि उपर्युक्त दश धर्म रूप व्याख्या की जावे—इन सभी व्याख्याओंमें भावका कुछ भी अन्तर नहीं है। अर्थात् ये सभी प्रकारके धर्म पूर्वोक्त प्रकार धर्मके लौकिक और पारमाधिक दोनों वर्गोंमें समाविष्ट होते हैं। इसी धर्मका एक प्रकार जो धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थोंके समन्वयरूप त्रिवर्गके रूपमें व केवल धर्म पुरुषार्थकी स्थितिको प्राप्त मोक्ष-पुरुषार्थरूप अपवर्गके रूपमें बतलाया गया है वह भो त्रिवर्गके रूपमें तो धर्मके लौकिक वर्गमें और अपवर्गके रूपमें धर्मके पारमाधिक वर्गमें समाविष्ट होता है।

यहाँपर मैं इतना और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तीर्थंकर महावीरकी देशनाके अनुसार धर्मका सद्भाव सम्यग्दर्शनके रूपमें देवगति और नरक गतिमें तथा सम्यग्दर्शन और यत्किंचित् चारित्रिके रूपमें तिर्यंगतिमें भी स्वीकार किया गया है। परन्तु लोकमें और धर्मग्रन्थों (चरणानुयोग) में धर्मके विषयमें जो कुछ सोचा और कहा गया है, उनमें मुख्यतया मानव-जीवनको ही लक्ष्य बनाया गया है। वास्तवमें बात भी ऐसी है कि धर्मका जो महत्त्व मानव-जीवनमें प्रस्फुटित होता है वह नारकियों, देवों और तिर्यकोंके जीवनमें प्रस्फुटित नहीं होता, क्योंकि संसारमें मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे अपना जीवन मुख्यमय बनानेके लिए मानव-समाजको लेकर समगतात्मक प्रयत्न करना और अपने जीवनके अधिकारोंकी सीमा निर्धारित करना अनिवार्य होता है तथा मोक्षकी प्राप्ति भी मानव-जीवनसे ही होती है।

इस तरह चरणानुयोगकी दृष्टिसे निर्णीत किया जाय, तो तीर्थंकर महावीरका तत्त्वज्ञान धर्मतत्त्वके

रूपमें ही निर्णीत होता है और यह धर्मतत्त्व जैसा कि अगर बतलाया जा चुका है—लौकिक तथा पारमाथिक सुखमें कारणभूत लौकिक और पारमाथिक धर्मों के रूपमें विभक्त हो जाता है। इस धर्मतत्त्वको इसी रूपमें यदि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक कुटुम्ब, प्रत्येक नगर और प्रत्येक देश—इस तरह सम्पूर्ण विश्वकी मानव जाति हृदयंगम करके अपने जीवनका अंग बना ले तो एक तो विश्वमें सर्वत्र संघर्षकी स्थिति समाप्त होकर परस्पर प्रेमभावका संचार हो सकता है; दूसरे प्रत्येक मानव अन्तमें अपने महान लक्ष्य पूर्वोक्त पारमाथिक सुखकी प्राप्तिकी ओर भी यथाशक्ति अग्रसर हो सकता है।

यद्यपि तीर्थंकर महावीरका तत्त्वज्ञान द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे छह प्रकारके द्रव्योंके रूपमें व करणानुयोग की दृष्टिसे सप्ततत्त्व या नवतत्त्वोंके रूपमें भी निर्णीत होता है। साथ ही इस सभी प्रकारके तत्त्वज्ञानकी व्यवस्थाके लिए तीर्थंकर महावीरकी देशनामे कर्मवाद, अनेकान्तवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगीवाद तथा प्रमाणवाद और नयवादकी भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। परन्तु जिस प्रकार ऊपर धर्मतत्त्वकी विस्तारसे विवेचना की गयी है, उसी प्रकार इन सबकी विवेचना भी विस्तारकी अपेक्षा रखती है, जो कि स्वतन्त्र रूपसे अनेक लेखोंका रूप धारण करने योग्य है। अतः आवश्यक होकरके भी इन सबपर लेखमें विचार नहीं किया गया है। ये सभी विषय आवश्यक इसलिए हैं कि इनका सम्बन्ध मनुष्यके पारमाथिक जीवनसे तो है ही, परन्तु उसके लौकिक जीवनसे भी कम सम्बन्ध नहीं है क्योंकि विचारकर देखा जावे तो समझमें आ सकता है कि प्रत्येक मनुष्य का एक क्षण भी इनके बिना नहीं व्यतीत होता अर्थात् प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनके प्रत्येक क्षणमें इनका उपयोग तो करता ही रहता है, परन्तु इनके स्वरूपसे वह हमेशा अनभिज्ञ बना हुआ है।



जैन दर्शनमें आत्मतत्त्व

१. जैन दर्शनके प्रकार

प्रचलित दर्शनमेंसे किसी-किसी दर्शनको तो केवल भौतिक दर्शन और किसी-किसी दर्शनको केवल आध्यात्मिक दर्शन कहा जा सकता है। परन्तु जैन-दर्शनके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार स्वीकार किये गये हैं।

विश्वको सम्पूर्ण वस्तुओंके अस्तित्व, स्वरूप, भेद-प्रभेद और विविध प्रकारमें होनेवाले उनके परिणामना विवेचन करना 'भौतिक दर्शन' और आत्माके उत्थान, पतन तथा इनके कारणोंका विवेचन करना 'आध्यात्मिक दर्शन' है। साथ ही भौतिक दर्शनको 'द्रव्यानुयोग' और आध्यात्मिक दर्शनको 'करणानुयोग' भी कह सकते हैं। इस तरह भौतिकवाद, विज्ञान (साइन्स) और द्रव्यानुयोग ये सब भौतिक दर्शनके और अध्यात्मवाद तथा करणानुयोग ये दोनों आध्यात्मिक दर्शनके नाम हैं।

२ जैन संस्कृतिमें विश्वकी मान्यता

'विश्व' शब्दको कोष-ग्रन्थोंमें सर्वार्थवाची शब्द स्वीकार किया गया है, अतः विश्व शब्दके अर्थमें उन सब पदार्थोंका समावेश हो जाता है जिनका अस्तित्व संभव है। इस तरह विश्वको यद्यपि अनन्त^१ पदार्थोंका समुदाय कह सकते हैं। परन्तु जैन-संस्कृतिमें इन संपूर्ण अनन्त पदार्थोंको निम्नलिखित छ^२ वर्गोंमें समाविष्ट कर दिया गया है—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।

इनमेंसे जीवोंकी^३ संख्या अनन्त है, पुद्गल भी अनन्त है, धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनों एक-एक हैं तथा काल असंख्य है। इन सबको जैन-संस्कृतिमें अलग-अलग द्रव्य^४ नामसे पुकारा गया है क्योंकि एक प्रदेशको^५ आदि लेकर दो आदि संख्यात और अनन्त प्रदेशोंके रूपमें अलग-अलग इनके आकार पाये जाते हैं या बतलाये गये हैं।

जिस द्रव्यका निर्ग^६ एक ही प्रदेश होता है उसे एकप्रदेशी^७ और जिस द्रव्यके दो आदि संख्यात, असंख्यात या अनन्त प्रदेश होते हैं उसे बहुप्रदेशी^८ द्रव्य माना गया है। इस तरह प्रत्येक जीव तथा धर्म और

१. अमरकोष—तृतीयकाण्ड-विशेष्यनिघन्तवर्ग, श्लोक—६४, ६५।

२. 'अनन्त' शब्द जैन-संस्कृतिमें मर्यादविशेषका नाम है। इसी तरह आगे आनेवाले संख्यात और असंख्यात शब्दोंको भी संख्याविशेषवाची ही माना गया है। जैन-संस्कृतिमें मर्यातके संख्यात, असंख्यातके असंख्यात और अनन्तके अनन्त-भेद स्वीकार किये गये हैं। (इनका विस्तृत विवरण-तत्त्वार्थराजवार्तिक—१-३८।

३. अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः, जीवाश्च और कालश्च।—त० अ० ५-१, ३ व ३८।

४. यद्यपि विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंकी संख्या ही अनन्त है लेकिन अनन्त संख्याके अनन्त-भेद होनेके कारण जीवोंकी संख्या भी अनन्त है और पुद्गलोंकी संख्या भी अनन्त है। इसमें कोई विरोध नहीं आता।

५. द्रव्याणि।—तत्त्वार्थसूत्र ५।२।

६. द्रव्यसंग्रह गा० २७।

७. एकप्रदेशावदपि द्रव्यं स्यात् स्रष्टवजितं स यथा।—पंचाध्यायी, १-३६।

८. पंचाध्यायी, १।२५।

अधर्म ये नीनों द्रव्य समान असंभ्यात^१ प्रदेशोंके रूपमें बहुप्रदेशी द्रव्य है, अनन्त^२ पुद्गल निर्ण एक प्रदेश वाले द्रव्य हैं और अनन्त^३ पुद्गल दो आदि संभ्यात, असंभ्यात तथा अनन्त प्रदेशोंके रूपमें बहुप्रदेशी द्रव्य माने गये हैं। इसी प्रकार आकाशको अनन्त^४ प्रदेशोंके रूपमें बहुप्रदेशी और संपूर्णकालोंमेंसे प्रत्येक कालको एकप्रदेशी^५ द्रव्य स्वीकार किया गया है। यहाँपर इतना ध्यान और रखना चाहिये कि संपूर्ण काल द्रव्य असंभ्यात^६ होकर भी उत्तन है, जितने कि प्रत्येक जीवके या धर्म अथवा अधर्म द्रव्यके प्रदेश बतलाये गये हैं।

इन सब द्रव्योंमें आकाश द्रव्य सबसे बड़ा और सब ओरसे असीमित विस्तार वाला द्रव्य है तथा बाकीके सब द्रव्य इसी आकाशके अन्दर ठीक मध्यमें सीमित होकर रह रहे हैं।^७ इस प्रकार जितने आकाशके अन्दर उक्त सब द्रव्य याने सब जीव, सब पुद्गल, धर्म, अधर्म, और सब काल विद्यमान है उतने आकाशको लोकाकाश और शेष समस्त सीमागृहित आकाशको अलोकाकाश नामसे पुकारा गया है।^८ यहाँपर भी इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि आकाशके जितने हिस्समें धर्म द्रव्य अथवा अधर्म द्रव्यका जिस रूपमें वास है वह हिस्सा उसी रूपमें लोकाकाशका गमज्ञना चाहिये। इस तरह लोकाकाशके भी धर्म अथवा अधर्म द्रव्यके समान ही असंभ्यात प्रदेश सिद्ध होते हैं तथा धर्म और अधर्म द्रव्योंकी ही तरह सम्पूर्ण अनन्त जीव द्रव्यों, संपूर्ण अनन्त पुद्गल द्रव्यों तथा संपूर्ण असंभ्यात काल द्रव्योंका निवास भी आकाशके इसी हिस्सेमें समझना चाहिये।

धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्योंकी बनावटके बारेमें जैन-ग्रन्थोंमें लिखा है कि जब कोई मनुष्य यथामुभव अपने दोनों पैर फँसाकर और दोनों हाथोंको अपनी कमरपर रखकर सीधा खड़ा हो जावे, तो जो आकृति उस मनुष्यकी होती है वही आकृति धर्म और अधर्म दोनों द्रव्योंकी समझनी चाहिये। यही कारण है कि लोकको पुरुषके आकार वाला बतलाया गया है और जैसे—ब्रह्माण्ड या परब्रह्म भी इसीलिए कहा गया है।

धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यकी बनावटके^९ बारेमें जैन-ग्रन्थोंमें यह भी लिखा है कि इन दोनों द्रव्योंकी ऊँचाई चौदह रज्जु, मोटाई उत्तर-दक्षिण सर्वत्र मान रज्जु और चौड़ाई पूर्व-पश्चिम नाँचे बिल्कुल अन्तमें सात रज्जु, ऊपर क्रममें घटते घटते मध्यमें सात रज्जुकी ऊँचाईपर एक रज्जु, फिर इसके ऊपर क्रममें बढ़ते-बढ़ते साडे तीन रज्जुकी ऊँचाईपर पाँच रज्जु तथा उसके भी ऊपर क्रमसे घटते-घटते बिल्कुल अन्तमें साडे तीन रज्जुकी ऊँचाईपर एक रज्जु है।

१ असंभ्येया प्रदेशा धर्माधर्मजीवानाम् ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ८ ।

२. नाणो ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र ११ । यहाँपर 'अणु' एकप्रदेशी द्रव्य है' यही अर्थ ग्रहण किया गया है ।—पंचाध्यायी, अध्याय १ श्लोक ३६ ।

३. संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १० । यहाँपर 'व' शब्दसे अनन्तसंख्याका भी ग्रहण किया गया है ।

४. आकाशास्थानन्ता ।—तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय ५, सूत्र ९ ।

५. देखिये, टिप्पणी नं० ७ "कालानुर्वायत स्वत सिद्ध." ।

६. ते कालाणु असंखदध्वाणि ।—द्रव्यसंग्रह गा० २२ ।

७. लोकाकाशेऽवगाह ।—तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५, सूत्र १२ ।

८. पंचाध्यायी, अ० २, श्लोक २२ ।

९. तत्त्वार्थराजवार्तिक—५-३८ ।

जब कि धर्म और अधर्म द्रव्योंकी बनावटके समान ही लोकाकाशकी बनावट है तो इसका मतलब यही है कि लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर धर्म और अधर्म द्रव्योका एक-एक प्रदेश साथ-साथ बैठा हुआ है^१ तथा इसी तरह लोकाकाशके उस-उस प्रदेशपर धर्म और अधर्म द्रव्योके प्रदेशोके साथ-साथ एक-एक काल द्रव्य भी विराजमान^२ है। इस तरह सम्पूर्ण असंख्यात काल द्रव्य मिलकर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तथा लोकाकाशकी बनावटका रूप धारण किये हुए है।

इन चारों द्रव्योमेसे आकाश द्रव्य तो असीमित अर्थात् व्यापक होनेकी वजहसे निष्क्रिय है ही, साथ ही शेष धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और संपूर्ण काल द्रव्योको भी जैन-संस्कृतिमे निष्क्रिय^३ द्रव्य ही स्वीकार किया गया है अर्थात् इन चारो प्रकारके द्रव्योमे हलन-चलनरूप क्रियाका सर्वथा अभाव है। ये चारो ही प्रकारके द्रव्य अक्षय स्थिर होकर ही अनादिकालसे रहते आये है और रहते रहेंगे। इनके अतिरिक्त सभी जीव और सभी पुद्गल द्रव्योको क्रियावान् द्रव्य स्वीकार किया गया है और यह भी एक कारण है कि जिस प्रकार धर्मादि द्रव्योंकी बनावट नियत है उस प्रकार जीव द्रव्यो और पुद्गल द्रव्योंकी बनावट नियत नहीं है। प्रत्येक जीव यद्यपि धर्म या अधर्म अथवा लोकाकाशके बराबर प्रदेशो वाला है और कभी-कभी कोई जीव अपने प्रदेशोको फैलाकर समस्त^४ लोकमे व्याप्त होता हुआ उस आकृतिको प्राप्त भी कर लेता है। परन्तु सामान्यरूपसे प्रत्येक जीव छोटे-बड़े जिस शरीरमे जिस समय पहुँच गया हो, उस समय वह उसीकी आकृति^५ का रूप धारण कर लेता है। पुद्गल द्रव्योमे यद्यपि एकप्रदेशी सभी पुद्गल क्रियावान् होते हुए भी नियत आकारवाले हैं। परन्तु अवगाहन-शक्तिकी विविधताके कारण दो आदि मंख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशोवाले पुद्गलोके आकार नियत नहीं है। यही वजह है कि दो आदि मंख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशोवाले अनन्तो पुद्गल लोकाकाशके एक-एक प्रदेशोमे भी समाकर रह रहे हैं। यद्यपि सामान्यरूपसे प्रत्येक जीवका निवास लोकाकाशके असंख्यातवें भाग क्षेत्रमे माना गया है, परन्तु परस्पर अव्याघातशक्तिके प्रभावसे एक ही क्षेत्रमे अनन्तो जीव भी एक साथ रहते हुए माने गये हैं।

प्रत्येक जीव चेतना-लक्षण वाला है और चेतनारहित होनेके कारण धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और संपूर्ण काल द्रव्योको अजीव माना गया है। इसी प्रकार सभी पुद्गल रूपी^६ माने गये हैं अर्थात् सभी पुद्गलोमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चार गुण पाये जाते हैं। यही कारण है कि इनका ज्ञान हमे स्पर्शन, रसना, नासिका और नेत्र इन बाह्य इन्द्रियोसे यथायोग्य होता रहता है।^७ पुद्गलोके अतिरिक्त सब जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और सब काल इन सभीको अरूपी स्वीकार किया गया है अर्थात् इनमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन चारो पुद्गल गुणोका सर्वथा अभाव पाया जाता है। अतः इनका ज्ञान भी हमे उक्त बाह्य इन्द्रियोसे नहीं

१. धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ।-तत्त्वार्थसूत्र, ५।१२ ।

२. द्रव्यसंग्रह, गाथा २२ ।

३. निष्क्रियाणि च ।-तत्त्वार्थ० ५।७ ।

४. केवलसमुद्धातके भेद लोकपूरण समुद्धातमे यह स्थिति होती है ।

५. द्रव्यसंग्रह, गाथा १० ।

६. रूपिणः पुद्गला । स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ।-तत्त्वा० ५।२३ ।

७. इन्द्रियग्राह्य होनेसे ही पुद्गल द्रव्योको मूर्त और इन्द्रियग्राह्य न होनेसे ही शेष सब द्रव्योको अमूर्त भी माना गया है ।

होता है। यद्यपि अन्ततो पुद्गलका ज्ञान भी हमें बाह्य इन्द्रियोसे नहीं होता है। परन्तु इससे उन पुद्गलोंमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्शाका अभाव नहीं मान लेना चाहिये। कारण कि इन गुणोंका सद्भाव रहते हुए भी इन पुद्गलोंमें पायी जानेवाली सूक्ष्मता ही उक्त बाह्य इन्द्रियोसे उनका ज्ञान होनेमें बाधक है। इसी तरह शब्दका ज्ञान जो हमें बाह्य कर्ण इन्द्रियोसे होता है। इससे शब्दकी पीद्गलिकता सिद्ध होती है।

जीवद्रव्योंके अस्तित्व और स्वरूपके विषयमें इस लेखमें आगे विचार किया जायगा। शेष द्रव्योंके अस्तित्व और स्वरूपके विषयमें यहाँपर विचार किया जा रहा है—

जिनका स्वभाव पुरण और गलनका है^१ अर्थात् जो परस्पर सयुक्त होते-होते बड़े-से-बड़े पिण्डका रूप धारण कर लें और पिण्डमेंसे विद्युत् होते-होते अन्तमें अलग-अलग एक-एक प्रदेशका रूप धारण कर लें, उन्हें पुद्गल कहा गया है। ऐसे स्थूल पुद्गल तो हमें सतत दृष्टिगोचर हो ही रहते हैं लेकिन सूक्ष्मसे सूक्ष्म और छोटे-से-छोटे पुद्गलोंके अस्तित्वको भी—जिनका ज्ञान हमें अपनी बाह्य इन्द्रियोसे नहीं हा पाता है—विज्ञानने सिद्ध करके दिखला दिया है। अणुबम और उद्जनबम आदि पदार्थ उन सूक्ष्म और छोटे पुद्गलोंकी अचिन्त्य शक्तिका विद्यर्शन करा रहे हैं।

सब जीव और सब पुद्गल क्रियाशील द्रव्य हैं वे जिस ममय क्रिया करते हैं और जबतक करते हैं तब तक उनकी उम क्रियामें महायता करना धर्म द्रव्यका स्वभाव है।^२ इसी तरह कोई जीव या कोई पुद्गल क्रिया करने-करते जिन समय रुक जाता है और जब तक रुका रहता है उस समय और तबतक उसके ठहरनेमें महायता करना अधर्म द्रव्यका स्वभाव है^३। यद्यपि जैन-संस्कृतमें जीव और पुद्गल द्रव्योंको स्वतः क्रियाशील माना गया है परन्तु यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता तो गतिमान् जीव और पुद्गल द्रव्योंके स्थिर होनेका आधार ही समाप्त हो जाता और यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो ठहरे हुए जीव और पुद्गलके गतिमान होनेका भी आधार समाप्त हो जाता, अतः जैन-संस्कृतमें धर्म और अधर्म दोनों द्रव्योंका अस्तित्व स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि मुक्त जीव स्वभावतः ऊर्ध्व गमन करते हुए भी ऊमर लोकके अधभागमें जैन मान्यताके अनुसार इसलिये रुक जाते हैं क्योंकि उनके आगे धर्म द्रव्यका अभाव है^४।

मव द्रव्योंको उनकी निज-निज आर्कृतिके अनुसार अपने उदरमें समा लेना आकाश द्रव्यका स्वभाव है।^५ प्रत्येक द्रव्यका लम्बे, चौड़े, मोटे, गोल, चौकोर, त्रिकोण आदि विभिन्न रूपोंमें दृष्टिगोचर होता हुआ छोटा-बड़ा आकाश हमें आकाशके अस्तिवको माननेके लिये बाध्य करता है। अम्यया आकाश द्रव्यके अभावमें सब वस्तुओंके परस्पर विलक्षण आकारोका दिखाई देना असंभव हो जाता।

इसी प्रकार यद्यपि प्रत्येक जीव, प्रत्येक पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश स्वतः परिणमनशील द्रव्य माने गये हैं परन्तु इन सबके उस परिणमनका क्षणिक विभाजन करना काल द्रव्यका स्वभाव है^६ अर्थात् द्रव्यो

१. अणव स्कन्धावच । भेदसघातेभ्य । उत्पन्नन्ते । भेदाद्यु —त० सू० ५-२५, २६, २७ ।

२. द्रव्यसंग्रह, गा० १७ ।

३. द्रव्यसंग्रह, गा० १८ ।

४. धर्मास्तिकायाभावात् ।-तत्त्वा०-१।९ ।

५. आकाशस्यावगाह ।-तत्त्वा०-५।१८ ।

६. वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य । तत्त्वा०-५।२२ ।

की अवस्थाओंमें जो भूतता, वर्तमानता और भविष्यत्ताका व्यवहार होता रहता है अथवा कालिक दृष्टिसे जो नये-पुराने या छोटे-बड़ेका व्यवहार वस्तुओंमें होना है उससे कालद्रव्योके अस्तित्वको स्वीकार किया गया है।

आकाश द्रव्य एक क्यों है ? इसका मीमा-सादा उत्तर यही है कि वह मीमा-र्गहित द्रव्य है। 'सीमा-रहित' शब्दका व्यापकरूप अर्थ होता है और 'मीमा-रहित' शब्दका व्याप्य रूप अर्थ होता है तथा व्यापक द्रव्य वही होगा जिससे बड़ा कोई दूसरा द्रव्य न हो। अत आकाश द्रव्यका एकत्व अपरिहार्य है और इस आकाशकी बदौलत ही दूसरे द्रव्योंको ससीम कहा जा सकता है।

धर्म और अधर्म इन दोनों द्रव्योंको भी जैन-संस्कृतिमें जो एक-एक ही माना गया है उनका कारण यह है कि लोकाकाशमें विद्यमान समस्त जीव द्रव्यो और समस्त पुद्गल द्रव्योको गमनमें मग्रापक होना धर्म द्रव्यका काम है और ठहरनेमें सहायक होना अधर्म द्रव्यका काम है। वे दोनों काम एक, अखण्ड और लोकाकाश भरमें व्याप्त धर्म द्रव्य और इसी प्रकार एक, अखण्ड और लोकाकाश भरमें व्याप्त अधर्म द्रव्यके माननेसे सिद्ध हो जाते हैं। अत इन दोनों द्रव्योंको भी अनेक स्वीकार न करके एक-एक ही स्वीकार किया गया है।

काल द्रव्यको अणुरूप (एकप्रदेशी) स्वीकार करके उसके लोकाकाशके प्रमाण विन्तागमें रहनेवाले अमर्यात भेद स्वीकार करनेका अभिप्राय यह है कि काल द्रव्यसे मयुक्त होनेपर ही वस्तुमें वर्तमानताका व्यवहार होता है और यदि किसी वस्तुका काल द्रव्यसे संयोग था, अब नहीं है तो उस वस्तुमें भूतताका तथा यदि किसी वस्तुका आगे काल द्रव्यसे संयोग होने वाला हो, तो उस वस्तुमें भविष्यताका व्यवहार होता है। अब यदि काल द्रव्यको धर्म और अधर्म द्रव्योकी तरह एक अखण्ड लोकाकाश भरमें व्याप्त स्वीकार कर लेते हैं तो किसी भी वस्तुका कभी भी काल द्रव्यसे असंयोग नहीं रहेगा। ऐसी हालतमें प्रत्येक वस्तु सतत और सर्वत्र विद्यमान हो मानी जायगी, उसमें भूतता और भविष्यत्ताका व्यवहार करना असंगत हो जायगा। लेकिन जब काल द्रव्योकी अणुरूपसे अनेक मान लेते हैं तो जिनके काल द्रव्योमें जिस वस्तुका जब संयोग रहता है उन काल द्रव्योकी अपेक्षा उस वस्तुमें तब वर्तमानताका व्यवहार होता है और जिनसे पहले संयोग रहा है किन्तु अब नहीं है उनकी अपेक्षा भूतताका तथा जिनसे आगे संयोग होने वाला है उनकी अपेक्षा भविष्यत्ताका व्यवहार भी उस वस्तुमें सामञ्जस हो जाता है। जैसे एक ही व्यक्तिमें एक ही साथ हम 'यहाँ है, पहले वहाँ था, और आगे वहाँ होगा' इस तरह वर्तमानता, भूतता और भविष्यत्ताका जो व्यवहार किया करते हैं उसका कारण यही है कि जहाँके काल द्रव्योसे पहले उसका संयोग था उनसे अब नहीं है। अब दूसरे काल द्रव्योसे उसका संयोग हो रहा है और आगे दूसरे काल द्रव्योसे उसका संयोग होनेकी संभावना है। इस प्रकार जब दूसरे अणुरूप भी द्रव्य पाये जाते हैं और उनमें भी भूतता, वर्तमानता और भविष्यत्ताका व्यवहार होता है तो इनमें यह व्यवहार कालकी अणुरूप स्वीकार किये बिना संभव नहीं हो सकता है अत काल द्रव्यको अणुरूप मानकर उसके लोकाकाशके प्रमाण अमर्यात भेद मानना ही युक्तिसंगत है।

इस तरहमें अनन्त जीव, अनन्त पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आकाश और असंख्यात काल इन सब द्रव्योके समुदायका नाम ही विष्व है क्योंकि इनके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु विष्वमें शेष नहीं रह जाती

१. आ आकाशादेकद्रव्याणि ।-नत्त्वा० ५।६। इस सूत्रमें धर्म, अधर्म और आकाशको एक-एक ही द्रव्य बतलाया गया है।

है। ये सब द्रव्य यद्यपि अपने-अपने स्वतन्त्र रूपमें अनादि हैं और अनिचन^१ हैं फिर भी अपनी-अपनी अवस्थाओंके रूपमें परिणमनशील^२ हैं। अतः सब वस्तुओंके परिणमनशील होनेकी वजहसे ही विश्वको 'जगत्' नामसे भी पुकारा जाता है क्योंकि 'गच्छतीति जगत्' इस श्रुत्युक्तिके अनुसार 'जगत' शब्दका अर्थ 'परिणमनशील वस्तु' स्वीकार करनेका ही यहाँपर अभिप्राय है।

३. द्रव्यानुयोगमें आत्म-तत्त्व

अपर जैन-संस्कृतिके अनुसार जिनना कुछ विश्वके पदार्थोंका विवेचन किया गया है वह सब विवेचन द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे ही किया गया है। उस विवेचनमें विश्वके पदार्थोंमें जीवद्रव्यको भी स्थान दिया गया है इसलिए यहाँपर द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे उसका भी विवेचन किया जाता है।

जीव द्रव्यका ही अपर नाम 'आत्मा' है। इसका ग्रहण स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन बाह्य इन्द्रियोंसे न हो सकनेके कारण "विश्वके पदार्थोंमें आत्माको स्थान दिया जा सकता है या नहीं?"—यह प्रश्न प्रत्येक दर्शनकारके समक्ष विचारणीय रहा है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं किसी भी दर्शनकार ने स्वकीय (स्वयं अपने) अस्तित्वको अमान्य करनेकी कोशिश नहीं की है। वह ऐसी कोशिश करता भी कैसे? क्योंकि उसका उस समयका संवेदन (अनुभवन) उसे यह बतलाना रहा कि वह स्वयं दर्शनकी रचना कर रहा है इसलिए वह यह कैसे कह सकता था कि "उसका निर्वाण कोई अस्तित्व ही नहीं है?"

यही बात सभी मंजी पंचेन्द्रिय जीवोंके विषयमें कही जा सकती है अर्थात् कोई भी मंजी पंचेन्द्रिय जीव अपने अस्तित्वके विषयमें मदेहशील नहीं रहते हैं। कारण कि जिस समय जो कुछ वे करते हैं उस समय उन्हें उस बातका अनुभवन होना ही है कि वे अमुक कार्य कर रहे हैं। इस तरह जब वे अपने अनुभवके आधारपर स्वयं अपनेको यथासमय उस कार्यका कर्ता स्वीकार करने रहते हैं तो फिर वे ऐसा मदेह कैसे कर सकते हैं कि 'उनका अपना कोई अस्तित्व है या नहीं?' यहाँपर अपने अस्तित्वका अर्थ ही आत्माका अस्तित्व है।

प्रश्न—यद्यपि यह बात ठीक है कि सभी मंजी पंचेन्द्रिय जीवोंको सतत स्वसंवेदन (अपना अनुभवन) होता रहता है परन्तु शरीरके अन्दर व्याप्त होकर रहने वाला 'मैं' शरीरसे पृथक् तत्त्व है—ऐसा संवेदन तो किसीको भी नहीं होता है, अतः यह बात कैसे मानी जा सकती है कि 'शरीरसे अतिरिक्त 'आत्मा' नामका कोई स्वतन्त्र तत्त्व है?'

उत्तर—जितने भी निष्प्राण घटादि पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा प्राणवाले शरीरोंमें निम्नलिखित तीन विशेषताएँ पायी जाती हैं—

(१) निष्प्राण घटादि पदार्थ दूसरे पदार्थोंका ज्ञान नहीं कर सकते हैं जब कि प्राणवान् शरीरोंमें दूसरे पदार्थोंका ज्ञान करनेका सामर्थ्य पायी जाती है।

(२) निष्प्राण घटादि पदार्थ स्वतः कोई प्रयत्न नहीं कर सकते हैं जबकि प्राणवान् शरीरोंको हम स्वतः प्रयत्न करते देखते हैं।

(३) निष्प्राण घटादि पदार्थोंमें 'मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ, मैं गरोब हूँ या अमीर हूँ, मैं छोटा हूँ या

१. पंचाध्यायी, अध्याय १, श्लोक ८।

२. वही, अध्याय १, श्लोक ८९।

बडा हैं' आदि रूपसे स्वसंबेदन' नही पाया जाता है जबकि प्राणवाले शरीरोंमें उक्त प्रकारमे स्वमवेदन करने की यथायोग्य योग्यता पायी जाती है ।

इस प्रकार निष्प्राण घटादि पदार्थों और प्राणवान् शरीरोंमें रूप, रस, गन्ध और स्पृशंकी समानता पायी जाने पर भी प्राणवान् शरीरोंमें जो परपदार्थज्ञातृत्व, प्रयत्नकर्तृत्व और स्वसंबेदकत्व ये तीनों विशेषताएँ पायी जाती हैं उनका जब घटादि निष्प्राण पदार्थोंमें सर्वथा अभाव विद्यमान है तो इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राणवान् शरीरोंके अन्दर किसी ऐसे स्वतन्त्र पदार्थकी सत्ता स्वीकृत करनी चाहिये, जिसकी वजहसे ही उनमें (प्राणवान् शरीरोंमें) उक्त प्रकारसे ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये विशेषताएँ पायी जाती हैं तथा जिसके अभावके कारण ही निष्प्राण घटादि पदार्थोंमें उक्त विशेषताओका भी अभाव पाया जाता है । इस पदार्थकी ही 'आत्मा' नामसे पुकारा गया है ।

तात्पर्य यह है कि ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये तीनों ही प्राणशब्दके वाच्य हैं । ये जिन शरीरमे जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक वह शरीर प्राणवान् कहलाता है तथा जब जिस शरीरमे इनका सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह शरीर तथा जिन पदार्थोंमें इनका सतत अभाव पाया जाता है वे घटादि पदार्थ निष्प्राण कहे जाते हैं । हम देखते हैं कि शरीरके विद्यमान रहते हुए भी कालान्तरमे उक्त प्राणोका उगमे सर्वथा अभाव भी हो जाता है अतः यह मानना अयुक्त नहीं है कि वे शरीरमे ही उत्पन्न होने वाले घम नहीं हैं तो चित्तके वे घम हो सकते हैं, वही 'आत्मा' है ।

प्रश्न—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों भूतों (पदार्थों) के योगसे ही शरीरका निर्माण होता है और तब उस शरीरमे उक्त प्राणोका प्रादुर्भाव अनायास ही (अपने आप हो) हो जाता है । यही कारण है कि शरीरमे पृथ्वीतत्त्वका मिश्रण होनेसे हमें नासिका द्वारा गन्धका ज्ञान होता रहता है क्योंकि गन्ध पृथ्वीका गुण है, जल तत्त्वका मिश्रण होनेसे हमें रमना द्वारा रसका ज्ञान होता रहता है क्योंकि रस जलका गुण है, अग्नि तत्त्वका मिश्रण होनेसे नेत्रो द्वारा हमें रूपका ज्ञान होता रहता है क्योंकि रूप अग्निका गुण है, वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे हमें स्पर्शन द्वारा स्पृशंका ज्ञान होता रहता है, क्योंकि स्पर्श वायुका गुण है और इसी तरह आकाश तत्त्वका मिश्रण होनेसे हमें कर्णों द्वारा शब्दका ग्रहण होता रहता है क्योंकि शब्द आकाशका गुण है ?

उत्तर—पहली बात तो यह है कि 'शब्द आकाशका गुण है' इस सिद्धान्तको शब्दके लिए कैद कर लेने वाले विज्ञानने आज समाप्त कर दिया है । इसलिए शब्दका ज्ञान करनेके लिये शरीरमे अब आकाश तत्त्वके मिश्रणको स्वीकार करनेकी आवश्यकता नहीं रह गयी है । इसके अलावा शब्दमे जब घात-प्रतिघात रूप शक्ति पायी जाती है तो इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि शब्द आकाशका या दूसरी किसी वस्तुका गुण न होकर अपने आपमे द्रव्य रूप ही हो सकता है क्योंकि गुणमे वह शक्ति नहीं पायी जाती है कि वह स्वयं असहाय होकर किसी दूसरे पदार्थका घात कर सके अथवा दूसरे पदार्थसे उसका घात हो सके । और यदि शब्दको कदाचित् गुण भी मान लिया जाय, तो फिर आकाशके अलावा वह किसका गुण हो सकता है ? इसका निर्णय करना असम्भव है । यही कारण है कि जैन-संस्कृतिमे शब्द^२को रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाला पुद्गल द्रव्य माना गया है तथा जैन-संस्कृतिकी यह मान्यता तो है ही, कि पृथ्वी, जल, अग्नि,

१. पंचाध्यायी अध्याय २ श्लोक ५ ।

२. वही, अध्याय २, श्लोक ९७ ।

और वायु इन चारों ही तत्त्वोंमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारों ही गुण विद्यमान रहते हैं। अतः रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका ज्ञान करनेके लिये शरीरमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन पृथक्-पृथक् चारों तत्त्वोंके संयोगकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। इतना अवश्य है कि शरीर भी घटादि पदार्थोंकी तरह रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाला एक पदार्थ पण्ड है और जिस प्रकार घटादि पदार्थ निष्प्राण हैं उसी प्रकार यह शरीर भी अपने आपमें निष्प्राण ही है; फिर भी जब तक इस शरीरके अन्दर आत्मा विराजमान रहती है तब तक वह प्राणवान् कहा जाता है।

दूसरी बात यह है कि उक्त प्राणरूप शक्ति जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सबमें या इनमेंसे किसी एकमें स्वतन्त्र रूपसे नहीं पायी जाती है तो इन सबके मिश्रणसे वह शरीरमें कैसे पैदा हो जायेगी? यह बात समझके बाहरकी है। कारण कि स्वभावरूपसे अविद्यमान शक्तिका किसी भी वस्तुमें दूसरी वस्तुओं द्वारा उत्पाद किया जाना असम्भव है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु स्वभावसे निष्प्राण है उसे लाख प्रयत्न करनेपर भी प्राणवान् नहीं बनाया जा सकता है। अतः शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंको कोई कदाचित् अलग-अलग पृथ्वी आदि तत्त्वोंके रूपमें मान भी ले, तो भी उस शरीरमें स्त्रभाव रूपसे असम्भव स्वरूप प्राणशक्तिका प्रादुर्भाव कैसे माना जा सकता है? इसलिए विश्वके समस्त पदार्थोंमें चित् (प्राणवान्) और अचित् (निष्प्राण) इन दो परम्पर-विरोधी पदार्थोंका मूलतः भेद स्वीकार करना आवश्यक है।

तीसरी बात यह है कि कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका ज्ञान करनेकी योग्यता होनेपर भी शब्द-श्रवणकी योग्यताका सर्वथा अभाव रहता है, कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रस, गन्ध और स्पर्शका ज्ञान करनेकी योग्यता होनेपर भी शब्द-श्रवण और रूप-ग्रहणकी योग्यताका सर्वथा अभाव रहता है। कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें रस और स्पर्शका ज्ञान करनेकी योग्यता होनेपर भी शब्द, रूप और गन्धका ज्ञान करनेकी योग्यताका सर्वथा अभाव रहता है। इसी प्रकार कोई-कोई प्राणवान् शरीर ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्पर्श-ग्रहणकी ही योग्यता पायी जाती है, शेष योग्यताओंका उनमें सर्वथा अभाव रहता है। ऐसी हालतमें इन शरीरोंमें यथासम्भव पञ्चभूतोंके मिश्रणका अभाव मानना अनिवार्य होगा। अब यदि पञ्चभूतोंके मिश्रणमें शरीरमें चित्शक्तिका उत्पाद स्वीकार किया जाय तो उक्त शरीरोंमें चित्शक्तिका उत्पाद असम्भव हो जाएगा, लेकिन उनमें भी चित्शक्तिका सद्भाव तो पाया ही जाना है।

चौथी बात यह है कि सम्पूर्ण शरीरमें एक ही चित्शक्तिका उत्पाद होता है या शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंमें अलग-अलग चित्शक्ति उत्पन्न होती है? यदि सम्पूर्ण शरीरमें एक ही चित्शक्तिका उत्पाद होता है तो नियत रूपमें स्पर्शन इंद्रिय द्वारा स्पर्शका ही, रचना इन्द्रिय द्वारा रसका ही, नासिका द्वारा गन्धका ही, नेत्रों द्वारा रूपका ही और कर्णों द्वारा शब्दका ही ग्रहण नहीं होना चाहिये। यदि शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंमें पृथक्-पृथक् चित्शक्ति उत्पन्न होती है तो हमें स्पर्शन, रचना, नासिका, नेत्र और कर्ण द्वारा एक ही माध स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्दका ग्रहण होते रहना चाहिये। लेकिन यह अनुभव-मिथ्य बात है कि जिस कालमें हमें किसी एक इंद्रियसे ज्ञान हो रहा हो, उस कालमें दूसरी सब इंद्रियोंसे ज्ञान नहीं होता है।

यदि कहा जाय कि चित्शक्तिका धारक स्वतन्त्र आत्माका अस्तित्व शरीरमें माननेसे नियत अंगों

द्वारा ही रूपाधिकका ज्ञान क्यों होता है ? तो इसका उत्तर यह है कि भिन्न-भिन्न अंगोंके सहयोगसे ही आत्मा अपनी स्वाभाविक चित्शक्तिके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान किया करती है। अतः सब अंगोंके विद्यमान रहते हुए भी, जिस ज्ञानके अनुकूल अथवा सहयोग जिस कालमें आत्माका प्राप्त होगा, उस कालमें वही ज्ञान उस आत्माको होगा, अन्य नहीं।

पाँचवीं बात यह है कि पंचभूतोंके संयोगसे शरीरमें चित्शक्तिका उत्पाद मान लेने पर भी हमारा काम नहीं चल सकता है। कारण कि ज्ञानकी मात्रा रूप, रस, गन्ध स्पर्श और शब्दका ज्ञान कर लेनेमें ही समाप्त नहीं हो जाती है। इन ज्ञानोंके अतिरिक्त स्मरण, एकत्व और सादृश्य आदिके ग्रहणस्वरूप प्रत्य-भिज्ञान, तर्क, अनुमान और शब्द-श्रवण अथवा अंगुल्यादिके संकेतोंके अनन्तर होनेवाला अर्थज्ञानरूप आगम-ज्ञान (शब्दज्ञान) ये ज्ञान भी तो हमें सतत होते रहते हैं। इस तरह इन ज्ञानोंके लिये किन्हीं दूसरे भूतोंका संयोग शरीरमें मानना आवश्यक होगा।

यदि कहा जाय कि ये सब प्रकारके ज्ञान हमें मन द्वारा हुआ करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि शरीर तथा मन दोनोंमें एक ही चित्शक्तिका उत्पाद होता है या दोनोंमें अलग-अलग चित्शक्तियाँ एक साथ उत्पन्न हो जाया करती हैं अथवा मनमें स्वभाव रूपसे चित्शक्ति विद्यमान रहती है ?

पहले पक्षको स्वीकार करने पर मनसे ही स्मरणादि ज्ञान हो मकने है, स्पर्शन आदि बाह्य इन्द्रियोंसे नहीं, इसका नियमन करनेवाला कौन होगा ?

दूसरे पक्षको स्वीकार करने पर जिम कालमें हमें स्पर्शन आदि बाह्य इन्द्रियोंसे ज्ञान होता रहता है उसी कालमें हमें स्मरणादि ज्ञान होनेका भी प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जो कि अनुभवके विरुद्ध है।

तीसरा पक्ष स्वीकार करने पर "पंचभूतोंके सम्मिश्रणसे शरीरमें चित्शक्तिका प्रादुर्भाव होता है" इस सिद्धांतका व्याचान हो जायगा।

यदि कहा जाय कि स्वाभाविक चित्शक्ति-विशिष्ट मनको स्वीकार करनेसे यदि काम चल सकता है तो आत्मतत्त्वको माननेको आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? तो इसका उत्तर यह है कि जैन-संस्कृतिमें एक तो मनको भी रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुण विशिष्ट पुद्गल द्रव्य स्वीकार किया गया है, दूसरे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुर्गिन्द्रिय और बहुतेसे पंचेन्द्रिय जीव ऐसे पाये जाते हैं जिनके मन नहीं होता है। इसलिए चित्शक्ति विशिष्ट-आत्मतत्त्वको स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है। यह आत्मा ही मन तथा स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके सहयोगसे पदार्थोंका यथायोग्य विविध प्रकारसे ज्ञान किया करता है।

तात्पर्य यह है कि जितने संज्ञी^१ पचेन्द्रिय जीव हैं उनके मन तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण ये पाँचो इन्द्रियाँ विद्यमान रहती हैं। अतः वे इन सबको सहायतामें पदार्थोंका ज्ञान किया करते हैं। जो जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय होते हैं उनके मन नहीं होता, उनमें केवल उक्त पाँचों इन्द्रियाँ ही विद्यमान रहती हैं। अतः वे मनके बिना इन पाँचो इन्द्रियोंमें ही पदार्थोंका ज्ञान किया करते हैं। इसी प्रकार चतुर्गिन्द्रिय जीवोंके मन और कर्ण इन्द्रियोंके अतिरिक्त चार इन्द्रियाँ, त्रीन्द्रिय जीवोंके मन तथा कर्ण और नेत्र इन्द्रियोंके अतिरिक्त तीन इन्द्रियाँ, द्वीन्द्रिय जीवोंके मन तथा कर्ण, नेत्र और नासिका इन्द्रियोंको छोड़कर शेष दो इन्द्रियाँ पायी जाती हैं एवं एकेन्द्रिय जीवोंके मन तथा कर्ण, नेत्र, नासिका और रसनाके अतिरिक्त सिर्फ एक स्पर्शन

इन्द्रिय ही पायी जाती है। इसलिए ये धर्म^१ जीव उन-उन इन्द्रियोंसे ही पदार्थोंका ज्ञानका किया करते हैं।

इस प्रकार प्राणवान् शरीरोंमें जो "पर्यदार्थज्ञातृत्व" शक्ति पायी जाती है वह शरीरका धर्म न होकर आत्माका ही धर्म है—ऐसा मानना ही उचित है। इसी तरह प्राणवान् शरीरोंमें जो "प्रयत्नकर्तृत्व" शक्ति पायी जाती है उसे भी शरीरका धर्म न मानकर आत्माका ही धर्म मानना चाहिये, क्योंकि पर्यदार्थ-ज्ञातृत्व शक्ति जिन युक्तियों द्वारा शरीरकी न होकर आत्माकी ही सिद्ध होती है उन्हीं युक्तियों द्वारा प्रयत्न-कर्तृत्व शक्ति भी शरीरकी न होकर आत्माकी ही सिद्ध होती है।

प्रयत्नके जैन-संस्कृतिमें तीन^२ भेद माने गये हैं—मानसिक, वाचनिक और कायिक। इनमेंसे मानसिक प्रयत्नको वहाँ पर 'मनोयोग', वाचनिक प्रयत्नको 'वचनयोग' और कायिक प्रयत्नको 'काययोग' कहकर पुकारा गया है। मनका अवलम्बन लेकर होनेवाले आत्माके प्रयत्नको मनोयोग कहते हैं, इसी प्रकार वचन (मुख) और कायका अवलम्बन लेकर होनेवाले आत्माके उस-उस यत्नको क्रमसे वचनयोग और काययोग कहते हैं।

वचनको बोलनेका नाम ही आत्माका वाचनिक यत्न है और शरीरके द्वारा प्रतिक्षण हमारी जो प्रगल्भ और अप्रगल्भ प्रवर्तियाँ हुआ करती हैं उन्हींको आत्माका कायिक प्रयत्न समझना चाहिये। मानसिक प्रयत्नका स्पष्टीकरण निम्नप्रकार है—

मन पौद्गलिक पदार्थ है, यह बात तो हम पहले ही बतला चुके हैं। वह मन दो प्रकारका है—एक मस्तिष्क और दूसरा हृदय। जितना भी स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और शब्द (श्रुत) रूप ज्ञान हमें होता रहता है वह सब मस्तिष्ककी सहायतासे ही हुआ करता है अतः ये सब ज्ञान आत्माके मानसिक ज्ञान कहलाते हैं। इसी प्रकार जितने भी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, लिप्सा, भय, संकलेशा आदि मोहके विकार तथा यथायोग्य मोह का अभाव होने पर क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोगता, तुष्टि, निर्भयता, विशुद्धि आदि गुण हमारे अन्दर प्राप्त होत रहते हैं वे सब हृदयकी सहायतासे ही हुआ करते हैं अतः उन सबको भी आत्माके मानसिक प्रयत्नमें अन्तर्भूत करना चाहिये।

इन तीनों प्रकारके प्रयत्नोंमेंसे सजी पंचेन्द्रिय जीवोंके तो ये सब प्रयत्न हुआ करते हैं, लेकिन असंजी पंचेन्द्रिय तथा चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीवोंके सिर्फ वाचनिक और वायिक प्रयत्न ही हुआ करते हैं क्योंकि मनका अभाव होनेसे इन जीवोंके मानसिक प्रयत्नका अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीवोंके सिर्फ कायिक प्रयत्न ही होता है, कारण कि उनमें मनके साथ-साथ बोलनेका साधनभूत मुखका भी अभाव पाया जाता है अतः उनके मानसिक और वाचनिक प्रयत्न नहीं होते हैं। द्वीन्द्रियादिक जीव चलते-फिरते रहते हैं इसलिए उनके शारीरिक प्रयत्नोंका तो पता हमें चलता ही रहा है, परन्तु एकेन्द्रिय वृक्षादिक जीवोंकी जो शरीर-वृद्धि देखनेमें आती है वह उनके शारीरिक प्रयत्नका ही परिणाम है।

यह बात हम पहले बतला आये हैं कि जितने भी सजी पंचेन्द्रिय प्राणी हैं, उन्हें पदार्थोंका ज्ञान अथवा प्रयत्न करते समय स्वसंवेदन अर्थात् 'अपने अस्तित्वका भाव' सतत होता रहता है, परन्तु संजी पंचेन्द्रिय प्राणियोंके अतिरिक्त जितने भी असंजी पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय प्राणी हैं उन्हें मनका अभाव होनेके कारण यद्यपि पदार्थ-ज्ञान अथवा प्रयत्न करते समय संजी पंचेन्द्रिय जीवोंकी

१ बनस्पत्यन्तानामेकम् । कुमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ।—त० सू० २-२२, २३ ।

२. कायवाङ्मन.धर्मयोग. १-तत्त्वार्थसूत्र ६-१ ।

तरह अपने अस्तित्वका भान नहीं होता है अर्थात् 'मैं अमुक पदार्थका ज्ञान कर रहा हूँ' अथवा 'मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ' ऐसा ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता है, फिर भी उस समय उनकी उस ज्ञान-रूप या उस क्रिया-रूप परिणति होते रहनेके कारण उस परिणतिका अनुभवन तो उन्हें होता ही है अन्यथा चीटी आदि प्राणियोंको अग्नि आदि के समीप पहुँचने पर यदि उष्णताजन्य दुःख-रूप सामान्य अनुभवन न हो तो फिर वहसि वे हटते क्यों हैं ? इसी प्रकार शक्कर आदि अनुकूल पदार्थोंके पास पहुँचनेपर यदि मिठासजन्य सुख-रूप सामान्य अनुभवन उन्हें न हो, तो वे उन पदार्थोंसे चिपटते क्यों हैं ? इससे यह बात सिद्ध होती है कि एकेन्द्रिय आदि सभी प्राणियोंको यथायोग्य स्वसंवेदन होता ही है। एक बात और है कि जैन-दर्शनमें प्रत्येक ज्ञानको स्वपर-प्रकाशक स्वोकार किया गया है, अत एकेन्द्रिय आदि सब प्राणियों के स्वसंवेदकत्वका सद्भाव अनिवार्य रूपसे मानना पड़ता है। इतनी विधेयता है कि एकेन्द्रियसे लेकर अमंजो पंचेन्द्रिय तकके जीवोंका जो स्वसंवेदन होता है उसे जैन-संस्कृतिमें 'कर्मफलचेतना' नामसे पुकारा गया है, क्योंकि इन जीवोंमें मनका अभाव होनेके कारण कर्ता, कर्म, क्रिया और फलका विश्लेषण करनेकी असामर्थ्य पायी जाती है तथा सभी पंचेन्द्रिय जीवोंके स्वसंवेदनकी 'कर्मचेतना'^१ नामसे पुकारा गया है; कारण कि मनका सद्भाव होनेसे इन जीवोंमें कर्ता आदिके विश्लेषण करनेकी सामर्थ्य विद्यमान रहती है। इन्हीं संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमेंसे ही जो भीष हित और अहितकी पहचान करके पदार्थज्ञान अथवा प्रवृत्ति करने लग जाते हैं उनके स्वसंवेदनको 'ज्ञानचेतना'^२ के नामसे पुकारा जाने लगता है।

प्राणवान् शरीरोंमें होने वाला यह स्वसंवेदन भी पूर्वोक्त युक्तियोंके आधारपर शरीरका धर्म न होकर आत्माका ही धर्म सिद्ध होता है अत जैन-संस्कृतिमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालकी तरह आत्माका भी परपदार्थज्ञातृत्व, प्रयत्नकर्तृत्व और स्वसंवेदकत्वके आधारपर स्वतःसिद्ध और अनादिनिघन अस्तित्व माना गया है।

४. करणानुयोगमें आत्मतत्त्व

हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी दुःखसे डरता है और सुखकी चाह करता है, यही कारण है कि जिन दार्शनिकोंमें आत्माके अस्तित्वको नहीं माना है उन्होंने भी "महाजनों येन गत म पन्था" के रूपमें जगत्को सुखके साधनोंपर चलनेका उपदेश दिया है। ज्ञात्यर्थ यह है कि आत्माके अस्तित्वके बारे में विबाध हो सकता है, परन्तु जगत्के प्रत्येक प्राणीको जो सुख और दुःखका अनुभवन होता रहता है इस अनुभवनके आधारपर अपनी सुखी और दुःखी हालतकी सत्ता माननेमें कौन इन्कार कर सकता है ? इसलिए अमर जो ब्रह्मानुयोगकी अपेक्षा स्वतःसिद्ध और अनादिनिघन चित्प्रकृतिसिद्ध आत्मतत्त्वके अस्तित्वकी सिद्धि करनेका प्रयत्न किया गया है, इतने मात्रसे ही हमारे प्रयत्नकी इतिथी नहीं हो जाती है। इसके साथ ही आखिर हमें यह भी तो सोचना है कि सुखी और दुःखी हालतें आत्माकी ही मानी जायें या आत्माका इनसे कोई सम्बन्ध ही नहीं है ? और यदि इन हालतोंको आत्माकी हालतें मान लिया जाय तो क्या ये हालतें आत्माकी रवत-सिद्ध हालतें हैं या किन्हीं दूसरे कारणोंसे ही आत्मामें इनकी उत्पत्ति हो रही है ? और क्या ये नष्ट भी की जा सकती हैं ?

१. पंचाध्यायी (उत्तरार्ध) २-१९५।

२. पंचाध्यायी (पूर्वार्ध) २-१९५।

३. वही, २-१९४, २१७।

वेदान्त दर्शनमें इन सुख और दुःख रूप हालतोंको आत्माकी हालतें नहीं स्वीकार किया गया है। वहाँपर तो आत्माको सत्, चित् और आनन्दमय ही स्वीकार किया गया है। सुख और दुःख 'जिनका अनुभवन हमें सतत होता रहता है' ये सब भायाके रूप हैं और मिथ्या हैं तथा इनसे आत्मा सदा अलिप्त रहती है।

जैन-संस्कृतिमें भी आत्माको वेदान्त दर्शनकी तरह यद्यपि सत्, चित् और आनन्दस्वरूप ही माना गया है परन्तु सतत प्रत्येक प्राणीके अनुभवनमें आने वाले सुख और दुःखको जहाँ वेदान्त दर्शनमें मिथ्या स्वीकार किया गया है वहाँ जैन-संस्कृतिमें इन्हे स्वसर्वेदन प्रत्यक्ष होनेकी वजहसे उसी आनन्दगुणके विकारी परिणमन माना गया है। जैन-दर्शनमें वेदान्त दर्शनकी अपेक्षा आत्मतत्त्वकी भाग्यताके विषयमें यही विश्लेषण है। जैन-संस्कृतिमें आत्माके आनन्दगुणके इन विकारी परिणमनोंका कारण आत्माका पुद्गलद्रव्यके साथ अनादि' मयोग माना गया है और साथ ही वहाँ यह भी स्वीकार किया गया है कि पुद्गल द्रव्यके संयोगको आत्मासे संबंधा पृथक् किया जा सकता है तथा आनन्द गुणके सुख-दुःख रूप विकारोंको भी नष्ट किया जा सकता है।

इस प्रकार स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति-विशिष्ट आत्मतत्त्वको स्वीकार करनेके साथ-साथ जैन-संस्कृतिमें यह भी स्वीकार किया गया है कि आत्मा अनादिकालसे परतन्त्र (बद्ध) है परन्तु स्वतन्त्र (बन्धरहित) हो सकता है, अशुद्ध है परन्तु शुद्ध हो सकता है, मोह, राग तथा द्वेष आदि विकारोंका घर है, परन्तु ये सब विकार दूर किये जा सकते हैं, मसारी है परन्तु मुक्त हो सकता है, अल्पज्ञानी है परन्तु पूर्ण ज्ञानी हो सकता है। इसी तरह कभी तिर्यक्, कभी मनुष्य, कभी देव और कभी नारकी होता रहता है, परन्तु इन सबसे परे सिद्ध भी हो सकता है।

यदि जैन-संस्कृतिके द्रव्यानुरोध पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम होता है कि आत्माकी बढ़ता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदिके विषयमें कुछ भी जानकारी देनेमें वह सर्वथा असमर्थ है। कारण कि द्रव्यानुरोध सिर्फ द्रव्यके स्वरूपका ही प्रतिपादन कर सकता है और द्रव्यका स्वरूप वही हो सकता है जो उस द्रव्यमें सतत विद्यमान रहता हो अतः आत्माका स्वरूप स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्तिको ही माना जा सकता है। आनन्द यद्यपि मुक्तात्माओंमें तो पाया जाता है, परन्तु मसारी आत्माओंमें उसका अभाव रहता है। इसी तरह बढ़ता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदि कोई भी अवस्था आत्माका स्वरूप नहीं हो सकती है। कारण, यदि मसारी आत्मामें अबद्धता और शुद्धि आदि अवस्थाओंका अभाव है तो मुक्तात्माओंमें बढ़ता और अशुद्धि आदि अवस्थाओंका अभाव रहता है। इसलिए द्रव्यानुरोधकी दृष्टिसे जब आत्मतत्त्वके बारेमें कुछ निर्णय करना हो तो वह निर्णय यही होगा कि आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादि-निघन चित्शक्तिस्वरूपका धारक है। कारण कि यह स्वरूप मसारी और मुक्त दोनों प्रकारकी सब आत्माओंमें पाया जाता है। यही कारण है कि द्रव्यानुरोधकी दृष्टिमें एकेन्द्रियसे लेकर समस्त मसारी आत्मामें और समस्त मुक्त आत्मामें समान मानी गयी है, क्योंकि समस्त मसारी और सिद्ध आत्माएँ सब काल और सब अवस्थाओंमें स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्शक्ति-रूप स्वरूपसे रहित नहीं होती हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि यदि द्रव्यानुरोध आत्माकी बढ़ता और अबद्धता, अशुद्धि और शुद्धि आदिका प्रतिपादन नहीं करता है तो ये सब आत्माकी अवस्थाएँ नहीं मानी जा सकती हैं, कारण कि यदि इन्हें आत्माकी अवस्थाएँ नहीं माना जायगा तो मसारी और मुक्ताका भेद समाप्त हो जायगा और इस तरह

मुक्तिके लिये प्रयास करना भी निरर्थक हो जायगा। इसी तरह संसारी जीवोमें भी 'अमुक जीव एकैन्द्रिय है और अमुक जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अमञ्जी पंचेन्द्रिय अथवा संज्ञी पंचेन्द्रिय है, अमुक जीव मनुष्य है अथवा तिर्यक्, नारकी या देव है' इत्यादि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमगम्य विविधताओंका लोप कर देना होगा। हमारे अन्दर कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम, कभी सुख और कभी दुःख आदि अवस्थाओंका जो सतत अनुभव होना रहता है उसे गलत मानना होगा तथा अच्छे-बुरे कामोंका जीवनमें भेद करना असंभव हो जायगा या तो अहिंसा आदि पुण्य कर्मोंकी कीमत घट जायगी अथवा हिंसा आदि पापकर्मोंकी कीमत बढ जायगी। इस प्रकार समस्त संसारका प्रतीतिसिद्धि और प्रमाण-सिद्ध जितना भेद है सब निरर्थक हो जायगा। इसलिए जैन-संस्कृतिये द्रव्यानुयोगके साथ करणानुयोगकी भी स्थान दिया गया है और जिस प्रकार द्रव्यानुयोग वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादक होनेके कारण आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक है उसी प्रकार करणानुयोगकी आत्माकी उक्त प्रकारकी विविध अवस्थाओंका प्रतिपादक माना गया है। अर्थात् आत्माकी बढता आदिका ज्ञान हमें द्रव्यानुयोगसे भले ही न हो परन्तु करणानुयोगसे तो हमे उनका ज्ञान होता ही है अतः जिन प्रकार द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे आत्मा स्वतः सिद्ध और अनादिनिघन चित्साक्षित-विशिष्ट है उसी प्रकार वह करणानुयोगकी दृष्टिसे वद और अबद आदि अवस्थाओंको भी धारण किये हुए है। लेकिन ये बढ आदि बचाएँ आत्माकी स्वतः सिद्ध अवस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि उपादान और सहकारी कारणोंके सहयोगसे ही इनकी निष्पत्ति आत्मासे हुआ करती है। आत्मा अनादि कालसे परावलम्बी बनी हुई है इसलिए अनादि कालसे ही बढ आदि अवस्थाओंको प्राप्त किये हुए है और जब तक परावलम्बी बनी रहेंगी तब तक इन्हीं अवस्थाओंको धारण करती रहेंगी, क्योंकि बढ आदि अवस्थाओंका परावलम्बन कारण है। लेकिन जिस दिन आत्मा इस परावलम्बनवृत्तिको छोड़नेमें मग्न हो जायेगी उस दिन वह बन्ध-रहित अवस्थाको प्राप्त कर लेगी। अतः हमे आत्माकी स्वावलम्बन-शक्तिये जागरणके लिए अनुकूल कर्तव्य-पथको अपनानेकी आवश्यकता है, जिसका उपदेश हमे जैन-संस्कृतिके चरणानुयोगसे मिलता है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संस्कृतिके हमे दो रूप देखनेको मिलते हैं—एक वर्णन और दूसरा आचार। जैन-संस्कृतिके भी यही दो रूप बतलाये गये हैं। इनमेंसे पहले रूप यानी दर्शनको पूर्वाक्त प्रकारसे द्रव्यानुयोग और करणानुयोग इन दो भागोंमें विभक्त कर दिया गया है और दूसरे रूप याने आचारका प्रतिपादन चरणानुयोगमें किया गया है।

इस प्रकार चित्साक्षित-विशिष्ट आत्मतत्त्वका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हुए उनकी अनादि-कालीन पीद्गलिक परतन्त्रतासे होने वाली विविध प्रकाशकी विकारी अवस्थाओंसे छुटकारा पानेके लिये प्रत्येक व्यक्ति आत्माकी स्वावलम्बनवृत्तिके जागरणके साधनभूत अहिंसा आदि पांच व्रतरूप अथवा क्षमा आदि दश धर्म रूप कर्तव्यपथपर आरुढ़ हो। आत्माके विषयमें यही जैन-संस्कृतिका रहस्य है।

निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग

जैनागमकी व्यवस्था यह है कि प्रत्येक जीव अनादिकालसे संसारी बनकर ही रहना आया है। परन्तु संसार-प्राप्त संपूर्ण जीवोंमें बहुतसे ऐसे भी जीव हो गये हैं, जिन्होंने अनादिकालीन अपने उस संसारको समाप्त कर दिया है और उनमें आज भी बहुतसे ऐसे जीव हैं जो अपने अन्दर उस अनादिकालीन संसारको समाप्त करनेकी सामर्थ्य^१ छिपाये हुए हैं।

संसारकी परिसमाप्ति जीवके साथ अनादिकालसे ही सम्बद्ध ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकर्मों, शरीरादि नौकर्मों और इनके निमित्तमें जीवमें उत्पन्न होनेवाले भावकर्मोंका समूल क्षय हो जानेपर हुआ करती है। इस तरह कहना चाहिये कि उक्त संपूर्ण कर्मोंके समूल क्षय हो जाने अथवा यो कहिये, कि उक्त संपूर्ण कर्मोंसे जीव द्वारा सर्वथा छुटकारा पा जानेका नाम मोक्ष जानना चाहिये।^२

जैनागममें यह भी बतलाया गया है कि जीवोंको मोक्षकी प्राप्ति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्रकी उपलब्धि हो जानेपर ही संभव है^३ अतः वहीपर यह और बतलाया गया है कि उक्त सम्यग्दर्शन आदि तीनोंका समाहार ही मोक्षका मार्ग है।^४ नृत्तिक मोक्षमार्गस्वरूप उक्त सम्यग्दर्शनादिक तीनों निश्चय तथा व्यवहारके भेदसे दो-दो भेद रूप होते हैं अतः इन आधारपर मोक्षमार्गोंकी भी निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्ष-मार्गोंके रूपमें दो भेद रूप जान लेना चाहिये।^५

इसमें यह सिद्धांत फलित होता है कि जीवको मोक्षकी प्राप्ति व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्ररूप व्यवहारमोक्षमार्ग तथा निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चय-सम्यक्चारित्ररूप निश्चयमोक्षमार्ग दोनोंका अवलम्बन प्राप्त होनेपर ही होती है।^६ इतना अवश्य है कि निश्चयसम्यग्दर्शनादिकरूप निश्चयमोक्षमार्ग तो मोक्षका साक्षात् कारण होता है और व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकरूप व्यवहारमोक्षमार्ग उसका परंपरया अर्थात् निश्चयमोक्षमार्गका कारण होकर कारण होता है।^७

श्रद्धेय पंडितप्रवर दौलतरामजीने छहठालाकी तीसरी ढालके प्रारम्भमें इस विषयपर सक्षेपसे बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला है और वह निम्न प्रकार है—

१. आप्तमीमामा, श्लोक १००। जीवभव्याभव्यत्वानि च। तत्त्वार्थसूत्र २-७।
२. बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ।—तत्त्वार्थसूत्र, १०-२।
३. समयसार, गाथा १७, १८।
४. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।—तत्त्वार्थसूत्र १-१। पंचास्तिकाय, गाथा १०६।
५. पंचास्तिकाय, गाथा १६०, १६१।
६. निश्चयव्यवहारमोक्षकारणे सति मोक्ष—कार्यं सम्भवति ।—पंचा० का०गा० १०६ की टीका, आ० जयसेन।
७. निश्चयव्यवहारयो साध्यसाधनभावत्वात् ।—पंचास्तिकाय, गाथा १६०, टीका, आचार्य अमृतचन्द्र ।
निश्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोद्दिष्टव्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽप्यम् ।
—पंचास्तिकाय, गा० १६२, टीका, आचार्य अमृतचन्द्र ।
व्यवहारमोक्षमार्गसाध्यभावेन निश्चयमोक्षमार्गोपस्थासोऽप्यम् ।
—पंचास्तिकाय गाथा १६३ की टीका, आचार्य अमृतचन्द्र ।
साधको व्यवहारमोक्षमार्गः साध्यो निश्चयमोक्षमार्गः ।—परमात्मप्रकाश-टीका, पृष्ठ १४२।

“आत्मको हित है सुख सो सुख आकुलता-बिन कहिये ।
आकुलता शिव माहि न ताते शिवमग लाग्यो चाहिये ॥
सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण शिवमग, सो दुबिध विचारो ।
जो सत्यारथ रूप मो निश्चय, कारण मो बवहारो ॥११॥”

इस पद्यमें श्रद्धेय पंडितजीने कहा है कि आत्माका हित सुख है और वह सुख जीवमें आकुलताका अभाव होनेपर उत्पन्न होता है । उस आकुलताका अभाव भी मोक्षमें ही है । अतः जीवको मोक्षके मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिये । मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप है । यह सम्यग्दर्शनादिरूप मोक्षमार्ग निश्चय तथा व्यवहारके भेदमें दो प्रकारका होता है अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों व्यवहाररूप भी होते हैं और निश्चयरूप भी होते हैं । इस तरह कहना चाहिये कि जो सम्यग्दर्शनादिक निश्चयरूप होते हैं वे निश्चय-मोक्षमार्गमें गभित होते हैं और जो सम्यग्दर्शनादिक व्यवहाररूप होते हैं वे व्यवहार-मोक्षमार्गमें गभित होते हैं । इनमेंसे जो मोक्षमार्ग मोक्षका साक्षात् कारण होता है वह निश्चय-मोक्षमार्ग है और जो मोक्षमार्ग निश्चयमोक्षमार्गका कारण होता है वह व्यवहार-मोक्षमार्ग है ।

यहाँ हम मुख्यतया इसी विषयको स्पष्ट करना चाहते हैं । इसलिये यहाँ पर हम सर्व प्रथम निश्चयसम्यग्दर्शनादिरूप निश्चय-मोक्षमार्ग तथा व्यवहारसम्यग्दर्शनादिरूप व्यवहार-मोक्षमार्गके स्वरूपका प्रतिपादन कर रहे हैं ।

निश्चयसम्यग्दर्शनादिरूप निश्चयमोक्षमार्गका स्वरूप

निश्चयसम्यग्दर्शनादिरूप निश्चयमोक्षमार्गका स्वरूप प्रणिपादन करनेके लिये भी श्रद्धेय पं० दौलतरामजीके छहहालाकी तीमरी ढालका निम्नलिखित पद्य पर्याप्त है—

‘परब्रह्मव्यनते भिन्न आपमें रुचि सम्यक्त्व भला है ।
आप रूपको जानपनी सो सम्यग्ज्ञान कला है ॥
आप रूपमें लीन रहे धिर सम्यक्चारित सोई ।
अब बवहार मोक्ष मग सुनिये हेतु नियत को होई ॥१२॥’

इस पद्यका आशय यह है कि समस्त चेतन-अचेतनरूप परपदार्थोंकी ओरसे मुड़ कर अपने आत्म-स्वरूपकी प्राप्तिकी ओर जीवकी अभिरुचि (उन्मुखता या झुकाव) हो जानेका नाम निश्चयसम्यग्दर्शन है, जीवको अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जानेका नाम निश्चयसम्यग्ज्ञान है और बुद्धिपूर्वक तथा अबुद्धिपूर्वक होने वाली वधायज्य पाप व पुण्यरूप समस्त प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें निवृत्ति पाकर जीवका अपने आत्मस्वरूपमें लीन हो जाना ही निश्चयसम्यक्चारित्र्य है ।

इस पद्यके अन्तिम चरणमें श्रद्धेय पंडितजीने संकेत किया है कि आगे सम्पूर्ण छहहालामें निश्चय-सम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्र्यरूप निश्चय मोक्षमार्गके कारणभूत व्यवहार-सम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्र्यरूप व्यवहारमोक्षमार्गका विवेचन किया जाएगा । इस तरह पंडित दौलतरामजीके द्वारा छहहालामें किये गये विवेचनके अनुसार व्यवहारमोक्षमार्गरूप व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्र्यका स्वरूप निर्धारित होता है । उसीका यहाँपर विशेष कथन किया जाता है ।

व्यवहारसम्यग्दर्शनका स्वरूप

जीव, अजीव, आत्म, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष नामके सात तत्त्वोंके प्रति जीवके अन्तःकरणमें श्रद्धा अर्थात् इनके स्वरूपादिकी वास्तविकताके सम्बन्धमें ज्ञानकी वृद्धता (आस्तिक्य भाव) जागृत हो जानेका नाम व्यवहारसम्यग्दर्शन है। इसके आधारपर ही जीवोंको उपर्युक्त निश्चयसम्यग्दर्शनकी उपलब्धि हुआ करती है।

आचार्य उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रमें व स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें सम्यग्दर्शनका भी स्वरूप उपलब्ध होता है वह व्यवहारसम्यग्दर्शनका ही स्वरूप है। यद्यपि उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रमें उपर्युक्त सात तत्त्वोंके श्रद्धानका नाम ही सम्यग्दर्शन कहा है^१। लेकिन स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें सम्यग्दर्शनका लक्षण इस रूपमें बतलाया है कि परमार्थ अर्थात् वीतरागताके आवर्ण देवों, परमार्थ अर्थात् वीतरागताके पोषक शास्त्रों और परमार्थ अर्थात् वीतरागताके मार्गमें प्रवृत्त गुरुओंके प्रति जीवके अन्तःकरणमें भक्तिका जागरण हो जाना सम्यग्दर्शन है।^२ अतः तत्त्वार्थसूत्र और रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें प्रतिपादित सम्यग्दर्शनके इन लक्षणोंमें उपर्युक्त प्रकारसे यद्यपि भेद दिखाई देता है। परन्तु गहराईसे विचार करने पर मालूम हो जाता है कि रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें प्रतिपादित लक्षणसे भी निष्कर्षके रूपमें जीवके अन्तःकरणमें उपर्युक्त सात तत्त्वोंके प्रति आस्तिक्यभावकी जागृति हो जाना ही सम्यग्दर्शनका स्वरूप निश्चित होता है।

व्यवहारसम्यग्ज्ञानका स्वरूप

वीतरागताके पोषक अथवा सप्ततत्त्वोंके यथावस्थित स्वरूपके प्रतिपादक आगमका श्रवण, पठन, पाठन, अभ्यास, चिन्तन और मननका नाम व्यवहारसम्यग्ज्ञान है। इस प्रकारके व्यवहारसम्यग्ज्ञानके आधार पर ही जीवोंको समस्त वस्तुओंके और विशेष कर आत्माके स्वतःसिद्ध स्वरूपका बोध होता है। जैसे आत्माका स्वतःसिद्ध स्वरूप ज्ञायकपना^३ अर्थात् समस्त पदार्थोंको देखने-जाननेकी शक्ति रूप है। चूंकि यह स्वरूप स्वतःसिद्ध है। अतः यह आत्माके अनादि, अनिघन स्वाश्रित और अक्षण्ड (स्वरूपके साथ तादात्म्यको लिए हुए) अस्तित्वको सिद्ध करता है।^४ हमें आत्माके इस तरहके स्वरूपको समझनेमें उपर्युक्त प्रकारके आगमका श्रवण, पठन, पाठन, अभ्यास, चिन्तन और मनन सहायक होता है।

विचार कर देखा जाय तो सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पूर्व ही इस प्रकारके सम्यक् अर्थात् वीतरागताके पोषक ज्ञानको प्राप्त करनेकी प्रत्येक जीवके लिये आवश्यकता है। आचार्य कुन्दकुन्दके समयसारकी गाथा १८ है भी यही संकेत प्राप्त होता है^५ क्योंकि उसमें बतलाया है कि पहले आत्मास्वी राजाकी पहिचान करो, फिर उसका श्रद्धान अर्थात् आश्रयण करो और तत्पश्चात् उसके अनुकूल आचरण करो तो मोक्षकी प्राप्ति होगी। इस तरह मोक्षमार्गमें यद्यपि सम्यग्दर्शनसे पूर्व ही सम्यग्ज्ञानको स्थान देना चाहिये। परन्तु वहापर इसको जो

१. तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्। त० सू० १-२।

जीवाजीवात्मवन्धसंवरनिर्जराभोक्षास्तत्त्वम्।-तत्त्वार्थसूत्र १-४।

२. रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य, श्लोक ४।

३. समयसार, गाथा ६।

४. पंचाम्पयी, श्लोक ८।

५. समयसार, गाथा १८।

सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके मध्यमे स्थान दिया गया है, इसका एक कारण तो यह है कि जीवको सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जानेपर ही उसके उक्त प्रकारके ज्ञानकी सम्यक्स्वप्ता अर्थात् सार्थकता सिद्ध होती है। और दूसरा कारण यह है कि जीवको उसकी (उक्त प्रकारके ज्ञानकी) उपयोगिता मध्यदीपक न्यायसे सम्यग्दर्शनकी तरह सम्यक्चारित्रपर आरूढ होनेके लिए भी सिद्ध होती है।^१ इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण यह भी है कि मोक्षमार्गके रूपमे सम्यग्दर्शनकी पूर्ति म०प्रथम अर्थात् वस्तुधर्मगुणस्थानसे लेकर अधिक-से-अधिक सप्तमगुणस्थान तक नियमसे हो जाती है, सम्यग्ज्ञानकी पूर्ति उसके बाद तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमे होती है और सम्यक्चारित्रकी पूर्ति सम्यग्ज्ञानकी पूर्तिके अनन्तर चौदहवें गुणस्थानके अन्त समयमे ही होती है। इस विषयको आगे स्पष्ट किया जायगा।

व्यवहारसम्यक्चारित्रका स्वरूप

बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक होने वाली ममस्त कषायजन्य पाप और पुण्यरूप प्रवृत्तियोसे निवृत्ति पाकर अपने आत्मस्वरूपमे लीन (स्थिर) होनेरूप निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्तिके लिए यथाशक्ति अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म और तप आदि क्रियाओंमें जीवकी प्रवृत्ति होने लग जाना व्यवहार सम्यक्चारित्र है।

उक्त प्रकारके निश्चयसम्यक्चारित्रका अपर नाम यथास्थानाचारित्र है तथा उसे वीतरागचारित्र भी कहते हैं।^२ उसकी प्राप्ति जीवको यद्यपि उपशमश्रेणीपर आरूढ होकर ११वें गुणस्थानमे पहुँचनेपर भी होती है और क्षयक श्रेणीपर आरूढ होकर १२वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर भी होती है। परन्तु ११वें गुणस्थान और १२वें गुणस्थानके निश्चयसम्यक्चारित्रमें परस्पर अन्तर पाया जाता है। अर्थात् उपशमश्रेणीपर आरूढ होकर ११वें गुणस्थानमे पहुँचने वाला जीव अल्पमूर्तके अल्पकालमे ही पतनकी ओर उन्मुख हो जाता है और तब उसका वह निश्चयसम्यक्चारित्र भी उसी समय समाप्त हो जाना है। इसके विपरीत क्षयकश्रेणीपर आरूढ होकर १२वें गुणस्थानमें पहुँचने वाला जीव कदापि पतनकी ओर उन्मुख नहीं होता। इसलिए उसका वह निश्चयसम्यक्चारित्र स्थायी रहा करता है साथ ही वह जीव अन्तर्मुक्तके अल्पकालमे ही १२वें गुणस्थानसे १३वें गुणस्थानमें पहुँच कर नियमसे सर्वज्ञताको प्राप्त कर लेता है। मोक्ष-मार्गके प्रकरणसे १२वें गुणस्थानमें प्राप्त होने वाले स्थायी निश्चयचारित्रको ही ग्रहण किया गया है।

यहाँपर एक बात हम यह कह देना चाहते हैं कि उपर्युक्त निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्तिके लिए ही वस्तुधर्मगुणस्थानका अविरतसम्यग्दृष्टि जीव ममस्तु होकर पुरुषार्थ करके पाँचवें गुणस्थानमे अणुव्रत धारण करता है तथा इसमे भी आगे बढ़कर छठे गुणस्थानमे वह महाव्रत धारण करता है। इतना ही नहीं, चोर तपश्चरण करके आगे बढ़ता हुआ वह सातवें गुणस्थानमें शुद्धोपयोगकी भूमिकाको प्राप्त होकर आत्मपरिणामोकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई यथायोग्य विवृद्धिके अनुसार उपशमश्रेणीपर आरूढ होता है या क्षयक श्रेणीपर आरूढ होता है। इस तरह कहना चाहिये कि जब तक उस जीवको उक्त निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वह पाँचवें और छठे गुणस्थानोंमें बुद्धिपूर्वक और सातवेंसे लेकर दशवें तकके गुणस्थानोंमें अबुद्धिपूर्वक उपर्युक्त व्यवहारसम्यक्चारित्रमे ही प्रवृत्त रहता है। इस व्यवहारसम्यक्चारित्रका भी अपर नाम संक्षेपसे सरागचारित्र और विस्तारसे सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहारविवृद्धि और सूक्ष्मसापरायण्य चारित्र है।

यद्यपि अणुव्रत और महाव्रत तथा समिति, गुणित, धर्म एव तपश्चरण आदि बाह्यक्रियायें उस-उस कषायके उदय और अनुदयके अनुसार पूर्वोक्त सम्यग्दर्शनसे रहित कोई-कोई म्रिय्यादृष्टि जीव भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, इन क्रियाओंकी संलग्नतापूर्वक करनेपर उनमेंसे कोई-कोई जीव यथासंभव स्वर्गमें नबने प्रैबैयक तक जन्म भी धारण कर लेते हैं। परन्तु इतनी बात अवश्य है कि इन क्रियाओंकी निश्चयसम्यक्-चारित्रकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षप्राप्तिरूप सार्थकता उक्त सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेपर ही हुआ करती है अन्यथा नहीं, क्योंकि जीव जब तक मिथ्यादृष्टि बना रहता है तब तक उसके अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम न हो सकनेके कारण यथायोग्य अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कषायोंका क्षयोप-शम होना अमम्भव ही रहा करता है जब कि अणुव्रत और महाव्रतरूप व्यवहारसम्यक्चारित्र यथायोग्य इन कषायोंका क्षयोपशम होनेपर ही जीवको प्राप्त हुआ करता है।

इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवके अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय समाप्त होकर प्रत्याख्याना-वरण कषायका उदय कार्यरत हो जाता है तब वह जीव व्यवहारसम्यक्चारित्रके रूपमें अणुव्रतको धारण करता है।^१ और जब जीवके अप्रत्याख्यानावरण कषायके साथ-साथ प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय भी समाप्त होकर मात्र संज्वलन कषाय व नोकषायका उदय कार्यरत हो जाता है तब वह जीव व्यवहारसम्यक्-चारित्रके रूपमें महाव्रत धारण करता है।^२ यह स्थिति अनन्तानुबन्धी कषायके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम^३ के अभावमें मिथ्यादृष्टि जीवके कदापि मभव नहीं है। अतः उसके (मिथ्यादृष्टि जीवके) यथायोग्य कषायके अनुदयके साथ-साथ यथायोग्य कषायके उदयमें बाह्यक्रियाके रूपमें अणुव्रत, महाव्रत आदिकी स्थितिका होना तो संभव है। लेकिन जब तक उन जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम न हो सकनेके कारण यथायोग्य अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी उदय-समाप्ति अमंभव होनेसे अणुव्रत, महाव्रत आदिकी स्थितिको व्यवहारसम्यक्चारित्रका रूप प्राप्त होना संभव नहीं है।

यहाँपर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानेपर नियमसे अनन्तानुबन्धी कषायका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जानेपर भी सामान्यतया यह नियम नहीं है कि उसके अणुव्रत अथवा महाव्रतरूप व्यवहारसम्यक्चारित्र अथवा अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी उदय-समाप्ति हो ही जाना चाहिये। किन्तु नियम यह है कि जिस सम्यग्दृष्टि जीवके अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्या-ख्यानावरण कषायोंका उदय समाप्त हो जाता है उनके ही यथायोग्य अणुव्रत व महाव्रतरूप व्यवहारसम्यक्-चारित्रकी स्थिति उत्पन्न होती है, शेष सम्यग्दृष्टि जीव तब तक अवती ही रहा करते हैं, जब तक उनके अप्रत्याख्यानावरण व प्रत्याख्यानावरण कषायोंका उदय समाप्त नहीं हो जाता है।

निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग रूप सम्यग्दर्शनादिकका यह सम्पूर्ण विवेचन हमने चरणानुयोगकी दृष्टिसे ही किया है। इस तरह इस विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चरणानुयोगमें सम्यग्दर्शनादि-रूप निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गके रूपमें जो दो प्रकारके मोक्षमार्गका कथन किया गया है उसका आशय निश्चयमोक्षमार्गको तो मोक्षका साक्षात् कारण बतलाया है और व्यवहारमोक्षमार्गको उसका (मोक्षका) परंपरा अर्थात् निश्चयमोक्षमार्गका कारण होकर कारण बतलाना है। इसी प्रकार उसका आशय निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रको तो कार्यरूप तथा व्यवहारसम्यग्दर्शन,

१. गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ३०।

२. गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ३१।

व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्रको क्रमशः उन निश्चय सम्यग्दर्शनादिकका कारण रूप बतलाना ही है ।

इससे हमें यह धिमा प्राप्त होती है कि मोक्षकी प्राप्तिके लिए प्रत्येक जीवको मोक्षके साक्षात् कारण-भूत निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रकी तथा इन निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी प्राप्तिके लिए व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्रकी अनिवार्य आवश्यकता है । इस तरह दो प्रकारके मोक्षमार्गकी मान्यता उचित हो है, अनुचित नहीं है ।

अब यदि कोई व्यक्ति निश्चयमोक्षमार्गरूप निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी प्राप्तिके बिना ही केवल व्यवहारमोक्षमार्गरूप व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकके आचार पर ही मोक्ष-प्राप्तिकी मान्यता रखते हैं तो वे गलती-पर हैं कारण कि फिर तो व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकको व्यवहारमोक्षमार्ग कहना ही असंगत होगा, क्योंकि इस मान्यतामें वे व्यवहारसम्यग्दर्शनादिक मोक्षके साक्षात् कारण हो जानेसे निश्चय मोक्षमार्गरूप ही हो जायेंगे ।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकमें पठित 'निश्चय' शब्द हमें निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकमें मोक्षकी साक्षात् कारणताका बोध कराता है और व्यवहार-मोक्षमार्ग अथवा व्यवहार सम्यग्दर्शनादिकमें पठित 'व्यवहार' शब्द हमें व्यवहारमोक्षमार्ग अथवा व्यवहार-सम्यग्दर्शनादिकमें मोक्षकी परंपरया कारणताका अर्थात् निश्चयमोक्षमार्ग अथवा निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी कारणतापूर्वक मोक्षकी कारणताका बोध कराता है । हमारे इस कथनकी पुष्टि, आगममें जो पूर्वोक्त प्रकार निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकको साध्यरूप या कार्यरूप तथा व्यवहारमोक्षमार्ग या व्यवहार-सम्यग्दर्शनादिकको साधनरूप या कारणरूप प्रतिपादित किया गया है, उससे हो जाती है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि जीवको मोक्षकी प्राप्ति तो निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चय-सम्यग्दर्शनादिककी उपलब्धि हो जाने पर ही होती है । अतः हमें व्यवहारमोक्ष-मार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकपर लक्ष्य न देकर निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकके ऊपर ही लक्ष्य देना चाहिये, तो ऐसे व्यक्ति भी गलती पर हैं, क्योंकि वे इस बातको नहीं समझ पा रहे हैं कि जीव जब तक व्यवहारमोक्ष-मार्गपर आरुढ़ नहीं होगा तब तक उसे निश्चय-मोक्षमार्गकी उपलब्धि होना संभव नहीं है क्योंकि यह बात पूर्वमें स्पष्ट की जा चुकी है कि मोक्षमार्गके अंगभूतनिश्चय सम्यक्चारित्रकी उपलब्धि जीवको उपशमश्रेणी पर आरुढ़ होनेके अनन्तर अस्थायी रूपमें तो ११वें गुणस्थानमें पहुँचने पर होती है तथा स्थायीरूपमें क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ होनेके अनन्तर १२वें गुणस्थानमें पहुँचने पर होती है । इस प्रकार कहना चाहिये कि जीव पंचम गुणस्थानसे लेकर जब तक उपशम या क्षपक श्रेणी माहकर ११वें या १२वें गुणस्थानमें नहीं पहुँच जाता तब तक अर्थात् १०वें गुणस्थान तक उसके पूर्वोक्त व्यवहारसम्यक्चारित्र ही रहा करता है । इससे एक यह मान्यता भी क्षणित हो जाती है कि व्यवहारमोक्ष-मार्ग पर आरुढ़ हुए बिना ही निश्चयमोक्षमार्गकी प्राप्ति जीवको हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक जीव जब यथायोग्य गुणस्थानक्रमसे आगे बढ़ता हुआ ही ११वें गुणस्थानमें अथवा १२वें गुणस्थानमें पहुँच सकता है जहाँ कि निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि उसे होती है तो इससे यह बात निश्चित हो जाती है कि व्यवहारमोक्षमार्ग पर आरुढ़ हुए बिना निश्चयमोक्षमार्गकी उपलब्धि कदापि जीवको संभव नहीं है ।

हमारे इस कथनसे एक मान्यता यह भी क्षणित हो जाती है कि जिस जीवको निश्चयसम्यक्चारित्र

की प्राप्ति हो जाती है उसके व्यवहारसम्यक्चारित्र अनायास ही हो जाता है उसे उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है । हमारे उपर्युक्त कथनसे इस मान्यताके स्पष्ट होनेमें एक आधार यह भी है कि आत्ममें व्यवहारसम्यक्चारित्रकी निश्चयसम्यक्चारित्रमें कारण बतलाया गया है, इस तरह कारण होनेकी वजहसे जब जीवमें व्यवहारसम्यक्चारित्रका निश्चयसम्यक्चारित्ररूप कार्यके पूर्व सद्भाव रहना आवश्यक है तो इस स्थितिमें फिर यह बात कैसे संगत कही जा सकती है—“कि जिस जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति हो जाती है उसको व्यवहारसम्यक्चारित्र अनायास ही हो जाता है—उसे उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है ?” इस विषयमें दूसरा आधार यह भी है कि जो व्यक्ति व्यवहारमोक्षमार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकके ऊपर लक्ष्य न देकर केवल निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकके ऊपर लक्ष्य देनेकी बात कहते हैं वे भी निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी उपलब्धिके लिये पुरुषार्थ करनेका उपदेश जीवके देते हैं तो इसका आशय यही होता है कि प्रत्येक जीवको निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी उपलब्धिके लिये व्यवहारमोक्षमार्ग या व्यवहार सम्यग्दर्शनादिककी प्राप्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिकी उपलब्धिके लिये जो भी प्रयत्न किया जायगा वह प्रयत्न व्यवहारमोक्षमार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकके अलावा और कुछ नहीं होगा । अर्थात् उस प्रयत्न (पुरुषार्थ) का नाम ही व्यवहारमोक्षमार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शनादिक है जो निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी उपलब्धिके लिये किया जाता है ।

एक बात और है कि हमारे पूर्व प्रतिपादनके अनुसार व्यवहारसम्यक्चारित्रका अपर नाम सराग-चारित्र है जैसा कि निश्चयसम्यक्चारित्रका अपर नाम वीतरागचारित्र है और यह बात निर्विवाद है कि दशवे गुणस्थान तक जीवमें सरागचारित्र ही रहा करता है, वीतरागचारित्र नहीं, तथा यो भी कहिये कि दशवे गुणस्थान तक ही सरागचारित्र रहा करता है, आगेके गुणस्थानोंमें नहीं, इस तरह इसका अभि-प्राय यह होता है कि सरागचारित्रका अभाव हो जाने पर ही वीतरागचारित्रकी उपलब्धि जीवको हुआ करती है और इसका अभिप्राय यो यह हुआ कि व्यवहारसम्यक्चारित्रका अभाव हो जाने पर ही निश्चय-सम्यक्चारित्रकी उपलब्धि जीवको हुआ करती है अथवा यो कहिये कि जिस जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि हो जाती है उसके फिर व्यवहारचारित्रका अभाव ही हो जाया करता है । इस तरह तब इस बात-को कैसे मगत माना जा सकता है कि “जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि हो जाने पर व्यवहार-सम्यक्चारित्रकी उपलब्धि अनायास हो जाती है ?” और यही कारण है कि आचार्य अमृतचन्द्रने समयसार गाथा ३०५ की टीकामें व्यवहाराचारसूत्र^१ का उद्धरण देकर व्यवहारसम्यक्चारित्रको तब तक अमृत-कुम्भ कहा है जब तक जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि नहीं हो जाती है तथा भगवान् कुन्दकुन्द^२ ने उसी व्यवहारसम्यक्चारित्रको तब विषकुंभकी उपमा दे दी है जब जीवको निश्चय सम्यक्चारित्रकी उप-लब्धि हो जाती है ।

इस तरह यह बात निर्णय हो जाती है कि जब तक जीवको निश्चयसम्यक्-चारित्रकी उपलब्धि नहीं हो जाती है तब तक उसके लिए मोक्षप्राप्तिके उद्देश्यसे परंपर्या कारणके रूपमें अथवा निश्चयसम्यक्-चारित्रके साधनके रूपमें व्यवहारसम्यक्चारित्र नियमसे उपयोगी सिद्ध होता है । इसलिये मोक्ष-प्राप्तिके उद्देश्यसे निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक जीवको व्यवहारसम्यक्चारित्रको धारण

१. समयसार, गाथा ३०५, आचार्य अमृतचन्द्र टीका ।

२. समयसार, गाथा ३०६, ३०७ ।

करनेका सतत प्रयत्न करना चाहिये। इतनी बात अवश्य है कि कोई भी चारित्र्य तब तक 'व्यवहारसम्यक् चारित्र्य' नाम नहीं पा सकता है जब तक कि वह चारित्र्य सम्यग्दर्शनके सद्भावमें न हो, जैसाकि पूर्वमें हम स्पष्ट कर आये हैं।

इस प्रकार आगमप्रमाणके आधार पर किये गये उपर्युक्त विवेचनसे यह मान्यता, कि 'जिस जीवको निश्चयसम्यक्चारित्र्यकी प्राप्ति हो जाती है उसके व्यवहारसम्यक्चारित्र्य अनायास ही हो जाता है उसे उसकी प्राप्तिके लिये पुष्टार्थ नहीं करना पड़ता है,' निश्चित रूपमें सन्निहित हा जाता है।

इतना स्पष्ट विवेचन करने पर भी अब यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि व्यवहारमोक्षमार्ग तो संसारका ही कारण है, मोक्षका नहीं, तो उसका ऐसा कहना भी दुराग्रहपूर्ण ही माना जायगा।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यदि व्यवहारमोक्षमार्ग संसारका ही कारण है मोक्षका नहीं, तो फिर उसे आगममें 'मोक्षमार्ग' शब्दसे पुकारना ही असंगत है। दूसरी बात यह है कि संसारका मुख्य कारण तो मोहनीयकर्मके उदयसे होनेवाले जीवके मिथ्यादर्शन, 'मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य रूप परिणाम ही है। यद्यपि यह बात सत्य है कि व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्र्यको प्राप्त करके भी जीव जब तक निश्चय-सम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्र्यको प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे मोक्षका प्राप्त होना असंभव है। अर्थात् वह तब तक संसारमें ही रहना करता है। परन्तु इस आधार पर उन व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकको मर्त्या संसारका ही कारण मान लेना असंगत बात है। फिर भी इतना तो माना जा सकता है कि जूँकि व्यवहार-सम्यग्दर्शनादिक निश्चय-सम्यग्दर्शनादिककी उत्पत्तिमें कारण होते हैं अतः इस रूपमें वे कर्षित्त् मोक्षके भी कारण हैं और जूँकि व्यवहार-सम्यग्दर्शनादिकके सद्भावमें भी जीवकी जब तक निश्चय-सम्यग्दर्शनादिककी उपलब्धि नहीं हो जाती तब तक मोक्षकी प्राप्ति असंभव है। अतः उनमें कर्षित्त् संसारकी कारणता स्वीकार करना भी असंगत नहीं है। इस स्पष्टीकरणमें कही हुई इन सब बातोंकी समझनेके लिये यहाँ पर थोडा करणानुयोगकी दृष्टिसे भी सम्यग्दर्शनादिकके सम्बन्धमें विचार किया जा रहा है।

करणानुयोगकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहार सम्यग्दर्शनादिकका स्वरूप

इसके पूर्व कि हम करणानुयोगकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहार सम्यग्दर्शनादिकका विवेचन करे, आवश्यक जानकर करणानुयोगके सम्बन्धमें ही कुछ विवेचन कर देना चाहते हैं।

करणानुयोगमें पठित 'अनुयोग' शब्दका अर्थ आगम होता है। इस तरह सम्पूर्ण जैनागमको यदि विभक्त किया जाय तो वह चार भागोंमें विभक्त हो जाता है—प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग।

इनमेंसे प्रथमानुयोग वह है जिसमें अध्यात्मको लक्ष्यमें रखकर महापुरुषोंके जीवनचरित्रके आधारपर पाप, पुण्य और धर्मके फलका दिग्दर्शन कराया गया है। चरणानुयोग वह है जिसमें अध्यात्मको लक्ष्यमें रखकर पाप, पुण्य और धर्मकी व्यवस्थाओंका निर्देश किया गया है। करणानुयोग वह है जिसमें जीवोंकी पाप, पुण्य और धर्ममय परिणतियों तथा उनके कारणोंका विश्लेषण किया गया है और द्रव्यानुयोग वह है जिसमें विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंके पृथक् अस्तित्वको बतलाने वाले स्वतन्त्र स्वरूप एवं उनके परिणमनोंका निर्धारण किया गया है। यहाँपर हम इन सब अनुयोगोंके आधारपर वस्तुस्वरूपपर प्रकाश न डाल कर प्रकरणके लिये उपयोगी प्रतिज्ञात करणानुयोगके आधारपर ही वस्तुस्वरूपपर प्रकाश डाल रहे हैं।

आत्माका स्वल्प ज्ञायकपना अर्थात् विश्वके समस्त पदार्थोंको देखने-जाननेकी शक्ति रूप है। यह कथन हम पूर्वमें भी कर आये है। इसमें निदिष्ट ज्ञायकपना आत्माका स्वतः सिद्ध स्वभाव है, इसलिये इस आधार पर एक तो आत्माका स्वतन्त्र और अनादि तथा अनिघन अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरे, जिस प्रकार आकाश अपने स्वतः सिद्ध अवगाहक स्वभावके आधारपर विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको अपने अन्दर एक साथ हमेशा समाये हुए है उसी प्रकार आत्माको भी अपने स्वतः सिद्ध ज्ञायक स्वभाव के आधारपर विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको एक साथ हमेशा देखने-जानते रहना चाहिये। परन्तु हम देख रहे हैं कि जो जीव अनादिकालसे संसार-परिभ्रमण करते हुए इसी चक्रमें फँसे हुए है उन्होंने अनादिकालसे अभी तक न तो कभी विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोंको एक साथ देखा व जाना है और न वे अभी भी उन्हें एक साथ देख-जान पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन संसारी जीवोंमें एक तो तरलमभावसे ज्ञानकी मात्रा अल्प ही पायी जाती है। दूसरे, जितनी मात्रामें इनमें ज्ञान होता हुआ देखा जाता है वह भी इन्द्रियाधिक अन्य साधनोंकी सहायतासे ही हुआ करता है। एक बात और है कि ये संसारी जीव पदार्थोंको देखने-जाननेके पश्चात् उन जाने हुए पदार्थोंमें इष्टपने या अनिष्टपनेकी कल्पनारूप मोह किया करते हैं और तब वे इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें प्रीतिरूप राग तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंमें अप्रीति (वृणा) रूप द्वेष सतत किया करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सतत इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी प्राप्तिमें और अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी अप्राप्तिमें हर्ष हुआ करता है तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी प्राप्तिमें और इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदार्थोंकी अप्राप्तिमें विषाद हुआ करता है। यद्यपि ऐसा भी सम्भव है कि किन्हीं-किन्हीं (सम्यग्बुद्धि) संसारी जीवोंको इस प्रकारसे हर्ष-विषाद नहीं होते, फिर भी वे जीव जब शरीरकी अधीनतामें ही रह रहे हैं और उनका अपना-अपना शरीर अपनी स्थिरताके लिये अन्य भोजनादिककी अधीनताको स्वीकार किये हुए है तो ऐसी स्थितिमें शरीरके लिये उपयोगी (आवश्यक) उन पदार्थोंकी प्राप्ति व अप्राप्तिमें उन्हें भी यथायोग्य सुख या दुःखका संवेदन तो हुआ ही करता है और तब उन्हें अपने दुःख-संवेदनको समाप्त करने व सुख-संवेदनको प्राप्त करनेके लिये उन पदार्थोंकी प्राप्ति व उपयोगमें प्रवृत्त होना पड़ता है। इसके भी अतिरिक्त जिनका संसार अभी चालू है ऐसे संसारी जीव अनादिकालसे कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यक और कभी नारकी होते आये हैं, वे कभी ऐकेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कभी त्रीन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पञ्चेन्द्रिय भी होते आये हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कभी पृथ्वीका, कभी जलका, कभी तेजका, कभी वायुका और कभी वनस्पतिका भी शरीर धारण किया है। हम यह भी देखते हैं कि एक ही श्रेणीके जीवोंके शरीरोंमें भी परस्पर विलक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई तो एकमें प्रभावशाली देखे जाते हैं व कोई प्रभावहीन देखे जाते हैं। और भी देखा जावे तो लोक एक जीवमें उच्चताका तथा दूसरे जीवमें नीचताका भी व्यवहार किया करता है। इसी प्रकार प्रायः किसीको यह पता नहीं कि कौन जीव कब अपने वर्तमान शरीरको छोड़ कर चला जायगा और दूसरा शरीर धारण कर लेगा।

जीवोंमें ये सब विलक्षणतायें क्यों हो रही हैं ? इसका समाधान आगमग्रंथोंमें इस तरह किया गया है कि प्रत्येक संसारी जीव अपने स्वतः सिद्ध देखने-जाननेके स्वभाव वाला होकरके भी अनादिकालसे स्वर्ण-पाषाणकी तरह पौद्गलिक कर्मोंके साथ सम्बद्ध (मिश्रित यानी एक क्षेत्रावगाही रूपसे एकमेकपनेको प्राप्त) हो रहा है।^१ ये कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, वाग्नु, नाम, गोत्र और अन्तरायके भेदसे मूल रूपमें आठ प्रकारके हैं। इनमेंसे ज्ञानावरण कर्मका कार्य जीवकी जाननेकी शक्तिको आवृत्त करना है,

१. सम्यसार, गाथा १६० । गोमटसार कर्मकाण्ड, गाथा २ ।

२. गोमटसार कर्मकाण्ड, गाथा ८ ।

वर्णनावरण कर्मका कार्य जीवकी देखनेकी शक्तिको धामृत करना है, वैद्यनीय कर्मका कार्य जीवको शरीरादिक परपदाधिके आधारपर यथायोग्य सुख अथवा दुःखका संवेदन कराना है, मोहनीय कर्मका कार्य जीवको पर पदाधिके आधारपर ही यथायोग्य मोही, रागी और द्वेषी बनाकर उचित अनुचित रूप विविध प्रकारकी प्रवृत्तियोंमें व्यापृत करनेका है, आयु-कर्मका कार्य जीवको उसके अपने शरीरमें सीमित काल तक रोक रखनेका है, नामकर्मका कार्य जीवको मनुष्यादिरूपता प्राप्त करानेका है, गोत्र कर्मका कार्य कुल, शरीर तथा आचरण आदिके आधारपर जीवमें उच्चता तथा नीचताका व्यवहार करानेका है और अन्तरायकर्मका कार्य जीवकी स्वतःसिद्ध स्वायत्तमान शक्तिका घात करना है ।^१

करणानुयोगकी व्यवस्था यह है कि इन सब प्रकारके कर्मोंको जीव हमेशा अपने विकारी भावों (परिणामों) द्वारा बाँधता है और जीवके वे विकारी परिणाम पूर्वमें बद्ध पुद्गल कर्मके उदयमें हुआ करते हैं ।^२ इस तरह जीवके साथ बँधे हुए ये कर्म उसमें अपनी सत्ता बना लेते हैं तथा अन्तमें उदयमें आकर बन्धौत जीवको अपना फलानुभव कराकर ये निर्जैरित हो जाते हैं ।^३ लेकिन इतनी बात अवश्य है कि उस फलानुभवसे प्रभावित होकर यह जीव इसी प्रकारके दूसरे कर्मोंसे पुनः बंधको प्राप्त हो जाता है ।

ये कर्म जीवको जिस रूपमें अपना फलानुभव कराते हैं वह जीवका औद्यिक भाव है क्योंकि जीवका उस प्रकारका भाव उस कर्मका उदय होनेपर ही होता है ।^४ कदाचित् कोई जीव अपनेमें सत्ताको प्राप्त यथायोग्य कर्मको अपने पुरुषार्थ द्वारा इस तरह शक्तिहीन बना देता है कि वह कर्म अपनी फलदानशक्तिको सुरक्षित रखते हुए भी जीवको एक अन्तर्मुहूर्तके लिये फल देनेमें असमर्थ हो जाता है । कर्मको इस अवस्थाका नाम उपशम है । इस तरह कर्मका उपशम होनेपर जीवकी जो अवस्था होती है उसे उस जीवका औपशमिक भाव कहते हैं ।^५ कदाचित् कोई जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्मको सर्वथा शक्तिहीन बना देता है जिससे वह कर्म उस जीवसे अपना सम्बन्ध समूल विच्छिन्न कर लेता है । कर्मकी इस अवस्थाका नाम क्षय है और इसके होनेपर जीवकी जो अवस्था होनी है उसे जीवका क्षायिक भाव कहते हैं ।^६ इसी प्रकार कदाचित् कोई जीव अपना पुरुषार्थ इस तरह करता है कि जिसके होनेपर कर्मके कुछ निश्चित अंश तो उदयरूपताको प्राप्त रहते हैं, कुछ निश्चित अंश उपशमरूपताको प्राप्त रहते हैं और कुछ निश्चित अंश क्षयरूपताको प्राप्त रहते हैं । कर्मकी इस प्रकारकी अवस्थाका नाम क्षयोपशम है । कर्मका इस प्रकारका क्षयोपशम होनेपर जीवकी जो अवस्था होती है उसे जीवका क्षायोपशमिक भाव कहते हैं ।^७ इस क्षायोपशमिक भावका अपर नाम मिश्रभावा-

१. प्रत्येक कर्मके कार्यको जाननेके लिए गो० कर्मकाण्डकी गाथा १० से गाथा ३३ तकका अवलोकन करना चाहिये ।
२. समयसार, गाथा ८० ।
३. विद्याकोजुभव । स यथामाम । ततश्च निर्जरा—सत्त्वार्थसूत्र ८-२१, २२, २३ ।
४. पंचाध्यायी, अध्याय २, श्लोक ९६७ ।
५. पंचाध्यायी, अध्याय २, श्लोक ९६४ ।
६. पंचाध्यायी, अध्याय २, श्लोक ९६५ ।
७. पंचाध्यायी, अध्याय २, श्लोक ९६६ ।
८. औपशमिकक्षायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतस्त्वमौद्यिकपरिणामकी च ।—सत्त्वार्थसूत्र २-१ ।

भी आगममें बतलाया गया है। इस प्रकार कहना चाहिये कि यथायोग्य कर्मके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके होनेपर जीवकी भी क्रमशः औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक अवस्थायें हो जाया करती हैं।^१

उपर्युक्त आठ कर्मोंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मोंकी प्रत्येक संसारी जीवमें अनादिकालसे क्षयोपशमरूप अवस्था हो रही है क्योंकि कभी इनकी सर्वथा उदय रूप अवस्था नहीं होती। इतना अवश्य है कि अनन्त मसारी जीवोंने अपने पुरुषार्थ द्वारा इन तीनों कर्मोंका सर्वथा क्षय कर डाला है और यदि कोई संसारी जीव अब भी पुरुषार्थ करे तो वह भी इनका सर्वथा क्षय कर सकता है। इस तरह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंके यथायोग्य निमित्तसे सामान्यरूपमें जीवकी क्षायोपशमिक और क्षायिक दो ही प्रकारकी अवस्थायें होना संभव है, औदयिक और औपशमिक अवस्थायें इनमें संभव नहीं हैं। इतना अवश्य है कि यदि इन कर्मोंके यथायोग्य अन्तर्भेदोंकी अपेक्षा विचार किया जाय तो उनके निमित्तसे फिर जीवकी औदयिक अवस्था भी संभव है। जैसे जीवमें केवलज्ञान और केवलदर्शनावरण कर्मोंका उदय विद्यमान रहनेके कारण जीवकी केवलज्ञान और केवलदर्शनके अभावरूप औदयिक अवस्थायें भी मानी जा सकती हैं।

इसी प्रकार वेदनीय, आय, नाम और मोक्ष इन चार कर्मोंकी प्रत्येक जीवमें अनादिकालसे तो उदयरूप अवस्थायें ही रहती हैं। कभी इनकी उपशम या क्षयोपशम रूप अवस्था न तो हुई और न होगी, लेकिन इनके सम्बन्धमें भी यह बात है कि अनन्त मसारी जीवोंने अपने पुरुषार्थ द्वारा इन चारों कर्मोंका सर्वथा क्षय अवश्य कर डाला है और यदि कोई मसारी जीव अभी भी पुरुषार्थ करे तो इनका सर्वथा क्षय कर सकता है। इस तरह कहना चाहिये कि इन कर्मोंके निमित्तसे जीवकी औदयिक और क्षायिक दो अवस्थायें ही संभव हैं। परन्तु यहाँ पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि इनके क्षयके निमित्तसे होनेवाले क्षायिक भावोंकी गणना आगमोक्त क्षायिक भावोंमें करना उपयोगी न होनेके कारण आवश्यक नहीं समझा गया है। इनके क्षयके निमित्तसे होनेवाले जीवके क्षायिक भावोंको या तो अव्याबाध, अवगाहना, सूक्ष्मत्व और अगृह्यगुत्व गुणोंके रूपमें प्रतिजीवी भाव आगममें कहा गया है या फिर सामान्यतया संपूर्ण कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला सिद्धत्व भाव इन्हें कह दिया गया है।

इन मात्र कर्मोंके अतिरिक्त जो मोहनीय कर्म शेष रह जाते हैं उसकी प्रत्येक संसारी जीवमें अनादिकालसे तो उदयरूप अवस्था ही विद्यमान रहती है। लेकिन भूतकालमें अनन्त मसारी जीवोंने अपने पुरुषार्थ द्वारा अनेक बार यथायोग्य उपशम या क्षयोपशम करके अन्तमें उसका सर्वथा क्षयकर मुक्तिको प्राप्त कर लिया है। अनेक संसारी जीवोंमें वह अभी भी यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम रूपमें बना हुआ है तथा जिन जीवोंमें वह अभी भी उदय रूपमें बना हुआ है वे भी अगर पुरुषार्थ करे तो उसकी इस उदयरूप हालतको परिवर्तित करके उपशम, क्षय या क्षयोपशमरूप अवस्था बना सकते हैं। इनका अभिप्राय यह हुआ कि मोहनीय कर्मका यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर जीवकी क्रमशः औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये चारों प्रकारकी अवस्थायें संभव होती हैं।

इस प्रकार जिन संसारी जीवोंमें अनादिकालसे अभी तक अपने पुरुषार्थ द्वारा समस्त कर्मोंका क्षय कर डाला है वे तो मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं और जो संसारी जीव आगे जब इन सभी कर्मोंका सर्वथा क्षय कर लेंगे वे भी तब मोक्षको प्राप्त हो जावेंगे।

१. पंचाध्यायी, अध्याय २, श्लोक ९६२।

ऊपर बतलाये गये ढंगसे उपर्युक्त आठ कर्मोंके यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके आधार पर होनेवाली जीवोंकी अवस्थाओंकी उपयोगी कुल संख्या आगममे संक्षेपसे पचास बतलायी गयी है तथा इनमें तीन पाणिनामिक भावोंकी भी मिला देनेपर जीवकी अवस्थाओंकी संख्या तिरपेन हो जाती है। इन तिरपेन भावोंकी आगममें जो गणना की गयी है वह इस प्रकार है कि सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके रूपमें दो भाव औपशमिक हैं। केवलज्ञान, केवलदर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्-चारित्र्य ये नौ भाव क्षायिक रूप हैं। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्ययके रूपमें चार सम्यग्ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कु-अवधिके रूपमें तीन मिथ्याज्ञान, चक्षुर्दर्शन, अक्षक्षुर्दर्शन और अवधिदर्शनके रूपमें तीन दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यके रूपमें पाँच लब्धियाँ (क्षप्तियाँ) तथा सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र और संयमासंयम ये अठारह भाव क्षायोपशमिक रूप हैं। नरक, तिर्यंच, अनृत्य और देवके रूपमें चार गतियाँ, क्रोध मान, माया और लोभके रूपमें चार कषाय, पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगके रूपमें तीन लिंग, पर-पदाधर्मों अहंकार और ममकाररूप मिथ्यादर्शन, ज्ञानविशेषका अभावरूप अज्ञान, चारित्रिका अभावरूप असंबतत्व, संसारी अवस्थाका असिद्धत्व तथा कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्लके रूपमें छह लक्ष्यार्थे ये द्वाकीस भाव औदयिक रूप हैं। इसी प्रकार जीवत्व, भ्रम्यत्व और अभ्रम्यत्व ये तीन भाव पारिणामिक रूप हैं।^१

आगममे आठ कर्मोंके भेदोंकी गणना इस प्रकार की गयी है कि ज्ञानावरणकर्म मतिज्ञानावरण आदिके रूपमें पाँच प्रकारका, दर्शनावरणकर्म चक्षुर्दर्शनावरण आदिके रूपमें नौ प्रकारका, वेदनीयकर्म साता तथा असाताके रूपमें दो प्रकारका, मोहनीयकर्म मिथ्यात्व आदिके रूपमें अट्ठाईस प्रकारका, आयु कर्म नरकायु आदिके रूपमें चार प्रकारका, नामकर्म गति, जाति आदिके रूपमें तेरानवे प्रकारका, गोत्रकर्म उच्च तथा नीच के रूपमें दो प्रकारका और अन्तरायकर्म दानान्तराय आदिके रूपमें पाँच प्रकारका होता है।^२

आगममे यह भी बतलाया गया है कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चारो कर्म जीवके यथायोग्य अनुजीवी गुणोंका घात करनेमें समर्थ होनेके कारण घाता^३ कहलाते हैं तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चारो कर्म जीवके अनुजीवी गुणोंका घात करनेमें असमर्थ होनेके कारण अघाती^४ कहलाते हैं। इतना ही नहीं, आगममे यह भी बतला दिया गया है कि संपूर्ण घाती कर्म तथा अघाती कर्मोंकी कुछ प्रकृतियाँ मिलकर पाप प्रकृतियाँ कहलाती हैं^५ और अघाती कर्मोंकी शेष प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृतियाँ कहलाती हैं।^६

ऊपर जो जीवके तिरपेन भावोंकी गणना की गयी है उनमेंसे तीन पारिणामिक भावोंकी छोड़कर शेष पचास भाव उक्त कर्मोंमेंसे उस कर्मके यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशमके आधारपर उदपन्न होनेके कारण ही पूर्वोक्त प्रकार क्रमशः औदयिक, औपशमिक, क्षायिक या क्षायोपशमिक नामसे पुकारे जाते हैं। इन औदयिकादिरूप पचास भावोंमेंसे मिथ्यादर्शन और मिथ्याचारित्र्यको औदयिक भाव है वे भाव संसारके

१. तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय २ सूत्र २, ३, ४, ५, ६, ७।

२. वही, अध्याय ८ सूत्र, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३। गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ३८।

३. पचाष्याप्ती, अध्याय २ श्लोक १९८।

४. वही, अध्याय, २, श्लोक १९९।

५. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ४३, ४४।

६. वही, गाथा ४१, ४२।

कादश हैं^१ तथा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यरूप जो औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिक भाव हैं वे भाव मोक्षके कारण हैं।^२ यद्यपि मिथ्याज्ञानरूप क्षायोपशमिक भावको भी बन्धका कारण तथा सम्यग्ज्ञानरूप क्षायोपशमिक और क्षायिकभावको भी मोक्षका कारण आगममें स्वीकार किया गया है। परन्तु इसके विषयमें यह बात ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानको संसारकारणता और मोक्षकारणता यथायोग्य मोहनीयकर्मके उदय, उपशम, क्षय व क्षयोपशमसे सम्बद्ध होकर ही मानी गयी है। यही कारण है कि चतुर्दश गुणस्थान-व्यवस्थामें केवल मोहनीयकर्मको ही उदय, उपशम, क्षय तथा क्षयोपशमके आधारपर आगममें प्रमुखता दी गयी है।^३

उक्त कथनका विस्तार यह है कि उक्त औद्ययिक भाव मोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेके कारण जीवके संसारके कारण होते हैं। औपशमिक भाव मोहनीयकर्मके उपशमसे उत्पन्न होनेके कारण यद्यपि संसारके कारण नहीं होते, परन्तु ये जीवमें अन्तर्गहन तक ही ठहरते हैं अर्थात् मूर्हतके अन्दर-अन्दर ही ये नष्ट हो जाने हैं, इसलिए मोक्षके कारण होकर भी इनसे जीवको साक्षात् मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती है। इन्हें छोड़कर मोहनीयकर्मकी उम-उस प्रकृतिके मर्बन्धा क्षयसे उत्पन्न होनेवाले क्षायिक भाव ही जीवकी मोक्ष-प्राप्तिमें साक्षात् कारण हुआ करते हैं। अर्थात् उक्त क्षायिक भावको प्राप्त कर लेनेपर जीव निम्नसे मुक्तिको प्राप्त करता है। कारण कि ये भाव जीवको एक बार प्राप्त हो जानेपर फिर कभी नष्ट नहीं होते हैं। क्षायोपशमिक भावके विषयमें व्यवस्था यह है कि इनमें सर्वघाती प्रकृतिके वर्तमान समयमें उदय आनेवाले नियेकोका उदयाभावी क्षय और उसी सर्वघाती प्रकृतिके आगामी कालमें उदय आनेवाले नियेकोका सबवस्था रूप उपशम तथा देशघाती प्रकृतिका उदय विद्यमान रहा करता है अत इनमें देशघाती प्रकृतिका उदय कार्यकारी रहनेके कारण ती संसारको कारणता व सर्वघाती प्रकृतिका उदयाभावीक्षय तथा सबवस्था रूप उपशम भी कार्यकारी रहनेके कारण मोक्षकी कारणता इस तरह दोनों ही प्रकारकी कारणतायें विद्यमान रहा करती हैं। यही कारण है कि आगममें यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि जीवमें जिस कालमें जितना दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका अंश प्रकट रहता है उतने रूपमें उसके कर्मबन्ध नहीं होता है और उसी कालमें जितना दर्शन, ज्ञान और चारित्रिका अपना-अपना विरोधी रागाश प्रकट रहता है उतने रूपमें उसका कर्मबन्ध भी होता है।^४

इस प्रकार क्षायोपशमिक भावोंमें यद्यपि संसार और मुक्ति उभयकी कारणता विद्यमान रहा करती है फिर भी उन्हें आगममें मोक्षका ही कारण बतलाया गया है, संसारका नहीं।^५ यह बात हम पूर्वमें भी कह चुके हैं। इसको यों भी स्पष्ट किया जा सकता है कि आगममें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको औपशमिक, क्षायिक व क्षायोपशमिकका भेद न करके सामान्यरूपसे ही मोक्षका कारण प्रतिपादित किया गया है^६ व औद्ययिक भावरूप मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यको संसारका कारण प्रतिपादित किया गया है।^७ इतनी बात अवश्य आगममें स्पष्ट कर दी गयी है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप मोक्षमार्गपर आरूढ़ हुआ जीव यदि शुद्धोपयोगी भूमिकाको प्राप्त करके क्षयकश्रेणीपर आरूढ़ हो जावे तो वह मोक्ष सुखको ही प्राप्त करता है।^८ लेकिन यदि कोई जीव शुद्धोपयोगी भूमिकाको प्राप्त होकर भी क्षयक-

१. रत्नकरण्डकभावकाचार, श्लोक, ३। २. तत्त्वार्थसूत्र, १-१।

३. गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४।

४. पुरुषार्थसिद्धधुपाय, श्लोक २१२, २१३, २१४।

५. बही, श्लोक २११।

६. तत्त्वार्थसूत्र, १-१।

७-८. रत्नकरण्डकभावकाचार श्लोक २, ३।

श्रेणीपर आरुढ़ न होकर उपशमश्रेणीपर आरुढ़ हुआ अथवा शुद्धोपयोगकी भूमिकाको प्राप्त न होकर शुभोपयोगकी भूमिकामें ही प्रवर्तमान रहा और ऐसी हालतमें उसका यदि भरण हो गया तो वह जीव स्वर्ग-सुखको प्राप्त करता हुआ^१ परंपरया मोक्षसुखको प्राप्त करता है।^२ इसके साथ ही आगममें यह बात भी स्पष्ट कर दी गयी है कि यदि कोई जीव अपनेको भूलकर स्वर्गसुखमें रम जाय तो फिर इसमें भी संदेह नहीं कि वह मारीचकी तरह यथायोग्य अनेक भवों तक सासारिक विभिन्न प्रकारकी कुयोनियों में भी भ्रमण करता है।^३

इस कथनसे इतनी बात स्थिर हो जाती है कि अशुभोपयोग और अशुभ प्रवृत्तिरूप मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या-चारित्र संसारके कारण है, शुभोपयोग और शुभ प्रवृत्तिरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वर्गादिसुखपूर्वक परंपरया मोक्षके कारण हैं। तथा शुद्धोपयोग व शुद्ध प्रवृत्तिरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र साक्षात् मोक्षके कारण है।

इस प्रकार करणानुयोगके आधारपर किए गए उपर्युक्त विवेचन और इसके पूर्व चरणानुयोगके आधारपर किए गए विवेचनसे हमारा प्रयोजन यह है कि चरणानुयोगकी दृष्टिसे जो निश्चय और व्यवहार-रूप मोक्षमार्गद्वयका अथवा निश्चयसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यग्ज्ञान तथा निश्चयसम्यक्चारित्र और व्यवहारसम्यक्चारित्रका विवेचन किया गया है एवं चरणानुयोगकी दृष्टिसे जो औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यग्ज्ञान तथा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक्चारित्रका विवेचन किया गया है। इन दोनों प्रकारके विवेचनोंका यदि समन्वय किया जाय तो यह निर्णीत हो जाता है कि जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे औपशमिक व क्षायिक सम्यग्दर्शन समझना चाहिये तथा जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे व्यवहारसम्यग्दर्शन कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन समझना चाहिये। इसी प्रकार जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे निश्चयसम्यग्ज्ञान कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे क्षायिक-सम्यग्ज्ञान अर्थात् कैवलज्ञान समझना चाहिये और जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे व्यवहारसम्यग्ज्ञान कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे क्षायोपशमिक सम्यग्ज्ञान समझना चाहिये और इसी प्रकार जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे निश्चयसम्यक्चारित्र यथाख्यातचारित्र या वीतरागचारित्र कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे औपशमिक व क्षायिक सम्यक्चारित्र समझना चाहिये और जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे अनुव्रत, महाव्रत आदिरूप व्यवहारसम्यक्चारित्र, सरागचारित्र या सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसापरायचारित्र कहा गया है उसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे क्षायोपशमिक चारित्र समझना चाहिये।

उपर्युक्त कथन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचा देता है कि व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकारके मोक्ष-मार्गका प्रारम्भ चतुर्थ गुणस्थानसे ही होता है, चतुर्थ गुणस्थानसे पूर्व किसी भी तरहके मोक्षमार्गका प्रारम्भ नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिये। आगे इसी बातको स्पष्ट किया जा रहा है।

सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके विषयमें यह बात कही गयी है कि वह दर्शनमोहकी मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन तथा चारित्रमोहको अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इस

१. प्रवचनसार, गाथा ११।

२. छहडाला, ४।१४।

३. वही, गाथा १२।

तरह सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होनेपर ही उत्पन्न हुआ करता है। अर्थात् आगममें कहा गया है कि उक्त सात प्रकृतियोंके उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व^१ और उक्त सात हो प्रकृतियोंके क्षयसे^२ क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इसी प्रकार उक्त सात प्रकृतियोंमेंसे ही मिथ्यात्व व सम्यक्मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन छह सर्वघाती प्रकृतियोंके वर्तमान समयमें उदय आने वाले निषेकोंका उदयाभावी क्षय व आगामी पालमें उदय आने वाले निषेकोंका सदवस्थाकूप उपशम एवं सम्यक्-प्रकृतिरूप देशघातिप्रकृतिका उदय होनेपर^३ क्षायोपशमिकसम्यक्त्व उत्पन्न होता है।

आगममें यह बात भी कही गयी है कि उक्त औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक तीनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शन जीवको क्षायोपशमिक, विद्युद्धि, देशाना, प्रायोग्य और करणलब्धि पूर्वक ही उत्पन्न हुआ करता है।^४ मायमें इन लब्धियोंके सम्बन्धमें वहीपर यह विशेषता भी बतला दी गयी है कि पाँचों लब्धियोंमेंसे पूर्वकी चार लब्धियाँ तो भव्य तथा अभव्य दोनों ही प्रकारके जीवोंके संभव हैं। परन्तु करणलब्धि ऐसी लब्धि है कि वह भव्य जीवके ही संभव है, अभव्यके नहीं।^५ इसका आशय यह हुआ कि जो भव्य जीव पूर्वकी चार लब्धियोंके साथ-साथ करणलब्धिमें प्रवृत्त होकर उक्त सात प्रकृतियोंकी पूर्वांश प्रकार उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमरूप जैसी स्थिति बना लेता है उसीके अनुरूप वह अपनेमें औपशमिक, क्षायिक अथवा क्षायोपशमिक कोई भी सम्यग्दर्शन उत्पन्न कर लेता है।

इन कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे कोई भी सम्यग्दर्शन ऐसा नहीं है जो चतुर्थ गुणस्थानसे पूर्वके किसी भी गुणस्थानमें उत्पन्न हो सकता हो, क्योंकि प्रथम गुणस्थानमें तो सम्यग्दर्शनकी घातक सर्वघाती मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय विद्यमान रहता है,^६ द्वितीय गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनकी घातक सर्वघाती अनन्तानुबन्धी कषायका उदय विद्यमान रहता है^७ और तृतीय गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनकी घातक सर्वघाती सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृतिका उदय विद्यमान रहता है।^८ चूँकि यह बात हम पूर्वमें कह चुके हैं कि क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनका ही अपर नाम व्यवहारसम्यग्दर्शन है और औपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों सम्यग्दर्शनोंका ही अपर नाम निश्चयसम्यग्दर्शन है। अतः यह बात निर्णीत हो जाती है कि व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमेंसे कोई भी सम्यग्दर्शन चतुर्थ गुणस्थानसे पूर्वके किसी भी गुणस्थानमें उत्पन्न नहीं होता है। इतना अवश्य है कि चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तकके जीवोंमें उक्त तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शनोंमेंसे कोई भी एक सम्यग्दर्शन संभव है। इसलिये चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तकके जीव या तो क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा व्यवहारसम्यग्दर्श्टि रह सकते हैं या फिर औपशमिक अथवा क्षायिक सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा निश्चयसम्यग्दर्श्टि रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यानमें रखना चाहिये कि सातवें गुणस्थानका जो जीव उपशमश्रेणी या क्षपक-श्रेणीपर आरूढ़ होनेके लिए अध करण परिणामोंमें प्रवृत्त होता है उसके व्यवहाररूप क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन

१-२. गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा २६ पूर्वा० ।

३. वही, गा० २५ का उत्तरार्ध ।

४-५. वही, गाथा ६५० ।

६. वही गाथा १५ ।

७. वही, गाथा १९ ।

८. वही, गाथा २१ ।

न रहकर नियमसे निश्चयरूप औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दर्शन ही रहना करता है। इसमें भी इतनी विशेषता है कि उपशमोपरीपर आरूढ़ होनेवाले जीवके निश्चयरूप औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दर्शनोंमेंसे कोई एक सम्यग्दर्शन रह सकता है। लेकिन ज्ञापकबंधोपर आरूढ़ होनेवाले जीवके निश्चयरूप क्षायिक सम्यग्दर्शन ही रहता है, औपशमिक सम्यग्दर्शन नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आठवें गुणस्थानसे लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तकके जीव या तो औपशमिकसम्यग्दृष्टिके रूपमें निश्चयसम्यग्दृष्टि रहना करते हैं या फिर क्षायिकसम्यग्दृष्टिके रूपमें निश्चयसम्यग्दृष्टि रहना करते हैं। इन गुणस्थानोंमें रहनेवाला कोई भी जीव कभी भी क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टिके रूपमें व्यवहारसम्यग्दृष्टि नहीं रहता है। इसी प्रकार बारहवें गुणस्थानमें और इससे आगेके गुणस्थानोंमें रहनेवाला कोई भी जीव केवल क्षायिकसम्यग्दृष्टिके रूपमें ही निश्चयसम्यग्दृष्टि रहना करता है।

इसी प्रकार मोक्षमार्गके अंगभूत सम्यग्ज्ञानका प्रारम्भ भी चतुर्थ गुणस्थानसे ही होता है। इसमें भी चतुर्थगुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक तो प्रत्येक जीवमें क्षायोपशमिक सम्यग्ज्ञानके रूपमें व्यवहार-सम्यग्ज्ञान ही रहना करता है निश्चयसम्यग्ज्ञान नहीं, तथा इसके आगे तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानोंमें क्षायिकज्ञानके रूपमें निश्चयसम्यग्ज्ञान ही रहना करता है, व्यवहार सम्यग्ज्ञान नहीं। कारण कि तेरहवें गुणस्थानसे पूर्व बारहवें गुणस्थानके अन्त समयमें मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण इन पाँचों ही ज्ञानावरणोंका एक साथ सर्वथा धाय हो जानेके कारण क्षायोपशमिक ज्ञानोंका तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें सर्वथा अभाव हो जाता है। यद्यपि भव्य तथा अभव्यके भेदसे सहित एकेन्द्रियवैदिक समस्त संसारी जीवोंमें अनादिकालसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञानके रूपमें क्षायोपशमिक ज्ञानोंका नियमसे सद्भाव पाया जाता है। परन्तु उन ज्ञानोंमें व्यवहारसम्यग्ज्ञानका रूप तब तक नहीं आता जब तक जीवमें सम्यग्दर्शनका प्राप्त्वर्षि नहीं हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक तो संज्ञी-पंचेन्द्रिय जीवका क्षायोपशमिक ज्ञान ही व्यवहारसम्यग्ज्ञानका रूप धारण कर सकता है, एकेन्द्रियसे लेकर अंशज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंका क्षायोपशमिक ज्ञान कदापि व्यवहारसम्यग्ज्ञानका रूप नहीं धारण करता है। दूसरे, भव्यजीवोंका क्षायोपशमिक ज्ञान ही व्यवहारसम्यग्ज्ञानका रूप धारण कर सकता है, अभव्य जीवोंका नहीं। और तीसरे संज्ञीपंचेन्द्रिय भव्य जीवोंका क्षायोपशमिक ज्ञान भी सम्यग्दर्शनकी तरह चतुर्थगुणस्थानमें ही व्यवहारसम्यग्ज्ञानका रूप धारण करता है, इससे पूर्वके गुणस्थानोंमें नहीं, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके सद्भावमें सम्यग्ज्ञानरूपताको प्राप्त होता है।

मोक्षमार्गके अंगभूत व्यवहार तथा निश्चय दोनों ही प्रकारके सम्यक्चारिणोंके विषयमें आगमकी व्यवस्था यह है कि एकदेश क्षायोपशमिक सम्यक्चारिकके रूपमें व्यवहारसम्यक्चारिकका प्रारम्भ पञ्चम गुणस्थानसे ही होता है, इससे पूर्वके चारों गुणस्थानोंमें तो अन्यत आश ही रहना करता है। कारण कि इन चारों गुणस्थानोंमें अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयका अभाव नहीं होता है। यही क्षायोपशमिक-रूपताको प्राप्त व्यवहारसम्यक्चारिक संज्वलनकषायके उदयके सद्भाव तथा प्रत्याख्यानावरणकषायके उदयके अभावमें षष्ठ्यगुणस्थानमें सर्वदेषात्मक महाप्रसक्तका रूप धारण कर लेता है तथा आगे संज्वलन कषाय व

१. उद्गहाता, ४-१ ।

२-१. विदियकसायुक्तेण य विरचाविरदो गुणो ह्ये जुग्वं ।

विदियकसायुक्तेण य असंभवो हीदि गियमेण ॥ गो० बी० ४६८ ।

४. गोम्मटसार जीवकाण्ड, भाषा ४६५ ।

नोकयाय बीरे-बीरे कुछ होकर जब दशवें गुणस्थानमें केवल सूक्ष्म लोमका उदय कार्यकारी रह जाता है तब यही क्षायोपशामिक-रूपताको प्राप्त व्यवहारसम्यक्चारित्र सूक्ष्मसांप्रदायचारित्रके रूपमें अपनी चरम सीमामें पहुँच जाता है^१। और इस तरह दशवें गुणस्थानके अन्तमें समस्त कषायोंका यदि उपशम होता है तो ग्यारहवें गुणस्थानके प्रारम्भमें औपशामिकचारित्रके रूपमें निश्चयसम्यक्चारित्र प्रकट हो जाता है^२ तथा दशवें गुणस्थानके अन्तमें यदि समस्त कषायोंका क्षय होता है तो १२वें गुणस्थानके प्रारम्भमें क्षायिकचारित्रके रूपमें निश्चयसम्यक्चारित्र प्रकट हो जाता है^३ और यह क्षायिकचारित्र रूप निश्चयचारित्र १३वें तथा १४वें गुणस्थानोंमें भी बना रहता है^४। जीवको जब औपशामिक अथवा क्षायिक रूपमें निश्चयचारित्रकी प्राप्ति हो जाती है तब क्षायोपशामिकरूपताको प्राप्त व्यवहारसम्यक्चारित्रकी समाप्ति नियमसे हो जाती है। कारण कि जीवमें प्रत्येक कर्मका यथासम्भव उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षायोपशममेंसे एक कालमें एक ही अवस्था रह सकती है, दो आदि अवस्थायें कभी एक साथ नहीं होतीं। इसलिए एक कर्मके उदयविककी निमित्तताके आधारपर होनेवाले औपशामिक अथवा क्षायिक सद्भाव भी जीवमें एक साथ नहीं रह सकता है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि औपशामिकचारित्ररूप निश्चयसम्यक्चारित्र केवल ११वें गुणस्थानमें ही रहता है, कारण कि जीव अन्तर्मुहूर्तके अल्पकालमें ही इससे पतित होकर यथायोग्य कषायका उदय हो जानेसे फिर क्षायोपशामिकचारित्ररूप व्यवहार चारित्रमें आ जाता है। इस तरह क्षायिक चारित्ररूप निश्चयचारित्र ही ऐसा है जो १२वें में उत्पन्न होकर १३वें और १४वें गुणस्थानोंमें भी अपना सद्भाव कायम रखता है।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि जब जीवको पूर्वोक्त प्रकार अधिक-से-अधिक सप्तम गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दर्शनरूप निश्चयसम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है और १२वें गुणस्थानके प्रारम्भमें क्षायिक-चारित्ररूप निश्चयसम्यग्चारित्रकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर १२वें गुणस्थानमें ही जीव मुक्त क्यों नहीं हो जाता है ? इसका समाधान निम्न प्रकार है—

१२वें गुणस्थानमें क्षायिकचारित्रकी उपलब्धि हो जानेपर भी जीवके मुक्त न होनेका एक कारण तो यह है कि उस समय तक उसे ज्ञानावरणकर्मका पूर्णतः क्षय न होनेसे क्षायिकज्ञानरूप निश्चयसम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरा कारण यह है कि १२वें गुणस्थानवर्ती क्षायिकचारित्ररूप निश्चय-चारित्रमें जीव यद्यपि भावात्मक चारित्रके रूपमें पूर्ण स्वावलम्बी हो जाता है परन्तु तब भी उसमें परावलम्बनपूर्ण योगात्मक क्रिया तो होती ही रहती है क्योंकि उसके भी मनोवर्गणा, बचनवर्गणा और कायवर्गणाके निमित्तसे प्रदेशपरिस्पन्दन होता है। अतः उसके स्वावलम्बनके रूपमें निश्चयचारित्रकी पूर्णता नहीं हो पाती है। यह योगात्मक क्रिया केवलज्ञानरूप क्षायिकनिश्चयसम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेके अनन्तर भी जीवके हुआ करती है। अतः केवलज्ञान प्राप्त हो जाने पर तेरहवें गुणस्थानके प्रथम समयमें जीव मुक्त नहीं हो पाता है। इसी प्रकार केवलज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर जब जीवकी योगात्मक क्रिया भी समाप्त हो जाती है तब जीवको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जीव द्रव्यात्मकवृष्टिसे उस समय भी परावलम्बी रहा करता है क्योंकि अघाती कर्मोंका उदय उस समय भी उसे प्रभावित किये रहता है। इस तरह यह निर्णीत होता है कि १४वें गुणस्थानके अन्त समयमें अघाती कर्मोंका भी पूर्णतया क्षय हो जानेसे जब जीव द्रव्यात्मकवृष्टिसे भी पूर्ण स्वावलम्बी हो जाता है तभी उसके निश्चयसम्यक्चारित्रकी

१, २, ३, ४ गोमूढसार जीवकाण्ड, भाषा ५७३, ५६७, ५७४ ।

५. सत्त्वायंश्लोकवा० पृ० ७०, पंक्ति ९ ।

पूर्णता सम्बन्धी चारित्र्य । इस तरह मोक्षमार्गकी पूर्णता १४वें गुणस्थानके अन्त समयमें होनेसे उससे पूर्व जीव युक्ति नहीं पा सकता है दूसरे उस समय निश्चयचारित्रकी पूर्णता हो जानेसे मोक्षमार्गकी भी पूर्णता हो जानेपर यह जीव फिर एक क्षणके लिए भी संसारमें नहीं ठहरता है ।^१

आयोपशामिक सम्यग्दर्शन, आयोपशामिक सम्यग्ज्ञान और आयोपशामिक सम्यक्चारित्रको व्यवहार-मोक्षमार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्र इसलिए कहा जाता है कि इनमें मोक्षकी साक्षात् कारणता नहीं है, परंपरया अर्थात् निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चय-सम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्-चारित्रका कारण होकर ही मोक्षकी कारणता विद्यमान है। जैसा कि पूर्वमें हम विस्तारसे स्पष्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार धार्मिकसम्यग्दर्शन, धार्मिकसम्यग्ज्ञान और धार्मिक सम्यक्चारित्रको निश्चयमोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्-चारित्र इसलिए कहा जाता है कि इनमें मोक्षकी साक्षात् कारणता रहा करती है। यह बात भी हम पूर्वमें विस्तारसे स्पष्ट कर चुके हैं।

आयोपशामिक सम्यग्दर्शन, आयोपशामिक सम्यग्ज्ञान और आयोपशामिक सम्यक्चारित्रको व्यवहार-मोक्ष-मार्ग या व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्-चारित्र नामसे पुकारनेमें तथा औपशामिक व धार्मिक सम्यग्दर्शन, धार्मिक सम्यग्ज्ञान और औपशामिक व धार्मिक-चारित्रको निश्चय-मोक्षमार्ग या निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्-चारित्र नामसे पुकारनेमें प्रकारान्तरसे यह युक्ति भी दी जा सकती है कि आगममें स्वाश्रितपनेको वस्तुका निश्चय धर्म व पराश्रित पनेको वस्तुका व्यवहार धर्म माना गया है ।^२ इस तरह औपशामिक व धार्मिक सम्यग्दर्शन, धार्मिक सम्यग्ज्ञान और औप-शामिक व धार्मिक सम्यक्चारित्र ये सभी बुँकि यथायोग्य अपने-अपने प्रतिपक्षी कर्मोंके सर्वथा उपशम या सर्वथा क्षय हो जानेपर ही जीवमें उद्भूत होने हैं। अतः पूर्णरूपसे स्वाश्रयता पायी जानेके कारण इन्हें निश्चय नामसे पुकारना योग्य है तथा आयोपशामिक सम्यग्दर्शन, आयोपशामिक सम्यग्ज्ञान और आयोपशामिक सम्यक्-चारित्र ये सभी बुँकि अपने-अपने प्रतिपक्षी कर्मोंके सर्वथाती अंशोंके यथायोग्य उदयाभावी क्षय तथा सद्बन्धरूप उपशम एवं देशघाती अंशोंके उदयके सद्भावमें ही जीवमें उद्भूत होते हैं, अतः पूर्ण रूपसे स्वाश्रयता नहीं पायी जाने अथवा कर्षित् पराश्रयता पायी जानेके कारण इन्हें व्यवहारनामसे पुकारना योग्य है।

यहाँ पर कोई कह सकता है कि द्रव्यलिंग और भावलिंगके रूपमें भी दर्शन, ज्ञान और चारित्रका वर्णन आगममें पाया जाता है। इनमेंसे तद्रूपताका अर्थ भाव-लिंग होता है और अतद्रूपताका अर्थ द्रव्यलिंग होता है। इस तरह जो जीव यथायोग्य मोहनीयकर्मका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम न रहनेके कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी भावरूपताको प्राप्त न होते हुए भी तद्रूपके समान बाह्याचरण करते हैं उनमें तो द्रव्यलिंगके रूपमें ही दर्शन, ज्ञान और चारित्र रहा करते हैं, लेकिन जो जीव यथायोग्य मोहनीय कर्मका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जानेके कारण दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी भावरूपताको प्राप्त होकर तदनुकूल बाह्याचरण करते हैं उनमें भावलिंगके रूपमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र रहा करते हैं। इनमेंसे जो जीव द्रव्यलिंगके रूपमें दर्शन, ज्ञान और चारित्रके चारक हैं, वे व्यवहार-मोक्ष-मार्गों और जो जीव

१. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृष्ठ ७१, पंक्ति १५। तत्त्वा० श्लो० बा०, पृष्ठ ७१, पंक्ति २७।

तत्त्वार्थश्लोक वा०, पृष्ठ ७१, वार्तिक ९३, ९४।

२. आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः। —समयसार, भाषा ५७२ की आत्मस्थिति टीका।

भावलिङ्गके रूपमें दर्शन, ज्ञान और चारित्रके धारक हैं वे निश्चयमोक्षमार्गी आत्ममे स्वीकार किये गये हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि, क्षायोपशमिक सम्यक्ज्ञानी और क्षायोपशमिक सम्यक्-चारित्री जीव हैं उन्हें भी निश्चयमोक्षमार्गी या निश्चयसम्यग्दृष्टि, निश्चयसम्यक्ज्ञानी और निश्चयसम्यक्-चारित्री ही कहना उचित है, उन्हें व्यवहारमोक्षमार्गी या व्यवहारसम्यग्दृष्टि, व्यवहारसम्यक्ज्ञानी और व्यवहारसम्यक्-चारित्री कहना उचित नहीं है।

उपर्युक्त समस्याका समाधान यह है कि व्यवहार और निश्चय इन दोनों शब्दोंके प्रकरणानुसार विविध अर्थ आगममें स्वीकार किये गये हैं। जैसे कही भेदरूपता व्यवहार है और अभेदरूपता निश्चय है कहीं नानारूपता व्यवहार है और एकरूपता निश्चय है, कहीं पर्यायरूपता व्यवहार है और द्रव्यरूपता निश्चय है, कहीं विशेषरूपता व्यवहार है और सामान्यरूपता निश्चय है कहीं व्यतिरेकरूपता व्यवहार है और अन्वयरूपता निश्चय है, कहीं विभावरूपता व्यवहार है, और स्वभावरूपता निश्चय है, कहीं अभाव-रूपता व्यवहार है और भावरूपता निश्चय है, कहीं अनित्यरूपता व्यवहार है और नित्यरूपता निश्चय है, कहीं असद्रूपता व्यवहार है और सद्रूपता निश्चय है, कहीं विस्तररूपता व्यवहार है और संक्षेप या संग्रह-रूपता निश्चय है, कहीं पराश्रय-रूपता व्यवहार है और स्वाश्रय-रूपता निश्चय है, कहीं विधेयरूपता, साधनरूपता व कारणरूपता व्यवहार है और उद्देश्यरूपता, साध्यरूपता व कार्यरूपता निश्चय है, कहीं परम्परारूपता व्यवहार है और साक्षात् रूपता निश्चय है, कहीं निमित्तरूपता व्यवहार है और उपादानरूपता निश्चय है, कहीं बहिरंग-रूपता व्यवहार है और अंतरंग-रूपता निश्चय है, कहीं उपचार, अभूतार्थ, असद्रुत-रूपता व्यवहार है और परमार्थ, भूतार्थ, सद्रुतरूपता निश्चय है। इन या इसी प्रकारके और भी व्यवहार और निश्चय शब्दके संभव अर्थोंमेंसे अहाँ किस प्रकारका अर्थ ग्रहण करनेसे प्रकरणकी सुसंगति होती हो वहाँ पर उसी प्रकारका अर्थ व्यवहार और निश्चय शब्दोंका ग्रहण कर लेना चाहिये। इस प्रकार अर्थलिङ्गके रूपमें जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र किसी जीवमें रहा करते हैं उन्हें बाह्यरूपताके आधारपर व्यवहारदर्शन, ज्ञान और चारित्र कहना तथा भावलिङ्गके रूपमें जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र किसी जीवमें रहा करते हैं उन्हें अन्तरंगरूपताके आधारपर निश्चयदर्शन, ज्ञान और चारित्र कहना भी संगत है एवं क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक्-ज्ञान और क्षायोपशमिक चारित्रको पराश्रयताके आधारपर व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यक्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्र नामोंसे पुकारना तथा औपशमिक और क्षायिक सम्यग्दर्शन, क्षायिक ज्ञान व औपशमिक और क्षायिक चारित्रको स्वाश्रयताके आधारपर निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यक्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्र नामोंसे पुकारना भी संगत है।

जैनगममें जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके रूपमें चार निक्षेपोंका वर्णन पाया जाता है उनमेंसे नाम, स्थापना और द्रव्य इन तीनको तो व्यवहारनिक्षेपरूप जानना चाहिये तथा भावको निश्चयनिक्षेपरूप जानना चाहिये। जैसे वास्तवमें अर्थात् निश्चयरूपमें तो वही जीव जैनी कहा जा सकता है जो भावसे जैनी हो अर्थात् सम्यग्दृष्टि हो। लेकिन जो जीव सम्यग्दृष्टि बननेकी क्षमताको प्राप्त है उस जीवको भी द्रव्यरूपसे व्यवहारमें जैनी कहा जा सकता है। इसी प्रकार जो जीव न तो सम्यग्दृष्टि है, न सम्यग्दृष्टि बननेकी क्षमताको प्राप्त है लेकिन तूँकि जैन कुलमें उत्पन्न हुआ है अतः उसे भी व्यवहारमें नामरूपसे जैनी कहा जाता है तथा जो जीव न तो सम्यग्दृष्टि है, न उसमें सम्यग्दृष्टि बननेकी क्षमताको प्राप्त है लेकिन गृहस्थके छह आवश्यक कृत्योंको अवश्य कर रहा है उसे स्थापनारूपसे व्यवहारमें जैनी माना जाता है। इस तरह

१. वेवपूजा गुरुपातिस्त्वाध्यायः संयमस्तप ।

दामं वेति गृहस्थानां बद्धकर्माणि दिने दिने ॥—यथास्तिककथम्भू, आश्रवास ८, प्रकीर्ण विधिकल्प ।

सर्वत्र हमें व्यवहार और निश्चयकी प्रक्रियाको सुमगत कर लेना चाहिये। श्रद्धेय पंडितप्रवर आशापरजीने सागारधर्माभूत (अध्याय २ श्लोक ५४) में नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके रूपमें विभक्त सभी जैनोंकी जो तरतमभावसे महत्ता बतलायी है उससे व्यवहारकी महत्ता प्रस्पष्टित होती है।

मैं समझता हूँ कि अब तकके विवेचनसे आगम द्वारा स्वीकृत निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष-मार्गोंकी निर्विवाद स्थिति एवं सार्थकता अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है। ●

सम्यग्दृष्टिका स्वभाव

‘दिव्य ध्वनि’ वर्ष २, अंक १२ में ‘सम्यग्दृष्टिका स्वभाव’ शीर्षकसे आगमप्रमाणके आधार किसी ब्यक्तिके विचार मुद्रित हैं। ब्यक्तिज्ञानकी कमीके कारण आगमका कैसा अनर्थ करता है, उसका परिचय इससे प्राप्त हो जाता है। मैं यहाँ उसीका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्तार्यं तदभावादकारक ॥—समयमार कलछ १९४ ।

इसका अर्थ वहाँ पर यह मुद्रित है—

“जैसे इस चैतन्यमूर्ति आत्माका स्वभाव परद्रव्यके भोगनेका नहीं है, उसी प्रकार इसका स्वभाव परके कर्तापनेका भी नहीं है। अज्ञानके कारण यह जीव अपने आपको परका कर्ता भोक्ता मानता है। जब यह अज्ञान दूर हो जाता है तब यह अपनेको परका कर्ता-भोक्ता नहीं मानना है।”

इसका यथावत् अभिप्राय तो एक विस्तृत लेख द्वारा हो प्रकट किया जा सकेगा। पर मैं इतना ही यहाँ संकेत कर देना चाहता हूँ कि उक्त मुद्रित अर्थ भ्रमपूर्ण है। यथावत् अर्थ निम्नलिखित होना चाहिए—

“कर्तृत्वं अर्थात् राग-द्वेष और मोहरूप परिणमन होना तथा पुद्गलकर्मोंसे बद्ध होना जीवका स्वभाव नहीं है। जिस प्रकार कर्मोंके फलकों भोगना अर्थात् कर्मोदयनिमित्तक राग-द्वेष-मोहादिरूप अपनी परिणतियोंका अनुभवन करना यान्त्रिक मुष्ठी-डुष्ठी होना जीवका स्वभाव नहीं है, क्योंकि जब तक जीवमें अज्ञान अर्थात् कर्मोदयनिमित्तक राग-द्वेष और मोहरूप परिणमन हो रहा है, तब तक वह कर्ता अर्थात् उपादानरूपसे राग-द्वेष और मोह आदि अपनी परिणतियोंका व निमित्तरूपसे पौद्गलिक कर्मोंके बन्धका कर्ता हो रहा है। इस तरह यदि जीवमें होनेवाली राग-द्वेष और मोहरूप अज्ञानपरिणतिका अभाव हो, जावे तो फिर न तो उसके भविष्यमें राग-द्वेष तथा मोहरूप भावोंका कर्तृत्व रहेगा और जब यह कर्तृत्व नहीं रहेगा तो वह पौद्गलिक कर्मोंका बन्ध भी नहीं करेगा।”

मुद्रित अर्थमें जो ‘मानता है’ ऐसा अर्थ निक्षिप्त किया गया है, इससे यह प्रकट होता है कि अज्ञानसे जीव अपनेको कर्ता केवल मान रहा है, है नहीं। जबकि यथावत् अर्थ यह है कि अज्ञानसे कर्ता है, केवल कर्तापन अपनेमें मान नहीं रहा है। यदि मानने रूप अर्थको सही माना जायगा, तो फिर यह भी मानना होगा कि जीव स्वभावसे संसारी नहीं है, केवल अज्ञानसे वह अपनेको संसारी मान रहा है। जबकि जीव ऐसा ही है, वह अपनेको केवल संसारी मान नहीं रहा है। उक्त पद्यमें अज्ञानका अर्थ भी ज्ञानका राग-द्वेष-मोह रूप परिणमन अर्थात् विह्वल परिणमन ही विवक्षित है, असत्य जानने रूप स्थिति अथवा ज्ञानका अभाव विवक्षित नहीं है।

निश्चय और व्यवहार धर्ममें साध्य-साधकभाव

धर्मका लक्षण

वस्तुविज्ञान (द्रव्यानुयोग) की दृष्टिसे "वत्युसहावो धम्मो" इस आगमवचनके अनुसार धर्म यद्यपि आत्माके स्वतः सिद्ध स्वभावका नाम है। परन्तु अध्यात्म (करणानुयोग और चरणानुयोग) की दृष्टिसे धर्म उसे कहते हैं जो जीवकी संसार-दुःखसे छुड़ाकर उत्तम अर्थात् आत्मस्वातंत्र्यरूप मोक्ष-सुखमें पहुँचा देता है^१।

आध्यात्मिक धर्मका विश्लेषण

रत्नकरण्डकभावकाचारमे^२ आध्यात्मिक धर्मका विश्लेषण सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके रूपमें किया गया है, जिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके विरोधी मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र संसारके कारण होते हैं।

आध्यात्मिक धर्मका निश्चय और व्यवहार दो रूपोंमें विभाजन और उनमें साध्य-साधकभाव

श्रद्धेय पं० दौलतरामजीने छहदालामें^३ कहा है कि आत्माका हित सुख है। वह सुख आकुलताके अभावमें प्रकट होता है। आकुलताका अभाव मोक्षमें है। अतः जीवको मोक्षके मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिए। मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप है। एव वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है। जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र सत्यार्थ अर्थात् आत्माके शुद्धस्वभावभूत है उन्हें निश्चयमोक्षमार्ग कहते हैं व जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र निश्चयमोक्षमार्गके प्रकट होनेमें कारण है उन्हें व्यवहारमोक्षमार्ग कहते हैं।

छहदालाके इस प्रतिपादनमें मोक्षमार्गका सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके रूपमें विश्लेषण उनकी निश्चय और व्यवहार दो भेदरूपता व निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्षमार्गमें विद्यमान साध्य-साधक भाव इन सबका परिज्ञान हो जाना है। इसके अनिश्चित पचास्त्रिकायका गाथा १०५ की आचार्य जयसेन कृत टीकामें भी व्यवहारमोक्षमार्गको निश्चयमोक्षमार्गका कारण बनलाकर दोनों मोक्षमार्गमें साध्य-साधक भाव मान्य किया गया है। तथा गाथा १५९, १६० और १६१ की आचार्य अमृतचन्द्रकृत टीकामें भी ऐसा ही बताया गया है।

निश्चयधर्मकी व्याख्या

करणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार जीव अनादिकालसे मोहनीयकर्मसे बद्ध रहता आया है और उसके उदयमें उसकी स्वतः सिद्ध स्वभावभूत भाववनीशक्तिका शुद्ध स्वभावभूत परिणमनके विपरीत अशुद्ध विभावभूत परिणमन होता आया है। भाववतीशक्तिके इस अशुद्ध विभावरूप परिणमनकी समाप्ति करणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार मोहनीयकर्मके यथास्थान यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम पूर्वक ही होती है। इस तरह जीवकी भाववतीशक्तिके अशुद्ध विभावभूत परिणमनके समाप्त हो जानेपर उसका जो शुद्ध स्वभावभूत परिणमन होता है, उसे ही निश्चयधर्म जानना चाहिए। इसके प्रकट होनेकी व्यवस्था निम्न प्रकार है—

१. रत्नकरण्डकभावकाचार, श्लोक २।

२. वही, श्लोक ३।

३. छहदाला, ३-१।

(क) सर्वप्रथम जीवमें वषांमोहनीयकर्मकी यथासंभवरूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्मग्नमिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन व चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सप्त प्रकृतियोंका यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर उस जीवकी भाववतीशक्तिका षतुर्थगुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक, क्षायिक या क्षयोपशमिक निश्चयसम्बन्धर्तकके रूपमें व निश्चयसम्बन्धानके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है ।

(ख) इसके पश्चात् जीवमें चारित्रमोहनीयकर्मके द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका क्षयोपशम होनेपर उस जीवकी भाववतीशक्तिका पंचमगुणस्थानके प्रथम समयमें देशविरति-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है ।

(ग) इसके भी पश्चात् जीवमें चारित्रमोहनीयकर्मके तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका क्षयोपशम होने पर उस जीवकी भाववतीशक्तिका सप्तमगुणस्थानके प्रथम समयमें सर्वविरति-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है । ऐसा सप्तमगुणस्थानवर्ती जीव अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरालसे सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम इस तरह दोनो गुणस्थानोंमें यथायोग्य समय तक सतत झूलेकी तरह झूलता रहता है ।

(घ) यदि वह सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव पहलेसे ही उक्त औपशमिक या क्षायिक निश्चयसम्यक्दर्शनको प्राप्त हो अथवा सप्तम गुणस्थानके कालमें ही वह उक्त औपशमिक या क्षायिक निश्चयसम्यक्दर्शनको प्राप्त हो जावे, तो वह तब करणलम्बिके आचारपर नवनोकषायोंके साथ चारित्रमोहनीयकर्मके द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानावरण और तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण इन दोनों कषायोंकी क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका तथा उसके षतुर्थ भेद संवलन कषायकी क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका भी यथा, स्थान निश्चयसे उपशम या क्षय करता है और उपशम होनेपर उसकी भाववतीशक्तिका एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक, यथाख्यातनिश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें अथवा क्षय होनेपर उसकी भाववतीशक्तिका द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें क्षायिक-यथाख्यात-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है ।^१

व्यवहार धर्मके व्याख्या

व्यवहारधर्मकी व्याख्या करनेसे पूर्व यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नारकी, देव और नियंत्र इन तीनों प्रकारके जीवोंमें केवल अगृहीत मिथ्यात्व पाया जाता है, अत इनमें व्यवहारधर्मका व्यवस्थितक्रमसे विवेचन करना संभव नहीं है । केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसमें अगृहीतमिथ्यात्वके साथ गृहीत-मिथ्यात्व भी पाया जाता है । फलतः मनुष्योंमें व्यवहारधर्मका व्यवस्थितक्रमसे विवेचन करना संभव हो जाता है । अतः यहाँ मनुष्योंकी अपेक्षा व्यवहारधर्मका विवेचन किया जाता है ।

चरणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार पापभूत अघाती कर्मोंके उदयमें अभय्य और भय्य मिथ्यावृष्टि

१. निश्चयमोक्षमार्गस्य परम्परया कारणभूतो व्यवहारमोक्षमार्गः ।

(क) निश्चयव्यवहारयोः साम्यसाधकभावत्वात् । —समय०, गा० १५२ की टीका

(ख) निश्चयमोक्षमार्गसाधकभावेन व्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽयम् । वही, गा० १६० की टीका

(ग) व्यवहारमोक्षमार्गसाधकभावेन निश्चयमोक्षमार्गोपन्यासोऽयम् । वही, गा० १६१ की टीका

मनुष्योंकी भाववतीशक्तिके हृदयके सहारेपर अतत्त्वज्ञानके रूपमें और मस्तिष्कके सहारेपर अतत्त्वज्ञानके रूपमें मिथ्यापरिणमन होते रहते हैं तथा जब उनमें पुण्यभूत अवासी कर्मका उदय होता है तब अतत्त्वज्ञान और अतत्त्वज्ञानरूप परिणमनोंकी समाप्ति होनेपर उनकी उस भाववतीशक्तिके हृदयके सहारेपर तत्त्वज्ञान-के रूपमें और मस्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानके रूपमें सम्यक्परिणमन होने लगने हैं। भाववतीशक्तिके दोनों प्रकारके सम्यक्परिणमनोंमेंसे तत्त्वज्ञानरूप परिणमन सम्यग्दर्शनके रूपमें व्यवहारधर्म कहलाता है और तत्त्वज्ञानरूप परिणमन सम्यग्ज्ञानके रूपमें व्यवहारधर्म कहलाता है।

चरणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त अतत्त्वज्ञान और अतत्त्वज्ञानसे प्रभावित मिथ्यादृष्टि मनुष्य अपनी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पी पापभूत प्रवृत्तियाँ किया करते हैं और कदाचित् साधने लौकिक स्वार्थकी पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ भी करते हैं। तथा जब वे भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानसे प्रभावित होते हैं, तब वे अपनी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंकी सर्वथा त्यागकर मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ कर्तव्यवश पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानके आधारपर वे अभय और भय मिथ्यादृष्टि मनुष्य कदाचित् क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके सर्वथा त्यागपूर्वक उक्त आरम्भीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका भी एकवेश अथवा सर्ववेश त्याग करते हुए अनिवार्य आरम्भीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं। इस प्रकार अभय और भय मिथ्यादृष्टि मनुष्य भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानसे प्रभावित होकर अपनी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंकी सर्वथा त्यागकर जो अपनी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप आरम्भीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं, उन्हें नैतिक आचारेके रूपमें व्यवहारधर्म कहा जाता है। तथा वे ही मनुष्य जब संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके सर्वथा त्यागपूर्वक आरम्भीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका एकवेश अथवा सर्ववेश त्याग करते हुए पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं, तब उन्हें सम्यक्चारित्रिके रूपमें व्यवहारधर्म कहा जाता है।

प्रसंगवश मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभय और भय मिथ्यादृष्टि मनुष्योंकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप हृदयके सहारेपर होनेवाला अतत्त्वज्ञान व्यवहारमिथ्यादर्शन कहलाता है। और उनकी उस भाववतीशक्तिके ही परिणमनस्वरूप मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला अतत्त्वज्ञान व्यवहारमिथ्याज्ञान कहलाता है। तथा मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान इन दोनोंसे प्रभावित उन मनुष्योंकी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्ति हुआ करती है वह व्यवहार मिथ्याचारित्र कहलाता है। यहाँ यह ध्यानव्य है कि उक्त प्रकारके व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानके विपरीत व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानसे प्रभावित होकर वे भय और अभय मिथ्यादृष्टि मनुष्य संकल्पीपापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका सर्वथा त्याग करते हुए यदि अशक्तिवश आरम्भी पापका अनुमात्र भी त्याग नहीं कर पाते हैं तो उनकी यह आरम्भी पापरूप अशुभ प्रवृत्ति व्यवहाररूप अचिरित कहलाती है।

यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूर्वमें मोहनीयकर्मकी उन-उन प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशमपूर्वक होनेवाले भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान व वैशचिरित, सर्वचिरित और यथाकामसम्यक्चारित्रिके रूपमें निश्चयधर्मका विवेचन किया

गया है उसी प्रकार यहाँ प्रथम गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप मिथ्यात्वभूत निश्चयमिथ्यादर्शन, निश्चयमिथ्याज्ञान और निश्चय-मिथ्याचारित्रके रूपमें, द्वितीय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी केवल अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें भाववती-शक्तिके परिणमनस्वरूप सासादनसम्यक्त्वभूत निश्चयमिथ्यादर्शन, निश्चयमिथ्याज्ञान और निश्चय-मिथ्याचारित्रके रूपमें एव तृतीय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप सम्यग्मिथ्यात्वभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके रूपमें निश्चय अधर्मका भी विवेचन कर लेना चाहिए। यहाँ भी यह ध्यातव्य है कि चतुर्थगुणस्थानके जीवमें नव नोकषायोके उदयके साथ अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायोके सामूहिक उदयमें जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है उसे भाव-अविरति जानना चाहिए। इसे न तो भावमिथ्याचारित्र कह सकते हैं और न विरतिके रूपमें भावसम्यक्चारित्र कह सकते हैं, क्योंकि भावमिथ्याचारित्र अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें होता है और विरतिके लिए कम-से-कम अप्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम आवश्यक है।

उपर्युक्त दोनों प्रकारके स्पष्टीकरणोंके साथ ही यहाँ निम्नलिखित कुछ विशेषताएं भी ज्ञातव्य हैं

१. अभव्य जीवोंके केवल प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है, जबकि भव्यजीवोंके प्रथम गुण-स्थान-मिथ्यादृष्टिसे लेकर चतुर्दश अयोगकेवली गुणस्थानपर्यन्त सभी गुणस्थान होते हैं।

२. निश्चयधर्मका विकास भव्य जीवोंमें ही होता है, अभव्य जीवोंमें नहीं होता। तथा भव्य जीवोंमें भी उस निश्चयधर्मका विकास चतुर्थगुणस्थानके प्रथम समयसे प्रारम्भ होता है, इसके पूर्वके गुणस्थानोंसे नहीं होता।

३. जीवके चतुर्थगुणस्थानके प्रथम समयमें जो निश्चयधर्मका विकास होता है, वह उस जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्ज्ञानके रूपमें होता है। इसके पश्चात् जीवके पंचम गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चयधर्मका विकास उस जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप देशविरति-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें होता है तथा इसके भी पश्चात् जीवके निश्चयधर्मका विकास सम-गुणस्थानके प्रथम समयमें उस जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप सर्वविरति-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें होता है और जीवमें उसका सद्भाव पूर्वोक्त प्रकार षष्ठ गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थान तक उत्तरोत्तर उत्कर्षके रूपमें विद्यमान रहता है। दशम गुणस्थानके आगे जीवके एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चयधर्मका विकास जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप औपशमिक, यथास्थान-निश्चयसम्यक्-चारित्रके रूपमें होता है अथवा दशम गुणस्थानसे ही आगे जीवके द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चय-धर्मका विकास उस जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप क्षायिक-यथास्थान-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें होता है तथा यह जीवके आगेके सभी गुणस्थानोंमें विद्यमान रहता है।

४. पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है कि पहला व्यवहारधर्म सम्यग्दर्शनके रूपमें जीवकी भाववतीशक्तिका हृदयके सहारेपर होनेवाला परिणमन है और दूसरा व्यवहारधर्म सम्यग्ज्ञानके रूपमें जीवकी भाववतीशक्तिका मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला परिणमन है एवं तीसरा व्यवहारधर्म नैतिक आचार तथा देशविरति व सर्वविरतिके सम्यक्चारित्रके रूपमें मन, वचन और कायके सहारेपर होनेवाला जीवकी क्रियावतीशक्तिका परिणमन है। इस सभी प्रकारके व्यवहारधर्मका विकास प्रथमगुणस्थानमें सम्भव है और अभव्य व भव्य दोनों प्रकारके जीवोंमें हो सकता है। इतना अवश्य है कि उक्त सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानरूप तथा नैतिक

आधाररूप व्यवहारधर्मका विकास प्रथम गुणस्थानमें नियमसे होता है क्योंकि इस प्रकारके व्यवहारधर्मका विकास किये बिना अभ्य जीवमे क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चार लब्धियोंका तथा भ्रम्य जीवमे इन लब्धियोंके साथ करणलब्धिका भी विकास नहीं हो सकता है। प्रथम गुणस्थानमे देवाविरति और सर्वविरति सम्यक्चारित्ररूप व्यवहारधर्मके विकसित होनेका कोई नियम नहीं है, परन्तु देवाविरति-सम्यक्-चारित्ररूप व्यवहारधर्मका विकास, चतुर्थ गुणस्थानमे नियमसे होकर पंचम गुणस्थानमें भी नियमसे रहता है। एवं सर्वविरति-सम्यक्चारित्ररूप व्यवहारधर्मका पंचम गुणस्थानमें नियमसे विकास होकर षष्ठसे दशम गुणस्थान तक उसका सद्भाव नियमसे रहता है।

यहाँ इतना अवश्य ध्यातव्य है कि सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थान तक उस व्यवहारधर्मका सद्भाव अंतरंग रूपमे ही रहा करता है। तथा द्वितीय और तृतीय गुणस्थानोमे यथामग्न रूपमे रहनेवाला व्यवहारधर्म भी अबुद्धिपूर्वक ही विद्यमान रहता है। एकादश गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी गुणस्थानोमे व्यवहारधर्मका सर्वथा अभाव रहता है। वहाँ केवल निश्चयधर्मका ही सद्भाव रहता है।

जीवको मोक्षकी प्राप्ति निश्चयधर्मपूर्वक होती है

प्रकृतमे 'मोक्ष' शब्दका अर्थ जीव और शरीरके विद्यमान सहयोगका सर्वथा विच्छेद हो जाना है। जीव और शरीरके विद्यमान संयोगका सर्वथा विच्छेद चतुर्दश गुणस्थानमे तब होता है जब उस जीवके साथ बद्ध चार अघाती कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जाता है। जीवको चतुर्दश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब त्रयोदश गुणस्थानमे कर्मात्मके कारणभूत जीवके योगका सर्वथा निरोध हो जाता है। जीवको त्रयोदश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घाती कर्मोंका द्वादश गुणस्थानमे सर्वथा क्षय हो जाता है। जीवकी द्वादश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध मोहनीयकर्मप्रकृतियोगा पूर्वमे यथासमय क्षय होते हुए दशम गुणस्थानके अन्त समयमें शेष सूक्ष्म लोभप्रकृतिका भी क्षय हो जाता है। द्वादश गुणस्थानका अर्थ ही दशम गुणस्थानके अन्त समयमें मोहनीयकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेपर जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मकी पूर्णता हो जाना है। इस विवेचनसे निर्णय होता है कि जीवको मोक्षकी प्राप्ति निश्चयधर्मपूर्वक होती है।

जीवको निश्चयधर्मकी प्राप्ति व्यवहारधर्मपूर्वक होती है

जीवके भाववतीशक्तिका निश्चयधर्मके रूपमे प्रारंभिक विकास चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमे होता है और उसका यह विकास पंचमादि गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर बृद्धिको प्राप्त होकर एकादश गुणस्थानके प्रथम औपशमिक-यथास्थान-निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें अथवा द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें आधिक-यथास्थान निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमे पूर्णताको प्राप्त होता है। निश्चयधर्मका यह विकास मोहनीयकर्मकी उन-उन प्रकृतियोगे यथास्थान यथासम्भव रूपमें होनेवाले उपशम, क्षय या क्षयोपशमपूर्वक होता है। तथा मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोगा यथायोग्य वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम भ्रम्य जीवमे आत्मोन्मुख करणलब्धिका विकास होनेपर होता है व उसमे उस करणलब्धिका विकास क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासपूर्वक होता है। एवं जीवमें इन लब्धियोंका विकास व्यवहारधर्मपूर्वक होता है। यह व्यवहारधर्म अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप होता है। जीवको इसकी प्राप्ति तब होती है जब उस जीवमें भाववतीशक्तिके हृदयके सहारेपर होनेवाला तत्त्वभ्रद्धानरूप व्यवहारसम्यग्दर्शन और मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला तत्त्वज्ञानरूप व्यवहारसम्यग्ज्ञानकी उपलब्धि हो जाती है। इसके विकासकी प्रक्रियाको पूर्वमे व्यवहार-

धर्मकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है। इस विवेचनसे यह निर्णीत होता है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें कारण होता है।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि जीवको अपनी भाववृत्तीशक्तिके परिणामनस्वरूप निश्चयकी उत्पत्तिमें कारण-भूत मोहनीयकर्मका यथावैय्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम करनेके लिए इस व्यवहारधर्मके अन्तर्गत एकान्त-मिथ्यात्वके विरुद्ध प्रशमभाव, विपरीतमिथ्यात्वके विरुद्ध संवेगभाव, विनयमिथ्यात्वके विरुद्ध अनुकम्पामात्र, संशयमिथ्यात्वके विरुद्ध आस्तिक्यभाव और अविवेकरूप अज्ञानमिथ्यात्वके विरुद्ध विवेकरूप सम्यग्ज्ञानभावको भी अपनेमें जागृत करनेकी आवश्यकता है। इसी प्रकार जीवको समस्त जीवोंके प्रति मित्रता (समानता) का भाव, गुणीजनोंके प्रति प्रमोदभाव, दुःखी जीवोंके प्रति सेवाभाव और विपरीत दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति वाले जीवोंके प्रति मध्यस्थता (तटस्थता) का भाव भी अपनेकी आवश्यकता है। इस तरह सर्वांगीणताको प्राप्त व्यवहारधर्म उपर्युक्त प्रकार निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें साधक सिद्ध हो जाता है।



निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थख्यान

सम्पूर्ण जैनागमको चार भागोंमें विभक्त किया गया है—१. प्रथमानुयोग (धर्मकथानुयोग), २. चरणानुयोग, ३. करणानुयोग ४. और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग वह है जिसमें अध्यात्मको लक्ष्यमें रखकर महापुरुषोंके जीवनचरित्रके आधारपर पाप, पुण्य और धर्मका विवर्धन कराया गया है। चरणानुयोग वह है जिसमें अध्यात्मको लक्ष्यमें रखकर पाप, पुण्य और धर्मकी व्यवस्थाओका निर्देश किया गया है। करणानुयोग वह है जिसमें जीवोंकी पाप, पुण्य और धर्ममय परिणतियों तथा उनके कारणोंका विश्लेषण किया गया है और द्रव्यानुयोग वह है जिसमें विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंके पृथक्-पृथक् अस्तित्वको बतलाने वाले स्वतः सिद्ध स्वरूप एवं उनके परिणमनोंका निर्धारण किया गया है। इनमेसे चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोगमें आवश्यकतानुसार विविध अर्थोंमें निश्चय और व्यवहार शब्दोंका बहुलनाके साथ प्रयोग हुआ है, इसलिये इन दोनों शब्दोंका कहीं क्या अर्थ प्राप्त है, इस विषयपर यहाँ विचार किया जा रहा है।

निश्चय और व्यवहार शब्दोंका व्युत्पत्त्यर्थ

निश्चय और व्यवहार दोनों शब्दोंमेसे निश्चय शब्द तो 'निन्' उपसर्गपूर्वक चयनार्थक 'चिन्' धातुसे 'अच्' प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है और व्यवहार शब्द 'वि' तथा 'अव' उपसर्गपूर्वक 'हृच्' धातुसे 'ण' प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। इन प्रकार इन व्युत्पत्तियोंके अनुसार वस्तुमें संभवनीय अशेदाश्रित व शेदाश्रित तथा स्वाश्रित व पराश्रित परस्परविरुद्ध धर्मयुगलोंमें एक-एक धर्म तो निश्चय शब्दका तथा एक-एक व्यवहार शब्दका अर्थ समझना चाहिये। उक्त व्युत्पत्तियोंके अनुसार वस्तुमें संभवनीय अशेदाश्रित व शेदाश्रित तथा स्वाश्रित और पराश्रित परस्परविरुद्ध धर्मोंके वं युगल निम्न प्रकार संगृहीत किये जा सकते हैं—

अक्षय्यरूपता-क्षय्यरूपता, एकरूपता-नानारूपता, तद्रूपता-अतद्रूपता, भावरूपता-अभावरूपता, निश्चरूपता-अनिश्चरूपता, स्वाश्रय्यरूपता-पराश्रय्यरूपता, संग्रह्यरूपता-विस्ताररूपता, सामान्यरूपता-विशेषरूपता, अन्वय-रूपता-अव्यतिरेकरूपता, द्रव्यरूपता-पर्यायरूपता, गुणरूपता-पर्यायरूपता, स्वभावरूपता-विभावरूपता, उद्देश्यरूपता-विशेष्यरूपता, साध्यरूपता-साधनरूपता, कार्यरूपता-कारणरूपता, उपादानरूपता-निमित्तरूपता, साक्षाद्रूपता-परम्पाररूपता आदि। इसमें पूर्व-पूर्व धर्म तो अशेदाश्रित या स्वाश्रित होनेके कारण वस्तुका निश्चयधर्म और उत्तर-उत्तर धर्म शेदाश्रित या पराश्रित होनेके कारण वस्तुका व्यवहारधर्म समझना चाहिये।

यहाँपर सर्वप्रथम हम यह विवेचन करने जा रहे हैं कि चरणानुयोगमें प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दोंका क्या-क्या अर्थ आगममें ग्रहण किया गया है ?

चरणानुयोगमें निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थ

जैन संस्कृतिके अध्यात्मका प्रथम और अन्तिम उद्देश्य जीवों द्वारा सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पाकर आत्मस्वार्तव्य प्राप्त कर लेना ही बतलाया गया है। जीवों द्वारा सांसारिक बन्धनोंसे छुटकारा पा लेनेका नाम मोक्ष है^१ और इस मोक्षको प्राप्त करनेका जो उपाय है वह मोक्षमार्ग है। जैनागममें मोक्ष-मार्गोंको सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके रूपमें प्रतिपादित किया गया है।^२ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान

१. बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां क्लृप्तकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।—तत्त्वार्थसूत्र १०-२ ।

२. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।—तत्त्वार्थसूत्र १।१ ।

और सम्यक्चारित्रको आत्ममें निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो-दो रूप बतलाया गया है।^१ इस तरह मोक्षमार्ग बहोपर दो भेदरूप बतला दिया गया है—एक निश्चयमोक्ष-मार्ग और दूसरा व्यवहारमोक्ष-मार्ग।^२ साथ ही इतना और स्पष्ट कर दिया गया है कि निश्चयमोक्ष-मार्ग तो मोक्षका साक्षात् कारण है और व्यवहारमोक्ष-मार्ग परम्पर्या, अर्थात् निश्चयमोक्षमार्गका कारण होकर मोक्षका कारण है।^३

अद्वैत पण्डित दीक्षितजीने छद्मनालामे तीसरी ढालके प्रारम्भमे इस विषयको बहुत ही सुन्दरताके साथ सारगर्भित दो पद्यों द्वारा स्पष्ट रूपमें प्रतिपादित किया है। वे पद्य ये हैं—

“आत्म की हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिये ।
आकुलता शिव माँहि न, तातें शिवमग लायी कहिये ॥
सम्यग्दर्शन ज्ञान खरण शिवमग सो बुद्धि बिचारी ।
जो सत्पारथ रूप सो निश्चय, कारण सो बहारी ॥१॥
पर द्रव्यन तें भिन्न, आप में रवि, सम्यक्त्व भला है ।
आप रूप की जानपनी, सो सम्यग्ज्ञान कला है ॥
आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक् चारित सोई ।
अब बहवार मोक्षमग सुमिये, हेतु नियत को होई ॥२॥

प्रथम पद्यमें पण्डितजीने कहा है कि आत्माका हित सुख है, वह सुख आकुलताके अभावमें उत्पन्न होता है और आकुलताका अभाव मोक्षमें है, अतः जीवोंको मोक्षके मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिये। मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप है। ये तीनों निश्चयरूप भी होते हैं और व्यवहाररूप भी होते हैं अतः मोक्षमार्ग भी निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो प्रकारका हो जाता है। इनमेंसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप निश्चयमोक्षमार्ग तो मोक्षका सीधा कारण है तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप व्यवहारमोक्षमार्ग इस निश्चयमोक्षमार्गका कारण होकर मोक्षका कारण है अर्थात् वह परम्पर्या मोक्षका कारण है।

द्वितीय पद्यमें पण्डितजीने कहा है कि समस्त चेतन-अचेतन पर-द्रव्योकी ओरसे मुड़कर अपने आत्म-स्वरूपकी ओर जीवकी अभिवृत्ति (उन्मुखता) होना निश्चयसम्यग्दर्शन है, उसको अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान ही जाना निश्चयसम्यग्ज्ञान है और बुद्धिपूर्वक तथा अनुद्धिपूर्वक होनेवाली कषायजन्म पाप और पुण्यरूप समस्त प्रकारकी प्रवृत्तियोंसे निवृत्ति पाकर उसका अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर हो लीन हो जाना निश्चयसम्यक्चारित्र है।

१. पंचास्तिकाय—गाथा १०६।

२. पंचास्तिकायमें व्यवहारमोक्ष-मार्ग, गाथा १६०। पंचास्तिकायमें निश्चयमोक्ष-मार्ग, गाथा १६१। निश्चयव्यवहारमोक्षकारणसे सति मोक्षकार्य संभवति।—पंचास्तिकाय, गाथा १६० की टीकामें आचार्य अवसेव।

३. निश्चयव्यवहारयोः साध्यसाधनभावत्वात्।—पंचास्तिकाय, गाथा १६० की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र। पंचास्तिकाय, गाथा १६२ की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र। पंचास्तिकाय गाथा १६३ की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र। साधको व्यवहारमोक्षमार्गः साध्यो निश्चयमोक्षमार्गः।—परमात्मप्रकाश, टीका, पृष्ठ १४२ एवं निश्चयव्यवहारार्थ्यां साध्यसाधनभावमे तीर्थशुद्धेयतात्वरूपं ज्ञातव्यम्।—परमात्मप्रकाश, श्लोक ७ की टीका।

द्वितीय पक्षके अन्तिम चरणमें अद्वैत पण्डितजीने कहा है कि आगे छहदालामें निश्चय-सम्यग्दर्शनादिक रूप उक्त निश्चयमोक्षमार्गके कारणभूत व्यवहारसम्यग्दर्शनादिक व्यवहार मोक्षमार्गका विवेचन किया जायगा। इस तरह छहदालामें किये गये विवेचनके अनुसार व्यवहारमोक्षमार्गरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका पृथक्-पृथक् जो स्वरूप निर्धारित होता है उसका कथन यहाँपर किया जाता है।

व्यवहारसम्यग्दर्शनका स्वरूप

छहदालामें जीव, अजीव, आत्म, बन्ध, संबन्ध, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व कहे गये हैं और कहा गया है कि इनके प्रति जीवोंके अन्तःकरणमें अज्ञा अर्थात् इनके स्वरूपादिकी वास्तविकताके सम्बन्धमें जानकी वृद्धता यानी आस्तिक्यभाव जागृत हो जानेका नाम व्यवहारसम्यग्दर्शन है। इसके आधारपर ही जीवोंको निश्चय-सम्यग्दर्शनकी उपलब्धि होती है।

आचार्य उमास्वामीने तत्त्वार्थसूत्रमें और स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें सम्यग्दर्शनका जो स्वरूप बतलाया है उसे व्यवहारसम्यग्दर्शनका ही स्वरूप समझना चाहिये। आचार्य उमास्वामीके तत्त्वार्थ-सूत्रके अनुसार उपर्युक्त सात तत्वोंके अज्ञानका नाम सम्यग्दर्शन है।^१ और स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डक-श्रावकाचार्यके अनुसार परमार्थ अर्थात् वीतरागताके आदर्श देवो, परमार्थ अर्थात् वीतरागताके पोषक शास्त्रों और परमार्थ अर्थात् वीतरागताके मार्गमें प्रवृत्त गुरुओंके प्रति जीवोंके अन्तःकरणमें अज्ञान (भक्ति या आस्था) का जागरण हो जाना सम्यग्दर्शन है।^२

यद्यपि तत्त्वार्थसूत्र और रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें निबद्ध सम्यग्दर्शनके उक्त लक्षणोंमें परस्पर भेद दिखाई देता है। परन्तु तत्त्वतः उनमें भेद नहीं है, क्योंकि स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें प्रतिपादित लक्षणसे भी निष्कर्षके रूपमें जीवोंके अन्तःकरणमें उक्त सात तत्वोंके प्रति आस्तिक्य भावकी जागृति ही जाना ही सम्यग्दर्शनका स्वरूप निश्चित होता है।

व्यवहारसम्यग्ज्ञानका स्वरूप

वीतरागताके पोषक अथवा सात तत्वोंके यथावस्थित स्वरूपके प्रतिपादक आगमका श्रवण, पठन, पाठन, अभ्यास, चिन्तन, मनन और उपदेश यह सब व्यवहारसम्यग्ज्ञान है। इस प्रकारके सम्यग्ज्ञानसे जीवोंको समस्त बस्तुओंके और विशेषकर आत्माके स्वतःसिद्ध स्वरूपका बोध होता है। जैसे आत्माका स्वतःसिद्ध स्वरूप ज्ञायकपना अर्थात् समस्त पदार्थोंको देखने-जाननेकी शक्ति रूप है। इसके आधारपर ही आत्माका अनादि, अनिबन्ध, स्वाश्रित और अल्लण्ड (स्वरूपके साथ तादात्म्यको लिए हुए) स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है। आत्माके इस स्वरूपको समझनेके लिये उपर्युक्त प्रकारके आगमका श्रवण, पठन, पाठन, अभ्यास, चिन्तन, मनन और उपदेश सहायक होता है।

विचार कर देखा जाय तो सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेसे पूर्व ही जीवोंको इस प्रकारके सम्यक् (वीतरागताके पोषक) आगमज्ञानकी संप्राप्ति आवश्यक है। इसलिये यद्यपि मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शनके पूर्व ही सम्यग्ज्ञानकी स्थान मिलना चाहिये, परन्तु वहाँ इसको जो सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रके सच्च स्थान दिया गया है उसका एक कारण तो यह है कि जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानेपर ही उक्त प्रकारके ज्ञानका सम्यक्पना

१. तत्त्वार्थसूत्रान् सम्यग्दर्शनम् । जीवाजीवात्मन्यसंबन्धसंवरनिर्जराभोक्षास्तत्त्वम् ।—तत्त्वार्थसूत्र १-२, १-४ ।

२. अज्ञानं परमार्थानामाप्तागमतापोभूताम् । त्रिभूटापोऽमच्छाङ्गं सम्यग्दर्शनमन्ययम् ॥ ४ ॥

(सम्बन्धकत्व) मना जा सकता है और दूसरा कारण यह है कि उक्त ज्ञानकी उपयोगिता मध्यबीपकन्यासे सम्बन्धर्षानकी तरह सम्यक्चारित्रपर आरुढ़ होनेके लिये भी आवश्यक है ।

व्यवहारसम्यक्चारित्रका स्वल्प

बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक होने वाली समस्त कथायजन्म पाप और पुण्यमय प्रवृत्तियोंसे निवृत्ति पाकर अपने आत्मस्वरूपमें लीन होने रूप निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्तिके लिये यथाशक्ति अनुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, धर्म और तप आदि क्रियाओंमें जीवकी प्रवृत्ति होना व्यवहारसम्यक्चारित्र है ।

निश्चयसम्यक्चारित्रका अपर नाम यथाख्यातचारित्र है । इसे वीतरागचारित्र और करणानुयोगकी दृष्टिमें औपशमिक तथा क्षायिक चारित्र भी कहा जाता है ।^१ इनकी प्राप्ति जीवोंको उपशमश्रेणी चढ़कर ११वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर औपशमिक चारित्रके रूपमें अथवा क्षपकश्रेणी चढ़कर १२वें गुणस्थानमें पहुँचने पर क्षायिक चारित्रके रूपमें होती है । परन्तु ११वें गुणस्थानके औपशमिक चारित्र और १२वें गुणस्थानके क्षायिक चारित्रमें इतना अन्तर है कि उपशमश्रेणी चढ़कर ११वें गुणस्थानमें पहुँचने वाला जीव अन्तर्मुहूर्तके अल्पकालमें ही पतनकी ओर मुड़ जाता है । अतः जहाँ उसका औपशमिक चारित्र तत्काल (अन्तर्मुहूर्तमें) समाप्त हो जाता है वहाँ क्षपकश्रेणी चढ़कर १२वें गुणस्थानमें पहुँचने वाले जीवका क्षायिक चारित्र स्थायी रहता है और वह जीव पतनकी ओर न मुड़ कर अन्तर्मुहूर्तके अल्पकालमें ही १२वें गुणस्थानसे १३वें गुणस्थान में पहुँच कर सर्वज्ञताको प्राप्त कर लेता है । इसी निश्चयचारित्रकी प्राप्तिके लिये चतुर्थ गुणस्थानका अखिरतसम्यग्दृष्टि जीव पाँचवें गुणस्थानमें अणुव्रत धारण करता है तथा और भी आगे बढ़ कर छठे गुणस्थान में महाव्रत भी धारण करता है । इतना ही नहीं, घोर तपस्वरण करके आगे बढ़ता हुआ वह जीव सातवें गुणस्थानमें धुड़ोपयोगकी भूमिकाको प्राप्त हो कर आत्मपरिणामोकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई यथायोग्य विशुद्धिके आधारपर उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी माडता है । इस तरह कहना चाहिये कि जब तक उस जीवको उपर्युक्त निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वह पाँचवें और छठे गुणस्थानोमें तो बुद्धिपूर्वक और सातवेंसे लेकर १०वें तकके गुणस्थानोंमें अबुद्धिपूर्वक उपर्युक्त व्यवहारचारित्रकी पालनामें ही लगा रहता है । इस व्यवहारचारित्रका भी अपर नाम सरागचारित्र और करणानुयोगकी दृष्टिमें क्षायोपशमिक चारित्र है ।

यद्यपि अनुव्रत और महाव्रत तथा समिति, गुप्ति, धर्म एवं तपस्वरण आदि क्रियाएँ पूर्वोक्त सम्यग्दर्शनसे रहित कोई-कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी करने लगते हैं । इतना ही नहीं, इन क्रियाओंको संलग्नताके साथ करनेसे वे यथासंभव स्वर्गमें जन्म धारण करके तबे वीथेयक तक भी पहुँच जाते हैं, परन्तु यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि इन क्रियाओंकी निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षप्राप्तिरूप सार्थकता सम्यग्दर्शनके आधार पर ही हुआ करती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि जीव जब तक मिथ्यादृष्टि बना रहता है तब तक उसको अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कथायोंका क्षयोपशम होना असंभव है जबकि अनुव्रत और महाव्रत आदिरूप व्यवहारसम्यक्चारित्र यथायोग्य इन कथायोंका आगममें बतलायी गयी प्रक्रियाके अनुसार क्षयोपशम होनेपर ही उत्पन्न होता है । ”

इस विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चरणानुयोगमें जो सम्यग्दर्शनादि रूप निश्चय और

१. प्रवचनसार, भाषा ७ ।

२. गोम्मटसार जीवकाण्ड, भाषा ३०, ३१ ।

व्यवहारके भेदसे दो प्रकारके मोक्षमार्गका कथन मिलता है उसका आशय निश्चयमोक्षमार्गको तो मोक्षका साक्षात् कारण बतलाना है तथा व्यवहारमोक्षमार्गको मोक्षका परंपरया अर्थात् निश्चयमोक्षमार्गका कारण होकर मोक्षका कारण बतलाना है। विचार कर देखा जाय तो यह आशय 'मोक्षमार्ग' शब्दके साथ लगे हुए निश्चय और व्यवहार शब्दोंसे ही ध्वनिन होता है। इसी प्रकार निश्चयमोक्षमार्गस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रको तो कार्यरूप तथा व्यवहारमोक्षमार्गस्वरूप व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्रको उस निश्चयमोक्षमार्गस्वरूप सम्यग्दर्शनादिका कारणरूप बतलाना भी उसीका आशय है। यहाँपर भी यदि विचार करके देखा जाय तो यह आशय भी सम्यग्दर्शन आदि शब्दोंके साथ लगे हुए निश्चय और व्यवहार शब्दोंसे ही ध्वनिन होता है। इस तरह ज्ञात होता है कि करणानुयोगके प्रकृत प्रकरणमें मोक्षमार्ग शब्दके साथ लगे हुए निश्चय और व्यवहार शब्दोंका क्रमसे कारण की साक्षात्पूता और परंपरारूपता ही अर्थ होता है तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र शब्दोंके साथ लगे हुए निश्चय और व्यवहार शब्दोंका क्रमसे निश्चयरूप और व्यवहाररूप सम्यग्दर्शनादिकको कार्यरूपता और कारणरूपता ही अर्थ होता है। इस तरह यह विवेचन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचा देता है कि मोक्षप्राप्तिके लिये जीवको मोक्षके साक्षात् कारणभूत निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रकी तथा परंपरया कारणभूत व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्रकी अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसी स्थितिमें जो व्यक्ति निश्चयमोक्षमार्गरूप निश्चयसम्यग्दर्शनादिककी प्राप्तिके बिना केवल व्यवहारमोक्षमार्गरूप व्यवहार सम्यग्दर्शनादिकसे ही मोक्षप्राप्ति कर लेना चाहते हैं, वे गलती पर हैं। कारण कि उपर्युक्त विवेचनके अनुसार उन्हें अपने मोक्षप्राप्ति रूप उद्देश्यमें सफलता मिलना असंभव है। इसी तरह जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि "जब निश्चयमोक्षमार्गके बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती है तो निश्चयमोक्षमार्गकी प्राप्तिका ही जीवको प्रयत्न करना चाहिये, व्यवहार मोक्षमार्गके ऊपर ध्यान देनेको कुछ भी आवश्यकता नहीं है", तो ये व्यक्ति भी गलतीपर हैं, क्योंकि ऊपरके विवेचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवको व्यवहारमोक्षमार्गपर आरुढ़ हुए बिना निश्चयमोक्षमार्गकी प्राप्ति होना असंभव है। यह बात पूर्वमें ही स्पष्ट की जा चुकी है कि मोक्षमार्गके अंगभूत निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति जीवकी औपशमिकरूपमें तो उपशमश्रेणी माड कर ११वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर ही होती है और क्षयिकरूपमें क्षयकश्रेणी माड कर १२वें गुणस्थानमें पहुँचनेपर ही होती है। इस प्रकार कहना चाहिये कि जब तक जीव उपशम या क्षयक श्रेणी माडकर ११वें अथवा १२वें गुणस्थानमें नहीं पहुँच जाता है तब तक अर्थात् १०वें गुणस्थान तक उसके व्यवहारसम्यक्चारित्र, जिसे सरागचारित्र या करणानुयोगकी दृष्टिसे क्षायोपशमिकचारित्र कहा जाता है, ही रखा करता है।

इससे यह मान्यता स्थापित हो जाती है कि "व्यवहारसम्यक्चारित्रको धारण किये बिना ही निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि जीवको संभव है", कारण कि अविरतसम्यग्दृष्टि जीव ययायोग्य गुणस्थानक्रमसे बढ़ता हुआ ही ११वें या १२वें गुणस्थानमें पहुँच कर निश्चयसम्यक्चारित्रको उपलब्ध कर सकता है और यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि १०वें गुणस्थान तक व्यवहारसम्यक्चारित्र ही सरागचारित्र या यों कहिये कि क्षायोपशमिकचारित्र के रूपमें रखा करता है।

उपर्युक्त कथनसे एक यह मान्यता भी स्थापित हो जाती है कि "जिन जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति हो जाती है उसके व्यवहारचारित्र ही हो जाता है।" कारण कि पूर्वोक्त प्रकारसे व्यवहारसम्यक्चारित्रका अभाव हो जाने पर ही निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति जीवको होती है। क्या कोई व्यक्ति इस बातको स्वीकार करेगा कि क्षायोपशमिकचारित्ररूप सरागचारित्र या व्यवहारचारित्रका सद्भाव रहते हुए भी

जीवमें औपमानिक या व्याधिकल्प श्रीतरामचारित्र, यथाकथ्यतचारित्र या निश्चयचारित्र रह सकता है ? अर्थात् कोई भी व्यक्ति इस बातको स्वीकार नहीं करेगा और यही कारण है कि आचार्य अमृतचन्द्रने समयसार गाथा ३३५ की टीकामें व्यवहारकार सूक्त^१ उद्धरण केकर व्यवहारसम्यक्चारित्रको तब तक अमृतकुम्भ कह्य है जब तक जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो जाती है और भगवान् कुम्भकृतने उची व्यवहार-सम्यक्चारित्रको तब विश्वकुम्भकी उपमा दे दी है जब जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि हो जाती है^२ इस तरह यह बात निर्णीत हो जाती है कि जब तक जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मोक्षप्राप्तिके उद्देश्यसे परंपरया मोक्षके कारणभूत व्यवहारसम्यक्चारित्रकी नियमसे उपयोगिता है। लेकिन तबो तक व्यवहारसम्यक्चारित्रकी उपयोगिता है जब तक जीवको निश्चयसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति नहीं हो जाती है, भागे नहीं।

अब आगे इस बात पर विचार किया जाता है कि आगममें निश्चयमोक्षमार्गको जो भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक या सत्यार्थ आदि नामसे पुकारा जाता है और व्यवहारमोक्षमार्गको जो अभूतार्थ, असद्भूत, अ-वास्तविक या असत्यार्थ आदि नामसे पुकारा जाता है, तो इसमें आगमका अभिप्राय क्या है ?

आगममें निश्चयमोक्षमार्गको जो भूतार्थ आदि नामसे पुकारा जाता है इसमें आगमका अभिप्राय इतना ही लेना चाहिये कि निश्चयमोक्षमार्गकी इससे साक्षात् कारणताका बोध हो जाता है और चूँकि मोक्षकी साक्षात् कारणताका व्यवहारमोक्षमार्गमें अभाव पाया जाता है, कारण कि उसमें तो परंपरया ही कारणता पायी जाती है। अतः उसे अभूतार्थ आदि नामसे पुकारा जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिये कि "व्यवहारमोक्षमार्गको मोक्षकी प्राप्तिमें कुछ भी उपयोगिता नहीं है, वह तो बड़ा पर संबंधा अकिञ्चित्कर ही है", कारण कि पूर्वोक्त प्रकारसे व्यवहारमोक्षमार्ग मोक्षप्राप्तिमें परंपरया कारण नियमसे होता है। इस तरह व्यवहारमोक्षमार्गमें मोक्षप्राप्तिके साक्षात् कारणताका अभाव रहनेसे जहाँ अभूतार्थता आदि धर्म सिद्ध होते हैं वहाँ उसमें मोक्षप्राप्तिके परंपरया कारणताका सद्भाव रहनेसे भूतार्थता आदि धर्म भी सिद्ध होते हैं। इस तरह कहना चाहिये कि निश्चयमोक्षमार्ग तो सर्वथा भूतार्थ आदि हैं क्योंकि उसमें मोक्षकी साक्षात् कारणता विद्यमान है और व्यवहारमोक्षमार्ग कर्षचित् भूतार्थ आदि हैं क्योंकि उसमें मोक्षकी परंपरया कारणता विद्यमान है और कर्षचित् अभूतार्थ आदि भी हैं क्योंकि उसमें मोक्षकी साक्षात् कारणताका अभाव है। इस तरह इसे सर्वथा अभूतार्थ तो नहीं माना जा सकता है, कारण कि जब पूर्वोक्त प्रकारसे व्यवहारसम्यक्चारित्रका सद्भाव १०वें गुणस्थान तक मानना अनिवार्य है, ११वें और १२वें गुणस्थानमें ही निश्चयसम्यक्चारित्रकी उपलब्धि जीवकी होती है तो इसे मोक्षका सर्वथा अकारण कैसे माना जा सकता है, जिससे कि इसे सर्वथा अभूतार्थ आदि माना जा सके ?

इस कथनका तात्पर्य यह है कि मोक्षप्राप्तिके साक्षात् कारणभूत निश्चयमोक्षमार्गकी प्राप्ति किसी भी जीवको व्यवहारमोक्षमार्गको अपनाने बिना संभव नहीं है। अर्थात् निश्चयमोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिये प्रत्येक जीवको हर हालतमें व्यवहारमोक्षमार्गको अपनाना ही होगा।

इतना स्पष्टीकरण हो जानेके बाद जो व्यक्ति व्यवहारमोक्षमार्गको संसारका कारण मानते हैं वे बहुत

१. अष्टिकमणं अष्टिकमणं अष्टिकमणो अचारणा वेद । अणियसी य अणिदाजगच्छाऽसोही य विसक्तुं ॥१॥
पठिकमणं पठिसत्थं परिहारो वारणा नियसी य । णिदा नक्का सोही अट्टुविहो अमवक्तुं ॥२॥

—व्यवहारचारसूत्र

२. समक्षार, गाथा, ३०६-३०७ ।

भारी मूल करते हैं। कारण कि संसारके मुख्य कारण तो मोहनीय कर्मके उदयसे होने वाले विद्यादर्शन, विद्याज्ञान और विद्याचारित्र्य ही हैं तथा व्यवहार अर्थात् क्षायोपसमिक मोक्षमार्गमें देहव्रजती प्रकृतियोंका उदय विद्यमान रहता है वह यद्यपि संसारका कारण होता है लेकिन उदयमें (क्षायोपसमिक मोक्षमार्गमें) जितना अंश यथावधि उपसम या क्षयके रूपमें सर्वघाती कर्मके उदयामलरूप रहा करता है वह कभी संसारका कारण नहीं होता है।^१ यही कारण है कि देहाघाती प्रकृतिके प्रभावसे ऐसा जीव मर कर उत्पन्न गतिमें ही जन्म लिया करता है^२ और परंपरया उस देहाघाती प्रकृतिके प्रभावको खयाल करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है।^३

निश्चयमोक्षमार्गकी सर्वथा भूतार्थता और व्यवहार मोक्षमार्गकी कर्मचित् भूतार्थता और कर्मचित् अभूतार्थताको सिद्धमें एक तर्क यह भी है कि निश्चयमोक्षमार्ग सर्वथा बन्धका अकारण है जबकि व्यवहार-मोक्षमार्ग पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मचित् बन्धका अकारण है और कर्मचित् बन्धका कारण भी है। अतः मुक्तिका सर्वथा कारण होनेसे निश्चयमोक्षमार्गको सर्वथा भूतार्थ आदि कहना उचित है और कर्मचित् बन्धका कारण तथा कर्मचित् बन्धका अकारण होनेसे जब व्यवहारमोक्षमार्गमें कर्मचित् संसारकी कारणता और कर्मचित् मुक्तिकी कारणता सिद्ध हो जाती है तो एक प्रकारसे उसे मुक्तिकी कर्मचित् अकारणताके आधारपर कर्मचित् अवास्तविक या अभूतार्थ आदि मानना तथा मुक्तिको कर्मचित् कारणताके आधार पर कर्मचित् वास्तविक या भूतार्थ आदि मानना ही उचित है। उसे सर्वथा अभूतार्थ मानना तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि सर्वथा अभूतार्थता तो संसारके सर्वथा कारणभूत या मोक्षके सर्वथा अकारणभूत विद्यादर्शन, विद्याज्ञान और विद्याचारित्र्यमें सिद्ध होती है। यदि व्यवहार अर्थात् क्षायोपसमिक मोक्षमार्गमें सर्वथा अभूतार्थता स्वीकार की जायगी तो फिर उसका विद्यादर्शनादिकी अपेक्षा भेद ही क्या रह जायेगा? अर्थात् कुछ भेद नहीं रह जायगा।

करणानुयोगमें निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थ

इस लेखके आरम्भमें हम कह आये हैं कि करणानुयोग वह है जिसमें जीवोंकी पाप, पुण्य और बर्णमय परिणतियों तथा उनके कारणोंका विश्लेषण किया गया है और आगे चल कर एक स्थान पर हम यह भी कह आये हैं कि आत्माका स्वभाव ज्ञायकपना अर्थात् विश्वके समस्त पदार्थोंकी देखने-जाननेकी शक्ति रूप है। प्रकृतमें जो कुछ विवेचन किया गया है वह सब इसके आधार पर ही किया गया है।

उपर्युक्त प्रकार ज्ञायकपना आत्माका स्वतःसिद्ध स्वभाव है। इसलिये इस आधार पर एक तो आत्माका स्वतंत्र और अनादि-निचन अस्तित्व सिद्ध होता है, दूसरे, जिस प्रकार आकाश अपने स्वतःसिद्ध अवगाहक स्वभाबके आधार पर विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंको अपने उदरमें एक साथ हुनेसा समायें हुए रह रहा है उसी प्रकार आत्माको भी अपने स्वतःसिद्ध ज्ञायक स्वभाबके आधार पर विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंको एक साथ हुनेसा देखने-जानने रहना चाहिये, परन्तु जो जीव अनादिकालसे संसार-परिभ्रमण करते हुए अभी भी इसी चक्रमें फँसे हुए हैं उन्होंने अनादिकालसे अभी तक न तो कभी विश्वकी सम्पूर्ण वस्तुओंको एक साथ देखा-जाना है और न वे अभी भी उन्हें एक साथ देख-जान पा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन संसारी जीवोंमें एक तो तरतमभाबसे ज्ञानकी मात्रा अल्प ही पायी जाती है। दूसरे, जितनी मात्रामें ज्ञान पाया जाता है वह भी इन्द्रियादिक अन्य साधनोंकी अधीनतामें ही हुआ करता है। एक बात और है कि ये संसारी जीव पदार्थोंको देखने-जाननेके

१. पुरुषार्थसिद्धधुपाय, श्लोक २१२, २१३, २१४।

२. प्रवचनसार, गाथा, ११-१२।

३. पुरुषार्थसिद्धधुपाय, श्लोक २९।

पश्चात् उन जाने हुए पदाथोंमें इष्टपन या अनिष्टपनकी कल्पनास्य मोह किया करते हैं और तब वे इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदाथोंमें प्रीतिरूप राग तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदाथोंमें अप्रीति (वृणा) रूप द्वेष सतत किया करते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सतत इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदाथोंकी प्राप्तिमें तो हर्ष हुआ करता है तथा अनिष्ट कल्पनाके विषयभूत पदाथोंकी अप्राप्तिमें और इष्ट कल्पनाके विषयभूत पदाथोंकी अप्राप्तिमें विषाद हुआ करता है। यदि किन्हीं-किन्हीं जीवोंको इस प्रकारसे हर्ष और विषाद न भी हो, तो भी ऐसे जीव भी जब शरीरकी अधीनतामें ही रह रहे हैं और उनका अपना शरीर भी किन्हीं दूसरे पदाथोंकी अधीनता स्वीकार किए हुए है तो ऐसी स्थितिमें शरीरके लिये उपयोगी आवश्यक पदाथोंकी प्राप्ति व अप्राप्तिमें अबधा शरीरके लिये पीडाकारक पदाथोंकी अप्राप्तिमें और प्राप्तिमें उन्हें भी क्रमसे सुख व दुःखाका संवेदन हुआ करता है। इसके अतिरिक्त सभी संसारी जीव अनादिकालसे अभी तक कभी देव, कभी मनुष्य, कभी तिर्यच और कभी नारक भी हुए हैं। कभी एकैन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, कभी त्रीन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पंचेन्द्रिय भी हुए हैं। इसी तरह कभी मन्दरहित असंज्ञी और कभी मनसहित संज्ञी भी हुए हैं। इन्होंने कभी पृथ्वीका, कभी जलका, कभी तेजका, कभी वायुका और कभी वनस्पतिका भी शरीर धारण किया है। हम यह भी देखते हैं कि एक ही श्रेणीके जीवोंके शरीरोंमें भी परस्पर विलक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई जीव लोकमें प्रभावशाली देखे जाते हैं और कोई जीव प्रभावहीन भी देखे जाते हैं। एक जीव में उच्चताका और एक जीवमें नीचताका भी व्यवहार लोकमें देखा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवको जन्म-मरण भी धारण करना पड़ रहा है।

यह सब क्यों हो रहा है ? इसका समाधान आगम-ग्रन्थोंमें इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक संसारी जीव अपने स्वतः सिद्ध ज्ञानने-देखनेके स्वभावको न छोड़ते हुए भी अनादिकालसे स्वर्ण-पाषाणकी तरह पीड-पालक कर्मोंके साथ सम्बद्ध (मिश्रित) यानी एकलेशनावगाहीरूपसे एकमेंकपनेको प्राप्त हो रहा है।^१ ये कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोन और अन्तरायके भेदसे आठ प्रकारके आगममें बतलाये गये हैं।^२ आगममें यह भी बतलाया गया है कि ज्ञानावरणकर्मका कार्य जीवकी जाननेकी शक्तिको आवृत करना है, दर्शनावरणकर्मका कार्य जीवकी देखनेकी शक्तिको आवृत करना है, वेदनीयकर्मका कार्य जीवको परपदाथोंके आधारपर यथायोग्य सुख और दुःखाका संवेदन कराना है, मोहनीयकर्मका कार्य जीवको परपदाथोंके आधार पर मोही, रागी और द्वेषी बनाकर उचित-अनुचितके भेदसे रहित प्रवृत्तियोंमें व्यबहृत कराना है, आयुकर्मका कार्य जीवको प्राप्त शरीरमें सीमित काल तक रोक रखना है, नामकर्मका कार्य जीवकी मनुष्यादिकल्पना प्राप्त कराना है, गोनकर्मका कार्य कुल, शरीर और आचरण आदिके आधार-पर जीवमें उच्चता-नीचताका व्यवहार कराना है और अन्तरायकर्मका कार्य जीवकी स्वावलम्बन शक्तिका नाश करना है।^३

करणानुयोगकी व्यवस्था यह है कि इन सब प्रकारके कर्मोंको जीव हमेशा अपने विकारी भावों (परि-जार्मों) द्वारा बंधता है^४ और तब ये कर्म जीवके साथ बंध कर उसमें सीमित कालके लिये अपनी सत्ता बना

१. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा २।

२. वही, गाथा ८।

३. किस कर्मका क्या कार्य है, इसकी सामान्य जानकारीके लिये गोम्मटसार कर्मकाण्डकी गाथा १० से गाथा ३३ तक देखना चाहिये।

४. समयसार, गाथा ८०।

केसे है तथा अन्तमें उदयमें आकर अर्थात् जीवकी अपना फलानुभव कराकर ये कर्म तो निर्जरीत हो जाते हैं^१ । लेकिन उस फलानुभवसे प्रभावित होकर अपनेमें उत्पन्न विकारी भावों द्वारा वह जीव दूसरे इसी तरहके नवीन कर्मसे पुनः बँध जाता है । ये कर्म उदयमें आकर अपना फलानुभव जिस रूपमें जीवकी करते हैं वह जीवका औद्यमिक भाव कहलाता है^२ क्योंकि जीवका उस रूप भाव उस कर्मका उदय होनेपर ही होता है, अन्वधा नहीं । कदाचित् कोई जीव अपनेमें सत्ताकी प्राप्त यथायोग्य किसी कर्मको अपने पुरुषार्थ द्वारा इस तरह शक्तिहीन बना देता है कि वह कर्म अपनी फलदानशक्तिको सुरक्षित रखते हुए भी जीवकी एक अन्तर्मुहूर्तके लिये फल देनेमें (उदयमें) असमर्थ हो जाता है, कर्मकी इस अवस्थाका नाम उपशम है और इनके होने पर जीवकी जो अवस्था होती है उसे जीवका औपशमिक भाव कहते हैं^३ कदाचित् कोई जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्मको सर्वथा शक्तिहीन* बना देता है, जिससे वह कर्म उस जीवसे अपना सम्बन्ध सर्वथा समूल विच्छिन्न कर लेता है । कर्मकी इस अवस्थाका नाम क्षय है और इसके होने पर जीवकी जो अवस्था होती है उसे जीवका आयिक भाव कहते हैं^४ इसी प्रकार कदाचित् कोई जीव अपना पुरुषार्थ इस तरह करता है कि कर्मके कुछ अंश (देशघाती रूप) तो उदय रूप रहे, कुछ अंश (सर्वघाती रूप) उदयाभावी क्षयरूप हो जावे और कुछ अंश (सर्वघातीरूप) सद्यवस्था रूप उपशमकी स्थितिको प्राप्त हो जावे तो इसका नाम कर्मकी क्षयोपशम अवस्था है और इसके होने पर जीवकी जो अवस्था होती है उसे जीवका क्षायोपशमिक भाव कहते हैं^५ । क्षायोपशमिक भावका अपर नाम मिश्र भाव भी है ।

इस प्रकार कहना चाहिये कि कर्मोंके यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम होने पर जीवकी अवस्थायें भी क्रमशः औद्यमिक, औपशमिक, आयिक और क्षायोपशमिकरूप हो जाया करती हैं^६ । अब इनमें यदि कारणताकी व्यवस्थाकी जाय तो कहा जा सकता है—जीवकी इन औद्यमिकादि अवस्थाओंकी उत्पत्तिमें कर्म तो अपनी उदयादि अवस्थाओंके आधारपर व्यवहारकारण होता है और जीव स्वयं निश्चयकारण है । जैसा कि नयचक्रको निम्नलिखित गायामे स्पष्ट होता है—

“अंधे च मोक्षं हेतुं अण्णो व्यवहारदो य णायव्वो ।
णिच्छयदो पुण जीवो भणिदो खलु सव्वदरिणीहिं ॥२३५॥

अर्थात् बन्ध और मोक्षमें अन्य अर्थात् कर्म अपनी यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमरूप अवस्थाओंके आधार पर व्यवहाररूपसे कारण होता है और जीव निश्चयरूपसे कारण होता है ।

यहाँ पर “कर्म व्यवहाररूपसे कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि कर्म निमित्त या महावक्ररूपसे कारण होता है और “जीव निश्चयरूपसे कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि जीव उपादानरूपसे कारण होता है । इस प्रकार कहना चाहिये कि उक्त गायामे द्वारा कर्ममें जीवके बन्ध और मोक्षकी उत्पत्तिके प्रति यथायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके आधारपर निमित्तकारणताका सद्भाव सिद्ध

१. विपाकोऽनुभवः । स यथानाम । ततश्च निर्जरा ।—तत्त्वार्थसूत्र ८।२१, २२, २३ ।

२. पंचाध्यायी, २।६७ । खला मुस्तक १ पृष्ठ २१२ ।

३. पंचाध्यायी, २।९६८ । पंचास्तिकाय, गायामे ५८ तथा उसकी टीका

४. पंचाध्यायी, २-९६९ । *खवल, मुस्तक १, पृ० २१२ ।

५. वही, २।९६६ ।

६. वही, २।९६२ ।

होता है तथा जीव स्वयं अपने उस बन्ध और मोक्षके प्रति उपादान कारण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कर्मकी उदय, उपशम, क्षय अथवा सयोपशमरूप अवस्थाएँ होती हैं तब जीव अपनी विकारी योग्यताके कारण क्रमशः औदयिक, औपगमिक, क्षाधिक अथवा क्षायोपशमिक अवस्थाओंके रूपमें अपनी परिणति बना लेता है। यानी जीव इन औदयिकादि परिणतियोगे रूपमें परिणत हो जाया करता है, कर्म तो अपनी उदयादि अवस्थाओंके आधारपर आत्माकी उन अवस्थाओंकी उत्पत्तिमें सहायक मात्र हुआ करता है।^१ अर्थात् कर्मकी कोई परिणति यहाँपर जीवकी परिणति बन जाती हो—ऐसी बात नहीं है।

‘उपाधीयत अनेन’ इस विग्रहके आधारपर ‘उप’ उपसर्ग पूर्वक आदानार्थक ‘आ’ उपसर्ग विशिष्ट ‘दा’ धातुसे कर्त्तिके अर्थमें ‘ल्युट्’ प्रत्यय होकर उपादान शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो कार्यरूप परिणत हो उसे उपादान कहते हैं।^२ इसी प्रकार ‘निमिद्यति’ इस विग्रहके आधारपर ‘नि’ उपसर्ग पूर्वक स्नेहार्थक ‘मिद्’ धातुसे कर्त्तिके अर्थमें ‘क्त’ प्रत्यय होकर ‘निमित्त’ शब्द निष्पन्न हुआ है। ‘मित्र’ शब्द भी इसी स्नेहार्थक ‘मिद्’ धातुसे ‘क्त्’ प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। इन तरह कहना चाहिये कि जो मित्रके समान उपादानका स्नेहन करे अर्थात् उपादानको उसकी अपनी परिणतिमें मित्रके समान सहयोग प्रदान करे वह निमित्त कहलाता है।

यद्यपि यहाँपर यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपादान स्वयं कार्यरूप परिणत होनेके कारण “स्वाश्रितो निवचय”^३ इस आगमवाक्यके अनुसार उसे कार्यका निश्चयकारण मानना उचित है और कार्यरूप परिणत न होकर उपादानको उसकी अपनी कार्यरूप परिणतिमें सहयोग मात्र देनेके कारण “पराश्रितो व्यवहार”^४ इस आगमवाक्यके अनुसार निमित्तको कार्यका व्यवहारकारण मानना उचित है, परन्तु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उपादान और निमित्त दोनों कारणोंमें निश्चयकारणता और व्यवहारकारणताका अन्तर रहते हुए भी कार्यकी उत्पत्तिमें दोनों ही कारण उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिये जिस प्रकार उपादान कारणको निश्चयकारणके रूपमें भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाता है उसी प्रकार निमित्तकारणको भी व्यवहारकारणके रूपमें भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाना अयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार उपादानका कार्यरूप परिणत होना वास्तविक है उसी प्रकार निमित्तका उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें सहायक होना भी वास्तविक है। इतनी बात अवश्य है कि चूँकि निमित्त उपादानकी तरह कार्यरूप परिणत नहीं होता, अतः इस दृष्टिसे उसमें यदि अभूतार्थता आदि धर्मोंका सद्भाव माना जाय तो यह भी असंगत नहीं है। इस प्रकार कहना चाहिये कि उपादान चूँकि कार्यरूप परिणत होता है इसलिये सर्वथा भूतार्थ आदि है और निमित्त चूँकि कार्यरूप परिणत नहीं होता, इसलिये तो कश्चित् अभूतार्थ आदि है लेकिन उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें सहायक होना है, अतः कश्चित् भूतार्थ आदि भी है। अतः जो व्यक्ति निमित्तको कार्योत्पत्तिमें सर्वथा अकिञ्चित्कर मानकर उसे सर्वथा अभूतार्थ आदि मान लेना चाहते हैं उनका यह प्रयास गलत ही है।

अनुभवमें यह बात आती है कि उपादानकी कार्यपरिणतिमें निमित्तके सहयोगकी अनिवार्य रूपसे सर्वदा अपेक्षा रहा करती है और प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जब तक उपादानको आवश्यकतानुसार स्वाभ-

१. पुरुषार्थसिद्धधुपाय, श्लोक १३।

२. समयसार, गाथा ८६ की टीकामें आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा ‘म. परिणमति स कर्ता’ आदि पद्यों द्वारा यही आशय व्यक्त किया गया है।

३-४. समयसार, गाथा २७३ की समयसार-टीका।

बिक रूपसे अथवा पुरुषकृत प्रयत्न द्वारा निमित्तका सहयोग प्राप्त नहीं होता है तब तक उपादान कार्यरूप परिणत नहीं होता है। इसका अभिप्राय यह है कि निमित्त उपादानमें कार्यात्मिकके लिये उसकी कार्यात्मिक न हो सकनेका असामर्थ्यका नियमसे भेदन करने वाला है। आगममें भी इस बातको स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि निमित्त कार्यात्मिकमें यदि उपादानसे कार्यात्मिक न हो सकनेका असामर्थ्यका भेदन नहीं करता है तो फिर उसे निमित्त कहना ही असत्य होगा।^१ इसलिये जो महानुभाव कहते हैं कि "कार्य तो उपादान स्वयं अपनी सामर्थ्यसे ही उत्पन्न कर लेता है उसमें उसको निमित्तके सहयोगकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहा करती है, वह तो वहाँपर स्वयं अकिंचित्कर ही बना रहता है," तो उनका ऐसा कहना गलत ही है। साथ ही जो व्यक्ति व्यवहारविमूढ़ होकर ऐसा कहते हैं कि "निमित्त अपने रूपका समर्पण कार्यमें करता है," तो उनका ऐसा कहना भी गलत है। कारण कि निमित्त यदि कार्यमें अपना रूप समर्पित करने लग जाय तो फिर निमित्तमें उपादानकी अपेक्षा अन्तर ही क्या रह जायगा? अर्थात् ऐसी स्थितिमें निमित्त स्वयं ही उपादान बन जायगा और तब उसे निमित्त कहना ही असंगत होगा। वेदान्त और चार्वाक दर्शनोंमें यही बात बतलायी गयी है कि वेदान्तके मतानुसार चित्तसे अचित्तकी उत्पत्ति होती है और चार्वाकके मतानुसार अचित्तसे चित्तकी उत्पत्ति होती है अर्थात् वेदान्त चित्तको अचित्तका और चार्वाक अचित्तको चित्तका उपादान कारण मानते हैं। जैनदर्शन अथवा जैन दर्शन ही मान्यताओंका खण्डन करता है, कारण कि जैनदर्शनका यह सिद्धान्त है कि एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता और न कभी एक द्रव्यके गुण-धर्म ही किसी अन्य द्रव्यमें संक्रमित होते हैं।^२ लेकिन वेदान्त और चार्वाककी उक्त मान्यताओंका खण्डन करता हुआ भी जैनदर्शन चित्तको अचित्तकी परिणतिमें तथा अचित्तको चित्तकी परिणतिमें निमित्त कारण अवश्य मानता है।^३ यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमें इन दोनों बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। अर्थात् समयसारमें स्थान-स्थानपर यही बात देखनेकी मिलती है कि उसमें जहाँ एक वस्तुमें दूसरी वस्तुकी उपादानकारणताके सम्भाव का दृढ़ताके साथ निषेध किया गया है वहाँ उतनी ही दृढ़ताके साथ एक वस्तुमें दूसरी वस्तु की निमित्त-कारणताका समर्पण भी किया गया है^४ और यह बात हम पूर्वमें स्पष्ट ही कर चुके हैं कि निमित्तकारणता उपादानकारणताके रूपमें असूतार्थ, असद्वभूत, अवास्तविक और असत्यार्थ होते हुए भी स्वयं अपने रूपमें तो वह भूतार्थ, सद्वभूत, वास्तविक और सत्यार्थ ही है। यही कारण है कि आचार्य विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायके सूत्र ७ की व्याख्या करते हुए वार्तिक श्लोक १३के अन्तर्गत पृष्ठ. ५१ पर सहकारी—निमित्त कारणकी उपादानकी कार्यपरिणतिमें सहकारितारूपसे पारमार्थिकता (वास्तविकता) को स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है।^५

१. तदसामर्थ्यमखण्डयदकिंचित्करं किं सहकारिकारणं स्यात् ?—आन्तमीमासा कारिका, १०की अष्टशती-टीका।
२. जो बन्धि गुणे दब्धे सो अण्णमिह दु ण संकमदि दब्धे ।—समयसार, गाथा १०३ का पूर्वार्द्ध।
३. पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लोक १२, १३।
४. समयसार, गाथा ८०, ८१।
५. क्रमभुवो. पर्याययोरेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरुपादानोपादेयत्वस्य बचनात् । न चैवंविध. कार्यकारणभावः सिद्धान्त-विच्छेदः । सहकारिकारणेन कार्यस्य कथं तत्स्यादेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरभावाविति चेत् ? कालप्रत्यासत्तिविशेषात् तत्सिद्धिः । यदनन्तरं हि यदवश्यं भवति तत्तस्य कारणमितरत्कार्यमिति प्रतीतम् । तदेवं व्यवहारनय-समाअयणं कार्यकारणभावो द्विष्टः सम्बन्ध संयोग-समवायादिवत् प्रतीतिसिद्धत्वात् पारमार्थिक एव, न पुन. कल्पनारोपितः, सर्वथाप्यनवच्छेद्यत्वात् ।

यहाँ पर उपादानकारणता और निमित्तकारणताके स्वरूपका, उनकी क्रमसे निश्चयरूपता और व्यवहाररूपताका एवं दोनोंकी अपने-अपने रूपमें वास्तविकताका जो विश्लेषण किया गया है, उसका प्रकृतमें उभयोक्त यह है कि जीवकी पूर्वोक्त औद्योगिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक परिणतियोंके प्रति कर्ममें जो उद्योगिकके आधारपर कारणता विद्यमान है वह तो व्यवहार रूपसे अर्थात् निमित्तरूपसे है और जीव स्वयंमें उन औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति जो कारणताएँ विद्यमान हैं वे निश्चयरूपसे अर्थात् उपादानरूपसे हैं तथा साथ ही ये दोनों ही कारणतायें अपने-अपने रूपमें भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक और सत्यार्थ ही हैं क्योंकि विश्व प्रकार उक्त औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति जीव स्वयंकी उपादानकारणता पूर्वोक्त प्रकारसे कल्पनारोपित नहीं है उसी प्रकार जीवकी उन औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति अपनी उद्योगिकपरिणतियोंके आधारपर सहयोगी होनेके कारण कर्ममें विद्यमान निमित्तकारणता भी कल्पनारोपित नहीं है। इतना अवश्य है कि जूँक उपादानकारण होनेके सबब जीव ही कार्यरूप परिणत होता है, इसलिये उपादानकारणता तो सर्वथा भूतार्थ आवि है, लेकिन निमित्तकारण होनेके सबब जूँक कर्म स्वयं कार्यरूप परिणत नहीं होता, इसलिये वह कश्चित् अनूतार्थ आवि है फिर भी उपादानभूत जीवकी कार्यभूत औद्योगिकवि परिणतियोंमें अपनी उद्योगिकपरिणतियोंके आधारपर वह सहायक अवश्य होता है, अतः वह सहायकपदकी अपेक्षा कश्चित् भूतार्थ आवि भी है।

यहाँ पर इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जीवकी औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति जो कर्मनिष्ठ निमित्तकारणता है वह उसकी उद्योगिक परिणतियोंको छोड़कर और कुछ नहीं है अर्थात् कर्मका उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमरूपसे परिणत होना ही जीवकी औद्योगिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक परिणतियोंके प्रति कर्मकी क्रमशः निमित्तकारणता है। ऐसा नहीं समझना चाहिये कि कर्मकी उद्योगिकपरिणतियाँ अलग हैं और जीवकी औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति उसमें (कर्ममें) विद्यमान निमित्तकारणता अलग है। इसीलिये यदि इस तरहसे विचार किया जाय तो कर्मकी उद्योगिक परिणतियाँ उसकी अपनी स्वाश्रित या स्वात्मभूत परिणतियाँ होनेके कारण जहाँ "स्वाश्रितो निश्चय" इस आगमवाक्यके आधारपर उसके विषयधर्म हैं वहाँ कर्मकी वे ही परिणतियाँ जीवकी औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति यथायोग्य रूपमें निमित्तकारणताका रूप धारण कर लेनेसे "पराश्रितो व्यवहार" इस आगमवाक्यके आधारपर निमित्तकारणताके रूपमें उसके व्यवहारधर्म भी है। अब ऐसी हालतमें भी यदि निमित्तकारणताकी भूतार्थता आदिके विषयमें विचार किया जाय तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवकी औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति कर्ममें विद्यमान निमित्तकारणता जहाँ उस कर्मकी उद्योगिक परिणतियोंके रूपमें भूतार्थ, सद्भूत, वास्तविक या सत्यार्थ धर्म हैं वहाँ उसका कर्ममें उद्योगिक परिणतियोंके पुण्य स्वतंत्र अस्तित्व न रहनेके कारण वह कर्मका अभूतार्थ, असद्भूत, अवास्तविक या असत्यार्थ धर्म भी है। इस तरहसे जो जीवकी औद्योगिकवि परिणतियोंके प्रति कर्मनिष्ठ निमित्तकारणता उस कर्मका कश्चित् वास्तविक और कश्चित् अवास्तविक धर्म ही सिद्ध होती है। गणके सीगकी तरह उसे सर्वथा अभूतार्थ आदिके रूपमें कदापि नहीं माना जा सकता है।

इस कथनको निश्चय यह है कि जीवकी जो औद्योगिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक रूप परिणतियाँ हुना करती हैं वे सब परिणतियाँ जीवकी अपनी ही परिणतियाँ हैं। इसलिये जीव इन परिणतियोंका उपादानकारण या निश्चयकारण होता है। साथ ही ये सभी परिणतियाँ क्रमशः कर्मके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमके होनेपर ही होती हैं, इसलिये कर्म जीवकी इन औद्योगिकवि परिणतियोंका अपनी उद्योगिक परिणतियोंके आधार पर निमित्तकारण या व्यवहारकारण होता है। जूँक कर्मके उद्योगिकके अभावमें जीवकी ये औद्योगिकवि परिणतियाँ कदापि नहीं होती हैं, अतः कर्मको जीवकी इन परिणतियोंमें अकिञ्चिद्वर

या निश्चयमोगी मानना मिथ्या है और बूँक कर्मकी कोई परिणति कदापि जीवकी परिणति नहीं बनती है, इसलिए कर्मको जीवकी औद्यिकादि परिणतियोंका उपादानकारण या निश्चयकारण मानना भी मिथ्या है।

इस प्रकार अब तर्कके विवेचनसे यह बात अच्छी तरह समझने आ जानी चाहिये कि चरणानुयोगके प्रकरणमें मोक्षकार्यकी दृष्टिसे जो निश्चयमोक्षमार्ग और व्यवहारमोक्षमार्गका कथन किया गया है वह कथन निश्चय और व्यवहार शब्दोंके आधारपर क्रमशः निश्चयमोक्षमार्गमें मोक्षकी साक्षात् कारणताके और व्यवहारमोक्षमार्गमें मोक्षकी उरंपरया कारणताके अस्तित्वका ही बोध कराता है। इसी प्रकार वही पर जो निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रका तथा व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान, और व्यवहारसम्यक्चारित्रका कथन किया गया है वह कथन भी निश्चय और व्यवहार शब्दोंके आधार पर क्रमशः निश्चयसम्यग्दर्शनादिमें तो कार्यताके और व्यवहारसम्यग्दर्शनादिकमें कारणताके अस्तित्वका ही बोध कराता है। इसके अतिरिक्त चरणानुयोगके प्रकरणमें जीवके बन्ध और मोक्षरूप अथवा जीवकी औद्यिकादिपरिणतिरूप कार्य और उसके अभावरूपकारणकी दृष्टिसे जो नयचक्रकी उपर्युक्त २३५ वीं गायिका अनुसार निश्चयकारण और व्यवहारकारणके रूपमें दो कारणोंका कथन किया गया है वह कथन निश्चयशब्दके आधार पर जीव स्वयंमें उपादानकारणताके और व्यवहारशब्दके आधार पर कर्ममें यथायोग्य उदयदिरूपसे निमित्तकारणताके अस्तित्वका ही बोध कराता है। अब आगे हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि द्रव्यानुयोगमें निश्चय और व्यवहार शब्दोंका क्या अर्थ ग्रहण किया गया है ?

द्रव्यानुयोगमें निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थ

लेखके प्रारम्भमें हमने यह भी कहा है कि द्रव्यानुयोग वह है जिसमें विषयकी संपूर्ण वस्तुओंके पृथक्-पृथक् अस्तित्वको बतलानेवाले स्वतः सिद्ध स्वरूप एवं उनके परिणमनोका विवेचन किया गया है। यहाँ प्रकृत विषय पर इसीको आधार बनाकर विचार किया जा रहा है।

जैनागममें बतलाया गया है कि पृथक्-पृथक् अपनी-अपनी स्वतंत्र सद्रूपता ही वस्तुका लक्षण है। प्रत्येक वस्तुकी यह सद्रूपता स्वतंत्र तभी मानी जा सकती है जबकि वह स्वतः सिद्ध हो, अतः कहना चाहिये कि प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी सद्रूपता स्वतः-सिद्ध है और जब प्रत्येक वस्तुकी सद्रूपता स्वतः सिद्ध है तो इस आधार पर प्रत्येक वस्तुमें निम्नलिखित चार विशेषताएँ अनायास सिद्ध हो जाती हैं।

प्रत्येक वस्तु अनादि है (अनादिकालसे रहती आ रही है), अनधिन है (अनन्तकाल तक रहने वाली है), स्वाश्रित है, (स्वावलम्बनपूर्ण है) और असङ्ग है (अपने-अपने स्वरूपके साथ तादात्म्यको लिये हुए है।) इस विषयको पंचाध्यायीमें निम्न प्रकारसे स्पष्ट किया गया है—

‘तत्त्वं सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वा यतः स्वतः सिद्धम् ।

तस्मादनादि-निधनं स्वसहायं निविकल्पं च ॥१-८॥’

इस प्रकार विषयमें अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् स्वतः-सिद्ध सद्रूपताको प्राप्त संपूर्ण वस्तुओंकी संख्या अनन्तान्त है। इनमें भी जीवोंकी संख्या अनन्तान्त है, पृथगल जीवोंकी संख्यासे भी अनन्तान्त गुण हैं, काल असंख्यात है और धर्म, अधर्म तथा आकाश एक-एक है।^१ इस प्रकार ये सभी अनन्तान्त वस्तुएँ सामान्यरूपसे जीव, पृथगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामके छह द्रव्य प्रकारोंमें समाविष्ट होती हैं।^२

१. सर्वाथसिद्धि-टीका-१-२९।

२. अजीवकाया धर्माधर्माकाशपृथगला । द्रव्याणि । जीवाश्च । कालश्च ।—तत्त्वाथसूत्र ५-१, २, ३, ३९।

प्रत्येक वस्तुमें अपने-अपने पृथक्-पृथक् अनन्तगुण विद्यमान हैं । इन्हें धर्म या स्वभाव भी कहते हैं ।^१ वस्तुका जो एक गुण है वह उसका कभी अन्य गुण नहीं हो सकता है । इस तरह प्रत्येक वस्तुमें गुणोंकी संख्या अनन्त ही सिद्ध होती है ।^२

प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तुका प्रत्येक गुण परिणमनशील है इसका यह अभिप्राय यहीं समझना चाहिये कि अगुरुलघुगुणके अतिरिक्त शुद्ध द्रव्यके अन्य गुणोंके शक्यतामें हानि-वृद्धि होती है ।^३ इस प्रकार सभी वस्तुओंकी निम्नप्रकार स्थिति निश्चित होती है—

“वस्तुकी आकृति (प्रवेशवत्तारूप द्रव्यरूपता), वस्तुकी प्रकृति (स्वभाववत्तारूप गुणरूपता और वस्तुकी तथा वस्तुके प्रत्येक गुणकी विकृति (परिणामवत्तारूप पर्यायरूपता) ।”

इस तरह कहना चाहिये कि द्रव्यानुयोगमे द्रव्यरूपताके साथ-साथ वस्तुकी अनन्त द्रव्यपर्यायो तथा वस्तुके अनन्तगुणों और उन गुणोंमेंसे प्रत्येक गुणकी अनन्तगुणपर्यायोंके रूपमें वस्तुका जैनागममें विस्लेषण किया गया है ।^४

प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी उक्त प्रकारकी द्रव्यरूपता और गुणरूपता दोनों ही शाश्वत (स्थायी) हैं तथा पर्यायरूपता समय, आबलि, मुहूर्त, घड़ी, दिन, सप्ताह, पञ्च, मास और वर्ष आदिके रूपमें विभक्त होकर अशाश्वत (अस्थायी) है । इस तरह प्रत्येक वस्तुको जैनागममें सत् भगते हुए भी उस सत्ताको उत्पाद, भय और प्रीव्यात्मक स्वीकार किया गया है ।^५ अर्थात् जैनागममें प्रत्येक वस्तुमें द्रव्य पर्यायों और गुण पर्यायोंके रूपमें तो उत्पाद तथा भय और द्रव्यत्व और गुणत्वके रूपमें प्रीव्याका सद्भाव स्वीकार किया गया है ।

परिणमन करते हुए भी प्रत्येक वस्तुकी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और पर्यायरूपता प्रतिनियत है । अर्थात् परिणमनमें वस्तु न तो अपने अस्तित्व (सद्रूपता) को छोड़ती है और न ही एक वस्तुकी अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता तथा पर्यायरूपता कभी अन्य वस्तुकी द्रव्यरूपता, गुणरूपता तथा पर्यायरूपता बन सकती है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि परिणमन करते हुए भी वस्तु न तो कभी सर्वथा नष्ट हो सकती है और न वह कभी अन्य वस्तुरूप भी परिणमती है ।

इस प्रकार जीव परिणमन करते हुए भी कभी सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता है और न ही वह कभी अन्य द्रव्यरूप परिणत हो सकता है, वह हमेशासे जीव हो रहा आया है, जीव ही है और जीव ही रहेगा । यही व्यवस्था पुरुषल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सभी द्रव्योंमें समझना चाहिये । इतना ही नहीं,

१. पंचाध्यायी, १-४८ ।
२. पंचाध्यायी, १-४९, ५२ ।
३. (क) वस्तुस्तित् स्वतः सिद्धं यथा तथा तत्स्वतस्त्वं परिणामि ।—पंचाध्यायी, १-८९ ।
(ख) वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनो गुणास्तथापि ।—पंचाध्यायी, १-११२ ।
४. प्रवचनसार, ज्ञेयतत्वाधिकार, गाथा ९३ ।

इह हि किल य. कश्चन परिच्छिद्यमान पदार्थं स सर्वं एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिवर्तितत्वाद् द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरैकाग्रयविस्तारायतविशेषात्मकगुणैरभिवर्तितत्वात् गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणैर्गुणैरपि गुणैरप्यभिवर्तितत्वात् द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि ।—प्रवचनसार, ज्ञेयतत्वाधिकार, गाथा १ की टीका, आचार्य अमृतचन्द्र ।

५. सव् द्रव्यलक्षणम् । उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्तं सत् ।—तत्त्वा० ५-२९, ३० ।

एक जीव कभी दूसरे जीवरूप परिणत नहीं होता, एक पुद्गलानु कभी दूसरा पुद्गलानु नहीं बनता और एक कालानु कभी दूसरा कालानु नहीं हो जाता। इसना अवश्य है कि सभी वस्तुएँ यथायोग्य एक-दूसरी वस्तुके साथ संयुक्त होकर ही रह रही हैं।^१ इसके अतिरिक्त जीवों और पुद्गलोंमें ऐसी स्वतःसिद्ध (स्वाभाविक) वैश्विकी शक्ति नामकी विशेषता विद्यमान है^२, जिसके आधारपर सभी जीव अनादिकालसे यथायोग्य पुद्गलोंके साथ संबद्ध (मिश्रित) यानी एकक्षेत्रावगाहीरूपमें एकमेकरूपनेकी प्राप्त रहे हैं। उनमेंसे बहुतसे जीवोंने यद्यपि पुद्गलोंके साथ विद्यमान अपनी अनादिकालीन उस बद्धता (मिश्रण) को समाप्त कर दिया है, परन्तु उनसे अनन्तगुणे जीव अभी भी उसी बद्धावस्थामें रह रहे हैं।^३ बहुतसे पुद्गल अपनेमें विद्यमान उपर्युक्त वैश्विकी शक्तिके आधारपर अनादिकालसे जीवोंके साथ तो सम्बद्ध हो ही रहे हैं, साथ ही बहुतसे पुद्गल एक-दूसरे पुद्गलोंके साथ भी इसी तरह सम्बद्ध होकर रह रहे हैं।

जिन जीवोंने पुद्गलोंके साथ अनादिकालसे विद्यमान अपनी बद्धस्थितिको समूल समाप्त कर दिया है वे अब कभी पुनः पुद्गलोंके साथ बद्ध नहीं होंगे। परन्तु पुद्गल एक बार जीवके साथ अथवा अन्य पुद्गलोंके साथ विद्यमान अपनी बद्धस्थितिको समूल समाप्त करके भी पुनः उस योग्य बन जाया करते हैं। यही कारण है कि वे यथायोग्य जीवों, पुद्गलानुओं और पुद्गलस्कन्धोंके साथ हमेशा ही बँधते और बिछुड़ते रहते हैं।

जिस प्रकार वस्तु परिणमन करते हुए भी कभी अपने द्रव्यत्वको नष्ट नहीं होने देती है और न कभी अन्य द्रव्यरूप ही परिणत होती है उसी प्रकार प्रत्येक वस्तुका प्रत्येक गुण परिणमन करते हुए भी वही अपने गुणत्वको कभी सर्वथा नष्ट होने देता है और न वह कभी उस वस्तुके अन्य गुणरूप अथवा अन्य वस्तुके गुणरूप ही परिणत हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुकी अथवा प्रत्येक वस्तुके प्रत्येक गुणकी प्रत्येक पर्याय यद्यपि उत्पाद और व्ययरूपताको धारण किये हुए है। परन्तु इन सभी पर्यायोंमें भी यह व्यवस्था बनी हुई है कि एक वस्तुकी कोई भी पर्याय केवल उसी वस्तुकी पर्याय होती है व एक गुणकी भी कोई पर्याय केवल उसी गुणकी पर्याय होती है। इस प्रकार कहना चाहिये कि प्रत्येक वस्तुकी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और पर्यायरूपता ये तीनों ही उपर्युक्त प्रकारसे सतत प्रतिनियतताको ही धारण किये हुए हैं।^४

प्रत्येक वस्तुमें यथासंभव जो भी द्रव्यपरिणमन होते हैं वे सभी नियमसे स्वपर-प्रत्यय ही हुवा करते हैं। लेकिन प्रत्येक वस्तुमें जो गुणपरिणमन होते हैं उनमेंसे कुछ तो स्वपरप्रत्यय होते हैं और कुछ स्वपरप्रत्यय होते

१. (क) सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचनार्यावस्ति सर्व एव स्वकीय-द्रव्यान्तर्नान्तस्वधर्मचक्रबुम्बिनोऽपि परस्परमबुम्बिनोऽप्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादापततः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानन्तव्यक्तित्वात्कौत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्तविच्छादिविच्छादायैर्हृत्पुतया शब्दवैव विषयमनुगृह्णन्तो नियतमेकत्रनिश्चयगतत्वेनैव सौन्दर्यनापद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिदोषापत्तेः।

—समयसार, भाषा ३, टीका, आचार्य अमृतचन्द्र।

(ख) पंचास्तिकाय, भाषा, ७।

२. पंचाध्यायी, २-४५।

३. गोमटसार जीवकाण्ड, भाषा १९६।

४. (अ) जो जन्मि गुणे दृश्ये सो जग्यन्मि न संकमदि दृश्ये।—समयसार, भाषा १०१।

(आ) समयसार, भाषा ७६, ७७, ७८, ७९।

बीजका सटीक छोट-बड़े आकारके अनुसार जो छोटा-बड़ा आकार यथासमय बनता रहता है तथा बीजकी नर-नारकादि पर्यायिक रूपमें पर्यायें बनती रहती हैं ये सभी तथा इसी प्रकारके प्रत्येक वस्तुमें अन्य वस्तुके यथायोग्य संयोग या मिश्रणसे होने वाले सभी द्रव्यपरिणाम स्वपरप्रत्यय द्रव्यपरिणमन कहलाते हैं। इसी प्रकार आत्माकी ज्ञानशक्तिका पदार्थको जाननेरूप परिणमन आत्माकी उस ज्ञानशक्तिमें विद्यमान परिणमन करनेकी योग्यताके आधारपर उस-उस पदार्थका योग मिलनेपर ही हुआ करता है। यह आत्म-वस्तुका स्वपरप्रत्यय गुणपरिणमन है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये।

आत्माकी ज्ञानशक्तिके पदार्थको जानने रूप परिणमनमें पदार्थ तो सर्वत्र कारण होता है। वह ज्ञान-शक्ति चाहे मतिज्ञानरूप हो अथवा चाहे श्रुतज्ञान, अवचिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान या केवलज्ञानरूप हो। अर्थात् इन पाँचों ज्ञानोंमेंसे कोई भी ज्ञान पदार्थके अभावमें कदापि पदार्थज्ञानरूप परिणमन नहीं कर सकता है। यही कारण है कि केवलज्ञानकी शक्ति विषयमें विद्यमान सभी पदार्थोंसे अनन्तगुणी^१ होकर भी सर्वत्र उसके द्वारा केवल उन्हीं पदार्थोंको जानता है जो अपनी सद्रूपताको धारण किये हुए हैं। इसका अभिप्राय यही है कि बिना पदार्थका सहयोग मिले केवलज्ञानका परिणमन पदार्थको जानने रूप नहीं हो सकता है। इस प्रकार केवलज्ञानशक्तिका पदार्थज्ञानरूप परिणमन पदार्थहीन ही सिद्ध होता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो पदार्थके साथ-साथ यथायोग्य पाँच पौद्गलिक इन्द्रियों तथा छठे मनकी सहायतासे ही उत्पन्न हुआ करते हैं। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि आत्माकी ज्ञानशक्तिके पदार्थको जाननेरूप परिणमनमें स्वगत योग्यताके साथ-साथ पदार्थों तथा आवश्यकतानुसार इन्द्रियों और मनकी कारणता भी रहा करती है। इतना ही नहीं, मतिज्ञानमें प्रकाश भी यथायोग्य कारण हुआ करता है और श्रुतज्ञानमें शब्द भी कारण हुआ करते हैं।

यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि पदार्थज्ञानरूप परिणमनमें आत्माकी ज्ञानशक्तिमें रहनेवाली कारणता भिन्न प्रकारकी है और पदार्थोंमें रहनेवाली कारणता भिन्न प्रकारकी है तथा इन्द्रियोंमें, मनमें और प्रकाशमें रहनेवाली कारणता भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। इसी तरह श्रुतज्ञानमें शब्दकी कारणता भी भिन्न प्रकारकी है। अर्थात् आत्माकी ज्ञानशक्तिकी जो कारणता है वह उपादानरूप है क्योंकि वह ज्ञानशक्ति ही पदार्थज्ञानरूप परिणत होती है। पदार्थोंमें, मनमें, इन्द्रियोंमें, प्रकाशमें और शब्दमें जो कारणता है वह निमित्तरूप है क्योंकि ये सब स्वयं पदार्थज्ञानरूप परिणमन न करते हुए आत्माकी ज्ञानशक्तिके पदार्थज्ञानरूप परिणमनमें सहायक होते हैं। इनमें भी आत्माकी ज्ञानशक्तिके पदार्थज्ञानरूप परिणमनमें पदार्थ अवलम्बनरूपसे निमित्त होता है अर्थात् पदार्थ जब आत्मप्रवेशोपर वर्णकी तरह प्रतिबिम्बित होता है तभी आत्माकी ज्ञानशक्तिका पदार्थ-ज्ञानरूप परिणमन होता है, अन्यथा नहीं। इन्द्रियों और मन कारणरूपसे निमित्त होते हैं। प्रकाश विद्यमानता रूपसे ही निमित्त होता है। श्रुतज्ञानमें शब्द श्रवणपूर्वक निमित्त होते हैं।

पूर्वमें हम इस बातका कथन कर आये हैं कि कार्यके प्रति कार्यसे अभिन्न वस्तुमें विद्यमान उपादान-कारणता स्वाधित धर्म होनेके कारण "स्वाधितो निश्चय" इस आगमवाक्यके अनुसार निश्चयरूप है और उसी कार्यके प्रति कार्यसे भिन्न वस्तुमें विद्यमान निमित्तकारणता "पराधितो व्यवहार." इस आगमवाक्यके अनुसार व्यवहाररूप है।

पूर्वमें हम यह भी कह आये हैं कि जिसमें निश्चयरूपता रहा करती है वह सर्वथा वास्तविक, भूतार्थ, सद्भूत या सत्पार्थ हुआ करता है और जिसमें व्यवहाररूपता रहा करती है वह कर्षण वास्तविक अर्थात्

१. विलोकसार, द्विरूपवर्णनारा प्रकरण, भाषा ६९, ७०, ७१, ७२।

होता है और कथंचित् अवास्तविक आदि भी होता है। इस प्रकार उपादान कारण चूँकि निश्चयरूप कारण है, इसलिये उसे सर्वथा वास्तविक होना ही चाहिये और यह सर्वथा वास्तविकता उपादानकारणमें इस तरह सिद्ध होती है कि कार्य जब तक रहता है तब तक कार्यमें उपादानकी अपेक्षा रहा करती है, इसलिये वह सर्वथा वास्तविक आदि है। लेकिन निमित्तकी अपेक्षा तभी तक रहनी है जब तक कार्य उत्पन्न नहीं हो जाता। कार्यके उत्पन्न हो जाने पर निमित्तकी अपेक्षा समाप्त हो जाती है। अतः जब तक कार्यमें उसकी अपेक्षा है तब तक निमित्तको उस अपेक्षाके रूपमें वास्तविक ही कहा जायगा और कार्यके उत्पन्न होने पर चूँकि उसकी अपेक्षा समाप्त हो जाती है, अतः तब उसे इस दृष्टिसे अवास्तविक ही कहा जायगा। दूसरी बात यह है कि निमित्त तो कार्योत्पत्तिमें सहायक ही होता है, अतः इस दृष्टिसे तो यह वास्तविक ही होगा और चूँकि वह कार्यरूप परिणत नहीं होता, अतः इस दृष्टिसे वह अवास्तविक ही होगा, यह हम पूर्वमें स्पष्ट कर चुके हैं।

इस तरह उपादानमें तो सर्वथा वास्तविकता और निमित्तमें कथंचित् वास्तविकता तथा कथंचित् अवास्तविकता रहनेके कारण उपादान तो कार्यमें निश्चयकारण होता है और निमित्त व्यवहारकारण होता है।

इसी प्रकार जो वस्तु स्वद्रव्य-शून्य-काल-भावसे सत् है वह परद्रव्य-शून्य-काल-भावसे असत् है अर्थात् प्रत्येक वस्तुमें स्वद्रव्य-शून्य-काल-भावसे सत्त्वरूप धर्म विद्यमान है तथा परद्रव्य-शून्य-काल-भावसे असत्त्वरूप धर्म विद्यमान है। जैसे आत्मा चित् है। यहाँपर जिस प्रकार आत्मासे चिद्रूप धर्मकी सत्ता सिद्ध होती है उसी प्रकार उसके अचिद्रूप धर्मकी असत्ता भी सिद्ध होती है। अतः कहना चाहिये कि आत्मासे चिद्रूपताका सद्भाव और अचिद्रूपताका अभाव इन दोनों धर्मोंमेंसे चिद्रूपताका सद्भाव आत्माका स्वरूपपरक धर्म होने, अतः एव स्वाश्रित धर्म होनेके कारण निश्चयधर्म के व अचिद्रूपताका अभाव स्वरूपपरक धर्म न होने, एतावता पराश्रित धर्म होनेके कारण व्यवहारधर्म है। ये दोनों ही भावात्मक और अभावात्मक धर्म आत्मासे अपनी-अपनी सत्ता जमाकर बैठे हैं। यही कारण है कि जैनागममें यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक वस्तुमें प्रत्येक प्रकारकी सत्ता अपनी प्रतिपक्षभूत असत्ताके साथ ही रहती है।^१ यदि ऐसा नहीं माना जायगा अर्थात् आत्मासे चिद्रूपताके सद्भावके साथ अचिद्रूपताका अभाव नहीं माना जायगा तो फिर चिद्रूप आत्माका अचिद्रूप पुद्गलादि द्रव्योंके साथ वास्तविक भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिये जिस प्रकार आत्मासे चिद्रूपताका सद्भाव वास्तविक है उसी प्रकार उसमें अचिद्रूपताका अभाव भी वास्तविक ही है। इतनी बात अवश्य है कि चिद्रूपताका सद्भाव अपनी स्वाश्रयताके कारण जहाँ सर्वथा वास्तविक है वहाँ अचिद्रूपताका अभाव पराश्रयताके कारण कथंचित् वास्तविक है और कथंचित् अवास्तविक भी है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आत्मासे चिद्रूपताका सद्भाव एक और अक्षण्ड धर्म है उस प्रकार अचिद्रूपताका अभाव एक और अक्षण्ड धर्म नहीं है, क्योंकि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सभी अचिद्रूप वस्तुओंकी अचिद्रूपता भिन्न-भिन्न है। इसलिये इनमेंसे प्रत्येककी अचिद्रूपताका अभाव भी आत्मासे भिन्न-भिन्न ही होगा। इस तरह आत्मासे नाना अचिद्रूपताओंके अभाव (स्वान्वयव्यतिरिक्त) भी नाना सिद्ध हैं और तब अचिद्रूपता भी अक्षण्ड व नानारूप सिद्ध हो जाती है। नानारूपता और अक्षण्डरूपताको व्यवहारधर्म व एकरूपता और अक्षण्डरूपताको निश्चयधर्म इन दोनों शब्दोंकी व्युत्पत्तिके आधार पर हम पूर्वमें प्रतिपादित कर ही चुके हैं।

भावरूपताको निश्चयशब्दका प्रतिपाद्य और अभावरूपताको व्यवहारशब्दका प्रतिपाद्य माननेमें एक कारण यह भी है कि प्रत्येक वस्तुका भावरूप धर्म अपने वैशिष्ट्यके कारण उन वस्तुको स्वतंत्रताका निर्णायक

होता है, अभावरूप धर्म नहीं। इसका कारण यह है कि अभावरूप धर्म तो नाना वस्तुओं में भी समानता लिये हुये पाये जाते हैं। जैसे जीवमे पुद्गलद्रव्यकी-अचिद्रूपताका जैसा अभाव है वैसा ही पुद्गलद्रव्यकी अचिद्रूपताका अभाव आकाशादि वस्तुओंमे भी है अन्यथा आकाशादि वस्तुओंमे पुद्गलद्रव्यसे भेद करना असंभव हो जायगा। अथवा यों कहें कि पुद्गलादि अचिद्रूप वस्तुओंकी अचिद्रूपताका जैसे अभाव एक जीवमे है वैसा ही अभाव अन्य जीवोंमें भी है तो इस तरह नाना जीवोंमें परस्पर पार्थक्य सिद्ध करना असंभव हो जायगा। इसलिये मानना पड़ता है कि प्रत्येक वस्तुका भावरूप धर्म ही उस वस्तुकी स्वतंत्रताका निर्णायक होता है अभावरूप धर्म नहीं। इस तरह भावरूप धर्मको निश्चयधर्म तथा अभावरूप धर्मको व्यवहारधर्म कहना उचित ही है। अनन्तानन्त जीवों, अनन्तानन्त पुद्गलों, असंख्यात कालद्रव्यों तथा एक धर्म, एक अधर्म और एक आकाश इन सबका अपना-अपना पृथक्-पृथक् भावरूप धर्म ही इन सब वस्तुओंके पृथक्-पृथक् अस्तित्वको सुरक्षित रखे हुए है। अन्यथा जीवोंकी अनन्तता, पुद्गलोंको अनन्तता और कालद्रव्योंकी असंख्यातता भंग हो जायगी। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण वस्तुओंमें एकत्वका प्रस्थापन होकर संपूर्ण जगत् अद्वैतताके सन्निवेश होल जायगा। एक बात और है। अभावको जैनदर्शनमें भावान्तर स्वभाव माना गया है, भावको अभावान्तर स्वभाव नहीं। इसका भी कारण यह है कि सत्तात्मक (भावात्मक) धर्मके आधार पर ही वस्तुकी स्वतंत्रताका भान हो सकता है, असत्तात्मक (अभावात्मक) धर्म वस्तुकी स्वतंत्रताका भान करनेमें कदापि सहायक नहीं हो सकता है। ये सब कारण हैं जिनके आधार पर हमें प्रत्येक वस्तुके भावात्मक धर्मको निश्चयधर्म और अभावात्मक धर्मको व्यवहारधर्म ही स्वीकार करना पड़ता है। यह सब निश्चय और व्यवहारकी व्यवस्था वस्तुके नित्यत्व-अनित्यत्व, तत्त्व-अतत्त्व, अभेद-भेद, एकत्व-अनेकत्व आदि वस्तुधर्मोंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। इस विषयको पचाव्यायी ग्रन्थमें अध्याय प्रथमके श्लोक १५ से श्लोक २२ तक विस्तारसे स्पष्ट किया है।

ऊपरके कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार वस्तुके निश्चयधर्मको निश्चयरूपसे अर्थात् सर्वथारूपसे वास्तविक माना जाता है उसी प्रकार वस्तुके व्यवहारधर्मको व्यवहाररूपसे अर्थात् कथञ्चित् रूपसे वास्तविक मानना ही उचित है। धर्मके सीगकी तरह सर्वथा अवास्तविक, कल्पित या मिथ्या मानना उचित नहीं है।

इन सब निश्चय-व्यवहारधर्मोंके अलावा भी यदि निश्चय-व्यवहारधर्मोंके विषयमें विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि जहाँ द्रव्यानुयोगकी दृष्टिमें उपयुक्त प्रकारसे विधिरूप धर्म निश्चय और निषेधरूप धर्म व्यवहारधर्म माना जाता है वहाँ करणानुयोगकी दृष्टिमें निषेधरूप धर्म निश्चयधर्म और विधिरूप धर्म व्यवहारधर्म कहा जाने योग्य है। जैसे मुक्ति संसारका अभावरूप धर्म है लेकिन पराश्रितताका अभावरूप धर्म होकर भी आत्माकी स्वतंत्रतारूप स्वाश्रयताका बोधक होनेसे निश्चयधर्म है तथा संसार आत्माकी परतंत्रता-रूप पराश्रितताका बोधक होनेके कारण भावरूप धर्म होकर भी व्यवहार है। इसी प्रकार उद्देश्यरूपता-विषयरूपता, कार्यरूपता-कारणरूपता, साध्यरूपता-साधनरूपता आदि परस्पर-विरोधी धर्मयुगलेमें भी निश्चय और व्यवहारकी व्यवस्था बैठ लेना चाहिये। लब्धि और उपयोग, स्वभाव और विभाव, द्रव्य और पर्याय, गुण और पर्याय, अव्यय और व्यतिरेक, अन्तरंग और बाह्य आदिके विकल्पोंमें भी पूर्व-पूर्वका धर्म निश्चयरूप और उत्तर-उत्तरका धर्म व्यवहाररूप ही होता है। किस धर्मको वस्तुका निश्चयधर्म माना जाय और किस धर्मको वस्तुका व्यवहारधर्म माना जाय, इसका निर्णय हमें सर्वत्र निश्चय और व्यवहार शब्दोंके व्युत्पत्त्यर्थके आधारपर प्रकरणानुसार ही कर लेना चाहिये। लेकिन सर्वत्र इस बातका ध्यान रखना ही चाहिये कि वे तो निश्चयधर्म हैं जो अपने-अपने ढंगसे सर्वथा वास्तविक हैं और वे व्यवहारधर्म हैं जो अपने-अपने ढंगसे कथञ्चित् वास्तविक और कथञ्चित् अवास्तविक हैं। इस तरह जो भी सर्वथा अवास्तविक धर्म हो उसे व्यवहार-

धर्म कहना अर्थवत्, मिथ्या या कल्पनारूप ही है। इसीलिये जो व्यक्ति सर्वथा अवास्तविक धर्मोंको ही व्यवहार धर्मके रूपमें समझ बैठे हैं वे महान् धमके शिकार हो रहे हैं। इसी तरह जिन लोगोंने व्यवहारधर्मको भी सर्वथा अवास्तविक धर्म मान रक्खा है वे भी महान् धमके शिकार हो रहे हैं।

लोकमें भी व्यवहारधर्मको कथचित् वास्तविक मानना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे—“यह घाटेर मेरा है”, “यह मकान मेरा है”, “यह द्रव्य मेरा है”, “मे मेरे स्वजन हैं”, “मे अमुक समाजका व्यक्ति हूँ” और “अमुक धान या देशका रहनेवाला हूँ” इत्यादि व्यवहार यदि सर्वथा अवास्तविक ही है तो लोकजी और अध्यात्मकी संपूर्ण व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी, क्योंकि फिर तो सर्वत्र अराजकता फैल जायगी व अधात्मिकताका ही बोलबाला हो जायगा। विवेकी पुरुषोंकी तो कल्पना करके रूढ़ कौपे लम सकती है।

यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक स्थानपर वस्तुका जो व्यवहारधर्म है वह दूसरे स्थान पर निश्चयधर्म हो सकता है। परन्तु ऐसे भी निश्चयधर्म होते हैं जो सर्वथा निश्चय होकर ही रहते हैं जैसे—पुष्पलागुओंके मिश्रणसे बनी हुई मिट्टीरूप स्क्वैपपर्याय व्यवहारधर्म है परन्तु वही मिट्टी षटोत्पत्तिमें निश्चय-रूपताको प्राप्त हो जाती है। यही कारण कि मिट्टीरूप स्क्वैपपर्यायिकी द्रव्यके रूपमें यदि कहा जाय तो वह अशुद्ध द्रव्य ही कहा जायगा। इस तरह केवल अणुरूप पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जिसे एकान्त (सर्वाथा) वास्तविक या शुद्ध द्रव्य कहा जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वत्र लागू कर लेना चाहिये।

इस तरह हम पुनः कह देना चाहते हैं कि परस्पापेक्ष सर्वाथा वास्तविकताका होना निश्चयकी कसौटी है, कथचित् वास्तविकता और कथचित् अवास्तविकताका होना व्यवहारकी कसौटी है तथा परस्परपेक्ष सर्वाथा वास्तविकताका होना मिथ्यारूपता की कसौटी है।

उपसंहार

अध्यात्मके प्रकरणमें जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गका विवेचन किया गया है और उससे जो निश्चयसम्यग्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान और निश्चयसम्यक्चारित्रको निश्चयमोक्षमार्ग तथा व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहारसम्यक्चारित्रको व्यवहारमोक्षमार्ग कहा गया है, इनके विषयमें इसतरह निश्चय-व्यवहारका विभाजन करना चाहिये कि किसमें, किस तरहसे स्वाश्रयता या अभेदरूपता पायी जाती है और किसमें, किस तरहसे पराश्रयता या भेदरूपता पायी जाती है। इसप्रकार यह निर्णीत होता है कि औपशमिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन तथा औपशमिक सम्यक्चारित्र और क्षायिक सम्यक्चारित्र ये सभी निश्चयधर्मकी कोटिमें आते हैं। यह बात दूसरी है कि औपशमिक सम्यग्दर्शन और औपशमिक सम्यक्चारित्र अवास्तव (अन्तर्मुहूर्तस्वायी) हैं, जबकि क्षायिकसम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यक्चारित्र शाश्वत (स्वायी) हैं। इन सबको निश्चयधर्म इसलिये कहा जाता है कि ये सभी उस-उस कर्मके उपधम या अयसे उत्पन्न होनेके कारण सर्वाथा आत्माश्रित धर्म सिद्ध होते हैं। क्षायोपशमिकसम्यग्दर्शन और क्षायोपशमिकसम्यक्चारित्र ये दोनों व्यवहारधर्मकी कोटिमें आते हैं। इनको व्यवहारधर्म कहनेका कारण यह है कि ये दोनों उस-उस कर्मके क्षयोपधमसे पैदा होते हैं अर्थात् इनकी उत्पत्तिमें उस-उस कर्मकी सर्वाथा प्रकृतियोंके वर्तमानमें उदय आनेवाले निषेधोंका उदयाभावी क्षय, आगामी कालमें उदय आनेवाले निषेधोंका सदबन्धारूप उपधम तथा देशघाती प्रकृतिका उदय, इसतरह कर्मका उदयांश, उपधमांश और क्षयांश तीनों ही कारण होते हैं। ऐसी स्थितिमें इनमें जहाँ कर्मके उपधम और क्षयकी अपेक्षा आत्माश्रितता पायी जाती है वहाँ कर्मके उदयकी अपेक्षा पराश्रितता भी पायी जाती है। इस तरह इनमें जहाँ

संसारकी कारणताका अभाव पाया जाता है वहीं संसारकी कारणताका सद्भाव भी पाया जाता है। अथवा यों कहिये कि अहाँ इनमें मोक्षकी कारणताका सद्भाव पाया जाता है वहीं मोक्षकी कारणताका अभाव भी पाया जाता है।^१

व्यवहार या क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनकी स्थिति जीवके चौथे गुणस्थानसे सप्तमगुणस्थान तक ही संभव है, औपशमिकरूप निश्चयसम्यग्दर्शनकी स्थिति चौथेसे सातवें तक तथा उपशमश्रेणीके सातवें, आठवें, नौवें और दशवें गुणस्थानोंमें एवं उपशातमोह नामक ११वें गुणस्थानमें संभव है तथा क्षायिकरूप निश्चयसम्यग्दर्शनकी स्थिति चौथेसे सातवें तक तथा उपशमश्रेणीके सातवें, आठवें, नौवें और दशवें गुणस्थानोंमें एवं ११वें उपशान्तनामक गुणस्थानमें भी संभव है। इसके अतिरिक्त क्षपकश्रेणीके सातवें, आठवें, नौवें और दशवें गुणस्थानोंमें तथा क्षीणमोहनामक १२वें गुणस्थानमें एवं उसके आगे सर्वत्र नियमसे क्षायिक सम्यग्दर्शन विद्यमान रहता है। चौथे गुणस्थानसे पूर्व प्रथम गुणस्थानमें मिथ्यात्वके रूपमें, द्वितीय गुणस्थानमें सासादन अर्थात् जनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे उत्पन्न औद्दयिकभावके रूपमें तथा तृतीय गुणस्थानमें सम्पन्ननिष्ठात्व (मिथ्यभाव) के रूपमें सम्यग्दर्शनका सर्वथा अभाव रहा करता है अर्थात् इन गुणस्थानोंमें निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकारके सम्यग्दर्शन नहीं रहा करते हैं।

व्यवहार या क्षायोपशमिक चारित्र्य या यों कहिये कि सरागचारित्र्य नियमसे पाँचवेंसे लेकर दशवें गुणस्थान तक रहा करता है, ११वें गुणस्थानमें नियमसे औपशमिकरूप निश्चयचारित्र्य, वीतरागचारित्र्य या यथास्थायतचारित्र्य रहा करता है और १२वें गुणस्थानसे लेकर आगे १४वें गुणस्थानके अन्ततक क्षायिकरूप निश्चयचारित्र्य, वीतरागचारित्र्य या यथास्थायतचारित्र्य रहा करता है। आगे मोक्षमें चूँकि आत्मत्वस्वरूपमें कारणरूपता समाप्त होकर कार्यरूपताका प्रादुर्भाव हो जाता है। अतः वहाँपर चारित्र्यकी स्थितिको आगममें अव्यक्त कर दिया गया है।^२ यहाँ पर इतनी विशेषता और समझ लेना चाहिये कि यद्यपि निश्चयसम्यक्चारित्र्य, क्षायिकत्व और यथास्थायतत्वकी दृष्टिसे १२वें गुणस्थानके प्रारम्भमें जीवको उपलब्ध हो जाता है। परन्तु यह सब उसका भावात्मक रूप है, द्रव्यात्मक दृष्टिसे अभी उसकी (निश्चयसम्यक्चारित्र्यकी) पूर्णता शेष रह जाती है, क्योंकि अभी भी उसके कर्मोंके साथ बद्धता बनी हुई है। साथ ही निश्चयसम्यग्ज्ञानका पूर्णता और पूर्ण आत्मावृत्ताके रूपमें अभी भी अभाव बना रहता है। इसके अलावा नोकर्मनिमित्तक योग भी आत्मामें हुआ करता है। तेरहवें गुणस्थानकी आदिमें यद्यपि समस्त ज्ञानावरण, समस्त दर्शनावरण और समस्त अन्तराय कर्मका सर्वथा क्षय हो जानेसे निश्चयसम्यग्ज्ञानकी पूर्णता हो जाती है फिर भी द्रव्यात्मक रूपसे निश्चयसम्यक्चारित्र्य अभी भी अपूर्ण बना रहता है। यद्यपि योगका निरोध हो जानेपर नोकर्मनिमित्तक योग समाप्त हो जाता है फिर भी अघातीकर्म अभी भी कार्यरत रहा करते हैं। इन अघाती कर्मोंका प्रभाव १४वें गुणस्थानके अन्त समयमें ही समाप्त होता है। अतः उसी समय आत्मा भी द्रव्यात्मकरूपमें पूर्ण स्वावलम्बी बनता है, यही निश्चयसम्यक्चारित्र्यकी पूर्णता है और इसके होनेपर आत्मा भी तत्काल पूर्ण स्वतन्त्रमय मुक्तिको प्राप्त हो जाता है।^३

१. आगममें सरागसम्यक्त्वको जो व्यवहारसम्यक्त्व और वीतरागसम्यक्त्वको निश्चयसम्यक्त्व कहा गया है उसके साथ प्रकृतका विरोध नहीं समझना चाहिये, क्योंकि यहाँपर सम्यग्दर्शनिके सम्यक्त्व सम्बन्धमें मात्र दर्शनमोहनीयकर्मके उदय-अनुदयकी अपेक्षासे विचार किया गया है।

२. तत्कार्यसूत्र, अध्याय १० के सूत्र ३ ब ४ की श्लोकवार्तिकटीका।

३. तत्कार्यसूत्र, अ० १ के सूत्र १ की श्लोकवार्तिकटीका में वार्तिकश्लोक ८७ से ९७ तक व इनका भाष्य।

ऊपर पाँचवें गुणस्थानसे दसवें गुणस्थान तक व्यवहारसम्यक्चारित्रका और ११वें से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक निश्चयसम्यक्चारित्रका सद्भाव बतला आये हैं। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्रथमसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान तक व्यवहारसम्यक्चारित्रका अभाव ही पाया जाता है।

इसी प्रकार यदि स्वाश्रयता और पूर्णताको ही निश्चयसम्यग्ज्ञानकी कसौटी माना जाय, जो कि तत्त्वतः सही है, तो ज्ञायिकरूप केवलज्ञान ही निश्चयसम्यग्ज्ञानकी कोटिमें आता है। अतः पराश्रयता और अपूर्णताके आधारपर मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये चारों ही ज्ञान साधोपसम्भिक होनेके कारण व्यवहार-सम्यग्ज्ञानकी कोटिमें नहीं आ जाते हैं। ऐसी स्थितिमें व्यवहारसम्यग्ज्ञानकी स्थिति चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थान तक सिद्ध होती है व तेरहवें गुणस्थान व उसके आगे ही निश्चयसम्यग्ज्ञानका सद्भाव सिद्ध होता है।^१ चतुर्थ गुणस्थानसे पूर्वका ज्ञान मिथ्याज्ञान ही सिद्ध होता है।

इस विवेचनका सार यह है कि प्रथमसे तृतीय गुणस्थान तक मोक्षमार्गसाक्षात् सर्वथा अभाव है, कारण कि वहाँ तक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका अभाव ही रहा करता है। अतः वहाँ पर संसारकी ही कारणता रहा करती है। व्यवहारसम्यग्ज्ञानरूप मोक्षमार्ग चतुर्थ गुणस्थानसे प्रारम्भ हो जाता है और १२वें गुणस्थान तक रहता है व तेरहवें गुणस्थानमें निश्चयसम्यग्ज्ञान हो जाता है और वह आगे भी रहता है। व्यवहारसम्यग्दर्शन भी चतुर्थ गुणस्थानमें उत्पन्न होकर सत्रहवें गुणस्थान तक रहता है। इसके आगे निश्चयसम्यग्दर्शन ही रहा करता है। परन्तु किसी जीवके निश्चयसम्यग्दर्शनकी प्राप्ति चतुर्थ गुणस्थानमें भी हो जाती है, किसीको पाँचवें में, किसीको छठमें और किसीको सातवें में भी होती है। इस तरह निश्चयसम्यग्दर्शनका सद्भाव चौथेसे सातवें तकके गुणस्थान तक भी सम्भव हो जाता है। व्यवहारसम्यक्चारित्रकी प्राप्ति पाँचवें गुणस्थानमें होती है। इसका सद्भाव १०वें गुणस्थान तक रहता है। ११वें गुणस्थानमें व आगे निश्चयसम्यक्चारित्र ही रहता है तथा इसकी पूर्णता चतुर्थवा गुणस्थानके अन्त समयमें होती है। पाँचवें गुणस्थानसे पूर्व व्यवहारसम्यक्चारित्र भी नहीं रहता है।

विषयका उपसंहार करते हुए हमने ऊपर यद्यपि निश्चय और व्यवहाररूप विभाजन मोक्षमार्गको दृष्टिमें रखकर अथवा यों कहिये कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको दृष्टिमें रखकर किया है। परन्तु केषमें शास्त्रीय दृष्टिसे चरानुयोग, करणानुयोग और ब्रह्मानुयोग इन सभी अनुयोगिके आधारसे भी विस्तारसे किया है। साथ ही लौकिक दृष्टिसे भी संक्षिप्त रूपमें किया है। इसलिये इसके सम्बन्धमें विस्तार न करके अब इस बातपर विचार करते हैं कि जब आत्ममें 'निश्चयनय' और 'व्यवहारनय' शब्दों का भी सर्वत्र बहुलतासे प्रयोग मिलता है तो इनका अर्थ और प्रयोजन क्या है ?

निश्चयनय और व्यवहारनयका अर्थ और प्रयोजन

नयोको जैनागममें प्रमाणका अंश स्वीकार किया है।^१ जैनागममें यह भी बतलाया गया है कि वस्तुतत्त्वको समझनेके लिये जो साधकतम (करणरूप) साधन हो उसे प्रमाण समझना चाहिये।^२ इसके साथ

१. तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय १, सूत्र १ को श्लोकवार्तिकटीकाके वार्तिक-श्लोक ९३, ९४, ९५।

२. नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मतः। स्यात्प्रमाणैकवेशस्तु सर्वथाप्यविरोधतः ॥

—तत्त्वा०, श्लो० १-६, वा० २९।

३. प्रकथेण सद्यथादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्व येन उत्प्रमाणम्।

—प्रमेयरत्नमाला १-१ की टीका।

ही वहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वस्तुतत्त्वको समझनेका साधकतम (करणरूप) साधन ज्ञान ही हो सकता है, अतः ज्ञानको ही प्रमाण जानना चाहिये।^१ इस तरह त्रैलोक्य वस्तुतत्त्वको समझनेका साधन-भूत ज्ञान ही पूर्वोक्त प्रकारसे प्रमाण होता है और प्रमाणका अंश ही नय होता है। अतः इसके अनुसार यह निर्णीत होता है कि जो वस्तुतत्त्वके अंशको समझनेका साधनभूत ज्ञान हो उसे नय कहना चाहिये।^२

प्रमाणरूप ज्ञान जैनायगमें पाँच बतलाये गये हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान।^३ इनमेंसे मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये चारों ही ज्ञान अलम्बकवस्तुका ज्ञान कराते हैं और इनमेंसे भी केवलज्ञान तो वस्तुका सर्वात्मना ज्ञान कराता है तथा मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान एकदेशात्मना वस्तुका ज्ञान कराते हैं। श्रुतज्ञानकी वस्तुका ज्ञान करानेकी प्रक्रिया इन चारों भागोंमें विभक्त प्रकारकी है। अर्थात् श्रुतज्ञान वस्तुका यद्यपि सर्वात्मना ज्ञान कराता है, परन्तु केवलज्ञानसे वस्तुका ज्ञान सर्वात्मना होता है वह युगपत् प्रत्यक्षरूपमें होता है और श्रुतज्ञानसे जो वस्तुका सर्वात्मना ज्ञान होता है वह क्रमशः एक-एक अंशके ग्रहणपूर्वक परोक्ष रूपमें होता है। इस तरह कहना चाहिये कि श्रुतज्ञान द्वारा वस्तुके एक-एक अंशका क्रमशः पृथक्-पृथक् ही ग्रहण होता है इसलिये श्रुतज्ञानमें नयोंकी व्यवस्थाको अनायास स्थान प्राप्त हो जाता है और यही कारण है कि आगममें श्रुतज्ञानमें ही नयोंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन किया गया है तथा मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानमें नयव्यवस्थाका निवेद्य किया गया है।^४

उपर्युक्त कथनका अन्विष्ट यह है कि वस्तुके एक-एक अंशका पृथक्-पृथक् रूपसे क्रमशः बोध होनेका नाम नय है। ऐसा बोध श्रुतज्ञानको छोड़कर मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानमें सम्भव नहीं है। श्रुतज्ञानमें कैसे संभव है? इसका समाधान यह है कि श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति वचनके आधारपर ही हुवा करती है और त्रैलोक्य वचन साध होता है अतः साध वचनके आधारपर उत्पन्न होनेवाला जो श्रुतज्ञानरूपी बोध है उममें भी साधताकी सिद्धि हो जाती है। इसप्रकार श्रुतज्ञानमें नय व्यवस्थाकी सिद्धि हो जाती है।^५

वचनमें साधताकी सिद्धि अनुभवसिद्ध है, कारण कि वाक्योंके समूहरूप महावाक्यमें समाविष्ट जितने वाक्य हों उनका उच्चारण या लेखन क्रमसे ही होता है। इसी तरह प्रत्येक वाक्यमें जितने पद हों उनका

१. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्।—परोक्षामुख, ११-१।

द्विताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्। वही, ११२।

२. स्वार्थकेदशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः १-९८।—तत्त्वार्थश्लोकावार्तिक, १-६ वा० ४।

३. मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानं ज्ञानम्। तत्प्रमाणे। आद्ये परोक्षम्, प्रत्यक्षमन्यत्।

—तत्त्वार्थसूत्र, १९, २०, ११, १२

४. मतेरवधितो वापि मनःपर्ययतोऽपि वा। ज्ञातस्वार्थस्य नांशेऽस्ति नयानां वर्तनं ननु॥

निःशेषवेशकालाभांगोचरत्वदुविनिश्चयात्। तस्येति भाषितं कैश्चिद्युक्तमेव तथेष्टतः॥

त्रिकालगोचराशेषपदार्थाशेषे वृत्तितः। केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते॥

परोक्षकारतावृत्तेः स्पष्टत्वात्केवलस्य तु। श्रुतमूला नया सिद्धा वक्ष्यामः प्रमाणवत्॥

—तत्त्वार्थश्लोकावार्तिक १-६, वा० २४, २५, २६, २७।

५. नीयते मन्मते येन श्रुतार्थाशो नयो हि सः।—तत्त्वा० श्लो० १-२३, वा० ६।

भी उच्चारण या लेखन क्रमसे होता है और प्रत्येक पदमें जितने अक्षर हों उनका भी उच्चारण या लेखन क्रमशः होता है। यही कारण है कि निरर्थक अक्षरोंके समूहका नाम शब्द कहलाता है, और शब्द यदि विभक्त्यन्त हो आवे तो वह पद कहलाने लगता है।^१ पद दो प्रकारके होते हैं एक संज्ञापद और दूसरा क्रियापद। इन दोनोंके योगसे वाक्य बनता है।^२ दो आदि वाक्योंके योगसे महावाक्य बनता है।^३ इसी प्रकार दो आदि महावाक्योंके योगसे भी महावाक्यकी निष्पत्ति होती है।

सबसे बड़ा महावाक्य ग्रन्थ होता है। ग्रन्थके अन्तर्गत अध्याय आदिके रूपमें भी महावाक्य होते हैं। एक-एक अध्याय भी कई-कई महावाक्योंका समुदाय होता है। एक-एक महावाक्यमें दो आदि अनेक वाक्य होते हैं और एक-एक वाक्यमें दो आदि अनेक पद होते हैं। इस प्रकार वचनरूप श्रुतका रूप पदसे लेकर शब्दे-शब्दे महावाक्य तक हो जाता है। जैनग्रन्थका सबसे बड़ा महावाक्य द्वादशांग रूप है। इसके १२ अन्तर्भेद हैं। १२वें अन्तर्भेद दृष्टिवादके मुख्य पाँच भेद हैं और फिर इनके भी अनेक उपभेद हैं। ये सब भेद वचनरूप श्रुतके हैं तथा इनके श्रवण या पाठसे जो वस्तुतत्त्वका बोध श्रोता या पाठकको हुआ करता है वह ज्ञानरूप श्रुत कहलाता है। ज्ञानरूप श्रुत अर्थात् वचनके आधारपर जो बोध श्रोता या पाठकको हुआ करता है उसे आगममें स्वार्थश्रुत भी कहा गया है और वहींपर उस वचनरूप श्रुत या वचनको परार्थश्रुत भी कहा गया है। मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये चारों ही ज्ञान चूँकि ज्ञानरूप ही हुआ करते हैं, अतः अपनी ज्ञानरूपताके कारण ये चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाणरूप ही हुआ करते हैं। इस तरह कहना चाहिये कि प्रमाण दो तरहका होता है—एक स्वार्थरूप और दूसरा परार्थरूप। जो प्रमाण ज्ञानरूप हो उसे स्वार्थ प्रमाण और जो प्रमाण-वचनरूप हो उसे परार्थ-प्रमाण जानना चाहिये। इस प्रकार मति, अवधि, मन पर्यय और केवल ये चारों प्रमाण तो अपनी ज्ञानरूपताके कारण स्वार्थप्रमाणरूप ही होते हैं और श्रुतप्रमाण अपनी ज्ञानरूपताके कारण तो स्वार्थप्रमाणरूप होता है तथा अपनी वचनरूपताके कारण वह परार्थप्रमाणरूप भी होता है।^४

जो वचन वक्ता या लेखकके अभिप्रायरूप वस्तुतत्त्वका पूर्णरूपसे प्रतिपादन करता है वह तो प्रमाणरूप होता है और जो वचन वक्ता या लेखकके अभिप्रायरूप वस्तुतत्त्वके एक देश (बंध)का प्रतिपादन करता

१. सुप्तिङन्तं पदम्—पाणिनीय अष्टाध्यायी १-४-१४।

२. पदानां परस्परसापेक्षाणा निरपेक्षः समुदायो वचनम्।—अष्टशती, अकलंकदेव, आप्तमी० का० १०३।

३. वाक्योष्णयो महावाक्यम्।—साहित्यदर्पण २-१। यहींपर 'वाक्योष्णयः' पदका विशेषण इसकी टीकामें "योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः" दिया गया है। इस तरह महावाक्यका लक्षण निम्न प्रकार हो जाता है—

"परस्परसापेक्षाणां वाक्यानां निरपेक्षः समुदायो महावाक्यम्"।

इस लक्षणके आधारपर ही गोम्मटसार जीवकाण्डमें श्रुतमार्गाणाप्रकरणमें गिनाये गये श्रुतके बीस भेदोंमेंसे आदिके अक्षर, पद और संघात (वाक्य)से आगे जितने भेद गिनाये गये हैं वे सब यहीं वाक्यके भेद समझना चाहिये।

४. महावाक्योंके योगसे जो महावाक्य बनता है उसका लक्षण निम्न प्रकार जानना चाहिये—परस्परसापेक्ष महावाक्योंके निरपेक्ष समुदायका नाम भी महावाक्य है।—(लेखक)।

५. प्रमाणं द्विविधं स्वार्थं परार्थः च। तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतवचनम्। श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च। ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्। तद्विकल्पा नद्याः—सर्वाथसिद्धि १-६।

है वह नयरूप होता है।^१ इस तरह पद, यदि वाक्यसे सम्बद्ध हो तो वह नयरूप होगा और पद तभी नयरूप होगा, जबकि वह वाक्यसे सम्बद्ध होगा। स्वतन्त्र पद प्रमाणरूप तो होगा ही नहीं, लेकिन अर्थात्के भी प्रतिपादनमें असमर्थ रहनेके कारण वह नयरूप भी नहीं होगा। वाक्य यदि अपनी स्वतन्त्र हालतमें वक्ता या लेखकके पूर्ण अभिप्रायका प्रतिपादन करता है तो वह प्रमाणरूप होगा और यदि किसी महावाक्यका अवयव होकर वक्ता या लेखकके अभिप्रायके एकदेशका प्रतिपादन करता है तो वह नयरूप होगा। यही व्यवस्था वाक्योंके समूहरूप महावाक्योंके और महावाक्योंके समूहरूप महावाक्योंमें भी जानना चाहिये। लेख-विस्तारके भयसे यहाँपर इन सब बातोंपर विशेष प्रकाश नहीं डाला जा रहा है।

जैनग्रन्थमें नयोंकी व्यवस्था विविध प्रकारसे की गयी है। उनमें एक प्रकार तो नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, मममिच्छ और एवंभूत नामके सात नयोंका है।^२ दूसरा प्रकार द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नामके दो नयोंका^३ है और तीसरा प्रकार निश्चय तथा व्यवहार नामके दो नयोंका है।^४ नयोंका इन प्रकारोंके अलावा एक प्रकार वन्न भी है, जिसमें वचनके सभी प्रकारोंका समावेश हो जाता है। इसे हम लोक-संग्राहक नयोंका प्रकार कहना उचित ममजने है। इन सम्बन्धमें गोम्पटसार कर्मकाण्डकी निम्नलिखित गाथा ध्यान देने योग्य है—

जावदिया वयणपहा तावादिचा चैव होंति णयवादा ।

जावदिया णयवादा तावदिया चैव होंति परसमया ॥८९४॥

अर्थात् जितने वचन बोलनेके भाग हैं उतने ही नयवादा है और जितने नयवादा हैं उतने ही परसमय है।

नयोंके इन सब प्रकारोंका विवेचन यहाँ हमें नहीं करना है। प्रकृत प्रसंग तो निश्चयनय और व्यवहारनयका है। अत इन्हीं दो नयोंपर ही हम यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं।

सर्वप्रथम यहाँपर इन बातोंको समझना है कि उपर्युक्त पदादि महावाक्य पर्यन्त वचन दो प्रकारका होता है—एक तो वस्तुतत्त्वको मत्थ (यथावस्थित) रूपमें प्रतिपादित करनेवाला वचन और दूसरा वस्तु-तत्त्वको अमत्थ (जैसा नहीं है वैसा) रूपमें प्रतिपादित करनेवाला वचन। इनमेंसे वस्तुतत्त्वको मत्थरूपमें प्रतिपादित करनेवाला वचन मकलादेशो प्रमाणरूप होता है और वस्तुतत्त्वके एकदेशको सत्थरूपमें प्रतिपादित करनेवाला वचन विकलादेशो नयरूप होता है। इसी प्रकार वस्तुतत्त्वको असत्थरूपमें प्रतिपादित करनेवाला वचन प्रमाणाभास और नयाभासके भेदसे दो प्रकारका होता है। जो वचन अवस्तुको वस्तुरूपमें प्रतिपादित करता हो वह भी प्रमाणाभासरूप होता है तथा जो वचन वस्तुके एक अंशको संपूर्ण वस्तुरूपमें प्रतिपादित करता हो, वह वचन भी प्रमाणाभासरूप होता है। इसी प्रकार जो वचन वस्तुके अंशको दूसरे अंशरूपमें प्रतिपादित करता हो वह वचन नयाभासरूप होता है।

१. सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ।—सर्वार्थसिद्धि १-६ ।

२. नैगमसंग्रहव्यवहारजुं सूत्रशब्दसममिच्छैवम्भूना नया ।—तत्त्वार्थसूत्र १-३३ ।

३. नयो द्विविधः । द्रव्याधिकः पर्यायाधिकश्च ।—सर्वार्थसिद्धि १-६ ।

(नयः) द्वेषा द्रव्याधिक पर्यायाधिकश्चेति । द्रव्यं सामान्यमुत्सर्गं ऋजुस्तिरित्यर्थं, तद्विषयो द्रव्याधिकः । पर्यायो विशेषोऽपवादादौ व्याप्तिरित्यर्थं, तद्विषय पर्यायाधिकः ।—सर्वार्थसिद्धि १-३३ ।

४. पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते । ज्ञानमूलनयो द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च । तत्र निश्चयोऽभेदविषयो व्यवहारो भेदविषयः ।—आलापपद्धति ।

जैनाग्रममें वस्तुको अनेकात्मात्मक माना गया है अर्थात् जैनाग्रममें बतलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु भावरूप और अभावरूप परस्पर-विरोधी अनन्तधर्मात्मक है और वे भावरूप तथा अभावरूप परस्पर-विरोधी अनन्तधर्म वस्तुमें अपने-अपने विरोधी धर्मके साथ ही रहना करते हैं। प्रत्येक भावरूप धर्म अपने विरोधी अभावरूप धर्मके साथ ही वस्तुमें रह रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुमें नित्यरूप धर्म रह रहा है, तो उसका विरोधी अनित्यरूप धर्म भी उसमें रह रहा है। इस विषयको आवश्यकताके अनुसार पूर्वमें स्पष्ट किया गया है। पूर्वमें हम यह भी बतला आये हैं कि प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान परस्पर-विरोधी उन दो धर्मोंमें एक धर्म तो निश्चयरूप होता है और एक धर्म व्यवहाररूप होता है। इस आधारपर वस्तुतत्त्वके प्रतिपादनमें यह बात निर्णीत होती है कि जो वचन वस्तुतत्त्वके निश्चय और व्यवहाररूप दोनों अंशोंका प्रतिपादन करता है वह वचन प्रमाणरूप है। जैसे—“वस्तु नित्यानित्य है”। यह वचन वस्तुके निश्चय और व्यवहार दोनों अंशोंका प्रतिपादन करता है इसलिये प्रमाणरूप है। जो वचन वस्तुके निश्चयांशका निश्चयरूपसे प्रतिपादन करता है वह वचन निश्चयनयरूप है। जैसे—“प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी परिणतिका उपादान कारण होता है”। यह वचन वस्तुमें विद्यमान उपादानकारणतारूप निश्चय धर्मका प्रतिपादन करता है, इसलिये निश्चयनयरूप है। जो वचन वस्तुके व्यवहारांशका व्यवहारांश रूपमें प्रतिपादन करता है वह वचन व्यवहारनयरूप है। जैसे—“चित् अचित्की परिणतियों और अचित् चित्की परिणतियों निमित्तकारण होता है”। यह वचन चित्में अचित्की परिणतिकी और अचित्में चित्की परिणतिकी विद्यमान निमित्तकारणतारूप व्यवहारधर्मका प्रतिपादन करता है, इसलिये व्यवहारनयरूप है। जो वचन अवस्तुको वस्तुरूपमें प्रतिपादन करता है वह वचन प्रमाणाभास है, जैसे—“गधेके सींग होते हैं”। यह वचन सर्वथा असद्रुत वस्तुका प्रतिपादन करता है इसलिये प्रमाणाभास है। जो वचन एक वस्तुको अन्य वस्तुरूप प्रतिपादन करता है वह वचन भी प्रमाणाभास है जैसे—“संपूर्ण दुष्यमान जगत् ब्रह्मकी ही पर्याय है”। यह वचन अचेतनको चेतनरूप प्रतिपादित कर रहा है इसलिये प्रमाणाभास है। इसी प्रकार जो वचन वस्तुके एक अंशको वस्तु रूपमें प्रतिपादन करता है वह भी प्रमाणाभास है। जैसे—वस्तुको सर्वथा भावात्मक या सर्वथा अभावात्मक मानना अथवा सर्वथा नित्यात्मक या सर्वथा अनित्यात्मक मानना इत्यादि वचन वस्तुके अंशको वस्तुरूपमें प्रतिपादन करते हैं, इसलिये वे वचन भी प्रमाणाभास हैं। जो वचन वस्तुके एक अंशको वस्तुके अन्य अंशके रूपमें प्रतिपादन करते हैं वे वचन नयाभास होते हैं ऐसा ऊपर कहा गया है। इस आधार पर जो वचन वस्तुके व्यवहारांशका निश्चयांश रूपमें प्रतिपादन करनेवाला हो वह निश्चयनयाभास है। जैसे—“चित् ही अचित्परिणत होता है”। अथवा “अचित् ही चित् रूप परिणत होता है” यह वचन निश्चय नयाभास है क्योंकि चित् अचित्की उत्पत्तियों और अचित् चित्की उत्पत्तियों निमित्तकारणरूप व्यवहारकारण ही होते हैं, उपादानकारणरूप निश्चयकारण नहीं होते हैं। इस तरह उक्त वाक्योंमें निमित्तकारणरूप व्यवहारकारणको उपादानकारणरूपमें निश्चयकारणरूप प्रतिपादित किया गया है, इसलिये वे दोनों वाक्य निश्चयनयाभास हैं। इसी प्रकार आत्मा और उसके स्वभावभूत चैतन्यका पृथक्-पृथक् अस्तित्व स्वीकार करके चैतन्यके योगसे आत्माको चित् रूप प्रतिपादन करना व्यवहारनयाभास है। आत्मा और चैतन्यमें सर्वथा अभेद मानना भी निश्चयनयाभास है।

यहाँ प्रमाण और प्रमाणाभास तथा नय और नयाभासके रूपमें जितना विवेचन किया गया है वह सब वचनरूप धृतके सम्बन्धमें किया गया है। ज्ञानरूप धृतके सम्बन्धमें कहा जा सकता है कि इनसे होने वाला बोध भी उस रूपमें प्रमाण और प्रमाणाभास तथा नय और नयाभासरूप ही होगा। इसलिये यहाँ पर उसका विवेचन अलगसे नहीं किया जा रहा है।

ऊपरके कथनसे यह बात स्पष्ट होती है कि वचनरूप प्रमाणभूत और नयभूतका पदार्थके साथ

प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्यक सम्बन्ध रहता है और ज्ञानरूप प्रमाणभूत और नयभूतका पदाधिक साध ज्ञाप्य-आपक भावरूप सम्बन्ध पाया जाता है। अर्थात् वचनरूप प्रमाणभूत और नयभूत क्रमशः वस्तु और वस्तुके अंशोंके प्रतिपाद्यक होते हैं तथा वस्तु और वस्तुके अंश क्रमशः उनके प्रतिपाद्य होते हैं। इसी प्रकार ज्ञानरूप प्रमाण-भूत और नयभूत क्रमशः वस्तु और वस्तुके अंशोंके ज्ञापक होते हैं तथा वस्तु और वस्तुके अंश क्रमशः उनके ज्ञाप्य होते हैं। इस प्रकार पूर्वमें जितना चरणानुयोग आदिकी दृष्टिसे निश्चय और व्यवहाररूप अर्थोंका व्याख्यान किया गया है उसमें जितना निश्चयरूप अर्थ है उसका उसी रूपमें प्रतिपादन करने वाला वचनरूप निश्चयनय होता है और उसका उसी रूपमें बोध करने वाला ज्ञानरूप निश्चयनय होता है। इसी प्रकार उसमें जितना व्यवहाररूप अर्थ है उसका उसी रूपमें प्रतिपादन करनेवाला वचनरूप व्यवहारनय होता है और उसका उसी रूपमें बोध करानेवाला ज्ञानरूप व्यवहारनय होता है। इस बातको लक्ष्यमें रखकर ही सर्वत्र हमें वस्तुतत्त्वाका निर्णय करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

इसका तात्पर्य यह है कि जब ऐसा जागममें बतलाया गया है कि मोक्षमार्ग दो प्रकारका है—एक निश्चयमोक्षमार्ग और दूसरा व्यवहारमोक्षमार्ग, तो दोनों ही मोक्षमार्गोंकी वास्तविकताको मानकर नय-प्रक्रियासे इस बातका निर्णय करना चाहिये कि निश्चयमोक्षमार्ग तो मोक्षका साक्षात् कारण होता है और व्यवहारमोक्षमार्ग परम्परया कारण होता है, जैसा कि पूर्वमें प्रतिपादित किया गया है। इस तरह मोक्षमार्गकी स्वतंत्र-स्वतंत्र दो भेदरूपनाके प्रसंगके भयसे जिनको व्यवहारमोक्षमार्गकी अकिंचित्कर माननेका सहारा लेना पड़ता है उन्हें उस सहारेकी फिर आवश्यकता नहीं लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार आत्माकी परिणतियोंके जब औद्ययिक, औपसयिक, क्षायिक या सायोपसयिक नामसे पुकारा जाता है, तो नयात्मक दृष्टिकोण रहनेसे इसका अर्थ यही होता है कि आत्माकी उन्नत, औद्ययिकादि परिणतियोंमें कर्मकी उद्ययादि परिणतियाँ निमित्तकारण हुआ करती है। यदि कर्मकी उद्ययादि परिणतियाँ आत्माकी औद्ययिकादि परिणतियोंकी उत्पत्तिमें निमित्त-कारण नहीं होने पर उन्हें आत्माकी औद्ययिकादि परिणतियोंमें निमित्तकारण कहा जाता है तो फिर वह कथन तो असत्य ही हो सकता है। इसको व्यवहारनयका कथन किसी भी हालतमें नहीं कहा जा सकता है। इसे व्यवहार नय तभी कहा जा सकता है जबकि कर्मकी उद्ययादि परिणतियोंमें आत्माकी औद्ययिकादि परिणतियोंकी निमित्तकारणताका सद्भाव माना जायगा और उपादानकारण हो कार्यरूप परिणत होता है निमित्त कारण नहीं, क्योंकि उपादानकारणका कार्य ही कार्यरूप परिणत होना है, निमित्त-कारणका कार्य तो उपादानको कार्यरूप परिणत होनेमें केवल सहायता देनेका ही रहता है। इसलिये किसीको ऐसा भय करनेकी आवश्यकता नहीं कि 'यदि कार्यमें निमित्तकारणकी निमित्तकारणताको वास्तविक मान लिया जाता है तो निमित्तकारण ही कार्य बन जायेगा।' इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिये।

आचार्य कुण्डकुन्दने 'समयसार' ग्रन्थमें आत्माको स्वतन्त्र और अनादि-निबन्ध वस्तु सिद्ध करनेके लिये सर्वप्रथम उसके स्वतः-सिद्ध ज्ञायकस्वभावका प्रतिपादन किया है। लेकिन जब आत्मा अनादिकालसे अपने उन्नत स्वभावमें स्थिर न रहकर विकारी बन रहा है तो इसके लिये उन्होंने आत्माकी पुद्गलरूपके साथ बद्धताको भी स्वीकार किया है। अर्थात् जिस प्रकार आत्माके स्वभाव ज्ञायकस्वभावको आचार्य कुण्डकुन्द स्वतः-सिद्ध मानते हैं उस प्रकार वे आत्माके विकारको स्वतः-सिद्ध नहीं मानते हैं। इस बातको बतलानेके लिये सर्वप्रथम उन्होंने शुद्धनय और व्यवहारनयका आशय लिया है। इससे आचार्य कुण्डकुन्द यह दिखलाना चाहते हैं कि यदि आत्माको स्वतन्त्र और अनादि-निबन्ध वस्तुके रूपमें जानना है तो आत्माके स्वतः-सिद्धस्वरूपको बतलानेवाले शुद्धनयका अवलम्बन लेना होगा, कारण कि वस्तुके स्वतः-सिद्धस्वरूपका प्रतिपाद्यक शुद्धनय है अथवा यों कहिये कि वस्तुके स्वतः-सिद्धस्वरूपका प्रतिपादन करना ही शुद्धनय है। इसी तरह यदि आत्माकी

अनाधिकारसे बली आ रही विकारी संसाररूप अवस्थाको समझना है तो इसका ज्ञान बुद्धनयसे तो होगा नहीं, कारण कि वह तो वस्तुके स्वतःसिद्धस्वरूपका ही जापक होता है, जबकि आत्माकी विकारी संसाररूप अवस्था उसकी स्वतःसिद्ध अवस्था न होकर कर्मोदयजन्य अवस्था है। इसलिये इसको समझानेके लिये व्यवहारनयका अन्वेषण करना होगा, कारण कि वस्तुके पराश्रितस्वरूपका प्रतिपादक व्यवहारनय है। अथवा यों कहिये कि वस्तुके पराश्रित धर्मका प्रतिपादन करना ही व्यवहारनय है। इसके भी अतिरिक्त यदि आत्माकी संसाररूप विकारी अवस्थाको समाप्त करके उत्पन्न होनेवाली मोक्षरूप अवस्थाको समझना है तो इसका भी ज्ञान बुद्धनयसे नहीं होगा; कारण कि यह अवस्थायी आत्माकी स्वतःसिद्ध अवस्था न होकर कर्मके उपशम, क्षय और क्षयोपशमजन्य अवस्था है। इसलिये इसको समझानेके लिये भी वस्तुके पराश्रित धर्मके प्रतिपादक व्यवहारनयका अवलम्बन करना होगा।

अब प्रश्न उठता है कि आत्माकी मसार और मोक्ष दोनों ही प्रकारकी अवस्थायें जब क्रमशः कर्मके उदयसे जन्य और कर्मके उपशम, क्षय तथा क्षयोपशमसे जन्य है। यानी आत्माकी संसाररूप अवस्थामें कर्मका उदय कारण है और मोक्षरूप अवस्थामें कर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम यथायोग्य साक्षात् और परंपरया कारण है तो क्या कर्मके ये उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम आत्मासे तद्रूप परिणमनकी योग्यताके अभावमें आत्माको संसारी या मुक्त बना सकने हैं? इस विषयमें आचार्य कुन्दकुन्दका कहना है कि वस्तुमें स्वगत योग्यताके अभावमें अन्य कोई भी कारण उसको किसी रूप परिणमन करानेमें असमर्थ ही रहा करता है। यही कारण है कि जैनागममें आत्माकी संसाररूप अवस्थाका कारण आत्माकी स्वतःसिद्ध वैभाविकी शक्तिको तथा आत्माकी मोक्षरूप अवस्थाका कारण आत्माकी स्वतःसिद्ध भव्यत्वशक्तिको भी स्वीकार किया गया है। इस तरह यह बात निर्णीत होती है कि यथायोग्य कर्मका उदय होनेपर आत्मा अपनी वैभाविकी शक्तिके आधारपर संसारी बना हुआ है और कर्मका उपशम अथवा क्षयोपशम होते हुए अन्तमें सर्वथा क्षय हो जानेपर आत्मा अपनी भव्यत्वशक्तिके आधार पर मोक्षरूप अवस्थाको भी प्राप्त कर लेगा।

इससे यह निष्कर्ष निकल आता है कि आत्माके संसारमें उसकी वैभाविकी शक्ति और कर्मका उदय ये दोनों कारण हैं तथा आत्माके मोक्षमें उसकी भव्यत्वशक्ति और कर्मका यथायोग्य उपशम, क्षयोपशम और क्षय कारण हैं। अब यदि संसारके दोनों कारणोंके विषयमें यह विचार किया जाय कि संसारके दोनों कारणोंमेंसे कौन किस रूपमें कारण होता है और मोक्षके दोनों कारणोंमेंसे कौन किस रूपमें कारण होता है? तो आत्माके संसारमें कारणभूत उसकी वैभाविकी शक्ति उसके संसारमें तथा आत्माके मोक्षमें कारणभूत उसकी भव्यत्वशक्ति उसके मोक्षमें उपादानकारण है, कारण कि ये शक्तियाँ ही व्यक्त होकर क्रमशः संसार और मोक्षरूपताको प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आत्माके संसारमें कारणभूत कर्मका उदय व आत्माके मोक्षमें कारणभूत कर्मका उपशम, क्षय और क्षयोपशम निमित्त कारण है। कारण कि कर्मका उदय आत्माके संसाररूपमें और कर्मका उपशम, क्षय व क्षयोपशम आत्माके मोक्षरूप से कदापि परिणत नहीं होते, केवल आत्माके उस परिणमनमें सहयोग मात्र दिया करते हैं क्योंकि कर्मके उदयका सहयोग न मिलनेपर आत्माकी वैभाविकी शक्ति संसाररूप परिणत नहीं हो सकती है और कर्मके उपशम, क्षय और क्षयोपशमका सहयोग न मिलनेपर आत्माकी भव्यत्वशक्ति भी मोक्षरूप परिणत नहीं हो सकती है।

इस तरह उपर्युक्त निमित्त और उपादान दोनों कारणोंमेंसे उपादानकारणको तो स्वाश्रयताके आधार पर निश्चयकारण कहना योग्य है और निमित्तकारणको पराश्रयताके आधारपर व्यवहारकारण कहना योग्य है। यह सब विषय पूर्वमें विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है। अब यदि इन दोनों ही कारणताओंके

प्रतिपादन करने या बोध करनेकी दृष्टिसे विचार किया जाय, तो कहा जा सकता है कि उपादानकारणता का निश्चयकारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावके आधारपर निश्चयनयरूप वचनका तथा ज्ञाप्य-ज्ञापक भावके आधारपर निश्चयनयरूप ज्ञानका विषय होती है और निमित्तकारणताका व्यवहारकारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभावके आधारपर व्यवहारनयरूप वचनका तथा ज्ञाप्य-ज्ञापकभावके आधारपर व्यवहारनयरूप ज्ञानका विषय होती है। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारमें शुद्धनय और व्यवहारनयके विकल्पोके समान निश्चयनय और व्यवहारनयके विकल्पोका भी समावेश किया है।

आगममें निश्चयनयके भी शुद्धनिश्चयनय और अशुद्धनिश्चयनय इस तरह दो भेद कर दिये गये हैं। इनमेंसे आत्माका विकाररहित शुद्ध स्वरूप स्वाश्रितपनेकी दृष्टिसे शुद्धनिश्चयनयका विषय होता है और आत्माका विकारी अशुद्ध स्वरूप भी स्वाश्रितपनेकी दृष्टिसे अशुद्धनिश्चयनयका विषय होता है। आत्माके इसी स्वरूपको यदि पराश्रितपनेकी दृष्टिसे देखा जाय, तो फिर यह व्यवहारनयका विषय हो जाता है। व्यवहारनयके भी आगममें दो भेद किये गये हैं—एक सद्भूत व्यवहारनय और दूसरा असद्भूतव्यवहारनय। सद्भूतव्यवहारनय भी दो प्रकार का है—एक अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय और दूसरा उपचरितसद्भूतव्यवहारनय। इसी प्रकार असद्भूतव्यवहारनय भी दो प्रकारका है—एक अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय और दूसरा उपचरित असद्भूतव्यवहारनय। इस विषयको आलापपद्धतिमें निम्न प्रकार निबद्ध किया गया है—

‘तावन्मूलनयो द्वौ निश्चयो व्यवहारश्च । तत्र निश्चयोऽभेदविषयो व्यवहारो भेदविषयः । तत्र निश्चयो द्विविधः—शुद्धनिश्चयोऽशुद्धनिश्चयश्च । तत्र निरुपाधिकगुणगुण्यभेदविषयक शुद्धनिश्चयो, यथा केवलज्ञानादयो जीवः । मोपाधिक (गुणगुण्यभेद) विषयोऽशुद्धनिश्चयः । यथा मतिज्ञानादयो जीवः । व्यवहारो द्विविधः सद्भूतव्यवहारोऽसद्भूतव्यवहारश्च । तत्रैकवस्तुविषयः सद्भूतव्यवहारः, अनेकवस्तुविषयोऽसद्भूतव्यवहारः । तत्र सद्भूतव्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदान् । तत्र सोपाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयः उपचरित सद्भूतव्यवहारो, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा । निरुपाधिकगुणगुणिनोर्भेदविषयानुपचरितसद्भूतव्यवहारो, यथा जीवस्य केवलज्ञानादयो गुणा । असद्भूतव्यवहारो द्विविधः उपचरितानुपचरितभेदान् । तत्र संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितानुपचरितभेदान् । तत्र संश्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषयोऽनुपचरितानुपचरितभेदान्, यथा जीवस्य शरीरम् ।’ इसका अर्थ ऊपर स्पष्ट है।

इस तरह नयोके स्वरूपको यथावत् प्रकार समझनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, कारण कि संपूर्ण वस्तु-तत्त्वको समझनेका साधन अल्पज्ञ प्राणियोंके लिये नय-व्यवस्था ही है।

इस नय-व्यवस्थाको लौकिक दृष्टान्त द्वारा इस तरह समझा जा सकता है कि ‘कुम्भकारने दण्ड और चक्रके सहयोगमें मिट्टीसे घडा बनाया’ ऐसा वाक्य यदि बोला जाता है तो इसका अभिप्राय निम्न प्रकार होता है—

‘यह संपूर्ण वाक्य वस्तुके संपूर्ण अर्थका यदि निराकांक्षरूपसे बोधक है, तो इसे अपने वर्तमान रूपमें प्रमाणवचन और इससे होने वाले बोधको प्रमाणज्ञान ही कहा जायगा। इस वाक्यके संपूर्ण अर्थमें इतने अर्थ गभित हैं—

अभेददृष्टिसे मिट्टी और घटमें जो अभेदका बोध होता है यह निश्चयनय है, कार्यकारण-भावकी दृष्टिसे जो भेदका बोध होता है यह सद्भूतव्यवहारनय है, मिट्टीकी घटरूप परिणतिरूप उपादान-

कारणताका बोध होता है यह भी निश्चयनय है। यहीपर कुम्भकारमें जो निमित्तकारणताका बोध होता है वह अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय है, कारण कि कुम्भकार मिट्टीकी घटरूप परिणतिमें साक्षात् निमित्तकारण है, यहीपर चक्रमें जो निमित्तकारणताका बोध होता है वह उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है, क्योंकि मिट्टीकी घटरूप परिणतिमें परंपरया अर्थात् कुम्भकारका सहयोगी होकर ही चक्र निमित्तकारण होता है, और यहीपर दण्डमें जो निमित्तकारणताका बोध होता है, वह उपचरितोपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है क्योंकि मिट्टीकी घटरूप परिणतिमें दण्डनिष्ठ निमित्तकारणता दो परंपराओंसे अनुरक्त है अर्थात् दण्ड चक्रका सहयोगी होता है, चक्र कुम्भकारका सहयोगी होता है और तब कुम्भकार मिट्टीका सहयोगी होता है। इस विषयको इस रूपमें भी समझा जा सकता है कि मिट्टीकी घटरूप परिणतिमें मिट्टी उपादानकारण अर्थात् वास्तविक कारण है। यह निश्चयनयका विषय है और यही पर कुम्भकार निमित्तकारण होनेसे व्यवहार कारण अर्थात् उपचरितकारण है, यह उपचरित असद्भूत व्यवहारनयका विषय है। यहीपर चक्रमें जो निमित्त कारणता है वह उपचरितोपचरितअसद्भूतव्यवहारनयका विषय है तथा यहीं दण्डकी निमित्त कारणता है वह उपचरितोपचरितोपचरित असद्भूतव्यवहारनयका विषय है।

इस तरह यह बात अच्छी तरह समझमें आ जानी चाहिये कि चाहे निश्चयनय हो, अथवा चाहे व्यवहारनय हो, इसमें भी चाहे सद्भूतव्यवहारनय हो अथवा चाहे असद्भूतव्यवहारनय हो और इसमें भी चाहे अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो या उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो अथवा चाहे उपचरितोपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो—ये सभी नय अपने-अपने ढंगसे सद्भूतताप्राप्त बस्तुबंधोको ही विषय करते हैं। इसलिये ऐसा नहीं समझना चाहिये कि निश्चयनयका विषय ही सद्भूत होता है तथा व्यवहारनयका विषय सर्वथा असद्भूत ही होता है। इतना अवश्य है कि निश्चयनय सर्वथा सद्भूत विषयको ग्रहण करता है लेकिन चाहे सद्भूतव्यवहारनय हो अथवा चाहे असद्भूतव्यवहारनय हो दोनों ही कथंचित् सद्भूत विषयको ही ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यवहारनय न तो सर्वथा असद्भूत विषयको ग्रहण करता है और न सर्वथा सद्भूत विषयको ही ग्रहण करता है क्योंकि सर्वथा असद्भूत वस्तु गणके सीगकी तरह सर्वथा अभावात्मक हो जानेसे वह, नय अथवा प्रमाण किसीका भी विषय नहीं होती है। सर्वथा सद्भूत वस्तु तो निश्चयनयका ही विषय होती है, व्यवहारनयका नहीं। अन्तमें इतना ध्यान और रक्षना चाहिये कि व्यवहारनयका विषय भी अमेद और स्वाभयताकी दृष्टिसे निश्चयनयका विषय हो जाता है और निश्चयनयका विषय भी भेद और पराभयताकी दृष्टिसे व्यवहारनयका विषय हो जाता है। जैसा कि पंचाध्यायीमें कहा है—

“इदमत्र समाधानं व्यवहारस्य च न यस्य यद्वाच्यम्” ।

सर्वविकल्पाभावे तदेव निश्चयनयस्य स्याद् वाच्यम् ॥ ६४३ ॥

अर्थात् जो व्यवहारनयका विषय है वहीं संपूर्ण विकल्पोंका अभाव होने पर निश्चयनयका विषय हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि संपूर्ण नय पृथक्-पृथक् एक-एक दृष्टि है और वस्तु अनन्तभौतिक एवं अवैकान्तात्मक है, अतः सभी अविच्छेद है।

व्यवहारनयकी अभूतार्थताका अभिप्राय

आचार्य कुन्धकुन्धके समयसारमें निम्नलिखित गाथा पायी जाती है—

“बवहारोऽभूयत्यो भूयत्यो वेसिदो दु सुद्वनयो ।

भूयत्यमस्सिदो खलु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥११॥”

अर्थ—(जिन शासनमें) व्यवहारनयको अभूतार्थ और सुद्वनय अर्थात् निश्चयनयको भूतार्थ कहा गया है । जिस जीवने भूतार्थनयरूप सुद्वनय अर्थात् निश्चयनयका अवलम्बन लेकर वस्तुतत्त्वके स्वरूपकी पहिचान कर ली है वह जीव सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि जीवोंको वस्तुतत्त्वके स्वरूपकी पहिचान भूतार्थनयरूप सुद्वनय अर्थात् निश्चयनय द्वारा ही हो सकती है । अतः इसके लिए प्रत्येक जीवको इस नयका ही अवलम्बन लेना चाहिए ।

इस कथनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जिन-शासनमें निश्चयनय और व्यवहारनय ऐसे दो मेघ नयोंके बतलाये गये हैं । नय प्रमाणका अंशरूप होता है और प्रमाण वचनात्मक और ज्ञानात्मक दो प्रकारका होता है । अतः निश्चय और व्यवहाररूप दोनों प्रकारके नय भी वचनात्मक और ज्ञानात्मकके भेदसे दो-दो प्रकारके सिद्ध होते हैं । वचनका अपने विषयभूत पदार्थके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्यकसम्बन्ध रहता है । अर्थात् वचन अपने विषयभूत पदार्थका प्रतिपाद्यक होता है और वह पदार्थ उस वचनका प्रतिपाद्य होता है । इसी तरह ज्ञानका अपने विषयभूत पदार्थके साथ ज्ञाप्य-ज्ञापकसम्बन्ध रहता है । अर्थात् ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थका ज्ञापक होता है और वह पदार्थ उस ज्ञानका ज्ञाप्य होता है । चूँकि उपयुक्त गाथामें व्यवहारनयको अभूतार्थनय कहा गया है, अतः इसका प्रतिपाद्य अवयवा ज्ञाप्य पदार्थ भी अभूतार्थ होना चाहिए और चूँकि उपयुक्त गाथामें ही निश्चयनयको भूतार्थनय कहा गया है अतः इसका प्रतिपाद्य अवयवा ज्ञाप्य पदार्थ भी भूतार्थ होना चाहिए । यही कारण है कि उपयुक्त गाथाकी टीकाने आचार्य श्रीअमृतचन्द्रने लिखा है कि—

“व्यवहारनयो हि सर्व एव अभूतार्थत्वाद्भूतमर्थं प्रद्योतयति । सुद्वनय एक एव भूतार्थत्वाद्भूतमर्थं प्रद्योतयति ।”

अर्थ—सम्पूर्ण व्यवहारनय अभूतार्थ होनेके कारण अभूत पदार्थका प्रद्योत करता है तथा सुद्वनय अर्थात् निश्चयनय एक ही ऐसा नय है कि वह भूतार्थ होनेसे भूत पदार्थका प्रद्योत करता है ।

इस कथनका निचोड़ यह है कि वचनरूप व्यवहारनय अभूतार्थ होनेसे अपने विषयभूत अभूत अर्थका ही प्रतिपादन करता है और ज्ञानरूप व्यवहारनय भी अभूतार्थ होनेसे अपने विषयभूत अभूत अर्थका ही ज्ञापन करता है । इसी प्रकार वचनरूप निश्चयनय भूतार्थ होनेसे अपने विषयभूत भूत अर्थका ही प्रतिपादन करता है और ज्ञानरूप निश्चयनय भी भूतार्थ होनेसे अपने विषयभूत भूत अर्थका ही ज्ञापन करता है । चूँकि उपयुक्त गाथाके अनुसार जीवको सम्यग्दृष्टि बननेके लिए वस्तुतत्त्वके स्वरूपकी पहिचान होना आवश्यक है तथा वस्तुतत्त्वके स्वरूपकी पहिचान उसकी भूतार्थताकी पहिचानके उमर निर्भर है और इस भूतार्थताकी पहिचान भी उपयुक्त गाथाकी टीकाने उपरिनिर्दिष्ट उद्धरणके अनुसार भूतार्थ कहे जानेवाले निश्चयनयके द्वारा ही हो सकती है । अतः आचार्य श्रीकुन्धकुन्धने जीवको सम्यग्दृष्टि बननेके लिए भूतार्थ कहे जानेवाले निश्चयनयका अवलम्बन ग्रहण करनेका उपदेश दिया है ।

अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पदार्थकी भूतार्थता क्या वस्तु है, जिसके आधारपर

चित्त्वभाव (ज्ञायकभाव) में जब तक भेदकी विवक्षा होती है तब तक दर्शन, ज्ञान और चारित्रका सद्भाव सिद्ध होता है और यदि भेदकी विवक्षा न रहे तो दर्शन, ज्ञान तथा चारित्रकी स्थिति भी नहीं रहती है। जीवमें भेदकी यह विवक्षा तभी तक रहती है जब तक कि दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूपसे चित्त्वभाव (ज्ञायकभाव) के विभाजनकी उपयोगिता सामने रहा करती है और यदि चित्त्वभावके दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूपसे विभाजनकी उपयोगिता न हो तो फिर जीवके चित्त्वभावमात्रकी ही स्थिति रह जाती है। इसप्रकार दर्शन, ज्ञान और चारित्र जीवोंके कर्षचित् सद्भूत और कर्षचित् असद्भूत धर्म हैं। इसी प्रकार जब तक उस-उस पीढ़-गलिककर्मका उदय विद्यमान रहता है तब तक जीवमें राग, द्वेष और मोहका सद्भाव रहा करता है और यदि उस-उस कर्मके उदयका अभाव हो जाता है तो जीवमें राग, द्वेष तथा मोहका भी अभाव हो जाता है। यही बात जीवके आयोपशमिकादि भावोंके विषयमें भी समझ लेनी चाहिए। इसी प्रकार जबतक जलकी अग्नि-का सहयोग प्राप्त रहता है तबतक उसमें उष्णताका भी सद्भाव रहा करता है और यदि जलकी अग्निका सहयोग मिलना बन्द हो जाना है तो जलकी उष्णता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अन्य वस्तु सापेक्ष-आपेक्षिक धर्म भी कर्षचित् सद्भूत और कर्षचित् असद्भूत माने गये हैं।

दर्पणमें पदार्थका प्रतिबिम्ब पढ़ना भी प्रतिबिम्बित होनेवाले पदार्थके अवलम्बन अन्य दर्पणका आपेक्षिक धर्म है और मिट्टीकी कुम्भकारनिमित्तक घटपर्याय भी मिट्टीका आपेक्षिक धर्म (अवस्था) है। परन्तु इनमें अन्तर यह है कि प्रतिबिम्बित पदार्थका अवलम्बन समाप्त होते ही दर्पण अपनी स्वच्छ अवस्थाको प्राप्त-कर लेता है। लेकिन कुम्भकारकी निमित्तता समाप्त होनेपर भी द्रव्यपर्याय होनेके कारण मिट्टीकी घटपर्याय बनी रहती है। ज्ञानकी पदार्थके अवलम्बनपूर्वक होनेवाली उपयोगाकार परिणति भी ज्ञानका आपेक्षिक धर्म है। ये सब धर्म भी कर्षचित् सद्भूत और कर्षचित् असद्भूत ही हुआ करते हैं और इनका ज्ञान तथा कथन भी ज्ञान तथा बचनरूप व्यवहारनयसे ही होता है।

इस तरह यों भी कहा जा सकता है कि इन या इसी तरहके अन्य आपेक्षिक धर्मोंकी कर्षचित् सद्भूतता और कर्षचित् असद्भूतता ही वस्तुकी अभूतार्थता तथा स्वतःसिद्ध धर्मोंकी सर्वथा सद्भूतता ही वस्तुकी भूतार्थता जानना चाहिये। भूतार्थताके कथनके लिए आगममें यथार्थ, निश्चय, वास्तविक तथा मुख्य आदि शब्दोंका भी प्रयोग मिलता है और अभूतार्थताके कथनके लिए अयथार्थ, व्यवहार, आरोपित तथा गौण आदि शब्दोंका भी प्रयोग मिलता है। परन्तु फिर भी इन सब शब्दोंका प्रयोग होते हुए भी जिस तरह भूतार्थ धर्मोंकी सर्वथा सद्भूतता सुरक्षित रहती है उसी तरह अभूतार्थ धर्मोंकी कर्षचित् सद्भूतता और कर्षचित् असद्भूतता भी सुरक्षित रहती है। इसलिये जिस प्रकार भूतार्थको ग्रहण करनेवाला निश्चयनय अपनी सत्यताको सुरक्षित रखता है। उसी प्रकार अभूतार्थको ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय भी अपनी सत्यताको सुरक्षित रखता है। यदि ऐसा न हो तो फिर आकाशके पुष्प तथा गधेके सींगकी तरह व्यवहारनयका विषय सर्वथा असद्भूत ही हो जायगा, जिससे व्यवहारनयकी प्रामाणिकता सर्वथा लुप्त हो जायगी। इस तरह तब उसे व्यवहारनय कहना ही असंगत होगा, क्योंकि आगममें प्रमायका अंश होनेके कारण निश्चयनयकी तरह व्यवहारनयकी भी प्रामाणिकरूपमें स्वीकार किया गया है और व्यवहारनयकी प्रामाणिकरूपमें स्थिति तभी स्वीकार की जा सकती है जबकि उसका विषयभूत पदार्थ आकाशके पुष्प तथा गधेके सींगकी तरह सर्वथा अभावात्मक न हो। यही कारण है कि आचार्य अमुतचन्द्रने समयसार, गाथा १४ की आत्मव्यति-टीकामें, पानीमें, डूबे हुए कमलपत्रका जो पानीके साथ संस्पर्श हो रहा है उस संस्पर्शको तथा पानीकी अग्निके सहयोगसे जो उष्णतासम पर्याय बनती है उस उष्णतासम पर्यायको व्यवहारनयका विषय होनेके कारण सद्भूत अर्थात् सद्भाव

अथ कथं भवति ? यद्वा मानी इदं वात है कि पराभित और अस्वायी होनेके कारण पानीके साथ ही रह्ये संस्पर्श कमलपत्रका और अग्निके सहयोगसे हो रही उष्णतामय पर्याय पानीका स्वत सिद्ध धर्म नहीं है और यही कारण है कि वे दोनों निश्चयनयके विषय नहीं हैं। लेकिन स्वत सिद्ध धर्म न होनेसे यदि उनके आकाश-संस्पर्श और गन्धके सींगकी तरह संबंध असद्भूत (अभावात्मक) ही माना जाय तो फिर उन्हें व्यवहारनयका विषय कैसे माना जा सकेगा ? तथा तब जीवोंको जलके साथ हो रहे कमलपत्रके संस्पर्शका और जलकी अग्निके सहयोगसे हो रही उष्णतामय पर्यायका जो भान होता है उसे क्या भ्रमज्ञान नहीं कहा जायगा ? और यदि ऐसे ज्ञानोंको भ्रमज्ञान माना जाता है तो इसके अतिरिक्त व्यवहारनय फिर क्या वस्तु मानी जायगी ? जो जैन मान्यताको वेदान्तकी मान्यतासे पृथक् कर सके। अतः यही स्वीकार करना चाहिए कि जिसप्रकार वस्तुमें निश्चयनयके विषयभूत स्वतःसिद्ध धर्मोंका संबंध सद्भाव रहता है उसी प्रकार वस्तुमें व्यवहारनयके विषय-भूत भेद-सापेक्ष और अन्य वस्तु-सापेक्ष आपेक्षिक धर्मोंका भी कथंचित् सद्भाव और कथंचित् अभाव रहता है।

तात्पर्य यह है कि कमलपत्रका जलके साथ हो रहा संस्पर्श व जलकी अग्निमहयोगजन्म उष्णतामय पर्याय दोनों ही जब जीवोंके अनुभवमें आते हैं तो जबतक वह अपेक्षा विद्यमान है तबतक उनकी आपेक्षिक धर्मके रूपमें सद्भूतताको अस्वीकृत करनेकी कौन हिम्मत कर सकता है ?

इस प्रकार कमलपत्रका जलके साथ हो रहा संस्पर्श, जलकी अग्निके सहयोगसे निष्पन्न हुई उष्णतामय पर्याय, मिट्टीकी कुम्भकारके सहयोगसे उत्पन्न होनेवाली षट्पर्याय पर्याय, दर्पणमें पदार्थके अवलम्बनसे पडने-वाला पदार्थका प्रतिबिम्ब, और ज्ञानकी पदार्थके अवलम्बनसे पदार्थज्ञानरूप परिणति ये सब उस-उस वस्तुकी आपेक्षिक अवस्थाके रूपमें जब तक अपेक्षा बनी हुई है तब तक सद्भूत हैं। इसी प्रकार कमलपत्रका जलके साथ हो रहे संस्पर्शमें जलका सहयोग, जलकी उष्णतामय पर्यायमें अग्निका सहयोग, मिट्टीकी षट्पर्यायमें कुम्भकारका सहयोग, दर्पणमें पड़ रहे पदार्थके प्रतिबिम्बमें पदार्थका सहयोग और ज्ञानकी पदार्थज्ञानरूप परिणतिमें पदार्थका सहयोग ये सब उस-उस वस्तुके आपेक्षिक धर्मके रूपमें जबतक अपेक्षित है तबतक सद्भूत हैं और इसीलिए ये सभी प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्यकभावकी अपेक्षा बचनरूप व्यवहारनयके तथा ज्ञाप्य-ज्ञापक भावकी अपेक्षा ज्ञानरूप व्यवहारनयके विषय हैं एवं क्योंकि ये सब उस-उस वस्तुके स्वतः सिद्ध धर्म या स्वतः उत्पन्न होनेवाले धर्मोंके रूपमें संबंधा सद्भूत नहीं हैं, इसीलिए ये सब प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्यकभावकी अपेक्षा बचनरूप निश्चयके तथा ज्ञाप्य-ज्ञापकभावकी अपेक्षा ज्ञानरूप निश्चयनयके विषय नहीं हैं। साथमें यह भी निश्चित समझना चाहिए कि व्यवहारनयके विषय होनेके कारण उपयुक्त सभी धर्म आकाशके पुष्प तथा गन्धके सींगकी तरह संबंधा असद्भूत भी नहीं हैं।

इसीप्रकार आत्मानमें उस-उस पुद्गलकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले राग, द्वेष और मोह आदि औद्य-विक भावों तथा उस-उस पुद्गलकर्मके क्षयोपशम आदिके आधारपर आत्मानमें उत्पन्न होनेवाले क्षायोपशम-कतिधाभावोंके विषयमें भी कथंचित् सद्भूतपने और कथंचित् असद्भूतपनेकी मान्यता ही युक्त है।

एक बात और है कि यदि व्यवहारनयके विषयभूत उक्त सभी धर्मोंको या इसी प्रकारके अन्य धर्मोंको संबंधा असद्भूत माना जायगा तो इसका समयसारकी गाथा १४ की आरम्भवाक्येतिहासे साथ ही उनके विषयमें जीवोंको होनेवाले सद्भूतताके अनुभवके तो विरुद्ध होगा ही लेकिन इस तरहसे तो दो आदि पुद्गल परमाणुओंके परस्पर-संबंधसे निष्पन्न द्वेषभुक्त आदि स्कन्धोंकी कथंचित् सद्भूतता भी समाप्त हो जायगा, जिसका परिणाम यह होगा कि लोकमें जितना-जितना स्कन्धाभित व्यवहार चलता है और प्राणियोंको जो

स्वर्णोंकी सद्भूतताका अनुभव होता है वह सब भी मिथ्या कल्पनाकी वस्तु रह जायगी, क्योंकि जो आदि परमाणुओंके मिश्रणसे ही तो द्व्यणुक आदि स्वर्णोंका निर्माण होता है। परन्तु जब यह सिद्धान्त निश्चित है कि प्रत्येक अणु दूसरे एक या अनेक अणुओंके साथ बद्धता (मिश्रण) को प्राप्त होकर भी स्वतन्त्र द्रव्य होनेके कारण सर्वथा अपनी-अपनी आकृति, प्रकृति और विकृतिमें ही रहता है, कभी न तो दूसरे अणुरूप हो सकता है और न दूसरे अणुओंके गुणधर्मोंको ही अपने अन्दर लाता है तो द्व्यणुकादि स्वर्णोंकी कोटी कल्पनाके अतिरिक्त और क्या स्थिति रह जायगी ?

इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि वस्तुमें भेदके आधारसे अथवा परवस्तुके आधारसे जितने अभूतार्थ धर्म सिद्ध होते हैं वे सब इस लेखमें दखाने गये प्रकारसे कथञ्चित् सद्भूत और कथञ्चित् असद्भूत ही होते हैं। न तो भूतार्थ धर्मोंकी तरह सर्वथा सद्भूत ही होते हैं और न आकाशके पुष्प तथा मनेके सौंभकी तरह सर्वथा असद्भूत ही होते हैं। अथवा यो कहिये कि स्वतः-सिद्धताके रूपमें सर्वथा सद्भूत रहना ही वस्तुकी भूतार्थता है और सापेक्षताके रूपमें कथञ्चित् सद्भूत और कथञ्चित् असद्भूत रहना ही वस्तुकी अभूतार्थता है। समयसारकी उल्लिखित गाथा ११ के भूतार्थ और अभूतार्थ शब्दोंका इसी प्रकार विश्लेषण करना चाहिए।



संसार जीवोंकी अनन्तता

‘जीव जगत्’के संपादक ‘जीनघर्मका मर्म’ शीर्षक लेखमाला प्रकाशित करते हुए ता० १६ जुलाई सन् ३२ के ‘जीन जगत्’में दूसरे अर्धभागे ‘मतमेव और उपसंप्रदाय’ प्रकरणमें लिखते हैं कि ‘बीर जयपालके निर्वाणके २२० वर्ष बाद अश्वमिन्ने यह वाद खड़ा किया कि एक दिन संसारमें एक भी जीव न रहेगा।’

लेखमालाके लेखक महोदयने इस शंकाको जितना महत्व दिया है, विचारकी दृष्टिसे वह उतना महत्व अवश्य रखती है। मैं भी उसका समाधान विचारकी दृष्टिसे ही कर रहा हूँ और लेखकमहोदयसे भी यह माशा रखता हूँ कि वे इस समाधानपर विचारकी दृष्टि ही रखेंगे।

अश्वमिन्की शंका—‘एक दिन संसारमें एक भी जीव न रहेगा।’ इसका अभिप्राय लेखकमहोदयने यह निकाला है और जो बेरी समझसे भी ठीक जान पड़ता है कि छ महिना आठ समयमें ६०८ जीव सतत मोक्ष जाते रहते हैं, इसलिये यह शंका होती है कि इससे तो एक दिन संसार जीव-शून्य हो जायगा, क्योंकि जीवराशि बढ़ती तो है नहीं, इसलिये वह समान्त हो जायगी।

इस शंकाकी पुष्टि एवं समाधानका प्रकार बतलाते हुए लेखकमहोदयने जो कुछ विवेचन किया है उसमें निम्नलिखित बातोंका उत्तर होना भी आवश्यक हो जाता है।

१. शास्त्रोंमें जीवराशिसे अनन्तानन्तगुणी व्यवहारकालराशिसे बतलानेका अभिप्राय क्या है ?

२. शास्त्रोंमें भव्य और अभव्यकी केवलज्ञानके गुणानुवाद करनेके लिये कल्पना की गयी है या तार्किक कथन है ?

इनमेंसे भव्य और अभव्यके विषयमें स्वतन्त्र लेख द्वारा प्रकाश डालूँगा, केवल पहिली बातकी उत्तर इस शंकाके उत्तरके साथ इसी लेखमें करूँगा।

बैसे तो यह समाधान “छः महिना आठ समयमें ६०८ जीव मोक्ष जाते हैं।” इस सिद्धान्तको ध्यानमें रख करके किया जा रहा है। यदि यह नियम न भी माना जाये तो भी समाधानके मूलमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पहुँचती है।

समाधान—जगत्में दो प्रकारके जीव हैं—भव्य और अभव्य। भव्य मोक्ष जा सकते हैं, अभव्य नहीं, इसलिये एक तो अभव्य जीव संसारमें रहेगें ही। दूसरी बात यह है कि भव्य जीवोंका मोक्ष जाना सतत् जारी रहेगा तो भी उनकी समाप्ति कभी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि काल भूत, वर्तमान और भविष्यरूप है। भूतकाल अर्थात् होकरके भी भूतजीवराशिसे असंख्यात गुणे समयमें विभक्त है, कारण कि छः महिना आठ समयमें ६०८ जीव मोक्ष चले जाते हैं। छः महिना आठ समयमें असंख्यात समय होते हैं। इनमेंसे यदि एक जीवके मोक्ष जानेके समयोंकी औसत निकाली जाय तो यही सिद्ध होता है कि असंख्यात समयोंमें एक जीव मोक्ष चला जाता है। यह क्रम अर्थात्कालसे जारी है। इसलिये आजतक जितने जीव मोक्ष चले गये, उनसे असंख्यात गुणे कालके समय भी बीत गये, उनके इन्ही बीते हुए समयोंको भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल एकसमय मात्र है। भविष्यत्कालके कितने समय होना चाहिये, इस बातका विचार किया जाता है।

जबकि जीन सिद्धान्त यह बतलाता है कि जीवोंका मोक्ष जाना सतत् जारी रहेगा, फिर भी संसार

भ्रम्यजीवोंसे शून्य नहीं होगा, तो इससे यह बात अवश्य निकल आती है कि भविष्यकालके समय भी उत्पत्ति ही माने जायें, जितने (समयोंमें) पूर्वोक्त क्रमसे भ्रम्यजीव मोक्ष भी जाते रहें किन्तु कालकी समाप्ति होनेपर भी भ्रम्यजीवोंकी समाप्ति न हो, लेकिन कालकी समाप्ति मान लेनेपर भी भ्रम्यजीवोंकी समाप्ति न माना जाय, तो यह शंका उपस्थित होती है कि वे फिर कालके बिना मोक्ष कैसे जा सकेंगे ? इसलिये जितने भ्रम्य जीव इस समय विद्यमान हैं उनसे उत्पत्ति ही अधिक भविष्यत् कालके समय माने जायें, जितनेमें कि समस्त भ्रम्य जीव असंख्यात समयोंमें एक जीवके हिसाबसे मोक्ष जा सकें, अर्थात् अन्तिम भ्रम्य जीवके मोक्ष जानेका समय भविष्यत्कालका अन्तिम समय सिद्ध हो सके, इसलिये जिस तरह भूतकालके समय भ्रम्यजीवराशिसे असंख्यातगुणे सिद्ध होते हैं उसी प्रकार भविष्यत्कालके समय भी विद्यमान भ्रम्यराशिसे असंख्यातगुणे सिद्ध हुए। यहाँपर गुणकार असंख्यातका प्रमाण बहो है, जितना कि औसतसे एक जीवके मोक्ष जानेका समय निश्चित होता है।

इसके बाद यह आपत्ति खड़ी होती है कि भविष्यत्कालको विद्यमान भ्रम्यराशिसे असंख्यातगुणा माननेसे जब उन दोनोंकी समाप्ति हो जायगी, तब एक तो कालद्रव्यका अभाव मानना पड़ेगा तथा इसके साथ अन्य द्रव्योंका भी अभाव मानना होगा, कारण कि कोई भी द्रव्य बिना परिणमनके अपनी सत्ता नहीं रखता, परिणमन करानेवाला कालद्रव्य ही माना गया है और जब पूर्वोक्त प्रकारसे कालद्रव्यमें परिणमनका अभाव हो जानेसे कालद्रव्यका अभाव सिद्ध होता है तो उसके अभावमें अन्य द्रव्य भी अपनी सत्ता कायम नहीं रख सकते हैं, जो कि प्रमाण-विच्छेद है, कारण सत्ता बिनाशा कभी नहीं होता।

इसका समाधान भी इस ढंगसे किया जा सकता है कि भविष्यत्कालके समय और भ्रम्यजीव दोनों ही अक्षयान्त हैं, जिससे भविष्यत्कालके समय और भ्रम्यजीवोंमें कमी होनेपर भी दोनोंका अन्त नहीं होगा। अर्थात् कालद्रव्यके समय सदा भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होते ही रहेंगे, जिससे काल द्रव्यकी सत्ता कायम रहेगी और उसके सद्भावमें अन्य द्रव्य भी परिणमन करते हुए अपनी सत्ता कायम रख सकेंगे।

शंका—भविष्यत्कालके समयों और भ्रम्यजीवोंमें बराबर कमी होती जा रही है तो उनका अन्त अवश्य होगा, यह मानना कि कमी तो होती जावे और अन्त कभी भी न हो, बिल्कुल असंगत है ?

उत्तर—जब हम अतीतकी ओर दृष्टि डालते हैं तो यही कहना पड़ता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह अनादिकालसे परिवर्तित होता हुआ अवश्य चला आ रहा है। इस अनादिकालकी सीमा निश्चित करना चाहें तो नहीं हो सकती, तब यही निश्चित होता है कि आवश्यक इतना काल बीत चुका, जिसका कि अन्त नहीं, अर्थात् वर्तमान समयसे बीते हुए समयोंकी गणना की जाय तो उनका कहींपर अन्त नहीं, कारण अन्त आ जानेसे उसने अनादिपनेका अभाव हो जायगा। इसी तरह जब अनादिकालसे भ्रम्यजीव मोक्ष जा रहे हैं तो इस समयसे भूत जीवोंकी गणना करनेपर उनका कहीं अन्त नहीं होगा। इसमें विचार पैदा होता है कि भविष्यत्कालके समयों और भ्रम्यजीवोंमें जब इतनी अधिक संख्याकी कमी हो गयी, जिसका अन्त नहीं, तो अबतक समाप्त क्यों नहीं हुई ? यदि कहा जाय कि भविष्यत्कालके समयों और भ्रम्यजीवोंकी संख्या इतनी अधिक है कि अनादिकालसे कम होते हुए भी वह अभीतक तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन असंख्यात या अनन्त समयोंमें वह अवश्य समाप्त हो जायगी, तो इसका तात्पर्य बहो होगा कि कालका और जीवोंके मोक्ष जानेका प्रारम्भ किसी निश्चित समयसे हुआ है और इस प्रकार हमारी अनादिकल्पना केवल कल्पनामात्र

रह जाती है। जिस राक्षिकी कमीके प्रारम्भ होनेकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी हालतमें वह राक्षि कितनी ही बची कर्षों न हो, यदि वह अक्षयान्त नहीं है तो बहुत पहिले ही नष्ट हो जाना चाहिये थी, घटनेपर भी यदि वह आज भी विद्यमान है तो 'कमी नष्ट नहीं होगी' यह सिद्धान्त अटल हो जाता है। जिस राक्षिकी घटने-घटते समाप्त हो जाय, वह अनन्त तो कहीं जा सकती है लेकिन अक्षयान्त नहीं। अनन्तराक्षिकी यदि समाप्त होती है तो उसके घटनेका प्रारंभ भी अवश्य होता है किन्तु अक्षयान्त राक्षि घटनेके प्रारंभ और समाप्त दोनोंसे रहित होती है, उसकी सदा भ्रम्यकी हालत बनी रहती है। भ्रम्यकालके समय अनादिसे वर्तमान होते हुए भूतरूप हो रहे हैं, भ्रम्यजीव अनादिसे मोक्ष जा रहे हैं फिर भी दोनोंकी सत्ता इस समय भीजूद है, इसलिये कमी इनका अन्त नहीं होगा।

शाका—(१) जीवका संसार अनादिकालसे चला आ रहा है। (२) जीवका भ्रम्यत्वभाव अनादिकालसे है। (३) आज जिस कार्यकी उत्पत्ति हुई तो कहना होगा कि अनादिकालसे आजतक उसका प्रागभाव रहा। लेकिन संसार, भ्रम्यत्व और प्रागभावका अन्त भी माना जाता है ?

उत्तर—अत्येक द्रव्यका स्वभाव परिवर्तन करनेका है। परिवर्तनमें पूर्व पर्यायका नाश और उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होती है अर्थात् पूर्व वर्तमान पर्याय भूत हो जाती है और उत्तर भविष्यत् पर्याय वर्तमान हो जाती है, यह क्रम अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकाल तक रहेंगा।

(१) जीव द्रव्यके बहुतसे परिणमन पुद्गलद्रव्यसे संबद्ध हालतमें होते हैं। लेकिन पुद्गलद्रव्यका संबन्ध छूट सकता है, इसलिये जबतक पुद्गलद्रव्यसे संबद्ध हालतमें जीव परिणमन करता रहेगा, तबतक जितनी पर्यायें उत्पन्न या विनष्ट होंगी उन सबके समूहका नाम ही जीवका संसार है और इसके आगे जो पर्यायें उत्पन्न या विनष्ट होंगी, उन सबके समूहका नाम जीवका मोक्ष है।

(२) भ्रम्यत्वभाव भी इसी तरहकी पर्यायोंकी अपेक्षा लिये हुए है, कारण कि जबतक जीवको सम्बन्धर्षानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक तो भ्रम्यत्वभाव उस जीवमें संपूर्णरूपसे विद्यमान रहता है और सम्बन्धर्षानके सद्भावसे जिस समय जीवको मोक्ष हो जाता है वहातककी पर्यायोंके परिवर्तनके क्रमसे भ्रम्यत्वभाव भी नष्ट होते-होते अन्तमें सर्वथा नष्ट हो जाता है।

(३) कार्यका प्रागभाव भी उस कार्यके पूर्व अनादिकालसे होनेवाली द्रव्यकी पर्यायोंके समूहका ही नाम है।

जबकि पर्यायें हमेशा उत्पन्न और विनष्ट होती रहती हैं अर्थात् भविष्यत् पर्यायें वर्तमान और वर्तमान भूत होती रहती हैं तो वैसा-वैसा पर्यायोंमें अन्तर आता जायगा वैसा-वैसा संसार, भ्रम्यत्व और प्रागभावमें भी अन्तर आता जायगा और जब ये पर्यायें क्रमसे उत्पन्न होकर विनष्ट हो जायेंगी तब जीवके संसार व भ्रम्यत्वका और कार्यके प्रागभावका व्यवहार नहीं होगा, लेकिन यह कमी संभव नहीं, कि ऐसा होनेसे उस द्रव्यकी आगेकी पर्यायोंके उत्पाद और विनाशका क्रम भी नष्ट हो जायगा। यह क्रम अनादि है तो अनन्त अवश्य रहेगा। भविष्यत् कालका एक समय वर्तमान होता है और फिर भूत हो जाता है। इसी तरह दूसरे, तीसरे समयोंका भी नियम है। भ्रम्यजीवोंमेंसे छः महिना आठ समयमें ६०८ जीवोंके मोक्ष जानेका नियम है और इन दोनोंका यह क्रम अनादिकालसे चला आ रहा है तो इसका कोई कारण नहीं कि वह क्रम नष्ट हो जायगा।

शाका—काल आकाशकी तरह अपरिमित है, इसलिये उसकी समाप्ति न हो, लेकिन भ्रम्यजीव जितने मोक्ष चले जाते हैं वे फिर कभी संसारमें आते नहीं, इसलिये उनका अन्त अवश्य हो जाना चाहिये ?

उत्तर—यद्यपि इस शंकाका उत्तर भ्रमजीवराशिके पूर्वोक्त अक्षयानन्तपनेसे ही हो जाता है जब कि मोक्ष जानेका कर्म अनादिके है, तो भी कुछ विशेष विचार किया जाता है ।

जिस तरह भूतकालके समय भ्रमजीवराशिके असंख्यातगुणे हैं उसी तरह भविष्यकालके समय भी वर्तमान भ्रमराशिके असंख्यातगुणे हैं । ऐसी हालतमें दोनों ही राशियाँ परिमित सिद्ध होती हैं । लेकिन यह परिमितता अक्षयानन्तराशियोंकी हीनाधिकतासे ही मानी गयी है । परिमितताका यह भी लक्षण किया जाता है कि 'जिसकी समाप्ति हो सके' वह अवश्य ही ऊपर कही हुई राशियोंमें नहीं पाया जाता है । जिस तरह आकाशके प्रदेशोंकी संख्या पृथ्वी जाय तो यही "उत्तर मिलता है कि अन्तरहित है । लेकिन उनकी परिमितता भी इस ढंगसे सिद्ध की जा सकती है ।

लोकालयके एकप्रदेशपर अनेक जीव, अनेक 'दुग्धालपरमाणु, धर्म और अधर्म इत्यादि एक-एक प्रदेश तथा एक कालानु विद्यमान हैं । इन सबको वह प्रदेश एक ही समयमें स्थानदान देता है, इससे उस प्रदेशके अनेक स्वभाव सिद्ध होते हैं, कारण कि एक स्वभावसे वह आकाशप्रदेश भिन्न-भिन्न वस्तुओंको स्थानदान नहीं दे सकता तथा आकाश प्रदेश अनन्त है । वे भिन्न-भिन्न समयमें भिन्न-भिन्न परिवर्तन करते रहते हैं । यदि समयभेदसे भिन्न-भिन्न परिवर्तन नहीं माने जावें तो आकाशमें कूटस्थता सिद्ध होगी, जो कि वस्तुका स्वभाव नहीं है । दोनों ही प्रकारसे आकाशके स्वभावोंकी गणना की जाय तो आकाशके प्रदेशोंकी तरह अक्षयानन्त होनेपर भी वे स्वभाव उन प्रदेशोंसे अनन्तगुणे सिद्ध होंगे और आकाशके प्रदेश अक्षयानन्त होनेपर भी उन स्वभावोंके अनन्तमें भाग मात्र सिद्ध होंगे । इसी तरह कालकी भूत, वर्तमान और भविष्यत् समयराशि भी अपने स्वभावोंके अनन्तमें भाग मात्र सिद्ध होती हैं । यही आकाश और कालकी परिमितता है । ये राशियाँ अक्षयानन्त होकरके भी उक्त प्रकारसे हीनाधिकरूपमें रहती हैं, इसलिये परिमित कही जा सकती हैं तो परिमित होते हुए भी जिस प्रकार अक्षयानन्त होनेसे कालका अभाव नहीं होगा उसी प्रकार परिमित होते हुए भी अक्षयानन्त होनेसे भ्रमजीवोंका भी अभाव नहीं होगा । जिस तरह भ्रम्य जीव मोक्ष चले जाते हैं । इसलिये उनमें कर्मों होतो जा रहो है । उसी तरह भविष्यत्कालके समय भी बीतते चले जाते हैं; इसलिये उनमें भी कमी होती जा रही है ।

शंका—जैन शास्त्रोंमें कालद्रव्यके अणु स्वीकार किये गये हैं । उनका तो कभी अभाव होता नहीं, कारण कि सत्का विनाश नहीं होता, भूत, वर्तमान और भविष्यत् रूप उनकी पर्यायें हैं, जो कि उत्पाद व्यय रूप है । कालद्रव्यके सद्भावमें ये पर्यायें हमेशा पैदा होती रहेंगी इसलिये उनका कभी अन्त नहीं होगा, इस तरह नये जीवोंकी उत्पत्ति तो होती नहीं, जिससे कि वे कर्म होते हुए भी समाप्त न हों ?

उत्तर—यह बात ठीक है कि भूत, वर्तमान और भविष्यत् कालाणुकी पर्यायें हैं । लेकिन विचारना यह है कि ये पर्यायें हमेशा नवीन-नवीन पैदा होती हैं अथवा जितनी भी कालाणुकी पर्यायें हैं वे सब कालाणुमें शक्तिरूपसे विद्यमान हैं और वे ही भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होती हुई अनादिकालसे बली आ रही हैं और बली जायेंगी ।

द्रव्य वैकालिक पर्यायोंका पिच्छ है । इसलिये द्रव्यकी जितनी पर्यायें ही सकती हैं वे चाहे भूत हो या वर्तमान अथवा भविष्यत्, द्रव्योंमें एक ही साथ रहते अवश्य हैं लेकिन इतना भी अवश्य है कि उस समयमें द्रव्यकी भूत पर्यायें भूतरूपसे वर्तमान पर्यायें वर्तमान रूपसे और भविष्यत्पर्यायें भविष्यत् रूपसे ही रहती हैं । यदि वर्तमान पर्यायोंके साथ द्रव्यमें भूत और भविष्यत्पर्यायोंका सर्वथा अभाव माना जाय, तो यह अभाव

आकाशके फूलकी तरह तुच्छाभावरूप ही होगा, जिससे आकाशके फूलकी जिस प्रकार कभी उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार बटकी वर्तमान पर्यायकी भी उत्पत्ति नहीं होना चाहिये तथा ज्योति-शास्त्रसे जो भावी भविष्यद्व्याप्तिका पहिलेसे ही ज्ञान कर लिया जाता है, वह भी असंगत ठहरेगा, कारण कि पहली अवस्थासे वह तुच्छाभाव रूप ही मान लिया गया है। इसलिये वर्तमान पर्यायका इसकी पहली अवस्थामें द्रव्यमे भविष्यद्व्यपसे सद्भाव अवश्य मानना पड़ता है। इसी तरह वर्तमान पर्यायके साथ भूतपर्यायोंका द्रव्यमें भूत-रूपसे सद्भाव नहीं माननेसे वर्तमानमें ज्योति-शास्त्रादिके द्वारा भूत अवस्थाका ज्ञान असंगत ठहरेगा, क्योंकि भूतपर्यायोंको द्रव्यमें तुच्छाभावात्मक मान लिया गया है। इसलिये प्रतिसमय द्रव्यमें नैकालिक अनन्त पर्यायों अपने-अपने रूपमें अवश्य रहती है और वे ही परिवर्तन करती हुई भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत हो जाती हैं, ऐसा मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। जैनशास्त्रमें जो द्रव्यके परिवर्तनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको कारण माना गया है उनमें भाव इन्हीं नैकालिक पर्यायोंका नाम है अर्थात् जिस द्रव्यमें जो वर्तमान पहले भविष्यरूप होगी वही वर्तमानरूप हो सकेगी, जो वर्तमान होगी वही भूतरूप हो सकेगी। वर्तमान पर्यायमें भविष्यत्वपर्याय कारण पड़ती है अर्थात् भविष्यत्वपर्याय ही वर्तमानरूप हो जाती है और भूतपर्यायमें वर्तमान पर्याय कारण पड़ती है अर्थात् वर्तमान पर्याय ही भूतपर्यायरूप हो जाती है इसलिये यह सिद्धान्त भी संगत हो जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता, अन्यथा कोई कारण नहीं, कि पुद्गलद्रव्यमें जीवद्रव्यकी पर्यायें पैदा न हों। इसी तरह भूतपर्यायमें भूतरूपसे परिणमन करती हुई द्रव्यमें विद्यमान अवश्य रहती हैं, इसलिये "सत्का विनाश और असत्को उत्पत्ति नहीं होती" यह सिद्धान्त द्रव्यकी नैकालिक पर्यायोंमें भी लागू होता है क्योंकि सत्यवादीको तुच्छाभावरूप विनाश और आकाशके फूलकी तरह असत् पर्यायोंकी उत्पत्ति माननेमें पूर्वोक्त दोष आते हैं।

प्रत्येक द्रव्यकी नैकालिक पर्यायें उतनी ही हैं जितने कि कालाणुके भूत और भविष्य समय हैं और जब तक इन पर्यायोंका द्रव्यमें परिणमन हो रहा है तभी तक उस द्रव्यका मद्भाव है। जब तक द्रव्यकी जो पर्याय भविष्यरूप रहती हैं तब तक द्रव्यमें उस पर्यायका सद्भाव शक्तिरूपसे माना जाता है और जब वह पर्याय वर्तमान हो जाती है तब वह व्यक्त पर्याय मानी जाती है। इसलिये द्रव्यकी भविष्यत्वपर्यायका वर्तमान हो जाना ही उत्पाद और वर्तमानका भूत हो जाना ही विनाश माना जाता है। हम लोगोका प्रयोजन वर्तमान पर्यायसे ही सिद्ध होता है तथा हमारी इन्द्रियाँ वर्तमान पर्यायको ही ग्रहण कर सकती हैं, इसलिये वर्तमान पर्यायकी व्यक्त पर्याय कहा जाता है।

इस तरहसे काल जब द्रव्य है तो उसके भूत, वर्तमान और भविष्य जितने भी समय-पर्याय हो सकते हैं उन सबका कालद्रव्यमें अपने-अपने रूपमें सद्भाव अवश्य मानना पड़ता है, अन्यथा पूर्वोक्त दोष आते हैं और क्रमसे एक-एक समय भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होता जा रहा है, तो जिस तरह जीव मोक्ष जा रहे हैं इसलिये उनमें कमी होती जा रही है उसी तरह कालके भविष्यत् समय भी वर्तमान और भूत होते जा रहे हैं इसलिये उनमें भी कमी होती जा रही है। साथमें यह भी है कि जब कालके अस्तित्वात् समय (छः महिना आठ समयके जितने समय हों) बीत जाते हैं तब तक ६०८ जीव मोक्ष जा सकते हैं। इसलिये यह बात भलोभाति सिद्ध हो जाती है कि यदि भव्यजीवोंकी समाप्ति मानी जाय तो उनके अस्तित्वात्गुणे कालके समर्थोंकी समाप्ति अवश्य माननी पड़ेगी, जिससे कालद्रव्यका भी अभाव हो जायगा। यदि सत्का कमी विनाश नहीं होता इसलिये काल द्रव्यके सद्भावके लिये उसके समर्थोंकी समाप्ति

नहीं मानी जाय तो उसके अस्तित्वमें मात्र प्रमाण तथा जिनकी समाप्ति हो तो कालके समर्थोंकी समाप्तिके साथ ही हो सकती है, भव्यजीवोंकी समाप्ति कैसे हो सकती है ?

धंका—यहाँ पर भूतकालके समर्थोंका प्रमाण मुक्तजीवराशिसे अस्तित्वगुणा ही बतलाया गया है तथा वर्तमान एक समयमात्र और भविष्यकालके समय विद्यमान भव्यराशिसे अस्तित्वगुणे बतलाये हैं। लेकिन शास्त्रोंमें कालराशिका प्रमाण सर्वजीवराशिका अनन्तगुणा बतलाया गया है।^१ इसलिये यह कथन शास्त्रविरोध होनेसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है ?

उत्तर—पूर्वकथनमें वर्तमान समय एक ही बतलाया गया है। वह उत्पाद और विनाशके क्रमसे बतलाया गया है। वर्तमान समय कालाणुकी पर्याय है। कालाणु लोकमें अस्तित्व माने गये हैं तथा एक ही साथ समस्त लोकाकाशमें वर्तमान समय रहता है। जब प्रत्येक कालाणु स्वतन्त्र-स्वतन्त्र है तो इनकी पर्यायों भी स्वतन्त्र-स्वतन्त्र मानना पड़ती है। ऐसी हालतमें वर्तमान समर्थोंका प्रमाण कालाणुओंके समान अस्तित्व हो जाता है। ऐसा ही कालाणुओंके भूत और भविष्यत् समर्थोंका भी प्रमाण समझना चाहिये। इसलिये पहले बतलाई हुई कालराशिका सर्वकालाणुओंके प्रमाणसे यदि गुणा कर दिया जाय तो सर्वसम्पूर्ण कालाणुओंके भूत, वर्तमान और भविष्यत् समर्थोंका प्रमाण निकल जाता है। इतना होनेपर भी सर्वकालाणुओंके भूत, वर्तमान और भविष्यत् समर्थोंका प्रमाण मुक्त और वर्तमान भव्यराशिसे प्रमाणसे अस्तित्वगुणा ही सिद्ध होता है। इसके आगे यह विचार पैदा होता है कि कालाणुओंकी वर्तमान पर्यायों एक समय तक ही वर्तमान रहकर भूत हो जाती है। लेकिन वर्तमान व्यवहार कभी न नष्ट हुआ और न होगा, इसका कारण क्या माना जाय ? इसके लिये यही सुसंगत उत्तर दिया जा सकता है कि जब कालाणुओंकी एक-एक वर्तमान पर्याय भूत हो जाती है तो उसी समय उनकी एक-एक भविष्यत् पर्याय वर्तमान हो जाती है, यह क्रम अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता जायगा अर्थात् अनादिकालसे आज तक जितने समय बीत चुके वे सब वर्तमान होकर ही भूत हुए हैं एवं अनन्तकाल तक जितने समय बीतेंगे वे सब भी वर्तमान हो करके ही भूत होंगे। इसी प्रकार जब वर्तमान समय भूत हो जाता है तो प्रथम समयमें भिन्न प्रकारका, द्वितीय समयमें भिन्न प्रकारका, इसी तरह तीसरे, चौथे आदि अनन्तसमयोंमें अनन्तप्रकारका ही भूतपना उसमें रहेगा तथा प्रत्येक समयका भविष्यत्पना भी भिन्न-भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न प्रकारका रहेगा। मान लीजिये कि आजका दिन आज वर्तमान है, आजसे जो भविष्यका दशवाँ दिन है वह कलके दिन भविष्यका नववाँ दिन कहा जायगा, परसोंके दिन आठवाँ, इसी तरह क्रमसे सातवाँ आदि होता हुआ दशवें दिन तक वर्तमान कहा जाने लगेगा तथा उसके आगे भूतका पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रमसे कहा जायगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक कालाणुके जितने भूत, वर्तमान और भविष्यत् समय हैं वे प्रतिक्षण भिन्न-भिन्न परिणमन करते हैं और प्रत्येक समयके ये परिणमन उतने ही हो सकते हैं जितने कि प्रत्येक कालाणुके भूत, वर्तमान और भविष्यत्के समय बतला आये हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाय तो आज दिन जो वर्तमान व्यवहार है वह इसके पहले व इसके आगेके दिन नहीं होना चाहिये। लेकिन इसके पहले व आगेके दिनमें भी हम वर्तमानका व्यवहार करते हैं अर्थात् जैसा आजके दिनको हम आज वर्तमान कहते हैं वैसे ही कलके दिनको कल वर्तमान कहेंगे, इसका कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिये और यह यही हो सकता है कि कालाणुका प्रत्येक समय प्रतिक्षण परिवर्तन करता रहता है। ये सब कालाणुके ही परिवर्तन हैं। इनका प्रमाण सम्पूर्ण कालाणुओंके जितने भूत, वर्तमान और भविष्यत् समय हैं उनसे अनन्तानन्तगुणा सिद्ध होता है जो

१. गोम्बटसार जीवकाण्ड पर्यायप्रकरणम्।

कि सर्वजीवराशिसे अनन्तगुणा होया और यही प्रमाण सर्वव्यवहारकालराशिका प्रमाण कहा जाने योग्य है, कारण कि व्यवहारनाम पर्याय अथवा परिवर्तनका है और ये परिवर्तन पूर्वोक्त प्रकारसे इतने हो सकते हैं, हीनाधिक नहीं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भव्यजीव सतत् मोक्ष जाते रहेंगे, फिर भी संसार जीव-सूय नहीं होगा तथा मोक्षमार्ग भी बन्द नहीं होगा।



जैनदर्शनमें भव्य और अभव्य

इनके विषयमें ता० १६ जुलाई सन् १९३२ के "जैन जगत्" में सम्पादकमहोदयने निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं—“जैन शास्त्रोंमें जीवोंके दो भेद मिलते हैं—भव्य और अभव्य। भव्योंमें मोक्ष प्राप्त करनेकी योग्यता है, अभव्योंमें नहीं। ये भेद पारिणामिक या स्वाभाविक कहलाते हैं, परन्तु शक्ति तो सभी जीवोंमें एकसरीसी है। अभव्योंमें भी केवलज्ञानकी शक्ति है। यदि ऐसा न होता तो अभव्योंको केवल-ज्ञानावरणकर्मकी जरूरत ही नहीं रहती। इसलिये भव्य और अभव्यका स्वाभाविक भेद बिल्कुल नहीं जंचता। अभी तक इस विषयमें मेरे निम्नलिखित विचार रहे हैं। अभव्योंकी कल्पना तीर्थंकरोंके महत्त्वको बढ़ानेके लिये है”। आगे इसीकी पुष्टि की गयी है।

लेकिन बात ऐसी नहीं है। शास्त्रोंमें जो भव्य और अभव्यका भेद बतलाया गया है वह वास्तविक है। और मोक्ष जानेकी योग्यता व अयोग्यतासे ही किया गया है अर्थात् जिसमें मोक्ष जानेकी योग्यता है वह भव्य है और जिनमें नहीं है वह अभव्य है।

शंका—अबकि भव्योंकी तरह अभव्योंमें भी केवलज्ञानकी शक्ति है तब उनमें मोक्ष जानेकी योग्यता क्यों नहीं है ?

उत्तर—अभव्योंमें केवलज्ञानकी शक्ति है, इसका तात्पर्य यह है कि जीवोंका जीवत्व (चैतन्य) पारिणामिकभाव माना गया है और संपूर्ण जीवोंका असाधारण स्वरूप होनेसे वह संपूर्ण जीवोंमें पाया जाता है। ध्यान, ज्ञान, चारित्र्य, सुख, वीर्य आदि उसी जीवत्वके विशेष हैं। इसलिये जीवत्वके सद्भावमें इनकी सत्ता संपूर्ण जीवोंमें अनायास मिट्ट हो जाती है। मोक्ष जानेकी योग्यताका मतलब केवलज्ञानादिके प्रकट होनेकी योग्यतासे है, कारण जीवोंके ज्ञानादिगुण कर्मोंसे आच्छादित है। इसलिये भव्य और अभव्यका लक्षण इस प्रकार हो जाता है, जिस जीवमें केवलज्ञानादिके प्रकट होनेकी योग्यता है वह भव्य है और जिसमें यह योग्यता नहीं है वह अभव्य है। अभव्योंमें केवलज्ञानकी शक्ति है, इसका अर्थ इतना ही करना चाहिये कि अभव्योंमें कर्मोंसे आच्छादित केवलज्ञानका सद्भाव है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अर्थ कि अभव्योंमें भी केवलज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता है, असंगत ही है।

शंका—भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवोंमें समानरूपसे केवलज्ञान कर्मोंसे आच्छादित रहता है, ऐसी हालतमें भव्योंका केवलज्ञान प्रकट हो, अभव्योंका नहीं, यह भेद कैसे हुआ ?

उत्तर—केवलज्ञानादिकी प्रकटता द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके मिश्रणपर होती है—(१) द्रव्य—जिस

आत्मा में प्रकट हो, (२) जेब— जिस स्थानपर प्रकट हो, (३) काल—जिस समयमें प्रकट हो, (४) भाव—शुद्ध केवलज्ञानाविरूप पर्याय। ये चारों जिस आत्माके वर्तमानपनेको प्राप्त हो जाते हैं उसके उसी क्षणमें केवलज्ञानादि प्रकट हो जाते हैं। कारण कि इनका वर्तमान हो जाना ही केवलज्ञानादिकी प्रकटता है। जिस जीवमें ये चारों जब तक भविष्यत् रूपमें रहते हैं तब तक 'योग्यता' शब्दसे कहे जाते हैं। भव्योंमें यह योग्यता पायी जाती है। इसलिये उनके केवलज्ञानादि प्रकट हो जाते हैं, अभव्योंमें इस योग्यताके नहीं रहनेसे केवलज्ञानादि प्रकट नहीं होते हैं।

शंका—जिस प्रकार भव्योंमें यह योग्यता पायी जाती है उसी प्रकार अभव्योंमें क्यों नहीं पायी जाती है, इसका कारण क्या है ?

उत्तर—यह निश्चित बात है कि जितने भी जीव मोक्ष जा सकते हैं उन सबमें मोक्ष जानेकी योग्यता एक ही समयमें व्यक्त नहीं होती है। यदि एक ही समयमें सब जीवोंकी योग्यताका विकास माना जाय, तो सर्वजीवोंकी एक ही समयमें मोक्ष होना चाहिये, जिससे या तो अभी तक किसी जीवका मोक्ष नहीं मानना चाहिये, या फिर जिस समयमें प्रथम जीवका मोक्ष हुआ होगा, उसी समयमें मोक्ष जाने वाले सर्वजीवोंका मोक्ष हो जाना चाहिये वा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, अर्थात् प्रत्येक जीवका अपने-अपने योग्यकालमें ही मोक्ष जाना संभव है, इसलिये यह बात सिद्ध होती है कि जीवोंकी मोक्ष जानेकी योग्यताकी व्यक्ति अपने योग्यकालमें ही होती है।

प्रत्येक द्रव्य वैकालिक पर्यायोंका पिंड है और वे पर्याय उतनी ही हो सकती हैं जितने कि कालाणुके वैकालिक समय हैं, अधिक इसलिये नहीं मान सकते, कि आगे जब कालके समयोंका सद्भाव नहीं, तो उसके अभावमें दूसरे द्रव्योंकी सत्ता युक्तितसे असंगत जान पड़ती है, कालाणुका जब एक समय भविष्यसे वर्तमान होता है तो प्रत्येक द्रव्यकी एक भविष्यत् पर्याय भी वर्तमान हो जाती है और द्वितीय क्षणमें वह समय वर्तमानसे भूत हो जाता है, इसलिये प्रत्येक द्रव्यकी वह पर्याय भी भूत हो जाती है। इसी तरह कालाणुके दूसरे, तीसरे आदि समय जब क्रमसे भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होते जाते हैं तो प्रत्येक द्रव्यकी दूसरी, तीसरी आदि पर्यायों भी क्रमसे भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होती जाती है। यह क्रम अनादिकालमें चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चला जायगा, कभी समाप्त नहीं होगा, कारण कालाणुके समय और प्रत्येक द्रव्यकी पर्यायों अक्षयानन्त है।

प्रत्येक जीव अनादिकालसे कर्मोंसे संबद्ध हो रहा है, लेकिन यह संबंध सर्वथा भी छूट सकता है इसलिये जीवकी दो तरह पर्यायों हो सकती हैं—सकर्म हासतकी और अकर्म (कर्मरहित) हासतकी। पहले प्रकारकी पर्यायोंमें जबतक भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होनेका क्रम जारी रहता है, तब तक वह जीव संसारी कहलाता है और अबसे दूसरे प्रकारकी पर्यायोंमें भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूत होनेका क्रम प्रारम्भ होता है तबसे वह जीव मुक्त कहलाने लगता है।

यह पहले बरुला आये हैं कि सब जीवोंकी मोक्ष जानेकी योग्यताका विकास एक ही समयमें नहीं होता, इसलिये जैनशास्त्रमें छ. महीना आठ समयमें ६०८ जीव मोक्ष जाते हैं, यह नियम पाया जाता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि कालाणुके वैकालिक जितने समय हों, उनमें छ. महीना आठ समयमें ६०८ जीवोंके हिसाबसे जितने जीव मोक्ष जा सकते हैं, उतने जीवोंकी वैकालिक पर्यायों दो भागोंमें विभक्त हो जाती है—सकर्महासतकी पर्यायों और अकर्महासतकी पर्यायों। जितने जीव बाकी रह जाते हैं उनकी वैकालिक

पर्यायों सकर्महालतकी ही है। कालाणुके सर्वसमयोंमेंसे जितने समय बीता चुके, उनमें छः महिना आठ क्षणमें ६०८ जीवोंके हिंसाबसे जितने जीवोंका कर्मसि संबंध छूट गया है वे मुक्त कहे जाते हैं, कारण कि इनको मोक्षप्राप्तिके योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्राप्त हो चुका है, इसलिये उनका भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूतरूप परिणमत कर्मरहित अवस्थाकी पर्यायोंमें होने लगा है। कालाणुके जितने समय अभी भविष्यरूप है उनमें छः महिना आठ समयोंमें ६०८ जीवोंके हिंसाबसे जितने जीवोंका कर्मसि संबंध छूटेगा, वे इस समय भव्य कहे जाते हैं, कारण उन जीवोंका भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूतरूप परिणमत इस समय तो सकर्म अवस्थाकी पर्यायोंमें हो रहा है, लेकिन उन जीवोंमें भविष्यके किसी भी समयसे लेकर कर्मरहित अवस्थाकी पर्यायोंमें उस परिणमनके होनेकी योग्यताका सद्भाव है। जो जीव बाकी रह जाते हैं उनको जैनशास्त्रोंमें अभव्य कहा गया है, कारण कि उन जीवोंका भविष्यसे वर्तमान और वर्तमानसे भूतरूप परिणमत अनादिकालसे सकर्म हालतकी पर्यायोंमें हो रहा है तथा आगे अनन्तकालके किसी भी समयमें कर्मरहित अवस्थाकी पर्यायोंमें पूर्वोक्त परिणमनके होनेकी योग्यताका सद्भाव भी उन जीवोंमें नहीं है। कालाणुके जितने भविष्यरूप समय हैं, उनमें इन जीवोंकी जितनी पर्यायोंकी पलटन होगी वे संपूर्ण पर्यायों सकर्म हालत की ही होंगी, इसलिये जब भविष्यकी कोई भी पर्याय इन जीवोंकी शुद्ध नहीं कही जा सकती, तो इन जीवोंके कर्मरहित अवस्थाकी पर्यायरूप भावका अभाव सिद्ध होता है। इसी तरह जब कालाणुके समय इन जीवोंकी अशुद्ध पर्यायोंकी पलटनमें ही कारण हुए, क्योंकि इन जीवोंकी त्रैकालिक पर्यायों अशुद्ध ही हैं, तो मोक्ष जाने योग्य-कालका भी अभाव सिद्ध हो जाता है और जब इन जीवोंकी त्रैकालिक पर्यायों अशुद्ध ही हैं, तो आकाशके भी तीनों कालोंमें जितने परिणमन होंगे उन सबमें वह आकाश अशुद्धपर्यायविशिष्ट ही इन जीवोंको स्थानदान देगा, इसलिये इन जीवोंके मोक्ष जाने योग्य क्षेत्रका भी अभाव सिद्ध होता है। आत्मा जब त्रैकालिक पर्यायोंका पिंड है तथा इन जीवोंकी त्रैकालिक पर्यायों अशुद्ध ही हैं, तो इन अशुद्ध पर्यायों सहित इनका आत्मा भी मोक्षमें कारण नहीं हुआ, इसलिये इन जीवोंके मोक्ष जाने योग्य द्रव्यका भी अभाव सिद्ध हो जाता है। इस तरहसे जब इन जीवोंको मोक्ष जाने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न तो प्राप्त हुआ और न प्राप्त होगा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि इन जीवोंमें केवलज्ञानादिके प्रकट होनेकी योग्यता नहीं है अर्थात् इन जीवोंकी कोई भी भविष्यरूप पर्याय ऐसी नहीं, जिसको हम केवलज्ञानादिरूप कह सके, इसलिये ये अभव्य कहे जाते हैं। तत्त्वार्थवास्तिकके भव्याभव्यके लक्षणवार्तिकोंका यही अर्थ है।

अर्थात् सम्प्रदर्शन-ज्ञान-वारिखरूप पर्यायोंको जो प्राप्त होगा अर्थात् जिसकी सम्प्रदर्शन-ज्ञान-वारिखरूप पर्याय इस समय भविष्यरूप है, वह भव्य है और इसमें विपरीत अभव्य है।

शंका—जिन जीवोंमें मोक्ष जानेकी योग्यता है, वे सब जब मोक्ष चले जायेंगे, तब संसार भव्यजीवोंसे शून्य हो जायगा, तथा मोक्ष जानेका क्रम भी नष्ट हो जायगा ?

उत्तर—जितने कालके समय है उतने समयोंमें ही भव्यजीव मोक्ष जा सकते हैं। कालके समय और भव्य जीवोंकी संख्या असंयतनत है, इसलिये उनकी कमी भी समाप्ति नहीं होनेसे संसार भव्यजीवोंसे शून्य नहीं होगा और मोक्ष जानेका क्रम भी नष्ट नहीं होगा।^१

शंका—इस कथनसे यह बात निकलती है कि संपूर्ण भव्यजीव भी मोक्ष नहीं जायेंगे, तो जो भव्यजीव

१. सम्प्रदर्शनज्ञानवारिखपरिणामेन भविष्यतीति भव्य. । २।७।८।, तद्विपरीतोऽभव्यः । २।७।९।

२. इसके लिये जैनमित्र, अंक २२, वर्ष ३४में "जीव की अनन्तता" शीर्षक लेख देखना चाहिये।

मोक्ष नहीं जायेंगे वे अभव्योंके समान ही हुए, इसलिये उनको अभव्य ही कहना उचित है, भव्य नहीं ?

उत्तर—भव्य और अभव्यका भेद मोक्ष जानेकी योग्यताके रहने न रहनेसे किया गया है, इसलिये जिन जीवोंमें मोक्ष जानेकी योग्यता है उनमेंसे यदि भव्य इस योग्यताके वर्तमान (भव्यन्त) नहीं होनेके कारण मोक्ष न भी जाय तो भी वह भव्य ही कहा जायगा। दूसरी बात यह है कि जिन जीवोंके मोक्ष जाने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वर्तमान हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं, यह काल अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चला जायगा, कहीं भी विभ्रान्तिकी संभावना नहीं, तो यह नियम कैसे बना सकते हैं कि इतने भव्यजीव मोक्ष जायेंगे, इतने नहीं।

योजन्तेनापि कालेन न सेत्स्यत्यसावभव्य एवेति चेन्न भव्यराष्यन्तर्भावात् ॥१०॥ वा०२॥७१॥

अर्थात्—जो भव्य अनन्तकालमें भी मोक्ष नहीं जायगा, उसको अभव्य नहीं कहना चाहिये, कारण कि उसकी गणना भव्यराशिमें ही होती है।

इसका तात्पर्य भी वही है जो ऊपर लिखा गया है। इसलिये जैनजगत्के संपादक महोदयका यह लिखना कि "शास्त्रोमें भव्य दो तरहके बतलाये गये हैं—एक तो वे, जो मोक्ष जायेंगे, दूसरे वे, जो न जायेंगे, यह कल्पना अयुक्त और निरर्थक दोनों हैं"; उचित नहीं कहा जा सकता है, कारण कि पूर्वोक्त प्रकारसे आचार्योंका कथन कल्पना नहीं, किन्तु वस्तुत्वरूपका प्रतिपादक ही सिद्ध होता है। इसलिये सार्थक और उपपत्तिसहित ही है।

शंका—शास्त्रोंमें भव्यत्व और अभव्यत्वको पारिणामिक कहा गया है किन्तु यहाँपर मोक्ष जाने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप योग्यताको भव्यत्व और इसके अभावको अभव्यत्व कहा है, इसलिये यह कथन शास्त्र-विरुद्ध है।

उत्तर—जोवके पाँच प्रकारके भाव बतलाये हैं—कर्मोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदयसे होने वाले क्रमसे औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक भाव कहे जाते हैं तथा जिनमें कर्मोंके उपशमादिको अपेक्षा नहीं है वे भाव पारिणामिक कहे जाते हैं। जीवोंका सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणाम यथायोग्य कर्मोंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमसे प्रकट होता है। लेकिन इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप योग्यता भी कारण पड़ती है। अर्थात् योग्यतामें कर्मोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम कारण नहीं, बल्कि कर्मोंके उपशम, क्षय, क्षयोपशममें योग्यता कारण है। कर्मोंका उदय भी इस योग्यतामें कारण नहीं है। इसलिये इस योग्यतारूप भव्यत्व और इसके अभावरूप अभव्यत्वभावोंको पारिणामिक भाव कहा गया है।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक द्रव्यमें समानरूपसे भव्यता और अभव्यता पायी जाती है। पुद्गलद्रव्यकी जितनी पर्याय हो सकती हैं उनकी योग्यताका पुद्गलद्रव्यमें सद्भाव है और चेतनादि पर्यायोंकी योग्यताका उदयमें अभाव है। इसलिये पुद्गलद्रव्य अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा भव्य है और चेतनादिपर्यायोंकी अपेक्षा अभव्य है। इस तरह संपूर्ण द्रव्य भव्य और अभव्य कहे जा सकते हैं। जीवोंकी तरह इनमें भव्य और अभव्यका भेद नहीं बतलानेका कारण यह है कि धर्म, अधर्म और माकाष्ठ द्रव्य एक-एकही हैं तथा ये अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा भव्य और दूसरे द्रव्यकी पर्यायोंकी अपेक्षा अभव्यरूप हैं। इनमें ये भव्यता और अभव्यता परस्पर अविच्छेद होनेसे एक जगह पायी जाती है। कालाणु और पुद्गल यद्यपि बहुत हैं लेकिन इन सबमें भी समानरूपसे अपनी पर्यायोंकी अपेक्षा भव्यता और परद्रव्यकी पर्यायोंकी अपेक्षा अभव्यता एक ही जगह एक ही साध पायी जाती है, इसलिये इन द्रव्योंमें भव्य अभव्यका भेद नहीं बन सकता है। इन द्रव्योंकी यह भव्यता

और अभ्यता यद्यपि क्रमसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप योग्यता और उसके अभावरूप ही हैं तो भी यदि कोई प्रश्न करे कि प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायोंमें परिणमन करता है दूसरे द्रव्यकी पर्यायोंमें परिणमन नहीं करता है, इसमें क्या कारण है. तो यही उत्तर दिया जायगा कि प्रत्येक द्रव्यका यही स्वभाव है। इस तरहकी अभ्यता और अभ्यता सब जीवोंमें भी पायी जाती है फिर भी वह अभ्यता और अभ्यता समस्त जीवोंमें समान होनेके कारण भेद नहीं पैदा कर सकती है। किन्तु मोक्षकी अभ्यता और अभ्यता परस्पर विरुद्ध होनेके कारण दोनों एक जगह नहीं रह सकती है इसलिये ये जीवोंमें भेद पैदा कर देती है। तथा यह अभ्यता और अभ्यता भी क्रमसे मोक्ष जाने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप योग्यता और इसके अभावरूप ही है, इसलिये इन दोनोंको जीवका स्वभाव कहा जाता है।

तीसरी बात यह है कि स्वभाव नाम परिणमनका है और परिणमन पर्यायको कहते हैं। जिस द्रव्यमें जो पर्याय भविष्यत् रूप है उसमें वह पर्याय अपने प्रकट होने योग्य क्षेत्र और कालरूप निमित्तको प्रकट हो जाती है। जब तक वह पर्याय प्रकट होने योग्य रहता है तब तक उस द्रव्यमें उस पर्यायकी अपेक्षा अभ्यता रहती है। जिस द्रव्यमें जो पर्याय भविष्यत् (शक्ति) रूप नहीं है उसमें वह पर्याय कभी भी प्रकट नहीं होगी इसलिये उस द्रव्यमें उस पर्यायकी अपेक्षा अभ्यता रहती है। इस तरह अभ्यता और अभ्यता दोनोंका कारण क्रमसे द्रव्यकी भविष्यत् पर्याय और उसका अभाव ही हुआ। इसलिये अभ्यताको पारिणामिक या स्वाभाविक कहना संगत जान पड़ता है। किसी-किसी जीवमें शुद्ध सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय भविष्यत् रूप है, इसलिये वे जीव भव्य कहे जाते हैं और किसी-किसी जीवमें शुद्ध सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय भविष्यत् रूप नहीं है किन्तु भविष्यत्कालके न्यून समयमें वह सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय कर्मसे आवृत्त रहनेसे अशुद्ध ही रहेगी, इसलिये वे अभ्य कहे जाते हैं। इस तरहसे जीवोंकी इस अभ्यता और अभ्यताको भी पारिणामिक या स्वाभाविक कहते हैं।

शंका—यदि अभ्यता और अभ्यताको पारिणामिक माना जाय, तो स्वभावके अविनाशी होनेके कारण मोक्षमें अभ्यताका नाश नहीं होना चाहिये ?

उत्तर—अभ्यताका अर्थ है शुद्ध सम्यग्दर्शनादिके प्रकट (वर्तमान) होने योग्य भविष्यत् (शक्ति) रूपसे शुद्ध सम्यग्दर्शनादिरूप पर्यायका सद्भाव। प्रत्येक द्रव्यका भविष्यत् पर्याय वर्तमान और वर्तमानपर्याय भूत होती जा रही है और होती जायगी, तो भव्य जीवमें शुद्ध सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय कभी प्रकट (वर्तमान) होगी ही, और जब वह प्रकट हो जायगी तब उसके प्रकट होनेकी योग्यता भी नष्ट हो जायगी, इस तरहसे सम्यग्दर्शनादिके हालतसे चतुर्दश गुणस्थानके अन्त तक जैसे-जैसे आत्माकी शुद्ध पर्यायोंका विकास होता जायगा जैसे-जैसे योग्यता भी नष्ट होती जायगी और अन्तमें संपूर्णरूप योग्यताका नाश हो जायगा, कारण कि उस समय आत्माके संपूर्ण स्वभावका विकास हो जायगा। आगे इस जीवका जो भी परिणमन होगा वह शुद्ध पर्यायोंमें ही होगा, इसलिये अभ्यताका निमित्त हट जानेके कारण मोक्षमें अद्यत्त्व भावका नाश माना जाता है।

इस तरहसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि भव्य और अभ्य जीवोंके वास्तविक भेद है, कल्पना नहीं की गयी है।

जीवदया : एक परिशीलन

जीवदयाके प्रकार

१. जीवदयाका एक प्रकार पुण्यभावरूप है। पुण्यभावरूप होनेके कारण उसका अन्तर्भाव आसन्न और बन्धतत्त्वमें ही होता है, संवर और निर्जरामें अन्तर्भाव नहीं होता। यह पुण्यभावरूप जीवदया व्यवहारधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारण है। इस बातको आगे स्पष्ट किया जायेगा।

२. जीवदयाका दूसरा प्रकार जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चय धर्मरूप है। इसकी पुष्टि धवल-मुस्तक १३ के पृष्ठ ३६२ पर निदिष्ट निम्न वचनके आधारपर होती है—

करुणाए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो ।

अर्थ—करुणा जीवका स्वभाव है अतः इसके कर्मजनित होनेका विरोध है।

यद्यपि धवलाके इस वचनमें जीव-दयाको जीवका स्वतःसिद्ध स्वभाव बतलाया है, परन्तु जीवके स्वतःसिद्ध स्वभाव-भूत वह जीवदया अनाविकालसे मोहनीयकर्मकी क्रोध-प्रकृतियोंके उदयसे विकृत रहती आई है, अतः मोहनीयकर्मकी उन क्रोध-प्रकृतियोंके यथास्थान यथायोग्यरूपमें होने वाले उपशम, शय या शयोपशमसे जब वह शुद्धरूपमें विकासको प्राप्त होती है तब उसे निश्चयधर्मरूपता प्राप्त हो जाती है। इसका अन्तर्भाव आसन्न और बन्धतत्त्वमें नहीं होता, क्योंकि जीवके शुद्ध स्वभावभूत होनेके कारण वह कर्मके आसन्न और बन्धका कारण नहीं होती है। तथा इसका अन्तर्भाव संवर और निर्जरा तत्त्वमें भी नहीं होता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही संवर और निर्जरापूर्वक होती है।

३. जीवदयाका तीसरा प्रकार अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक होने वाली दयारूप शुभ प्रवृत्तिके रूपमें व्यवहारधर्मरूप है। इसका समर्थन भी आशम-प्रमाणोंके आधारपर होता है। इसका अन्तर्भाव अदयारूप अशुभप्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप होनेके आधारपर संवर और निर्जराका कारण हो जानेसे संवर और निर्जरा तत्त्वमें होता है, और दयारूप पुण्यप्रवृत्तिरूप होनेके आधारपर आसन्न और बन्धका कारण हो जानेसे आसन्न और बन्धतत्त्वमें भी होता है। कर्मके संवर और निर्जरणमें कारण होनेसे यह व्यवहारधर्मरूप जीवदया जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारण सिद्ध होती है।

पुण्यभूत दयाका विशेष स्पष्टीकरण

भय और अभय दोनों प्रकारके जीव सतत विपरीताभिनिवेश और मिथ्याज्ञानपूर्वक आसक्तिवश अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्ति करते रहते हैं, तथा कदाचित् सांसारिक स्वार्थवश दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति भी किया करते हैं। ये जीव यदि कदाचित् अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिके साथ सम्यक् अभिनिवेश और सम्यग्ज्ञानपूर्वक कर्तव्यवश दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं तो उनके अन्त-करणमें उस अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिसे घृणा उत्पन्न हो जाती है और तब वे उस अदयारूप संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिसे सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह वह पुण्यभावरूप जीवदया अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे सर्वथा निवृत्तिपूर्वक होने वाली दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहारधर्मकी उत्पत्तिमें कारण सिद्ध हो जाती है।

निश्चयधर्मरूप जीवदयाका विशेष स्पष्टीकरण

निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्ति भव्य जीवमें ही होती है, अभव्य जीवमें नहीं। तथा उस भव्य जीवमें उसकी उत्पत्ति मोहनीयकर्मके भेद अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संवलनरूप कषायोंकी क्रोधप्रकृतियोंका यथास्थान यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर शुद्ध स्वभावके रूपमें उत्तरोत्तर प्रकर्षकी लेकर होती है। इसकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार है—

(क) अभव्य और भव्य दोनों प्रकारके जीवोंकी भाववती शक्तिका अनादिकालसे अनन्तानुबन्धी आदि उक्त चारों कषायोंकी क्रोध-प्रकृतियोंके सामूहिक उदयपूर्वक अदयारूप विभावपरिणमन होता आया है। दोनों प्रकारके जीवोंमें उस अदयारूप विभावपरिणमनकी समाप्तिके कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासकी योग्यता भी स्वभावतः विद्यमान है। भव्य जीवोंमें तो उस अदयारूप विभावपरिणतिकी समाप्तिके अनिवार्य कारणभूत आत्मीयमुक्तारूप करणलम्बिके विकासकी योग्यता भी स्वभावतः विद्यमान है। इस तरह जिस भव्य जीवमें जब क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंका विकास हो जानेपर उक्त करणलम्बिका भी विकास हो जाता है तब सर्वप्रथम उस करणलम्बिके बलसे उस भव्य जीवमें मोहनीयकर्मके भेद दर्शनमोहनीयकर्मकी यथासंभवरूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्मग्निध्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन प्रकृतियोंका व चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथमभेद अनन्तानुबन्धीकषायके नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियोंके साथ क्रोध-प्रकृतिका भी यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमें उसकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें एक प्रकारका जीवदयारूप परिणमन होता है।

(ख) इसके पश्चात् उस भव्यजीवमें यदि उस आत्मीयमुक्तारूप करणलम्बिका विशेष उत्कर्ष हो जावे, तो उसके बलमें उसमें चारित्रमोहनीय कर्मके द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियोंके साथ क्रोध-प्रकृतिका भी क्षयोपशम होनेपर पंचम गुणस्थानके प्रथम समयमें उसकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें दूसरे प्रकारका जीवदयारूप परिणमन होता है।

(ग) इसके भी पश्चात् उस भव्यजीवमें यदि उस आत्मीयमुक्तारूप करणलम्बिका और विशेष उत्कर्ष हो जावे तो उसके बलसे उसमें चारित्रमोहनीयकर्मके तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ-प्रकृतियोंके साथ क्रोध-प्रकृतिका भी क्षयोपशम होनेपर सप्तमगुणस्थानके प्रथम समयमें उसकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें तीसरे प्रकारका जीवदयारूप परिणमन होता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सप्तमगुणस्थानको प्राप्त जीव सतत सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम दोनों गुणस्थानोंमें अर्न्तहृत कालके अन्तरालसे झूलेकी तरह झूलना रहता है।

(घ) उक्त प्रकार सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम दोनों गुणस्थानोंमें झूलते हुए जीवमें यदि सप्तम गुणस्थानसे पूर्व ही दर्शनमोहनीयकर्मकी उक्त तीन और चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी उक्त चार—इन सात प्रकृतियोंका उपशम या क्षय हो चुका हो, अथवा सप्तम गुणस्थानमें ही उनका उपशम या क्षय हो जावे तो उसके पश्चात् वह जीव उस आत्मीयमुक्तारूप करणलम्बिका मत्तम, अष्टम और नवम गुणस्थानोंमें क्रमशः अक्ष.करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके रूपमें और भी विशेष उत्कर्ष प्राप्त कर केता है और तब नवम गुणस्थानमें हो उस जीवमें चारित्रमोहनीयकर्मके उक्त द्वितीय और तृतीय भेदरूप

अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी क्रोध-प्रकृतियोंके साथ चारित्र्यमोहनीय कर्मके चतुर्थ भेद संज्वलन कषायकी क्रोध-प्रकृतिका भी उपशम या क्षय होने पर उस जीवकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें चौथे प्रकारका जीवदयारूप परिणमन होता है ।

इस विवेचनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवोंकी भाववती शक्तिका अनादिकालसे चारित्र्यमोहनीयकर्मके भेद अनन्तानुबन्धी आदि चारो कषायोंकी क्रोधप्रकृतियोंके सामूहिक उदयपूर्वक अवधारण विभावपरिणमन होता आया है, परन्तु जब जिस भव्यजीवकी उस भाववती शक्तिका वह अवधारण विभाव-परिणमन यथास्थान उम-उस क्रोध-प्रकृतिका यथासंभव उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर यथायोग्यरूपमें समाप्त होता जाता है, तब उसके बलसे उस जीवकी उस भाववतीशक्तिका उत्तरोत्तर विशेषता लिए हुए शुद्ध स्वभावरूप निश्चयधर्मके रूपमें दयारूप परिणमन होता जाता है। इतना अवश्य है कि उन क्रोध-प्रकृतियोंका यथास्थान यथायोग्यरूपमें होने वाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम उस भव्य जीवमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकामपूर्वक आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिका विकास होने पर ही होता है ।

व्यवहारधर्मरूप जीवदयाका विशेष स्पष्टीकरण

भव्य जीवमें उपयुक्त पाँचो लब्धियोंका विकास तब होता है जब वह जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक दयारूप पुण्यमय क्षुभ प्रवृत्तियोंको क्रियावती शक्तिके ही परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक अवधारण संकल्पीपापमय अक्षुभ प्रवृत्तियोंके मनोमुक्ति, वचनमुक्ति और कायगुणिके रूपमें निवृत्तिपूर्वक करने लगता है। इन अवधारण संकल्पीपापमय अक्षुभ प्रवृत्तियोंसे निवृत्तिपूर्वक की जानेवाली दयारूप पुण्यमय क्षुभ प्रवृत्तिका नाम ही व्यवहारधर्मरूप दया है। इस तरह यह निर्णय है कि जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप व्यवहारधर्मरूप जीवदयाके बलपर ही भव्यजीवमें भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मरूप जीव-दयाकी उत्पत्तिमें कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलब्धियोंका विकास होता है। इस तरह निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें व्यवहारधर्मरूप जीवदया कारण सिद्ध हो जाती है ।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कोई-कोई अभव्यजीव भी व्यवहारधर्मरूप दयाको अंगीकार करके अपनेमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंका विकास कर लेता है। इतना अवश्य है कि उसकी स्वभावभूत अभव्यताके कारण उसमें आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिका विकास नहीं होता है। इस तरह उसमें भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मरूप जीवदयाका विकास भी नहीं होता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि भव्यजीवमें उक्त क्रोध-प्रकृतियोंका यथासंभवरूपमें होने वाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम यद्यपि आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिका विकास होनेपर ही होता है, परन्तु उसमें उस करणलब्धिका विकास क्रमशः क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चारो लब्धियोंका विकास होनेपर ही होता है। अतः इन चारों लब्धियोंको भी उक्त क्रोध-प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें कारण माना गया है ।

जीवका भाववती और क्रियावती शक्तियोंके सामान्य परिणमनोंका विवेचन

जीवकी भाववती और क्रियावती—इन दोनों शक्तियोंको आगममें उनके स्वतः सिद्ध स्वभावके रूपमें बतलाया गया है। इनमेंसे भाववतीशक्तिके परिणमन एक प्रकारसे तो मोहनीयकर्मके उदयमें विभावरूप, व उसके उपशम, क्षय या क्षयोपशममें शुद्धस्वभावरूप होते हैं तथा दूसरे प्रकारसे हृदयके सहारेपर तत्प-

अतत्त्वज्ञानरूप या अतत्त्वअज्ञानरूप और अस्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानरूप या अतत्त्वज्ञानरूप होते हैं। एवं क्रियावती शक्तिके परिणमन संसारावस्थामें एक प्रकारसे तो मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ और पापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं, दूसरे प्रकारसे पापमय अशुभ प्रवृत्तिमें मनोगुणित, वचनगुणित और कायगुणितके रूपमें निवृत्तिपूर्वक मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं और तीसरे प्रकारसे सक्रिय मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणाके सहारेपर पुण्यरूपता और पापरूपतासे रहित आत्मक्रियाके रूपमें होते हैं। इनके अतिरिक्त संसारका विच्छेद हो जानेपर जीवकी क्रियावती शक्तिका चौथे प्रकारसे जो परिणमन होता है, वह स्वभावतः उर्ध्वगमन-रूप होता है। जीवकी क्रियावती शक्तिके इन चारों प्रकारसे होने वाले परिणमनोंमेंसे पहले प्रकारके परिणमन कर्मोंके आत्मवपूर्वक प्रकृति, प्रवेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकारके बन्धमें कारण होते हैं। दूसरे प्रकारके परिणमन पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तरूप होनेसे अशुभजीवमें यथायोग्य कर्मोंके संवरपूर्वक निर्जर्गणमें कारण होते हैं तथा पुण्यरूप शुभ प्रवृत्तिरूप होनेसे यथायोग्य कर्मोंके आत्मवपूर्वक प्रकृति, प्रवेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकारके बन्धमें कारण होते हैं। तीसरे प्रकारके परिणमन पुण्यरूपता और पापरूपतासे रहित होनेसे केवल मानावेदनीयकर्मोंके आत्मवपूर्वक प्रकृति तथा प्रवेश बन्धमें कारण होते हैं और चौथे प्रकारका परिणमन केवल आत्माश्रित होनेसे कर्मोंके आत्मव और बन्धमें कारण नहीं होता है और कर्मोंके संवर और निर्जर्गणपूर्वक उन कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जानेसे कर्मोंका संवर और निर्जर्गणका कारण होनेका तो प्रश्न ही नहीं रहता है।

जीवकी क्रियावती शक्तिके प्रवृत्तिरूप परिणमनोंका विद्वलेषण

जीवकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर अतत्त्वअज्ञानरूप और अस्तिष्कके सहारे पर अतत्त्वज्ञानरूप जो परिणमन होते हैं, उनसे प्रभावित होकर जीवकी क्रियावती शक्तिके आसक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं। एवं कदाचित् सामाजिक स्वायंभवावस्था पुण्यमय शुभप्रवृत्तिरूप परिणमन भी होते हैं, इसी तरह जीवकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर तत्त्वअज्ञानरूप और अस्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानरूप जो परिणमन होते हैं उनसे प्रभावित होकर जीवकी क्रियावती शक्तिके एक तो आसक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भीपापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं और दूसरे कर्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभप्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं।

संसार जीव आसक्ति, मोह, ममता तथा राग और द्वेषके बधीमृत होकर मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप जो लोकविरुद्ध हिंसा, झूठ, चोरी तथा पदार्थोंके अनावश्यक भोग और संघर्ष-रूप क्रियाएँ सतत करता रहता है, वे सभी क्रियाएँ संकल्पी पाप कहलाती हैं। इनमें सभी तरहकी स्वरहितविघातक क्रियाएँ अन्तर्भूत होती हैं।

संसार जीव अशक्ति, मजबूरी आदि अनिवाय परिस्थितियोंवश मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप जो लोकसम्मत हिंसा, झूठ, चोरी तथा आवश्यक भोग और सघनरूप क्रियाएँ करता है, वे सभी क्रियाएँ आरम्भीपाप कहलाती हैं। इनमें जीवनका संचालन, कुटुम्बका भरण-पोषण तथा धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र और लोकका मरक्षण आदि उपयोगी कार्योंको सम्पन्न करनेके लिए नीतिपूर्वक की जानेवाली अहिंसा, मरि, कृषि, सेवा, शिल्प, वाणिज्य तथा अनिवाय भोग और मंग्रहृत्प्रवृत्तिरूप क्रियाएँ अन्तर्भूत होती हैं।

संसार जीव जितनी परहितकारी मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियाएँ करता है, वे सभी क्रियाएँ पुण्य कहलाती हैं। इस प्रकारकी पुण्यरूप क्रियाएँ दो प्रकारकी होती हैं—एक तो सांसारिक

स्वार्थवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया और दूसरी कर्तव्यवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया। इनमेंसे कर्तव्यवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया ही वास्तविक पुण्यक्रिया है। ऐसी पुण्यक्रियासे ही परोपकारकी सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त बीतरागी देवकी आराधना, बीतरागताके पोषक शास्त्रोंका पठन-पाठन, चिन्तन और मनन व बीतरागताके मार्गपर आरूढ़ गुरुओंकी सेवा-भक्ति तथा स्वावलम्बनशाक्तिको जानूत करनेवाले प्रताचरण और तपश्चरण आदि भी पुण्यक्रियाओंमें अन्तर्भूत होते हैं।

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि उक्त आरम्भी पाप भी यदि आसक्ति आदिके बधीभूत होकर किये जाते हैं तथा पुण्य भी अहंकार आदिके बधीभूत होकर किये जाते हैं तो उन्हें संकल्पी पाप ही जानना चाहिए।

संसारी जीवकी क्रियावती शक्तिके दया और अदया-रूप परिणमनोंका विवेचन

ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि जीवकी भाववतीशक्तिका चारित्र्यमोहनीय कर्मके भेद अनन्तानुबन्धी आदि चारो कषायोकी क्रोचप्रकृतियोंके उदयमें अदयारूप विभाव-परिणमन होता है, और उन्हीं क्रोचप्रकृतियोंके यथास्थान, यथामभवरूपमें होनेवाले उपशम, क्षय या क्षयोपशममें दयारूप स्वभाव-परिणमन होता है। यहाँ जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक परिणमनोंके विषयमें यह बतलाया जा रहा है कि जीवद्वारा परहितकी भावनासेकी जानेवाली क्रियाएँ पुण्यके रूपमें दया कहलाती हैं और जीवद्वारा परके अहितकी भावनासे की जानेवाली क्रियाएँ संकल्पीपापके रूपमें अदया कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त जीवकी जिन क्रियाओंमें परके अहितकी भावना प्रेरक न होकर केवल स्वहितकी भावना प्रेरक हो, परन्तु जिनसे परका अहित होना निश्चित हो, वे क्रियाएँ आरम्भीपापके रूपमें अदया कहलाती हैं। जैसे—एक व्यक्ति द्वारा अनोतिपूर्वक दूसरे व्यक्तिपर आक्रमण करना संकल्पीपापक अदया है, परन्तु उस दूसरे व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षाके लिए उस आक्रामक व्यक्तिपर प्रत्याक्रमण करना आरम्भीपापरूप अदया है।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जीवकी पुण्यमय क्रिया संकल्पीपापमय क्रियाके साथ भी संभव है और आरम्भीपापमय क्रियाके साथ भी संभव है, परन्तु संकल्पी और आरम्भी दोनों पापरूप क्रियाओंमें जीवकी प्रवृत्ति एकसाथ नहीं हो सकती है, क्योंकि संकल्पीपापरूप क्रियाओंके साथ जो आरम्भीपापरूप क्रियाएँ देखनेमें आती हैं उन्हे वास्तवमें संकल्पी पापरूप क्रियाएँ ही मानना युक्तिसंगत है। इस तरह संकल्पीपापरूप क्रियाओंसे सर्वथा त्यागपूर्वक जो आरम्भीपापरूप क्रियाएँ की जाती हैं, उन्हीं ही वास्तविक आरम्भीपापरूप क्रियाएँ समझना चाहिए।

व्यवहारधर्मरूप दयाका विश्लेषण और कार्य

ऊपर बतलाया जा चुका है कि जीव द्वारा मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंके साथ परहितकी भावनासे की जाने वाली मानसिक, वाचनिक और कायिक शुभ क्रियाएँ पुण्यके रूपमें दया कहलाती हैं और वे कर्मोंके आत्मव और बन्धका कारण होती हैं, परन्तु भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवों द्वारा कम-से-कम मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें होनेवाली सर्वधानिवृत्तिपूर्वक जो मानसिक, वाचनिक और कायिक दयाके रूपमें पुण्यमय शुभ क्रियाएँ की जाने लगती हैं वे क्रियाएँ ही व्यवहारधर्मरूप दया कहलाती हैं। इसमें हेतु यह है कि उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंसे निवृत्तिपूर्वक की जानेवाली पुण्यभूत

ध्या भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवोंमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देधाना और प्रायोव्य लब्धियोंके विकासका कारण होता है तथा भव्यजीवमें तो वह पुण्यरूप दया इन लब्धियोंके विकासके साथ आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिके विकासका कारण होती है। उक्त करणलब्धि प्रथमतः मोहनीयकर्मके भेद स्थानमोहनीय कर्मकी यथासंभव रूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिरूप तीन व मोहनीयकर्मके भेद चारित्र-मोहनीयकर्मकी अनन्तानुबन्धी कथारूप क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार—इस तरह सात प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें कारण होती है। इस तरह उक्त व्यवहारधर्मरूप दया कर्मोंके संवर और निर्जरणमें कारण सिद्ध हो जाती है। इतनी बात अवश्य है कि उस व्यवहारधर्मरूप दयामें जितना पुण्यमय दयारूप प्रवृत्तिका अंश विद्यमान रहता है वह तो कर्मोंके आस्रव और बन्धका ही कारण होता है तथा उस व्यवहारधर्मरूप दयाका संकल्पीपापमय अदयारूप प्रवृत्तिसे होनेवाली सर्वथा निवृत्तिका अंश ही कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण होता है। द्रव्यसंग्रहग्रन्थकी गाथा ४५ में जो व्यवहार-चारित्रिका लक्षण निर्धारित किया गया है, उसके आधारपर व्यवहारधर्मरूप दयाका स्वरूप स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाता है। वह गाथा निम्न प्रकार है—

असुहादो विणिविती सुहे पविती य जाण चारित्तं ।

वदसमिदिगुत्तरूवं व्यवहारण्या दु जिणमणियं ॥४५॥

अर्थ—अशुभसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली शुभ प्रवृत्तिको जिन भगवान्ने व्यवहार-चारित्र कहा है। ऐसा व्यवहार-चारित्र श्रुत, समिति और गुप्तिरूप होता है।

इस गाथामें श्रुत, समिति और गुप्तिको व्यवहारचारित्र कहनेमें हेतु यह है कि इनमें अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिका रूप पाया जाता है। इस तरह इस गाथासे निर्णीत हो जाता है कि जो व पुण्यरूप दयाके साथ करता है तबकत तो उस दयाका अन्तर्भवि पुण्यरूप दयामें होता है और वह जीव उक्त पुण्यरूप जीव-दयाको जब पापरूप अदयासे निवृत्तिपूर्वक करने लग जाता है तब वह पुण्यभूत दया व्यवहारधर्मका रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इस दयासे जहाँ एक ओर पुण्यमय प्रवृत्तिरूपनाके आधारपर कर्मोंका आस्रव और बन्ध होता है वहाँ दूसरी ओर उस दयासे पापरूप अदयासे निवृत्तिरूपताके आधारपर अभव्यजीवमें कर्मोंका संवर और निर्जरण भी हुआ करता है। व्यवहारधर्मरूप दयासे कर्मोंका संवर और निर्जरण होता है, इसकी पुष्टि आचार्य वीरसेनके द्वारा जयधवलके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निदिष्ट निम्न वचनसे होती है—

सुह-सुद्वपरिणामेहि कम्मबन्धयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो ।

अर्थ—शुभ और शुद्धके रूपमें मिश्रित परिणामोंसे यदि कर्मक्षय नहीं होता हो, कर्मक्षयका होना असंभव हो जायेगा।

आचार्य वीरसेनके वचनसे 'सुह-सुद्वपरिणामेहि' पदका ग्राह्य अर्थ

आचार्य वीरसेनके वचनके 'सुह-सुद्वपरिणामेहि' पदमें सुह और सुद्व दो शब्द विद्यमान हैं। इनमेंसे 'सुह' शब्दका अर्थ भव्यजीवकी क्रियावती शक्तिके प्रवृत्तिरूप शुभ परिणमनके रूपमें और 'सुद्व' शब्दका अर्थ उस अभव्यजीवकी क्रियावती शक्तिके अशुभसे निवृत्तिरूप शुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना ही युक्त है। 'सुह' शब्दका अर्थ जीवकी भाववतीशक्तिके पुण्यकर्मके उदयमें होनेवाले शुभ परिणामके रूपमें और 'सुद्व' शब्दका अर्थ उस जीवकी भाववतीशक्तिके मोहनीयकर्मके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले शुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना युक्त नहीं है। आगे इती बातको स्पष्ट किया जाता है—

जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक शुभ और अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन कर्मके आस्रव और बन्धके कारण होते हैं और उसी क्रियावतीशक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक उन प्रवृत्तिरूप परिणमनसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और काव्यगुप्तिके रूपसे निवृत्तिरूप शुद्ध परिणमन भव्यजीवमें कर्मके संवर और निर्जरणके कारण होते हैं। जीवकी भाववतीशक्तिके न तो शुभ और अशुभ परिणमन कर्मके आस्रव और बन्धके कारण होने हैं, और न ही उसके शुद्ध परिणमन कर्मके संवर और निर्जरणके कारण होते हैं, इसमें यह हेतु है कि जीवकी क्रियावतीशक्तिका मन, वचन और कायिक महयोगसे जो क्रियारूप परिणमन होता है, उसे योग कहते हैं ('कायवाङ्मनकर्म योग'—त० सू० ६-१)। यह योग यदि जीवकी भाववतीशक्तिके पूर्वोक्त तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणमनसे प्रभावित हो तो उसे शुभ योग कहते हैं और वह योग यदि जीवकी भाववतीशक्तिके पूर्वोक्त अतत्त्वश्रद्धान, अतत्त्वज्ञान रूप अशुद्ध परिणमनसे प्रभावित हो तो उसे अशुभ योग कहते हैं, ('शुभपरिणामनिवृत्तो योग. शुभं । अशुभपरिणामनिवृत्तो योग अशुभः'—सर्वार्थसिद्धि ६-३)। यह योग ही कर्मोंका आस्रव अर्थात् बन्धका द्वार कहलाता है। ('स आस्रव' त० सू० ६-२)। इस तरह जीवकी क्रियावती शक्तिका शुभ और अशुभ योगरूप परिणमन ही कर्मोंके आस्रव-पूर्वक प्रकृति, प्रदेष्टा, स्थिति और अनुभाररूप बन्धका कारण सिद्ध होता है।

यद्यपि योगकी शुभरूपता और अशुभरूपताका कारण होनेसे जीवकी भाववतीशक्तिके तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणमनको व अतत्त्वश्रद्धान और अतत्त्वज्ञानरूप अशुभ परिणमनको भी कर्मोंके आस्रवपूर्वक बन्धका कारण मानना अयुक्त नहीं है, परन्तु कर्मोंके आस्रव और बन्धका साक्षात् कारण तो योग ही निश्चित होता है। जैसे कोई डाक्टर शीघीमें रखी हुई तेजाबको भ्रमवशात् आँसुकी दवाई समझ रहा है तो भी तबतक तेजाब रोगीकी आँसुकी हानि नहीं पहुँचाती है, जबतक वह डाक्टर उस तेजाबको रोगीकी आँसुमें नहीं डालता है। जब डाक्टर उस तेजाबको रोगीकी आँसुमें डालता है तो तत्काल वह तेजाब रोगीकी आँसुकी हानि पहुँचा देता है। इसी तरह आँसुकी दवाईको आँसुकी दवाई समझकर भी जबतक डाक्टर उस रोगीकी आँसुमें नहीं डालता है तबतक वह दवाई उस रोगीकी आँसुको लाभ नहीं पहुँचाती है। परन्तु, जब डाक्टर उस दवाईको आँसुमें डालता है, तो तत्काल वह दवाई रोगीकी आँसुको लाभ पहुँचा देती है। इससे निर्णय होता है कि जीवकी क्रियावतीशक्तिके शुभ और अशुभ योगरूप परिणमन ही आस्रव और बन्धका कारण होता है। इतना अवश्य है कि जीवकी भाववतीशक्तिके हृदयके सहारेपर होनेवाला तत्त्वश्रद्धानरूप शुभ परिणमन या अतत्त्वश्रद्धानरूप अशुभ परिणमन और जीवकी भाववतीशक्तिके मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणमन या अतत्त्वज्ञानरूप अशुभ परिणमन भी योगकी शुभरूपता और अशुभरूपताके कारण होनेसे परम्परया आस्रव और बन्धके कारण माने जा सकते हैं, परन्तु आस्रव और बन्धमें साक्षात् कारण तो योग ही होता है।

इसी प्रकार जीवकी क्रियावतीशक्तिके योग-रूप परिणमनके निरोधको ही कर्मके संवर और निर्जरणके कारण मानना युक्त है—('आस्रवनिरोध संवर.'—त० सू० ९-१)। जीवकी भाववतीशक्तिके मोहनीयकर्मके यथासंभव उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले स्वभावभूत शुद्ध परिणमनको संवर और निर्जरणका कारण मानना युक्त नहीं है, क्योंकि भाववतीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमन मोहनीयकर्मके यथासंभव उपशम, क्षय या क्षयोपशमपूर्वक होनेके कारण संवर और निर्जरणके कार्य हो जानेसे कर्मोंके संवर और निर्जरणमें कारण सिद्ध नहीं होते हैं। एक बात और, जब जीवकी क्रियावतीशक्तिके योगरूप परिणमनसे कर्मोंका आस्रव होता है तो कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण योग-निरोधको ही मानना युक्त होगा। यही कारण है कि

जीवमें गुणस्थानक्रमसे जितना-जितना योगका निरोध होता जाता है उस जीवसे वहाँ उतना-उतना कर्मोंका सवर नियमसे होता जाता है तथा जब यागका पूर्ण निरोध हो जाता है तब कर्मोंका सवर भी पूर्णरूपसे हो जाता है। कर्मोंका सवर होनेपर बद्ध कर्मोंकी निर्जरा या तो निषेक-रचनके अनुसार सविपाकरूपमें होती है अथवा 'तपसा निर्जरा च' (त० सू० १-३) के अनुसार क्रियावतीशक्तिके परिणामन-स्वरूप तपके बलपर अविपाकरूपमें होती है। इसके अतिरिक्त यदि जीवकी भाववतीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणामनको सवर और निर्जराका कारण स्वीकार किया जाता है तो जब द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें ही भाववतीशक्तिके स्वभावभूत परिणामनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाता है तो एक तो द्वादश और त्रयोदश गुणस्थानोंमें सातावेदनीय कर्मका आस्रवपूर्वक प्रकृति और प्रदशरूपमें बन्ध नहीं होना चाहिए। दूसरे, द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें ही भाववतीशक्तिके स्वभावभूत परिणामनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घाती-कर्मोंका तथा चारों अघाती-कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जाना चाहिए। परन्तु जब ऐसा होता नहीं है तो यही स्वीकार करना पड़ता है कि आस्रव और बन्धका मूल कारण योग है और विद्यमान ज्ञानावरणादि उक्त तीनों घाती-कर्मोंकी एव चारों अघाती-कर्मोंकी निर्जरा निषेकक्रमसे ही होती है। त्रयोदश गुणस्थानमें केवली भगवान् अघाता कर्मोंको समान स्थितिका निर्माण करनेके लिए जो समुद्घात करते हैं वह भी उनकी क्रियावतीशक्तिका ही कायिक परिणाम है।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयध्वलाके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निदिष्ट आचार्य वीरसेनके उपर्युक्त वचनके अगभूत 'सुह-सुद परिणामेहि' पदसे जीवकी क्रियावतीशक्तिके अशुभ प्रवृत्तिते निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप परिणामनको अभिप्राय ग्रहण करना ही मंगल है। भाववतीशक्तिके तत्त्व-श्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ व मोहनीयकर्मके यथास्थान यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले स्वभावभूत शुद्ध परिणामनका अभिप्राय ग्रहण करना सगत नहीं है।

यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि जयध्वलाके उक्त वचनके 'सुह-सुद परिणामेहि' पदके अन्तर्गत 'सुद' शब्दका अर्थ यदि जीवकी भाववतीशक्तिके मोहनीयकर्मके यथासंभव उपशम, क्षय या क्षयोपशममें विकासको प्राप्त शुद्ध परिणामनस्वरूप निश्चयधर्मके रूपमें स्वीकार किया जाये तो उस पदके अन्तर्गत 'सुह' शब्दका अर्थ पूर्वोक्त प्रकार जीवको भाववतीशक्तिके तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणामनके रूपमें स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है, इसलिए उस 'सुह' शब्दका अर्थ यदि जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणामन स्वरूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें स्वीकार किया जाये तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति तो कर्मोंके आस्रव और बन्धका ही कारण होती है। अतः उस 'सुद' शब्दका अर्थ जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणामनस्वरूप पापमय अशुभ प्रवृत्तिते निवृत्तिपूर्वक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस प्रकारके व्यवहार-धर्मके पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप अंशसे जहाँ कर्मोंका आस्रव और बन्ध होता है वहाँ उसके पापमय अशुभ प्रवृत्तिते निवृत्तिरूप अंशसे कर्मोंका सवर और निर्जरण भी होता है। परन्तु ऐसा स्वीकार कर लेनेपर भी जीवकी भाववतीशक्तिके स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप परिणामनको पूर्वोक्त प्रकार कर्मोंके सवर और निर्जरणका कारण सिद्ध न होनेसे 'सुद' शब्दका अर्थ कदापि नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार जयध्वलाके 'सुह-सुद परिणामेहि' पदके अन्तर्गत 'सुद' शब्दके निरर्थक होनेका प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। अतः उक्त 'सुह-सुद परिणामेहि' इस सम्पूर्णा पदका अर्थ जीवको क्रियावतीशक्तिके परिणामनस्वरूप पापमय अशुभ प्रवृत्तिते निवृत्तिपूर्वक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें ही ग्रहण हो सकता है।

यदि यह कहा जाय कि जीवको मोक्षका प्राप्त उसकी भाववतीशक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चय-

धर्मके रूपमें परिणमन होनेपर ही होती है, इसलिए 'सुह-सुदपरिणामेहि' पदके अन्तर्गत 'सुद' शब्द निरर्थक नहीं है तो इस बातको स्वीकार करनेमें यद्यपि कोई आपत्ति नहीं है. परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि मोक्षकी प्राप्ति जीवकी भाववनीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनके होनेपर होना एक बात है और उस स्वभावभूत शुद्ध परिणमनको कर्मअथवा कारण मानना अन्य बात है, क्योंकि वास्तवमें देखा जाये तो द्वादशगुणस्थानवर्ती जीवका वह शुद्ध स्वभाव मोक्षरूप शुद्ध स्वभावका ही अंश है जो मोहनीयकर्मके सर्वथा क्षय होनेपर ही प्रकट होता है ।

अन्तमें एक बात यह भी विचारणीय है कि उक्त 'सुह-सुदपरिणामेहि' पदके अन्तर्गत 'सुद' शब्दका जीवकी भाववनीशक्तिका स्वभावभूत शुद्ध परिणमन अर्थ स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त यह समस्या तो उपस्थित है ही कि द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें शुद्धस्वभावभूत निश्चयधर्मका पूर्ण विकास हो जानेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घाती कर्मोंका एव चारों अघाती कर्मोंके एक साथ क्षय होनेकी प्रसक्ति होती है । साथ ही यह समस्या भी उपस्थित होती है कि जीवकी भाववनीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनके विकामका प्रारम्भ, जब प्रथम गुणस्थानके अन्त समयमें मोहनीयकर्मकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप चार, इन सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या जयोपशम हो जाने पर चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमें होता है, तो ऐसी स्थितिमें उस स्वभावभूत शुद्ध परिणमनको कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण कैसे माना जा सकता है ? अर्थात् नहीं माना जा सकता है । यह बात पूर्वमें स्पष्ट की जा चुकी है ।

प्रकृतमें कर्मोंके आस्रव और बन्ध तथा संवर और निर्जराकी प्रक्रिया

१. अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव जबतक आसक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति करते रहते हैं तबतक वे उस प्रवृत्तिके आधारपर सतत कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं, तथा उस संकल्पीपापमय अशुभ प्रवृत्तिके साथ वे यदि कदाचित् सासारिक स्वार्थवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी करते हैं तो भी वे उन प्रवृत्तियोंके आधारपर सतत कर्मोंका आस्रव और बन्ध भी किया करते हैं ।

२. अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव जब आसक्तिवश होनेवाले संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्तिके कर्तव्यवश करने लगते हैं, तब भी वे कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

३. अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें सर्वथा त्यागकर यदि आसक्तिवश होने वाले मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं, तो भी वे कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

४. अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके उक्त प्रकार सर्वथा त्यागपूर्वक उक्त आरम्भी पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका भी मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें एकदेश अथवा सर्वदेश त्यागकर कर्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं, तो भी वे कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

५. अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा त्याग-

कर उक्त आरम्भी पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करने हुए अथवा उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा व उक्त आरम्भी पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका एकदेश या सर्वदेश त्यागकर कर्त्तव्यवश पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति करने हुए यदि क्षयोपशम, विशद्वि, देधाना और प्रायोग्य लब्धियोंका अपनेमें विकास कर लेते हैं, तो भी वे कर्मोंका आसव और बन्ध ही किया करते हैं ।

६. यत् मिथ्यात्व गुणस्थानके अनिरिक्त सभी गुणस्थान भव्य जीवके ही होते हैं, अभव्य जीवके नहीं, अतः जो भव्य जीव सासादन सम्यग्दृष्टि हो रहे हो, उनमें भी उक्त पाँचो अनुच्छेदोंमेंसे दो, तीन और चार संख्यक अनुच्छेदोंमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ यथायोग्य पूर्वसंस्कारवश या सामान्यरूपमें लागू होती हैं, तथा अनुच्छेद तीन और चारमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी लागू होती हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनुच्छेद एकमें प्रतिपादित व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे जीव एक तो केवल संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति कदापि नहीं करते हैं व उनकी प्रवृत्तिपूर्वक होनेके कारण वे पुण्यमय दयारूप प्रवृत्ति भी सासारिक स्वार्थवश नहीं करते हैं, तथा उनमें अनुच्छेद पाँचमें प्रतिपादित व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे अपना समय व्यतीत करके नियममें मिथ्यात्व गुणस्थान को ही प्राप्त करते हैं । इसी तरह मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अनुच्छेद एक और दोमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ इसलिए लागू नहीं होती कि उनमें संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव रहता है तथा उनमें अनुच्छेद पाँचकी व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे भी मिथ्यात्वगुणस्थानकी ओर झुके हुए होनेके कारण अपना समय व्यतीत करके मिथ्यात्व गुणस्थानको ही प्राप्त करते हैं । इस तरह सासादनसम्यग्दृष्टि और मिथ्यात्वगुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सतत यथायोग्य कर्मोंका आसव और बन्ध ही किया करते हैं । यहाँ यह ध्यातव्य है कि सामादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके साथ सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रवृत्तियाँ भी अबुद्धिपूर्वक हुआ करती हैं ।

७. उपर्युक्त जीवोंसे अतिरिक्त जो भव्यमिथ्यादृष्टि जीव और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व-प्राप्तिकी ओर झुके हुए हो अर्थात् सम्यक्त्व-प्राप्तिके अनिवार्य कारणभूत करणलम्बिकी प्राप्त हो गये हो, वे नियमसे यथायोग्य कर्मोंका आसव और बन्ध करते हुए भी दर्शनमोहनीयकर्मकी यथासम्भवरूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन तथा चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी नियमसे विद्यमान—क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप चार—इस तरह सात कर्म-प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशम रूपमें संवर और निर्जरण किया करते हैं । इसी तरह चतुर्थ गुणस्थानमें लेकर आगेके गुण-स्थानोंमें विद्यमान जीव यथायोग्य कर्मोंका आसव और बन्ध, यथायोग्य कर्मोंका संवर और निर्जरण किया करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचनका फलितार्थ

१. कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति ही किया करते हैं । अथवा संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ सासारिक स्वार्थवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी किया करते हैं । कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति कर्त्तव्यवश किया करते हैं । कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पी-पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा त्यागपूर्वक आरम्भीपापमय अदयारूप शुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश

पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं एवं कोई अनव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अथवारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा व आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश अथवा सर्वदेश त्यागपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं ।

२. कोई सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सामान्यरूपसे संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ पूर्व संस्कारके बलपर कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं । कोई सासादनसम्यग्दृष्टि जीव पूर्व संस्कारके बलपर संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा निवृत्तिपूर्वक आरम्भीपापमय अथवारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं, और कोई सासादनसम्यग्दृष्टि जीव पूर्व संस्कारवश संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा व आरम्भीपापमय अथवारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश अथवा सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं ।

३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि भव्य मिथ्यादृष्टि और सामानसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं, परन्तु उनमें इतनी विशेषता है कि वे संकल्पीपापमय अथवारूप अशुभ प्रवृत्ति किसी भी रूपमें नहीं करते हैं ।

४. चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर आगेके गुणस्थानोंमें विद्यमान सभी जीव तृतीय गुणस्थानवर्ती जीवोंके समान संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा रहित होते हैं । इस तरह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव या तो आनन्तितवश आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं अथवा आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश या सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं ।

५. पंचम गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेशनिवृत्तिपूर्वक दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं, क्योंकि ऐसा किये बिना जीवको पंचम गुणस्थान कदापि प्राप्त नहीं होता है । इतना अवश्य है कि कोई पंचम गुणस्थानवर्ती जीव आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वदेशनिवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं ।

६. षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि ऐसा किये बिना जीवको षष्ठ गुणस्थान प्राप्त नहीं होता ।

७. षष्ठ गुणस्थानसे आगेके गुणस्थानोंमें जीव आरम्भीपापमय अथवारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा निवृत्त रहता है तथा पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी बाह्य रूपमें नहीं करते हुए अन्तरंगरूपमें ही तब तक करता रहता है, जब तक नवम गुणस्थानमें उसको अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायोंकी क्लेश-भ्रष्टतियोंके सर्वथा उपशम या क्षय करनेकी क्षमता प्राप्त नहीं होती । तात्पर्य यह है कि जीवके अप्रत्याख्यानावरण क्लेशकर्मका उदय प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानके अन्त समय तक रहता है और पंचमगुणस्थानमें और उसके आगे उसका क्षयोपशम ही रहा करता है । इसी तरह जीवके प्रत्याख्यानावरण क्लेशकर्मका उदय प्रथम गुणस्थानसे लेकर पंचम गुणस्थानके अन्त समय तक रहा करता है । इसी तरह जीवके प्रत्याख्यानावरण क्लेशकर्मका उदय प्रथम गुणस्थानसे लेकर पंचम गुणस्थानके अन्त समय तक रहा करता है, और षष्ठ गुणस्थानमें और उसके आगे उसका क्षयोपशम ही रहा करता है तथा इन सभी गुणस्थानोंमें संज्वलनक्लेशकर्मका उदय ही रहा करता है । परन्तु संज्वलनक्लेशकर्मका उदय व अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्लेश कर्मका क्षयोपशम तब तक रहा करता है जब तक नवम गुणस्थानमें इनका

सर्वथा उपसर्ग वा अत्र नहीं हो जाता है । अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मका बन्ध चतुर्थ गुणस्थानके एक निश्चित-भाग तक ही होता है । इन सबके बन्धका कारण जीवकी भाववती शक्तिके हृदय और मस्तिष्कके सहारेपर होने वाले यथायोग्य परिणमनेसे प्रभावित जीवकी क्रियावती शक्तिका मानसिक, वाचनिक और कायिक यथायोग्य प्रवृत्तिरूप परिणमन ही है । जीव चतुर्थ गुणस्थानमें जब तक आरम्भी पंचमय अदयारूप अक्षुभ प्रवृत्तिका यथायोग्य रूपमें एकदेश त्याग नहीं करता, तब तक तो उसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मका बन्ध होता ही रहता है । परन्तु वह जीव यदि आरम्भीपापमय अदयारूप अक्षुभ प्रवृत्तिका एकदेश त्यागकर देता है और उस त्यागके आधारपर उसमें कदाचित् उस अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मके क्षयोपशमकी क्षमता प्राप्त हो जाती है तो इसके पूर्व उस जीवमें उस क्रोधकर्मके बन्धका अभाव हो जाता है । यह व्यवस्था चतुर्थ गुणस्थानके समान प्रथम और तृतीय गुणस्थानमें भी लागू होती है । इसी तरह जीव पंचम गुणस्थानमें जब तक आरम्भीपापमय अदयारूप अक्षुभ प्रवृत्तिका-सर्वदेश त्याग नहीं करता तब तक तो उसके प्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मका बन्ध होता ही है, परन्तु वह जीव यदि आरम्भीपापमय अदयारूप अक्षुभ प्रवृत्तिका सर्वदेश त्यागकर देता है और इस त्यागके आधारपर उसमें कदाचित् उस प्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मके क्षयोपशमकी क्षमता प्राप्त हो जाती है तो इसके पूर्व उस जीवमें उस क्रोधकर्मके बन्धका अभाव हो जाता है । यह व्यवस्था पंचम गुणस्थानके समान प्रथम, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानोंमें भी लागू होती है । पंचम गुणस्थानके आगेके गुणस्थानोंमें तब तक जीव संज्वलन क्रोधकर्मका बन्ध करता रहता है जब तक वह नवम गुणस्थानमें बन्धके अनुकूल अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति करता रहता है । और जब वह नवम गुणस्थानमें संज्वलन क्रोधकर्मके उपशम या क्षयकी क्षमता प्राप्त कर लेता है तो इसके पूर्व उस जीवमें उस क्रोधकर्मके बन्धका अभाव हो जाता है ।

इतना विवेचन करनेमें मेरा उद्देश्य इस बातको स्पष्ट करनेका है कि जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अक्षुभ और दयारूप शुभ प्रवृत्तियोंके रूपमें होनेवाले परिणमन ही क्रोधकर्मके आस्रव और बन्धमें कारण होते हैं और उन प्रवृत्तियोंका निरोध करनेसे ही उन क्रोधकर्मोंका संवर और निर्बरण करनेकी क्षमता जीवमें आती है । जीवकी भाववती शक्तिका न तो मोहनीयकर्मके उपशममें होनेवाला विभाव परिणमन आस्रव और बन्धका कारण होता है और न ही मोहनीयकर्मके उपशम, अथ वा क्षयोपशममें होनेवाला भाववती शक्तिका स्वभावरूप शुद्ध परिणमन संवर और निर्बरणका कारण होता है । इतना अवश्य है कि जीवकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर होनेवाले तत्त्वज्ञानरूप शुभ और अतत्त्वज्ञानरूप अक्षुभ तथा मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाले तत्त्वज्ञानरूप शुभ और अतत्त्वज्ञानरूप अक्षुभ परिणमन अपनी शुभरूपता और अक्षुभरूपताके आधारपर यथायोग्य शुभ और अक्षुभ कर्मोंके आस्रव और बन्धके परम्परया कारण होते हैं, और तत्त्वज्ञान ब्यवहारसम्यग्दर्शनके रूपमें तथा तत्त्वज्ञान ब्यवहार-सम्यक्ज्ञानके रूपमें यथायोग्य कर्मोंके आस्रव और बन्धके साथ यथायोग्य कर्मोंके संवर और निर्बरणके भी परम्परया कारण होते हैं ।

इस विवेचनसे यह बात अन्धी तरह स्पष्ट हो जाती है कि क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप जीवकी मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अक्षुभ और दयारूप शुभ प्रवृत्तियाँ यथायोग्य अक्षुभ और शुभ कर्मोंके आस्रव और बन्धका साक्षात् कारण होती हैं तथा अदयारूप अक्षुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली दयारूप शुभ प्रवृत्ति यथायोग्य कर्मोंके आस्रव और बन्धके साथ यथायोग्य कर्मोंके संवर और निर्बरणका साक्षात् कारण होती हैं, एवं जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमन स्वरूप तथा दयारूप शुभ और अदयारूप

अधुनकतासे रहित जीवकी मानसिक, वाचनिक और काविक योग्यता प्रवृत्ति मान सातान्वेदनीयकर्मके आत्मपूर्वक केवल प्रकृति और प्रदेशरूप बन्वका कारण होती है, तथा योगका अभाव कर्मके संवर और निर्धारणका कारण होता है।

इस सम्पूर्ण विवेचनसे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जीव-व्याप्यरूप भी होती है, जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्म रूप भी होती है तथा इस निश्चयधर्मरूप जीवव्यापकी उत्पत्तिमें कारणभूत व्यवहारधर्मरूप भी होती है। अर्थात् तीनों प्रकारकी जीवव्यापई अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व रखती है।



जैनागममें कर्मबन्ध

गुणस्थानोंकी व्यवस्था

गोमण्डसार जीबकण्डकी गाथा तीनमें गुणस्थानोंकी व्यवस्था मोह और योगके आधारपर बतलाई गई है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

आगममें संसारी जीबोंके १४ गुणस्थान निश्चित किये गये हैं—मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अचिरतसम्यग्दृष्टि, देशचिरत, प्रमत्तचिरत, अप्रमत्तचिरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मलोभ, उपधान्तमोह, क्षोणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली। इनका निर्धारण जीबमें मोहनीकर्मकी यथायोग्य प्रकृतियोंके उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम और योगके सद्भाव और अभावके आधारपर होता है।

मोहनीयकर्मके दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके रूपमें दो भेद हैं। उनमें दर्शनमोहनीयकर्मके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिके रूपमें तीन भेद हैं। चारित्रमोहनीयकर्मके कषायवेदनीय और अकषायवेदनीयके रूपमें दो भेद हैं। कषायवेदनीय कर्मके मूलतः क्रोध, मान, माया और लोभके रूपमें चार भेद हैं तथा ये चारों अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलनके रूपमें चार-चार प्रकारके हैं। फलतः कषायवेदनीयकर्मके १६ भेद हो जाते हैं। अकषायवेदनीयकर्मके हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुनर्वेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके रूपमें ९ भेद हैं। गुणस्थानोंकी चतुर्विंश संख्याके निर्धारणमें दर्शनमोहनीयकर्मकी उक्त तीन और कषायवेदनीयकर्मकी १६ प्रकृतियोंका ही उपयोग है, अकषायवेदनीयकर्मकी ९ प्रकृतियोंका गुणस्थानोंकी चतुर्विंश संख्याके निर्धारणमें उपयोग नहीं है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

दर्शनमोहनीयकर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें जीबकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।

जिस समय सम्यग्दृष्टि जीब प्रथम गुणस्थानकी ओर आता है उस समय मिथ्यात्वकर्मका उदय न होकर प्रथमतः यदि अनन्तानुबन्धीकर्मका उदय होता है तो उस समय जीबकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह द्वितीय सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थान है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि जीब यदि द्वितीय सासादनसम्यग्दृष्टि होता है तो वह विसंयोजित अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंकी संयोजना करके उसके उदयमें होता है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें जीबकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह तृतीय सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान है।

दर्शनमोहनीयकर्मकी उक्त तीन और अनन्तानुबन्धी कषायकी उक्त चार इस प्रकार सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय या क्षयोपशम और अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमें जीबकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह चतुर्थ अचिरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान है।

अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशममें जीबकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह पंचम देशचिरत गुणस्थान है।

प्रत्याख्यानावरण कषायके अयोपशम और संज्वलनकषायके तीव्र उदयमें जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह वृष्ट प्रमत्तविरत गुणस्थान है ।

औपशमिक, अयोपशमिक या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवमें जब संज्वलनकषायका मामात्मरूपसे संबोधय होता है तब जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है तब वह सप्तम स्वस्थानाप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है तथा औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवमें जब संज्वलन कषायका विशेषरूपसे संबोधय होता है तब वह सातिशय-अप्रमत्त गुणस्थान कहलाता है । वह सातिशय-अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे अच-करणरूप आत्मविशुद्धिको प्राप्त रहता है ।

संज्वलनकषायके मन्दतर उदयमें औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह अष्टम अपूर्वकरण गुणस्थान है । यह जीव नियमसे अपूर्वकरणरूप आत्मविशुद्धिको प्राप्त रहता है ।

संज्वलन कषायके मन्दतम उदयमें औपशमिक या क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह नवम अनिबृत्तिकरण गुणस्थान है । इस अनिबृत्तिकरण गुणस्थानमें जीव अकषायबोधोनीय प्रकृतियोंके साथ अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोंको सम्पूर्ण प्रकृतियोंका यथायोग्य उपशम या क्षय करता है तथा संज्वलनकषायकी क्रोध, मान, माया प्रकृतियोंका भी यथायोग्य उपशम या क्षय करता है एवं संज्वलन लोभप्रकृतिका कर्षण भी करता है ।

संज्वलनकषायकी सूक्ष्मताको प्राप्त लोभ प्रकृतिका उदय रहते हुए जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह दशम सूक्ष्मलोभ गुणस्थान कहलाता है ।

दर्शनमोहनीयकर्मकी ३ और अनन्तानुबन्धी कषायकी ४ इन ७ प्रकृतियोंके उपशम अथवा क्षय तथा चारित्रमोहनीयकर्मकी शेष सभी प्रकृतियोंके उपशममें जीवकी भाववतीशक्ति जो परिणमन होता है वह ११वाँ उपशान्तमोह गुणस्थान है ।

मग्नूर्ण मोहनीयकर्मके क्षयमें जीवकी भाववतीशक्तिका जो परिणमन होता है वह १२वाँ क्षीणमोह गुणस्थान है ।

यत १२वाँ गुणस्थान सम्पूर्ण मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर होता है आर यह स्थिति जीवको १३वे और १४वें गुणस्थानमें भी रहती है, अतः इस आधारपर इन तीनों गुणस्थानोंमें समानता पाई जाती है तथापि १२वे गुणस्थानवर्ती जीवको अपेक्षा १३वें और १४वें गुणस्थानवर्ती जीवोंमें यह विशेषता पाई जाती है कि उनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका सर्वथा क्षय होजानेके कारण जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप केवलज्ञान आदि गुणोंका विकास भी पाया जाता है । इसी प्रकार १३वें और १४वें गुणस्थानवर्ती जीवोंमें भी यह विशेषता पाई जाती है कि जहाँ १३वें गुणस्थानवर्ती जीवोंमें क्रियाशील पीद्पालिक मन, बोलनेके स्थानभूत वचन और कायके अवलम्बनसे उन जीवोंकी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप हलन-चलन क्रियारूप योग पाया जाता है वहाँ १४वें गुणस्थानवर्ती जीवोंमें पीद्पालिक मन, वचन और कायका सद्भाव रहते हुए भी उनके निष्क्रिय हो जानेसे योगका सर्वथा अभाव हो जाता है । इस प्रकार १४ गुणस्थानोंकी व्यवस्था निराबाध हो जाती है ।

कर्मबन्धका मूल कारण

जीव और पुद्गल दोनों द्रव्योंमें स्वभावतः भाववतीघातिके साथ क्रियावतीघातिके भी पायी जाती है। उस क्रियावतीघातिके आधारपर ही जीव और पुद्गल दोनों द्रव्योंमें हलन-बलन क्रिया होती है। संसारी जीवोंमें क्रियाशील पीद्गालिक मन या वचन या कायके अवलम्बनसे जो हलन-बलन क्रिया होती है उसे ही योग कहते हैं और वह योग ही कर्मबन्धका मूल कारण है। उसका सद्भाव जीवोंमें प्रथमगुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थानतक पाया जाता है, इसलिए उनमें विद्यमान जीवोंमें नियमसे प्रतिक्षण कर्मबन्ध होता रहता है। यतः १४वें गुणस्थानवर्ती जीवमें पौद्गलित मन, वचन और कायका सद्भाव रहते हुए भी उनके निष्कर्म हो जानेसे योगका अभाव रहता है अतः वहाँ कर्मबन्ध नहीं होता।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सम्बन्धित्यत्व गुणस्थानमें जीवके जो आयुर्कर्मका बन्ध नहीं होता उसका कारण वहाँ योगकी अनुकूलताका अभाव है। तथा आदिके तीन गुणस्थानमें तीर्थंकर प्रकृतिका व आदिके छह गुणस्थानोंमें आहारकशरीर और आहारकअङ्गोपांगका जो बन्ध जीवके नहीं होता है उसका कारण वहाँ भी योगकी अनुकूलताका अभाव है। इसी प्रकार नीचे-नीचेके गुणस्थानोंमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंकी उमर-उमरके गुणस्थानोंमें जो बन्ध व्युत्पन्नित हो जाती है उसका कारण भी वहाँ योगकी तरतमताको ही मना जा सकता है।

कर्मबन्धके विषयमें यह भी ज्ञातव्य है कि आगममें बन्धके चार भेद बतलाये गये हैं—प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध। आगममें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योगके आधारपर होते हैं व स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषायोंके आधारपर होते हैं।

तात्पर्य यह है कि योगके आधारपर ज्ञानावरणादि कर्मवर्गणाओंका आस्रव होता है और उस आस्रवके आधारपर उन वर्गणाओंका आत्माके साथ जो सम्पर्क होता है उसका नाम प्रकृतिबन्ध है तथा वे कर्मवर्गणाएँ कितने-कितने परिमाणमें आत्माके साथ सम्पर्क करती हैं उसका नाम प्रदेशबन्ध है। फलतः प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध दोनोंको योगके आधारपर मान्य करना युक्त है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिका निर्माण योगके आधारपर होता है ? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि योगका कार्य ज्ञानावरणादि कर्मवर्गणाओंका आस्रवपूर्वक आत्माके साथ सम्पर्क कराना मात्र ही है अतएव यह स्वीकार करना होगा कि कर्मवर्गणाओंका जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन होता है वह उन वर्गणाओंमें विद्यमान उस-उस कर्मरूप परिणत होनेकी स्वाभाविक द्रव्यभूत योग्यताके आधारपर होता है। इतनी बात अवश्य है कि वे वर्गणाएँ तभी ज्ञानावरणादिकर्मरूप परिणत होती हैं जब वे योगके आधारपर आस्रवित होकर आत्माके साथ सम्पर्क करती हैं। इससे निर्णीत होता है कि ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंकी वर्गणाएँ पृथक्-पृथक् ही लोकमें व्याप्त हो रही हैं तथा योगके आधारपर उनका आस्रव होकर आत्माके साथ जो सम्पर्क होता है उसे ही प्रकृतिबन्ध कहना चाहिए। ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंकी वर्गणाओंके पृथक्-पृथक् होनेके कारण ही वे आठों कर्म कभी एक-दूसरे कर्मरूप परिणत नहीं होते हैं।

इसीप्रकार दर्शनमोहनीयकर्म चारित्रमोहनीयकर्मरूप और चारित्रमोहनीयकर्म दर्शनमोहनीयकर्मरूप कभी परिणत नहीं होते एवं चारों आयुर्कर्म भी कभी एक-दूसरे आयुर्कर्मरूप परिणत नहीं होते। इससे भी निर्णीत होता है कि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय दोनों कर्मोंकी एवं चारों आयुर्कर्मोंकी वर्गणाएँ लोकमें पृथक्-पृथक् ही विद्यमान हैं। तथा उनका योगके आधारपर आस्रव होकर आत्माके साथ जो सम्पर्क होता है वह

योगके आधारपर होता है। भोगमत्सार कर्मकाण्डमें जो "बहुभागे समभागे" इत्यादि गाथा ११५ पम्पी जाती है उसका आशय यही ग्रहण करना चाहिए कि योगके आधारपर एक साथ कर्मवर्गणाओंका जो आस्रव होता है वह आस्रव सबसे अधिक वेदनीयकर्मकी वर्गणाओंका होता है, उससे कम भोगनीयकर्मकी वर्गणाओंका होता है, उससे कम ज्ञानावरण, वर्णनावरण और अन्तरायकर्मकी वर्गणाओंका होता है, उससे कम नाम और मोक्ष कर्मकी वर्गणाओंका होता है और उससे कम आयुकर्मकी वर्गणाओंका होता है।

चारों आयुकर्मोंकी वर्गणाओंके विषयमें यह भी ज्ञातव्य है कि एक आयुकर्मकी वर्गणाओंके आस्रवके अवसरपर अन्य तीनों आयुकर्मोंकी वर्गणाओंका आस्रव नहीं होता, क्योंकि चारों आयुकर्मोंकी वर्गणाओंके आस्रवके लिए परस्पर विरुद्ध योग कारण होता है। फलतः जिस समय अनुकूल योगके आधारपर किसी एक आयुकर्मकी वर्गणाओंका आस्रव होता है उस समय अनुकूल योगका अभाव रहनेके कारण अन्य तीन आयु-कर्मोंकी वर्गणाओंका आस्रव नहीं होता है। इसी प्रकार चारों आयुकर्मोंकी वर्गणाओंके विषयमें यह भी ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार अन्य मात कर्मोंकी वर्गणाओंका आस्रव अनुकूल योगके सद्भावमें प्रतिशमय होता है उस प्रकार चारों आयुकर्मोंकी वर्गणाओंका आस्रव अनुकूल योगका अभाव रहनेके कारण प्रतिशमय न होकर कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्च जीवोंकी भुज्यमान आयुका विभाग शेष रहनेपर व भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्च जीवोंकी भुज्यमान आयुका ९ माह शेष रहनेपर एवं देव और नारकीय जीवोंकी भुज्यमान आयुका छहमाह शेष रहनेपर ही होता है और तब भी अनुकूल योगका सद्भाव हो तो ही होता है अन्यथा नहीं। यहाँ सर्वत्र योगकी अनुकूलताका आधार अन्य अनुकूल निमित्त सामग्रीके समागमको ही समझना चाहिए।

सभी कर्मोंकी वर्गणाओंके आस्रवमें कारणभूत व आत्माकी क्रियावती क्षणिके परिणामन स्वरूप उक्त योग यद्यपि यथाप्राप्त क्रियाशील पौष्टालिक मन, वचन और कायके अवलम्बनपूर्वक होता है, परन्तु उस योगके साथ जबतक चारित्रमोहनीयकर्मके उदयके सद्भावमें यथायोग्य नौकर्मभूत निमित्तोंके सहयोगसे आत्मा-को भाववती क्षणिके परिणामनस्वरूप रामद्वेष होते रहते हैं तब तक आत्माके साथ सम्पर्कको प्राप्त सभी कर्मवर्गणाओंके स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध भी नियमसे होते रहते हैं।

कर्मरूप परिणत वर्गणाओंका आत्माके साथ यथासम्भव अन्तर्मुहूर्तसे लेकर यथायोग्य समय तक सम्पर्क बना रहना स्थितिबन्ध है और उनमें आत्माको फल प्रदान करनेकी क्षणिकता प्रागुभाव होना अनुभागबन्ध है। इससे निर्णोत होता है कि कर्मवर्गणाओंका आत्माके साथ सम्पर्क होना अन्य बात है और उस सम्पर्कका किसी नियतकाल तक बना रहना अन्य बात है।

उपरोक्त विवेचनके अनुसार मैं यह कहना चाहता हूँ कि ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानोंमें विद्यमान जीवोंके साथ जिस योगके आधारपर सातावेदनीयकर्मकी वर्गणाओंके प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होते हैं इसी योग के आधारपर श्री १०८ आचार्य विद्यासागरजी महाराजकी अक्षिचित्कर पुस्तकके पृ० ७८ पर उन जीवोंके साथ उसी सातावेदनीयकर्मकी उन वर्गणाओंके जो स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध अतलये गये हैं व समर्थनमें तर्क और आगम वचन प्रस्तुत किये गये हैं यह सब मुझे सम्यक् प्रतीत नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

१. पूर्वमें किये गये संकेतके अनुसार जब जिस योगके आधारपर ज्ञानावरणादि कर्मोंकी वर्गणाओंका आस्रव होता है उसी योगके आधारपर तब उन वर्गणाओंका आत्माके साथ सम्पर्क भी होता है एवं वे वर्गणाओं उस सम्पर्कके निमित्तसे ही ज्ञानावरणाधिकर्मरूप परिणत होती हैं। फलतः यह सब विषय प्रकृतिबन्धकी

परिधिमें जाता है तथा ज्ञानावरणाधिकमैरूप परिणत उन वर्गशाओंका आत्माके साथ उस मर्मकके यथासम्भव अन्तर्मुहूर्त लेकर सतर कोड़ाकोड़ी सागर पर्यन्त यथायोग्य काल तक बने रहनेकी योग्यताका विकास स्थिति-बन्धकी और उनमें जीवकी स्वकीय फल प्रदान करनेकी योग्यताका विकास अनुभागबन्धकी परिधिमें आते हैं। इससे निर्णीत होता है कि जीवकी विक्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप योगके आधारपर कर्मवर्गशाओंके आत्माके साथ प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होते हैं, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नहीं होते। वे दोनों बन्ध उभ-उस कथायके उदयमें यथायोग्य नोकर्मके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववती शक्तिके परिणमन स्वरूप राग-द्वेषके आधारपर ही होते हैं। आगममें जो प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धकी योगके आधारपर व स्थिति-बन्ध और अनुभागबन्धकी कथायके आधारपर बतलाया गया है उसका यही अभिप्राय है।

२. आगममें स्थितिबन्धका काल कथायके सद्भावमें सामान्यरूपसे कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त बतलाया गया है व विशेषरूपसे वेदनीयकर्मका १२ मुहूर्त, नाम और योत्रका आठ मुहूर्त बतलाकर शेष कर्मोंका अन्तर्मुहूर्त बतलाया गया है जबकि कथायके अभावमें सातावेदनीयकर्मके बन्धका काल उन कर्मवर्गशाओंका आत्माके साथ सम्पर्क होने व उनकी समाप्ति होने रूपमें एक समय ही सिद्ध होता है। इसलिए स्थितिबन्धके बिना ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानोंमें बँचनेवाले सातावेदनीयकर्मकी उत्पत्ति और समाप्तिका काल एक समय मान्य करना ही युक्त है। फलतः गोष्मटसार कर्मकाण्डकी गाथा १०२ और उसकी मंस्कृतटीकामें उन गुणस्थानोंमें सातावेदनीयकर्मके बन्धको जो एक समयकी स्थिति वाला बतलाया गया है उसका सम्बन्ध प्रकृतिबन्धसे ही समझना चाहिए, क्योंकि कथायका अभाव होनेसे वहाँ स्थितिबन्धका होना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कथाय-का अभाव होनेसे वहाँ जब स्थितिबन्ध नहीं होता तो अनुभागबन्ध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह भी कथायके सद्भावमें होता है। अतएव उदयका भी अभाव हो जानेसे वहाँ उसके फलका भोग जाँवको नहीं होता। वहाँ जीवको जो सातावेदनीयकर्मके फलका भोग होता है वह भोग पूर्वमें बद्ध वेदनीयकर्मके फलका ही होता है।

कर्मबन्धकी प्रक्रिया

पहले आगमके अनुसार मोहनीयकर्मके उदय, उपशम, जय और छयोपशमके आधारपर जीवके गुण-स्थानोंकी जो व्यवस्था बतलायी जा चुकी है उससे निर्णीत होता है कि मोहनीयकर्मका उदय गुणस्थानोंकी व्यवस्थाका ही आधार है। वह उन गुणस्थानोंमें होनेवाले कर्मबन्धमें कारण नहीं होता। यही कारण है कि तत्त्वावसृज आदि ग्रन्थोंमें मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कथाय और योग ही बन्धके कारण माने गये हैं। इसका आशय यह है कि मोहनीयकर्मके उदयमें कर्मबन्ध तो होता है परन्तु बन्धका कारण मोहनीयकर्मका उदय न होकर उस उदयमें निमित्तोंके सहयोगसे यथायोग्य रूपमें होनेवाले जीवके मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद और कथाय एवं योग परिणमन ही हैं।

बन्धके कारणोंमें निदिष्ट मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका उपलक्षण है, क्योंकि जीवमें मिथ्यादर्शनके साथ नियमसे मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र पाये जाते हैं। अतः बन्धके कारणोंमें मिथ्यादर्शन शब्दसे मिथ्यादर्शनके साथ मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका भी समावेश होता है तथा उनमेंसे मिथ्याचारित्र ही बन्धका साक्षात् कारण है। यतः बद्ध मिथ्याचारित्र, मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक होता है अतः परम्परया मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानको भी बन्धके कारण स्वीकार किया गया है।

मिथ्यादर्शनका अर्थ है अतत्त्वबुद्धान। वह दो प्रकारका है—एक तो तत्त्वबुद्धानका न होना और दूसरा

अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें श्रद्धान करना । तत्त्वश्रद्धानके न होने रूप मिथ्यादर्शन एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंमें पाया जाता है । परन्तु अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें श्रद्धान करने रूप मिथ्यादर्शन केवल संज्ञीपंचेन्द्रिय जीवोंमें ही पाया जाता है, क्योंकि अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें श्रद्धान नोकर्मभूत हृदयके अवलम्बनसे होता है जो हृदय जैन सिद्धान्तके अनुसार संज्ञीपंचेन्द्रिय जीवोंमें ही रहता है । मिथ्यादर्शनका जो मिथ्यापन है वह उस दर्शनमोहनीयकर्मकी मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें अनुकूल निमित्तोंके आधारपर होनेके कारण है ।

इसीप्रकार मिथ्याज्ञानका अर्थ है अतस्त्वज्ञान । वह भी दो प्रकारका है—एक तो तत्त्वज्ञानका न होना और दूसरा अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें ज्ञान करना । तत्त्वका ज्ञान न होने रूप मिथ्याज्ञान भी एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञीपंचेन्द्रिय तकके जीवोंमें पाया जाता है । परन्तु अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें ज्ञान करने रूप मिथ्यादर्शन पूर्वक होनेवाला मिथ्याज्ञान केवल संज्ञीपंचेन्द्रिय जीवोंमें ही पाया जाता है, क्योंकि अतस्त्वका तत्त्वके रूपमें श्रद्धान नोकर्मभूत मस्तिष्कके अवलम्बनसे होता है और वह मस्तिष्क जैनसिद्धान्तके अनुसार संज्ञीपंचेन्द्रिय जीवोंमें ही रहता है । यहाँ भी मिथ्याज्ञानका जो मिथ्यापन है वह उम मिथ्याज्ञानके मिथ्यादर्शनपूर्वक होनेके कारण है ।

मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान दोनों जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन है तथा दोनों दर्शनमोहनीय कर्मके भेद मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयके आधारपर निर्मित मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवमें ही एक साथ पाये जाते हैं ।

मिथ्याचारित्रके विषयमें यह ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान पूर्वक जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणमन स्वरूप जो क्रिया-व्यापार उस मिथ्यादृष्टियुगस्थानवर्ती जीवका होता है उसे ही मिथ्याचारित्र कहा जाता है और उसका उत्पादन चारित्रमोहनीयकर्मके भेद अनन्तानुबन्धी कर्मापके उदयके प्रभावमें अनुकूल निमित्तोंके आधारपर होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप राग-द्वेषके अनुसार होता है ।

यह मिथ्याचारित्र एकेन्द्रिय जीवमें नोकर्मभूत काय (शरीर) के अवलम्बनसे, द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञी-पंचेन्द्रिय तकके जीवोंमें नोकर्मभूत काय और बोलनेके आधारभूत वचनके अवलम्बनसे एवं संज्ञीपंचेन्द्रिय जीवोंमें नोकर्मभूत काय, वचन और मन तीनोंके अवलम्बनसे होता है ।

उपर्युक्त विवेचनसे यद्यपि यह स्पष्ट होता है कि दर्शनमोहनीयकर्मके भेद मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें जीव मिथ्यादृष्टियुगस्थानवर्ती है और उस जीवके ही अनुकूल निमित्तोंके आधारपर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र होते हैं । परन्तु वे मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र उस जीवमें मिथ्यात्वकर्मके उदयके मद्भावमें नियमसे नहीं होते, क्योंकि मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यादृष्टियुगस्थानवर्ती कोई-कोई संज्ञीपंचेन्द्रिय भव्य और अभव्य जीव यदि निमित्त मिलनेपर हृदयके अवलम्बनसे व्यवहारसम्पन्नदर्शन और मस्तिष्कके अवलम्बनसे व्यवहारके सम्पन्नज्ञानकी प्राप्त होते हैं, तो उनका क्रिया-व्यापार मिथ्याचारित्र रूप न होकर या तो अविरतिरूप होता है या उनके देशविरति हो जानेपर शेष देश अविरतिरूप होता है अथवा उनके महाविरति हो जानेपर २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप होता है । फलतः मेरी समझके अनुसार मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यादृष्टियुगस्थानवर्ती संज्ञीपंचेन्द्रिय उन भव्य और अभव्य जीवोंकी जो कर्मबन्ध होता है वह या तो अविरतिरूप क्रिया-व्यापारके आधारपर होता है या उनके देशविरति हो जानेपर शेष एकदेश अविरतिरूप क्रिया-व्यापारके आधारपर होता है या उनके महाविरति हो जानेपर २८ मूलगुणों में प्रवृत्तिरूप क्रिया-व्यापारके आधारपर होता है । अतएव उस क्रिया-व्यापारके मिथ्याचारित्ररूप न होनेके कारण उनको होनेवाला कर्मबन्ध मिथ्याचारित्रके आधारपर नहीं होता है ।

यदि ऐसा न माना जावे तो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती अभव्य जीवोंको मिथ्याचारित्ररूप क्रिया-व्यवहारके अभावमें जो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यलम्बियोंकी प्राप्ति होती है एवं भव्य जीवोंको उक्त चार लम्बियोंके साथ जो करणलम्बिकी प्राप्ति होती है वह सब नहीं हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती संजीवचेन्द्रिय भव्य जीव उस करणलम्बिके आधारपर जो दर्शनमोहनीय-कर्मकी तीन और चारित्रमोहनीयकर्मके भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी चार इसप्रकार सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशम करता है, अथवा उक्त ७ प्रकृतियोंके उपशम, क्षय या क्षयोपशमके साथ जो अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्कका क्षयोपशम करता है अथवा इसके भी साथ जो प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका क्षयोपशम करता है वह सब वह नहीं कर सकेगा। अतएव मानना पडता है कि भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके संजी-पंचेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें रहते हुए भी अनुकूल निमित्तोका योग मिलनेपर व्यवहारसम्यग्दृष्टि और व्यवहारसम्यग्ज्ञानी होकर जब मिथ्याचारित्ररूप क्रियाव्यापार नहीं करते हैं तो वे यथायोग्य अविरत या देशविरत या महाव्रती हो जाते हैं एवं इस आधारपर ही अभव्य जीव क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यलम्बियोंको प्राप्त कर लेते हैं तथा भव्य जीव उक्त लम्बियोंके साथ करण-लम्बिको भी प्राप्त कर लेते हैं।

समयसारकी गाथा २७५ से भी यही ध्वनित होता है कि अभव्य जीव भी धर्मका श्रद्धान करता है, उसका ज्ञान करता है, उसमें शीघ्र करता है और उसको अपनाता भी है। परन्तु उसकी अभव्यताके कारण वह भेदविज्ञानो नहीं हो सकता। अतएव उससे वह सांसारिक भोग ही पाता है। यद्यपि वह यह सब मोक्ष पानेकी भावनासे ही करता है, परन्तु वह जब भेदविज्ञानी नहीं होता, तो मोक्षमार्गी नहीं बन सकता।

इस विवेचनसे यही समझमें आता है कि अविरतरूप क्रियाव्यापार करनेवाले व्यवहारसम्यग्दृष्टि और व्यवहारसम्यग्ज्ञानी प्रथम गुणस्थानवर्ती अभव्य जीव तथा अविरतरूप क्रियाव्यापार करनेवाले प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान तकके भव्य जीव जो कर्मबन्ध करते हैं वह वे अविरतरूप क्रिया व्यापारके आधारपर ही करते हैं तथा प्रथम गुणस्थान तकके वे ही भव्य जीव और प्रथमगुणस्थानसे लेकर पंचमगुणस्थान तकके वे ही भव्यजीव देशविरत होनेपर जो कर्मबन्ध करते हैं वह वे शेष एकदेशअविरतरूप क्रियाव्यापारके आधार पर करते हैं एवं प्रथमगुणस्थानवर्ती वे ही अभव्य जीव और प्रथम गुणस्थानसे लेकर षष्ठ गुणस्थान तकके वे ही भव्य जीव महाव्रती हो जानेपर जो कर्मबन्ध करते हैं वह वे २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप क्रियाव्यापारके आधारपर करते हैं। प्रथमगुणस्थानसे लेकर षष्ठ गुणस्थान पर्यन्तके जीवोंसे द्वितीय और तृतीयगुणस्थानवर्ती जीवोंमें जो विशेषताएँ आयाममें प्रतिपादित की गई हैं वे करणानुयोगकी अपेक्षासे ही हैं, चरणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं, जबकि कर्मबन्धकी व्यवस्था चरणानुयोगकी प्रक्रियापर ही आधारित है, क्योंकि जीवोंको जो कर्मबन्ध होता है वः क्रियाशील नोकर्मभूत मन, बचन और कायके अवलम्बनसे जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप क्रिया-व्यापारके आधारपर ही होता है। इतना अवश्य है कि वह कर्मबन्ध मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक मिथ्या-चारित्ररूप क्रियाव्यापारके आधारपर भी होता है तथा व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानपूर्वक अविरतरूप या क्रियाव्यापारके आधारपर एकदेश अविरतरूप क्रियाव्यापारके आधारपर अथवा २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप क्रियाव्यापारके आधारपर होता है। वे अविरतरूप वा एकदेशअविरतरूप या २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप सभी क्रियाव्यापार नियमसे व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानपूर्वक ही जीवोंमें पाये जाते हैं और वे सभी क्रियाव्यापार क्रियाशील नोकर्मभूत मन, बचन और कायके आधारपर होनेवाले जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप ही हैं।

ब्रह्मणि मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान एवं व्यवहार सम्यग्ज्ञान ये सभी यथायोग्य नोकर्मभूत हृदय और मस्तिष्कके सहारेपर होने वाले जीवकी भाववती शक्तिके ही परिणमन है, परन्तु ये चरणानुयोगकी प्रक्रियामें ही अन्तर्भूत होते हैं ।

उक्त विवेचनसे यह भी ज्ञात होगा है कि मिथ्याचारित्र और अविरतिरूप दोनों क्रियाभ्यासरोंमें अन्तर है, क्योंकि जहाँ मिथ्याचारित्र, मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान पूर्वक होता है वहाँ अविरति व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्ज्ञानपूर्वक होती है । जहाँ मिथ्याचारित्र आसन्निक्रमण होनेके कारण संकल्पी पाप माना जाता है वहाँ अविरति अक्षात्कर्मण होनेके कारण आरम्भी पाप माना जाता है । मिथ्याचारित्र और अविरतिके अन्तरको इसप्रकार भी समझा जा सकता है कि मिथ्याचारित्रका सद्भाव प्रथमगुणस्थानमें ही रहता है क्योंकि वह मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक ही होता है । इसके विपरीत अविरतिका सद्भाव व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानपूर्वक होनेके कारण प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान तकके जीवोंमें आगम द्वारा स्वीकार किया गया है ।

इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर ही ऊपर बन्धके कारणोंमें मिथ्याचारित्र और अविरतिको पृथक्-पृथक् रूपमें ही सम्मिलित किया गया है ।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि कर्मबन्धमें कर्णभूत मिथ्याचारित्र, अविरति, एकदेशअविरति और २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप सभी क्रियाभ्यापार नोकर्मभूत मन, वचन और कायके अवलम्बनसे होनेवाले जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणमनोंके रूपमें योग ही है । परन्तु ये सभी चारित्रमोहनीयकर्मकी उस-उस प्रकृतिके उदयमें यथायोग्य नोकर्मोंके अवलम्बनसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन स्वरूप राग और द्वेषसे प्रभावित रहते हैं एवं जबतक उनका प्रभाव उभर योगोंपर बना रहता है तबतक उन योगोंके आचारपर कर्मोंके प्रकृतिबन्ध और प्रवेशबन्धके साथ स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध नियमसे होते रहते हैं ।

यत ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानोंमें केवल स्वतन्त्र योग ही बन्धका कारण शेष रह जाता है, अतः उससे कर्मोंके केवल प्रकृति और प्रवेशबन्ध ही होते हैं, स्थिति और अनुभागबन्ध नहीं होते ।

यद्यपि बन्धके कारणोंमें मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानका ही समावेश है, परन्तु पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि वे दोनों कर्मोंके बन्धमें साक्षात्कारण नहीं होकर परंपरया ही कारण होते हैं, क्योंकि उनकी बन्धकारणता बन्धके कारणभूत मिथ्याचारित्रका उत्पादन करना ही है । दूसरी बात यह है कि मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान ये दोनों जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन हैं, इसलिए इनका कर्मबन्धके मूलकारणभूत जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणमन स्वरूप योगमें अन्तर्भाव नहीं होता है ।

बन्धका साक्षात्कारण जो मिथ्याचारित्र है वह मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक ही होता है और उसका सद्भाव प्रथम गुणस्थानमें ही रहता है, आगेके गुणस्थानोंमें नहीं । बन्धके कारणोंमें जो अविरति और शेष एकदेश अविरति एवं २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप प्रभाव सम्मिलित हैं वे भी प्रथमगुणस्थानमें पाये जा सकते हैं, परन्तु वह अविरति जीवन-संरक्षणमें उपयोगी आरम्भी पापोंके रूपमें मानी जा सकती है, जीवनके लिए अनुपयोगी और हानिकर अनैतिक आचरणरूप संकल्पी पापोंके रूपमें नहीं, क्योंकि अनैतिक आचरणरूप संकल्पी पापोंका अन्तर्भाव मिथ्याचारित्रमें ही होता है ।

अविरति तृतीय और चतुर्थ दोनों गुणस्थानोंमें समानरूपसे पायी जाती है, परन्तु तृतीय गुणस्थानमें पायी जानेवाली अविरतिमें यह विशेषता रहती है कि वहाँ उसका सद्भाव दर्शनमोहनीयकर्मके भेद सम्म-

मिथ्यात्वके उदयमें नोकर्मभूत हृदयके अवलम्बनसे होनेवाले व्यवहार सम्यग्मिथ्यात्वसे प्रभावित रहता है। इस अद्वैतिका उत्पादन प्रथम, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानोंमें व्यवहार सम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञान-पूर्वक ही होता है।

द्वितीय गुणस्थानमें मिथ्यात्वकर्मके उदयका अभाव रहनेके कारण मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानका अभाव हो जानेसे यद्यपि मिथ्याचारित्रका अभाव पाया जाता है तथापि अनन्तानुबन्धी कर्मका उदय रहनेके कारण नोकर्मभूत मनके अवलम्बनपूर्वक जीवकी भाववृत्तीघातितके परिणमनस्वरूप राग या द्वेषपूर्वक अनैतिक आचाररूप संकल्पीपापके रूपमें अविरति वहाँ भी पायी जाती है। व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानका अभाव रहनेके कारण आरम्भी पापरूप अविरतिका वहाँ अभाव ही माना जा सकता है।

चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवमें आरम्भी पापरूप अविरति तो रहती ही है परन्तु एकदेश अविरति या २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप प्रमादका सम्भाव भी वहाँ संभव है। इसी प्रकार पंचम गुणस्थानवर्ती जीवमें एकदेश अविरति तो रहती है, परन्तु उसमें २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप प्रमाद भी सम्भव है। षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवमें क्लेशका कारण केवल २८ मूलगुणोंमें प्रवृत्तिरूप प्रमाद ही पाया जाता है और वह वहाँ नियमसे पाया जाता है।

सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतकके जीवोंमें क्लेशका कारण मज्जलन कषायके यथायोग्य मन्ध, मन्धतर और मन्धतमरूपमें होनेवाले उदयके आधारपर यथायोग्य नोकर्मोंके अवलम्बनसे जीवकी भाववृत्तीघातितके परिणमनस्वरूप यथासम्भव राग और द्वेषसे प्रभावित मानसिक, वाचनिक और कायिक योग ही होता है और वहाँ उसका सद्भाव अव्यक्तरूपमें ही पाया जाता है।

इस लेखके अन्तमें मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि श्री ५० जगन्मोहनलालजी शास्त्री, कटनीका एक लेख 'कर्मबन्ध और उसके कारणोपर विचार' शीर्षकमें 'वीरवाणी' पत्रिकाके वर्ष ६०, अंक ९ व संयुक्त अंक ११-१२ में प्रकाशित हुआ है। उसमें ५० जोने कुछ विषयको सहाय्यरूपमें, कुछ विषयको अनध्यवसाय एवं कुछ विषयको विपर्ययरूपमें भी निबद्ध किया है उसका समाधान भी मेरे इस लेखसे हो सकता है, ऐसा विश्वास है।



आगममें कर्मबन्धके कारण

समयसारमें बन्धके कारणोंका उल्लेख :

सामण्यपञ्चया खलु चउरो भण्णति बंधकत्तारो ।

मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥१०९॥

तेसिं पुणोवि य इमो भण्णितो भेदो दु तेरस विद्यप्पो ।

मिच्छाविट्ठी आदी जाव सजोगिस्स चरमतं ॥११०॥

इन दो गाथाओंमें आचार्य कुन्दकुन्दने सामान्यतया मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इन चारके रूपमें बन्धके कारणोंका उल्लेख किया है। तथा विस्तारसे मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मलोभ, उपशासन्मोह, शीणमोह और मयोगकेवली इन तेरह गुणस्थानोंके रूपमें कथन किया है।

इसका आशय यह है कि मिथ्यात्वादि चार बन्धके साधकतम कारण हैं और मिथ्यादृष्टि आदि तेरह गुणस्थान बन्धके अवलम्बन कारण हैं। अर्थात् जीवोंके जो कर्मबन्ध होता है वह मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके द्वारा होता है तथा वह तेरह गुणस्थानोंमें स्थित जीवोंमें यथायोग्य रूपमें होता है।

बन्धका मूलकारण याग

जीवमें कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाके आधारपर जो हलन-चलन रूप क्रियाव्यापार होता है वह योग है। वह योग जीवकी क्रियावती शक्तिका परिणाम है और प्रथम गुणस्थानसे लेकर तेरहवें गुणस्थान तकके जीवोंमें प्रतिक्षण होता रहता है। वह एकेन्द्रिय जीवोंमें कायवर्गणाके अवलम्बनसे, द्वीन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंमें कायवर्गणा और वचनवर्गणाके अवलम्बनसे तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंमें काय, वचन और मन इन तीनों वर्गणाओंके अवलम्बनसे पुथक्-पुथक् होता है।

योगका कार्य

लोकमें व्याप्त ज्ञानावरणीय आवि जाठ प्रकारकी कर्मवर्गणाओंका उक्त सभी योगोंके आधारपर आसन्न होकर वे कर्मवर्गणाएँ, जो जीवके साथ सम्बद्ध होती हैं उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं और प्रत्येक कर्मवर्गणा जितने परिमाणमें जीवके साथ बद्ध होती है उसे प्रदेशबन्ध कहते हैं। इस तरह योगका कार्य प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध निर्णित है।

गुणस्थानोंमें योगोंकी विशेषता

आठों कर्मोंकी आगममें १४८ प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन दोको छोड़कर शेष १४६ प्रकृतियाँ ही बन्धयोग्य मानी गयी हैं। इनमेंसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थानोंमें योगकी प्रतिकूलताके कारण नामकर्मकी तीर्थकर, आहारकक्षरीर, आहारकबन्धन, आहारकसंघात और आहारकआगोपाग इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। फलतः प्रथम गुणस्थानमें १४१ प्रकृतियाँ ही बन्धयोग्य मानी गयी हैं।

मिथ्यात्वगुणस्थानमें बन्धयोग्य उन १४१ प्रकृतियोंमेंसे द्वितीय गुणस्थानमें १२५ प्रकृतियाँ ही बन्ध योग्य हैं, क्योंकि मिथ्यात्व, हुषकसंस्वान, नपुसकवेद, असंप्राप्तसुपाटिकासंहनन, एकेन्द्रियजाति, स्वाचार, आतप, सूक्ष्म, अपयसि, साधारण, विकलत्रय (द्वीन्द्रिय, शीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय), नरकगति, नरकत्यागुपूर्वी

और नरकाम्य इन सोलह प्रकृतियोंका बन्ध योगकी अनुकूलताके कारण प्रथम गुणस्थानमें ही सम्भव है, योगकी प्रतिकूलताके कारण द्वितीय आदि गुणस्थानोंमें सम्भव नहीं है ।

द्वितीय गुणस्थानमें बन्धयोग्य १२५ प्रकृतियोंमेंसे अनस्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ, स्थानगुद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, दुर्भंग, दुस्वर, अनावेय, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कुञ्जक और बाभिनसंस्थान, वज्रनाराच, नाराच, अर्धनाराच और कीकृतसंहनन, अप्रघात विहायोगति, स्त्रीवेद, नीचगोच, तिर्यग्चगति, तिर्यग्गत्यानुपूर्वी, तिर्यगायु और उद्योत इन पञ्चीस प्रकृतियोगका बन्ध योगकी प्रतिकूलताके कारण द्वितीय गुणस्थान तक हो सम्भव है, योगकी प्रतिकूलताके कारण तृतीय आदि गुणस्थानोंमें सम्भव नहीं है । तथा योगकी प्रतिकूलताके कारण आयुर्बन्ध न होनेसे मनुष्यायु और देवायुका भी बन्ध तृतीय गुणस्थानमें सम्भव नहीं है । अतः तृतीय गुणस्थानमें ९८ प्रकृतियोगका ही बन्ध सम्भव है ।

यत तृतीय गुणस्थानमें बन्धयोग्य ९८ प्रकृतियोंका योगकी अनुकूलताके कारण चतुर्थ गुणस्थानमें भी बन्ध सम्भव है । तथा योगकी अनुकूलताके कारण तीर्थंकर प्रकृति, मनुष्यायु और देवायुका भी बन्ध चतुर्थ-गुणस्थानमें सम्भव है । अतः चतुर्थगुणस्थानमें १०१ प्रकृतियाँ बन्धयोग्य सिद्ध होती हैं ।

चतुर्थ गुणस्थानमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १०१ मानी गयी हैं । इनमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ, वज्रधर्मनाराचसंहनन, बीधारिकशरीर, औदारिकबन्धन, औदारिकसंघात और औदारिक-अङ्गोपांग तथा मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु इन बारह १२ प्रकृतियोगका बन्ध योगकी अनु-कूलताके कारण चतुर्थ गुणस्थानतक ही सम्भव है, योगकी प्रतिकूलताके कारण पंचम आदि गुणस्थानोंमें मभव नहीं है । अतः पंचम गुणस्थानमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ८९ सिद्ध होती हैं ।

पंचमगुणस्थानमें बन्धयोग्य इन ८९ प्रकृतियोंमेंसे योगकी प्रतिकूलताके कारण प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार प्रकृतियोंका षष्ठगुणस्थानमें बन्ध सम्भव नहीं है, अतः इस षष्ठगुणस्थानमें योगकी अनुकूलताके कारण ८५ प्रकृतियोंका ही बन्ध सम्भव है ।

षष्ठ गुणस्थानमें बन्धयोग्य पचासी ८५ प्रकृतियोंमेंसे अस्थिर, अशुभ, अमातावेदनीय, अयथाऋति, अरति और शोक इन छह प्रकृतियोंका बन्ध योगकी प्रतिकूलताके कारण सप्तम गुणस्थानमें सम्भव नहीं है । साथ ही योगकी अनुकूलताके कारण आहारकशरीर, आहारकबन्धन, आहारकसंघात और आहारकअंगोपांगका बन्ध सम्भव है, अतः सप्तम गुणस्थानमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ८३ सिद्ध होती हैं ।

सप्तम गुणस्थानमें बन्धयोग्य ८३ प्रकृतियोंमेंसे योगकी प्रतिकूलताके कारण देवायुका बन्ध अष्टम गुणस्थानमें सम्भव नहीं है, अतः अष्टम गुणस्थानमें बियासी ८२ प्रकृतियोंका ही बन्ध सम्भव है ।

अष्टम गुणस्थानमें बन्धयोग्य इन बियासी ८२ प्रकृतियोंमेंसे योगकी प्रतिकूलताके कारण सर्वप्रथम निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोंका बन्ध समाप्त होता है । इसके पश्चात् तीर्थंकर, निर्माण, प्रघातविहायोगति, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, तैजसबन्धन और तैजससंघात, कामंशरीर, कामंशबन्धन और कामंशसंघात, आहारकशरीर, आहारकबन्धन, आहारक संघात और आहारकअंगोपांग, वैक्रियकशरीर, वैक्रियकबन्धन, वैक्रियकसंघात और वैक्रियक अंगोपांग, समचतुरलसंस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, स्पृशनामकर्मके आठ भेद (हृत्काल, भारी, रूक्षा, चिकना, कोमल, कठोर, ठंडा, और गरम) रसनामकर्मके पाँच भेद (खट्टा, मीठा, कटुता, कसायना और चरपरा), गंधनामकर्मके दो भेद (सुगन्ध और दुर्गन्ध) वर्णनामकर्मके पाँच भेद (काला, पीला, नीला, लाल और सफेद), अवश्लेष, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बाध, पर्याप्त, प्रत्येक-

शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुखर और आशय इन चार (५४) प्रकृतियोंका बन्ध समाप्त होता है और बन्धमें हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चार (४) प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होता है। इस तरह नवम गुणस्थानमें बन्धयोग्य प्रकृतिवाँ बाईस (२२) रह जाती है।

नवम गुणस्थानमें बन्धयोग्य बाईस (२२) प्रकृतिधर्मोंमें योगकी प्रतिकूलताके कारण क्रमसे पुरुषबेध, संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध समाप्त हो जानेसे दशम गुणस्थानमें योगकी अनुकूलताके कारण बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १७ सिद्ध होती हैं।

दशम गुणस्थानमें बन्धयोग्य १७ प्रकृतियोंमेंसे योगकी प्रतिकूलताके कारण ज्ञानावरणकर्मकी ५ दर्शनावरण कर्मकी ४, अन्तरायकर्मकी ५ तथा उज्वगोत्र और यशःकीर्ति इन १६ प्रकृतियोंका बन्धाभाव होनेपर ११वें गुणस्थान उपशान्तमोह, १२वें गुणस्थान क्षीणमोह और १३वें गुणस्थान समीगकेबलीमें योगकी अनुकूलताके कारण एक मात्र सात्तावेदनीय प्रकृतिका बन्ध होना है। तथा १४वें गुणस्थानमें योगका सर्वथा अभाव हो जानेके कारण कर्मबन्धका सर्वथा अभाव ही है।

इस विवेचनका आशय यह है कि जिस प्रकार चूम्बक पत्थरमें विद्यमान आकर्षणशक्तिके आधारपर आकृष्ट होकर लोहेकी सुई चूम्बक पत्थरके साथ सम्बद्ध हो जाती है उसी प्रकार जीवमें विद्यमान योगकी अनुकूलताके आधारपर कर्मप्रकृतियोंका आलस्य होकर वे कर्मप्रकृतियाँ जीवके साथ बन्धको प्राप्त होती हैं।

योगकी अनुकूलता और प्रतिकूलताका आधार :

कर्मप्रकृतिधर्मोंके बन्धमें योगकी अनुकूलताको जो कारण माना गया है उसका आधार मोहनीयकर्मके उदयके साथ अन्य कारणनाममै ही। और उनके बन्धाभावमें योगकी प्रतिकूलताको जो कारण माना गया है उसका आधार मोहनीयकर्मके उपशम, क्षयउपशम या शयके साथ अन्य कारणसामग्री है।

गोम्मतसार कर्मकाण्ड और इस लेखका समन्वय

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस लेखमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १४६ कही गयी हैं, जबकि गोम्मतसार कर्मकाण्डमें बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १२० बतलाई गयी हैं। इन दोनों कथनोंका समन्वय इसप्रकार करना चाहिए कि गोम्मतसार कर्मकाण्डमें जो १२० प्रकृतियाँ बन्धयोग्य बतलाई हैं उनमें बन्धकी समानताके कारण ८ स्थानोंकी स्पर्शसामान्यमें, ५ रसोंको रससामान्यमें, २ गंधोंकी गन्धसामान्यमें और ५ वर्णोंको वर्णसामान्यमें अन्तर्भूत कर लिया गया है। तथा एक साथ बन्ध होनेके कारण औदारिकशरीरमें औदारिकबन्धन और औदारिक संघातको, वैक्रियिकशरीरमें वैक्रियिकबन्धन और वैक्रियिकसंघातको, आहारकशरीरमें आहारकबन्धन और आहारकसंघातको, तैजसशरीरमें तैजसबन्धन और तैजससंघातको तथा कामगणशरीरमें कामगणबन्धन और कामगणसंघातको समाहित कर लिया गया है। इसलिये बद्धघमान प्रकृतियाँ वास्तवमें १४६ होनेपर भी गोम्मतसार कर्मकाण्डमें उक्त प्रकार अत्रेदसे (अत्रेद विवक्षासे) १२० कही गयी हैं। फलतः वास्तविकताके आधारपर इस लेखमें बन्धयोग्य प्रकृतियोंकी संख्या १४६ बतलाना गोम्मतसार कर्मकाण्डके कथनके विरुद्ध नहीं है। इसीप्रकार प्रकृतियोंके बन्धनके समान अबन्ध और बन्धव्युच्छिस्तिको व्यवस्थामें गोम्मतसार कर्मकाण्डके कथनके साथ इस लेखमें पाये जानेवाले संख्याभेदका भी समन्वय कर लेना चाहिए।

यह भी यहाँ ज्ञातव्य है कि यद्यपि जीव मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यावृत्तिगुणस्थानवर्ती कहा गया है और मिथ्यात्वगुणस्थानमें बन्धयोग्य १४१ प्रकृतिधर्मोंमें १६ प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जिनका बन्ध मिथ्यात्वगुणस्थानमें ही होता है, अन्य गुणस्थानोंमें नहीं, परन्तु यह नियम नहीं है कि उन १६ प्रकृतियोंका बन्ध इस गुणस्थानमें

अत्येक जीवके होता ही है, क्योंकि ऐसा नियम स्वीकार करनेपर नरकायुका बन्ध प्रत्येक मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती जीवके होनेका प्रसंग आयेगा, जो कर्मसिद्धात्के विरुद्ध है। यतः कर्मसिद्धात्तमें इस गुणस्थानमें चारों आयुकोंका बन्ध स्वीकार किया गया है। साथ ही यह भी कर्मसिद्धात्तमें माना गया है कि एक आयुका बन्ध होनेपर जीवके दूसरी आयुका बन्ध उसी अभवमें नहीं होता। तथा प्रथमगुणस्थानवर्ती, देव और नारकीको नरक आयुका बन्ध कदापि नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवमें मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध तभी तक होता है जब तक वह व्यवहारमिथ्यादर्शन (अतत्त्वश्रद्धान) और व्यवहारमिथ्याज्ञान (अतत्त्वज्ञान) पूर्वक मिथ्याआचरण करता है और जीव यदि व्यवहारसम्यग्दर्शन (तत्त्व श्रद्धान) और व्यवहारसम्यग्ज्ञान (तत्त्वज्ञान) पूर्वक मिथ्याआचरणको छोड़कर अविरतिरूप या एकदेशअविरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण करने लगता है तो उस समय उसके मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। यदि ऐसा न माना जाये तो समयसार माथा २७५ के अनुसार अभव्य जीव तत्त्वश्रद्धानी और तत्त्वज्ञानी होकर जो अविरतिरूप या एकदेश अविरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण करता है और उसके आधागपर क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंको भी प्राप्त कर लेता है, यह जो आगमका कथन है वह अयुक्त ही जायेगा। जिसका परिणाम यह होगा कि ऐसा अभव्य जीव नवम श्रैवेयक तक जन्म लेकर स्वर्ग-सुखका उपभोग करता है, यह कथन भी अयुक्त हो जायेगा।

इससे यह निर्णयित होता है कि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे जीव मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती नो है, परन्तु जब तक मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानपूर्वक मिथ्या आचरण करता रहना है तभीतक उसके मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध होता है और यदि वह जीव व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानपूर्वक अविरतिरूप या एकदेश अविरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण करने लगता है तो उस समय वह मिथ्यात्वकर्मका उदय रहते हुए भी मिथ्यात्व आदि सोलह प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता है, भले ही वह जीव अभव्य ही क्यो न हो, क्योंकि बन्धका आधार चरणानुयोगकी पद्धति है, चरणानुयोगकी पद्धति नहीं।

तात्पर्य यह है कि भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीव चरणानुयोगको पद्धतिके अनुसार मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती होते हुए भी चरणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार जबतक व्यवहार मिथ्यादर्शन (अतत्त्व श्रद्धान) और व्यवहार मिथ्याज्ञान (अतत्त्वज्ञान) पूर्वक मिथ्या आचरण करते हैं तभीतक वे मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं और यदि वे व्यवहारसम्यग्दर्शन (तत्त्वश्रद्धान) और व्यवहारसम्यग्ज्ञान (तत्त्वज्ञान) पूर्वक अविरतिरूप या एकदेश अविरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण करने लगते हैं तो वे उन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते हैं, क्योंकि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसा न माननेपर अभव्य जीव स्वर्गसुखमें कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लब्धियोंकी प्राप्ति नहीं कर सकेगा। और न भव्य जीव उक्त चारों लब्धियोंकी प्राप्तिके पश्चात् भेदविज्ञानपूर्वक करण लब्धिको प्राप्त कर सकेगा। और इस तरह इससे मोक्षप्राप्तिकी प्रक्रिया ही समाप्त हो जायेगी। इस विवेचनपर उन महानुभावोंको ध्यान देना चाहिए, जो मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध नियमसे मानते हैं।

निष्कर्ष यह है कि मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध तभी होता है जब जीव व्यवहारमिथ्यादर्शन (अतत्त्व श्रद्धान) और व्यवहार मिथ्याज्ञान (अतत्त्वज्ञान) पूर्वक मिथ्या आचरण

करता है, अन्यथा नहीं। इतना उल्लेखयोग्य है कि मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध न होते हुए भी जो उसका उदय रहता है उसका कारण पूर्वमें बद्ध मिथ्यात्वकर्मकी सत्ता है।

स्थितिबंध और अनुभागबंधकी व्यवस्था

जमी तक जिनना विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि बन्धका मूल कारण नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाला जीवकी क्रियावतीशक्तिका 'हलन-बलन-क्रियाव्यापाररूप योग ही है। यतः वह योग प्रथम गुण-स्थानसे लेकर त्रयोदश गुणस्थान तकके जीवोंमें प्रतिक्षण यथायोग्यरूपमें होता रहता है, अतः कर्मबन्ध भी उन सभी जीवोंमें प्रतिक्षण होता रहता है और वह प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धके रूपमें दो प्रकार का होता है।

आगममें बतलाया गया है कि कर्मबन्ध प्रकृतिबंध और प्रदेशबंधके अलावा स्थितिबंध और अनुभाग-बंधरूप भी होता है, अतः कर्मबंधके प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके रूपमें चार भेद माने गये हैं।

कर्मबन्धका जीवके साथ यथायोग्य नियतकाल तक बना रहना स्थितिबन्ध है और कर्मोंमें जीवकी फल देनेकी शक्तिका विकास होना अनुभागबंध है।

जिस प्रकार प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबंध ये दोनों योगके आधारपर होते हैं उसी प्रकार स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध ये दोनों कषायके आधारपर होते हैं। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

मोहनीयकर्मके आगममें दो भेद कहे गये हैं—१. दर्शनमोहनीय और २. चारित्रमोहनीय। दर्शन-मोहनीयकर्मके तीन भेद हैं १. मिथ्यात्व २. सम्प्रामिथ्यात्व और ३. सम्प्रत्यक्षप्रकृति। चारित्रमोहनीयकर्मके दो भेद हैं—१. कषायवेदनीय २. अकषायवेदनीय। कषाय-वेदनीयकर्मके मूलतः चार भेद—१. क्रोध २. मान ३. माया ४. लोभ। ये चारो अन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलनके रूपमें चार-चार प्रकारके हैं। तथा इनके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे कर्मबन्धके कारणभूत एवं जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप कषायभाव होते हैं तथा वे यदि क्रोध या मानरूप हों तो उन्हें द्वेष कहते हैं और यदि माया या लोभरूप हो तो उन्हें राग कहते हैं। इस प्रकार कर्मोंके स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके कारण यथायोग्य नोकर्मोंकी सहायतापूर्वक होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग और द्वेषरूप कषाय-भाव ही हैं।

आगममें अकषायवेदनीय-चारित्रमोहनीयकर्मके जो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक वेद ये नौ भेद कहे गये हैं उन्हें राग और द्वेषरूप कषायभावोंके तहायक कर्म जानना चाहिए।

कर्मबन्धकी प्रक्रिया

मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यादुष्टिनामधारी प्रथमगुणस्थानवर्ती जीवकी भाववतीशक्तिके यथायोग्य नोकर्मोंके सहयोगसे व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानका परिणमन होते हैं व उनके होनेपर यथायोग्य नोकर्मोंके सहयोगसे ही उसकी क्रियावतीशक्तिका मिथ्या-आचरण (मिथ्याचारित्र) रूप परिणमन होता है, जो कर्मबन्धका कारण होता है। यतः वह मिथ्या आचरण अन्तानुबन्धी कर्मके उदयमें होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमनस्वरूप राग व द्वेषरूप कषायभावोंसे प्रभावित रहता है, अतः उस आचरणके आधारपर कर्मोंके प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धके साथ स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध भी होते हैं।

स्वच्छुत्तुय बहु आचरण योग्य होनेसे प्रकृतिसम्बन्ध और प्रदेशबन्धका कारण होता है व बहु नियमसे जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग या द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित होता है, इसलिए कर्मोंके स्थितिसम्बन्ध और अनुभागबन्धका भी कारण होता है ।

इसी प्रकार बहु आचरण यत्. व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानपूर्वक होता है, उनके अभावमें नहीं होता और वह व्यवहारमिथ्यादर्शन व व्यवहारमिथ्याज्ञानपूर्वक नियमसे होता है, अतः उक्त बन्धोंमें मिथ्याआचरणके साथ व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञान भी परम्परया कारण होते हैं तथा मिथ्याआचरण साक्षात् कारण होता है ।

पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मबन्ध चरणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार होता है, चरणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार नहीं। अतः मिथ्यात्वकर्मके उदयमें मिथ्यावृत्तिनामधारी प्रथमगुणस्थानवर्ती जीव यदि अनुकूल निमित्तोका सहयोग मिलनेपर व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानको प्राप्त कर ले तो उसका आचरण मिथ्यात्व न होकर अविरतिरूप या एकदेश अविरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप ही होता है, जिससे वह जीव मिथ्यात्वकर्मका उदय रहते हुए भी मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता है ।

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि मिथ्यात्व आचरण, अविरतिरूप आचरण, एकदेश-अविरतिरूप आचरण और महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण—ये चारों योगके समान जीवकी क्रियावतीशक्तिके ही परिणमन हैं । इनमें जो विशेषता है वह यह है कि मिथ्या-आचरण अनन्तानुबन्धी कर्मके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित रहता है । अविरतिरूप आचरण अप्रत्याख्यानावरण कर्मके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित रहता है । एकदेश अविरतिरूप आचरण प्रत्याख्यानावरणकर्मके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित रहता है । और महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप आचरण संव्यसनकर्मके तीव्र उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित रहता है । फलतः उक्त चारों आचरण योगके समान जीवकी क्रियावतीशक्तिके नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले हलन-चलन रूप क्रियाव्यापार रूप होनेसे कर्मोंके प्रकृतिसम्बन्ध और प्रदेशबंधके कारण होते हैं व जीवको भाववतीशक्तिके नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित होनेके कारण स्थितिसम्बन्ध और अनुभागबन्धके भी कारण होते हैं । तात्पर्य यह है कि उक्त चारों प्रकारके आचरणोंमेंसे प्रत्येक आचरण उक्त चारों बन्धोंका कारण है । यहाँ यह अवश्य ज्ञातव्य है कि अनन्तानुबन्धीकर्मके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे जीवकी क्रियावतीशक्तिके परिणमन स्वरूप जो आचरण होता है वह आसक्तिवश होनेवाला संकल्पी पाप है ।

अनन्तानुबन्धीकर्मका उदय प्रथम और द्वितीय इन दो गुणस्थानोंमें स्थित जीवोंके होता है । विशेषता यह है कि प्रथमगुणस्थानवर्ती जीवका यह आचरण दर्शनमोहनीयकर्मोंके मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें स्थानीय नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन स्वरूप व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानपूर्वक होता है । अतः उसके आचारपर बहु प्रथमगुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध करता है । यतः द्वितीयगुणस्थानवर्ती जीवका बहु आचरण व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानपूर्वक नहीं होता, क्योंकि द्वितीय गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकर्मका उपपन्न विद्यमान रहनेके कारण मिथ्यात्वकर्मके उदयका अभाव रहता है, अतः वह द्वितीयगुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता है और क्योंकि इस जीवमें अनन्तानुबन्धीकर्मके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे क्रियावतीशक्ति-

के परिणमन स्वरूप संकामी पापरूप आचरण होता ही रहता है। अतः उस आचरणके आधार पर वह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ आदि २५ प्रकृतियोंका बन्ध बन्धय करता है।

तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानोंमें स्थित जीवोंमें नियमसे अप्रत्याख्यानावरणकर्मका उदय रहता है, अतः उस उदयमें उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीव निमित्तोंके सहयोगसे अपनी क्रियावतीशक्तिके परिणमन स्वरूप जो आचरण करते हैं वह अशक्तबन्ध होनेवाला आरम्भो पाप है व उसीका मम अविरति है।

वह अविरति तृतीयगुणस्थानवर्ती जीवमें दर्शनमोहनीयकर्मकी सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन स्वरूप जो सम्यग्मिथ्यात्वरूप मिश्रभाव होता है उसके अनुसार ही कर्मबंधका कारण होती है तथा चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीवमें यतः दर्शनमोहनीयकर्मकी मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन और अनन्तानुबंधकर्मकी क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षयोपशम या क्षय विद्यमान रहता है, अतः वह अविरति उन कर्मोंके उदयकी अपेक्षाके बिना ही कर्मबंधका कारण होती है। यही कारण है कि जहाँ तृतीयगुणस्थानवर्ती जीव १८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है वहाँ चतुर्थगुणस्थानवर्ती जीव तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायुके साथ उन १८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है। तृतीयगुणस्थानवर्ती जीवमें तीर्थंकर, मनुष्यायु और देवायु इन प्रकृतियोंका बन्ध इसलिए नहीं होता कि कर्मसिद्धान्तमें इस गुणस्थानमें उनके बन्धका निषेध किया गया है और चतुर्थगुणस्थानमें इसलिए उनका बन्ध होना है कि कर्मसिद्धान्तमें उसमें इन प्रकृतियोंके बंधका विधान किया गया है। तीर्थंकरप्रकृतिका बंध चतुर्थ गुणस्थानमें इसलिए होगा है कि उसका बंध कर्मसिद्धान्तके अनुसार निश्चय-मम्यवृष्टि जीवके ही होता है।

पंचम गुणस्थानवर्ती जीवमें अप्रत्याख्यानावरणकर्मके क्षयोपशमके साथ प्रत्याख्यानावरणकर्मका उदय रहता है, अतः वहाँ उस उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियावतीशक्तिकी परिणतिस्वरूप एकदेश अविरति ही बन्धका कारण होती है।

षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवमें अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण दोनों कर्मोंके क्षयोपशमके साथ संज्वलन कषायका तीव्रोदय रहता है। अतः उस उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे जीवकी क्रियावतीशक्तिका प्रमादरूप परिणाम ही बन्धका कारण होता है।

सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थान तकके जीवोंमें संज्वलनकषायका उत्तरोत्तर मन्द, मन्दतर और मन्दतमरूपसे उदय रहता है और उस उदयमें नोकर्मोंके सहयोगसे अभ्यन्तरूपमें जीवकी क्रियावतीशक्तिका जो परिणाम होता है वही वहाँ बंधका कारण होता है।

इस प्रकार प्रथम गुणस्थानसे लेकरके षष्ठ गुणस्थानतक होनेवाला यथायोग्य मिथ्यात्वरूप, अविरति-रूप, एकदेश अविरतिरूप और महाप्रतीति प्रवृत्तिरूप जीवकी क्रियावतीशक्तिका जो व्यक्तरूपमें परिणमन होता है वह परिणमन कर्मोंके प्रकृति, प्रदेष्टा, स्थिति और अनुभागरूप चारों बंधोंका कारण होता है। तथा सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतकके जीवोंमें जीवकी क्रियावतीशक्तिका जो अभ्यन्तरूपमें परिणमन होता है वह भी कर्मोंके प्रकृति, प्रदेष्टा, स्थिति और अनुभाग इन चारों प्रकारके बंधोंका कारण होता है क्योंकि ये सभी परिणाम यथायोग्य उस-उस कषायके उदयमें होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग-द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित रहते हैं। ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थानोंमें जीवकी क्रियावतीशक्तिका योगरूप

परिणमन ही मात्र प्रकृतिकर्म और प्रदेशबन्धका कारण होता है । यतः १४वें गुणस्थानमें योगका सर्वथा अभाव रहता है, अतः वहाँ उस जीवमें कर्मबन्धका भी सर्वथा अभाव रहता है ।

इसके अतिरिक्त प्रथम गुणस्थानसे लेकर षष्ठ गुणस्थानतकके जीवोंमें व्यक्त रूपमें और सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतकके जीवोंमें अभ्यक्तरूपमें जीवकी क्रियावतीशक्तिका जो मुख्यकर्मरूप व्यापार होता रहता है वह भी यथायोग्य उस-उस कषायके उदयमें होनेवाले जीवकी भाववतीशक्तिके परिणमन राग या द्वेषरूप कषायभावसे प्रभावित होनेसे जीवकी क्रियावतीशक्तिका परिणाम है व उसके आधारपर भी उन जीवोंमें कर्मोंका प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकारका बन्ध होता है ।

यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानको कर्मबन्धका परम्परया कारण माना गया है उस प्रकार व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानको कर्मबन्धका साक्षात् या परम्परया कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञान कर्मबन्धके कारण न होकर उसके अभावके ही कारण होते हैं । अतएव चतुर्थ गुणस्थानमें मात्र अचिरति ही कर्मबन्धका कारण होती है व पंचम गुणस्थानमें मात्र एकदेश अचिरति ही कर्मबन्धका कारण होती है तथा षष्ठ गुणस्थानमें मात्र महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूपता ही कर्मबन्धका कारण होती है ।
निष्कर्ष :

प्रथमगुणस्थानवर्ती जीव इसलिए अज्ञानी है कि उसके मिथ्यात्वकर्मका उदय रहता है और तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव इसलिए अज्ञानी है कि उसके सम्यग्मिथ्यात्वकर्मका उदय रहता है । यद्यपि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीवमें दर्शनमोहनीयकर्मकी प्रकृतियोगका उपशम रहता है, परन्तु वह जीव अनन्तानुबन्धी कर्मके उदयमें आसक्तिवशा संकल्पीपाप भी करता रहता है । इसलिए उसे ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है, उसे भी आगममें अज्ञानी ही कहा गया है । समयसार गाथा ७२ की श्रुत्युक्तिटीकामें स्पष्ट लिखा है कि जो जीव भेदज्ञानी होकर भी आत्मबोधमें प्रवृत्त रहता है उसे भेदविज्ञानी नहीं कहा जा सकता है और यही कारण है कि जीवको निश्चयसम्यग्दृष्टि बननेके लिए दर्शनमोहनीयकर्मके उपशम या क्षयके साथ अनन्तानुबन्धीकर्मके उपशम या क्षयको भी कारण माना गया है । फलतः चतुर्थगुणस्थानमें जीवको होनेवाले कर्मबन्धमें मात्र अचिरति ही कारण होती है, पंचमगुणस्थानमें जीवको होनेवाले कर्मबन्धमें मात्र एकदेश अचिरति ही कारण होती है और षष्ठ गुणस्थानमें जीवको होनेवाले कर्मबन्धमें मात्र महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूपता ही बन्धका कारण होती है, क्योंकि जबतक जीव अज्ञानधारामें वर्तमान रहता है तबतक ही उस जीवके कर्मबन्धमें व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानको कारण माना गया है और जब जीव ज्ञानी हो जाता है अर्थात् निश्चयसम्यग्दृष्टि हो जाता है तो केवल अचिरतिरूप या एकदेश अचिरतिरूप या महाव्रतोंमें प्रवृत्तिरूप कर्मधारा ही जीवके कर्मबन्धमें कारण होती है । इसी तरह सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतकके जीवोंके जो कर्मबन्ध होता है वह भी कर्मधारिके आधारपर ही होता है, इसलिए सप्तम गुणस्थानसे दशम गुणस्थानतक जीवोंमें ज्ञानधारिके साथ कर्मबन्धमें कारणभूत कर्मधारिका सद्भाव स्वीकार किया गया है । इस विवेचनसे यह भी स्पष्ट है कि प्रथम गुणस्थानसे तृतीय गुणस्थानतकके जीवोंमें अज्ञानधारापूर्वक कर्मधारा बन्धकी कारण होती है व चतुर्थ गुणस्थानसे षष्ठ गुणस्थानतकके जीवोंमें व्यक्तरूपसे व सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतकके जीवोंमें अभ्यक्तरूपसे मात्र क्रियाधारा ही यथायोग्य राग-द्वेषरूप कषाय भावोंसे प्रभावित होती हुई कर्मबन्धका कारण होती है । इत्यलम् ।

गोत्रकर्मके विषयमें मेरा चिन्तन

८ अगस्त सन् १९५७ के जैनसंदेशमें श्रीब्रह्मचारी पं० रतनचंदजी सहारनपुर द्वारा परिचालित "शंका-समाधान" प्रकरणमें निम्न प्रकार शंका और उसका समाधान किया गया था।

"शंका १—नीच-उच्चगोन जन्मसे ही या कर्मसे ? क्या बौद्धधर्ममें दीक्षित शूद्र ५० साल पश्चात् उच्चगोत्री न माने जायेंगे ? अव्रत रहते हुए भी क्या गोत्र बदल सकता है ?

समाधान—यद्वल्लङ्घ्यागम मुस्तक १३, पृष्ठ ३८८ पर उच्चगोत्रके कार्यके विषयमें यह शंका उठाई गयी है कि उच्चगोत्रका कार्य राज्यादि संपदाकी प्राप्ति, महाव्रतों, अणुव्रतों तथा सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति, इत्यादि कुल आदिमें उत्पत्ति नहीं है क्योंकि इनसे अन्यत्र जीवमें भी उच्चगोत्रका उदय पाया जाता है। इसलिये उच्चगोत्र निष्कल है, उसमें कर्मपना भी घटित नहीं होता ?

इसका समाधान करते हुए श्री वीरसेन स्वामीने लिखा है (१) उच्चगोत्र न माननेसे जिन वचन (आगम) से विरोध आता है, (२) केवलज्ञानद्वारा विषय किये गये सभी अर्थोंमें छधर्मोंके ज्ञान प्रकृत भी नहीं होते हैं। यदि छधर्मोंको कोई अर्थ उपलब्ध नहीं होने हैं तो इससे जिनवचनोंको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। (३) गोत्रकर्म निष्कल है, यह बात भी नहीं है क्योंकि जिनका वीक्षायोग्य साधु आचार है, साधु आचार वालोंके साथ जिन्होंने संबन्ध स्थापित किया है तथा जो 'आर्य' इसप्रकारके ज्ञान और वचन व्यवहारके निमित्त है—उन पुरुषोंकी परम्पराको उच्चगोन कहा जाता है तथा उनमें उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्चगोत्र है।

यद्वल्लङ्घ्यागमकी प्रवलाटीकाके इस कथनसे यह बात स्पष्ट है कि हमको उच्चगोत्रके विषयमें विशेष ज्ञानकारी नहीं है। इसपर भी जन्मसे उच्चगोत्र कहा है तथा कहीपर कर्मसे भी। जैन चक्रवर्तिके संबंधी म्लेच्छलण्डी जो चक्रवर्तिके साथ आर्यलण्डमे आकर दीक्षित हो गये थे वे कर्मसे उच्चगोत्र वाले हैं। बौद्धधर्ममें दीक्षित शूद्र ५० साल पश्चात् उच्चगोत्री नहीं हो सकता। अव्रत रहते हुए गोत्र-परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा समझने आता है।"

मैंने जो शंका-समाधानका यह अवतरण यहाँपर दिया है, उसका कारण यह है कि पाठक प्रत्येक बातको ठीक तरहसे समझ सकें। मेरा सामान्यरूपसे क्वाल यह है कि विद्वान् वस्तुतत्त्वके निर्णयमें आगमकी अपेक्षा तर्कसे काम लें और उसका आगमके साथ केवल आवश्यक समन्वय मात्रका ध्यान रखें, तो संस्कृति संबंधी बहुत-सी गुत्थियाँ अनायास सुलक्ष जावेंगी, इस तरह विद्वान् संस्कृति और समाजके महान् उपकारक सिद्ध होंगे।

कर्मसंबंधी गुत्थी भी बड़ी जटिल है। उसके एक अंश गोत्रके विषयमें यहाँपर विचार किया जा रहा है। समयानुसार अन्तराय आदि दूसरे अंशोंपर भी विचार किया जायगा।

गोत्रकर्मपर विचार करनेसे पहले मैं पाठकोंको एक बात सुझाना चाहता हूँ कि फल देनेमें कर्मके लिये नोकर्म सहायता प्रदान करता है। आगममें भी नोकर्मको कर्मका सहायक कर्म माना गया है, इसका अभिप्राय यही है कि कर्म जीवको अपना फल देनेमें नोकर्मके साहाय्यकी अपेक्षा रखता है।

यह बात इनकी स्पष्ट होते हुए भी आधुनिक और बहुतेसे भूतकालीन विद्वानोंने इस सिद्धान्तको मान्यता दे रखी है कि कर्म और नोकर्ममें भी कार्य-कारणभाव है अर्थात् जीवको कर्मफल भोगनेमें नोकर्मका

समागम भी कर्मसे ही प्राप्त होता है। जैसे—साता और असाता वेदनीय कर्मोंका कार्य जीवको क्रमशः साता और असाताका अनुभव कराना है। लेकिन विद्वान् मानते हैं कि साता और असातारूप अनुभवनके अनुकूल साधनको जुटाना भी क्रमशः साता और असाता वेदनीय कर्मोंका ही कार्य है।

यहाँपर हमें (विद्वानोंको) कम-से-कम यह तो सीखना चाहिये कि जब साता और असाता वेदनीय कर्म जीवको अपना फल सहायक साधनोंके अभावमें नहीं दे सकते हैं तो फिर सहायक साधनको जुटाना साता और असाता वेदनीय कर्मोंका कार्य कैसे माना जा सकता है? कारण कि सहायक साधनको जुटाना कर्मका फल मान लेनेसे उक्त मान्यताके अनुसार उसमें भी सहायक साधनोंके समागमकी आवश्यकता उत्पन्न हो जायगी, इस तरह साता और असाता वेदनीय कर्मोंके कार्यमें अनवस्थिति दोषका प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इसलिये यही मानना उचित है कि सहायक साधनोंको जुटाना साता और असाता वेदनीय कर्मोंका कार्य नहीं है, बल्कि स्वपुरुषार्थ या परपुरुषार्थसे अथवा अन्य प्रकारसे अनायास ही जीवको जब साता-सामग्री या असाता सामग्री प्राप्त हो जाती है, तब साता और असाता वेदनीय कर्म जीवको अपना फल साता और असाताके रूपमें देने लगते हैं। बस ! यही बात उच्चगोत्र और नीचगोत्र कर्मोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि उच्चगोत्र और नीचगोत्र कर्मोंका कार्य जीवमें क्रमशः उच्चता और नीचताका व्यवहार कराना है। परन्तु उच्चगोत्र कर्म जीवमें उच्चताका व्यवहार करानेके लिये उसके (जीवके) उच्चकुलमें पैदा होने अथवा उसकी (जीवकी) उच्च आचाररूप प्रवृत्ति होनेसे रूप सहायक साधनकी अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार नीचगोत्रकर्म जीवमें नीचताका व्यवहार करानेके लिये उसके (जीवके) नीचकुलमें पैदा होने अथवा उसकी (जीवकी) नीच आचाररूप प्रवृत्ति होनेसे रूप सहायक साधनकी अपेक्षा रखता है, इसप्रकार जीवका उच्चकुलमें पैदा होना अथवा उसकी उच्च-आचाररूप प्रवृत्ति होना उच्चगोत्रकर्मका तथा जीवका नीच कुलमें पैदा होना अथवा उसकी नीच आचाररूप प्रवृत्ति होना नीचगोत्रकर्मका कार्य कदापि नहीं माना जा सकता है। अन्यथा पूर्वोक्त प्रकारसे अनवस्थिति दोषका प्रसंग साता और असाता वेदनीय कर्मोंकी तरह यहाँपर भी उपस्थित हो जायगा।

इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जीवका उच्च या नीच कुलमें पैदा होना अथवा उसकी उच्च या नीच आचाररूप प्रवृत्ति होना उच्च और नीचगोत्र कर्मोंका कार्य नहीं है बल्कि कोई जीव जब उच्चकुलमें पैदा होता है अथवा उच्च आचाररूप प्रवृत्ति करने लगता है तो इनकी सहायतासे उच्चगोत्रकर्म उस जीवमें उच्चताका व्यवहार करने लगता है। इसी तरह जब कोई जीव नीचकुलमें पैदा हो जाता है अथवा नीच आचार-रूप प्रवृत्ति करने लगता है तब इनकी सहायतासे नीचगोत्रकर्म उस जीवमें नीचताका व्यवहार करने लगता है।

जीवका उच्चकुलमें पैदा होना अथवा उसकी उच्च आचाररूप प्रवृत्ति होना उच्चगोत्र कर्मके और जीवका नीचकुलमें पैदा होना अथवा उसकी नीच आचाररूप प्रवृत्ति होना नीचगोत्रकर्मके नोकर्म (सहायक कर्म) होनेके कारण ही लोक जीवमें उच्चता और नीचताका व्यवहार जन्मना और कर्मणा दोनों प्रकारसे किया करता है। परन्तु जैन संस्कृति जन्मसे उच्च-नीच व्यवहारको महत्त्व नहीं देती है। वह तो जीवकी उच्च और नीच आचाररूप प्रवृत्तियोंसे ही उसमें (जीवमें) उच्च और नीच व्यवहारकी हामी है। यही कारण है कि जैन संस्कृतिमें गोत्र-परिवर्तनका सिद्धान्त स्वीकार किया गया है और यह बात इसलिये असंगत नहीं मानी जा सकती है कि कन्या जब विवाहित हो जाती है, तो उसका पितृगोत्रसे संबंध विच्छेद होकर पतिगोत्रसे संबंध स्थापित हो जाता है।

जैन संस्कृतिमें जीवकी उच्च-नीच आचार-प्रवृत्तियोंके आधारपर ही उसमें (जीवमें) उच्च-नीच व्यवहार माननेका मुख्य कारण यह है कि बहूपर (जैन संस्कृतिमें) उच्च और नीच सभी प्रकारके कुलोंकी व्यवस्था भी उस-उस प्रकारके उच्च और नीच आचारके आधारपर ही स्वीकार की गयी है। जैसे—बमारके कुलमें उन्नत होनेवाला व्यक्ति बमार तो कहलाता है परन्तु वह कुल, जो बमार कहलाता है, उसका मूलकारण यही है कि उस कुलमें बमडेका कार्य किया जाता है। इसीप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों तथा सुनार, लुहार, बढई, कुम्हार आदि जातियों (जो कुलके ही नामान्तर हैं) के नामकरण भी मनुष्योंके उस-उस प्रकारके आचारके आधारपर ही स्वीकार किये गये हैं। लोकमें उक्त सभी प्रकारके आचारोंमेंसे जिस-जिस आचारको उच्च माना गया है उसके आधारपर उस कुलको उच्च और जिस-जिस आचारको नीच माना गया है उसके आधारपर उस-उस कुलको नीच मान लिया गया है।

यद्यपि देवाविशेष, प्राणाविशेष, व्यक्तिविशेष आदि इनमें विविधप्रकारके आधारोंपर भी जातियोंका निर्माण हुआ है। परन्तु जीवोंकी उच्चता और नीचताके व्यवहारमें इनका कुछ भी उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार जैन, बौद्ध, वैष्णव, आर्यसमाज, मुसलमान, ईसाई आदि जातियोंका निर्माण उस-उस संस्कृतिकी मान्यताके आधारपर हुआ है। लेकिन इनको भी जीवोंकी उच्चता और नीचताका शोचक नहीं माना जा सकता है।

प्रायः लोगोंका ख्याल है कि धर्माचरण उच्चताका और अधर्माचरण नीचताका व्यवहार करनेमें कारण है परन्तु उनकी यह धारणा बिल्कुल गलत है, कारण कि लोकव्यवहारमें यह भी देखा जाता है कि अधर्माचरण करनेवाला ब्राह्मण उच्चगोत्री माना जाता है और धर्माचरण करनेवाला शूद्र नीचगोत्री ही माना जाता है। जैन संस्कृतिमें भी मिथ्यादृष्टि जीवोंको भी उच्चगोत्री और देशविरत (पंचम गुणस्थानवर्ती) जीवोंको भी नीचगोत्री स्वीकर किया गया है।

इस तरह यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक जीवके कुलपरंपरागत जीवन-संरक्षणके लिये किये जानेवाले प्रयत्नोंकी उच्चता और नीचताके आधारपर ही उनमें उच्चता और नीचताका व्यवहार करना उचित है।

“संतानकमेणागयजीबायरणत्स गोदमिदि सण्णा।

उच्चं णीचं चरणं उच्चं णीचं ह्वे गोदं ॥”—(गोम्टसारकर्मकाण्ड)।

यह गाथा भी हमें यही उपदेश देती है कि जीवों द्वारा अपने जीवनसंरक्षण (जीविका)के लिये अपनाया गया जो कुलपरम्परागत पेशा है वही गोत्र है। वह गोत्र (पेशा) उच्च और नीच दो प्रकारका है।

गाथामें गोत्रसम्बन्धी यह वर्णन वास्तवमें अनुष्यजातिको लक्ष्यमें रखकर किया गया है। फिर भी इतना तो निश्चित समझना चाहिये कि गाथाके “जीवाचरण” शब्दका अर्थ जीविका (जीववृत्ति) ही है। इस तरह नारकजातिके जीवोंमें या तो जीवनवृत्तिका सर्वथा अभाव है अथवा उनकी जीववृत्ति कष्टमय है, इस तरह नारकीयोंकी जीवनवृत्तिमें नीचताका व्यवहार उपयुक्त होनेके कारण सभी नारकी जीव नीचगोत्री माने गये हैं। तिर्यंगतिके जीवोंकी जीवनवृत्ति क्रूरता और दीनताके लिये हुए कष्टमय होनेके कारण नीच है, अतः सभी तिर्यंच भी नीचगोत्री माने गये हैं। देवोंकी वृत्तिको सात्त्विकवृत्ति कहा जा सकता है, अतः सभी देव उच्चगोत्री मान लिये गये हैं। मानववर्गको चार भागोंमें विभक्त किया गया है। उनमेंसे ब्राह्मणोंकी वृत्तिको सात्त्विक तथा क्षत्रियों और वैश्योंकी वृत्तिको राजस माना गया है। वे दोनों प्रकारकी वृत्तियाँ लोकमें उच्च

माने गयी है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णके सभी मनुष्य उच्चगोत्री माने गये हैं। शूद्रोंकी वृत्ति क्षीणवृत्ति होनेके कारण तामसवृत्ति है। लोकमें तामसवृत्ति नीचवृत्ति कही जाती है, अतः सभी शूद्र नीचगोत्री माने गये हैं। इनके अतिरिक्त म्लेच्छवृत्तिको अपनानेवाले भी मनुष्य होते हैं। म्लेच्छवृत्ति भी वृत्तिके क्रूरवृत्ति होनेके कारण तामसवृत्ति माने गयी है, अतः म्लेच्छमानव भी नीचगोत्री माने गये हैं। भोगभूमिके तिर्यच-क्षीणवृत्तिके कारण नीचगोत्री और भोगभूमिके मनुष्य सात्विकवृत्तिके कारण उच्चगोत्री माने गये हैं। इस तरह मानवजातिमें उच्च और नीच दोनों गोत्रवाले जीवोका अस्तित्व स्वीकार किया गया है।

जो मनुष्य अपने गार्हस्थ्य जीवनको लौघकर साधुमार्गको अपना लेते हैं उनकी वृत्ति जैन संस्कृतिके अनुसार सात्विक हो जाती है। अतः साधुओंकी श्रेणीमें पहुँचा हुआ नीचगोत्री मनुष्य भी उस हालतमें उच्चगोत्री हो जाता है। इस तरह शूद्रको नीचगोत्री होनेके कारण दीक्षा लेनेका जो निषेध किया जाता है, वह उचित नहीं है बल्कि यही मानना उचित है कि यदि कोई शूद्र कदाचित् अपने गार्हस्थ्य जीवनको लौघकर साधुजीवनमें प्रवेश कर जाये, तो उसका नीचगोत्र बदलकर उच्चगोत्र हो जायगा। कारण कि साधुजीवनमें प्रवेश पानेसे उसकी गार्हस्थ्यजीवन सम्बन्धी शूद्रकुलवृत्ति समाप्त होकर साधुजीवन सम्बन्धी सात्विकवृत्ति हो जायगी। यदि कहा जावे कि कथ-से-कथ अस्पृश्य शूद्रको तो दीक्षा लेनेका निषेध होना ही चाहिये, तो मैं कहूँगा कि शूद्रमें अस्पृश्यता और स्पृश्यताका भेद ब्राह्मण (वैदिक) संस्कृतिकी ही देन है। जैन संस्कृतिमें अस्पृश्यताको कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

अपने कथनसे यद्यपि यह बात मित्र होती है कि शूद्र बौद्ध संस्कृतिमें दीक्षित होनेपर ५० वर्ष बाद भी उच्चगोत्री नहीं हो सकता है, कारण कि कोई भी संस्कृति गोत्रपरिवर्तनमें कारण नहीं होती है। परन्तु संस्कृति बदले या न बदले, फिर भी यदि कौलिक आचार (जीवनवृत्ति) बदल जाता है तो किसी भी समय शूद्र (नीचगोत्री) उच्चगोत्री और उच्चगोत्री नीचगोत्री हो जायगा। इससे इस बातका भी निषेध हो जाता है कि अन्न रहते हुए गोत्रपरिवर्तन नहीं हो सकता है। कारण कि घर्म उच्चगोत्रका और अधर्म नीचगोत्रका कारण नहीं है। साधुजीवनको जो गोत्रपरिवर्तनमें कारण माना है वह धार्मिक वृद्धिके कारण नहीं, बल्कि जीवनवृत्ति बदल जानेके कारण ही वहाँ गोत्रपरिवर्तन माना गया है।

उक्त विषयको कर्मसिद्धान्तकी दृष्टिसे भी स्पष्ट कर देना मैं उचित समझता हूँ—आयुर्कर्मकी सब प्रकृतियोंको छोड़कर शेष सातावेदनीय और असातावेदनीय, उच्चगोत्र और नीचगोत्र तथा चारों गति आदि परस्पर विरोधी जितनी कर्मप्रकृतियाँ हैं उन सबकी प्रत्येक जीवमें अपनी-अपनी सीमा तक एक साथ सत्ता स्वीकार की गयी है। इन प्रकृतियोंके बन्धके विषयमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचगोत्री उच्चगोत्रका और उच्चगोत्री नीचगोत्रका बन्ध नहीं करता है बल्कि यहाँ तक संभव है कि कोई जीव प्रथम क्षणमें यदि नीचगोत्रका बन्ध कर रहा हो तो वही जीव द्वितीय क्षणमें उच्चगोत्रका भी बन्ध कर सकता है। यही बात उक्त साता और असाता वेदनीय तथा चारों गति आदि सभी परस्पर विरोधी प्रकृतियोंमें भी लागू होनी है। इन सब प्रकृतियोंकी अन्तारालरहित निषेध रचना अपने-अपने अबाधाकालको छोड़कर स्थितिके अनुसार बन्धके साथ हो हो जाया करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक एक भी क्षण ऐसा परिलक्षित नहीं होता, जिस क्षणमें परस्पर विरोधी उक्त कर्मप्रकृतियोंके निषेधकी सत्ता न पायी जाती हो। प्रत्येक कर्मप्रकृतिके प्रत्येक निषेधका अपने-अपने समयमें खिरनेका नियम है। इस तरह जिस क्षणमें उच्चगोत्रका निषेध खिरता है उसी क्षणमें उसका विरोधी नीचगोत्रका निषेध भी खिरता है। यह खिरना तीन प्रकारसे संभव है—संक्रमण होकर, फल देकर और फल न देकर। संक्रमणका अर्थ यह है कि उच्चगोत्र-

का निषेक कभी-कभी नीचगोत्रका निषेक बनकर खिरता है और इसी तरह नीचगोत्रका निषेक कभी-कभी उच्चगोत्रका निषेक बनकर खिरता है। फल देकर और फल नहीं देकर खिरनेका अर्थ यह है कि यदि खिरते समय उच्चगोत्रके निषेकको नोकर्मकी सहायता प्राप्त हो जाती है तो उच्चगोत्रका निषेक तो फल देकर खिरता है और उस समय नीचगोत्रका निषेक बिना फल दिये ही खिर जाता है। इसी तरह यदि खिरते समय नीचगोत्रके निषेकको नोकर्मकी सहायता प्राप्त हो जाती है तो नीचगोत्रका निषेक तो फल देकर खिरता है और उच्चगोत्रका निषेक बिना फल दिये ही खिर जाता है। यही व्यवस्था साता और असाता आदि परस्पर बिरोधी सभी कर्मप्रकृतियोंके निषेकोंके खिरनेमें लागू होती है।

कर्मसिद्धान्तके इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जीवको एक ही भवमें जिस प्रकार अपने-अपने अनुकूल नोकर्मकी सहायतासे कभी सातावेद्यनीय और कभी असातावेद्यनीय कर्म अपना फल देते रहते हैं। इसी प्रकार जीवको एक ही भवमें अपने-अपने अनुकूल नोकर्मकी सहायतासे कभी उच्चगोत्र और कभी नीचगोत्र कर्म भी अपना-अपना फल दे सकते हैं। चूंकि नारकी, तिर्यच, देव इन तीनों गतियोंमें तथा भोगभूमिमें कहीं उच्चगोत्रका और कहीं नीचगोत्रका ही नोकर्म नियमसे रहता है, अतः नारकीयों, तिर्यचों, देवों और भोगभूमिके तिर्यचों तथा मनुष्योंका गोत्रपरिवर्तन नहीं होता है। परन्तु कर्मभूमिज मनुष्योंके जीवनमें पूर्वोक्त प्रकार जीवनवृत्ति बदलनेकी संभावनाके आधारपर उच्चगोत्र और नीचगोत्र दोनोंके नोकर्ममें परिवर्तनकी संभावना बनी रहती है, अतः कर्मभूमिज मनुष्योंके गोत्रपरिवर्तन स्वीकार किया गया है।



मुख्यमान आयुमें अपकर्षण और उत्कर्षण

कई विद्वानोंका ऐसा मत है कि मुख्यमान किसी भी आयुमें उत्कर्षणकरण नहीं होता, अपकर्षणकरण भी मुख्यमान तिर्थायु और मनुष्यायुमें ही हो सकता है, कारण इन दोनोंकी उदीरणा संभव है। मुख्यमान देवायु और नरकायु अनपवर्त्य होनेके कारण उदीरणा रहित है इसलिये इनमें अपकर्षणकरण भी नहीं होता है। आयुक्रममें यदि उत्कर्षण, अपकर्षणकरण हों तो वे बध्यमानमें ही होंगे।

बध्यमान आयुमें उत्कर्षण, अपकर्षणकरण होते हैं, इसमें किसीका विवाह नहीं, केवल अनीतक भेरा बंधन है कि मुख्यमान सम्पूर्ण आयुओंमें भी उत्कर्षण, अपकर्षणकरण ही सकते हैं, इसका कारण यह है कि मुख्यमान तिर्थायु और मनुष्यायुकी उदीरणा तो सर्वसम्मत है; मुख्यमान देवयु और नरकायुकी भी उदीरणा सिद्धात्सम्भवमें बतलाई है—

सकमणाकरणजा णवकरणा होति सव्य-आऊर्ण ॥ गाम्मट० कर्म० गा० ४४१।

एक संक्रमणकरणको छोड़कर बाकीके बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण उदीरणा, सत्व, उदय उपशान्त, निवृत्ति और निकाचना ये भवकरण संपूर्ण आयुओंमें होते हैं।

किसी भी कर्मकी उदीरणा उसके उदयकालमें ही होती है कारण उदीरणाका लक्षण निम्न प्रकार माना गया है —

अण्णत्थटियस्सुदये मयुहणमुदीरणा हु अत्थि त ॥ गो० कर्म० गा० ४३९।

सं० टी०—उदयावलीबाह्यस्थितस्थितिद्रव्यस्यापकर्षणवशादुदयावल्या निक्षेपणमुदीरणा खलु।

उदयावलीके द्रव्यसे अधिक स्थितिवाले द्रव्यको अपकर्षणकरणके द्वारा उदयावलीमें डाल देना अर्थात् उदयावलीप्रमाण उस द्रव्यको स्थिति कर देनेका नाम उदीरणा है। उदयगतकर्मके वतमान समयसे लेकर बावली पर्यन्त जितने समय हो उन सबके समूहको उदयावली कहा गया है। इसत यह निष्कव निकला कि कर्मकी उदीरणा उसके उदय हालतमें ही हो सकती है।

परभव-आउगस्स च उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ —गो० कर्म० गा० १५९।

यह नियम स्पष्टरूपसे परभवकी (बध्यमान) आयुकी उदीरणाका निवेचन कर रहा है।

उदयाणमावलिह्मि च उभयाण बाहिरम्मि खिचणट्ठ। लम्बिसार, गा० ६८।

अर्थात्—उदयावलीमें उदयगत प्रकृतियोंका ही क्षेपण होता है। उदयावलीके बाहिर उदयगत और अनुदयगत दोनों तरहकी प्रकृतियोंका क्षेपण होता है।

इससे भी यही सिद्ध होता है कि जिस कर्मका उदय होता है उसीका उदयावली-बाह्यद्रव्य उदयावलीमें दिया जा सकता है। इसलिये देवायु और नरकायुकी उदीरणा क्रमसे देवगति और नरकगतिमें होनी, अन्यत्र नहीं, अर्थात् मुख्यमान देवायु और नरकायुकी ही उदीरणा हो सकती है, बध्यमान की नहीं।

शंका—परभव-आउगस्स च उदीरणा णत्थि णियमेण ॥ —गो० कर्म० गा० ११८।

सं० टीका—परभवयायुषो नियमेनोदीरणा नास्ति, उदयगतस्यैवोपपादिकचरमात्तमदेहा-सख्येयवर्षाभ्योऽन्यत्र तत्स भवात् ॥

अर्थात्—परभवकी (बध्यमान) आयुकी नियमसे उदीरणा नहीं होती, कारण कि देव, नारकी,

परमोत्तमदेहके बारक तथा असंख्यात बर्बकी आयुवाके मनुष्य-तिर्यचोंकी छोड़कर बारकीके जीकोंके उदयगत आयुकी ही उदीरण संभव है। इस कथनसे यह बात निकलती है कि देवामु और नरकायुकी उदीरणा ही नहीं होती है तथा पूर्वकथनसे यह सिद्ध होता है कि देवामु और नरकायुकी भी उदीरणा होती है; इसलिये शास्त्रोंमें ही पूर्वापर विरोध आता है ?

उत्तर—शास्त्रोंमें उदीरणा दो तरहकी बतलाई है—एक तो अन्य निमित्तसे मरण हो जानेको उदीरणा कहती है, दूसरी स्वतः आत्माकी क्रियाविशेषसे उदयावली बाह्यद्रव्यको उदयावलीमें डाल देनेकी उदीरणा कहती है। ऐसी उदीरणा देवामु और नरकायुकी भी होती है, उदीरणामरण नहीं होता। आत्माकी कल्प में टोडरमलजी इस शांकाका निरास इस प्रकार करते हैं—“बहुत्र उदीरणसंबंधको बर्ब जहाँ देवाविकके उदीरणा न कही तहाँ तो अन्य निमित्तसे मरण होय ताका नाम उदीरणा है। अर इहा कल्पनिके कथनविषे उदीरणकरण देवायुके भी कहा, तहाँ ऊपरके नियेकविके द्रव्यको उदयावली विषे बीजिये, ताका नाम उदीरणा है

—बोध० प्रकाश, कुल्लुकाकार, पृ०-४२१।

इस प्रकार शास्त्रके दोनों प्रकारके कथनोंकी आपेक्षिक कथन स्वीकार करनेसे पूर्वापर-विरोधकी शंका नहीं रहती है।

कर्मोंकी उदीरणा अपकर्षणपूर्वक ही होती है। जबतक कर्मके द्रव्यको स्थितिका अपकर्षण नहीं होगा तबतक उस द्रव्यका उदयावलीमें प्रक्षेप नहीं हो सकता है, कारण कि उदयावलीमें प्रक्षेपका मतलब ही यह है कि जो कर्मद्रव्य अधिक समयमें उदय आने योग्य था वह अब उदयावलीमें ही उदय आकर नष्ट हो जायगा। इसी अभिप्रायसे कर्मकाण्डकी संस्कृत टीकाकारने उदीरणाके लक्षणमें “अपकर्षणवशात्” यह पद दिया है।

इस कथनसे भुज्यमान देवामु और नरकायुमें अपकर्षणकरण होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है।

“हाणी ओषकट्टणं धाम”, “उषकट्टणं ह्ये बहूढो” ॥ गो० कर्म० गा० ४१८।

स० टी०—स्थित्यनुभागयोर्हानिरपकर्षणम्, स्थित्यनुभागयोर्बुद्धिष्वत्कर्षणम् ॥

कर्मोंकी स्थिति और अनुभागको घटा देना अपकर्षण है और बढ़ा देना उत्कर्षण है। बुध प्रकृतियोंने स्थिति और अनुभागमें कमी संश्लेषपरिणामोंसे होती है और बुद्धि विशुद्ध परिणामोंसे होती है। अशुभ प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभागमें हानि विशुद्ध परिणामोंसे होती है और बुद्धि संश्लेषपरिणामोंसे होती है। देवामु शुभप्रकृति है, इसलिये उसके स्थिति और अनुभागमें कमी संश्लेषपरिणामोंसे होगी और बुद्धि विशुद्ध परिणामोंसे होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब देवोंके संश्लेषता होनेसे देवामुका अपकर्षण हो सकता है तो विशुद्धता होनेसे देवामुका उत्कर्षण होना भी न्यायसंगत है। इसीप्रकार नरकामु अशुभ प्रकृति है, इसलिये उसके स्थिति और अनुभागमें कमी विशुद्ध परिणामोंसे होगी और बुद्धि संश्लेष परिणामोंसे होगी; इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब नारकियोंके विशुद्धता होनेसे नरकामुका अपकर्षण हो सकता है तो संश्लेषता होनेसे नरकामुका उत्कर्षण होना भी न्यायसंगत है। इस प्रकार भुज्यमान देवामु और नरकायुमें भी अपकर्षण और उत्कर्षण सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार भुज्यमान तिर्यचायु और मनुष्यायुमें भी अपकर्षणकरणकी तरह उत्कर्षण करण स्वीकार करना चाहिये।

टीका—किसी भी कर्मप्रकृतिका उत्कर्षण उसकी बन्धव्युच्छित्तके पहिले तक ही होता है।

बहुवचनप्रकरणं सग-सग बन्धोति नियमेण ॥४४॥कर्म०॥

इससे यह निष्कर्ष निकला कि आत्माकी जो अवस्था जिस कर्मप्रकृतिके बन्धमें कारण पड़ती है उसी अवस्थामें उस प्रकृतिका उत्कर्षण हो सकता है। वर्तमान भवमें उत्तर भवकी आयुका ही बन्ध होता है—वर्तमान (मुच्यमान) का नहीं। इसलिये मुख्यमान आयुका उत्कर्षण भी नहीं हो सकता है ?

उत्तर—बन्धव्युत्पत्तिके पहिले-पहिले ही उत्कर्षण होता है, यह कबन उत्कर्षणकी मर्यादाको बत-कायन है अर्थात् अर्थात् जिस प्रकृतिका बंध हो सकता है वहीतक उस प्रकृतिका उत्कर्षण होगा, जाने नहीं। इसका यह आशय नहीं कि आत्माकी जो अवस्था कर्मप्रकृतिके बन्धमें कारण है उसी अवस्थामें उस प्रकृतिका उत्कर्षण हो सकता है, अन्यत्र नहीं। यदि ऐसा माना जाय, तो उत्कर्षणकरणकी त्रयोदशगुणस्थान तक मानना असंगत ठहरेगा।

छन्द सञ्जोगिति तदो ॥कर्म० गा० ४४२॥

संयोगीपर्यन्त उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीरणा, बन्ध और सरव ये ६ करण होते हैं। लेकिन स्थिति-अनुभागकी बुद्धिको उत्कर्षणकरण माना गया है, यहाँ आत्माकी कोई भी अवस्था किसी भी कर्मके स्थिति-अनुभागबन्धमें कारण नहीं, तब ऐसी हालतमें उस कर्मके स्थिति और अनुभागका उत्कर्षण भी नहीं संकेत। किन्तु जब उक्त वचनको उत्कर्षणकी मर्यादा बतलानेवाला मान लेते हैं तो कोई विरोध नहीं रहता, कारण कि त्रयोदशगुणस्थानमें सातावेदनीयका प्रकृति-प्रदेशबन्ध होता ही है। इसलिये उसीका उत्कर्षण भी त्रयोदशगुणस्थानतक होगा, अन्यथा नहीं, ऐसा संगत अर्थ निकल जाता है।

उक्त वचन मर्यादासूचक ही है। इसमें दूसरा प्रमाण यह है कि संक्रमणकरण को—संक्रमणं करणं पुण सग-सग जादीण बंधोति ॥ कर्म० ४४४॥

इस वचनके द्वारा अपनी-अपनी सजातीय प्रकृतिके बन्धपर्यन्त बतला करके भी—

णवरि बिसेसं जाणे संकममवि होदि संतमोहृम्मि ॥

मिच्छस्त यमिस्सस्स य सेसाणं पत्थि संकमणं ॥ कर्म० ४४३ ॥

इस वचनके द्वारा मिथ्यात्व और मिथ्यप्रकृतिका संक्रमण ११वें गुणस्थान तक बतलाया है। इसलिये जिस प्रकार यह वचन संक्रमणके लिये यह नियम नहीं बना सकता कि आत्माकी जिस अवस्थामें जिस कर्मकी सजातीय प्रकृतियोंका बन्ध हो सकता है उसी अवस्थामें उस कर्मका संक्रमण होगा, दूसरी अवस्थामें नहीं, इसी प्रकार उक्त वचन उत्कर्षणके लिये भी ऐला नियमसूचक नहीं है।

इस लेखका सारांश यह हुआ कि चारों मुख्यमान आयुओंकी उदीरणा हो सकती है और उदीरणा अपकर्षणपूर्वक ही होती है। इसलिये चारों मुख्यमान आयुओंमें अपकर्षण भी सिद्ध हो जाता है। धृष प्रकृतियोंका अपकर्षण संकलेश परिणामोत्ति और अधुमका विद्युत् परिणामोत्ति होता है। जब चारों आयुओंके अपकर्षणके योग्य धृष-अधुमकी अपेक्षा संकलेश या विद्युत् परिणाम चारों गतियोंमें पैदा हो सकते हैं तो उनके उत्कर्षणके योग्य उनसे विपरीत परिणाम भी चारों गतियोंमें पैदा हो सकते हैं। इसलिये चारों मुख्यमान आयुओंमें उत्कर्षण भी सिद्ध हो जाता है।

यह लेख मैंने अपनी शंकाको दूर करनेके लिये लिखा है। इसलिये विद्वानोंसे निवेदन है कि यदि उनको मेरे ये विचार विपरीत मालूम पड़ें, तो अपने विचार प्रमाणसहित अवश्य ही जैन वर्णनमें प्रकट करें, ताकि इस बातका निर्णय हो सके।

क्या असंज्ञी जीवोंमें मनका सद्भाव है ?

श्री डॉ० हीरालाल जैन एम० ए० नागपुरने अखिल भारतीय प्राण्य-विद्या सम्मेलनके १६वें अधिवेशनके समय प्राकृत और जैनधर्म विभागमें जो निबन्ध पढा था उसका हिन्दी अनुवाद 'असंज्ञी जीवोंकी परंपरा' शीर्षकसे अनेकान्तपत्रके वर्ष १३ की संयुक्त किरण ४-५ और ७ में प्रकाशित हुआ है ।

डॉ० साहूबके निबन्धका सारांश यह है कि असंज्ञी पाने जाने वाले एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय त्रिर्बोके अब मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंका सद्भाव जैन आगममें स्वीकार किया गया है तो निश्चित ही उन सभी जीवोंके मनका सद्भाव सिद्ध होता है कारण कि मति और श्रुत ये दोनों ही ज्ञान मनकी सहायताके बिना किसी भी जीवके सम्भव नहीं है ।

अभी तककी प्रचलित दि० आगमपरंपरा यह है कि जिन जीवोंके मनका सद्भाव पाया जाता है वे जीव सभी और जिन जीवोंके मनका सद्भाव नहीं पाया जाता है वे जीव असंज्ञी कहे जाते हैं । परन्तु डॉ० साहूबने सभी जीवोंके साथ असंज्ञी जीवोंका अन्तर दिखलानेके लिये ब्रह्मण्डक शब्दका मनरहित अर्थ न करके 'ईशत् मन वाला' अर्थ किया है ।

डॉ० साहूबने अपने उक्त विचारोंकी पुष्टि आगमके कतिपय उद्धरणों और युक्तियों द्वारा की है ।

इन्द्रियजन्य सभी प्रकारके मतिज्ञानमें मनकी सहायता अनिवार्य है—यह विचार न तो अब तक मेरे मनमें उठा और न अब भी मैं इन बातको माननेके लिये तैयार हूँ । परंतु सयूचे जैन आगममें असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करनेसे मेरे मनमें यह विचार सतत उत्पन्न होता रहा कि श्रुतज्ञान, जो कि मनके अवलम्बनसे ही उत्पन्न होता है, मन रहित असंज्ञी जीवोंके कैसे सम्भव हो सकता है ?

प्राय वर्तमान समयके सभी दि० विद्वान् असंज्ञी जीवोंके मनका अभाव निश्चित मानते हैं; इसलिये उनके (असंज्ञी जीवोंके) आगममें स्वीकृत श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करके भी वे विरोधका परिहार इस तरह कर लेते हैं कि असंज्ञी जीवोंके मनका अभाव होनेके कारण लब्धिरूप ही श्रुतज्ञान पाया जाता है क्योंकि उपयोगरूप श्रुतज्ञान मनके सद्भावके बिना उनके (असंज्ञी जीवोंके) संभव नहीं है ।

दि० विद्वानोंका उक्त निष्कर्ष मुझे संतोषप्रद नहीं मालूम होता है । अतः मेरे सामने आज भी यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि मनके अभावमें असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी संगति किस तरह बिटलाई जावे ?

श्वे० आगमग्रंथ विशेषजावश्यकभाष्यका वह प्रकरण, जिसका उद्धरण डॉ० साहूबने अपने निबन्धमें दिया है और जिसमें एकेन्द्रिय आदि समस्त असंज्ञी जीवोंके भी तरतमभावसे मनकी सत्ताको स्वीकार किया गया है । करीब २० वर्ष पहले मेरे भी देखनेमें आया था । लेकिन उससे भी मेरे उक्त प्रश्नका उचित समाधान नहीं होता है, क्योंकि असंज्ञी जीवोंके मनके अभावमें लब्धिरूप श्रुतज्ञानकी सत्ताको स्वीकार करने और उनके ईशत्-मनका सद्भाव स्वीकार करके उपयोगरूप श्रुतज्ञानकी सत्ता स्वीकार करनेमें असंतोषप्रद स्थितिका विशेष अन्तर नहीं है ।

चूँकि डॉ० साहूबने उक्त विषयमें अपने विचार लिपिबद्ध किये हैं, अतः इस विषयपर मेरे अब तकके चिंतनका जो निष्कर्ष है उसे मैं भी विद्वानोंके समक्ष उपस्थित कर देना उचित समझता हूँ ।

ज्ञानकी उत्पत्ति दो प्रकारसे सम्भव है—स्वापेक्ष और परापेक्ष । अबधि, मन-पर्यय और केवल इन तीनोंकी उत्पत्ति स्वापेक्ष माना गया है तथा मति-अर्थ-भूत-ज्ञान-दीर्घों-ज्ञानोंकी-उत्पत्ति परापेक्ष मानी गई है । यहाँ परशब्दसे मुख्यतया स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ और इन्द्रियमन ग्रहीत होती हैं ।

मतिज्ञानका प्रारम्भिक रूप अथवा ज्ञान है और अनुमान उस मतिज्ञानका अन्तिमरूप है । मतिज्ञानका अन्तिम रूप यह अनुमान-ज्ञान भूतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है । ज्ञानमें 'मतिपूर्व भूतम्' इस वाक्यसे भी उक्त बातका समर्थन हुआ है ।

किसी एक घटशब्दमें गुण द्वारा घटरूप अर्थका संकेत ग्रहण करा देनेके अनन्तर शिष्यको सतत घट-शब्दश्रवणके अनन्तर जो घटरूप अर्थका बोध हो जाता करता है वह बोध उस शिष्यको अनुमान द्वारा उस घट शब्दमें घटरूप अर्थका संकेत ग्रहण करनेपर ही होता है । अब अनुमानकी भूतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणता स्पष्ट है और चूँकि अनुमान मतिज्ञानका ही अन्तिमरूप है, अतः 'मतिपूर्व भूतम्' ऐसा निर्देश आगममें किया गया है ।

कई लोगोंका क्याल है कि 'जब अर्थसे अर्थान्तरके बोधको भूतज्ञान कहते हैं तो भूतज्ञानको अनुमान ज्ञानसे पुनश्च नही मानना चाहिये', परन्तु उन लोगोंका उक्त क्याल शक्य है, क्योंकि मैं ऊपर बतला चुका हूँ कि भूतज्ञानमें अनुमान कारण है, अतः अनुमानज्ञान और भूतज्ञान दोनों एक कैसे हो सकते हैं ?

जिस प्रकार भूतज्ञानमें कारण अनुमानज्ञान है और अनुमानज्ञानके अनन्तर ही भूतज्ञान उत्पन्न होता है उसी प्रकार अनुमानज्ञानमें कारण तर्कज्ञान होता है और तर्कज्ञानके अनन्तर ही अनुमानज्ञानकी उत्पत्ति हुआ करती है, इसी तरह तर्कज्ञानमें कारण प्रत्यभिज्ञान, प्रत्याभिज्ञानमें कारण स्मृतिज्ञान और स्मृतिज्ञानमें कारण धारणा ज्ञान हुआ करता है तथा तर्कज्ञानके अनन्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके समान ही प्रत्यभिज्ञानके अनन्तर ही तर्कज्ञानकी, स्मृतिज्ञानके अनन्तर ही प्रत्यभिज्ञानकी और धारणाज्ञानके अनन्तर ही स्मृतिज्ञानकी उत्पत्ति हुआ करती है ।

इस प्रकार भूतज्ञानकी तरह उक्त प्रकारके मतिज्ञानोंमें भी मतिज्ञानकी कारणता स्पष्ट हो जाती है क्योंकि अनुमान, तर्क, प्रत्यभिज्ञान, स्मृति और धारणा ये सभी ज्ञान मतिज्ञानके ही प्रकार मान लिये गये हैं—'मति-स्मृति-सज्ञा-चिन्ता-भिनबोध-इत्यनर्थान्तरम्' इस अगमवाक्यमें मतिके अर्थमें 'अवग्रहेहावायधारणा' इस सूत्रवाक्यनुसार धारणाका अन्तर्भाव हो जाता है तथा प्रत्यभिज्ञानका ही अपर नाम संज्ञाको, तर्कका ही अपर नाम चिन्ताको और अनुमानका ही अपर नाम अभिनिबोधको माना गया है ।

यहाँ पर इतना और ध्यान रखना चाहिये कि जब स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान इन सब प्रकारके मतिज्ञानोंमें तथा भूतज्ञानमें पदार्थका दर्शन कारण न होकर यथायोग्य ऊपर बतलाये गये प्रकारानुसार पदार्थज्ञान अथवा यों कहिये कि पदार्थज्ञानका दर्शन ही कारण हुआ करता है । अतः ये सब ज्ञान परोक्षज्ञानकी कौटिमें पहुँच जाने हैं क्योंकि पदार्थदर्शनके अभावमें उत्पन्न होनेके कारण इन सब ज्ञानोंमें विशद-अज्ञा अभाव पाया जाता है जबकि 'विशद-प्रत्यक्षम्' आधि-वाक्यों द्वारा आगममें विशद ज्ञानको ही प्रत्यक्षज्ञान बतलाया गया है । यहाँ पर ज्ञानको विशदता का तात्पर्य उसकी स्पष्टतासे है और ज्ञानमें स्पष्टता तभी आ सकती है जबकि वह ज्ञान पदार्थदर्शनके सञ्जावमें उत्पन्न हो ।

तात्पर्य यह है कि जबकि प्रत्येक ज्ञानमें दर्शन कारण होता है । परन्तु इतना विशेष है कि किसी-किसी

ज्ञानमें तो पदार्थका दर्शन कारण होता है और किसी-किसी ज्ञानमें पदार्थका दर्शन कारण न होकर पदार्थ-ज्ञानका दर्शन कारण होता है, जिन ज्ञानोंमें पदार्थका दर्शन कारण होता है उन ज्ञानोंमें पदार्थ स्पष्टताके साथ मिलकता है। अतः वे ज्ञान विषय कहलाने हैं और इस प्रकारकी विषयताके कारण ही वे ज्ञान प्रत्यक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाते हैं। जैसे—अबधि, मन पर्यय और केवल वे तीनों स्वयंज्ञान तथा स्वर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियोसे होने वाला पदार्थज्ञान तथा मानस प्रत्यक्ष ज्ञान। एवं किन् ज्ञानोंमें पदार्थका दर्शन कारण नहीं होता है अर्थात् जो ज्ञान पदार्थदर्शनके अभावमें ही पदार्थज्ञानपूर्वक था यों कहिये कि पदार्थज्ञानदर्शनके सद्भावमें उत्पन्न हुआ करते हैं उन ज्ञानोंमें पदार्थ स्पष्टताके साथ नहीं मिलक पाता है अतः वे ज्ञान अविशद कहलाने हैं और इस प्रकारकी अविशदताके कारण ही वे ज्ञान परोक्ष-ज्ञानकी कोटिमें चले जाते हैं जैसे—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क व अनुमान ये चारों मतिज्ञान तथा ध्रुतज्ञान।

यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि दर्शन और ज्ञानमें जो कार्य-कारण भाव पाया जाता है, वह सहभावी है। इसलिए जब तक जिस प्रकारका दर्शनोपयोग विद्यमान रहता है तब तक उसी प्रकारका ज्ञानोपयोग होता रहता है और जिस क्षणमें दर्शनोपयोग परिवर्तित हो जाता है उसी क्षणमें ज्ञानोपयोग भी बदल जाता है—'दंसणपुम्बं षार्थं' इस आगमवाक्यका वह अर्थ नहीं है कि दर्शनोपयोगके अनन्तरकालमें ज्ञानोपयोग होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्वसब्द ज्ञानमें दर्शनको सिफं कारणताका बोध करानेके लिये ही प्रयुक्त किया गया है जिसका भाव यह है कि दर्शनके बिना किसी ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

इस कथनसे छद्मस्वजीवोंमें दर्शयोपयोग और ज्ञानोपयोगके क्रमवर्तीपनेकी मान्यताका स्पष्टन तथा केवलीके समान ही उनके (छद्मस्वको) उक्त दोनों उपयोगोंके योगपक्षका समर्थन होता है।

इस विषयके मेरे विस्तृत विचार पाठकोंको भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित होने वाले 'ज्ञानोदय' पत्रके अप्रैल सन् १९५१ के अंकमें प्रकाशित 'जैन दर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान' शीर्षक लेखमें तथा जून ५१ के अंकमें प्रकाशित 'ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार' शीर्षक लेखमें देखनेको मिल सकते हैं। ये दोनों लेख इसी ग्रन्थमें यथास्थान प्रकाशित हैं।

अस्तु। उमर जो स्मृतिमें कारणमूत धारणाज्ञानका संकेत किया गया है वह धारणाज्ञान चूँकि पदार्थ दर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न होता है अतः वह ज्ञान प्रत्यक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाता है। तथा इस धारणा-ज्ञानके अतिरिक्त इसके पूर्ववर्ती अवाय, ईहा और अबग्रहज्ञान भी चूँकि पदार्थदर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न हुआ करते हैं अतः वे तीनों ज्ञान भी प्रत्यक्षज्ञानकी कोटिमें पहुँच जाते हैं।

यहाँपर इतना विशेष समझना चाहिए कि अवाय, ईहा और अबग्रह ये तीनों ज्ञान यद्यपि धारणाज्ञानके पूर्ववर्ती होते हैं परन्तु इनका धारणाज्ञानके साथ कार्यकारणसम्बन्ध नहीं है अर्थात् जिस प्रकार पूर्वोक्त प्रकारसे धारणा आदि ज्ञान स्मृति आदि ज्ञानोंमें कारण होते हैं उस प्रकार धारणाज्ञानमें अवाय आदि ज्ञानोंको कारण माननेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि धारणाज्ञानके पहले अवाय आदि ज्ञान होना ही चाहिये।

तात्पर्य यह है कि कभी कभी हमारा ऐन्द्रियिकज्ञान अपनी उत्पत्तिके प्रथमकालमें ही धारणास्व ही जाया करता है, अतः यहाँपर यह भेद करना असम्भव होता है कि ज्ञानकी यह हालत तो अवग्रहज्ञानरूप है और उसकी यह हालत धारणास्व है। कभी-कभी हमारा ऐन्द्रियिक ज्ञान अपनी उत्पत्तिके प्रथमकालमें धारणा-रूप नहीं ही पाता, धीरे-धीरे कालान्तरमें ही वह धारणाका रूप ग्रहण करता है। इसलिए अब तक हमारा ऐन्द्रियिक ज्ञान धारणास्व नहीं होता, तब तक वह ज्ञान अवग्रहज्ञानकी कोटिमें बना रहता है। यदि कथाचित्

हमारा ऐन्द्रियिक ज्ञान किन्हीं कारणोंको ब्रह्मसे संध्यात्मक हो जाता है तो निराकरणके साधन उपलब्ध हो जानेपर संशयके निराकरणकालमें ही वह ज्ञान धारणा रूप नहीं हो जाता करता है। कदाचित् संशयके निराकरणकालमें वह ज्ञान धारणा रूप नहीं हो सका तो जब तक वह ज्ञान धारणा रूप नहीं होता तब तक उसकी अवायक स्थिति रखा करणी है। कभी कभी संशयनिराकरणके साधन उपलब्ध होनेपर भी यदि संशयका पूर्णतः निराकरण नहीं हो सका तो उप ह्यलतमें हमारा वह ज्ञान ईहात्मक रूप धारण कर लेता है और कालान्तरमें वह ज्ञान या तो सीधा धारणा रूप हो जाता करता है, अथवा पहले अवायात्मक होकर कालान्तरमें धारणा रूप होता है। इस तरह ज्ञानके धारणा रूप होनेमें निम्न प्रकार विकल्प खड़े किए जा सकते हैं—

१. पदार्थदर्शनकी मौजूदगीमें ही उस पदार्थका प्रत्यक्ष होता है।
२. इन्द्रियों अथवा मन द्वारा होनेवाला पदार्थ प्रत्यक्ष या तो सीधा धारणा रूप होता है। अथवा
३. अवग्रहपूर्वक धारणा रूप होता है। अथवा
४. संध्यात्मक अवग्रहण होनेके अनन्तर यथायोग्य साधन मिलनेपर धारणा रूप होता है। अथवा
५. संध्यात्मक अवग्रहणके अनन्तर यथायोग्य साधनोंके मिलनेपर उसकी अवायात्मक स्थिति होती है और तदनन्तर वह धारणा रूप होता है अथवा
६. संध्यात्मक अवग्रहणके अनन्तर यथायोग्य साधनोंके मिलनेपर उसकी ईहात्मक स्थिति होती है और तब वह धारणा रूप होता है। अथवा
७. ईहाके बाद अवायात्मक स्थिति होकर वह धारणा रूप होता है। इस प्रकार ऐन्द्रियिक पदार्थ प्रत्यक्षके धारणा रूप होनेमें ऊपर लिखे विकल्प बन जाते हैं और इन सब विकल्पोंके साथ पदार्थदर्शनका संबंध पैसाका पैसा बना रहता है। लेकिन जिस समय और जिस हालतमें पदार्थका दर्शन होना बन्द हो जाता है उसी समय और उसी हालतमें पदार्थप्रत्यक्षकी धारों भी बन्द हो जाती है। इस तरह कभी तो ऐन्द्रियिक पदार्थ-प्रत्यक्ष धारणा रूप होकर ही समाप्त होता है और कभी-कभी यथायोग्य अवग्रह, संशय, ईहा या अवायकी दशाओं ही वह समाप्त हो जाता है।

इस विवेचनसे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार धारणाप्रत्यक्षसे लेकर परोक्ष कहे जाने वाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत रूप ज्ञानोंमें नियत, आनन्तर्य पाया जाता है उस प्रकार प्रत्यक्ष कहे जानेवाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप ज्ञानोंमें आनन्तर्य नियत नहीं है तथा यह बात तो हम पहले ही कहे आये हैं कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन धारों प्रकारके प्रत्यक्षज्ञानोंमें उत्तरोत्तर कार्यकारणभावका संबंध अभाव ही रहता है।

इन पूर्वोक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी ऐन्द्रियिक ज्ञानोंमेंसे एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तकके समस्त असंज्ञी जीवोंके पदार्थका केवल अवग्रह रूप प्रत्यक्षज्ञान स्वीकार किया जाने और शेष प्रत्यक्ष कहे जानेवाले ईहा, अवाय और धारणाज्ञान तथा परोक्ष कहे जानेवाले स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुतज्ञान उन असंज्ञी जीवोंके न स्वीकार किये जायें, पैसा कि बुद्धिगम्य प्रतीत होता है, तो इनके (असंज्ञी जीवोंके) ईषत् मनकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है और तब संज्ञी तथा असंज्ञी जीवोंकी 'जिनके मनका सम्भाव पाया जाता है वे जीव संज्ञी, तथा जिनके मनका सम्भाव नहीं पाया जाता है वे जीव असंज्ञी कहलते हैं' वे परिभाषाएँ भी सुसंगत हो जाती हैं।

इतना स्वीकार कर लेनेपर अब हमारे सामने यह मुख्य प्रश्न विचारके लिए रह जाता है कि अब असंज्ञी जीवोंके मनका सद्भाव नहीं है तो केवलियोंके अतिरिक्त पंचेन्द्रियसे लेकर एकेन्द्रिय तकके समस्त संसारी जीवोंके भति और श्रुत दोनों ज्ञानोंकी सत्ता बतलानेका कारण क्या है ?

इसका उत्तर यह है कि जैन संस्कृतिसमें वस्तुविवेचनके विषयमें दो प्रकारकी पद्धतियाँ अपनायी गयी हैं—एक तो करणानुयोगकी आगमिक पद्धति और दूसरी द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धति। इनमेंसे जो द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिका श्रुतज्ञान है, जिसका अपर नाम आगमज्ञान है और जिसका कथन द्रव्यश्रुतके रूपमें 'द्रव्यनेकदादशमेधम्' इस सूत्रवाक्य द्वारा किया गया है अथवा जो वचनादिभिन्नान्वय अर्थज्ञानके रूपमें प्रत्येक संज्ञी जीवके हुआ करता है—वह श्रुतज्ञान असंज्ञी जीवोंके नहीं होता, यह बात तो निर्विवाद है तब फिर इसके अतिरिक्त कौन-सा ऐसा श्रुतज्ञान रोध रह जाता है जिसकी सत्ता असंज्ञी जीवोंके स्वीकार की जावे ?

शंका—एकेन्द्रियादि सभी असंज्ञो जीवोंकी भी संज्ञी जीवोंकी तरह सुखानुभवनके साधनभूत पदार्थोंका ग्रहण और दुःखानुभवनके साधनभूत पदार्थोंका बर्जनरूप, जो यथासम्भव प्रवृत्तियाँ देखनेमें आती हैं वे उनकी प्रवृत्तियाँ बिना श्रुतज्ञानके सम्भव नहीं जान पड़ती हैं ?

प्रायः देखनेमें आता है कि चीटी मिठासजन्य सुखानुभवन होनेपर भीठे पदार्थकी ओर दौडकर जाती है और उष्णताजन्य दुःखानुभवन होनेपर अग्नि आदि पदार्थसे दूर भागती है, इस प्रकार चीटीकी इस प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप क्रियाका कारण श्रुतज्ञानको छोडकर दूसरा क्या हो सकता है ? अतः असंज्ञी जीवोंके श्रुतज्ञानकी सत्ता भले ही वह किसी रूपमें हो—मानना अनिवार्य है और इसीलिए उनके ईषत् मनका सद्भाव स्वीकार करना असंगत नहीं माना जा सकता है ?

समाधान—एकेन्द्रियादिक सभी जीवोंका प्रत्येक ज्ञान स्वसंवेदी होता है। ज्ञानकी यह स्वसंवेदना प्रकाशमें रहनेवाली स्वप्रकाशकताके समान है। अर्थात् जिस प्रकार प्रकाशको अपना प्रकाश करनेके लिये दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती है उसी प्रकार ज्ञानको अपना प्रकाश करने (ज्ञान कराने) के लिये दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती है।

ज्ञानका यह स्वसंवेदन ही एकेन्द्रिय आदि सभी असंज्ञी जीवोंको प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप समस्त क्रियाओंमें प्रेरक हुआ। करता है अतः इनको (असंज्ञी जीवोंकी) उक्त प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रियाओंके लिये कारण रूपसे उन जीवोंके अतिरिक्त श्रुतज्ञानका सद्भाव माननेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, जिसके लिये हमें उनके ईषत् मनकी कल्पना करके लिये बाध्य होना पड़े।

मेरा ऐसा मत है कि करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिसमें उक्त स्वसंवेदन ज्ञानको ही संभवतः श्रुतज्ञान शब्दसे पुकारा गया है; क्योंकि अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञानरूप श्रुतज्ञानका लक्षण उसमें घटित हो जाता है। घट पदार्थका ज्ञान होनेके साथ जो घटज्ञानका स्वसंवेदनरूप ज्ञान हमें होता है वह अर्थान्तर ज्ञानरूप ही तो है। यह स्वसंवेदनरूप श्रुतज्ञान ब्रह्मिण्यो द्वारा न होकर ज्ञानद्वारा ही हुआ करता है, अतः श्रुतको अनिन्द्रियका विषय माननेमें कोई विरोध भी उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि "अ" का अर्थ निवेध करके अनिन्द्रिय शब्दका "ज्ञान" अर्थ करनेमें भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है।

तत्पर्य यह है कि द्रव्यानुयोगकी दार्शनिक पद्धतिसमें जिस श्रुतका विवेचन किया जाता है वह तो मनका विषय होता है। अतः इस प्रकारमें अनिन्द्रियको "अ" का ईषत् अर्थ करके मनका बाकी मान लेना चाहिये और करणानुयोगकी आगमिक पद्धतिसमें जिस स्वसंवेदनरूप ज्ञानको श्रुत नामसे ऊपर बतला आये हैं

बहु ज्ञानका विषय होता है। अतः उस प्रकरणमें अनिन्द्रिय शब्दको "अ" का अर्थ निषेध करके ज्ञानवाची मान लेना चाहिये।

अमनस्क शब्दका "ईषत् मन बाला" अर्थ भी कुछ असंगत-सा प्रतीत होता है। अर्थात् इन्द्रियशब्दके साथ अनिन्द्रिय शब्दका "ईषत् इन्द्रिय" अर्थ जितना उचित प्रतीत होता है उतना समनस्क शब्दके साथ अमनस्क शब्दका "ईषत् मन बाला" अर्थ उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समनस्क शब्दमें 'सह' शब्दका प्रयोग मनकी मौजूदगीके अर्थमें ही किया गया है। अतः स्वभाषतः अमनस्कशब्दमें "अ" का अर्थ मनकी गैर-मौजूदगी ही करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अनिन्द्रियशब्दके विशेषणार्थक संज्ञा होनेकी वजहसे उसका वाच्यार्थ मन होता है, इसलिये जिस प्रकार इन्द्रियशब्दके साथ अनिन्द्रियशब्दके प्रयोगमें सामंजस्य पाया जाता है, उस प्रकार अमनस्कशब्दका "ईषत् मनबाला" अर्थ करके समनस्क शब्दके साथ उसका (अमनस्कशब्दका) प्रयोग करनेमें सामंजस्य नहीं है क्योंकि अमनस्कशब्दका जब हम "ईषत् मनबाला" अर्थ करेंगे तो स्वभाषतः = समनस्कशब्दका हमें "पूर्ण मनबाला" अर्थ करना होगा, लेकिन समनस्क शब्दका "पूर्ण मनबाला" अर्थ करना विलुप्त कल्पना ही कही जा सकती है।



पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी

पूर्वपक्ष का प्रश्न—द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं या अनियतक्रमसे भी ?
उत्तरपक्षका उत्तर—द्रव्योंमें होनेवाली सभी पर्यायें नियतक्रमसे ही होती हैं ।

समीक्षा

पर्यायोंका विवरण

१. प्रवचनसारके दूसरे श्रेयतत्त्वाधिकारकी^२ गाथा १ में बतलाया है कि विश्वमें एक आकाश, एक धर्म, एक अधर्म, असंख्यात काल, अनन्त जीव और अनन्त पुद्गलरूप जितने पदार्थ हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं । प्रत्येक द्रव्यमें स्वतःसिद्ध अनन्त गुण हैं । तथा प्रत्येक द्रव्यमें द्रव्य-पर्यायें व प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणमें गुणपर्यायें होती हैं । तत्त्वार्थसूत्रके "गुणपर्ययवद्द्रव्यं" (५-३८) सूत्रका भी यही अभिप्राय है ।

२. तत्त्वार्थसूत्रके "सद्द्रव्यलक्षणम्" (५-२९) सूत्रमें द्रव्यका लक्षण "सत्" कहा है तथा द्रव्यका स्वतः-सिद्ध स्वभाव होनेसे गुण भी 'सत्' कहलाता है । प्रत्येक द्रव्यमें व प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणमें प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और प्रोच्यरूपसे परिणमन होता रहता है । द्रव्य और गुणकी स्वरूप उत्तरपर्यायिके विकासको उत्पाद और पूर्वपर्यायिके विनाशको व्यय कहते हैं । द्रव्यों और गुणोंमें ये उत्पाद और व्यय दोनों उनकी द्रव्यरूपता और गुणरूपताको सुरक्षित रखकर ही होते हैं । अतः द्रव्य और गुणमें प्रोच्यरूपता भी सत्त्व बनी रहती है । यही कारण है कि तत्त्वार्थसूत्रके "उत्पादव्ययप्रोच्ययुक्त सत्" (५-३०) सूत्रमें सत्का लक्षण ऐसा ही निर्धारित किया गया है ।

पर्यायोंकी द्विरूपता :

सभी द्रव्यपर्यायें स्व-परप्रत्यय ही होती हैं तथा सभी गुणपर्यायोंमेंसे वद्गुणहानि-वृद्धिरूप पर्यायें स्वप्रत्यय और इनके अनिरीकृत शेषगुणपर्यायें स्व-परप्रत्यय ही होती हैं । जो पर्याय निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीकी सहायतापूर्वक उपादानकारणजन्य हो उसे स्व-परप्रत्यय और जो पर्याय निमित्तकारणभूत बाह्य-सामग्रीकी सहायताके बिना उपादानकारणजन्य हो उसे स्वप्रत्यय कहते हैं । पर्यायिका-विभाजन कालद्रव्यकी अक्षय्य पर्यायभूत समयसापेक्ष होनेसे द्रव्य और गुणकी प्रत्येक पर्याय समयवर्ती मानी गई है ।

उभय पर्यायोंकी आगमद्वारा पुष्टि :

तत्त्वार्थसूत्रके "निष्क्रियाणि च" (५-७) सूत्रकी टीका सर्वार्थसिद्धिमें व नियमसारकी गाथा १४ के उतरार्द्धमें पर्यायोंके स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय दो भेद स्पष्ट स्वीकार किये गये हैं ।

पर्यायोंको उत्पत्तिमें नियतक्रमता और अनियतक्रमताका निर्णय :

अतः स्वप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति निमित्तनिरपेक्ष स्वप्रत्ययताके आधारपर होती है, अतः वह नियतक्रमसे ही होती है और स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति निमित्तसापेक्ष स्वप्रत्ययताके आधारपर होती है, अतः वह निमित्तके समागमके अनुसार नियतक्रमसे भी होती है और अनियतक्रमसे भी होती है ।

१. बीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित, १९८४ ई० ।

२. अल्तो जल्लु इब्नमओ इब्नाणि गुणप्पगाधि भणियाणि ।

तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥१॥

स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी अन्य आगमवचनों द्वारा पुष्टि :

समयसारके सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारकी गाथा ३०८ से ३११ तककी आत्मव्याप्ति टोकामें “जीवो हि तावत् क्रमनियमितत्वपरिणामैस्त्वन्नमानो जीव एव नाजीव”, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितत्वपरिणामैस्त्वन्नमानोऽजीव एव न जीवः” यह कथन पाया जाता है। इस कथनमें विद्यमान “जीव एव नाजीव” और “अजीव एव न जीव” इन दोनों अंशोंसे ज्ञात होता है कि जीवकी पर्यायों अजीवकी सहायतापूर्वक और अजीवकी पर्यायों जीवकी सहायतापूर्वक उत्पन्न होती हैं। यदि ऐसा न माना जावे, तो उक्त कथनके ये दोनों अंश निरर्थक हो जायेंगे, क्योंकि जीवको अजीवरूप और अजीवको जीवरूप माननेका प्रसंग तभी उपस्थित होता है जब जीवकी पर्यायोंका अजीवके साथ और अजीवकी पर्यायोंका जीवके साथ निमित्त-नैमित्तिकभावरूप कार्य-कारणसम्बन्ध माना जावे। समयसार-कलश १९५ में स्पष्ट कहा गया है कि जीवका प्रकृतियोंके साथ जो बन्ध होता है वह जीवके अज्ञानभावका ही माहात्म्य है। समयसारकी गाथा ३१२-१३ में तो और भी स्पष्ट लिखा है कि जीव प्रकृतिके निमित्त (सहयोग) से उत्पन्न और विनष्ट होता है व प्रकृति जीवके निमित्त (सहयोग) से उत्पन्न और विनष्ट होती है। समयसारकी गाथा ८०, ८१ और १०५ तथा प्रवचनसारके श्रेयाधिकारकी गाथा ७७ से भी स्व-परप्रत्यय पर्यायोंका स्पष्ट समर्थन होता है।

इसके अलावा जयपुर (छानिया) तत्त्वदर्शकों समीक्षा (भाग-१) के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर-१की समीक्षा-में मैंने तर्क और आगम प्रमाणोंके आधारसे निमित्तोंके प्रेरक और उदासीन (अप्रेरक) दो भेद बतलाकर उनके लक्षण इस रूपमें निर्धारित किये हैं कि प्रेरक निमित्त वे हैं जिनके साथ उपादानके कार्यकी अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियाँ हों तथा उदासीन निमित्त वे हैं जिनकी उमी कार्यके साथ अन्वय और व्यतिरेक व्याप्तियाँ हो। इन लक्षणोंके अनुसार वहीपर मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रेरकनिमित्तोंके बलसे कार्य आगे-पीछे भी किया जा सकता है तथा अनुकूल उदासीन निमित्तोंका भी यदि उपादानको सहयोग प्राप्त न हो तो उस उपादानकी विवक्षित कार्यरूप परिणति नहीं होती है। इससे भी निर्णीत होता है कि निमित्तसंयोज स्वप्रत्ययताके आधारपर ही स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्टीकरण उदाहरणों द्वारा किया जाता है—

१. पठनकी योग्यताविशिष्ट शिष्यकी पठनक्रिया प्रेरकनिमित्तकारणभूत अध्यापककी सहायतासे होती है, उसकी सहायताके बिना नहीं होती। तथा वहाँ यदि उदासीन निमित्तकारणभूत प्रकाशका अभाव हो तो न अध्यापक पढ़ा सकता है और न शिष्य पढ़ सकता है। इसी प्रकार चलनेकी योग्यताविशिष्ट रेलगाड़ी प्रेरकनिमित्तकारणभूत इंजनके चलनेपर ही चलती है, उसके अभावमें नहीं चलती, तथा वहाँ यदि उदासीन निमित्तकारणभूत रेलपट्टीका सहयोग प्राप्त न हो तो न इंजन चल सकता है और न रेलगाड़ी चल सकती है। इस विवेचनके अनुसार स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति प्रेरक और उदासीन निमित्तोंकी सहायतापूर्वक होनेके कारण उन स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिमें क्रमबद्धता अर्थात् नियतक्रमता और अक्रमबद्धता अर्थात् अनियतक्रमता दोनों ही प्रकारकी व्यवस्था निश्चित होती है।

२. प्रेरक निमित्तकारणभूत कुम्भकार अन्य प्रेरक और उदासीन निमित्तकारणोंकी सहायतापूर्वक घटकर परिणत होनेकी योग्यता विशिष्ट मिट्टीसे क्रमशः स्थास, कोश और कुशल पर्यायोंकी उत्पत्तिपूर्वक ही संकल्पित घटकी उत्पन्न करता है, तथा आवश्यक होनेपर वह कुम्भकार उसी मिट्टीसे विवक्षित सकोरा आबिकी भी उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, यदि बँडका आघात आदि कारण मिल जायें तो बालू कार्यके

विनाश आदि कार्य भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह क्रोधकर्मका उदय रहते क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप परिणत होनेकी योग्यता विशिष्ट जीवकी क्रोधपर्यायि होते-होते यदि मान, माया या लोभ कर्मका उदय हो जावे तो क्रोध पर्यायि रूककर उस जीवकी यथायोग्य मान, माया या लोभ पर्यायि होने लगती है। इस विवेचनके अनुसार भी स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति प्रेरक और उदासीन निमित्तोंकी सहायतापूर्वक होनेके कारण उन स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिमें क्रमबद्धता अर्थात् नियतक्रमता और अक्रमबद्धता अर्थात् अनियत-क्रमता दोनों ही प्रकारकी व्यवस्था निर्णित होती है।

३. पक्षेकी योग्यता विशिष्ट आन्नफलका पाक ऋतुके अनुसार समयपर होनेका नियम है, परन्तु उस आन्नफलको यदि कृत्रिम ऊष्माका योग मिल जावे तो वह असमयमें भी पक जाता है। इसी प्रकार मरणकी योग्यताविशिष्ट संसारी जीवका मरण आयुकर्मके स्थितिबन्धके अनुसार आयुकी समाप्तिपर होना निश्चित है, परन्तु यदि विषपान आदिका योग मिल जावे तो जीव असमयमें भी मरणको प्राप्त हो जाता है। इस विवेचनके अनुसार भी स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति प्रेरक और उदासीन निमित्तोंकी सहायतापूर्वक होनेके कारण उन स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिमें क्रमबद्धता अर्थात् नियतक्रमता और अक्रमबद्धता अर्थात् अनियतक्रमता दोनों ही प्रकारकी व्यवस्था सिद्ध होती है।

यहाँ 'असमय' शब्दका अर्थ नियतसमयसे भिन्न अनियतसमय ही ग्रहण करना युक्त है, समयसे भिन्न अन्य निमित्तकारणभूत पदार्थ ग्रहण करना युक्त नहीं है—जैसा कि उत्तरपक्ष मानता है। इतना अवश्य है कि जिस पर्यायोंकी उत्पत्ति उस अनियतसमयमें होती है वह अनुकूल निमित्तकारणसापेक्ष ही होती है।

उत्तरपक्षकी दृष्टिमें स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिकी व्यवस्था

१. समयसारके सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारकी ३०८ 'से ३३१ तककी गायार्जोंकी आत्मस्थिति-टीकाके पूर्वोक्त कथनके अंशभूत दोनों "क्रमनियमितात्मपरिणाम" पदोंमें विद्यमान "क्रमनियमित" शब्दका डॉ० हुकमचन्द्र भारितलने अपनी "क्रमबद्धपर्याय" पुस्तकमें पृष्ठ १२३ पर यह स्पष्टीकरण किया है कि "क्रमनियमितशब्दमें क्रम अर्थात् क्रमसे (नम्बरवार) तथा नियमित अर्थात् निश्चित। जिस समय जो पर्याय आने-वाली है वही आयोगी इसमें फेरफार नहीं हो सकता। उत्तरपक्ष भी यही मानता है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि उत्तरपक्ष आत्मस्थिति-टीकाके उक्त क्रमनियमित शब्दके आधारपर प्रत्येक स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिकी नियत समय मानकर अपना यह मत निश्चित करता है कि सभी स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति स्वप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिके समान क्रमबद्ध अर्थात् नियतक्रमसे ही होती है, अक्रमबद्ध अर्थात् अनियतक्रमसे नहीं होती।

२. सम्पूर्ण द्रव्योंकी वैकालिक स्व-परप्रत्यय पर्यायों सर्वज्ञके केवलज्ञानमें प्रतिसमय युगपत् (एकसाथ) क्रमबद्ध ही प्रतिभाषित होती हैं, अतः उन पर्यायोंकी उत्पत्तिको स्वप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिके समान क्रमबद्ध अर्थात् नियतक्रमसे ही मानना युक्त है, अन्यथा अर्थात् केवल स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिको अक्रमबद्ध अर्थात् अनियतक्रमसे स्वीकार करनेपर प्रत्येक द्रव्यकी वैकालिक उन पर्यायोंकी केवलज्ञानमें प्रतिसमय युगपत् (एकसाथ) क्रमबद्ध प्रतिभाषित होना असम्भव हो जायेगा, फलतः इस तकके आधारसे वह अपना यह मत निश्चित करता है कि स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्ति स्व-प्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिके समान क्रमबद्ध अर्थात् नियतक्रमसे ही होती है, अक्रमबद्ध अर्थात् अनियतक्रमसे नहीं होती।

निष्कर्ष—

यद्यपि उत्तरपक्षके समान पूर्वपक्ष भी कार्तिकेयानुप्रोक्षा^१ व आचार्य रविशेष रचित पद्मपुराणके^२ प्रतिपाद्य विषयको प्रमाण मानता है, तथापि ऊपर जो विवेचन किया गया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ पूर्व पक्ष स्व-परप्रत्यय पर्यायोंको उत्पत्तिमें जिस देश और जिस कालमें पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही है या उत्पन्न होगी उस देश और उस कालको महत्व न देकर उपादान कारणभूत अन्तरंग सामग्रीके साथ निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीको महत्व देता है, वहाँ उत्तरपक्ष उस स्व-परप्रत्यय पर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानकारणभूत अन्तरंग सामग्रीको महत्व देते हुए भी निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीको महत्व न देकर उस देश और उस कालको महत्व देता है जिस देश और जिस कालमें वह पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही है या उत्पन्न होगी ।

पूर्वपक्ष स्व-परप्रत्यय पर्यायकी उत्पत्तिमें उक्त देश और कालको महत्व न देकर जो उपादानकारणभूत अन्तरंगसामग्रीके साथ निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीको महत्व देता है । उसमें हेतु यह है कि वह पक्ष उस पर्यायकी उत्पत्तिमें उस देश और उस कालको नियामक नहीं मानता है जिस देश और जिस कालमें उस पर्यायकी उत्पत्ति हुई, हो रही है या होगी । तथा वह पक्ष उस पर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानकारणभूत अन्तरंग सामग्रीको उस पर्यायरूप परिणत होनेके आधारपर और निमित्तकारणभूत बाह्य सामग्रीको उपादानकी उस पर्यायरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर नियामक मानता है । इसके विपरीत उत्तरपक्ष उस स्व-पर-प्रत्यय पर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानकारणभूतअन्तरंग सामग्रीको महत्व देते हुए भी निमित्तकारणभूत बाह्य-सामग्रीको महत्व न देकर जो उक्त देश और कालको महत्व देता है उसमें हेतु यह है कि वह पक्ष उस पर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानको उस पर्यायरूप परिणत होनेके आधारपर नियामक मानते हुए भी निमित्तकारणभूत सामग्रीको उस पर्यायरूप परिणत न होने और उपादानकी उस पर्यायरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर सर्वथा अकिञ्चित्कर मानते हुए नियामक न मानकर केवलज्ञानसे ज्ञात होनेके आधारपर उस देश और उस कालको ही नियामक मानता है जिस देश और जिस कालमें वह पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही है या उत्पन्न होगी । प्रकृतमें दोनों पक्षोंके मध्य यही मतभेद है ।

तथ्यका निर्णय :

स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय दोनों ही प्रकारकी पर्यायोंको उत्पत्तिमें जिस देश और जिस कालमें वे पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही है या उत्पन्न होगी उस देश और उस कालको नियामक न माना जाकर स्वप्रत्यय पर्यायकी उत्पत्तिमें मात्र उपादानकारणको व स्व-परप्रत्ययपर्यायकी उत्पत्तिमें उपादानकारणके साथ निमित्तकारणको भी नियामक मानना युक्त है, क्योंकि कार्यकी उत्पत्तिकी नियामक वही वस्तु हो सकती है

१. जं अस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

पाद्य जिणेण णियदं जम्मं वा अहं व मरणं वा ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।

का सक्कहं चालेदुं इदो वा अहं जिणियो वा ॥ ३२२ ॥

२. प्रागेव यदवाप्तव्यं येन यत्र यदा यत ।

तत्परिप्राप्यतेऽप्यर्थं तेन तत्र तदा तत. ॥ १-सर्ग ११०, श्लोक ४० ।

जो कार्यरूप परिणत हो या उस कार्यरूप परिणतिमें उसकी सहायक हो। जो वस्तु कार्यरूप परिणत होती है उस वस्तुका कार्यके साथ अन्वय और व्यतिरेक पाया जाना निश्चिन्त है, परन्तु जो वस्तु उग कार्यरूप परिणतिमें सहायक होती है उस वस्तुका भी उस कार्यके साथ अन्वय और व्यतिरेक पाया जाना आवश्यक है, जैसा कि परीक्षामुखसूत्र ग्रन्थके तृतीय समुद्देशके सूत्र १३ की प्रमेयरत्नमाला-टीकामें कहा गया है—

“अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः। तौ च कार्यं प्रति कारणव्यापार-सव्यपेक्षाबेवोपपद्येते कुलालस्येव कलशं प्रति।”

अर्थ—कार्यकारणभावकी सिद्धि अन्वय और व्यतिरेकपर आधारित है। तथा वे (अन्वय और व्यतिरेक) कार्यके प्रति कारणव्यापार सापेक्ष ही सिद्ध होते हैं, जिस प्रकार घटकार्यके प्रति कुम्भकारके अन्वय और व्यतिरेक सिद्ध होते हैं।

अतएव कहा जा सकता है कि अन्वय और व्यतिरेकके आधारपर जैसा कार्यकारणभाव स्वप्रत्ययकार्य और उपादानमें व स्व-परप्रत्ययकार्य और उपादानकारण तथा निमित्तकारणमें निर्णीत होता है वैसा कार्यकारणभाव उस काम और उक्त देश व कालमें निर्णीत नहीं होता, क्योंकि कार्योत्पत्तिमें जिस प्रकार उपादानकारण कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर व प्रेरक और उदासीन दोनों निमित्तकारण उपादानकी कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर कार्यकारी सिद्ध होते हैं उस प्रकार उस कार्योत्पत्तिमें उक्त देश और उक्त काल कार्यरूप परिणत होने या उसमें सहायक होने रूपसे कार्यकारी सिद्ध नहीं होते। तात्पर्य यह है कि देश, कार्य और कारणभूत वस्तुओंका अन्वयमात्र मात्र होता है व कालके आधारसे कार्य और कारणभूत वस्तुओंकी वृत्ति (मीजदगी) मात्र सिद्ध होती है। तथा कालद्रव्यकी जो पर्यायें हैं वे उन द्रव्योंकी पर्यायोंका सीमानिर्धारण या विभाजन मात्र करती हैं। अतएव देश और कालकी कार्योत्पत्तिमें कुछ भी उपयोगिता नहीं है, केवल आवश्यकतानुसार उपादान कारण व प्रेरक और उदासीन निमित्तकारण ही कार्योत्पत्तिमें उपयोगी होते हैं।

आगममें जो यह बतलाया गया है कि क्षेत्रकी अपेक्षा भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंके भव्य मानव ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हेमवत आदि क्षेत्रोंके भव्य मानव नहीं। इसी प्रकार कालकी अपेक्षा विदेह क्षेत्रके भव्य मानव मोक्ष-प्राप्तिके अनुकूल स्थिति विद्यमान रहनेके कारण सर्वदा मुक्त हो सकते हैं, तथा भरत और ऐरावत क्षेत्रोंके भव्य-मानव उत्सर्पिणी कालके तृतीय भागमें व अवसर्पिणी कालके षट्पुर्ण भागमें सामान्य रूपमें एवं अवधापिणी कालके तृतीय भागके अन्तिम हिस्सेमें व पंचम भागके प्रारम्भिक हिस्सेमें अपवाद रूपसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालोंके शेष भागोंमें या उन भागोंके किसी अन्य हिस्सेमें कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो आगमके इस कथनसे यह निश्चय देश और कालको भी मुक्तिरूप कार्यके प्रति उदासीनरूपसे निमित्तकारणता सिद्ध होती है, परन्तु इस कथनका यहो आशय है कि जीव और पुद्गल द्रव्योंके यथायोग्य मध्यम उत्कर्षाय-कर्षण्य देश और कालकी स्थिति ही जीवको मुक्ति प्राप्त करनेमें उदासीनरूपसे निमित्तकारण सिद्ध होती है। अमूर्त होनेके कारण देश और कालकी मुक्तिके प्रति कारणता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि देश और कालका कार्य ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। यदि देश और काल भी जीवको मुक्ति प्राप्त करनेमें उदासीनरूपसे निमित्तकारण होने लगे, तो ऐसी स्थितिमें कार्तिकेयानुग्रहाकी गाथा—३२१-१२ व पद्मपुराण सर्ग-११० के श्लोक ४० में उक्तका कारणसामग्रीसे पुषक् निर्बंध करणा असंगत हो जयगा।

उत्तरपक्ष स्व-परप्रत्ययपर्यायीकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध अर्थात् नियतक्रमसे सिद्ध करनेके लिए समयसार गाथा ३०८-११ की आत्मस्थिति-टीकाके 'क्रमनियमित' शब्दका यह आशय ग्रहण करना है कि "क्रम अर्थात् क्रमसे (नम्बरवार) नियमित अर्थात् निश्चित । जिस समय जो पर्याय आनेवाली हो कही आयेगी, उसमें फेर-बदल नहीं हो सकता ।" तो यह उसकी भ्रमबुद्धि है, क्योंकि उस टीकामें प्रयुक्त 'क्रमनियमित' शब्दका क्रममें नियमित अर्थात् बद्ध अर्थ ही ग्राह्य है, जिसका अभिप्राय है कि एकजातीय स्व-परप्रत्यय पर्यायों एकके पश्चात् एकस्य क्रमसे ही उत्पन्न होती हैं । एकजातीय दो आदि अनेक पर्यायों युगपत् (एकसाथ) एकसमयमें कदापि उत्पन्न नहीं होतीं । फलतः उक्त 'क्रमनियमित' शब्दका उत्तरपक्ष द्वारा स्वीकृत उपयुक्त अर्थ युक्त न होकर पूर्वपक्ष द्वारा स्वीकृत क्रममें अर्थात् एकके पश्चात् एकस्य क्रममें नियमित अर्थात् बद्ध अर्थ ही युक्त है ।

यद्यपि नैकालिक स्व-परप्रत्यय पर्यायों केवलज्ञानमें एकसाथ एकसमयमें क्रमबद्ध ही प्रतिभासित होती है, परन्तु उसके आधारसे उन पर्यायोंकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध स्वीकार करना युक्त नहीं है, क्योंकि उन नैकालिक पर्यायोंका केवलज्ञानमें युगपत् (एकसाथ) प्रत्येक समयमें क्रमबद्ध प्रतिभासित होना अन्य बात है और उनका उपादान और प्रेरक तथा उदासीन निमित्त कारणोंके बलसे यथासंभव क्रमबद्ध या अक्रमबद्ध रूपमें उत्पन्न होना अन्य बात है । अर्थात् केवलज्ञानी जीव क्रम अथवा अक्रमसे उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही और आगे उत्पन्न होनेवाली पर्यायोंको क्रमबद्धरूपमें जानता है । फलतः स्व-परप्रत्यय पर्यायोंके विषयमें यदि उत्पत्तिकी अपेक्षा विचार किया जाये तो यही कहा जा सकता है कि उनकी उत्पत्ति प्रेरक और उदासीन निमित्तकारणनापेक्ष होनेसे क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध उभयरूप सिद्ध होती है तथा शक्तिकी अपेक्षा विचार किया जाये तो कहा जा सकता है कि उनका प्रतिभासन केवलज्ञानमें युगपत् (एकसाथ) एक समयमें क्रमबद्ध ही होता है ।

स्व-परप्रत्यय पर्यायोंके विषयमें उत्पत्ति और शक्तिका यह अन्तर उत्तरपक्षके प्रमुख प्रतिनिधि पंडित फूलचन्द्रजी सिद्धान्ताचार्यने जैन-तत्व-मीमांसा (प्रथम संस्करण) पृष्ठ-२९१ पर इस प्रकार प्रकट किया है—

"यद्यपि हम मानते हैं कि केवलज्ञानको सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायोंको जाननेवाला मानकर भी क्रमबद्ध पर्यायोंकी सिद्धि मात्र केवलज्ञानके आलम्बनसे न करके कार्य-कारणपरम्पराको ध्यानमें रखकर ही की जाना चाहिए ।"

इस प्रकार कार्य-कारणभावके आधारपर होनेवाली स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध तथा केवलज्ञानमें होनेवाली उनकी शक्तिकी मात्र क्रमबद्ध मान्य करनेमें पूर्वपक्षके समान उत्तरपक्षको भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।

यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि केवलज्ञानमें ही नहीं, मतिज्ञान, अविधिज्ञान और मन पर्यायज्ञानमें भी अमुक कार्य अमुक कारणोंसे अमुक देशमें अमुक कालमें अमुकरूपसे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न होगा ऐसा क्रमबद्ध प्रतिभासन यथायोग्य सीमामें होता है, परन्तु यह अवश्य ध्यातव्य है कि चाहे केवलज्ञान हो अथवा चाहे मतिज्ञान, अविधिज्ञान या मनःपर्यायज्ञान हो, ये सभी ज्ञान अपने द्वारा प्रतिभासित पदार्थोंका विक्षेपण करनेमें असम्यक् ही हैं । स्पष्टीकरण मित्रप्रकार है—

नेत्रद्विन्द्वयसे उत्पन्न हुए चाक्षुष-मतिज्ञानसे चटका ज्ञान ठी होता है परन्तु वह चट है ऐसा विक्षेपण

उस मतिज्ञानसे नहीं होता, तथा कर्मेन्द्रियसे उत्पन्न हुए श्रावण-मतिज्ञानसे घटसब्दका ज्ञान तो होता है, परन्तु घटसब्दका अर्थ घटरूप पदार्थ है, यह विश्लेषण उस मतिज्ञानसे नहीं होता। वही स्थिति अन्य इंद्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले मतिज्ञानकी एवं अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानकी जान लेना चाहिए। इसमें हेतु यह है कि मति आदि उक्त चारों ज्ञानों द्वारा प्रतिभासित पदार्थोंका विश्लेषण वितर्कात्मक ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। जबकि ये चारों ज्ञान वितर्कात्मक नहीं होते। यत्. धुनज्ञान वितर्कात्मक होता है, अतः मति आदि उक्त ज्ञानों द्वारा प्रतिभासित पदार्थोंका विश्लेषण श्रुतज्ञान द्वारा ही हो सकता है। यत् मतिज्ञानो, अवधिज्ञानो और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें श्रुतज्ञानका सद्भाव नियमसे रहता है, अतः मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव इन ज्ञानोंसे प्रतिभासित पदार्थोंका श्रुतज्ञानके आधारपर विश्लेषण भी करते हैं पर जो केवलज्ञानी जीव हैं उनमें केवलज्ञानके साथ यत् श्रुतज्ञानका सद्भाव नहीं रहता है, अतः केवलज्ञानी जीव द्वारा केवलज्ञानमें प्रतिभासित पदार्थोंका विश्लेषण किया जाना सम्भव नहीं है। इतना अवश्य है कि केवलज्ञानी तीर्थंकर जीवकी भव्य जीवोंके भाव्य और वचनयोगके बलसे जो निरक्षरी दिव्य-ध्वनि शिरनी है उसके अर्थको गणघर अपनी अतिशयपूर्ण श्रुतज्ञानशक्तिके आधारपर ग्रहणकर उस आधारसे अक्षरात्मक श्रुतका निर्माण करते हैं, तथा इस अक्षरात्मक श्रुतका अध्ययन करके अन्य विषय श्रुतज्ञान शक्तिके धारक महापुरुष भी ग्रन्थोंका निर्माण करते हैं।

वर्तमानमें भी तीर्थंकर महावीरने केवलज्ञान द्वारा विश्वके सभी पदार्थोंको और उनकी नैकालिक समस्त पर्यायोंको युगपत् एक मगममें जब क्रमबद्ध ज्ञान लिया तब भव्यजीवोंके भाव्य और वचनयोगके बलसे उनकी निरक्षरी दिव्यध्वनि शिरनी जिसके अर्थको गौतमगणघरने अपनी अतिशयपूर्ण श्रुतशक्तिके बलसे ग्रहण किया और उन्होंने अक्षरात्मक श्रुतकी रचना की। उसी प्रकार अपनी श्रुतज्ञानशक्तिके बलसे उसका अध्ययन करके अन्य आचार्योंने भी ग्रन्थोंका निर्माण किया। इस तरह यह श्रुत-परम्परा आजतक चल रही है।

इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्य-कारणभावका विश्लेषण वितर्कात्मक श्रुतज्ञान द्वारा ही होता है। मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान द्वारा नहीं, क्योंकि इन ज्ञानोंमें वितर्कात्मकताका अभाव है।

जीवमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनोंका एक साथ सद्भाव रहता, है तथा किसी-किसी जीवमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके साथ अवधिज्ञानका या मनःपर्ययज्ञानका अथवा अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान दोनोंका सद्भाव भी आगम द्वारा स्वीकार किया गया है, किन्तु जीवमें जब केवलज्ञानका विकास हो जाता है तब उसमें पहलेसे यथायोग्यरूपमें विद्यमान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका अभाव हो जाता है, क्योंकि आगम के आद्यिक केवलज्ञानका जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उससे ज्ञात होता है कि आद्यिक केवलज्ञानके साथ जीवमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका सद्भाव सम्भव नहीं है, क्योंकि वे क्षायोपशमिक हैं। तथा केवलज्ञानका विकास जीवमें समस्त ज्ञानावरणकर्मका क्षय होनेपर ही होता है, केवलज्ञानावरणकर्मका क्षय होनेपर नहीं होता।

इसप्रकार मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सद्भाव होनेसे मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव तो श्रुतज्ञानके बलसे कार्य-कारणभावका विश्लेषण करते हैं, परन्तु केवलज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका क्रमबद्ध निश्चित हो जानेसे केवलज्ञानी जीव कार्य-कारणभावका विश्लेषण नहीं

करते हैं। एक बात और है कि भित्तज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव यत् कृतकृत्य नहीं होते, अतः उन्हें तो कार्योंत्पत्तिके लिए कार्य-कारणभावका विश्लेषण करना अनिवार्य है, परन्तु केवलज्ञानी जीव यत् कृतकृत्य होते हैं, अतः उन्हें कार्योंत्पत्तिके अनावश्यक हो जानेसे उसमें हेतुभूत कार्य-कारणभावका विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है।

पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि विश्वमें एक आकाश, एक धर्म, एक अवर्ष, असंख्यात काल, अनन्त-जीव और अनन्त पुद्गलरूप जितने पदार्थ विद्यमान हैं उन सबमें प्रतिसमय स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्ययके भेदसे दोनों प्रकारके परिणमन होते रहते हैं व उनमेंसे जो स्व-परप्रत्यय परिणमन है वे प्रेरक और उदासीन निमित्तोंके सहयोगपूर्वक ही होते हैं। एवं उन परिणमनोंकी उत्पत्तिके लिए पदार्थोंको प्रेरक और उदासीन निमित्तोंका सहयोग प्रायः निसर्गत ही प्राप्त रहता है। परन्तु किन्ही-किन्ही पदार्थोंको उन प्रेरक और उदासीन निमित्तोंका सहयोग आवश्यकतानुसार जीवोंके प्रयत्नपूर्वक भी होता है। जैसे रेलगाड़ीको उसकी चलनक्रियामें प्रेरक निमित्तभूत इंजनका और उदासीन निमित्तभूत रेलपटरीका जो सहयोग प्राप्त होता है वह जीवोंके प्रयत्नपूर्वक ही होता है।

यद्यपि कालिकेयानुपेक्षाकी गाथा-३२१-२२, पद्मपुराण सर्ग-११० के श्लोक-४० और अन्य आगम-वचनोंसे भी यह ज्ञात होता है कि पदार्थोंमें जो परिणमन होते हैं वे केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें जैसे प्रतिभासित होते हैं वैसे ही होते हैं, परन्तु इस कथनका यह आशय नहीं ग्रहण करना चाहिए कि उन परिणमनोंकी उत्पत्तिमें केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें होनेवाला वह प्रतिभासन कारण होता है, क्योंकि केवलज्ञानी जीव कार्य-कारणभावके आधारपर उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही और आगे उत्पन्न होने वाली पर्यायोंको ही जानते हैं। अतएव केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें होनेवाले प्रतिभासनके अनुसार उन पर्यायोंकी उत्पत्ति स्वीकार करना गलत है। फलतः प्रकृत विषयमें दोनों पक्षोंके मध्य जो मतभेद है वह इन बातका है कि जहाँ उत्तरपक्ष पदार्थोंके सभी परिणमनोंकी उत्पत्तिमें केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयताके आधारपर क्रम-बद्धता अर्थात् नियतक्रमता स्वीकार करता है वहाँ पूर्वपक्ष उन परिणमनोंकी उत्पत्तिमें भ्रुतज्ञानसे ज्ञात कार्य-कारणभावके आधारपर यथासम्भव क्रमबद्धता अर्थात् नियतक्रमता और अक्रमबद्धता अर्थात् अनियतक्रमता दोनों ही बातोंको स्वीकार करता है। अर्थात् पूर्वपक्षकी मान्यता है कि स्वप्रत्यय परिणमन तो प्रेरक और उदासीन निमित्तोंके सहयोगके बिना उपादानकारणजन्य होनेसे क्रमबद्ध ही होते हैं तथा स्व-परप्रत्यय परिणमन प्रेरक और उदासीन निमित्तोंके सहयोगपूर्वक उपादानकारणजन्य होनेसे प्रेरक और उदासीन निमित्तोंकी प्राप्तिके अनुसार क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध उभयरूप होते हैं। पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिके विषयमें दोनों पक्षोंकी परस्परविरोधी इन मान्यताओंमेंसे कौन मान्यता युक्त और कौन मान्यता अयुक्त है, इसका निर्णय किया जाता है—

१. यद्यपि कालिकेयानुपेक्षाकी गाथा-३२१-२२, पद्मपुराण सर्ग-११० के श्लोक-४० एवं अन्य आगमवचनोंके आधारपर पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष दोनों ही पदार्थोंके परिणमनोंके विषयमें यह स्वीकार करते हैं कि वे परिणमन जैसे केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं वैसे ही होते हैं। पर ध्यान रहे कि केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें होनेवाला पदार्थोंके स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय परिणमनोंका वह प्रतिभासन उनको उत्पत्तिका नियामक नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि पदार्थोंके स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय परिणमन स्वकीय कार्य-कारणभावके आधारपर जिस रूपमें उत्पन्न हुए, उत्पन्न हो रहे हैं और

आगे उत्पन्न होंगे उस रूपमें ही वे केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें प्रतिभासित होते हैं। इससे निर्णीत होता है कि उन परिणमनोंकी उत्पत्तिका नियामक श्रुतज्ञानपर आधारित कार्य-कारणभाव ही होता है, केवलज्ञानमें होनेवाला उनका प्रतिभासन नहीं। फलतः कार्तिकेयानुप्रक्षाली गाथा-३२१-२२ के "जिस पदार्थका जिस देशमें और जिस कालमें जिस विधानसे जैसा परिणमन जिनेन्द्र भगवानने ज्ञात किया है उस पदार्थका उस देशमें और उस कालमें उस विधानसे वैसा ही परिणमन होता है।" इस कथनका व पद्मपुराण सर्ग-११० के श्लोक ४० के "जिस जीवके द्वारा जिस देशमें और जिस कालमें जिस कारणसे जैसा प्राप्तव्य है उस जीवका उस देशमें और उस कालमें उस कारणसे वैसा ही प्राप्त होता है" इस कथनका एवं भैया भगवतीदासके "ओ जो देखी भीतरागने सो मो होसी वीरा रे" इस कथनका मात्र यही प्रयोजन ग्रहण करना उचित है कि जीव विबभित पदार्थके विबभित परिणमनकी सम्पन्नताके लिए नदनुकूल कारणोंको जुटानेका जो प्रयत्न (पुरुषार्थ) करता है उसको सफलतामें वह अहंकार न करे व असफलतामें हताश होकर अकर्मण्य न हो जावे। इस प्रकार उत्तरपक्ष द्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिको केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयताके आधारपर क्रमबद्ध मान्य किया जाना अयुक्त है व पूर्वपक्ष द्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिको पूर्वोक्त प्रकार कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त है। एक बात और है कि सभी पदार्थ जब अनादिसिद्ध हैं तो उनके परिणमन भी अनादिकालसे होते आये हैं, जबकि केवलज्ञानकी साविता आगम-सिद्ध होनेसे दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं। फलतः पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिमें उन परिणमनोंका केवलज्ञानमें प्रतिभासित होना कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। इस बातको तृतीय दौरकी समीक्षामें विस्तारसे स्पष्ट किया जायगा।

२. पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है कि कार्योत्पत्तिके लिए कार्य-कारणभावका विश्लेषण श्रुतज्ञान द्वारा ही हो सकता है, केवलज्ञान द्वारा नहीं, अतः केवलज्ञानी जीव एक तो श्रुतज्ञानके अभावमें कार्य-कारण-भावका विश्लेषण कर नहीं सकता है, दूसरे उसके कृतकृत्य हो जानेसे कार्योत्पत्तिके अनावश्यक हो जानेके कारण उसे कार्य-कारणभावका विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। यतः मतिज्ञानी, अबधिज्ञानी और मन-पर्ययज्ञानी जीव एक तो श्रुतज्ञानके सद्भावमें कार्यकारणभावका विश्लेषण करते हैं, दूसरे कृतकृत्य न होनेसे उन्हें कार्योत्पत्तिके लिए कार्य-कारणभावका विश्लेषण करना अनिवार्य भी है। अतएव मतिज्ञानी, अबधिज्ञानी और मन पर्ययज्ञानी जीव विबभित कार्योत्पत्तिके लिए श्रुतज्ञान द्वारा कार्य-कारणभावका विश्लेषण करते ही कारणोंके जुटानेका प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मतिज्ञानी, अबधिज्ञानी और मन पर्ययज्ञानी जीवोंको कार्योत्पत्तिके लिए प्रयत्न करनेके अवसरपर जिस प्रकार कार्य-कारणभावपर दृष्टि रखना आवश्यक है उस प्रकार केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयतापर दृष्टि रखना आवश्यक नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरपक्षद्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिको केवलज्ञानी जीवकी केवलज्ञानकी विषयतापर आधारित क्रमबद्ध मान्य किया जाना अयुक्त है व पूर्वपक्ष द्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिको कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त है।

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि जीव द्वारा कार्योत्पत्तिके लिए श्रुतज्ञानके बलसे किया गया कार्य-कारणभावका निर्णय यथायोग्य सम्यक् और मिथ्या दोनों प्रकारका हो सकता है, अतः वह निर्णय यदि सम्यक् हो तो उसके आधारसे कार्योत्पत्तिके लिए किया गया जीवका प्रयत्न सफल होता है और यदि मिथ्या हो तो उसके आधारके कार्योत्पत्तिके लिए किया गया जीवका प्रयत्न असफल होता है। इसके अतिरिक्त जीव यदि

विशेषों ही तो अपने प्रयत्नके सफल हो जानेपर वह अहंकार नहीं करता है और असफल हो जानेपर हताश होकर अकर्मण्य भी नहीं होता है। परन्तु जीव यदि अविशेषों ही तो वह अपने प्रयत्नके सफल होनेपर अहंकार करने लगता है व असफल होनेपर हताश होकर अकर्मण्य भी हो जाता है।

३. भक्तिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंको कार्योंत्पत्तिके अवसरपर एक तो उसके विषयमें केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें क्या प्रतिभासित हो रहा है? इसकी जानकारी (ज्ञान) होनेका कोई नियम नहीं है। वे तो मात्र 'जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे' यह विकल्प ही कर सकते हैं। दूसरे, कार्योंत्पत्तिके अवसर-पर कदाचित् किसी जीवको कार्योंत्पत्तिके विषयमें केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें जो प्रतिभासित हो रहा है उसका ज्ञान हो भी जावे, परन्तु वह जीव यदि अविशेषों ही तो उन अविशेषके आधारपर वह अपना प्रयत्न विपरीत करनेको भी उद्यत हो सकता है। जैसे मारीचको तीर्थकर ऋषभदेवकी दिव्यध्वनिके श्रवणसे जब यह ज्ञात हुआ कि वह भी तीर्थकर होगा, तो 'नान्यथावादिनो जिना.' ऐसा अटल विश्वास करके वह कुमार्गगामी बनकर नामाप्रकारकी कुत्सित योनियोंमें बहुत काल तक भ्रमण करता रहा और जब वह सुबोधके आधारपर कुमार्गको त्यागकर सन्मार्गका पथिक बना तभी वह महावीरके रूपमें अन्तिम तीर्थकर बन सका। इस विषयमें उत्तरपक्षका 'मारीचको अन्तिम तीर्थकर महावीर बनना था, इसलिए वह कुमार्गगामी बना।' यह कथन तर्कपूर्ण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह सन्मार्गपर चलकर उत्तम योनियोंमें भ्रमण करके भी अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर बन सकता था। इसमें निर्णीत होता है कि उत्तरपक्ष द्वारा पदार्थिके परिणमनोंकी उत्पत्तिको केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयताके आधारपर मात्र क्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त नहीं है अपितु पूर्वपक्ष द्वारा उन परिणमनोंकी उत्पत्तिको कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त है।

४. श्रीकानजी स्वामीने तो भैया भगवतीदासजीके 'जो-जो देखी वीतरागने सो-सो होसी वीरा रे' इस वचनपर आधारित पर्यायोंकी उत्पत्तिकी क्रमबद्धतामें अट्ट विश्वास रखकर यहाँ तक मान लिया कि कार्योंत्पत्तिके लिये किया जानेवाला जीवोंका प्रयत्न (पुरुषार्थ) भी उसी क्रमबद्धताका अंग है। इसका परिणाम यह हुआ कि जब उन्हें शारीरिक व्याधि हुई, तो वे अपनेको महान् अध्यात्ममार्गी व अध्यात्मके अमृतपूर्व उपदेष्टा मानने हुए भी राजसी वैभवमें लिप्त रहनेके कारण उस व्याधिको सहन नहीं कर सके और भैया भगवतीदासजीके उक्त वचनके आधारपर पुरुषार्थहीन होकर वे न केवल इस मार्गको भूल गये, अपितु भक्तोंकी श्रांथना और डाक्टरोंके सुझावोंकी उपेक्षा करके उस व्याधिसे छुटकारा पानेके लिए बम्बई जाकर असलोक अस्पतालमें प्रविष्ट हुए एवं वही कालकबलित हो गये। इससे भी निर्णीत होता है कि उत्तरपक्ष द्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिको केवलज्ञानी जीवोंकी केवलज्ञानविषयताके आधारपर मात्र क्रमबद्ध मान्य किया जाना अयुक्त है, किन्तु पूर्वपक्ष द्वारा उन परिणमनोंकी उत्पत्तिको कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त है।

५. माना कि तीर्थकर नेमिनाथकी दिव्यध्वनिके श्रवणसे श्रोताओंको ज्ञात हुआ कि बारह वर्ष व्यतीत होनेपर द्वारिकापुरी भस्म हो जायेगी और उसे भस्म न होने देनेके लिए लोगों द्वारा लाख प्रयत्न करनेपर भी वह भस्म हो गयी, परन्तु इसमें ज्ञातव्य यह है कि द्वारिकापुरी तदनुसूच कारणोंके मिलनेपर ही भस्म हुई वह तीर्थकर नेमिनाथके केवलज्ञानमें होनेवाले प्रतिभासन्के बलपर अथवा भगवान नेमिनाथकी दिव्यध्वनिके बलपर नहीं भस्म हुई। इसी प्रकार केवलज्ञानी जीवोंके समान भक्तिज्ञानी, अवधिज्ञानी और

मन-पर्ययज्ञानी जीवोंकी भविष्यवाणियाँ भी यथायोग्य सत्य हो सकती हैं या होती हैं, परन्तु वहाँ भी कार्य तो श्रुतज्ञानके बलपर निर्णय कार्य-कारणभावके आधारपर ही सम्पन्न होते हैं। मतिज्ञानी, अबधिज्ञानी और मन-पर्ययज्ञानी जीवोंके यथायोग्य मतिज्ञान, अबधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञानके बलपर अबधा उनकी भविष्य-वाणियोंके बलपर नहीं। इस विवेचनसे भी निर्णय होता है कि उत्तरपक्ष द्वारा पदार्थोंके परिणमनोंकी उत्पत्तिकी केवलज्ञानी जीवकी केवलज्ञानविषयताके आधारपर मात्र क्रमबद्ध मान्य किया जाना अयुक्त है व पूर्वपक्ष द्वारा उन परिणामोंकी उत्पत्तिको कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य किया जाना युक्त है।

६ उत्तरपक्षकी मान्यता है कि भवितव्यता (भविष्यमे होनेवाली कार्योत्पत्ति) के अनुसार ही जीवकी बुद्धि हो जाती है। उसका पुरुषार्थ भी उसी भवितव्यताके अनुसार होता है और अन्य सहायक कारण भी उसी भवितव्यताके आधारपर प्राप्त होते हैं—

“तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायश्च तादृश।

सहायस्तादृशाः मन्ति यादृशी भविव्यता ॥”

तो उसकी यह मान्यता भी भिन्ना है क्योंकि वह पक्ष भवितव्यताके अनुसार होनेवाली कार्योत्पत्तिके कारणभूत बुद्धि, व्यवसाय (पुरुषार्थ) और अन्य सहायक कारणोंकी प्राप्ति भी उसी भवितव्यताके अनुसार मानता है। फलतः ऐसी अवस्थामे उक्त बुद्धि, पुरुषार्थ और सहायक कारणोंके बिना भी कार्योत्पत्तिके होनेका प्रसंग उपस्थित होता है। इसपर यदि उत्तरपक्ष यह कहे कि वह प्रसंग उसको इष्ट है, तो उसका ऐसा कहना आप्तमीमांसाकी कारिका ८८, ८९, ९० और ९१ के कथनके विरुद्ध है। इस बातको दार्शनिक विद्वान् अच्छी तरह समझ सकते हैं।

तात्पर्य यह है कि आप्तमीमांसाकी उक्त कारिकाओंके अनुसार भावितव्यता (भविष्यमे होनेवाली कार्योत्पत्ति), जिसे वर्तमानमे कार्योत्पत्तिको योग्यता, अवृष्ट या दैव कहा जाना है—के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। तथा इससे होनेवाले कार्योत्पत्ति (उसको कार्यरूप परिणति) जीवकी बुद्धि (श्रुतज्ञान और व्यवसाय (पुरुषार्थ) तथा अन्य सहायक कारणोंका सहयोग प्राप्त होनेपर ही होती है, अन. भवितव्यताको उक्त बुद्धि, व्यवसाय और अन्य सहायक कारणोंकी प्राप्तिमे कारण नहीं माना जा सकता है। फलतः उक्त कारिकाओंके आधारपर यही निर्णय होता है कि पदार्थमे विवक्षित भवितव्यता (कार्यरूप परिणत होनेकी योग्यता) हो उसे बुद्धि, पुरुषार्थ तथा अन्य माधनमाधनप्रोका योग प्राप्त हो जावे, नो ही विवक्षित कार्यकी उत्पत्ति होती है। तथा पदार्थमे विवक्षित भवितव्यता विद्यमान रहनेपर भी यदि बुद्धि, व्यवसाय और अन्य

१. दैवाधेवार्थसिद्धिश्चेद्दैवं पीरुवत कथम्।

दैवतकथेवविमोक्ष पीरुवं निष्कल भवेत् ॥८८॥

पीरुवाधेवार्थसिद्धिश्चेत् पीरुव दैवत कथम्।

पीरुवाच्छेदबन्धोश्च स्यात् सर्वप्राणिषु पीरुषम् ॥८९॥

पिरोधान्नोभेयकात्स्यं स्यात् (दन्त्यायविद्विषाम्।

अबाध्यतकात्तेषुपुत्रिताबाध्यमिति युज्यते ॥९०॥

अबुद्धिपूर्वापेक्षायाभिष्टानिष्टं स्वदैवतः।

बुद्धिपूर्वव्यपेक्षामभिष्टानिष्टं स्वपीरुवात् ॥९१॥

साधनसामग्रीका योग न प्राप्त हो तो विवक्षित कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि उत्तरपक्ष यह कहे कि भक्तिव्यताके अनुसार जो कार्यकी उत्पत्ति होती है वह बुद्धि, म्यवनाय और अन्य सहायकसामग्रीकी अपेक्षाके बिना ही होती है, तो उसकी यह स्वीकृति एक तो आप्तमीमांसाकी उपर्युक्त कारिकाओंके विषय है और दूसरे यह अयुक्त भी है, क्योंकि कार्योत्पत्तिके विषयमें कारणसामग्रीकी अपेक्षा कातिकेयानुग्रहाकी गाथा ३२१-२२ में व पद्मपुराण सर्ग ११० के श्लोक ४० में भी स्वीकार की गयी है। मंजीरपंचेन्द्रिय जीवोंके अनुभव, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और तर्कसे भी ऐसा ही निर्णीत होता है।

निष्पत्ति

१ समयसारके सर्वविद्युद्भजानाधिकारकी गाथा ३०८ से ३११ तककी आरम्भस्याति-टीकाका जो कथन पूर्वमें उद्धृत किया गया है उसमें निदिष्ट "क्रमनियमित" शब्दका उत्तरपक्षने जो यह अर्थ समझा है कि "क्रम अर्थात् क्रमसे (नम्बरवार) तथा नियमित अर्थात् निश्चित। जिस समय जो पर्याय आनेवाली है वही आयेगी, उसमें फेर-कार नहीं हो सकता।" उसे मैं उसकी भ्रमबुद्धिका परिणाम मानता हूँ, क्योंकि प्रकरणको देखते हुए उस "क्रमनियमित" शब्दका क्रम अर्थात् एकके पश्चात् एकरूप क्रममें नियमित अर्थात् निश्चित अर्थ ही समत है। भाव यह है कि प्रत्येक पदार्थकी एकजानीय नाना पर्यायोकी उत्पत्ति एकके पश्चात् एकरूप क्रमसे ही होती है, यगपत् अर्थात् एकसाथ एक ही समयमें नहीं होती। इस बातको पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है।

२ केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयताके अनुसार निर्णीत पर्यायोंकी क्रमबद्धताके आधारपर उन पर्यायोंकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध मानना युक्त नहीं है, क्योंकि उन पर्यायोंकी उत्पत्ति श्रुतज्ञानके आधारपर निर्णीत कार्य-कारणभावके आधारपर यथायोग्य क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध दोनों प्रकारसे होती है तथा श्रुतज्ञानके बलसे निर्णीत कार्य-कारणभावके आधारपर क्रमबद्ध और अक्रमबद्धरूपसे उत्पन्न हुई, उत्पन्न हो रही और आगे उत्पन्न होनेवाली पर्यायोंकेवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानमें क्रमबद्ध ही प्रतिभासित होती है। इस विषयको भी पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है।

३ कातिकेयानुग्रहाकी गाथा ३२१-२२ व पद्मपुराण सर्ग ११० के श्लोक ४० तथा अन्य आगम-वाक्योंमें पर्यायोंकी जिस क्रमबद्धताका विवेचन किया गया है उसका उपयोग पर्यायोंकी उत्पत्तिके विषयमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग कार्योत्पत्तिके लिए प्रयत्नशील जीवोंको अपने प्रयत्नमें सफल होनेपर अहंकार न करने व असफल होनेपर हताश होकर अकर्मण्य न बननेके लिए करना ही उचित है। यदि कोई व्यक्ति उसका उसके अतिरिक्त अन्य उपयोग करना चाहता है तो उसका मारीच व काजीस्वामीके समान अकल्याण होना संभव है। इस विवेचनको भी पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है।

इस प्रकार प्रकृत विषयके संबन्धमें अबतक जो विवेचन किया गया है उससे निर्णीत होता है कि पदार्थोंकी श्रुतज्ञानके बलसे निर्णीत कार्य-कारणभावके आधारपर यथायोग्य क्रमबद्ध और अक्रमबद्धरूपसे निष्पन्न हुई, निष्पन्न हो रही और आगे निष्पन्न होने वाली स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञान द्वारा होने वाली श्रुतिको ही क्रमबद्ध स्वीकार करना उचित है। उनकी उत्पत्तिको तो श्रुतज्ञानके बलसे निर्णीत कार्य-कारणभावके आधारपर यथायोग्य क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध मान्य करना ही युक्त और कल्याणकारी है।

मुझे इस बातका आश्चर्य है कि श्री कानजीस्वामीने अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष और तर्कसे विरुद्ध आगम-के अभिप्रायको द्रष्टृणकर केवलज्ञानी जीवके केवलज्ञानकी विषयताके आधारपर निर्णीत पर्यायोंकी क्रमबद्धताका

भूतज्ञानके बलपर निर्णत कार्य-कारणभावपर आधारित पर्यायोंकी उत्पत्तिमें उपयोग किया है। मुझे इस बातका भी आश्चर्य है कि सोनगढसिद्धान्तवादी बर्ग भी उनके उपदेशसे प्रभावित होकर उनकी अनुभव, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष और तर्कके विरुद्ध मान्यताका अनुसरण कर रहा है। मुझे इस बातका भी आश्चर्य है कि पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्ताचार्य, वाग्यसी और डॉ० हुकुमचंद्र भारिल्ल जयपुरने उक्त मान्यताको पुष्ट किया है। मुझे इस बातका भी आश्चर्य है कि डॉ० हुकुमचन्द्र भारिल्लकी 'क्रमबद्ध पर्याय' पुस्तकमें निदिष्ट आचार्यों मुनिराजों, ब्रह्मियों, विद्वानों और लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओंने आगमके अभिप्रायको समझनेकी चेष्टा न करके उनकी मान्यताका समर्थन किया है और मुझे इस बातका भी आश्चर्य है कि कतिपय अन्य साधु, ब्रह्मी, विद्वान् और सामान्य जन भी कार्योंत्पत्तिके विषयमें उनकी (कानजीस्वामीको) उम मान्यताको स्वीकार करनेके लिए उत्सुक हैं। ऐसी विचित्र दशा देखने हुए मेरी दृष्टि आगमके उस बचनपर जाती है जिसमें यह बतलाया गया है कि सिद्धान्तग्रन्थोंका पठन-पाठन गृहस्थोंके लिए उचित नहीं है। वर्तमानमें तो आगमका वह बचन कतिपय साधु-संतोंपर भी लागू होता है। वास्तवमें सिद्धान्तका अनर्थ और दुरुपयोग रोकनेसे लिए ही आचार्योंने बड़ी सूक्ष्म-बुद्धिसे सिद्धान्तग्रन्थोंके अध्ययनका सर्वसाधारणके लिए निषेध किया है।

मुझे आशा है कि सोनगढसिद्धान्तवादी सभी जन मेरे इस विवेचनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करके तथ्यका निर्णय करेंगे। तथा आगमके अभिप्रायको समझनेमें लापरवाह एवं संशयमें पड़े हुए पुरातन सिद्धान्तवादी सभीजन भी उत्पत्तिकी अपेक्षा आगम द्वारा स्वीकृत व अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष और तर्कसे सिद्ध स्वप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिको क्रमबद्ध और स्व-परप्रत्यय पर्यायोंकी उत्पत्तिको निमित्तके समतलमें अनुसार क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध ही मान्य करेंगे।

केवलज्ञानकी विषयमर्यादा

समयसार गाथा १०३ में बतलाया गया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके साथ संयुक्त या बद्ध होनेपर भी वे दोनों द्रव्य कभी तन्मयरूपसे एककृताको प्राप्त नहीं होते। और न एक-दूसरे द्रव्यके गुण-धर्म ही एक-दूसरे द्रव्यमें संक्रमित होने हैं—

जो जम्हि गुणे दब्धे सो अण्णम्हि ण संकमदि दब्धे ।

पंचास्तिकायकी गाथा ७ में भी बतलाया गया है कि सभी द्रव्य परस्परमें प्रविष्ट होते हुए भी, परस्परको अवगाहित करते हुए भी और परस्पर (द्रव्य और जलकी तरह) मिलकर रहते हुए भी कभी अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं—

अण्णोर्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स ।

मेलंता वि य णिच्चं सगं सहावुं ण विजह्वंति ॥

तात्पर्य यह है कि विश्वमें एक आकाश, एक धर्म, एक अधर्म, असंख्यात् काल, अनन्त जीव और अनन्त पुद्गलरूप जिनने पदार्थ हैं वे सभी यथायोग्य परस्पर संयुक्त होकर ही रह रहे हैं तथा जीव और पुद्गल एवं पुद्गल और पुद्गल परस्पर बद्ध होकर भी रह रहे हैं। तथापि सभी द्रव्य अपने-अपने द्रव्यरूप, गुणरूप और पर्यायरूप स्वभावमें रह रहे हैं और रहते जावेंगे। कोई भी पदार्थ संयुक्त या बद्ध दशामें दूसरे पदार्थकी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और पर्यायरूपताको प्राप्त नहीं होता, न हो सकता है। इतना अवश्य है कि सभी पदार्थ यथायोग्य उक्त संयुक्त या बद्ध दशामें परस्परके सहयोगसे अपना स्व-परप्रत्यय परिग्रहण करते

रहते हैं। जीव और पुद्गल तथा पुद्गल और पुद्गल तो उस बद्ध दशामें परस्परके सहयोगसे अपना-अपना स्व-परप्रत्यय परिणमन विद्वत भी करते रहने हैं। समयसार गाथा ८० में कहा भी है कि जीवके परिणामके निमित्त (सहयोग) से पुद्गल कर्मरूप परिणत होने हैं आर पुद्गलकर्मके निमित्त (सहयोग) से जीव भी तथैव (रागादिभावकर्मरूप) परिणत होता है—

जीवपरिणामहेतु कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमई ॥

समयसार गाथा ८१ में यह भी कहा गया है कि बद्ध दशामें जीव पुद्गलकर्मगुणरूप परिणत नहीं होता और पुद्गलकर्म जीवगुणरूप परिणत नहीं होता। परस्परके निमित्तसे (सहयोगसे) दोनोंका अपना-अपना परिणमन अथय होता है—

ण वि कुब्बइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोष्णणिमित्तेण दु परिणामं जाण दोहणं पि ॥

यह वस्तुस्थिति है। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि उपर्युक्त सभी पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर रह रहे हैं व जीव और पुद्गल तथा पुद्गल और पुद्गल अनाधिकालसे परस्पर बद्ध होकर भी रहते आये हैं, तथापि वे पदार्थ यथाव्योय उस संयुक्त दशामें या बद्ध दशामें भी सतत अपनी-अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपतामें ही विद्यमान हैं। जैसे संयुक्त दशामें आकाशकी अपनी द्रव्यरूपता नियत अनन्तप्रदेशात्मक ही है। धर्मकी, अधर्मकी और सभी जीवोंमेंसे प्रत्येक जीवकी अपनी-अपनी द्रव्यरूपता नियत असंख्यातप्रदेशात्मक ही है। तथा समस्त कालोंमेंसे प्रत्येक कालकी व समस्त पुद्गलोंमेंसे प्रत्येक पुद्गलकी अपनी-अपनी द्रव्यरूपता एकप्रदेशात्मक ही है। ऐसी ही स्थिति संयुक्त दशामें उन पदार्थोंकी अपनी-अपनी गुणरूपता और स्वप्रत्यय एव स्व-परप्रत्ययपर्यायरूपताकी भी नियत है तथा बद्धदशामें जीव और पुद्गलकी व पुद्गल और पुद्गलकी अपनी-अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता, व स्वप्रत्यय और स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपताकी भी ऐसी ही स्थिति नियत है। यही कारण है कि पुरुषार्थसिद्धधुपाय (पद्म एक) में बतलाया गया है कि सभी पदार्थ केवलज्ञानमें वर्णयतलके समान अपनी-अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता, और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्ययपर्यायरूपतासहित प्रतिसमय युगपत् पृथक्-पृथक् ही प्रतिकलित हो रहे हैं—

तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये ।

दपर्णतल इव मकला प्रतिकलति पदार्थमालिक यत्र ॥

जो बात इस पदमें बतलाई गई है वही बात तत्त्वार्थसूत्रके 'सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य' (१-२९) सूत्रमें भी बतलाई गई है।

यह विवेचन हमें इस निष्कर्षपर पहुँचा देता है कि उक्त सभी पदार्थ परस्पर संयुक्त रहते हुए भी जीव और पुद्गल तथा पुद्गल और पुद्गल परस्पर बद्ध रहते हुए भी जब केवलज्ञानमें सतत अपनी-अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपतासहित पृथक्-पृथक् ही प्रतिभासित हो रहे हैं तो उस स्थितिमें उन पदार्थोंकी संयुक्त दशाका व जीव और पुद्गल एवं पुद्गल और पुद्गलकी बद्धदशाका प्रतिभासन केवलज्ञानमें नहीं हो सकता है।

नात्यर्थ यह है कि समयसार, गाथा १०३, पंचास्तिकाय, गाथा ७ और समयसार, गाथा ८१ के अनुसार उक्त पदार्थोंका परस्पर पृथक्कलना वास्तविक सिद्ध होता है व उनकी यथाव्योय संयुक्त व बद्ध दशा

अवास्तविक सिद्ध होनी है। इसलिए केवलज्ञानमें जब प्रतिक्षण पदार्थोंकी वास्तविक पृथक्-पृथक्-रूपताका प्रतिभासन हो रहा है तो उसमें उनकी अवास्तविक यथायोग्य परस्पर संयुक्त दशाका या बद्ध दशाका प्रतिभासन होना संभव नहीं रह जाता है। मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञानमेंसे मतिज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जिसमें सीपकी वास्तविक सीपरूपताका और अवास्तविक रजतरूपताका प्रतिभासन सम्भव है। परन्तु उस मतिज्ञानमें भी जब सीपका वास्तविक सीपरूपताका प्रतिभासन हो रहा हो तब उसकी अवास्तविक रज-रूपताका प्रतिभासन नहीं होता है और उसमें जब सीपकी अवास्तविक रज-रूपताका प्रतिभासन हो रहा हो तब उसकी वास्तविक सीपरूपताका प्रतिभासन नहीं होता है।

यदि कहा जाये कि सीपकी रजतरूपता वैसी अवास्तविक है वैसी अवास्तविक पदार्थोंकी संयुक्त दशा या बद्ध दशा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मतिज्ञानमें सीपकी अवास्तविक रज-रूपताका प्रतिभासन मिथ्या माना जाता है उस प्रकार मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें होनेवाले पदार्थोंकी संयुक्त दशा या बद्धदशाके प्रतिभासनको मिथ्या नहीं माना जाता है, इसलिए केवलज्ञानके विषयमें 'मतिज्ञानका उपयुक्त उदाहरण अयुक्त है, तो इसका समाधान यह है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें प्रतिभासित होनेवाली पदार्थोंकी संयुक्तदशा या बद्धदशा नानापदार्थनिष्ठ होनेसे उपचरित धर्मके रूपमें उपचारसे ही वास्तविक है। एकपदार्थनिष्ठ स्वरूपदृष्टिसे तो वह मिथ्या ही है। अतएव प्रत्येक पदार्थके पृथक्-पृथक् स्वरूपका प्रतिभासन करनेवाले केवलज्ञानमें उसके प्रतिभासनका निषेध किया गया है, क्योंकि केवलज्ञानमें सतत प्रत्येक पदार्थके पृथक्-पृथक् तदारमक स्वरूपका ही प्रतिभासन होता है। इस विवेचनसे यह भी सिद्ध होता है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें होनेवाला पदार्थका प्रतिभासन केवलज्ञानमें होनेवाले पदार्थके प्रतिभासनसे विलक्षण ही होता है। इस विलक्षणताका स्पष्टीकरण निम्नप्रकार है—

१—यत. जीवमें केवलज्ञान समस्तज्ञानावरणकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेपर ही प्रकट होता है, अतः केवलज्ञानमें समस्त पदार्थोंकी एक-एक क्षणवर्ती स्थितिके प्रतिभासनकी क्षमता होनेसे उसमें सभी पदार्थोंकी एक-एक क्षणवर्ती स्थितिका पृथक्-पृथक् प्रतिभासन होता है। यत. जीवमें मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होता है, अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होता है और मन पर्ययज्ञान मन पर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होता है, अतः तीनों ज्ञानोंमें अपने-अपने विषय-भूत पदार्थोंकी अन्तर्मुहूर्तकालवर्ती नाना स्थितियोंका अक्षणरूपसे प्रतिभासन होनेकी क्षमता होनेसे उस पदार्थोंकी अन्तर्मुहूर्तकालवर्ती नाना स्थितियोंका ही अक्षणरूपसे प्रतिभासन होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ उक्त प्रकार क्षाधिक होनेसे केवलज्ञानमें होनेवाला पदार्थका प्रतिभासन क्षण-क्षणमें परिवर्तनशील है वहाँ उक्त प्रकार क्षायोपशमिक होनेसे मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान इन तीनोंमें होनेवाला पदार्थका प्रतिभासन अन्तर्मुहूर्तकालमें ही परिवर्तनशील है। एक-एक क्षणमें परिवर्तनशील नहीं है।

२—यत. जीवमें केवलज्ञान समस्तज्ञानावरणकर्मके सर्वथा क्षय होनेपर प्रकट होता है, अतः उसमें समस्त पदार्थोंका प्रतिभासन मात्र स्व-सापेक्ष होनेसे असीम होता है। यह बात तत्त्वार्थसूत्रके "सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलरूप्य" (१-२९) सूत्रसे जानी जाती है। इसके विपरीत जोवमें मतिज्ञान मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होता है अतः उसमें होनेवाला पदार्थका प्रतिभासन पौर्वाणिक स्पष्टानं, रसना, नासिका, नेत्र, कर्ण और मनके अवलम्बनपूर्वक होनेसे मर्यादित होता है। यह बात तत्त्वार्थसूत्रके "मतिभूतयोनिद्रव्यो द्रव्येष्वसर्वपर्यायिषु" (१-२६) सूत्रसे जानी जाती है। तथा जीवमें अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर व मन पर्ययज्ञान मन पर्ययज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होते हैं। अतः इनमें होनेवाला

पदार्थका प्रतिभासन स्वसासेज होनेपर भी एक तो मात्र रूपी पदार्थका होता है। दूसरे वह प्रतिभासन इन्द्र, जोन, काल और भावकी मर्यादा लिए हुए होता है। यह बात तत्त्वार्थसूत्रके "स्विव्यवे" (१-२७) व "तन्वन्तन्वाये मन-पर्ययस्य" (१-२८) दोनों सूत्रोंसे जानी जाती है।

३—यत जीवमें केवलज्ञान समस्तज्ञानावरणकर्मका सर्वथा क्षय होनेपर प्रकट होता है, अतः निरा-बाध होनेसे उसमें संयुक्त या बद्धपदार्थोंका संयुक्त या बद्धरूपसे प्रतिभासन न होकर पृथक्-पृथक् ही होता है जबकि जीवमें मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञान उस-उस ज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर प्रकट होते हैं, अतः बाधासहित होनेसे उनमें संयुक्त या बद्ध पदार्थोंका प्रतिभासन तो संयुक्त या बद्धरूपमें ही होता है व असंयुक्त व अबद्ध पदार्थोंका प्रतिभासन असंयुक्त या अबद्धरूपमें (पृथक्-पृथक्-रूपमें) ही होता है। जैसे इन तीनों ज्ञानोंमें दूष और जलके मिश्रणमें तो दूष और जलका मिश्रितरूपसे ही प्रतिभासन होता है और पृथक्-पृथक्-रूपमें विद्यमान दूष और जलका प्रतिभासन पृथक्-पृथक् ही होता है। इसी तरह अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें दो आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त अणुओंके स्क्न्धरूपको प्राप्त अणुओंका प्रतिभासन पिण्डरूपसे ही होता है व पृथक्-पृथक्-रूपमें विद्यमान अणुओंका प्रतिभासन पृथक्-पृथक् रूपसे ही होता है।

इससे निर्णय होता है कि जहाँ केवलज्ञानमें संयुक्त या बद्ध पदार्थोंका प्रतिभासन संयुक्त दशामें या बद्ध दशामें संयुक्त या बद्धरूपसे न होकर पृथक्-पृथक्-रूपसे होता है वहाँ मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्यय-ज्ञानमें अपने-अपने विषयभूत संयुक्त और बद्ध पदार्थोंका प्रतिभासन पृथक्-पृथक्-रूपसे न होकर संयुक्त और बद्धरूपसे ही होता है। यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्दने नियमसारके उपयोगप्रकरणमें सभी आद्यो-पशमिक ज्ञानोंको विभावज्ञानको व आधिक्यनेको प्राप्त केवलज्ञानको स्वभावज्ञानको संज्ञा दी है। इस विषयको मैंने जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चाकी समीक्षाके प्रथम भागमें प्रश्नोत्तर-४ के प्रथम दौरकी समीक्षामें स्पष्ट किया है।

पूबमें यह बात बतलायी जा चुकी है कि जीवमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों एकमात्र अनादिकालसे विद्यमान है। तथा किसी-किसी जीवमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके साथ अवधिज्ञानका या मन पर्ययज्ञानका अथवा अवधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञान दोनोंका भी विकास हो जाता है। परन्तु जीवमें जब केवलज्ञानका विकास होता है तब मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञानका अभाव हो जाता है। इससे निर्मालक्षित तन्व्य फलित होते हैं—

१. जीवो उवओगमओ उवओगो णाणवंसणो होइ ।

णाणुवओगो दुविहो सहावणाणं विभावणाणंति ॥१०॥

केवलमिदियरहियं असहायं तं सहावणाणंति ।

सण्णाणिदरवियप्ये विहावणाणं हवे दुविहं ॥११॥

सण्णाणं चउभेदं मदितुदओही तह्वे मणपण्णं ।

अण्णाणं तिवियप्यं मदियाइभेदवो चेव ॥१२॥

तह्वं संसण उवओगो ससहावेदर-वियप्यवो दुविहो ।

केवलमिदियरहियं असहायं तं सहावमिदि भणिहं ॥१३॥

अक्खु अचक्खु ओही तिणिणं वि भणिदं विभावदिच्छित्तं । वाथा १४ का पूर्वार्ध ।

१—मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सद्भाव रहनेके कारण मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव ता मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानसे ज्ञात पदार्थका उस श्रुतज्ञानके बलसे विश्लेषण भी करते हैं, परन्तु केवलज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका अभाव रहनेसे केवलज्ञानी जीव केवलज्ञानसे ज्ञात पदार्थका कदापि विश्लेषण नहीं करते हैं ।

२—मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सद्भाव रहनेके कारण मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव श्रुतज्ञानके बलसे एक ही पदार्थमें गुण-गुणीभावका भेद करके गुण और गुणीमें आधाराधेयभावका विश्लेषण करते हैं, तथा एक ही पदार्थमें भेदके बलपर उपादानोपादेयभावरूप कार्य-कारणभावका भी विश्लेषण करते हैं । इतना ही नहीं, तादाम्यसम्बन्धाश्रित अन्य सभी प्रकारके सम्बन्धोंका भी विश्लेषण करते हैं, परन्तु केवलज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका अभाव रहनेके कारण केवलज्ञानी जीव एक ही पदार्थमें भेदकी अवस्तविकताके कारण उक्त सभी प्रकारके सम्बन्धोंका विश्लेषण नहीं करते हैं ।

३—मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सद्भाव रहनेके कारण मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव उस श्रुतज्ञानके बलसे नाना पदार्थोंमें भी आधाराधेयभाव और निमित्त-नैमित्तिकभावरूप कार्य-कारणभाव आदि संयोगसम्बन्धाश्रित सभी प्रकारके सम्बन्धोंका विश्लेषण करते हैं । परन्तु केवलज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका अभाव रहनेके कारण केवलज्ञानी जीव नाना पदार्थोंमें संयोगसम्बन्धाश्रित उक्त सभी प्रकारके सम्बन्धोंका कदापि विश्लेषण नहीं करते हैं ।

४—मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका सद्भाव रहनेके कारण मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीव उस श्रुतज्ञानके बलसे अर्थ और शब्दमें वाच्य-वाचकभाव व पदार्थ व ज्ञानमें ज्ञेय-ज्ञायकभाव आदि विविध प्रकारके सम्बन्धोंका भी विश्लेषण करते हैं, परन्तु केवलज्ञानके साथ श्रुतज्ञानका अभाव रहनेके कारण केवलज्ञानी जीव इस प्रकारके सम्बन्धोंका विश्लेषण नहीं करते हैं ।

इस विवेचनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ मतिज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्ययज्ञानी जीवोंका कार्य मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके द्वारा पदार्थोंको जाननेका तथा श्रुतज्ञानके द्वारा विविध प्रकारके सम्बन्धोंका विश्लेषण करना है वहाँ केवलज्ञानी जीवका कार्य केवलज्ञानके द्वारा पदार्थोंको जानना तो है, परन्तु श्रुतज्ञानका अभाव होनेसे उक्त किसी भी प्रकारके सम्बन्धका विश्लेषण करना उसका कार्य नहीं है ।

पुद्गलोंका आवश्यक विवेचन

जिस प्रकार कालद्रव्य अणुरूप है उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अणुरूप है । दोनोंमें विशेषता यह है कि जहाँ कालद्रव्य असंख्यात है और निष्क्रिय है वहाँ पुद्गल द्रव्य अनन्त है और क्रियाशील भी है । काल और पुद्गल दोनों द्रव्योंमें एक विशेषता यह भी है कि जहाँ सभी कालानु स्वभावदृष्टिसे समान है वहाँ सभी पुद्गलानु स्वभावदृष्टिसे समान नहीं हैं । आगे इसी बातको स्पष्ट किया जाता है—

प्रत्येक पुद्गलानुमें स्वभावतः काला, पीला, नीला, लाल और सफेद इन पाँच वर्णोंमेंसे कोई एक वर्ण रहता है । अतः सभी पुद्गलानु धर्णकी अपेक्षा पाँच प्रकारके हो जाते हैं । वर्णकी अपेक्षा पाँच प्रकारके सभी पुद्गलानुओंमेंसे प्रत्येक पुद्गलानुमें छट्टा, मोठा, कड़वा, चरपरा और कषायला इन पाँच रसोंमें कोई एक रस रहता है । अतः सभी पुद्गलानु पाँच वर्णों और पाँच रसोंकी अपेक्षा $5 \times 5 = 25$ प्रकारके हो जाते हैं । इन २५ प्रकारके पुद्गलानुओंमेंसे प्रत्येक पुद्गलानुमें सुगन्ध और दुर्गन्ध दो गन्धोंमेंसे कोई एक गन्ध

रहता है । अतः सभी पुद्गलानुं इस अपेक्षासे $२५ \times २ = ५०$ प्रकारके हो जाते हैं । इन ५० प्रकारके पुद्गलानुंमेंसे प्रत्येक पुद्गलानुंमें स्निग्ध और रूक्ष इन दो स्पर्शोंमें कोई एक स्पर्श रहता है । इस प्रकार सभी पुद्गलानुं इस अपेक्षासे $५० \times २ = १००$ प्रकारके हो जाते हैं । इस १०० प्रकारके पुद्गलानुंमेंसे प्रत्येक पुद्गलानुंमें घीत और उष्ण इन दो स्पर्शोंमेंसे कोई एक स्पर्श रहता है । अतः सभी पुद्गलानुं इस अपेक्षासे $१०० \times २ = २००$ प्रकारके हो जाते हैं ।

यहाँ यह विशेष ज्ञातव्य है कि आगममें स्पर्शके स्निग्ध, रूक्ष, घीत, उष्ण, हल्का, भारी, कठोर और कोमल इस प्रकार आठ भेद बतलाये गये हैं । किन्तु सभी पुद्गलानुं यतः एकप्रदेशात्मक ही होते हैं । अतः उनमें स्निग्ध, रूक्ष, घीत और उष्ण ये चार स्पर्श रहते हुए भी हल्का, भारी, कठोर, और कोमल इन चार स्पर्शोंका सद्भाव सम्भव नहीं है, क्योंकि हल्का, भारी, कठोर और कोमल ये चार स्पर्श नानाप्रदेशात्मक पुद्गल वस्तुमें ही सम्भव होते हैं । इतना अवश्य है कि प्रत्येक पुद्गलानुंमें जो स्निग्ध और रूक्ष दो स्पर्शोंमेंसे कोई एक स्पर्श पाया जाता है, उसके आधारपर एक पुद्गलानुं दूसरे पुद्गलानुंके साथ बन्धको भी प्राप्त होता रहता है । वैसे कि तत्त्वार्थसूत्रके "स्निग्धरूक्षतवाद्बन्धः" (५-३३) सूत्रसे स्पष्ट है । इस प्रकार दो भादि संख्यात, असंख्यात और अनन्त पुद्गलपरमाणु जब परस्पर बन्धको प्राप्त हो जाते हैं तब उनमें हल्का, भारी, कठोर और कोमल इन चार स्पर्शोंके सद्भावकी सम्भावना हो जाती है । यही कारण है कि तत्त्वार्थसूत्रके "अणवः स्कन्धाश्च" (५-२५) सूत्रमें पुद्गलके अणु और स्कन्ध दो भेद बतलाये गये हैं । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि हल्का और भारी तथा कोमल और कठोर परस्परसापेक्ष होकर ही उस-उस स्पर्शस्वयताको प्राप्त होते हैं ।

पुद्गलमें पृथ्वी, जल अग्नि और वायु ये चार स्कन्ध तो प्रत्यक्ष अनुभवमें आते हैं । इनका निर्माण भी पुद्गलानुंमेंसे परस्पर बन्धके आधारपर ही सम्भवा चाहिए । गोम्मतसार जीवकाण्डकी गाथा ६०२ में जो बादर-बादर, बादर, बादर-सूक्ष्म, सूक्ष्म-बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म ये ६ भेद पुद्गलके बतलाये गये हैं, उनमेंसे पृथ्वी, काष्ठ, पाषाण आदि बादर-बादर स्कन्ध हैं । जल, तेल आदि बादर स्कन्ध हैं । छाया, जातप चाँदनी आदि बादर-सूक्ष्म स्कन्ध हैं । घण्ट, गन्ध, रस आदि सूक्ष्म-सूक्ष्म स्कन्ध हैं । ज्ञानावरणाधिकर्म सूक्ष्म स्कन्ध है और अखण्ड पुद्गल परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म रूपमें अणु ही है ।

गोम्मतसार जीवकाण्डकी गाथा ५९३-५९४ में पुद्गलके वर्णनामोंके रूपमें २३ भेद भी बतलाये गये हैं । इनमेंसे वर्ण सूक्ष्म पुद्गलानुंरूप हैं और एकजातीय वर्णोंके समूहका नाम वर्णनाम है । इस तरह २३ वर्णनामोंकी व्यवस्था आगमके अनुसार ज्ञातव्य है । यहाँ आवश्यक जानकर आहारवर्णना, तैजसवर्णना, मायावर्णना, मनोवर्णना और कामवर्णनाके विषयमें स्पष्टीकरण किया जाता है ।

आहारवर्णनाके तीन भेद हैं । एक आहारवर्णना वह है जिससे औद्योगिक शरीरकी रचना होती है । दूसरी आहारवर्णना वह है जिससे वैश्विय शरीरका निर्माण होता है और तीसरी आहारवर्णना वह है जो आहाररुचोरूप परिणत होती है । इनके भी यथासम्भव अनेक प्रकार आगमके आधारपर ज्ञान लेना चाहिए । जैसे तिर्यन्धोंकी माना जातिमां देखनेमें आती हैं तो उनके शरीरका निर्माण भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी औद्योगिक वर्णनाओंसे होता है । तैजसवर्णनासे तैजस शरीरका निर्माण होता है । मायावर्णनासे धम्बकी रचना होती है व मनोवर्णनासे द्रव्यमनका निर्माण होता है । इसीप्रकार कामवर्णनायें मूलमें ज्ञानावरण, चर्चनावरण, वेदनीय, मोहनीय, काम, नाम, मोक्ष और अन्तर्यामि भेदसे आठ प्रकारकी हैं व इनके बन्धकी अपेक्षा १४६ उतरभेद हैं । इनसे ही पुण्य-पुण्य उर-उर कर्मप्रकृतिका निर्माण होता है ।

पुष्पलम्बे विषयमें इतना जो विवेचन किया गया है उसका प्रयोजन यह है कि जो अनुरूप अनन्त-पुष्पल हैं वे ही कालानुबोधी तरह वास्तविक द्रव्य हैं, अतः उनका प्रतिभासन ही केवलज्ञानमें होता है तथा पुष्पलानुबोधी जितनी परस्पर संयुक्त या बद्ध बंधाएँ हैं वे वास्तविक नहीं हैं अर्थात् उपचरित हैं, अतः पुष्पलानुबोधी संयुक्त या बद्ध बंधामें भी पृथक्-पृथक् पुष्पलानुका ही प्रतिभासन केवलज्ञानमें होता है। उन संयुक्त या बद्ध बंधाओंका प्रतिभासन केवलज्ञानमें नहीं होता। इतना अवश्य है कि पुष्पलानुकी संयुक्त या बद्ध बंधाएँ लौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्रोंमें उपयोगी हैं अतः उन्हें भी उपचरितरूपसे वास्तविक कहा जाता है। तथा उनका यथासम्भव प्रतिभासन भी मतिज्ञान, अबधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें होता है व श्रुतज्ञान द्वारा उनका विश्लेषण भी होता है। यह सब विषय पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है।

इसप्रकार "केवलज्ञानकी विषय-भर्यादा" प्रकरणमें अब तक जो विवेचन किया गया है उससे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि विषयमें एक आकाश, एक धर्म, एक अधर्म, अस्तव्यात काल, अनन्त जीव और अनन्त पुष्पलम्बे रूपमें जितने पृथक्-पृथक् स्वतंत्रसत्ताधारी पदार्थ विद्यमान हैं वे सब पदार्थ परस्पर संयुक्त रहते हुए भी तथा जीव और पुद्गल एवं पुद्गल और पुद्गल परस्पर बद्ध रहते हुए भी अपनी-अपनी द्रव्य-रूपता, गुणरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपतामें ही रह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थकी अपनी-अपनी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपता संयुक्त या बद्ध बंधामें भी एक दूसरे, पदार्थकी द्रव्यरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपतासे भिन्न तत्वात्मक एकत्व प्राप्त धर्म है तथा प्रत्येक पदार्थकी ऐसी द्रव्यरूपता, गुणरूपता और स्वप्रत्यय व स्व-परप्रत्यय पर्यायरूपताका प्रतिभासन ही केवलज्ञानमें होता है। इनके लौकिक व आध्यात्मिक क्षेत्रोंमें उपयोगी होनेके कारण उपचरितरूपसे वास्तविक संयुक्त बंधा या बद्ध बंधाका प्रतिभासन केवलज्ञानमें नहीं होकर मतिज्ञान, अबधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञानमें ही होता है। एवं विश्लेषण श्रुतज्ञान द्वारा होता है। अतएव इस विवेचनकी ध्यानमें रखकर ही कार्तिकेयानुप्रेषा गाथा ३२१-२२ का, पद्मपुराण सर्ग ११० के श्लोक ४० का और कविवर शंया भगवतीदासजीके "जो जो देखी भीतरगने सो होसी वीरा रे" इस कथनका तथा इसी प्रकारके अन्य आगम-बचनोका अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करनेसे ही वर्तमानमें जैनागमका वास्तविक रहस्य समझमें आ सकता है व सोनगढ़ द्वारा स्थापित की गयी गलत व्यवस्थाओंसे विगम्बर जैन समाजमें जो उथल-पुथल मच गयी है वह शांत हो सकती है। इस विषयमें वर्तमान पीढ़ीके विद्वानोंका यह उत्तरदायित्व है कि वे जैन संस्कृतिके आगममें प्रतिपादित सिद्धान्तोंका निष्कायभावसे सम्यक् उद्घाटन करें।



जयपुर (स्वानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षाके अन्तर्गत उपयोगी

प्रश्नोत्तर १ की सामान्य समीक्षा

प्रश्नोत्तर १ के आवश्यक अंशोंके उद्धरण

पूर्वपक्ष १—द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण होता है या नहीं ? त० ब० पृ० १ ।

उत्तरपक्ष १—द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्तृ-कर्म-सम्बन्ध नहीं है ।—त० ब० पृ० १ ।

पूर्वपक्ष २—इस प्रश्नका उत्तर जो आने यह दिया है कि व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्तृ-कर्म सम्बन्ध नहीं है, सो यह उत्तर हमारे प्रश्नका नहीं है, क्योंकि हमने द्रव्यकर्म और आत्माका निमित्त-नैमित्तिक तथा कर्तृ-कर्म सम्बन्ध नहीं पूछा है ।— त० ब० पृ० ४ ।

उत्तरपक्ष २—यह ठीक है कि प्रश्नका उत्तर देते हुए समयसारकी ८० से ८२ तककी जिन तीन भाषाओंका उद्धरण देकर निमित्त-नैमित्तिकभाव दिखलाया गया है वहाँ कर्तृ-कर्म सम्बन्धका निर्देश मात्र इसलिए किया गया है ताकि कोई ऐसे भ्रममें न पड़ जाय कि यदि आगममें निमित्तमें कर्तृपक्षके व्यवहारसे व्यपदेश किया गया है तो वह यथार्थमें कर्ता बनकर कार्यको करता होगा । वस्तुतः जैनागममें कर्ता तो उपादानको ही स्वीकार किया गया है और यही कारण है कि जिनागममें कर्ताका लक्षण "जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है" यह किया गया है ।—त० ब० पृ० ८ ।

पूर्वपक्ष ३—इस प्रश्नका आशय यह था कि जीवमें जो क्रोध आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हुए प्रत्यक्ष देखे जाते हैं क्या वे द्रव्यकर्मोदयके बिना होते हैं या द्रव्यकर्मोदयके अनुरूप होते हैं । संसारी जीवका जो जन्म-मरणरूप चतुर्गतिभ्रमण प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है क्या वह भी कर्मोदयके अधीन हो रहा है या यह जीव स्वतंत्र अपनी योग्यतानुसार चतुर्गतिभ्रमण कर रहा है ।

आपके द्वारा इस प्रश्नका उत्तर न तो प्रथम वक्तव्यमें दिया गया है और न इस दूसरे वक्तव्यमें दिया गया है—यद्यपि आपके प्रथम वक्तव्यके ऊपर प्रतिसांका उपस्थित करते हुए इस ओर आपका ध्यान दिलाया गया था । आपने अपने दोनों वक्तव्योंमें निमित्त-कर्तृ-कर्म सम्बन्धकी अप्रासंगिक चर्चा प्रारम्भ करके मूल प्रश्नके उत्तरको टालनेका प्रयत्न किया है ।

यह तो सर्वसम्मत है कि जीव अनाविकालसे विकारी हो रहा है । विकारका कारण कर्मबन्ध है, क्योंकि दो पक्षाधिके परस्पर बन्ध बिना लोकमें विकार नहीं होता । कहा भी है—“द्रव्यकृतो लोके विकारो भवेत्” —पद्मनन्दि-पञ्चविंशतिका २३-७ ।

यदि क्रोध आदि विकारीभावोंको कर्मोदय बिना मान लिया जावे तो उपयोगके समान वे भी जीवके स्वभाव-भाव हो जायेंगे और ऐसा माननेपर इन विकारीभावोंका नाश न होनेसे मोक्षके अभावका प्रसंग आ जावेगा ।—त० ब० पृ० १० ।

उत्तरपक्ष ३—इस प्रश्नका समाधान करते हुए प्रथम उत्तरमें ही हम यह बतला आये हैं कि संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिपरिभ्रमणमें द्रव्यकर्मका उदय निमित्त मात्र है । विकारभाव और चतुर्गति-परिभ्रमणका मुख्यकर्ता तो स्वयं आत्मा ही है । इत तथ्यकी पुष्टिमें हमने समयसार, पञ्चास्तिकायटीका, प्रश्नचनसार और उसकी टीकाके अनेक प्रमाण दिये हैं । किन्तु अपर पक्ष इस उत्तरको अपने प्रश्नका समाधान

मालनेके लिये तैयार नहीं प्रतीत होता। एक ओर तो वह द्रव्यकर्मके उदयको निमित्त रूपसे स्वीकार करता है और दूसरी ओर द्रव्यकर्मोदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिपरिभ्रमणमें व्यवहारनयसे बतलाये गये निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धको अपने मूलप्रश्नका उत्तर नहीं मानता, इसका हमें आश्चर्य है। हमारे प्रथम उत्तरको लक्ष्यकर अपर पक्षकी ओरसे उपस्थित की गई प्रशिक्षा २ के उत्तरमें भी हमारी ओरसे अपने प्रथम उत्तरमें निहित अभिप्रायकी ही पुष्टि की गई है।

तत्काल हमारे सामने द्वितीय उत्तरके आधारसे लिखी गई प्रशिक्षा ३ विचारके लिए उपस्थित है। इस द्वारा सर्वप्रथम यह शिकायत की गई है कि हमारी ओरसे अपर पक्षके मूलप्रश्नका उत्तर न तो प्रथम वक्तव्यमें ही दिया गया है और न ही इस दूसरे वक्तव्यमें दिया गया है। "संसारी जीवके विकारभाव और चतुर्गतिपरिभ्रमणमें कर्मोदय व्यवहारनयसे निमित्त मान है, मुख्यकर्ता नहीं" इस उत्तरको अपर पक्ष अप्रासंगिक मानता है। अब देखना यह है कि वस्तुस्वरूपको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे जो उत्तर हमारी ओरसे दिया गया है यह अप्रासंगिक है या अपर पक्षका यह कथन अप्रासंगिक ही नहीं, मिथ्यात्वविच्छेद है, जिससे उसकी ओरसे विकारका कारण बाह्य सामग्री है, इसे वधार्थ कथन माना गया है।

अपर पक्षने पद्मनन्दपञ्चविंशतिका २३-७ का "द्वयकृतो लोके विकारो भवेत्" इस वचनको उद्धृत कर जो विकारको दो का कार्य बतलाया है सो यहाँ देखना यह है कि जो विकाररूप कार्य होता है वह किसी एक द्रव्यकी विभावपरिणति है या दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति है? वह दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति है यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर एक कार्यको निकालमें नहीं कर सकते। इसी बातको समयसार आत्मव्यापिटीकार्ये स्पष्ट करते हुए बतलाया है।

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥

—त० व० पृ० ३२

इन उद्धरणोंको यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयोजन

इन उद्धरणोंको यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयोजन यह है कि तत्त्वज्ञानसुत्रोंको यह समझमें आ जाए कि पूर्व पक्षने अपने प्रश्नमें जो पूछा है उन्का समानान उतराके उत्तरसे नहीं होता। आगे इसी बातको स्पष्ट किया जा रहा है—

पूर्व पक्षके उद्धरणोंसे यह स्पष्ट होता है कि वह उत्तरपक्षसे यह पूछ रहा है कि द्रव्यकर्मका उदय संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिपरिभ्रमणमें निमित्त होता है या नहीं। स्वयं उत्तरपक्षने भी अपने तृतीय दौरके अनुच्छेदमें उस बातको स्वीकार किया है^१। इसलिये उत्तरपक्षको अपना उत्तर या तो ऐसा देना चाहिए था कि द्रव्यकर्मका उदय संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिपरिभ्रमणमें निमित्त होता है। अथवा ऐसा देना चाहिए था कि वह उसमें निमित्त नहीं होता है—संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिपरिभ्रमण द्रव्यकर्मके उदयके निमित्त हुए बिना अपने आप ही होता रहता है।

उत्तरपक्षने प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि "द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिपरिभ्रमणमें व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, कर्तृ-कर्म सम्बन्ध नहीं है।" त० व० पृ० १।

इस उत्तरमें "व्यवहारसे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है" इस कथनका आशय यह होता है कि

१. एक ओर तो वह द्रव्यकर्मके उदयको निमित्तरूपसे स्वीकार करता है १-त० व० पृ० ३२।

द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें स्वीकृत निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध व्यवहारनयका विषय है। स्वयं उत्तरपक्षने भी अपने तृतीय दौरके अनुच्छेद १ में यह स्वीकार किया है^१। परन्तु पूर्वपक्षने अपने प्रश्नमें यह नहीं पूछा है कि द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें स्वीकृत निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध व्यवहारनयका विषय है या निश्चयनयका। अबबा यह नहीं पूछा है कि उक्त निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध व्यवहारसे है या निश्चयसे। पूर्वपक्षका प्रश्न तो यह है कि द्रव्यकर्मके उदयसे संसारी आत्माका विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण होता है या नहीं (त० ब० पृ० १)। इसका आशय यह होता है कि द्रव्यकर्मका उदय संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें निमित्त होता है या नहीं। अबबा यह आशय होता है कि द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध विद्यमान है या नहीं। प्रश्नका स्पष्ट आशय यह होता है कि द्रव्यकर्मका उदय संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें निमित्त रूपसे कार्यकारी होता है या वह वहाँपर उस रूपमें सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है और संसारी आत्मा द्रव्यकर्मोदयके निमित्त हुए बिना अपने आप ही विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणरूप परिणमन करता रहता है।

यतः उत्तरपक्ष द्वारा दिये गये उक्त उत्तरसे उक्त प्रश्नका उपर्युक्त प्रकार समाधान नहीं होता, अतः निर्णीत होता है कि उत्तरपक्ष द्वारा दिया गया उत्तर पूर्वपक्षके प्रश्नका उत्तर नहीं है।

उत्तर प्रश्नके बाहर भी है

उत्तरपक्षने अपने उत्तरमें यह अतिरिक्त बात भी जोड़ दी है कि द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें कर्तृ-कर्म सम्बन्ध नहीं है, जिसका प्रश्नके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूर्वपक्षने अपने प्रश्नमें उनके मध्य कर्तृ-कर्म सम्बन्ध होने या न होनेकी चर्चा ही नहीं की है। इस तरह इससे भी निर्णीत होता है कि उत्तरपक्ष द्वारा दिया गया उत्तर पूर्वपक्षके प्रश्नका उत्तर नहीं है। उत्तर अप्रासंगिक है

यतः उपर्युक्त विवेचनके अनुसार उत्तरपक्ष द्वारा दिया गया उत्तर पूर्वपक्षके प्रश्नका उत्तर नहीं है अतः स्पष्ट हो जाता है कि उक्त उत्तर अप्रासंगिक है।

उत्तर अनावश्यक है

एक बात यह भी है कि दोनों ही पक्ष उक्त-नैमित्तिक सम्बन्धको व्यवहारनयका विषय मानते हैं। उद्यमें दोनों पक्षोंके मध्य कोई विवाद ही नहीं है। इस बातको उत्तर पक्ष भी जानता है। अतः उसे अपने उत्तरमें उसका निर्देश करना अनावश्यक है।

यद्यपि इस विषयमें दोनों पक्षोंके मध्य यह विवाद है कि जहाँ उत्तरपक्ष व्यवहारनयके विषयको सबंधा अनूतार्थ मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे कर्षचित् अनूतार्थ और कर्षचित् भूतार्थ मानता है, परन्तु वह प्रकृत प्रश्नके विषयसे भिन्न होनेके कारण उसपर स्वतन्त्र रूपसे ही विचार करना संगत होगा। अतएव इस पर यथावश्यक आगे विचार किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि द्रव्यकर्मके उदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें दोनों पक्ष कर्तृ-कर्म सम्बन्धको नहीं मानते हैं और मानते भी हैं तो उपचारसे मानते हैं। इस बातको भी

१. और दूसरी ओर द्रव्यकर्मोदय और संसारी आत्माके विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमणमें व्यवहारनयके बतलाये गये निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धको अपने मूल प्रश्नका उत्तर नहीं मानता, इसका हमें आश्चर्य है।-त० ब० पृ० १२।

उत्तरपक्ष जानता है। अतः उसके द्वारा उत्तरमें इसका निर्देश किया जाना भी अनावश्यक है।

यद्यपि इस विषयमें भी दोनों पक्षोंके मध्य यह विवाद है कि जहाँ उत्तरपक्ष उस उपचारको सर्वथा अभूतार्थ मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे कथञ्चित् अभूतार्थ और कथञ्चित् भूतार्थ मानता है। इसपर भी यथावश्यक आगे विचार किया जायगा।

यत् प्रसंगवश प्रकृत विषयको लेकर दोनों पक्षोंके मध्य विद्यमान मतैक्य और मतभेदका स्पष्टीकरण किया जाना तत्त्वज्ञानानुबोकी सुविधाके लिए आवश्यक है अतः यहाँ उनके मतैक्य और मतभेदका स्पष्टीकरण किया जाता है।

मतैक्यके विषय

१. दोनों ही पक्ष संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें द्रव्यकर्मके उदयको निमित्तकारण और संसारी आत्माको उपादानकारण मानते हैं।

२. दोनों ही पक्ष मानते हैं कि उक्त विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमण उपादानकारणभूत संसारी आत्माका ही होना है। निमित्तकारणभूत उदयपर्याय विशिष्ट द्रव्यकर्मका नहीं होता।

३. दोनों ही पक्षोंकी मान्यतामें उक्त कार्यका उपादानकारणभूत संसारी आत्मा यथार्थ कारण और मुख्य कर्ता है व निमित्तकारणभूत उदयपर्याय विशिष्ट द्रव्यकर्म अथवा यथार्थ कारण और उपचरित कर्ता है।

४. दोनों ही पक्षोंका कहना है कि उक्त कार्यके प्रति उपादानकारणभूत संसारी आत्मामें स्वीकृत उपादानकारणता, यथार्थकारणता और मुख्यकर्तृत्व निश्चयनयके विषय है और निमित्तकारणभूत उदयपर्याय विशिष्ट द्रव्यकर्ममें स्वीकृत निमित्तकारणता, अथवा यथार्थकारणता और उपचरितकर्तृत्व व्यवहारनयके विषय है।

मतभेदके विषय

१. यद्यपि दोनों ही पक्ष प्रकृत कार्यके प्रति उपादानकारणरूपसे स्वीकृत संसारी आत्माको उस कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर कार्यकारी मानते हैं, परन्तु जहाँ उत्तरपक्ष उसी कार्यके प्रति निमित्त कारणरूपसे स्वीकृत उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मको उस कार्यरूप परिणत न होने और उपादानकारणभूत संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर सर्वथा अकिञ्चित्कर मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे वहाँपर उस कार्यरूप परिणत न होनेके आधारपर अकिञ्चित्कर और उपादानकारणभूत संसारी आत्माको उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर कार्यकारी मानता है।

२. यद्यपि दोनों ही पक्ष प्रकृत कार्यके प्रति उपादानकारणरूपसे स्वीकृत संसारी आत्माको उस कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर यथार्थकारण और मुख्य कर्ता मानते हैं, परन्तु जहाँ उत्तरपक्ष उसी कार्यके प्रति निमित्तकारणरूपसे स्वीकृत उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मको उस कार्यरूप परिणत न होने और उपादानकारणभूत संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर अथवा यथार्थकारण और उपचरितकर्ता मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे वहाँपर उस कार्यरूप परिणत न होनेके साथ उपादानकारणभूत संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर अथवा यथार्थ कारण और उपचरितकर्ता मानता है।

३. यद्यपि दोनों ही पक्ष प्रकृत कार्यके प्रति उपादानकारण, यथार्थकारण और मुख्यकर्ता रूपसे स्वीकृत संसारी आत्माको उस कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर भूतार्थ मानते हैं, परन्तु जहाँ उत्तर पक्ष उसी कार्यके प्रति निमित्तकारण, अथवा यथार्थकारण और उपचरित कर्ता रूपसे स्वीकृत उदयपर्याय विशिष्ट

द्रव्यकर्मको उस कार्यरूप परिणत न होने और संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर सर्वथा अभूतार्थ मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे वहाँ पर उस कार्यरूप परिणत न होनेके आधार पर अभूतार्थ और संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर भूतार्थ मानता है ।

४. यद्यपि दोनों ही पक्ष प्रकृत कार्यके प्रति उपादानकारण, यथार्थकारण और मुख्य कर्ता रूपसे स्वीकृत संसारी आत्माको उस कार्यरूप परिणत होनेके आधारपर भूतार्थ मानकर निश्चयनयका विषय मानते हैं, परन्तु जहाँ उत्तरपक्ष उसी कार्यके प्रति निमित्तकारण, यथार्थकारण और उपचरित कर्ता रूपसे स्वीकृत उदयपर्याय विशिष्ट द्रव्यकर्मको उस कार्य रूप परिणत न होने और संसारी आत्माकी उस कार्य रूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधार पर सर्वथा अभूतार्थ मानकर व्यवहारनयका विषय मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे वहाँ पर उस कार्य रूप परिणत न होनेके आधार पर अभूतार्थ और संसारी आत्माकी उस कार्य रूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर भूतार्थ मानकर व्यवहारनयका विषय मानता है ।

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणरूप कार्यके प्रति दोनों पक्षोंके मध्य न तो संसारी आत्माको उपादान कारण, यथार्थकारण और मुख्य कर्ता माननेके विषयमें विवाद है और न उसकी कार्यकारिता, भूतार्थता और निश्चयनय विषयताके विषयमें विवाद है । इसी तरह उसी कार्यके प्रति दोनों पक्षोंके मध्य न तो उदयपर्याय विशिष्ट द्रव्यकर्मको निमित्त कारण, अय-बाध कारण और उपचरितकर्ता माननेके विषयमें विवाद है और न उसकी व्यवहारनयविषयताके विषयमें विवाद है । दोनों पक्षोंके मध्य विवाद केवल उक्त कार्यके प्रति उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मकी उत्तरपक्षकी मध्य सर्वथा अकिञ्चित्करता और सर्वथा अभूतार्थता तथा पूर्व पक्षको मान्य कर्षित् अकिञ्चित्करता व कर्षित् कार्यकारिता तथा कर्षित् अभूतार्थता व कर्षित् भूतार्थताके विषयमें है ।

उपर्युक्त विवेचनके आधारपर दो विचारणीय बातें

उपर्युक्त विवेचनके आधार पर दो बातें विचारणीय हो जाती हैं । एक तो यह कि संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें दोनों पक्षों द्वारा निमित्तकारणरूपसे स्वीकृत उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्म को पूर्वपक्षकी मान्यताके अनुसार उस कार्यरूप परिणत न होनेके आधार पर अकिञ्चित्कर और उपादान कारण-भूत संसारी आत्माकी उस कार्यरूप परिणतिमें सहायक होनेके आधारपर कार्यकारी माना जाए या उत्तरपक्षकी मान्यताके अनुसार उसे वहाँपर उस कार्य रूप परिणत न होने और उपादानकारणभूत संसारी आत्माकी कार्यरूप परिणतिमें सहायक भी न होनेके आधारपर सर्वथा अकिञ्चित्कर माना जाय । और दूसरी यह कि उस उदयपर्यायविशिष्ट द्रव्यकर्मको पूर्व पक्षकी मान्यताके अनुसार उपर्युक्त प्रकारसे कर्षित् अकिञ्चित्कर व कर्षित् कार्यकारी मानकर उस रूपमें कर्षित् अभूतार्थ और अर्षित् भूतार्थ माना जाय, व इस तरह उसे अभूतार्थ और भूतार्थरूपमें व्यवहारनयका विषय माना जाए या उत्तरपक्षकी मान्यताके अनुसार उसे वहाँपर उपर्युक्त प्रकार सर्वथा अकिञ्चित्कर मानकर उस रूपमें सर्वथा अभूतार्थ माना जाए व इस तरह उसे सर्वथा अभूतार्थ रूपमें व्यवहारनयका विषय माना जाए ।

उपर्युक्त दोनों बातोंमेंसे प्रथम बातके सम्बन्धमें विचार करनेके उद्देश्यसे ही खानिया तत्त्वचर्चके अवसरपर दोनों पक्षोंकी सहमतिपूर्वक उपर्युक्त प्रथम प्रश्न उपस्थित किया गया था । इतना ही नहीं, खानिया तत्त्वचर्चके सन्नी १७ प्रथम उभयपक्षकी सहमति पूर्वक ही चर्चके लिये प्रस्तुत किये गये थे ।

यहाँ प्रसंगवश में इतना संकेत कर देना उचित समझता हूँ कि तत्त्वचर्चकी भूमिका तैयार करनेके

अवसरपर पं० फूलचन्द्रजीने मेरे समक्ष एक प्रस्ताव इस आशयका रखा था कि बर्चाके लिए जितने प्रश्न उपस्थित किये जायेंगे वे सब उभय पक्षकी सहमतिसे ही उपस्थित किये जायेंगे और उपस्थित सभी प्रश्नोंपर दोनों पक्ष प्रथमतः अपने-अपने विचार आगमके समर्थन पूर्वक एक दूसरे पक्षके समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा दोनों ही पक्ष एक दूसरे पक्षके समक्ष रखे गये उन विचारोंपर आगमके आधारपर ही अपनी आलोचनाएँ एक दूसरे पक्षके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और अन्तमें दोनों ही पक्ष उन आलोचनाओंका उत्तर भी आगमसे प्रमाणित करते हुए एक दूसरे पक्षके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

यद्यपि पं० फूलचन्द्रजीके इस प्रस्तावकी मैंने सहर्ष तत्काल स्वीकार कर लिया था, परन्तु बर्चाके अवसरपर पं० फूलचन्द्रजी सोनगढके प्रतिनिधि नेमिचन्द्रजी पाटनोके द्वाराइहके सामने झुककर अपने उक्त प्रस्तावकी रचनात्मक रूप देनेके लिए तैयार नहीं हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि जो सभी प्रश्न उभय पक्ष सम्मत होकर दोनों पक्षोंको समान रूपसे विचारणीय थे, वे पूर्वपक्षके प्रश्न बनकर रह गये और उत्तर-पक्ष उनका समाधानकर्ता बन गया ।

यतः प्रश्नोंको प्रस्तुत करनेमें पूर्वपक्षने प्रमुख भूमिकाका निर्वाह किया था, अतः उसे एक तो पं० फूलचन्द्रजीके उक्त परिवर्तित रसको देखकर उसको दृष्टिसे ओझल कर देना पड़ा और दूसरी बात यह भी थी कि उसके सामने तत्त्वनिर्णयका उद्देश्य प्रमुख था व उसको अणु मात्र भी यह कल्पना नहीं थी कि उत्तर-पक्ष पूर्वपक्षकी इस सहनशीलताका दुरुपयोग करेगा । परन्तु तत्त्वबर्चा अध्ययनसे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर पक्षने पूर्वपक्षकी सहनशीलताका तत्त्वबर्चामें अधिकसे अधिक दुरुपयोग किया है । यह बात तत्त्वबर्चाकी इस समीक्षासे भी ज्ञात हो जायगी ।

समीक्षा लिखनेमें हेतु

यत उभय पक्ष सम्मत थे सभी प्रश्न उपयुक्त प्रकार पूर्वपक्षके प्रश्न बन गये और उत्तरपक्ष उनका समाधानकर्ता । अतः इस समीक्षाका लिखना तत्त्वनिर्णय करनेकी दृष्टिसे आवश्यक हो गया है । एक बात और है कि पं० फूलचन्द्रजीके प्रस्तावके अनुसार दोनों पक्ष प्रत्येक प्रश्नपर यदि अपने-अपने विचार प्रस्तुत करते तो दोनों पक्षोंकी अन्तिम सामग्री एक-दूसरे पक्षकी समालोचनासे अछूती रहती । और इस तरह दोनों पक्षोंकी अन्तिम सामग्रीपर मतभेद रहनेपर तत्त्वनिर्णय करनेका अधिकार तत्त्वजिज्ञासुओंको प्राप्त होता । परन्तु जिस रूपमें तत्त्वबर्चा सामने है उसमें अन्तिम उत्तर उत्तरपक्षका होनेसे तत्त्वजिज्ञासुओंको तत्त्वनिर्णय कर लेना सम्भव नहीं रह गया है । इस दृष्टिसे भी इस समीक्षाको उपयोगिता बढ़ गई है ।

उत्तरपक्ष द्वारा अपने उत्तरमें विपरीत परिस्थितियोंका निर्माण

पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि प्रकृत प्रश्नको प्रस्तुत करनेमें पूर्वपक्षका आशय इस बातको निर्णोत करनेका था कि द्रव्यकर्मका उदय संसारी आत्माके विकारभाव और चतुर्गतिभ्रमणमें निमित्त रूपसे अर्थात् सहायक होने रूपसे कार्यकारी होता है या वह वहाँपर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है व संसारी आत्मा द्रव्यकर्मके उदयका सहयोग प्राप्त किये बिना अपने आप ही विकारभाव तथा चतुर्गतिभ्रमण करता रहता है । उत्तरपक्ष प्रश्नको प्रस्तुत करनेमें पूर्वपक्षके इस आशयको समझता भी था, अन्वयात् वह अपने तृतीय दौरके अनुच्छेदमें पूर्वपक्षके प्रति ऐसा क्यों लिखता कि "एक ओर तो वह द्रव्यकर्मके उदयको निमित्त रूपसे स्वीकार करता है ।" परन्तु जानने हुए भी उसने अपने प्रथम दौरमें, प्रश्नका उत्तर न देकर उससे भिन्न नवविषयता ओर कर्तृ-कर्म सम्बन्धकी अप्रासंगिक और अनावश्यक बर्चाको प्रारम्भ कर दिया । इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरपक्षने अपने उत्तरमें विपरीत परिस्थितियोंका निर्माण किया है और

इसके कारण ही पूर्वपक्षको अपने तृतीय दौरके अनुच्छेदमें यह लिखना पड़ा कि 'आपके द्वारा इस प्रश्नका उत्तर न तो प्रथम वक्तव्यमें दिया गया है और न दूसरे वक्तव्यमें दिया गया है—यद्यपि आपके प्रथम वक्तव्यके ऊपर प्रतिशंका उपस्थित करते हुए इस ओर आपका ध्यान दिलाया गया था। आपने अपने दोनों वक्तव्योंमें निर्मित-कर्तृ-कर्म सम्बन्धकी अप्रासंगिक चर्चा प्रारम्भ करके मूल प्रश्नके उत्तरको टालनेका प्रयत्न किया है।

उत्तरपक्षका पूर्वपक्षपर उल्टा आरोप

ऊपर किये गये स्पष्टीकरणसे यह ज्ञात हो जाता है कि उत्तरपक्षने अपने तृतीय दौरके अनु० २ में जो यह लिखा है कि 'वस्तुस्वरूपको स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे जो उत्तर हमारी ओरसे दिया गया है वह अप्रासंगिक है या अपरपक्षका यह कथन अप्रासंगिक ही नहीं सिद्धान्तविरुद्ध है जिसमें उसकी ओरसे विकारका कारण बाह्य सामग्री है इसे यथार्थ कथन माना गया है।' सो उसका—उत्तरपक्षका ऐसा लिखना 'उल्टा चोर कोत-वालको डाँटे' जैसा ही है, क्योंकि उसने स्वयं तो पूर्वपक्षके प्रश्नका उत्तर न देकर नयविषयता और कर्तृ-कर्म सम्बन्धकी अप्रासंगिक और अनावश्यक चर्चा प्रारम्भ की, लेकिन अपनी इस नुटिको स्वीकार न कर उसने अप्रासंगिकताका उल्टा पूर्वपक्षपर ही आरोप लगाया। इससे यही स्पष्ट होता है कि उत्तरपक्षने पूर्वपक्षके प्रश्नका उत्तर देनेमें आनाकानी की है और इसे छिपानेके लिये ही उसने उक्त अप्रासंगिक और अनावश्यक चर्चा प्रारम्भ की। यही कारण है कि उसके इस प्रयत्नको पूर्वपक्षने अपने वक्तव्यमें मूल प्रश्नके उत्तरको टालनेका प्रयत्न कहा है। इसी तरह उत्तरपक्षने अपने उपयुक्त वक्तव्यमें जो यह लिखा है कि 'विकारका कारण बाह्यसामग्री है इसे यथार्थ कथन माना गया है' सो यह भी पूर्वपक्षके ऊपर उत्तरपक्षका मिथ्या आरोप है, क्योंकि पूर्वपक्ष, जैसाकि पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है, विकारकी कारणभूत बाह्यसामग्रीको उत्तरपक्षके समान अथार्थ कारण ही मानता है।

इस विषयमें दोनों पक्षोंके मध्य यह मतभेद अवश्य है कि जहाँ उत्तरपक्ष विकारकी कारणभूत उन बाह्यसामग्रीको वहाँ पूर्वोक्त प्रकार सर्वथा अकिञ्चित्कर रूपमें अथार्थ कारण मानता है वहाँ पूर्वपक्ष उसे वहाँ पूर्वोक्तप्रकार ही कथञ्चित् अकिञ्चित्कर और कथञ्चित् कार्यकारी रूपमें अथार्थ कारण मानता है। दोनों पक्षोंकी परस्पर विरोधी इन मान्यताओंमेंसे कौन-सी मान्यता आगमसम्मत है और कौन-सी आगमसम्मत नहीं है, इस पर आगे विचार किया जायगा।

इसी प्रकार उत्तरपक्षने अपने तृतीय दौरके अनु० ३ में पूर्वपक्ष द्वारा तृतीय दौरमें उद्धृत 'द्रव्यकृतो लोके विकारो भवेत्' इस आगमवाक्यको लेकर उसपर (पूर्वपक्षपर) मिथ्या आरोप लगानेके लिये लिखा है कि 'अपरपक्षने पद्मनखिपंचविधातिका २३-७ के 'द्रव्यकृतो लोके विकारो भवेत्' इस कथनको उद्धृत कर जो विकारको दो का कार्य बतलाया है सो वहाँ देखना यह है कि जो विकाररूप कार्य होता है वह किसी एक द्रव्यकी विभावपरिणति है या दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति है? वह दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति है यह तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर एक कार्यको त्रिकालमें नहीं कर सकते।'।

इस विषयमें मेरा कहना है और उत्तरपक्ष भी जानता है कि उक्त आगमवाक्यका यह अभिप्राय नहीं है कि दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति होती है, अपितु उसका अभिप्राय यही है कि एक वस्तुकी विकारी परिणति दूसरी अनुकूल वस्तुका सहयोग मिलनेपर ही होती है व पूर्वपक्षने इसी आशयमें उक्त आगमवाक्यको अपने वक्तव्यमें उद्धृत किया है, दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति होती है, इस आशयसे नहीं। इस तरह उत्तरपक्षका पूर्वपक्षपर यह आरोप लगाना भी मिथ्या है।

जान पड़ता है कि उत्तरपक्ष पूर्वपक्षपर उक्त प्रकारका मिथ्या आरोप लगानेकी दृष्टिसे ही उक्त आगमवाक्यका यह अभिप्राय लेना चाहता है कि दो द्रव्योंकी मिलकर एक विभावपरिणति होती है। इस तरह कहना चाहिए कि उत्तरपक्षकी यह वृत्ति उस ब्यक्तिके समान है जो दूसरेको अपशकुन करनेके लिये अपनी आँख फोड़नेका प्रयत्न करता है।

अन्तमें मैं कहना चाहता हूँ कि तत्त्वफलित करनेकी दृष्टिसेकी जानेवाली इस तत्त्वचर्चामें ऐसे सारहीन और अनुचित प्रयत्न करना उत्तरपक्षके लिये शोभास्पद नहीं है। किन्तु उसने ऐसे प्रयत्न तत्त्वचर्चामें स्थान-स्थानपर किये हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तरपक्षने अपने इसप्रकारके प्रयत्नों द्वारा पूर्वपक्षको उलझा देना ही अपने लिये श्रेयस्कर समझ लिया था।

उत्तरपक्षके इस तरहके प्रयत्नोका एक परिणाम यह हुआ है कि खानिया तत्त्वचर्चा तत्त्वचर्चा न रहकर केवल वितण्डावाद बन गई है और वह इतनी विशालकाय हो गई है कि उससे तत्त्व फलित कर लेना विद्वानोंके लिए भी सरल नहीं है।

यद्यपि पूर्वपक्षने अपने वक्तव्योंमें शक्ति भर यह प्रयत्न किया है कि खानिया तत्त्वचर्चा तत्त्व फलित करने तक ही सीमित रहे। परन्तु इस विषयमें उत्तरपक्षका सहयोग नहीं मिल सका, यह खेदकी बात है।

वास्तविक बात यह है कि इस तत्त्वचर्चामें उत्तरपक्षने अपनी एक ही दृष्टि बना ली थी कि जिस किसी प्रकारसे अपने पक्षको विजयी बनाया जावे। इसलिए उसके आदिसे अन्त तकके सभी प्रयत्न केवल अपने उक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिए ही हुए हैं।

यहाँपर मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूँ कि उत्तरपक्षने अपने पक्षके समर्थनमें जिस आगमकी पग-पगपर दुहाई दी है उसका उसने बहुतसे स्थानोंपर साभिप्राय अनर्थ भी किया है। जैसा कि पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि पद्मनन्द पंचविशतिका २३-७ का उसने पूर्वपक्षका मिथ्या विरोध करनेके लिए जान-बूझकर विपरीत अर्थ करनेका प्रयत्न किया है और इसी तरहके प्रयत्न उसने आगे भी किये हैं जिन्हें यथास्थान प्रकाशमें लाया जायगा।

प्रश्नोत्तर २ की सामान्य समीक्षा

पूर्वपक्षका प्रश्न—जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है या नहीं? त० च० पृ० ७६।
उत्तरपक्षका उत्तर—जीवित शरीरकी क्रिया पुद्गल द्रव्यकी पर्याय होनेके कारण उनका अजीब तत्त्वमें अन्तर्भाव होता है, इसलिए वह स्वयं जीवका न तो धर्मभाव है और न अधर्मभाव ही है। त० च० पृ० ७६।

प्रश्न प्रस्तुत करनेमें पूर्वपक्षका अभिप्राय—पूर्वपक्ष जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म और अधर्म मानता है। यत उत्तरपक्ष जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म और अधर्म स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं है, अतः उसने उत्तरपक्षके समझ प्रकृत प्रश्न प्रस्तुत किया था।

जीवित शरीरकी क्रियासे पूर्वपक्षका आशय—जीवित शरीरकी क्रिया दो प्रकारकी होती है—एक तो जीवके सहयोगसे होनेवाली शरीरकी क्रिया और दूसरी शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रिया। इन दोनोंमेंसे प्रकृतमें पूर्वपक्षका शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रिया ही विचक्षित है, जीवके सहयोगसे होनेवाली शरीरकी क्रिया विचक्षित नहीं है। इसका कारण यह है कि धर्म और अधर्म ये दोनों जीवकी ही परिणतियाँ हैं और उनके मुख-दुःख रूप फलका भोक्ता भी जीव ही होता है। अतः जिस जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म और अधर्म होते हैं उसका कर्ता जीवको मानना ही युक्तिसंगत है, शरीरको नहीं।

उत्तरपक्षके नरपर विमर्श—उत्तरपक्षने प्रश्नका जो उत्तर दिया है उद्वेग उत्तरपक्षकी यह मान्यता प्राप्त होती है कि वह जीवित शरीरकी क्रियाको मात्र पुद्गलद्रव्यकी पर्याय मानकर उसका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव करके उससे आत्माने धर्म और अधर्म होनेका निषेध करता है। उत्तरपक्षकी इस मान्यतामें पूर्वपक्षकी जीवके सहयोगसे होनेवाली शरीरकी क्रियाकी अपेक्षा तो कुछ विरोध नहीं है, बरन्तु आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति पूर्वपक्ष द्वारा कारण रूपसे स्वीकृत शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाकी अपेक्षा विरोध है। यदि उत्तरपक्ष पूर्वपक्षको मान्य शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रिया रूप जीवित शरीरकी क्रियाको स्वीकार न करे या स्वीकार करके भी उसको पुद्गल द्रव्यकी पर्याय मानकर अजीव तत्त्वमें अन्तर्भूत करे तथा उससे आत्माने धर्म और अधर्मकी उत्पत्ति न माने तो उसकी इस मान्यतासे पूर्वपक्ष सहमत नहीं है, क्योंकि चरणानुयोगका समस्त प्रतिपादन इस बातकी पुष्टि करता है कि शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रिया जीवित शरीरकी क्रिया है और पुद्गल द्रव्यकी पर्याय न होनेसे अजीव तत्त्वमें अन्तर्भूत न होकर जीवकी पर्याय होनेसे जीव तत्त्वमें अन्तर्भूत होता है तथा उससे आत्माने धर्म और अधर्म उत्पन्न होते हैं।

उत्तरपक्षके समझ एक विचारणीय प्रश्न

उत्तरपक्ष यदि शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाको स्वीकार न करे या स्वीकार करके भी उसे पुद्गल द्रव्यकी पर्याय मानकर उसका अजीव तत्त्वमें अन्तर्भाव करे तथा उसको आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति कारण न माने तो उसके समझ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्माने धर्म और अधर्मकी उत्पत्तिका आधार क्या है? किन्तु पूर्वपक्षके समझ यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वह शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियाको आत्माने होनेवाले धर्म और अधर्मके प्रति कारण रूपसे आधार मानता है।

यदि उत्तरपक्ष यह कहे कि धर्म और अधर्मकी उत्पत्तिमें आत्माका पुरुषार्थ कारण है, तो वह पुरुषार्थ शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियासे भिन्न नहीं है। इसका विवेचन आगे किया जायेगा। इसके अलावा यदि वह यह कहे कि आत्माने धर्म और अधर्म आत्माकी कार्याभ्यन्तहितपूर्वक्षणवर्ती पर्यायरूप नियतिके अनुसार होते हैं तो इस प्रकारकी नियतिका निर्माण आत्माकी नित्य उपादान शक्ति (स्वाभाविक योग्यता) के आधारपर शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियारूप आत्मपुरुषार्थके बलपर ही होता है। इसका विशेष कथन प्रश्नोत्तर एककी समीक्षामें किया जा चुका है और आगे भी प्रकरणानुसार किया जायेगा।

प्रकृत विषयके मम्बन्धमे कतिपय आधारभूत सिद्धान्त

(१) धर्म और अधर्म दोनों जीवकी भाववती शक्तिके परिणामन हैं और शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रिया उसकी (जीवकी) क्रियावती शक्तिका परिणामन है। और जीवकी क्रियावती शक्तिका यह प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप क्रियापरिणाम ही उसकी भाववती शक्तिके परिणामन स्वरूप धर्म और अधर्म में स्मरण होता है।

(२) प्रकृतमें 'जीवित शरीर' पक्षके अन्तर्गत 'शरीर' शब्दसे शरीरके अंगभूत द्रव्यमन, वचन (बोलनेका स्थान मुख) और शरीर इन तीनोंका ग्रहण विवक्षित है, क्योंकि जीवकी भाववती शक्तिके परिणामनस्वरूप धर्म और अधर्ममें जीवकी क्रियावती शक्तिका प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप जो क्रियारूप परिणाम कारण होता है वह शरीरके अंगभूत द्रव्यमन, वचन (मुख) और शरीर इन तीनोंसे प्रत्येकके सहयोगसे अलग-अलग प्रकारका होता है तथा जीवकी क्रियावती शक्तिका वह क्रियापरिणाम यदि बाह्य पदार्थोंके प्रति प्रवृत्तिरूप होता है तो उसके सहयोगसे आत्माकी उस भाववती शक्तिका वह परिणामन अधर्म रूप होता है और यदि उसी क्रियावती शक्तिका वह क्रिया परिणामन बाह्य पदार्थोंके प्रति प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप होता है तो उसके सहयोगसे

आत्माकी उच्च भाववती शक्तिका वह परिणमन बर्मरूप होता है । इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

जीव द्रव्यमनके सहयोगसे शुभ-अशुभ संकल्पके रूपमें प्रवृत्तिरूप या इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप आत्म-व्यापार करता है, वचनके सहयोगसे शुभ-अशुभ बोलनेके रूपमें प्रवृत्तिरूप या इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप आत्म-व्यापार करता है और शरीरके सहयोगसे शुभ-अशुभ हलन-चलनके रूपमें प्रवृत्तिरूप या उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप आत्म-व्यापार करता है । द्रव्यमन, वचन और शरीरके सहयोगसे होनेवाला जीवका उक्त शुभ-अशुभ प्रवृत्तिरूप या उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप आत्म-व्यापारका अपर नाम आत्म-युक्त्वाय है और इसे ही जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनके रूपमें जीवकी क्रियारूप जीवित शरीरकी क्रिया कहते हैं ।

(१) जीवका संसार, शरीर और भोगके प्रति अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, भोग और संग्रह रूप पाँच पार्श्विके प्रति उक्त प्रकारका मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप आत्म-व्यापार अशुभ कहलाता है व उच्चका देवपूजा, गुरुभक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, अनुष्ठान, महाव्रत, समिति आदिके प्रति मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप आत्म-व्यापार शुभ कहलाता है । तथा उसका इन मानसिक, वाचनिक और कायिक शुभ-अशुभ प्रवृत्तिरूप आत्म-व्यापारोंसे मन, वचन और कायगुप्तियोंके रूपमें निवृत्तिरूप शुद्ध-आत्मव्यापार होता है ।

(५) शरीरके अंग-भूत द्रव्य मन, वचन और शरीरके सहयोगसे होनेवाले उक्त तीनों प्रकारके आत्म-व्यापारोंमें शुभ और अशुभ प्रवृत्तिरूप दोनों प्रकारके आत्म-व्यापारोंसे जीव यथायोग्य शुभ और अशुभ कर्मोंका बन्ध करता है व उक्त प्रकारकी प्रवृत्तिसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्तिके रूपमें निवृत्तिरूप आत्म-व्यापारोंसे जीव उन कर्मोंका संवर और निर्जरण करता है । इस तरह बद्धकर्मोंके उदयसे जीवमें भाववती शक्तिके विभाव परिणामके रूपमें अधर्मभाव प्रगट होता है तथा बंधनेवाले कर्मोंके बन्धमें रुकावटरूप संवर और बद्ध कर्मोंके उपशम, क्षय और क्षयोपशमरूप निर्जरणसे जीवमें भाववती शक्तिके स्वभावपरिणामनके रूपमें धर्मभाव प्रगट होता है ।

यहाँपर यह ज्ञातव्य है कि जब तक प्रथम गुणस्थानमें विद्यमान जीव केवल अशुभ प्रवृत्ति करता है तब तक वह यथायोग्य कर्मोंका बन्ध ही करता है । तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थानोंमें विद्यमान जीव जो अशुभ प्रवृत्तिके साथ शुभ प्रवृत्ति करते हैं वे भी यथायोग्य कर्मोंका बन्ध ही करते हैं । इतना ही नहीं, यदि कदाचित् कोई मिथ्यादृष्टि भ्रम्य या अभ्रम्य जीव आसक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा त्याग कर अशक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके साथ शुभ प्रवृत्ति करने लगा हो तो वह भी कर्मोंका बन्ध ही करता है । इसके अतिरिक्त यदि कोई मिथ्यादृष्टि भ्रम्य या अभ्रम्य जीव कदाचित् आसक्तिवश होनेवाली अशुभप्रवृत्तिके सर्वथा त्याग पूर्वक अशक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिका एकदेश या सर्वदेश त्याग कर देता है तथा यथावश्यक या किञ्चित् अनिवार्य अशक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके साथ प्रधानतया शुभ प्रवृत्ति करने लगता है तो वह भी कर्मोंका बन्ध ही करता है । लेकिन कोई बिरला मिथ्यादृष्टि भ्रम्य जीव या सम्यग्-मिथ्यादृष्टि जीव आसक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा त्यागके आघाते करणलम्बिके रूपमें आत्मोन्मुख हो जाता है तो वह यथायोग्य कर्मोंका संवर और निर्जरण भी करने लगता है व अशक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके साथ शुभ प्रवृत्ति करता हुआ कर्मोंका आसन और बन्ध भी करता है । इसी प्रकार आशक्तिवश होनेवाली अशुभप्रवृत्तिके सर्वथा त्याग पूर्वक आत्मोन्मुक्तताको प्राप्त प्रथम, तृतीय या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव यदि अशक्तिवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिका भी एक देश त्याग कर अपनी आत्मोन्मुक्ततामें वृद्धि कर लेता है तो

वह यथायोग्य कर्मके संवर और निर्जरणमे वृद्धि कर यथायोग्य रूपमें विद्यमान अशक्तितवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके साथ शुभ प्रवृत्तिके आधारपर कर्मोंका आश्रय और बन्ध करता है। इसी प्रकार आसक्तितवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा त्यागपूर्वक आत्मोन्मुखताको प्राप्त प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम गुणस्थानवर्ती जीव यदि अशक्तितवश होनेवाली प्रवृत्तिका यथायोग्य सर्वदेश त्यागकर अपनी आत्मोन्मुखतामें और भी वृद्धि कर लेता है तो वह यथायोग्य कर्मके संवर और निर्जरणमे और भी वृद्धि करके यथायोग्य रूपमे विद्यमान अशक्तितवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके साथ शुभ प्रवृत्तिके आधारपर कर्मोंका आश्रय और बन्ध करता है। इसी तरह आसक्तितवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा त्यागपूर्वक आत्मोन्मुखताको प्राप्त प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव यदि अशक्तितवश होनेवाली अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा त्यागकर अपनी आत्मोन्मुखतामें और भी वृद्धि कर लेता है तो वह यथायोग्य कर्मके संवर और निर्जरणमे और भी वृद्धि करके क्रमशः सप्तम, अष्टम, नवम और दशम गुणस्थानोंमे पहुँचकर केवल आभ्यन्तर शुभ प्रवृत्तिके आधारपर कर्मोंका आश्रय और बन्ध करता है। इसी तरह ऐसा दशम गुणस्थानवर्ती जीव अन्तमें अपनी शुभ पुरुषार्थरूप प्रवृत्तिको भी समाप्त कर यथायोग्य आत्मोन्मुखताकी पूर्णताको प्राप्त होकर संवर और निर्जरणमे वृद्धि कर एकादश या द्वादश गुणस्थानमे और द्वादश गुणस्थानके पश्चात् त्रयोदश गुणस्थानमें केवल मानसिक, वाचनिक और कायिक योगप्रवृत्तिके आधारपर मात्र सातावेदनीय कर्मका केवल प्रकृति और प्रदेश बन्धके रूपमें आश्रय और बन्ध करने लग जाता है और त्रयोदश गुणस्थानवर्ती जीवकी जब उक्त योगप्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है तो वह चतुर्दश गुणस्थानके प्रारम्भमें पूर्ण संवरको प्राप्त कर तथा अन्त मयमें शेष विद्यमान अशक्तितवश कर्मोंका भी क्षयके रूपमे पूर्ण निर्जरण करके नोकर्मसे सर्वथा सम्बन्ध समाप्त कर मित्र पदवीको प्राप्त हो जाता है।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप शुभ-अशुभ प्रवृत्तिरूप जीवित-शरीरकी क्रियाके आधारसे अपनी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप विभावरूप अधर्मभावको प्राप्त होता है और अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप शुभ-अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप जीवित शरीरकी क्रियाके आधारसे वह अपनी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप स्वभावरूप धर्मभावको प्राप्त होता है।

इस विवेचनके आधारसे उत्तरपक्ष यदि कदाचित् प्रकृत विषय सम्बन्धी आगमके अभिप्रायकी समझनेकी चेष्टा करे, तो मुझे विश्वास है कि वह पूर्वपक्षकी इस मान्यताको नियमसे स्वीकार कर लेगा कि शरीरके सहयोगसे होनेवाली जीवकी क्रियारूप जीवित शरीरकी क्रियासे आत्मामें धर्म-अधर्म होता है।

प्रश्नोत्तर ३ की सामान्य समीक्षा

पूर्वपक्षका प्रश्न—जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है क्या ?—त० ब० पृ० ९३।

उत्तरपक्षका उत्तर—(क) इस प्रश्नमें यदि “धर्म” पदका अर्थ पुण्यभाव है तो जीवदयाको पुण्यभाव मानना मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि जीवदयाकी परिणामना शुभपरिणामोंमें की गई है और शुभ परिणामको आगममें पुण्यभाव माना है।—त० ब० पृ० ९३।

(ख) यदि इस प्रश्नमें “धर्म” पदका अर्थ वीतराग परिणति लिया जाये तो जीवदयाको धर्म मानना मिथ्यात्व है, क्योंकि जीवदया पुण्यभाव होनेके कारण उसका आश्रय और बन्धनत्वमें अन्तर्भाव होता है, संवर और निर्जरा तत्त्वमें अन्तर्भाव नहीं होता।—त० ब० पृ० ९३।

जीवदयाके प्रकार

(१) जीवदयाका एक प्रकार पुण्यभाव रूप है। इसे आगमके आधारपर उत्तरपक्षके समान पूर्वपक्ष

भी मानता है तथा उत्तरपक्षके समान पूर्वपक्ष यह भी मानता है कि पुण्यभाव रूप होनेके कारण उसका अन्तर्भाव आत्मत्व और बन्धनत्वमें होता है मगर और निर्जरामें अन्तर्भाव नहीं होता। इसके सम्बन्धमें दोनों पक्षोंमें इतना मतभेद अवश्य है कि जहाँ पूर्वपक्ष पुण्यभाव रूप जीवदयाको व्यवहारधर्म रूप जीव दयाकी उत्पत्तिमें कारण मानता है वहाँ उत्तरपक्ष इस बातको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं है। पुण्यभाव रूप जीवदया व्यवहारधर्म रूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारण होती है, इस बातको आगे स्पष्ट किया जायेगा।

(२) जीवदयाका दूसरा प्रकार जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप है। इसकी पुष्टि पूर्वपक्षने अपने द्वितीय और तृतीय दीरोमें धबल पुस्तक १३ के पृष्ठ ३६२ पर निदिष्ट निम्न वचनके आधार-पर की है—

“करुणाए जीवसहायस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो”

अर्थ—करुणा जीवका स्वभाव है अतः इसके कर्मजनित होनेका विरोध है।

यद्यपि धबलके इस वचनमें जीवदयाको जीवका स्वतन्त्र स्वभाव बतलाया है, परन्तु जीवके स्वतन्त्र स्वभावभूत वह जीवदया अनादिकालसे मोहनीय कर्मकी क्रोध प्रकृतियोंके उदयसे विकृत रहती आई है, अतः मोहनीय कर्मकी उन क्रोध प्रकृतियोंके यथास्थान यथायोग्य रूपमें होनेवाले उपशम, अथवा अयोग्यमसे तब वह शुद्ध रूपमें विकारको प्राप्त होती है तब उसे निश्चयधर्मरूपता प्राप्त हो जाती है। इसका अन्तर्भाव आत्मत्व और बन्धनत्वमें नहीं होता, क्योंकि जीवके शुद्धस्वभावभूत होनेके कारण वह कर्मके आत्मत्व और बन्धनका कारण नहीं होती है। तथा इसका अन्तर्भाव सवर और निर्जरा तत्त्वमें भी नहीं होता, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही मंत्र और निर्जरापूर्वक होती है।

(३) जीवदयाका तीसरा प्रकार अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली दयारूप शुभ प्रवृत्तिके रूपमें व्यवहारधर्मरूप है। इसका समर्थन पूर्वपक्षने अपने द्वितीय और तृतीय दीरोमें आगम प्रमाणोंके आधारपर किया है। इसका अन्तर्भाव अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप होनेके आधारपर सवर और निर्जराका कारण होनेसे मंत्र और निर्जरा तत्त्वमें होता है व दयारूप पुण्यप्रवृत्तिरूप होनेके आधारपर आत्मत्व और बन्धनका कारण होनेसे आत्मत्व और बन्धनत्वमें भी होता है। कर्मके सवर और निर्जरणमें कारण होनेसे यह व्यवहारधर्मरूप जीवदया जीवके शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारण सिद्ध होती है।

पुण्यभूत दयाका विशेष स्पष्टीकरण

भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जाव सतत विपरोताभिनिवेश और मिथ्याज्ञानपूर्वक आसक्तिवश अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्ति करते रहते हैं। तथा कदाचित् संसारिक स्वार्थवश दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति भी किया करते हैं। ये जीव यदि कदाचित् अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिके साथ सम्यक् अभिनिवेश और सम्यग्ज्ञानपूर्वक कर्तव्यवश दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं तो उनके अन्तःकरणमें उस अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे धुणा उत्पन्न हो जाती है और तब वे उस अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे संबंधा निवृत्त हो जाते हैं। इस तरह वह पुण्यभावरूप जीवदया अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे संबंधा निवृत्तिपूर्वक होनेवाली दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहार धर्मकी उत्पत्तिमें कारण सिद्ध होती है।

निश्चयधर्मरूप जीवदयाका विशेष स्पष्टीकरण

निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्ति भव्य जीवमे ही होती है, अभव्य जीवमे नहीं। तथा उस भव्य-जीवमें उसकी उत्पत्ति मोहनीय कर्मके भेद अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन-रूप कषायोंकी क्रोध प्रकृतियोंका यथास्थान यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर शुद्ध स्वभावके रूपमें उत्तरोत्तर प्रकर्षको लेकर होती है। इसकी प्रतिक्रिया निम्न प्रकार है :—

(क) अभव्य और भव्य दोनों प्रकारके जीवोंकी भाववती शक्तिका अनादिकालसे अनन्तानुबन्धी भादि उक्त चारों कषायोंकी क्रोध प्रकृतियोंके सामूहिक उदयपूर्वक अवयारूप विभावपरिणमन होता आया है। दोनों प्रकारके जीवोंमें उस अदयारूप विभावपरिणमनकी समाप्तमें कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोष्य लम्बियोंके विकासकी योग्यता स्वभावतः विद्यमान है। भव्य जीवोंमें तो उस अदयारूप विभाव परिणमनकी समाप्तमें अनिवार्यकारणभूत आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिके विकासकी योग्यता भी स्वभावतः विद्यमान है। इस तरह जिस भव्य जीवमे जब क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोष्य लम्बियोंका विकास हो जानेपर उक्त करणलम्बिका भी विकास हो जाता है तब सर्वप्रथम उस करणलम्बिके बलसे उस भव्य जीवमे मोहनीय कर्मके भेद दर्शनमोहनीय कर्मकी यथासम्भवरूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्मार्गमिथ्यात्व और सम्यक्-प्रकृतिरूप तीन प्रकृतियोंका व चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियोंके साथ क्रोध प्रकृतिका भी यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर क्षुब्ध गुणस्थानके प्रथम समयमें उसको उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें एक प्रकारकी जीवदयारूप परिणमन होता है।

(ख) इसके पश्चात् उस भव्य जीवमें यदि उस आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिका विशेष उत्कर्ष हो जावे तो उसके बलसे उसमें चारित्रमोहनीय कर्मके द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियोंके साथ क्रोध प्रकृतिका भी क्षयोपशम होनेपर पञ्चगुणस्थानके प्रथम समयमें उसकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें दूसरे प्रकारकी जीवदयारूप परिणमन होता है।

(ग) इसके भी पश्चात् उस भव्य जीवमें यदि आत्मोन्मुखता रूप करणलम्बिका और विशेष उत्कर्ष हो जावे तो उसके बलसे उसमें चारित्रमोहनीयकर्मके तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण कषायकी नियमसे विद्यमान मान, माया और लोभ प्रकृतियोंके साथ क्रोध प्रकृतिका भी क्षयोपशम होनेपर सप्तम गुणस्थानके प्रथम समयमें उसकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें तीसरे प्रकारकी जीवदयारूप परिणमन होता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सप्तम गुणस्थानको प्राप्त जीव सतत सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम दोनों गुणस्थानोंमें अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरालसे झूलेकी तरह झूलता रहता है।

(घ) उक्त प्रकार सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम दोनों गुणस्थानोंमें झूलेते हुये उस जीवमें यदि सप्तमगुणस्थानसे पूर्व ही दर्शनमोहनीय कर्मकी उक्त तीन और चारित्रमोहनीय कर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी उक्त चार इन सप्त प्रकृतियोंका उपशम या क्षय हो चुका हो अथवा सप्तम गुणस्थानमें ही उनका उपशम या क्षय हो जावे तो उसके पश्चात् वह जीव उस आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिका सप्तम, अष्टम और नवम गुणस्थानोंमें क्रमशः अक्षयकरण, अपूर्वकरण और अनिबृत्तिकरणके रूपमें और भी विशेष उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है और तब नवम गुणस्थानमें ही उस जीवमे चारित्रमोहनीय कर्मके उक्त द्वितीय और तृतीय भेदरूप अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषायोंकी क्रोध प्रकृतियोंके साथ चारित्रमोहनीयकर्मके ही क्षुब्ध

भेद संज्वलन कषायकी क्रोध प्रकृतिका भी उपशम या क्षय होनेपर उस जीवकी उस भाववती शक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मके रूपमें चौथे प्रकारकी जीवदयारूप परिणमन होता है ।

इस विवेचनका तात्पर्य यह है कि यद्यपि भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवोंकी भाववती शक्तिका अनाविकालसे चारित्र्यभोहनीयकर्मके भेद अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषायोंकी क्रोध प्रकृतियोंके सामूहिक उदयपूर्वक अदयारूप विभावपरिणमन होता है, परन्तु जब जिस भव्य जीवकी उस भाववती शक्तिका वह अदयारूप विभावपरिणमन यथास्थान उस-उस क्रोध प्रकृतिका यथासम्भव उपशम, क्षय या क्षयोपशम होनेपर यथायोग्यरूपमें समाप्त होता जाता है तब उसके बलसे उस जीवकी उस भाववतीशक्तिका उत्तरोत्तर विशेषता लिये हुये शुद्ध स्वभावरूप निश्चयधर्मके रूपमें दयारूप परिणमन भी होता जाता है । इतना अवश्य है कि उन उन क्रोध प्रकृतियोंका यथास्थान यथायोग्यरूपमें होनेवाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम उस भव्य जीवमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लम्बियोंके विकासपूर्वक आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिका विकास होनेपर ही होता है ।

व्यवहारधर्मरूप जीवदयाका विशेष स्पष्टीकरण

भव्य जीवमें उपर्युक्त पाँचों लम्बियोंका विकास तब होता है जब वह जीव अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तियोंको क्रियावती शक्तिके ही परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तियोंसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें सर्वथा निवृत्तिपूर्वक करने लगता है । इन अदयारूप संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तियोंसे सर्वथा निवृत्तिपूर्वककी जानेवाली दयारूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिका नाम ही व्यवहारधर्मरूप दया है । इस तरह यह निर्णय है कि जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमन स्वरूप व्यवहारधर्मरूप जीवदयाके बलपर ही भव्य जीवमें भाववती शक्तिके परिणमन स्वरूप निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारणभूत क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलम्बियोंका विकास होता है । इस तरह निश्चयधर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें व्यवहारधर्मरूप जीवदया कारण सिद्ध होती है ।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि कोई-कोई अभव्य जीव भी इस व्यवहारधर्मरूप दयाको अंगीकार करके अपनेमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य लम्बियोंका विकास कर लेता है । इतना अवश्य है कि उसकी स्वभावभूत अभव्यताके कारण उसमें आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिका विकास नहीं होता है । इस तरह उसमें भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मरूप जीवदयाका विकास भी नहीं होता है । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि भव्य जीवमें उक्त क्रोध प्रकृतियोंका यथासम्भव रूपमें होनेवाला वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम यद्यपि आत्मोन्मुखतारूप करणलम्बिका विकास होनेपर ही होता है, परन्तु उसमें उस करणलम्बिका विकास क्रमशः क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य इन चारों लम्बियोंका विकास होनेपर ही होता है । अतः इन चारों लम्बियोंको भी उक्त क्रोध प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें कारण माना गया है ।

जीवकी भाववती और क्रियावती शक्तियोंके सामान्य परिणमनोंका विवेचन

जीवकी भाववती और क्रियावती दोनों शक्तियोंको प्रश्नोत्तर २ की समीक्षामें उसके स्वतःसिद्ध स्वभावके रूपमें बतलाया गया है । इनमेंसे भाववतीशक्तिके परिणमन एक प्रकारसे तो मोहनीयकर्मके उदय-ममें विभावरूप व उसके उपशम, क्षय या क्षयोपशममें शुद्ध स्वभावरूप होते हैं व दूसरे प्रकारसे हृदयके सहारे-पर तत्त्वध्वानरूप या अतस्त्वध्वानरूप और मस्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानरूप या अतस्त्वज्ञानरूप होते हैं ।

एवं क्रियावती शक्तिके परिणमन संसारावस्थामें एक प्रकारसे तो मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ और पापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं। दूसरे प्रकारसे पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें निवृत्तिपूर्वक मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप होते हैं और तीसरे प्रकारसे सक्रिय मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणाके सहारेपर पुण्यरूपता और पापरूपतासे रहित आत्मक्रियाके रूपमें होने हैं। इनके अतिरिक्त संसारका विच्छेद हो जानेपर जीवकी क्रियावती शक्तिका चौथे प्रकारसे जो परिणमन होता है वह स्वभावतः उर्ध्वगमनरूप होता है। जीवकी क्रियावती शक्तिके इन चारों प्रकारसे होनेवाले परिणमनमेंसे पहले प्रकारके परिणमन कर्मोंके आस्रवपूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकारके बन्धमें कारण होते हैं। दूसरे प्रकारके परिणमन पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप होनेसे भव्यजीवमें यथायोग्य कर्मोंके संबन्धपूर्वक निर्जरणमें कारण होते हैं व पुण्यरूप शुभ प्रवृत्तिरूप होनेसे यथायोग्य कर्मोंके आस्रवपूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभागरूप चारों प्रकारके बन्धमें कारण होते हैं। तीसरे प्रकारके परिणमन पुण्यरूपता और पापरूपतासे रहित होनेसे केवल सातावेदनीय कर्मोंके आस्रवपूर्वक प्रकृति तथा प्रदेश बन्धमें कारण होते हैं और चौथे प्रकारका परिणमन केवल आत्माश्रित होनेसे कर्मोंके आस्रव और बन्धमें कारण नहीं होता है और कर्मोंके सबर और निर्जरणपूर्वक उन कर्मोंका सर्वथा अभाव हो जानेपर होनेसे उसके कर्मोंके संबन्ध और निर्जरणका कारण होनेका तो प्रश्न ही नहीं रहता है।

जीवकी क्रियावती शक्तिके प्रवृत्तिरूप परिणमनोका विश्लेषण

जीवकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर अतत्त्वश्रद्धानमप व मन्तिष्कके सहारेपर अतत्त्वज्ञानरूप जो परिणमन होते हैं उनसे प्रभावित होकर जीवकी क्रियावती शक्तिके आसक्तिवशात् मानसिक, वाचनिक और कायिक मन्तली पापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं। एव कदाचित् ममार्गिक स्वार्थवश पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन भी होते हैं। इसी तरह जीवकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर तत्त्वश्रद्धानरूप और मन्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानरूप जो परिणमन होते हैं उनसे प्रभावित होकर जीवकी क्रियावती शक्तिके एक तो अशक्तितवशात् मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भी पापमय अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन होते हैं और दूसरे कर्तव्यवशात् मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय शुभप्रवृत्तिरूप परिणमन होने हैं।

ससारी जीव आसक्ति, मोह, भ्रमता तथा राग और द्वेषके वशीभूत होकर मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप जो लोकविरुद्ध हिंसा, झूठ, चोरी तथा पदार्थोंके अनावश्यक भोग और संग्रह रूप क्रियायें सतत करता रहता है वे सभी क्रियायें सकल्पी पाप कहलाती हैं। इनमें सभी तरहकी स्वपरहितविघातक क्रियायें अन्तर्भूत होती हैं।

मंसारी जीव अशक्ति, मजबूरी आदि अनिवार्य परिस्थितियोंवशात् मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्तिरूप जो लोकमन्मत हिंसा, झूठ, चोरी तथा आवश्यक भोग और संग्रहरूप क्रियायें करता है वे सभी क्रियायें आरम्भी पाप कहलाती हैं। इनमें जीवका संचालन, कुटुम्बका भरण-पोषण तथा धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र और लोकका संरक्षण आदि उपयोगी कार्योंको सम्पन्न करनेके लिये नीतिपूर्वक की जानेवाली असि, मणि, कृषि, सेवा, शिल्प, वाणिज्य तथा अनिवार्य भोग और संग्रहरूप क्रियायें अन्तर्भूत होती हैं।

संसारी जीव जितनी परहितकारी मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियायें करता है वे सभी क्रियायें पुण्य कहलाती हैं। इस प्रकारकी पुण्यरूप क्रियायें दो प्रकारकी होती हैं—एक तो सासारिक स्वार्थवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया और दूसरी कर्तव्यवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया। इनमेंसे कर्तव्यवशाकी जानेवाली पुण्यरूप क्रिया ही वास्तविक पुण्यक्रिया है। ऐसी पुण्यक्रियासे ही परोपकार की सिद्धि होती है। इसके

अतिरिक्त वीतरामी देवकी आराधना, वीतरागताके पीथक शास्त्रोंका पठन-पाठन, चिन्तन और मनन व वीतरागताके भागपर आरूढ़ गुरुओंकी सेवा-भक्ति तथा स्वावलम्बन शक्तिको जागृत करनेवाले व्रताचरण और तपश्चरण आदि भी पुण्यक्रियाओंमें अन्तर्भूत होते हैं।

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि उक्त आरम्भी पाप भी यदि आसक्ति आदिके बधीभूत होकर किये जाते हैं तथा पुण्य भी यदि अहंकार आदिके बधीभूत होकर किये जाते हैं तो उन्हें सकल्पी पाप ही जानना चाहिए।

संसारी जीवकी क्रियावती शक्तिके दया और अदया रूप परिणमनोंका विवेचन

उपर स्पष्ट किया जा चुका है कि जीवकी भाववती शक्तिका चारित्रमोहनीय कर्मके भेद अनन्तानुबन्धी आदि चारो कषायोकी क्रोध प्रकृतियोंके उदयमें अदयारूप विभाव परिणमन होता है व उन्हीं क्रोधप्रकृतियोंके यथास्थान यथासम्भव रूपमें होनेवाले उपशम, क्षय या क्षयोपशममें दयारूप स्वभाव परिणमन होता है। यहाँ जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक परिणमनोंके विषयमें यह बतलाना है कि जीव द्वारा परहितकी भावनासे की जानेवाली क्रियाये पुण्यके रूपमें दया कहलाती है और जीव द्वारा परके अहितकी भावनासे की जानेवाली क्रियायें संकल्पी पापके रूपमें अदया कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त जीवकी जिन क्रियाओंमें परके अहितकी भावना प्रेरक न होकर केवल स्वहितकी भावना प्रेरक हो, परन्तु जिनसे परका अहित होना निश्चित हो व क्रियाये आरम्भी पापके रूपमें अदया कहलाती हैं। जैसे एक व्यक्ति द्वारा अनीतिपूर्वक दूसरे व्यक्तिपर आक्रमण करना मकल्पी पापरूप अदया है। परन्तु उस दूसरे व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षाके लिये उस आक्रमण व्यक्तिपर प्रत्याक्रमण करना आरम्भी पापरूप अदया है।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जीवकी पुण्यमय क्रिया सकल्पी पापमय क्रियाके साथ भी सम्भव है और आरम्भी पापमय क्रियाके साथ भी सम्भव है, परन्तु मकल्पी और आरम्भी दोनों पापरूप क्रियाओंमें जीवकी प्रवृत्ति एक साथ नहीं हो सकती है क्योंकि सकल्पी पापरूप क्रियाओंके साथ जो आरम्भी पापरूप क्रियायें देखनेमें आती हैं उन्हें वास्तवमें मकल्पी पापरूप क्रियाये ही मानना युक्तिमगत है। इस तरह मकल्पी पापरूप क्रियाओंके सर्वथा त्यागपूर्वक जो आरम्भी पापरूप क्रियाये की जाती हैं उन्हें ही वास्तविक आरम्भी पापरूप क्रियाये समझना चाहिए।

व्यवहार धर्मरूप दयाका विश्लेषण और कार्य

उपर बतलाया जा चुका है कि जीव द्वारा मानसिक, वाचनिक और कायिक मकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंके साथ परहितकी भावनासे की जानेवाली मानसिक, वाचनिक और कायिक शुभ क्रियायें पुण्यके रूपमें दया कहलाती हैं और वे कर्मोंके आसन्न और बन्धका कारण होती हैं। परन्तु भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवों द्वारा कम-से-कम मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पी पापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंसे मनोगुप्ति, बन्धनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें होनेवाली सर्वथा निवृत्तिपूर्वक जो मानसिक, वाचनिक और कायिक दयाके रूपमें पुण्यमय शुभ क्रियायें की जाने लगती हैं वे क्रियायें ही व्यवहारधर्मरूप दया कहलाती हैं। इसमें हेतु यह है कि उक्त मकल्पी पापमय अदयारूप अशुभ क्रियाओंसे निवृत्तिपूर्वक की जानेवाली पुण्यभूत दया भव्य और अभव्य दोनों प्रकारके जीवोंमें क्षयोपशम, विद्युद्धि, दशना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासका कारण होती है तथा भव्य जीवमें तो वह इन लब्धियोंके विकासके साथ आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिके विकासका भी कारण होती है जो करणलब्धि प्रथमतः मोहनीयकर्मके भेद दर्शनमाहर्तय कर्मकी यथासंभव रूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्यगभिध्यात्व और सम्यक्कृतिरूप तीन व मोहनीयकर्मके भेद चारित्र-

मोहनीयकर्मकी अनन्तानुबन्धी कथायरूप क्रोध, भय, माया और लोभरूप चार इस तरह सात प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, अथ या क्षयोपशममें कारण होती है। इस तरह उक्त व्यवहारधर्मरूप दया भव्यजीवमें कर्मके संवर और निर्जरणमें कारण मिद्ध होती है। इतनी बात अवश्य है कि भव्यजीवकी उस व्यवहारधर्मरूप दयामें जितना पुण्यमय दयारूप प्रवृत्तिका अंग विद्यमान रहता है वह तो कर्मके आलव और बन्धका ही कारण होता है तथा उम व्यवहारधर्मरूप दयाका संकल्पोपापमय अवधारण्य प्रवृत्तिसे होनेवाली सर्वथा निवृत्तिका अंश कर्मके संवर और निर्जरणका कारण होता है। द्रव्यसंग्रह ग्रन्थकी गाथा ४५ में जो व्यवहारधारणका लक्षण निर्धारित किया गया है उसके आधारपर व्यवहारधर्मरूप दयाका स्वरूप स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाता है। वह गाथा निम्न प्रकार है—

असुहादो विणिविती सुहे पविती य जाण चारित्तं ।

वदसमिदिगुत्ति ख्वं ववहारणया दु जिणभणियं ॥४५॥

अर्थ—अशुभसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली शुभमें प्रवृत्तिको जिन भगवानने व्यवहारधारण कहा है। ऐसा व्यवहारधारण व्रत, समिति और गुप्तिरूप होता है।

इस गाथामें व्रत, समिति और गुप्तिको व्यवहारधारण कहनेमें हेतु यह है कि इनमें अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिका रूप पाया जाता है। इस तरह इस गाथासे निर्णीत हो जाता है कि जीव पुण्यरूप जीवदयाको जब तक पापरूप अदयाके साथ करता है तब तक तो उस दयाका अन्तर्भाव पुण्यरूप दयामें होता है और वह जीव उक्त पुण्यरूप जीवदयाको जब पापरूप अदयासे निवृत्तिपूर्वक करने लग जाता है तब वह पुण्यभूत दया व्यवहारधर्मका रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इस दयासे जहाँ एक ओर पुण्य-प्रवृत्तिरूपताके आधारपर कर्मोंका आलव और बन्ध होना है वहाँ दूसरी ओर उस दयासे पापप्रवृत्तिसे निवृत्तिरूपताके आधारपर भव्य जीवमें कर्मोंका संवर और निर्जरण भी हुआ करता है। व्यवहारधर्मरूप दयासे कर्मोंका संवर और निर्जरण होता है इसकी पुष्टि आचार्य वीरसेनके द्वारा जयधवलके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निर्दिष्ट निम्न वचनसे होती है—

“सुह-सुद्धपरिणामेहि कम्मवस्सयाभावे तक्खयाणुववत्तीदो”

अर्थ—शुभ और सुद्धके रूपमें मिश्रित परिणामसे यदि कर्मक्षय नहीं होता हो तो कर्मक्षयका होना असंभव हो आयेगा।

आचार्य वीरसेनके वचनमें “सुह-सुद्धपरिणामेहि” पदका ग्राह्य अर्थ

आचार्य वीरसेनके उक्त वचनके “सुह-सुद्धपरिणामेहि” पदमें ‘सुह’ और ‘सुद्ध’ दो शब्द विद्यमान हैं। इनमेंसे ‘सुह’ शब्दका अर्थ भग्य जीवकी क्रियावती शक्तिने प्रवृत्तिरूप शुभ परिणमनके रूपमें और ‘सुद्ध’ शब्दका अर्थ उस भव्य जीवकी क्रियावती शक्तिने अशुभसे निवृत्तिरूप सुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना ही युक्त है। ‘सुह’ शब्दका अर्थ जीवकी भाववती शक्तिके पुण्यकर्मके उदय होनेवाले शुभ परिणामके रूपमें और ‘सुद्ध’ शब्दका अर्थ उस जीवकी भाववती शक्तिके मोहनीयकर्मके यथायोग्य उपशम, अथ या क्षयोपशममें होनेवाले सुद्ध परिणमनके रूपमें ग्रहण करना युक्त नहीं है। आगे इसी बातको स्पष्ट किया जाता है—

जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक शुभ और अशुभ प्रवृत्तिरूप परिणमन कर्मके आलव और बन्धके कारण होते हैं और उसी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक उस

प्रवृत्तिरूप परिणमनसि मनोमुक्ति, वचनमुक्ति और कायमुक्तिके रूपमें निवृत्तिरूप शुद्ध परिणमन भव्य जीवमें कर्मोंके संवर और निर्जरणके कारण होते हैं। जीवकी भाववती शक्तिके न तो शुभ और अशुभ परिणमन कर्मोंके आस्रव और बन्धके कारण होते हैं और न ही उसके शुद्ध परिणमन कर्मोंके संवर और निर्जरणके कारण होते हैं। इसमें यह हेतु है कि जीवकी क्रियावती शक्तिका मन, वचन और कायके सहयोगसे जो क्रियारूप परिणमन होता है उसे योग कहते हैं—("कायवाङ्मनः कर्मयोगः" त० सू० ६-१)। यह योग यदि जीवकी भाववती शक्तिके पूर्वोक्त तत्त्वप्रज्ञान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणमनसे प्रभावित हो तो उसे शुभ योग कहते हैं और वह योग यदि जीवकी भाववती शक्तिके पूर्वोक्त अतत्त्वप्रज्ञान और अतत्त्वज्ञान रूप अशुद्ध परिणमनसे प्रभावित हो तो उसे अशुभ योग कहते हैं। (शुभपरिणामनिवृत्तो योग शुभः। अशुभपरिणामनिवृत्तो योगः अशुभः—सर्वाथसिद्धि ६-३)। यह योग ही कर्मोंका आस्रव अर्थात् बन्धका द्वार कहलाता है—("स आस्रवः" त० सू० ६-२)। इस तरह जीवकी क्रियावती शक्तिका शुभ और अशुभ योगरूप परिणमन ही कर्मोंके आस्रवपूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप बन्धका कारण सिद्ध होता है।

यद्यपि योगकी शुभरूपता और अशुभरूपताका कारण होनेसे जीवकी भाववती शक्तिके तत्त्वप्रज्ञान और तत्त्वज्ञान रूप शुभ परिणमनोंको व अतत्त्वप्रज्ञान और अतत्त्वज्ञान रूप अशुभ परिणमनोंको भी कर्मोंके आस्रवपूर्वक बन्धका कारण मानना अयुक्त नहीं है। परन्तु कर्मोंके आस्रव और बन्धका साक्षात् कारण तो योग ही निश्चित होता है। जैसे कोई डाक्टर बीपीमें रखी हुई तेजाबको भ्रमवश आँसुकी दवाई समझ रहा है तो भी तबतक वह तेजाब रोगीकी आँसुको हानि नहीं पहुँचाती है जब तक वह डाक्टर उम तेजाबको रोगीकी आँसुमें नहीं डालता है और जब डाक्टर उस तेजाबको रोगीकी आँसुमें डालता है तो तत्काल वह तेजाब रोगीकी आँसुको हानि पहुँचा देती है। इसी तरह आँसुकी दवाईको आँसुकी दवाई समझकर भी जब तक डाक्टर उसे रोगीकी आँसुमें नहीं डालता है तब तक वह दवाई उस रोगीकी आँसुको लाभ नहीं पहुँचाती है। परन्तु जब डाक्टर उस दवाईको रोगीकी आँसुमें डालता है तो तत्काल वह दवाई रोगीकी आँसुको लाभ पहुँचा देती है। इससे निर्णीत होता है कि जीवकी क्रियावती शक्तिका शुभ और अशुभ योगरूप परिणमन जो आस्रव और बन्धका कारण होता है। इतना अवश्य है कि जीवकी भाववती शक्तिका हृदयके सहारेपर होनेवाला तत्त्वप्रज्ञान रूप शुभ परिणमन या अतत्त्वप्रज्ञानरूप अशुभ परिणमन व जीवकी भाववती शक्तिका मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला तत्त्वज्ञानरूप शुभपरिणमन या अतत्त्वज्ञानरूप अशुभ परिणमन भी योगकी शुभरूपता और अशुभरूपताके कारण होनेसे परम्परया आस्रव और बन्धके कारण माने जा सकते हैं। परन्तु आस्रव और बन्धके साक्षात् कारण तो योग ही होता है।

इसी प्रकार जीवकी क्रियावती शक्तिके योगरूप परिणमनके निरोधको ही कर्मोंके संवर और निर्जरणमें कारण मानना युक्त है—("आस्रवनिरोधः संवरः" त० सू० ९-१) जीवकी भाववती शक्तिके मोहनीय कर्मोंके यथासम्भव उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले स्वभावभूत शुद्ध परिणमनोंको संवर और निर्जराका कारण मानना युक्त नहीं है, क्योंकि भाववती शक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमन मोहनीयकर्मोंके यथासम्भव उपशम, क्षय या क्षयोपशमपूर्वक होनेके कारण संवर और निर्जराके कार्य होनेसे कर्मोंके संवर और निर्जरणमें कारण सिद्ध नहीं होते हैं। एक बात और है कि जब जीवकी क्रियावती शक्तिके योगरूप परिणमनोंसे कर्मोंका आस्रव होता है तो कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण योगनिरोधको ही मानना युक्त है। यही कारण है कि जिस जीवमें गुणस्थानक्रमसे जितना-जितना योगका निरोध होता जाता है उस जीवमें वहाँ उतना-उतना कर्मोंका संवर नियमसे होता जाता है तथा जब योगका पूर्ण निरोध हो जाता है तब कर्मोंका संवर भी पूर्णरूप से हो जाता है। कर्मोंका संवर होनेपर बद्ध कर्मोंकी निर्जरा या तो निषेक रचनाके अनुसार सविपाक रूपमें

होती है अथवा "तपसा निर्जरा च" (त० सू० ९-३) के अनुसार क्रियावती शक्तिके परिणामनस्वरूप तपके बलपर अधिपाक रूपमें भी होती है। इसके अतिरिक्त यदि जीवकी भाववती शक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनोंको संवर और निर्जराका कारण स्वीकार किया जाता है तो जब द्वादश गुणस्थानके प्रथम ममयमें ही भाववती शक्तिके स्वभावभूत परिणमनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाता है तो एक नो द्वादश और त्रयोदश गुणस्थानोंमें मातावेवनीय कर्मका आस्रवपूर्वक प्रकृति और प्रवेशरूपमें बन्ध नहीं होना चाहिए। दूसरे द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें ही भाववती शक्तिके स्वभावभूत परिणमनकी शुद्धताका पूर्ण विकास हो जाने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिकर्मोंका तथा चारों अघातिकर्मोंका मर्बया सय हो जाना चाहिये। परन्तु जब ऐसा नहीं होता है तो यही स्वीकार करना पडता है कि वहाँ आस्रव और बन्धका मूल कारण योग है व विद्यमान ज्ञानावरणादि उक्त तीनों घातिकर्मोंकी एव चारों अघातिकर्मोंकी निर्जरा निवैकक्रमसे ही होती है। त्रयोदश गुणस्थानमें केवली भगवान अघातिकर्मोंकी समान स्थितिका निर्माण करनेके लिए जो समुद्यत्त करते हैं वह भी उनकी क्रियावती शक्तिका ही कायिक परिणमन है।

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जयघबलाके मंगलाचरणकी व्याख्यामें निदिष्ट आचार्य वीरसेनके उपर्युक्त वचनके अगभूत "सुह-सुदपरिणामेहि" पदमें आये 'सुह' शब्दसे जीवकी क्रियावती शक्तिके अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप परिणमनोंका अभिप्राय ग्रहण करना ही संगत है। भाववती शक्तिके तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ व मोहनीय कर्मके यथास्थान यथाद्योग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाले स्वभावभूत शुद्ध परिणमनोंका अभिप्राय ग्रहण करना संगत नहीं है।

यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि जयघबलाके उक्त वचनके 'सुह-सुदपरिणामेहि' पदके अन्तगत "सुद" शब्दका अर्थ यदि जीवकी भाववती शक्तिके मोहनीय कर्मके यथासम्भव उपशम, क्षय या क्षयोपशममें विकासको प्राप्त शुद्ध परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मके रूपमें स्वीकार किया जाये तो उस पदके अन्तगत "सुह" शब्दका अर्थ पूर्वोक्त प्रकार जीवकी भाववतीशक्तिके तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप शुभ परिणमनके रूपमें तो स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जीवकी भाववती शक्तिके तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानरूप वे परिणमन पूर्वोक्त प्रकार न तो कर्मोंके आस्रव और बन्धके साक्षात् कारण होते हैं और न ही बन्ध कर्मोंके संवर और निर्जरणके ही साक्षात् कारण होते हैं। इसलिए उस "सुह" शब्दका अर्थ यदि जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें स्वीकार किया जाये तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति तो कर्मोंके आस्रव और बन्धका ही कारण होती है। अतः उस "सुह" शब्दका अर्थ जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन प्रकारके व्यवहारधर्मके पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिरूप अंशसे जहाँ कर्मोंका आस्रव और बन्ध होता है वही उसके पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप अंशसे कर्मोंका संवर और निर्जरण भी होता है। परन्तु ऐसा स्वीकार कर लेनेपर भी जीवकी भाववती शक्तिके स्वभावभूत निश्चयधर्मरूप परिणमनको पूर्वोक्त प्रकार कर्मोंके संवर और निर्जरणका कारण सिद्ध न होनेसे वहाँ "सुद" शब्दका अर्थ कदापि नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार जयघबलाके "सुह-सुदपरिणामेहि" पदके अन्तगत "सुद" शब्दके निरर्थक होनेका प्रमंग उपस्थित हो जायेगा। अतः उक्त "सुह-सुदपरिणामेहि" इस सम्पूर्ण पदका अर्थ जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप पापमय अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक पुण्यमय शुभ प्रवृत्तिके रूपमें ही ग्राह्य हो सकता है।

यदि कहा जाये कि जीवकी मोक्षकी प्राप्ति उसकी भाववतीशक्तिका शुद्ध स्वभावभूत निश्चय धर्मके रूपमें परिणमन होनेपर ही होती है, इसलिए "सुह-सुदपरिणामेहि" पदके अन्तगत "सुद" शब्द निरर्थक

नहीं है तो इस बातको स्वीकार करनेमें यद्यपि कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि मोक्षकी प्राप्ति जीवकी भावबनीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनके होनेपर होना एक बात है और उस स्वभावभूत शुद्ध परिणमनको कर्मक्षयका कारण मानना अन्य बात है, क्योंकि वास्तवमें देखा जाये तो द्वादश गुणस्थानवर्ती जीवका वह शुद्ध स्वभाव मोक्षरूप शुद्ध स्वभावका ही अंश है जो मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षय होनेपर ही प्रकट होता है ।

अन्तमें एक बात यह भी विचारणीय है कि उक्त "सुह-सुद्धपरिणामेहि" पदके अन्तर्गत "सुद्ध" शब्दका जीवकी भाववतीशक्तिका स्वभावभूत शुद्ध परिणमन अर्थ स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त यह समस्या तो उपस्थित है ही कि द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मका पूर्ण विकास हो जानेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों घातिकर्मोंका तथा चारों अघातिकर्मोंका एक साथ क्षय होनेकी प्रमक्ति होती है । माथ ही यह समस्या भी उपस्थित होती है कि जीवकी भाववतीशक्तिके स्वभावभूत शुद्ध परिणमनके विकासका प्रारम्भ जब प्रथम गुणस्थानके अन्त समयमें मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व, सम्यग्-मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन और अनन्तानुबन्धों क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियोगका उपशम, क्षय या क्षयोपशम हो जानेपर चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमें होता है तो ऐसी स्थितिमें उस स्वभावभूत शुद्ध परिणमनको कर्मोंके संवर और निर्जंरणा कारण कैसे माना जा सकता है ? अर्थात् नहीं माना जा सकता है । यह बात पूर्वमें स्पष्ट की जा चुकी है । उत्तरपक्षकी यह जो मान्यता है कि जीव द्रव्यकर्मोंके उदयकी अपेक्षा न रखते हुए स्वयं (अपने आप) ही अज्ञानी बना हुआ है और इन कर्मोंसे यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशमकी अपेक्षा न रखते हुए स्वयं (अपने आप) ही ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है सो इस मान्यताका निराकरण प्रश्नोत्तर एककी गमोक्षामे किया जा चुका है तथा प्रश्नोत्तर षष्ठीकी समीक्षामें भी किया जायेगा । इसी तरह उत्तरपक्षको मान्य नियतिवाद और नियतवादका निराकरण प्रश्नोत्तर पाँचकी समीक्षामें किया जायेगा ।

प्रकृतमें कर्मोंके आस्रव और बन्ध तथा संवर और निर्जंरणाकी प्रक्रिया

(१) अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव जबतक आशक्तिवश मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति करते रहते हैं तबतक वे उस प्रवृत्तिके आधारपर सतत कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करने हैं । तथा इस संकल्पी पापमय अशुभ प्रवृत्तिके साथ वे यदि कदाचित् सांसारिक स्वार्थवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी करते हैं तो भी वे उन प्रवृत्तियोंके आधारपर सतत कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

(२) अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव जब आशक्तिवश होनेवाले संकल्पी पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्तिको कर्मव्यवश करने लगते हैं तब भी वे कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

(३) अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्तिके रूपमें सर्वथा त्याग कर यदि अशक्तिवश होनेवाले मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं तो भी वे कर्मोंका आस्रव और बन्ध ही किया करते हैं ।

(४) अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके उक्त प्रकार सर्वथा त्यागपूर्वक उक्त आरम्भी पापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका भी मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और

कायगुणिके रूपमें एक देश अथवा सर्वदेश त्यागकर कर्त्तव्यवश मानसिक, वाचनिक और कायिक पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करने लगते हैं तो भी वे कर्मोंका आलस्य और बन्ध ही किया करते हैं ।

(५) अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा त्याग कर उक्त आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति करते हुए अथवा उक्त संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा व उक्त आरंभीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका एकदेश या सर्वदेश त्याग कर कर्त्तव्यवश पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति करते हुए यदि क्षयोपशम, विशुद्धि, वेदाना और प्रयोग्य लब्धियोंका अपनेमें विकास कर लेते हैं तो भी वे कर्मोंका आलस्य और बन्ध ही किया करते हैं ।

(६) यत्. मिथ्यात्व गुणस्थानके अतिरिक्त सभी गुणस्थान भव्य जीवके ही होते हैं अभव्य जीवके नहीं, अतः जो भव्य जीव सासादन सम्यग्दृष्टि हो रहे हों उनमें भी उक्त पापों अनुच्छेदोंमेंसे दो, तीन और चार संख्यक अनुच्छेदोंमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ यथायोग्य पूर्वसंस्कारवश या सामान्यरूपसे लागू होती हैं तथा अनुच्छेद तीन और चारमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें भी लागू होती हैं । सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनुच्छेद एकमें प्रतिपादित व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे जीव एक तो केवल संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति कदापि नहीं करते हैं व उनकी प्रवृत्ति अबुद्धिपूर्वक होनेके कारण पुण्यमय दयारूप प्रवृत्ति भी सासारिक स्वार्थवश नहीं करते हैं । तथा उनमें अनुच्छेद पाँचमें प्रतिपादित व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे अपना समय व्यतीत करके नियमसे मिथ्यात्व गुणस्थानको ही प्राप्त करते हैं । इसी तरह मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अनुच्छेद एक और दोमें प्रतिपादित व्यवस्थाएँ इसीलिए लागू नहीं होती क्योंकि उनमें संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वथा अभाव रहता है तथा उनमें अनुच्छेद पाँच की व्यवस्था इसलिए लागू नहीं होती कि वे भी मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए होनेके कारण अपना समय व्यतीत करके मिथ्यात्व गुणस्थानको ही प्राप्त करते हैं । इस तरह सासादन सम्यग्दृष्टि और मिथ्यात्व गुणस्थानकी ओर झुके हुए सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सतत यथायोग्य कर्मोंका आलस्य और बन्ध ही किया करते हैं । यहाँ यह ध्यातव्य है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके साथ सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्रवृत्तियाँ भी अबुद्धिपूर्वक हुआ करती हैं ।

(७) उपर्युक्त जीवोंसे अतिरिक्त जो भव्य मिथ्यादृष्टि जीव और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व प्राप्तिकी ओर झुके हुए हों अर्थात् सम्यक्त्व प्राप्तिमें अनिवार्य कारणभूत करणलब्धिको प्राप्त हो गये हो वे नियमसे यथायोग्य कर्मोंका आलस्य और बन्ध करते हुए भी दर्शनमोहनीय कर्मकी यथासम्भवरूपमें विद्यमान मिथ्यातत्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्प्रकृतिरूप तीन तथा चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इस तरह मात कर्मप्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशमके रूपमें संवर और निजंरण किया करते हैं । इसी तरह चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर आगेके गुणस्थानोंमें विद्यमान जीव भी यथायोग्य कर्मोंका आलस्य और बन्ध तथा यथायोग्य कर्मोंका संवर और निजंरण किया करते हैं ।

उपर्युक्त विवेचनानाका फलितार्थ

(१) कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति ही किया करते हैं । अथवा संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ सासारिक स्वार्थवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी

किया करते हैं। कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभके साथ पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्तिको कर्त्तव्यवश किया करते हैं। कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा त्यागपूर्वक आरम्भीपापमय अदयारूप शुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं एवं कोई अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा व आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश अथवा सर्वदेश त्यागपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं।

(२) कोई सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सामान्यरूपसे संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ पूर्व-संस्कारके बलपर कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं। कोई सासादनसम्यग्दृष्टि जीव पूर्व-संस्कारके बलपर संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा निवृत्तिपूर्वक आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय अदयारूप शुभरूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं और कोई सासादन सम्यग्दृष्टि जीव पूर्वसंस्कारवश संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा व आरम्भीपापरूप अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश अथवा सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं। परन्तु सासादनसम्यग्दृष्टि जीवकी यथायोग्य ये सब प्रवृत्तियाँ अनुद्विपूर्वक ही हुआ करती हैं।

(३) सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि भव्य मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान ही प्रवृत्ति ही किया करने हैं परन्तु उनमें इतनी विशेषता है कि वे संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्ति किसी भी रूपमें नहीं करते हैं। तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवकी भी प्रवृत्तियाँ सासादन सम्यग्दृष्टि जीवके समान अनुद्विपूर्वक ही हुआ करती हैं।

(४) चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर आगेके गुणस्थानोंमें विद्यमान सभी जीव संकल्पीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा रक्षित होते हैं। इस तरह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव या तो अवशितवश आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके साथ कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं अथवा आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश या सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं।

(५) पंचम गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके एकदेश निवृत्तिपूर्वक दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं, क्योंकि ऐसा किये बिना जीवकी पंचम गुणस्थान कदापि प्राप्त नहीं होता है। इतना अवश्य है कि कोई पंचम गुणस्थानवर्ती जीव आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक भी कर्त्तव्यवश पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं।

(६) षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वदेश निवृत्तिपूर्वक कर्त्तव्यवश पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति किया करते हैं; क्योंकि ऐसा किये बिना जीवकी षष्ठ गुणस्थान प्राप्त नहीं होता।

(७) षष्ठ गुणस्थानसे आगेके गुणस्थानोंमें जीव आरम्भीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिके सर्वथा निवृत्त रहता है तथा पुण्यमय दयारूप शुभ प्रवृत्ति भी बाह्यरूपमें नहीं करते हुए अन्तरंगरूपमें ही तब तक करता रहता है जब तक नवम गुणस्थानमें उसकी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संञ्चलनकथायोंको क्रोध प्रकृतियोंके सर्वथा उपशमन या क्षय करनेकी क्षमता प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जीवके अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मका उदय प्रथम गुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानके अन्त समय तक रहता है व पंचम गुणस्थानमें और उसके आगे उसका क्षयोपशम ही रहा करता है। इसी तरह जीवके प्रत्याख्यानावरण क्रोध

कर्मका उदय प्रथम गुणस्थानसे लेकर पंचम गुणस्थानके अन्त समयतक रहा करता है व वष्ट गुणस्थानमें और उसके आगे उसका क्षयोपशम ही रहा करता है तथा इन सभी गुणस्थानोंमें संज्वलन क्रोध कर्मका उदय ही रहा करता है। परन्तु संज्वलनक्रोधकर्मका उदय व अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मोंका क्षयोपशम तब तक रहा करता है जब तक नवम गुणस्थानमें इनका सर्वथा उपशम या क्षय नहीं हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मका बन्ध चतुर्थ गुणस्थान तक ही होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मका बन्ध पंचम गुणस्थान तक ही होता है और संज्वलन क्रोध कर्मका बन्ध नवम गुणस्थानके एक निश्चित भाग तक ही होता है। इन सबके बन्धका कारण जीवकी भाववती शक्तिके हृदय और मस्तिष्क के सहारेपर होनेवाले यथायोग्य परिणमनसे प्रभावित जीवकी क्रियावती शक्तिका मानसिक, वाचनिक और कायिक यथायोग्य प्रवृत्तिरूप परिणमन ही है। जीव चतुर्थ गुणस्थानमें जब तक आरंभीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका यथायोग्य रूपमें एकदेश त्याग नहीं करता तब तक तो उसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मका बन्ध होता ही रहता है। परन्तु वह जीव यदि आरंभीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका एकदेश त्याग कर देता है और उस त्यागके आधारपर उसमें कदाचित् उस अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मके क्षयोपशमकी क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उस जीवमें उस क्रोध कर्मके बन्धका अभाव हो जाता है। यह व्यवस्था चतुर्थ गुणस्थानके समान प्रथम और तृतीय गुणस्थानोंमें भी लागू होती है। इसी तरह जीव पंचम गुणस्थानमें जब तक आरंभीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वदेश त्याग नहीं करता तब तक तो उसके प्रत्याख्यानावरण क्रोधकर्मका बन्ध होता ही है। परन्तु यह जीव यदि आरंभीपापमय अदयारूप अशुभ प्रवृत्तिका सर्वदेश त्याग कर देता है और इस त्यागके आधारपर उसमें कदाचित् उन अप्रत्याख्यानावरण क्रोध कर्मके क्षयोपशमकी क्षमता प्राप्त हो जाती है तो उस जीवमें उस क्रोध कर्मके बन्धका अभाव हो जाता है। यह व्यवस्था पंचम गुणस्थानके समान प्रथम, तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानोंमें भी लागू होती है। पंचम गुणस्थानके आगेके गुणस्थानोंमें तब तक जीव संज्वलन-क्रोधकर्मका बन्ध करता रहता है जब तक वह नवम गुणस्थानमें बन्धके अनुकूल अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति करता रहता है। और जब वह नवम गुणस्थानमें संज्वलनक्रोध कर्मके उपशम या क्षयकी क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उस जीवके उस क्रोधकर्मके बन्धका अभाव हो जाता है।

इतना विवेचन करनेमें मेरा उद्देश्य इस बालको स्पष्ट करनेका है कि जीवकी क्रियावती शक्तिके मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अशुभ और दयारूप शुभ प्रवृत्तियोंके रूपमें होनेवाले परिणमन ही क्रोधकर्मके आलव और बन्धमें कारण होते हैं व उन प्रवृत्तियोंका निरोध करनेसे ही उन क्रोध कर्मोंका संवर और निर्जरण करनेकी क्षमता जीवमें आती है। जीवकी भाववती शक्तिका न तो मोहनीय कर्मके उदयमें होनेवाला विभावरूप परिणमन आलव और बन्धका कारण होता है और न ही मोहनीय कर्मके उपशम, क्षय या क्षयोपशममें होनेवाला भाववती शक्तिका स्वभावरूप शुद्ध परिणमन संवर और निर्जराका कारण होता है। इतना अवश्य है कि जीवकी भाववतीशक्तिके हृदयके सहारेपर होनेवाले तत्त्वश्रद्धानरूप शुभ और अतत्त्वश्रद्धानरूप अशुभ तथा मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाले तत्त्वज्ञानरूप शुभ और अतत्त्वज्ञानरूप अशुभ परिणमन अपनी शुभरूपता और अशुभरूपताके आधारपर यथायोग्य शुभ और अशुभ कर्मोंके आलव और बन्धके परम्परया कारण होते हैं व तत्त्वश्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शनके रूपमें तथा तत्त्वज्ञान व्यवहारसम्यग्ज्ञानके रूपमें यथायोग्य कर्मोंके आलव और बन्धके साथ यथायोग्य कर्मोंके संवर और निर्जराके भी परम्परया कारण होते हैं।

इस विवेचनसे यह बाल अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि क्रियावतीशक्तिके परिणमनस्वरूप जीवकी मानसिक, वाचनिक और कायिक अदयारूप अशुभ और दयारूप शुभ प्रवृत्तियाँ यथायोग्य अशुभ और शुभ

कर्मोंके आसव और बन्धका साक्षात् कारण होती हैं तथा अदयारूप अशुभ प्रवृत्तितसे निवृत्तिपूर्वक होनेवाली दयारूप शुभ प्रवृत्ति यथायोग्य कर्मोंके आसव और बन्धके साथ यथायोग्य कर्मोंके संवर और निर्जोरणका साक्षात् कारण होती है एवं जीवकी क्रियावती शक्तिके परिणामनस्वरूप तथा दयारूप शुभरूपता और अदयारूप अशुभरूपतासे रहित जीवको मानसिक, वाचनिक और कायिक योगरूप प्रवृत्ति मान सातावेदनीय कर्मोंके आसवपूर्वक केवल प्रकृति और प्रवेशरूप बन्धका कारण होती है तथा योगका अभाव कर्मोंके संवर और निर्जोरणका कारण होता है।

इस सामान्य समीक्षाके सम्पूर्ण विवेचनसे यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जीव-दया पुण्यरूप भी होती है, जीवके शुद्ध स्वभावमूल निश्चय धर्मरूप भी होती है व इस निश्चय धर्मरूप जीवदयाकी उत्पत्तिमें कारणमूल व्यवहार धर्मरूप भी होता है। अर्थात् तीनों प्रकारको जीवदयाएँ अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व रखती हैं।

प्रश्नोत्तर ४ की सामान्य समीक्षा

१. प्रश्नोत्तर ४ की सामान्य समीक्षा

पूर्वपक्षका प्रश्न—व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक है या नहीं ? त० व० पृ० १२९।

उत्तरपक्षका उत्तर—निश्चय रत्नत्रयस्वरूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिकी अपेक्षा विचार किया जाता है तो व्यवहारधर्म निश्चयधर्ममें साधक नहीं है, क्योंकि निश्चयधर्मकी उत्पत्ति परनिरपेक्ष होती है। त० व० पृ० १२९।

धर्मका लक्षण

वस्तुविज्ञान (द्रव्यानुयोग) की दृष्टिसे “वत्युसहाओ धम्मो” इस आगम वचनके अनुसार धर्म यद्यपि आत्माके स्वतः सिद्ध स्वभावका नाम है, परन्तु अध्यात्म विज्ञान (करणानुयोग और चरणानुयोग) की दृष्टिसे धर्म उसे कहते हैं जो जीवको संभारबुद्धसे छुड़ाकर उत्तम अर्थात् आत्मस्वातन्त्र्य रूप माध्यसुखमें पहुँचा देता।^१ आध्यात्मिक धर्मका विश्लेषण

रत्नकरण्डकभावकाचार^२ में आध्यात्मिक धर्मका विश्लेषण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके रूपमें किया गया है जिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके विरोधो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य ससारके कारण होते हैं।

आध्यात्मिक धर्मका निश्चय और व्यवहार दो रूपोंमें विभाजन और उनमें माध्य-साधक भाव

श्रद्धेय पं० दौलतरामजीने छहठाला^३ में कहा है कि आत्माका हित सुख है। वह सुख आकुलताके

१. देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिबर्हणम्।

संसारदुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥२॥ —रत्नकरण्डकभावकाचार

२. सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मैश्वरा विदुः।

यदीयप्रस्थानीकानि भवन्ति भवपथसि ॥३॥ —रत्नकरण्डकभावकाचार

३. आत्म कौ हितं है सुखं सो सुखं आकुलता चिन कहिये।

आकुलता शिवमार्हि न ताते शिवमग लाग्यो चाहिये ॥

सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविष विचारो।

जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो बहहारो ॥३-१॥

अभावमें प्रकट होता है। आकुलताका अभाव मोक्षमें है, अतः जीवोंको मोक्षके मार्गमें प्रवृत्त होना चाहिए। मोक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप है। एवं वे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है। जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य सत्पार्थक्य अर्थात् आत्मके शुद्ध स्वभावभूत है उन्हें निश्चयमोक्षमार्ग कहते हैं व जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य निश्चयमोक्षमार्गके प्रगट होनेमें कारण है उन्हें व्यवहारमोक्षमार्ग कहते हैं।

छहहालाके इस प्रतिपादनसे मोक्षमार्गका सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके रूपमें विश्लेषण, उनकी निश्चय और व्यवहार दो भेदरूपता व निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्षमार्गोंमें विद्यमान साध्य-साधकभाव इन सबका परिज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त पंचास्तिकायकी गाथा १०५ की आचार्य ब्रह्मसेन कृत टीकामें भी व्यवहारमोक्षमार्गको निश्चयमोक्षमार्गका कारण बतलाकर दोनों मोक्षमार्गोंमें साध्य-साधकभाव मान्य किया गया है। तथा गाथा १५९, १६० और १६१ की आचार्य अमृतचंद्र कृत टीका^२ में भी ऐसा ही बतलाया गया है।

निश्चयघर्मकी व्याख्या

करणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार जीव अनाविकालसे मोहनीयकर्मसे बद्ध है और उसके उदयमें उसकी स्वतः सिद्ध स्वभावभूत भाववती शक्तिका शुद्धस्वभावभूत परिणमनके विपरीत अशुद्ध विभावभूत परिणमन होता है। भाववती शक्तिके इस अशुद्ध विभावरूप परिणमनकी समाप्ति करणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार मोहनीयकर्मके यथास्थान यथायोग्य उपशम, अय या क्षयोपशमपूर्वक होती है। इस तरह जीवकी भाववती शक्तिके अशुद्ध विभावभूत परिणमनके समाप्त हो जानेपर उसका जो शुद्ध स्वभावभूत परिणमन होता है उसे ही निश्चयघर्म जानना चाहिए। इसके प्रकट होनेको व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(क) सर्वप्रथम जीवमें दर्शनमोहनीयकर्मकी यथासम्भव रूपमें विद्यमान मिथ्यात्व, सम्मिमिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन व चारित्रमोहनीयकर्मके प्रथम भेद अनन्तानुबन्धी कषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियोंका यथायोग्य उपशम, अय या क्षयोपशम होनेपर उस जीवकी भाववती शक्तिका चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक, क्षायिक या क्षयोपशमिक निश्चय-सम्यग्दर्शनके रूपमें व निश्चयसम्यग्ज्ञानके रूपमें शुद्धस्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है।

(ख) इसके पश्चात् जीवमें चारित्रमोहनीयकर्मके द्वितीय भेद अत्रत्याख्यानावरणकषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका क्षयोपशम होनेपर उस जीवकी भाववती शक्तिका पंचमगुणस्थानके प्रथम समयमें देहाविरति निश्चयसम्यक्चारित्र्यके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रगट होता है।

(ग) इसके भी पश्चात् जीवमें चारित्रमोहनीयकर्मके तृतीय भेद अत्रत्याख्यानावरणकषायकी नियमसे विद्यमान क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका क्षयोपशम होनेपर उस जीवकी भाववती शक्तिका सप्तम गुणस्थानके प्रथम समयमें सर्वाविरति निश्चयसम्यक्चारित्र्यके रूपमें शुद्धस्वभावभूत परिणमन प्रकट होता है।

१. निश्चयमोक्षमार्गत्वे परस्परया कारणभूतौ व्यवहारमोक्षमार्गं ।—गा० १०५, टीका ।

२. (क) निश्चयव्यवहारयो साध्यसाधकभावत्वात् । गा० १५९ की टीका ।

(ख) निश्चयमोक्षमार्गसाधकभावेन व्यवहारमोक्षमार्गनिर्देशोऽयम् । गा० १६० की टीका ।

(ग) व्यवहारमोक्षमार्गसाध्यभावेन निश्चयमोक्षमार्गोऽप्याद्योऽयम् । गा० १६१ की टीका ।

ऐसा सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरालसे सप्तमसे षष्ठ और षष्ठसे सप्तम इस तरह दोनों गुणस्थानोंमें यथायोग्य समय तक सतत झुलेकी तरह झुलता रहता है ।

(ब) यदि वह सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव पहलेसे ही उक्त औपशमिक या क्षायिक निश्चयसम्यग्दर्शनको प्राप्त हो अथवा सप्तम गुणस्थानके कालमें ही वह उक्त औपशमिक या क्षायिक निश्चयसम्यग्दर्शनको प्राप्त हो जावे तो वह तब करणलम्बिके आधारपर नब नोकषायोके साथ चारित्रमोहनीयकर्मके द्वितीय भेद अप्रत्याख्यानान्तरण और तृतीय भेद प्रत्याख्यानान्तरण इन दोनों कषायोकी क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका तथा उसके चतुर्थ भेद संज्वलनकषायकी क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंका भी यथास्थान नियमसे उपशम या क्षय करता है और उपशम होनेपर उसको भाववती शक्तिका एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक यथाख्यात निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें अथवा क्षय होनेपर उसकी भाववती शक्तिका द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें क्षायिक यथाख्यात निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें शुद्ध स्वभावभूत परिणमन प्रगट होता है ।

व्यवहारधर्मकी व्याख्या

व्यवहारधर्मकी व्याख्या करनेसे पूर्व यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नारकी, देव और निर्यक्ष इन तीनों प्रकारके जीवोंमें केवल अगृहीत मिथ्यात्व पाया जाता है। अतः इनमें व्यवहारधर्मका व्यवस्थित क्रमसे विवेचन करना सम्भव नहीं है। केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसमें अगृहीत मिथ्यात्वके साथ गृहीत मिथ्यात्व भी पाया जाता है। फलतः मनुष्योंमें व्यवहारधर्मका व्यवस्थित क्रमसे विवेचन करना सम्भव हो जाता है। अतः यहाँ मनुष्योंकी अपेक्षा व्यवहारधर्मका विवेचन किया जाता है।

चरणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार पापभूत अघानिकर्मोंके उदयमें अन्नभ्य और भ्रम्य मिथ्यादृष्टि मनुष्योकी भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर अतत्त्वश्रद्धानके रूपमें और मस्तिष्कके सहारेपर अतत्त्वज्ञानके रूपमें मिथ्या परिणमन होते रहते हैं तथा जब उनमें पुण्यभूत अघातिकर्मोंका उदय होता है तब अतत्त्वश्रद्धान और अतत्त्वज्ञानरूप उन परिणमनोंकी समाप्ति होनेपर उनकी उस भाववती शक्तिके हृदयके सहारेपर तत्त्वश्रद्धानके रूपमें और मस्तिष्कके सहारेपर तत्त्वज्ञानके रूपमें सम्यक्परिणमन होने लगते हैं। भाववती शक्तिके दोनों प्रकारके सम्यक् परिणमनोंसे तत्त्वश्रद्धानरूप परिणमन सम्यग्दर्शनके रूपमें व्यवहारधर्म कहलाता है और तत्त्वज्ञानरूप परिणमन सम्यग्ज्ञानके रूपमें व्यवहारधर्म कहलाता है।

चरणानुयोगकी व्यवस्थाके अनुसार भाववती शक्तिके परिणमन स्वरूप उक्त अतत्त्वश्रद्धान और अतत्त्वज्ञानसे प्रभावित अन्नभ्य और भ्रम्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियाँ किया करते हैं और कदाचित् साधमें लौकिक स्वार्थवश पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ भी करते हैं। तथा जब वे भाववती शक्तिके परिणमन स्वरूप उक्त तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानसे प्रभावित होते हैं तब वे अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त संकल्पी-पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंको सर्वथा त्याग कर मानसिक, वाचनिक और कायिक आरम्भी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ कर्तव्यवश पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ भी करने लगते हैं। इतना ही नहीं, भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त तत्त्वश्रद्धान और तत्त्वज्ञानके आधारपर वे अन्नभ्य और भ्रम्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य कदाचित् क्रियावती शक्तिके परिणमनस्वरूप उक्त संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके सर्वथा त्यागपूर्वक उक्त आरम्भी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका भी एकदश अथवा सर्वदश त्याग करते हुए अनिर्वाय आरम्भी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं। इस प्रकार अन्नभ्य और भ्रम्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य

भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप तत्त्वग्रहण और तत्त्वज्ञानसे प्रभावित होकर अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमन स्वरूप संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंको सर्वथा त्याग कर जो अपनी क्रियावती शक्तिके परिणमन-स्वरूप आरम्भी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके साथ पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं उन प्रवृत्तियोंको नैतिक आधारके रूपमें व्यवहारधर्म कहा जाता है। तथा वे ही मनुष्य जब संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंके सर्वथा त्यागपूर्वक आरम्भी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका एकदेश अथवा सर्वदेश त्याग करते हुए पुण्यभूत शुभ प्रवृत्तियाँ करते हैं तब उन्हें क्रमशः देशविरति अथवा सर्वविरतिकरूप सम्यक्चारित्रिके रूपमें व्यवहारधर्म कहा जाता है।

प्रसंगवश मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि मनुष्योंको भाववती शक्तिके परिणमन स्वरूप हृदयके सहारेपर होनेवाला अतत्त्वग्रहण व्यवहारमिथ्यादर्शन कहलाता है। और उनकी उसी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला अतत्त्वज्ञान व्यवहार-मिथ्याज्ञान कहलाता है। तथा मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान इन दोनोंसे प्रभावित उन मनुष्योंकी क्रियावती शक्तिके परिणाम स्वरूप मानसिक, वाचनिक और कायिक संकल्पी पापभूत जो अशुभ प्रवृत्ति हुआ करती है वह व्यवहारमिथ्याचारित्र कहलाता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि उक्त प्रकारके व्यवहारमिथ्यादर्शन और व्यवहारमिथ्याज्ञानके विपरीत व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्ज्ञानसे प्रभावित होकर वे अभव्य और भव्य मिथ्यादृष्टि मनुष्य संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका सर्वथा त्याग करते हुए यदि अशक्तवश आरम्भी पापका अनुमाण भी त्याग नहीं कर पाते हैं तो उनकी वह आरम्भी पापरूप अशुभ प्रवृत्ति व्यवहाररूप अविरति कहलाती है।

यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूर्वमें मोहनीयकर्मकी उन-उन प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, अथ वा अयोपशम पूर्वक होनेवाले भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयसम्यक्दर्शन निश्चयसम्यग्ज्ञान व देशविरति, सर्वविरति और यथास्थान सम्यक्चारित्रिके रूपमें निश्चयधर्मका विवेचन किया गया है उसी प्रकार यहाँ प्रथम गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी दोनों प्रकृतियोंके उदयमें भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप मिथ्यात्वभूत भावमिथ्यादर्शन, भावमिथ्याज्ञान और भावमिथ्या-चारित्रिके रूपमें, द्वितीय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी अनन्तानुबन्धी प्रकृतिके उदयमें भाववती शक्तिके परिणमन-स्वरूप सामादनसम्यक्त्वभूत भावमिथ्यादर्शन, भावमिथ्याज्ञान और भावमिथ्याचारित्रिके रूपमें एवं तृतीय गुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयमें भाववती शक्तिके परिणामस्वरूप सम्यग्मिथ्यात्वभूत भावमिथ्यादर्शन, भावमिथ्याज्ञान और भावमिथ्याचारित्रिके रूपमें निश्चय (भाव) अधर्मका भी विवेचन कर लेना चाहिए। यहाँ भी यह ध्यातव्य है कि चतुर्थ गुणस्थानके जीवमें नव नोकषायोंके उदयके साथ अत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और संखलन कषायोंके सामूहिक उदयमें जीवकी भाववती शक्तिका जो परिणमन होता है उसे भाव-अविरति जानना चाहिये। इसे न तो भावमिथ्याचारित्र कह सकते हैं और न विरतिके रूपमें भावसम्यक्चारित्र ही कह सकते हैं, क्योंकि भावमिथ्याचारित्र अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमें होता है और विरतिके लिये कम-से-कम अपत्याख्यानवरणका लयोपशम आवश्यक है।

उपर्युक्त दोनों प्रकारके स्पष्टीकरणोंके साथ ही यहाँ निम्नलिखित विशेषतायें भी ज्ञातव्य हैं—

(१) अभव्य जीवोंके केवल प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता है जबकि भव्य जीवोंके प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर चतुर्धराय अयोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त सभी गुणस्थान सम्भव हैं।

(२) निश्चयधर्मका विकास भव्य जीवोंमें ही होता है, अभव्य जीवोंमें नहीं होता। तथा भव्य जीवोंमें

भी उस निश्चयधर्मका विकास चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयसे प्रारम्भ होता है, इसके पूर्वके गुणस्थानोंसे नहीं होता ।

(३) जीवके चतुर्थ गुणस्थानके प्रथम समयमें जो निश्चयधर्मका विकास होता है वह उस जीवकी भाववती शक्तिके परिणामनस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्ज्ञानके रूपमें होता है । इसके पश्चात् जीवके पंचम गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चयधर्मका विकास उस जीवकी भाववती शक्तिके परिणामनस्वरूप देशविरति निश्चयसम्यक्चारित्रिके रूपमें होता है तथा इसके भी पश्चात् जीवके निश्चयधर्मका विकास सप्तम गुणस्थानके प्रथम समयमें उस जीवकी भाववती शक्तिके परिणामन स्वरूप सर्वविरति निश्चयसम्यक्चारित्रिके रूपमें होता है और जीवमें उसका सद्भाव पूर्वोक्त प्रकार षष्ठ गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थान तक उत्तरोत्तर उत्कर्षके रूपमें विद्यमान रहता है । दशम गुणस्थानके आगे जीवके एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चयधर्मका विकास जीवकी भाववती शक्तिके परिणामन स्वरूप औपचमिक यथाक्यात निश्चयसम्यक्चारित्रिके रूपमें होता है अथवा दशम गुणस्थानसे ही आगे जीवके द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें निश्चयधर्मका विकास उस जीवकी भाववती शक्तिके परिणामन स्वरूप क्षायिक यथाक्यात निश्चयसम्यक्चारित्रिके रूपमें होता है तथा यह जीवके आगेके सभी गुणस्थानोंमें विद्यमान रहता है ।

(४) पूर्वमें स्पष्ट किया जा चुका है कि व्यवहारधर्म सम्यग्दर्शनके रूपमें जीवकी भाववती शक्तिका हृदयके सहारेपर होनेवाला परिणामन है और दूसरा व्यवहारधर्म सम्यग्ज्ञानके रूपमें जीवकी भाववती शक्तिका मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाला परिणामन है । एवं तीसरा व्यवहारधर्म नैतिक आचार तथा देशविरति व सर्वविरतिरूप सम्यक्चारित्रिके रूपमें मन, वचन और कायके सहारेपर होनेवाला जीवकी क्रियावती शक्तिका परिणामन है । इस सभी प्रकारके व्यवहारधर्मका विकास प्रथम गुणस्थानमें सम्भव है और अभ्य व भ्रम्य दोनों प्रकारके जीवोंमें हो सकता है । इतना अवश्य है कि उक्त सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानरूप तथा नैतिक आचाररूप व्यवहारधर्मका विकास प्रथम गुणस्थानमें नियमसे होता है क्योंकि इस प्रकारके व्यवहारधर्मका विकास किये बिना अभ्य जीवमें क्षयोपशम, विशुद्धि, देयना और प्रायोग्य इन चार लब्धियोंका व भ्रम्य जीवमें इन चारों लब्धियोंके साथ करणलब्धिका विकास नहीं हो सकता है ।

प्रथम गुणस्थानमें देशविरति और सर्वविरति सम्यक्चारित्र रूप व्यवहारधर्मके विकसित होनेका कोई नियम नहीं है परन्तु देशविरति सम्यक्चारित्ररूप व्यवहारधर्मका विकास चतुर्थ गुणस्थानमें होकर पंचम गुणस्थानमें भी रहता है । एवं सर्वविरति सम्यक्चारित्ररूप व्यवहारधर्मका पंचम गुणस्थानमें विकास होकर आगे षष्ठसे दशम गुणस्थान तक उसका सद्भाव नियमसे रहता है ।

यहाँ इतना अवश्य व्यक्तव्य है कि सप्तम गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थान तक उस व्यवहारधर्मका सद्भाव अन्तरंगरूपमें ही रहता है । तथा द्वितीय और तृतीय गुणस्थानोंमें यथासम्भव रूपसे रहनेवाला व्यवहारधर्म मो अशुद्धिपूर्वक ही रहता है । एकादश गुणस्थानसे लेकर आगेके सभी गुणस्थानोंमें व्यवहारधर्मका सर्वथा अभाव रहता है । वहाँ केवल निश्चयधर्मका ही सद्भाव रहता है । क्रियावती शक्तिके परिणामन स्वरूप व्यवहार अविरतिका सद्भाव प्रथम गुणस्थानसे चतुर्थ गुणस्थान तक ही सम्भव है ।

जीवको मोक्षकी प्राप्ति निश्चयधर्म पूर्वक होती है

प्रकृतमें मोक्ष सम्बन्धक अर्थ जीव और शरीरके विद्यमान संयोगका सर्वथा विच्छेद हो जाना है । जीव और शरीरके विद्यमान संयोगका सर्वथा विच्छेद चतुर्थवर्ष गुणस्थानमें तब होता है जब उस जीवके साथ बड़ चार अथाती कर्मोंका सर्वथा क्षय हो जाता है । जीवको चतुर्थवर्ष गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब तयो-

दश गुणस्थानमें कर्माजयमें कारणभूत जीवके योगका सर्वथा निरोध हो जाता है । जीवको त्रयोदश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घाती कर्मोंका द्वादश गुणस्थानमें सर्वथा क्षय हो जाता है । जीवको द्वादश गुणस्थानकी प्राप्ति तब होती है जब जीवके साथ बद्ध मोहनीयकर्मप्रकृतियोंका पूर्वमें यथासमय क्षय होते हुए दशम गुणस्थानके अन्त समयमें शेष सूक्ष्म लोभ प्रकृतिका भी क्षय हो जाता है । द्वादश गुणस्थानका अर्थ ही दशम गुणस्थानके अन्त समयमें मोहनीयकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेपर जीवकी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप शुद्ध स्वभावभूत निश्चयधर्मका पूर्णतः हो जाना है । इस विवेचनसे निर्णीत होता है कि जीवको मोक्षकी प्राप्ति निश्चयधर्म पूर्वक होती है ।

जीवको निश्चयधर्मकी प्राप्ति व्यवहारधर्मपूर्वक होती है

जीवकी भाववती शक्तिका निश्चयधर्मके रूपमें प्रारम्भिक विकास चतुर्थगुणस्थानके प्रथम समयमें होता है और उसका वह विकास पंचमादि गुणस्थानोमें उत्तरोत्तर बुद्धिके प्राप्त होकर एकादश गुणस्थानके प्रथम समयमें औपशमिक यथास्थायत निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें अथवा द्वादश गुणस्थानके प्रथम समयमें क्षायिक यथास्थायत सम्यक्चारित्रके रूपमें पूर्णताको प्राप्त होता है । निश्चयधर्मका यह विकास मोहनीयकर्मकी उन-उन प्रकृतियोंके यथास्थान यथासंभव रूपमें होनेवाले उपशम, क्षय या क्षयोपशम पूर्वक होता है । तथा मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंका यथायोग्य वह उपशम, क्षय या क्षयोपशम भव्य जीवमें आत्मोन्मुखतारूप करणलब्धिका विकास होनेपर होता है व उसमें उस करणलब्धिका विकास क्षयोपशम, विरुद्धि, देशाना और प्रायोग्य लब्धियोंके विकासपूर्वक होता है । एवं जीवमें इन लब्धियोंका विकास व्यवहारधर्म पूर्वक होता है । यह व्यवहारधर्म अशुभ प्रवृत्तिसे निवृत्तिपूर्वक शुभमें प्रवृत्तिरूप होता है । जीवको इसकी प्राप्ति तब होती है जब उस जीवमें भाववती शक्तिके हृद्यके सहारेपर होनेवाले तत्त्वभ्रंशानरूप व्यवहारसम्यक्दर्शनकी और मस्तिष्कके सहारेपर होनेवाले तत्त्वज्ञानरूप व्यवहारसम्यग्ज्ञानकी उपलब्धि हो जाती है । इसके विकासकी प्रक्रियाको पूर्वमें व्यवहारधर्मकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है । इस विवेचनसे यह निर्णीत होता है कि व्यवहारधर्म निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें कारण होता है । यह विषय प्रश्नोत्तर २ और ३ की समीक्षासे भी जाना जा सकता है ।

यहाँ यह ध्यातव्य है कि जीवकी अपनी भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें कारणभूत मोहनीयकर्मका यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम करनेके लिए इस व्यवहारधर्मके अन्तर्गत एकान्तमिथ्यात्वके विरुद्ध प्रशमभाव, विपरीतमिथ्यात्वके विरुद्ध संवेगभाव, विनयमिथ्यात्वके विरुद्ध अनुकम्पाभाव, संशयमिथ्यात्वके विरुद्ध आस्तिक्यभाव और अविवेकरूप अज्ञानमिथ्यात्वके विरुद्ध विवेकरूप सम्बन्धानभावकी भी अपनमें जागृत करनेकी आवश्यकता है । इसी प्रकार जीवकी समस्त जीवोंके प्रति निष्ठा (समानता) का भाव, गुणीजनोंके प्रति प्रमोदभाव, दुःखी जीवोंके प्रति सेवाभाव और विपरीत दुष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति वाले जीवोंके प्रति मध्यस्थता (तटस्थ) का भाव भी अपनानेकी आवश्यकता है । इस तरह सर्वानुगतताको प्राप्त व्यवहारधर्म उपयुक्त प्रकार निश्चयधर्मकी उत्पत्तिमें साधक सिद्ध हो जाता है ।





दर्शन और न्याय

दर्शन और न्याय

१. भारतीय दर्शनोंका मूल आधार
२. जैनदर्शनमें प्रमाण और नय
३. ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार
४. जैनदर्शनमें नयवाद
५. अनेकान्तवाद और स्याद्वाद
६. स्याद्वाद दर्शन और उसके उपयोगका अभाव
७. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगका विश्लेषण
८. जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान
९. जैनदर्शनमें बन्तुका स्वरूप
१०. जैनदर्शनमें सप्ततत्त्व और षट्द्रव्य
११. अर्थमें भूल और उमका समाधान



भारतीय दर्शनोंका मूल आधार

'दर्शन' शब्द संस्कृत भाषाका शब्द है। यह शब्द संस्कृतव्याकरणके अनुसार "दृश्यते निर्णयते वस्तु-तत्त्वमनेनेति दर्शनम्" अथवा 'दृश्यते = निर्णयत इव (वस्तु तत्त्वं) इति दर्शनम्' इन दोनों व्युत्पत्तियोंके आधारपर "दृश्" धातुसे निष्पन्न होता है। पहली व्युत्पत्तिके आधारपर निष्पन्न 'दर्शन' शब्द तक, कितकं मंथन या परीक्षा स्वल्प उस विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्णयमें प्रयोजक हुआ करती है। दूसरी व्युत्पत्तिके आधारपर निष्पन्न 'दर्शन' शब्दका अर्थ उल्लिखित विचारधारा द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार 'दर्शन' शब्द दार्शनिक जगतमें इन दोनों प्रकारके अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है अर्थात् भिन्न-भिन्न दर्शनोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें हैं उनको और जिन तार्किक मुद्दोंके आधारपर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक मुद्दोंको दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया है।

वर्तमान दुष्य जगत्की परंपराको सभी दर्शनोंमें किसी-न-किसी रूपसे अनादि स्वीकार किया गया है। इसलिए जगतकी इस परंपरामें न मालूम कितने दर्शन विकासको प्राप्त होकर विचल हो गये होंगे और कौन कहां लफटा है कि भविष्यमें भी नये-नये दर्शनोंका प्रादुर्भाव नहीं होगा। परन्तु आज हम सिकं उन्हीं दर्शनोंके बारेमें कुछ सोच सकते हैं जो उपलब्ध हैं या साहित्यके आधारपर जिनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये दर्शन सबसे पहले भारतीय और अमरतीय (पाश्चात्य) दर्शनोंके रूपमें हमारे सामने आते हैं। जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षमें हुआ है वे दर्शन भारतीय और जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षके बाहर पाश्चात्य देशोंमें हुआ है वे अमरतीय या पाश्चात्य दर्शनोंके नामसे पुकारे जाते हैं।

भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त किये गये हैं—वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वैदिक परम्पराके अन्तर् जिनका प्रादुर्भाव और विकास हुआ है तथा जो वैदिक परम्पराके पोक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने गये हैं और वैदिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतंत्र परम्परा है या जो वैदिक परम्पराके विरोधी दर्शन हैं उनको अवैदिक दर्शन स्वीकार किया गया है। वैदिक दर्शनोंमें मुख्यतः साध्य, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन माने गये हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शनोंको अवैदिक दर्शन स्वीकार किया गया है। इनके अलावा छोटे-मोटे भेदों और उपभेदोंके रूपमें और भी वैदिक तथा अवैदिक दर्शनोंको गणना की जा सकती है, परन्तु अनावश्यक विचारके भयसे उन्हें इस विभागक्रममें स्थान नहीं दिया गया है। आजकलके बहुतसे विद्वानोंमें गीताको एक स्वतंत्र दर्शन माननेकी प्रवृत्ति देखी जाती है। परन्तु वास्तवमें गीता कर्तव्यरूप धार्मिक या आध्यात्मिक महान् उपदेश मात्र है। यही कारण है कि गीतामें स्थान-स्थानपर श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनके लिए कर्मयोगकी और लुकनेकी प्रेरणा की गई है। गीताको कर्मयोगका प्रतिपादक ग्रन्थ मानना भी मेरे विचारके अनुसार ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि गीतामें कर्म-योगके आधारपर प्रायः समस्त वैदिक दर्शनोंके समन्वय करनेका प्रयत्न किया गया है।

इन वैदिक और अवैदिक दर्शनोंके दार्शनिक विकासके मध्य युगमें क्रमसे आस्तिक और नास्तिक नामों से भी पुकारा जाने लगा था। परन्तु मालूम पड़ता है कि वैदिक और अवैदिक दर्शनोंका इस प्रकारका नामकरण वेदपरम्पराके समर्थन और विरोधके कारण प्रशंसा और निन्दा रूपमें साम्प्रदायिक व्यामोहके बधीभूत लोगों द्वारा किया गया है, कारण कि यदि प्राणियोंका जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिके न मानने रूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद्ध ये दोनों अवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकलकर आस्तिक दर्शनोंकी कोटिमें आ जायेंगे; क्योंकि ये दोनों दर्शन प्राणियोंके जन्मान्तर

रूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा भुक्तिता समर्थन करते हैं। और यदि जगतका कर्ता अनादिनिघन ईश्वर को न मानने रूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा इन दोनों वैदिक दर्शनों को उपस्थित दर्शनोंकी कोटिमें निकालकर नास्तिक कोटिमें पटक देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिघन ईश्वरको जगतका कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं। इस प्रकार उभर बतलाया गया सम्पूर्ण विभागक्रम अब्यवस्थित हो गया है। "नास्तिको वेदनिन्दकः" इत्यादि प्रसिद्ध वाक्य भी हमें यह बतला रहे हैं कि वेद परम्पराको न मानने वालोके बारेमें ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदायवादिदियोने अपने सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोको आस्तिक और अपनेसे भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके मानने वालोको नास्तिक स्वीकार किया है। जैन सम्प्रदायमें भा जैन परम्पराके माननेवालोको सम्यक्दृष्टि और जैनेतर परम्पराके माननेवालोको विष्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। भेरे कहनेका मतलब यह है कि भारतीय दर्शनका जो आस्तिक और नास्तिक दर्शनोंके रूपमें विभाग किया गया है वह निरर्थक एवं अनुचित है। इसलिए उनका विभाग उल्लिखित वैदिक और अवैदिक दर्शनोंके रूपमें ही करना चाहिए।

उल्लिखित दर्शनोंकी उत्पत्तिके बारेमें जब हम सोचते हैं, तो हमें इनके मूलमें दो प्रकारके वादोंका पता चलता है—एक अस्तित्ववाद और दूसरा उपयोगितावाद। अर्थात् ये सभी दर्शन अस्तित्ववाद या उपयोगितावादके आधारपर प्रादुर्भूत हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है। जगत क्या और कैसा है? जगतमें कितने पदार्थोंका अस्तित्व है? उन पदार्थोंके कैसे-कैसे परिणाम होते हैं? इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर सामान्यतया तत्त्वोंका विचार करना अस्तित्ववाद कहलाता है और जगतके प्राणी दुःखी क्यों हैं? वे सुखी कैसे हो सकते हैं? इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर सिर्फ लोककल्याणोपयोगी तत्त्वोंके बारेमें विचार करना उपयोगितावाद समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अस्तित्ववादके आधारपर वे सब तत्त्व मान्यताकी कोटिमें आ जाते हैं जिनका अस्तित्व प्रमाणोंके आधारपर सिद्ध होता हो और उपयोगितावादके आधारपर सिर्फ वे ही तत्त्व मान्यताकी कोटिमें पहुँचते हैं जो लोककल्याणके लिये उपयोगी सिद्ध होते हों। मेरी रायके मुताबिक इस उपयोगितावादका ही अन्तर नाम आध्यात्मिकवाद और अस्तित्ववादका ही दूसरा नाम आधिभौतिकवाद समझना चाहिए। जिन विद्वानोंका यह क्याल है कि समस्त चेतन और अचेतन जगतकी सृष्टि अथवा विकास आत्मासे मानना आध्यात्मिकवाद और उपर्युक्त जगतकी सृष्टि अथवा विकास अचेतन अर्थात् जड़ पदार्थसे मानना आधिभौतिकवाद है, उन विद्वानोंके साथ मेरा स्पष्ट मतभेद है और इस मतभेदसे मेरा तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकवाद और आधिभौतिकवादके उल्लिखित अर्थके मुताबिक जो वेदान्त दर्शनको आध्यात्मिक दर्शन तथा चार्वाक दर्शनको आधिभौतिक दर्शन मान लिया गया है वह ठीक नहीं है। मैंने अन्तर्देशीय दर्शनको तो नहीं, परन्तु भारतीय दर्शनको जो थोडा बहुत अध्ययन एवं चिन्तन किया है उससे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि सांख्य, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय और वैशेषिक ये वैदिक दर्शन तथा जैन, बौद्ध और चार्वाक ये सभी अवैदिक दर्शन पूर्वोक्त उपयोगितावादके आधारपर ही प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिये ये सभी दर्शन आध्यात्मिकवादके अंतर्गत माने जाने चाहिए। किसी भी दर्शनका अनुयायी आज अपने दर्शनके बारेमें यह आशेष सहन नहीं कर सकता है कि उसके दर्शनका विकास लोककल्याणके लिए नहीं हुआ है और इसका भी कारण यह है कि भारतवर्ष सर्वदा धर्मप्रधान देश रहा है। इसलिए समस्त भारतीय दर्शनोंका मूल आधार उपयोगितावादको मानना युक्तिपूर्ण है।

लोककल्याणशब्दमें पठित लोकशब्द "जगतका प्राणिसमूह" अर्थमें प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है, इसलिए यहाँपर लोककल्याणशब्दसे "जगतके प्राणिसमूहका कल्याण" अर्थ ग्रहण करना चाहिये। कोई-

कोई दर्शन प्राणियोंके दृश्य और अदृश्य दो भेद स्वीकार करते हैं और किन्हीं-किन्हीं दर्शनोंमें सिर्फ दृश्य प्राणियोंके अस्तित्वको ही स्वीकार किया गया है। दृश्य प्राणी भी दो प्रकारके पाये जाते हैं। एक प्रकारके दृश्य प्राणी वे हैं जिनका जीवन प्रायः समष्टि-प्रधान है और दूसरे प्रकारके दृश्य प्राणी वे हैं जिनका जीवन प्रायः व्यष्टि-प्रधान है। मनुष्य समष्टि-प्रधान जीवनवाले प्राणियोंमेंसे है क्योंकि मनुष्योका जीवन प्रायः एक दूसरे मनुष्यकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायतापर निर्भर है। बाकीके सभी दृश्य प्राणी पशु, पक्षी, सर्प, बिच्छू, कीट, पतंग वगैरह व्यष्टि-प्रधान जीवन वाले प्राणी कहे जा सकते हैं; क्योंकि इनके जीवनमें मनुष्यो जैसी परस्परकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायताकी आवश्यकता प्रायः देखनेमें नहीं आती है। व्यष्टि-प्रधान जीवनको समानताके कारण ही जैनदर्शनमें इन पशु, पक्षी आदि प्राणियोंका तिर्यग् (तिर्यग्भ्य) नामसे पुकारा जाता है, कारण कि तिर्यग् शब्दका समानता अर्थमें प्रयोग पाया जाता है। सभी भारतीय दर्शनकारोंने अपने-अपने दर्शनके विकासमें अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार जगत्के इन दृश्य और अदृश्य प्राणियोंके कल्याणका लक्ष्य अवश्य रखा है। एक चार्वाक दर्शनको छोड़कर उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमें प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिका समर्थन किया गया है, इसलिये इन दर्शनोंके आविष्कर्ताओंकी लोककल्याणभावनाके प्रति तो सदेह करनेकी गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन उपलब्ध साहित्यसे जो थोड़ा-बहुत चार्वाक दर्शनका हमें विश्वदर्शन होता है उससे उसके आविष्कर्ताकी लोककल्याण भावनाका पता भी हमें सहज हीमें लग जाता है।

“श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम्।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया, महाजनो येन गतः स पन्था ॥”

इस पद्यमें चार्वाकदर्शनकी आत्माका स्पष्ट आभास मिलता है। इस पद्यका आशय यह है कि “धर्म मनुष्यके कर्तव्यमार्गका नाम है और वह जब लोक-कल्याणके लिये है तो उसे अलट एक रूप होना चाहिये-नाना रूप नहीं। लेकिन धर्मतत्त्वकी प्रतिपादक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ नाना और परस्पर-विरोधी देखनेमें आती हैं। हमारे धर्मप्रवर्तक महात्माओंने भी धर्मतत्त्वका प्रतिपादन एक रूपसे न करके भिन्न-भिन्न रूपसे किया है इसलिये उनके बचनोंको भी सर्वसम्मत प्रमाण मानना असम्भव है। ऐसी हालतमें सर्वसाधारणके लिये धर्मतत्त्व एक गूढ पहली बना हुआ है। अर्थात् धर्मतत्त्वके समझनेमें हमारे लिये श्रुति, स्मृति या कोई भी धर्मप्रवर्तक सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए धर्मतत्त्वकी पहलीमें न उलझ करके हमें अपने कर्तव्यमार्गका निर्णय महात्मापुरुषोंके कर्तव्यमार्गके आधारपर करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि महात्मा पुरुषोंका जीवन स्वपरकल्याणके लिये ही होता है, इसलिये हमारा जो कर्तव्य स्वपरकल्याणविरोधी न हो उसे ही अविवाद रूपसे हमें धर्म समझना चाहिये।” मालूम पड़ता है कि चार्वाक दर्शनके आविष्कर्ताका अन्तःकरण धर्मके बारेमें पैदा हुए लोककल्याणके लिए स्वतन्त्रात्मक मतभेदोंको देखकर उन्नत गया था, इसलिए उसने दुनियाके समझ इम बातको रखनेका प्रयत्न किया था कि जन्मान्तररूप परलोक-स्वर्ग और नरक तथा मुक्ति जैसे अदृश्य तत्त्वोंकी चर्चा, जो कि विवादेके कारण जनहितकी धातक हो रही है—को छोड़कर केवल हमें ऐसा कर्तव्यमार्ग चुन लेना चाहिये, जो जनहितका साधक हो सकता है और ऐसे कर्तव्यमार्गमें किसीको विवाद करनेकी भी कम गुंजाइश रह सकती है।

“यावज्जीव सुखी जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥”

यह जो चार्वाकदर्शनकी मान्यता बतलाई जाती है वह कुछ भ्रममूलक जान पड़ती है। इस प्रकार दूसरे भारतीय दर्शनोंकी तरह चार्वाकदर्शनको भी उपयोगितावाद अर्थात् आध्यात्मिकताकी कोटिसे बाहर नहीं किया जा सकता है।

समस्त भारतीय दर्शनोंमें बीजकल्पसे इस उपयोगितावादकी स्वीकार कर लेने पर ये सभी दर्शन एक-दूसरे दर्शनोंके, जो अत्यन्त विरोधी मालूम पड़ते हैं, ऐसा न होकर अत्यन्त निकटतम मित्रोंके समान दिखने लगेंगे। तात्पर्य यह है कि उल्लिखित प्रकारसे चार्वाक दर्शनमें छिपे हुए उपयोगिताके रहस्यकी समझ लेनेपर कौन कह सकता है कि उसका परलोकवादिके बारेसे दूसरे दर्शनोंके साथ जो मतभेद है वह खतरनाक है। कारण कि जहाँ दूसरे दर्शन परलोकवादिके आधार मानकर मनुष्योंके क्लिप्ते योग्य कर्तव्यमार्गपर चलनेकी प्रेरणा करते हैं वहाँ चार्वाकदर्शन सिर्फ वर्तमान जीवनकी सुखी बनानेके इच्छासे मनुष्योंके लिये उसी योग्य कर्तव्यमार्गपर चलनेकी प्रेरणा करता है। तथा जब परलोक या स्वर्गादिके अस्तित्वकी स्वीकार करते हुये भी सर्वदर्शनकारोंको यह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त मानना पड़ता है कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवनमें अच्छे कृत्य करनेसे ही परलोकमें सुखी हो सकता है या स्वर्ग पा सकता है तो परलोक या स्वर्गके अस्तित्वको न मानने मात्रसे चार्वाक मतानुयायीको यदि वह अच्छे कृत्य करता है तो परलोकमें सुख या स्वर्गकी प्राप्तिसे कौन रोक सकता है? इसी तरह नरकका अस्तित्व न मानने मात्रसे पाप करती हुए भी उसका नरकमें जाना असंभव कैसे हो सकता है? परलोक या स्वर्गादिके अस्तित्वको न मानने वाला व्यक्ति अच्छे कृत्य कर ही नहीं सकता है, यह बात कोई भी व्यक्ति माननेको तैयार न होगा, कारण कि हम पहले बतला गये हैं कि मनुष्यका जीवन परस्परकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायताके आधारपर ही सुखी हो सकता है। यदि एक मनुष्यको सुखी जीवन बितानेके संपूर्ण साधन उपलब्ध हैं और दूसरा उसका पड़ोसी मनुष्य चार दिनसे भूखा पड़ा हुआ है तो ऐसी हालातमें या तो पहले व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिके बारेमें सहायताके रूपमें अपना कोई कर्तव्य निश्चित करना होगा, अन्यथा नियमसे दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्तिके सुखी जीवनको ठेस पहुँचानेका कारण बन जायगा। तात्पर्य यह है कि हमें परलोककी मान्यतासे अच्छे कृत्य करनेके लिये जितनी प्रेरणा मिल सकती है उससे कहीं अधिक प्रेरणा वर्तमान जीवनकी सुखी बनानेकी आकांक्षासे मिलती है। चार्वाक दर्शनका अभिप्राय इतना ही है।

बौद्धोंके अणिकवाद और ईश्वरकतृत्ववादियोंके ईश्वरकतृत्वमें भी वही उपयोगितावादका रहस्य छिपा हुआ है। बौद्ध दर्शनमें एक वाक्य पाया जाता है—“वस्तुनि अणिकपरिकल्पना आत्मबुद्धिनिरासार्थम्” अर्थात् पदार्थोंमें जगत्के प्राणियोंके अनुचित राग, द्वेष और मोहक्री रोकनेके लिये ही बौद्धोंने पदार्थोंकी अस्तित्वताका सिद्धान्त स्वीकार किया है। इसी प्रकार जगत्का कर्ता एक अनादिनिघन ईश्वरको मान लेनेसे संसारके बहुजन समाजको अपने जीवनके सुधारमें काफी प्रेरणा मिल सकती है। इस उपयोगितावादके आधार पर ही ईश्वरकतृत्ववाद स्वीकार किया था। परन्तु अफसोस है कि धीरे-धीरे सभी दर्शन उपयोगितावादके झूल-भूत आधारसे हटकर अस्तित्ववादके उदरमें समा गये अर्थात् इन दर्शनोंमें जो तत्त्व उपयोगितावादके आधारपर निश्चित किये गये थे उन तत्त्वोंके बारेमें अस्तित्ववादके आध्यात्मिक विचार होने लग गया और इसका ही यह परिणाम है कि सभी दर्शनकारोंमें अपनेसे भिन्न दूसरे दर्शनोंको उनकी उपयोगिताके ऊपर ध्यान न देते हुये उन्हें असत्य सिद्ध करनेका प्रयास किया है।

साध्य और वेदान्त दोनों दर्शनोंकी तत्त्व-मान्यतामें उपयोगितावादकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। साध्यदर्शनमें प्रकृतिनामका चेतनामय पदार्थ और पुरुषनामका चेतनात्मक आत्मरूप पदार्थ इस प्रकार दो मूल तत्त्व स्वीकार किये गये हैं। इनमेंसे प्रकृतिको एक और पुरुषको अनेक रूपमें स्वीकार किया गया है। यह एक प्रकृति अनेक पुरुषोंके साथ संयुक्त होकर पुरुषोंमें मालूम पड़नेवाले बुद्धि, अहंकार आदि नामारूपसे परिणत हो जाया करती है। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त है तब तक वह बुद्धि

अहंकार आदि नानारूप हैं और जब इसका पुरुषके साथ हुए संयोगका अभाव हो जाता है तब अपने स्वाभाविक रूपमें पहुँच जाती है। प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि रूप हो जानेका नाम ही सांख्य दर्शनमें सृष्टि या संसार माना गया है। यह प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि रूप हो जाना कैसे संसारको व्यनित करता है ? यही सबसे अधिक विचारणीय प्रश्न है।

सांख्यदर्शनमें प्रकृतिका पुरुषके साथ संयोग होकर बुद्धि, अहंकार आदि नानारूप होनेकी परंपरा इस प्रकार बतलायी गयी है—प्रकृति पुरुषके साथ संयुक्त होकर बुद्धिरूप परिणत होती है, यह बुद्धि अहंकाररूप परिणत होती है, अहंकार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन तथा पाँच तन्मात्रा इस प्रकार इन सोलह तत्त्वरूप परिणत होता है और इन सोलह तत्त्वोंमेंसे पाँच तन्मात्राओं अन्तर्गत पाँच महाभूतरूप परिणत हो जाया करती है। इस व्यवस्थामें विचारणीय बात यह है कि जब पुरुष नाना है तो भिन्न-भिन्न पुरुषोंके साथ संयुक्त प्रकृतिके विपरिणामस्वरूप बुद्धितत्त्वमें भी नानात्व स्वीकार करना हीया और इस प्रकार नाना बुद्धितत्त्वोंके विपरिणामस्वरूप नाना अहंकारतत्त्व, नाना अहंकारतत्त्वोंके विपरिणामस्वरूप नाना पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ आदि सोलह-सोलह प्रकारके तत्त्व और इन सोलह प्रकारके तत्त्वोंमें अन्तर्भूत नाना पाँच प्रकारकी तन्मात्राओंके विपरिणामस्वरूप नाना पाँच महाभूत स्वीकार करने होंगे। इस तरहसे जब मूलभूत एक प्रकृतिके ही विपरिणामस्वरूप पाँच महाभूत तककी सम्पूर्ण परम्पराओं अनिवार्यरूपसे नानात्व स्वीकार करना पड़ता है तो इसमें एक आपत्ति यह उपस्थित होती है कि हमें पाँचमहाभूत स्वरूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंमें गभित आकाशतत्त्वको भी नानारूप मानना हीया। दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि जब पुरुषकी संयुक्त हालतमें ही प्रकृतिका विपरिणाम होता है तो ये महाभूतस्वरूप पाँचतत्त्व भी प्रकृति और पुरुषकी संयुक्त हालतके प्रकृति विपरिणाम मानने होंगे। प्रकृति और पुरुषकी संयुक्त हालतसे भिन्न स्वरूप इनका स्वतन्त्र अस्तित्व मानना असंगत होगा। इन आपत्तियोंके आधारपर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पुरुषके साथ संयोग होनेसे प्रकृतिकी तैत्ति तत्त्व की जो परम्परा है वह भिन्न-भिन्न पुरुषोंकी भिन्न-भिन्न देह तक ही सीमित है अर्थात् भिन्न-भिन्न पुरुषोंके साथ संयोग होनेपर होनेवाली प्रकृतिकी बुद्धिसे लेकर स्थूल शरीर-रचना तककी परम्पराका नाम ही सांख्यदर्शनमें सृष्टि या संसार माना गया है। उसकी सृष्टिमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्व गभित नहीं हैं। गीताके १३वें अध्यायमें जो ज्ञेय, ज्ञेयज्ञविषयक विचार किया गया है उसमें ज्ञेयका अर्थ शरीर ही किया गया है और उसका विस्तार सांख्यकी मान्यताके अनुसार प्रकृतिके विकार स्वरूप बुद्धिसे लेकर पाँच महाभूत पर्यंत किया है। सांख्य दर्शनकी यह मान्यता वेदान्त दर्शनको भी अभीष्ट है। नैद सिद्धं इत्यादि कि वेदान्त दर्शन एक प्रकृति और नाना पुरुष इन दोनों प्रकारके तत्त्वोंको सांख्यदर्शनकी तरह मूल तत्त्व स्वीकार नहीं करता है। वह इन दोनोंके मूलमें एक परब्रह्मनायक तत्त्वको स्वीकार करता है। इस प्रकार वेदान्तदर्शनमें भी परब्रह्मके विपरिणामस्वरूप प्रकृति और पुरुष, जिनको बर्हा पर क्रमसे अविद्या (माया) और जीवात्मा नाम दिये गये हैं, को लेकर जीवात्माओंके स्थूल शरीर तककी परम्पराका नाम ही सृष्टि या संसार माना गया है, क्योंकि सांख्यदर्शनकी तरह वेदान्तदर्शनकी मान्यताके अनुसार भी पूर्वोक्त आपत्तियोंके आधारपर एक परब्रह्म तत्त्वसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्त्वोंकी उत्पत्तिका समर्थन नहीं हो सकता। गीताके भिन्नलिखित श्लोकसे भी मेरी इस कल्पनाका समर्थन होता है—

यथा सर्वगतं सौम्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥

इस श्लोकमें आत्माका अर्थ परब्रह्म किया गया है और उससे भिन्न स्वतन्त्र तथा व्यापक आकाश

तत्त्वको वृष्टान्त देकर उसकी मिलेपताका समर्थन किया गया है। इससे मालूम पड़ता है कि वेदान्तको परब्रह्मसे आकाशकी उत्पत्ति अभीष्ट नहीं है। प्रत्युत उन्की निगाहमें आकाश एक स्वतन्त्र अनादिनिचन पदार्थ है और आकाशकी तरह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्त्व भी परब्रह्म हैं, सर्वथा पृथक् स्वतन्त्र पदार्थ हैं। ये तत्त्व भी परब्रह्मसे उत्पन्न नहीं हुए हैं।

यहीपर एक प्रश्न सिर्फ यह उपस्थित हो सकता है कि जब सांख्य और वेदान्त दोनों दर्शनोंमें पृथ्वी, अक्ष, अग्नि और वायु और आकाश तत्त्वोंका एक तो स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है और दूसरे सांख्यकी मान्यतामें प्रकृतिसे तथा वेदान्तकी मान्यतामें परब्रह्मसे उनकी उत्पत्तिका समर्थन भी नहीं होता है, तो ऐसी हालतमें ये दोनों दर्शन अचूरे घर्शन रह जायेंगे।

इसका समाधान यह है कि यदि हम यह बात मान लेते हैं कि यह दोनों दर्शन उपयोगितावादके आधारपर प्रादुर्भूत हुए हैं अर्थात् इन दोनोंमें सिर्फ लोककल्याणोपयोगी तत्त्वोंका ही वर्णन किया गया है तो फिर यहीपर यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि सांख्य और वेदान्त दर्शनोंमें पृथ्वी आदि पाँच तत्त्वोंकी न तो प्रकृति अथवा परब्रह्मसे उत्पत्ति मानी गई है और न इनका स्वतंत्र अस्तित्वके आधारपर ही वर्णन किया गया है, किन्तु इनका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करते हुए भी लोककल्याणके लिए उपयोगी न होनेके कारण इन दोनों दर्शनोंमें इन तत्त्वोंके कथनके बारेमें सिर्फ उपेक्षावृत्ति धारण की है।

जैनदर्शन भी यद्यपि दूसरे सभी भारतीय दर्शनोंकी तरह उपयोगितावादके आधारपर उत्पन्न हुआ है। परन्तु जैनदर्शनमें उपयोगितावाद और अस्तित्ववाद दोनों वादोंके आधारपर स्वतंत्र दो प्रकारकी तत्त्व-मान्यतायें पाई जाती हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संबन्ध, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंकी मान्यता उपयोगितावादके आश्रित है, क्योंकि इस मान्यतामें सिर्फ जीव, जीवका संसार और उसके कारण तथा जीव-मुक्ति और उसके कारणरूप उपयोगी तत्त्वोंको ही स्थान दिया गया है और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन ६ तत्त्वोंकी मान्यता अस्तित्ववादके आश्रित है, क्योंकि इस मान्यतामें लोककल्याणोपयोगिताका ध्यान रखते हुए जगतके सम्पूर्ण पदार्थोंके अस्तित्वपर सामान्यतया विचार किया गया है।



जैनदर्शनमें प्रमाण और नय*

व्याकरणके अनुसार दर्शनशब्द 'दृश्यते=निर्णयते वस्तुतत्त्वमननेनेति दर्शनम्' अथवा 'दृश्यते निर्णयित इव वस्तुत्वस्वभिति दर्शनम्, इन दोनों व्युत्पत्तियोंके आधारपर दृश वातुसे निष्पन्न होता है। पहली व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शनशब्द तर्क-वितर्क, मन्थन या परीक्षाम्बरूप उस विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्णयमें प्रयोजक हुआ करती है। दूसरी व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शनशब्दका अर्थ उल्लिखित विचारधाराके द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शनशब्द दार्शनिक अगत्में इन दोनों प्रकारके अर्थोंमें व्यवहृत हुआ है अर्थात् भिन्न-भिन्न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें हैं उनको और जिन तार्किक युद्धोंके आधारपर उन मान्यताओंका समर्थन होता है उन तार्किक युद्धोंको दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

सबसे पहले दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—भारतीय दर्शन और अभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन। जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षमें हुआ है वे भारतीय और जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्षके बाहर पाश्चात्य देशोंमें हुआ है वे अभारतीय (पाश्चात्य) दर्शन माने गये हैं। भारतीय दर्शन भी दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं—वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वैदिक परम्पराके अन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो वेदपरम्पराके पौषक दर्शन हैं वे वैदिक दर्शन माने जाते हैं और वैदिक परम्परासे भिन्न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्पराके विरोधी दर्शन हैं उनका समावेश अवैदिक दर्शनोंमें होता है। इस सामान्य नियमके आधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुख्यतः मात्स्य, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय तथा वैशेषिक दर्शन आते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शन अवैदिक दर्शन ठहरे हैं।

वैदिक और अवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे आस्तिक और नास्तिक नामोंसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम पड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रदायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन और विरोधके आधारपर प्रशंसा और निन्दाके रूपमें किया गया है। कारण, यदि प्राणियों के जन्मान्तररूप परलोक—स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमें नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद्ध दोनों अवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकलकर आस्तिक दर्शनोंकी कोटिमें आ जायेंगे, क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक—स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते हैं। और यदि जगत्का कर्ता अनादिनिघन ईश्वरको न मानने रूप अर्थमें नास्तिकशब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमांसा दर्शनोंको भी आस्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोंकी कोटिमें रख देना पड़ेगा; क्योंकि ये दोनों दर्शन अनादिनिघन ईश्वरको जगत्का कर्ता माननेसे इन्कार करते हैं। 'नास्तिको वेद-निन्दक' इत्यादि वाक्य भी हमें यह बतलाते हैं कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोध करने-वालोंके बारेमें ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें अपनी परम्पराके मानने-वालोंकी आस्तिक और अपनेसे भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमें जैनपरम्पराके माननेवालोंको सम्यग्दृष्टि और जैनैतर परम्पराके माननेवालोंको मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो आस्तिक और नास्तिक दर्शनोंके रूपमें विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं अनुचित है।

उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंमेंसे एक-दो दर्शनोंकी छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है। विगम्बर और श्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिमें काफी हाथ बटिया है। विगम्बर

* डॉ० कोटिया द्वारा सम्पादित न्यायदीपिकायत प्राक्कथन, १९४५।

और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतभेद पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, आगमिक है। इसलिये इन दोनोंके दर्शन-साहित्यकी समृद्धिके धारावाहिक प्रयासमें कोई अन्तर नहीं आया है।

दर्शनशास्त्रका मुख्य उद्देश्य वस्तु-स्वरूपव्यवस्थापन ही मना गया है। जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मात्मक) निर्णीत किया गया है। इसलिये जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त अनेकान्तावाद (अनेकान्ताकी भाव्यता) है। अनेकान्ताका अर्थ है—परस्पर-विरोधी दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वय। तात्पर्य यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको सिर्फ सत् या असत्, सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या अनित्य, सिर्फ एक या अनेक और सिर्फ भिन्न या अभिन्न स्वीकार किया गया है वहाँ जैनदर्शनमें वस्तुको सत् और असत्, सामान्य और विशेष, नित्य और अनित्य, एक और अनेक तथा भिन्न और अभिन्न स्वीकार किया गया है और जैनदर्शनकी यह सत्-असत्, सामान्य-विशेष, नित्य-अनित्य, एक-अनेक और भिन्न-अभिन्नरूप वस्तुविषयक भाव्यता परस्पर-विरोधी दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वयको सूचित करती है।

वस्तुकी इस अनेकधर्मात्मकताके निर्णयमें साधक प्रमाण होता है। इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जैनदर्शनमें भी प्रमाण-भाष्यताको स्थान दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें सम्यग्ज्ञान (अपने और अपूर्व अर्थके निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण माना गया है, क्योंकि ज्ञाति-क्रियाके प्रति जो कारण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाणनामसे उल्लेख किया गया है। ज्ञातिक्रियाके प्रति कारण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाकल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति अत्यन्त अर्थात् अव्यवहितरूपसे साधक कारणको ही व्याकरणशास्त्रमें 'करणसंज्ञा दी गयी है' और अव्यवहितरूपसे ज्ञातिक्रियाका साधक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारकसाकल्यादि ज्ञातिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके अव्यवहितरूपसे साधक नहीं हैं, इसलिये उन्हें प्रमाण कहना अनुचित है।

प्रमाण-भाष्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमें कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्षप्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम इन तीन प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान चार प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंको मानते हैं। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी अपनी प्रमाणभाष्यतामें स्थान देते हैं। परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणको इन भिन्न-भिन्न संख्याओंको यथायोग्य निरर्थक, पुनरुक्त और अपूर्ण बतलाते हुए मूलमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय और इन्द्रियजन्य ये दो भेद मानकर अतीन्द्रिय प्रत्यक्षमें अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमें स्वर्गान, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों और मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शवेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसवेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, घ्राणवेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, चक्षुवेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णवेन्द्रिय-प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छह भेद स्वीकार किये गये हैं। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानको जैनदर्शनमें देशप्रत्यक्ष संज्ञा दी गई है। कारण कि इन दोनों ज्ञानोंका विषय सीमित माना गया है और केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष नाम दिया गया है, क्योंकि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात् जगत्के संपूर्ण पदार्थ अपने-अपने त्रिकालवर्ती विषयों सहित इसकी विषयकोटिमें एक साथ समा जाते हैं। सर्वज्ञमें केवलज्ञाननामक इसी सकलप्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। अतीन्द्रियप्रत्यक्षको परमार्थप्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षको साध्यव्यवहारिकप्रत्यक्ष

भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान यद्यपि आत्मोत्पत्त हैं क्योंकि ज्ञानको आत्माका स्वभाव या गुण माना गया है। परन्तु अतीन्द्रियप्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे आत्माने उद्भूत हुआ करते हैं, इसलिये इन्हें परमार्थ संज्ञा दी गई है और इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष आत्मोत्पत्त होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन है, इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यक्ष कहना अनुचित ही है। अतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष ही कहना उचित है। फिर जब ये प्रत्यक्ष पराधीन है तो इन्हें परोक्ष प्रमाणोंमें ही अन्तर्भूत क्यों नहीं किया गया है? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमें अर्थ पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानको साध्यबहारिक प्रत्यक्षमें अन्तर्भूत किया गया है और जिस ज्ञानमें श्रेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान न हो, परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भूत किया गया है। उक्त ऊहों इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षों (साध्यबहारिकप्रत्यक्षों)में प्रत्येककी अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार-चार अवस्थायें स्वीकार की गयी हैं। अवग्रह—ज्ञानकी उस दुर्बल अवस्थाका नाम है जो अनन्तरकालमें निमित्त मिलनेपर विरुद्ध मानाकोटि विषयक संशयका रूप धारण कर लेतो है और जिसमें एक अवग्रहज्ञानकी विषय-भूत कोटि भी शामिल रहतो है। संशयके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटिविषयक अनिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना गया है। और ईहाके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत ज्ञानका नाम अवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कही जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान अवग्रह है। इस ज्ञानकी दुर्बलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान अनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर "वह पुरुष है या ठूँठ" इस प्रकारके संशयका रूप धारण कर लिया करता है। यह संशय अपने अनन्तरकालमें निमित्तविषयके आधारपर 'मालूम पडता है कि यह पुरुष ही है' अथवा 'उसे पुरुष ही होना चाहिये' इत्यादि प्रकारसे ईहाज्ञानका रूप धारण कर लिया करता है और यह ईहाज्ञान ही अपने अनन्तर समयमें निमित्तविषयके बलपर 'वह पुरुष ही है' इस प्रकारके अवायज्ञानरूप परिणत हो जाया करता है। यही ज्ञान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमें होनेवाली 'अमुक समयमें अमुक स्थानपर मैंने पुरुषको देखा था' इस प्रकारकी स्मृतिमें कारणभूत जो अपना संस्कार मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका नाम धारणा-ज्ञान जैनदर्शनमें माना गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष (साध्यबहारिकप्रत्यक्ष) भिन्न-भिन्न समयमें भिन्न-भिन्न निमित्तोंके आधारपर अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चार रूपोंको धारण कर लिया करता है और ये चार रूप प्रत्येक इन्द्रिय और मनसे होनेवाले प्रत्यक्षज्ञानमें सम्भव हुआ करते हैं। जैन-दर्शनमें प्रत्यक्षप्रमाणका स्पष्टीकरण इसी ढङ्गसे किया गया है।

जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आशय। इनमेंसे धारणामूलक स्वतन्त्र ज्ञानविषयका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यक्षमूलक वर्तमान और भूत पदार्थोंके एकत्व अथवा सायुष्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान कहलाता है, प्रत्यभिज्ञानमूलक दो पदार्थोंके अविनाभावसम्बन्धरूप व्याप्तिका प्राहक तर्क होता है और तर्कमूलक साधनसे साध्यका ज्ञान अनुमान माना गया है। इसी तरह आगमज्ञान भी अनुमानमूलक ही होता है अर्थात् 'अमुक शब्दका अमुक अर्थ होता है' ऐसा निर्णय हो जानेके बाद ही ओता किसी शब्दको सुनकर उसके अर्थका ज्ञान कर सकता है। इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि साध्यबहारिकप्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है और परोक्षप्रमाण साध्यबहारिकप्रत्यक्षजन्य है। बस, साध्यबहारिकप्रत्यक्ष और परोक्षप्रमाणमें इतना ही अन्तर है।

जैनदर्शनमें शब्दजन्य अर्थज्ञानको आगमप्रमाण माननेके साथ-साथ उस शब्दको भी आगमप्रमाणमें

संगृहीत किया गया है और इस प्रकार जैनदर्शनमें आगमप्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैं—एक स्वार्थ-प्रमाण और दूसरा परार्थप्रमाण। पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप ही है। परन्तु एक आगमप्रमाण ही ऐसा है, जिसे स्वार्थप्रमाण और परार्थप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमें ब्रूँकि ज्ञानरूपताका अभाव है इसलिये वह परार्थप्रमाणरूप माना गया है।

यह परार्थप्रमाणरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दो प्रकारका है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहको वाक्य कहते हैं और दो या दोसे अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दोसे अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत समझना चाहिये। इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सख्ख वस्तु है और वाक्य तथा महावाक्यरूप परार्थप्रमाणके जो सख्ख हैं उन्हें जैनदर्शनमें नयसंज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें वस्तुस्वरूपके व्यवस्थापनमें प्रमाणकी तरह नदोंको भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समझना चाहिये—

“वक्तव्ये उद्दिष्ट अर्थका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्तव्ये उद्दिष्ट अर्थके अंशका प्रतिपादक पद, वाक्य और महावाक्यको नयसंज्ञा दी गयी है।”

इस प्रकार ये दोनों परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नय वचनरूप हैं और ब्रूँकि वस्तुनिष्ठ सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि परस्पर-विरोधी दो तत्त्व अथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाक्य है, इसलिए इनके आधारपर जैनदर्शनका सप्तमंगीबाध कायम होता है। अर्थात् उक्त सत्व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और अनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्नत्व और अभिन्नत्व इत्यादि युगलधर्मों और एतद्वर्गविशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमें उक्त परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत नय सात रूप धारण कर लिया करते हैं।

प्रमाणवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं

सत्व और असत्व इन दो धर्मोंमेंसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन युगपत् (एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करना असम्भव है, इसलिये अवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है, इस तरहसे प्रमाणवचनका छठा रूप बन जाता है। और उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है, इस तरहसे प्रमाणवचनका सातवाँ रूप बन जाता है। जैनदर्शनमें इसको प्रमाणसप्तमंगी वचन दिया गया है।

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं

वस्तुके सत्व और असत्व इन दो धर्मोंमेंसे सत्वधर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप है। असत्वधर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभयधर्मोंका क्रमशः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और ब्रूँकि उभयधर्मोंका युगपत् प्रतिपादन करना असम्भव है, इसलिये इस तरहसे अवक्तव्य

नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पन्न होता है। नयवचनके पाँचवें, छठे और सातवें रूपोंको प्रमाणवचनके पाँचवें, छठे और सातवें रूपोंके समान समझ लेना चाहिये। जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात रूपोंको नयसप्त-भंगी नाम दिया गया है।

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है कि जब सत्वधर्ममुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वधर्मविशिष्टताको अथवा वस्तुके असत्वधर्मको अविवक्षित मान लिया जाता है और यही बात अमरत्वधर्ममुखेन वस्तुका अथवा वस्तुके असत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय वस्तुकी सत्वधर्मविशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समझना चाहिये। इस प्रकार धर्मोंकी विवक्षा (मुख्यता) और अविवक्षा (गौणता) के स्पष्टीकरणके लिये स्याद्वाद अर्थात् स्यात्की मान्यताको भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका अर्थ है—किसी भी धर्मके द्वारा वस्तुका अथवा वस्तुके किसी भी धर्मका प्रतिपादन करते समय उसके अनुकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश्यको लक्ष्यमें रखना। और इस तरहसे ही वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता अथवा वस्तुमें विरुद्ध धर्मका अस्तित्व अक्षुण्ण रखा जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नही अपनाया जायगा, तो वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टताका अथवा वस्तुमें विरोधी धर्मका अभाव मानना अनिवार्य हो जायगा और इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तभंगीवाद और स्याद्वाद ये जैनदर्शनके अनेके सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको छोड़कर बाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जैनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा जा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी अपूर्वता एवं महत्ताके अतीव परिचायक हैं। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दर्शनमें स्थान प्राप्त है परन्तु जिम व्यवस्थित ढंग और पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस कथनकी स्वाभाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनको प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही समझ सकते हैं।

एक बात जो जैनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिये रह गई है वह है सर्वज्ञतावादकी, अर्थात् जैनदर्शनमें सर्वज्ञतावादको भी स्थान दिया गया है और इसका कारण यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो परार्थप्रमाण अर्थात् वचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दर्शनमें आपका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा आप्त अवचक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण अवचकताकी प्राप्तिके लिये व्यक्तिमें सर्वज्ञताका सञ्जाव अत्यन्त आवश्यक माना गया है।

जैनदर्शनमें इन अनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभंगी, स्यात् और सर्वज्ञताकी मान्यताओंको गंभीर और बिस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्षपर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकामें श्रीमदामिनव धर्मभूषणयतिने इन्हीं विषयोंका सरल और संक्षिप्त ढंगसे विवेचन किया है और श्री पं० दरबारालाल कोठियाने इसे ठिण्णो और हिण्णी अनुवादसे मुसकटत बनाकर सर्वसाधारणके लिये उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट आदि प्रकरणों द्वारा इसकी उपादेयता और भी बढ़ गयी है। आपने न्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका भी परिष्कारके साथ स्पष्टीकरण किया है।



ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार

एक ज्ञान प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष क्यों है ? इसके समाधानमें जैनागममें जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है—“सब जीवोंमें पदार्थोंके जाननेकी क्षमति विद्यमान है उसके द्वारा प्रत्येक जीव पदार्थबोध किया करता है। पदार्थबोध मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञानके भेदसे पाँच प्रकारका होता है। मतिज्ञानमें स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रिय अथवा मनकी सहायता अपेक्षित रहा करती है। श्रुतज्ञान सिर्फ मनकी सहायतासे हुआ करता है और अवधि, मन पर्यय तथा केवल ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही हुआ करते हैं। यथार्थमय इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको परोक्ष कहते हैं तथा इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही उत्पन्न होनेके कारण अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं।”

जैनागममें इससे भी आगे इतना कथन और पाया जाता है—“स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारों प्रकारके मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष हैं। अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष हैं। शेष अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों प्रकारके मतिज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण जहाँ परोक्ष है वहाँ लोकसंख्यव्यवहारमें प्रत्यक्ष माने जानेके कारण उक्त चारो ज्ञान (अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा) प्रत्यक्ष भी है।”

यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चारो मतिज्ञानोंको लौकिक व्यवहारमें जो प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है उसका कारण क्या है ? इस प्रश्नके समाधानमें मेरा मत यह है कि जैनागममें इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे होनेवाले ज्ञानोंको परोक्ष और इन्द्रियाधिकी सहायताके बिना ही होनेवाले ज्ञानोंको प्रत्यक्ष कहनेका आशय उन-उन ज्ञानोंकी पराधीनता और स्वाधीनता बतलाना मात्र है, इसे स्वरूपकथन नहीं समझना चाहिये। इस प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्षके उक्त लक्षण करणानुयोगकी विद्युत् आध्यात्मिक दृष्टिसे कहे गये हैं। लेकिन स्वरूपका कथन करनेवाला जो इय्यानुयोग है उसकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष वह ज्ञान कहलाता है, जिसमें पदार्थका साक्षात्काररूप बोध हो और परोक्ष वह ज्ञान कहलाता है, जिसमें पदार्थका बोध तो हो, लेकिन वह बोध साक्षात्काररूप न हो। पदार्थका साक्षात्काररूप बोध वहाँ होता है जहाँ पदार्थ-दर्शनके सद्भावमें पदार्थज्ञान हुआ करता है और पदार्थका असाक्षात्काररूप बोध वहाँ होता है जहाँ पदार्थदर्शनके बिना ही पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इस प्रकार पदार्थदर्शनके सद्भावमें जो पदार्थबोध हुआ करता है उसे प्रत्यक्ष और पदार्थदर्शनके बिना ही जो पदार्थबोध हो जाया करता है उसे परोक्ष समझना चाहिए। प्रत्यक्ष और परोक्षके इन लक्षणोंके अनुसार पदार्थदर्शनके सद्भावमें होनेके कारण अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों मतिज्ञान तथा अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब प्रत्यक्ष हैं और शेष स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान ये सब ब्रूँकि पदार्थदर्शनके बिना ही हो जाया करते हैं, इसलिए परोक्ष हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीवमें पदार्थोंके जाननेकी योग्यताकी तरह पदार्थोंके देखनेकी भी योग्यता विद्यमान है, इसलिए जिस प्रकार प्रत्येक जीव जाननेकी योग्यताका सद्भाव रहनेके कारण पदार्थोंको जानता है उसी प्रकार वह देखनेकी योग्यताका सद्भाव रहनेके कारण पदार्थोंको देखता भी है और ब्रूँकि पदार्थका दर्शन पदार्थोंके प्रत्यक्षमें कारण होता है। अतः जो जीव पदार्थका प्रत्यक्षज्ञान करना चाहता है उसे पदार्थका दर्शन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना पदार्थदर्शनके किसी भी पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है।

प्रत्यक्षशब्दका अर्थ "अक्ष = आत्मानं प्रति" इस व्युत्पत्तिके अनुसार पदार्थकी आत्माबलम्बनतापूर्वक होतेवाला पदार्थज्ञान होता है और परोक्षशब्दका अर्थ "अक्षात् = आत्मनः परम्" इस व्युत्पत्तिके अनुसार पदार्थकी आत्माबलम्बनताके बिना ही होनेवाला पदार्थज्ञान होता है तथा यहीपर जो पदार्थकी आत्माबलम्बनताका कथन किया गया है उसका अर्थ "आत्मप्रदेशोंका हमारे ज्ञानके आधारभूत पदार्थके आकाररूप परिणत हो जाना" होता है अतः, इसीको पदार्थका दर्शन या दर्शनीयपदार्थ समझना चाहिए। यह पदार्थदर्शन कही-कही तो स्पष्टानं, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा यथासम्भव यथायोग्यरूपमें हुआ करता है और कही-कही इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही यथायोग्यरूपमें हुआ करता है। इस तरह जैनानाममें पदार्थदर्शनके चार अंश मान लिए गये हैं—चक्षुदर्शन, अक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन।

नेत्र इन्द्रिय द्वारा पदार्थके नियत आकारका नियत आत्मप्रदेशोंमें पहुँच जानेको चक्षुदर्शन, नेत्र इन्द्रियको छोड़कर शेष स्पष्टानं, रसना, नासिका और कर्ण इन चारों इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा अपने-अपने अनुरूप पदार्थके नियत आकारका नियत आत्म-प्रदेशोंमें पहुँच जानेको अक्षुदर्शन, इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही रूपवान् (पुद्गल) पदार्थके आकारका नियत आत्मप्रदेशोंमें पहुँच जानेको अवधिदर्शन, तथा इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही विश्वके समस्त पदार्थोंके आकारोंका सर्व आत्म-प्रदेशोंमें पहुँचनेको केवलदर्शन समझना चाहिये।

नेत्र इन्द्रियमें होनेवाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा मतिज्ञानोंमें चक्षुदर्शनका सद्भाव कारण होता है, स्पष्टानं, रसना, नासिका और कर्ण इन्द्रियोंमेंसे किसी भी इन्द्रिय अथवा मनसे होनेवाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा मतिज्ञानोंमें उस-उस इन्द्रिय अथवा मनके द्वारा होनेवाले अक्षुदर्शनका सद्भाव कारण होता है तथा अवधिज्ञानमें अवधिदर्शनका और केवलज्ञानमें केवलदर्शनका सद्भाव कारण होता है। मनः-पर्ययज्ञानमें भी मानसिक अक्षुदर्शनका सद्भाव कारण होता है।

इस प्रकार अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान तो सर्वथा प्रत्यक्ष है अर्थात् इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही उत्पन्न होनेके कारण ये तीनों ज्ञान चूँकि स्वाधीन ज्ञान हैं अतः करणानुयोगकी विद्युद्ध आध्यात्मिक दृष्टिसे प्रत्यक्ष हैं और चूँकि ये तीनों ज्ञान उक्त प्रकारके पदार्थदर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न होते हैं अतः स्वरूपका कथन करनेवाले द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे भी ये प्रत्यक्ष ही हैं। तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारों मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान में सब सर्वथा परोक्ष हैं अर्थात् यथासम्भव इन्द्रिय और मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेसे कारण चूँकि ये ज्ञान पराधीन हैं अतः करणानुयोगकी विद्युद्ध आध्यात्मिक दृष्टिसे परोक्ष हैं और चूँकि ये ज्ञान उक्त प्रकारके पदार्थदर्शनके बिना ही उत्पन्न हो जाया करते हैं अतः स्वरूपका कथन करनेवाले द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे भी ये परोक्ष ही हैं। लेकिन अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारो मतिज्ञान कर्षचित् प्रत्यक्ष और कर्षचित् परोक्ष माने गये हैं अर्थात् ये चारो ज्ञान चूँकि उक्त प्रकारके चक्षुदर्शन अथवा अक्षुदर्शन रूप पदार्थदर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वरूपका कथन करनेवाले द्रव्यानुयोगकी दृष्टिसे तो ये प्रत्यक्ष हैं और चूँकि ये इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे ही उत्पन्न हुआ करते हैं अतः करणानुयोगकी विद्युद्ध आध्यात्मिक दृष्टिसे ये परोक्ष भी हैं। इस कथनके साथ जैनानामके पूर्वोक्त इस कथनका भी सामञ्जस्य बैठ जाता है कि अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान सर्वथा परोक्ष हैं तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान कर्षचित् प्रत्यक्ष और कर्षचित् परोक्ष हैं।

संका—केवलज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो दर्शनके सद्भावमें हुआ करता है। शेष ज्ञान तो दर्शनके

सद्भावमें न होकर दर्शनपूर्वक ही हुआ करते हैं, इसका अर्थ यह है कि केवलज्ञानको छोड़कर शेष ज्ञानदर्शन-के बाद ही हुआ करते हैं, आगममें भी ऐसा ही बतलाया गया है, इसलिये अबग्रह, ईहा, अबाय और चारणा ये चारों मतिज्ञान तथा अबाय और मन-पर्ययज्ञान ये सब दर्शनके सद्भावमें होते हैं—ऐसा कल्पना गलत है ?

उत्तर—केवलज्ञानकी तरह उक्त अबग्रहादि ज्ञान भी दर्शनके सद्भावमें ही हुआ करते हैं । आगम-में जो इनका दर्शनपूर्वक होना लिखा है उसका आशय इतना ही है कि इन ज्ञानोंके होनेमें दर्शन कारण है । जिस प्रकार “सम्यग्दर्शनपूर्वकं सम्यग्ज्ञानं होता है” इस आगमवाक्यमें पूर्वशब्दको कारणरूप अर्थात् बोधक स्वीकार किया गया है उसी प्रकार “दर्शनपूर्वकं ज्ञानं होता है” इस आगमवाक्यमें भी पूर्वशब्दको कारण रूप अर्थात् बोधक ही स्वीकार करना उचित है । दूसरी बात यह है कि कार्यकारणभावकी स्वीकृतिके लिए कार्मोत्पत्तिके समयमें कारणकी उपस्थिति रहना आवश्यक है, इसलिए जब दर्शन और ज्ञानमें कार्यकारणभाव स्वीकार किया गया है तो दर्शनका ज्ञानोत्पत्तिके समयमें उपस्थित रहना आवश्यक हो जाता है ।

शंका—जिस प्रकार किसी भी वस्तुकी किसी एक ‘पूर्व’ पर्यायके बाद दूसरी कोई उत्तर पर्याय हुआ करती है या एक नक्षत्रके उदयके बाद दूसरे नक्षत्रका उदय हुआ करता है तो जैसा कार्यकारणभाव पूर्वपर्याय-का उत्तरपर्यायके साथ या एक नक्षत्रके उदयका दूसरे नक्षत्रके उदयके साथ पाया जाता है वैसे ही कार्य-कारणभाव पूर्व और उत्तर कालमें उत्पन्न होनेवाले दर्शन और ज्ञानमें भी समझ लेना चाहिए, इसलिए दर्शन और ज्ञानमें कार्यकारणभाव रहते हुए भी दर्शनका ज्ञानोत्पत्तिके समयमें उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है ?

उत्तर—पहली बात तो यह है कि दर्शन और ज्ञान ये दोनों एक ही गुणकी पूर्वोत्तरकालान्तरों दो पर्यायों नहीं हैं अपितु अलग-अलग दो गुणोंकी अलग-अलग पर्यायों हैं, अर्थात् इनके आचारक दर्शनान्तरण और ज्ञानान्तरण दोनों कर्मोंका आत्मामें पृथक्-पृथक् अस्तित्व मानना असंगत हो जायगा । दूसरी बात यह है कि वस्तुकी पूर्वपर्याय उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमें अथवा पूर्व नक्षत्रका उदय उत्तर नक्षत्रके उदयमें कारण नहीं होता है । केवल पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायमें उत्पत्तिकी अपेक्षा तथा पूर्व नक्षत्र और उत्तर नक्षत्रमें उदयकी अपेक्षा जो क्रमपना पाया जाता है वह क्रमपना यहाँ पर कार्यकारणभावका व्यवहार करने मात्रमें कारण होता है क्योंकि पूर्व नक्षत्रका उदय उत्तर नक्षत्रके उदयमें कारण नहीं होता है, यह बात तो स्पष्ट है ही, परन्तु वस्तुकी पूर्वपर्याय उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमें कारण नहीं होती है, यह बात भी उनकी ही स्पष्ट समझनी चाहिए । इसका आशय यह है कि पूर्वपर्यायके विनाशके बिना उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए पूर्वपर्यायका विनाश ही उत्तर पर्यायकी उत्पत्तिमें कारण होता है, पूर्वपर्याय नहीं । यदि कहा जाय कि पूर्व-पर्यायका विनाश ही तो उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है इसलिए पूर्वपर्यायके विनाशकी उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमें कारण कैसे माना जा सकता है ? इसलिए पूर्वपर्यायकी ही उत्तर पर्यायकी उत्पत्तिमें कारण मानना उचित है, तो इसका उत्तर यह है कि इस तरहसे पूर्वपर्यायके विनाशकी ही उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति स्वीकार कर लेनेके बाद पूर्वपर्यायको अपने विनाशका ही कारण मानना अपने आप अयुक्तिक हो जाता है क्योंकि पूर्व-पर्यायका विनाश उसके अपने स्वतंत्र कारणों द्वारा होता है, पूर्वपर्याय उसमें कारण नहीं है, यही मानना उचित है और चूंकि पूर्वपर्यायका विनाश ही उत्तरपर्यायकी उत्पत्ति है । अतः जो पूर्वपर्यायके विनाशका कारण है उसीको उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमें कारण माना जा सकता है, पूर्व पर्यायको नहीं । इस कथनसे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जो श्रेय पूर्वपर्यायकी उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमें उपादान कारण मानते हैं उनका यह मानना गलत है क्योंकि उत्तरपर्यायकी तरह पूर्वपर्याय भी कार्यभाव है, उत्तर पर्यायकी वह उपादान नहीं । इन दोनोंका उपादान वह है जिसकी कि ये पर्याय हैं । लेकिन इस तरह इन दोनोंकी

उत्पत्ति एक साथ इसलिए नहीं होता है कि दोनों पर्यायोंकी उत्पत्तिमें अलग-अलग निमित्तसामग्री अपेक्षित रहती है और यह युक्ति-संगत भी है क्योंकि उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिकी जो निमित्तसामग्री है वह ही पूर्वपर्यायके विनाशमें ही निमित्त हो सकती है, उत्पत्तिमें नहीं।

इस कथनसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उपादान और निमित्त दोनों तरहके कारणोंका कार्यात्पत्तिके समयमें सद्भाव रहनेसे ही कार्य उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं, इसलिये जिन (अवग्रह, ईहा, अबाध, धारणा, अवधि, मनःपर्यय और केवल) ज्ञानोकी उत्पत्तिमें दर्शन कारण है उनकी उत्पत्तिके समयमें अपने-अपने अनुकूल दर्शनका सद्भाव रहना ही चाहिए।

शंका—दर्शन और ज्ञानमें कार्यकारणभाव वास्तविक नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि छपस्थोके दर्शन और ज्ञानकी उत्पत्तिमें जो स्वाभाविक क्रमपना पाया जाता है उसकी अपेक्षासे इन दोनोंमें कार्यकारण-भावका व्यवहार मात्र किया जाता है ?

उत्तर—हम पहले कह आये हैं कि पदार्थके प्रत्यक्षमें पदार्थका दर्शन कारण होता है, आगममें भी दर्शनकी ज्ञानमें कारण स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत भी यदि दर्शनको ज्ञानमें कारण नहीं माना जायगा, तो फिर आत्मामें ज्ञानगुणसे पृथक् दर्शनगुणका अस्तित्व मानना व्यर्थ हो जायगा, ज्ञानगुणकी ही पूर्वपर्यायका नाम दर्शन और उत्तरपर्यायका नाम ज्ञान मान लेना पर्याप्त होगा। लेकिन जब आत्मामें ज्ञान-गुणमें पृथक् दर्शनगुणका अस्तित्व स्वीकार किया गया है और सर्वज्ञमें भी केवलज्ञानके समसमयमें केवल-दर्शनका सद्भाव भी जब कारणरूपसे स्वीकार किया गया है, तो इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि दर्शन और ज्ञानमें कार्यकारणभाव वास्तविक है, उपचारसे नहीं।

शंका—“यदि छपस्थो (अल्पज्ञो) के दर्शन और ज्ञानका एकसाथ सद्भाव मान लिया जाता है, तो ‘छपस्थोके एक साथ दो उपयोग नहीं होने हैं’ इस आगमवाक्यकी सगति कैसे होगी ?

उत्तर—उपयोग, परिणमन, पर्याय, व्यापार या क्रिया में सब एकार्थबोधक शब्द हैं और यह स्वतः-सिद्ध नियम है कि एक गुणके दो परिणमन एक कालमें नहीं होते हैं, बस, इसी आचारपर आगममें यह बात बतलायी गयी है कि छपस्थोके एक साथ दो उपयोग नहीं होते हैं। लेकिन यदि दर्शनगुण और ज्ञानगुण दोनोंका छपस्थोके एकसाथ व्यापार होना अशक्य है तो फिर उनके सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य अथवा मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्य आदि गुणोंका भी एक साथ व्यापार मानना अव्यक्त हो जायगा।

यहाँपर इतना विशेष समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार सर्वज्ञकी तरह छपस्थोके नामा गुणोंके व्यापारोंका एक कालमें सद्भाव मानना युक्त है उसी प्रकार छपस्थोकी तरह सर्वज्ञके एक गुणके दो व्यापारों का अभाव मानना भी युक्त है। इसलिये सर्वज्ञको जो सम्पूर्ण पदार्थोंका युगपत् ज्ञान होता रहता है वह भी ज्ञानगुणका एक व्यापार रूप ही होता है। अतः उक्त आगमवाक्यको नियामक न मानकर स्वरूपका प्रतिपादक मान समझना चाहिए।

शंका—छपस्थोके इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे दर्शन होता है और इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे ही ज्ञान होता है, इसलिए जब इन्द्रिय अथवा मन दर्शनमें कारण होते हैं तब वे ज्ञानमें कारण नहीं हो सकते हैं और जब वे ज्ञानमें कारण होते हैं तब दर्शनमें कारण नहीं हो सकते हैं, अतः उनके दर्शन और ज्ञानका एक साथ सद्भाव मानना अव्यक्त है ?

उत्तर—एक ही वस्तु एक साथ भिन्न-भिन्न अनेक कार्यों में निमित्त वेची जाती है, अतः इन्द्रिय अथवा मनका एक साथ दर्शन और ज्ञानके व्यापारमें निमित्त होना असंभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब अविद्यदर्शन और अविज्ञान दोनों ही इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही उत्पन्न होते हैं तो उनके एकसाथ उत्पन्न होनेमें कौनसी बाधा रह जाती है। तीसरी बात यह है कि निमित्तोंका सम्भाव रहते हुए प्रत्येक गुणका प्रति समय कुछ न कुछ परिणाम अर्थात् व्यापार होना ही चाहिए अन्यथा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा, इसलिए भी छपत्सोंके दर्शन और ज्ञानके एक साथ उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं रह जाता है और मुख्य बात तो यह है कि जब दर्शन ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है तथा केवलदर्शन और केवलज्ञान दोनों सर्वज्ञमें एक साथ विद्यमान रहते हैं तो दर्शन और ज्ञान ये दोनों परस्पर विरोधी भी नहीं हैं।

शंका—एक तरफ तो निमित्तोंका सम्भाव रहते हुए दर्शन और ज्ञान आदि गुणोंका प्रतिसमय कुछ न कुछ व्यापार होता ही रहता है, ऐसा मान लिया गया है और दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुतज्ञान पदार्थदर्शनके बिना ही उत्पन्न हो जाया करते हैं अर्थात् जिस कालमें ज्ञानगुणका स्मृत्यादिरूप व्यापार होता है उस कालमें दर्शनगुण व्यापारशून्य हो रहता है, तो इन दोनों परस्परविरोधी कथनोंकी संगति कैसे होगी ?

उत्तर—स्मृति आदि ज्ञान पदार्थदर्शनके बिना ही हो जाया करते हैं, यह तो ठीक है, परन्तु वहाँ दर्शन गुण व्यापारशून्य ही बना रहता है अथवा उन स्मृत्यादि ज्ञानोंमें दर्शनगुणके व्यापारका कोई उपयोग ही नहीं है, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए।

तात्पर्य यह है कि स्मृतिज्ञानमें धारणा ज्ञानको कारण माना गया है। परन्तु हमें धारणाज्ञान रहते हुए भी पदार्थका सर्वथा स्मरण क्यों नहीं होता रहता है ? इसका उत्तर यह है कि धारणा जिस कालमें उद्बुद्धताका रूप धारण कर लेती है उस कालमें ही स्मृति होती है, अन्यकालमें नहीं, और धारणाज्ञानकी यह उद्बुद्धता नियत आत्मप्रवेशोंका उस धारणज्ञानरूप परिणामको छोड़कर कुछ भी नहीं है, जिसे पहले दर्शनीपयोग कह आये हैं। इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि स्मृति आदि ज्ञान भी दर्शनीपयोग अर्थात् दर्शनगुणके व्यापारके अभावमें उत्पन्न नहीं हो सकते हैं अर्थात् जिस प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों मतिज्ञान तथा अविज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब दर्शनगुणका व्यापार रहते हुए ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारों मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान ये सब भी दर्शनगुणका व्यापार रहते हुए ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अवग्रहादि ज्ञानोंमें आत्मिक दर्शनगुणका अर्थाकाररूप व्यापार कारण होनेकी वजहसे जहाँ उन्हें प्रत्यक्ष मान लिया गया है। वहाँ स्मृति आदि ज्ञानोंमें आत्मिक दर्शनगुणका अर्थका अभाव रहते हुए धारणा आदि ज्ञानका रूप व्यापार कारण होनेकी वजहसे उन्हें परोक्ष माना गया है। स्मृतिको धारणाज्ञानपूर्वक, प्रत्यभिज्ञानको स्मृति और प्रत्यक्षज्ञानपूर्वक, तर्कको प्रत्यभिज्ञानपूर्वक, अनुमानको तर्कज्ञानपूर्वक और श्रुतज्ञानको सम्बन्धवचन या अंगुल्यादिदर्शन तथा इनमें संकेत ग्रहण रूप मतिज्ञानपूर्वक माननेका अभिप्राय यही है कि जिस कालमें आत्मिक दर्शनगुणका उस-उस ज्ञानरूप व्यापार होता है उस कालमें वे-वे ज्ञान उत्पन्न हो जाया करते हैं।

शंका—ईहाज्ञान अवग्रहज्ञानपूर्वक होता है, अवायज्ञान ईहाज्ञानपूर्वक होता है, धारणाज्ञान अवग्रह या अवायपूर्वक होता है और मन-पर्ययज्ञान मानसिक ईहाज्ञानपूर्वक हुआ करता है, इस प्रकार ज्ञानपूर्वक होनेकी वजहसे इन ज्ञानोंको भी परोक्षज्ञान मानना उचित है ?

उत्तर—ईहा आदि ज्ञान अवग्रहादि ज्ञानपूर्वक होते हैं, इसका आशय इतना ही है कि ईहा आदि ज्ञान अवग्रह आदि ज्ञानोंके उत्पन्न होनेके बाद हुआ करते हैं। परन्तु जिस कालमें ईहा आदि ज्ञान उत्पन्न होते हैं उस कालमें आत्माके दर्शनगुणका अर्पाकाररूप व्यापार ही इनमें कारण होता है, अतः इन सबको प्रत्यक्ष ज्ञानोंकी कोटिमें ग्रहण किया गया है।

शंका—अब कि प्रत्येक जीवमें दर्शन और ज्ञानगुणका कुछ-न-कुछ विकास सर्वदा पाया जाता है तो क्या विग्रहगतियें भी अल्पज्ञ जीवोंके किसी-न-किसी रूपमें पदाद्योका दर्शन और ज्ञान स्वीकार करना चाहिए या नहीं ?

उत्तर—विग्रहगतियें अल्पज्ञ जीवोंके इन्द्रियादि निमित्तोंका अभाव होनेके कारण दर्शन और ज्ञान दोनों गुणोंका कुछ भी व्यापार नहीं होता है, उस समय ये केवल अपने विकसित रूपमें ही अवस्थित रहते हैं।

शंका—जिस प्रकार अल्पज्ञ जीवोंके विग्रहगतियें देखने और जानने रूप योग्यताओंका सद्भाव रहते हुए भी पदाद्योका देखना और जानना नहीं होता है उसी प्रकार उनके (अल्पज्ञ जीवोंके) देखनेरूप व्यापारके समय जाननेरूप योग्यताका और जाननेरूप व्यापारके समय देखनेरूप योग्यताका व्यापाररहित (लम्बिरूप-रि) सद्भाव माननेमें क्या अपत्ति है ?

उत्तर—विग्रहगतियें इन्द्रियादि निमित्तोंका अभाव पाया जानेके कारण ही अल्पज्ञ जीवोंमें देखने और जाननेकी योग्यताएँ लम्बिरूपसे विद्यमान रहती हैं। लेकिन त्रुँकि पर्याप्त अवस्थामें इन्द्रियादि निमित्तोंका सद्भाव अल्पज्ञ जीवोंके पाया जाता है। अतः उपादान और निमित्त दोनों कारणोंके सद्भावमें दोनों योग्यताओंके व्यापारका अर्थात् दर्शनीययोग और ज्ञानोपयोगका एक ही साथ सद्भाव मानना अनिवार्य ही जाता है।



जैनदर्शनमें नयवाद

इसमें सविह नहीं कि विश्वके प्राचीनतम सभी दर्शनकारोंमें जैनदर्शनकार विश्वज्ञान प्रतिभाके बनी रहे हैं। यही कारण है कि जैनदर्शनकारोंने अन्य सभी दर्शनकारोंको अटपटे लगनेवाले अनेकान्तवाद, स्याद्वाद^१, नयवाद और सप्तभंगीवादको अपने अनुभवके आधारपर वस्तुव्यवस्थाकी सिद्धिके लिये जैनदर्शनमें स्थान दिया है। जैनदर्शनका आलोचन करनेसे यह बात सहज ही जानी जा सकती है कि जबतक उक्त वादोंको स्वीकार नहीं कर लिया जाता तबतक वस्तुव्यवस्था या तो अझूरी रहेगी या फिर गलत होगी।

प्रकृत लेखमें हम नयवादका विवेचन करना चाहते हैं। लेकिन नयोंका आधार जैन आगममें^२ ब्रूकिके प्रमाणको ही बतलाया गया है, अतः यहाँपर सर्वप्रथम प्रमाणका ही संक्षेपमें विग्दर्शन कराया जा रहा है। प्रमाण-निर्णय

लौकिक तथा दार्शनिक अर्थमें वस्तुतत्त्वको समझनेके लिये प्रमाणको स्थान प्राप्त है। जैनदर्शनमें प्रमाणशब्दका जो व्युत्पत्त्यर्थ किया गया है उससे वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थामें प्रमाणके महत्त्वको सहज ही जाना जा सकता है। यथा—

‘प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम् ।’

—परीक्षामुखटीका १-१

अर्थात् जिसके द्वारा वस्तुतत्त्वका सहाय^३, विपर्यय और अनध्यवसायका निराकरण होकर निर्णय होता है वह प्रमाण है।

ब्रूकिके उल्लिखितरूपमें वस्तुतत्त्वका निर्णय ज्ञानके द्वारा ही संभव है। अतः जैनदर्शनमें मुख्यरूपसे ज्ञानको ही प्रमाण स्वीकार किया गया है। यथा—

‘स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।’

—परीक्षामुख १-१

अर्थात्—अपना और अपनेसे भिन्न पूर्वमें अनिर्णित पदार्थका निर्णयात्मक ज्ञान प्रमाण है।

परीक्षामुखसूत्र ग्रन्थ १-२ में ही आगे बतलाया है—

“हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ।”

अर्थात् ब्रूकिके प्रमाण हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेमें समर्थ होता है, अतः ज्ञान ही प्रमाण कहलाने योग्य है।

इसका फलितार्थ यह है कि ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार कर सकती है, अतः उपर्युक्त कथनके आधारपर जैनदर्शनमें ज्ञानको ही प्रमाण माना गया है।

ज्ञान अप्रमाण भी होता है

उमर हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेमें ज्ञानको ही समर्थ बतलाया गया है। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि सभी ज्ञान हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतः

१. स्याद्वादका ही अपर नाम अपेक्षावाद है। इसका उपयोग सीमित दायरेमें अर्वाचीन एवं पाश्चात्य दर्शनकारोंने भी किया है।

२. ‘नद्यप्रकल्पणप्रभवयोनित्वात् ।’ —सर्वार्थसिद्धि १-६।

३. ‘संशय उभयकोटिसंस्पर्शां स्वानुर्वा पुरुषो वेति परामर्शः । विपर्यय. पुनरतस्मिस्तदिति विकल्पः । विश्वेषा-
नवधारणमन्यवसायः ।’ —प्रमेयरत्नमाला ६-२।

जिन ज्ञानोंमें उक्त सामर्थ्य नहीं पायी जाती है उन ज्ञानोंकी अप्रमाण ज्ञान जानना चाहिये। जैनदर्शनमें अप्र-
प्रमाणका माणाभासनामसे उल्लेख करते हुए उसके जो भेद गिनाये गये हैं उनमें ज्ञानविशेषोका भी समावेश
किया गया है। यथा—

‘अस्वसंविदितगृहीतार्थदर्शनसंशयाद्य’ प्रमाणाभासाः।’ —परीभामूल ६-२

अर्थात् जो अपना सबेदन करनेमें असमर्थ हो या जो गृहीत अर्थको ग्रहण करनेवाला हो या जो
निराकार दर्शनरूप हो और या जो संशय, विपर्यय अथवा अनध्यवसाय स्वरूप हो वे सभी अपने-अपने ढंगसे
प्रमाणाभास हैं।

ज्ञानके भेद और उनका प्रमाण तथा अप्रमाणरूपमें विभाजन

नत्वार्यसूत्रमें ज्ञानके पाँच भेद गिनाये गये हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और
केवलज्ञान^१। तथा इन पाँचो ज्ञानोंको प्रमाण^२ कहा गया है और अदिके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान
इन तीन ज्ञानोंको प्रमाणके साथ-साथ अप्रमाण^३ भी बतलाया गया है। इस प्रकार पाँच प्रमाणरूप और
तीन अप्रमाणरूप कुल मिलाकर ज्ञानके आठ भेद कर दिये गये हैं^४।

ज्ञानोंको प्रमाणता और अप्रमाणताका कारण

स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकभाष्यकारमें मोहकर्मका अभाव होनेपर उत्पन्न होनेवाले सम्यग्दर्शनको
ज्ञानकी प्रमाणताका कारण बतलाया है^५ और आचार्य पूज्यपादने^६ “मतिश्रुतावयवो विपर्ययश्च” (१-३१)
सूत्रकी व्याख्या करते हुए ज्ञानकी अप्रमाणताका कारण मोहकर्मके उदयमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादर्शनको
बतलाया है। इन तरह ऐसा समझना चाहिये कि मोहकर्मके उदयका अभाव होनेपर उत्पन्न सम्यग्दर्शनकी
स्थितिमें जीवको जो पदार्थज्ञान होता है वह प्रमाणज्ञान कहलाता है और मोहकर्मके उदयमें उत्पन्न मिथ्या-
दर्शनकी स्थितिमें जीवको जो पदार्थज्ञान होता है वह अप्रमाण ज्ञान कहलाता है।

इस विषयमें ह्य इतना और स्पष्ट वर देना चाहते हैं कि जैनदर्शनकी मान्यताके अनुसार उपर्युक्त
पाँच सामान्य ज्ञानोंमेंसे मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान दोनों मोहकर्मके उदयका अभाव होनेपर उत्पन्न सम्यग्-
दर्शनकी स्थितिमें ही हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, मनःपर्ययज्ञान तो सम्यग्दर्शनके साथ-साथ जीवमें सकल-
चारित्र्यकी उत्पत्ति हो जानेपर तथा केवलज्ञान सकलसंयमसे भी आगे यथाव्यातचारित्र्यकी उत्पत्ति हो जानेपर
ही हुआ करता है। इसलिये मनःपर्यय और केवल ये दोनों ज्ञान सतत प्रमाणरूप ही रहा करते हैं। परन्तु
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान जीवमें पूर्व मोहकर्मके उदयका अभाव होनेपर उत्पन्न सम्यग्दर्शनकी स्थिति
में भी होते हैं व मोहकर्मके उदयमें उत्पन्न मिथ्यादर्शनकी स्थितिमें भी होते हैं। अतः ये तीनों ज्ञान सम्यग्-
दर्शनकी स्थितिमें होनेके आधारपर तो प्रमाणरूप व मिथ्यादर्शनकी स्थितिमें होनेके आधारपर अप्रमाणरूप इस
तरह दोनों प्रकारके हुआ करते हैं। इससे यह बात भी फलित होती है कि ज्ञान सामान्यके ऊपर बतलाये गये

१. मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्। —तत्त्वा० १-९।

२. वही, १-१०।

३. वही, १-३१।

४. इष्यसंश्रह गा० ५।

५. “मोहितमरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः।” —पद्य ४७ का पूर्वार्ध।

६. कुतः पुनरेतेषां विपर्ययः ? मिथ्यादर्शनेन सहीकार्यसमवायात्।

पाँच भेद ही सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शनकी अपेक्षासे क्रमशः प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप होकर ज्ञानकी वाट भेदरूपताको प्राप्त हो जाते हैं ।

जिस ज्ञानमें मोहकी प्रेरणा कार्यकर रही हो या जो ज्ञान मोहके आधारपर उत्पन्न राम तथा द्वेषकी संपूर्तिके लिये हो उसे तो मिथ्यादर्शन (अधिक) की स्थितिमें होनेवाला अप्रमाण ज्ञान जानना चाहिये और जिस ज्ञानमें मोह की प्रेरणा कार्य न कर रही हो या जो ज्ञान मोहके आधारपर उत्पन्न राम तथा द्वेषकी संपूर्तिके लिये न हो उसे सम्यग्दर्शन (विवेक) की स्थितिमें उत्पन्न हुआ प्रमाण ज्ञान जानना चाहिये ।

यहाँपर अभिलषित आवश्यक अथवा अनावश्यक परपदायोंकी प्राप्तिमें और अनभिलषित परपदायोंके वियोगमें हर्ष करना राम है तथा अनभिलषित परपदायोंकी प्राप्तिमें और अभिलषित आवश्यक अथवा अनावश्यक परपदायोंके वियोगमें विषाद करना द्वेष है एवं परपदायोंमें अहंभुङ्गि या ममभुङ्गि करना मोह है । इसी प्रकार परपदायोंमें इष्टभुङ्गि या अनिष्टभुङ्गि करना मोह है व इस तरह इष्टरूपसे स्वीकृत परपदायोंके प्रति आहृष्ट होकर उसमें प्रीति करने लग जाना राम है तथा अनिष्टरूपसे स्वीकृत परपदायोंके प्रति घृणा व ग्लानिरूप अप्रीति करने लग जाना द्वेष है—ऐसा जानना^१ चाहिये ।

जैनायमें बतलाया है कि ज्ञानके उल्लिखित पाँच भेदोंमेंसे अन्तके अवधि, मन-पर्यय और केषल ये तीन भेद तो जीवमें पररूप साधनोकी सहायताके बिना कौबल आत्मनिर्भरताके आधारपर ही उत्पन्न होते हैं^२, लेकिन मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी उपरतिमें आत्मबलकी आवश्यकता होनेपर भी दोनोंमेंसे मतिज्ञान तो पररूप स्वर्ण, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों तथा मन (हृदय)की यथावश्यक सहायतासे^३ उत्पन्न होता है व श्रुतज्ञान पररूप मन (मस्तिष्क)की^४ सहायतासे उत्पन्न होता है ।

इतना बतलानेमें हमारा प्रयोजन यह है कि जब मतिज्ञानका उल्लिखित पाँच इन्द्रियों और मनकी सहायतासे व श्रुतज्ञानका मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेका नियम है और चूँकि पाँचों इन्द्रियों व मनका सद्योष अथवा निर्दोष होना भी सम्भव है तो इसके आधारपर जैनदर्शनकी यह भी मान्यता है कि जिस जीवकी इन्द्रियाँ व मन सद्योष हालतमें हो उस जीवमें उनकी सहायतासे उत्पन्न हुआ मतिज्ञान तथा जिस जीवका मन सद्योष हालतमें हो उस जीवमें उसकी सहायतासे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान दोनों ही अप्रमाणरूप होते हैं । इसी प्रकार जिस जीवकी इन्द्रियाँ व मन निर्दोष हालतमें हों उस जीवमें उनकी सहायतासे उत्पन्न हुआ मतिज्ञान तथा जिस जीवका मन निर्दोष हालतमें हो उस जीवमें उसकी सहायतासे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान दोनों ही प्रमाणरूप होते हैं ।

कानोंमें बहरापन आ जाना, आँसोंपर पीलिया रोगका प्रभाव हो जाना या मोतियाबिन्दु आदिके कारण दृष्टिका कमजोर हो जाना, नाकमें भी बर्दों-जुकामका हो जाना आदि यथायोग्य निमित्तोंसे इन्द्रियाँ सद्योष हो जाती हैं व जीवमें क्रोधादिकवाय उत्पन्न होनेपर मन सद्योष हो जाया करता है । इसी तरह अष्ट आदि मायक पदायोंका सेवन आदि कारणोंसे भी मन सद्योष हो जाया करता है ।

१. 'वः प्रीतिको रामः.....योऽप्रीतिको द्वेषः.....यस्तत्त्वाप्रतिपत्तिको मोहः ।' —समयसारटीका, अमृतचन्द्र, भा० ५०-५५ ।

२. सर्वाधिसिद्धि मे 'प्रत्यक्षमन्यत् ।' —१-१२ सूत्रकी व्याख्या ।

३. 'सदिन्द्रयानिन्द्रयानिमित्तम् ।' —तत्त्वार्थसूत्र १-१४ ।

४. 'श्रुतमतिनिवृत्त्य ।' —बाही, २-११ ।

इस तरह उल्लिखित कथनका सार यह है कि सम्यग्दर्शनके सद्भावमें ही उत्पन्न होनेका विषय होनेसे मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान तो सतत प्रमाणरूप ही हुआ करते हैं। अविज्ञान यदि सम्यग्दर्शनके सद्भावमें उत्पन्न हुआ हो तो प्रमाणरूप होता है और यदि मिथ्यादर्शनके सद्भावमें उत्पन्न हुआ हो तो अप्रमाणरूप होता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान दोनों सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शनके सद्भावमें उत्पन्न होनेके कारण क्रमशः प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप हुआ करते हैं तथा निर्वीच और सदीच इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके कारण भी वे क्रमशः प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप हुआ करते हैं।

वचन भी प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप होता है :

जिस प्रकार उल्लिखित प्रकारसे ज्ञान प्रमाण और अप्रमाणरूप होता है उसी प्रकार वचन भी प्रमाण और अप्रमाणरूप होता है। वचनकी प्रमाणाता और अप्रमाणाताका आधार यह है कि वह (वचन) प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होता है। अर्थात् वक्ताके वचनको सुनकर श्रोताको व लेखकके वचनको पढ़कर पाठकको भी पदार्थज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान कहलाता है। यह श्रुतज्ञान यदि प्रमाणरूप होता है तो इसके निमित्तभूत वचनको भी प्रमाणरूप माना जाता है और वह (श्रुतज्ञान) यदि अप्रमाणरूप होता है तो उसके निमित्तभूत वचनको भी अप्रमाणरूप माना जाता है।

वचनकी प्रमाणाता और अप्रमाणाताका एक अन्य आधार उस (वचन) की उत्पत्तिमें निमित्तभूत पुरुषकी प्रमाणाता और अप्रमाणाता भी होती है। अर्थात् वचनकी उत्पत्ति वक्ताके बोलनेरूप या लेखकके लिखनेरूप व्यापारसे होती है इसलिये वक्ता या लेखक यदि प्रामाणिक व्यक्ति होता है तो उसके द्वारा क्रमशः बोला गया या लिखा गया वचन भी प्रमाणरूप माना जाता है और वक्ता या लेखक यदि अप्रामाणिक व्यक्ति होता है तो उसके द्वारा क्रमशः बोला गया या लिखा गया वचन भी अप्रमाणरूप माना जाता है। यही कारण है कि वचनकी प्रमाणाताको सिद्ध करनेके लिए स्वामी समन्तभद्रने रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यमें वचनके साथ 'आप्तोपज्ञ'^१ विशेषण लगाया है। आप्तका अर्थ प्रामाणिक व्यक्ति होता है—यह बात स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्डकमें पाये जानेवाले आप्तके लक्षणसे ही प्रकट होती है। यथा—

आप्तोऽनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञ नाममेशिना ।

अविद्व्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् ॥५॥

अर्थात् जिसके अन्दरसे सर्व प्रकारके दोष निकल गये हों, साथ ही जो सर्वज्ञ और आगमका स्वामी हो वही आप्त कहला सकता है। इन बातोंके अभावमें आप्तता सम्भव नहीं है।

स्वामी समन्तभद्र द्वारा बतलाया गया आप्तका उपर्युक्त लक्षण आप्तसामान्यका न होकर आप्त-विशेषक अर्थात् सर्वोत्कृष्ट आप्तका ही लक्षण है। इससे यह बात फलित होती है कि ऐसे पुरुष भी आप्त कहे जाने योग्य हैं जो अल्पज्ञ होकर भी कम-से-कम पूर्वोक्त प्रकारके राग, द्वेष और मोहको नष्ट करके सम्यग्दृष्टि बन गये हों। यही कारण है कि आचार्य जनन्ताकीर्यने आप्तका लक्षण निम्न प्रकार किया है—

“यो यत्रावज्ञकः स तत्राप्त ।” —प्रमेयरत्नमा० ३-९९ ।

१. 'आप्तवचनाविनिवन्धनमर्थाज्ञानमाद्यः।' —परीक्षामुख ३-९९ सूत्रमें प्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें आप्तवचनको व 'रागद्वेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनान्जातमागमाद्यम्।' —परीक्षामुख ६-५१ सूत्रमें अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें अनाप्तवचनको कारण माना गया है।

२. आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यसवृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्सोपदेशकृत्साधं धार्षं कापवचद्वयम् ॥९॥

अर्थात् जो जिस विषयमें अवश्यक है यानी घोषणा-बन्दी नहीं करता है वह उस विषयमें आप्त कहलाता है ।

इस तरह जैनदर्शनमें ऐसी ग्रन्थ-रचनाओंको भी प्रमाण माना जाता है जो विद्वान् महर्षियों द्वारा अल्पज्ञ रहते हुए भी परकल्याणभावनासे निरीहभृतिपूर्वक की गयी हैं तथा लोकव्यवहारमें उक्त, राग-द्वेष और मोहसे अनाकान्त साधारण अल्पज्ञानीजनोंमें स्वीकृत आप्तता भी अपना कम महत्त्व नहीं रखती है । अर्थात् अनहितकारी उपदेशदाता या ग्रन्थकर्ता महर्षिजन व प्रशस्त लोकव्यवहारमें प्रवृत्त साधारण लौकिकजन अल्पज्ञ रहते हुए भी अपने-अपने दायरोंमें आप्त अर्थात् प्रामाणिक माने जाते हैं ।

रत्नकरम्बकभावकाचार और प्रमेयरत्नमालामें आशुके शो लक्षण बतलाये गये हैं उनसे ठीक विपरीत लक्षण अनाप्त पुरुषका जानना चाहिये । इसीलिये आचार्य माणिक्यनन्दिने आगामाभास (अप्रमाणरूप श्रुतज्ञान) का लक्षण बतलाते हुए 'रागद्वेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाज्जानमागमाभासम् ।' (प० मु० ६-१५) में अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत पुरुषके साथ 'रागद्वेषमोहाक्रान्त' विशेषण लगाया है ।

इस तरह उपर्युक्त लक्षण वाले आप्तपुरुष द्वारा कहे गये या लिखे गये वचनको प्रमाणरूप और इससे विपरीत उपर्युक्त लक्षणवाले अनाप्तपुरुष द्वारा कहे गये या लिखे गये वचनको अप्रमाणरूप जानना चाहिए ।

इम कथनका अभिप्राय यह है कि या तो प्रमाणरूप और अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेके आचारपर कारणमें कार्यधर्मका आरोप करनेरूप उपचारसे या फिर वचनकी उत्पत्तिमें निमित्तभूत आप्त-पुरुष और अनाप्तपुरुषका कार्य होनेके आचारपर कार्यमें कारणधर्मका आरोप करनेरूप उपचारमें वचनको यथायोग्य प्रमाण अथवा अप्रमाणरूप मानना चाहिये ।

जैनागममें वचनको परार्थश्रुत भी कहा गया है

जैनागममें प्रमाणके दो भेद स्वीकार किये गये हैं—एक तो स्वार्थप्रमाण और दूसरा परार्थप्रमाण । साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि जितना ज्ञानरूप प्रमाण है वह सब स्वार्थप्रमाण कहलाना है और जितना वचनरूप प्रमाण है वह सब परार्थप्रमाण कहलाता है । इस तरह मति, अवधि, मन पर्यय और केवल-रूप जो चार प्रमाण हैं वे अपनी ज्ञानरूपताके कारण स्वार्थप्रमाण ही हैं । लेकिन श्रुतप्रमाण वृत्ति ज्ञानात्मक और वचनात्मक दोनों ही प्रकारका होता है, अतः जितना ज्ञानात्मक श्रुतप्रमाण है वह नो स्वार्थप्रमाण और जितना वचनात्मक श्रुत प्रमाण है वह परार्थप्रमाण है ।

ज्ञानको स्वार्थप्रमाण कहनेका अभिप्राय यह है कि उस (ज्ञान) का पदार्थके विषयमें अज्ञाननिवृत्तिरूप फल उम (ज्ञान) के आश्रयभूत 'स्व' अर्थात् ज्ञाताको प्राप्त होता है तथा वचनको परार्थप्रमाण कहनेका अभिप्राय यह है कि उसका (वचनका) पदार्थके विषयमें अज्ञाननिवृत्तिरूप फल उस (वचन) की उत्पत्तिमें निमित्तभूत वक्ता या लेखकसे भिन्न 'पर' अर्थात् श्रोता या पाठकको प्राप्त होता है ।

जिस प्रकार प्रमाण स्वार्थ और परार्थके भेदसे दो प्रकारका है उसी प्रकार अप्रमाण भी स्वार्थ और परार्थके भेदसे दो प्रकारका समझ लेना चाहिये । इनमेंसे स्वार्थ अप्रमाणको उसकी अपनी ज्ञानरूपताके कारण मिथ्या प्रतिज्ञान, मिथ्या श्रुतज्ञान और मिथ्या अवधिज्ञान रूपसे तीन प्रकारका तथा परार्थ अप्रमाणको उसकी अपनी वचनरूपताके कारण अनाप्तवचनके रूपमें एक प्रकारका जानना चाहिये । वृत्ति मन पर्ययः और केवल

१. 'प्रमाणं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतवचनम् । श्रुतं पुन स्वार्थं भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थमिति ।'—सर्वार्थसिद्धि १-६ ।

बे दोनों ज्ञान सर्वथा सम्मक् ही हुआ करते हैं, कर्मों मिथ्यारूप नहीं होते। अतः इन दोनोंको अप्रमाणताकी कोटिसे बाहर रखा गया है।

प्रमाण और अप्रमाणरूप सभी ज्ञानोंमें पदार्थग्रहणकी व्यवस्था

प्रमाण और अप्रमाणरूप मतिज्ञान व अवधिज्ञान एवं प्रमाणरूप मनःपर्ययज्ञान उस-उस ज्ञानावरण-कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेके कारण अपने विषयभूत पदार्थको एकदेशरूपमें अलम्ब भावसे ग्रहण करते हैं, प्रमाणरूप केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण अपने विषयभूत पदार्थको युगपत् सर्वदेशरूपमें अलम्ब भावसे ग्रहण करता है। लेकिन प्रमाण और अप्रमाण दोनों ही तरहका श्रुतज्ञान श्रुतज्ञाना-वरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होने व उत्पत्तिमें साध वचनका अवलम्बन आवश्यक रहनेके कारण अपने विषयभूत पदार्थके एक-एक अंशको पृथक्-पृथक् कालमें क्रमशः ग्रहण करता हुआ पदार्थको अलम्बभावसे ही ग्रहण किया करता है।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि यथायोग्य प्रमाण अथवा अप्रमाणरूप मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनः-पर्यय ज्ञानमें अंशमुखेन अलम्ब भावसे पदार्थ गृहीत होता है, प्रमाणरूप केवलज्ञानमें सर्वोत्पन्ना युगपत् अलम्ब भावसे पदार्थ गृहीत होता है। परन्तु प्रमाण और अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें पदार्थके एक-एक अंशका क्रमशः ग्रहण होता हुआ पदार्थके संपूर्ण अंशोंका ग्रहण अलम्बभावसे होता है क्योंकि प्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति तो सांश और क्रमवर्ती प्रमाणरूप आप्तवचनसे तथा अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति सांश और क्रमवर्ती अप्रमाण-रूप अनाप्तवचनसे हुआ करती है। आगे वचनकी साधताके विषयमें विचार किया जाता है।

वचन सांश होता है

अक्षर, शब्द, पद, वाक्य और महावाक्यके भेदसे वचन पाँच प्रकारका होता है। वचनके इन पाँचों प्रकारोंमेंसे शब्दके अंगभूत निरर्थक अकारादिवर्ण अक्षर कहलाते हैं, अर्थवान् अकारादि अक्षर और दो आदि निरर्थक अक्षरोंका अर्थवान् समुदाय 'शब्द' कहलाता है, अर्थवान् शब्दरूप प्रकृतिका संस्कृत भाषामें 'सुप्' अथवा 'तिङ्' प्रत्ययके साथ संयोग होनेपर पदका निर्माण होता है तथा परस्पर सापेक्ष दो आदि पदोंके निरपेक्ष समूहसे 'वाक्य'का एवं परस्परसापेक्ष दो आदि वाक्योंके निरपेक्ष समूहसे 'महावाक्य'का निर्माण होता है। यद्यपि दो आदि महावाक्योंका भी निरपेक्ष समूह हुआ करता है परन्तु महावाक्योंके ऐसे समूहको भी 'महावाक्य' शब्दसे ही व्यवहृत किया जाता है।

१. 'सुप्तिङन्त पदम्'—अष्टाध्यायी, पाणिनि, १-४-१४।
२. 'पदाना परस्परसापेक्षाणा निरपेक्ष समुदायो वाक्यम्।'—अष्टशतो, अकलकू, अष्टसहस्री पृ० २८५।
३. 'वाक्योच्चयो महावाक्यम्।'—साहित्यदर्पण, परिच्छेद २, श्लोक १।

इस श्लोकके 'वाक्योच्चय' पदका विश्लेषण इसीकी टीकामें 'योग्यताकासासतियुक्तः' किया गया है। इस तरह महावाक्यका इस प्रकार लक्षण होता है—

'परस्परसापेक्षाणा वाक्यानां निरपेक्ष समुदायो महावाक्यम्।'

इस लक्षणके आधारपर ही गोम्मटसार जीककाण्डके श्रुतज्ञानप्रकरणमें गिनये गये श्रुतके भेदोंमेंसे आधिके अक्षर, पद और संघात (वाक्य) से आगे जितने भेद हैं वे सब महावाक्यके ही भेद समझना चाहिए।

नोट—इस टिप्पणीमें 'संघात' शब्दका अर्थ वाक्य हमने आप्तमीमांसाकी कारिका १०३ की अष्टसहस्री-टीकाके आधारपर किया है।

इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि अक्षर और शब्द कभी प्रयोगाहूँ नहीं होते हैं, केवल पद, वाक्य और महावाक्य ही प्रयोगाहूँ होते हैं। पद, वाक्य और महावाक्यमेंसे पदकी वक्ता या लेखक किसी अनुकूल वाक्यका अवयव मानकर ही प्रयुक्त करता है तथा वाक्य अथवा महावाक्यकी वक्ता या लेखक कहीं तो यथामोक्ष अनुकूल महावाक्यका अवयव मानकर प्रयुक्त करता है और कहीं आवश्यकतानुसार स्वतंत्ररूपमें प्रयुक्त करता है।

वचनसे हमेंबाले पदार्थप्रतिपादनकी व्यवस्था यह है कि शब्दके अंगभूत अक्षर तो हमेशा निरर्थक ही रखा करते हैं। स्वतंत्र अक्षर और दो आदि निरर्थक अक्षरोंके समुदायरूप शब्द यद्यपि अर्थवान् होते हैं परन्तु इनका प्रयोग संस्कृत भाषामें तो यथामोक्ष सुव्यक्त अथवा सिद्धन्त होकर पदका रूप धारण करनेपर ही संभव है। इसलिये शब्दके अंगभूत निरर्थक अक्षरों, अर्थवान् स्वतंत्र अक्षरों एवं दो आदि निरर्थक अक्षरोंके समुदायरूप अर्थवान् शब्दोंके विषयमें अर्थप्रतिपादनकी चर्चा करना ही व्यर्थ है। इनके अतिरिक्त वचनके जो पद, वाक्य और महावाक्यरूप भेद हैं उनका प्रयोग करके ही वक्ता या लेखक अपने मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन कर सकता है। लेकिन इनमेंसे पद हमेशा वक्ता या लेखकके उक्त प्रकारके पदार्थके अंशका प्रतिपादन करनेमें ही समर्थ रहता है, बहु कभी भी पदार्थके प्रतिपादनमें समर्थ नहीं होता। यही कारण है कि वक्ता या लेखक एक तो कभी पदका प्रयोग स्वतंत्ररूपमें करता नहीं है और यदि कदाचित् वह उसका (पदका) प्रयोग स्वतंत्ररूपमें करता भी है तो बहुपर भी वह उसका वह प्रयोग किसी अनुकूल वाक्यका अवयव मानकर ही करता है। इसलिये ऐसे स्थलपर वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका बोध करनेके लिये यथामोक्ष श्रोता या पाठक द्वारा अन्य अनुकूल पदका आक्षेप नियमसे कर लिया जाता है, क्योंकि पदके स्वतंत्र प्रयोगमें जबतक उसे किसी अनुकूल वाक्यका अवयव नहीं मान लिया जाता तब तक उससे वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका पूर्णरूपसे प्रतिपादन होना तो दूर रहा, उससे उक्त पदार्थके अंशका प्रतिपादन होना भी असंभव बात है।

इस विषयमें उदाहरण यह है कि कोई वक्ता या लेखक कदाचित् सिर्फ अस्तित्वबोधक 'है' इस क्रिया-पदका यदि स्वतंत्र प्रयोग करता है तो जबतक इस क्रियापदके साथ वक्ता या लेखक द्वारा अपने अभीष्ट अर्थका प्रतिपादन करनेके लिये बड़ा, कपड़ा, आदमी आदि किसी अनुकूल संज्ञापदका प्रयोग नहीं किया जायगा अथवा प्रकरण आदिके आधारपर उक्त प्रकारके संज्ञापदका श्रोता या पाठक द्वारा स्वयं आक्षेप नहीं कर लिया जायगा तबतक उस श्रोता या पाठकके मस्तिष्कमें क्या है? यह प्रश्न बचकर काटता ही रहता। इती तरह वक्ता या लेखक द्वारा बड़ा, बलन, आदमी आदि किसी भी संज्ञापदका स्वतंत्र प्रयोग किये जानेपर श्रोता या पाठकके मस्तिष्कमें नियमसे उत्पन्न होनेवाले प्रश्नका समाधान करनेके लिये 'है' इत्यादि क्रियापदके संबन्धमें प्रयोग या आक्षेपकी यही व्यवस्था लागू होती है।

इस उदाहरणसे यह समझा जा सकता है कि अन्य अनुकूल पदनिर्देश स्वतंत्र पदका प्रयोग यदि कदाचित् कर भी दिया जाय तो भी वह पद उस हालतमें न तो वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन करता है और न उस प्रकारके पदार्थके यथामोक्ष किसी अंशका प्रतिपादन करता है लेकिन उतों पदको जब किसी अनुकूल पद या पदोंके साथ जोड़ दिया जाता है तो वाक्यका अवयव बन जानेपर वह तब वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन न करता हुआ भी उक्त पदार्थके अंशका नियमसे प्रतिपादन करके लग जाता है।

वाक्य और महावाक्य ऐसे वचन हैं कि जिनसे यथावसर वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका अथवा उसके अंशका प्रतिपादन संभव है। यही कारण है कि वक्ता या लेखक जहाँ जिस वाक्य अथवा महावाक्यसे अपने मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन करना चाहता है वहाँ वह उस वाक्य अथवा महावाक्यका स्वतंत्र रूपमें ही प्रयोग करता है और वक्ता या लेखक जहाँ जिस वाक्य अथवा महावाक्यसे उल्लिखित प्रकारके पदार्थके अंशका प्रतिपादन करना चाहता है वहाँ वह वाक्य या महावाक्यका प्रयोग स्वतंत्र रूपमें न करके किसी अनुकूल महावाक्यके अवयवके रूपमें किया करता है अथवा यो कहिये कि किसी वाक्य अथवा महावाक्यका कहींपर किसी वक्ता या लेखक द्वारा यदि स्वतंत्र प्रयोग किया जाय तो उस वाक्य या महावाक्यसे उस वक्ता या लेखकके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका ही प्रतिपादन होगा और यदि इसी वाक्य अथवा महावाक्यका वक्ता या लेखक द्वारा किसी अनुकूल महावाक्यके अवयवके रूपमें प्रयोग किया जाय तो उस वाक्य या महावाक्यसे उस वक्ता या लेखकके उल्लिखित प्रकारके पदार्थके अंशका ही प्रतिपादन होगा।

वाक्यका स्वतंत्र रूपमें प्रयोग करनेके विषयमें उदाहरण यह है कि मान लीजिये—एक व्यक्ति स्वामी है और दूसरा व्यक्ति उसका सेवक है। स्वामी पानी बुलानेरूप पदार्थका मनमें संकल्प करके सेवकको बोलता है—‘पानी लाओ ?’, सेवक भी इस एक ही वाक्यसे स्वामीके उस मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थको समझकर पानी लानेके लिये चल देता है। इस तरह यहाँपर ‘पानी लाओ’ यह वाक्य स्वामीके उल्लिखित पदार्थका ही प्रतिपादन कर रहा है तथा ‘पानी’ और ‘लाओ’ ये दोनों पद चूँकि ‘पानी लाओ’ इस वाक्यके अवयव बने हुए हैं अतः ये दोनों पद स्वामीके उल्लिखित प्रकारके पदार्थके एक-एक अंशका प्रतिपादन कर रहे हैं। यदि उक्त दोनों पदोंको उक्त वाक्यसे पृथक् करके स्वतंत्र-स्वतंत्र रूपमें प्रयुक्त कर दिया जाय तो उस हालतमें फिर ये दोनों ही पद न तो स्वामीके उल्लिखित प्रकारके पदार्थका प्रतिपादन करेंगे और न उस पदार्थके किसी अंशका ही प्रतिपादन कर सकेंगे।

स्वतंत्र रूपसे प्रयुक्त महावाक्य अथवा उसके अवयवोंके रूपमें प्रयुक्त वाक्योंका उदाहरण यह है कि जब स्वामीका मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थ लोटा ले जाकर पानी लाने रूप ही तो वह अपने इस अभिप्रायरूप पदार्थको सेवकपर प्रकट करनेके लिये ‘लोटा ले जाओ और पानी लाओ’ इस तरह दो वाक्योंके समूहरूप महावाक्यका प्रयोग करता है।

यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि ‘लोटा ले जाओ’ और ‘पानी लाओ’ ये दोनों वाक्य मिलकर एक महावाक्यका रूप धारण करके ही स्वामीके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन कर रहे हैं तथा ‘लोटा ले जाओ’ और ‘पानी लाओ’ ये दोनों वाक्य जबतक ‘लोटा ले जाओ और पानी लाओ’ इस महावाक्यके अवयव बने हुए हैं तब तक दोनों ही वाक्य वक्ता या लेखकके उल्लिखित पदार्थके एक एक अंशका प्रतिपादन कर रहे हैं। यदि इन दोनों वाक्योंको इनके समूहरूप उक्त महावाक्यसे पृथक् करके स्वतंत्र-स्वतंत्र रूपमें प्रयुक्त कर दिया जाय तो उस हालतमें ये दोनों ही वाक्य स्वतंत्र रूपसे स्वामीके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पृथक्-पृथक् दो पदार्थोंका प्रतिपादन करने लगेगे। उस हालतमें ये दोनों वाक्य न तो स्वामीके उल्लिखित महावाक्यके प्रयोगमें प्रतिज्ञात पदार्थके अंशोंका प्रतिपादन करेंगे और न पदकी तरह पदार्थके प्रतिपादनमें असमर्थ ही रहेंगे।

अनेक महावाक्योंके समूहरूप महावाक्य अथवा ऐसे महावाक्यके अवयवोंके रूपमें प्रयुक्त महावाक्योंका उदाहरण यह है कि आचार्य उमास्वामिने अपने मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थ भोज-

मार्ग और उसके विषयभूत सत्तत्त्वोंका प्रतिपादन करनेके लिये तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थरूप एक महावाक्यकी रचना की है तथा उल्लिखित प्रकारके पदार्थके अंशभूत एक विषयका प्रतिपादन करनेके आधारपर उसके दश अध्यायरूप दश अंश बना दिये हैं। इस तरह दश अध्यायरूप दश महावाक्योंका समुदायरूप तत्त्वार्थसूत्रग्रन्थ एक महावाक्य के रूपमें आचार्य श्री उमास्वामिके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन कर रहा है तथा उसके अंशभूत दशों अध्याय उस पदार्थके एक-एक अंशका प्रतिपादन कर रहे हैं। यदि दूसरा कोई व्यक्ति इन दश अध्यायोंमें वर्णित प्रत्येक अध्यायके विषयको स्वतन्त्ररूपसे पृथक्-पृथक् प्रतिज्ञात करनेके अलग-अलग दश ग्रन्थोंका निर्माण कर देता है तो उस हालतमें स्वतन्त्ररूपमें निमित्त वे दश ग्रन्थ अपने-अपने विषयका पूर्णरूपसे प्रतिपादन करने लगेगे।

उपर्युक्त कथनसे एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि प्रयुक्त होने व पदार्थके प्रतिपादनकी क्षमता पद, वाक्य और महावाक्यमें ही पायी जाती है व दूसरी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पद, वाक्य और महावाक्यमेंसे पद हमेशा वाक्यका अवयव होकर ही प्रयुक्त होता है और वह हमेशा पदार्थ के अंशका ही प्रतिपादन करता है, शेष वाक्य और महावाक्य दोनों कही तो प्रयोक्ताके अभिप्रायके अनुसार स्वतन्त्ररूपमें प्रयुक्त होते हैं और कही वे प्रयोक्ताके अभिप्रायके अनुसार ही किसी अनुकूल महावाक्यके अवयवके रूपमें भी प्रयुक्त होते हैं। वाक्य और महावाक्य जहाँ स्वतन्त्ररूपमें प्रयुक्त होते हैं वहाँ तो वे प्रयोक्ताके मनोगत अभिप्रायरूप यानी संकल्पित या प्रतिज्ञात पदार्थका प्रतिपादन करते हैं और जहाँ किसी अनुकूल महावाक्यके अवयवके रूपमें प्रयुक्त होते हैं वहाँ वे प्रयोक्ताके उल्लिखित प्रकारके पदार्थके अंशका ही प्रतिपादन करते हैं अथवा यो कहिये कि प्रयोक्ताको जहाँ किसी वाक्य अथवा महावाक्यसे उल्लिखित प्रकारके स्वतन्त्र पदार्थका प्रतिपादन करना होता है वहाँ तो वह उनका प्रयोग स्वतन्त्र रूपमें अलग-अलग ही करता है और जहाँ इनसे उल्लिखित प्रकारके पदार्थके अंशका प्रतिपादन करना ही प्रयोक्ताका लक्ष्य रहता है वहाँ वह उनका प्रयोग अनुकूल महावाक्यके अवयवके रूपमें ही करता है।

वचनमें अक्षर, शब्द, पद, वाक्य और महावाक्यका भेद करके जिस साक्षात्का विवेचन किया गया है वह साक्षात् जिस प्रकार ऊपर लौकिक वचनमें दर्शायी गयी है उन्ही प्रकार वह साक्षात् शास्त्रीय वचनमें भी दर्शायी जा सकती है। जैसे जैनदर्शनमें वस्तुको नित्य और अनित्य उभय धर्मात्मक माना गया है। इसके विपरीत सांख्यदर्शनमें उसे नित्यधर्मात्मक व बौद्धदर्शनमें उसे अनित्यधर्मात्मक स्वीकार किया गया है। इस तरह जैनदर्शनमें जहाँ भी 'वस्तु नित्य है' यह प्रयोग मिलता है वहाँपर वह 'वस्तु नित्य है और अनित्य है' इस महावाक्यका अवयव ही माना जाता है। यही कारण है कि उस वाक्यका हमेशा यही अर्थ होता है कि वस्तुकी द्रव्यरूपता या गुणरूपता नित्य है। इसी प्रकार जैनदर्शनमें जहाँ भी 'वस्तु अनित्य है' यह प्रयोग मिलता है वहाँपर वह भी 'वस्तु नित्य है और अनित्य है' इस महावाक्यका अवयव ही माना जाता है। यही कारण है कि इस वाक्यका हमेशा यही अर्थ होता है कि वस्तुकी पर्यायरूपता अनित्य है। इस तरह जैनदर्शनमें पाये जानेवाले इन दोनों प्रयोगोंसे हमेशा यथायोग्य नित्यानित्यात्मक वस्तुकी अंशात्मक नित्यता व अनित्यताका ही प्रतिपादन होता है। इसके विपरीत सांख्य दर्शनमें वस्तुको भ्रूतिके सर्वथा नित्य माना गया है और बौद्धदर्शनमें उसे भ्रूतिके सर्वथा अनित्य माना गया है अतः सांख्य दर्शनका 'वस्तु नित्य है' यह प्रयोग और बौद्ध दर्शनका 'वस्तु अनित्य है' यह प्रयोग एक दूसरे वचनका अवयव न होकर दोनों ही स्वतन्त्र प्रयोग सिद्ध होते हैं। अतः सांख्य और बौद्ध दर्शनोंमें पाये जानेवाले उस-उस प्रयोगसे यथायोग्य पदार्थके रूपमें ही नित्यता अथवा अनित्यताका प्रतिपादन होता है, पदार्थके अंशके रूपमें नहीं।

इस कथनसे एक बात यह भी कलित होती है कि बचनमें अक्षर, शब्द, पद, नाम्य और महात्माकरूप भेदोंके आचारपर जिस सांघातका प्रतिपादन किया गया है वह सांघात प्रमाणरूप आप्तबचन और अप्रमाणरूप अतत्परब्रह्म दोनोंमें ही समानरूपसे पायी जाती है। जीवनबंधनमें प्रतिपादित बचनकी यह सांघात ही श्रुत-प्रमाणमें नयोत्पत्तिकी जननी है। आगे इसी विषयपर विचार किया जाता है।

नयोका विकास :

इस लेखके प्रारम्भमें हो हम बतला आये है कि नयोका आचारस्वतः प्रमाण होता है। इसके साथ ही जीनागममें स्पष्टरूपसे यह बतलाया गया है कि नय प्रमाणका अंशरूप ही होता है। यथा—

नाप्रमार्ण प्रमार्णं वा नयो ज्ञानात्मको मतः ।

स्यात्प्रमाणैकदेशस्तु सशंघायविरोधतः ॥

—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अ० १, सू० ६, वा० २१ ।

अर्थात् ज्ञानात्मक नय न तो अप्रमाणरूप होता है और न प्रमाणरूप ही होता है किन्तु प्रमाणका एक-द्वेष (अंश) रूप ही होता है।

इससे दो बातें कलित होती हैं—एक तो यह कि नयव्यवस्था प्रमाणमे ही होती है, अप्रमाणमे नहीं। और दूसरी यह कि नय हमेशा प्रमाणका अंशरूप ही रहा करता है, वह स्वयं कभी पूर्ण रूप नहीं होता। अप्रमाणमे नयव्यवस्था नहीं होती—इसका सुलासा हम आगे करेंगे। अतः इसे छोड़कर यहाँपर हम इस बातका स्पष्टीकरण कर देना चाहते हैं कि नय प्रमाणका अंशरूप ही रहा करता है।

तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें निम्नलिखित पद्य पाया जाता है—

स्वार्थैकदेशनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः । —अ० १, सू० ६, वा० ४ ।

अर्थात् प्रमाणके विद्युत 'स्व' और 'पदार्थके एक द्वेष (अंश)' का जिसके द्वारा निर्णय किया जाय वह नय कहलाता है।

इस पद्यमें नयको जो पदार्थके एकद्वेष (अंश) का ग्रहण प्रतिपादित किया गया है उससे सिद्ध होता है कि नय हमेशा प्रमाणका अंश ही हुआ करता है। सर्वार्थसिद्धिमें आचार्य पूज्यपादने भी लिखा है—

सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीनः ।

—तत्त्वार्थ १-६ ।

अर्थात् पदार्थका पूर्णरूपसे ग्रहण प्रमाण होता है और उसके अंशका ग्रहण नय होता है।

इस तरह नय जब प्रमाणका अंश सिद्ध हो जाता है तो इससे एक बात यह भी सिद्ध हो जाती है कि नयव्यवस्था सांघात प्रमाणमें ही होती है, निरंश प्रमाणमे नहीं। इसका कारण भी वह समझना चाहिये कि निरंश ज्ञानमें ज्ञानका अक्षय भाव रहनेके कारण अंशोंका विभाजन नहीं हो सकता है। इससे प्रमाणके पूर्वोक्त पौष्ट भेदोंमेंसे मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञानमें नयव्यवस्थाका अभाव सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इन ज्ञानोंमें पदार्थग्रहणका अक्षय भाव ही पाया जाता है और चूँकि श्रुतज्ञानमें पदार्थग्रहणके अंशोंका विभाजन होता है, अतः उसमें नयव्यवस्थाका सम्भाव सिद्ध हो जाता है।

इसका तात्पर्य यह है जैसा कि पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्यय-ज्ञानमें उस-उस ज्ञानावरणकर्मके अयोपद्यमसे उत्पन्न होनेके कारण यद्यपि पदार्थका ज्ञान सर्वात्मना न होकर अंशमुक्ते ही होता है लेकिन वह ज्ञान होता अक्षयभावसे ही है। इसी तरह केवलज्ञानमें समस्त ज्ञानावरण-

कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण पदार्थका ग्रहण यद्यपि सर्वात्मना होता है तो भी वह ज्ञान त्रुटि युगपत् सम्पूर्ण अंशोंका एक साथ ही हुआ करता है अतः वह भी अंशोंका अक्षरहित अक्षय्यभावसे ही हुआ करता है। इस प्रकार इन चारों ज्ञानोंमें नयव्यवस्थाकी सिद्धि होना असम्भव बात है। लेकिन श्रुतज्ञानमें इन चारों ज्ञानोंकी अपेक्षा यह विशेषता पायी जाती है कि श्रुतज्ञानावरणकर्मके अयोपशमपूर्वक सांशयचयनके अक्षय्यत्वसे उत्पन्न होनेके कारण उसमें (श्रुतज्ञानमें) पदार्थका ज्ञान अक्षय्यभावसे न होकर पदार्थके एक-एक अंशका क्रमशः ज्ञान होता हुआ सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान हो जाया करता है, इसलिये इस ज्ञानमें पदार्थग्रहणका सक्षय्य-भाव रहनेके कारण नयव्यवस्थाकी सिद्धि हो जाती है।

तत्पदार्थसलोकवार्तिक (१-३३-६) में जो नयका लक्षण निदिष्ट किया गया है उसमें तो स्पष्टरूपसे कहा गया है कि नयव्यवस्था श्रुतज्ञान में ही होती है। यथा—

“नीयते गम्यते येन श्रुताथैशो नयो हि सः।”

अर्थात् जिसके द्वारा श्रुतज्ञानरूप प्रमाणके विषयभूत पदार्थके अंशका ज्ञान किया जाय वह नय कहलाता है।

नयव्यवस्था श्रुतज्ञानमें ही होती है, मतिज्ञान, अवधिज्ञान और केवलज्ञानमें नहीं होती, इसकी पुष्टि इसी ग्रन्थके निम्नलिखित वार्तिकोंसे भी होती है—

“मतेरवधितो वापि मनःपर्ययतोऽपि वा ।
ज्ञातस्यार्थस्य नाशेऽस्ति नयानां वर्तनं ननु ॥
निःशेषदेशकालार्थविषयिताकरत्वविनिश्चयात् ।
तस्येति भाषितं कैश्चिद्युक्तमेव तथेष्टतः ॥
त्रिकालगोचराशेषपदार्थांशेषु वृत्तितः ।
केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते ।
परोक्षाकारतावृत्तेः स्पष्टत्वात्केवलस्य तु ।
श्रुतमूला नयाः सिद्धा वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत् ॥

—त० श्लो० १-६-२५, २६, २६, २७ ।

इन वार्तिकोंका अर्थ यह है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें नयोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इन ज्ञानोंमें निःशेषदेशकालार्थविषयिताका अभाव रहता है। अर्थात् ये तीनों ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थको सम्पूर्ण देश और कालकी विशिष्टताके साथ ग्रहण करनेमें असमर्थ रहते हैं। केवलज्ञान यद्यपि अपने विषयभूत पदार्थको सम्पूर्ण देश और कालकी विशिष्टताके साथ ग्रहण करता है लेकिन उसके (केवलज्ञानके) ग्रहणमें स्पष्टता^१ (प्रत्यसाकारता) पायी जाती है जब कि नयोंके ग्रहणमें परोक्षाकारता ही रहा करती है। इस प्रकार नयोंका उद्भव मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानमें न होकर श्रुतज्ञानमें ही होता है, क्योंकि वह एक तो अपने विषयभूत पदार्थको सम्पूर्ण देश और कालकी विशिष्टताके साथ ग्रहण करता है। दूसरे उसमें परोक्षाकारता^२ पायी जाती है।

इसका तात्पर्य यह है कि प्रमाणमें नयव्यवस्थाकी सिद्धिके लिये दो बातें अपेक्षित हैं— एक तो प्रमाणकी निःशेषदेशकालार्थविषयिता और और दूसरी परोक्षाकारता। प्रमाणमें नयव्यवस्थाकी सिद्धिहेतु निःशेष-

१. विशदं प्रत्यक्षम् । —परीक्षामुक्त २-३ ।

२. भाष्ये परीक्षाम् । —तत्त्वार्णसू० १-११ ।

वेदकालार्थविधयिताके सद्भावका प्रयोजन यह है कि जिस प्रमाणमें नयव्यवस्थाकी सिद्धिकी जाय उसके द्वारा पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका विषय होना आवश्यक है। इसका निष्कर्ष यह है कि यतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्यवधानरूप प्रमाणोंमें धार्योपशमिकज्ञान होनेके कारण चूँकि निःशेषवेदकालार्थविधयिताका अभाव रहता है अतः इनमें नयव्यवस्थाकी सिद्धिका विरोध किया गया है। इसी प्रकार प्रमाणमें नयव्यवस्थाकी सिद्धिहेतु परोक्षकारताका प्रयोजन यह है कि जिस प्रमाणमें नयव्यवस्थाकी सिद्धि की जाय उन प्रमाणके द्वारा पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान क्रमशः होना आवश्यक है कारण कि पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान प्रमाण द्वारा यदि युगपत् होता है तो उसमें अंशोंका विभाजन होना असम्भव है। इसका निष्कर्ष यह है कि केवलज्ञानमें निःशेष-वेदकालार्थविधयिताका सङ्ग्रह रहते हुए भी धार्मिकज्ञान होनेके कारण प्रत्यक्षकारता आ जानेसे पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान चूँकि युगपत् अखण्डभावसे ही हुआ करता है। अतः उसमें (केवलज्ञानरूप प्रमाणमें) भी नयव्यवस्थाका अभाव सिद्ध हो जाता है और चूँकि श्रुतज्ञान एक ऐसा प्रमाण है कि जिसमें निःशेषवेदकालार्थ-विधयिता और परोक्षकारता दोनों ही बातें पायी जाती हैं अर्थात् श्रुतज्ञान द्वारा एक तो पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान होता है और दूसरे धार्योपशमिक व वचनावलम्बी ज्ञान होनेके कारण उसमें (श्रुतज्ञानमें) परोक्ष-कारताके आजानेसे पदार्थके उन सम्पूर्ण अंशोंका ज्ञान क्रमशः संखण्डभावसे ही हुआ करता है, अतः उसमें नय-व्यवस्थाका सद्भाव सिद्ध हो जाता है। स्वामी समन्तभद्रने श्रुतज्ञानको क्रमशः सर्वतत्त्वप्रकाशक स्वीकार किया है। यथा—

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षात्त्वं ह्यवस्त्वन्यतरम् भवेत् ॥ —आप्तमीमांसा, का०, १०५ ।

स्याद्वाद अर्थात् श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही पदार्थको सर्वात्मना ग्रहण करते हैं लेकिन केवलज्ञान जहाँ पदार्थको साक्षात् अर्थात् प्रत्यक्षरूपमें युगपत् अखण्डभावसे ग्रहण करता है वहाँ श्रुतज्ञान उसे असाक्षात् अर्थात् परोक्षरूपमें क्रमशः संखण्डभावसे ही ग्रहण करता है।

तात्पर्य यह है कि पदार्थका जहाँ सम्पूर्णताके साथ ग्रहण होता है वहाँ पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ग्रहण होना हुआ भी यदि वह ग्रहण प्रत्यक्षरूपमें होता है तो उसमें पदार्थके वे सम्पूर्ण अंश युगपत् अखण्डभावसे ही गृहीत होते हैं और यदि वह ग्रहण परोक्षरूपमें होता है तो उसमें पदार्थके वे सम्पूर्ण अंश क्रमसे एक-एक अंशके रूपमें संखण्डभावसे ही गृहीत होते हैं।

केवलज्ञान और श्रुतज्ञान इन दोनोंके मध्य इतना ही अन्तर है कि केवलज्ञानमें पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ग्रहण प्रत्यक्षरूपमें होनेके कारण युगपत् अखण्डभावसे ही हुआ करता है और श्रुतज्ञानमें पदार्थके सम्पूर्ण अंशोंका ग्रहण परोक्षरूपमें होनेके कारण क्रमशः संखण्डभावसे ही हुआ करता है।

स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि—

‘तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्सर्वभासनम् ।

क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम् ॥ —आप्तमीमांसा का० १०१ ।

अर्थात् हे भगवन् आपके मतमें युगपत् सर्वभासनरूप तत्त्वज्ञान अर्थात् केवलज्ञान और स्याद्वादनयसे संस्कृत क्रमसे उत्पन्न होनेवाला सर्वभासनरूप तत्त्वज्ञान अर्थात् श्रुतज्ञान दोनों ही प्रमाणरूप माने गये हैं।

इससे केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमें उल्लिखित प्रकारका अन्तर स्पष्टरूपसे समझमें आ जा जाता है।

इस तरह आगमप्रमाणोंके आधारपर यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि नयव्यवस्था श्रुत-ज्ञानमें ही होती है।

श्रुतज्ञानकी निःशेषदेशकालार्थविषयिताका स्पष्टीकरण

ऊपर तत्त्वार्थसूत्र, अध्याय १, सूत्र ६ के व्याख्यानस्वरूप तत्त्वार्थसूत्रोक्तवार्तिकके २४ से २७ संख्या-नके वार्तिकोंमें नयव्यवस्थाके लिये उपयोगी ज्ञानकी निःशेषदेशकालार्थविषयिताका कथन किया है। परन्तु उसका रूप ऐसा होना चाहिये कि वह श्रुतज्ञानके साथ-साथ केवलज्ञानमें तो पायी जाती हो, किन्तु मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञानमें न पायी जाती हो।

केवलज्ञानमें विद्यमान तत्त्वार्थसूत्रके 'सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य'। (१-२९) सूत्रमें प्रतिपादित निःशेष-देशकालार्थविषयिता ऐसी है कि इसका श्रुतज्ञानमें पाया जाना संभव नहीं है, कारण कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानकी तरह श्रुतज्ञान भी तो साधोयथामिक ज्ञान है और यही कारण है कि तत्त्वार्थसूत्रके ही 'मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायिषु' (१-२६) सूत्र द्वारा मतिज्ञानके साथ-साथ श्रुतज्ञानमें भी उसका निषेध कर दिया गया है। तात्पर्य यह है कि जैनदर्शनकी मान्यताके अनुसार विश्वमें अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता लिये हुए अनन्त वस्तुएँ विद्यमान हैं व इनमेंसे प्रत्येक वस्तु अपने-अन्य अपने-अपने पृथक् अनन्त धर्मोंको नमाये हुए है। विश्वकी इस प्रकारकी सभी वस्तुएँ 'सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य' सूत्रके अनुसार अपने-अपने उन अनन्त धर्मोंके साथ केवलज्ञानका विषय तो होती हैं परन्तु 'मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायिषु।' सूत्रके अनुसार मतिज्ञान व श्रुतज्ञानका विषय नहीं होती है।

इससे सिद्ध होता है कि विश्वकी प्रत्येक वस्तुमें जो अनन्तधर्मात्मकता जैनदर्शन द्वारा स्वीकृत की गयी है उसके आधारेपर निष्पन्न ज्ञानकी निःशेषदेशकालार्थविषयिता श्रुतज्ञानमें स्वीकृत नयव्यवस्थाके लिये उपयोगी नहीं है क्योंकि उपर्युक्त कथनके अनुसार श्रुतज्ञानमें उसका अभाव रहता है। इस तरह प्रकृतमें यह प्रकृत होता है कि, उक्त निःशेषदेशकालार्थविषयिताको छोड़कर ऐसी कौनसी ज्ञानकी निःशेषदेशकालार्थविषयिता है जो केवलज्ञानके साथ-साथ श्रुतज्ञानमें पायी जाकर नयव्यवस्थाके लिये उपयोगी हो ?

विचार करनेपर मालूम पड़ता है कि विश्वकी प्रत्येक वस्तु जैनदर्शनकी मान्यतानुसार जिस प्रकार अनन्तधर्मात्मक है उसी प्रकार वह अनेकान्तात्मक भी है। यहाँपर परस्पर विरोधी दो धर्मोंका एक ही साथ एक वस्तुमें पाया जाना उस वस्तुकी अनेकान्तात्मकता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमें जैसे उसके अनन्तधर्म एक साथ रह रहे हैं वैसे ही परस्पर-विरोधी दो धर्म भी रह रहे हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुको अनेकान्तात्मकताके कथनमें जो अनेकान्त शब्द आया है उसमें गभित अनेक शब्दका अर्थ जैनदर्शनमें 'दो' लिया गया है। इसका कारण यह है कि परस्पर विरोधिता दो धर्मोंमें ही संभव हो सकती है, तीन, चार आदि संख्यात, असंख्यात व अनन्तधर्ममें नहीं। और इसका भी कारण यह है कि एक धर्मका प्रतिपक्षी दूसरा एक ही धर्म हो सकता है, दो, तीन, चार आदि धर्म नहीं, क्योंकि एक धर्मका प्रतिपक्षी दूसरा एक धर्म यदि है तो तीसरा एक धर्म उन दोनोंका प्रतिपक्षी कथापि नहीं हो सकता है अर्थात् तीसरा एक धर्म यदि प्रथम एक धर्मका प्रतिपक्षी है तो प्रथम एक धर्मके प्रतिपक्षी दूसरे एक धर्मका वह नियमसे सपक्षी हो जायगा, और यदि वह दूसरे एक धर्मका प्रतिपक्षी है तो उस हालतमें वह प्रथम एक धर्मका नियमसे सपक्षी हो जायगा। यही नियम चौथे, पाँचवें आदि संख्यात, असंख्यात और अन्तधर्मोंके विषयमें भी जान लेना चाहिये। इस अभिप्रायसे ही जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तुगत अनन्तधर्मसापेक्ष अनन्त वचनप्रयोगोंके आधारेपर सत्प-भंगीके विरुद्ध अनन्तभंगीकी प्रसवितको परस्परविरोधी युगलधर्मोंके आधारेपर अनन्त सत्पभंगीके रूपमें इष्ट मान लिया गया है। यथा—

'नन्वेक वस्तुम्यनन्तानां धर्माणामनिलापयोम्याभाभुपगमाहानन्ता एव वचनमार्गाः स्वाह्लादिनां

अभेद्युर्न पुन सत्यं, बाष्पेयतात्वाद्वाचकेयतावाः । ततो विद्वद्भ्यं सप्तमञ्जूति चेत्, न, विधीय-
माननिधिष्यमानधर्मविकल्पेभ्यसा तदविरोधात्, 'प्रतिपर्यायं सप्तमञ्जू वस्तुनि' इति वचनात् ।
ततो अनन्ताः सप्तमञ्जूषो अभेद्युस्त्वपि नानिष्टम् ।' —त० श्लोकभा० १-६-५२

अर्थात् सांका पक्ष कहुता है कि एक वस्तुमें कथन करने योग्य जब अनन्तधर्म स्वीकार किए गये हैं तो इनका कथन करनेके लिए स्याद्वाचिकीके सामने अनन्तसंख्यक बचनमागोंकी प्रसक्ति होती है, केवल सात बचनमागोंकी नहीं, क्योंकि जितने वाच्य होते हैं उतने ही वाचक हो सकते हैं, हीनाधिक नहीं, अतः सप्त-
मञ्जूकी मान्यता असंगत है ।

उत्तर पक्ष यह है कि सप्तमञ्जूकी मान्यता विधीयमान और निधिष्यमान युगलधर्मोंके आधारपर जैनदर्शनमें स्वीकृत की गयी है, अनन्तधर्मोंके विकल्पोके आधारपर नहीं, कारण कि 'प्रत्येक पर्यायमें सप्तमञ्जी सिद्ध होती है' ऐसा आगमका निर्देश है । इस तरह प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान अनन्त धर्मोंमेंसे प्रत्येक धर्ममें विधीयमान और निधिष्यमान धर्मयुगलकी स्वीकृतिके आधारपर सप्तमञ्जूको स्थान प्राप्त हो जानेसे अनन्तमञ्जूके बजाय अनन्त सप्तमञ्जूकी स्वीकृति हम स्याद्वाचिकीके लिये अनिष्ट नहीं है ।

वस्तुका अनन्तधर्मात्मक होना एक बात है और उसका अनेकान्तात्मक होना दूसरी बात है । इन दोनोंमेंसे जैनैतर दर्शनकारोंके लिये वस्तुको अनन्तधर्मात्मक माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि पृथ्वीमें रूप, रस, गन्ध और इत्यां चतुष्टयको वे भी एक साथ स्वीकार करते हैं । परन्तु वे (जैनैतर दर्शन) वस्तुको अनेकान्तात्मक स्वीकार करनेमें हिचकिचाते हैं । इसके विपरीत जैनदर्शनकारोंने वस्तुको अनन्तधर्मात्मक और अनेकान्तात्मक उभयरूप स्वीकार किया है । उपर्युक्त प्रकारके अनेकान्तकी स्वीकृतिके आधारपर ही जैनदर्शनको अनेकान्तवादी दर्शन कहा जाता है । और उसकी अस्वीकृतिके आधारपर ही जैनैतर दर्शनोंको एकान्तवादी दर्शन कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि परस्पर-अविरोधी अनन्तधर्मोंकी सत्ता एक साथ ही वस्तुमें जैन और जैनैतर दोनों दर्शनोंमें स्वीकार की गयी है । परन्तु परस्पर विरोधी दो धर्मोंकी सत्ता एक साथ एक ही वस्तुमें जैनदर्शन तो स्वीकार करता है किन्तु जैनैतर दर्शन नहीं स्वीकार करते हैं । जैनैतर दर्शनोंमेंसे कोई दर्शन परस्पर विरोधी दो धर्मोंमें यदि एक धर्मको स्वीकार करता है तो द्वितीय धर्मका वह निषेधक हो जाता है और शीर्षे जैनैतर दर्शन यदि द्वितीय धर्मको स्वीकार करता तो प्रथम धर्मका वह निषेधक हो जाता है । जैसे सांख्य दर्शन बतलाता है कि 'वस्तु नित्य है' और बौद्धदर्शन बतलाता है कि 'वस्तु अनित्य है ।' परन्तु जैनदर्शन प्रतिपादन करता है कि 'वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है ।'

अनेकान्तके अंगभूत परस्पर विरोधी धर्मयुगलके प्रत्येक वस्तुमें अनन्त विकल्प समये हुए हैं । उनमेंसे अनेकान्तका स्वरूप प्रदर्शित करनेके लिए आचार्य श्री श्रमूतचन्द्रने समयसारके स्याद्वादाधिकार प्रकरणमें कतिपय परस्पर-विरोधी धर्मयुगलोंकी गणना भी की है । यथा—

'यदेव तत् तदेवात्, यदेवैकं तदेवानेकम्, यदेव सत् तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्य-
मित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविद्वद्वाचिकिष्यप्रकाशमनेकागतः ।'

अर्थात् जो ही वह है वही वह नहीं है, जो ही एक है वही एक नहीं है अर्थात् अनेक है, जो ही सत् है वही सत् नहीं है अर्थात् असत् है और जो ही नित्य है वही नित्य नहीं है अर्थात् अनित्य है—इस प्रकार एक वस्तुके वस्तुत्व (स्वरूप) की निष्पादक परस्परविद्वद्वाचिकिष्यका प्रकाशन करना ही अनेकान्त है ।

इसका आशय यह है कि विश्वकी अनन्तानन्त वस्तुओंमेंसे प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी पृथक-पृथक प्रत्यक्षता (प्रवेद्यता), गुणरूपता (स्वभाववत्ता) और पर्यायरूपता (परिचयवत्ता) को किन्हीं हुए ही

अस्तित्वको प्राप्त हो रही है। आचार्य श्री कुन्धकुन्धने प्रबचनसारके श्रेयाधिकारकी गाथा-संख्या १ के द्वारा वही बात बतलायी है। यथा—

‘अत्यो खलु दब्बमयो दब्बाणि गुणप्पमाणि भणिदाणि ।
तेहिं पुणो पज्जाया—’

अर्थात् अर्थ यानी पदार्थ (वस्तु) द्रव्यरूपताको लिए हुए है, द्रव्य गुणात्मक होता है और द्रव्य तथा गुण दोनोंमें पर्यायरूपता भी पायी जाती है।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् आकृति (प्रवेशरचना) उपलब्ध होती है, यही उसकी द्रव्यरूपता है। इसी तरह प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी उक्त प्रकारकी द्रव्यरूपताके आधारपर अपनी पृथक्-पृथक् प्रकृति (स्वभावशक्ति) हुआ करती है—यही उसकी गुणरूपता है और इसी तरह प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी उक्त प्रकारको द्रव्यरूपता और गुणरूपताके अनुरूप अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् विकृति अर्थात् परिणति भी देखी जाती है। यह उसकी पर्यायरूपता है। प्रत्येक वस्तुकी अपनी-अपनी उक्त आकृति-रूप द्रव्यरूपता और प्रकृतिरूप गुणरूपता दोनों ही शास्वत (स्थायी) हैं तथा विकृतिरूप पर्यायरूपता समय, आवली, मूहूर्त्त, घडी, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदिके रूपमें विभक्त होकर अशास्वत (अस्थायी) है। जैनदर्शनमें इन्हीं तीन बातोंके आधारपर प्रत्येक वस्तुको उत्पाद, ब्यय और प्रौढ्यवाली माना गया है। अर्थात् प्रत्येक वस्तुमें द्रव्यपर्यायी और गुणपर्यायीके रूपमें उत्पाद तथा ब्यय एवं द्रव्यत्व तथा गुणत्वके रूपमें प्रौढ्यका सद्भाव जैनदर्शनद्वारा स्वीकार किया गया है।

प्रत्येक वस्तुकी उक्त प्रकारकी द्रव्यरूपता और पर्यायरूपता प्रतिनियत है। अर्थात् एक वस्तुकी जो आकृति, प्रकृति और विकृति है वह कदापि दूसरी वस्तुकी नहीं हो सकती है। अतः इस स्थितिके आधारपर ही जैनदर्शनमें यह सिद्धान्त मान्य किया गया है कि ‘जो ही वह है वही वह नहीं है’। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि एक वस्तु कभी दूसरी वस्तु नहीं बन सकती है। यानी जीव पुद्गल आदि अन्य वस्तु नहीं बन सकता है, वह हमेशा जीव ही रहता है और यहाँतक कि एक जीव कभी दूसरे जीवरूप भी परिणत नहीं हो सकता है। इस सिद्धान्तके अनुसार ही विश्वमें विद्यमान वस्तुओंकी नियत परिमाणमें अनन्तानन्त संख्या निश्चित की गयी है।

उपर किये गये कथनके आधारपर प्रत्येक वस्तुके निम्न प्रकारसे तीन विकल्प-युगलके रूपमें अंश-शेद निर्धारित होते हैं—(१) एक द्रव्य उसके गुणोंके रूपमें, (२) द्रव्य और उसकी पर्यायीके रूपमें और (३) गुण और उसकी पर्यायीके रूपमें। इन सभी विकल्प-युगलोंपर जब ध्यान दिया जाता है तो समझमें आ जाता है

१. उत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं सत् ।^१—सत्त्वार्थसूत्र ५-३० ।

२. णवि परिणमइ ण विह्वइ उय्यज्जइ ण परदब्बपज्जाइ ।

णाणी जार्णतो विह्व पुयालकम्मं अणेयविह्वं ॥६६॥

समयसारकी इस गाथाको आदि देकर ७७, ७८ और ७९ संख्यांक गाथाओंमें आचार्य श्री कुन्धकुन्धने जो भी विवेचन किया है वह ‘जो ही वह है वही वह नहीं है’ इस सिद्धान्तके आधारपर ही किया है।

३. ततः सर्वत्रापि धर्माधिमाकायाकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये धावन्तः केचनान्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीय-द्रव्यान्तर्मगानन्तस्वधर्मभङ्गबुद्धिनोपि परस्परमभुम्बिनोऽप्यन्तप्रत्यासत्तावपि भित्तयेव स्वरूपादपततः पर-रूपेणापरिणमनाविनष्टानन्तव्यक्तित्वाद्दुकोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः ।^१ आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा समयसार गाथा २ पर किया गया यह व्याख्यान इसी अन्वयतापर आधारित है।

कि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण विद्यमान रहते हैं तथा प्रत्येक द्रव्य व प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणकी क्रमवर्ती अनेक पदार्थों द्वारा करती है। इस आधारपर ही जैनदर्शनमें यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि 'जो ही एक है वही एक नहीं है अर्थात् अनेक है।'

प्रत्येक वस्तुकी सत्ताका निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव (अवस्था) के आधार ही हुआ करता है। इनमेंसे द्रव्यके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि प्रत्येक वस्तुके अपने-अपने जो और जितने प्रदेश हैं वह उन्हीं और जितने प्रदेशोंके रूपमें सत् है, उन प्रदेशोंसे भिन्न अन्य प्रदेशोंके रूपमें वह सत् नहीं है अर्थात् असत् है। क्षेत्रके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि जो वस्तु आकाशके जिन और जितने प्रदेशोंपर स्थित है वह आकाशके उन और जितने ही प्रदेशोंपर सत् है, उन प्रदेशोंसे भिन्न आकाशके अन्य प्रदेशोंपर वह सत् नहीं है अर्थात् असत् है। कालद्रव्यके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार है कि जिन और जितने कालानुओंसे वस्तु संबद्ध है वह उन और उतने कालानुओंपर सत् है, उन कालानुओंसे भिन्न अन्य कालानुओंपर सत् नहीं है अर्थात् असत् है। व्यवहारकालके आधारपर भी जिस समय वस्तु विद्यमान है वह उस समय सत् है, अन्य कालमें वह असत् है। इसी तरह भावके आधारपर भी वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि कोई भी वस्तु अपनी जिस अवस्थामें विद्यमान है वह उसी अवस्थामें सत् है, उससे भिन्न अन्य अवस्थामें वह सत् नहीं है अर्थात् असत् है।

आचार्य श्री अमृतचन्द्रने अनेकान्तका लक्षण बतलाते हुए उल्लिखित विकल्पोंके साथ एक बीधा विकल्प यह भी बतलाया है कि जो ही नित्य है वही नित्य नहीं है अर्थात् अनित्य है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रत्येक वस्तु पूर्णोंके प्रकारसे उत्पाद, भव्य और द्रव्य सहित है क्योंकि वह द्रव्यरूपता, गुणरूपता और पर्यायरूपताको धारण करने हुये है। वस्तुका जहाँ तक द्रव्यरूपता और गुणरूपतासे सम्बन्ध है वहाँ तक तो वह द्रव्यरूप है और जहाँ तक उसका पर्यायरूपतासे सम्बन्ध है वहाँ तक वह उत्पाद और भव्यरूप है। इनमेंसे द्रव्य वस्तुकी नित्यताका चिह्न है और उत्पाद तथा भव्य उसकी अनित्यताके चिह्न है।

जिस प्रकार आचार्य अमृतचन्द्रने वस्तुत्वको अनेकान्तत्वक सिद्ध करते हुए उस अनेकान्तके तत्-वत्, एक-अनेक, सत्-असत् और नित्य-अनित्य ये चार विकल्प-युगल बतलाते हैं उसी प्रकार उन्होंने समय-सारकी भाषा १४२ की टीकामें आत्म-तत्त्वका अवलम्बन लेकर बद्ध-अबद्ध, मोही-अमोही, रागी-अरागी, द्वेषी-अद्वेषी आदि विविध प्रकारके और भी विकल्प-युगलोंका प्रतिपादन किया है। इस तरह हम देखते हैं कि विश्वकी प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकारसे परस्परविरोधी दो धर्मोंका आश्रय सिद्ध होती हुई अनेकान्तत्वक सिद्ध होती है। इसका केवलज्ञानद्वारा सर्वात्मना ग्रहण युगपत् असंभवभावसे ही हुआ करता है। अतः इस अपेक्षासे केवलज्ञानमें निःशेषदेशकालार्थविषयिताका सद्भाव सिद्ध होता है। व श्रुतज्ञानद्वारा परस्पर-विरोधी उक्त दोनों अर्थोंमेंसे एक-एक अंशका क्रमसे ग्रहण होता हुआ सर्वात्मना ग्रहण असंभव भावसे हुआ करता है। अतः श्रुतज्ञानमें भी निःशेषदेशकालार्थविषयिताका सद्भाव सिद्ध होता है। लेकिन मतिज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानके द्वारा इस अनेकान्तत्वक वस्तुका न तो युगपत् असंभवभावसे सर्वात्मना ग्रहण होता है और न क्रमशः असंभवभावसे सर्वात्मना ग्रहण होता है। प्रत्युत अंशमूलक सामान्यतया वस्तुका ही ग्रहण होता है। अतः इन तीनों ज्ञानोंमें उक्त प्रकारकी निःशेषदेशकालार्थविषयिताका अभाव सिद्ध हो जाता है।

वस्तुकी परस्पर-विरोधी धर्मद्वयात्मकताएव अनेकान्तत्वकता उस (वस्तु) की पूर्णता है। उस वस्तुका इस तरहकी पूर्णताके साथ ग्रहण होना प्रमाणरूप है तथा अंशरूपसे ग्रहण होना न्यूनरूप है। मतिज्ञान, अवधि-ज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें वस्तुका ग्रहण यद्यपि अंशरूपसे ही होता है परन्तु वह ग्रहण अंशरूपमें विभाजित

नहीं हो पाता है क्योंकि उस ग्रहणमें अंधामुखेन वस्तुका ही ग्रहण होता है, वस्तुके अंशका नहीं। जैसे चक्षु-रिन्द्रिय द्वारा रूपमुखसे रूपवान् वस्तुका ही ग्रहण होता है, वस्तुके एक अंशके रूपमें रूपका ग्रहण नहीं होता यही कारण है कि अंधामुखेन वस्तुका ग्रहण होता हुआ भी वस्तुके अंशका अंशरूपसे ग्रहण न होनेसे मतिज्ञान निरंश प्रमाण ही मानने योग्य है। यही बात ध्यायोपशमिकज्ञानरूप अबधिज्ञान और मन-पर्ययज्ञानके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। इस तरह ये तीनों ज्ञान कभी नयरूपताको प्राप्त नहीं होते हैं। केवलज्ञानमें वस्तुका ग्रहण सर्वात्मना होता है, इसलिये उसकी प्रमाणरूपता निर्विवाद है। लेकिन उसमें वस्तुके सम्पूर्ण अंश युगपत् गृहीत होनेके कारण पृथक्-पृथक् रूपमें गृहीत नहीं होते, इसलिये उसमें भी नयरूपताका अभाव सिद्ध हो जाता है। श्रुतज्ञानमें प्रमाणरूपता इसलिये सिद्ध होती है कि उसमें उल्लिखित अनेकान्तरूप पूर्ण वस्तुका ग्रहण होता है लेकिन चूंकि श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति पूर्वोक्त प्रकारसे साध वचनके आधारपर हुआ करती है। अतः जिस वचनसे अंशी (पूर्ण) रूप वस्तुका ग्रहण होता है उसे तो प्रमाणरूप मास वचन जानना चाहिये और जिस वचनसे अंशरूप वस्तुका ग्रहण होता है उसे नयरूप अंशात्मक वचन जानना चाहिये। तथा इस तरहके प्रमाणरूप और नयरूप वचनोंके आधारपर उत्पन्न होनेवाले श्रुतरूप ज्ञानकी भी क्रमशः प्रमाणरूप और नयरूप जानना चाहिये।

अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें नयव्यवस्थाका निषेध क्यों ?

पूर्वमें यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि जिस प्रकार साध वचनके आधारपर उत्पन्न होनेके कारण प्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें साधता सिद्ध होती है उसी प्रकार साध वचनके आधारपर उत्पन्न होनेके कारण अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें भी साधता सिद्ध होती है। इसलिये जिस प्रकार प्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें नयव्यवस्थाका सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें भी नयव्यवस्थाका सद्भाव सिद्ध होनेका प्रसंग उपस्थित होता है, लेकिन आगमप्रमाणके आधारपर पूर्वमें यह बतलाया जा चुका है कि अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें नयव्यवस्था नहीं होती है। उनसे सहज ही यह निष्कष निकल आता है कि साधवचनके आधारपर उत्पन्न होनेकी समानता रहते हुए भी अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें ऐसी विशेषता पायी जाती है जो उसमें नयव्यवस्थाका कारण बन जाती है और चूंकि वह विशेषता अप्रमाणरूप श्रुतज्ञानमें नहीं पायी जाती है, अतः उसमें नयव्यवस्थाका निषेध मगत हो जाता है।

वह विशेषता यह है कि पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक ही सिद्ध होती है अर्थात् प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान उसके अपने अनन्तधर्ममिसे प्रत्येक धर्म उस वस्तुमें अपने विरोधी धर्मके साथ ही रह रहा है। जैसे घटरूप वस्तुमें जिम प्रकार घटत्वधर्मका सद्भाव पाया जाता है उसी प्रकार उसमें घटत्वधर्मके विरोधी पटत्व आदि धर्मोंका अभाव भी पाया जाता है। यही कारण है कि हमें घटरूप वस्तुमें जिस प्रकार घटरूपताका ज्ञान होता है उसी प्रकार उसमें पटादिरूपताके अभावका ज्ञान होना भी स्वाभाविक है। अब जैसा घटरूप वस्तुमें घटरूपताके सद्भाव और पटादिरूपताके अभावका ज्ञान हमें होता है वैसा ज्ञान उस घटरूप वस्तुमें हम यदि दूसरे व्यक्तिको कराना चाहें तो इसके लिए हमें तदनुकूल वचनको या तो मुँहसे उच्चरित करना होगा या फिर उसे हस्तसे लिपिबद्ध करना होगा, तब कही जाकर दूसरा व्यक्ति उच्चरित वचनको तो सुनकर व लिपिबद्ध वचनको पढ़कर ही घटरूप वस्तुके विषयमें हमारा पूर्ण अभिप्राय जान सकेगा। चूंकि यह बात निर्विवाद है कि प्रत्येक वचन शब्दकोष, शब्दव्युत्पत्ति अथवा शब्दपरिभाषा आदिका अवलम्बन लेकर प्रतिनियत अर्थका ही प्रतिपादक होता है। इसलिये जब हम 'यह घट है' यह वाक्य बोलते हैं तो इससे लक्षित वस्तुमें घटरूपताका प्रतिपादन तो हो जाता है परन्तु इससे उस वस्तुमें पटादिरूपताके अभावका प्रतिपादन कदापि नहीं हो पाता है। अतः लक्षित वस्तुमें घटरूपताके सद्भावके साथ पटादिरूपताके अभावका प्रतिपादन

करनेके लिये 'यह घट है' इस वाक्यके साथ 'पटादि नहीं है' इस वाक्यका भी प्रयोग करना होगा, तब आकर ही बचनेके श्रोता या पाठकको वह लक्षण वस्तु घटरूपताको लिए हुए है व पटादिरूपताको लिये हुए नहीं है—ऐसा पूर्णता लिये हुए वस्तुका बोध होगा। इस तरह 'यह घट है' यह वाक्य और 'पटादि नहीं है' यह वाक्य दोनों ही 'यह घट है पटादि नहीं है' इस महावाक्यके अवयव हो जानेपर वस्तुका सही रूपसे प्रतिपादन करते हुए श्रोता या पाठकको उस वस्तुत्वका सही रूपमें बोध करा सकते हैं।

यहाँ पर समझनेकी बात यह है कि 'यह घट है पटादि नहीं है' यह महावाक्य वस्तुत्वका पूर्णरूपसे प्रतिपादक होने व श्रोता या पाठकको उस वस्तुत्वका पूर्णताके साथ ज्ञान करानेमें समर्थ होनेके कारण प्रमाणवाक्य है तथा इस महावाक्यके अवयवभूत 'यह घट है' और 'पटादि नहीं है' ये दोनों वाक्य नयवाक्य है व इन दोनों वाक्योंके समूहरूप 'यह घट है पटादि नहीं है' इस महावाक्यके अरिये श्रोता या पाठकको होने-वाला वस्तुत्वका पूर्णता लिये हुए ज्ञान प्रमाणज्ञान है व इस महावाक्यके अवयवभूत 'यह घट है' और 'पटादि नहीं है' इन दोनों वाक्योंसे श्रोता या पाठकको होनेवाला वस्तुत्वके एक-एक अंशका ज्ञान नयज्ञान है। यही बात 'वस्तु नित्य है' और 'नित्य नहीं है' अर्थात् अनित्य है' इस महावाक्य तथा इसके अवयवभूत 'वस्तु नित्य है' और 'वस्तु नित्य नहीं है' अर्थात् अनित्य है' इन वाक्योंके विषयमें भी जान लेना चाहिये।

अब देखना यह है कि अप्रमाणज्ञानमें नयव्यवस्था क्यों नहीं होती? तो इसपर ध्यान देनेसे मालूम पड़ता है कि जितनी भी एकान्तवादकी मान्यताये हैं उनमें जिस एक धर्मको जिस वस्तुमें स्वीकार किया गया है उस वस्तुमें उस धर्मके साथ उस धर्मके विरोधी धर्मको जैसा जैनदर्शनमें स्वीकार किया गया है वैसा उन मान्यताओंमें स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे जैनदर्शन कहता है कि जब वस्तुमें पूर्वोक्त प्रकारसे आकृति, प्रकृति और विकृतिके रूपमें क्रमवा: द्रव्यरूपता, गुणरूपता और पर्यायरूपता पायी जाती है तो फिर यह मानना भी आवश्यक हो जाता है कि वस्तुकी द्रव्यरूपता और गुणरूपता तो शावहत होनेसे नित्य है तथा उसकी पर्यायरूपता अशावहत होनेसे अनित्य है। लेकिन वस्तुत्वकी यह स्थिति सही होते हुए भी जो दर्शन वस्तुको नित्य मानता है वह उसे अनित्य माननेके लिये तैयार नहीं है और जो दर्शन वस्तुको अनित्य मानता है वह उसे नित्य माननेके लिये तैयार नहीं है इसलिये ये दोनों ही एकान्तवादी दर्शन अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार 'वस्तु नित्य है' या 'वस्तु अनित्य है' इन दो वाक्योंमेंसे एक ही वाक्यसे वस्तुका पूर्णरूपसे प्रतिपादन कर देना चाहते हैं। लेकिन वास्तवमें बात यह है कि जैसा नित्यरूप या अनित्यरूप वस्तुको वे मानते हैं वैसा उस वस्तुका पूर्णरूप न होकर अंशमात्र मिश्र होता है। अत: 'वस्तु नित्य है' और 'वस्तु अनित्य है' ये दोनों वाक्य पृथक्-पृथक् रहकर जूँकि वस्तुका पूर्णरूपसे प्रतिपादन कर नहीं सकते हैं, इसलिये तो इन्हें प्रमाणवाक्य नहीं कहा जा सकता है और वे एकान्तवादी दर्शन इन वाक्योंको वस्तुके अंशके प्रतिपादक माननेको तैयार नहीं है। इसलिये इन्हें नयवाक्य भी नहीं कहा जा सकता है। इस तरह ये दोनों ही वाक्य प्रमाण-वाक्य तथा नय-वाक्यकी कोटिसे निकल कर अप्रमाण या प्रमाणासमाकी कोटिमें ही गमित होते हैं। इन्हें नयाभास इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि एक नयके विषयको दूसरे नयके विषयरूपमें स्वीकार करना या कथन करना ही नयाभासका लक्षण है जो यहाँ पर घटित नहीं होता है।

तात्पर्य यह है कि 'वस्तु नित्य है' इस वाक्यका अभिप्राय यह होता है कि वस्तुकी द्रव्यरूपता या गुणरूपता नित्य है और 'वस्तु अनित्य है' इस वाक्यका अभिप्राय यह होता है कि वस्तुकी पर्यायरूपता अनित्य है। अब यदि कोई व्यक्ति वस्तुकी द्रव्यरूपता या गुणरूपताको अनित्य तथा पर्यायरूपताको नित्य मानने वा कहने लग जाय तो उस हालतमें ऐसी मान्यता या ऐसा कथन ही नयाभास माना जायगा।

इस प्रकार जैनदर्शनका 'वस्तु नित्य है' यह वाक्य नयवाक्य है क्योंकि इससे वस्तुके नित्यत्वरूप अंशका प्रतिपादन होता है तथा सांख्य दर्शनका 'वस्तु नित्य है', यह वाक्य प्रमाणाभास है या अप्रमाण है क्योंकि इस वाक्यसे सांख्य वस्तुके नित्यत्वरूप अंशका प्रतिपादन करना नहीं चाहता है और चूंकि वह नित्यत्वरूप अंशसे वस्तुका पूर्णरूपसे प्रतिपादन करना चाहता है, जैसा प्रतिपादन होना असंभव है, क्योंकि वस्तु मात्र नित्यरूप ही नहीं है बल्कि नित्य होनेके साथ-साथ वह अनित्य भी है। इसी प्रकार जैनदर्शनका 'वस्तु अनित्य है' यह वाक्य और बौद्ध दर्शनका 'वस्तु अनित्य है।' यह वाक्य इन दोनोंके विषयमें क्रमशः नयरूपता और अप्रमाणरूपताकी ऐसी ही व्यवस्था समझ लेना चाहिये।

उपसंहार

इस संपूर्ण विवेचनका सार यह है कि विश्वकी संपूर्ण अनन्तान्त वस्तुओंमेंसे प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक है। प्रत्येक वस्तुके अपने-अपने इन अनन्त धर्मोंमेंसे प्रत्येक धर्म अपने विरोधी धर्मके साथ ही प्रत्येक वस्तुमें रह रहा है। इसलिये प्रत्येक वस्तुको जैनदर्शनमें अनेकान्तात्मक माना गया है। इस अनेकान्तात्मक वस्तुका प्रतिपादन करना वचनका कार्य है। वचन भी यदि वस्तुके परस्परविरोधी दोनों धर्मोंका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है तो उसे प्रमाणरूप कहा जायगा और यदि वह परस्परविरोधी दोनों धर्मोंमेंसे एक-एक धर्मका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है तो वह नयरूप माना जायगा। इसके विपरीत उक्त प्रकारके अनेकान्तात्मकरूपसे प्रसिद्ध वस्तुके किसी एक धर्मके रूपमें एकान्तात्मक मानकर उसे जिस वचन द्वारा प्रतिपादित किया जायगा वह वचन अप्रमाणरूप माना जायगा, क्योंकि वस्तुका जैसा अनेकान्तात्मक स्वरूप है वैसा उस वचनसे प्रतिपादित नहीं होगा और जैसा एकान्तात्मक स्वरूप वस्तुका नहीं है वैसा उससे प्रतिपादित होगा। जिस वचनसे वस्तुका जो धर्म प्रतिपादित होना चाहिये, यदि उससे विपरीत धर्मका जहाँ प्रतिपादन किया जायगा वहाँ वह वचन नयाभासरूप माना जायगा। इसी तरह वचनसे उक्त प्रकारका जैसा प्रतिपादन करता या लेखक द्वारा किया जायगा वैसा ही उस वचनसे श्रोता या पाठकको वस्तुके विषयमें बौध होगा। इस प्रकार वह बौध भी यथायोग्य प्रमाणरूप, नयरूप, अप्रमाणरूप या नयाभासरूप ही माना जायगा।

इस लेखमें हमने उत्पत्ति और विकासके आधारपर जैनदर्शनके नयवादको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। जैनागममें नयोंका विस्तार करते हुए द्रव्याधिकनय और पर्यायाधिकनय तथा निश्चयनय और व्यवहारनय इस प्रकार दो तरहसे नय-श्रेयोंका विवेचन पाया जाता है। इनमेंसे नयोंके द्रव्याधिक और पर्यायाधिक श्रेय वस्तुतत्त्वकी स्वरूपव्यवस्थाके आधारपर तथा निश्चयनय और व्यवहारनय ये दो श्रेय आध्यात्मिक दृष्टिकोणके आधारपर जैनागम द्वारा मान्य किये गये हैं। इनके अलावा जैनागममें और भी अर्थनय तथा शब्दनयके रूपमें नयोंका विवेचन पाया जाता है तथा अर्थनयके नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र व शब्दनयके शब्द, समन्वित तथा एवंब्रूत श्रेय भी जैनागममें देखनेको मिलते हैं। एवं सभी प्रकारके नयोंके उपभेद भी वहीपर देखनेको मिलते हैं। इन सबका विस्तारसे विवेचन करनेकी वर्तमानमें अतीव आवश्यकता हो गयी है। कारण कि इस समय जैनसमाजमें जो तात्त्विक विवाद खड़े हो रहे हैं उनका कारण नयोंकी स्थितिको ठीक तरह नहीं समझ पाना ही है। लेकिन चूंकि लेख काफी विस्तृत हो गया है अतः स्वतन्त्र लेख द्वारा ही इन सबका विवेचन करना उचित होगा।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद

कोई भी धर्मप्रवर्तक अपने शासनको स्थायी और व्यापक रूप देनेके लिये मनुष्य-समाजके सामने दो बातोंको पेश करता है—एक तो धर्मका उद्देश्य-रूप और दूसरा उसका विधेय-रूप। दूसरे शब्दोंमें धर्मके उद्देश्य-रूपको साध्य, कार्य या सिद्धान्त कह सकते हैं और उसके विधेय-रूपको साधन, कारण या आचरण कह सकते हैं। वीरशासनके पारिभाषिक शब्दोंमें धर्मके इन दोनों रूपोंको क्रमसे निश्चयधर्म और व्यवहारधर्म कहा गया है। प्राणिमानके लिये आत्मकल्याणमें यही निश्चय-धर्म उद्दिष्ट वस्तु है और व्यवहारधर्म है इस निश्चय-धर्म-की प्राप्तिके लिये उसका कर्तव्यमार्ग।

इन दोनों बातोंको जो धर्मप्रवर्तक जितना सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित रीतिसे रखनेका प्रयत्न करता है उसका शासन संसारमें सबसे अधिक महत्त्वशाली समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, वह सबसे अधिक प्राणियोंको हितकर हो सकता है। इसलिये प्रत्येक धर्मप्रवर्तकका लक्ष्य दार्शनिक सिद्धान्तकी ओर दौड़ता है। वीरभगवान्का ध्यान भी इस ओर गया और उन्होने दार्शनिक तत्त्वोको व्यवस्थित रूपसे उनकी तथ्यपूर्ण स्थिति तक पहुँचानेके लिये दर्शनशास्त्रके आधारस्तम्भ रूप अनेकान्तवाद और स्याद्वाद इन दो तत्त्वोका आविर्भाव किया।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद ये दोनों दर्शनशास्त्रके लिये महान् गढ़ हैं। जैनदर्शन इन्हींकी सीमामें विचरता हुआ संसारके समस्त दर्शनोंके लिये आज तक अजेय बना हुआ है। दूसरे दर्शन जैनदर्शनको जीतनेका प्रयास करते तो हैं परंतु इन दुर्गोंके देखने मात्रसे उनकी निःशक्त होकर बैठ जाना पड़ता है—किन्तीके भी पास इनके तीढ़नेके साधन मौजूद नहीं हैं।

जहाँ अनेकान्तवाद और स्याद्वादका इतना महत्त्व बढ़ा हुआ है वहाँ यह भी निःसंकोच कहा जा सकता है कि साधारणजनकी तो बात ही क्या? अजैन विद्वानोंके साथ-साथ प्रायः जैन विद्वान् भी इनका विचल्लेषण करनेमें असमर्थ हैं।

अनेकान्त और स्यात् ये दोनों शब्द एकार्थक हैं या भिन्नार्थक? अनेकान्तवाद और स्याद्वादका स्वतन्त्र स्वरूप क्या है? अनेकान्तवाद और स्याद्वाद दोनोंका प्रयोगस्थल एक है या स्वतन्त्र? आदि समस्याएँ आज हमारे सामने उपस्थित हैं।

यद्यपि इन समस्याओंका हमारी व दर्शनशास्त्रकी उन्नति या अवनतिसे प्रत्यक्षरूपमें कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु अप्रत्यक्षरूपमें ये हानिकर अवश्य हैं। क्योंकि जित प्रकार एक ग्रामीण कवि छंद, अलंकार, रस, रीति आदिका शास्त्रीय परिज्ञान न करके भी छंद, अलंकार आदिसे सुसज्जित अपनी भावपूर्ण कवितासे जगतको प्रभावित करनेमें समर्थ होता है उसी प्रकार सर्वसाधारण लोग अनेकान्तवाद और स्याद्वादके शास्त्रीय परिज्ञानसे शून्य होनेपर भी परस्परविरोधी जीवनसंबन्धी समस्याओंका इन्हीं दोनो तत्त्वोंके बलपर अविरोध रूपसे समन्वय करते हुए अपने जीवन-संबन्धी व्यवहारोंको यद्यपि व्यवस्थित बना लेते हैं परन्तु फिर भी भिन्न-भिन्न धार्मिकोंके जीवनसंबन्धी व्यवहारोंमें परस्पर विरोधीपन होनेके कारण जो लड़ाई-झगड़ें पैदा होते हैं वे सब अनेकान्तवाद और स्याद्वादके रूपको न समझनेके ही परिणाम हैं। इसी तरह अजैन दार्शनिक विद्वान् भी अनेकान्तवाद और स्याद्वादको दर्शनशास्त्रके अंग न मानकरके भी अपने सिद्धान्तोंमें उपस्थित हुई परस्पर विरोधी समस्याओंको इन्हींके बलपर हल करते हुए यद्यपि दार्शनिक तत्त्वोंकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो भी भिन्न-भिन्न दार्शनिकोंके सिद्धान्तोंमें परस्पर विरोधीपन होनेके कारण उनके द्वारा

अबने सिद्धान्तोंको सत्य और महत्त्वशाली तथा दूसरेके सिद्धान्तको असत्य और महत्त्वरहित सिद्ध करनेकी जो असफल चेष्टा की जाती है वह भी अनेकान्तवाद और स्याद्वादके स्वरूपको न समझनेका ही फल है ।

सारांश यह कि लोकमें एक दूसरेके प्रति जो विरोधी भावनाएँ तथा धर्मोंमें जो साम्प्रदायिकता भाव दिखाई दे रही हैं उनका कारण अनेकान्तवाद और स्याद्वादको न समझना ही कहा जा सकता है ।

जैसी लोग यद्यपि अनेकान्तवादी और स्याद्वादी कहे जाते हैं और वे खुद भी अपनेको ऐसा कहते हैं, फिर भी उनके मौजूदा प्रचलित धर्ममें जो साम्प्रदायिकता और उनके हृदयोंमें दूसरोंके प्रति जो विरोधी भावनाएँ पाई जाती हैं उसके दो कारण हैं—एक तो यह कि उनमें भी अपने धर्मको सर्वथा सत्य और महत्त्वशाली तथा दूसरे धर्मोंको सर्वथा असत्य और महत्त्वरहित समझनेकी अहंकारमूलि पैदा हो जातेसे उन्होंने अनेकान्तवाद और स्याद्वादके क्षेत्रको बिल्कुल संकुचित बना डाला है, और दूसरे यह कि अनेकान्तवाद और स्याद्वादकी व्यावहारिक उपयोगिताको वे भी भूले हुए हैं ।

अनेकान्त और स्यात्का अर्थनैद

बहुतसे विद्वान् इन दोनों शब्दोंका एक अर्थ स्वीकार करते हैं । उनका कहना है कि अनेकान्तरूप-पदार्थ ही स्यात् शब्दका वाच्य है और इसीलिये वे अनेकान्त और स्याद्वादमें वाच्य-वाचक सम्बन्ध स्थापित करते हैं—उनके मतसे अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद उसका वाचक है । परन्तु “वाक्येष्वनेकान्तद्योती” इत्यादि कारिकासे पंडे हुए “द्योती” शब्दके द्वारा स्वामी समन्तब्रह्म स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि ‘स्यात्’ शब्द अनेकान्तका द्योतक है, वाचक नहीं ।

यद्यपि कुछ शास्त्रकारोंने भी कहीं-कहीं स्यात् शब्दको अनेकान्त अर्थका बोधक स्वीकार किया है, परन्तु वह अर्थ व्यवहारोपयोगी नहीं मालूम पड़ता है—केवल स्यात् शब्दका अनेकान्तरूप रूढ़ अर्थ मानकरके इन दोनों शब्दोंकी समानार्थकता सिद्ध की गई है । यद्यपि रुढ़िसे शब्दोंके अनेक अर्थ हुआ करते हैं और वे असंगत भी नहीं कहे जाते हैं फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि स्यात् शब्दका अनेकान्तरूप अर्थ प्रसिद्धार्थ नहीं है । जिस शब्दसे जिस अर्थका सीधे तौरपर जल्दीसे बोध हो सके वह उस शब्दका प्रसिद्ध अर्थ माना जाता है और वही प्रायः व्यवहारोपयोगी हुआ करता है; जैसे ‘गो’ शब्द पशु, भूमि, बाणी आदि अनेक अर्थोंमें ऋद्ध है परन्तु उसका प्रसिद्ध अर्थ पशु ही है, इसलिये वही व्यवहारोपयोगी माना जाता है । और तो क्या ? हिन्दीमें गी या गाय शब्द जो कि गो शब्दके अपभ्रंश है केवल स्त्री गो में ही व्यवहृत होते हैं, पुरुष गो अर्थात् बैल रूप अर्थमें नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे बैल रूप अर्थके वाचक ही नहीं हैं किन्तु बैल रूप अर्थ उनका प्रसिद्ध अर्थ नहीं, ऐसा ही समझना चाहिये । स्यात् शब्द उच्चारणके साथ-साथ कर्त्तव्य अर्थकी ओर संकेत करता है अनेकान्तरूप अर्थकी ओर नहीं, इसलिये कर्त्तव्य शब्दका अर्थ ही स्यात् शब्दका अर्थ अथवा प्रसिद्ध अर्थ समझना चाहिये ।

अनेकान्तवाद और स्याद्वादका स्वरूप

अनेकान्तवाद शब्दके तीन शाखाएँ हैं—अनेक, अन्त और बाह । इसलिये अनेक—नाना, अन्त—वस्तु-धर्मोंकी, बाह—मात्स्यताका नाम ‘अनेकान्तवाद’ है । एक वस्तुमें नानाधर्मों (स्वभावों) को प्रायः सभी दर्शन स्वीकार करते हैं, जिससे अनेकान्तवादीकी कोई विशेषता नहीं रह जाती है और इसलिये उन धर्मोंका कर्त्तव्य विरोधीपन भी अनायास सिद्ध हो जाता है, तब एक वस्तुमें परस्पर विरोधी और अविरोधी नाना धर्मोंकी मात्स्यताका नाम अनेकान्तवाद समझना चाहिये । यही अनेकान्तवादका अधिकारस्वरूप कहा जा सकता है ।

स्याद्वाद शब्दके दो शब्दों का है—स्यात् और वाद । उमर लिखे अनुसार स्यात् और कर्मात्त्वं ये दोनों शब्द एक अर्थके बोधक हैं—कर्मात्त्वं शब्दका अर्थ है “किसी प्रकार” । यही अर्थ स्यात् शब्दका समझना चाहिये । वाद शब्दका अर्थ है मान्यता । “किसी प्रकारसे अर्थात् एकदृष्टिसे—एक अपेक्षासे या एक अभिप्रायसे”, इस प्रकारकी मान्यताका नाम स्याद्वाद है । तात्पर्य यह कि विरोधी और अविरोधी नानाधर्मात्मी वस्तुमें अमुक धर्म अमुक दृष्टिसे या अमुक अपेक्षा या अमुक अभिप्रायसे है तथा व्यवहारमें “अमुक कथन, अमुक विचार, या अमुक कार्य, अमुक दृष्टि, अमुक अपेक्षा, या अमुक अभिप्रायको लिये हुए है” । इस प्रकार वस्तुके किसी भी धर्म तथा व्यवहारकी सामंजस्यताकी सिद्धिके लिये उसके दृष्टिकोण या अपेक्षाका ध्यान रक्षना ही स्याद्वादका स्वरूप माना जा सकता है ।

अनेकान्त और स्याद्वादके प्रयोगका स्थलभेद

(१) इन दोनोंके उल्लिखित स्वरूपपर ध्यान देनेसे मालूम पड़ता है कि जहाँ अनेकान्तवाद हमारी बुद्धिको वस्तुके समस्त धर्मोंकी ओर समानरूपसे लीचता है वहाँ स्याद्वाद वस्तुके एक धर्मका ही प्रधानरूपसे बोध करानेमें समर्थ है ।

(२) अनेकान्तवाद एक वस्तुमें परस्पर विरोधी और अविरोधी धर्मोंका विधानता है—वह वस्तुको नाना धर्मात्मक बतलाकर ही चरितार्थ हो जाता है । स्याद्वाद उस वस्तुको उन नाना धर्मोंके दृष्टिभेदोंको बतलाकर हमारे व्यवहारमें आने योग्य बना देता है—अर्थात् वह नानाधर्मात्मक वस्तु हमारे लिये किस हान्यमें किस तरह उपयोगी हो सकती है, यह बात स्याद्वाद बतलाता है । बोड़ेसे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि अनेकान्तवादका फल विधानात्मक है और स्याद्वादका फल उपयोगात्मक है ।

(३) यह भी कहा जा सकता है कि अनेकान्तवादका फल स्याद्वाद है—अनेकान्तवादकी मान्यताने ही स्याद्वादकी मान्यताको जन्म दिया है, क्योंकि जहाँ नानाधर्मोंका विधान नहीं है वहाँ दृष्टिभेदकी कल्पना ही ही कैसे सकती है ?

उल्लिखित तीन कारणोंसे बिस्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अनेकान्तवाद और स्याद्वादका प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थलोंमें होना चाहिये । इस तरह यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है कि अनेकान्तवाद और स्याद्वाद ये दोनों एक नहीं हैं; परन्तु परस्पर सापेक्ष अवश्य हैं । यदि अनेकान्तवादकी मान्यताके बिना स्याद्वादकी मान्यताके बिना स्याद्वादकी मान्यताकी कोई आवश्यकता नहीं है तो स्याद्वादकी मान्यताके बिना अनेकान्तवादकी मान्यता भी निरर्थक नहीं बल्कि असंगत ही सिद्ध होगी । हम वस्तुको नानाधर्मात्मक मान करके भी जबतक उन नानाधर्मोंका दृष्टिभेद नहीं समझेंगे तबतक उन धर्मोंकी मान्यता अनुपयोगी तो होगी ही, साथ ही वह मान्यता युक्ति-संगत भी नहीं कही जा सकेगी ।

जैसे लंघन रोगीके लिये उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी, यह तो हुआ लंघनके विषयमें अनेकान्तवाद । लेकिन किस रोगीके लिये वह उपयोगी है और किस रोगीके लिये वह अनुपयोगी है, इस दृष्टिभेदको बतलाने वाला यदि स्याद्वाद न माना गया तो यह मान्यता न केवल व्यर्थ ही होगी, बल्कि पिताम्बरवाला रोगी लंघनकी सन्मान्यतापर उपयोगिता समझकर यदि लंघन करने लगेगा तो उसे उस लंघनके द्वारा हानि ही उठानी पड़ेगी । इसलिये अनेकान्तवादके द्वारा रोगीके सम्बन्धमें लंघनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता रूप से धर्मोंको मान करके भी वह लंघन अमुक रोगीके लिये उपयोगी और अमुक रोगीके लिये अनुपयोगी है, इस दृष्टिभेदको बतलाने वाला स्याद्वाद मानना ही पड़ेगा ।

एक बात और है, अनेकान्तवाद वक्तोंसे अधिक संबन्ध रखता है; क्योंकि वक्तोंकी दृष्टि ही विधा-

नात्मक रहती है। इसी प्रकार स्याद्वाद भीतासे अधिक सम्बन्ध रखता है; क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा उप-योगात्मक रखा करती है। वक्ता अनेकान्तवादके द्वारा नानाधर्मविशिष्ट वस्तुका विवरण करता है और श्रोता स्याद्वादके जरियेसे उस वस्तुके केवल अपने लिये उपयोगी अंशको ग्रहण करता है।

इन कथनसे यह तात्पर्य नहीं लेना चाहिये कि वक्ता 'स्यात्' की मान्यताको और श्रोता 'अनेकान्त' की मान्यताको ध्यानमें नहीं रखता है। यदि वक्ता 'स्यात्'की मान्यताको ध्यानमें नहीं रखेगा तो वह एक वस्तुमें परस्पर विरोधी धर्मोंका समन्वय न कर सकनेके कारण उन विरोधी धर्मोंका उस वस्तुमें विधान ही कैसे करेगा? ऐसा करते समय विरोधरूपी सिपाही खोरकी तरह उसका पीछा करनेको हमेशा तैयार रहेगा। इसी तरह यदि श्रोता 'अनेकान्त'की मान्यताको ध्यानमें नहीं रखेगा तो वह दृष्टिभेद किस विषयमें करेगा? क्योंकि दृष्टिभेदका विषय अनेकान्त अर्थात् वस्तुके नानाधर्म ही तो हैं।

इसलिये उमरके कथनसे केवल इतना तात्पर्य लेना चाहिये कि वक्ताके लिये विधान प्रधान है—वह स्यात्की मान्यतापूर्वक अनेकान्तकी मान्यताको अपनाता है और श्रोताके लिये उपयोग प्रधान है—वह अनेकान्तकी मान्यतापूर्वक स्यात्की मान्यताको अपनाता है।

मान लिया जाय कि एक मनुष्य है, अनेकान्तवादके जरिये हम इस नतीजेपर पहुँचे कि वह मनुष्य वस्तुत्वके माते नानाधर्मात्मक है—वह पिता है, पुत्र है, मामा है, भाई है आदि आदि बहुत कुछ है। हमने वक्ताकी हेमियतसे उसके इन सम्पूर्ण धर्मोंका निरूपण किया। स्याद्वादसे यह बात तय हुई कि वह पिता है स्यात्—किसी प्रकारसे—दृष्टिविधेयसे—अर्थात् अपने पुत्रकी अपेक्षा; वह पुत्र है, स्यात्—किसी प्रकार अर्थात् अपने पिताकी अपेक्षा; वह मामा है स्यात्—किसी प्रकार अर्थात् अपने भानजेकी अपेक्षा, वह भाई है स्यात्—किसी प्रकार—अर्थात् अपने भाईकी अपेक्षा।

अब यदि श्रोता लोगोंका उस मनुष्यसे इन दृष्टियोंमेंसे किसी भी दृष्टिसे सम्बन्ध है तो वे अपनी-अपनी दृष्टिसे अपने लिये उपयोगी धर्मको ग्रहण करते जावेंगे। पुत्र उसको पिता कहेगा, पिता उसको पुत्र कहेगा, भानजा उसको मामा कहेगा और भाई उसको भाई कहेगा; लेकिन अनेकान्तवादको ध्यानमें रखते हुए वे एक दूसरेके व्यवहारको असंगत नहीं ठहरावेंगे। अस्तु।

इस प्रकार अनेकान्तवाद और स्याद्वादके विश्लेषणका यह यथाशक्ति प्रयत्न है। भाषा है इससे पाठकजन इन दोनोंके स्वरूपको समझनेमें सफल होनेके साथ साथ वीर-भगवान्के शासनकी गम्भीरताका सहज हीमें अनुभव करेंगे और इन दोनों तत्त्वोंके द्वारा सांप्रदायिकताके परदेको हटाकर विशुद्ध धर्मकी आराधना करते हुए अनेकान्तवाद और स्याद्वादके व्यावहारिक रूपको अपने जीवनमें उतारकर वीर-भगवान्के शासनकी अद्वितीय लोकोपकारिताको सिद्ध करनेमें समर्थ होंगे।

स्याद्वाद दर्शन और उसके उपयोगका अभाव

स्याद्वादका अर्थ

'स्याद्वाद' इस शब्दके अन्तर्गत दो शब्द हैं—स्यात् और वाद । स्यात्का अर्थ अपेक्षासहित (दृष्टि-कोणसहित) तथा वाद शब्दका अर्थ सिद्धान्त या मत होता है । इस प्रकार स्याद्वादका अर्थ सापेक्ष सिद्धान्त सम्मत्तना चाहिये ।

स्याद्वादकी परिभाषा

अपने व दूसरे के विचारों, वचनों व कार्योंमें अपेक्षा या दृष्टिकोणका ध्यान रखना ही स्याद्वादकी परिभाषा है ।

स्याद्वादकी आवश्यकता

मनुष्यके जितने विचार, वचन व कार्य हैं उनका कोई-न-कोई दृष्टिकोण अवश्य होना चाहिये; उसीके आधार पर उनकी उपयोगिता या अनुपयोगिता समझी जा सकती है । हम अपने विचारों वचनों व कार्योंको दृष्टिकोणके अनुकूल बनायेंगे, तो वे लाभप्रद होंगे, दृष्टिकोणके प्रतिकूल बनायेंगे या उनका कोई दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो वे लाभप्रद तो होंगे ही नहीं, बल्कि कभी-कभी हानिप्रद हो सकते हैं । इसी प्रकार दूसरोंके विचारों, वचनों व कार्योंको उनके दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर देखेंगे तो हम उनकी सत्यता (उपादेयता) या असत्यता (अनुपादेयता) का ज्ञान कर सकेंगे । यदि दूसरेके विचारों, वचनों व कार्योंको उनके प्रतिकूल दृष्टिकोणसे देखेंगे या बिना दृष्टिकोणके देखेंगे तो हम उनकी सत्यता या असत्यताका ज्ञान नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमको स्याद्वाद या सापेक्ष सिद्धान्तके अपनानेकी जतनी ही आवश्यकता है जितनी कि जीवनकी स्थिरता के लिये भोजनकी ।

स्याद्वादका विकास

यों तो वस्तुएँ तथा उनके विचारक अनादि हैं तो स्याद्वाद भी अनादि ही कहा जायगा, लेकिन आवश्यकताके आधारपर ही किसी भी वस्तुका विचार किया जाता है ।

इसी स्याद्वादको ही सँ—विचार करनेपर मालूम पड़ता है कि जितना भी लोकव्यवहार है उसका आधार स्याद्वाद ही है, पर जनसाधारण तो स्याद्वादका नाम तक नहीं जानते, और ऐसे मनुष्योंकी भी कमी नहीं है, जो स्याद्वादको जान करके भी अपनाना नहीं चाहते, इतनेपर भी उनका व्यवहार अव्यवस्थित या बन्ध नहीं ही जाता । इसका आशय यही है कि जब जिस वस्तुकी आवश्यकता बढ जाती है उसके जाने बिना हमारा कार्य नहीं चलता है, तब उसके जाननेकी लोचोंके हृदयमें भावना पैदा होती है और तभीसे उसका विकास माना जाता है । स्याद्वादके विकासका विचार इसी आधारपर किया जाता है ।

प्रायः सभी मतोंके अनुसार पौराणिक दृष्टिसे मृष्टिके आदि भागमें जीवन सुख और शान्तिके साक्षात्परिपूर्ण था । शर्मः शर्मः सुख और शान्तिमें विकृति पैदा हुई अर्थात् लोगोंके हृदयोंमें अनुचित

१. प्रायः सभी मत सुष्टिका उत्पाद और विनाश मानते हैं, जैनमत ऐसा नहीं मानता—उसके अनुसार जगत् अनविनिधन है, पर उसमें सुख और शान्तिकी वृद्धि और हानि रूपसे परिवर्तन माना गया है । इसलिये जैनमतानुसार जिस समय सुख और शान्तिमें हानिका रूप नहीं दिखाई दिया था उसको सुष्टिका आदि भाग समझना चाहिये ।

पापवासनाओंका अंकुर जन्मा, वहींसे धर्मतत्व प्रकाशमें आया । तात्पर्य यह कि अनुचित पापवासनाओंसे लोगोंकी अनुचित पापोंमें प्रवृत्ति होने लगी, उसको हटा देनेके लिये तात्कालिक महापुरुषोंने पापप्रवृत्तिके स्वभावका व्यवस्था बनाई, उसीको धर्मका रूप दिया गया ।

सूत्र और धार्मिके सहायक नियम या धार्मिक नियम जैसे-जैसे ही बढ़ते गये, जैसे-जैसे उनके प्रतिबन्धक निमित्तोंका प्रादुर्भाव होता गया । इसके अतिरिक्त विविध लोगोंकी विवेकबुद्धिने भी काम किया, जिससे देश-कालके अनुसार नानाप्रकारके धार्मिक नियम बने, और उनकी उपादेयताके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारसे उनका महत्त्व दर्शाया गया । तात्पर्य यह कि धीरे-धीरे धर्मोंमें विविधता पैदा हुई । इस धर्मविविधताके कारण भिन्न-भिन्न समष्टियोंकी रचना हुई । उन समष्टियोंमें कालक्रमसे अपनेको सत्यमार्गानुगामी और दूसरोंको असत्यमार्गानुगामी ठहरानेकी कुत्सित ऐकान्तिक भावनाये जागृत हुई । यहीसे दर्शनशास्त्रका कलेवर पुष्ट हुआ, जिससे बल पर लोगोंने स्वपक्षपुष्टि और परपक्ष-क्षयनमें कालयापन करना प्रारम्भ किया, जिससे विरोधरूपी अणुकारसे लोक व्याप्त हो गया । उसका अन्त करनेके लिये स्याद्वादरूपी सूर्यका उदय हुआ ।

स्याद्वादकी जैनधर्माङ्गता

स्याद्वादतत्त्वका विकास उन महापुरुषोंकी तर्कणाशक्तिका फल है, जिन्होंने समय और परिस्थितिके अनुसार निर्मित धार्मिक नियमोंके परस्पर समन्वय करनेकी कोशिश की थी, तथा इसमें उनको आश्चर्यजनक सफलता भी मिली थी । पर लोकहितभावनामें स्वार्थभावनाका समावेश हो जानेसे उसकी धारा एक देशमें ही रह गई । वे महापुरुष जैन थे, इसलिये कालान्तरमें स्याद्वाद जैनधर्मका मूल बन गया, दूसरोंको स्याद्वादके नामसे घृणा हो गई ।

जैनाचारमें स्याद्वाद

इसके विषयमें अमृतचन्द्र सूरिने हिसाके विषयमें स्याद्वादका जो भावपूर्ण चित्रण किया है वही पर्याप्त होगा । वे कहते हैं—

“कोई मनुष्य हिसा नहीं करके अर्थात् प्राणियोंको नहीं मार करके भी हिसाके फलको पाता है, जबकि दूसरा मनुष्य हिंसा करके भी हिसाके फलको नहीं पाता है । एक मनुष्यको अल्प हिंसा महान् फल देती है जबकि दूसरे मनुष्यको अधिक हिंसा भी अल्प फल देती है । समान हिंसा करनेवाले दो पुरुषोंमेंसे एक को बह हिंसा तीव्र फल देती है और दूसरेको वही हिंसा मंद फल देती है । किसीको हिंसा करनेके पहले ही हिंसाका फल मिल जाता है और किसीको हिंसा करनेके बाद हिंसाका फल मिलता है । किसीने हिंसा करना प्रारम्भ किया, लेकिन बादमें बन्द कर दिया तो भी हिंसा करनेके भाव हो जानेसे हिंसाका फल मिलता है । किसी समय हिंसा एक करता है, उसका फल अनेक भोगते हैं । किसी समय हिंसक अनेक होते हैं और फल एकको भोगना पड़ता है । किसीकी हिंसा हिंसाका अल्पफल देती है किसीकी वही हिंसा बहिंसाना अधिक फल देती है । किसीकी अहिंसा हिंसाका फल देती है, किसीकी हिंसा अहिंसाने फलको देती है ।

इस प्रकार विविध प्रकारके भङ्गोंसे दुस्तर हिंसा आधिके स्वल्पको समझानेके लिये स्याद्वादतत्त्वके वेत्ता ही समर्थ होते हैं ।”

राजनैतिक दृष्टव्यवस्था भी इसी आधारपर बनी हुई है, जिससे हिंसा आधिके विषयमें स्याद्वादका स्वरूप अच्छी तरह समझमें आ सकता है ।

जैन संस्कृतिमें स्याद्वादका व्यावहारिक उपयोग उसकी सफलता

समय-समयपर जै. संस्कृतिमें बहुतसे परिवर्तन हुए होंगे। परन्तु भगवान् महावीरसे लेकर आज तक जिसने परिवर्तन हुए वे ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं।

जैनियोंके बाह्याचार पर भगवान् महावीरके बादसे विक्रमकी १५वीं, १६वीं शताब्दी तक उतरोत्तर अधिक प्रभाव पड़ता गया। इसका कारण यह है कि यद्यपि भगवान् महावीर जीर महात्मा बुद्धने वैदिक क्रियाकाण्डका अन्त कर दिया गया था, पर इस तरहकी भावनाएँ कुछ लोगोंके हृदयमें बनी रही थीं, जिनके आधारपर ब्राह्मण संस्कृतिका उत्थान हुआ। इधर जैनधर्म और बौद्धधर्मकी बागडोरें ढीली पड़ी, जिससे ब्राह्मण संस्कृतिको बढेका अच्छा मौका मिला और उसका धीरे-धीरे व्यापक रूप बन गया। यही कारण है कि जैनधर्म उससे अछूता न रह सका।

मेरा तो विश्वास है और सिद्ध भी किया जा सकता है कि बौद्धधर्मके तत्कालीन महापुरुषोंने बौद्धधर्मके बाह्यरूपमें रंजमान परिवर्तन नहीं किया, इसीसे वह भारतसे लुप्त हो गया। किन्तु जैनी स्याद्वादके महत्त्वकी समझते थे, उनको देश-कालकी परिस्थितिका अच्छा अनुभव था, इसलिए उन्होंने समयानुसार जैनधर्मकी सत्ता कायम रखनेके लिये ब्राह्मण संस्कृतिको अपनाया।

उस समय ब्राह्मण संस्कृतिका इतना अधिक प्रभाव था कि सभी लोगोका झुकाव उस तरफ हो गया था। इसलिये जैनाचार्योंको लिखना पड़ा कि "जिस लोकाचारसे सम्यक्त्वकी शानि या व्रत दूषित नहीं होते हैं वह लोकाचार जैनधर्म बाह्य नहीं कहा जा सकता।" इस प्रकार उस समय जो जैनधर्मसे विमुक्त हो रहे थे उनकी स्थिरता करते हुए जैनाचार्योंने जैनधर्मकी सत्ता कायम रखी थी जिसका फल यह है कि आज भी भारतवर्षमें जैनी लोग विद्यमान हैं, अन्यथा बौद्धोंकी तरह जैनी भी आज दूसरे धर्मका बलतर पहिने दिखाई देते।

आधुनिक भूलें

ऊपरके कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व पुरुषोंने वस्तुव्यवस्थामें अपना सिद्धान्त व अपना आचार व्यवहार स्याद्वादकी सहायतासे निश्चित किया था।

तात्पर्य यह कि किसी भी सिद्धान्तका साधक तर्क है—स्याद्वाद सहायक और विश्वास उसका आधार है। इन तीनोंका आश्रय लेकरके जिन लोगोंने वस्तुव्यवस्थाके सिद्धान्त स्थिर किये थे या जो आज करते हैं उनका ऐसा करना असंगत नहीं कहा जायगा। बल्कि जिसका हृदय तर्क, स्याद्वाद और विश्वाससे व्याप्त होगा उसके द्वारा की गई वस्तुव्यवस्था आदरणीय समझी जायगी। जैन सिद्धान्तकी सत्यता या उपायेयता इसलिये नहीं है कि वह सर्वज्ञभाषित है, किन्तु इसलिये है कि उसका मूल तर्क, स्याद्वाद और विश्वास है। सर्वज्ञ तो सिद्धान्तकी अधिकारतासे सिद्ध किया जाता है। हेतुका साध्य उसी हेतुका हेतु नहीं माना जाता।

इसलिये जो लोग पूर्व पुरुषोंके किसी भी सिद्धान्तकी तर्क, स्याद्वाद और विश्वासके बिना मिथ्या सिद्ध करनेकी कोशिश करते हैं वे स्वयं भूल करते हैं और जो किसी सिद्धान्तकी तर्क, स्याद्वाद और विश्वासके अन्धकार पर परीक्षा करना पाप समझते हैं वे भी भूल करते हैं। दोनों ही स्याद्वाद के रहस्यसे अनभिज्ञ हैं।

इसी प्रकार जो आचरण या व्यवहार आज संश्लेष-वर्षक, लोकानुपयोगी, लोकनिन्दनीय हों वे भले ही किसी समय शान्तिवर्षक, लोकोपयोगी व लोकप्रसंसित रहे हों, आज उनको मिथ्या या अनुपादेय समझा

जायगा। इससे विपरीत जो आचार या व्यवहार आज शान्तिवर्षक, लोकप्रयोगी व लोकप्रदांसित हों वे भले ही किसी समय संकलेशावर्षक, लोकानुपयोगी व लोकनिन्दनीय रहे हों, आज उनको सत्य या उपादेय ही समझा जायगा। इसलिये जो लोग परिस्थितिका अध्ययन किये बिना ब्राह्मण संस्कृतिके अपनानेमें तात्कालीन जैनाचार्यों की भूल बतलाते हैं वे स्वयं भूल करते हैं। और जो आज की परिस्थितिका अध्ययन किये बिना उस जमानेकी संस्कृतिको आजकी संस्कृति बनाना चाहते हैं वे भी भूल करते हैं—योगी ही स्याद्वादके रहस्यसे अनभिज्ञ हैं। इतना ही नहीं, स्याद्वादके रहस्यको हम लोग इतना भूल गये कि "मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना" की लोकोक्ति जैनियोंके अन्दर ही अन्दर चरितार्थ हो रही है। प्रत्येक जैनी इच्छानुकूल अपनी समझके अनुसार अपने आचार व व्यवहारको ही धर्म समझने लगा है। उसके सामने दूसरोंके उपदेवोंका कुछ महत्त्व नहीं, जबतक कि वे उसकी इच्छाके अनुकूल न हों।

स्याद्वादके उपयोगकी कमीका फल

जहाँ जैनधर्ममें स्याद्वादका अधिक-से-अधिक उपयोग किया गया है वहीं उसके उपयोगमें कमी भी रह गई है। स्याद्वादका उद्देवय संपूर्ण धर्मोंका समन्वय करके मनुष्यसमाजमें शान्ति स्थापित करना था, लेकिन दूसरी धार्मिक समष्टियाँ स्वार्थवासनाकी पूर्तिके लिये स्वधर्मप्रेमी होती हुई भी परमधर्मसिद्ध्यु व हटप्रगृही बन गई थी, इसलिये उस उद्देवशकी पूर्तिमें तो स्याद्वादी असफल ही रहे। इसके अतिरिक्त जैनियोंमें भी स्वार्थवासना आने लगी थी, जिससे जैनी भी स्वधर्मप्रियताके साथ-साथ परधर्मसिद्ध्युता व हटप्रगृहीताके शिकार हो गये, जिससे धीरे-धीरे स्याद्वादी जैनी भी सम्प्रदायवादी बने। स्याद्वादका महत्त्व एक साम्प्रदायिक पुष्टिके अधिक न रह सका। दूसरोंकी दृष्टिमें जैनधर्म एक सम्प्रदाय समझा जाने लगा। इधर जैनियोंमें भी पक्षपुष्टिमें अपनी शक्तिका उपयोग करना प्रारम्भ किया, जिससे जैनाचार्य जैसा कि उमर स्याद्वादका उपयोग बतला आये है उनके अनुसार सम्प्रदाय रूपसे ही जैनधर्मको कायस रख सके। उसका परिणाम यह हुआ कि आज जब साम्प्रदायिकता मनुष्य-समाजका रक्त-शोषण कर रही है उसमें जैनी भी कम भाग नहीं ले रहे हैं। तात्पर्य यह है कि स्याद्वादी होकरके जैनियोंने स्याद्वादका क्रियात्मक उपयोग करना नहीं सीखा, जिससे स्याद्वादके द्वारा मनुष्य-समाजका जो कुछ हित हो सकता था वह न तो हुआ और न हो रहा है।

हमारा कर्तव्य

इस अमानक किन्तु विचारशील युगमें हमारा कर्तव्य है कि अपने जीवनको लोकोपयोगी बनायें। यदि हम अपने जीवनको लोकोपयोगी नहीं बना सकते तो विश्वास रखना चाहिये कि हम परलोकके लिये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। स्याद्वादसिद्धान्तके अधिकारी रहने मात्रसे हम स्याद्वादका असर दूसरों पर नहीं डाल सकते। कार्योंका ही दूसरोंपर असर हुआ करता है। हम अपने लोकोपयोगी कर्तव्यको स्याद्वादके द्वारा निर्धारित कर उसीके लिये जीवन समर्पित कर दें; उसके द्वारा हमारे जीवनको शान्ति ही न होगी बल्कि ऊपरसे धर्म-धर्म बिल्लानेकी भारतकी कुप्रवृत्ति नष्ट होगी एवं जैनधर्मकी लोकोपयोगिता मनुष्य-समाजमें क्रियात्मक चमत्कार दिखला देगी।



दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगका विश्लेषण

विश्व की रचना

वैदिकदर्शनमें विश्वको रचना जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालके भेदसे छह प्रकारके पदार्थोंके आधारपर स्वीकृत की गयी है। इनमेंसे जीवोंकी संख्या अनन्तानन्त है, पुद्गलोंकी संख्या भी अनन्तानन्त है, धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक है तथा काल असंख्यात है।

प्रत्येक पदार्थका स्वभाव

धर्म, अधर्म, आकाश और सभी कालोंमें अपनी-अपनी स्वतःसिद्ध स्वभावभूत भाववतीशक्ति विश्वमान है व सभी जीवों और पुद्गलोंमें अपनी-अपनी स्वतःसिद्ध स्वभावभूत भाववतीशक्तिके साथ-साथ अपनी-अपनी स्वतःसिद्ध स्वभावभूत क्रियावतीशक्ति भी विश्वमान है। क्रियावतीशक्तिकी विश्वमानताके कारण ही जीव और पुद्गल दोनों प्रकारके पदार्थ सक्रिय कहलाते हैं और क्रियावतीशक्तिकी अविद्यमानताके कारण ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामके पदार्थ निष्क्रिय कहलाते हैं।^१

प्रत्येक पदार्थका कार्य

प्रत्येक पदार्थ अपनी-अपनी भाववती शक्तिके आधारपर सतत अपना-अपना कार्य कर रहा है। अर्थात् आकाश अपनी भाववतीशक्तिके आधारपर स्व और अन्य सभी पदार्थोंको सतत अपने पेटमें समायें हुए है, सभी काल अपनी-अपनी भाववतीशक्तिके आधारपर स्व और अन्य सभी पदार्थोंको सतत एक क्षणवर्ती तथा अनेक क्षणवर्ती पर्यायिके रूपमें विभाजित कर रहे हैं। धर्म अपनी भाववतीशक्तिके आधारपर जीवों और पुद्गलोंकी यथावसर होनेवाली हलन-चलनरूप क्रियामें सतत सहायक होता रहता है और अधर्म अपनी भाववतीशक्तिके आधारपर जीवों और पुद्गलोंकी उक्त क्रियाके यथावसर होनेवाले स्थगनमें सतत सहायक होता रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अपनी-अपनी यथायोग्य रूपमें विकसित भाववतीशक्तिके आधारपर स्व और अन्य सभी पदार्थोंका सतत यथायोग्य रूपमें सामान्य अवलोकन (दर्शन) पूरक विषय अवलोकन (ज्ञान) करता रहता है और इसी प्रकार प्रत्येक पुद्गल अपनी-अपनी भाववतीशक्तिके आधारपर सतत रससे रसान्तररूप, गन्धसे गन्धान्तररूप, स्पर्शसे स्पर्शान्तररूप और बर्णसे वर्णान्तररूप परिणमन किया करता है। इसके अतिरिक्त जीव और पुद्गल अपनी-अपनी क्रियावतीशक्तिके आधारपर यथावसर क्षेत्रसे क्षेत्रान्तररूप क्रिया सतत करते रहते हैं और अपनी इसी क्रियावतीशक्तिके आधारपर संसारी जीव यथावसर पौद्गलिक कर्मों तथा नोकर्मोंके साथ व पुद्गल यथावसर संसारी जीवों और अन्य पुद्गलोंके साथ सतत मिलते व बिछुड़ते रहते हैं। मुक्त जीवोंका जो ऊर्ध्वगमन होता है वह भी उनकी अपनी इसी क्रियावतीशक्तिके आधार पर होता है ?^२ किन्तु वे जो लोकके अग्रभागमें स्थित होकर रह जाते हैं उसका कारण आगे धर्मास्तिकायका अभाव है।^३

१. पञ्चाध्यायी, अध्याय २, श्लोक २५, २६, २७।

२. तदनन्तरमूर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात्।—सत्त्वार्थसूत्र १०-५।

३. प्रश्न—“आह यदि मुक्त ऊर्ध्वगतिस्वभावो लोकात्तादूर्ध्वमपि कस्मान्नोत्पततीत्यन्यथे ? (सर्वार्थ-सिद्धि), समाधान—धर्मास्तिकायाभावात्।—सत्त्वार्थसूत्र। “जीवाण पीगलार्णं गमणं जागेहि जाव धम्मन्धी। धम्मत्तिकायाभावे ततो परवो ण गच्छन्ति।—नियमसार, १८३।

जीवकी भावती शक्तमें विशेषता

प्रत्येक जीवकी भाववतीशक्ति अनादिकालसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यन्तराय नामके पीड-गलिक कर्मोंसे प्रभावित होकर रहती आयी है, परन्तु अनादिकालमें ही प्रत्येक जीवमें उक्त तीनों कर्मोंका नियमसे यथायोग्यरूपमें क्षयोपशम रहनेके कारण वह भाववती शक्ति भी यथायोग्यरूपमें विकासको प्राप्त होकर रहती आयी है। प्रत्येक जीवकी भाववतीशक्तिका यह विकास ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमके आघार-पर ज्ञानशक्तिके रूपमें दर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमके आघारपर दर्शनशक्तिके रूपमें और वीर्यन्तरायकर्मके क्षयोपशमके आघारपर वीर्यशक्तिके रूपमें रहता आया है।

यहाँ इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि जिन जीवोंमें समस्त ज्ञानावरण, समस्त दर्शनावरण और वीर्यन्तराय कर्मोंका पूर्ण क्षय हो चुका है उनमें उनकी उस भाववतीशक्तिका ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति और वीर्यशक्तिके रूपमें पूर्ण विकास हो चुका है व जिन जीवोंमें उक्त समस्त ज्ञानावरण, समस्त दर्शनावरण और वीर्यन्तराय कर्मोंका आगे जब पूर्ण क्षय हो जायगा तब उनमें भी उनकी उस भाववतीशक्तिका ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति और वीर्यशक्तिके रूपमें पूर्ण विकास हो जायगा।

यद्यपि जीवकी भाववतीशक्तिपर दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मोंका भी अनादिकालसे प्रभाव पड़ रहा है और अनादिकालसे इन कर्मोंका भी क्षयोपशम रहनेके कारण प्रत्येक जीवमें उस भाववतीशक्तिका दानशक्ति, लाभशक्ति, भोगशक्ति और उपभोगशक्तिके रूपमें यथायोग्य विकास भी अनादिकालसे रहता आया है, परन्तु इन दानादि चारों शक्तियोंका सम्बन्ध जीवकी क्रियावती-शक्तिके साथ होनेके कारण यहाँ इनको उपेक्षित किया जा रहा है।

ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगका स्वरूप

जीवकी विकासको प्राप्त ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति और वीर्यशक्ति—इन तीनों शक्तियोंमेंसे ज्ञानशक्ति-का कार्य जीवको स्व और अन्यपदार्थोंका विशेष अवलोकन अर्थात् ज्ञान करानेका है, दर्शनशक्तिका कार्य जीवको स्व और अन्यपदार्थोंका सामान्य अवलोकन अर्थात् दर्शन करानेका है और वीर्यशक्तिका कार्य उक्त ज्ञानशक्ति और दर्शनशक्तिके कार्यमें जीवको यथायोग्यरूपमें सक्षम बनानेका है। इस तरह जीवकी विकसित ज्ञानशक्तिका जो स्व और अन्य पदार्थोंका विशेष अवलोकन अर्थात् ज्ञान होने रूप कार्य है उसका नाम ज्ञानो-पयोग है और उसकी विकसित दर्शनशक्तिका जो स्व और अन्यपदार्थोंका सामान्य अवलोकन अर्थात् दर्शन होनेरूप कार्य है उसका नाम दर्शनोपयोग है।

विशेष अवलोकन और सामान्य अवलोकनका अर्थ

यहाँपर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके स्वरूप-निर्देशनमें जो यह बतलाया गया है कि जीवकी विक-सित ज्ञानशक्तिका स्व और अन्यपदार्थोंका विशेष अवलोकन अर्थात् ज्ञान होने रूप कार्य तो ज्ञानोपयोग है व उसकी विकसित दर्शनशक्तिका स्व और अन्यपदार्थोंका सामान्य अवलोकन अर्थात् दर्शन होने रूप कार्य दर्शनोपयोग है। इसमें विशेष अवलोकन अर्थात् ज्ञानका अर्थ जीव द्वारा दीपककी तरह स्व और अन्य पदार्थों-को प्रतिभासित किया जाना है और सामान्य अवलोकन अर्थात् दर्शनका अर्थ जीवमें दर्पणकी तरह स्व और अन्यपदार्थोंका प्रतिबिम्बित होना है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि जिस प्रकार दीपकका स्वभाव स्व और अन्यपदार्थोंको प्रतिभासित करनेका है उसी प्रकार जीवका स्वभाव भी स्व और अन्य पदार्थोंको प्रतिभासित करनेका है तथा जिस प्रकार दर्पणका स्वभाव स्व और अन्यपदार्थोंको अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करनेका है उसी प्रकार जीवका स्वभाव भी स्व और अन्यपदार्थोंकी अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करनेका है।

यहाँ पर प्रतिबिम्बित शब्दका अर्थ स्वकी अपेक्षा दर्पण अथवा जीवकी तदात्मक स्थितिके रूपमें और अन्यपदार्थोंकी अपेक्षा दर्पण अथवा जीवकी उन अन्यपदार्थोंके निमित्तसे होनेवाली तदनु रूप परिणतिके रूपमें लेना चाहिये ।

जीवके स्वभावको समझनेके लिये यहाँ पर जो दीपक और दर्पण दोनोंको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया गया है, इसका कारण यह है कि यद्यपि दीपकका स्वभाव अन्य पदार्थोंको प्रतिभासित अर्थात् प्रकाशित करनेका है, परन्तु उन अन्य पदार्थोंको अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करनेका स्वभाव नहीं है । इसी तरह यद्यपि दर्पणका स्वभाव अन्य पदार्थोंको अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करनेका है, परन्तु उन अन्य पदार्थोंको प्रतिभासित अर्थात् प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव नहीं है जब कि जीवमें दीपक और दर्पणकी अपेक्षा यह विशेषता पायी जाती है कि उसका स्वभाव दीपककी तरह अन्य पदार्थोंको प्रतिभासित अर्थात् ज्ञान करनेका भी है और दर्पणकी तरह अन्य पदार्थोंको अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करनेका भी है । आगममें भी इसीलिये जीवके स्वभावको समझनेके लिये दीपक और दर्पण दोनोंको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया गया है ।^१

दीपक और जीव द्वारा अन्य पदार्थोंके प्रतिभासित होनेका आधार

देखनेमें आता है कि दीपक अन्य पदार्थोंके साथ जब तक अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेता है तब तक वह उनको प्रतिभासित अर्थात् प्रकाशित करनेमें असमर्थ हो रहा करता है । इसी प्रकार जीवके सम्बन्धमें भी यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वह भी जब तक अन्य पदार्थोंके साथ अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर लेगा तब तक वह उनको प्रतिभासित अर्थात् ज्ञात करनेमें असमर्थ ही रहेगा । परन्तु यह निर्विवाद बात है कि जिस प्रकार दीपक अन्य पदार्थोंके पास पहुँच कर उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित करता है उस प्रकार जीव अन्य पदार्थोंके पास पहुँच कर उनसे अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाता है । जन जैनदर्शनमें यह स्वीकार किया गया है कि जीवमें दर्पणकी तरह जब अन्य पदार्थ प्रतिबिम्बित होने हैं तभी वह उनको दीपककी तरह प्रतिभासित अर्थात् ज्ञात करता है ।

इस विवेचनके आधारपर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके सम्बन्धमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवमें दर्पणको तरह पदार्थका प्रतिबिम्बित हो जाना ही दर्शनोपयोग है और इस प्रकारके दर्शनोपयोगपूर्वक जीवको दीपककी तरह पदार्थका प्रतिभासित अर्थात् ज्ञान हो जाना ही ज्ञानोपयोग है । दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोगमें कारण होता है—यह बात आचार्य नेमिचन्द्रने द्रव्यसंग्रहमें “दंसणपुञ्ज णाण” गाथांश द्वारा स्पष्ट कर दी है ।

उपर्युक्त कथनका समर्थन

उपर्युक्त कथनके समर्थनमें यह कहा जा सकता है कि जैनदर्शनमें वणित दर्शनोपयोग और बौद्धदर्शन में वणित प्रत्यक्षमें समानता पायी जाती है । इतना अवश्य है कि बौद्धदर्शनमें जहाँ उसके द्वारा माने गये प्रत्यक्षको प्रमाण माना गया है वहाँ जैनदर्शनमें उसके द्वारा माने गये दर्शनोपयोगको प्रमाणता और अप्रमाणताके दायरेसे परे रखा गया है । इसका कारण यह है कि जैनदर्शनमें स्वपरव्यवसायीको प्रमाण माना गया है और जो स्वव्यवसायी होते हुए भी परव्यवसायी नहीं होता उसे अप्रमाण माना गया है । ये दोनों प्रकार

१. जीवके स्वभावको समझनेके लिये परीक्षामुखमें “प्रदीपवत् ॥१-१२॥” सूत्र द्वारा दीपकको व पुच्छार्थ-सिद्धयुपायमें “तज्जयति परं ज्योति” इत्यादि पद्य द्वारा तथा रत्नकरण्डकभावकाचार्यमें “नमः श्री-वृद्धमानाय” इत्यादि पद्य द्वारा दर्पणको उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया गया है ।

की अवस्थाएँ ज्ञानोपयोगकी ही दृष्टा करनी है, अतः ज्ञानोपयोग तो प्रमाण तथा अप्रमाण दोनों रूप होता है, किन्तु दर्शनोपयोगमें स्व और पर दोनों प्रकारकी व्यवसायात्मकताका संबंधा अभाव जैनदर्शनमें स्वीकार किया गया है। अतः उसे न तो प्रमाणरूप ही कह सकते हैं और न अप्रमाणरूप ही कह सकते हैं। इतना अवश्य है कि ज्ञानोपयोगकी उत्पत्तिमें अनिवाय्य कारणताके आधारपर दर्शनोपयोगकी सत्ता और उपयोगिताको अवश्य ही जैनदर्शनमें स्वीकृत किया गया है।

दर्शनोपयोगकी यह स्थिति, जीवमें पदार्थके प्रतिबिम्बित रूपको दर्शनोपयोग माननेसे ही बन सकती है। अतः जीवमें पदार्थके प्रतिबिम्बित होनेको ही दर्शनोपयोग स्वीकृत करना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि जब सामान्य अवलोकन अर्थात् दर्शन या दर्शनोपयोगका अर्थ ज्ञेय पदार्थका जीवके अन्तर प्रतिबिम्बित होना स्वीकृत किया जाता है तभी उसकी स्थिति जैनदर्शनके अनुसार प्रमाणता और अप्रमाणतासे परे सिद्ध हो सकती है व बौद्धदर्शनके अनुसार सदाय, विपर्यय तथा अनव्यवसायरूप दोषोंसे रहित हो सकती है।

इसका कारण यह है कि जैनदर्शनमें एक तो स्वपरव्यवसायात्मकताको प्रमाणताका और स्वव्यवसायात्मकताके रहते हुए भी परव्यवसायात्मकताके अभावको अप्रमाणताका चिन्ह मानकर दर्शनोपयोगमें स्वव्यवसायात्मकता और परव्यवसायात्मकता दोनोंका अभाव स्वीकार किया गया है। दूसरे, जीवमें पदार्थका प्रतिबिम्ब पडे बिना ज्ञानोपयोगकी उत्पत्तिको असंभावनाको स्वीकार किया गया है, तीसरे दर्शनोपयोगका ऐसा कोई अर्थ नहीं स्वीकृत किया गया है जो दर्शनोपयोगके उपयुक्त स्वरूपके विरुद्ध हो और चौथे यह बात भी है कि ज्ञानोपयोग जैसा विद्यमान और अविद्यमान दोनों तरफके पदार्थोंके विषयमें होता है वैसे दर्शनोपयोग विद्यमान और अविद्यमान दोनों प्रकारके पदार्थोंके विषयमें न होकर केवल विद्यमान पदार्थोंके विषयमें ही होता है, इस बातको भी जैनदर्शनमें स्वीकार किया गया है। इतना ही नहीं, इसी आधारपर बौद्धदर्शनमें प्रत्यक्षकी स्थिति संशय, विपर्यय और अनव्यवसायरूप दोषोंसे रहित स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जैनदर्शनके दर्शनोपयोग और बौद्धदर्शनके प्रत्यक्षका अर्थ जीवमें पदार्थका प्रतिबिम्बित होना ही है और इसके आधारपर जीवको जो पदार्थका प्रतिभास होता है वही ज्ञानोपयोग है।

यहा इतनी बात और समझ लेना चाहिये कि यत सर्वज्ञके दर्शनावरणकर्मका संबंधा क्षय हो जाने से उसमें संपूर्ण पदार्थ अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायोंके साथ प्रतिक्षण स्वभावतः प्रतिबिम्बित होते रहते हैं अतः उसको ज्ञानावरणकर्मके संबंधा क्षय हो जानेके आधारपर वे संपूर्ण पदार्थ अपनी उन त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायोंके साथ प्रतिक्षण स्वभावतः प्रतिभासित होते रहते हैं और यत अल्पज्ञमें ऐसे पदार्थोंका प्रतिबिम्बित होना निमित्ताधीन है अर्थात् प्रतिनियत पदार्थका प्रतिनियत इन्द्रिय द्वारा प्रतिनियत आत्मप्रदेशोंमें जब प्रतिबिम्ब पड़ता है तब उस-उस इन्द्रिय द्वारा उस-उस पदार्थका ज्ञान जीवको दृष्टा करता है। जैनदर्शनमें उस-उस इन्द्रिय द्वारा आत्मप्रदेशोंमें पड़नेवाले पदार्थप्रतिबिम्बको तो उस-उस इन्द्रियके दर्शन नामसे पुकारा गया है और इसके आधारपर होनेवाले पदार्थज्ञानको उस-उस इन्द्रियके मतिज्ञान नामसे पुकारा गया है। अर्थात् जैनदर्शनमें बहूसे आत्मामें पड़नेवाले पदार्थप्रतिबिम्बको बहुदर्शन तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, कर्ण और मनसे आत्मामें पड़नेवाले पदार्थ प्रतिबिम्बको अक्षुर्दर्शन कहा गया है तथा उस-उस दर्शनके आधारपर उस-उस इन्द्रियसे होनेवाले मतिज्ञानको देखने, छूने, बचने, सुघने, सुनने और अनुभव करनेके रूपमें उस-उस इन्द्रियका मतिज्ञान कहा गया है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि अवग्रह, ईहा, अत्राय और धारणाएक मतिज्ञानमें पदार्थदर्शन

साक्षात् कारण होता है तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमानरूप मतिज्ञानमे तथा श्रुतज्ञानमें पदार्थदर्शन परंपरया कारण होता है। इसका आधार यह है कि दर्शन और अवग्रह, ईहा, अवाय अथवा धारणाकूप मति-ज्ञानके मध्य कोई व्यवधान नहीं है जबकि दर्शन और स्मृतिके मध्य धारणाज्ञानका, दर्शन और प्रत्यभिज्ञानके मध्य स्मृतिका, दर्शन और तर्कके मध्य प्रत्यभिज्ञानका, दर्शन और अनुमानके मध्य तर्कका और दर्शन और श्रुतज्ञानके मध्य अनुमानज्ञानका व्यवधान रहा करता है। यहां श्रुतसे शब्दजन्य श्रुत लिया गया है—ऐसा जानना चाहिये।

जिन जीवोंको अवधिज्ञान होता है उनके उसकी उत्पत्तिमे भी दर्शन कारण होता है, जिसे अवधिदर्शन कहते हैं और केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें जो दर्शन कारण होता है उसे केवलदर्शन कहा जाता है। यद्यपि मन-पर्ययज्ञान भी दर्शनपूर्वक ही होता है परन्तु उस दर्शनको कौनसा दर्शन कहा जाय ? इसका उल्लेख मुझे आगममें देखनेको नहीं मिला है। फिर भी मेरा अभिमत है कि मन पर्ययज्ञान मन स्थित आत्मप्रवेशोमें मन-पर्ययज्ञानावरणकर्मके शयोपशमपूर्वक होता है और वह ईहाज्ञानके पश्चात् होता है अतः हो सकता है कि उस दर्शनको मानस दर्शनके रूपमे अचक्षुदर्शनमें अन्तर्भूतकर दिया गया हो, विद्वान पाठकोंको इसपर विचार करना चाहिये।

दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके विविध नाम और उनका आधार

(१) मतः दर्शन या दर्शनोपयोगका अर्थ पूर्वोक्त प्रकारसे आत्मामें पदार्थोंका प्रतिबिम्बित होना ही है अतएव उसे सामान्य अवलोकन या सामान्यग्रहण नामोंसे पुकारा जाता है और ज्ञान या ज्ञानोपयोगका अर्थ पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माको पदार्थोंका प्रतिभासित होना ही है अतः उसे विशेष अवलोकन या विशेषग्रहण नामोंसे पुकारा जाता है। यहाँपर वस्तुके सामान्य अंशका प्रतिभास होना दर्शन और विशेष अंशका प्रतिभास होना ज्ञान है—ऐसा अर्थ सामान्य अवलोकन या सामान्य ग्रहणका और विशेष अवलोकन या विशेष ग्रहणका नहीं करना चाहिये।

तात्पर्य यह है कि उक्त प्रकारके दर्शन या दर्शनोपयोगमें पदार्थका अवलम्बन होनेसे वह पदार्थावलोकन या पदार्थ ग्रहणरूप तो है फिर भी वह द्रष्टाको अपना संवेदन करानेमें असमर्थ है और जो अपना संवेदन नहीं करा सकता है वह परका संवेदन कैसे करा सकता है ? अतः दर्शन या दर्शनोपयोगको सामान्य अवलोकन या सामान्य ग्रहण नामोंसे पुकारा जाता है। चूंकि प्रमाणज्ञानरूप ज्ञान या ज्ञानोपयोगमें परसंबेदकताका अभाव रहते हुए भी स्वसंबेदकता तो नियमसे पायी जाती है अतः उन्हें विशेष अवलोकन या विशेष ग्रहण नामोंसे पुकारा जाता है।

(२) दर्शन या दर्शनोपयोगका अर्थ जब आत्माने पदार्थका प्रतिबिम्बित होना ही है तभी उसे आगममें निराकार शब्दसे पुकारा गया है और ज्ञान या ज्ञानोपयोगका अर्थ जब आत्माको पदार्थका प्रतिभासित होना ही है तभी उसे साकार शब्दसे पुकारा जाता है।

इसका भी तात्पर्य यह है कि उक्त प्रकारके दर्शन या दर्शनोपयोगमें पदार्थका अवलम्बन होते हुए भी स्वसंबेदकता और परसंबेदकता दोनों ही प्रकारके आकारोंका अभाव पाया जाता है अतः उसे निराकार शब्दसे पुकारते हैं। चूंकि प्रमाणज्ञानरूप ज्ञान या ज्ञानोपयोगमें स्वपरसंबेदकता पायी जाती है और अप्रमाणज्ञानमे परसंबेदकताका अभाव रहते हुए भी स्वसंबेदकता तो नियमसे पायी जाती है अतः उन्हें साकार शब्दसे पुकारते हैं।

(३) दर्शन या दर्शनोपयोगका अर्थ जब आत्मामें पदार्थका प्रतिबिम्बित होना ही है तभी उसे आगममें

निविकल्पक शब्दसे पुकारते हैं और ज्ञान या ज्ञानोपयोगका अर्थ जब आत्माको पदार्थका प्रतिभासित होना ही है तभी उसे सविकल्पक शब्दसे पुकारते हैं ।

इसका भी तात्पर्य यह है कि उक्त प्रकारके दर्शन या दर्शनोपयोगमें पदार्थका अवलम्बन होते हुए भी स्वसंबेधकता और परसंबेधकता दोनों ही प्रकारके विकल्पोका अभाव पाया जाता है अतः उसे निविकल्पक शब्दसे पुकारते हैं । चूंकि प्रमाणज्ञानरूप ज्ञान या ज्ञानोपयोगमें स्वपरसंबेधकता पायी जाती है और अप्रमाणज्ञानरूप ज्ञान या ज्ञानोपयोगमें परसंबेधकताका अभाव रहते हुए भी स्वसंबेधकता तो नियमसे पायी जाती है अतः उन्हें सविकल्पक शब्दसे पुकारते हैं । अर्थात् विद्यमान घट्टेको विधय करनेवाले प्रमाणज्ञानमें "मैं घट्टेको जानता हूँ" ऐसा विकल्प और "यह घटा है" ऐसा विकल्प ज्ञाताको होता है तथा अप्रमाणज्ञानमें भी सीपमें "यह सीप है या चाँदी है" या "यह चाँदी है" अथवा "यह कुछ है" ऐसा विकल्प ज्ञाताको होता है । परन्तु उक्त प्रकारके दर्शनमें उक्त प्रकार या अन्य प्रकारका कोई विकल्प संभव नहीं है ।

(४) इसी प्रकार दर्शन या दर्शनोपयोगका अर्थ जब आत्माके पदार्थका प्रतिबिम्बित होना ही है तभी उसे अव्यवसायात्मक शब्दसे पुकारा गया है और ज्ञान या ज्ञानोपयोगका अर्थ जब आत्माको पदार्थका प्रतिभासित हो जाना है तभी उसे व्यवसायात्मक शब्दसे पुकारा जाता है ।

इसका भी तात्पर्य यह है कि उक्त दर्शन या दर्शनोपयोगमें पदार्थका अवलम्बन होते हुए भी स्वसंबेधकता और परसंबेधकता दोनों ही प्रकारकी व्यवसायात्मकताका अभाव पाया जाता है अतः उसे अव्यवसायात्मक शब्दसे पुकारते हैं । चूंकि प्रमाणज्ञानरूप ज्ञान अथवा ज्ञानोपयोगमें स्वपरसंबेधकता पायी जाती है और अप्रमाणज्ञानरूप ज्ञान या ज्ञानोपयोगमें परसंबेधकताका अभाव रहते हुए भी स्वसंबेधकता तो नियमसे पायी जाती है अतः उन्हें व्यवसायात्मक शब्दसे पुकारा जाता है ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि आगममें अप्रमाणज्ञानको जो अव्यवसायी कहा गया है वह इसलिये कहा गया है कि विपर्ययज्ञानमें जिस पदार्थका दर्शन होता है उससे भिन्न पदार्थका ही सादृश्यवशात् बोध होता है, संशयज्ञानमें जिस पदार्थका दर्शन होता है उसका तथा उसके साथ ही उससे भिन्न पदार्थका भी सादृश्यवशात् दुर्लभिल बोध होता है और अनव्यवसायज्ञानमें तो पदार्थका दर्शन होते हुए भी अनिर्णीत बोध होना स्पष्ट है ।

दर्शनोपयोगकी उपयोगात्मकता

आगममें दर्शन या दर्शनोपयोग और ज्ञान या ज्ञानोपयोग दोनोंको ही उपयोगात्मक माना गया है । हमसे ज्ञान या ज्ञानोपयोगको पूर्वोक्त प्रकार विशेष अवलोकन या विशेष ग्रहण रूप होनेसे तथा साकार, सविकल्पक और व्यवसायात्मक होनेसे उपयोगात्मक मानना तो निर्विवाद है, परन्तु दर्शन या दर्शनोपयोगको सामान्य अवलोकन या सामान्यग्रहणरूप होनेसे तथा निराकार, निविकल्पक और अव्यवसायात्मक होनेसे उपयोगात्मक मानना अयुक्त ज्ञान पड़ता है । फिर भी उसे इसलिये उपयोगात्मक माना गया है कि एक इन्द्रियसे पदार्थका प्रतिबिम्ब आत्माके पड़नेके अवसरपर अन्य इन्द्रियोसे भी पदार्थका प्रतिबिम्ब आत्माके पड़ता है और इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियसे एक साथ नाना पदार्थोंका प्रतिबिम्ब भी आत्माके एक साथ पड़ता है । इस तरह आत्मा नाना इन्द्रियोसे नानापदार्थोंका प्रतिबिम्ब एक साथ पड़ने पर भी अथवा एक ही इन्द्रियसे नाना पदार्थोंका प्रतिबिम्ब एक साथ पड़नेपर भी उस समय उसी इन्द्रियसे और उसी पदार्थके आत्माके पड़नेवाले प्रतिबिम्बको दर्शन या दर्शनोपयोग कहना चाहिये, जो अपने प्रभावको अधिकताके कारण उस समय होनेवाले पदार्थज्ञानमें कारण होता है, क्योंकि नाना इन्द्रियोसे नाना पदार्थोंके तथा एक ही इन्द्रियसे नाना पदार्थोंके

प्रतिबिम्ब आत्मानं एक साथ पङ्कनेपर भी अल्पज्ञ जीवोंको उस अवसरपर एक ही इन्द्रियसे एक ही पदार्थका बोध हुआ करता है। इस प्रकार आगममें पदार्थप्रतिबिम्बसामान्यको दर्शन या दर्शनोपयोग न मानकर पदार्थप्रतिबिम्बविशेषको ही दर्शन या दर्शनोपयोग स्वीकार किया गया है।

दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोगसे पृथक् है

यद्यपि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों ही उपयोगात्मक हैं फिर दर्शनोपयोगको ज्ञानोपयोगसे पृथक् ही जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। इसका एक कारण तो यह है कि जहा ज्ञानोपयोगको विशेष अवलोकन या विशेषग्रहणरूप तथा साकार, सविकल्पक और व्यवसायात्मक स्वीकार किया गया है वहा दर्शनोपयोगको सामान्य-अवलोकन या सामान्यग्रहणरूप तथा निराकार, निविकल्पक और अव्यवसायात्मक स्वीकार किया गया है। दूसरा कारण यह है कि पूर्वोक्त प्रकार दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोगकी उत्पत्तिमें कारण होता है। तीसरा कारण यह है कि दर्शनोपयोग विद्यमान पदार्थका ही हुआ करता है जबकि ज्ञानोपयोग विद्यमान और सादृश्य-वशात् कदाचित् अविद्यमान पदार्थका भी हुआ करता है। चौथा कारण यह है कि दर्शन पदार्थप्रतिबिम्बरूप होता है जबकि ज्ञान पदार्थप्रतिभासरूप होता है। और पाचवा कारण यह है कि आगममें जीवकी प्राक्वर्ती-शक्तिके विकासके रूपमें दर्शन और ज्ञान दो पृथक् पृथक् शक्तिया स्वीकार की गयी हैं तथा इनको ठकने-वाले दर्शनावरण और ज्ञानावरण दो पृथक् पृथक् कर्म भी वहा स्वीकार किये गये हैं जिनके क्षयोपशम या दाय से इनका पृथक् पृथक् विकास होता है। इन्हीं विकसित दर्शनशक्ति और ज्ञानशक्तिके पृथक् पृथक् सामान्य अवलोकन और विशेष अवलोकन करने रूप व्यापारोको ही क्रमशः दर्शनोपयोग व ज्ञानोपयोग समझना चाहिये। दोनों उपयोगी क्रम और योगपद्यपर विचार

यद्यपि आत्माने पदार्थके प्रतिबिम्बित होनेका नाम दर्शनोपयोग है और वह नबतक विद्यमान रहता है जबतक जीवको पदार्थज्ञान होता रहता है, परन्तु दर्शनोपयोगकी पूर्वोक्त उपयोगात्मकताको लेकर यदि विचार किया जाय तो यही नत्व निष्पन्न होता है कि छद्मस्थ जीवोंको दर्शनोपयोगके अनन्तर ही ज्ञानोपयोग होता है व सर्वज्ञको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों साथ-साथ ही हुआ करते हैं। जैसा कि ब्रह्मसंहिताके निम्नलिखित गाथासे स्पष्ट है—

“दंसणपुठ्वं णाणं छदुमत्त्वाण ण दुण्णि उवओगा ।

जुगवं अम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ।।४४।।”

अर्थ—छद्मस्थ (अल्पज्ञ) जीवोंको दर्शनोपयोगपूर्वक अर्थात् दर्शनोपयोगके अनन्तर पश्चात् ज्ञानोपयोग हुआ करता है क्योंकि उनके ये दोनों उपयोग एकसाथ नहीं हुआ करते हैं लेकिन सर्वज्ञके ये दोनों उपयोग एक ही साथ हुआ करते हैं।

दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगकी छद्मस्थ (अल्पज्ञ) और सर्वज्ञकी अपेक्षासे क्रम और योगपद्य रूप उपर्युक्त व्यवस्थाकी स्वीकृत करनेका आधार यह है कि सर्वज्ञके ज्ञानमें संपूर्ण पदार्थ कालके प्रत्येक क्षणसे विभाजित अपनी-अपनी समस्त त्रैकालिक पर्यायोंके साथ सतत् प्रतिभासित होते रहते हैं अर्थात् कालका ऐसा एक क्षण भी नहीं है जिसमें सम्पूर्ण पदार्थोंका अपनी-अपनी उक्त प्रकारकी समस्त त्रैकालिक पर्यायोंके साथ प्रतिभास न होता हो, क्योंकि उसका (सर्वज्ञका) ज्ञान भी पूर्वोक्त प्रकारके दर्शनका अवलम्बन लेकर ही उत्पन्न हुआ करता है। यतः उसके दर्शन और ज्ञानमें महभावीपना निश्चित हो जाता है। यत अल्पज्ञका ज्ञान विषयोक्त पदार्थकी क्षणवर्ती पर्यायको पकड़नेमें असमर्थ रहता है क्योंकि वह अन्तर्मुहूर्तवर्ती पर्यायोंकी स्थूलरूपताको ही सतत एक पर्यायके रूपमें ग्रहण करता है अतः उसके ज्ञानमें क्षणिक विभाजन नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि सर्वज्ञका

ज्ञान समयके जेदसे परिवर्तित होनेपर भी विषयके जेदसे कभी परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रथम क्षणमें पदार्थोंको जिस रूपमें जानता है उसी रूपमें द्वितीयादि क्षणोंमें भी जानता है। परन्तु अल्पज्ञका ज्ञान विषयजेदके आचारपर सतत परिवर्तित होता रहता है। अर्थात् अल्पज्ञको कभी किसी इन्द्रियद्वारा किसी रूपमें पदार्थज्ञान होता है और कभी किसी इन्द्रियद्वारा किसी रूपमें पदार्थज्ञान होता है। इसी प्रकार एक ही इन्द्रियसे कभी किसी रूपमें पदार्थज्ञान होता है और कभी किसी रूपमें पदार्थज्ञान होता है। पदार्थज्ञानकी यह स्थिति अल्पज्ञके दर्शनीपयोगमें परिवर्तन माननेके लिये बाध्य कर देनी है। तीसरी बात, जैसी कि पूर्वमें स्पष्टकी गयी है, यह है कि आत्माने पढ़ने वाले पदार्थ प्रतिबिम्बसामान्यका नाम दर्शनीपयोग नहीं है किन्तु आत्माने पढ़ने वाले पदार्थ प्रतिबिम्बविशेषका नाम ही दर्शनीपयोग है अर्थात् ज्ञानोपयोगकी उत्पत्तिके कारणभूत आत्माने पढ़नेवाले पदार्थप्रतिबिम्बका नाम ही दर्शनीपयोग है। इस प्रकार इन आधारोंसे अल्पज्ञके दर्शनीपयोग और ज्ञानोपयोगमें दोनोंकी उपयोगात्मकता और कार्यकारणभावके आधारपर दोनोंमें क्रम सिद्ध हो जाता है। अर्थात् विशेषग्रहणके अवसरपर सामान्यग्रहणकी स्थिति उपयोगात्मकताके आधारपर क्षीण हो जाती है और कार्यकारणभावके आधारपर जैसे कषायका पूर्णरूपेण उपशम अथवा क्षय दशवे गुणस्थानके अन्त समयमें मानकर उसके अनन्तर समयमें उपशान्तमोह नामक एकादश गुणस्थानकी अथवा क्षीणमोह नामक द्वादश गुणस्थानकी व्यवस्थाको आगमने स्वीकार किया गया है वैसे ही अल्पज्ञके दर्शनीपयोग और ज्ञानोपयोगके क्रमको स्वीकार करना चाहिये तथा जैसे कषायके उपशम व क्षयके माथ आत्माकी उपशान्तमोहरूप अवस्थाके व क्षीणमोहरूप अवस्थाके सद्भावकी अपेक्षा क्षणभेद नहीं है वैसे ही क्षणभेद सद्भावकी अपेक्षा अल्पज्ञके दर्शनीपयोग और ज्ञानोपयोगमें नहीं है। अर्थात् ज्ञानोपयोगके साथ दर्शनीपयोगका यदि सद्भाव न स्वीकार किया जाय तो ज्ञानोपयोगका आधार समाप्त हो जानेसे ज्ञानोपयोगका ही अभाव हो जायगा। दर्शनीपयोगका महत्त्व

यद्यपि पूर्वके विवेचनसे ज्ञानोपयोगके समान दर्शनीपयोगका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है। फिर भी यहाँ अनेक प्रकारसे दर्शनीपयोगका महत्त्व स्पष्ट किया जा रहा है।

ज्ञान या ज्ञानोपयोगके अवस्थाओंके भेदके आधारपर आगममें पूर्वोक्त प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय और केवलके भेदसे बारह भेद बतलाये गये हैं और इन सबको प्रत्यक्ष और परोक्षके नामसे दो वर्गोंमें गमित कर दिया गया है।

अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष क्यों है? इस प्रश्नके समाधान स्वरूप आगममें जो कुछ प्रतिपादित है उसका सार यह है कि सब जीवोंमें पदार्थोंके जाननेकी जो शक्ति विद्यमान है उसके आधारपर ही प्रत्येक जीव पदार्थोंका बोध किया करता है, जिस बोधका फल प्रवृत्ति, निवृत्ति अथवा उपेक्षाके रूपमें जीवको प्राप्त होता है। पदार्थोंका बोध सामान्यतया भ्रमिज्ञान, श्रुतज्ञान, अबधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञानके भेदसे पाँच प्रकारका होता है। भ्रमिज्ञानमें स्पष्टान, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों अथवा मनकी सहायता अपेक्षित रहता करता है। श्रुतज्ञान केवल मनकी सहायतासे ही उत्पन्न हुआ करता है तथा अबधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताकी अपेक्षा किये बिना ही उत्पन्न हुआ करते हैं।

ज्ञानके उपर्युक्त बारह भेदोंमें अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान इन सबको भ्रमिज्ञानमें अन्तर्भूत कर दिया गया है तथा शेष श्रुत, अबधि, मनःपर्यय और केवल ये चार स्वतंत्र ज्ञान हैं। इनमेंसे अबधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क,

अनुमान और श्रुत ये पाँच ज्ञान सर्वथा परोक्ष हैं तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार ज्ञान कर्षचित् प्रत्यक्ष हैं और कर्षचित् परोक्ष है ।

अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मतिज्ञानके भेद स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान तथा श्रुतज्ञान ये सब सर्वथा परोक्ष क्यों हैं ? तथा अवधि, मनःपर्यय और केवल ये ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष क्यों हैं ? व इसी प्रकार मतिज्ञानके ही भेद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये ज्ञान कर्षचित् प्रत्यक्ष और कर्षचित् परोक्ष क्यों हैं ?

इन प्रश्नोंका समाधान यह है कि आद्यममें प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दोंके दो-दो अर्थ स्वीकार किये गये हैं । अर्थात् एक प्रत्यक्ष तो वह ज्ञान है जो इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताकी अपेक्षा किये बिना ही होता है और दूसरा प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जिसमें पदार्थका विशद (साक्षात्कार) रूप बोध होता है । इसी प्रकार एक परोक्ष तो वह ज्ञान है जो इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे होता है और दूसरा परोक्ष वह ज्ञान है जिसमें पदार्थका अविशद (असाक्षात्कार) रूप बोध होता है ।

प्रत्यक्ष और परोक्षके उक्त लक्षणोंमेंसे पहला-पहला लक्षण तो करणानुयोगकी विसुद्ध आध्यात्मिक पद्धतिके आधारपर निश्चित किया गया है और दूसरा-दूसरा लक्षण द्रव्यानुयोगकी तत्त्वप्रतिपादक पद्धतिके आधारपर निश्चित किया गया है । पहला-पहला लक्षण तो ज्ञानोंकी स्वाधीनता व पराधीनता बतलाता है और दूसरा-दूसरा लक्षण ज्ञानोंके तथ्यात्मक स्वरूपका प्रतिपादन करता है ।

इस विवेचनके आधारपर मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत ये सभी ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके आधारपर पराधीन होनेके कारण करणानुयोगकी विसुद्ध आध्यात्मिकदृष्टिसे भी परोक्ष हैं व इनमें पदार्थका अविशद (असाक्षात्कार) रूप बोध होनेके कारण द्रव्यानुयोगकी तथ्यात्मकस्वरूप-प्रतिपादनदृष्टिसे भी परोक्ष हैं, अतः सर्वथा परोक्ष है । इसी तरह अवधि, मनःपर्यय और केवल ये तीन ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताके बिना ही उत्पन्न होनेके आधारपर स्वाधीन होनेके कारण करणानुयोगकी विसुद्ध आध्यात्मिकदृष्टिसे भी प्रत्यक्ष हैं व इनमें पदार्थका विशद (साक्षात्कार) रूप बोध होनेके कारण द्रव्यानुयोगकी तथ्यात्मकस्वरूप-प्रतिपादनदृष्टिसे भी प्रत्यक्ष है, अतः सर्वथा प्रत्यक्ष है । लेकिन अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार ज्ञान इन्द्रिय अथवा मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेके आधारपर पराधीन होनेके कारण करणानुयोगकी विसुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिसे जहाँ परोक्ष है वहाँ इनमें पदार्थका विशद (साक्षात्कार) रूप बोध होनेके कारण द्रव्यानुयोगकी तथ्यात्मकस्वरूप-प्रतिपादनदृष्टिसे प्रत्यक्ष है, अतः कर्षचित् परोक्ष और कर्षचित् प्रत्यक्ष है ।

यहाँपर यदि यह प्रश्न किया जाय कि पदार्थका विशद (साक्षात्कार) रूप बोध क्या है ? और पदार्थ का अविशद (असाक्षात्कार) रूप बोध क्या है ? तो इसका समाधान यह है कि जिस बोधमें पदार्थदर्शन साक्षात् कारण होता है वह बोध पदार्थका स्पष्ट बोध होनेके आधारपर विशद (साक्षात्कार) रूप बोध कहलाता है और जिस बोधमें पदार्थदर्शन साक्षात् कारण न होकर परंपर्या कारण होता है वह बोध पदार्थका अस्पष्ट बोध होनेके आधारपर अविशद (असाक्षात्कार) रूप बोध कहलाता है और यह बात पूर्वमें बतलायी जा चुकी है कि पदार्थका विशद (साक्षात्कार) रूप बोध ही प्रत्यक्ष है और पदार्थका अविशद (असाक्षात्कार) रूप बोध ही परोक्ष है । अतः अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मतिज्ञानोंमें व अवधि, मनःपर्यय और केवल रूप ज्ञानोंमें पदार्थदर्शन साक्षात् कारण होता है, इसलिये इस दृष्टिसे ये सब ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाते हैं और अतः स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क तथा अनुमान रूप मतिज्ञानोंमें व श्रुतज्ञानमें पदार्थदर्शन साक्षात् कारण नहीं होकर

परंपरया कारण होता है क्योंकि दर्शन और इन ज्ञानोंके मध्य अन्य ज्ञानोंका व्यवधान रहा करता है जैसा कि पूर्वमें बतलाया जा चुका है कि दर्शन और स्मृतिके मध्य धारणाज्ञानका व्यवधान होता है क्योंकि स्मृति-ज्ञान धारणाज्ञानपूर्वक होता है, दर्शन और प्रत्यभिज्ञानके मध्य धारणाज्ञानके अनन्तर पश्चात् होनेवाले स्मृतिज्ञानका व्यवधान रहा करता है क्योंकि प्रत्यभिज्ञान स्मृतिज्ञान पूर्वक होता है, दर्शन और तर्क ज्ञानके मध्य स्मृतिज्ञानके अनन्तर पश्चात् होने वाले प्रत्यभिज्ञानका व्यवधान रहता है क्योंकि तर्कज्ञान प्रत्यभिज्ञान पूर्वक होता है, दर्शन और अनुमान ज्ञानके मध्य प्रत्यभिज्ञानके अनन्तर पश्चात् होने वाले तर्कज्ञानका व्यवधान रहता है क्योंकि अनुमानज्ञान तर्कज्ञान पूर्वक होता है और दर्शन और श्रुतज्ञानके मध्य तर्कज्ञानके अनन्तर पश्चात् होनेवाले अनुमान ज्ञानका व्यवधान रहता है क्योंकि श्रुतज्ञान अनुमान पूर्वक होता है, इसलिये ये स्मृति आदि ज्ञान इस दृष्टिसे परोक्ष कहलाते हैं ।

इस विवेचनसे यह बात बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि एक तो पदार्थदर्शन पदार्थज्ञानमें अनि-वार्य कारण होता है और दूसरे पदार्थवर्णनको माझात् कारणता पदार्थ ज्ञानकी प्रत्यक्षाका और पदार्थदर्शनकी असाक्षात् कारणता अर्थात् परंपरया कारणता पदार्थ ज्ञानकी परोक्षताका आधार है, इसलिये दर्शनोपयोगका महत्त्व प्रस्थापित हो जाता है और तब इस प्रश्नका भी समाधान हो जाता है । कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष और दूसरा ज्ञान परोक्ष क्यों है ?

अब यहाँ पर एक बात और विचारणीय रह जाती है कि जिस प्रकार दर्शन और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान तर्क, अनुमान और श्रुतनामके ज्ञानोंके मध्य पूर्वोक्त प्रकार यथासम्भव धारणा आदि ज्ञानोंका व्यवधान रहता है उसी प्रकार जब ईहाज्ञान अवग्रहपूर्वक होता है, अवायज्ञान ईहाज्ञानपूर्वक होता है और धारणाज्ञान अवाय-ज्ञानपूर्वक होता है, तथा इसी प्रकार मन पर्ययज्ञान भी ईहाज्ञानपूर्वक ही होता है तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणाज्ञानोंमें तथा मन पर्ययज्ञानमें भी दर्शनके साथ यथासम्भव अन्य ज्ञानोंका व्यवधान सिद्ध हो जाने से इन्हें प्रत्यक्ष कैसे कहा जा सकता है ?

इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ईहाज्ञानमें अवग्रहज्ञानकी कारणता, अवायज्ञानमें ईहाज्ञानकी कार-णता, धारणाज्ञानमें अवायज्ञानकी कारणता और मन पर्ययज्ञानमें भी ईहाज्ञानकी कारणता विद्यमान है अर्थात् ये सब ज्ञान इनके पश्चात् ही होने हैं फिर भी पूर्वोक्त दर्शन इन ज्ञानोंमें साक्षात् ही कारण होता है अर्थात् दर्शन और इन ज्ञानोंके मध्य वे अवग्रह आदि ज्ञान व्यवधानकारक नहीं होते हैं इसलिये इन ज्ञानोंमें दर्शन-की साक्षात् कारणताकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है । अतः इन ज्ञानोंकी प्रत्यक्षतामें भी इस दृष्टिसे कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है ।

यहाँ प्रसंगवश मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि कहीं-कहीं (अभ्यस्तदशामें) अवग्रहज्ञान अवायात्मक रूपमें ही उत्पन्न होता है और कहीं-कहीं (अनभ्यस्त दशामें) अवग्रहज्ञानके पश्चात् संशय उत्पन्न होने पर ईहाज्ञान उत्पन्न होता है और तब वह अवग्रहज्ञान अवायज्ञानका रूप धारण करता है ।



जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान

बौद्धदर्शनमें वर्णित प्रत्यक्ष और जैनदर्शनमें वर्णित दर्शनोपयोग दोनोंके स्वरूपमें करीब-करीब साम्य पाया जाता है। लेकिन बौद्धदर्शनमें जहाँ उसके माने हुए प्रत्यक्षको प्रमाण मान लिया गया है वहाँ जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगको प्रमाणता और अप्रमाणताके दायरेसे परे रखा गया है, क्योंकि जैनदर्शनमें स्वरूपव्यवसायीको प्रमाण माना गया है और जो व्यवसायी होते हुए भी परव्यवसायी नहीं है उसे अप्रमाण माना गया है। ये दोनों प्रकारकी अवस्थाएँ ज्ञानोपयोगकी ही हुआ करती हैं, अतः ज्ञानोपयोग तो प्रमाण और अप्रमाणरूप होता है लेकिन दर्शनोपयोगमें स्वरूपव्यवसायप्रकृताका सर्वथा अभाव पाया जाता है, अतः उसे न तो प्रमाण कह सकते हैं और न अप्रमाण ही कह सकते हैं। फिर भी ज्ञानोपयोगकी उत्पत्तिमें अनिवार्य कारण होनेकी वजहसे दर्शनोपयोगका महत्त्व जैनदर्शनमें कम नहीं आका गया है।

विश्वको जैनदर्शनमें छह प्रकारके द्रव्योंमें विभक्त कर दिया गया है—(१) अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्तावाले अनन्त जीव द्रव्य, (२) अणु और स्कन्ध (पिंड) दो भेदरूप अनन्त पुद्गलद्रव्य, (३) एक धर्मद्रव्य, (४) एक अधर्मद्रव्य, (५) अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्तावाले असंख्यात कालद्रव्य और (६) एक आकाशद्रव्य। इन सब द्रव्योंको समुदायरूपसे विश्व नामसे पुकारा जाता है क्योंकि इनके अतिरिक्त विश्वमें कुछ शेष नहीं रह जाता है और विश्वको जगत् इसलिये कहते हैं क्योंकि ये सब अपने-अपने स्वरूपको न छोड़ते हुए परिणमशील हैं। ये सब द्रव्य प्रतिसमय अपने-अपने नियत स्वभावके अनुरूप कार्य करने रहते हैं—आकाशद्रव्य समस्त द्रव्योंको सतत अपने अन्दर समाये हुए हैं, सभी कालद्रव्य समस्त द्रव्योंको प्रतिक्षण उनकी अपनी संभ्राय पर्यायोंके रूपमें पलटते रहते हैं, धर्मद्रव्य सभी जीव और पुद्गल द्रव्योंको हलन-चलनरूप क्रिया करते समय उस क्रियामें सतत सहायक होता रहता है, अधर्मद्रव्य उन सभी जीव और पुद्गल द्रव्योंको उक्त हलन-चलनरूप क्रियाको बन्द करने समय उसमें सतत सहायक होता रहता है, सभी पुद्गल द्रव्य अशुद्ध जीव-द्रव्योंके साथ और परस्पर एक दूसरे पुद्गलद्रव्योंके साथ सतत मिलते और बिछुड़ने रहते हैं तथा सभी जीव-द्रव्य सम्पूर्ण द्रव्योंको अपनी-अपनी योग्यताके विकासके अनुसार सर्वदा देखते और जानते रहते हैं। जीवोंकी इस देखनेरूप प्रवृत्तिको ही जैनागममें दर्शनोपयोग और जाननेरूप प्रवृत्तिको ज्ञानोपयोग कहा गया है। इन दोनों उपयोगोंमें अविनाभावरूप संबन्ध पाया जाता है अर्थात् प्रत्येक पदार्थके ज्ञानमें उस पदार्थका दर्शन कारण हुआ करता है। इसलिये प्रत्येक जीवमें ज्ञानोपयोगके साथ दर्शनोपयोगकी सत्ता जैनदर्शनमें स्वीकार की गयी है। परन्तु साथ ही आगमग्रन्थोंमें यह बात भी बतलायी गयी है कि सर्वज्ञजीवके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ होने रहते हैं और अल्पज्ञजीवके दर्शनोपयोगके अनन्तर ज्ञानोपयोग हुआ करता है अर्थात् उसके दर्शनोपयोगकी दशामें ज्ञानोपयोग उत्पन्न नहीं होता है और ज्ञानोपयोगकी दशामें दर्शनोपयोग समाप्त हो जाता है।

बहुत कुछ सोचनेके बाद मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा कि सर्वज्ञकी तरह अल्पज्ञोंके भी दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनोंका एक ही साथ उत्पत्ति और अवस्थिति होनी चाहिये, अन्यथा दोनोंमें कार्यकारणभावकी व्यवस्था नहीं बन सकती है क्योंकि कारणके सत्भावमें ही कार्य हुआ करता है कारणके अभावमें नहीं, इसलिये “अल्पज्ञजीवके दर्शनके अनन्तर ज्ञान होता है” यह कल्पना अर्वाचिन जान पड़ती है, जैनदर्शनको यह भौतिक बात नहीं है। यदि कहा जाय कि “द्रव्यकी पूर्वपर्याय उत्तरपर्यायमें कारण हुआ करती है और दर्शनोपयोग अल्पज्ञजीवकी पूर्वपर्याय ज्ञानोपयोग उसकी उत्तरपर्याय ही तो है, अतः उक्त कार्यकारणभावमें कोई विरोध नहीं है”, तो ऐसा माननेपर यह आपत्ति उपस्थित की जा सकती है कि सर्वज्ञके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमें

भी क्रमसे पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायका रूप स्वीकार करना चाहिये। यदि सर्वज्ञकी सर्वज्ञताकी समाप्तिके भयसे उसके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमे क्रमसे पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायका रूप नहीं स्वीकार करके, दोनोंकी एक ही साथ उत्पत्ति और अवस्थिति स्वीकार कर ली जाती है तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमे क्रमसे पूर्वपर्यायिता और उत्तरपर्यायिताका अभाव निश्चित हो जानेकी वजहसे अल्पज्ञके दर्शनोपयोगको उसकी पूर्वपर्याय और ज्ञानोपयोगको उसकी उत्तरपर्याय कैसे कहा जा सकता है ?

वास्तवमे जीवकी देखने और जानने रूप दो पृथक्-पृथक् शक्तियाँ हैं। यही सबब है कि दोनों शक्तियोंको ढकनेवाले दर्शनावरण और ज्ञानावरण दो पृथक्-पृथक् कर्मजल कर्मसिद्धान्तमें स्वीकार किये गये हैं। इन्हीं दोनों शक्तियोंके पृथक्-पृथक् विकास ही दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके नामसे पुकारे जाते हैं, इसलिये दर्शनोपयोगको जीवकी पूर्वपर्याय और ज्ञानोपयोगको उसकी उत्तरपर्याय मानना अनुकूल है। यदि ये दोनों एक ही शक्तिके दो विकास होते, तो इन्हें अवश्य ही पूर्वपर्याय और उत्तरपर्यायके रूपमे स्वीकार किया जा सकता था परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे न तो ये एक ही शक्तिके दो विकास सिद्ध होते हैं और न इन्हें एक ही शक्तिके दो विकासके रूपमे स्वीकार ही किया गया है इसलिये जब दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमे कार्य-कारणभाव मान्य है तो सर्वज्ञकी तरह अल्पज्ञोमे भी इनका एक ही साथ सम्भव रहना उपयुक्त है ?

शका—सर्वज्ञके दर्शन और ज्ञान सर्वथा निरावरण हो जानेकी वजहसे अपने आपमे परिपूर्ण और परावलम्बनसे रहित है अतः दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनोंके एक साथ होने या रहनेमे कोई बाधा नहीं आती है। परन्तु अल्पज्ञके दर्शन और ज्ञान जब अपने आपमे पूर्णतारहित एवं यथायोग्य समान परावलम्बी पाये जाते हैं तो उनका एक साथ पैदा होना या रहना कैसे संभव हो सकता है ? अतः सर्वज्ञके एक साथ दोनों उपयोगका सम्भव मानना और अल्पज्ञके दोनोंका एक साथ अभाव स्वीकार करना अनुकूल नहीं है ?

समाधान—यदि जीवमे दो उपयोग एक साथ रहनेकी योग्यता है तो अल्पज्ञता उसमे बाधक नहीं हो सकती है और यदि जीवमे दो उपयोग एक साथ रहनेकी योग्यता नहीं है तो सर्वज्ञता उसमे बाधक नहीं हो सकती है। जैसे एक ही दर्शनशक्ति या ज्ञानशक्तिके विकाम स्वरूप दो उपयोग एक साथ रहनेकी योग्यता जीवमें नहीं है तो इस प्रकारके दो उपयोग एक साथ सर्वज्ञमे भी संभव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वज्ञके भी प्रतिक्षण जो सपूर्ण पदार्थोंका दर्शन और ज्ञान होता रहता है वह दर्शन और ज्ञान अनन्त पदार्थोंका होते हुए भी पृथक्-पृथक् अनन्त उपयोग रूप नहीं होता, अपितु अनन्त पदार्थोंको विषय करनेवाला एक ही दर्शनरूप उपयोग और एक ही ज्ञानरूप उपयोग होता है। इसी प्रकार जीवकी एक ही भ्रष्टाशक्ति, एक ही चारित्रशक्ति, एक ही सुखशक्ति, एक ही वीर्यशक्ति आदि अनन्त शक्तियोंका पृथक्-पृथक् दो तरहका विकास सर्वज्ञके भी एक साथ संभव नहीं है। परन्तु जीवमे अनन्त प्रकारकी उक्त जितनी शक्तियाँ पायी जाती हैं वे सब अपने-अपने पृथक्-पृथक् एक-एक विकसित रूपमे सर्वज्ञ और अल्पज्ञ सब अवस्थाओमे एक साथ पायी जाती हैं और पायी जाना उचित भी है क्योंकि जो भी शक्ति अपने किसी एक विकसित रूपके साथ एक अवस्थामें नहीं पायी जायगी, तो उस शक्तिका जीवकी सब अवस्थाओमें अभाव मानना अनिवार्य ही जायगा। इसलिये सर्वज्ञको तरह अल्पज्ञ जीवमें जब ज्ञानशक्तिके किसी-न-किसी विकसित रूपके साथ भ्रष्टाशक्ति, चारित्रशक्ति, सुखशक्ति, वीर्यशक्ति आदि अनन्त शक्तियोंका अपना अपना कोई-न-कोई विकसित रूप सर्वदा विद्यमान रहता ही है, तो इन सबके साथ दर्शनशक्तिका भी कोई-न-कोई विकसित रूप उसमे अवश्य ही सर्वदा विद्यमान रहना चाहिये। जीवकी प्रत्येक शक्तिका इस प्रकार अपने अपने किसी-न-किसी विकसित रूपमे रहने का नाम ही उपयोग है। यहापर यह बात भी ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार सर्वज्ञके केवलज्ञान-में केवलदर्शन कारण हुआ करता है उसी प्रकार अल्पज्ञके अवधिज्ञानमें अवधिदर्शनको तथा उस उस इन्द्रियसे

होनेवाले मतिज्ञानमें उस उस इन्द्रियमें होनेवाले दर्शनको ही कारण माना गया है। यदि भिन्न समयका दर्शन भिन्न समयके ज्ञानमें कारण माना जाता है तो "अमुक प्रकारके ज्ञानमें अमुक प्रकारका दर्शन ही कारण होता है" इस प्रकारका प्रतिनियत कार्यकारणभाव अल्पज्ञके दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगमें नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर तो अर्वाधदर्शनके बाद भी मतिज्ञान हो जाना चाहिए और बहुदर्शन तथा अर्वाधदर्शनके बाद भी अर्वाधज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन जब ऐसा अप्रतिनियत कार्यकारणभाव न तो संभव है और न माना हो गया है तो इसका आशय यही है कि अल्पज्ञजीवके भी दर्शनके सद्भावमें ही ज्ञान हुआ करता है, दर्शनके अनन्तर उसके अभावमें नहीं।

शंका—दर्शनोपयोगको आगममें सामान्यग्रहण, निराकार, निर्विकल्पक और अव्यवसायात्मक तथा ज्ञानोपयोगको विशेषग्रहण, साकार, नविकल्पक और व्यवसायात्मक स्वीकार किया गया है, अतः परस्पर विरोधपना होनेकी वजहसे दर्शन और ज्ञानका एक कालमें सद्भाव मानना अयुक्त है ?

समाधान—उक्त प्रकारका विरोधीपना जब सर्वज्ञके दर्शन और ज्ञानके अन्तर भी विद्यमान है और फिर भी उसके दर्शन और ज्ञान साथ-साथ एक ही कालमें उत्पन्न होते और अवस्थित रहते हैं तो इसका आशय यही है कि दर्शन और ज्ञानका उक्त प्रकारका विरोधीपना उनके एक कालमें एकसाथ उत्पन्न होने या रहनेमें बाधक नहीं होता है। यदि कहा जाय कि वास्तवमें सर्वज्ञके सर्वदा सिर्फ ज्ञानोपयोग ही रहता है—उसके दर्शनका अद्भाव तो केवल उपचार मात्र है तो इस तरहसे फिर जीवमें ज्ञानशक्तिके पृथक् दर्शननामकी एक शक्ति और उसके आचारक स्वतंत्र दर्शनावरणकर्मको स्वीकार करनेकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? इसलिये दर्शनोपयोगके सामान्यग्रहण आदि और ज्ञानोपयोगके विशेषग्रहण आदि संकेतोका ठीक-ठीक अर्थ न समझ सकनेके कारण ही यह भ्रम पैदा हो गया है कि दर्शन और ज्ञान परस्पर विरोधी है। अतः इस भ्रमका निराकरण करनेके लिये यहाँपर उक्त संकेतोके अर्थपर तथा दर्शनके स्वरूपपर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है—वर्तमानमें दर्शनके निम्नलिखित अर्थ प्रचलित है—

१. वस्तुविशेषका बोधरहित "है" इत्याकारक मानका नाम दर्शन है।

२. पहले पदार्थके उपयोग हटनेके बाद जबतक दूसरे पदार्थके उपयोग नहीं जुड़ जाता, इस अन्तराल में जो केवल आत्मबोध हुआ करता है उसको दर्शन समझना चाहिये।

३. उक्त प्रकारके अन्तरालमें चैतन्यकी जो अनुपयुक्त अवस्था रहती है उसका नाम दर्शन है।

दर्शनके उक्त प्रचलित अर्थोंमेंसे पहले और दूसरे प्रकारके अर्थ इसलिये गलत हैं कि उक्त अर्थोंके स्वीकार करनेसे दर्शन भी ज्ञानकी तरह सविकल्पक, साकार और व्यवसायात्मक हो जायगा। तीसरा अर्थ इसलिये गलत है कि ऐसा कोई अण नहीं, जिसमें चैतन्य अनुपयुक्त अवस्थामें रहता हो। साथ ही अनुपयुक्त चैतन्यको दर्शनोपयोग माननेसे दर्शनकी उपयोगात्मकता समाप्त हो जायगी। तीसरे अनुपयुक्त चैतन्यको दर्शन और उपयुक्त चैतन्यको ज्ञान स्वीकार कर लेनेसे दर्शनावरणकर्मका पृथक् अस्तित्व स्वीकार करना असंगत हो जायगा।

मेरे मतसे दर्शनका अर्थ है आत्मप्रदेशोंमें ज्ञेय पदार्थके आकारका आ जाना। इस प्रकार जिस कालमें जिस ज्ञेय पदार्थका आकार आगम आत्मप्रदेशोंमें आता है उस कालमें उस पदार्थका ही बोध हुआ करता है, सर्वज्ञके दर्शनावरणकर्मका सर्वथा अर्थ हो जानेके सबबसे समस्त आत्मप्रदेशोंमें संपूर्ण पदार्थ प्रतिक्षण स्वभावतः प्रतिबिम्बित होते रहते हैं। अतः सर्वज्ञको प्रतिक्षण संपूर्ण पदार्थोंका ज्ञान होता रहता है। लेकिन अल्पज्ञके आत्म-प्रदेशोंमें ज्ञेय पदार्थका प्रतिबिम्बित होना निमित्ताधीन है अर्थात् प्रतिनियत पदार्थोंका प्रतिनियत इन्द्रिय द्वारा प्रतिनियत आत्मप्रदेशोंमें अब-अब आकार आता है तब-तब उच-उच इन्द्रिय द्वारा उन-उन पदार्थोंका मतिज्ञान हुआ

करता है और सब दर्शनको भी उस-उस इन्द्रियका दर्शन कहा जाता है। श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक हुआ करता है, अतः उसके लिये दर्शनके सद्भावकी आवश्यकता नहीं रहती है। अबधिज्ञानमें दर्शनकी आवश्यकता रहती है अर्थात् प्रतिनियत आत्मप्रवेशोंमें प्रतिनियत पदार्थोंका बिना इन्द्रियोकी सहायताके जो प्रतिबिम्ब आता है उसके सद्भावमें अबधिज्ञान हुआ करता है ऐसे प्रतिबिम्बको अबधिदर्शन कहते हैं। मन-पर्ययज्ञान ईहामतिज्ञान पूर्वक हुआ करता है, अतः ईहामतिज्ञानमें जिस दर्शनकी अपेक्षा रहती है वही दर्शन मन पर्ययज्ञानके समय विद्यमान रहता है।

इस विवेचनका निष्कर्ष यह है कि—

१. एक पदार्थ या नाना अथवा संपूर्ण पदार्थोंका आत्मप्रवेशोंमें इन्द्रिय आदि निमित्तसापेक्ष अथवा निमित्तकी अपेक्षारहित प्रतिबिम्बित होना ही दर्शन कहलाता है।

२. इस प्रकारके दर्शनके सद्भावमें ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ दोनों तरहके जीवोंको पदार्थज्ञान हुआ करता है अन्यथा नहीं।

३. प्रतिनियत दर्शन ही प्रतिनियत पदार्थज्ञानमें कारण हुआ करता है। उक्त दर्शन सामान्यग्रहणरूप है क्योंकि उममें ज्ञानकी तरह प्रमाणता और अप्रमाणताका विशेष (भेद) नहीं पाया जाता है और इसका कारण हम पहले बतला आये है कि दर्शनमें स्वपरव्यवसायात्मकताका सर्वथा अभाव पाया जाता है जबकि स्वपरव्यवसायात्मकता प्रमाणताका तथा स्वव्यवसायात्मकताके रहते हुए परव्यवसायात्मकताका अभाव अप्रमाणताका चिह्न माना जाता है। तात्पर्य यह है कि उक्त दर्शनमें पदार्थका अवलम्बन होनेकी वजहसे वह पदार्थग्रहणरूप तो होता है फिर भी वह द्रष्टाको अपना संवेदन करानेमें असमर्थ रहता है और जो अपना संवेदन नहीं करा सकता है वह परका संवेदन कैसे करा सकता है? इसलिये दर्शनको "सामान्यग्रहण" शब्दसे पुकारना उपयुक्त ही है। ज्ञान चाहे प्रमाण हो या चाहे अप्रमाण हो—उसमें स्वसंवेदकता तो हर हालतमें रहती ही है अतः उसे (ज्ञानको) "विशेषग्रहण" शब्दसे पुकारा जाता है। उक्त दर्शनको निराकार भी कहते हैं क्योंकि उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे स्वसंवेदकता और परसंवेदकता दोनोंका अभाव होनेके कारण न तो प्रमाणताका आकार पाया जाता है और न अप्रमाणताका ही आकार पाया जाता है। इसी प्रकार उक्त दर्शनको अव्यवसायात्मक भी कहते हैं क्योंकि हम बतला चुके हैं कि उसमें स्वसंवेदकता और परसंवेदकता दोनोंका अभाव रहता है जबकि प्रमाण-ज्ञानमें स्वसंवेदकता और परसंवेदकता दोनोंका सद्भाव और अप्रमाणज्ञानमें परसंवेदकताका अभाव रहते हुए भी कम-से-कम स्वसंवेदकताका सद्भाव पाया जाता है। इस प्रकार जो अव्यवसायात्मक होता है वह सविकल्पक नहीं हो सकता है इसलिये दर्शनको "निर्विकल्पक" शब्दसे भी पुकारा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घड़ेको विषय करनेवाले प्रमाणज्ञानमें "मैं घड़ेको जानता हूँ" ऐसा विकल्प और उक्त ज्ञानके विषयभूत घड़ेमें "यह घड़ा है" ऐसा विकल्प ज्ञाताको होता है तथा अप्रमाणज्ञानके भेद संशय, विपरीत और अनप्यवसाय इन तीनोंमें क्रमसे "सोप है या चाँदी" या सीपमें "यह चाँदी है" अथवा "कुछ है" इस प्रकार वस्तुकी अनिर्णीत अवस्थाका रूप ज्ञानविकल्प और विषयविकल्प ज्ञाताको होते रहते हैं उस प्रकार घड़ा आदि पदार्थोंके उक्त प्रकारके दर्शनमें "मैं घड़ेका दर्शन कर रहा हूँ" या "यह घड़ा है" आदि विकल्पोंका होना संभव नहीं है क्योंकि पूर्वोक्त प्रकारसे दर्शनमें स्वव्यवसायात्मकता और परव्यवसायात्मकता दोनोंका अभाव विद्यमान रहता है। अतः दर्शनको निर्विकल्पक कहा गया है। इस प्रकार दर्शन और ज्ञानमें सामान्य और विशेष, निराकार और साकार, अव्यवसायात्मक और व्यवसायात्मक तथा निर्विकल्पक और सविकल्पकका भेद रहते हुए भी इन दोनोंका एक कालमें एक साथ सद्भाव पाया जाना अमंभव नहीं ठहरता है।

आधा है दर्शनोपयोगके बारेमें मैंने यहाँपर जो विचार उपस्थित किये हैं उनपर विद्वज्जनोका अवश्य ही ध्यान जायगा।

जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप : एक दार्शनिक विश्लेषण

जैनदर्शनमें वस्तुको अनन्तधर्मात्मक और अनेकान्तात्मक उभयरूप माना गया है। एक ही वस्तुमें एक ही साथ अनन्तधर्मोंका पाया जाना वस्तुको अनन्तधर्मात्मकता है और अनन्तधर्मात्मक उसी वस्तुमें परस्पर विरोधी अनेक धर्मोंका पाया जाना वस्तुकी अनेकान्तात्मकता है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि विश्वकी सभी वस्तुयें अपने अन्दर अपने-अपने पृथक्-पृथक् अनन्तधर्मोंकी एक ही साथ सत्ता रख रही हैं व प्रत्येक वस्तुके अपने-अपने उन अनन्तधर्मोंसे प्रत्येक धर्म अपने विरोधी धर्मके साथ ही वहाँ पर रह रहा है।

अनेकान्तशब्दका अरु जो "वस्तुमें परस्पर विरोधी अनेक धर्मोंका पाया जाना" अर्थ किया गया है उसमें अनेकशब्दका तात्पर्य दो संख्यासे है। इस तरह अनेकान्त शब्दका वास्तविक अर्थ "वस्तुमें परस्पर विरोधी दो धर्मोंका एक ही साथ पाया जाना" होता है। यह अर्थ वास्तविक इसलिये है कि परस्पर विरोधिता दो धर्मोंमें ही संभव है, तीन, चार आदि संख्यात, असंख्यात व अनन्त धर्म मिलकर कभी परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, कारण कि एक धर्मका विरोधी यदि दूसरा एक धर्म है तो शेष सभी धर्म परस्पर विरोधी उन दो धर्मोंमें किसी एक धर्मके नियमसे अविरोधी हो जावेगे।

उपर्युक्त कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि वस्तुका अनन्तधर्मात्मक होना एक बात है और उसका (वस्तुका) अनेकान्तात्मक होना दूसरी बात है। यही कारण है कि जैनतर सभी दर्शनकारोंके लिये वस्तुको अनन्तधर्मात्मक माननेमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पृथ्वीमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श रूप धर्मवस्तुषट्पदी एक ही साथ सत्ताको वे भी स्वीकार करते हैं। परन्तु वे (जैनतर दर्शनकार) वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमें हिचकिचाते हैं। जैन और जैनतर दर्शनकारोंके मध्य मुख्यतया अन्तर यही है कि जहाँ उक्त प्रकारके अनेकान्तकी मान्यताके आधारपर जैनदर्शन अनेकान्तवादी कहलाता है वहाँ जैनतर सभी दर्शन उसका विरोध करनेके कारण एकान्तवादी कहलाते हैं।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि परस्पर अविरोधी अनन्त धर्मोंकी एक ही साथ एक ही वस्तुमें सत्ता जैन और जैनतर सभी दर्शनमें मान्य कर ली गयी है। परन्तु परस्परविरोधी दो धर्मोंकी एक ही साथ एक ही वस्तुमें सत्ता जिस प्रकार जैन दर्शनमें मान्य की गयी है उन प्रकार जैनतर दर्शन उसे मान्य करनेके लिये तैयार नहीं है। यह बात दूसरी है कि परस्परविरोधी दो धर्मोंमेंसे किसी एक धर्मको कोई एक दर्शन स्वीकार करता है और उसमें अन्य दूसरे धर्मको दूसरा दर्शन स्वीकार करता है लेकिन दोनों ही दर्शन अपनेको मान्य धर्मके विरोधी धर्मको अस्वीकृत कर देते हैं। जैसे साक्यदर्शन वस्तुमें नित्यताधर्मको स्वीकार करता है लेकिन अनित्यताधर्मका वह निषेध करता है। इसी प्रकार बौद्धदर्शन वस्तुमें अनित्यताधर्मको स्वीकार करता है लेकिन नित्यताधर्मका वह निषेध करता है। जबकि जैनदर्शन वस्तुमें नित्यता और अनित्यता दोनों ही धर्मोंको स्वीकार करता है।

वस्तुके अनन्त धर्मात्मक होने व उसमें (वस्तुमें) उन अनन्त धर्मोंमेंसे प्रत्येक धर्मके अपने विरोधी धर्मके साथ ही रहनेके कारण प्रत्येक वस्तुमें परस्परविरोधी धर्मयुगलके अनन्त विकल्प हो जाते हैं। यही कारण है कि जैन दर्शनमें प्रत्येक वस्तुगत अनन्त धर्म सापेक्ष परस्परविरोधी धर्मयुगलके अनन्तविकल्पोंके आकार पर अनन्तसम्भन्धितिकी स्थितिकी स्वीकार कर लिया गया है। यथा—

"नन्वेकञ्च वस्तुन्यनन्ताना धर्माधामभिलाषधीयानामुपगमाधनन्ता एव दृष्यन्-मार्गाः
स्याद्वाचिना भवेयुर्न पुन सर्वाव, बाभ्येयतात्वाद्वाचकेयतायाः। ततो विरुद्धैव सत्सम्भोगिनि केन्व,

विधीयमाननिधिध्यानधर्मविकल्पाध्याया तदविरोधात् । "प्रतिपर्यायं सप्तभंगी वस्तुनि" इति वचनत् । तदानन्ताः सप्तभंग्यो भवेयुरित्यपि नानिष्टम् ।" (श्लोकवा०, सूत्र ६, वा० ५२ के आगे सप्तभंगी प्रकरण)

इस उद्धरणका भाव यह है कि जैनदर्शनमें वस्तुगत परस्परविरोधी धर्मद्वयके आधारपर सप्तभंगी को मान्यता दी गयी है । इनपर कोई यह आपत्ति करता है कि एक वस्तुमें कथन करने योग्य जब अनन्त धर्म विद्यमान हैं तो इन सब धर्मोंका कथन करनेके लिये स्याद्वादियों (जैनों) के सामने अनन्तसंख्याक वचन-मागोंकी प्रसक्ति होती है, केवल सात ही वचनमागोंकी नहीं, क्योंकि जितने वाच्य हो सकते हैं उतने ही वाचक होने चाहिये, अतः सप्तभंगीकी मान्यता असंगत है ।

इस आपत्तिका उक्त उद्धरणमें जो कुछ समाधानके रूपमें लिखा गया है उसका भाव यह है कि सप्तभंगीकी मान्यता विधीयमान और निधिध्यान धर्मद्वयके विकल्पोंके आधारपर ही जैनदर्शनमें स्वीकृत की गयी है इसलिए एक ही वस्तुमें विद्यमान अनन्तधर्मोंमेंसे प्रत्येक धर्मको लेकर विधीयमान और निधिध्यान धर्मद्वयके विकल्पोंके आधारपर जैन दर्शनमें सप्तभंगीको स्थान प्राप्त हो जानेसे अनन्तभंगीके बजाय अनन्त-सप्तभंगीकी स्वीकृति स्याद्वादियों (जैनों) के लिए अनिष्ट नहीं है ।

इस प्रकार वस्तुगत अनन्तधर्ममापेक्ष परस्परविरोधी धर्मद्वयके प्रत्येक वस्तुमें निष्पन्न अनन्तविकल्पों-मेंसे आचार्य श्रीजमूतचन्द्रने समयसारके स्याद्वादिकाधिकार प्रकरणमें अनेकान्तका स्वरूप प्रदर्शित करते हुए कतिपय विरोधी धर्मद्वयविकल्पोंकी निम्न प्रकार गणना की है—

"यदेव तत् तदेवातत्, यदेवैकं तदेवानेकत्, यदेव सत् तदेवासत्, यदेव नित्यं तदेवानित्य-मित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरोधशक्तिद्वयप्रकाशनमनेकान्त ।!"

अर्थ—जो ही वह है वही वह नहीं है, जो ही एक है वही एक नहीं है अर्थात् अनेक है, जो ही सत् है वही सत् नहीं है अर्थात् अमत् है, जो ही नित्य है वही नित्य नहीं है अर्थात् अनित्य है इस प्रकार एक ही वस्तुके वस्तुत्व (स्वरूप) को निष्पादक परस्पर विरोधी शक्तिद्वयका प्रकाशन करना अनेकान्त कहलाता है ।

अनेकान्तके इसमें चार विकल्प बतलाये हैं । इन चारों विकल्पोंमेंसे "जो ही वह है वही वह नहीं है" इस विकल्पका स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् आकृति प्रकृति और विकृतिके आधारपर ही विश्वमें अपना अस्तित्व जमाये हुए है । आकृतिसे वस्तुकी द्रव्यरूपता (प्रदेशवत्ता) का ग्रहण होता है, प्रकृतिसे उसकी गुणरूपता (स्वभावशक्ति) का ग्रहण होता है और विकृतिसे उसमें होनेवाली परिणति (पर्याय) का ग्रहण होता है । जैसाकि आचार्यश्री कुन्दकुन्धने प्रवचनसार ग्रन्थके श्लोकाधिकारकी गाथा १ में दर्शाया है । यथा—

अथो खलु दब्धमयो दववाणि गुणप्यगाणि भणिदाणि ।

तेहि गुणो पज्जाया. पज्जयमूढा हि परसमयाः ॥

अर्थ—अर्थ अर्थात् पदार्थ यानी वस्तु द्रव्यरूप है अर्थात् किसी-न-किसी आकृतिको धारण किए हुए है, द्रव्यमें अपनी गुणरूपता (स्वभावशक्ति) पायी जाती है तथा द्रव्य और गुण दोनों ही परिणमन अर्थात् पर्यायरूपताको धारण किए हुए हैं । लोकमें जितना भी परसमय पाया जाता है वह सब पर्यायोंमें ही रमकर भूकृताको प्राप्त हो रहा है ।

प्रत्येक वस्तुकी आकृति अर्थात् द्रव्यरूपता (प्रदेशवत्ता), प्रकृति अर्थात् स्वभावशक्तिरूप गुणरूपता और विकृति अर्थात् परिणति क्रियारूप पर्यायरूपता प्रतिनियत है अर्थात् एक वस्तुकी जो आकृति, प्रकृति और विकृति है वह त्रिकालमें कभी भी दूसरी वस्तुकी न तो हुई है और न हो सकती है । अतः इस स्थितिमें

आधारपर ही जैनदर्शनमें यह सिद्धान्त मान्य किंवा गया है कि जो ही वस्तु वह है वही वस्तु वह नहीं है ।

उपयुक्त कथनका तात्पर्य यह है कि विषयमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामसे कुछ प्रकारकी वस्तुएँ विद्यमान हैं । इनमें जीव नामकी वस्तुएँ अनन्तानन्त हैं, पुद्गल नामकी वस्तुएँ भी अनन्तानन्त हैं । धर्म, अधर्म और आकाश नामकी वस्तुएँ एक, एक हैं तथा काल नामकी वस्तुएँ अमंथ्यात हैं । ये सब वस्तुएँ अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् आकृति, प्रकृति और विकृतिको धारण करके ही लोकमें रह रही हैं । जीव नामक वस्तु कभी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और कालकी आकृति, प्रकृति और विकृतिको धारण नहीं करती है । पुद्गल नामकी वस्तु कभी जीव, धर्म, अधर्म आकाश और कालकी आकृति, प्रकृति और विकृतिको धारण नहीं करती है । और यही बात धर्म, अधर्म, आकाश और काल नामकी वस्तुओंमें भी सम्भ्राना चाहिए । इतना ही नहीं, एक जीवनामक वस्तु कभी दूसरी जीवनामक वस्तुकी आकृति, प्रकृति और विकृतिको धारण नहीं करती है व एक पुद्गलनामक वस्तु भी कभी दूसरी पुद्गलनामक वस्तुकी आकृति, प्रकृति और विकृतिको धारण नहीं करती है । यहाँ तक कि जीव और पुद्गलका तथा दो आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त पुद्गलोंका परस्पर मेल (मिश्रण) होनेपर भी ये कभी एकद्वयको प्राप्त नहीं होते हैं । यह बात दूसरी है कि उक्त वस्तुओंके परस्पर संयोग अथवा मिश्रणसे एक दूसरेमें परिणमन अवश्य हुआ करते हैं । लेकिन वे भी परिणमन उनके अपने-अपने रूप ही हुआ करते हैं । कभी एक-दूसरे रूप नहीं होते "जो ही वह है वही वह नहीं है" इस सिद्धान्तकी मान्यताका ही यह परिणाम है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारप्रन्थके कर्तृ-कर्माधिकार प्रकरणमें निम्नलिखित गाथाओं द्वारा आत्मा और पुद्गलमें पररूप परिणतियोंका निवेद किया है—

“णवि परिणमइ ण गिण्हइ उप्पज्जइ ण परदब्बपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि ङ्ग पुग्गलकम्मं अणेषविहं ॥७६॥

णवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदब्बपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि ङ्ग सगपरिणामं अणेषविहं ॥७७॥

ण वि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदब्बपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि ङ्ग पुग्गलकम्मफलमणंत ॥७८॥

णवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परदब्बपज्जाए ।

पुग्गलदब्बं पि तहा परिणमइ सएहि भावेहि ॥७९॥”

इन गाथाओंका भाग्य यह है कि आत्मा पुद्गल कर्मको, अपने परिणामको और पुद्गल कर्मके फलको जानता हुआ भी परद्रव्यकी पर्यायरूपसे न परिणमन करता है, न उन्हें स्वीकार करता है और न उनमें उत्पन्न होता है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी जीवपरिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको नहीं जानता हुआ भी परद्रव्यकी पर्यायरूपसे न परिणमन करता है, न उन्हें स्वीकार करता है और न उनमें उत्पन्न होता है ।

इसी तरह “जो ही वह है वही वह नहीं है” इस सिद्धान्तको लक्ष्यमें रखकर ही आचार्य श्री कुन्दकुन्दने समयसारके कर्तृ-कर्माधिकार प्रकरणकी निम्नलिखित गाथाका प्रणयन किया है—

“जो जहिं गुणे दब्बे सो अण्णाहिं ण संकमदि दब्बे ।” (गाथा १०३ का पूर्वार्ध)

इसकी टीका आचार्य श्री अमृतचन्द्रने निम्न प्रकारकी है—

‘इह किल यो यावान् कश्चित् वस्तु विद्येयो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिच्च-यात्सनि-अचिपात्सनि वा

द्रव्ये, गुणे च स्वरसत एवानावित एक न्त- स ऋतु-अचलितस्य वस्तुस्थितिसीम्नो भेत्तुमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा संक्रामेत् ।”

भाषा और टीकाका भाव यह है कि कोई भी वस्तु सर्वदा अपनी ही द्रव्यरूपता और अपनी ही गुणरूपतामें वर्तमान रहती है, निकालमें कभी भी दूसरी वस्तुकी द्रव्यरूपता व गुणरूपतामें संक्रमण नहीं करती है ।

इसी प्रकार उक्त सिद्धान्तके आधारपर ही आचार्य श्री अमृतचन्द्रके निम्नलिखित कथनकी संगति बैठती है—

‘तत्र सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केचनाप्यर्थास्ते सर्वं एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मनस्वधर्मचक्रबुविनोऽपि परस्परमबुविनोऽप्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपन्त- पररूपेणापरिणमनादनष्टानन्तव्यक्तित्वाद्द्रव्योकीर्णा इव तिष्ठन्तः’ (समयसार गाथा ३ की आत्मव्यापिटीका) ।

अर्थ—धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्यमय संपूर्ण लकमें जितने परिमाणमे जो कुछ पदार्थ हैं वे सभी अपने-अपने धर्म समूहका चुम्बन करते हुए भी एक दूसरे पदार्थका चुम्बन नहीं कर रहे हैं, यद्यपि सभी पदार्थ एक दूसरे पदार्थसे अत्यन्त संयुक्त हो रहे हैं तो भी वे कभी अपने स्वरूपसे भ्रूत नहीं होते—इस तरह पररूपसे परिणत न होनेके कारण उनकी नियत परिमाणरूप अनन्तता कभी नष्ट नहीं हो सकती है इसलिए जैसे टाकीसे ही उत्कीर्ण किये गये हों ऐसे ही अपनी-अपनी अलग-अलग सत्ता रखते हुए नियत अनन्त संख्याके रूपमे ही वे सब रह रहे हैं ।

इस तरह कहना चाहिए कि “विश्वके जितने परिमाणमें अनन्तसंख्याके पदार्थ हैं वे उतने परिमाणमें ही अनाविसे अनन्तकाल तक रहनेवाले हैं उनकी उस संख्यामे कभी भी घटा बढ़ी नहीं होती है” इस मान्यताकी पुष्टि “जो ही वह है वही वह नहीं है” इस अनेकान्तकी स्वीकृतिके आधारपर ही हो सकती है ।

आचार्य श्री अमृतचन्द्रने दूसरे प्रकारका अनेकान्त यह बतलाया है कि “जो ही एक है वही एक नहीं है अर्थात् अनेक है” । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वस्तुकी द्रव्यात्मकता, गुणात्मकता और पर्यायात्मकताके आधारपर “अर्थो ऋतु दम्बमयी” इत्यादि गाथाके अनुसार प्रत्येक वस्तुके अलग-अलग प्रकार से दो दो अंश निर्धारित होते हैं । उनमे एक प्रकारसे दो अंश हैं—द्रव्यांश और गुणांश, दूसरे प्रकारसे दो अंश हैं—द्रव्यांश और पर्यायांश तथा तीसरे प्रकारसे दो अंश हैं—गुणांश और पर्यायांश ।

प्रत्येक वस्तुका द्रव्यांश एक ही रहा करता है लेकिन इसमें गुणांश नाना रहा करते हैं । जैसे आत्मा एक वस्तु है । परन्तु उसमे ज्ञानवर्षान आदि नाना गुणोंका सम्मिश्रण है । इसी तरह पुद्गल एक वस्तु है । परन्तु उसमे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि नाना गुणोंका सम्मिश्रण है । इसी प्रकार दूसरे प्रकारसे यों कहा जा सकता है कि वस्तुका द्रव्यांश हमेशा एक ही रहा करता है परन्तु उसमे बदलाव होता रहता है जिससे पर्यायांश अनेक हो जाते हैं । जैसे आत्मा यद्यपि नियत असंख्यान प्रदेशो एक द्रव्य है परन्तु छोटे-बड़े शरीरके अनुसार उसकी छोटी बड़ी आकृति होनी रहती है । इसी तरह प्रत्येक वस्तुमें विद्यमान उसके अपने-अपने नाना गुणोंसे प्रत्येक गुण भी अपनेमें परिवर्तन करता रहता है । जैसे आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला नियत है परन्तु उसका वह ज्ञानरूप स्वभाव यथायोग्य मति, ध्रुत, अवधि मनःपर्यय और केवलके भेदसे पाँचरूपसे परिणमन कर सकता है । इसी तरह मति आदि ज्ञान भी यथायोग्य इन्द्रियाधिक साधन व विषयभूत पदार्थ-को विविधताके आधारपर परिणमन करते रहते हैं । इस प्रकार आत्माका एक ज्ञानरूप स्वभाव भी उपर्युक्त

प्रकारसे नाना पर्यायोंमें बदलता रहता है। इस प्रकार वस्तुके द्रव्यांशकी एकता और उसके गुणांशकी अनेकताके आधार पर, वस्तुके द्रव्यांशकी एकता और उसके पर्यायांशकी अनेकताके आधार पर तथा वस्तुके गुणांशकी एकता और उसके पर्यायांशकी अनेकताके आधारपर जैनदर्शनमें यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि जो ही एक है वही एक नहीं है अर्थात् अनेक है।

आचार्यश्री अमृतचन्द्रने तीसरे प्रकारका अनेकान्त यह बतलाया है कि "जो ही सत् है वही सत् नहीं है अर्थात् असत् है"। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तुकी सत्ताका निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आधार पर हुआ करता है। इनमेंसे द्रव्यके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि यद्यपि घटरूपसे परिणत पुद्गलद्रव्य पटरूपसे परिणत होनेकी योग्यता रखते हैं, परन्तु जिस समय जो पुद्गलद्रव्य घटरूपसे परिणत हो रहे हैं उस समय वे पटरूपसे परिणत नहीं हो रहे हैं इसलिये जिन समय जिस वस्तुमें घटरूपताका सम्भाव है उस समय उस वस्तुमें पटरूपताका अभाव है। इस तरह घटरूपसे परिणत वस्तु पटरूपसे ही सत् है अर्थात् अमत् है। क्षेत्रके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि जो वस्तु जिस समय आकाशके जिन और जितने प्रदेशोंपर अवस्थित है वह वस्तु उस समय आकाशके उन और उतने प्रदेशों पर ही सत् कही जा सकती है उन और उतने प्रदेशोंसे अतिरिक्त अन्य सभी आकाशप्रदेशोंपर वह वस्तु उस समय असत् ही कही जायगी। कालके आधारपर वस्तुकी सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु स्वभावसे त्रैकालिक सत्स्वरूप है परन्तु जो वस्तु जिस समय जिन कालद्रव्योंसे संयुक्त है उस समय वह वस्तु उन कालाणुओंकी अपेक्षा ही वर्तमान रूपमें सत् है शेष अन्य सभी कालाणुओंकी अपेक्षा उस समय वह वर्तमान रूपमें सत् नहीं है अर्थात् अमत् है। भावके आधारपर सत्ताका निर्णय इस प्रकार होता है कि जो वस्तु जिस समय अपनी जिन अवस्था (पर्याय) को धारण किये हुए है उस समय वह वस्तु उस अवस्था (पर्याय) की अपेक्षा सत् है शेष अन्य सम्भव सभी पर्यायोंकी अपेक्षा वह सत् नहीं अर्थात् असत् है। इन सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके आधारपर जो प्रत्येक वस्तुकी सत्ताका निर्णय होता है वह व्यवहारकालको समय, आवली, मुहूर्त, घडी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष आदिके रूपमें विभक्त करके उनके आधार पर ही होता है।

आचार्य श्री अमृतचन्द्रने चौथे प्रकारका जो अनेकान्त बतलाया है वह यह है कि "जो ही नित्य है वही नित्य नहीं है अर्थात् अनित्य है"। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी जाकृति अर्थात् द्रव्यरूपता (प्रदेशवत्ता) और प्रकृति अर्थात् गुणरूपता (स्वभावशक्ति) की अपेक्षा शाश्वत बनी हुई है तथा विकृति अर्थात् पर्यायरूपता (परिणति—क्रिया) की अपेक्षा व्यवहारकालके भेद-समय, आवली, मुहूर्त, घडी, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष आदिके रूपमें विभक्त होकर अशाश्वत बनी हुई है। यही कारण है कि जैनदर्शनमें प्रत्येक वस्तुको द्रव्यरूपता और गुणरूपताके आधारपर प्रोब्यस्वभाववाली तथा पर्यायरूपताके आधारपर उत्पाद और व्यय स्वभाववाली माना गया है। इनमेंसे प्रोब्यस्वभाव वस्तुकी नित्यताका चिह्न है और उत्पाद और व्ययरूप स्वभाव उसकी अनित्यताका चिह्न है।

जिस प्रकार आचार्य श्री अमृतचन्द्रने वस्तुको अनेकान्तात्मक सिद्ध करते हुए परस्परविरोधी धर्मद्वयके आधारपर अनेकान्तके तत्-अतत्, एक-अनेक, सत्-असत् और नित्य-अनित्य ये चार विकल्प बतलाये हैं उसी प्रकार उन्होंने समयसारकी माथा १४२ की टीका करते हुए आत्माका अवलम्बन लेकर परस्परविरोधी धर्मद्वयके आधारपर बद्ध-अबद्ध, मोही-अमोही, रागी-अरागी, द्वेषी-अद्वेषी आदि विविध प्रकारके और भी विकल्प बतला दिये हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि विष्वकी प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक सिद्ध होती है और यह अनन्त-धर्मात्मक वस्तु परस्परविरोधी धर्मद्वयके अनन्त विकल्पोंके आधारपर विविध प्रकारसे अनेकान्तात्मक सिद्ध होती है।

मैंने इस लेखमें वस्तुकी अनन्तधर्मात्मकता और अनेकतात्मकतापर यथाशक्ति प्रकाश डाला है। भाषा है इससे सर्वसाधारणको जैन तत्त्वज्ञानको समझनेकी दिशा प्राप्त होगी। वास्तवमें आज जैन तत्त्वज्ञानका प्रत्येक अंग विवादग्रस्त बन गया है। इसमें मैं सारा दोष विद्वानोंका मानता हूँ। हमेशा विद्वान ही तत्त्वज्ञानके संरक्षक रहे हैं। आज भी विद्वानोंको ऐसा ही प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आजका प्रत्येक विद्वान कहता है कि मेरा प्रयास तत्त्वसंरक्षणके लिये ही है। परन्तु यह प्रयास कैसा, जिसमें आचार्य कुन्दकुन्द, समस्त-भद्र, उमास्वामि, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द आदि महर्षियोंके वचनोंमें भी परस्पर विरोध दोखने लग जाय। प्रत्येक विद्वानको इस प्रश्न पर गहराईके साथ ही दृष्टिपात करना चाहिये।



जैनदर्शनमें सततत्व और षट्द्रव्य

प्रास्ताविक .

असंख्य मानव-समष्टिको अनेक वर्गोंमें विभक्त कर देनेवाले जितने पंचभेद लोकमें पाये जाते हैं उन सबको यद्यपि 'धर्म' नामसे पुकारा जाता है, परन्तु उन्हें 'धर्म' नाम देना अनुचित मात्तूम देता है, क्योंकि धर्म एक हो सकता है, दो नहीं, दो-से अधिक भी नहीं, धर्म धर्ममें यदि भेद दिखाई देता है तो उन्हें धर्म समझना ही भूल है।

अपने अन्तःकरणमें क्रोध, दुष्टविचार, अहंकार, छल-कपटपूर्ण भावना, दीनता और लोभवृत्तिको स्थान न देना एवं सरलता, नम्रता और आत्मगौरवके साथ-साथ प्राणिमात्रके प्रति प्रेम, दया तथा सहानुभूति आदि सद्गुणनाओंको प्राप्त करना ही धर्मका अन्तरंग स्वरूप माना जा सकता है और मानवताके धरातलपर स्वकीय वाचनिक एवं कायिक प्रवृत्तियोंमें अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह वृत्तिका यथायोग्य संवर्धन करते हुए समता और परोपकारकी ओर अग्रसर होना धर्मका बाह्य स्वरूप मानना चाहिये।

पन्च-भेदपर अवलंबित मानवसमष्टिके सभी वर्गोंको धर्मकी यह परिभाषा मान्य होगी, इसलिये सभी वर्गोंकी परस्पर भिन्न सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मान्यताओं—जिन्हें लोकमें 'धर्म' नामसे पुकारा जाता है—के बीच दिखाई देनेवाले भेदको महत्त्व देना अनुचित जान पड़ता है।

मेरी मान्यता यह है कि मानव समष्टिके हिन्दू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुसलमान और ईसाई आदि वर्गोंमें एक दूसरे वर्गसे विलक्षण जो सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मान्यतायें पाई जाती हैं उन मान्यताओं को 'धर्म' न मानकर धर्म-प्राप्तिकी साधनस्वरूप 'संस्कृति' मानना ही उचित है। प्रत्येक मानव, यदि उसका लक्ष्य धर्म-प्राप्तिकी ओर है तो लोकमें पाई जानेवाली उक्त सभी संस्कृतियोंमेंसे किसी भी संस्कृतिको अपनाकर उल्लिखित अविवादी धर्मको प्राप्त कर सकता है। संस्कृतिको ही धर्म मान लेनेकी भ्रान्तिपूर्ण प्रचलित पणिपाटी-से हिन्दू, जैन आदि सभी वर्गोंका उक्त वास्तविक धर्मकी ओर झुकाव ही नहीं रह गया है। इसीलिये इन वर्गोंमें विविध प्रकारके अनर्थकर विकारों, पाषण्डों एवं रूढ़ियोंको अधिक प्रश्रय मिला हुआ है और इस सबका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ उक्त वास्तविक धर्म अनुष्यके जीवनसे सर्वथा अलग होकर एक लोकोत्तर वस्तु मात्र रह गया है वहाँ मानवतासे विहीन तथा अन्याय और अत्याचारसे परिपूर्ण उच्छृङ्खल जीवनप्रवृत्तियोंके सद्भावमें भी संस्कृतिका छथवेध धारण करने मात्रसे प्रत्येक मानव अपनेको और अपने वर्गको कट्टर धर्माला समझ रहा है। इतना ही नहीं, अपने संस्कृतिके भिन्न दूसरी सभी संस्कृतियोंको अधर्म मानकर उनमेंसे किसी भी संस्कृतिके माननेवाले व्यक्ति तथा वर्गको धर्मके उल्लिखित चिह्न मौजूद रहनेपर भी वह अधर्मात्मा ही मानना चाहता है और मानता है और एक ही संस्कृतिका उपासक वह व्यक्ति भी उसकी दृष्टिमें अधर्मात्मा ही है जो उस संस्कृतिके नियमोंकी डोंगपूर्वक ही सही, आवृत्ति करना जरूरी नहीं समझता है, भले ही वह अपने जीवनको धर्ममय बनानेका सच्चा प्रयत्न कर रहा हो। इस तरह आज प्रत्येक वर्ग और वर्गके प्रत्येक मानवमें मानवताको कलंकित करनेवाले परस्पर विद्वेष, घृणा, ईर्ष्या और कलहके दर्दनाक चित्र दिखाई दे रहे हैं।

यदि प्रत्येक मानव और प्रत्येक वर्ग धर्मकी उल्लिखित परिभाषाको ध्यानमें रखते हुए उसे संस्कृतिका साध्य और संस्कृतिको उसका साधन मान लें तो उन्हें यह बात मरम्मतके साथ समझमें आजायगी कि वही संस्कृति सच्ची और उपादेय हो सकती है तथा उस संस्कृतिको ही लोकमें जीवित रहनेका अविचार प्राप्त हो सकता है जो मानव जगत्को धर्मकी ओर अग्रसर करा सके और ऐसा हीमं पर प्रत्येक मानव तथा प्रत्येक वर्ग

अपने जीवनको धर्ममय बनानेके लिये अपनी संस्कृतिको विकारो, पाण्डुओं और रुदियोंसे परिलुक्त बनाते हुए अधिक-से-अधिक धर्मके अनुकूल बनानेके प्रयत्नमें लग जायेंगे तथा उनमेंसे अहंकार, पक्षपात और हठके साथ-साथ परस्परके बिद्वेष, घृणा, ईर्ष्या और कलहका स्रावण होकर सम्पूर्ण मानव-समष्टिमें विविध संस्कृतियोंके सञ्जावमें भी एकता और प्रेमका रस प्रवाहित होने लगेगा ।

मेरा इतना लिखनेका प्रयोजन यह है कि जिसे लोकमें 'जैन धर्म', नामसे पुकारा जाता है उसमें दूसरी दूसरी जगह पाये जानेवाले विपुल धार्मिक अंशको छोड़कर सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मान्यताओंके रूपमें जितना जैनत्वका अंश पाया जाता है उसे 'जैन संस्कृति' नाम देना ही उचित है, इनलिये लेखके शीर्षकमें मैंने 'जैनधर्म'के स्थानपर 'जैनसंस्कृति' शब्दका प्रयोग उचित समझा है और लेखके अन्दर भी यथास्थान धर्मके स्थानपर संस्कृति शब्दका ही प्रयोग किया जायगा ।

विषयप्रवेश

किसी भी संस्कृतिके हमें दो पहलू देखनेको मिलते हैं—एक संस्कृतिका आचार-सम्बन्धी पहलू और दूसरा उसका सिद्धान्त-सम्बन्धी पहलू ।

जिसमें निश्चित उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्राणियोंके कर्तव्यमार्गका विधान पाया जाता है वह संस्कृतिका आचारसम्बन्धी पहलू है । जैनसंस्कृतिमें इसका व्यवस्थापक करणानुयोग माना गया है और आधुनिक भाषा-प्रयोगकी शैलीमें इसे हम 'कर्तव्यवाद' कह सकते हैं ।

संस्कृतिके सिद्धान्त-सम्बन्धी पहलूमें उसके (संस्कृतिके) तत्त्वज्ञान (पदार्थव्यवस्था) का समावेश होता है । जैनसंस्कृतिमें इसके दो विभाग कर दिये हैं—एक सप्ततत्त्वमान्यता और दूसरी षड्द्रव्यमान्यता । सप्ततत्त्वमान्यतामें जीव, अजीव, आत्म, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात पदार्थोंका और षड्द्रव्यमान्यतामें जीव, पद्मल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छह पदार्थोंका समावेश किया गया है । जैन-संस्कृतिमें पहली मान्यताका व्यवस्थापक करणानुयोग और दूसरी मान्यताका व्यवस्थापक द्रव्यानुयोगको माना गया है । आधुनिक भाषाप्रयोगकी शैलीमें करणानुयोगको उपयोगितावाद और द्रव्यानुयोगको अस्तित्ववाद (वास्तविकतावाद) कहना उचित जान पड़ता है । यद्यपि जैन संस्कृतिके शास्त्रीय व्यवहारमें करणानुयोगको आध्यात्मिक पद्धति और द्रव्यानुयोगको दार्शनिक पद्धति इस प्रकार दोनोंको अलग-अलग पद्धतिके रूपमें विभक्त किया गया है । परन्तु मैं उपयोगितावाद और अस्तित्ववाद दोनोंको दार्शनिक पद्धतिले बाह्य नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारतवर्षके माध्य, वेदान्त, मोमासा, योग, न्याय और वैशेषिक आदि सभी वैदिक तथा जैन, बौद्ध और चार्वाक आदि सभी अवैदिक दर्शनोंका मूलतः विकास उपयोगितावादके आधारपर ही हुआ है, इसलिये मेरी मान्यताके अनुसार करणानुयोगको भी दार्शनिक पद्धतिले बाह्य नहीं किया जा सकता है ।

जगत् क्या और कैसा है ? जगत्में कितने पदार्थोंका अस्तित्व है ? उन पदार्थोंके कैसे-कैसे विपरिणाम होते हैं ? इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर प्रमाणों द्वारा पदार्थोंके अस्तित्व और नास्तित्वके विषयमें विचार करना अथवा पदार्थोंके अस्तित्व या नास्तित्वको स्वीकार करना अस्तित्ववाद (वास्तविकतावाद) और जगत्के प्राणी दुःखी क्यों हैं ? वे सुखी कैसे हो सकते हैं ? इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर पदार्थोंको लोककल्याणोपयोगिताके आधारपर प्रमाणसिद्ध अथवा प्रमाणों द्वारा असिद्ध भी पदार्थोंको पदार्थ व्यवस्थामें स्थान देना उपयोगितावाद समझना चाहिये । सक्षेपमें पदार्थोंके अस्तित्वके बारेमें विचार करना अस्तित्ववाद और पदार्थोंके उपयोगिताके बारेमें विचार करना उपयोगितावाद कहा जा सकता है । अस्तित्ववादके आधारपर वे सब पदार्थ मान्यताको कोटिमें पहुँचते हैं जिनका अस्तित्व मात्र प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता हो, भले ही वे पदार्थ लोककल्याणके लिये

उपयोगी सिद्ध हो अथवा उनका लोककल्याणोपयोगितासे थोडा भी सम्बन्ध न हो और उपयोगितावादके आधार पर वे सब पदार्थ मान्यताकी कोटिमें स्थान पाते हैं, जो लोककल्याणके लिये उपयोगी मिद्ध होते हों, भले ही उनका अस्तित्व प्रमाणों द्वारा सिद्ध हो सकता हो अथवा उनके अस्तित्वकी सिद्धिके लिये कोई प्रमाण उपलब्ध न भी हो ।

दर्शनोंमें आध्यात्मिकता और आधिभौतिकताका भेद दिखलानेके लिये उक्त उपयोगितावादको ही आध्यात्मिकवाद और उक्त अस्तित्ववादको ही आधिभौतिकवाद कहना चाहिये, क्योंकि आत्मकल्याणको ध्यानमें रखकर पदार्थ-प्रतिपादन करनेका नाम आध्यात्मिकवाद और आत्मकल्याणकी ओर लक्ष्य न देते हुए भ्रूण अर्थात् पदार्थोंके अस्तित्वमानकी स्वीकार करनेका नाम आधिभौतिकवाद मान लेना मुझे अधिक संगत प्रतीत होता है । जिन विद्वानोंका यह मत है कि समस्त ज्ञान-अचेतन जगतकी सृष्टि अथवा विकास आत्मासे मानना आध्यात्मिकवाद और उपर्युक्त जगतकी सृष्टि अथवा विकास अचेतन अर्थात् जड़ पदार्थसे मानना आधिभौतिकवाद है उन विद्वानोंके साथ मेरा स्पष्ट मतभेद है । इस मतभेदसे भी मेरा तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकवाद और आधिभौतिकवादके उनको मान्य अर्थके अनुसार उन्होंने जो वेदान्तदर्शनको आध्यात्मिक दर्शन और चार्वाकदर्शनको आधिभौतिक दर्शन मान लिया है वह ठीक नहीं है । मेरा यह स्पष्ट मत है और जिसे मैं पहिले लिख चुका हूँ कि सायब, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय और वैशेषिक ये सभी वैदिक दर्शन तथा जैन, बौद्ध और चार्वाक ये सभी अवैदिक दर्शन पूर्वोक्त उपयोगितावादके आधारपर ही प्रादुर्भूत हुए हैं । इसलिये ये सभी दर्शन आध्यात्मिकवादके ही अन्तर्गत माने जाने चाहिये । उक्त दर्शनोंमेंसे किसी भी दर्शनका अनुयायी अपने दर्शनके बारेमें यह आक्षेप सहन करने की तैयार नहीं हो सकता है कि उसके दर्शनका विकास लोककल्याणके लिये नहीं हुआ है और इसका भी सबब यह है कि भारतवर्ष सर्वदा धर्मप्रधान देश रहा है । इसलिये समस्त भारतीय दर्शनोंका मूल आधार उपयोगितावाद मानना ही संगत है । इसका विशेष स्पष्टीकरण नीचे किया जा रहा है—

'लोककल्याण' शब्दमें पठित लोकशब्द 'जगत्का प्राणिसमूह' अर्थमें व्यवहृत होता हुआ देखा जाता है, इसलिये यहाँपर लोककल्याणशब्दसे 'जगत्के प्राणिसमूहका कल्याण' अर्थ ग्रहण करना चाहिये । कोई-कोई दर्शन प्राणियोंके दृश्य और अदृश्य दो भेद स्वीकार करते हैं और किन्ही-किन्ही दर्शनोंमें सिर्फ दृश्य प्राणियोंके अस्तित्वको ही स्वीकार किया गया है । दृश्य प्राणी भी दो तरह के पाये जाते हैं—एक प्रकारके दृश्य प्राणी वे हैं जिनका जीवन प्रायः समष्टि-प्रधान रहता है । मनुष्य इन्ही समष्टि-प्रधान जीवनवाले प्राणियोंमें गिना गया है क्योंकि मनुष्योंके सभी जीवन-व्यवहार प्रायः एक-दूसरे मनुष्योंकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायता-पर ही निर्भर हैं, मनुष्योंके अतिरिक्त शेष सभी दृश्य प्राणी पशु-पक्षी, सर्प-बिच्छू, कीट-पतंग वगैरह व्यक्ति-प्रधान जीवनवाले प्राणी कहे जा सकते हैं क्योंकि इनके जीवन-व्यवहारोंमें मनुष्यों जैसी परस्परकी सद्भावना, सहानुभूति और सहायताकी आवश्यकता प्रायः देखनेमें नहीं आती है । इस व्यक्ति-प्रधान जीवनकी समानताके कारण ही इन पशु-पक्षी आदि प्राणियोंको जैनदर्शनमें 'तिर्यग्' नामसे पुकारा जाता है । कारण कि 'तिर्यग्' शब्दका समानता अर्थमें भी प्रयोग देखा जाता है । सभी भारतीय दर्शनकारोंमें अपने-अपने दर्शनके विकासमें अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार यथायोग्य जगत्के इन दृश्य और अदृश्य प्राणियोंके कल्याणका ध्यान अवश्य रखा है । चार्वाकदर्शनको छोड़कर उल्लिखित सभी भारतीयदर्शनोंमें प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोकका समर्पण किया गया है । इसलिये इन दर्शनोंके आधिभौतिककी लोककल्याणभावनाके प्रति तो संदिग्ध करनेकी नुजाइश ही नहीं है लेकिन उपलब्ध साहित्यसे जो थोडा बहुत चार्वाकदर्शनका हमें विवरण होता है उससे उसके (चार्वाकदर्शनके) आधिभौतिककी भी लोककल्याणभावनाका पता हमें सहज न ही लग जाता है ।

“श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था ॥”

इस पद्यमें हमें चार्वाकदर्शनकी आत्माका स्पष्ट आमान मिल जाता है । हम पद्यका आशय यह है कि ‘धर्म मनुष्यके कर्त्तव्यमार्गका नाम है और वह जब लोककल्याणके लिये है तो उसे अच्छे एकरूप होना चाहिये, नानारूप नहीं, लेकिन धर्मतत्त्वकी प्रतिपादक श्रुतियाँ और स्मृतियाँ नाना और परस्परविरोधी अर्थको कहने वाली देखी जाती हैं । हमारे धर्मप्रवर्तक महात्माओंने भी धर्मतत्त्वका प्रतिपादन एकरूपसे न करके भिन्न-भिन्न रूपसे किया है । इसलिये इनके (धर्मप्रवर्तक महात्माओंके) वचनोंको भी सर्वसम्मत प्रमाण मानना असंभव है । ऐसी हालतमें धर्मतत्त्व साधारण मनुष्योंके लिये गूढ पहेली बन गया है अर्थात् धर्मतत्त्वकी समझनेमें हमारे लिये श्रुति, स्मृति या कोई भी धर्मप्रवर्तक सहायक नहीं हो सकता है । इसलिये धर्मतत्त्वकी पहेलीमें न उलझ करके हमें अपने कर्त्तव्यमार्गका निर्णय महापुरुषोंके कर्त्तव्यमार्गके आधारपर ही करते रहना चाहिये । तात्पर्य यह है कि महापुरुषोंका प्रत्येक कर्त्तव्य स्वपरवत्याणके लिये ही होता है । इसलिये हमारा जो कर्त्तव्य स्वपरकल्याणविरोधी न हो उसे ही अविवादरूपसे हमको धर्म समझ लेना चाहिये ।”

मालूम पड़ता है कि चार्वाक दर्शनके आधिष्ठातृका अन्त करण अवश्य ही धर्मके बारेमें पैदा हुए लोककल्याणके लिये खतरनाक मतभेदोंसे ऊब चुका था । इसलिये उसने लोकके समक्ष इस बातको रखनेका प्रयत्न किया था कि जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और नरक तथा भूमिकी चर्चा—जो कि विवादके कारण जनहितकी घातक हो रही है—को छोड़कर हमें केवल ऐसा मार्ग चुन लेना चाहिये जो जनहितका साधक हो सकता है और ऐसे कर्त्तव्यमार्गमें किसीको भी विवाद करनेकी कम गुंजाइश रह सकती है ।

“यावज्जीवं सुखी जावेत् ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गगमनं कुत ॥”

यह जो चार्वाक दर्शनकी मान्यता बतलाई जाती है वह कुछ भ्रममूलक जान पड़ती है अर्थात् यह उन लोगोंका चार्वाकदर्शनके बारेमें आक्षेप है जो सांप्रदायिक विद्वेषके कारण चार्वाकदर्शनको सहन नहीं कर सकते थे ।

समस्त दर्शनोंमें बीजरूपसे इस उपयोगितावादकी स्वीकार लेने पर ये सभी दर्शन जो एक-दूसरेके अत्यन्त विरोधी मालूम पड़ रहे हैं, ऐसा न होकर अत्यन्त निकटतम मित्रोंके समान दिखने लगेंगे अर्थात् उक्त प्रकारसे चार्वाक दर्शनमें छिपे हुए उपयोगितावादके रहस्यको समझ लेनेपर कौन कह सकता है कि उसका (चार्वाकदर्शनका) परलोकान्तिके बारेमें दूसरे दर्शनोंके साथ जो मतभेद है वह खतरनाक है क्योंकि जहाँ दूसरे दर्शन परलोकान्तिके आधार मानकर हम मनुष्योचित कर्त्तव्यमार्ग पर चलनेकी प्रेरणा करते हैं वहीं चार्वाक दर्शन सिर्फ वर्तमान जीवनको सुखी बनानेके उद्देश्यसे ही हमें मानवोचित कर्त्तव्यमार्गपर चलनेकी प्रेरणा करता है । चार्वाकदर्शनकी इस मान्यताका दूसरे दर्शनोंकी मान्यताके साथ समानतामें हेतु यह है कि परलोकान्तिके अस्तित्वको स्वीकार करनेके बाद भी सभी दर्शनकारोंको इस वैज्ञानिक सिद्धान्त पर बाना पड़ता है कि “मनुष्य अपने वर्तमान जीवनमें अच्छे कृत्य करके ही परलोकमें सुखी हो सकता है या स्वर्ग पा सकता है ।” इसलिये चार्वाक मतका अनुयायी यदि अपने वर्तमान जीवनमें अच्छे कृत्य करता है तो परलोक या स्वर्गके अस्तित्वको न मानने मानसे उसे परलोकमें सुख या स्वर्ग पानेसे कौन रोक सकता है ? अन्यथा इसी तरह नरकका अस्तित्व न माननेके सबब पाप करनेपर भी उसका नरकमें जाना कौन संभव हो सकेगा ? तात्पर्य यह है कि एक प्राणी नरकके अस्तित्वको न मानते हुए भी बुरे कृत्य करके यदि नरक जा सकता है तो दूसरा प्राणी स्वर्गके अस्तित्वको न मानते हुए अच्छे कृत्य करके स्वर्ग भी जा सकता है । परलोक तथा

स्वार्थिके अस्तित्वको न मानने वाला व्यक्ति अच्छे कृत्य कर ही नहीं सकता है, यह बात कोई भी बिबेकी व्यक्ति माननेको तैयार न होना, कारणकि हम पहले बतला आये हैं कि मनुष्यका जीवन परस्परकी सज्जवना, सहानुभूति और सहायताके आधारपर ही सुखी हो सकता है। यदि एक मनुष्यको अपना जीवन सुखी बनानेके लिये सम्पूर्ण साधन उपलब्ध हैं और दूसरा उसका पड़ोसी मनुष्य चार दिनसे भूखा पडा हुआ है तो ऐसी हालतमें या तो पहिले व्यक्तिके दूसरे व्यक्तिके बारेमें सहायताके रूपमें अपना कोई न कोई कर्तव्य निश्चित करना होगा, अन्यथा नियमसे दूसरा व्यक्ति पहिले व्यक्तिके सुखी जीवनको टेन पट्टैयानेका निमित्त बन जायेगा। तात्पर्य यह है कि हमें परलोककी मान्यतासे अच्छे कृत्य करनेकी जितनी प्रेरणा मिल सकती है उससे भी कहीं अधिक प्रेरणा वर्तमान जीवनको सुखी बनानेकी आकांक्षासे मिलती है, चार्वाकदर्शनका अभिप्राय इतना ही है।

बौद्धिके क्षणिकवाद और ईश्वरकर्तृत्ववादियोंके ईश्वरकर्तृत्ववादमें भी यही उपयोगितावादका रहस्य छिपा हुआ है। बौद्धदर्शनमें एक वाक्य पाया जाता है—“वस्तुनि क्षणिकत्वपरिकल्पना आत्मबुद्धिनिरासार्थम्” अर्थात् पदार्थोंमें जगत्के प्राणियोंके अनुचित राग, द्वेष और मोहको रोकनेके लिये ही बौद्धोंने पदार्थोंकी अस्थिरताका मिद्वान्त स्वीकार किया है। इसी प्रकार जगत्का कर्ता अनादि-निधन एक ईश्वरको मान लेनेसे संसारके बहुजन समाजको अपने जीवनके सुधारमें काफ़ी प्रेरणा मिल सकती है। तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति पदार्थोंकी क्षणभंगुरता स्वीकार करके उनसे विरक्त होकर यदि आत्मकल्याणकी खोज कर सकता है और दूसरा व्यक्ति ईश्वरको कर्ता-वर्ता मान करके उसके भयसे यदि अनथोसि बच सकता है तो इस तरह उन दोनों व्यक्तियोंके लिये क्षणिकत्ववाद और ईश्वरकर्तृत्ववाद दोनोंकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसलिये इन दोनों मान्यताओंके बीचियेके बारेमें “पदार्थ क्षणिक हो सकता है या नहीं? जगत्का कर्ता ईश्वर है या नहीं?” इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर विचार न करके “क्षणिकत्ववाद अथवा ईश्वरकर्तृत्ववाद लोककल्याणके लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं या नहीं?” इत्यादि प्रश्नोंके आधारपर ही विचार करना चाहिये।

साक्ष्य और वेदान्तदर्शनोंकी पदार्थमान्यतामें उपयोगितावादकी स्पष्ट झलक दिवाई देती है, इसका स्पष्टीकरण ‘षड्व्ययमान्यताके’ प्रकरणमें किया जायगा।

मीमांसादर्शनका भी आधार मनुष्यको स्वर्ग प्राप्तिके उद्देश्यसे यागदि कार्योंमें प्रवृत्त कराने रूप उपयोगितावाद ही है तथा जैनदर्शनमें तो उपयोगितावादके आधारपर सततत्वमान्यता और अस्तित्ववादके आधारपर षड्व्ययमान्यता इस प्रकार पदार्थव्यवस्थाको ही अलग-अलग दो भागोंमें विभक्त कर दिया गया है।

इस तरहने समस्त भारतीयदर्शनोंमें मूलरूपसे उपयोगितावादके विद्यमान रहते हुए भी अफसोस है कि धीरे-धीरे सभी दर्शन उपयोगितावादके मूलभूत आधारसे निकल कर अस्तित्ववादके उदरमें समा गये अर्थात् प्रत्येक दर्शनमें अपनी व दूसरे दर्शनकी प्रत्येक मान्यताके विषयमें अमुक मान्यता लोककल्याणके लिये उपयोगी है या नहीं? इस दृष्टिसे विचार न होकर ‘अमुक मान्यता संभव ही सकती है या नहीं?’ इस दृष्टिसे विचार होने लग गया और इसका यह परिणाम हुआ कि सभी दर्शनकारोंने अपने-अपने दर्शनोंके भीतर उपयोगिता और अनुपयोगिताकी ओर ध्यान न देते हुए अपनी मान्यताको संभव और सत्य तथा दूसरे दर्शनकारोंकी मान्यताको असंभव और असत्य सिद्ध करनेका दुराग्रहपूर्ण एवं परस्पर कलह पैदा करने वाला ही प्रयास किया है।

३. सप्ततरव

ऊपर बतलाये गये दर्शनोंमें परलोक, स्वर्ग, नरक और मुक्तिकी मान्यताके विषयमें जो मतभेद पाया जाता है उसके आधारपर उन दर्शनोंमें लोककल्याणकी सीमा भी यथासंभव भिन्न-भिन्न प्रकारसे निश्चित की गयी है। चार्वाकदर्शनमें प्राणियोंका जन्मान्तररूप परलोक, पुण्यका फल परलोकमें सुखप्राप्तिका स्थान स्वर्ग, पापका फल परलोकमें दुःखप्राप्तिका स्थान नरक और प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परम्परारूप संसारका सर्वथा विच्छेदस्वरूप निःश्रेयसका स्थान मुक्ति इन तत्त्वोंकी मान्यता नहीं है इसलिये बहूपर लोककल्याणकी सीमा प्राणियोंके और विशेषकर मानवसमाजके वर्तमान जीवनकी सुख-शान्तिको लक्ष्य करके ही निर्धारित की गयी है और इसी लोककल्याणको ध्यानमें रखकरके ही वहाँ पदार्थोंकी व्यवस्थाको स्थान दिया गया है। मीमांसादर्शनमें यद्यपि प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरारूप संसारका सर्वथा विच्छेद स्वरूप निःश्रेयस और उसका स्थान मुक्ति इन तत्त्वोंकी मान्यता नहीं है। बहूपर स्वर्गसुखको ही निःश्रेयस पदका और स्वर्गको ही मुक्तिपदका वाच्य स्वीकार किया गया है, फिर भी प्राणियोंका जन्मान्तररूप परलोक, पुण्यका फल परलोकमें सुखप्राप्तिका स्थान स्वर्ग और पापका फल परलोकमें दुःखप्राप्तिका स्थान नरक इन तत्त्वोंको वहाँ अवश्य स्वीकार किया गया है। इसलिये बहूपर लोककल्याणकी सीमा प्राणियोंके वर्तमान (ऐहिक) जीवनके साथ-साथ परलोककी सुखशान्तिको ध्यानमें रखकर निर्धारित की गई है और इसी लोककल्याणको ध्यानमें रखकरके ही वहाँ पदार्थ-व्यवस्थाको स्थान दिया गया है। चार्वाक और मीमांसा दर्शनोंके अतिरिक्त शेष उल्लिखित वैदिक और अवैदिक सभी दर्शनोंमें उक्त प्रकारके परलोक, स्वर्ग और नरककी मान्यताके साथ-साथ प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरारूप संसारका सर्वथा विच्छेदस्वरूप निःश्रेयस और निःश्रेयसका स्थान मुक्तिकी मान्यताको भी स्थान प्राप्त है। इसलिये इन दर्शनोंमें लोककल्याणकी सीमा प्राणियोंके ऐहिक और पारलौकिक सुख-शान्तिके साथ-साथ उक्त निःश्रेयस और मुक्तिको भी ध्यानमें रखते हुए निर्धारित की गयी है और इसी लोककल्याणके आधारपर ही इन दर्शनोंमें पदार्थव्यवस्थाको स्वीकार किया गया है।

तात्पर्य यह है कि चार्वाक दर्शनको छोड़कर परलोकको माननेवाले मीमांसादर्शनमें और परलोकके साथ-साथ मुक्तिको भी माननेवाले सांख्य, वेदान्त, योग, न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध दर्शनोंमें जगत्के प्रत्येक प्राणीके शरीरमें स्वतंत्र और शरीरके साथ मूल-मिल करके रहनेवाला एक चित्क्षान्तिविशिष्ट तत्त्व स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वसाधारण मनुष्योंके लिये इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है और न ऐसा कोई विशिष्ट पुरुष ही वर्तमानमें मौजूब है जिसको इसका प्रत्यक्ष हो रहा हो। परन्तु इतना अवश्य है कि प्रत्येक प्राणीमें दूसरे प्राणियोंकी प्रेरणाके बिना ही जगत्के पदार्थोंके प्रति राग, द्वेष या मोह करना अथवा विरक्ति अर्थात् समताभाव रखना, तथा हर्ष करना, विषाद करना दूसरे प्राणियोंका अपकार करना, पश्चात्ताप करना, परोपकार करना, हंसना, रोना, सोचना, समझना, सुनना, देखना, सूँचना, खाना, पीना, बोलना, बैठना, चलना, काम करना, धक जाना, विस्तान्त लेना, पुनः काममें जुट जाना, सोना, जागना और पैदा होकर छोटे-से बड़ा होना इत्यादि यथासंभव जो विशिष्ट व्यापार पाये जाते हैं वे सब व्यापार प्राणिवर्गको लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, मकान, कपड़ा, बर्तन, कुर्सी, टेबुल, सोना चाँदी, लोहा, पीतल, चट्टी, चट्टी, ग्रामोफोन, रेडियो, सिनेमाके चित्र, मोटर, रेलगाडी, टैंक, हवाई जहाज और उडनबम आदि व्यापारसुभ्य तथा प्राणियोंकी प्रेरणा पाकर व्यापार करनेवाले पदार्थोंसे पृथक् कर देते हैं और इन व्यापारोंके आधारपर ही उक्त दर्शनोंमें यह स्वीकार कर लिया गया है कि प्रत्येक प्राणीके शरीरमें शरीरसे पृथक् एक-एक ऐसा तत्त्व भी विद्यमान है, जिसकी प्रेरणासे ही प्रत्येक प्राणीमें उल्लिखित विशिष्ट व्यापार हुआ करते हैं। इस तत्त्वको सभी दर्शन, चित्-

शक्तिविशिष्ट स्वीकार करते हैं तथा अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार सभी दर्शान इसको पुरुष, आत्मा, जीव, जीवात्मा, ईश्वराद्य या परब्रह्माद्य आदि यथायोग्य अलग नामोसे उल्लेख करते हैं ।

प्रत्येक प्राणीके शरीरमें एक-एक चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वके अस्तित्वकी ममान स्वीकृति रहने हुए भी उक्त दर्शानोमें कोई-कोई दर्शान तो इन सभी चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोको परस्पर मूलतः ही पृथक्-पृथक् स्वीकार करते हैं और कोई-कोई ईश्वर या परब्रह्मके एक-एक अंशके रूपमें इन्हे पृथक्-पृथक् स्वीकार करते हैं । अर्थात् कोई-कोई दर्शान उक्त चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोकी स्वतंत्र अनादि सत्ता स्वीकार करते हैं और कोई दर्शान उनकी नित्य और व्यापक ईश्वर या परब्रह्मसे उत्पत्ति स्वीकार करके एक-एक चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोको उक्त ईश्वर या परब्रह्मका एक-एक अंश मानते हैं, उन्हें मूलतः पृथक्-पृथक् नहीं मानते हैं । साक्ष्य, भीमासा आदि कुछ दर्शानोंके साथ-साथ जैनदर्शन भी संपूर्ण चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोकी स्वतंत्र अनादि सत्ता स्वीकार करके उन्हें परस्पर भी पृथक्-पृथक् ही मानता है ।

उक्त प्रकारसे चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साक्ष्य, वेदान्त, भीमासा, योग, न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध ये सभी दर्शान प्राणियोको समय-समयपर होनेवाले सुख तथा दुःखका भोगता उन प्राणियोके अपने-अपने शरीरमें रहनेवाले चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोकी स्वीकार करते हैं सभी दर्शानोकी इस समान मूलमन्यताके आधारपर उनमें (सभी दर्शानोमें) ममानरूपमें निम्नलिखित चार सिद्धान्त स्थिर हो जाते हैं—

(१) प्रत्येक प्राणीके अपने-अपने शरीरमें मौजूद तथा भिन्न-भिन्न दर्शानोमें पुरुष, आत्मा, जीव, जीवात्मा, ईश्वराद्य या परब्रह्माद्य आदि यथायोग्य भिन्न-भिन्न नामोसे पुकारे जानेवाले प्रत्येक चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वका अपने-अपने शरीरके साथ आबद्ध होनेका कोई-न-कोई कारण अवश्य है ।

(२) जब कि प्राणियोके उल्लिखित विशिष्ट व्यापारोके प्रादुर्भाव और सर्वथा विच्छेदके आधारपर प्रत्येक चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वकी अपने-अपने वर्तमान शरीरके साथ प्राप्त हुई बद्धताका जन्म और मरणके रूपमें आदि तथा अन्त देखा जाता है तो मानना पड़ता है कि ये सभी चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व सौम्य काल तत् ही अपने-अपने वर्तमान शरीरमें आबद्ध रहते हैं । ऐसी हालतमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अपने-अपने वर्तमान शरीरके साथ आबद्ध होनेसे पहले ये चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व किस रूपमें विद्यमान रहे होंगे ? यदि कहा जाय कि अपने-अपने वर्तमान शरीरके साथ आबद्ध होनेसे पहले वे सभी चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व शरीरके बन्धनसे रहित बिल्कुल स्वतंत्र थे, तो प्रश्न उठता है कि इन्हे अपने-अपने वर्तमान शरीरके साथ आबद्ध होनेका कारण अकस्मात् कैसे प्राप्त हो गया ? इस प्रश्नका उचित समाधान न मिल सकनेके कारण चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले उक्त सभी दर्शानोमें यह बात स्वीकार की गयी है कि अपने-अपने वर्तमान शरीरके साथ आबद्ध होनेसे पूर्व भी ये सभी चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व किसी दूसरे अपने-अपने शरीरके साथ आबद्ध रहे होंगे और उससे भी पूर्व किसी दूसरे-दूसरे अपने-अपने शरीरके साथ आबद्ध रहे होंगे । इस प्रकार सभी चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोकी शरीरबद्धताकी यह पूर्वपरंपरा इनकी स्वतंत्र अनादि सत्ता स्वीकार करनेवाले दर्शानोकी अपेक्षा अनादिकाल तक और ईश्वर या परब्रह्मसे इनकी उत्पत्ति स्वीकार करनेवाले दर्शानोकी अपेक्षा ईश्वर या परब्रह्मसे जबसे इनकी उत्पत्ति स्वीकार की गयी है तब तक माननी पड़ती है ।

(३) चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोकी शरीरबद्धताका कारण उनका स्वभाव है—यह मानना असंगत है, कारण कि एक तो स्वभाव परतन्त्रताका कारण ही नहीं हो सकता है । दूसरे, स्वभावसे प्राप्त हुई परतन्त्रताकी हालतमें उन्हें दुःस्नानुभवन नहीं होना चाहिये, लेकिन दुःस्नानुभवन होता है । इसलिये सभी चित्शक्तिविशिष्ट

दृष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धताका कारण स्वभावसे भिन्न किमी दूसरी चीजको ही मानना युक्तियुक्त जान पड़ता है और इसीलिये सांख्यदर्शनमें त्रिगुणात्मक (सत्त्व-रजस्तमोगुणात्मक) अचित् प्रकृतिको, वेदान्तदर्शनमें असत् कही जानेवाली अविद्याको, मीमांसादर्शनमें चित्तव्यतिविशिष्ट तत्त्वोंमें विद्यमान अणुद्वि (बोध) को, ईश्वरकृतत्व-वाची योग, न्याय और वैशेषिक दर्शनोंमें इच्छा, ज्ञान और कृति शक्तित्रयविशिष्ट ईश्वरको, जैनदर्शनमें अचित् कर्म (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि द्रव्योंका सजातीय पौद्गलिक वस्तुविशेष) को और बौद्धदर्शनमें विपरीताभिनिवेशस्वरूप अविद्याको उसका कारण स्वीकार किया गया है। इनमेंसे योग, न्याय और वैशेषिक दर्शनोंमें माना गया ईश्वर उनकी मान्यताके अनुसार चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंके साथ अंबद्ध रहते हुए भी उनके मन, वचन और शरीर सम्बन्धी पुण्य एवं पापरूप कृत्योंके आधारपर सुख तथा दुःखके भोगमें सहायक शरीरके साथ उन्हें आबद्ध करना रहता है। शेष सांख्य आदि दर्शनोंमें चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धतामें माने गये प्रकृति आदि कारण उन चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोंके साथ किसी-न-किसी रूपमें संबद्ध रहते हुए ही उनके मन, वचन और शरीर सम्बन्धी पुण्य एवं पापरूप कृत्योंके आधारपर सुख तथा दुःखके भोगमें सहायक शरीरके साथ उन्हें आबद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धताकी जिस पूर्व-परम्पराका उल्लेख पहले किया जा चुका है उसकी गगतिके लिये योग, न्याय और वैशेषिक दर्शनोंमें ईश्वरको शाश्वत (अनादि और अनिघन) मान लिया गया है तथा एक जैनदर्शनकी छोटकर शेष सांख्य आदि सभी दर्शनोंमें चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंके साथ प्रकृति आदिके सम्बन्धको यथायोग्य अनादि अथवा ईश्वर या परम्परा-रूपसे उनकी (चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंकी) उत्पत्ति होनेके समयमें स्वीकार किया गया है। जैनदर्शनमें चित्शक्ति-विशिष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धतामें कारणभूत कर्मके सम्बन्धको तो सादि स्वीकार किया गया है परन्तु उनकी उस शरीरबद्धताको पूर्वोक्त अविच्छिन्न परम्पराकी गगतिके लिये बहूपर (जैनदर्शनमें) शरीरसम्बन्धकी अविच्छिन्न अनादि परम्पराकी तरह उसमें कारणभूत कर्मसम्बन्धकी भी अविच्छिन्न अनादि परम्पराको स्वीकार दिया गया है और इसका आशय यह है कि यदि चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धतामें कारणभूत उक्त कर्मसम्बन्ध को अनादि माना जायगा तो उक्त कर्मसम्बन्धको कारण रहित स्वाभाविक ही मानना होगा, लेकिन ऐसा मानना हमलिये असंगत है कि इस तरहसे प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखको परंपरास्वरूप संसारका सर्वथा विच्छेदके अभावका प्रमंग प्राप्त होगा, जो कि सांख्य, वेदान्त, योग, न्याय, वैशेषिक, जैन और बौद्ध इन दर्शनों मेंसे किसी भी दर्शनको अभीष्ट नहीं है। मीमांसादर्शनमें जो प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरास्वरूप संसारका सर्वथा विच्छेद नहीं स्वीकार किया गया है उसका सबब यही है कि वह चित्शक्तिविशिष्ट तत्त्वोंमें विद्यमान अणुद्विके सम्बन्धको अनादि होनेके गन्ध वारणरहित स्वाभाविक स्वीकार करता है। परन्तु जो दर्शन प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरास्वरूप संसारका सर्वथा विच्छेद स्वीकार करते हैं उन्हें चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वोंकी शरीरबद्धतामें कारणरूपसे स्वीकृत पदार्थके सम्बन्धको कारणरहित—अस्वाभाविक ही मानना होगा और ऐसा तभी माना जा सकता है जबकि उस सम्बन्धको सादि माना जायगा। यही सबब है कि जैनदर्शनमें मान्य प्राणियोंके जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरास्वरूप संसारके सर्वथा विच्छेदको गगतिके लिये बहूपर (जैनदर्शनमें) शरीरसम्बन्धमें कारणभूत कर्मके सम्बन्धको तो सादि माना गया है और शरीरसम्बन्धकी पूर्वोक्त अनादि परम्पराकी संगतिके लिये उस कर्मसम्बन्धकी भी अविच्छिन्न परम्पराको अनादि स्वीकार किया गया है। इसकी व्यवस्था जैनदर्शनमें निम्न प्रकार बतलायी गयी है—

जैनदर्शनमें कामाग्निवर्गणा नामका चित्शक्तितसे रहित तथा रूप, रस गंध और स्पर्श गुणोंसे युक्त होनेके कारण पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्त्वोंका सजातीय एक पौद्गलिक तत्त्व स्वीकार किया गया है। यह तत्त्व बहुत ही सूक्ष्म है और पृथ्वी आदि तत्त्वोंकी ही तरह माना परमाणुपुंजमें विभक्त होकर समस्त-

लोककाष्ठमें सर्वथा अवस्थित रहता है। प्राणियोंकी मन, वचन और शरीरके जरिये पुण्य एवं पापरूप कार्योंमें जो प्रवृत्ति देखी जाती है उस प्रवृत्तिसे उस कामनिवर्गणाके यथायोग्य बहुतेसे परमाणुओंके पुंज-के-पुंज उन प्राणियोंके शरीरमें रहने वाले चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंके साथ चिपट जाते हैं अर्थात् अनिसे तपा हुआ लोहेका गोला पानीके बीचमें पड जानेसे जिस प्रकार चारों ओरसे पानीको धींचता है उसी प्रकार अपने मन, वचन और शरीर सम्बन्धी पुण्य एवं पापरूप कृत्यों द्वारा गरम हुआ (प्रभावित) उक्त चित्साक्षितविशिष्टतत्त्व समस्त लोकमें व्याप्त कामनिवर्गणाके बीचमें पडजानेके कारण चारों ओरसे उस कामनिवर्गणाके यथायोग्य परमाणु-पुंजोंको धींच लेता है और इस तरहसे कामनिवर्गणाके जितने परमाणुपुंज जबतक चित्साक्षितविशिष्टतत्त्वोंके साथ चिपटे रहते हैं तबतक उन्हें जैनदर्शनमें 'कर्म' नामसे पुकारा जाता है तथा इस कर्मसे प्रभावित होकरके ही प्रत्येक प्राणी अपने मन, वचन और शरीर द्वारा पुण्य एवं पापरूप कृत्य किया करता है अर्थात् प्राणियोंकी उक्त पुण्य एवं पापरूप कार्योंमें प्रवृत्ति करानेवाले ये कर्म ही हैं। प्राणियोंकी पुण्य एवं पापरूप कार्योंमें प्रवृत्ति करा देनेके बाद इन कर्मोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है और ये उस हालतमें चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंसे पुण्य होकर अपना वही पुराना कामनिवर्गणाका रूप अथवा पृथ्वी आदि स्वरूप दूसरा और कोई पौष्गलिक रूप धारण कर लेते हैं।

यहापर यह सासरीरसे ध्यानमें रखने लायक बात है कि इन कर्मोंके प्रभावसे प्राणियोंकी जो उक्त पुण्य एवं पापरूप कार्योंमें प्रवृत्ति हुआ करती है उस प्रवृत्तिसे उन प्राणियोंके अपने-अपने शरीरमें रहनेवाले चित्साक्षितविशिष्टतत्त्व कामनिवर्गणाके दूसरे यथायोग्य परमाणुपुंजोंके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और इस तरहसे चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंकी पूर्वोक्त शरीरसम्बन्धपरम्पराकी तरह उसमें कारणभूत कर्मसम्बन्धकी परम्परा भी अनादिकालसे अविच्छिन्नरूपमें चली आ रही है। अर्थात् जिस प्रकार वृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष की उत्पत्ति होते हुए भी उनकी यह परम्परा अनादिकालसे अविच्छिन्न रूपमें चली आ रही है उसी प्रकार कर्मसम्बन्धसे चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंका शरीरके साथ सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्धशरीरकी सहायतासे प्राणी पुण्य एवं पापरूप कार्य किया करते हैं। उन कार्योंसे उनके साथ पुनः कर्मोंका बन्ध हो जाता है और कर्मोंका यह बन्धन उन्हें दूसरे शरीरके साथ सम्बन्ध करा देता है। इस तरहसे यह कर्मसम्बन्धपरम्परा भी अनादिकाल से अविच्छिन्न रूपमें चलती रहती है।

इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरके साथ चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंके आबद्ध होनेका कारण साध्य, वेदान्त, मीमांसा, योग, न्याय, वैशेषिक जैन और बौद्ध इन सभी दर्शनोंमें स्वल्प तथा कारणताके प्रकारकी अपेक्षा यद्यपि यथायोग्य भिन्न-भिन्न बतलाया गया है तथापि इस बातमें ये सभी दर्शन एकमत हैं कि शरीरके साथ चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंके आबद्ध होनेका कारण अतिरिक्त पदार्थ है।

(४) उल्लिखित तीन सिद्धान्तोंके साथ-साथ एक चौथा जो सिद्धान्त इन दर्शनोंमें स्थिर होता है वह यह है कि जब चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्वोंका शरीरके साथ सबद्ध होना उनसे अतिरिक्त कारणके अधीन है तो इस शरीरसंबन्धपरंपराका उक्त कारणके साथ-साथ मूलतः विच्छेद भी किया जा सकता है। परन्तु इस चौथे सिद्धान्तको मीमांसादर्शनमें नहीं स्वीकार किया गया है क्योंकि पहले बतलाया जा चुका है कि मीमांसादर्शनमें शरीरसम्बन्धमें कारणभूत अष्टादिके सम्बन्धको अनादि होनेके सबब अकारण स्वीकार किया गया है। इसलिये उसकी मान्यताके अनुसार इस सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होना असंभव है।

इन सिद्धान्तोंके फलित अर्थके रूपमें निम्नलिखित पौष तत्त्व कायम किये जा सकते हैं—(१) नाना चित्साक्षितविशिष्ट तत्त्व, (२) इनका शरीरसम्बन्धपरंपरा अथवा मुख-दुःख परंपरारूप संसार, (३) संसारका कारण, (४) संसारका सर्वथा विच्छेद स्वल्पमुक्ति और (५) मुक्तिका कारण।

धार्मिक दर्शनमें इन पाँचों तत्त्वोंको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि ये पाँचों तत्त्व परलोक तथा मुक्तिकी मान्यतासे ही सम्बन्ध रखते हैं। मीमांसादर्शनमें इनमेंसे आदिके तीन तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं, क्योंकि आदिके तीन तत्त्व परलोककी मान्यतासे सम्बन्ध रखते हैं और मीमांसादर्शनमें परलोककी मान्यताको स्थान प्राप्त है। परन्तु वहाँ पर (मीमांसादर्शनमें) भी मुक्तिकी मान्यताको स्थान प्राप्त न होनेके कारण अन्तके दो तत्त्वोंको नहीं स्वीकार किया गया है। शेष सात्त्व, वेदान्त, योग, न्याय और वैशेषिक तथा जैन और बौद्धदर्शनमें इन पाँचों तत्त्वोंको स्वीकार गया गया है, क्योंकि इन दर्शनोमें परलोक और मुक्ति दोनोंकी मान्यताको स्थान प्राप्त है।

जैन संस्कृतिकी जीव, अजीव, आत्म, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्षस्वरूप सप्ततत्त्ववाली जिस पदार्थमान्यताका उल्लेख श्लेषमें किया गया है उसमें उक्त दर्शनोको स्वीकृत इन पाँचों तत्त्वोंका ही समावेश किया गया है अर्थात् सप्ततत्त्वोंमें स्वीकृत प्रथम जीवतत्त्वसे चित्साक्षित्वविशिष्ट तत्त्वका अर्थ लिया गया है, द्वितीय अजीवतत्त्वसे उक्त कार्माणवर्गणात्त्वका अर्थ स्वीकार करते हुए इन दोनों अर्थात् चित्साक्षित्वविशिष्ट-तत्त्व स्वरूप जीवतत्त्व और कार्माणवर्गणात्त्वका अजीवतत्त्वकी सम्बन्धपरम्परारूप मूल संसारका बीधे बन्ध-तत्त्वमें समाविष्ट करके चित्साक्षित्वविशिष्टतत्त्वके शरीरसम्बन्धपरंपरारूप अथवा सुख-दुःखपरंपरारूप संसारको इसीका विस्तार स्वीकार किया गया है। तीसरे आत्मतत्त्वसे उक्त जीव और अजीव दोनों तत्त्वोंकी सम्बन्ध-परंपरारूप मूल संसारमें कारणभूत प्राणियोंके मन, बचन और शरीर सम्बन्धी पुण्य एवं पापका कार्योंका बोध होता है।

तत्त्वव्यवस्थामें बन्ध तत्त्वको बीधा और आत्मतत्त्वको तीसरा स्थान देनेका मतलब यह है कि बन्ध-रूप संसारका कारण आत्म है इसलिये कारणरूप आत्मका उल्लेख कार्यरूप बन्धके पहले करना ही चाहिये और ब्रूँकि इस तत्त्वव्यवस्थाका लक्ष्य प्राणियोंका कल्याण ही माना गया है तथा प्राणियोंकी हीन और उत्तम अवस्थाओंका ही इस तत्त्वव्यवस्थासे हमें बोध होता है। इसलिये तत्त्वव्यवस्थाका प्रधान आधार होनेके कारण इस तत्त्वव्यवस्थामें जीवतत्त्वको पहला स्थान दिया गया है। जीवतत्त्वके बाद दूसरा स्थान अजीवतत्त्वको देनेका सबब यह है कि जीवतत्त्वके साथ इसके (अजीवतत्त्वके) संयोग और वियोग तथा संयोग और वियोगके कारणोंको ही शेष पाँच तत्त्वोंमें संगृहीत किया गया है।

सातवें मोक्षतत्त्वसे कर्मसम्बन्धपरंपरासे लेकर शरीरसम्बन्धपरंपरा अथवा सुख-दुःखपरंपरारूप संसारका सर्वथा विच्छेद अर्थ लिया गया है और ब्रूँकि प्राणियोंकी यह अन्तिम प्राप्य और अविनाशी अवस्था है इसलिये इसको तत्त्वव्यवस्थामें अन्तिम सातवाँ स्थान दिया गया है।

पाँचवें संवरतत्त्वका अर्थ संसारके कारणभूत आत्मका रोकना और छठे निर्जरातत्त्वका अर्थ सबद्ध कर्मों अर्थात् संसारको समूल नष्ट करनेका प्रयत्न करना स्वीकार किया गया है। तात्पर्य यह है कि जब पूर्वोक्त संसारके आत्यन्तिक विनाशका नाम मुक्ति है तो इस प्रकारकी मुक्तिकी प्राप्तिके लिए हमें संसारके कारणोंका नाश करके संसारके नाश करनेका प्रयत्न करना होगा, संवर और निर्जरा इन दोनों तत्त्वोंकी मान्यताका प्रयोजन यही है और ब्रूँकि इन दोनों तत्त्वोंको सातवें मोक्षतत्त्वकी प्राप्तिमें कारण माना गया है, इसलिये तत्त्वव्यवस्थामें मोक्षतत्त्वके पहले ही इन दोनों तत्त्वोंको स्थान दिया गया है। संवरको पाँचवाँ और निर्जराको छठा स्थान देनेका मतलब यह है कि जिस प्रकार पानीसे भरी हुई नावको डूबनेसे बचानेके लिये नावका बुद्धिमान मालिक पहले तो पानी आनेमें कारणभूत नावके छिद्रको बंद करता है और तब बादमें धरे हुए पानीको नावसे बाहर निकालनेका प्रयत्न करता है उसी प्रकार मुक्तिके इच्छुक प्राणीको पहले तो

कर्मबन्धमें कारणभूत आत्मवको रोकना चाहिये जिससे कि कर्मबन्धकी आगामी परंपरा रुक जाय और तब बादमें बद्ध कर्मोंको नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

यहाँपर इतना और समझ लेना चाहिए कि पूर्ण संवर होजानेके बाद ही निर्जराका प्रारम्भ नहीं माना गया है बल्कि जितने अंशोंमें संवर होना जाता है उतने अंशमें निर्जराका प्रारम्भ भी होता जाता है । इस तरह पानी आनेके छिद्रको बंद करने और नारे हुए पानीको धीरे-धीरे बाहर निकालनेसे जिस प्रकार नाब पानो रहित हो जाती है उसी प्रकार कर्मबन्धके कारणोंको नष्ट करने और बद्ध कर्मोंका धीरे-धीरे विनाश करनेसे अन्तमें जीव भी संसार (जन्म-मरण अथवा सुख-दुःखकी परंपरा) से सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है ।

सांख्य आदि दर्शनोंको यद्यपि पूर्वोक्त पाचो तत्त्व मान्य है । परन्तु उनकी पदार्थव्यवस्थामें जैनदर्शनके साथ परस्पर जो भिन्नभेद पाया जाता है उसका कारण उनका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ही है । तात्पर्य यह है कि सारभूत-मुष्ण-मूलभूत या प्रयोजनभूत पदार्थोंको तत्त्वनामसे पुकारा जाता है । यही सबब है कि जैन दर्शनके दृष्टिकोणके मुताबिक अग्रतम नाना तरहके दूमरे-दूमरे पदार्थोंका अस्तित्व रहते हुए भी तत्त्व शब्दके इसी अभिप्रायको ध्यानमें रखकर प्राणियोंके आत्यन्तिक सुख (मुक्ति) की प्राप्तिमें जिनका समझ लेना प्रयोजनभूत मान लिया गया है उन पूर्वोक्त चित्शक्तिविशिष्टतत्त्व स्वरूप जीव, कार्माणवर्गणास्वरूप अजीव तथा इन दोनोंके संयोगरूप बन्ध और वियोगरूप मुक्ति एवं संयोगके कारणभूत आत्मव और वियोगके कारणस्वरूप संवर और निर्जराकी ही सप्ततत्त्वग्रहणपदार्थव्यवस्थामें स्थान दिया गया है ।

सांख्य दर्शनके दृष्टिकोणके अनुसार मुक्तिप्राप्तिके लिये चित्शक्तिविशिष्टतत्त्वस्वरूप पुरुष तथा इनकी शरीरसम्बन्धपरंपरारूप संसारकी मूलकारण स्वरूप प्रकृति और इन दोनोंके संयोगसे होनेवाले बुद्धि आदि पंच-महाभूत पर्यन्त प्रकृतिविकारोंको समझ लेना ही जरूरी या पर्याप्त मान लिया गया है । इसलिये सांख्यदर्शनमें नानाचित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व, इनका शरीरसम्बन्धपरंपरा अथवा सुख-दुःखपरंपरारूप संसारका कारण, संसारका सर्वथा विच्छेदस्वरूप मुक्ति और मुक्तिका कारण इन पाँचो तत्त्वोंकी मान्यता रहते हुए भी उसकी (सांख्यदर्शनकी) पदार्थव्यवस्थामें सिर्फ पुरुष, प्रकृति और बुद्धि आदि तेईस प्रकृतिविकारोंको ही स्थान दिया गया है ।

जैनदर्शनकी सप्ततत्त्वस्वरूप पदार्थव्यवस्थामें पदार्थव्यवस्थाके साथ यदि सांख्यदर्शनकी पच्चीस तत्त्वस्वरूप पदार्थव्यवस्थाका स्थूल रूपसे समन्वय किया जाय तो कहा जा सकता है कि जैनदर्शनके जीवतत्त्वके स्थानपर सांख्यदर्शनमें पुरुषतत्त्वको और जैनदर्शनके अजीवनत्त्व (कार्माणवर्गणा) के स्थानपर सांख्यदर्शनमें प्रकृतिविकारोंको स्थान दिया गया है तथा जैनदर्शनके बन्धतत्त्वका यदि विस्तार किया जाय तो सांख्यदर्शनकी बुद्धि आदि तेईस तत्त्वोंकी मान्यताका उसके साथ समन्वय किया जा सकता है । इतना समन्वय करनेके बाद इन दोनों दर्शनोंकी मान्यताओंमें सिर्फ इतना भेद रह जाता है कि जहाँ सांख्यदर्शनमें बुद्धि आदि सभी तत्त्वोंको पुरुषसंयुक्त प्रकृतिका विकार स्वीकार किया गया है वहाँ जैनदर्शनमें कुछको तो प्रकृतिसंयुक्त पुरुषका विकार और कुछको पुरुषसंयुक्त प्रकृतिका विकार स्वीकार किया गया है । तात्पर्य यह है कि सांख्यदर्शनके पच्चीस तत्त्वोंकी जैनदर्शनके जीव, अजीव और बन्ध इन तीन तत्त्वोंमें मग्नहीत किया जा सकता है । इस प्रकार सांख्यदर्शनमें पच्चीस तत्त्वोंके रूपमें नानाचित्शक्तिविशिष्ट तत्त्व और इनका शरीरसम्बन्धपरंपरा अथवा सुख-दुःख परंपरारूप संसार ये दो तत्व तो कंठोक्त स्वीकार किये गये हैं । शेष संसारका कारण, संसारका सर्वथा विच्छेद स्वरूप मुक्ति और मुक्तिका कारण इन तीन तत्त्वोंकी मान्यता रहते हुए भी इन्हे पदार्थमान्यतामें स्थान नहीं दिया गया है ।

योगदर्शनमें नाना चित्तशक्तिविशिष्टतत्व, उनका संसार, संसारका कारण, मुक्ति और मुक्तिका कारण इन तत्वोंकी मान्यता रहते हुए भी उसकी पदार्थव्यवस्था करीब-करीब साह्यदर्शन जैसी ही है। विशेषता इतनी है कि योगदर्शनमें पुरुष और प्रकृतिके संयोग तथा प्रकृतिके बुद्धि आदि नेईस तत्वरूप होने वाली परिणतियें सहायक एक शाश्वत ईश्वरगतत्वकी भी स्वीकार किया गया है और मुक्तिके साधनोंका विस्तृत विवेचन भी योगदर्शनमें किया गया है।

सांख्यदर्शनकी पदार्थव्यवस्था योगदर्शनकी तरह वेदान्तदर्शनकी भी मान्य है। लेकिन वेदान्तदर्शनमें उक्त पदार्थव्यवस्थाके मूलमें नित्य, व्यापक और एक परब्रह्म नामक तत्वको स्वीकार किया गया है तथा संसारकी इसी परब्रह्मका विस्तार स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वेदान्तदर्शनमें यद्यपि एक परब्रह्मको ही तत्वरूपसे स्वीकार किया है परन्तु बर्हापर (वेदान्तदर्शनमें) भी प्रत्येक प्राणीके शरीरमें पृथक्-पृथक् रहने वाले चित्तशक्तिविशिष्टतत्वोंको उस परब्रह्मके अंशोंके रूपमें स्वीकार करके उनका अमत् स्वरूप अविद्याके साथ संयोग, इस संयोगके आधारपर उन चित्तशक्तिविशिष्टतत्वोंका सुख-दुःख तथा शरीर-संबन्धकी परम्पारारूप संसार, इस संसारसे छूटकारा स्वरूप मुक्ति और मुक्तिका कारण ये सब बातें स्वीकार की गयी हैं। वेदान्तदर्शनमें परब्रह्मको सत् और मंमारको असत् माननेकी जो दृष्टि है उसका सामञ्जस्य जैनदर्शनकी करणानुयोग-दृष्टि (उपयोगितावाद) से होता है क्योंकि जैनदर्शनमें भी मंमार अथवा शरीरादि जिन पदार्थोंको इन्द्रानुयोग (वास्तविकतावाद) की दृष्टिसे सत् स्वीकार किया गया है उन्हींकी करणानुयोगकी दृष्टिसे असत् स्वीकार किया गया है। तात्पर्य यह है कि जैनदर्शनमें भी करणानुयोगकी दृष्टिसे एक चित्तशक्तिविशिष्ट आत्मतत्वको ही शास्त्रन् होनेके कारण सत् स्वीकार किया गया है और शेष संसारके सभी तत्वोंको अशाश्वत, आत्मकल्याणमें अनुपयोगी अथवा बाधक होनेके कारण असत् (मिथ्या) स्वीकार किया गया है।

इसी प्रकार चित्तशक्तिविशिष्ट तत्व, उनका पूर्वोक्त संसार और संसारका कारण इन तीन तत्वोंकी स्वीकार करने वाले मीमांसादर्शनमें तथा इनके साथ-साथ मुक्ति और मुक्तिके कारण इन दो तत्वोंको मिलाकर पाँच तत्वोंकी स्वीकार करने वाले न्याय, वैशेषिक और बौद्ध दर्शनोंमें भी इनका जैनदर्शनकी तरह जो तत्वरूप से व्यवस्थित विवेचन नहीं किया गया है वह इन दर्शनोंके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणका ही परिणाम है।

इस संपूर्ण कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैनदर्शनकी सत्तत्त्वमय पदार्थव्यवस्था यद्यपि उक्त सभी दर्शनोंकी स्वीकार्य है परन्तु जहाँ जैनदर्शनमें उपयोगितावादके आधारपर उसका सर्वाङ्गीण और व्यवस्थित ढंगसे विवेचन किया गया है वहाँ दूसरे दर्शनोंमें उसका विवेचन सर्वाङ्गीण और व्यवस्थित ढंगसे नहीं किया गया है।

अर्थमें मूल और उसका समाधान

यों तो शब्दोंके अर्थमें कभी-कभी मूल हो जाया करती है और बादमें वह ठीक भी हो जाती है । लेकिन कोई-कोई मूल ऐसी हो जाती है जो कि परम्परामें पहुँच जाती है । फिर उसके विषयमें यह ध्यान भी नहीं होता कि मूल है या नहीं । ऐसे ही कुछ स्थलोंको यहाँपर रखा है आशा है विद्वान पाठक अवश्य विचार करेंगे ।

१. न्यायबीपिका

“असाधारणधर्मवचनं लक्षणमिति केचित्, तदनुपपन्नं लक्ष्यधर्मवचनस्य लक्षणधर्मवचनेन सामानाधिकरण्याभावप्रसंगात् ।”

यह तो मुझे स्मरण नहीं कि गुरुमुखसे इसका क्या अर्थ मैंने सुना था, किन्तु उस समय मुझे इस ग्रंथकी गूढ निवासी पं० बृषभन्द्र जी कृत हिन्दी-टीका देखनेका मौका मिला था, उसमें इन पंक्तिमोका भी अर्थ किया गया है वह मुझे असंगत जान पड़ा । मालूम होता है इस हिन्दी-टीकाके संहारपर ही कम-से-कम विद्यार्थी-समाजमें तो यह अर्थ अवश्य ही माना जाता है ।

हमारी जैन परीक्षाओंमें भी यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है और बहुधा विद्यार्थी भी इनी ढंगसे समाधान करते हैं। अच्छा होता, यदि विद्वान परीक्षक इस अर्थके विषयमें कुछ संकेत करते, लेकिन हमपर आशंक किसीका भी ध्यान नहीं गया । अस्तु, उल्लिखित टीकामें इस प्रकार अर्थ किया गया है—

“कई मतवाले संबंधा असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं, परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि लक्ष्य और लक्षण दोनों एक ही अधिकरणमें रहते हैं ऐसा नियम है । यदि ऐसा न मानोगे तो घटका लक्षण पट भी मानना पड़ेगा, परन्तु प्रवादीके माने हुए लक्षणके अनुसार लक्ष्य तथा लक्षण (का) रहना एक ही अधिकरणमें नहीं बन सकता, क्योंकि उसके मतानुसार लक्षण लक्ष्यमें रहता है और लक्ष्य अपने अवयवोंमें रहता है । जैसे पृथिवीका लक्षण गंध है वह गंध पृथिवीमें रहता है और पृथिवी अपने अवयवोंमें रहती है इसलिये इस लक्षणमें असंभव दोष जाता है ।”

१ यहाँपर टीकाकारने लक्ष्य और लक्षणके विषयमें एक अधिकरणका नियम मानकर उस नियमके अभावमें जो जो यह आपत्ति थी है कि घटका लक्षण पट भी मानना पड़ेगा, वह ठीक नहीं, कारण कि दूध और जल ये दोनों पदार्थ एक पात्रमें रखे जा सकते हैं तो उस अवस्थामें दूध और जलमें परस्परके लक्ष्य लक्षणभावकी आपत्ति एक अधिकरणके माननेपर भी बनी रहती है । रस और रूप तो सर्वदा एक ही अधिकरणमें रहते हैं, इसलिये इनमें तो यह आपत्ति स्पष्ट ही है ।

२. स्वयं न्यायबीपिकाकारने भी लक्ष्य और लक्षणका एक अधिकरण स्वीकार नहीं किया है, अन्निका लक्षण उष्णपना और देवदत्तका लक्षण दण्ड इन दोनों लक्षणोंमें लक्ष्य और लक्षणका एक आधार कोई भी विद्वान स्वीकार नहीं करेगा ।

३. आगे चलकर जो यह लिखा है कि “नैयायिकके मतानुसार लक्षण लक्ष्यमें रहता है और लक्ष्य अपने अवयवोंमें रहता है”, यह लिखना भी ठीक नहीं, कारण एक तो लक्ष्य और लक्षणकी एकाधिकरण्या लक्ष्य-लक्षणभावकी नियामक नहीं, जबकि लक्ष्य सर्वदा लक्षणका आधार ही रहता है । दूसरी बात यह है कि नैयायिकके मतानुसार घुषका लक्षण तो गुणमें रहता है और गुण इन्द्रियमें रहता है न कि अपने अवयवोंमें,

तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि नैयायिकके मतानुसार लक्षण लक्ष्यमें रहता है और लक्ष्य अपने अवयवोंमें रहता है। यद्यपि द्रव्यकी अपेक्षासे यह कथन सम्मत कहा जा सकता है। किन्तु यहाँ पर लक्ष्य-लक्षणभावका सामान्य कथन होनेके कारण ऐसा लिखना समालोच्य अवश्य है।

अब मैं पाठकोंके सामने उस अर्थको रखता हूँ जो संगन मालूम होता है। वचनका अर्थ वाक्य या शब्द होता है। लक्षणके कथनमें दो वाक्य होने हैं—१. लक्ष्यवाक्य, २. लक्षणवाक्य। नैयायिक असाधारण-धर्मवचनको लक्षण मानता है, इसलिये उसके अनुसार जब लक्षण धर्मवचन हुआ तो लक्ष्यको धर्मवचन मानना होगा, कारण किसी पदार्थका आसाधारणधर्म जब उस पदार्थका लक्षण माना जाता है तो लक्ष्यपदार्थ धर्मरूप ही सिद्ध होता है।

“सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्, गंधवती” पृष्ठी” इनमें सम्यग्ज्ञानत्व प्रमाणका और गंधवत्त्व या गंध पृथिवीका लक्षण है इसलिये ‘सम्यग्ज्ञानं’ और ‘गंधवती’ ये दोनों वचन लक्षणवचन हैं और ‘प्रमाणं’ तथा ‘पृथिवी’ ये दोनों लक्ष्यवचन हैं। यहाँपर सम्यग्ज्ञानपदवाक्य जो वस्तु है वही प्रमाणपदवाक्य है तथा गंधवतीपदवाक्य जो वस्तु है वही पृथिवीपदवाक्य है। इस प्रकार लक्ष्यवचन और लक्षणवचनका सामानाधिकरण्य मानना पड़ता है, कारण बिना सामानाधिकरण्यके समानविभक्तिक प्रयोग नहीं हो सकते।

मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तवाले शब्दोंकी एक अर्थमें वृत्तिको सामानाधिकरण्य कहते हैं। यहाँ पर वृत्तिका अर्थ सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध शब्द और अर्थका वाक्य-वाचकभावरूप माना गया है। “सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं” इसमें ‘सम्यग्ज्ञानं’ इस लक्षणवचनका प्रवृत्तिनिमित्त सम्यग्ज्ञानत्व है, ‘प्रमाणं’ इस लक्ष्यवचनका प्रवृत्तिनिमित्त प्रमाणत्व है। इस तरह मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तवाले ये दोनों शब्द एक ही अर्थके बोधक हैं अर्थात् सम्यग्ज्ञान-शब्दसे जिस अर्थका बोध होता है वही अर्थ प्रमाणशब्दसे जाना जाता है, कारण कि जो वस्तु सम्यग्ज्ञान है वही तो प्रमाण है। इसी प्रकार गन्धवत्त्वप्रवृत्तिनिमित्तवाले गन्धवतीशब्दसे जिस अर्थका बोध होता है वही अर्थ पृथिवीत्वप्रवृत्तिनिमित्तवाले पृथिवीशब्दसे जाना जाता है, कारण जो पदार्थ गन्धवान् है वही तो पृथिवी है। इस तरह लक्ष्यवचन और लक्षणवचन एक ही अर्थके प्रतिपादक होनेसे वे सामानाधिकरण्य सिद्ध होते हैं। नैयायिकके मतानुसार लक्ष्यवचन धर्मवचनरूप और लक्षणवचन धर्मवचन रूप ही सिद्ध होते हैं। लेकिन धर्मवचन और धर्मवचन कभी भी एक अर्थके प्रतिपादक नहीं होते हैं—धर्मवचन धर्मका ही प्रतिपादन करता है और धर्मवचन धर्मका ही प्रतिपादन करता है, इसलिये इन दोनोंमें एकार्थप्रतिपादनरूप सामानाधिकरण्यका अभाव प्राप्त होता है, वह उचित नहीं कहा जा सकता है, कारण कि लक्ष्यवचन और लक्षणवचनमें सामानाधिकरण्य “सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं, गन्धवती पृष्ठी” इत्यादि स्थलोंमें माना गया है, इसलिये नैयायिकके द्वारा माना हुआ लक्षणका लक्षण ठीक नहीं है। उसमें असम्भव दोष आता है।

२. आत्मपरीक्षा

“स्यान्मत्तं पृथिव्यत्तेजोबाह्याकाशकालदिगात्ममनामि नवद्रव्याणि। द्रव्यपदस्यार्थं इति (चेत्), कथमेको द्रव्यपदार्थः? सामान्यसंज्ञाभिधानादिति चेन्न सामान्यसंज्ञाया सामान्यवद्विषयत्वात्। तदर्थस्य सामान्यपदार्थत्वे ततो विधेयप्रवृत्तिप्रसगात्; द्रव्यपदार्थस्यैकस्यासिद्धेश्च” (पृष्ठ ४, पुराना संस्करण)।

१. नैयायिक मतानुसार।

२. मिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्मर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्।

—सिद्धान्तकौमुदी व्याकरण, न्या० न० बोधनी टीका।

बहुधा विद्यालयोंमें इस स्थलपर "सामान्यविषयत्वात्" के स्थानमें 'सामान्यविषयत्वात्' ऐसा पाठ सुधार दिया जाता है तथा अभी इस ग्रन्थका नवीन संस्करण कठनेराजीने निकाला है। उसमें तो "वत्" शब्दको बिल्कुल निकाल दिया गया है। मेरी समझसे संशोधकोंका कर्तव्य होना चाहिये कि वे जिस पाठको अशुद्ध समझें उसका पाठान्तर कर दे, यह रीति बहुत ही आदरणीय मानी जा सकती है क्योंकि कहीं-कहींपर शुद्ध पाठको अशुद्ध समझ कर निकाल देनेमें शुद्ध पाठकी खोजके लिये बहुत कठिनाई उठाना पड़ती है।

ऊपर लिखा पाठ ही शुद्ध है। अभी तक जो हमारे विद्वान "वत्" शब्दको निकालकर अर्थ करते जा रहे हैं वह अशुद्ध है। इसका विचार करनेके लिये इस स्थलका अर्थ यहाँ लिखा जाता है।

यहाँपर वाची वैशेषिक द्रव्यपदार्थको एक सिद्ध करना चाहना है। लेकिन वह पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन नवको द्रव्यपदका अर्थ स्वीकार करना है, इसलिये उससे प्रश्न किया गया है कि जब तुम द्रव्यपदके नव (नौ) अर्थ मानते हो तो एक द्रव्यपदार्थ कैसे सिद्ध होगा? इसके उत्तरमें वह कहता है कि 'द्रव्य' यह पद नौकी सामान्यसंज्ञा है। वह समझता है कि सामान्यसंज्ञाका वाच्य सामान्य ही हो सकता है, इसलिये द्रव्यपदका सामान्यरूप एक अर्थ सिद्ध होनेमें कोई बाधा नहीं हो सकती है। इसपर ग्रन्थकारने निम्न प्रकार बाधायें उपस्थित की हैं—

(१) सामान्यसंज्ञाका सामान्य विषय (वाच्य) नहीं होकर सामान्यवान् विषय होता है क्योंकि जिस शब्दके श्रवणसे जिस पदार्थमें लोगोकी प्रवृत्ति देखी जाती है उस शब्दका वही अर्थ माना जाता है। "द्रव्य-मान्य", "द्रव्यं पश्य" इत्यादि वाक्योंसे पृथिवी, जल आदि विशेषमें ही आनयन व देखनेरूप मनुष्योंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, द्रव्यत्वसामान्यमें नहीं, इसलिये द्रव्यपदके द्रव्यत्वसामान्यवान् पृथिवी, जल आदि विशेष नौ पदार्थ ही अर्थ सिद्ध होंगे, एक सामान्यपदार्थ नहीं।

(२) यदि द्रव्यपदका द्रव्यत्वसामान्य ही अर्थ माना जाय तो द्रव्यपदके श्रवणसे पृथिवी, जल आदि विशेषमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति नहीं होना चाहिये, लेकिन होती है, इसलिये द्रव्यपदका द्रव्यत्वसामान्य अर्थ युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता है।

(३) किसी तरहसे द्रव्यत्वसामान्य अर्थ मान भी लिया जाय, तो भी द्रव्यपदार्थ एक सिद्ध न होगा। इसका कारण ग्रन्थमें इस स्थलके आगे स्पष्ट किया गया है, यहाँपर उपयोगी न होनेसे नहीं लिखा है।

मुझे आशा है कि अब अवश्य ही इन स्थलोंके अर्थमें सुधार किया जायगा और यदि मेरे लिखनेमें कोई त्रुटि होगी तो विद्वान पाठक मुझे अवश्य ही सूचित करेंगे।

इस लेखपर स्व० वं० महेन्द्रकुमार जी जैन न्यायतीर्थ न्यायाध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय काशीने अपना अभिप्राय निम्न रूपमें प्रकट किया था।

जैन मित्र (४ मई १९३३) मे भाई बंधीचरजी व्याकरणाचार्यका "अर्थमें भूल" शीर्षक लेख देखा। मैं पंडितजोकी इस उपयोगी चर्चाका अभिनन्दन करता हूँ। वं० खूबचन्द्रजी कृत न्यायदीपिकाकी हिन्दी टीका तथा वं० जीके अर्थका मिलान किया। इस विषयमें मेरे विचार निम्न प्रकार हैं—

न्यायदीपिकाकारने लक्षणके दो भेद किये हैं—(१) आत्मभूत, (२) अनात्मभूत। अनात्मभूतलक्षणमें सामानाधिकरण्य होना जरूरी नहीं, क्योंकि वह लक्षण वस्तुस्वरूपमें मिला हुआ नहीं होता, निम्न पदार्थ ही

इसमें लक्षण होना है। 'दण्डः पुरुषस्य' इस लक्षणमें यदि एकाधारवृत्तित्वलक्षण सामानाधिकरण्य नहीं है तो एकार्थप्रतिपादकत्वलक्षण सामानाधिकरण्य भी नहीं है। जिस तरह 'सम्यग्ज्ञानं प्रमाण', इस लक्षणमें भी जो सम्यग्ज्ञानपदवाच्य है वही तो प्रमाणपदवाच्य है या जो प्रमाणपदवाच्य है वही तो सम्यग्ज्ञानपदवाच्य है ऐसा एकार्थप्रतिपादकत्वेन सामानाधिकरण्य होता है वैसे 'दण्डःपुरुषस्य' यहाँपर "जो पुरुषपदवाच्य है वही दण्डवत्पदवाच्य है या जो दण्डवत्पदवाच्य है वही पुरुषपदवाच्य" ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दण्डवत्त्वाभावमें भी पुरुष और पुरुषाभावमें भी दण्डवत्त्व हो सकता है। परन्तु आत्मभूतलक्षणमें सामानाधिकरण्य होना अत्यावश्यक है। वह सामानाधिकरण्य यदि एकार्थप्रतिपादकत्वेन हो सकता है तो एकाधारवृत्तित्वेन होनेमें कोई बाधा नहीं है क्योंकि आत्मभूतलक्षण वस्तुस्वरूपात्मक होता है। स्वरूपसे कर्षचित्तादात्म्य रखनेवाली वस्तुओंमें भिन्नाधिकरणता संभव ही नहीं है अन्यथा स्वरूप-स्वरूपवद्भाव ही न हो सकेगा।

यह आपत्ति भी ठीक नहीं है कि दूध और जलमें एक भाजनवृत्तित्वेन सामानाधिकरण्य एवं रूप और रसमें अभिन्नद्रव्याधारतया सामानाधिकरण्य जब है तो लक्ष्यलक्षणभाव होना चाहिये, क्योंकि लक्ष्यलक्षणभाव व्याप्य है सामानाधिकरण्य व्यापक; इसलिये जहाँ-जहाँ लक्ष्यलक्षणभाव (आत्मभूतीय) होगा वहाँ-वहाँपर सामानाधिकरण्य अवश्य होगा, किन्तु सामानाधिकरण्य होनेपर लक्ष्यलक्षणभाव होना जरूरी नहीं है।

'अनेरीष्य' यहाँपर एकाधिकरण है क्योंकि जो औष्ण्यका आधार है वही तो अग्निका है कर्षचित्तादात्म्य होनेमें भिन्नाधिकरणता कदापि सम्भव नहीं, अन्यथा गुणगुणिभावका लोप हो जायगा। नैयायिकके यहाँ द्रव्य, गुण, कर्म आदि स्वतंत्र पदार्थ हैं। इनमें समवायसम्बन्ध होता है कर्षचित्त्वादात्म्यसम्बन्ध उसने भाना नहीं है। इसलिये उसके यहाँ द्रव्यका लक्षण द्रव्यमें रहेगा तो द्रव्य अपने अवयवोंमें, इस तरह भिन्नाधिकरणता, गुणका लक्षण गुणमें, गुण द्रव्यमें इस तरह भिन्नाधिकरणता, कर्मका लक्षण कर्ममें, कर्म द्रव्यमें इस तरह भिन्नाधिकरणता सर्वत्र बनी रहती है, इसलिये असम्भवदोष बाधितलक्ष्यवृत्ति होनेसे आ जाता है।

न्यायदीपिकाकारने आत्मभूतलक्षणको जो पृथक् किया है उसका अन्तरंगकारण सामानाधिकरण्यकी आवश्यकता ही है। आशा है कि इस ग्रन्थको लगाने समय इन बातोंका ध्यान अवश्य रखा जायगा।

जैनमित्र, ता० ८ जून मन् १९३३, अंक ३२ वर्ष ३८ में प्रकाशित।

इसका उत्तर हमने निम्नलिखित दिया।

बम्बुर प० महेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ न्यायाध्यापक स्या० महाविद्यालय काशीने मेरे द्वारा किये गये न्यायदीपिकाके अर्थमें मतभेद दिखलाते हुए कुछ विचार प्रकट किये हैं।

प० जीका आशय है कि "आत्मभूतलक्षणमें सामानाधिकरण्य होना आवश्यक है वह एकार्थप्रतिपादकस्वरूप या एकाधारवृत्तित्वरूप हो सकता है। अनात्मभूतलक्षणमें सामानाधिकरण्य आवश्यक नहीं, चाहे वह एकार्थप्रतिपादकस्वरूप हो या एकाधारवृत्तित्वरूप हो।"

यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि एकार्थप्रतिपादकस्वरूप सामानाधिकरण्य शब्दवृत्ति है, इसलिये वह लक्ष्यवचन और लक्षणवचनमें रहेगा, एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरण्य अर्थवृत्ति है, इसलिये वह लक्ष्यवस्तु और लक्षणवस्तुमें पाया जायगा।

मेरा खयाल है कि आत्मभूतलक्षणमें भी अनात्मभूतलक्षणकी तरह लक्ष्य और लक्षण वस्तुओंमें एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरण्याका समुच्चय अथवा उसका ज्ञान लक्ष्यलक्षणभावका प्रयोजक नहीं, यदि माना जाय तो नैयायिककी कभी भी गन्धवतीशब्दसे पृथ्वीका भ्रान नहीं होना चाहिये, क्योंकि गंध और पृथ्वीका एक आधार नहीं होनेसे लक्ष्यलक्षणभाव नहीं बन सकता है। और तो क्या जैनी भी यदि नैयायिकके ग्रन्थोंमें गन्धवतीशब्दको देखते हैं तो उसका अर्थ पृथ्वी ही करते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि नैयायिकने गन्धको पृथ्वीका लक्षण स्वीकार किया है उसके यहाँ पृथ्वीका बोधक गन्धवतीशब्द लाक्षणिक है, साकेतिक नहीं। इसलिये हम यह कैसे कह सकते हैं कि नैयायिकके यहाँ लक्ष्य और लक्षण वस्तुओंमें भिन्नाधिकरणता रहनेसे असाधारणधर्म रूप लक्षणमें असम्भव दोष जाता है जबकि उसके मतानुसार हम गन्धको पृथ्वीका लक्षण स्वीकार कर लेते हैं। 'गंध पृथ्वीका लक्षण' हम (जैनी) इसलिये नहीं करते कि इसमें असंभव दोष जाता है किन्तु इसलिये नहीं करते कि गन्ध पृथ्वीका असाधारण धर्म नहीं है, कारण कि (जैन मान्यतानुसार) जलाधिकमें भी गंध पाया जाता है। लक्षण पदार्थका ज्ञापक माना गया है। नैयायिककी मान्यतानुसार गन्ध पृथ्वीका ज्ञापक सिद्ध होता ही है; भले ही उनमें एकाधिकरण्य न हो। इसलिये इस ढंगसे असंभव दोष बतलाना संगत नहीं कहा जा सकता है। जो लक्षण लक्ष्यमें न पाया जाय, उसको अन्वभित कहते हैं, नैयायिक असाधारणधर्मको लक्षण मानता है तथा उसके यहाँ गन्ध पृथ्वीका असाधारण धर्म है अर्थात् गन्ध पृथ्वीरूप लक्ष्यमें रहता है तो यह लक्षण बाधितलक्ष्यवृत्ति कैसे हो सकता है? 'गन्धवज्जल' यह लक्षण उसके मतसे अन्वभित है क्योंकि वह बाधितलक्ष्यवृत्ति है।

जैनियोंने लक्षणके आत्मभूत और अनात्मभूत दो अर्थ स्वीकार किये हैं। नैयायिक इन भेदोंको नहीं मानता, तब यदि वह 'गन्धवती पृथ्वी' इस लक्षणको 'दण्डी पुरुष' की तरह अनात्मभूत स्वीकार कर ले तो फिर उसके यहाँ इस लक्षणमें असंभव दोष कैसे आ सकता है? इतने पर भी यदि एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरण्याके अभावसे यहाँपर असंभव दोष माना जाय तो 'दण्डी पुरुष' इस अनात्मभूतलक्षणमें वह दोष क्यों नहीं होगा? यह बात विचारने योग्य है। दूध और जल तथा रूप और रसमें जब एकाधारवृत्तित्व है तो वहाँ पर लक्ष्य-लक्षण भावकी आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट है। यद्यपि सामानाधिकरण्याको व्यापक और लक्ष्यलक्षणभावको व्याप्य मान लेनेसे यह आपत्ति नहीं रहती, किन्तु विचारना यह है कि ऐसा व्याप्य-व्यापकभाव संगत है या नहीं?

अनात्मभूतलक्षणमें एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरण्याका अभाव रहनेपर भी लक्ष्य-लक्षणभाव स्वीकार किया गया है, इसलिये लक्ष्य-लक्षणभाव सामानाधिकरण्याका व्याप्य नहीं हो सकता है। आत्मभूतीय लक्ष्य-लक्षणभाव उक्त सामानाधिकरण्याका व्याप्य है अनात्मभूतीय नहीं, इस तरहके भेदका कोई नियामक नहीं, जबकि दोनों जगह समानरूपसे लक्ष्य-लक्षणभाव पाया जाता है। आत्मभूतीय लक्ष्य-लक्षणभाव भी सामानाधिकरण्याका व्याप्य सिद्ध नहीं होता है, कारण कि जैसा एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरण्या रूप और रस तथा दूध और जलमें पाया जाता है वैसा अग्नि और उष्णतामें नहीं पाया जाता, इस प्रकार जब अग्नि और उष्णतामें सामानाधिकरण्याभाव ही सिद्ध होता है तो लक्ष्य-लक्षणभाव सामानाधिकरण्याका व्याप्य कैसे हो सकता है?

रूप और रस तथा दूध और जलमें सामानाधिकरण्या रहते हुए भी लक्ष्य-लक्षणभाव आप स्वीकार नहीं करते हैं। इससे सुतरा सिद्ध होता है कि लक्ष्य-लक्षणभावका प्रयोजक उक्त सामानाधिकरण्या नहीं, बल्कि दूसरा ही कोई कारण है जिससे पदार्थोंमें लक्ष्य-लक्षणभावकी कल्पना की जाती है। इसलिये आत्मभूतलक्षण-

में लक्ष्य-लक्षणभावका प्रयोजक लक्ष्य और लक्षणवस्तुओंका एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरम्यको मानना ठीक नहीं है। आत्मभूतलक्षणमें उक्त सामानाधिकरम्यको लक्ष्य-लक्षणभावका प्रयोजक माननेमें एक दोष यह भी है कि जब अनात्मभूतलक्षणमें भी लक्ष्यलक्षणभाव रहता है तो वहाँपर भी उक्त प्रयोजक उक्त सामानाधिकरम्य भी रहना चाहिये, अन्यथा अनात्मभूतलक्षणमें लक्ष्य-लक्षणभावका अभाव मानना पड़ेगा।

यदि कहा जाय कि उक्त सामानाधिकरम्य लक्ष्य-लक्षणभावका प्रयोजक नहीं, किन्तु लक्षण ही आत्मभूतताका प्रयोजक है तो प्रथम तो लक्ष्य-लक्षणभावमें इसके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, दूसरे लक्षणकी आत्मभूतताका भी प्रयोजक उक्त सामानाधिकरम्य नहीं है, कारण अग्निका लक्षण उष्णता है उष्णताका आधार अग्नि है, यह तो ठीक है किन्तु अग्निको स्वका भी आधार मान करके सामानाधिकरम्यकी कल्पना युक्ति और अनुभवसे बिरुद्ध जान पड़ती है। तीसरे, ऐसा सामानाधिकरम्य तो अनात्मभूतलक्षणमें भी रह सकता है क्योंकि जिस पुरुषके हस्तमें जो वण्ड रहता है वही वण्ड लक्षक होता है और वह भी उसी पुरुष का, वह वण्ड दूसरे पुरुषका लक्षक नहीं, तथा दूसरा वण्ड उस पुरुषका लक्षक नहीं, ऐसी हालतमें उस वण्डका आधार वह पुरुष है—जिस तरह कि उष्णताका आधार अग्नि होता है तथा उस पुरुषको स्वका आधार मान लेना चाहिये, जिस तरह कि अग्निको स्वका आधार मान लिया गया है, इस तरहसे लक्षणके आत्मभूत और अनात्मभूत दो भेद असंगत ठहरते हैं। इसलिये एकाधारवृत्तित्वरूप सामानाधिकरम्य लक्षणकी आत्मभूतताका भी प्रयोजक सिद्ध नहीं होता है। लक्षणके आत्मभूत और अनात्मभूत भेदोंका प्रयोजक अपृषक्यता और पृषक्यता है। उष्णताको अग्निसे कभी भी पृषक नहीं कर सकते, जबकि वण्ड और पुरुष दोनों पदार्थ पृषक सिद्ध हैं।

जैनियोंने स्वरूप-स्वरूपवान तथा गुण-गुणीमे तादात्म्यसम्बन्ध माना है। तादात्म्यका अर्थ भेद और अभेद है, स्वरूपस्वरूपवद्भाव, गुणगुणिभाव भेदका नियामक है, कारण स्वरूप और स्वरूपवानमें तथा गुण और गुणीमें भेद माननेसे ही स्वरूपस्वरूपवद्भाव और गुणगुणिभावकी कल्पना हो सकती है, अभेद माननेसे अग्नि स्वरूपवान या गुणी है और उष्णता उसका स्वरूप या गुण है ऐसा भान या कथन नहीं हो सकता है। अभेद मानते इसलिये हैं कि उष्णता अग्निका ही स्वरूप है अन्यका नहीं। उष्णताको छोड़कर अग्निकी स्वतंत्र सत्ता निर्धारित नहीं कर सकते, यही तादात्म्यसम्बन्धका अभिप्राय है। उष्णताका आधार अग्नि है या उष्णता अग्निका लक्षण है, यह कथन भी भेदवृष्टिसे ही हो सकता है, अनेककी अपेक्षासे आधाराधेयभाव या लक्ष्य-लक्षणभावकी कल्पना कदापि संभव नहीं। तादात्म्य रखनेवाली वस्तुओंमें भिन्नाधिकरणता भले ही आप न माने, लेकिन उनमें एकाधिकरणता संभव नहीं, अथवा एकाधिकरणता स्वरूपस्वरूपवद्भाव, गुणगुणिभाव, आधाराधेयभाव, लक्ष्यलक्षणभाव आदिकी नियामक नहीं, यह बात स्पष्ट हो चुकी है।

जब हमको थोड़ा न्यायबोपिकाके शब्दोंपर भी ध्यान देना चाहिये। न्यायबोपिकाकारने लक्ष्यधर्मि-वचन और लक्षणधर्मवचनमें सामानाधिकरम्यके अभावका प्रसंग बतलाया है, न कि लक्ष्यवस्तु और लक्षणवस्तुमें। इसलिये वह भी सामानाधिकरम्य एकार्थप्रतिपाद्यत्वरूप ही हो सकता है और वह आत्मभूत एवं अनात्मभूत दोनों तरहके लक्षणवाक्योंके लक्ष्यवचन और लक्षणवचनमें समानरूपसे पाया जाता है। जिस प्रकार 'सम्यग्ज्ञान प्रमाण' यहाँपर सम्यग्ज्ञानत्व प्रमाणका लक्षण है, इसलिये 'सम्यग्ज्ञान' यह पद लक्षणवचन है और प्रमाण लक्ष्य है, इसलिये 'प्रमाण' यह पद लक्ष्यवचन है। ये दोनों वचन एकाधिक प्रतिपाद्यक हैं क्योंकि सम्यग्ज्ञानवस्तुको छोड़कर प्रमाण कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसी प्रकार 'दण्डी पुरुषः' यहाँपर दण्डित्व (वण्ड)

८६ : छारकाली-वरचक्रुत धं० बंसीवर झाकरवाचार्य अकिनन्दन-ग्रन्थे

पुरुषका लक्षण है इसलिये 'वृष्ठी' यह पद लक्षणवचन है और पुरुष लक्ष्य है इसलिये 'पुरुषः' यहाँपर लक्ष्य-वचन है। ये दोनों वचन भी एकार्थके प्रतिपादक है क्योंकि वृष्ठीशब्दसे वृष्ठीविशिष्टका बोध होता है। वृष्ठी-विशिष्ट यहाँपर पुरुषपदार्थ है वही पुरुषपदार्थ पुरुषपदका भी अर्थ होता है। इस तरह अनात्मभूतलक्षणमें भी लक्ष्यवचन और लक्षणवचनका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप समानाधिकरण्य रहता ही है। जहाँ यह नहीं हो, वह लक्षण दूषित कहा जाता है। जैसे 'विषाणी पुरुष' यहाँपर 'विषाणी' इस लक्षणवचनका विषाणविशिष्ट अर्थ होता है लेकिन पुरुषपदार्थ विषाणविशिष्ट नहीं होता, इसलिये विषाणी और पुरुष ' इन दोनों वचनोंमें एकार्थ-प्रतिपादकत्वका अभाव होनेसे यह लक्षण असंभवित कहा जाता है।

जैनमित्र, २४ अगस्त १९३३, अंक ४३ वर्ष २४





साहित्य और इतिहास

साहित्य और इतिहास

१. वीराष्टकम्, समस्या—कान्ताकटाक्षाक्षतः (शताः)
२. समयसारकी रचनामे आचार्य कुन्दकुन्दकी दृष्टि
३. तत्त्वार्थ-सूत्रका महत्व
४. जैन व्याकरणकी विशेषताएँ
५. षट्छण्डागमके 'संजद' पत्रपर विमर्श
६. सांस्कृतिक सुरक्षाकी उपादेयता ।
७. जैन संस्कृति और तत्त्वज्ञान
८. युगधर्म बननेका अधिकारी कौन ?
९. ऋषभदेवसे वर्तमान तक जैनधर्मकी स्थिति



वीराष्टकम्

[समस्या—कान्ताकटाक्षाक्षतः (क्षताः)]

यः कल्याणकरो मतस्त्रिजगतो लोकश्च यं सेवते ।
 येनाकाङ्क्षि मनोभवो गतमदो यस्मै भवः ऋष्यति ॥
 यस्मान्मोहमहामटोऽपि विगतो यस्य प्रिया मुक्तिरमा ।
 यस्मिन्नेहगतः स नो भवति कः कान्ताकटाक्षाक्षतः ॥ १ ॥

यस्याध्वयमतं मतं जनहितं सद्धर्मषाणोपलम् ।
 नम्रीभूतसुरेन्द्रवृन्दमुकुटे पादच्छलात्सङ्गतम् ॥
 भव्यैरप्यनुगीयमानयशसा व्याक्रान्तलोकत्रयं ।
 यस्माच्चोऽस्ति नयार्पणां दधदनेकान्ताऽकटाऽऽक्षाऽक्षतः ॥ २ ॥

यस्य प्रेङ्खदावर्ककांतिमणिभिः प्रोद्योतितामातता—
 मास्थानावनिभागतीर्दिविरतैः प्रक्रान्ततूर्यत्रिकाम् ॥
 तामालोक्य भवाङ्गभोगनिरता मिथ्यादृशोऽप्यादृताः ।
 सम्यक्त्वं विभवं भवन्ति कुनयेकान्ताऽकटाऽऽक्षाऽक्षताः ॥ ३ ॥

ये प्राक् त्रासमुपागता मतिहृता वाष्याः कृपाष्याः परेऽ-
 नोतिज्ञानलबोद्धता गतपथास्तस्वार्थके सङ्गरे ॥
 निक्षिप्ताः सुनयप्रमाणभुवि ते चेतद्वचमत्कारिणो ।
 येन ज्ञानसमाहिताः खलु कृताः कान्ताकटाक्षाऽक्षताः ॥ ४ ॥

यस्य प्रार्चनभक्तिचञ्चितमना मेकोऽपि तत्कोपिना ।
 देवेन प्रहृतोऽप्यभूदभरभूकान्ताकटाक्षाऽक्षताः ५ ॥
 तत् किं यस्य पदार्चने कृतधियः सामोदभावेन हि ।
 जायन्ते भवयोषितां शिवरमाकान्ताः कटाक्षाऽक्षताः ॥ ५ ॥

यस्याद्य^६ भ्रमरावलीव कमले^६ भव्यावलीमन्दिरे ।
 सम्फुल्लकमलावलीं परिक्रन्दहीपावलीं विन्दती ॥

- नयार्पणा नयविषयां दधत् दधानो योजेकान्त एकत्र वर्तमानसत्त्वास्त्वादिरूपस्तस्य, अकटं-कटति गच्छति नक्षतीति यावत्, कटम् (पचाद्यच्प्रत्ययः) विनष्टानशीलं, न कटमकटमविनाशि तच्च तद् आक्षम्, अक्ष अक्षमा, स्वाभाव्येन तत्त्वंधि-आर्णं ज्ञानम्, अकटाक्षं केवलज्ञानं, तेन अक्षतो व्याप्त इत्यर्थः ।
- कुस्तिता नयाः कुनयास्तद्विषयभूतस्तद्रूपो वा य एकांतस्तस्य, आकटाक्षा-ईषत्कटाक्षाः (आङ्ईषदर्थे) तीरपि, अक्षताः अविद्धाः भवन्तीत्यन्वयः ।
- तत्त्वं स्वसिद्धान्तः शत्रुपक्षे-स्वाभिलाषारूपमर्थः प्रयोजनं यस्य स तस्मिन्, संगरे प्रतिज्ञावाक्ये । अनेन तात्पर्यम् प्रतिज्ञावाक्यमुपन्यस्यस्तः एव परे त्रासमुपागता, न तु तैः हेत्वाद्युपन्यस्तम्, पक्षे-सङ्गरे युद्धे ।
- अमरपुः स्वर्णं, तस्याः कान्ता अमराङ्गना, तासां कटाक्षैः आक्षत-आ समन्तात् क्षतः ।
- अद्य श्रीबीरभगवतो निर्वाणविक्षे । ६. अलविधिषट्सरोवरे ।

श्वेतस्याममुदाबलीति तु वरं चित्रं विचित्रं न्विदं—

श्रेका^२ कामवशाऽपरा^३ भवति नो कान्ताकटाक्षाक्षताः^४ ॥ ६ ॥

वीरः सोऽस्तु मम प्रसन्नमतये तं सङ्गतोऽहं ततः ।

सूक्तं तेन हितं मतं जगदतो वीराय तस्मै नमः ॥

अन्यो नास्ति ततः प्रियङ्कुर इतस्तस्य स्मृतिर्मे हृदि ।

वीरे तत्र रतो भवान्ययमहं कान्ताकटाक्षाक्षतं ॥ ७ ॥

वं-शौन्नत्यकरोऽप्यसौ नरपतेः सिद्धार्यकस्यात्मभूः ।

शी-लेनाधिकृताहितोऽपि तपसास्त्रेण प्रकृत्^५ कर्मणासु ।

घ-न्यानामिति विस्मयं विदधती पूर्वं तु पश्चात् प्रभो-

र-न्येयं कृतिरातनोतु^६ कमनक्काऽन्ताऽकटाक्षाऽक्षतः ॥८॥



१. न्विति नन्यर्थे ।

२. भ्रमरावली ।

३. भव्यावली ।

४. कान्तानां कटाक्षं आक्षता—इतिच्छेदस्तस्य आ—ईषदपि क्षता विद्धा नो भवतीत्यर्थ इति चित्रम्, भ्रमरा-
वलीभव्यावलीयुगलस्य प्रदर्शितसादृश्येऽपि विरुद्धकरणमिति चित्रत्वं स्पष्टमेव । किञ्च कान्तानां कटाक्षं
अक्षता—इतिच्छेदः तस्य न क्षतेति अक्षता—अविद्धा नो भवतीत्यर्थः, इति विचित्रं विगतचित्रमित्यर्थः ।
भ्रमरावलीभव्यावलीद्वयस्य यत्पूर्वं सादृश्यं प्रदर्शितं तदधुनापि वर्तते एवेति चित्रत्वाभावः । परमेतस्मिन्नर्थं
भव्यावत्यपि, वीरभगवतो जिनालयं संप्राप्तापि, भगवतो निर्वाणमहोत्सव विदधानापि, तत्रामोघं दधानापि
कान्ताकटाक्षैरक्षता न भवतीतिविशेषणं चित्रतेति ।

५. प्रकर्षेण कृन्तति छिन्तीति प्रकृत् ।

६. नश्यतीति नक्, न नक् अनक्, अविनाशि, अनन्तमिति यावत्, तच्च तत्कं सुखं, तद् अन्तः स्वभावो
यस्येति अनक्कान्तः अत्र अनन्तसुखसाहचर्यदि अनन्तज्ञानादिकमपि संग्रहीतं भवतीति अनन्तसुखतुष्टयस्वरूप
इति तात्पर्यम्, स चामी अक्ष विष्णुव्यापक इत्यर्थः । भगवतो वीरस्य सकलपदार्थविययज्ञानवित्वात्
व्यापकत्वमक्षतम् इति अनक्कान्ताः भगवान् वीर एव तस्य कटाक्षाः तेभ्यो जातं यद् आक्ष ज्ञानं तस्मा-
दिति (तसिल् प्रत्ययः) तस्माद्धेतोः अस्य प्रमोरियमस्य क्लोकस्य पूर्वीर्षं दक्षिता कृतिः कं—सुखमातनोतु
विस्तारयतु, धन्यानामिति पूर्वैर्ण सम्बन्धः । पूर्वं विस्मयकरी पश्चात् भगवत्प्रसादात् ज्ञानलाभात् सुखकरी
भवतु कृतिरियं भगवतः इति भावः । एवं बंशीधरस्येयं वीरस्तुतिरूपकृतिः भगवतः प्रसादजन्यज्ञानलाभात्
सुखकरी भवतु धन्यानामित्यपि बोध्यमिति ।

समयसारकी रचनामें आचार्य कुन्दकुन्दकी दृष्टि

समयसारका आलोचन करनेसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि उसकी रचना आचार्य कुन्दकुन्दने इस दृष्टिसे की है कि सम्पूर्ण मानवसमष्टि इसे पढ़कर इसके अभिप्रायको समझें और उस अभिप्रायके अनुसार अपनी जीवनप्रवृत्तियोंको नैतिक रूप देनेका दृढ़ संकल्प करें, जिससे वे जीवनके अन्ततक सुखपूर्वक जिन्या रह सकें ।

इस प्रकार अपनी जीवनप्रवृत्तियोंको नैतिक रूप देनेवाली मानवसमष्टिमेंसे जो मानव जितने परिणाम में अपनी मानसिक, वाचनिक और कायिक स्वावलम्बनताका अपनेमें बिकास कर ले, उतना वह आध्यात्मिक (आत्म-स्वात्मन्वयके) मार्गका पथिक बन सकता है ।

जीवके भेद

जैनशासनमें जीवोंके संसारी और मुक्त दो भेद बतलाये गये हैं । (देशो, त. सू., अ. २ का "संसारिणो मुक्ताश्च" सू० १०) ।

इस सूत्रसे यह भी ज्ञान होता है कि संसारकी समाप्तिका नाम ही मुक्ति है और जो जीव संसारसे मुक्त हो जाते हैं, वे ही सिद्ध कहलाते हैं । जैनशासनके अनुसार कोई भी जीव अनादिसिद्ध नहीं है । जैसा कि इतर दार्शनिकोंने माना है ।

संसारी जीवोंके भेद

जैनशासनके अनुसार संसारी जीव भी भव्य और अभव्य दो प्रकारके हैं । उनमेंसे भव्य जीव वे हैं जिनमें संसारसे मुक्त होनेकी स्वभावसिद्ध योग्यता विद्यमान हो और अभव्य जीव वे हैं, जिनमें उस स्वभाव-सिद्ध योग्यताका सर्वथा अभाव हो ।

भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीव अनादिकालसे पौद्गलिक कर्मोंसे बद्ध होनेके कारण उन कर्मोंके प्रभावसे अनादिकालसे ही यथायोग्य नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चार गतियोंमें परिभ्रमण करते आये हैं और अपनी स्वावलम्बनशक्तिको भूलकर यथासंभव मानसिक, वाचनिक और कायिक परावलम्बनताकी स्थितिमें रहते आये हैं, तथा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायके प्रभावमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें रहते हुए सतत मिथ्याव्ययन और मिथ्याज्ञानपूर्वक अनैतिक (मिथ्या) आचरण करते आये हैं । ऐसे जीवोंको समयसार गाथा १२ से लेकर गाथा २३ तक अपनेसे भिन्न पदार्थोंमें अहंबुद्धि और मयबुद्धि होनेके कारण अप्रतिबुद्ध प्रतिपादित किया गया है । तथा ये जीव अप्रतिबुद्ध क्यों हैं, इस बातको समयसार गाथा २४ और २५ में आगम और तर्कके आधारपर सिद्ध किया गया है ।

यद्यपि नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन सभी गतियोंके जीव इस प्रकारसे अप्रतिबुद्ध हो रहे हैं, और सभी गतियोंके बहुतेसे जीव इस अप्रतिबुद्धताको समाप्त कर प्रतिबुद्ध भी हो सकते हैं, परन्तु जीवोंको मुक्तिकी प्राप्ति मनुष्यगतिये ही हो सकती है । इसलिए समयसारमें जो विवेचन किया गया है वह मानव-समष्टिको लक्ष्यमें रखकर ही किया गया है ।

जैनशासनके अनुसार भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीव मुक्तिके मार्गमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि न तो भव्य जीव अपनी भव्यताकी पहिचान कर सकते हैं और न अभव्य जीव अपनी अभव्यताकी पहिचान कर सकते हैं इसलिए भव्य जीवोंके समान अभव्य जीव भी अपनेको भव्य समझकर मुक्तिके मार्गमें

प्रवृत्त होते हैं। समयसार याथा १७५ में बतलाया गया है कि अभव्य जीव भी प्रव्य जीवके समान मोक्षके मार्गभूत धर्म (व्यवहारधर्म) में आस्था रखता है, उसको समझता है, उसमें रुचि रखता है और उसमें प्रवृत्त भी होता है। इसी बात अवश्य है कि उसका वह धर्माचरण मुक्तिका कारण न होकर यथायोग्य सांसारिक सुखकी बुद्धिका ही कारण होता है।

सात्पर्य यह है कि भव्य और अभव्य दोनों ही प्रकारके जीव मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायके प्रभावमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें रहते हुए भी यथायोग्य चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीवोंके समान धर्माचरण करते हैं। और इस प्रकार धर्माचरण करते हुए अभव्य जीव भी भव्य जीवोंके समान अपनेमें क्षयोपशम, विद्वृद्धि देधाना और प्रायोग्य लब्धियोंका विकास कर लेते हैं जिनके प्रभावसे वे नवम वैदिकक तक स्वर्गमें भी उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु वे भव्य जीवोंके समान आत्मविद्वृद्धिको सम्म्यग्दर्शन, सम्म्यक्ज्ञान और सम्म्यग्चाररूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जैनशासनमें बतलाया गया है कि उसी जीवकी आत्मविद्वृद्धि सम्म्यग्दर्शनरूप होती है जिसने दर्शनमोहनीयकर्मकी तीन और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम किया हो। इसी प्रकार आत्माकी विद्वृद्धि देशव्रतरूप उसी जीवकी होती है जिसने उक्त दर्शनमोहनीयकर्मकी तीन और अनन्तानुबन्धी कषायकी चार इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके साथ अप्रत्याख्यानावरण कषायकी चार प्रकृतियोंका क्षयोपशम किया हो, तथा आत्माकी विद्वृद्धि सर्वत्रतरूप उसी जीवकी होती है, जिसने उक्त दर्शनमोहनीय कर्मकी तीन, अनन्तानुबन्धी कषायकी चार इन सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम और अप्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपशमके साथ प्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम किया हो।

इसका भाव यह है कि मिथ्यात्वगुणस्थानमें मोहनीयकर्मकी उक्त प्रकृतियोंका यथासम्भव उपशम, क्षय व क्षयोपशम उसी जीवमें होता है, जो भव्य हो। तथा, उस जीवमें वह उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम तभी होता है, जब वह सात्तिय मिथ्यादृष्टि हो जाता है। वह सात्तिय मिथ्यादृष्टि तभी कहा जाता है जब वह करणलम्बिको प्राप्त करता है अर्थात् क्रमशः अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंको प्राप्त होकर मोहनीयकर्मकी उक्त प्रकृतियोंका यथायोग्य उपशम, क्षय और क्षयोपशम करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है। उसे करणलम्बिकी प्राप्ति तभी होती है जब वह समयसारमें प्रातिपाक्षित भेदविज्ञानको प्राप्त कर लेता है। वह उक्त भेदविज्ञानको तब प्राप्त होता है जब वह क्षयोपशम, विद्वृद्धि, देधाना और प्रायोग्य इन चार लब्धियोंको प्राप्त कर लेता है। वह इन चार लब्धियोंको तब प्राप्त करता है, जब वह नैतिक आचरणके रूपमें अथवा नैतिक आचरणके साथ देशव्रतके रूपमें अथवा नैतिक आचरणके साथ सर्वत्रतके रूपमें मन, वचन और कायके सम्मन्वयपूर्वक आगममें बणित व्यवहारधर्मको अंगीकार करता है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अभव्य जीव भी उक्त प्रकारके व्यवहारधर्मको अंगीकार करके क्षयोपशम, विद्वृद्धि, देधाना और प्रायोग्य इन लब्धियोंको प्राप्त कर लेता है, परन्तु वह अपनी अभव्यताके कारण उक्त भेदविज्ञानको प्राप्त नहीं होता है। समयसार याथा १७५ का यही अभिप्राय है।

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि उन भव्य और अभव्य जीवोंको उक्त चार लब्धियोंकी प्राप्ति नहीं होती है जो उक्त प्रकारके व्यवहारधर्मको अंगीकार तो करते हैं, परन्तु मन, वचन और कायके सम्मन्वयपूर्वक नहीं अंगीकार करते हैं।

इस विवेचनसे निर्णय होता है कि मिथ्यादृष्टिगुणस्थानवर्ती भव्य जीवको ही उपर्युक्त क्रमसे भेद-विज्ञानकी प्राप्ति होती है, अभव्य जीवोंको नहीं।

समयसारकी बेबीज व्याख्या करनेवाले आचार्य अमृतचन्द्रके कलश पद्य १२८, १२९, १३०, १३१ और १३२ से यही निर्णीत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्दने समयसारकी रचनानामे मुमुक्षु जीवके लिए मुक्तिकी प्राप्तिमें भेदविज्ञानको प्रमुख स्थान दिया है। यहाँ उन कलशपद्योंको उद्धृत किया जाता है—

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशाकस्था,
भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वापलभः।
अचलितमखिलान्यद्ब्रह्मदूरे स्थितानां,
भवति सति च तस्मिन्लक्षय कर्ममोक्ष ॥१२८॥

अर्थ—जो जीव निजमहिमामें रत है अर्थात् उस महिमाके मानकार है उन जीवोंकी भेदविज्ञानके आधारपर नियमसे शुद्ध अर्थात् स्वतन्त्र स्वरूपका उपलब्ध (ज्ञान) होता है। ऐसे जीवोंके अल्प इच्छासे सर्वथा दूर हो जानेपर अर्थात् पर-पदाश्रयोंमें अहम्बुद्धि और ममबुद्धिकी समाप्ति हो जानेपर कर्मोंका स्थायी क्षय हो जाता है।

संपद्यते संवर एव साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलभात्।
म भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ १२९ ॥

अर्थ—शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान हो जानेपर साक्षात् संवरका संपादन होता है। वह शुद्ध आत्मतत्त्वका ज्ञान भेदविज्ञानके आधारपर होता है, इसलिये जीवोंकी भेदविज्ञानकी प्राप्तिका अभ्यास करना चाहिये।

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया। तावद्यावत्पराच्छ्रयुत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥१३०॥

अर्थ—उस भेद विज्ञानका आच्छिन्न धारासे तबतक अभ्यास करना चाहिये, जबतक वह जीवपरसे च्युत होकर अर्थात् परमें अहंकार और ममकार समाप्त करके ज्ञानमें प्रतिष्ठित होता है।

भेदविज्ञानं सिद्धा मिद्धा ये किल केचन।

अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥

अर्थ—जो कोई जीव सिद्ध हुए है, वे भेदविज्ञानसे ही निष्ठ हुए हैं और जो कोई जीव बद्ध हैं वे भेदविज्ञानके अभावसे ही बद्ध हैं।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलभात्,
रागधामप्रलयकरणात्मका संवरेण।

विध्वत्तोषं परमममलालांकमम्लानमेकं,

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदित शास्वतोद्घातमेतत् ॥१३२॥

अर्थ—जीवकी भेदविज्ञानकी प्राप्ति होनेपर शुद्धतत्त्वका उपलब्ध अर्थात् ज्ञान होता है और इस प्रकार रागसमुहका विनाश हो जानेसे कर्मोंका संवर होनेपर तोषको प्राप्त उत्कृष्ट अमलप्रकाशवाला निर्दोष, अद्वितीय ज्ञान नियमसे उदित होकर शाश्वत प्रकाशमान होता है।

समयसारकी रचनानामे जो क्रम पाया जाता है उससे भी बही भाव प्रकट होता है। जो निम्न-प्रकार है—

प्रथम गाथामें आचार्य कुन्दकुन्दने जो सिद्धोंको नमस्कार किया है इससे मुमुक्षु जीवके अपने लक्ष्यका निर्धारण होता है। दूसरी गाथामें यह बतलाया है कि जो जीव अभेदबुद्धिसे अपने अज्ञान स्वभावभूत ज्ञानमें और भेदबुद्धिसे दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यमें सतत स्थिर रहें, उन्हें स्वसमय कहा जाता है। तथा जो जीव मुद्गलकर्मप्रवेशमें स्थित अर्थात् मुद्गलकर्मोंसे बद्ध होनेके कारण परपदाश्रयोंमें अहम्बुद्धि और ममबुद्धि

करते हैं, वे परसमय कहलाते हैं। तीसरी गायामे यह शंका उठाई गई है कि लोकमें जितने पदार्थ हैं वे सब अपने अक्षर एक स्वभावमें रहकर ही सुन्दरताकी प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जीवके विषयमें बन्धकी कथा विसंवावपूर्ण हो जाती है। चतुर्थ गायामे इस शंकाका इसप्रकार समाधान किया गया है कि सम्पूर्ण जीवोंको काम, भोग और बन्धकी कथा सुननेमें आई है, देखनेमें आई है और अनुभूत भी है कि परन्तु उसके अक्षर एक स्वरूपका ज्ञान होना उसे सुलभ नहीं है। इसी तरह आचार्य कुन्दकुन्दने पंचवी गायामें आत्माके उस अक्षर एक स्वरूपको समयसारमें स्पष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की है। तथा छठी गायामे आत्माके उस अक्षर एक स्वरूपको स्पष्ट कर दिया गया है। इसके पश्चात् गायामे १३में आचार्यश्रीने आध्यात्मिक मार्गमें उपयोगी जीव, अजीव, पुण्य, आलस्य, मंवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्षको जैसे है उसी रूपमें जिस जीवने जाना है, उसे सम्यग्दृष्टि बतलाया है। इससे निर्णीत होता है कि उन पदार्थोंको उनके पृथक्-पृथक् स्वरूपके आधारपर जान लेना ही भेदविज्ञान है। इसके आगे आचार्य कुन्दकुन्दने इसी बोधाधिकारमें जीवके स्वरूपका, अजीवाधिकारमें अजीवके स्वरूपका, कर्तृकर्मधिकारमें जीव और अजीवके विषयमें कर्ता और कर्मको व्यवस्थाके निवेचनका, पुण्यपापाधिकारमें पुण्य और पापका, आलस्यधिकारमें आलस्यका, मंवरधिकारमें मंवरका, निर्जराधिकारमें निर्जराका, बन्धाधिकारमें बन्धका और मोक्षाधिकारमें मोक्षका जो पृथक् पृथक् स्वरूपनिवेचन किया है, वह भेदविज्ञानका पोषण करनेके लिए किया है। और अन्तमें सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारमें आत्माके स्वतंत्र स्वरूपका निवेचन किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कुन्दकुन्दने ममयसारकी रचनामें मनुष्य जीवोंको प्रथमतः भेदविज्ञानी बननेका ही उपदेश मुख्यतासे दिया है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त निवेचनका निष्कर्ष यह है कि भव्य और अभव्यके भेदसे मिथ्यादृष्टि समारोजीवोंके जो दो प्रकार आगममें निश्चित किये गये हैं वे दोनों ही एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अमंजीपञ्चेन्द्रिय और संजीपञ्चेन्द्रियके भेदसे छह प्रकारके हैं। इनमेंसे एकेन्द्रियसे लेकर अमंजीपञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंमें केवल कर्मफलवैतना पायी जाती है; अर्थात् ये सब जीव कर्मफलका मात्र सुख-दुःख रूप अनुभव ही कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त जो संजी पञ्चेन्द्रिय भव्य और अभव्य जीव हैं वे सतत अपने अभिलषितकी सम्पन्नताके लिए संकल्प और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करते हैं और उनका वह पुरुषार्थ असीमित भोग और संग्रहका होता है। तथा, उनकी प्राप्तिके लिए वे हिंसा, असत्य भाषण और चोरीका भी पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे पुरुषार्थमें उन्हें हमेशा दुर्घ होता है, विबाध कभी नहीं होता। यही कारण है कि उनका ऐसा पुरुषार्थ अनैतिक आचरणके रूप में संकल्पी पाप माना गया है। इस संकल्पी पापका सद्भाव उन जीवोंमें जबतक रहता है, तबतक वे मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारिणी होते हैं। तथा इनमेंसे जो जीव उक्त संकल्पी पापोंका सर्वथा त्याग कर अशक्ति या आवश्यकताके आधारपर जिन पापोंमें प्रवृत्त होते हैं उनके वे पाप अशक्तिवश और आवश्यकतावश होनेके कारण आरम्भी पाप कहलाते हैं। इस प्रकार आरम्भी पापोंमें प्रवृत्त वे भव्य और अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अविरत कहे जाते हैं। और जो भव्य और अभव्य उस अविरतिका एक देश त्याग कर देते हैं वे देशविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं; तथा जो भव्य और अभव्य उक्त आरम्भी पापोंका यथायोग्य सम्पूर्ण रूपसे त्याग कर देते हैं वे सर्वविरत मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं। ये भव्य और अभव्य दोनों जीव ही उक्त प्रकार अविरत, देशविरत और सर्वविरत होकर अयोपचम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यलब्धियोंको भी प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात अवश्य है कि अभव्य जीव उक्त लब्धियोंको प्राप्त करके भी अपनी अभव्यताके कारण भेदविज्ञानी नहीं बन सकते हैं। भव्य जीव ही अपनी भव्यताके आधारपर भेदविज्ञानी बन सकते हैं। ●

तत्त्वार्थसूत्रका महत्त्व

महत्त्व और उसका कारण

इसमें संदेह नहीं, कि तत्त्वार्थसूत्रके महत्त्वको ध्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों सम्प्रदायोंने समानरूपसे स्वीकार किया है। यही सबब है कि दोनों सम्प्रदायोंके विद्वान् आचार्योंने इसपर टीकायें लिखकर अपनेकी सौभाग्यशाही माना है। सर्वसाधारणके मनपर भी तत्त्वार्थसूत्रके महत्त्वकी अमिट छाप जमी हुई है।

दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते मति । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः ॥

इस पद्यने सर्वसाधारणकी दृष्टिमें इसका महत्त्व बढ़ानेमें मदद दी है। यही कारण है कि कम से-कम दिग्म्बर समाजकी अपठ महिलायें भी दूसरोंके द्वारा सूत्रपाठ सुनकर अपनेको धन्य समझने लगती है। दिग्म्बर समाजने यह प्रथा प्रचलित है कि पर्युषणपूर्वके दिनमें तत्त्वार्थसूत्रकी स्नायतोरसे सामूहिक पूजा की जाती है और स्त्री एवं पुरुष दोनों वर्ग बड़ी भक्तिपूर्वक इसका पाठ किया या सुना करते हैं। नित्यपूजामें भी तत्त्वार्थ-सूत्रके नामसे पूजा करनेवाले लोग प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाया करते हैं और वर्तमानमें जबसे दिग्म्बर समाजमें विद्वान् दृष्टिगोचर होने लगे, तबसे पर्युषणपूर्वमें इसके अर्घ्यका प्रवचन भी होने लगा है। अर्घ्य-प्रवचनके लिए तो विविध स्थानोंकी दि० जैन जनता पर्युषणपूर्वमें बाहरसे भी विद्वानोंको बुलानेका प्रबन्ध किया करती है। तत्त्वार्थसूत्रकी महत्ताके कारण ही ध्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों सम्प्रदायोंके बीच कर्त्ताविवयक मतभेद पैदा हुआ जान पड़ता है।

यहाँपर प्रश्न यह पैदा होता है कि तत्त्वार्थसूत्रका इतना महत्त्व क्यों है ? मेरे विचारसे इसका सीधा एवं सही उत्तर यही है कि इस सूत्रग्रन्थके अन्दर समूची जैन संस्कृतिका अत्यन्त कुशलताके साथ समावेश कर दिया गया है।

संस्कृति-निर्माणका उद्देश्य

संस्कृति-निर्माणका उद्देश्य लोक-जीवनको सुखी बनाना तो सभी संस्कृति-निर्माताओंने माना है। कारण कि उद्देश्यके बिना किसी भी संस्कृतिके निर्माणका कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता है। परन्तु बहुत-सी संस्कृतियाँ इससे भी आगे अपना कुछ उद्देश्य रखती हैं और उनका वह उद्देश्य आत्मकल्याणका लाभ माना गया है। जैन संस्कृति ऐसी संस्कृतियोंमेंसे एक है। तात्पर्य यह है कि जैन संस्कृतिका निर्माण लोकजीवनको सुखी बनानेके साथ-साथ आत्मकल्याणकी प्राप्ति (मुक्ति) को ध्यानमें रख करके ही किया गया है।

संस्कृतियोंके आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओंके प्रकार

विषयकी सभी संस्कृतियोंको आध्यात्मिक संस्कृतियाँ माननेमें किसीको भी विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहिर प्रत्येक संस्कृतिका उद्देश्य लोकजीवनमें सुखव्यवस्थापन तो है ही, भले ही कोई संस्कृति आत्म-तत्त्वको स्वीकार करती हो या नहीं करती हो। जैसे चार्वाकको संस्कृतिमें आत्मतत्त्वको नहीं स्वीकार किया गया है फिर भी लोकजीवनको सुखी बनानेके लिए "महाजनों येन गत स पन्था" इस वाक्यके द्वारा उसने लोकके लिये सुखकी साधनाभूत एक जीवन-व्यवस्थाका निर्देश तो किया ही है। सुखका व्यवस्थापन और दुःखका विमोचन ही संस्कृतिको आध्यात्मिक माननेके लिये आधार है। यहाँतक कि जितना भी भौतिक विकास है उसके अन्दर भी विकासकर्त्ताका उद्देश्य लोकजीवनको लाभ पहुँचाना ही रहता है बयथा रहना चाहिये। अतः समस्त भौतिक विकास भी आध्यात्मिकताके दायरेसे पृथक् नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितिमें आध्यात्मिकता और

भौतिकताके भेदको समझनेका एक ही आधार हो सकता है कि जिस कार्यके अन्दर आत्माके लौकिक लाभकी दृष्टि अपनायी जाती है वह कार्य आध्यात्मिक और जिस कार्यमें इस तरहके लाभकी दृष्टि नहीं अपनायी जाती है, या जो कार्य निरदृष्ट किया जाता है वह भौतिक माना जायगा।

यद्यपि यह सच है कि आत्मा या लोकके लाभकी दृष्टि रहते हुए भी कर्तव्य ज्ञानकी कमीके कारण उसके द्वारा किया गया कार्य उन्हें अलाभकर भी हो सकता है परन्तु इस तरहसे उसकी लाभसम्बन्धी दृष्टिमें कोई अन्तर नहीं होनेके कारण उसके उस कार्यकी आध्यात्मिकता अक्षुण्ण बनी रहती है। अतः आत्मतत्त्वको नहीं स्वीकार करनेवाली धार्मिक जैसी संस्कृतियोंकी आध्यात्मिक संस्कृतियाँ मानना अयुक्त नहीं है।

यह कथन तो मैंने एक दृष्टिसे किया है। इस विषयमें दूसरी दृष्टि यह है कि कुछ लोग आध्यात्मिकता और भौतिकता इन दोनोंके अन्तरका इस तरह प्रतिपादन करते हैं कि जो संस्कृति आत्मतत्त्वको स्वीकार करके उसके कल्याणका मार्ग बतलाती है वह आध्यात्मिक संस्कृति है और जिस संस्कृतिमें आत्मतत्त्वको ही नहीं स्वीकार किया गया है वह भौतिक संस्कृति है। इस तरह आत्मतत्त्वको मानकर उसके कल्याणका मार्ग बतलाने वाली जितनी संस्कृतियाँ हैं वे सब आध्यात्मिक और आत्मतत्त्वको नहीं माननेवाली जितनी संस्कृतियाँ हैं वे सब भौतिक संस्कृतियाँ ठहरती हैं। इस विचारधारासे भी मेरा कोई मतभेद नहीं है, कारण कि यह कथन केवल दृष्टिभेदका ही सूचक है—आध्यात्मिकता और भौतिकताके मूल आधारमें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

आध्यात्मिकता और भौतिकताके अन्तरको बतलानेवाला एक तीसरा विकल्प इस प्रकार है—एक ही संस्कृतिके आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलू हो सकते हैं। संस्कृतिका आध्यात्मिक पहलू वह है जो आत्मा या लोकके लाभालाभसे सम्बन्ध रखता है और भौतिक पहलू वह है जिसमें आत्मा या लोकके लाभालाभका कुछ भी ध्यान नहीं रखकर केवल वस्तुस्थितिपर ही ध्यान रखा जाता है। इस विकल्पमें जहाँतक वस्तुस्थिति-का ताल्लुक है उसमें विज्ञानका सहारा तो अपेक्षणीय है ही, परन्तु विज्ञान केवल वस्तुस्थितिपर तो प्रकाश डालता है, उसका आत्मा या लोकके लाभालाभसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। तात्पर्य यह है कि विज्ञान केवल वस्तुके स्वरूप और विकासपर ही नजर रखता है, भले ही उससे आत्माको या लोकको लाभ पहुँचि या हानि पहुँचि। लेकिन आत्मकल्याण या लोककल्याणकी दृष्टिसे किया गया प्रतिपादन या कार्य वास्तविक ही होगा, यह नियम नहीं है वह कदाचित् अवास्तविक भी हो सकता है, कारण कि अवास्तविक प्रतिपादन भी कदाचित् किसी किसीके लिये लाभकर भी हो सकता है। जैसे खिनेमाओंके चित्रण, उपन्यास या गल्प बगैरह अवास्तविक होते हुए भी लोगोंकी चित्तवृत्तिपर असर तो डालते ही हैं। तात्पर्य यह है कि चित्रण आदि वास्तविक न होते हुए यदि उनसे अच्छा शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है तो फिर उनकी अवास्तविकताका कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। जैन संस्कृतिके स्तुतिग्रन्थोंमें जो कहीं कहीं ईश्वरकृतत्वकी शल्लक दिखाई देती है वह इसी दृष्टिका परिणाम है जबकि विज्ञानकी कसौटीपर खरा न उतर सकनेके कारण ईश्वरकृतत्वबादका जैन धार्मिक ग्रन्थोंमें जोरजोर से उल्लेख मिलता है और इसी दृष्टिसे ही जैन संस्कृतिमें अज्ञानी और अल्पज्ञानी रहते हुए भी सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी माना गया है; जबकि वास्तविकताके नाते जैन बाह्यवैशेषिक गुणस्थानतक अज्ञानी या अल्प-ज्ञानी बना रहता है।

इस विकल्पके आधारपर जैन संस्कृतिको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—एक आध्यात्मिक और दूसरा भौतिक।

जैन संस्कृतिके उक्त प्रकारसे आध्यात्मिक और भौतिक वे दो भाग तो हैं ही, परन्तु सभी संस्कृतियोंके समान इसका एक तीसरा भाग आधार या कर्तव्यसम्बन्धी भी है। इस तरह समूची जैन संस्कृतिको यदि विभक्त

करना चाहें तो वह उक्त तीन भागोंमें विभक्त की जा सकती है। इनमेंसे आध्यात्मिक विषयका प्रतिपादक करणानुयोग, भौतिक विषयका प्रतिपादक द्रव्यानुयोग और आचार या कर्त्तव्य विषयका प्रतिपादक चरणानुयोग इस तरह तीनों भागोंका अलग-अलग प्रतिपादन करनेवाले तीन अनुयोगोंमें जैन आगमको भी विभक्त कर दिया गया है।

तत्त्वार्थसूत्र मुख्यत आध्यात्मिक विषयका प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ है, कारण कि इसमें जो कुछ लिखा गया है वह सब आत्मकल्याणकी दृष्टिसे ही लिखा गया है अथवा वही लिखा गया है जो आत्मकल्याणकी दृष्टिसे प्रयोजन भूत है, फिर भी यदि विभाजित करना चाहें तो कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, आठवें और दशवें अध्यायोंमें मुख्यत आध्यात्मिक दृष्टि ही अपनायी गयी है, इसी तरह पाँचवें अध्यायमें भौतिक दृष्टिका उपयोग किया गया है और सातवें तथा नवम अध्यायोंमें विशेषकर आचार या कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश दिया गया है।

तत्त्वार्थसूत्र आध्यात्मिक दृष्टिसे ही लिखा गया है या उसमें आध्यात्मिक विषयका ही प्रतिपादन किया गया है यह निष्कर्ष इस ग्रन्थको लेखनपद्धतिसे जाना जा सकता है। इस ग्रन्थका 'सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्ग' यह पहला सूत्र है, इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रको मोक्षका मार्ग बतलाया गया है। तदनन्तर 'तत्त्वार्थ-श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' इस सूत्र द्वारा तत्त्वार्थको श्रद्धानको सम्यग्दर्शनका स्वरूप बतलाने द्वारा 'जीवाजीवात्मवबन्धसंवरनिर्जराभोक्षास्तत्वम्' इस सूत्रद्वारा जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष रूपसे उन तत्त्वार्थोंकी सात संख्या निर्धारित कर दी गयी है और द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-अध्यायोंमें जीवतत्त्वका, पञ्चम अध्यायमें अजीवतत्त्वका, छठे और सातवें अध्यायोंमें आत्मव तत्त्वका, आठवें अध्यायमें बन्धतत्त्वका, नवम अध्यायमें संवर और निर्जरा इन दोनों तत्त्वोंका और दशवें अध्यायमें मोक्षतत्त्वका इस तरह क्रमशः विवेचन करके ग्रन्थको समाप्त कर दिया गया है।

जैन आगममें वस्तुविवेचनके प्रकार

जैन आगममें वस्तुतत्त्वका विवेचन हमें दो प्रकारसे देखनेको मिलता है—कहीं तो द्रव्योंके रूपमें और कहीं तत्त्वोंके रूपमें। वस्तु-तत्त्व-विवेचनके इन दो प्रकारोंका आशय यह है कि जब हम भौतिक दृष्टिसे अर्थात् सिर्फ वस्तुस्थितिके रूपमें वस्तुतत्त्वकी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो उस समय वस्तुतत्त्व जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ द्रव्योंके रूपमें हमारी जानकारीमें आयेगा और जब हम आध्यात्मिक दृष्टिसे अर्थात् आत्मकल्याणकी भावनासे वस्तुतत्त्वकी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो उस समय वस्तुतत्त्व जीव, अजीव, आत्मव, बन्ध, मवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंके रूपमें हमारी जानकारीमें आयेगा। अर्थात् जब हम 'विवक्ष क्या है?' इस प्रश्नका समाधान करना चाहेंगे तो उस समय हम इस निष्कर्षपर पहुँचेंगे कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन छ द्रव्योंका समुदाय ही विवक्ष है और जब हम अपने कल्याण अर्थात् मुक्तिकी ओर अग्रसर होना चाहेंगे तो उस समय हमारे सामने ये सात प्रश्न उठ हो जायेंगे—(१) मैं कौन हूँ?, (२) क्या मैं बद्ध हूँ?, (३) यदि बद्ध हूँ तो किससे बद्ध हूँ?, (४) किन कारणोंसे मैं बद्ध हूँ?, (५) बन्धके वे कारण कौनसे दूर किये जा सकते हैं? (६) वर्तमान बन्धनको कैसे दूर किया जा सकता है? और (७) मुक्ति क्या है? और तब इन प्रश्नोंके समाधानके रूपमें जीव, जिससे जीव, बंधा हुआ है ऐसा कर्म-लोकर्मरूप पुद्गल, जीवका उक्त दोनों प्रकारके पुद्गलके साथ संयोगरूप बन्ध,

१. तत्त्वार्थसूत्र ५-१, २, ३, ३९।

२. जीवाजीवात्मवबन्धसंवरनिर्जराभोक्षास्तत्वम्। -तत्त्वार्थसूत्र, १-४।

इस बन्धके कारणीभूत मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगरूप आसन, इन मिथ्यात्व आदिकी समाप्तिरूप संवर, तपस्वरणान्तिके द्वारा वर्तमान बन्धनको डीला करनेरूप निर्जरा और उक्त कर्म-नीकरूप पुद्गलके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेरूप मुक्ति ये सात तत्त्व हमारे निष्कर्षमें आवेंगे ।

भौतिक दृष्टिसे वस्तुतत्त्व द्रव्यरूपमें ग्रहीत होता है और आध्यात्मिक दृष्टिसे वह तत्त्वरूपमें ग्रहीत होता है । इसका कारण यह है कि भौतिक दृष्टि वस्तुके अस्तित्व, स्वरूप और भेद-प्रभेदके कथनसे सम्बन्ध रखती है और आध्यात्मिक दृष्टि आत्माके पतन और उसके कारणोंका प्रतिपादन करते हुए उसके उत्थान और उत्थानके कारणोंका ही प्रतिपादन करती है । तात्पर्य यह है कि जब हम अवस्तुके अस्तित्वकी ओर दृष्टि डालते हैं तो उसका वह अस्तित्व किसी-न-किसी आकृतिके रूपमें ही हमें देखनेको मिलता है । जैन संस्कृतिमें वस्तुको यह आकृति ही द्रव्यपद वाच्य है । इस तरहसे विश्वमें जितनी अलग-अलग आकृतियाँ हैं उतने ही द्रव्य ममज्ञना चाहिये । जैन संस्कृतिके अनुसार विश्वमें अनन्तान्त आकृतियाँ विद्यमान हैं अतः द्रव्य भी अनन्तान्त ही सिद्ध हो जाते हैं । परन्तु इन सभी द्रव्योंको अपनी-अपनी प्रकृतियों अर्थात् गुणों और परिणमनों अर्थात् पर्यायोंकी समानता और विषमताके आधारपर छह वर्गोंमें संकलित कर दिया गया है अर्थात् चेतनागुण-विशिष्ट अनन्तान्त आकृतियोंको जीवननामक वर्गमें, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श गुणविशिष्ट अणु और स्कन्धके भेदरूप अनन्तान्त आकृतियोंको पुद्गल-नामक वर्गमें, वर्तनालक्षण विशिष्ट अमंख्यात आकृतियोंको काल-नामक वर्गमें, जीवों और पुद्गलोंकी क्रियामें सहायक होनेवाली एक आकृतिको धर्मनामक वर्गमें, उन्ही जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें सहायक होने वाली एक आकृतिको अधर्म-नामक वर्गमें तथा समस्त द्रव्योंके अवगाहनमें सहायक होने वाली एक आकृतिको आकाश-नामक वर्गमें संकलित किया गया है । यही कारण है कि द्रव्योंकी संख्या जैन संस्कृतिमें छह ही निर्धारित कर दी गई है ।

इसी प्रकार आत्मकल्याणके लिये हमें उन्ही बातोंकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है जो कि इसमें प्रयोजनमूल हो सकती हैं । जैन संस्कृतिमें इसी प्रयोजनमूल बातको तत्त्व नामसे पुकारा गया है, ये तत्त्व भी पूर्वोक्त प्रकारसे सात ही होते हैं ।

इस कथनसे एक निष्कर्ष यह भी निकल आता है कि जो लोग आत्मतत्त्वके विवेचनको अध्यात्मवाद और आत्मासे भिन्न दूसरे अन्य तत्त्वोंके विवेचनको भौतिकवाद मान लेते हैं उनको यह मान्यता गलत है क्योंकि उक्त प्रकारसे, जहाँपर आत्माके केवल अस्तित्व, स्वरूप या भेद-प्रभेदोंका ही विवेचन किया जाता है वहाँपर उसे भी भौतिकवादमें ही गणित करना चाहिये और जहाँपर अनारम्भतत्त्वोंका भी विवेचन आत्मकल्याणकी दृष्टिसे किया जाता है वहाँपर उसे भी अध्यात्मवादकी कोटिमें ही समझना चाहिये । यह बात तो हम पहले ही लिख आये हैं कि जैन संस्कृतिमें अध्यात्मवादको करणानुयोग और भौतिकवादको इन्द्रानुयोग नामसे पुकारा गया है ।

इस प्रकार समूचा तत्त्वार्थसूत्र आध्यात्मिक दृष्टिसे लिखा जानेके कारण आध्यात्मिक या करणानुयोगवा प्रथ्य होते हुए भी उसके भिन्न-भिन्न अध्याय या प्रकरण भौतिक अर्थात् इन्द्रानुयोग और धारिजिक अर्थात् करणानुयोगकी छाप अपने ऊपर लगाये हुए हैं, जैसे पाँचवें अध्यायपर इन्द्रानुयोगकी और सातवें तथा नवम अध्यायोंपर करणानुयोगकी छाप लगी हुई है ।

तत्त्वार्थसूत्रके प्रतिपाद्य विषय

तत्त्वार्थसूत्रमें जिन महत्त्वपूर्ण विषयोंपर प्रकाश डाला गया है वे निम्नलिखित हो सकते हैं—

‘सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्धारिज तथा इनकी भोजमायंता, तत्त्वोंका स्वरूप, वे

जीवादि सात ही क्यों ? प्रमाण और नय तथा इनके भेद, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जीवकी स्वाधीन और पराधीन अवस्थायें, विद्वत्के समस्त पदार्थोंका छह द्रव्योंमें समावेश, द्रव्योंकी संख्या छह ही क्यों ? प्रत्येक द्रव्यका वैज्ञानिक स्वरूप, धर्म और अधर्म द्रव्योंकी मान्यता, धर्म और अधर्म में दोनों द्रव्य एक-एक क्यों ? तथा लोकाशके बराबर इनका विस्तार क्यों ? आकाशद्रव्यका एकत्व और व्यापकत्व, कालद्रव्यकी अणुरूपता और नानारूपता, जीवकी पराधीन और स्वाधीन अवस्थाओंके कारण, कर्म और नोकर्म, मोक्ष आदि ।

इन सब विषयोंपर यदि इस लेखमें प्रकाश डाला जाय तो यह लेख एक महान् ग्रन्थका आकार धारण कर लेगा और तब वह ग्रन्थ तत्त्वार्थसूत्रके महत्त्वका प्रतिपादक न होकर जैन संस्कृतिके ही महत्त्वका प्रतिपादक हो जायगा, इसलिए तत्त्वार्थसूत्रमें निदिष्ट उक्त विषयो तथा साधारण दूसरे विषयोंपर इस लेखमें प्रकाश न डालते हुए इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस सूत्रग्रन्थमें सम्पूर्ण जैन संस्कृतिको सूत्रोंके रूपमें बहुत ही व्यवस्थित ढंगसे गूँथ दिया गया है । सूत्रग्रन्थ लिखनेका काम बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उसमें एक तो संक्षेपसे सभी विषयोंका व्यवस्थित ढंगसे समावेश हो जाना चाहिए । दूसरे उसमें पुनरुक्तिका छोटे-से-छोटा दोष नहीं होना चाहिये । ग्रन्थकार तत्त्वार्थसूत्रको इसी ढंगसे लिखनेमें सफल हुए हैं, यह बात निर्विवाद कही जा सकती है ।

उपसंहार

बड़े-बड़े विद्वानोंके सामने विद्वत् स्वयं एक पहली बन कर खड़ा हुआ है । संसारकी दुःखपूर्ण अजीब-अजीब घटनाओंसे उद्विग्न आत्मोन्मिनीयु लोगोके सामने आत्मकल्याणकी भी एक समस्या है । इसके अतिरिक्त मानवमात्रकी जीवन-समस्या तो, जिसका हल होना पहले और अत्यन्त आवश्यक है, बड़ा विकराल रूप धारण किये हुए है । इन सब समस्याओंको सुलझानेमें जैन संस्कृति पूर्णरूपसे सक्षम है । तत्त्वार्थसूत्र—जैसे महान् ग्रन्थोंका योग सौभाग्यसे हमें मिला हुआ है और इन ग्रन्थोंका पठन-पाठन भी हम लोग सतत किया करते हैं । परन्तु हमारी ज्ञानवृद्धि और हमारा जीवनविकास नहीं हो रहा है, यह बात हमारे लिये गम्भीरता-पूर्वक सोचनेकी है । यदि हमारे विद्वानोंका ध्यान इस ओर जावे तो इन सब समस्याओंका हल हो जाना असम्भव बात नहीं है ।



जैन व्याकरणकी विशेषताएँ

संसारमें यदि भाषातत्त्व नहीं होता तो सब सचेतन जगत् पाषाणकी तरह मूक ही रहता, इसमें कोई सन्देह नहीं। यों तो भाषातत्त्व पशु, पक्षी आदिको भी उपयोगी है, किन्तु मनुष्यका तो एक-एक क्षण भी भाषातत्त्वके बिना व्यर्थ-सा प्रतीत होता है। भाषाके जरिये ही हम अपने अभिप्रायको दूसरोंके प्रति प्रकट कर सकते हैं। हमारा जितना लोकव्यवहार है वह भाषातत्त्वके ऊपर ही निर्भर है। यहाँ तक कि भाषा-विज्ञान भी मुक्ति-प्राप्तिमें एक कारण है।

संसारमें नाना भाषाएँ प्रचलित हैं। प्रत्येक भाषाका गौरव और लोकमान्यता उस भाषाके शब्दोंकी प्रचुरता एवं प्रचुरताके साथ-साथ प्रत्येक शब्दके अर्थप्राचुर्यसे हो हो सकते हैं। यदि हम बिना व्याकरणके उल्लिखित कारणोंकी पुष्टिके लिये शब्दकल्पना और अर्थकल्पना करने बैठें, तो धायद जीवनकी परिसमाप्ति होने पर भी उसे पूर्ण नहीं कर सकते तथा शब्दप्रयोगकी व्यवस्था बनाना असम्भव हो जाय, इसलिये भाषाके गौरव और लोकमान्यताके लिये भाषासम्बन्धी नियमका जानना आवश्यक होता है और इस नियमका नाम ही व्याकरण है। (वि + संस्कारविशेषण) संस्कारविशेषसे (आ = समन्तात्) संपुर्ण (शब्दान्) शब्दको जो, (करोति = निष्पादयति) उत्पन्न करता है वह व्याकरण है। अथवा (वि = संस्कारविशेषण) संस्कार-विशेषसे (आ = समन्तात्) संपुर्ण (शब्दा) शब्द (क्रियन्ते = निष्पाद्यन्ते) उत्पन्न किये जाते हैं (येन) जिससे, वह व्याकरण है। इन दोनों श्रुत्युक्तियोंसे भी उल्लिखित भाव स्पष्ट झलकता है। व्याकरणसे भिन्न-भिन्न अर्थोंमें शब्दनिष्पत्ति की जाती है, इसलिये अर्थप्राचुर्यमें भी व्याकरण ही कारण है। 'अर्थभेदात् ध्रुव-शब्दभेदः, सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचकाः' इत्यादि नियम भी व्याकरणको ही अर्थप्राचुर्यमें कारण बतला रहे हैं। इसलिये व्याकरण ही भाषातत्त्वमें प्रवेश करनेका मुख (द्वार) है। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादिका यदि मुख नहीं होता, तो उनका जिन्दा रहना दुःशक्य तो क्या असम्भव ही था। ठीक यही हालत उस भाषाकी भी है, जिसकी कि अपनी व्याकरण नहीं है।

भाषाकी स्थिति उस भाषाके प्रचुर साहित्य पर है। साहित्यका निर्माता कवि होता है और कवि नानार्थसे मीठे-मीठे शब्दोंको चाह रखता है। अर्थात् उसको ऐसे शब्द नहीं मिलते हैं वहाँ वह अपने साहित्यको रमणीय एवं हृदयवेधी नहीं बना सकता है और ऐसी हालतमें उसके उस साहित्यको साधारण लोग भी पसन्द नहीं करते हैं। इसका पारंगाम यह होता है कि वह भाषा, जिसमें साहित्यकी रमणीयता और हृदयवेधिता नहीं रहती है, अन्तको प्राप्त हो जाती है।

संस्कृत व्याकरण और उसका वैशिष्ट्य

संस्कृत भाषाका प्रचार संसारके कोने-कोनेमें (चाहे वह किसी रूपमें क्यों न हो) आज भी विद्यमान है। इसका कारण यह है कि उसका साहित्य विस्तृत तो है ही, सामने प्राण भी अधिक है। इसका भी कारण संस्कृत भाषाका व्याकरण ही है। संस्कृत व्याकरणकी यह खूबी है कि एक ही शब्दसे शब्दान्तरके योगसे नाना शब्द बन जाते हैं। हार, विहार, आहार, संहार, प्रहार, निहार इत्यादि अनेक शब्दोंकी सृष्टि "हृ" शब्दसे ही हुई है। इस खूबीको अन्य किसी भाषाका व्याकरण आज तक नहीं प्राप्त कर सका, इसलिये उन भाषाओंकी संकीर्ण भूमिपर किसी साहित्यनिर्माता कविका अन्तःकरण स्वच्छन्द विहार नहीं कर सकता है। यद्यपि इंग्लिश आदि भाषाओंमें साहित्यकी अधिकता है, फिर भी शब्दोंकी अधिक पुनरुक्ति कवियोंके लिये अवश्य करनी पड़नी है तथा शब्दकल्पना भी उनको बहुत करनी पड़ी है।

आज संस्कृतभाषास्वी सूर्य, जो अपना प्रकाश नहीं फैला रहा है, उसका कारण उसके व्याकरण,

साहित्य और भाषाशास्त्री कमी नहीं है, किन्तु उसके साहित्यके अन्तस्तत्त्व तक पहुँचनेके लिये हम असमर्थ हो गये हैं तथा राजाश्रय छूट गया है इत्यादि हैं। भाषा स्वभावसे परिवर्तनशील होती है। राजाश्रयके बिना उसकी व्यावहारिक उपयुक्तता कम हो जाती है, अतः वह हमारे लौकिक कार्योंमें विशेष सहायक नहीं बन सकती है। यदि संस्कृतभाषा राजभाषा होती और उसके आश्रयसे ही लोग (जबकि हम लोगोंने नौकरी पेशा की ही अपना जीवनोपाय बना लिया है) लौकिक आवश्यक कार्योंका सम्पादन करते होते, तो मालूम पड़ता कि उस भाषाके अन्दर प्रवेश होनेसे हमारा जीवन कितनी धार्मिकताके साथ व्यतीत हो सकता था, तथा हमारे संस्कारोंमें कितनी आर्यताकी संस्कृतिका विकास होता, जिसके कि ह्राससे आज हम गुलाम हो रहे हैं। संस्कृतव्याकरणमें जैन व्याकरण और उमका महत्त्व तथा ग्राह्यता

भारतमें जितने दर्शनोंका आविष्कार हुआ है, उन्हींमें संस्कृत भाषाको जरूर अपनाया है। इसका कारण उसकी व्यापकता और अर्थपूर्ण भाव द्योतकता है। यह मानी हुई बात है कि जो जिस विषयका पूरा विद्वान् है, वह उस विषयको दूसरोंके सामने स्वतंत्र ढंगसे पेश करता है, तथा जो जिस मतको अपना हितकर समझता है और उसके पोषक जितने विषय उसे आवश्यक प्रतीत होते हैं, उनमें दूसरे मनोंकी अपेक्षा रखना वह पसन्द नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि इस थोड़ी-सी परतन्त्रतासे हमारी संस्कृतिमें दुर्बलता आती है, अतः उसके अंग उपायभूत साहित्यका भी निर्माण वह स्वयं करता है और इस गौरवान्वित महत्त्वाकांक्षासे साहित्यका कलेवर परिपुष्ट होता है।

यद्यपि व्याकरण शब्दार्थज्ञानके लिये है, उससे किसी मतविशेषकी पुष्टि नहीं होती, भले ही उसका निर्माता किसी मतविशेषसे सम्बन्ध रखता हो, फिर भी अपना स्वतन्त्र व्याकरण नहीं होनेसे कोई भी मतवा-लम्बी अपने लिये व अपने सिद्धान्तके लिये प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके ऊपर पराधीनता, अर्थात्चीनता आदि दोषोंका (चाहे वह मत स्वतंत्र व प्राचीन क्यों न हो) आरोप लगाया जाता है। इसी कारणसे संस्कृत-भाषासम्बन्धी नाना व्याकरणोंका आविष्कार हुआ है। उनमें प्रसिद्ध व्याकरणों और उनके निर्माताओंका निर्वेध निम्न प्रकार पाया जाता है—

ऐन्द्रं, चान्द्रं, काशकत्स्नं, कौमारं, शाकटायनम् ।
सारस्वत, चापिशलं, शाकलं पाणिनीयकम् ॥ १ ॥
इन्द्रश्चन्द्रं, काशकत्स्ना पिशली शाकटायनः
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिका ॥ २ ॥

पहले पद्यमें नव व्याकरणोंके नाम हैं। उनमें शाकटायनव्याकरण शाकटायननामके जैनाचार्यकृत है। दूसरे पद्यमें आठ वैयाकरणोंके नाम हैं, जिनमें शाकटायन और जैनेन्द्र ये दो जैन वैयाकरण हैं। इन सब व्याकरणों व वैयाकरणोंमें कौन किससे प्राचीन है, इसका निर्णय पद्यके निर्देशक्रमसे निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले पद्यमें आपिशल व्याकरणका शाकटायन व्याकरणके पश्चात् निर्देश किया है और दूसरे पद्यमें उनके निर्माताओंका पूर्व निर्देशसे विपरोत निर्देश किया है। इनकी प्राचीनताका विशेष निर्णय तो इस समय इतिहासवेत्ताओं पर ही छोड़ना है क्योंकि मेरी रचित इतिहासविषयक नहीं है। किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि पाणिनीय व्याकरणसे शाकटायन व्याकरण पूर्वका होना चाहिये, क्योंकि पाणिनिने अपने व्याकरणमें "त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य" इस सूत्रके द्वारा शाकटायनका निर्देश किया है। आपिशल, काशकत्स्न, शाकल आदि व्याकरणकर्ताओंका भी निर्देश पाणिनिने अपने ग्रंथोंमें किया है। इसलिये ये व्याकरण भी पाणिनि व्याकरणसे प्राचीन हैं।

पाणिनि नव्वाराज्यके समयमें हुए हैं। इससे भी प्राचीन समयमें उल्लिखित वैय्याकरणोंकी उपस्थिति थी। कई लोग शाकटायन नामके जैन-अजैन दो विद्वानको स्वीकार करते हैं। इससे उनका प्रयोजन यह है कि जैन शाकटायनाचार्य पाणिनिसे अर्थाचीन हैं और पाणिनिने अपने व्याकरणमें जिनका निर्देश किया है, वे अजैन थे और पाणिनिके पूर्वमें विद्यमान थे। वे इसमें यह कारण उपस्थित करते हैं कि शाकटायनका, जिनका कि पाणिनिने निर्देश किया है, वेदादि ग्रन्थोंसे भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। किन्तु यह कारण इतना पुष्कल नहीं है कि उनके प्रयोजनको सिद्ध कर सकें, क्योंकि मैंने पहले लिखा है कि व्याकरण शब्दार्थ-ज्ञानका ही प्रयोजक है। वैय्याकरण व्याकरण लिखते समय किसी सिद्धान्तविशेषसे कोई प्रयोजन नहीं रखता है। वह तो शब्दसिद्धि ही अपने ग्रन्थ निर्माणका ध्येय समझता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो काशिकाकार, जोकि जैन थे, पाणिनीय व्याकरणके ऊपर काशिकावृत्ति नामक टीका नहीं लिखते। और सिद्धान्तकौमुदीके पहले अजैन लोग भी जो उसका रुचिपूर्वक अध्ययन, अध्यापन करते थे वह भी अनुचित ठहरता। कादम्बरी ग्रन्थके ऊपर जैन टीकाकारने जो टीका लिखी है वह भी इसी सिद्धान्तको स्वीकार करनेमें सहायक है कि जो विषय किसी भी सिद्धान्तका विरोधी नहीं होकर समान रूपसे सबके उपयोगी हैं, वे सबको ग्रहण है। कोई-कोई विरोधी ग्रन्थोंकी टीकासे भी आचार्योंने की है। लेकिन अवश्य है कि उसका उद्देश्य केवल उनके सिद्धान्तको विस्तारसे समझ उनकी असत्यता प्रकट करना ही है। यह भावना दार्शनिक प्रथमों ही सम्भव है क्योंकि विरोधकी सत्ता सिद्धान्तके विषयमें ही पाई जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि जबतक अकाट्य प्रबल प्रमाण नहीं मिल जाता तबतक जैन शाकटायनाचार्यके अतिरिक्त एक अजैन शाकटायनाचार्यकी सत्ता स्वीकार करना विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं होता। इस समय इस लेखको समयाभासे संक्षेपमें लिख रहा हूँ अतः सम्पूर्ण बातोंपर विशेष प्रकाश नहीं डाल सका हूँ। मेरी हासिक उच्छ्वाह है कि जैन व्याकरणका संस्कृत-संसारमें प्रचुर प्रचार हो और यह तभी हो सकता है जब विद्वान् लोग व्याकरणके उद्देश्यको सामने रख कर उसकी महत्ताका प्रचार करें। इसके लिये भी मैं यवियमें यथासम्भव प्रयत्न करूँगा। इस समय तो इस लेखको संक्षेप पूर्वक लिखनेका ही प्रयोजन है।

जैनेन्द्र व्याकरण तो उनके नामसे ही जैनाचार्य कृत सिद्ध होता है। जैनेन्द्र व्याकरणके नामसे दो रूपक हमारे सामने उपस्थित है। एक तो वह, जिसकी टीका जैनेन्द्रमहावृत्ति है और दूसरा वह, जिसकी कि टीका शब्दार्थवचन्द्रिका है। इन दोनों रूपकोंके कर्ता स्वतंत्र है या एक दूसरेका रूपान्तर है, इसमें विद्वानोंका मतभेद है। किन्हीका कहना है कि जिसकी टीका जैनेन्द्रमहावृत्ति है वह जैनेन्द्र व्याकरण है और उसके कर्ता देवचन्द्र अपरनाम सर्वार्थसिद्धिके कर्ता पूष्यपादाचार्य है। और जिसकी टीका शब्दार्थवचन्द्रिका है उस व्याकरणका नाम शब्दार्थव है और उस टीकाका नाम चन्द्रिका ही है, क्योंकि "शब्दार्थवचन्द्रिका" शब्दका शब्दार्थवव्याकरणकी चन्द्रिकानामक टीका अर्थ होता है। किन्हीका कहना है। एक, दूसरेका रूपान्तर है कि इन दोनोंके कर्ता स्वतंत्र ही नहीं हैं। शब्दार्थवचन्द्रिका यह नाम टीकाका ही है। जैसे पाणिनीय व्याकरणकी टीका सिद्धान्तकौमुदी। अर्थात् जिस प्रकार सिद्धान्तकौमुदीशब्दका अर्थ सिद्धान्त नामक व्याकरणका कौमुदी नामक टीका नहीं होता है उसी प्रकार शब्दार्थवव्याकरणकी टीका चन्द्रिका यह अर्थ शब्दार्थवचन्द्रिका शब्दका नहीं होना चाहिये। तथा इन दोनोंमें सूत्रसादृश्य भी आधिक है। यदि ये स्वतन्त्र व्याकरण होते, तो अन्य व्याकरणोंकी तरह इन दोनोंमें भी इतना सूत्रसादृश्य नहीं होता। परन्तु इन दोनोंमें एक कोई मत तभी मान्य हो सकता है, जबकि एक मत अपनेमें संभव विरोधका निराकरण करते हुए अपनी सिद्धिमें प्रबल प्रमाण रखता हो। मैं इस समय तीनोंके विषयमें तटस्थ हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास पर्याप्त सामग्री नहीं, जिसके आधारपर कुछ लिख सकूँ, फिर भी इसके निर्णयके लिये सचिन्त अवश्य है।

यद्यपि और भी वैय्याकरणोंका उल्लेख जैनेन्द्रव्याकरणमें पाया जाता है। जैसे "बतुष्टयं समन्तभद्रस्य, राघुवृतबलेः, बेरो सिद्धसेनस्य" इत्यादि। तथापि उनके निम्न व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। इसीलिये सम्भवतः उनका निर्वेध प्रसिद्ध वैय्याकरणोंमें नहीं किया गया है। अथवा जबतक पद्योंका निर्माण हुआ है उसके बाद साम्प्रदायिकताके विषये प्रवेश करके इनकी कौतिकी छुपानेका प्रयत्न किया हो। अस्तु, कुछ भी हो, जैनेन्द्र-व्याकरणमें इनका निर्वेध पाया जाता है। इससे सम्भव है कि जैन साहित्यके अन्य आचार्यानि भी इस विषयमें कलम उठायी थी तथा वाङ्मयकी पवित्र सेवा करके जयतका कल्याण किया था। इस कथनसे मालूम पड़ता है कि जैन संसारमें बड़े-बड़े महत्त्वशाली वैय्याकरण हुए हैं। कोई यह कहनेका दावा नहीं कर सकता कि जैनियोंमें व्याकरणसूत्रकार नहीं हुए हैं, प्रत्युत हम यह कहनेमें समर्थ हैं कि जितने व्याकरणसूत्रकार जैनियोंमें हुए हैं उतने शायद ही किसी संप्रदायमें हुए हों। इनमें उपलब्ध व्याकरणोंकी टीकाय-प्रतिटीकायें उपलब्ध हैं, जिनको प्रकाशमें लानेकी बहुत आवश्यकता है। हाँ, इतना विस्ताररूप, जितना कि पाणिनीय व्याकरणकी टीका-प्रतिटीकाओंका है जैन व्याकरणोंकी टीका-प्रतिटीकाओंका नहीं है। तथा पाणिनीय व्याकरणका इतना फीलाव इसीलिए हुआ कि उसका वैदिक विद्वानोंने अत्यन्त श्रम करके प्रचार किया है। किन्तु जैनियोंने इस विषयपर बहुत दिनोंसे ध्यान देना छोड़ दिया है।

किसी भी व्याकरणका महत्त्व लघुतामें है। यह लघुता कई तरहसे हो सकती है। जैसे प्रक्रियाकृत लघुता, प्रतिपत्तिकृत लघुता, संज्ञाकृत लघुता आदि। जैन व्याकरणमें इन सब प्रकारकी लघुताओंका पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

पाणिनीय व्याकरणमें जहाँ डीप, डीष, डीन प्रत्ययोंका विधान स्वरविशेषके लिये स्वीकार किया है वहाँ जैनेन्द्र व्याकरणमें डी प्रत्ययसे ही कार्य निकाल लिया है। यह प्रक्रियाकृत लघुता है। इसी तरह सर्वत्र प्रक्रियाकृत लघुता पायी जाती है।

पाणिनिने "अर्धमात्रालाघवं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः" इस न्यायकी स्वीकार करके भी जब संज्ञाओंके विषयमें लघुताका अभाव देखा, तब संज्ञाविधिमें इस न्यायकी प्रवृत्तिका निषेध भी किया। लेकिन जैन व्याकरणमें संज्ञाकी लघुताको स्वीकार कर न्यायकी प्रवृत्तिकी अक्षुण्ण रक्खा है। जैसे सर्वणसंज्ञाके स्थानमें स्वसंज्ञा, प्रतिपादिक संज्ञाके स्थानमें मृत संज्ञा, सभास संज्ञाके स्थानमें सर्वज्ञा इत्यादि सभी संज्ञाओंको लघु बनाया है जो ग्रन्थोंको देखनेसे स्पष्ट मालूम पड़ सकता है।

जहाँ प्रक्रियाकृत और संज्ञाकृत लघुता है वहाँ पर प्रतिपत्तिकृत लघुता है ही, क्योंकि उक्त दोनों लघुताओंके रहनेसे पद्यार्थज्ञानमें सरलता पड़ जाती है।

पाणिनिने इससंज्ञा विधानमें कई नियम बताये हैं किन्तु जैनेन्द्र व्याकरणमें "अप्रयोगित" इस नियमकी स्वीकार करके अन्य नियमोंकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है। इसी प्रकारकी और भी बहुत-सी लघुतायें व्याकरणकी महत्ताको प्रकट करती हैं। यहाँपर संक्षेपमें विवरण मात्र करायी गया है।

कातंत्रव्याकरणमें तो इतनी प्रतिपत्तिकृत लघुता मानी हुई है कि बंगाल प्रान्तमें उसीका प्रचार है और उसकी परीक्षा कलकत्ता संस्कृत कालेजमें होती है, जोकि कलाप व्याकरणके नामसे प्रसिद्ध है। यह उसकी महत्ताका द्योतक है।

मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार कातंत्रव्याकरणका किसी जमानेमें प्रचार हुआ है उसी प्रकार अन्य जैन व्याकरणोंका भी प्रचार हो सकता है। लेकिन हम स्वयं उसकी महत्ताको नहीं समझे हैं। कातंत्रका भी

प्रचार जिनयोंने नहीं किया, दूसरोंने स्वयं ही उसकी महत्तासे उसे ब्राह्म समझकर उसको अपनाया है। इसमें भी हमें इतनेसे ही सन्तोष करना पड़ता है कि उसका प्रचार है। पढ़ने-पढ़ाने वाले यह नहीं ममझते कि इस व्याकरणके मूलकर्ता जैन थे। परन्तु यह बात सब व्याकरणोंके लिये लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि जो स्वयं अपनी वस्तुको पसन्द नहीं करता है उसको दूसरा कैसे पसन्द कर सकता है। हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये कि उसकी महत्ताको समझें और उसकी उपादेयताका विचार कर उसीका अध्ययन-अध्यापन करें।

पाणिनीकी अष्टाध्यायीसे जो काम नहीं निकलता, वह जैनेन्द्र पञ्चाध्यायीसे अनायास सिद्ध हो जाता है। पाणिनीकी कमीको वातिककारने पूरी की और वातिककार भी जिन शब्दोंको सिद्ध करना भूल गये उनकी सिद्धि भाष्यकारने भाष्यवातिक बनाकर की है। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है, जो सूत्रकार पाणिनि, वातिककार कात्यायन और भाष्यकार पतञ्जलिनं सिद्ध किया हो और जैनेन्द्र पञ्चाध्यायीसे सिद्ध न होता हो। यह भी जैनेन्द्र व्याकरणकी महत्ताका प्रयोजक है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जैन व्याकरणोंको महत्त्वशाली बनानेमें आचार्योंने पुरा-पुरा प्रयास किया है।

भाषाके प्रचारसे अपनी संस्कृतिका प्रचार होता है। परकी संस्कृतिसे बचाव होता है। यह तत्त्व सर्वमान्य है और यही कारण है कि मुसलमान और यूरोपियन शासकोंने अपनी-अपनी भाषाओंको राजाश्रय दिया है। यदि ऐसा नहीं किया होता तो इनके साम्राज्यका वा जातीय महत्त्वका प्रचार ही नहीं हो पाता। यह तत्त्व आज ही नहीं, प्राचीन कालसे संस्कृतिकी रक्षाके लिये अत्यन्त उपयोगी माना गया है। हमारे आचार्योंने भी इसका उपयोग किया है, अन हमारे यहाँ जितने आचार्य हुए हैं वे धार्मिक हो या कवि सभीने आवश्यकता पड़नेपर जैन व्याकरणको ही अपनाया है। मुझे तो विश्वास है कि उन्होंने जैन व्याकरणके ढांग ही संस्कृत भाषाका ज्ञान किया होगा। क्योंकि उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें जगह-जगह त्रैन व्याकरणका उल्लेख किया है। अकलक देव, प्रभाबन्द्राचार्य, विद्यानन्द स्वामी प्रभृति कम विद्वान नहीं थे, जिन्होंने जैन व्याकरणका पुरा-पुरा गौरव रखा। बात तो यह है कि उन्होंने उसके गौरव और ब्राह्मताको समझ लिया था। १० आधाघरजी, कवि अर्हदासजी आदि, जो कि पूर्वाचार्योंकी अपेक्षासे बहुत अर्वाचीन हैं, जैन व्याकरणके सहारेपर ही उच्च विद्वान हुए, जिनकी मान्यता और जिनके ग्रन्थोंकी मान्यताको आज हम बड़े गौरव और उसाहूके साथ उल्लिखित करने हैं। अब हम समझ सकते हैं कि कितनी उपादेयता जैन व्याकरणमें भरी हुई है।

हमारे पूज्य आचार्योंने व्याकरण इसलिये नहीं बनाया था कि हम लोग उसको ब्यवहृत करना भूल जावेंगे, किन्तु उसका ध्येय, भाषा और भावका, जो बोध्य-बोधक सम्बन्ध है और वैयाकरण भी अपने ही धर्म सम्बन्धी उदाहरणोंसे व्याकरणके नियमोंका विकास करता हुआ जो श्रद्धाका भाव पुष्टि करता है उसके प्रचारका था। जैसे आप जब अन्य काव्य पढ़ते हैं उससे उसके कर्ता कविके विचारोंका आपपर असर पड़ता है वेसे ही आप अन्य व्याकरण पढ़ते हैं उस समय भी अन्यके विचारोंका अनायास ग्रहण होता है। उदाहरणके लिये पाणिनीय व्याकरणमें 'रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः।' जैनेन्द्र व्याकरणमें 'सासारिकसुख-नु सतः उत्तमे मोक्षसुखे चरतीति धर्म.' आदि-आदि उदाहरणोंमें कितना धार्मिक भाव भरा हुआ है, जिसका कि असर क्रोमल हृदय विद्यार्थिके अन्तःकरणपर पड़े बिना नहीं रह सकता है। यदि सब विषयके ग्रन्थ अपने होते तो अपनी संस्कृतिका भी अच्छा प्रचार हो सकता है। तथा विपुल साहित्यिक कार्य देखकर अपनी समाज विद्वान कहला कर आदर्श समाजकी पदवीको प्राप्त हो सकती है। अन्यथा जिस प्रकार सजाता और मेनाका परस्पर अविनाभाव है। सजातेके रहनेपर ही सेनाका जीवन्निर्वाह तथा सेनाके रहनेपर ही सजावकी रक्षा हो सकती है उसी प्रकार जैनधर्ममें स्वसमय और परसमयका भी अविनाभाव है। जितने भी सिद्धांतग्रन्थ हैं और

चिन्ता सम्बन्ध आध्यात्मिकतासे है वे स्वसमयमें अन्तर्भूत होते हैं तथा जितने न्याय, व्याकरण, साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थ हैं वे परसमय कहलाते हैं।

न्याय, व्याकरण, साहित्यरूप परसमयके ग्रन्थोंके बिना सिद्धान्तग्रंथो (स्वसमय) का स्वरूप व्यवस्थित नहीं हो सकता, न उनसे आत्मार्षीं पुरुष कुछ लाभ भी ले सकता है एवं बिना स्वसमयके न्यायादि परसमयका भी कुछ उपयोग नहीं हो सकता। अतः ऐसी हालतमें समाज जो दोनोंको अनुपादेय समझ रहा है उससे समाजका और उसके स्वसमय-परसमयरूप साहित्यका नाश हो रहा है। इसलिये इनकी रक्षा करनेका हमारे समाजका परम कर्तव्य है। अतः इनके उद्धारके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये।



षट्खण्डागमके 'संजद' पदपर विमर्श

[यह लेख साहित्यिक एवं सैद्धांतिक चर्चाओंके ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे आज भी महत्वपूर्ण है ।]

अर्सेस प्रोफेसर हीरालालजी जैनके "क्या दिगम्बर और क्या श्वेताम्बर सम्प्रदायोंके शास्त्रोंमें कोई मौलिक भेद है ?" शीर्षक वक्तव्यपर उनके और दिगम्बर जैन समाजके बीच विवाद चल रहा है । दिगम्बर समाजने प्रोफेसर साहबके वक्तव्यको दिगम्बर मान्यताओंके मूलपर एक आघात समझा है । उसकी धारणा है कि यदि इस वक्तव्यका निराकरण न करके इसके प्रति उपेक्षा धारण कर ली जाय, तो भविष्यमें दिगम्बर मान्यताओंके प्रति जनसाधारणका अविश्वास हो सकता है ।

किसी भी संस्कृतिककी उपासक समष्टि उस संस्कृतिको जहाँ अपने कल्याणका साधन समझती है वहाँ उसकी सन्तान और दूसरे-दूसरे लोग भी उस संस्कृतिसे अपना कल्याण कर सकें, यह भावना भी उसमें स्वाभाविक तौरपर विद्यमान रहती है । यही एक आधार है कि प्रत्येक समष्टिके ऊपर अपनी-अपनी संस्कृतिके संरक्षण और प्रसारका भार बना हुआ है । इस दृष्टिसे प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्यके विरुद्ध दिगम्बर समाजका आवाज उठाना जहाँ न्याय-संगत माना जा सकता है वहाँ यह मानना भी न्याय्य है कि प्रोफेसर साहबने अपनी बुद्धिपर भरोसा करके दिगम्बर आगमग्रन्थोंका एक निष्कर्ष निकालने और उस निष्कर्षको समाजके सामने रखनेका जो प्रयत्न किया है वह उनके भी स्वतंत्र अधिकारकी बात है । फिर जिस विषयको एक निष्कर्षके रूपमें प्रोफेसर साहबने समाजके सामने उपस्थित किया है वह विषय संदिग्धरूपसे न मालूम कितने आगमके अभ्यासी व्यक्तियोंके हृदयमें विद्यमान होगा । इसलिये प्रोफेसर साहबके इस प्रयत्नसे वक्तव्य-संग्रहीत विषयोंको आगमग्रन्थोंके निर्विवाद अर्थों द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा देना योग्य अवसर ही समझना चाहिये था । परन्तु हम देखते हैं कि प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियों ने या दिगम्बर समाजके विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले विषयके अधिकारीवर्गके बीच लम्बे अर्सेसे चल रहे वाद-विवादके बाद भी उभयपक्षके बहुत कुछ अनुचित प्रयत्नों द्वारा परस्पर कटुता बढ़नेके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं हुआ है । और यही कारण है कि इस तथ्यहीन वाद-विवादसे ऊबकर 'जैनमित्र' के सम्पादक महोदयको बाध्य होकर यह लिखना पड़ा है कि इस विवादसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी भी लेखको 'जैनमित्र' में स्थान नहीं दिया जायगा ।

तात्पर्य यह है कि कोई भी विषय जब पक्ष और विपक्षके झमेलेमें पड़ जाता है तो वहाँ विचारकी दृष्टि आती रहती है और मान-अपमानका प्रश्न खड़ा हो जाता है, इसलिये उभय पक्षकी ओरसे प्रदानतया अपना प्रभाव अक्षुण्ण रखने तथा दूसरे पक्षका प्रभाव नष्ट करनेका ही प्रयत्न होने लगता है । दूसरे-दूसरे बाह्य कारणोंके साथ यह एक अंतरण कारण है कि इस विषयमें हम अभी तक मीन रहते जाये हैं । लेकिन आज हम जो अपने विचारोंको नहीं दबा सक रहे हैं उसका कारण यह है कि हमारे सामने एक तो श्री ५० जुगलकिशोरजी मुस्तारका वह लेख है जो उन्होंने श्री प्रेमीजीके "अन्यायका प्रमाण मिल गया" शीर्षक लेखके ऊपर जैनमित्रमें लिखा है और दूसरे दिगम्बर जैन समाज बम्बईकी ओरसे प्रकाशित दिगम्बर जैन सिद्धान्त दर्पणके वे दोनों भाग हैं जिनमें भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा श्री प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्य तथा दूसरे वक्तव्योंके विरोधमें लिखे गये लेखोंका संग्रह है ।

श्री प्रेमीजीने अपने उक्त लेखमें यह लिखा था कि सद्रूपणके ९३वें मुद्रमें प्रोफेसर साहबने लेखकोंकी गलतीसे 'संयत' पद छूट जानेकी जो कल्पना की है वह सही है और वह पद मुद्रचिह्नकी प्रतिमें मौजूद है । इसपर श्री मुस्तारसाहबने अपने लेखमें कई आनुवंशिक संकायों उपस्थित किये हैं और उनके निराकरण

करनेके लिये प्रेरणा करते हुए कुछ उपाय भी सुझाये है। और हमें विश्वास है कि श्री मुस्तार साहब भी स्वयंमें यह नहीं सोच सकते हैं कि प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियों द्वारा मूडबित्रीकी प्रतिमें संयत-पद जोड़नेका अनुचित प्रयत्न किया गया होगा, परन्तु संदेह पैदा होनेके कारणरूपतः जिन दलीलोंका श्री मुस्तार साहबमें अपने लेखमें संकेत किया है वे इतनी स्वाभाविक है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम आशा करते हैं कि संबंधित महानुभावोंका ध्यान श्री मुस्तार साहबके लेख पर पहुँचा होगा और उन्होंने संदेह निवारण करनेके लिये प्रयत्न चाशू कर दिया होगा।

हम मानते हैं कि उक्त संदेह श्री प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियोंकी नीयत पर भयंकर हमला है परन्तु जब मनुष्य किसी भी वाद-विवादके दलदलमें फँस जानेपर अपनी प्रामाणिकताको सुरक्षित रखनेके महत्त्वको भूल कर स्वार्थ और अभिभावकी पुष्टिके लिये उदारता और सहिष्णुताके मार्गको छोड़ देता है तो उसकी नीयत पर ऐसे भयंकर हमलोंका होना आश्चर्यकी बात नहीं है। और हमें कहना पड़ रहा है कि साधारण समाजने प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्यके विरुद्ध अपनी जो भावना प्रदर्शित की है वह तो किसी रूपमें उचित मानी जा सकती है परन्तु समाजके विभागोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले विषयके विद्वानोंने तथा श्री प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियोंने निश्चित ही अपनी जवाबदारी यथोचित रीतिसे नहीं निभायी है।

जब श्री प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्यके विरुद्ध विगम्बर समाजमें आवाज उठी तो उन्होंने यह कहकर उस आवाजको दबानेकी कोशिश की, कि उन्होंने वह वक्तव्य जिज्ञासुभावसे प्रेरित होकर प्रकट किया है, उनकी मंशा विगम्बर मान्यताओं पर चोट करनेकी नहीं है। प्रोफेसर साहबकी मंशा भले ही विगम्बर मान्यताओं पर चोट करनेकी न हो, परन्तु उनका वक्तव्य विगम्बर मान्यताओंका स्पष्ट लक्ष्य है, इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमें प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्यमें ऐसा एक भी वाक्य नहीं मिल रहा है जो उनके जिज्ञासुभावकी प्रदर्शित कर रहा हो। इसलिये वक्तव्य प्रकट करनेके बाद विगम्बर समाजको साम्बन्धा देनेके लिये प्रोफेसर साहब द्वारा कुमायने शब्दोंका प्रयोग हमारी समझके अनुसार निरर्थक ही नहीं बल्कि अनुचित जान पड़ता है।

इसी प्रकार कहना होगा कि श्री प्रेमीजीके लेखका "अन्यायका प्रमाण मिल गया" यह शीर्षक उनके स्वयंत अभिमान और विरोधी पक्षके प्रति रोष एवं तिरस्कारका ही सूचक है। हमारा यह भी ख्याल है कि प्रोफेसर साहब व पं० फूलचन्द्रजीके बीच चल रही उक्त वक्तव्यसे संबद्ध तत्त्वचर्चाका बीच में ही पं० फूलचन्द्रजीसे बिना पूछे ही स्वतंत्र पुस्तकके रूपमें प्रकाशित कर देना श्री प्रेमीजी जैसे गण्यमान्य व्यक्तिके लिये शोभास्पद बात नहीं है।

हमें अच्छी तरह याद है कि गतवर्ष कलकत्तामें वीर-वासन महोत्सवके अवसरपर प्रोफेसर साहबके उक्त वक्तव्यपर उभय पक्षकी ओरसे जिस तत्त्वचर्चाका आयोजन किया गया था वह तत्त्वचर्चा उस आयोजनके लिये निर्णीत सभापतिके संचालनकी छिलाईके कारण अनावश्यक और अनुचित शास्त्रार्थका रूप धारण कर गयी थी और उपस्थित समाजको अपनी ओर आकर्षित करना तथा अपने विपक्षका किसी तरह मुझ कब्ध करना ही उसका प्रधान लक्ष्य हो गया था। हम मानते हैं कि इसमें अधिक अपराधी वक्तव्यके विरुद्ध बोलनेवालों पाटीका ही ठहराया जा सकता है।

हमें पं० हीरालालाजीके "प्रोफेसर साहबके वक्तव्य पर मेरा स्पष्टीकरण" शीर्षक वक्तव्यको देखकर महान आश्चर्य हुआ कि ग्रन्थके सम्पादक होने के लिये श्री सूत्रमें 'संयत' पद जोड़नेकी अपनी जवाबदारीसे हटनेके लिये उन्होंने अनुचित, असोचनीय और असफल प्रयत्नको अपनाया है। तथा यह देख कर तो वीर भी

आश्चर्य हुआ कि बम्बईकी दिगम्बर समाजने इस सारहीन वक्तव्यका प्रोफेसर साहबके वक्तव्यके विरुद्ध प्रकाशित पुस्तकमें उपयोग करना उचित समझा है। क्या पं० हीरालालजीने धन्य प्रकाशित हो जानेके बाद उस टिप्पणीको नहीं देखा होगा? और जिस वाक्यांशका उनकी दृष्टिसे भ्रातृक अर्थ लगा है उसके बारे में क्या वे फुटनोट द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर सकते थे? यदि उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया हो, तो वे समाचारपत्रों द्वारा अपनी सम्मति उसी समय समाज पर प्रकट नहीं कर सकते थे? उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका अर्थ यह करना अनुचित नहीं माना जायगा कि पं० हीरालाल जी 'दीप्ती चले बमार पीठ पुनि तैसी दीजे' की नीतिका अनुसरण करना जानते हैं। इसी तरह बम्बईकी दिगम्बर जैन समाजको भी कहा जा सकता है कि उसने श्री पं० हीरालालजीके उक्त स्पष्टीकरणको प्रोफेसर साहबके विरुद्ध हथियार बनाकर 'अर्थां दोषं न पश्यति' की नीतिको चरितार्थ किया है।

उभय पक्षकी ऐसी बहुत-सी मिसालें यहाँ पर उद्धृत की जा सकती हैं, जिन्होंने विषयको निष्कर्ष पर पहुँचानेकी अपेक्षा हानि ही अधिक पहुँचाई है। विचार-विनिमयसे उभय पक्षको जितना एक-दूसरेके निकट जाना चाहिए था उक्त दूषित नीतिका अनुसरण करनेके कारण वे जतनी ही दूरी पर चले गये हैं। और यह सभ्यके लिये अत्यन्त खेदकी बात होना चाहिये, कारण कि ऐसी प्रवृत्तियोसे उभय पक्षका गौरव नष्ट होता है और सर्वसाधारणके अहितकी सम्भावना रहती है। इमीलिये हमने यहाँपर संक्षेपमें उभय पक्षकी दूषित मनो-वृत्तिकी परिचायक कुछ प्रवृत्तियोंका संकेत किया है, ताकि उभय पक्ष अज्ञान, प्रमाद अथवा और किसी हेतुसे की गयी अपनी दूषित प्रवृत्तियोंकी ओर दृष्टिपात कर सके तथा अपनी बौद्धिक शक्तिका उपयोग धर्म, संस्कृति और समाजके हितसाधनमें कर सके। हम आशा करते हैं कि जब तक प्रोफेसर साहबके वक्तव्यमें निर्विष्ट विवाद-वस्तु विषय एक निष्कर्ष पर न पहुँचा दिये जायें, तब तक उभय पक्षकी चर्चा व्यक्तिकी छोड़कर विषय तक ही सीमित रहेगी।

बम्बईकी दिगम्बर जैन समाजकी ओरसे प्रोफेसर साहबके वक्तव्यके विरुद्ध यद्यपि हमारे सामने मौजूदा वो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। परन्तु इतने मात्रसे दिगम्बर समाजका उद्देश्य सफल नहीं हो सका है और हमारी चारणा है कि इस प्रकारके प्रयत्नों द्वारा कभी भी उद्देश्यमें सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हमारी राय है कि उद्देश्यकी सफलताके लिये उभय पक्षकी ओरसे सिलसिलेवार उत्तर-प्रत्युत्तर स्वरूप चलनेवाली एक लेखमालाकी ही स्वतन्त्र व्यवस्था होना चाहिये। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस प्रकारकी व्यवस्था करनेका भार विद्वत् परिषदको अपने ऊपर ले लेना चाहिये, साथ ही उसका कर्तव्य है कि वह प्रोफेसर साहबके साथ इस विषयके निर्णयमें भाग लेनेके लिये दिगम्बर समाजकी ओरसे कुछ विद्वानोंकी एक उपसमिति कायम करें और कोई भी विद्वान प्रोफेसर साहबके वक्तव्यके विरोधमें जो कुछ लिखे, वह इस उपसमितिकी देखरेखमें ही प्रकाशित हो, क्योंकि प्रायः सभी विद्वानोंमें किसी-न-किसी उद्देश्यको लेकर कुछ-न-कुछ लिखनेकी आकांक्षा पैदा होना स्वाभाविक बात है और यदि एक ही पक्षका समर्थन करनेवाले दो विद्वान एक ही विषयमें अज्ञान अथवा प्रमादकी वजहसे भिन्न-भिन्न विचार प्रकट कर जाते हैं तो विषयका निर्णय करना बहुत ही जटिल हो जाता है। हम देखते हैं कि पं० मन्मथनलालजी न्यायालंकार और पं० रामप्रसादजी धारसी बम्बई (जिन्होंने स्वयं अपनी विद्वत्साधन पूर्ण विश्वास है और समाज भी योग्य विद्वानोंमें विनकी गणना करती है) अपने लेखोंमें अत्यन्तप्रामाण्यकी सत्प्रकरणोंके १२वें सूत्रकी बचला-टीकाके कुछ अंशोंका परस्पर भिन्न अनुवाद कर गये हैं और प्रोफेसर साहबके वक्तव्यके विरोधमें बम्बई दिगम्बर जैन समाजकी ओरसे प्रकाशित दिगम्बर जैन सिद्धान्त धर्मणके दोनों भागोंका सम्पादन करते समय भी इसकी ओर कथ्य नहीं

रखा गया है। आज यदि इसका स्पष्टीकरण किया जाता है तो बहुत कष्ट सम्भव है कि ये दोनों विद्वान भी अपनी-अपनी विषय पर अड सकते हैं। इसलिये विषयके निर्णयके लिये मीथा और उपयुक्त मार्ग यही है कि विद्वत् परिषद् कुछ चुने हुए विद्वानोंकी एक उपसमिति कायम करे। हम आशा करते हैं विद्वत् परिषद्का ध्यान हमारे इस सुझावकी ओर अवश्य जायगा।

पं० मन्मथनलालजी व पं० रामप्रसादजी शास्त्रीके ऊपर निबिष्ट अनुवाद-भेदका स्पष्टीकरण तथा उक्त सूत्रमें 'संयत' पदकी आवश्यकता और अनावश्यकतापर विचार किया जायेगा।

पहले किये गये संकेतके अनुसार यहाँपर हम शीर्षकके अन्तर्गत निर्दिष्ट सूत्रकी षवलाटीकाके पं० मन्मथनलालजी न्यायालंकार और पं० रामप्रसादजी शास्त्री द्वारा किये गये परस्पर-भिन्न हिन्दी अनुवादोंपर विचार करते हुए सूत्रमें 'संयत' पदकी आवश्यकता और अनावश्यकतापर यहाँ अपना विचार प्रकट करेंगे।

षवलाटीकाका वह मूल अंश, जिसके हिन्दी अनुवादमें उक्त उभय विद्वानोका मतभेद बतलाया गया है, मुद्रित प्रतिमें निम्न प्रकार पाया जाता है—

“दृष्ट्वावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यद्दृष्ट्य किन्नोत्पद्यन्त इति चेन्न, उत्पद्यन्ते। कुतोऽवसीयते ? अस्मादेवार्थात्, अस्मादेवार्थाद् द्रव्यस्त्रीणा निर्वृतिं सिद्धचेदिति चेन्न, सवासस्त्वावप्रत्यास्थान-गुणास्थितानां संयमानुपपत्तेः।”

इसका हिन्दी अनुवाद मुद्रित प्रतिमें निम्न प्रकार पाया जाता है—

शंका—दृष्ट्वावसर्पिणी काल संबन्धी स्त्रियोंमें सम्यद्दृष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनमें सम्यद्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी आगम प्रमाणसे जाना जाता है।

शंका—तो इसी आगमप्रमाणसे द्रव्यस्त्रियोका मुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धनसहित होनेसे उनके संयतासंयत गुणस्थान होगा है, अतएव उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है।

पं० मन्मथनलालजीने षवलाटीकाके उक्त अंशका हिन्दी अनुवाद करते हुए, मुद्रित प्रतिके इस अनुवादको पूर्णतः सही माना है, परन्तु पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने वाक्यविन्यासको गलतीके आधारपर इस अनुवादको गलत माना है और अपना भिन्न ही अभिप्राय प्रकट किया है। उनकी दृष्टिके अनुसार इस अंशकी स्थिति निम्न प्रकार है—

“दृष्ट्वावसर्पिण्यां स्त्रीषु सम्यद्दृष्ट्य किन्नोत्पद्यन्त इति चेत् गोत्पद्यन्ते। कुतोऽवसीयते ? अस्मादेवार्थात्, अस्मादेवार्थाद् द्रव्यस्त्रीणां न निर्वृतिः। सिद्धचेदिति चेन्न, सवासस्त्वावप्रत्यास्थान-गुणास्थितानां संयमानुपपत्तेः।”

मुद्रित प्रतिके उक्त अंशसे इसमें एक तो वाक्यविन्यासकी विशेषता है और दूसरे 'द्रव्यस्त्रीणां निर्वृतिः'-के स्थानपर 'द्रव्यस्त्रीणां न निर्वृतिः' ऐसा पाठभेद स्वीकार किया गया है तथा इसका जो हिन्दी अनुवाद पं० रामप्रसादजीको मान्य है उसको निम्न प्रकारसे प्रकट किया गया है—

शंका—दृष्ट्वावसर्पिणीकालदोषके प्रभावसे स्त्रियोंमें सम्यद्दृष्टि जीव क्या नहीं उत्पन्न होते हैं ?

समाधान—नहीं उत्पन्न होते हैं।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी (१३वें) ऋषिप्रणीत भागम्सूत्रसे जाना जाता है और इसी (१३वें) ऋषिप्रणीत भागम्सूत्रसे यह भी जाना जाता है कि द्रव्यस्त्रियोंके भोज नहीं होता है ।

शंका—द्रव्यस्त्रियोंको भोज तो सिद्ध हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वस्त्रसहित होनेसे वे संयतासंयत गुणस्थानमें स्थित रहती हैं, इसलिये उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है ।

पाठक देखेंगे, कि दोनों प्रकारका हिन्दी अनुवाद उत्तरोत्तर तीन शंका-समाधानोंमें विभक्त है। इनमेंसे पं० रामप्रसादजी शास्त्री द्वारा ध्वलाटीकाकी मुद्रित वाक्ययोजनाको बदल कर किये गये अनुवादके पहले शंकासमाधानरूप भागसे हम भी सहमत हैं क्योंकि दृष्टावसर्पिणोकालदोषके प्रभावसे परंपराविद्ध कार्य तो हो सकते हैं परन्तु उनसे करणानुयोग और द्रव्यानुयोग द्वारा निर्णीत सिद्धान्तोंका अपलान नहीं हो सकता है, कारण संपूर्ण काल, संपूर्ण क्षेत्र, सम्पूर्ण द्रव्य और सम्पूर्ण अवस्थाओंको ध्यानमें रखकर करणानुयोग और द्रव्यानुयोग द्वारा निर्णय सिद्धान्तोंपर कालविशेष, क्षेत्रविशेष, द्रव्यविशेष और अवस्थाविशेषका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसलिये जब करणानुयोगका यह नियम है कि कोई प्राणी सम्यग्दर्शनकी हालतमें मर कर स्त्रियोंमें उत्पन्न नहीं होता है तो दृष्टावसर्पिणोकालका दोष इसका अपवाद नहीं हो सकता है। इस प्रकार पं० रामप्रसादजी शास्त्रीके साथ-साथ हमारा भी यह मान्यता है कि मुद्रित प्रतिमें ध्वलाटीकाके इस अंशकी वाक्ययोजना निश्चित करने और उसका हिन्दी अनुवाद करनेमें गल्ती कर दी गई है और पं० मन्मथलालजी न्यायालंकार भी अपने अनुवादमें उस गल्तीको दुहरा गये। परन्तु आगे पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने मुद्रित प्रतिमें स्वीकृत ध्वला टीकाके 'द्रव्यस्त्रीणा निर्वृति' इस वाक्यांशके स्थानपर 'न' पद जोड़कर 'द्रव्यस्त्रीणा न निर्वृति' इस वाक्यांशको स्वीकार करके वाक्ययोजना बदलने और उस बदली हुई वाक्ययोजनाके आधारपर हिन्दी अनुवाद करनेका जो प्रयास किया है उसमें एक तो अनुवाद करते समय अधिक सीचातानी करनी पड़ी है, दूसरे उनके अभिप्रायकी पुष्टिके लिये इसे हम उनका प्राणायामका अनुसरण कह सकते हैं और तीसरे उनका यह प्रयास निरर्थक भी है।

इनमेंसे अनुवाद करते समयकी सीचातानी तो यहाँपर स्पष्ट ही है क्योंकि ध्वलाटीकाके इस अंशका जो अभिप्राय अनुवादद्वारा पं० रामप्रसादजी शास्त्री निकालना चाहते हैं उसके अनुकूल वाक्यरचनाका ध्वलाटीकामें अभाव है। यदि 'अस्मादेवावाद् द्रव्यस्त्रीणा न निर्वृति' इस वाक्यको सिद्धान्तपरक मानकर सिर्फ 'सिद्धयेत्' इस क्रियारूप वाक्यको ही आक्षेपपरक माना जाय तो वाक्यरचनामें अपुरेपनका अनुभव होने लगता है जो कि अनुचित है।

प्राणायामका अनुसरण हम इसलिये कहना चाहते हैं कि पं० रामप्रसादजी शास्त्री 'अस्मादेवावाद् द्रव्यस्त्रीणां न निर्वृति' इस वाक्यसे उक्त १३वें सूत्रमें 'संयत' पदके अभावके आधारपर सिर्फ परंपरायको मान्य 'द्रव्यस्त्रियोंकी मुक्तिका अभाव' प्रस्थापित करना चाहते हैं और 'सिद्धयेत्' इस वाक्यसे क्षेत्रानुयम, स्थानानुयम आदि प्ररूपणाओंके अन्तर्गत मनुष्यप्ररूपणाके आधारपर दिगम्बर परंपरायको उक्त मान्यतापर आक्षेप उपस्थित करना चाहते हैं, जिसका समाधान 'सवासत्वात्—' आदि पंक्ति द्वारा किया गया है। लेकिन इस विषयमें हमारा कहना यह है कि यदि पं० रामप्रसादजी शास्त्रीको यह अर्थ अभीष्ट है तो इसके लिये 'द्रव्यस्त्रीणां निर्वृतिः'के स्थानपर 'द्रव्यस्त्रीणा न निर्वृतिः' इस पाठको मान कर एक ही वाक्यमें दो वाक्योंकी कल्पना करनेके कष्टसाध्य प्रयत्नके करनेकी उम्मीद क्या अक्षरत है ? क्योंकि 'अस्मादेवावाद्' इस वाक्यांशको सूत्रपरक न मानकर यदि सूत्रके समूहपरक ग्रन्थपरक मान लिया जाय और इसका अर्थ इसी

ऋषिप्रणीत ९३वें सूत्रसे' इस प्रकार न करके 'इसी ऋषिप्रणीत आगमग्रन्थसे अर्थात् श्रोत्रानुगम, स्पष्टानुगम आदि प्ररूपणाओंके अन्तर्गत मनुष्यप्ररूपणा द्वारा' इस प्रकार मान लिया जाय, तो उसके लिये अभीष्ट 'संयत-पक्का अभाव' भी सूत्रमें बना रहता है और 'न' पद जोड़ कर एक वाक्यमें दो वाक्योंकी कल्पना भी उन्हें नहीं करनी पड़ती है। केवल 'अस्मादेवाषाद् द्रव्यस्त्रीणां निवृत्ति' सिद्धयेत्' इस सपूर्ण वाक्यको आलोपरक एक वाक्य मान करके पं० रामप्रसादजी शास्त्रीके अभिप्रायानुसार 'इसी आगमग्रन्थसे अर्थात् श्रोत्रानुगम आदि प्ररूपणाओंके अन्तर्गत मनुष्यप्ररूपणा द्वारा द्रव्यस्त्रियोंकी मुक्तिका प्रसङ्ग हो सकता है'। इस प्रकारके प्रकरणगत अर्थकी संगति बैठ जाती है। परन्तु पं० रामप्रसादजी शास्त्रीकी 'अस्मादेवाषाद्' इस वाक्यको सूत्रके समूहक प्रथपरक न मान कर केवल सूत्रपरक मानते हुए उसका 'इसी ९३वें सूत्रक आगम-प्रमाणसे' ऐसा अर्थ करना [जो कि हमारी रायमें भी ठीक अर्थ है] इसलिये अभीष्ट है कि वे इसी आधारपर इस ९३वें सूत्रमें विवादग्रस्त 'संयत' पक्का अभाव सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी रायसे वे इसमें भी सफल नहीं हो सकते हैं।

पं० रामप्रसादजी शास्त्रीका ख्याल है कि श्रोत्रानुगम, स्पष्टानुगम आदिकी मनुष्यप्ररूपणाओंमें केवल मनुष्यगी शब्द पाया जाता है इसलिये उन सूत्रोंमें इसका अर्थ भावस्त्री करना चाहिये और सत्प्ररूपणा के ९३ वें सूत्रमें मनुष्यगी शब्दका अर्थ द्रव्यस्त्री करना चाहिये, परन्तु उनका यह ख्याल गलत है क्योंकि सत्प्ररूपणा, श्रोत्रानुगम, स्पष्टानुगम आदि सभी प्ररूपणाओंमें 'मनुष्यगी' शब्दका अर्थ समानरूपसे पर्याप्तनामक कर्म, स्त्रीबेदनोकथाय और मनुष्यगतिनामकमेंके उदयवाला जीव' ही मुक्ति-प्राप्त तथा आगमसम्मत है और मनुष्यगी मंत्रावाले इस जीवके ही ९२ वे और ९५ वें सूत्रों द्वारा यदि वह निवृत्त्यपर्याप्तक हालतमें है तो प्रथम और द्वितीय गुणस्थानोंकी और यदि वह निवृत्त्यपर्याप्तक हालतको पारकर गया हो तो उसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ आदि सभी गुणस्थानोंकी संभावना बतलाई गई है। सत्प्ररूपणाके ९३वें सूत्रमें 'मनुष्यगी' शब्दसे यदि सिर्फ द्रव्यस्त्रीको ही ग्रहण किया जाता है तो जो जीव दिगम्बर मान्यताके अनुसार द्रव्यसे पुरुष और भावसे स्त्री है उसका ग्रहण उक्त सूत्रमें पठित मनुष्यगी शब्दसे न हो सकनेके कारण उसकी निवृत्त्यपर्याप्तक हालतमें चतुर्थ गुणस्थानके प्रसंगकी टालनेके लिये आगमका कौनसा आधार होगा, कारण कि दिगम्बर मान्यताके अनुसार कर्मसिद्धांतके आधारपर स्त्रीबेदोदयविशिष्ट पुरुषके भी निवृत्त्यपर्याप्तक हालतमें चतुर्थ गुणस्थान नहीं स्वीकार किया जाता है। इसलिये आगमग्रन्थोंमें जहाँ भी मनुष्यगीशब्दका उल्लेख पाया जाता है वहाँपर उसका अर्थ 'पर्याप्तनामकर्म, स्त्रीबेदनोकथाय और मनुष्यगतिनामकमेंके उदयवाला जीव ही करना चाहिये। ऐसा अर्थ करनेमें सिर्फ एक यह शंका अवश्य उत्पन्न होती है कि स्त्री-बेदोदयविशिष्ट मनुष्यगतिनामकमेंके उदयवाले जीवके अधिक-से-अधिक नौ (९) गुणस्थान तक हो सकते हैं। इसलिये इस जीवके १४ गुणस्थानोंका कथन करना असंगत और आगमविरोध है। लेकिन इसका समाधान उक्त ९३वें सूत्रकी चर्चला टीकामें कर दिया गया है कि यहाँपर मनुष्यगतिनामकका उदय प्रधान है और स्त्रीबेद-नोकथायका उदय इसका विशेषण है। इसलिये विशेषणके नष्ट हो जानेपर भी विशेष्यका सञ्जाव बना रखनेके कारण ही मनुष्यगीके १४ गुणस्थानोंकी सम्भावना बतलायी गयी है।

इस प्रकार अब उक्त ९३वें सूत्रमें 'मनुष्यगी' शब्दसे स्त्रीबेदोदयविशिष्ट द्रव्यपुरुषका ग्रहण भी अभीष्ट है श्रोत्रानुगम, स्पष्टानुगम आदि प्ररूपणाओंके अन्तर्गत मनुष्यप्ररूपणावाले सूत्रोंके साथ सामञ्जस्य बिठलनेके लिये इस सूत्रमें भी संयतपक्का सञ्जाव अनिवार्य रूपसे स्वीकार करना पड़ता है और तब पं० राम-प्रसादजी शास्त्रीने उक्त ९३वें सूत्रमें संयतपक्का अभाव सिद्ध करनेके लिये जिन श्लोका उरणमें किया है वे सब निःसार हो जाती हैं।

अपने लेखके परिशिष्टमें पं० रामप्रसादजी शास्त्री एक और गलती कर गये हैं। उन्होंने अपनी ऊपर बतलायी हुई कल्पनाको गीण करके बहूपर एक दूसरी ही कल्पनाको जन्म दिया है। वे कहते हैं कि 'अस्मादेवार्थं इत्यस्तीर्णा निवृत्तिः मिद्वयेदिति चेन्न' इस पंक्तिमें द्वितकारवाले 'निवृत्ति' शब्दका अर्थ मुक्ति नहीं है बल्कि निष्पत्ति है। हम नहीं समझते कि 'निर्गता नष्टा नृत्तिर्वर्तनं संसारभ्रमणमित्यर्थ' इस व्युत्पत्ति के आधारपर द्वितकारवाले 'निवृत्ति' शब्दका अर्थ 'मुक्ति' करनेमें उन्हें क्या आपत्ति है और फिर श्रीवीरसेन स्वामीने द्वितकारवाले 'निवृत्ति' शब्दका पाठ न करके एक तकारवाले 'निवृत्ति' शब्दका पाठ किया हो, इस सम्भावनाको कैसे टाला जा सकता है? यद्यपि वाक्यविन्यासको तोड़-भरोड़ करके पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने इस बातकी कोशिका की है कि श्री वीरसेन स्वामीको बहूपर द्वितकारवाले 'निवृत्ति' शब्दका पाठ ही अभीष्ट है, परन्तु हम कहेंगे कि पं० रामप्रसादजी शास्त्रीने इस प्रयत्नमें विद्युद्द वैयाकरणत्वका ही आश्रय किया है क्योंकि उनकी अपने इंग्लिश वाक्योंकी तोड़भरोड़ करनेकी कोशिकाके बाद भी वे अपने उद्देश्यके नजदीक नहीं पहुँच सकते हैं अर्थात् पहले कहा जा चुका है कि मनुष्यणी शब्दका अर्थ पर्याप्तनामकर्म और स्त्रीवेदनोकथायके उद्यविविष्ट मनुष्यगतिनामकर्मके उद्यववाला जीव ही आममन्त्रणोंमें लिया गया है और वह इत्यसे स्त्रीकी तरहसे इत्यसे पुरुष भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि 'मनुष्यणी' शब्दका अर्थ स्त्रीवेदनोकथायके उद्यवसहित इत्यस्त्रीकी तरह स्त्रीवेदनोकथायके उद्यवसहित इत्यपुरुष भी होता है और यही अर्थ समानरूपसे सत्य-रूपणा, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम आदि प्ररूपणाओंमें 'मनुष्यणी' शब्दका है ऐसा समझना चाहिये। इस तथ्यको समझनेके लिये सम्बद्ध सूत्रों तथा उनकी धबला टीकाका गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करनेकी जरूरत है। सम्बद्ध सूत्रों और उनकी धबला टीका गम्भीरतापूर्वक चिन्तन न करनेका ही यह परिणाम है कि पं० रामप्रसाद-जी शास्त्री और भी बहुत-सी आलोचनाके योग्य बातें अपने लेखमें लिख गये हैं, जिनपर विचार करना यहाँ पर हम अनावश्यक समझते हैं।

बहुत विचार करनेके बाद हमने श्री पं० रामप्रसादजी शास्त्रीके उनके अपने लेखमें गलन और कष्ट-साध्य प्रयत्न करनेका एक ही निष्कर्ष निकाला है और वह यह है कि वे इस बातसे बहुत ही भयभीत हो गये हैं कि यदि सत्प्ररूपणाके ९३वें सूत्रमें 'संयत' पदका समावेश हो गया तो विगम्बर सम्प्रदायकी नीव ही चीपट हो जायगी। परन्तु उन्हें विश्वास होना चाहिये कि ९३वें सूत्रमें संयतपदका समावेश हो जानेपर भी न केवल स्त्रीमुक्तिका निषेधविषयक विगम्बर मान्यताको आंच आनेकी सम्भावना नहीं है अपितु पदसंज्ञानमकी सत्प्र-रूपणा, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम आदि प्रकरणगत सूत्रोंमें परस्पर सामन्वय भी हो जाता है।

हमारे इस कथनका मतलब यह है कि मुक्तिवादीको प्राचीनतम प्रतिमें भी संयत पद मौजूद हो, या न हो, परन्तु सत्प्ररूपणाके ९३वें सूत्रमें उसकी (संयतपदकी) अनिवार्य आवश्यकता है, हर हालतमें वह अभीष्ट है। विगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतभेद है वह पर्याप्त मनुष्यणीके चौदह गुणस्थान न मानने अथवा माननेका नहीं है क्योंकि पर्याप्त मनुष्यणीके चौदह गुणस्थानोंकी मान्यता उक्त दोनों सम्प्रदायोंमेंसे किसी एक सम्प्रदायकी मान्यता नहीं है बल्कि जैनधर्मकी ही मूल मान्यता है और इस मान्यताको उभय सम्प्रदायोंमें समान रूपसे अपनी-अपनी मान्यतामें स्थान दिया है। इन दोनों सम्प्रदायोंमें जो मतभेद है वह इस बातका है कि जैनधर्ममें पर्याप्त मनुष्यणीके जो चौदह गुणस्थान स्वीकार किये गये हैं वे कहीं विगम्बर सम्प्रदायोंमें पर्याप्त मनुष्यणीशब्दसे व्यवहृत स्त्रीवेदनोकथायके उद्यववाले इत्यसे पुरुषके ही संभव माने गये हैं वहीं श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पर्याप्तमनुष्यणीशब्दसे व्यवहृत स्त्रीवेदनोकथायके उद्यववाले इत्यसे स्त्रीके भी संभव माने गये हैं और इस मतभेदका मूल कारण यही जान पड़ता है कि विगम्बर सम्प्रदायमें बन्धवहणकी संभवता

घातक स्वीकार किया गया है जबकि श्वेताम्बर संप्रदायमें उसे (वस्त्रग्रहणको) संयमका घातक स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिये द्रव्यस्त्रीके चौदह गुणस्थान हो सकते हैं या नहीं? इस प्रश्नका निर्णय इस प्रश्नके निर्णयपर अवलंबित है कि वस्त्रग्रहणके साथ संयमका सद्भाव रह सकता है या नहीं?

जो विद्वान् वेदवैषम्यके आधारपर द्रव्यस्त्रीके संयम तथा मुक्तिकी निषेधविषयक दिग्म्बर-मान्यता का समर्थन करना चाहते हैं वे भी हमारी रायसे इस तरहसे दिग्म्बर संप्रदायमें मान्य 'द्रव्यस्त्रीके संयम तथा मुक्तिके अभाव' का समर्थन नहीं कर सकते हैं, कारण कि द्रव्यस्त्रीके संयम तथा मुक्तिका निषेध विषयक मान्यताके सद्भावमें दिग्म्बर सम्प्रदायके अनुसार वेदवैषम्यके आधारपर जैनधर्मकी 'पर्याप्त मनुष्यणीके चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति विषयक मूल्यमान्यता' का समन्वय तो किया जा सकता है परन्तु इसके (वेदवैषम्यके) आधारपर यह तो किसी हालतमें नहीं कहा जा सकता है कि द्रव्यस्त्रीके आदिके पाँच गुणस्थानोंको छोड़कर ऊपरके प्रमत्तसंयत आदि गुणस्थान नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार प्रोफेसर हीरालालजीके बारेमें भी हम यह निवेदन कर देना उचित समझते हैं कि भले ही षट्संज्ञागमग्रन्थमें द्रव्यस्त्रीके लिये आदिके पाँच गुणस्थान तक प्राप्त कर सकनेका स्पष्ट उल्लेख न हो, परन्तु वहाँपर ऐसा उल्लेख भी तो स्पष्ट नहीं है कि द्रव्यस्त्रीके भी चौदह गुणस्थान हो सकते हैं, इसलिये षट्संज्ञागमकी सत्यरूपणाले १३वें सूत्रकी बबलाटीका कितनी ही अर्वाचीन क्यों न हो, उसे षट्संज्ञागमके आशयके विपरीत आशयको प्रकट करनेवाली तो किसी भी हालतमें नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार षट्संज्ञागमग्रन्थमें बतलाई गयी मनुष्यणीके चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति का अर्थ वेदवैषम्यकी असंभवताके आधारपर 'द्रव्यस्त्रीके चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति' आगमकी मान्यता न होकर प्रोफेसर सा० की ही मान्यता कही जा सकती है क्योंकि श्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों सम्प्रदायोंमें जब वेदवैषम्य स्वीकार किया गया है तो इसपर (वेदवैषम्यकी असंभवतापर) आगमकी छाप किसी भी हालतमें नहीं लगाई जा सकती है। तात्पर्य यह है कि 'वेदवैषम्य संभव है या नहीं?' यह एक ऐसा प्रश्न है जैसे कि 'शरीरसे भिन्न जीव नामका कोई स्वतंत्र पदार्थ है या नहीं?' 'जीवकी मुक्ति होती है या नहीं?' 'स्वर्ग, नरक आदि वास्तविक हैं या काल्पनिक?' आदि प्रश्न हैं क्योंकि इन प्रश्नोंके समान ही यह प्रश्न भी आगमको संदिग्ध कोटिमें रख देनेके बाध ही उठ सकता है। इसलिये इस प्रश्नके बारेमें विचार करना मानों वेदवैषम्यको मानने वाला आगम प्रमाण है या अप्रमाण? इस प्रश्नके बारेमें ही विचार करना है। यद्यपि इस प्रश्नपर विचार करनेको हम बुरा नहीं समझते हैं परन्तु इस लेखके लिखते समय हमारे भतीजे श्री पं० बालचन्द्रजी शास्त्री सह-सम्पादक बनलालके द्वारा हमें जो सिद्धान्त-समीक्षा भाग १-२ प्राप्त हुए हैं उनमेंसे पहले भागके ऊपर दृष्टि डालनेसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि वेदवैषम्य सम्भव है या नहीं? इस प्रश्नके विचारके क्षमतेमें पढ़कर 'द्रव्यस्त्रीको मुक्ति हो सकती है या नहीं?' यह प्रश्न सर्वसाधारणके लिये और भी जटिल बन गया है।

हम पहले कह आये हैं कि द्रव्यस्त्रीके छटा आदि गुणस्थान हो सकते हैं या नहीं? इस प्रश्नका समाधान करनेके लिये संयमके लिये वस्त्रत्याग आवश्यक है या नहीं? इस प्रश्नका समाधान हो जाना ही साधारण जनताके लिये सीधा और सरल उपाय है। यद्यपि विद्वानोंने इस प्रश्नपर भी बहुत कुछ विचार किया है और पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री बनारसका 'मगवान महावीरका अचेलक धर्म' शीर्षक द्रष्टव्य इस विषयका काफ़ी महत्त्वपूर्ण द्रष्टव्य माना जाता है। परन्तु अभी तक इस विषयका उभय-पक्षसम्मत कोई निर्णय सामने नहीं है। इस विषयमें हमारे विचार निम्न प्रकार हैं—

शरीरके सद्भावकी तरह वस्त्रके सद्भावमें भी संयम रह तो सकता है परन्तु वस्त्रग्रहण उसका विरोधी अवयव है, कारण कि ग्रहणका अर्थ स्वीकृति है और जहाँ वस्त्रकी स्वीकृति मीज्रव है वहाँ वस्त्रसम्पन्नी

असंभव मानना ही चाहिये। इस वक्त्रसम्बन्धी अर्थसमके लिये शेष संयमकी पूर्णता रहते हुए, श्वेताम्बर सम्प्रदायकी मान्यताकी ध्यानमें रखते हुए हम छोटे गुणस्थानका जघन्य रूप कह सकते हैं और विद्यम्बर मान्यताकी ध्यानमें रखते हुए पंचम गुणस्थानका उत्कृष्ट रूप कह सकते हैं। इन दोनों मान्यताओंमें वास्तविक अन्तर कुछ भी नहीं रह जाता है। केवल पाँचवें गुणस्थानकी अल्पभूत और छोटे गुणस्थानकी आविर्भूत मर्यादा बाँधनेका बाह्य अन्तर दोनों सम्प्रदायोंके बीच रह जाता है।

वक्त्रकी संयमका विरोधी न मानकर वक्त्रग्रहणकी ही संयमका विरोधी माननेका हमारा मतलब यह है कि विद्यम्बर सम्प्रदायमें भी बेलोपल्लुट मूत्रिके संयमका अभाव नहीं स्वीकार किया गया है। तथा मिथ्यात्व-व्रतरहित सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनके साथ-साथ देशव्रतकी अवस्थाओंमें संयमकी ओर अभिमुख होनेवाले व्यक्तिके जहाँ प्रथम ही सातवें गुणस्थानकी प्राप्ति बतलाई गयी है वहाँ वक्त्रत्यागकी अनिवार्यता नहीं मानी गयी है। इसका मतलब यह है कि सातवें गुणस्थानकी प्राप्ति सबवक्त्र हालतमें विद्यम्बर मान्यताके अनुसार भी असंभव नहीं है, तो फिर सबवक्त्र हालतमें छोटे गुणस्थानकी प्राप्ति का निषेध विद्यम्बर सम्प्रदाय क्यों करता है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि चौबह गुणस्थानोंमेंसे दूसरे, तीसरे और सातवें लेकर बारहवें तक नया चौबहवे इन गुणस्थानोंका जितना वर्णन किया गया है वह भावाधारपर किया गया है और पहला, चौथा, छठा तथा तेरहवाँ इन गुणस्थानोंका कथन व्यवहाराश्रित है, क्योंकि इन गुणस्थानोंका कथन व्यक्तिके अन्तरंग भावोंका कार्यस्वरूप बाह्य प्रवृत्तिके आधारपर किया गया है, इसलिये विद्यम्बर सम्प्रदायकी यह मान्यता युक्तियुक्त है। वक्त्रकी स्वीकृति रहते हुए भावापेक्षासे भी सकलसंयम नहीं रह सकता है। परन्तु जहाँ वक्त्रकी स्वीकृति रहते हुए भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय सकलसंयमकी प्राप्तिको स्वीकार करता है वहाँ विद्यम्बर सम्प्रदायकी भी यही मान्यता है कि वक्त्रके सद्भावमें भावापेक्षा भी सकलसंयम नहीं रह सकता है। तात्पर्य यह है कि सबवक्त्र हालतमें व्यवहाराश्रित षष्ठ गुणस्थानकी सम्भावनाको तो किसी तरह टाला जा सकता है परन्तु सप्तम आदि गुणस्थानोंकी सम्भावना अनिवार्य रूपसे जैसीकी तैसी बनी रहती है और इसका अर्थ यह है कि द्रव्यस्त्रीके लिये भी उपशमश्रेणी तथा क्षपकश्रेणी आदि बहनेका कोई विरोध नहीं होना चाहिये, परन्तु 'कर्मभूमिज स्त्रियोंके अन्तर्गत तीन ही संहनन हो सकते हैं' यह आगम इसमें बाधक हो सकता है, इसलिये इस आगमकी प्रमाणताके लिए आज वैज्ञानिक शोधकी आवश्यकता है।

केवली-कवलाहारके बारेमें विचार करनेका अर्थ है जैन धर्ममें मानी हुई सर्वज्ञकी परिभाषाके बारेमें विचार, कारण कि ये दोनों (कवलाहार और जैन धर्मोक्त सर्वज्ञता) परस्पर-विरोधी ही माने जा सकते हैं, इसलिये जो विद्वान् तत्त्वनिर्णयकी दृष्टिसे इस विषयमें प्रविष्ट हो उन्हें इस मूल बातको पहले ध्यानमें रख लेना चाहिये। हमने इस विषयमें अभी तक जितना विचार किया है उसमें यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि केवलीके कवलाहार माना जाय या जैन धर्मोक्त सर्वज्ञता।

अन्तमें हमारा निवेदन यह है कि इन विषयों पर या इसी तरहके और भी विषयों पर जितना भी विचार किया जाय वह सब तत्त्वनिर्णायक द्रव्यानुयोगकी दृष्टि है। इससे सब साधारणको लाभ और अलाभका सीधा सम्बन्ध नहीं है। सब साधारणके लाभ और अलाभका सम्बन्ध तो आध्यात्मिक करणानुयोगकी दृष्टिसे ही है। इसलिये न तो स्त्रीमुक्ति, सबवक्त्र-संयम और केवलि-कवलाहारके सिद्ध हो जानेपर समाजका उद्धार हो जायगा और न इसके निषिद्ध कर दिये जाने पर ही समाज उद्धार पा जायगा। अतएव विद्वानोंका एक ओर तो यह कर्तव्य है कि ऐसे विधुद्ध तात्त्विक मामलोंमें समाजको बसोटीनेका प्रयत्न न करते हुए उसके उद्धारका मार्ग कोजनेका प्रयत्न करें और दूसरी ओर स्वपक्षद्वैत और विचारोंकी बाँधतानी न करते हुए तत्त्व-निर्णायक (वैज्ञानिक) दृष्टिसे शुद्ध तत्त्वोंकी शोध भी करें।

सांस्कृतिक सुरक्षाकी उपादेयता'

देव-आगम-गुरु वन्दना पुरःसर

भो विद्वद्बृन्द ! और समादरणीय उपस्थित जन-समूह !

आज मुझे इस बात का अत्यन्त संकोच हो रहा है कि भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत्परिषद् जैसी महत्त्वपूर्ण संस्थाका मुझे अध्यक्ष बना दिया गया है। भेरे इस संकोचका कारण यह है कि एक तो शास्त्र-मर्मज्ञ, कार्यकुशल और समाजमें स्थायि प्राप्त बड़े-बड़े विद्वान विद्वत्परिषद्में सम्मिलित हैं, दूसरे इसके सामने आज जो समस्याये हल करनेके लिये उपस्थित हैं उन्हें देखते हुए जब मैं गहराईके साथ सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि इन समस्याओंको हल करनेकी अल्पतम क्षमता भी मेने अन्दर नहीं है। लेकिन आपकी आज्ञाको शिरोधार्य कर मैं उन समस्याओंको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन पर हमें व आपको गम्भीरताके साथ मंथन करना है।

प्रथम समस्या : सांस्कृतिकनाकी रक्षा करें

विश्वके प्रागणमें आप देखनेका प्रयत्न करेंगे तो वहाँ प्रत्येक स्थल पर आपको किसी-न-किसी संस्कृतिके दर्शन अवश्य होंगे। हमारा भारतवर्ष तो अत्यन्त प्राचीनतम कालसे ही विविध संस्कृतियोंकी जन्म-भूमि रहा है और आज भी यहाँपर अनेक संस्कृतिया विद्यमान हैं।

आज जब उनपर दृष्टिपात करेंगे तो आपको उनके दो पहलू देखनेको मिलेंगे। एक पहलू तो उस संस्कृतिके विधिष्ट नस्त्वज्ञानका होगा और दूसरा पहलू मानवप्राणियोंके जीवन-निर्माणके लिये उनके द्वारा निश्चित की गई आचारपद्धतिका होगा।

सम्पूर्ण मानव-समष्टिमें सांस्कृतिक आचारको लेकर जितने समाज पाये जाते हैं उन सब समाजोंमेंसे जिस समाजका ढांचा जिस संस्कृतिके आधारपर निर्मित हुआ है उस समाजके प्रत्येक व्यक्तिका स्वाभाविकरूप से यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी संस्कृतिके तत्त्वज्ञानके प्रति दृढतम आस्था रखे तथा उसमें उपदिष्ट आचारपद्धतिके आधारपर यथाशक्ति अपनी जीवन-प्रवृत्तियोंके निर्माण करनेका प्रयत्न करे। यह तभी हो सकता है जब व्यक्तिको उस संस्कृतिके तत्त्वज्ञानका और आचार-पद्धतिका उपयोगी ज्ञान हो।

सर्वसाधारणके लिये तत्त्वज्ञानका और आचार-पद्धतिका उपदेष्टा उस संस्कृतिके रहस्योंका ज्ञाता और व्याख्याता विद्वान हो होता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृतिके तत्त्वज्ञानके प्रति अन्तःकरणमें समापन्न आस्थासे बलायमान न हो जावे तथा उसमें उपदिष्ट आचार-पद्धतिकी उपेक्षा करके अपने जीवनको उच्छृंखल न बना ले, इसका उत्तरदायित्व उस-उस संस्कृतिके मर्मको जाननेवाले विद्वानोपर ही स्वाभाविकरूपसे आकर पड़ता है, यह बात हम सभी विद्वानोंको अच्छी तरह समझ लेना है।

जैनसंस्कृतिका मूलभूत उद्देश्य जड़ पदार्थके साथ बद्ध रहनेके कारण परतंत्र हूये संसारी आत्माको उन जड़ पदार्थोंसे मुक्त यानी स्वतंत्र बनानेका है, लेकिन किसी भी संसारी प्राणीको जबतक ज्ञात्स्वातंत्र्य प्राप्तिके साधन प्राप्त न हो जावे, तथा साधनके प्राप्त हो जानेपर भी वह प्राणी जबतक अपनी जीवनप्रवृत्तियोंको ज्ञात्स्वातंत्र्य प्राप्तिकी दिशामें मोड़ न दे दे, तबतक उसे अपना लक्ष्य जीवनको सही ढंगसे सुख-पूर्वक व्यतीत करनेका बनाना चाहिये।

१. सन् १९६५ मे सितनी (म० प्र०) में आयोजित भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्के दशम अर्धवेदानके अध्यक्ष पदसे दिया गया अभिभाषण।

जीवनको सुखपूर्वक व्यतीत करनेका सही ढंग क्या हो सकता है ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यको जब तक अन्य मनुष्यका आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं होगा तबतक उसे अपने जीवनका संचालन करना दुःसाध्य ही रहेगा। यह बात प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह समझता है कि उसके जीवनकी जितनी आवश्यकतायें हैं या हो सकती हैं, उनकी पूर्तिमें उसे अन्य मनुष्योंका सहयोग अनिवार्यरूपसे अपेक्षित होता है। ब्राह्मणको अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए दुकानदार चाहिये और दुकानदारको अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये ग्राहक चाहिये। ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंकी व्यवस्था हमें मानवजीवनकी पर-सहयोग-निर्भरताकी सूचना दे रही है। जैन-संस्कृतिमें तो प्रत्येक प्राणीके जीवन-यापनके लिये पंचेन्द्रिय मनुष्यसे लेकर एकेन्द्रिय प्राणि तकके सहयोगकी भूमिका प्रतिपादित की गई है। आचार्य उमास्वातिका "परस्पोषमहो जीवानाम्" मूलवाक्य हमारे समझ इसी रहस्यका उद्घाटन कर रहा है।

एक मानवके जीवनमें दूसरे मानवके सहयोगकी अपेक्षा होना ऐसा कारण है, जिसके आधारपर लोकमें मानव-जीवनको सुखी और सुन्दरतम बनानेके लिये कौटुम्बीय, नागरीय और राष्ट्रीय संगठनोंको स्थापन प्राप्त हो गया है और आज तो उक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये प्रत्येक समसंसार व्यक्ति सम्पूर्ण राष्ट्रीके एक संगठनको भी महत्त्व देने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासंघका निर्माण इसीका परिणाम है। आज प्रत्येक समसंसार व्यक्ति यह भी सोचता है कि उपर्युक्त सभी संगठन बबस्तूर बने रहें, इसलिये उसे हमेशा इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि किसी भी संगठनमें किसी भी प्रकार कहींसे दरार न पड़ जावे।

किसी भी संगठनमें बरार व्यक्तियोंके, कुटुम्बोंके, नगरोंके और राष्ट्रोंके पारस्परिक संबंधों पवती है और ये संबंध तब पैदा होते हैं जब एकके स्वार्थ दूसरेसे टकरा जाते हैं। स्वार्थोंकी इस टकराहटमें एक व्यक्ति, एक कुटुम्ब, एक नगर और एक राष्ट्र; दूसरे व्यक्ति, दूसरे कुटुम्ब, दूसरे नगर और दूसरे राष्ट्रपर आई हुई विपत्तिके भेटनेमें समर्थ होते हुए भी उदासीनतापूर्वक उसकी तरफसे मुझ मोड़ लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी आगे स्वार्थोंकी इस टकराहटमें व्यक्ति व्यक्तिके साथ, कुटुम्ब कुटुम्बके साथ, नगर नगरके साथ और राष्ट्र राष्ट्रके साथ सहिष्णुतारहित, अपमानपूर्ण और अविश्वसनीय व्यवहारतक करनेपर उतारू हो जाता है। इस तरह एक व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिके साथ, एक कुटुम्बका दूसरे कुटुम्बके साथ, एक नगरका दूसरे नगरके साथ और एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रके साथ संबंध होने लगता है।

इस संबंधको समाप्त करने तथा उक्त संगठनोंको सुदृढ़ बनानेके लिये जैन संस्कृतिमें यह उपदेश मिलता है कि जो व्यक्ति या जो कुटुम्ब, अथवा जो नगर या जो राष्ट्र, सुखी रहकर जित्ना रहना चाहता है उसे "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" अर्थात् "जो प्रवृत्ति अपने लिये प्रतिकूल हो उसका आचरण दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिये" इस सिद्धान्तके अनुसार दूसरे व्यक्तियों, दूसरे कुटुम्बों, दूसरे नगरों और दूसरे राष्ट्रोंके साथ असहिष्णुता समाप्त कर सहिष्णुताका वर्तन करना चाहिये, यानी कि समाचरन अपनाना चाहिये। उनके जीवनको अपने जीवनसे हीन न समझकर उनके जीवन-अधिकारोंकी अपने साथ समानता स्वीकार करना चाहिये यानी मार्तव्यधर्म अपनाना चाहिये। उनके साथ स्वयंमें भी अविश्वसनीय वर्तन एवं धोखा-धड़ी करनेकी कल्पना न करते हुए सतत प्रामाणिक व्यवहार ही करना चाहिये यानी आर्जवधर्म अपनाना चाहिये और उनके ऊपर आयी हुई विपत्तियोंकी अपेक्षा न करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार यथा-शक्ति निःस्वार्थ सहायता भी देना चाहिये यानी सत्यधर्मको भी स्वीकार करना चाहिये। ये चारों ही धर्म जैन संस्कृति में बहिःसत्ताकी प्रकृतिके रूपमें स्वीकार किये गये हैं।

आप तत्त्वदृष्टिसे विचार करें तो मालूम होगा कि आज प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक कुटुम्ब, प्रत्येक नगर-ने और प्रत्येक राष्ट्रमें उक्त प्रकारके जया, मार्दव, आर्जव और सत्यरूप अहिंसा धर्मको अपनी नासमझीके कारण अपने जीवनसे उन्मुखित कर रखा है, सर्वत्र इनके विरुद्ध असहिष्णुता, असमानता, अप्रामाणिकता और असहयोग-रूप विविध प्रकारकी दूषित प्रवृत्तियोंके रूपमें हिंसाका ही प्रसार किया है। स्वयं जैन समाज हो अपनी संस्कृति-के आधारभूत उक्त उपदेशोंको भूल चुका है। इतना ही नहीं जैन संस्कृतिके रहस्यके ज्ञाता और प्रवक्ता हम जैसे विद्वानोंकी जीवन-प्रवृत्तियोंमें भी उक्त प्रकारकी हिंसाका रूप ही देखनेमें आ रहा है तथा अहिंसाधर्मके उल्लिखित रूपोंका दर्शन दुर्लभ हो रहा है। कहना चाहिये कि जैन संस्कृतिका प्रकाश तो अब लुप्त ही हो चुका है, केवल नाममात्र ही जैन संस्कृतिका शेष रह गया है।

सर्वत्र जैन और जैनतर सभी वर्गोंके लोगोंकी जीवन-प्रवृत्तिया जो इतनी कलुषित हो रही हैं उसका कारण यह है कि प्रायः सभी लोग भोग और संग्रह इन दो पापोंके बन्धीभूत हो रहे हैं। यदि आप गहराईके साथ सोचनेका प्रयत्न करेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि इनकी पूर्तिके लिये ही लोग हिंसामें प्रवृत्त होते हैं, चोरी करते हैं तथा विविध प्रकारके असत्याचरण भी करते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि भोग और संग्रहकी बन्धीभूतताके कारण लोगोंका विवेक भी समाप्त हो गया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि पाप होते हुए भी उन्होंने पुण्यका ठाठ मान लिया है, भले ही उस भोग और संग्रहके लिये उन्हें हिंसाका मार्ग अपनाना पडा हो, चोरी करनी पडी हो या असत्याचरण करना पडा हो। जैन संस्कृतिमें भोग और संग्रहको ही मुख्य पाप बतलाया गया है "लोभ पापका बाप बखाना" का पाठ जैनके बच्चेको भी भली भाँति याद है।

यद्यपि यहाँपर प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि भोजन, वस्त्र और आवास आदिका उपयोग मानव-जीवनके लिये अत्यन्त उपयोगी है तथा इन भोजनादिकी प्राप्तिके लिये घनादि वस्तुओंका संग्रह भी मानव-जीवनके लिये उपयोगी है। अतः भोग तथा संग्रहको पाप मानना कैसे उचित कहा जा सकता है? इस प्रश्नका समाधान यह है कि जहाँतक और जिस प्रकारसे भोजनादि हमारे जीवनके लिये उपयोगी सिद्ध होते हैं वहाँतक उनको उपभोग करनेका हमें अधिकार है और वहाँतक उनका उपभोग हमारे लिये पाप भी नहीं है। इसी प्रकार जीवनोपयोगी भोजनादि सामग्रीकी प्राप्तिके लिये यदि हम घनादिका संग्रह करते हैं तो वहाँ तक हमें घनादिकके संग्रह करनेका अधिकार है और वहाँतक यह भी पाप नहीं है, परन्तु हम भोजनादिकका उपभोग तथा घनादिकका संग्रह जीवनके लिये उपयोगी समझकर करते कहाँ हैं? हम तो अपने इस अधिकारके बाहर भोजनादिकके उपभोग और घनादिकके संग्रहकी बात सोचने लगे हैं। जैसे यदि भोजनका उपभोग हम अपनी भ्रूख मिटानेके लिये करते हैं और वस्त्रका उपभोग शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये करते हैं तो ऐसा करना हमारा अधिकार है और यह पाप नहीं है, लेकिन यदि हमारा मन भोजनके स्वादमें रम जाय या वस्त्रकी किनार, डिजायन, रंग अथवा पोतपर हमारा मन ललचा जाय तो हमारा भोजन या वस्त्रका वह उपभोग पापमें गमित हो जायगा। इसी प्रकार घनके संग्रहमें जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति तक ही यदि हमारा लक्ष्य सीमित रहता है तो ऐसा घन संग्रह करना हमारा अधिकार है, पाप नहीं है। लेकिन यदि अभीर बननेके लिये हम घन संग्रह करनेका प्रयत्न करने लगते हैं तो हमारा वह घन संग्रह पापमें गमित हो जायेगा।

जैन संस्कृतिके इस सूक्ष्मतम तत्त्वज्ञानको समझकर हम विद्वानोंको अपने जीवनमें उतारना तथा पद्मभ्रष्ट जैन समाजको सही मार्गपर लाकर पतनोन्मुख जैनसंस्कृतिका संरक्षण करना है और मानवमात्रको इस तत्त्व-ज्ञानकी शिक्षा देकर संपूर्ण विश्वमें जैनसंस्कृतिका प्रसार भी करना है। इसलिये इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये कोई योजनाबद्ध प्रचारतत्त्वक ढंग हमें निकालनेका प्रयत्न करना चाहिये। जैनसंस्कृतिके संरक्षण और बिस्तारके लिये

और विश्वमें शान्ति तथा सुखका साम्राज्य स्थापित करनेके लिये हमारा यह सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।
द्वितीय समस्या तत्त्वचर्चा द्वारा गुत्थियाँ सुलझायें

दि० जैनसमाजमें जैनसंस्कृतिके अध्येता, अध्यापयिता और व्याख्याता विद्वान विद्यमान हैं। परन्तु प्रायः देखनेमें आ रहा है कि संस्कृतिके तत्त्वज्ञान और आचार संबंधी बड़ी-से-बड़ी और छोटी-से-छोटी ऐसी बहुतसी-गुत्थियाँ हैं जो विद्वानोंके पारस्परिक विवादका स्थल बनी हुई हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों ही नहीं, हजारों सांस्कृतिक गुत्थिया आगमग्रन्थोंमें ऐसी विद्यमान हैं जिनके ऊपर अभी विद्वानोंका लक्ष्य ही नहीं पहुँच पाया है। लेकिन उनका सुलझ जाना सांस्कृतिक दृष्टिसे और मानवकल्याणकी दृष्टिसे बड़ा उपयोगी हो सकता है।

यदि विद्वानोंका समझमें यह बात आ जाय कि सांस्कृतिक गुत्थियोंको सुलझाना हमारा परम कर्तव्य है और यह भी समझमें आ जाय कि सब विद्वान एक स्थानपर एक साथ बैठकर सद्भावनापूर्ण विचार-विमर्श द्वारा ही सरलतापूर्वक इस कार्यको सम्पन्न कर सकते हैं तो फिर मेरा सुझाव है कि हम अपने कार्य-क्रमकी एक ऐसी स्थायी योजना बनायें, जिसके आधारपर वर्षमें कम-से-कम एक बार प्रायः सभी विद्वान एक स्थलपर बैठें तथा संस्कृतिके गूढ़तम रहस्योंको खोज करे और विवादग्रस्त विषयोंको भी सुलझानेका प्रयत्न करे। गत वर्ष सांस्कृतिक रहस्योंको खोजके लिये जयपुर-स्नानियामें विद्वानों द्वारा की गयी सद्भावनापूर्ण तत्त्वचर्चामें यह सिद्ध कर दिया है कि परस्पर-विरोध विचारचारा वाले विद्वान भी एक स्थानपर एक साथ बैठकर सद्भावनापूर्ण ढंगसे तात्त्विक गुत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न कर सकते हैं। वास्तवमें जयपुर-स्नानियामें जो तत्त्वचर्चा हुई उसका ढङ्ग आदर्शात्मक रहा और उससे जो सामग्री प्रकाशमें आनेवाली है वह जैन-संस्कृतिके लिये ऐतिहासिक महत्त्वकी होगी। इसलिये तत्त्वचर्चाओंकी इस परम्पराको इसी ढङ्गसे आगे चालू रखनेका हमें ध्यान रखना ही चाहिये।

उल्लिखित प्रकारकी तत्त्वचर्चाओंका महत्त्व इसलिये और है कि पुरातन सांस्कृतिक विद्वान हमारे बीचमेंसे धीरे-धीरे कालकवलित होते जा रहे हैं और आगे सांस्कृतिक विद्वान तैयार होनेके आसार ही दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। ऐसी हालतमें यदि मौजूदा विद्वान अपने बीच उत्पन्न संस्कृति-सम्बन्धी विवाद नहीं सुलझा सके, तो जैन समाजकी भावी पीढ़ीके समक्ष हम अपराधी सिद्ध होंगे तथा जैन संस्कृतिके बहुतेसे मानवकल्याणकारी गूढ़तम रहस्य हमेशाके लिये गुप्त ही बने रहेंगे।

जैन संस्कृतिका तत्त्वज्ञान तथा आचार-पद्धति सर्वज्ञताके आधारपर स्थापित होनेके कारण विज्ञान-समर्पित है। षट्द्रव्यों और सप्ततत्त्वोंकी अपने-अपने ढङ्गमें व्यवस्था, आत्मामें संसार और मुक्तिकी व्यवस्था, संसारके कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग तथा मुक्तिके कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, उन्नति और अवनतिकी सूचक गुणस्थानव्यवस्था, कर्मसिद्धान्त, अनेकान्तवाद और स्याद्वाद, प्रमाद और नयकी व्यवस्था, निश्चय और व्यवहार नयोंका विश्लेषण, द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय, नैगम आदि नयोंकी स्थापनाका आधार तथा इनमें अर्थनय और शब्द नयोंकी कल्पना आदि-आदि जैन संस्कृतिका तत्त्व-ज्ञानसे सम्बन्ध-विवेचन वैज्ञानिक और दूसरी संस्कृतियोंकी तुलनामें सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार जैन संस्कृतिकी आचार-पद्धतिकी व्यवस्थाएँ भी समझदार लोगोंके गले उतरने वाली हैं। हाथसे कूटे गये और मिलोते साफ किये गये चावलमें, हाथ-चक्कीसे और मशीन-चक्कीसे पीसे गये आटेमें पोषक तत्वोंकी हीमाधिकताके कारण उपादेयता और अनुपादेयताका प्रचार महत्त्वा गाचीने भी किया था। इसी प्रकार रात्रिभोजन-त्याग तथा पानी छानकर पीनेकी व्यवस्था, आटे आदिका कालिक मर्दादिके भीतर ही उपयोग करनेका उपदेश अर्थात् जितना भी आचार-पद्धतिसे सम्बन्ध रखने वाला जैन संस्कृतिका विषय है वह भी

मानवजीवनके लिये कितना हितकर है, इसे आज प्रत्येक व्यक्ति सरलतासे समझ सकता है। हमें इन सब-बातोंको प्रकाशमें और प्रचारमें लाना है, इसलिये इसे भी हमें अपने कार्यक्रमका अंग बनाना चाहिये।

उल्लिखित सम्पूर्ण कार्योंको सम्पन्न करनेके लिये एक उपाय यह भी हो सकता है कि विद्वत्परिषद्का अपना एक सांस्कृतिक पत्र हो, जिसके माध्यमसे विद्वान् जैनसंस्कृतिके गूढ़तम रहस्योंको प्रकाशमें लायें, परस्परके तात्त्विक विवादोंको मुलुखाएँ और आचार-पद्धतिकी वैज्ञानिक दृष्टिसे जनताके लिये उपयोगिता समझाएँ। अभी जैन समाजमें जितने पत्र निकलते हैं उनकी पद्धति प्रायः स्वार्थपूर्ण और संघर्षात्मक है। मैं नहीं समझता हूँ कि उनके द्वारा जनताका या संस्कृतिका कुछ भला हो रहा है, वे तो केवल व्यक्तिगत कषाय-पुष्टिके ही साधन हो रहे हैं, इसलिये हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्वत्परिषद्का पत्र मोजूबा पत्रोंमें दिखाई देनेवाली बुराइयोंसे परे हो।

तृतीय समस्या : विद्वानोंका संगठन और उनकी कठिनायियाँ

कलकत्तेमें वीरशासन महोत्सवके अवसरपर जब विद्वत्परिषद्की स्थापना हुई थी उस समय वहाँ नरम और गरम, मुधारक और स्थितिपालक आदि परस्परविरोधी विचारधाराओं वाले बहुतेरे सांस्कृतिक विद्वान् उपस्थित थे। उक्त अवसरपर अकस्मात् एक ऐसी घटना घट गयी थी, जिससे प्रभावित होकर उपस्थित सभी सांस्कृतिक विद्वानोंने अपना संगठन बनानेका दृढ संकल्प किया था और उसी संकल्पके बलपर उन्होंने अपनी पारस्परिक विचार-भिन्नताको गौण करके तत्काल इन विद्वत्परिषद्की स्थापना कर डाली थी। यह विद्वत्परिषद् आज भी उसी आधारपर चल रही है यानी इसमें आज भी पारस्परिक विचारभेद रसने वाले विद्वान् सम्मिलित हैं, उन्हें हमसे ममता है और इसके कार्योंमें बराबर हाथ बटा रहे हैं।

इतना होते हुए भी जब तक हम सब मिलकर सामूहिक दृष्टिसे सर्व-साधारण विद्वानोंकी कठिनाइयों-पर गौर नहीं करेंगे तब तक हमारा यह संगठन सुदृढ नहीं रह सकता है। विद्वत्परिषद्की स्थापनाके अवसर-पर मुख्यरूपसे इस बातपर बल दिया गया था कि विद्वानोंकी कठिनाइयोंको समझा जाय और उनके निराकरण करनेके सुन्दरतम उपाय भी खोज निकाले जायें।

यद्यपि विद्वत्परिषद्ने इस ओर ध्यान अवश्य दिया है परन्तु अभी तक इसमें वह पूर्णरूपसे सफल नहीं हो पायी है। विद्वानोंके सामने विद्वत्परिषद्की स्थापनाके समय जिस रूपमें कठिनाइयाँ विद्यमान थी, इस समय उनका रूप कई गुणा अधिक हो गया है, इसलिये हमें विद्वानोंकी कठिनाइयोंके निराकरण करनेकी ओर पुनः ध्यान देना है, अतः इसके लिये कैसी योजना उचित हो सकती है, इसपर विचार करें।

चतुर्थ समस्या : विद्वत्परिषद् और शास्त्रीपरिषद्का एकीकरण

द्विगम्बर जैन समाजमें सांस्कृतिक विद्वान् तो हैं, परन्तु उनकी संख्या विशेष अधिक नहीं कहीं जा सकती है फिर भी विद्वानोंके नामपर विद्वत्परिषद् और शास्त्रपरिषद् दो संस्थायें वर्तमानमें कार्य कर रही हैं। मेरा अपना ख्याल है कि यदि दोनों संस्थाओंका एकीकरण हो जाय तो मिली हुई कार्यक्षमिसे कार्य भी अधिक और उत्तम हो सकता है। एक बात और है कि अलगावसे पारस्परिक संघर्षोंकी भी प्रोत्साहन मिलता है। यदि मेरा इन दोनोंके एकीकरणका सुझाव आपको मान्य हो, तो एकीकरणकी क्या भूमिका हो सकती है ? इसपर भी आपको विचार करना चाहिये।

पंचम समस्या . सांस्कृतिक ज्ञानकी सुरक्षा

अभी भी द्विगम्बर जैन समाजके अन्तर संस्कृतिका अध्ययन कराने और सांस्कृतिक विद्वान् पैदा

करके लिये बड़े-बड़े विद्यालय मौजूद हैं, समाजका आर्थिक सहयोग भी उन्हें मिल रहा है, बहुतसे विद्य-विद्यालयोंकी परीक्षाओंमें जैन संस्कृतिका कोर्स रखा दिया गया है और पठन-पाठनके लिये अध्यापकोंकी नियुक्तियाँ भी कर दी गयी हैं। परन्तु शिक्षण लेने वालोंकी अत्यधिक कमी दृष्टिगोचर हो रही है। इसका मूल कारण यह है कि सभी प्रकारकी शिक्षाका उद्देश्य आज नौकरी करना हो गया है और नौकरीमें भी अधिक-से-अधिक अर्थलाभकी दृष्टि बन चुकी है, जिसकी पूर्तिकी भाषा सांस्कृतिक शिक्षासे कमी नहीं की जा सकती है। इस तरह सांस्कृतिक शिक्षण लेनेवालोंकी कमी हो जानेके कारण भविष्यमें सांस्कृतिक ज्ञानके लुप्त हो जानेकी आशंका होने लगी है।

यद्यपि यह प्रसन्नताकी बात है कि हमारे विद्यालयोंने भविष्यमें सांस्कृतिक ज्ञानकी सुरक्षाकी दृष्टिसे अपनी शिक्षणपद्धतिमें कुछ सुधार किये हैं तथा उनका लाभ इन विद्यालयोंमें पढ़ने वालोंको मिला भी है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसे विद्वान सामाजिक क्षेत्रसे बाहर अच्छे क्षेत्रोंमें कार्य कर रहे हैं। परन्तु साथमें इसका यह भी परिणाम हुआ है कि ऐसे बहुतसे विद्वानोंका सामाजिक और सांस्कृतिक कार्योंसे प्रायः सम्पर्क समाप्त हो चुका है। विद्वत्परिषद्का कर्तव्य है कि वह ऐसे विद्वानोंसे सम्पर्क स्थापित करे और उनके अन्दर सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्योंके प्रति रुचि जागृत करे। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक ज्ञानकी भावी सुरक्षाकी दृष्टिसे कुछ ठोस उपाय भी आपको सोचना है।

इस विषयमें मेरा मुझसे है कि त्यागमार्गकी ओर बढ़ने वाले व्यक्तियोंमेंसे बुद्धिमान् व्यक्तियोंको चुनकर उनमें सांस्कृतिक सत्त्वज्ञानके अध्ययनकी रुचि जागृत की जावे तथा उनको विद्यालयोंमें छात्रके रूपमें रखनेकी उचित सुविधा दिलायी जावे। यदि इस परम्पराके चलानेमें विद्वत्परिषद् सफल हो जाती है तो सांस्कृतिक ज्ञानकी भावी सुरक्षाका प्रश्न सुदूर भविष्य तकके लिये हल हो सकता है।

एक जिस बातके ऊपर विद्वत्परिषद्का ध्यान जाना जरूरी है वह यह है कि सांस्कृतिक अध्ययन-अध्यापनको जी पद्धति अभी चल रही है उससे छात्रोंको शंकाका अभ्यास तो हो जाता है परन्तु विषयके समझनेमें वे अन्त तक कमजोर रह जाते हैं। पढ़नेमें भी उन्हें अधिक श्रम करना पड़ता है अतः सांस्कृतिक पठन-पाठनके विषयमें वैज्ञानिक पद्धति निकालनेकी योजना बनानेकी ओर भी हमारा लक्ष्य जाना चाहिये। इससे पढ़ने वाले छात्रोंको विषय सरलताके साथ समझमें आने लगेगा। साथ ही उनके श्रममें भी कमी आ जायगी। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि अभी जो सांस्कृतिक अध्ययन करने वाले छात्र अरुचिपूर्वक सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं यह बात न रहकर वे रुचिपूर्वक अध्ययन करने लगेंगे।

एक बात यह भी प्रसन्नता की है कि हमारे सांस्कृतिक विद्वान जैन संस्कृतिके साहित्यके विषयमें ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत कुछ सोचने और लिखने लगे हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ है कि जैनतर विद्वानोंकी रुचि जैन संस्कृतिके साहित्यका अध्ययन करनेकी ओर उत्पन्न हुई है, जैन संस्कृतिके प्रसारकी दृष्टिसे यह उत्तम बात है। इसके साथ ही हमें अपने प्राचीनतम साहित्यके आधारपर लोकभाषा हिन्दी आदि भाषाओंमें भी सांस्कृतिक मौलिक साहित्यका निर्माण करना चाहिये। हमारे पुरातन महर्षियोंमें जैन संस्कृतिके साहित्य-निर्माणमें जिस प्रकार तत्कालीन लोकभाषाओंका समावेश किया था, ठीक उसी प्रकार आज हमें भी करना चाहिये। यद्यपि हमारे बहुतसे विद्वानोंने पुरातन साहित्यका हिन्दी आदि भाषाओंमें अनुवाद किया है और कर रहे हैं परन्तु इतनेसे ही हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिये।

मैंने जिन बातोंका ऊपर संकेत किया है वे सब बातें विद्वत्परिषद्के उद्देश्यसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं और इसके कर्तव्यक्षेत्रमें आती हैं। इनके अतिरिक्त आपके प्रतिष्ठाके भी बहुत-सी बातें होंगी उन्हें आप भी

यहाँपर रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इन सब बातोंपर यहाँ गम्भीर मंचन किया जाय और उनके विषयमें यथा-
शक्ति कार्यक्रम निर्धारित किया जाय। कार्यक्रम भले ही छोटा हो परन्तु ठोस होना चाहिये।

उपसंहार

विद्वत्परिवर्द्धका यह अधिवेशन सिवनी जैसी सांस्कृतिक नगरीमें हो रहा है। यह नगरी जैन समाजकी दृष्टिसे काफी महत्त्वपूर्ण रही है और आज भी इसका वही महत्त्व है। यहाँ जैन संस्कृतिके अच्छे ज्ञाता और अनुभवी व्यक्ति रहे हैं और आज भी हैं। यहाँके बड़े-बड़े गगनचुम्बी जैन मंदिर मध्यप्रदेशके ख्यातिप्राप्त मन्दिरोमें हैं। इस समय मंगलमय पंचकस्याणकजिनविम्ब प्रतिष्ठा भी यहाँपर हो रही है। सभी तरहकी सुन्दर और आरामदेह व्यवस्था यहाँकी समाजने बाहरसे आये हुए जनसमुहके लिये की है और स्वागत समितिने हमारा स्वागत और आतिथ्य करनेमें कोई कमी नहीं रहने दी है।

इसके पूर्व विद्वत्परिवर्द्धके जितने अधिवेशन हुए हैं उन सबमें प्रातःस्मरणीय पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजको प्रत्यक्ष या परोक्ष छत्र-छाया हमें प्राप्त होती रही है। परन्तु दुःख है कि यह दशम अधिवेशन उनकी छत्रछायाके बिना सम्पन्न हो रहा है। पूज्य वर्णीजीके हृदयमें प्रत्येक विद्वान्के अभ्युत्थानकी उदात्त भावना थी। उन्होंने जैन समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमें जो कार्य किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा प्रचारित जिनवाणीके अध्ययन-अध्यापनको हमें निरन्तर जारी रखना है। अच्छा हो कि उनकी स्मृतिमें जगह-जगह 'वर्णी स्वाध्याय-शालाएँ' स्थापित की जावें और उनके माध्यमसे हमारे विद्वान् समाजमें सम्यग्ज्ञानका प्रचार करें।

अपना भाषण समाप्त करने हुए विद्वत्परिवर्द्धके भाननीय सदस्यो, सिवनीकी जैन समाज और सभी उपस्थित जनसमुदायसे प्रार्थना है कि अज्ञान और कार्यशक्तिकी अल्पताके कारण जो नुटियो रही हों, आप सब उनपर ध्यान न देंगे।



जैन संस्कृति और तत्त्वज्ञान

तीन भुवनमें सार बीतरागविज्ञानता ।
शिवास्वरूप शिवकार नमहं त्रियोग समूहारिके ॥

गत वर्ष विद्वत्परिषद्का साधारण अधिवेशन मध्यप्रदेशकी सिवनी नगरीमें नैलोक्याधिपति श्री १००८ जिनेन्द्रदेवके पञ्चकल्याणक महोत्सवके अवसरपर इसी फरवरी मासमें हुआ था । उसके एक वर्ष पश्चात् वहाँपर उसका यह नैमित्तिक अधिवेशन हो रहा है ।

सिवनीमें हुए साधारण अधिवेशनके अवसरपर मैंने अपने अध्यक्षीय भाषणमें विद्वत्परिषद्के उद्देश्योंके अनुकूल कुछ अवश्य विचारणीय समस्यायें प्रस्तुत की थी । प्रसन्नता की बात है कि उनको लक्ष्यमें रखकर उस अधिवेशनमें माननीय सदस्यों द्वारा कुछ निर्णय भी लिये गये थे । उन निर्णयोंके आधारपर विद्वत्परिषद्ने गत एक वर्षमें क्या प्रगति की है ? इसकी जानकारी विद्वत्परिषद्के सुयोग्य मंत्री जी आपको दूँगे ।

सर्वप्रथम यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक वर्षके अनन्तर हमें पुन विद्वत्परिषद्का अधिवेशन जैन संस्कृतिकी प्राचीनतम और गौरवपूर्ण पवित्र तीर्थभूमि इस श्रावस्ती नगरीमें हो रहे पञ्चकल्याणक महोत्सवके अवसरपर नैमित्तिकरूपसे करनेका उत्तम योग प्राप्त हुआ है । भावना है कि हमारी श्रमशक्तिका अधिक-से-अधिक उपयोग विद्वत्परिषद्की गतिशीलताको जीवित रखकर उसको मुदुढ बनाने और उसके उद्देश्योंकी पूर्ति करनेमें हो सके ।

विद्वत्परिषद्का वर्तमानमें जो कार्यक्रम चालू है उसके विषयमें विद्वत्परिषद्के सिवनी अधिवेशन द्वारा निर्णीत किये गये महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आधार हैं । उन प्रस्तावोंको आपके समक्ष बुरहा देना उचित समझना हूँ व आशा करता हूँ कि आप उन्हें सावधानीसे श्रवण करेंगे तथा उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

“विद्वत्परिषद्का यह अधिवेशन अनुभव करता है कि जैनतत्त्वज्ञान और संस्कृतिको आधुनिक ढंगसे प्रकट करनेके लिये आवश्यक है कि विद्वत्परिषद् ऐसी गोष्ठियोंका अधिवेशनपर आयोजन करे, जिनमें जैन विषयोंपर शोधपूर्ण एवं परिचयात्मक निबन्ध पढ़े जायें और उन निबन्धोंको एक स्मारिकाके रूपमें प्रकट किया जाय ।” (प्रस्ताव ६)

“दिशम्बर जैन विद्वत्परिषद् यह प्रस्ताव पास करती है कि जो अंग्रेजीके विद्वान होनेके साथ ही संस्कृत एवं धर्मके ज्ञाता विद्वान् हैं उनसे सम्पर्क बनाया जाय और उनसे अनुरोध किया जाय कि वे विद्वत्परिषद्के सम्बन्धित होकर सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रमें कार्य करें, ताकि जैन संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे ।” (प्रस्ताव ७)

“विद्वत्परिषद्के द्वारा प्रयास किया जावे कि रेडियोपर प्रसारित करने योग्य प्राचीन पद तथा अन्य सामयिक भाषण आदि अच्छी और उपयुक्त सामग्री उपलब्ध की जासके तथा प्रचारमंत्रालयको इस दिशामें प्रेरित भी किया जावे ।” (प्रस्ताव ९)

“ममाजमें विद्वानोंको परम्पराको अक्षुण्ण रखनेके लिये विद्वत्परिषद् प्रस्ताव करती है कि गृहविरत त्यागियोंके हृदयमें भी ज्ञानवृद्धिकी भावनाको जाग्रत करके किसी विद्यालयमें उनके शिक्षणकी व्यवस्था की जावे व विद्यालय इसके लिये त्यागियोंके उपयुक्त सब व्यवस्थाका उत्तरदायित्व लेकर ज्ञानप्राप्तिका सुखवसर प्रदान करें ।” (प्रस्ताव १०)

“जैन साहित्यके विविध अंगोंपर राष्ट्रभाषा हिन्दीमें रचित गद्य और पद्यकी मौलिक रचनाओंको प्रतिवर्ष पुरस्कृत करनेकी योजना कार्यान्वित करके विद्वत्परिषद्के द्वारा ऐसे साहित्यसृजनको विशिष्ट प्रेरणा और गति दी जावे।” (प्रस्ताव ११)

“विद्वत्परिषद्के प्रत्येक अधिवेशनमें समाजके योग्यतम विद्वानोंको सार्वजनिक रूपसे सम्मानित किया जावे। यह सम्मान संबन्धित विद्वान्की समाजसेवा, साहित्यसेवा तथा अन्य धर्महितकारी गतिविधियोंके आधारपर प्राप्त साधनोंके अनुसार परिचय-ग्रन्थ, अभिनन्दन-ग्रन्थ अथवा प्रशस्तिपत्रके द्वारा किया जावे।” (प्रस्ताव १२)

ये छहों निर्णय यद्यपि अपने-अपने स्वतन्त्र वैशिष्ट्यकी रखते हुए अलग-अलग ढंगके हैं। लेकिन इन सभीमें विद्वत्परिषद्का एक ही ध्येय गमित है और वह है जैन संस्कृतिका संरक्षण, विकास तथा प्रसार।

जैन संस्कृतिके संरक्षण, विकास और प्रसारकी आवश्यकतापर मैंने सिवनी अधिवेशनके अवसरपर पठित अपने भाषणमें विस्तारसे चर्चा की थी। उसमें मैंने बतलाया था कि विश्वकी सम्पूर्ण मानवसमष्टिके जीवनपर यदि दृष्टि डाली जाय तो यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि प्रत्येक मानव-हृदयमें अनधिकारपूर्ण और न करने योग्य असीमिन् भोग व संग्रहकी आकांक्षायें उद्दीप्त हो रही हैं तथा इनकी पूर्तिके लिये ही सम्पूर्ण विश्व अहिंसाके मार्गसे विमुक्त होकर परस्परके संघर्षमें रत हो रहा है। यद्यपि इस तरहकी आकांक्षायें व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्वके लिये अहितकर हैं, तो भी इनके उन्मादमें मानवमात्रका विवेक समाप्त हो चुका है और इस तरह सम्पूर्ण मानवसमष्टिका जीवन त्रस्त है व प्रत्येक मानवहृदयमें अशान्ति तथा आकुलतायें बढ़ती ही चली जा रही हैं। जैन संस्कृतिके पुरस्कर्ता महर्षियोंने इन सब प्रकारकी नुराईयोंको मानवसमष्टिके हृदयके लिये अपने अनुभवके बलपर कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्त मानवजीवनके संचालनके लिये स्थिर किये थे, जिनके प्रति हमारी उपेक्षाबुद्धि हो जानेके कारण यह समस्त पृथ्वीतल नरकका महाविकाराल-रूप धारण किये हुए दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन यदि अब भी उन सिद्धान्तोंको समझकर हम अपने जीवनमें उन्हें डाल लें तो यही पृथ्वीतल स्वर्गका सौन्दर्यपूर्ण अनुपम रूप भी धारण कर सकता है।

विचारकी बात है कि जब भरतक्षेत्रके इस आर्यक्षेत्रमें भोगभूमिका वर्तमान था, तो उस समय सम्पूर्ण मानवसमष्टि सुख और शान्तिपूर्वक रहती थी। इसका कारण यह था कि उस समय प्रत्येक मानव अपना जीवन आकांक्षाओंके आधारपर संचालित न करके आवश्यकताओंके आधारपर ही संचालित करता था। आवश्यकतायें भी प्रत्येक मानवके जीवनकी कम हुआ करती थी, इसलिये एक तो उसका उपभोग्य पदार्थोंका उपभोग कम हुआ करता था। दूसरे, उसके हृदयमें उपभोग्य पदार्थोंके प्रति आकर्षणका अभाव होनेसे वह उनके संग्रहसे भी सदा दूर रहा करता था। इस प्रकार उस समय सभी मानव परस्पर घुलमिलकर समानरूपसे ही रहा करते थे, उनमें परस्पर कभी भी संघर्षका अवसर नहीं आ पाता था।

आज हालत बिलकुल विपरीत है। प्रत्येक व्यक्तिने अपनी आवश्यकतायें अप्राकृतिक ढंगसे अधिकाधिकरूपमें बढ़ा रखी हैं और वह बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसके अलावा सभी प्रकारकी उपयोगी वस्तुओंके अमर्यादित संग्रहकी ओर भी प्रत्येक व्यक्ति झुका चला जा रहा है। इस तरह सम्पूर्ण मानव-समष्टिका जीवन परस्परकी विषमताओंसे भरा हुआ है। ऐसी हालतमें संघर्ष होना अनिवार्य ही समझना चाहिये।

जैन संस्कृतिके सत्त्वज्ञानमें ऐसे सभी संघर्षोंको समाप्त करनेकी क्षमता पायी जाती है, कारण कि वह मानवमात्रको न्यायोचित मार्गपर चलनेकी शिक्षा देता है। इतना ही नहीं, वह उसे ज्ञानावरणानि अष्ट कर्मों

व शरीरादि भौकर्मोंके साथ अपृथक्भावको प्राप्त आत्माको इनसे पृथक् करने स्वतन्त्र बनानेके मार्गपर भी चलनेकी शिक्षा देता है। इस तरह जाना जा सकता है कि जैन संस्कृतिका सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान दो भागोंमें विभक्त है। उनमेंसे एक भाग तो प्राणियोंके जीवनको सुखी बनाने समर्थ लौकिक तत्त्वज्ञानका है जिसे जैन संस्कृतिके आगमग्रन्थों में—

“सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विद्धानु देव ! ॥”

के रूपमें प्रतिपादित किया गया है और दूसरा भाग आत्माको स्वतन्त्र बनानेमें समर्थ आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानका है, जिसे आगमग्रन्थोंमें ‘अहमिकको खलु सुद्धो’ इत्यादि वचनों द्वारा आत्मतत्त्वकी पहिचान करके उसे प्राप्त करनेके मार्गके रूपमें प्रतिपादित किया गया है।

जैन संस्कृतिके लौकिक तत्त्वज्ञानका मूल आधार उल्लिखित पद्य द्वारा निश्चित “जियो और जीने दो” का सिद्धान्त है। अतः जैन संस्कृतिके पुरस्कर्ता तीर्थंकरों, विकासकर्ता गणधरदेवों और प्रसारकर्ता आचार्योंनि उद्बोधना की है कि भो ! मानव प्राणियो ! यदि तुम अपना जीवन सुख और धान्तिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हो तो जैन संस्कृतिके “जियो और जीने दो” इस सिद्धान्तको हृद्ययंगम करो, क्योंकि इसमें मनके संकल्पोंको पवित्र तथा वाणीको अमृतमयी बनानेकी क्षमता विद्यमान है व इसके प्रभावसे प्राणियोंकी जीवन-प्रवृत्तियाँ भी एक-दूसरे प्राणियोंके जीवनकी अप्रतिघाती बन जाती हैं। यही कारण है कि भगवन्जिनेन्द्रके पुजारीको अपने जीवनमें “जियो और जीने दो” का सिद्धान्त अपनातेके लिये प्रतिदिन पूजाकी समाप्तिपर यह उद्बोध करनेका जैन संस्कृतिके आगमग्रन्थोंमें उपदेश दिया गया है कि—

“क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः
काले काले च सम्यग् वर्षतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम् ।
दुर्मिधं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्यभूजजीवलोके
जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥”

इसके अर्थको प्रकट करनेवाला सर्वसाधारणकी समझमें आने योग्य हिन्दी पद्य निम्न प्रकार है—

“होवे सारी प्रजाको सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा
होवे वर्षा समय पै, तिलभर न रहै ध्याधियोंका अदिशा ।
होवे चोरी न जारी, सुसमय वरें, हो न दुष्काल भारी
सारे ही देस धारें जिनवरद्वेषको, जो सदा सौख्यकारी ॥”

इससे यह बात अच्छी तरह ज्ञात हो जाती है कि प्रत्येक मानवको अपने जीवनमें सुख और धान्ति लानेके लिये सम्पूर्ण मानव-समाष्टिके जीवनमें सुख और धान्ति लानेका ध्यान रखना परमावश्यक है।

जैन संस्कृतिके आध्यात्मिक तत्त्वज्ञानकी विशेषता यह है कि इसे पाकर यह दुष्क मानव बेहूषारी प्राणी अपनी जन्म और मरणकी प्रक्रियाको समाप्त करके हमेशाके लिये अजर-अमर बनकर निस्व और निरामय स्वातन्त्र्य-सुखका उपभोक्ता हो जाता है। इस तत्त्वज्ञानके आधारपर मानव-जीवनके किन्नासके अनुसार आत्मविकासकी प्रक्रियाका विवेचन जैन संस्कृतिके आगमग्रन्थोंमें निम्न प्रकार उपलब्ध होता है—

जब कोई बिरल मनुष्य ‘जियो और जीने दो’के सिद्धान्तानुसारी लौकिक धर्ममार्गपर चलकर उपलब्ध किये गये जीवनसम्बन्धी (लौकिक) सुखकी पराधीनता और विनयनशीलताको त्यागकर उसके प्रति

अन्ते अन्तःकरणमें विरहितभाव जागृत कर लेता है तथा 'नित्य और निरामय सुख आत्माके स्वतन्त्र हो जाने-पर ही प्राप्त हो सकता है' ऐसा आनकर वह मुमुक्षु बन जाता है तो उसके उस विरहितभावसे भरे हुए अन्तःकरणसे यह आवाज अनायास ही निकलने लगी है कि—

“भेरे कब हो वा बिनकी सुषरी—

तन, बिन बसन, असन बिन, वनमें निवनों, नासादृष्टि धरी”

अर्थात् वह विचारने लगता है कि मुझे कब उस दिनका सुभ अवसर प्राप्त हो, जिस दिन मैं नग्न विधम्बर-मुद्राको धारण करके वनको अपना निवास स्थल बना लूँ ? और अपनी इस भावनाको सुवृद्ध करता हुआ वह आगे चलकर जब वास्तवमें वनवासी हो जाता है तब उसके परिणामोंकी वृत्ति भी—

“अरि-मित्र, महल-भसान, कंचन-कांच, निन्दन-धुतिकरन,

अर्थावतारण-असिप्रहारणमें सदा समता धरन ।”

—के रूपमें चमक उठती है। इतना ही नहीं, वह इतने भावसे संतुष्ट न होकर आगे अपनी प्रवृत्तियोंकी बहिर्मुखताको समाप्त करके उन्हें अन्तर्मुखी बनाकर मन, वचन और काय सम्बन्धी योगोंकी निश्चलता प्राप्त करता हुआ आत्माका इस तरह ध्याता बन जाता है कि मृग भी उसे पाषाण समझकर निर्भयताके साथ उसके पास आकर अपनी खाज खुजलाने लग जाता है और अन्तमें उसकी यहाँ तक स्थिति बन जाती है कि उसे इतना भी पता नहीं रह जाता है कि कौन तो ध्याता है ? किसका ध्यान किया जा रहा है ? और वह ध्यानक्रिया भी कैसी हो रही है ? अर्थात् उस समय वह केवल शुद्धोपयोगरूप ऐसा निश्चलदशाको प्राप्त हो जाता है, जिसके होनेपर वह यथायोग्य क्रमसे कर्मों तथा नोकर्मोंके साथ विद्यमान आत्माकी परतन्त्रताको समूल नष्ट करके अन्तमें अपना चरमलक्ष्यभूत परमपद अर्थात् आत्मस्वार्तभ्यस्वरूप मोक्षको प्राप्त कर लेता है।

लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकारके तत्त्वज्ञानोपेक्षे लौकिकतत्त्वज्ञान तो जैन संस्कृतिको बाह्य आत्मा है क्योंकि इससे हमें अपने जीवनको सुखी बनानेका मार्ग प्राप्त होता है और आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान उसकी (जैन संस्कृतिकी) अन्तरंग आत्मा है क्योंकि इससे हमें आत्माको स्वतन्त्र बनानेका मार्ग प्राप्त होता है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह आत्माको स्वतन्त्र बनानेके मार्गकी प्राप्तिको अपने जीवनका मुख्य लक्ष्य निर्धारित करे तथा मुमुक्षु बनकर वह अपने शरीरको अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी बनानेका प्राकृतिक ङंसे प्रयास करे और इस तरह उसका शरीर जितना-जितना स्वावलम्बी बनता जाय उतना-उतना ही वह अणुवतो व इससे भी आगे महाव्रतोके रूपमें क्रमशः शरीरसंरक्षणके लिये तब तक आवश्यक पर-वस्तुओंका अवलम्ब छोड़ता चला जाय, परन्तु अन्तःकरणमें मोक्षप्राप्तिकी भावनाका जागरण न होनेसे जो अभी तक मुमुक्षु नहीं बन सके अथवा मोक्षप्राप्तिकी भावनाका अन्तःकरणमें जागरण हो जानेपर भी जो अपने शरीरको स्वावलम्बी बनानेमें असमर्थ है उन्हें भी “जियो और जीने दो”के सिद्धान्तानुसार मन्मूर्छ मानवसमष्टिके संरक्षणकी चिन्ता रखते हुए उसके साथ धुलमिलकर समानरूपमें रहनेका अपना जीवनमार्ग निश्चित करना परमावश्यक है क्योंकि इसके बिना न तो उनका जीवन उदात्त और सुख-शान्तिमय हो सकता है और न वे अपने जीवनको आध्यात्मिकताकी ओर मोड़ सकते हैं। जिन महापुरुषोंने पूर्वमें जब भी आध्यात्मिक धर्मके मार्गपर चलनेकी ओर कदम बढ़ाया है तो उन्होंने अपने जीवनमार्गको “जियो और जीने दो”के सिद्धान्तानुसार परिष्कृत करनेका सर्व प्रथम प्रयत्न किया है।

मैंने इस भाषणके प्रारम्भमें अद्वैय पं० दौलतरामजी कृत छहडालाके जिस मंगलमय पद्यके द्वारा

मङ्गलाचरण किया है उससे भेरे उल्लिखित कथनका ही समर्थन होता है। उस पद्यमें वीतराग-विज्ञानताको हीनों लोकोंमें श्रेष्ठ प्रकृति करते हुए उसके मर्मार्थके लिये जो 'शिवस्वरूप' और 'शिवकार' ये दो पद्य निखिल किये गये हैं उनमेंसे 'शिवस्वरूप' पद्यसे तो वीतरागविज्ञानताको स्वयं आनन्दस्वरूप इतना दिया गया है और 'शिवकार' पद्यसे उस वीतराग-विज्ञानताको आनन्दका कारण भी प्रकृति कर दिया गया है। जहाँ वीतरागविज्ञानताको आनन्दस्वरूप कहा गया है वहाँ तो उसका आशय मानवजीवनके आध्यात्मिक चरमोत्कर्षसे लिया गया है और उस वीतरागविज्ञानताको जहाँ आनन्दका कारण स्वीकार किया गया है वहाँ उसका आशय मूलतः अन्तःकरणमें उद्भूत विवेक या सम्यग्दर्शनके साथ यथायोग्यरूपमें पाये जानेवाले उस ज्ञानसे लिया गया है जिसे 'जिगो और जीने दो'के सिद्धान्तकी आधारभूमि कहा जा सकता है। अब इससे भेरे उल्लिखित कथनका समर्थन किस प्रकार होता है, इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार जानना चाहिये।

वीतराग शब्दमें जो रागशब्द मग्नित है वह द्वेषका भी उपलक्षण है। इस प्रकार जो ज्ञान राग अथवा द्वेषसे प्रभावित न हो उस ज्ञानको ही जैन संस्कृतियोंमें 'वीतरागविज्ञान' शब्दसे पुकारा गया है। जीवमें राग और द्वेष दोनोंकी उत्पत्ति दो प्रकारसे हुआ करती है। उन दोनों प्रकारोंमेंसे एक प्रकार तो दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे जीवमें ही उत्पन्न होनेवाला मोहपरिणाम यानी जीवका परवदाद्योंमें अहंभाव या ममभाव है और दूसरा अन्तरायकर्मके देशघातिस्यर्षकोंके उदयसे जीवमें ही उत्पन्न होनेवाली जीवनसम्बन्धी भोग, उपभोग आदि परवदाद्योंकी अधीनता यानी परवक्षता या मजबूती है। यद्यपि राग और द्वेष दोनों चारित्र्य-मोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले आत्मपरिणाम हैं। परन्तु ये दोनों ही परिणाम जीवमें या तो उक्त मोहरूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होते हैं या फिर जीवकी जीवनसम्बन्धी भोगादिपरवक्षता रूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होते हैं।

मममें उत्पन्न होनेवाली अनधिकारपूर्ण और अकरणीय आकाशाओकी पूर्तिके कारणोंके प्रति होनेवाले प्रीतिरूप आत्मपरिणामका नाम मोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न उक्त मोहरूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होने वाला रागभाव है और उक्त प्रकारकी उन आकाशाओकी पूर्तिमें बाधा पहुँचाने वाले कारणोंके प्रति होनेवाले अप्रीति व आत्मपरिणामका ही नाम उक्त मोहरूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होनेवाला द्वेषभाव है। इसी प्रकार जीवके भोग और उपभोग आदि परवस्तुओंकी अधीनताको प्राप्त जीवनकी जो भी आवश्यकतायें हों उनकी पूर्तिके कारणोंका उपयोग करने रूप आत्मपरिणामका नाम अन्तरायकर्मके देशघातिस्यर्षकोंके उदयसे उत्पन्न परवक्षतारूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होनेवाला रागभाव है और उक्त प्रकारकी आवश्यकताओकी पूर्तिमें बाधा पहुँचानेवाले कारणोंका प्रतिरोध करने रूप आत्मपरिणामका नाम उक्त परवक्षतारूप आत्मपरिणामकी प्रेरणा मिलनेपर उत्पन्न होनेवाला द्वेष भाव है।

दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले उक्त मोहकी प्रेरणासे उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष और अन्तरायकर्मके देशघातिस्यर्षकोंके उदयसे उत्पन्न होनेवाली उक्त परवक्षताकी प्रेरणासे उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेषके अन्तर्को सरलतासे समझनेके लिये उदाहरणके रूपमें यह बात कही जा सकती है कि अभी कुछ मास पूर्व जो पाकिस्तान और भारतके मध्य भयंकर युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तानके राष्ट्रपतिकी इच्छा भारतको पदचलित करनेकी थी इसलिये उनका वह युद्ध करने रूप परिणाम मोहकी प्रेरणासे उत्पन्न होनेवाला द्वेषभाव था और जैक जब पाकिस्तानका भारतपर आक्रमण हो गया तो भारतको भी परवक्षता मुझमें कूदना पडा। इसलिये भारतके तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्रीका परवक्षताकी प्रेरणासे उत्पन्न होनेवाला द्वेषभाव था। उन दोनोंमें द्वेषभावमें अन्तर विद्यमान रहनेके कारण ही विवेकशील देशोंमें

पाकिस्तानके पलाकों अन्यायका और भारतके पलाकों न्यायका पक्ष माना है ।

मोहके कारण उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष प्राणियोंके जीवनको अध्यात्त और संघर्षमय बनाते हैं जबकि परवशाता (पराधीनता) के कारण उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष प्राणियोंके जीवनकी सुसंचालितमें बाधक न होकर केवल आध्यात्मिक जीवनके विकसाममें बाधक होने हैं । इसको जैनागमके आचारपर यों कहा जा सकता है कि मोहके कारण होनेवाले राग और द्वेष अनन्तानुबन्धी कषायरूप होते हैं, इसलिये वे जीवोंको विवेकी या सम्यग्दृष्टि बननेसे रोकते हैं अर्थात् इससे उनका (जीवोंका) जीवन अध्यात्त और संघर्षमय बना रहता है । इसी तरह परवशाता (पराधीनता) के कारण उत्पन्न होनेवाले राग और द्वेष अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायरूप होते हैं । इसलिये वे जीवोंको चारित्रिकी और बढ़नेसे रोकते हैं अर्थात् इसके कारण वे अपना जीवन भोजन, वस्त्र, आवास आदिके बिना सुरक्षित रखनेमें असमर्थ रहा करते हैं ।

उपर्युक्त कथनका तात्पर्य यह है कि जिस जीवके मोहका अभाव हो जानेसे उसके कारण उत्पन्न होनेवाले अनन्तानुबन्धी कषायरूप राग और द्वेष नमाने हो जाते हैं उस जीवमें वीतरागविज्ञानताका प्रारम्भिक रूप आ जाता है और फिर इसके पश्चात् एक ओर तो धीरे-धीरे अन्तःदायकर्मके देशघातिस्पृष्टकोंके उदयका अभाव होते हुए वह पूर्णतया नष्ट हो जावे तथा दूसरी ओर उत्तरोत्तर अपत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषायके क्रमसे राग और द्वेष भी धीरे-धीरे घटते हुए अन्तमें पूर्णतया नष्ट हो जावे व इसके अलावा ज्ञान भी इसके बाधक समस्त ज्ञानावरण कर्मका अभाव हो जानेसे पूर्णतया प्रकट हो जावे, तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है तब उस जीवमें वीतरागविज्ञानता अपने चरमउत्कर्ष पर पहुँच जाती है ।

वीतरागविज्ञानताका उक्त प्रारम्भिकरूप प्रकट हो जानेसे जब जीव विवेकी या सम्यग्दृष्टि बन जाता है तब अध्यात्त व संघर्षका बीज समाप्त हो जानेके कारण उसको भावनामें, उसकी वागोंमें और उसके प्रत्येक कार्यमें "जियो और जीने दो" के सिद्धान्तकी झलक दिखाई देने लगती है । लौकिक धर्म इतका नाम है । यही जीव जब आगे चलकर अपत्याख्यानावरण कषायकी किञ्चित् हानि हो जानेपर भोगप्राप्तिके प्रति उत्सुकतारूप दर्शनप्रतिमाका धारी हो जाता है तब वह सर्वप्रथम "मुमुक्षु" संज्ञाको प्राप्त होता है और वह जीव वहींसे आध्यात्मिक धर्मके मार्गमें प्रवेश करता है । यहाँसे लेकर जिस जीवमें अध्यात्मिक धर्मका मार्ग जैसा-जैसा विकसित होता जाता है उसके लौकिक धर्मके मार्गका धारण जैसा-जैसा ही सञ्चित होता जाता है । अर्थात् इसके लिये उक्त क्रमसे जीवनसंरक्षणका प्रथम गौण व आत्मविकासका प्रथम मुख्य हो जाता है । इस तरह उस हालतमें जो कुछ वह सोचता है और जो कुछ वह करता है उसका मेल वह मुख्यतया अपने आत्मविकासके साथ ही बिठलाने लगता है ।

इस विषयको इस तरह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि लौकिक धर्म प्रवृत्ति-परक धर्म है और आध्यात्मिक धर्म निवृत्ति-परक धर्म है । जिस व्यक्तिके सामने केवल जीवनके संरक्षणका प्रथम ही महत्त्वपूर्ण है उसका कर्तव्य है कि वह प्रवृत्ति-परक लौकिकधर्मके मार्गपर चले । अर्थात् वह अपनी प्रवृत्ति ऐसा निर्णय करके करे कि वह प्रवृत्ति किस दृष्टिसे और कहाँ तक न्यायोचित है तथा स्वके लिये व समाज, राष्ट्र एवं विश्वके लिये किसी भी प्रकार विधातक नहीं है । परन्तु लौकिक धर्मके मार्गपर चलनेवाले व्यक्तिके लिये स्व, तथा समाज एवं राष्ट्रकी रक्षाके निमित्त यदि कदाचित् आवश्यक हो जावे, तो न्यायोचित तरीकेसे शस्त्रका उपयोग करना भी जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानके अनुसार अहिंसाकी परिधिमें आता है । इसलिये भारत पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जानेपर भारतको अपनी रक्षाके लिये जो युद्धमें प्रवृत्त होना पडा उससे भारतको किसी भी प्रकार हिंसक नहीं माना जा सकता है और न इससे उसकी (भारतकी) अहिंसक नीतिमें कोई अन्तर ही उत्पन्न होता है ।

उक्त लौकिक धर्मके मार्ग पर चलनेके लिये अनुष्यको मनोबलकी बढ़ी आवश्यकता है। जिस व्यक्तिमें मनोबलका अभाव है उसका मन कभी उसके नियंत्रणमें रहनेवाला नहीं है और अनियन्त्रित मनवाला व्यक्ति हृदयका लोकमें अन्धारा और अत्याचार रूप अनुचित तथा जीवन-संरक्षणके लिये अनुपयोगी व अनावश्यक प्रवृत्तियाँ किमा करता है जिससे उसके जीवनमें सुख और शांति सही अर्थोंमें कभी आ ही नहीं सकती है। ऐसे व्यक्तिको जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानके अनुसार मिथ्यादृष्टि या अधर्मात्मा कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनेको मनोबलका धनी बना लेता है उसका मन उसके नियंत्रणमें हो जाता है तब वह व्यक्ति उक्त प्रकारकी अनुचित, अनुपयोगी और अनावश्यक प्रवृत्तियोंको समाप्त कर केवल उचित उपयोगी और आवश्यक प्रवृत्तियों तक ही अपना प्रयास सीमित कर लेता है। व्यक्तिके इस प्रकारके प्रयाससे लोकमें सचय समाप्त होकर शांति स्थापित हो सकती है तथा व्यक्तिके जीवनमें सुख और शांति आ सकता है। जो व्यक्ति अब उचित, उपयोगी और आवश्यक प्रवृत्तियों तक ही अपना व्यापार सीमित कर लेना है तब जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानके अनुसार उसे सम्यग्दृष्टि या लौकिक दृष्टिसे धर्मात्मा कहा जा सकता है।

इसी प्रकार जो व्यक्ति अब अपने जीवन-संरक्षणके प्रश्नको गौणकर आत्मस्वातंत्र्यके प्रश्नको प्रमुख बना लेता है तब उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह यथाशक्ति निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मार्गपर चले। आध्यात्मिक मार्गपर चलनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिको मनोबलके साथ-साथ जीवनकी भोगादि वस्तुओंकी पराधीनताको समाप्त करनेवाले शारीरिक बल और आत्मबलकी भी आवश्यकता है। जैनधर्ममें दणित बाह्यतप-शारीरिकबलकी वृद्धिके और अन्तरंग तप आत्मबलकी वृद्धिके कारण है। जिस व्यक्तिके अन्दर ये दोनों ही बल जितनी वृद्धिको प्राप्त होते जावेंगे उस व्यक्तिके सामने जीवनसंरक्षणका प्रश्न उतना ही गौण होता जायगा। इस तरह वह व्यक्ति धीरे-धीरे प्रवृत्ति कर लौकिकधर्मके मार्गसे ऊपर उठता हुआ क्रमशः अशुद्ध और महाव्रत आदिके रूपमें निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मार्गपर अग्रसर होता जायगा और इसके एक नीमा तक पहुँच जानेपर वह इतना आध्यात्मिक दृष्टिसे धर्मात्मा बन जाता है कि वह अपने जीवनसंरक्षणके लिये साम्राज्यिक उपयोग करना तो दूरकी बात है, अपितु इससे भी आगे वह ऐसी प्रवृत्तियोंकी भी त्यागी बन जायगा, जिन प्रवृत्तियोंका साक्षात् या परंपरया आत्मविकाससे सम्बन्ध न हो अथवा जिनका त्याग करना उसे थोड़ा भी सम्भव हो। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मविकासके लिये निःस्पृहतापूर्वक जीवनको तुच्छ समझकर अवसर आनेपर निर्द्वेषपूर्वक मृत्युको भी वरण कर लेना। जैन संस्कृतिके प्रवृत्तिपरक लौकिक धर्म और निवृत्तिपरक आध्यात्मिक धर्मके मध्य यही अन्तर प्रतिपादित किया गया है।

इस तरह जैन संस्कृतिके धार्मिक तत्त्वज्ञानको जो विवेचना यहाँ पर की गई है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक व्यक्तिको अपने जीवनकी सुरक्षाके लिए अनुचित, अनुपयोगी और अनावश्यक भोग तथा संग्रहरूप प्रवृत्तियों (जिन्हें अधर्मके नामसे पुकारा गया है) का संबंध त्यागकर उचित, उपयोगी और आवश्यक भोग तथा संग्रहरूप प्रवृत्तियों (जिन्हें लौकिक धर्मके नामसे पुकारा गया है) को स्वीकार करना ही उत्तम मार्ग है और जिनके अन्तःकरणमें आत्मस्वातंत्र्य प्राप्त करनेकी उल्टी भावना जाग्रत हो चुकी है अर्थात् जो मृत्यु बन चुके हैं उन्हें लौकिक धर्मके नामसे पुकारो जानेवाली प्रवृत्तियोंकी भी त्यागकर निवृत्तिरूप आध्यात्मिक धर्मको अपनाता ही उत्तम मार्ग है।

जैन संस्कृतिके इस धार्मिक तत्त्वज्ञानके संरक्षण, विकास और प्रसारके लिए ही विद्वत्परिवर्तने सिवनी अधिवेशनमें उपर्युक्त छह प्रस्ताव पारित किये थे। इसलिये उन्हें क्रियात्मकरूप देनेके लिये हमें अपनी पूरी शक्ति लगानेकी आवश्यकता है। उनमेंसे प्रस्ताव संख्या ६ व ७ को क्रियात्मकरूप दिया जा चुका है जिससे अनुमान होता है कि इनकी शकलता अस्विच्छ है।

प्रस्ताव संख्या ९ को कार्यान्वित करनेके लिये जो उपसमिति सिवनी अधिवेशनमें बनायी गयी थी उसने, मुझे वहाँ तक माफूम है, अभी तक अपना कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। मेरा उस उपसमितिके संयोजक श्री नीरज जीन सतनासे अनुरोध है कि वे इस प्रस्तावको क्रियात्मक रूप देनेके लिये उचित कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या १० इस दृष्टिसे पारित किया था कि समाजमें सांस्कृतिक विद्वानोंकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है और नवीन विद्वान तैयार नहीं हो रहे हैं, इनलिये दि० जैन संस्कृतिके मरक्षणकी जटिल समस्या सामने उपस्थित है। इसको हल करनेका यह उपाय उत्तम था कि गृहविरत त्यागीजन संस्कृतिके संरक्षणकी चिन्ता करने लगे व इस तरह वे अपने जीवनका अमूल्य समय संस्कृतिके तत्त्वज्ञानके अध्ययनमें लगायें। परन्तु ऐसे गृहविरत त्यागियोंका मिलना दुर्लभ हो रहा है, जिनकी अभिरुचि संस्कृतिके तत्त्वज्ञानके अध्ययन की हो। अभी तीन-चार माह पूर्व श्रीमहावीरजीमें व्रती-विद्यालयकी स्थापना हुई थी, लेकिन जनवरीके अन्तिम सप्ताहमें श्री महावीरजी जानेपर देखा तो उस व्रती-विद्यालयमें व्रतियोंका अभाव-सा देखनेको मिला। दो-चार व्रती हैं भी, ती एक तो उनमें अध्ययनकी रुचि नहीं देखी गयी। दूसरे, वे वहाँ पर स्थिर होकर अध्ययन करेंगे—यह कहना कठिन है। इन्दौरका उदासीनाश्रम तो लम्बे समयसे स्थापित है, परन्तु वहाँ एक भी उदासीन संस्कृतिका सर्वांगीण विद्वान बनकर बाहर आया है, यह नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह और कई व्रती-विद्यालयोंकी स्थापना तथा समाप्तिके उदाहरण दिये जा सकते हैं।

गृहविरत त्यागियोंकी अध्ययनकी ओर रुचि क्यों नहीं? इसका एक ही कारण है कि वे अपना लक्ष्य अध्ययन करनेका नहीं बनाते हैं। पुरातन कालमें हमारे महर्षियोंका लक्ष्य संस्कृतका अध्ययन-अध्यापन रहता था, इसलिये उनकी बढौलत ही आज हमें संस्कृतके महान् ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं। यदि अभी भी हमारे महर्षियोंका लक्ष्य संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् बनने ही ओर हो जाय, तो संस्कृतके संरक्षणकी समस्या हल होनेमें देर न लगे, परन्तु इसके लिये हमारे महर्षियोंमें एक तो अनुशासनकी भावना हो। दूसरे, ऐसे व्यक्तियोंको ही गृहविरत त्यागी, ब्रह्मचारी या मुनि बननेकी छूट होना चाहिये, जिनका लक्ष्य संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् बनना हो।

प्रस्ताव संख्या ११ को सफल बनानेके लिये समाजके लक्ष्यप्रतिष्ठ श्रीमान् साहू शान्तिप्रसादजी ने १०००) वार्षिक विद्वत्परिषद्को देनेकी स्वीकारता दी है। इसके लिये विद्वत्परिषद् उनका प्रसन्नतापूर्वक आभार मानती है और विद्वानोंसे आशा करती है कि वे इससे समुचित लाभ लेकर संस्कृतिके संरक्षणमें अपना योगदान करेंगे।

विद्वत्परिषद्ने सिवनी अधिवेशनमें ही संख्या ५ का एक प्रस्ताव स्व० पं० गुरु गोपालदासजी बरैयाकी मौवी जयन्ती उच्चस्तरपर मनानेके सम्बन्धमें पारित किया था। प्रसन्नताकी बात है कि इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिये बनायी गयी उपसमिति तत्परताके साथ कार्य कर रही है। इसके लिये यह उपसमिति और इसके संयोजक डॉ० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य द्वारा अधिक-अधिक धन्यवादके पात्र हैं। समाज व विद्वानोंमें भी इस कार्यमें काफी दिलचस्पी दिखाकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया है तथा इनसे आगे भी अत्यधिक आर्थिक सहयोग मिलनेकी आशा है। प्रत्येक विद्वानको भी अपना कर्तव्य समझकर इसमें आर्थिक सहयोग देना चाहिये।

विद्वत्परिषद्ने सिवनी अधिवेशनके प्रस्ताव संख्या ८ द्वारा लेखक व वक्ता विद्वानोंसे अनुरोध किया था कि वे लेखकों और प्रवचनोंमें शिष्टसम्मत शैलीका पालन करें और व्यक्तिगत आप्तसे बचें। गत जनवरी मासके अन्तिम सप्ताहमें श्रीमहावीरजी तीर्थक्षेत्रपर भी उक्त विषयके सम्बन्धमें विद्वानों और श्रीमानोंका

एक सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रभावक ढङ्ग में हुए निर्णयसे अथा बँधती है कि सबसे लाभ होगा। वे महानुभाव धम्मवाचके पात्र हैं। जिन्होंने श्रीमहावीरजीके सम्मेलनका आयोजन किया और उसे सफल बनाया।

इन्दौरमें तेरहपंच और बीसपंचका संघर्ष सुननेमें आया है तथा कतिपय स्थानोपर सोनगड़में निर्वाचित मुमुक्षुमण्डलों और पुरातन समाजके बीच भी संघर्ष सुननेमें आये हैं। यह बड़े दुःखकी बात है। ऐसी घटनाओंसे समाज कलंकित होती है। मैं समझता हूँ कि धर्मके संरक्षण अथवा प्रचारके लिये कषायपूर्ण संघर्ष होना धर्मके ही महत्त्वको कम करते हैं। इसलिये परस्पर-विरोधी आस्था रखनेवाले व्यक्तियोंको केवल धर्मा-राधनपर ही दृष्टि रखना चाहिये, उनका कल्याण उसीमें है।

इस प्रसंगमें एक बातें यह कहना चाहता हूँ कि समाजमें विद्यमान महनशीलताके अभावसे ही प्राय ऐसे या अन्य प्रकारके सामाजिक संघर्ष हुआ करते हैं। इनलिये हमारी सामाजिक संस्थाओंको अपनी स्थिति इतनी सुदृढ़ बनानी चाहिये, ताकि वे महनशीलताको अपना सके व समाजको संगठित कर सके।

श्री सम्मैदशिक्षरजी तीर्थक्षेत्रके विषयमें विहार सरकार और स्वैताम्बर मूर्तिपूजक समाजके मध्य जो झकरार हुआ है उससे विगम्बर समाजके अधिकारोंका हनन होता है। अतः इस झकरारको समाप्त करवानेका जो प्रयत्न १० भा० तीर्थक्षेत्र कमेटी द्वारा किया जा रहा है वह स्तुत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त कमेटीने गतवर्ष समाजमें श्रीसम्मैदशिक्षरजी तीर्थक्षेत्र की रक्षा करनेके लिये जो चेनना उपगत की, उसके कारण वह अत्यन्त प्रशंसनीय पात्र है। परन्तु अब वह क्या कर रही है, इसकी जानकारी समाचारपत्रों द्वारा होते रहना चाहिए।

हम मानते हैं कि तीर्थक्षेत्र कमेटीके सामने कार्यको तत्परतापूर्वक सम्पन्न करनेमें कुछ कठिनाईयाँ सम्भव हैं और हम उसके पदाधिकारियोंको यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि समाजको कमेटीके ऊपर पूर्ण विश्वास है, फिर भी उससे हमारा अनुरोध है कि समाजमें क्षेत्रके विषयमें जो चिन्ता और बेवैनी हो रही है उसको ध्यानमें रखते हुए वह यथासम्भव अधिक-से-अधिक तत्परतापूर्वक समस्याको सन्तोषप्रद ढंगसे शान्तसे शीघ्र हल करवानेका प्रयत्न करे।

'सरिता' पत्रमें जैनसंस्कृतिके विषय 'कितना महँगा धर्म' शीर्षकसे प्रकाशित लेखसे जैन समाजका क्षुब्ध होना स्वाभाविक है। लेखका लेखक और पत्रका सम्पादक दोनों यदि यह समझते हों कि उन्होंने उत्तम-कार्य किया है तो यह उनकी आत्मबुद्धिना ही सिद्ध होगी। इसका जैसा प्रतिरोध जैन समाजकी तरफसे किया गया है या किया जा रहा है वह तो ठीक है परन्तु जैन समाज और उसकी साधुसंस्थाको संस्कृतिके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्त्व व उसकी उपयोगिताकी लोकको जानकारी देनेके लिये संस्कृतिके अनुकूल कुछ विधायक कार्यक्रम भी अपनाना चाहिये।

वाराणसीमें विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठकके अवसरपर ऐसी चर्चा उठी थी कि विद्वत्परिषद्के उद्देश्य और कार्यक्रमके साथ भारतीय जैन साहित्यसंसद्के उद्देश्य और कार्यक्रमका सुमेल बैठता है, अतः क्यों न उसे विद्वत्परिषद्के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया जाय ? इस चर्चाको यदि सार्थकरूप दिया जा सके तो मेरे क्यालसे सांस्कृतिक लाभकी दृष्टिसे यह अत्यधिक उत्तम बात होगी।

मैं पुनः विद्वत्परिषद् और शास्त्रपरिषद्के एकीकरणकी बातको सुहराता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इसके लिये यदि विद्वत्परिषद्को पहल भी करना पड़े तो करना चाहिये। श्रीमहावीरजीने हुए सम्मेलनसे निमित्त वातावरण इस एकीकरणके लिए सहज हो सकता है। इसके अलावा मेरा बुद्धिकोष अब भी प्रह्व बना हुआ है कि विद्वत्परिषद्का एक सांस्कृतिक पत्र अवश्य होना चाहिए।

अब मैं ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयपर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिसके सम्बन्धमें समस्त जैन समाजको रुचि और उत्साह प्रसन्नतापूर्वक दिखलाना चाहिए। वह है इस श्रावस्तो तीर्थक्षेत्रका विकासकार्य। श्रावस्तो भारतवर्षकी एक प्राचीनतम सांस्कृतिक एवं प्रसिद्ध नगरी रही है। सांस्कृतिक दृष्टिसे इसका विश्वेव महत्त्व रहा है। यही कारण है कि इसको भारतवर्षकी सभी संस्कृतियोंके प्रवर्तकोंने अपने-अपने समयमें अपनाया है। जैन समाजसे तो इसका सम्बन्ध अतिप्राचीनतम कालसे है। जैन संस्कृतिके मुख्य प्रवर्तक २४ तीर्थंकरोंमेंसे प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव और द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथके अनन्तर जो तृतीय तीर्थंकर श्री शंभुवनाथ हुए हैं उनके गर्भ, जन्म, तप और केवल ये चारो कल्याणक इसी श्रावस्तो नगरीमें ही हुए हैं और तभीसे वह नगरी अपने वैभवपूर्ण सौंदर्यके कारण इतिहासप्रसिद्ध है। साथ ही ऐतिहासिक कालके पूर्व भी यह महती वैभवशालिनी रही है—इसकी जानकारी हमें पुराणग्रन्थोंमें प्रचुरताके साथ पायी जाने वाली विवेचनसे प्राप्त होती है। “जगत्की प्रत्येक दुख्यमान वस्तु अस्थिर और अनित्य है” इसका अपवाद यह नगरी भी नहीं बन सकी और इसलिये आज यह इस भग्नकायाके रूपमें दृष्टिगोचर हो रही है। बहुराष्ट्रकी दि० जैन समाज और श्री श्रावस्तो दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटीको हम इसलिये साधुवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने उसे सम्पूर्ण जैन समाजके दृष्टिपथ पर लानेके लिये यह पञ्चकल्याणक महोत्सव कराया है। श्री भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् यहाँ अधिवेशन करके अपनेको कृतार्थ समझती है। मुझे आशा है कि भारतवर्षकी सम्पूर्ण दिग्गम्भर जैन समाज—

‘शानदार या भूत, भविष्यत् ओ महान् है।

जगर सम्हालो आज उसे, जो वर्तमान है ॥”

—इम पक्षकी भावनाके अनुसार इस क्षेत्रके सांस्कृतिक उत्थानमें अपना पूर्ण योगदान करेगी तथा उपस्थित जन समुदायके इस क्षेत्रके विकासमें यथासक्ति आर्थिक योगदान किये बिना यहसि नहीं लीटेगा।

सन् १९६६ का वर्ष प्रारम्भ राष्ट्रकी दृष्टिसे बड़ा दुःखदायी सिद्ध हुआ है। राष्ट्रके प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्रीका अकल्पित वियोग एक ऐसी घटना है जिससे संसार स्तब्ध रह गया है। भारत और पाकिस्तानके मध्य १८ वर्षसे चले आ रहे झगड़ेका ताश्कन्द (रूस) में सुलह अन्त श्री शास्त्रीजीके द्वारा होना और फिर करीब ८-९ घण्टेके अनन्तर ही वहींपर उनका स्वर्गवास हो जाना इत्यादि बातें हृदयविदारक हैं। श्री नेहरूजीके स्वर्गवासके अनन्तर ये भारतके प्रधानमंत्री बने। परन्तु यह भारतका दुर्भाग्य था कि इन्हें अपने डेढ़ वर्षके कार्यकालमें विरासतमें प्राप्त और कुछ नवीन जटिल संघर्षसि ही जूझना पडा। इसमें सन्देह नहीं कि संघर्षके साथ जूझना शास्त्रीजीका अजेय वीर योद्धा जैसा युद्ध था। उन्होंने अपने कार्यकालपके डेढ़ वर्षके अल्पसमयमें ही भारतका मस्तक विस्वमें ऊँचा कर दिया और स्वयं विस्वके श्रद्धाभाजन बन गये।

सन् १९६६ का प्रारम्भ हमे सामाजिक दृष्टिसे भी दुःखदायी सिद्ध हुआ है। श्रीमान् बाबू छोटेलाल जी कलकत्ताका वियोग सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियोंसे जैन समाजके लिये हानिकारक है। जैन-साहित्य, इतिहास और पुरातत्त्वका जितना कार्य आपने किया है वह सब स्वर्गाक्षरोंमें लिखा जाने लायक है। कितना दुर्बल शरीर और कितना अटूट ध्रम उनका था, किन्तु कभी उनका उत्साह भंग नहीं हुआ। ऐसे महान् व्यक्तिके प्रति हमारे श्रद्धा-सुमन अर्पित हैं।

मेरा भाषण विद्वत्परिषद्के अध्यक्ष पदका भाषण है। अतः इसमें सांस्कृतिक तत्त्वज्ञानकी पुट रहना स्वाभाविक था। मैंने इसे बहुत कुछ सरल और स्वाभाविक बनानेका प्रयत्न किया है।

अन्तमें स्वगत ममिति द्वारा किये गये आतिथ्यके लिये अपनी ओरसे और विद्वत्परिषद्की ओरसे आप सबका आभार प्रकट करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

युगधर्म बननेका अधिकारी कौन ?

अर्वाचीन युगके इस द्वितीय महायुद्धमे मानव-जगत काफी उत्पीडित हुवा है। बर्बों, उद्भनबर्बों और अनुबर्बोंके द्वारा निरीह और निरपराध जनतासे आबाद अनेक शहर बर्बाद कर दिये गये हैं, बहुतेसे छोटे-छोटे देश परस्परके शत्रु बडे देशोंके बीचमें पड़ जानेके कारण चक्कोके दो पाटोंके बीचमें पड़े हुए अनाजके दानोंकी तरह पिस गये हैं, युद्धरत देशोंके लाखों मनुष्य युद्धके मैदानमें मारे गये हैं और भारत जैसे कृषिप्रधान देशमें भारत सरकारकी गंर जवाबदारीपूर्ण अम्बवस्थाके कारण अर्ध कोटिके करीब मनुष्य अकालके उदरमें समा गये हैं।

यद्यपि आज युद्ध समाप्त हो गया है, परन्तु उसकी छाया आज भी मौजूद है। विजित राष्ट्र विजेता राष्ट्रोंका बदला लेनेकी भावनाके शिकार हो रहे हैं, उन्हें (विजित राष्ट्रोंको) कुचल दिया गया है, परतन्त्र बना लिया गया है और अभी भी दमनकी चक्कीमे पीसा जा रहा है। युद्धपरराधियोंकी सूचीमें आये हुए या तो स्वयं आत्मघात कर रहे हैं या फिर उन्हें कानूनी न्यायके आधारपर गोलीसे उड़ाया जा रहा है। बहुतेसे देशोंमें शासनकी बागडोर सम्हालने वाली पार्टी अपने ही देशवासियोंको न्यायका डोंग रच-रच कर खत्म कर रही है और बड़े-बड़े राष्ट्रोंके साम्राज्यवादके शिकार हुए देश युद्धकालमें किये गये बायदोंके आधारपर स्वतन्त्र होनेके लिये छटपटा रहे हैं, उनका हर तरहसे दमन किया जा रहा है।

इस युद्धमें जिन लोगोंके कुटुम्बीजननोंका विनाश हो गया है और जिन्हें अबदस्त आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है उन लोगोंको तो इसकी याद करके जिदगी भर रोना ही है। परन्तु युद्धकी समाप्तिसे सपूर्ण मानवजातिमें वही पुराना शांतिका जीवन प्राप्त करनेकी जो आशा उदित हो गयी थी उसकी पूर्तिके आमार नजर नहीं आ रहे हैं। युद्धके दरम्यान जिन कानूनी कठिनाइयोंका उसे सामना करना पड़ रहा था वे कठिनाइयाँ आज भी मौजूद हैं, मंहगाई, चोर बाजार और धूसखोरीसे छोटेसे लेकर बडे तक हजारों, लाखों और करोडों तककी दीलत कमाने वाले लोग, जिनके सीमापत्यसे ही मानो युद्धकी भट्टी घषक उठी थी, आनन्दविभोर होतें हुए आज भी अपनी आदतोंसे बाज नहीं आये हैं। इसके अतिरिक्त बेकारीकी समस्या भी प्रत्येक देशमे धीरे-धीरे घर करती जा रही है।

इन सब बातोंके परिणाम-स्वरूप दुनियाके इस छोरसे उस छोर तक मानवजातिकी एक ही चाह है और एक ही आवाज है कि ऐसे उपाय किये जाने चाहिये कि भविष्यमे कभी भी युद्धका मौका आनेकी सम्भावना जाती रहे। परन्तु दुनियाकी बड़ी-बड़ी ताकतोंकी साम्राज्य-लिया, विजित राष्ट्रोंका दमन और आपसमें बर्ती जानेवाली दाव-येंचकी अविश्वासपूर्ण नीतिको देखते हुए यह कहना कठिन है कि निकटभविष्यमे ही युद्धका मौका नहीं आ सकता है।

वास्तवमें सम्पूर्ण मानव जाति अब इस किस्मके अमानवीय युद्धोंमें यदि नहीं फँसना चाहती है तो इसे युद्धको प्रोत्साहन देनेवाली स्वायत्तपूर्ण दूषित मनोवृत्तियों और प्रवृत्तियोंको छोड़कर धार्मिकताकी ओर कदम बढ़ानेका प्रयत्न करना होगा। विजित राष्ट्र विजेता राष्ट्रों द्वारा बलपूर्वक दबा लिये जाँव, इसकी अपेक्षा विजित राष्ट्रोंके प्रति सहृदयता और प्रेमका व्यबहार करनेकी जरूरत है ताकि विजेता राष्ट्र सम्पूर्ण मानव-जातिके प्रति सहृदयता और प्रेमका व्यबहार करना सीख जायँ, शक्तिसे युद्धको दबाया तो जा सकता है परन्तु उसके बीजोंको समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। पहला महायुद्ध क्षमितसे ही तो दबाया गया था। जिससे अल्पकालमे ही हमें उससे भी भयंकर दूसरा युद्ध देखना पडा है। धार्मिकताके आधारपर कायम की गयी धार्मिक

ही स्वाभिव्यक्ति प्राप्त हो सकती है। परन्तु धर्म क्या? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। विषयके रंग-रसपर धर्मके नामपर हिन्दू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम और ईसाई आदि बहुतेसे धर्म अपने-अपने भेदों और प्रभेदों सहित देखनेमें आ रहे हैं। क्या इन सभीको धर्म मान लिया जाय या इनमेंसे किसी एकको धर्म नामसे पुकारा जा सकता है? अथवा इनमेंसे कोई भी धर्म, धर्म नामका अधिकारी नहीं हो सकता है?

धर्मतत्त्वके सही अर्थको समझनेकी इसलिये जरूरत है कि उल्लिखित तथा कथित धर्मोंके जरिये संपूर्ण मानवजाति अनेक अनिष्टकर वर्गोंमें विभक्त हो गयी है और मानवजातिके ये वर्ग अपने-अपने तथाकथित धर्मोंको दूसरे तथा कथित धर्मोंकी अपेक्षा न केवल अधिक महत्त्व ही देना चाहते हैं बल्कि अपने तथाकथित धर्मोंकी ही धर्म और दूसरे तथाकथित धर्मोंकी अधर्म कहनेमें भी इन्हें संकोच नहीं होता है। और आश्चर्य यह है कि इन तथाकथित धर्मोंमेंसे प्रत्येक धर्मको मानने वाले इन अनेक वर्गोंमें धार्मिकताको एक निश्चित दायरेमें बाँध रखा है। हिन्दू धर्मको मानने वाला हिन्दूवर्ग यज्ञ, हवन आदि वैदिक क्रियाकाण्ड और गंगा आदि नदियोंमें स्नान आदिको ही धर्म मानता है, साधुओंका अटा बढाना, पंचाग्नि तप करना और मंत्र, गाँथा आदि मासिक वस्तुओंका सेवन करना आदिको भी वह धर्ममें शुमार करता है। जैनधर्मको माननेवाला जैन वर्ग जैन-धर्मके प्रसारक तीर्थंकरोंकी पूजा बंधना और ध्यान करना पुराणोका ही स्वाध्याय करना और उनमें उपविष्ट ब्रत आदिका अनुष्ठान करना आदिको ही धर्म मानता है। बौद्ध, सिख और पारसी आदि धर्मोंको माननेवाले बौद्ध, सिख और पारसी आदि वर्ग अपने-अपने नियत क्रियाकाण्डोंको ही धर्म समझते हैं, मुस्लिम धर्मका उपासक मुसलमानवर्ग मसजिदमें जाकर समाज पढना आदिको धर्म मानता है और दूसरे धर्म वालोंको काफिर समझकर तकलीफ देना आदि बातोंको भी धर्मकी कोटिमें शुमार करनेका साहस करता है तथा ईसाई धर्मका धारक ईसाई भाई गिरजामें जाना और अपने धर्म गुरु (पादरो)का उपदेश सुनना आदि बातोंकी ही धर्म मानता है। उक्त प्रत्येक वर्ग अपनी-अपनी उक्त धार्मिकतामें कभी भी अपूर्णता, सदोषता और निरर्थकताका अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार उक्त प्रत्येक वर्ग जहाँ अपने तथाकथित धर्मको धर्म और उसको माननेवाली मानवसमष्टिको धर्माला मानता है वहाँ वह अपने इस कथित धर्मको राष्ट्र-धर्म और यहाँ तक कि विश्व धर्म कहनेका दुःसाहस भी करता है।

जहाँ तक मैं सोच सका हूँ उससे इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि उक्त तथाकथित धर्मोंमें कोई भी धर्म, धर्म नहीं है क्योंकि धर्म एक ही हो सकता है, दो नहीं, और अधिक भी नहीं। धर्मका प्रतिपक्षी यदि कोई हो सकता है तो वह अधर्म ही होगा, धर्म-धर्ममें प्रतिपक्षिता कभी भी सम्भव नहीं मानी जा सकती है। दुनियाके किसी भी छोरपर जाया-आय, धर्मके प्रचार और रंग-रूपमें कोई भी भेद नजर नहीं आयेगा और यदि भेद नजर आता है तो उसे धर्म समझना ही भूल है। इस प्रकार धर्म जिस तरह सार्वभौमिक है उसी तरह वह शाश्वत भी है, उसकी युगधर्मता अपरिवर्तनीय है, वह हमेशा युगधर्मके रूपमें एक-सा प्रकाशमान होता रहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने सीमित बुद्धिबलसे धर्म और अधर्मका विश्लेषण सहजमें ही कर सकता है। इसके लिये बड़े-बड़े ग्रन्थोंको टटोलने व परिश्रमके साथ उनका अध्ययन और मनन करनेकी जरूरत नहीं है और न बड़े-बड़े विद्वानोंकी धारण लेना भी इसके लिये आवश्यक है।

अपने अन्तःकरणमें क्रोध, दुष्ट विचार, अहंकार, छल-कपटपूर्ण भावना, दीनता और लोभवृत्तिको स्थान न देना तथा सरलता, नम्रता और आत्म गौरवके साथ-साथ प्राणिमात्रके प्रति प्रेम, दया और सहानु-भूति आदि सद्भावनाओंको जाग्रत करना धर्म है और अपनी वाचनिक और कायिक बाह्य प्रवृत्तियोंमें अहिंसा, सत्य, अचीर्ष्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वृत्तिको मानवताके धरातलपर यथायोग्य स्थान देते हुए समता और परोपकारको स्थान देना भी धर्म है।

इस धर्मको न तो क्षेत्रीय और कालिक किसी भी मर्यादा में बाँधा जा सकता है और न ऊपर ब्रह्मदेवी गयी हिनू, जैन बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान और इसाई आदि किसी क्षास समष्टिसे ही इसका तात्त्विक है। यह धर्म हिनू आदि किसी भी समष्टिके किसी भी व्यक्तिका धर्म हो सकता है। इस धर्मकी प्राप्तिमें ब्राह्मण और भंगी, पुरुष और स्त्री विद्वान और मूर्ख, अमीर और गरीबका भेद कहीपर भी कभी भी बाधक नहीं हो सकता है और इसकी उपयोगिता कही भी, कभी भी, कौसी भी हालत क्यों न हो, मानवसमाजके लिये बनी हुई है।

हम देखते हैं कि उल्लिखित तथाकथित धर्मोंके आधारपर अपनेको धार्मिक समझनेवाली किसी भी समष्टिमें सामूहिकरूपसे यह धर्म नहीं पाया जाता है। प्रत्येक समाजमें स्वार्थका पोषण सर्वोपरि है और इसके लिये छल-कपट, बेईमानी, असत्यताका व्यवहार और भाई-भाई तथा पिता-पुत्रके लड़ाई-झगड़े तो जीवन्तके अनिवार्य अंग बन गये हैं। इन सबके विरुद्ध मान रहते हुए भी मनुष्य केवल मनुष्य बना रहता है बल्कि यह धर्मात्मा भी बना रहता है। और नो क्या, चोरबाजार और घूसखोरी जैसे राजसी कृत्य करनेवाले तथा उचित-अनुचित तरीकों द्वारा निर्दयतापूर्वक व्यापकरूपसे मानवसमष्टिका संहार करनेवाले युद्धोंके प्रवर्तक और संचालक लोग भी अपनेको धर्मात्मा ही मानते हैं। हम पूछते हैं कि इस विष्वयुद्धको क्या एक ही धर्मके मानने-वालोंके बीचका युद्ध नहीं कहा जा सकता है और आज कौनसी तथाकथित धार्मिक समाज गर्बके साथ इस बातका दावा कर सकती है कि उसके अन्दर चोरबाजार और घूसखोरी जैसे राजसी कृत्य करनेवाले व्यक्ति अधिकधिकरूपमें मौजूद नहीं हैं ?

तात्पर्य यह है कि धार्मिकताके आधारपर निमित्त हिनू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुसलमान और इसाई आदि सभी समष्टियोंमें अब न केवल अधर्म ही बल्कि मनुष्यताका भी अभाव मौजूद है तो उन्हें धार्मिक समष्टि और उनकी उस धार्मिकताको धर्म नामसे कैसे पुकारा जा सकता है ? लेकिन इस सिलसिलेमें यहाँपर एक और प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जब उल्लिखित तथाकथित धर्म धर्म नहीं हैं तो क्या वे सब अधर्म हैं ? और यदि वे सब अधर्म हैं तो उन्हें कैसे नष्ट किया जा सकता है ?

इस विषयमें मेरी मान्यता है कि उल्लिखित तथाकथित धर्म यदि धर्म नहीं हैं तो वे सर्वथा अधर्म भी नहीं हैं। परन्तु इस सबके परिष्कृत रूपोंको धर्म-प्राप्तिके उपायोंके रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिये और इसके परिष्कृत रूपोंके मैं हिनू संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, सिख संस्कृति, पारसी संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और इसाई संस्कृति आदि नाम देना उपयुक्त समझता हूँ।

प्रत्येक संस्कृतिको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—एक तत्त्वज्ञान और दूसरा आधार। इन दोनों विभागोंसे सजी हुई संस्कृतिको मैं धर्म न मानकर उल्लिखित धर्मोंकी प्राप्तिका साधन मानता हूँ। मेरा तो यह निश्चित विचार है कि संस्कृतिको धर्मका साधन न मानकर उसे ही धर्म मान लेनेसे प्रत्येक संस्कृतिके अन्दर ढोंग, कई किस्मके अनर्थकारी विकार और रुढ़िवाचको प्रभय मिला है तथा अनुभवमें अहंकार, पक्ष-पात, हट और परस्पर विद्वेष तथा भृणालो अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिला है। अपने धर्मको और अपनेकी सच्चा और ईमानदार तथा दूसरोंके धर्मोंको और दूसरोंकी मिथ्या और बेईमान समझनेकी छोटी प्रवृत्ति मानव-प्रकृतिमें पायी जाती है उसका आधार भी धर्मोंकी साधनमूल संस्कृतिको ही धर्म मान लेनेकी इसी मान्यता है। यदि हम हम मान्यताको छोड़ दें और संस्कृतिको धर्मप्राप्तिका साधन समझकर उसके जरिये अपने जीवनको धार्मिक जीवन बनानेका प्रयत्न करने लग जायें, तो निश्चित ही वर्तमान प्रत्येक संस्कृतिके अन्दरसे ढोंग, अनर्थकारी विकार और रुढ़िवाचका क्षासा हो जायगा तथा किसी भी संस्कृतिको अन्वयनेवाला मनुष्य

अहंकार, पक्षपात, हठ और परस्पर-विशेष तथा कृपाका विकार न हो सकेगा। प्रत्येक मनुष्यके अन्दरते अपने धर्मको और अपनेको सच्चा और ईमानदार तथा दूसरोंके धर्मको और दूसरोंको मिथ्या और बेईमान समझनेकी प्रवृत्ति उठ जायगी।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी अपने ऐहिक जीवनमें भी सुखसे ही रहना चाहता है। मनुष्य त्रैलोक्य सामाजिक प्राणी है अर्थात् उसका जीवन पशुओं जैसा आत्मनिर्भर न होकर, प्रायः सामाजिक सहयोगपर ही निर्भर है। इसलिये संबद्ध मानवसमष्टिका ऐहिक जीवन जबतक सुखी नहीं हो जाता है तबतक संबद्ध मानव-व्यक्तिका भी ऐहिक जीवन सुखी नहीं हो सकता है। संबद्ध मानवसमष्टिका ऐहिक जीवन सुखपूर्ण बने, इसके लिये मानवव्यक्तिके जीवनमें ऊपर बतलाई गयी अंतरंग और बाह्य धार्मिकताको लानेकी जरूरत है।

मानवजीवनमें उक्त धार्मिकताको लानेके लिये ही भिन्न-भिन्न महापुरुषोंने अपने-अपने समयमें ऊपर बतलायी गयी हिन्दू, जैन आदि भिन्न-भिन्न संस्कृतियोंको जन्म दिया है अर्थात् वर्तमानमें हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई आदि जितनी संस्कृतियाँ पायी जाती हैं इन सबका उद्देश्य उम-उम संस्कृतियोंके उपासक मनुष्योंको पूर्वोक्त प्रकारसे धार्मिक बनाना ही है। लेकिन संस्कृतिको ही धर्म मान लेनेसे जब केवल भिन्न-भिन्न संस्कृतिकी उपासना मात्रसे मनुष्य धर्मात्मा माना जा सकता है तो उसे अपने जीवनमें उक्त धार्मिकताके लानेकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी है। इसीका यह परिणाम है कि एक ओर तो प्रत्येक संस्कृति ढोंग, कई किस्मके अनर्थकारी विकार और रूढ़िवादिसे परिपूर्ण होते हुए भी इन विकारोंको नष्ट करनेकी ओर उसके उपासकोंका यथायोग्य ध्यान नहीं जा रहा है और दूसरी ओर अपनेको धर्मात्मा तथा सच्ची और सर्वहितकारी संस्कृतिकी उपासक समष्टिका अंग मानते हुए भी उनमें (प्रत्येक संस्कृतिके उपासक व्यक्तियोंमें) मानवताको कुचरने वाली स्वाधर्पूर्ण असीमित दुराकांक्षाएँ और दुष्प्रवृत्तियाँ बे-रोक-टोक बढ़ती ही जा रही हैं। इसलिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है कि प्रत्येक संस्कृतिको उपासक समष्टि और उस समष्टिका अंगभूत प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी संस्कृतिको धर्म न मानकर धर्मका साधन समझने लगे जाय। इसका यह परिणाम होगा कि प्रत्येक संस्कृतिके उपासक समाज और इसका अंगभूत व्यक्ति अपनेको धर्मात्मा और अपनी संस्कृतिको सच्ची और उपयोगी सिद्ध करनेके लिये अपने जीवनमें पूर्वोक्त प्रकारकी धार्मिकताको लानेका ही प्रयत्न करने लगेगा और जिस समाजका लक्ष्य इस ओर न होगा उसकी संस्कृति निश्चित ही केवल इतिहासके पत्रोंमें रह जायगी।

मेरी मान्यताके अनुसार वर्तमान सभी संस्कृतियाँ मानवसमाजके लिये उपयोगी हैं। परन्तु जैन संस्कृतिको मैं उपयोगी होनेके साथ-साथ अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक भी मानता हूँ। उसका तत्त्वज्ञान और उसका आचार अधिक-से-अधिक वास्तविकताको लिये हुए है।

इसलिये दूसरी संस्कृतियोंको अपेक्षा जैन संस्कृति अधिक स्थायी और अधिक व्यापक बनायी जा सकती है। यदि इस विश्वयुद्धके दौराजमें जैन समाज अपनी मनोवृत्तिका संतुलन बनाये रखता और दूसरे साषाजोंके साथ व्यापारमें बोरबाजारको स्थान नहीं देता तो जैन संस्कृति निश्चित ही अपने लायक स्थानपर खड़ी खिच्छाई देती। यह जैन संस्कृतिका उत्थान चाहने वालोंके लिये असीम दुःखका विषय है और सम्पूर्ण जैन समाजके लिये लज्जाका विषय है कि व्यापारी जैन समाजने जैन संस्कृतिको आज इस रूपमें कर्त्तव्य किमा है। क्या यह आशा करना उचित न होगा कि जैन संस्कृतिको युगका धर्म (संस्कृति) बनानेके लिये जैन समाज ही पहले अपनेको युगका समाज बनायेगा।

अधुनकभदेवसे वर्तमान तक जैनधर्मकी स्थिति

प्रायः धर्मकी सभी मान्यताओंमें अमर्यादित कालको मर्यादित अनन्तकल्पोंके रूपमें विभक्त किया गया है, लेकिन किन्हीं-किन्हीं मान्यताओंमें जहाँ इस दृश्यमान जगत्की अस्तित्वस्वरूप और अभावस्वरूप प्रलय-को आधार मानकर एक कल्पकी सीमा निर्धारित की गई है, वहाँ जैन मान्यतामें प्राणियोंके दुःखके साधनोंकी क्रमिक हानि होते-होते सुखके साधनोंकी क्रमिक वृद्धिस्वरूप उत्सर्पण और प्राणियोंके सुखके साधनोंकी क्रमिक हानि होते-होते दुःखके साधनोंकी क्रमिक वृद्धिस्वरूप अवसर्पणको आधार मानकर एक कल्पकी सीमा निर्धारित की गई है ।

सातत्य यह कि धर्मकी किन्हीं-किन्हीं जैनेतर मान्यताओंके अनुसार उनके माने हुए कारणों द्वारा पहले तो यह जगत् उत्पन्न होता है और पश्चात् यह विनष्ट हो जाता है । उत्पत्तिके अनन्तर जबतक जगत्का सञ्जाव बना रहता है उतने कालका नाम सृष्टिकाल और विनष्ट हो जानेपर जबतक उसका अभाव रहता है उतने कालका नाम प्रलयकाल माना गया है । इस तरहसे एक सृष्टिकाल और उसके अनन्तर होनेवाले एक प्रलयकालकी मिलाकर इन मान्यताओंके अनुसार एक कल्पकाल हो जाता है । जैन मान्यतामें इन मान्यताओंको तरह अजगत्का उत्पाद और विनाश नहीं स्वीकार किया गया है । जैन मान्यतामें जगत् तो अनादि और अनिधन है, परन्तु रात्रिके बारह बजेसे अन्धकारका क्रमपूर्वक ह्रास होते-होते दिनके बारह बजे तक प्रकाशकी क्रमपूर्वक होनेवाली वृद्धिके समान जैन मान्यतामें जितना^१ काल जगत्के प्राणियोंके दुःखके साधनोंका क्रमपूर्वक ह्रास होते-होते सुखके साधनोंकी क्रमपूर्वक होनेवाली वृद्धिस्वरूप उत्सर्पणका बतलाया गया है उतने कालका नाम उत्सर्पणकाल और दिनके बारह बजेसे प्रकाशका क्रमपूर्वक ह्रास होते-होते रात्रिके बारह बजे तक अन्धकारकी क्रमपूर्वक होनेवाली वृद्धिके समान बहोपर (जैन मान्यतामें) जितनाकाल^२ जगत्के प्राणियोंके सुखके साधनोंका क्रमपूर्वक ह्रास होते-होते दुःखके साधनोंकी क्रमपूर्वक होनेवाली वृद्धिस्वरूप अवसर्पणका बतलाया गया है उतने कालका नाम अवसर्पणकाल स्वीकार किया गया है । एक उत्सर्पणकाल और उसके अनन्तर होनेवाले एक अवसर्पणकालकी मिलाकर जैन मान्यताका एक कल्पकाल हो जाता है ।^३ चूँकि उक्त दूसरी मान्यताओंमें सृष्टिकाल और प्रलयकालकी परम्पराको पूर्वोक्त सृष्टिके बाद प्रलय और प्रलयके बाद सृष्टिके रूपमें तथा जैनमान्यतामें उत्सर्पणकाल और अवसर्पणकालकी परम्पराको पूर्वोक्त उत्सर्पणके बाद अवसर्पण और अवसर्पणके बाद उत्सर्पणके रूपमें अनादि अनन्त स्वीकार किया गया है, इसलिए उभय मान्यताओंमें (जैन और जैनेतर मान्यताओंमें) कल्पोंकी अनन्तता समानरूपसे मान ली गई है ।

जैन मान्यतामें प्रत्येक कल्पके उत्सर्पण काल और अवसर्पण कालको उत्सर्पण और अवसर्पणके संघ करके निम्नलिखित छह-छह विभागोंमें विभक्त कर दिया गया है—(१) दुःषम^४-दुःषमा (अत्यन्त दुःखमय

१. यह काल जैन धर्मके आधारपर दस कोटी-कोटी सागरोपमसमयप्रमाण है । कोटी (करोड़)को कोटी (करोड़)से गुणा कर देनेपर कोटी-कोटीका प्रमाण निकलता है और सागरोपम जैनमान्यताके अनुसार अत्यन्त वर्षप्रमाण कालविशेषकी संज्ञा है ।
२. यह काल भी जैन धर्ममें दस कोटी-कोटी सागरोपमसमयप्रमाण ही बतलाया गया है ।
३. आदिपुराण पर्व ३, श्लोक १४-१५ ।
४. इक्कीस हजार वर्षप्रमाण ।

काल), (२) दुःवमा^१ (साधारण दुःसमय काल), ३—दुःवम-सुवमा^२ (दुःस प्रधान सुसमय काल), ४—सुवम-दुःवमा^३ (सुसप्रधान दुःसमय काल), ५—सुवमा^४ (साधारण सुसमय काल) और ६—सुवम-सुवमा^५ (अत्यन्त सुसमय काल)। ये छह^६ विभाग उत्सर्पिणी कालके तथा इनके ठीक विपरीत क्रमको लेकर अर्थात् १—सुवम-सुवमा^५ (अत्यन्त सुसमय काल), २—सुवमा^४ (साधारण सुसमय काल), ३—सुवम-दुःवमा^३ (सुसप्रधान दुःसमय काल), ४—दुःवमा-सुवमा^२ (दुःसप्रधान सुसमय काल), ५—दुःवमा^१ (साधारण दुःसमय काल) और ६—दुःवम-दुःवमा^{१२} (अत्यन्त दुःसमय काल) ये छह^{१३} विभाग अवसर्पिणी कालके स्वीकार किये गये हैं।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्यकी गतिके दक्षिणसे उत्तर और उत्तरसे दक्षिणकी ओर होनेवाले परिवर्तनके आधारेपर स्वीकृत वर्षके उत्तरायण और दक्षिणायन विभाग गतिक्रमके अनुसार तीन-तीन ऋतुओंमें विभक्त होकर सतत चालू रहते हैं उसी प्रकार एक दूसरेसे बिलकुल उल्टे पूर्वोक्त उत्सर्पण और अपसर्पणके आधारेपर स्वीकृत कल्पके उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी विभाग भी उत्सर्पणक्रम और अवसर्पणक्रमके अनुसार पूर्वोक्त छह-छह विभागोंमें विभक्त होकर अविच्छिन्न रूपसे सतत चालू रहते हैं।^{१४} अथवा रात्रिके बारह बजे से दिनके बारह बजेतक अन्धकारकी क्रमसे हानि होते-होते क्रमसे होनेवाली प्रकाशकी वृद्धिके आधारे पर और दिनके बारह बजेसे रात्रिके बारह बजेतक प्रकाशकी क्रमसे हानि होते-होते क्रमसे होनेवाली अन्धकारकी वृद्धिके आधारेपर जिस प्रकार चार-चार प्रहरोंकी व्यवस्था पाई जाती है उसी प्रकार उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी कालमें भी पूर्वोक्त छह-छह विभागोंकी व्यवस्था जैन मान्यतामें स्वीकृत की गई है।

जैनमान्यताके अनुसार प्रत्येक उत्सर्पिणी कालके तीसरे^{१५} और प्रत्येक अवसर्पिणी कालके चौथे दुःवमा-सुवमा नामक विभागमें धर्मको प्रकाशमें लानेवाले एकके बाद दूसरा और दूसरेके बाद तीसरा इस प्रकार क्रमसे नियमपूर्वक चौबीस तीर्थंकर (धर्मप्रवर्तक महापुरुष) उत्पन्न होते रहते हैं। इस समय जैनमान्यताके अनुसार

१. वही।

२. ब्यालीस हजार वर्ष कम एककोटीकोटी, मागरोपमसमयप्रमाण।

३. दोकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

४. तीनकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

५. चारकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

६. अवसर्पिणी कालके समाप्त हो जानेपर जब उत्सर्पिणी कालका प्रारम्भ होता है उस समयका यह वर्णन है—

—तिलोयपण्णत्ती, चौथा महा अधिकार, गाथा १५५५, १५५६।

७. चारकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

८. तीनकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

९. दोकोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

१०. ब्यालीस हजार वर्ष कम एककोटीकोटीसागरोपमसमयप्रमाण।

११. इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण।

१२. इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण।

१३. आविपुराण पर्व ३, श्लोक १७, १८।

१४. आविपुराण पर्व ३, श्लोक २०, २१।

१५. उत्सर्पिणी कालके तीसरे दुःवमसुवमा कालका वर्णन करते हुए यह कथन है—

—तिलोयपण्णत्ती, चौथा महाधिकार, गाथा १५७८।

कल्पका दूसरा विभाग अवसर्पिणीकाल बालू है और उसके (अवसर्पिणी कालके) पाँचवें दुःखमा नामक विभागमेंसे हम गुजर रहे हैं।^१ आठसे करीब ढाई हजार (२५००) वर्ष पहले इस अवसर्पिणीकालका दुःखमा-सुखमा नामक चतुर्थ विभाग समाप्त हुआ है। उस समय धर्मको प्रकाशमें लानेवाले और इस अवसर्पिणीकालके अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर इस चरातलपर मौजूद थे तथा उनके भी पहले पूर्वपरम्पारमें तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पापर्वनाथसे प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव तक तेईस तीर्थंकर धर्मका प्रकाश कर चुके थे।

तात्पर्य यह है कि जैन मान्यतामें उत्सर्पिणीकालके चौथे, पाँचवें और छठे तथा अवसर्पिणीकालके पहले, दूसरे और तीसरे विभागोंके समुदायको भोगयुग एवं अवसर्पिणीकालके चौथे, पाँचवें और छठवें तथा उत्सर्पिणीकालके पहले, दूसरे और तीसरे विभागोंके समुदायको कर्मयुग बतलाया गया है।^२ भोगयुगका मतलब यह है कि इस युगमें मनुष्य अपने जीवनका संचालन करनेके लिए साधन-सामग्रीके संचय और संरक्षणकी और ध्यान देना अनावश्यक ही नहीं, व्यर्थ और यहाँतक कि मानवसमष्टिके जीवन-निर्वाहके लिए अत्यन्त घातक समझता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनका संचालन निश्चिन्तता और संतोषपूर्वक सर्वत्र बिखरे हुए प्राकृतिक साधनों द्वारा बिना किसी भेद-भावके समान रूपसे किया करता है। उस समय मानव-जीवनके किसी भी क्षेत्रमें आजकल जैसी विषमता नहीं रहती है। उस कालमें कोई मनुष्य न तो अमीर और न गरीब ही रहता है और न ऊँच-नीचका भेद ही उस समयके मनुष्योंमें पाया जाता है। आहार-बिहार तथा रहन-सहनकी समानताके कारण उस कालके मनुष्योंमें न तो क्रोध, मान, माया और लोभ रूप मानसिक दुर्बलताएँ ही पाई जाती हैं और न हिंसा, झूठ, चोरी ब्यभिचार तथा पदाधोका संचय रूप परिग्रहमें ही उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन उत्सर्पिणी कालमें जीवन-संचालनकी साधनसामग्रीमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते-होते उनके परा-काष्ठापर पहुँच जानेके बाद जब इस अवसर्पिणीकालमें उसका ह्रास होने लगा और वह ह्रास जब इस सीमा तक पहुँच गया कि मनुष्योंको अपने जीवन-संचालनमें कमीका अनुभव होने लगा तो सबसे पहिले मनुष्योंमें साधन-सामग्रीके संग्रह करनेका लोभ पैदा हुआ तथा उसका संवरण न कर सकनेके कारण धीरे-धीरे माया, मान और क्रोधरूप दुर्बलताएँ भी उनके अन्तःकरणमें उदित हुईं और इनके परिणामस्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी ब्यभिचार और परिग्रह इन पाँच पापोंकी और यथासंभव उनका श्रावण होने लगा। अर्थात् सबसे पहले जीवन-संचालनकी साधनसामग्रीके संचय करनेमें जब किन्हीं-किन्हीं मनुष्योंकी प्रवृत्ति देखनेमें आई^३ तो उस समयके विशेषविचारक व्यक्तिमेंसे इसे मानव-समष्टिके जीवन-संचालनके लिए अबरहस्त खतरा समझा। इसलिए इसके दूर करने लिए उन्होंने जनमतकी सम्मतिपूर्वक उन लोगोंके विरुद्ध 'हा'^४ नामक दण्ड कायम किया। अर्थात् उस समय जो लोग जीवन-संचालनकी साधन-सामग्रीके संचय करनेमें प्रवृत्त होते थे उन्हें इस दण्डविधानके अनुसार 'हमें खेद है कि तुमने मानव-समष्टिके हितके विरुद्ध यह अनुचित कार्य किया है।'^५— इस प्रकार दंडित किया जाने लगा और उस समयका मानव-हृदय बहुत ही सरल होनेके कारण उसपर इस दंड-

१. भगवान ऋषभदेवसे लेकर भगवान महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर इस अवसर्पिणीकालके चौथे दुःखमा-सुखमा कालमें ही हुए हैं।
२. भोगयुग और कर्मयुगका विस्तृत वर्णन आदिपुराणके तीसरे पर्वमें तथा तिलोपपण्णसीके चतुर्थ महाधिकार में किया गया है।
३. तिलोपपण्णसी, चौथा महाधिकार, पृष्ठा ४५१।
४. बही, माथा ४५२।

विधानका यद्यपि बहुत अंशोंमें असर भी हुआ। लेकिन धीरे-धीरे ऐसे अपराधी लोगोंकी संख्या बढ़ती ही गई। साथ ही उनमें कुछ वृष्टता भी आने लगी। तब इस दंडविधानकी निरपयोगी समझकर पहले कुछ कठोर "मा" नामक दंडविधान तैयार किया गया। अर्थात् खेद प्रकाश करने मात्रसे जब लोगोंने जीवन संभालनेके साधन-आयुधकी संधय करना नहीं छोड़ा, तो उन्हें इस अनुचित प्रवृत्तिसे शक्तिपूर्वक रोका जाने लगा। अर्थात् जब इस दंडविधानसे भी ऐसे अपराधी लोगोंकी बाढ़ न घटी तो फिर 'चिक्' नामका बहुत ही कठोर दंडविधान लागू कर दिया गया। अर्थात् ऐसे लोगोंको उस समयकी सामाजिक श्रेणीसे बहिष्कृत किया जाने लगा, लेकिन यह दंडविधान भी जब असफल होने लगा, साथ ही इसके द्वारा ऊँच और नीचेके भेदकी कल्पना भी लोगोंके हृदयमें उचित हो गई तो इस विषय परिस्थितिमें राजा नाभिके पुत्र भगवान् ऋषभदेव इस पृथ्वीतल-पर अवतीर्थ हुए। इन्होंने बहुत ही गम्भीर चिन्तनके बाद एक ओर तो कर्मयुगाका प्रारम्भ^३ किया अर्थात् तत्कालीन मानव-समाजमें वर्णव्यवस्था कायम करके परस्पर सहयोगकी भावना मरते हुए उसको जीवन-संचालनके लिए यथायोग्य अग्नि^४, मधि, कुचि, सेवा, सिल्प और वाणिज्य आदि कार्योंके करने की प्रेरणा की तथा दूसरी ओर लोगोंकी अनुचित प्रवृत्तिको रोकनेके लिए धार्मिक दंडविधान चालू किया। अर्थात् मनुष्योंको स्वयं ही अपनी—क्रोध, मान, माया और लोभरूप-मानसिक दुर्बलताओंको नष्ट करने तथा हिसा, भ्रूट, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह स्वरूप प्रवृत्तिको अधिक-से-अधिक कम करनेका उपदेश दिया। जैन-मान्यताके अनुसार धर्मोत्पत्ति का आदि समय यही है।

धर्मोत्पत्तिके बारेमें जैन-मान्यताके अनुसार किये गये इस विवेचनसे इस निष्कर्षपर पहुँचा जा सकता है कि मानव-समाजमें व्यवस्था कायम करनेके लिए यद्यपि सर्वप्रथम पहले प्रजातंत्रके रूपमें और बादमें राजतंत्रके रूपमें शासनतंत्र ही प्रकाशमें आया था। परन्तु इसमें अप्रदूरेपना अनुभव करके भगवान् ऋषभदेवके इसके साथ धर्मतंत्रको भी जोड़ दिया था। इस तरह शासनतंत्र और धर्मतंत्र ये दोनों तबसे एक दूसरेका बल पाकर फूलते-फलते हुए आज तक जीवित हैं।

यद्यपि भगवान् ऋषभदेवने तत्कालीन मानव-समाजके सम्मुख धर्मके ऐहिक और आध्यात्मिक दो पहलू उपस्थित किये थे और दूसरे (आध्यात्मिक) पहलूको पहले से ही स्वयं अपना कर जनताके सामने महान् आदर्श उपस्थित किया था—आज भी हमें भारतवर्षमें साधुवर्गके रूपमें धर्मके इस आध्यात्मिक पहलूकी झांकी देखनेको मिलती है। परन्तु आज मानव-जीवन जब धर्मके ऐहिक पहलूसे ही शून्य है तो वहाँपर उसके आध्यात्मिक पहलूका अंकुरित होना असम्भव ही है। यही कारण है कि प्रायः सभी धर्मग्रंथोंमें आजके समयमें मुक्ति प्राप्तिकी असंभवताको स्वीकार किया गया है। इसलिए इस लेखमें हम धर्मके ऐहिक पहलूपर ही विचार करेंगे।

धर्मके आध्यात्मिक पहलूका उद्देश्य जहाँ जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्ति पाकर अविनाशी अनन्तसुख

१. ति० प०, गाथा ४७४।

२. आधिपुराण, पर्व ३, श्लोक २१४, २१५।

३. बही, पर्व १६, श्लोक १८३।

४. (क) बही, पर्व १६, श्लोक १७९, १८०।

(ख) प्रजापतियः प्रथमं जिजीविषुः शशास कृष्यादिवु कर्मसु प्रजाः ॥—स्वयंभूस्तोत्र।

५. विहाय यः सागरवाटिवाससं वधूमिवैमां वमुषावधूं सतीम्।

मुमुक्षुरिश्वाकुक्रुधादितत्पवामां प्रभुं प्रवधाजः सहिष्णुरभ्युतः ॥—स्वयंभूस्तोत्र श्लोक ३, ४।

प्राप्त करना है वहाँ उसके (धर्मके) ऐहिक पहलूका उद्देश्य अपने वर्तमान जीवनको सुखी बनाते हुए व्याध्यात्मिक पहलूकी ओर अग्रसर होगा है। यह तभी हो सकता है जब कि मानव-समाजमें सुख और शान्तिका साम्राज्य हो। कारण कि मनुष्य स्वभावसे समष्टिगत प्राणी है। इसलिए उसका जीवन मानव-समाजके साथ गुंथा हुआ है। अर्थात् व्यक्ति तभी सुखी हो सकता है जबकि उसका कुटुम्ब सुखी हो, कुटुम्ब भी तब सुखी हो सकेगा जबकि उसके मुहल्लेमें अमन-चैन हो। इसी क्रमसे आगे भी मुहल्लेका अमन-चैन ग्रामके अमन-चैनपर, ग्रामका अमन-चैन प्रान्तके अमन-चैनपर और प्रान्तका अमन-चैन देशके अमन-चैनपर ही निर्भर है तथा आज तो प्रत्येक देशके ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित हो चुके हैं कि एक देशका अमन-चैन दूसरे देशके अमन-चैनपर निर्भर हो गया है। यही कारण है कि आज दुनियाके विशेषतः विश्व-संघकी स्थापनाकी बात करने लगे हैं, लेकिन विश्वसंघ तभी स्थापित एवं सार्थक हो सकता है जबकि मानव अपनी क्रोध, मान, माया और लोभरूप मानसिक दुर्बलताओंको नष्ट करना अपना कर्तव्य समझ ले। साथ ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहताको अपने जीवनमें समाविष्ट कर ले। इसके बिना न तो विश्वसंघकी स्थापना हो सकती है और न दुनियामें सुखशान्तिका साम्राज्य ही कायम हो सकता है। महात्मा गांधीजीने विश्वमें शान्ति स्थापित करनेके लिए इसी बातको आज विश्वके सामने रखा है, परन्तु यह विश्वका दुर्भाग्य है कि उसका लक्ष्य अभी इस ओर नहीं है।

इस प्रकार भगवान् ऋषभदेवने जिस धर्मको आत्मकल्याण और विश्वमें व्यवस्था कायम करनेके लिए चुना था, वह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारोंसे शून्य मानसिक पवित्रता तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहता विशिष्ट ब्राह्मणवृत्ति स्वरूप है। हम देखते हैं कि आज भी इसकी उपयोगिता नष्ट नहीं हुई है और भविष्यमें तो मानव-समष्टिमें मानवताके विकासका यही एक अद्वितीय चिह्न माना जायगा। भगवान् ऋषभदेवसे लेकर चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर पर्यन्त सब तीर्थंकरोंने भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित इसी धर्मका प्रकाश एवं समुत्थान किया है। इनके अतिरिक्त आगे या पीछे जिन महापुरुषोंने धर्मके बारेमें कुछ शोध की है वह भी इसके परे नहीं है। अर्थात् न केवल भारतवर्षके, अपितु विश्वके किसी भी महापुरुष द्वारा जब कभी धर्मकी आवाज बुलन्द की गई, उस धर्मकी परिभाषा भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित धर्मकी परिभाषासे भिन्न नहीं है। इसका कारण यह है कि एक ही देशमें रहनेवाली भिन्न-भिन्न मानवसमष्टियोंकी तो बात ही क्या, दुनियाके किसी भी कोनेमें रहने वाले मनुष्योंकी जीवनसम्बन्धी आवश्यकताओंमें जब भेद नहीं किया जा सकता है तो उनके धर्ममें भेद करना मानवसमष्टिके साथ घोर अन्याय करना है। इसलिए धर्मके जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम, क्रिश्चियन इत्यादि जो भेद किये जाते हैं, ये सब किसी हालतमें धर्मके भेद नहीं माने जा सकते हैं। धर्मरूप वस्तु तो इन सबके अन्दर एक रूप ही मिलेगी और हमें इनके अन्दर जो कुछ भेद विलकाई देता है वह जेद वा तो धर्मका प्रतिपादन करने या उसके प्राप्त करनेके तरीकोंका है या फिर वह अधर्म ही कहा जायगा।

इस तरह अपने जीवनको सुख-शान्तिमय बनानेके उद्देश्यसे मानव-समष्टिमें सुख-शान्तिका वातावरण लानेके लिए प्रत्येक मनुष्यको जिस प्रकार अपनी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मानसिक दुर्बलताओंको कम करना तथा हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और परिग्रहस्वरूप प्रवृत्तियोंको रोकना आवश्यक है उसी प्रकार परस्पर सीहाई, सहानुभूति और सहायता आदि बातें भी आवश्यक हैं। इसलिए इन सब बातोंका समावेश भी धर्मके ही अन्दर किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने जीवनको सुखी बनानेमें शारीरिक स्वास्थ्यको भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादनके लिए जो नियम-उपनियम उपयोगी सिद्ध होते

है उन्हें भी जैन-मान्यताके अनुसार धर्मकी कोटिमें रखा गया है। जैसे पानी छानकर पीना, रात्रिमें भोजन नहीं करना, मद्य, मांस और मधुका सेवन नहीं करना, असाधधानीसे तैयार किया हुआ भोजन नहीं करना, भोजनमें ताज्ज और ससख आटा, चावल, सान-रुल आदिका उपयोग करना, उपवास या एकाशन करना, ढलान संवत्ति करना आदि इन सब प्रवृत्तियोंको धर्मरूप ही मान लिया गया है तथा ऐसी प्रवृत्तियोंको अधर्म या पाप मान लिया गया है, जिनके द्वारा साक्षात् या परंपरासे हमारे शारीरिक स्वास्थ्यको हानि पहुँचानेकी सम्भावना हो या जो हमारे जीवनको लोकनिष्ठ और कष्टमय बना रही हों। जुवा खेलना, शिकार खेलना और वैश्यामन आदि प्रवृत्तियाँ इस अधर्मकी ही कोटिमें आ जाती हैं। जैन मान्यताके अनुसार अभयमहाण-को भी अधर्म कहा गया है और अभयकी परिभाषामें उन बीजोंको सम्मिलित किया गया है, जिनके खानेसे हमें कोई लाभ न हो अथवा जिनके तैयार करनेमें या खानेमें हिंसाका प्राधान्य हो अथवा जो प्रकृतिविरोध हों या लौकिक दृष्टिसे अनुपसेव्य हों। जैन मान्यताके अनुसार अधिक खाना भी अधर्म है और अनिच्छामुबंक कम खाना भी अधर्म है। तात्पर्य यह है कि मानव-जीवनकी प्रत्येक प्रवृत्तिकी जैन-मान्यतामें धर्म और अधर्मकी कसौटीपर कस दिया गया है। आज भले ही पचढा कहकर इन सब बातोंके महत्त्वको कम करनेकी कोशिश की जाय, परन्तु इन सब बातोंकी उपयोगिता स्पष्ट है। पूज्य गौडीयोंका भोजनमें हाथ-बक्कीसे पिसे हुए ताजे आटेका और हाथसे कूटे गये चावलका उपयोग करनेपर जोर देना तथा प्रत्येक व्यक्तिको अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिमें आवश्यकता, साधगी, स्वच्छता, सच्चाई आदि बातोंपर ध्यान रखनेका उपदेश देना इन बातोंकी उपयोगिताका ही दिग्दर्शन है।

इस प्रकार जैन समाज जहाँ इस बातपर गर्व कर सकती है कि उसकी मान्यतामें मानव-जीवनको छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक प्रवृत्तिको धर्म और अधर्मकी मर्यादामें बाँधकर विश्वको सुपथपर चलानेके लिए सुगमता पैदा की गई है, वहाँ उसके लिए यह बड़े सन्तापकी बात है कि इन सब बातोंका जैन समाजके जीवनमें प्रायः अभाव-सा हो गया है और दिन-प्रतिदिन होता जा रहा है तथा जैन समाजकी कोषाधि कषायरूप परिणति और हिंसादि पापमय प्रवृत्ति आज शायद ही दूसरे समाजोंकी अपेक्षा कम हो। जो कुछ भी धार्मिक प्रवृत्ति आज जैन समाजमें मौजूब है वह इतनी अव्यवस्थित एवं अज्ञानमूलक हो गई है कि उस प्रवृत्तिको धर्मका रूप देनेमें संकोच होता है।

जैन समाजमें पूर्वोक्त धर्मको अपने जीवनमें न उतारनेकी यह एक बुराई तो वर्तमान है ही, इसके अतिरिक्त दूसरी बुराई जो जैन समाजमें पाई जाती है, वह है खाने-पीने इत्यादिके छुआ-छूतके भेद की। जैन समाजमें वह व्यक्ति अपनेको सबसे अधिक धार्मिक समझता है, जो खाने-पीने आदिमें अधिक-से-अधिक छुआ-छूतका विचार रखता हो। परन्तु भगवान् ऋषभदेवने द्वारा स्थापित और श्रेय तीर्थंकरों द्वारा पुनरुज्जीवित धर्ममें इस प्रकारके छुआछूतको कतई स्थान प्राप्त नहीं है। कारण कि धर्म मानव-मानवमें भेद करना नहीं सिखलाता है और यदि किसी धर्मसे ऐसी शिक्षा मिलती हो तो उसके बराबर अधर्म दुनियामें दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि जैन तीर्थंकरों द्वारा प्रोक्त धर्म न केवल राष्ट्रधर्म ही हो सकता है, अपितु वह विश्वधर्म कहलानेके योग्य है। परन्तु छुआछूतके इस संकुचित दायरेमें पड़कर वह एक व्यक्तिका भी धर्म कहलाने योग्य नहीं रह गया है, क्योंकि यह भेद न केवल राष्ट्रीयताका ही विरोधी है, बल्कि मानवताका भी विरोधी है और जहाँ मानवताको स्थान नहीं, वहाँ धर्मको स्थान मिलना असम्भव ही है।

यद्यपि ये सब दोष जैन समाजके समान अन्य धार्मिक समष्टियोंमें भी पाये जाते हैं, परन्तु प्रस्तुत



संस्कृति और समाज



संस्कृति : समाज

संस्कृति और समाज

१. हमारी ब्रह्मपूजाका रहस्य
 २. सायुत्वमें नग्नताका महत्त्व
 ३. जैनदृष्टिसे मनुष्योंमें उच्च-नीच व्यवस्थाका जाचार
 ४. भगवान महावीरका समाज-दर्शन
 ५. जैन मन्दिर और हरिजन
 ६. भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धमें हिन्दू राजका व्यापक अर्थ
-

२ . सरस्वती-वरकपुत्र धं० अंशीचर व्याकरणाचार्य अचिनम्बन-ग्रन्थ

हृद्ये उद्देश्यकी सिद्धिमें जब बाह्य सामग्रीका कोई उपयोग नहीं, तब भगवदारोचनमें बाह्य सामग्रीका समावेश क्यों किया गया है? इस आक्षेपका यथोचित समाधान न मिलनेके कारण जैनियोंमें द्रव्यपूजाके बजाय मूर्ति-मान्यताके विरोधी पंथ बन गये हैं।

तात्पर्य यह कि मूर्तिही मान्यताको अनिवार्य रूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें हृदयमें स्थान है। यह निश्चित है कि मूर्तिमान्यताके विरोधी स्वयं मूर्तिकी मान्यताको छोड़ नहीं सकते, बल्कि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग ही करते रहते हैं। मूर्ति मुख्य वस्तुका प्रतिनिधि होती है, जो हमको मुख्य वस्तुके किसी निश्चित उद्दिष्ट स्वरूप तक पहुँचानेमें समर्थ है। किसी वस्तुका प्रतिनिधि आवश्यकता व उद्देश्यके अनुभूत मचेतन व अचेतन दोनों पदार्थ हो सकते हैं। एक वस्तुके भ्रमज्ञानमें जो दृष्टान्त वर्गीकृत उपयोग किया जाता है उससे मूर्ति मान्यताका अकाट्य समर्थन होता है। परन्तु द्रव्यपूजाके विषयमें कई तरहके आक्षेप उठाये जा सकते हैं, जिनका समाधान हो जानेपर ही द्रव्यपूजा उपयोगी मानी जा सकती है। नीचे सम्भवित आक्षेपोंके समाधान करनेका ही प्रयत्न किया जाता है।

आक्षेप १—जबकि भगवानमें इच्छाका सर्वथा अभाव है तो उनके उद्देश्यसे मूर्तिके समस्त मंत्रोच्चारण-पूर्वक नाना उल्लोचन पदार्थ रख देनेपर भी वे उनको तृप्तिके कारण नहीं हो सकते, मूर्ति तो स्वयं अचेतन पदार्थ है, इसलिये उनके उद्देश्यसे इन पदार्थोंके अर्पण करनेकी भावना ही पूजकके हृदयमें पैदा नहीं हो सकती और न वह इस अभिप्रायसे ऐसा करता ही है। इसलिये भगवानकी पूजा अष्टद्रव्यसे (द्रव्यपूजा) नहीं करनी चाहिए।

इस आक्षेपका समाधान कई प्रकारसे किया जाता है। परन्तु वे प्रकार सन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते। जैसे—

समा० १—जिनेन्द्र भगवान् तृषा आदि दोषोंके विजयी है। इसलिये वे हमारे तृषा आदि दोषोंके नष्ट करनेमें सहायक हों, इस उद्देश्यसे पूजक उनको मूर्तिके समस्त अष्टद्रव्य अर्पण करता है।

आलोचना—यह तो माना जा सकता है कि जिनेन्द्र भगवान् तृषा आदि दोषोंके विजयी है, परन्तु उनको अष्टद्रव्य चढ़ा देने मात्रसे हमारे दोष भी नष्ट हो जावेंगे, यह बात नर्क और अनुभवकी कमीटीपर नहीं टिक सकती।

समाधान २—जिनेन्द्र भगवान्को अष्टद्रव्य इसलिए चढ़ाये जाते हैं कि इसके द्वारा पूजकमें बाह्य वस्तुओंसे रागपरिणति घटकर त्यागबुद्धि पैदा हो जाती है जो कि तृषा आदि दोषोंके नाश करनेका प्रधान कारण है।

आलोचना—यह समाधान भी ठीक नहीं, कारण कि शास्त्रोका स्वाध्याय विद्वानोंके उपदेश व जिनेन्द्र भगवान्के गुणोंका स्मरण आदि ही बाह्य वस्तुमें हमारी रागपरिणति घटाने व त्यागबुद्धि पैदा करनेके यथोचित कारण हो सकते हैं।

समाधान ३—दानकी परिपाटी चलानेके लिए यह एक निमित्त है।

आलोचना—ऐसे निरर्थक दान (जिनका कि कोई उपयोग नहीं) की कोई सराहना नहीं करेगा। वास्तविक दान बाह्य वस्तुओंमें अपनी ममत्वबुद्धिको नष्ट करना हो सकता है। यह तो हम करते नहीं। और न इस तरहसे यह नष्ट की भी जा सकती है। यह तो शास्त्रस्वाध्याय, उपदेश व जिनेन्द्र भगवान्के गुण-स्मरण आदिसे ही होगी, ऐसा पहले बतलाया जा चुका है। व्यावहारिक दान दूसरे प्राणियोंकी आवश्यकताओं-

हमारी द्रव्य-पूजाका रहस्य

पूजाका अर्थ भक्ति, सत्कार या सम्मान होता है और वह छोटों द्वारा बड़ों (पूज्यों) के प्रति प्रकट किया जाता है। इसका मूल कारण पूजकको अपनी लघुता और पूज्यकी महत्ताको स्वीकार करना है तथा उद्देश्य अपनी लघुताको नष्ट कर पूज्य जैसी महत्ताकी प्राप्तिमें प्रयत्न करना है। इसके प्रकट करनेके साधन मन, वचन और काय तो हैं ही, परन्तु कहीं-कहीं बाह्य सामग्री भी इसमें साधनभूत हो जाया करती है। जहाँ पर मन, वचन और कायके साथ-साथ बाह्य सामग्री इसमें साधनभूत हो, उसका नाम द्रव्यपूजा है तथा जहाँ केवल मन, वचन और कायके ही भक्ति-प्रदर्शन किया जाय उसे भावपूजा समझना चाहिए। जैसे जो मनके द्वारा भक्तिप्रदर्शन भावपूजा तथा वचन और कायके द्वारा भक्तिप्रदर्शन द्रव्यपूजा कही जा सकती है, परन्तु यहाँपर इस प्रकारकी द्रव्यपूजा और भावपूजाकी विवक्षा नहीं है। शास्त्रोंमें जो द्रव्यपूजा और भावपूजाका उल्लेख आता है वह क्रमसे बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा और अनपेक्षामें ही आता है।

उल्लिखित द्रव्यपूजाका लोकव्यवहारमें समावेश तो परंपरागत कहा जा सकता है। अपनेसे बड़े पुरुषोंको उनकी प्रसन्नताके लिये उत्तमोत्तम सामग्री भेंट करना शिष्टाचारमें शामिल है। भगवदाराधनमें भी कबसे इसका उपयोग हुआ, इसकी गवेषणा यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टिसे की जा सकती है। लेकिन यहाँपर इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इस बातको प्रकट करना है कि हमारे यहाँ ईश्वरोपासनामें द्रव्यपूजाका जो प्रकार है वह किस अर्थको लिये हुए है। यद्यपि मेरे विचारोंके अनुसार शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख तो जहाँ तक है, नहीं मिलता है। परन्तु पूजापाठोंके अवतरण, अभिवेक व जयमाला आदि भागोंमें, मेरे इन विचारोंका आभास जरूर है। और फिर यह तो ध्यानमें रखना ही चाहिये कि जो विचार युक्ति और अनुभव विरुद्ध नहीं, वे शास्त्रबाह्य नहीं कहे जा सकते। इसी विचारसे मैं अपने विचारोंको प्रकट करनेके लिये बाध्य हुआ हूँ।

शास्त्रोंमें द्रव्यपूजाका अष्टद्रव्यसे करनेका विधान पाया जाता है और हमारा श्रद्धालु समाज बिना किसी तर्क-वितर्कके निःसंकोच अर्हन्त, सिद्ध, गुरु, शास्त्र, धर्म, व्रत, रत्नत्रय, तीर्थस्थान आदिकी पूजा करते समय निश्चित अष्टद्रव्योंको उपयोगमें लाता है। समाजके उच्चार हृदयमें यह विचार ही पैदा नहीं होता कि ये वस्तुयें जिसके लिये अर्पण की जा रही हैं वह जड़ हैं या चेतन हैं अथवा आत्माकी अवस्थाविशेष हैं। अर्हन्त, सिद्ध, शास्त्र, धर्म, व्रत, रत्नत्रय व तीर्थस्थानोंको जलादि अष्टद्रव्यका अर्पण करना बुद्धिगम्य कहा जा सकता है या नहीं? परन्तु तर्कशील लोगोंमें इसके ऊपर हमेशासे आक्षेप उठाये हैं और वे आज भी उठाते चले जा रहे हैं। उन आक्षेपोंका यथोचित समाधान न होनेके कारण ही एक संप्रदायमें मूर्तिमान्यताके विरोधी दलोंका आविष्कार हुआ है। जैनियोंके श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बूँदिया पंथ और दिगम्बर सम्प्रदायमें तारण पंथ इन आक्षेपोंके समाधान न होनेके ही फल हैं। केवल जैनियोंमें ही नहीं, जैनितरोंमें भी इस प्रकारके पथ कायम हुए हैं, परन्तु यह संभव है कि जैनितरोंमें विरोधके कारण जैनियसि भिन्न है।

कुछ भी हो, परन्तु जैन सिद्धान्त इस बातको नहीं मानता कि जो द्रव्य भगवानके लिये अर्पण किया जाता है वह उनकी तृप्तिका कारण होता है, कारण कि उनमें इच्छाका संबंधा अभाव है। इसलिये कोई भी बाह्य वस्तु उनकी तृप्तिका कारण नहीं हो सकती, उनकी तृप्ति तो स्वाभाविक ही है। इसलिये अपने विचारों व आचरणोंको पवित्र व उन्नत बनानेके लिये भगवानके गुणोंका स्मरण (भावपूजा) ही पर्याप्त है। भगवानके गुणस्मरणमें मूर्ति सहायक है, मूर्तिको देखकर गुणस्मरणमें हृदयका झुकाव सरलतासे हो जाता है। इसलिये भगवानके गुणोंका स्मरण करते समय मूर्तिका अवलम्बन युक्ति और अनुभव विरुद्ध नहीं, परन्तु उमर बतलाये

की यथासक्ति पूति करना कहा जाता है। जिनेन्द्र भगवान् कृतकृत्य है उनको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, जिसकी पूति हमारे अष्टद्रव्यके अर्पण करनेसे होती हो, इसलिए ऐसा दान निरर्थक ही माना जायगा।

समाधान ४—भगवान्के गुण स्मरणमें बाह्य सामग्रीसे सहायता मिलती है, इसलिये पूजक भगवान्को अष्टद्रव्य अर्पण करता है।

आलोचना—गुणस्मरणका अवलम्बन मूर्ति तो है ही तथा स्तोत्रपाठ वगैरहसे गुण-स्मरण किया जाता ही है, बाह्य सामग्रीकी उपादेयता इममें कुछ भी नहीं है। बल्कि जब पूजक भगवान्के लिये अष्टद्रव्य अर्पण करता है तो द्रव्यपूजा यह उनको वीतरागताको नष्ट कर उनको सरागी सिद्ध करनेकी ही कोशिश है।

समाधान ५—पूजक भक्तिके आवेशमें यह सब किया करता है, इसका ध्यान इसकी हेयोपादेयता तक पहुँचता ही नहीं और न भक्तिमें यह आवश्यक हो है, इसलिये द्रव्यपूजाके विषयमें किसी तरहके आक्षेपोंका उठाना ही व्यर्थ है।

आलोचना—भक्तिमें विवेक जाग्रत रहता है, विवेकशून्य भक्ति ही नहीं सकती। जहाँ विवेक नहीं है उसको भक्ति न कहकर मोह ही कहा जायगा, इसलिये यह समाधान भी उचित नहीं माना जा सकता है।

इसके पहले कि इस आक्षेपका समाधान किया जाय, दूसरे आक्षेपोंपर भी दृष्टि डाल लेना आवश्यक है—

आक्षेप २—प्रतिमामें जब भगवान्की स्थापना की जा चुकी है और वह पूजकके सामने है तो फिर अवतरण, स्थापन और सन्निधिकरणकी क्या आवश्यकता रह जाती है ?

समाधान—जिनकी प्रतिमा पूजकके सामने है उनकी पूजा करते समय अवतरण, स्थापन और सन्निधिकरण नहीं करना चाहिये, लेकिन जिनकी पूजा उनकी प्रतिमामें अभावमें भी यदि पूजक करना चाहता है तो उनकी अतदाकारस्थापना पुष्पोंमें कर लेना आवश्यक है, इसलिये अवतरण स्थापना और सन्निधिकरणकी क्रिया करनेका विधान बतलाया गया है।

आलोचना—एक तो यह कि किन्हीं भी भगवान्की पूजा करते समय—चाहें उनकी प्रतिमा सामने हो, या न हो—समान रूपसे अवतरण आदि तीनों क्रियायें की जानी है, इसलिये बिना प्रबल आधारके यह मानना अनुचित है कि जिनकी प्रतिमा न हा, उनका पूजा करते समय ही पुष्पोंमें अतदाकारस्थापनाके लिए अवतरण आदि क्रियायें करनी चाहिये।

दूसरे यह कि जब पूजक भावोंकी स्थिरताके लिए केवल भगवान्की पुष्पोंमें अतदाकारस्थापना करता है, तो इतना अभिप्राय स्थापन और सन्निधिकरणमेंसे किसी एक क्रियासे ही सिद्ध हो सकता है। इन दोनोंमेंसे कोई एक तथा अवतरणकी क्रिया निरर्थक ही मानी जायगी। इस समाधानको माननेसे स्थापन और सन्निधिकरण दोनोंका एक स्थानमें प्रयोग लोक-व्यवहारकी दृष्टिसे भी अनुचित मालूम पड़ता है। लोकव्यवहारमें जहाँ समानताका व्यवहार है वहाँ तो पहले “आइये बैठिये” कहकर, “यहाँ पासमें बैठिये” ऐसा कहा जा सकता है परन्तु अपनेसे बड़ोंके प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया जायगा।

बहुतेसे लोग “मम सन्निहितो भव” इस वाक्यका अर्थ करते हैं “हे भगवान् मेरे हृदयमें विराजो”। लेकिन यह अर्थ भी ठीक मालूम नहीं पड़ता है, कारण कि एक तो इधर हम पुष्पोंमें भगवान्का आरोप कर रहे हैं और उधर उनको हृदयमें स्थान दे रहे हैं ये दोनों बातें विरोधी हैं। दूसरे पूजक हृदयमें स्थापित

भगवानको लक्ष्य करके इष्ट नहीं बढ़ाता, उसका लक्ष्य तो उस समय प्रतिमाकी ओर ही रहता है। इस-लिये दूसरे आक्षेपका भी समाधान ठीक-ठीक नहीं होता है।

आक्षेप ३—भगवान क्या हमारे बुलानेसे आते हैं और हमारे विसर्जन करनेपर चले जाते हैं ? यदि हाँ, तो जैन सिद्धान्तसे इसमें जो विरोध आता है उसका क्या परिहार होगा ? यदि नहीं, तो फिर अवतरण व विसर्जन करनेका क्या अभिप्राय है ?

आक्षेप ४—आजकल जो प्रतिमामें पायी जाती है उनको यदि हम अरहन्त व सिद्ध अवस्थाकी मानते हैं तो इन अवस्थाओंमें अभिवेक करना क्या अनुचित नहीं माना जायगा ? यह आक्षेप अभी थोड़े दिन पहले किसी महाशयने जैनमिषमें भी प्रकट किया है।

ये चारो आक्षेप बड़े महत्त्वके हैं, इसलिये यदि इनका समाधान ठीक तरहसे नहीं हो सकता है, तो निश्चित समझना चाहिये कि हमारी द्रव्यपूजा तक एवं अनुभवसे गम्य न होनेके कारण उपादेय नहीं हो सकती है। परन्तु उद्देश्यकी सफलताके लिये रत्नत्रयवाद, पदार्थोंकी व्यवस्थाके लिए निक्षेपवाद तथा उनके ठीक-ठीक ज्ञानके लिए प्रमाणवाद और नयवाद तथा अनेकान्तवाद, सप्तमंगीवाद आदिका तक और अनुभवपूर्ण व्यवस्थापक जैनधर्म इस विषयमें अपूरा हो रहेगा, यह एक आश्चर्यकी बात होगी। इसलिये मेरे विचारसे जैन सिद्धान्ता-नुसार द्रव्यपूजाका रहस्य होना चाहिये, वह नीचे लिखा जाता है।

द्रव्यपूजा निम्नलिखित सात अंगोंमें समाप्त होती है—१ अवतरण, २ स्थापन, ३ सन्निधिकरण, ४ अभिवेक, ५ अष्टक, ६ जयमाला और ७ विसर्जन। शान्तिपाठ व स्तुतिपाठ जयमालाके बाद उसीका एक अंग समझना चाहिये। यद्यपि अभिवेककी क्रिया हमारे यहाँ अवतरणके पहलेकी जाती है। परन्तु यह विधान शास्त्रोक्त नहीं। शास्त्रोंमें सन्निधिकरणके बाद ही चौथे नंबर पर अभिवेककी क्रियाका विधान मिलता है। द्रव्यपूजाके ये सातों अंग हमको तीर्थकरके गर्भसे लेकर मुक्ति पर्यन्त माहात्म्यके दिग्दर्शन कराने, धार्मिक व्यवस्था कायम रखने व अपना कल्याणमार्ग निश्चित करनेके लिये है—ऐसा समझना चाहिये।

यह निश्चित बात है कि सत्सारमें जिसका व्यक्तित्व मान्य होता है वही व्यक्ति लोकोपकार करनेमें समर्थ होता है, उसीका प्रभाव लोगोंके हृदयको परिवर्तित कर सकता है, अतएव तीर्थकरके गर्भमें आनेके पहलेसे उनके विषयमें असाधारण घटनाओंका उल्लेख शास्त्रोंमें पाया जाता है। १५ मास असंख्य रत्नोंकी वृष्टि, जन्म समय पर १००८ बड़े-बड़े कलशों द्वारा अभिवेक आदि क्रियायें उनके आश्चर्यकारी प्रभावकी द्योतक नहीं तो और क्या है ? वर्तमानमें हमलोग भी उनके व्यक्तित्वको समझनेके लिये तथा आचार्यों द्वारा शास्त्रोंमें बूझे हुए उनके उपदिष्ट कल्याणमार्गपर विश्वास करने व उसपर चलनेके लिए और 'परंपरामें भी लोच कल्याणमार्गसे विमुख न हो जावें' इसलिये भी साक्षात् तीर्थकरके अभावमें उनकी मूर्ति द्वारा उनके जीवनकी असाधारण घटनाओं व वास्तविकताओंका चित्रण करनेका प्रयत्न करें, यही द्रव्यपूजाके विधानका अभिप्राय है। हमारा यह प्रयत्न नित्य और नैमित्तिक दो तरहसे हुमा करता है। नैमित्तिक प्रयत्नमें तीर्थकरके संव-कल्याणकोंका बड़े समारोहके साथ विस्तारपूर्वक चित्रण किया जाता है तथा प्रतिदिनका हमारा यह प्रबल संक्षेपसे आवश्यक क्रियाओंमें ही समाप्त हो जाता है।

१—हमारी द्रव्यपूजा नित्य प्रयत्नमें शामिल है। इसमें सबसे पहले अवतरणकी क्रिया की जाती है। इस समय पूजक यह समझकर कि तीर्थकरपर्यायको धारण करनेके समुक्त विशिष्ट पुण्याधिकारो देव स्वर्गसे अव-रोहण करनेवाला है, प्रतिमामें तीर्थकरके प्रागुत्पका दर्शन करता हुआ अपरिमित हृदसे 'अत्र अवतर-अवतर' कहता हुआ पुष्प वर्षा करने अवतरण महोत्सव मनावे।

२—दूसरी क्रिया स्थापनकी है। इस समय पूजक यह समझकर कि तीर्थंकर माताके गर्भमें आ रहे हैं। प्रतिमामें गर्भप्रवेशोन्मुख तीर्थंकरके रूपको देखता हुआ बड़े आनन्दके साथ "अत्र तिष्ठ-तिष्ठ" कहता हुआ पुण्यवर्षा करके गर्भस्थिति-महोत्सव मनावे।

३—तीसरी क्रिया सन्निधिकरणकी है। जिस प्रकार तीर्थंकरका जन्म हो जानेपर अभिषेकके लिए सुमेध पर्वतपर के जानेके उद्देश्यसे इन्द्र उनको अपनी गोदमें लेता है उसी प्रकार इस क्रियाके करते समय पूजक यह समझकर कि "तीर्थंकरका जन्म हो गया है" प्रतिमामें जन्मके समयके तीर्थंकरकी कल्पना करता हुआ उनके जन्म-अभिषेककी क्रिया सम्पन्न करनेके लिये "मम सन्निहितो भव-भव" कहकर पुण्यवर्षा करते हुए प्रतिमाको यथास्थानसे उठाकर अपनी गोदीमें लेता हुआ बड़े उत्साहके साथ सन्निधिकरण-महोत्सव मनावे।

इसके अनन्तर वह कल्पित सुमेध पर्वतकी कल्पित पादुक शिलापर इस प्रतिमाको स्थापन करे।

४—चौथी क्रिया अभिषेककी है। इस समय पूजक घंटा, वादित्र आदिके शब्दोंके बीच मंगलापाठका उच्चारण करता हुआ बड़े समारोहके साथ प्रतिमाका अभिषेक करके तीर्थंकरके जन्माभिषेककी क्रिया सम्पन्न करे।

यह चारों क्रियामें तीर्थंकरके असाधारण महत्त्वको प्रकट करनेवाली है। इनके द्वारा पूजकके हृदयमें तीर्थंकरके असाधारण व्यक्तित्वकी गहरी छाप लगती है। इसलिये इनका समावेश द्रव्यपूजामे किया गया है। इसके बाद तीर्थंकरके गार्हस्थ्य जीवनमें भी कुछ उपयोगी घटनायें घटती हैं। परन्तु असाधारण व नियमित न होनेके कारण उनका समावेश द्रव्यपूजामे नहीं किया गया है।

५—यह क्रिया अष्टव्रणके अर्पण करनेकी है। पूजकका कर्त्तव्य है कि वह इस समय प्रतिमामें तीर्थंकरको निर्घन्ध-मुनि-अवस्थाकी कल्पना करके आहारदानकी प्रक्रिया सम्पन्न करनेके लिए सामग्री चढ़ावे। तीर्थंकरकी निर्घन्ध-मुनि-अवस्थामें इसी तरहकी पूजा उपादेय कही जा सकती है। इसलिये ब्राह्मणसामग्री चढ़ानेका उपदेश शास्त्रोंमें पाया जाता है। इस क्रियाके द्वारा पूजकके हृदयमें पार्श्विके लिए देनेकी भावना पैदा हो। इस उद्देश्यसे ही इस क्रियाका विधान किया गया है।

किसी समय हम लोगोंने यह रिवाज चालू था कि जो भोजन अपने घर पर अपने निमित्तसे तैयार किया जाता था उसीका एक भाग भगवानकी पूजाके काममें लाया जाता था, जिसका उद्देश्य यह था कि हम लोगोंका आहार-पान शुद्ध रहे, परन्तु जबसे हम लोगोंने आहार-पानकी शुद्धताके विषयमें शिक्षिलाचारी हुई, तभी से वह प्रथा बन्द कर दी गई है। और मेरा जहाँ तक खयाल है कि कहीं-कहीं अब भी यह प्रथा जारी है।

६—छठी क्रिया जयमालाकी है। जयमालाका अर्थ गुणानुवाद होता है। गुणानुवाद तभी किया जा सकता है जबकि विकास हो जावे। केवलज्ञानके हो जानेपर तीर्थंकरके गुणोंका परिपूर्ण विकास हो जाता है। इसलिये जयमाला पढ़ने समय पूजक प्रतिमामे केवलज्ञानी-सयोगी-अर्हन्त तीर्थंकरकी कल्पना करके उनके गुणोंका अनुवाद करे। यही उस समयकी पूजा है। तीर्थंकरके सर्वज्ञपने, बीतरागपने और हितोपदेशपनेका भय पूजकको होवे, यह उद्देश्य इस क्रियाके विधानका समझना चाहिए। यही कारण है कि जयमालाके बाद धार्मिकपाठके द्वारा अगलके कल्याणकी प्रार्थना करते हुए पूजकको तदनन्तर प्रार्थना पाठके द्वारा आत्मकल्याणकी भावना भगवानकी प्रतिमाके सामने प्रकट करनेका विधान पूजाविधिमें पाया जाता है। जयमाला पढ़नेके बाद अर्च चढ़ानेकी जो प्रवृत्ति अपने यहाँ पायी जाती है वह ठीक नहीं, क्योंकि अर्जत अवस्थामे तीर्थंकर कृतकृत्य स्वर्गलोकवासीसे रहित होनेके कारण हमारे द्वारा अर्पित किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करते हैं। अतएव केवल

गुणानुवाद करके ही पूजकको यह क्रिया समाप्त करना चाहिए। इसके बाद वह जगतके कल्याणकी भावनासे शान्तिपाठ व इसके बाद आत्मकल्याणकी भावनासे स्तुतिपाठ पढ़े। ये दोनों बातें तीर्थंकरकी बख्श अवस्थामें ही सम्भव हो सकती हैं, कारण कि तीर्थंकरका हितोपदेशीपना इसी अवस्थामें पाया जाता है। :

७—सात्वती क्रिया विसर्जनकी है। इस समय पूजक यह समझ कर कि भगवानकी मुक्ति हो रही है, अपरिभ्रित हृदयसे पुष्पवर्षा करता हुआ विसर्जनकी क्रियाको समाप्त कर। जयमाला पकृते हुए भी यदि पुष्पवर्षा की जाय तो अनुचित नहीं, क्योंकि उससे हर्षातिरेकका बोध होता है, परन्तु अर्ध चढ़ाना तो पूर्वोक्त रीतिसे अनुचित ही है।

यह हमारी द्रव्यपूजाकी विधिक। अभिप्राय है। और पूजकको प्रतिदिन इसी अभिप्रायसे द्रव्यपूजामें भाग लेना चाहिये। ऐसी प्रक्रिया तर्क और अनुभव विरुद्ध नहीं कही जा सकती है। तथा जो चार धातुप पहले बतला-आये हैं उनका समाधान भी इसके जगिये हो जाता है कारण कि प्रतिमा तीर्थंकरकी किसी अवस्था विशेषकी नहीं है वह तो सामान्यतौरपर तीर्थंकरकी प्रतिमा है, उसका अवलम्बन लेकर हमलोग अपने लिए उपयोगी तीर्थंकरकी स्वर्गावतरणसे लेकर मुक्तिपर्यन्तकी जीवनीका चित्रण किया करते हैं। यदि हम अवतरण करते हैं तो तीर्थंकरके स्वर्गसे चय कर गर्भमें आते समय, यदि अभिषेक करते हैं तो तीर्थंकरके जन्मके समय, यदि सामग्री चढाते हैं तो तीर्थंकरकी साधु अवस्थामें, जिस तरह अवतरण द्वारा मुक्त तीर्थंकरको हम बुलाते नहीं, उसी प्रकार विसर्जनके द्वारा भेजते भी नहीं, केवल विसर्जनके द्वारा मोक्ष कल्याणका उत्सव मनाया करते हैं। इस तरह पूर्वोक्त आक्षेपोंके होनेकी सम्भावना भी हमारी द्रव्यपूजाको प्रक्रियामें नहीं रह जाती है।

ऐसा मान लेनेपर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सिद्धोंकी पूजा उनकी प्रतिमाका अवलम्बन लेकर केवल उनके स्वरूपका अनुवाद व चिन्तनमात्रसे करे, तीर्थंकरके समान अवतरणसे लेकर विसर्जन पर्यन्तकी क्रियाओंका समारोह न करे क्योंकि यह यह प्रक्रिया तो सिर्फ तीर्थंकरकी पूजामें ही सम्भव है। हमारे शास्त्र एक दूसरे प्रकारसे भी उस अभिप्रायकी पुष्टि करते हैं—

प्रतिमा जितनी बनाई जाती है वे सब तीर्थंकरोंकी बनायी जाती है और प्रतिष्ठा करते समय तीर्थंकरके ही पंच कल्याणकोंका समारोह किया जाता है, क्योंकि तीर्थंकर ही मोक्षमार्गके प्रवर्तक है और उन्हींके जीवनमें वह असाधारणता (जिसका कि समारोह ही किया करते हैं) पायी जाती है। सामान्यकेवलियोंकी इस तरहसे प्रतिमाये प्रतिष्ठित नहीं की जाती, क्योंकि वे मोक्षमार्गके प्रवर्तक नहीं माने जाते और न उनका जीवन हो इतना असाधारण रहता है। केवल उन्हींमें शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति कर की है। उनकी त्याग-वृत्तिका ध्येय भी उनके जीवनमें आत्मकल्याण रहा है, इनके लिये उनकी पूजा केवल सिद्ध-अवस्थाको लक्ष्य करके की जाती है। यही कारण है कि सिद्ध-प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा पंचकल्याणकरूपसे न करके केवल मोक्ष-कल्याणक रूपसे की जाती है। अरुहन्त और सिद्धको छोड़कर अन्य किसीकी प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करनेका रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण यह कि आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये तीनों सामान्य तौरसे मुनि ही हैं। मुनियोंका अस्तित्व शास्त्रोंमें पंचमकालके अन्त तक बसलाया है, इसलिये हमारे कल्याणमार्गका उपदेश, जो साक्षात् रूपसे विद्यमान है, उसकी मूर्तिकी आवश्यकता ही क्या रह जाती है? क्योंकि मूर्ति-प्रतिष्ठाका उद्देश्य तो अपने कल्याणमार्गकी प्राप्ति ही है। पूजा करते समय पूजकका कर्तव्य यह अवश्य है कि वह जिन तीर्थंकरकी प्रतिमा अपने समक्ष हो उनको द्रव्यपूजा ऊपर कहे अभिप्रायको लेकर करे, जिनकी प्रतिमा न हो, उनकी पूजा यदि वह करना चाहता है तो उनकी कल्पना दूसरे तीर्थंकरकी

प्रतिमामें करके उनकी द्रव्यपूजा करे, क्योंकि जब हमारी पूजा ही कल्पनामय है तो दूसरे तीर्थंकरकी प्रतिमामें दूसरे तीर्थंकरकी कल्पना अपने भावोंकी विपुलिके लिये अनुचित नहीं कही जा सकती ।

तथा जिस प्रकार सिद्धोंकी पूजा उनके स्वरूपका अनुवाद व चिंतनमात्र ही शक्ति-अनुभवगम्य कही जा सकती है उसी प्रकार शास्त्रकी पूजा केवल उसकी वाचना, पृच्छना, अनुप्रेषा, आम्नाय और धर्मोपदेश रूप स्वाध्याय करना ही है । तीर्थंकरोंकी पूजा उनका अवलंबन लेकर भगवानके गुणोंकी भावना मानना, रत्नचवकी पूजा उनकी प्राप्तिका प्रयत्न करना, धर्म व द्रव्योंकी पूजा उनका यथाशक्ति पालन करना समझना चाहिये । तीर्थंकरोंके समान उनकी अवतरणसे लेकर विसर्जन पर्यन्त सात प्रकारसे द्रव्यपूजा करना तो केवल हमारी तर्क और अनुभवकी दृश्यताका द्योतक है । मुझे विश्वास है कि समाज इस तरहसे पूजाके रहस्यको समझ कर इसमें सुधार करनेका प्रयत्न करेगा ।



साधुत्वमें नग्नताका महत्व

पृष्ठभूमि :

एक लेख "दियम्बर जैन साधुओका नग्नत्व" शीर्षकसे जैन जगत (वर्षा, फरवरी १९५५का अंक) में प्रकाशित हुआ है। लेख मूलतः गुजराती भाषाका था और "प्रबुद्ध जीवन" स्वे० गुजराती पत्रमें प्रकाशित हुआ था। लेखके लेखक "प्रबुद्ध जीवन"के सम्पादक श्रीपरमानन्द कुंवरजी कापडिया हैं तथा जैनजगतसंवाला लेख उसी लेखका श्रीमंवरलाल सिंघी द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद है।

जैन जगतके संपादक भाई जमनालाल जैनने लेखकका जो परिचय सम्पादकीय नोटमें दिया है उसे ठीक मानते हुए भी हम इतना कहना चाहेंगे कि लेखकने दियम्बर जैन साधुओंके नग्नत्वपर विचार करनेके प्रसंगसे साधुत्वमेसे नग्नताकी प्रतिष्ठाको समाप्त करनेका जो प्रयत्न किया है उसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

इस विषयमें पहली बात तो यह है कि लेखकने अपने लेखमें मानवीय विकासक्रमका जो साक्षात्कीर्ण है उसे बुद्धिका निष्कर्ष तो माना जा सकता है, परन्तु उसकी वास्तविकता निर्विवाद नहीं कही जा सकती है।

दूसरी बात यह है कि सभ्यताके विषयमें जो कुछ लेखमें लिखा गया है उसमें लेखकने केवल भौतिक-वाचका ही सहारा लिया है, जबकि साधुत्वकी आधारशिला विशुद्ध अध्यात्मवाद है। अतः भौतिकवादकी सभ्यताके साथ अध्यात्मवादमें समाहित नग्नताका यदि मेल न हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि बदलती हुई शारीरिक परिस्थितियाँ हमें नग्नतासे विमुख तो कर सकती हैं, परन्तु सिर्फ इन्हीं आधार पर हमारा साधुत्वमेंसे नग्नताके स्थानको समाप्त करनेका प्रयत्न सही नहीं हो सकता है।

साधुत्वका उद्देश्य

प्रायः सभी संस्कृतियोंमें मानववर्गको दो भागोंमें बांटा गया है—एक तो जन-साधारणका वर्ग गृहस्थवर्ग और दूसरा साधुवर्ग। जहाँ जनसाधारणका उद्देश्य केवल सुखपूर्वक जीवनयापन करनेका होता है वहाँ साधुका उद्देश्य या तो जनसाधारणको जीवन के कर्तव्यमार्गका उपदेश देनेका होता है अथवा बहुतसे मनुष्य मुक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही साधुमार्गका अवलंबन लिया करते हैं। जैन संस्कृतिमें मुख्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही साधुमार्गके अवलंबनकी बात कही गयी है।

"जीवका शरीरसे संबंध सम्बन्ध विच्छेद हो जाना" मुक्ति कहलाती है परन्तु यह दियम्बर जैन संस्कृतिके अभिप्रायानुसार उसी मनुष्यको प्राप्त होती है जिस मनुष्यमें अपने वर्तमान जीवनकी सुरक्षाका आधारभूत शारीरिक स्थिरताके लिये भोजन, वस्त्र, शीतधि आदि साधनोंकी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है और ऐसे मनुष्यको साधुओका शरमभेद स्नातक (निष्णात्) या जीवन्मुक्त नामसे पुकारा जाता है। साधुत्वमें नग्नताको प्रश्रय क्यों ?

सामान्यरूपसे जैन संस्कृतिकी मान्यता यह है कि प्रत्येक शरीरमें उस शरीरसे अतिरिक्त जीवका अस्तित्व रहता है। परन्तु वह शरीरके साथ इतना घुला-मिला है कि शरीरके रूपमें ही उसका अस्तित्व समझमें आता है और जीवके अन्दर जो ज्ञान करनेकी क्षमता मानी गयी है वह भी शरीरका अंगभूत इन्द्रियों-

के सहयोगके बिना पंचु बनी रहती है, इतना ही नहीं, जीव शरीरके इतना अधीन हो रहा है कि उसके जीवनकी स्थिरता शरीरकी स्वास्थ्यमय स्थिरता पर ही अवलंबित रहती है। जीवकी शरीरजलबनताका यह भी एक विचित्र फिर भी तथ्यपूर्ण अनुभव है कि जब शरीरने क्षिप्रता आदि किसी किसके विकार पैदा हो जाते हैं तो जीवको क्लेशका अनुभव होने लगता है और जब उन विकारोंको नष्ट करनेके लिये अनुकूल भोजन आदिका सहारा ले लिया जाता है तो उनका नाश हो जानेपर जीवको सुखानुभव होने लगता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि भोजनादि पदार्थ शरीरपर ही अपना प्रभाव डालते हैं परन्तु शरीरके साथ अनन्यमयी पराधीनताके कारण सुखका अनुभवोक्ता जीव होता है।

विगम्बर जैन संस्कृतिकी यह मान्यता है कि जीव जिस शरीरके साथ अनन्यमयी हो रहा है उसकी स्वास्थ्यमय स्थिरताके लिये जबनक भोजन, वस्त्र, औषधि आदिकी आवश्यकता बनी रहनी है तबतक उस जीवका मुक्त होना असंभव है और यही एक कारण है कि विगम्बर जैन संस्कृति द्वारा साधुत्वमें नग्नताको प्रथम दिया गया है। दूसरी बात यह है कि यदि हम इस बातको ठीक तरहसे समझ लें कि साधुत्वकी भूमिका मानव जीवनमें किस प्रकार तैयार होती है ? तो सम्भवतः साधुत्वमें नग्नताके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ पाया।

साधुत्वकी भूमिका

जीव केवल शरीरके ही अधीन है, सो बात नहीं है; प्रत्युत वह मनके भी अधीन हो रहा है और इस मनकी अधीनताने जीवको इस तरह दबाया है कि न तो वह अपने हितकी बात सोच सकता है और न शारीरिक स्वास्थ्यकी बात सोचनेकी ही उसमें क्षमता रह जाती है। वह तो केवल अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये अपने हित और शारीरिक स्वास्थ्यके प्रतिकूल ही आचरण किया करता है।

यदि हम अपने स्थितिका बोधना भी अध्ययन करनेका प्रयत्न करें तो मालूम होगा कि यद्यपि भोजन आदि पदार्थोंकी मनके लिये कुछ भी उपयोगिता नहीं है, वे केवल शरीरके लिये ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर भी मनके वशीभूत होकर हम ऐसा भोजन करनेसे नहीं चकते हैं जो हमारी शारीरिक प्रकृतिके बिल्कुल प्रतिकूल पड़ता है और जब इसके परिणामस्वरूप हमें कष्ट होने लगता है तो उसका समस्त शोष हम भगवान या भाग्यके उमर धोपनेकी चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार वस्त्र या दूसरी उपभोगकी वस्तुओंके विषयमें हम जितनी मानसिक अनुकूलनाकी बात सोचते हैं उतनी शारीरिक स्वास्थ्यकी अनुकूलताकी बात नहीं सोचते। यहाँ तक कि एक तरफ तो शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है और दूसरी तरफ मनकी प्रेरणासे हम उन्हीं साधनोंको जुटाते चले जाते हैं जो माघन हमारे शारीरिक स्वास्थ्यको बिगाड़नेवाले होते हैं। इतना ही नहीं, उन साधनोंके जुटानेमें विविध प्रकारकी परेशानीका अनुभव करने हुए भी हम परेशान नहीं होते बल्कि उन साधनोंके जुट जाने पर हम आनन्दका ही अनुभव करते हैं।

मनकी अधीनतामें हम केवल अपना या शरीरका ही अहित नहीं करते हैं, बल्कि इन मनकी अधीनताके कारण हमारा इतना पतन हो रहा है कि बिना प्रयोजन हम दूसरोंका भी अहित करनेसे नहीं चूकते हैं और इसमें भी आनन्दका रस लेते हैं।

विगम्बर जैन संस्कृतिका मुक्ति प्राप्तिके विषयमें यह उपदेश है कि मनुष्यको इसके लिए सबसे पहले अपनी उक्त मानसिक पराधीनताको नष्ट करना चाहिए और तब इसके बाद उसे साधुत्व ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि आजकल प्रायः सभी सम्प्रदायोंमें उक्त मानसिक पराधीनताके रहते हुए ही प्रायः साधुत्व ग्रहण करने की होड़ लगी हुई है, परन्तु नियम यह है कि जो साधुत्व मानसिक पराधीनतासे छुटकारा पानेके

शब्द ग्रहण किया जाता है वही सार्थक हो सकता है और उसीसे ही मुक्ति प्राप्त होनेकी आशा की जा सकती है । तात्पर्य यह है कि उक्त मानसिक पराधीनताकी समाप्ति ही सामुच्च ग्रहण करनेके लिए मनुष्यकी भूमिका काम देती है । इसको (मानसिक पराधीनताकी समाप्तिको) जैन संस्कृतमें सम्यग्दर्शन नामसे पुकारा गया है और क्षमा, मार्धव, आर्जव, सत्य, शौच और संयम ये छह धर्म उस सम्यग्दर्शनके अंग माने गए हैं ।

मानव-जीवनमें सम्यग्दर्शनका उद्भव

प्रत्येक जीवके जीवनकी सुरक्षा 'परस्परोंपरग्रहो जीवानाम्' सूत्रमें प्रतिपादित दूसरे जीवोंके सहयोग पर निर्भर है । परन्तु मानव जीवनमें तो इसकी वास्तविकता स्पष्ट रूपमें दिखाई देती है । इसीलिए ही मनुष्यको सामाजिक प्राणी स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि सामान्यतया मनुष्य कौटुम्बिक सहवास आदि मानव समाजके विविध संगठनोंके दायरेमें रहकर ही अपना जीवन सुखपूर्वक बिना सकता है । इसीलिए कुटुम्ब, ग्राम, प्रान्त, देश और विश्वके रूपमें मानव संगठनके छोटे-बड़े जितने रूप हो सकते हैं उन सबको संगठित रखनेका प्रयत्न प्रत्येक मनुष्यको मतत करते रहना चाहिए । इसके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनमें "आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" का सिद्धान्त अपनानेकी अनिवार्य आवश्यकता है, जिसका अर्थ यह है कि "जैसा व्यवहार दूसरोंसे हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरोंके साथ भी न करें और जैसा व्यवहार दूसरोंसे हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरोंके साथ भी करें ।"

अभी तो प्रत्येक मनुष्यकी यह हालत है कि वह प्रायः दूसरोंको निरपेक्ष सहयोग देनेके लिए तो तैयार ही नहीं होता है । परन्तु अपनी प्रयोजन सिद्धिके लिए प्रत्येक मनुष्य न केवल दूसरोंसे सहयोग लेनेके लिए सदा तैयार रहता है । बल्कि दूसरोंको कष्ट पहुँचाने, उनके साथ विषमताका व्यवहार करने और उन्हें बोझमें डालनेसे भी वह नहीं झुकता है । इतना ही नहीं, प्रत्येक मनुष्यका यह स्वभाव बना हुआ है कि अपना कोई प्रयोजन न रहते हुए भी दूसरोंके प्रति उक्त प्रकारका अनुचित व्यवहार करनेमें उसे आनन्द जाता है ।

जैन संस्कृतिका उपदेश यह है कि 'अपना प्रयोजन रहते न रहते कभी किसीके साथ उक्त प्रकारका अनुचित व्यवहार मत करो । इतना ही नहीं, दूसरोंको यथा-अवसर निरपेक्ष सहायता पहुँचानेको सदा तैयार रहो' ऐसा करनेसे एक तो मानव संगठन स्थायी होगा दूसरे प्रत्येक मनुष्यको उस मानसिक पराधीनतासे छुटकारा मिल जायेगा, जिसके रहते हुए वह अपनेको सम्य नागरिक तो दूर मनुष्य कहलाने तकका अधिकारी नहीं हो सकता है ।

अपना प्रयोजन रहते न रहते दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचाना, इसे ही क्षमाधर्म, कभी भी दूसरोंके साथ विषमताका व्यवहार नहीं करना व इसे ही मार्धव धर्म; कभी भी दूसरोंको बोझमें नहीं डालना, इसे ही आर्जव धर्म; और यथा-अवसर दूसरोंको निरपेक्ष सहायता पहुँचाना, इसे ही सत्यधर्म समझना चाहिए । इन चारों धर्मोंको जीवनमें उतार लेनेपर मनुष्यको मनुष्य, नागरिक या सम्य कहना उपयुक्त हो सकता है ।

यह भी देखते हैं कि बहुत मनुष्य उक्त प्रकारसे सम्य होते हुए भी लोभके इतने बधीभूत रहा करते हैं कि उन्हें सम्पत्तिके संग्रहमें जितना आनन्द आता है उतना आनन्द उसके भोगनेमें नहीं आता । इसीलिए अपनी धारिरीक आवश्यकताओंकी पूर्तिमें वे बड़ी कञ्जूसीसे काम लिया करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है । इसी तरह दूसरे बहुतसे मनुष्योंकी प्रकृति इतनी लोभपूरा रहा करती है

कि वे संपत्तिका उपभोग आवश्यकतासे अधिक करते हुए भी कमी तुल्य नहीं होते। इसलिए ऐसे मनुष्य भी अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर बैठ जाते हैं।

जैन संस्कृति बतलाती है कि भोजन आदि सामग्री शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए बड़ी उपयोगी है इसलिए इसमें कंजूसीसे काम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बातोंका अतिक्रमण भी बहुत बुरा होता है, अतः भोजनादि सामग्रीके उपभोगमें लोचुपता भी नहीं दिखलाना चाहिये, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्यरक्षाके लिए भोजनादि जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी उनका शारीरिक प्रकृतिके अनुकूल होना और निश्चित सीमातक भोगना भी है। इसलिए शरीरके लिए जहाँ तक इनकी आवश्यकता हो, वहाँ तक इनके उपभोगमें कंजूसी नहीं करना चाहिए और इनका उपभोग आवश्यकतासे अधिक भी नहीं करना चाहिए।

आवश्यकता रहते हुए भोजनादि सामग्रीके उपभोगमें कंजूसी नहीं करना, इसे ही शौचधर्म और अनर्गल तरीकेसे उसका उपभोग नहीं करना इसे ही संयमधर्म समझना चाहिए।

इस प्रकार मानव जीवनमें उक्त क्षमा, मर्दान, मार्जव और सत्यधर्मोंके साथ शौच और संयम-धर्मोंका भी समावेश हो जानेपर सम्पूर्ण मानसिक पराधीनतासे मनुष्यको छुटकारा मिल जाता है और तब उस मनुष्यको विवेकी या सम्यग्दृष्टि नामसे पुकारा जाने लगता है क्योंकि तब उस मनुष्यके जीवनमें न केवल "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" का सिद्धान्त समा जाता है, बल्कि वह मनुष्य इस तथ्यकी भी हृदयंगम कर लेता है कि भोजनादिकका उपयोग क्यों करना चाहिये और किस ढंगसे करना चाहिये ?

सम्यग्दृष्टि मनुष्यकी माधुत्वकी ओर प्रगति

इस प्रकार मानसिक पराधीनताके समाप्त हो जानेपर मनुष्यके अन्तःकरणमें जो विवेक या सम्यग्दर्शनका जागरण होता है उसकी वजहसे, वह पहले जो भोजनादिकका उपभोग मनकी प्रेरणासे किया करता था, अबसे आगे उनका उपभोग वह शरीरकी आवश्यकताओंको ध्यानमें रखते हुए ही करने लगता है।

इस तरह माधुत्वकी भूमिका तैयार हो जानेपर वह मनुष्य अपना भावी कर्तव्य-भाग इस प्रकार निश्चित करता है कि जिससे वह शारीरिक पराधीनतासे भी छुटकारा पा सके।

वह सोचता है कि 'मेरा जीवन तो धरतीराश्रित है ही, लेकिन धरतीकी स्थिरताके लिये भी मुझे भोजन, वस्त्र, आवास और कौटुम्बिक सहवासका सहारा लेना पड़ता है, इस तरह मैं मानव संगठनके विसाल चक्करमें फँसा हुआ हूँ।'

इस बोरीको समाप्त करनेका एक ही युक्ति संगत उपाय जैन संस्कृतिमें प्रतिपादित किया गया है कि धरतीको अधिक-से-अधिक आत्म निर्भर बनाया जावे। इसके लिए (जैन संस्कृति) हमें दो प्रकारके निर्देश देती है—एक तो आत्मनिष्ठता द्वारा अपनी (आत्माकी) उस स्वावलम्बन शक्तिको जाग्रत करने की, जिसे अन्तराय-धर्ममें षडोषकर हमारे जीवनको भोजनादिकके अधीन बना रखा है और दूसरा व्रतादिकके द्वारा धरतीको सबल बनाते हुए भोजनादिककी आवश्यकताओंको कम करनेका। इस प्रयत्नसे जैसे-जैसे धरतीके लिये भोजनादिककी आवश्यकतायें कम होती जायँगी (याने धरतीर जितना-जितना आत्म-निर्भर होता जायगा) वैसे-वैसे ही हम अपने भोजनमें सुचारु और वस्त्र, आवास तथा कौटुम्बिक सहवासमें कमी करते जावेंगे जिससे हमें मानव संगठनके चक्करसे निकलकर (याने समष्टिगत जीवनको समाप्त कर) वैयक्तिक जीवन बितानेकी क्षमता प्राप्त हो जायगी।

आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिको जाग्रत करने और धरती सम्बन्धी भोजनादिककी आवश्यकताओंकी

कम करनेके प्रयत्नोंको जैन संस्कृतियों क्रमशः अन्तरंग और बाह्य दो प्रकारका तपधर्म तथा भोजनाधिकमें सुधार और कमी करनेको त्यागधर्म कहा गया है ।

साधु मार्गमें प्रवेश

जीवनमें तप और त्याग इन दोनों धर्मोंकी प्रगति करते हुए विवेक वा सम्यग्दर्शन सम्पन्न मनुष्य जब जब साधारणके बगैरे बाहर रहकर जीवन बितानेमें पूर्ण सक्षमता प्राप्त कर लेता है और शारीरिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये उसकी वस्त्र ग्रहणकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब वह नग्न दिग्म्बर होकर दिग्म्बर जैन संस्कृतिके अनुसार साधुमार्गमें प्रवेश करता है । नग्न दिग्म्बर बनकर जीवन बितानेको दिग्म्बर जैन संस्कृतिके आधिकार्य धर्म कहा गया है । आधिकार्य शब्दका अर्थ है, पासमें कुछ नहीं रह जाना, अर्थात् अब तक मनुष्यने जो शरीर रक्षाके लिये वस्त्र, आवास, कुटुम्ब और जन साधारणके सम्बन्ध जोड़ रखा था, वह सब उसने समाप्त कर दिया है केवल शरीरकी स्थिरताके लिये भोजनसे ही उसका सम्बन्ध रह गया है और भोजन ग्रहण करनेकी प्रक्रियामें भी उसने इस किस्मसे सुधार कर लिया है कि उसे पराभयताका लेशमान भी अनुभव नहीं होता है । इतनेपर भी कदाचित् पराभयताका अनुभव होनेकी सम्भावना हो जाय तो पराभयता स्वीकार करनेकी अपेक्षा सन्यस्त होकर (समाधिभरण धारण करके) जीवन समाप्त करनेके लिये सदा तैयार रहता है । भोजनसे उसका सम्बन्ध भी तब तक रहता है जब तक कि शरीर रक्षाके लिये उसकी आवश्यकता बनी रहती है, इसलिये जब शरीर पूर्णरूपसे आत्म निर्भर हो जाता है तब उसका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है और फिर शरीरकी यह आत्मनिर्भरता तब तक बनी रहती है जब तक कि जीवका उस शरीरसे सम्बन्धविच्छेद नहीं हो जाता है । शरीरका पूर्ण रूपसे आत्म निर्भर हो जानेसे मनुष्यका भोजनसे भी सम्बन्ध विच्छेद हो जानेको आधिकार्य धर्मकी पूर्णता कहते हैं और इस तरह आधिकार्यधर्मकी पूर्णता हो जानेपर उसे साधु वर्गका शरभवेद स्नातक नामसे पुकारने लगते हैं । जैन संस्कृतिमें यही जीवन्मुक्त परमात्मा कहलाता है । यह जीवन्मुक्त परमात्मा आयुकी समाप्ति हो जानेपर शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो जानेके कारण जो अपने आपमें स्थिर हो जाता है यही ब्रह्मचर्य धर्म है और यही मुक्ति है । इस ब्रह्मचर्य धर्म अथवा मुक्तिकी प्राप्तिमें ही मनुष्यका साधुमार्गके अवलम्बनका प्रयास सफल हो जाता है ।

यहाँपर हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हि० जैन संस्कृतियों साधुओंको जन-साधारणके बगैरे अलग परस्पर समूह बनाकर अथवा एकाकी वास करनेका निर्देश किया गया है । अतः जब उन्हें भोजन-ग्रहण करनेकी आवश्यकता महसूस हो, तभी और सिर्फ भोजनके लिये ही जनसाधारणके सम्पर्कमें जाना चाहिये । वैसे जनसाधारण चाहें, तो उनके पास पहुँच कर उनसे उपदेश ग्रहण कर सकते हैं ।

अन्तिम निष्कर्ष

इस लेखमें साधुत्वके विषयमें लिखा गया है वह यद्यपि हि० जैन संस्कृतिके दृष्टिकोणके आधारपर ही लिखा गया है परन्तु यह समझना भूल होगी कि साधुत्वके विषयमें इससे भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है कारण कि साधुत्व ग्रहण करते समय मनुष्यके सामने निर्विवाद रूपसे आत्माकी स्वावलम्बन क्षमतिको उत्तरोत्तर बढ़ाना और शरीरमें अधिकसे-अधिक आत्मनिर्भरता लाना ही एक मात्र लक्ष्य रहना उचित है । अतः किसी भी सम्प्रदायका साधु कर्मों न हो, उसे अपने जीवनमें दिग्म्बर जैनसंस्कृति द्वारा समर्थित दृष्टिकोण ही अपनाना होगा अन्यथा साधुत्व ग्रहण करनेका उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा ।

वर्तमानमें सभी सम्प्रदायोंके साधु-जिनमें हि० जैन सम्प्रदायके साधु भी सम्मिलित हैं, साधुत्वके स्वरूप, उद्देश्य और उत्पत्तिक्रमकी नासमझीके कारण बिल्कुल पंचानुष्ट हो रहे हैं । इसलिए केवल सम्प्रदाय विवेकके

साधुओंकी आलोचना करना यद्यपि अनुचित ही माना जायगा फिर भी जिस सम्प्रदायके साधुओंकी आलोचना की जाती है उस सम्प्रदायके लोगोंको इससे स्पष्ट भी नहीं होना चाहिये कारण कि बाहिर वे साधु किसी-न-किसी रूपमें पब्लिसिटी तो रहते ही हैं अतः स्पष्ट होनेकी अपेक्षा दोषोंको निकालनेका ही उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अग्न्या होता, यदि भाई परमानन्द कुँवरजी कापड़िया साधुत्वमेंसे नग्नताकी प्रतिष्ठाको समाप्त करनेका प्रयत्न न करके केवल वि० जैन साधुओंके अद्ययुगोंकी इस तरह आलोचना करते, जिससे उनका मार्ग-दर्शन होता।

प्रश्न—जिस प्रकार पीछी, कमण्डलु और पुस्तक पासमें रखनेपर भी वि० जैन साधु अकिंचन (निर्वन्ध) बना रहता है उसी प्रकार वस्त्र रखनेपर भी उसके अकिंचन बने रहनेमें अपत्ति क्यों होना चाहिये ?

उत्तर—वि० जैन साधु कमण्डलु तो जीवनका अनिवार्य कार्य मलशुद्धिके लिए रखता है, पीछी स्थान धोषणके काममें आती है और पुस्तक ज्ञानवृद्धिका कारण है अतः अकिंचन साधुको इनके पासमें रखनेकी कूट वि० जैन संस्कृतियों दी गयी है परन्तु इन वस्तुओंको पासमें रखते हुए वह इनके सम्बन्धमें परिग्रही ही है, अपरिग्रही नहीं। इसी प्रकार जो साधु शरीर रज्जके लिए अथवा सम्पत्त कलहलानेके लिए वस्त्र धारण करता है तो उसे कम-से-कम उस वस्त्रका परिग्रही मानना अनिवार्य होगा।

तात्पर्य यह है कि जो साधु वस्त्र रखते हुए भी अपनेको साधुमार्गी मानते हैं या लोक उन्हें साधुमार्गी कहता है तो यह विषय वि० जैन संस्कृतिके दृष्टिकोणके अनुसार विवादका नहीं है क्योंकि वि० जैन संस्कृतियोंमें साधुत्वके विषयमें जो नग्नतापर जोर दिया गया है उसका अभिप्राय तो सिर्फ इतना ही है कि सब वस्त्र साधुमें नग्न साधुकी अपेक्षा आत्माकी स्वावलम्बन शक्तिके विकास और शरीरकी आत्मनिर्भरताकी उत्तरी कमी रहना स्वाभाविक है जिस कमीके कारण उसे वस्त्र ग्रहण करना पड़ रहा है। इस प्रकार वस्त्र त्यागकी असामर्थ्य रहते हुए भी नग्नताका धारण करना निन्दनीय नहीं माना जा सकता है प्रत्युत वस्त्र-त्यागकी असामर्थ्य रहते हुए भी नग्नताका धारण करना निन्दनीय ही माना जायेगा क्योंकि इस तरहके प्रयत्नसे साधुत्वमें उत्कर्ष होनेकी अपेक्षा अपकर्ष ही हो सकता है यहाँ कारण है कि दिग्गम्बर जैनसंस्कृतियोंमें नग्नताको किसी एक ह्यतक साधुत्वका परिणाम ही माना गया है साधुत्वमें नग्नताको कारण नहीं माना गया है।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिये कि साधुत्व ग्रहण करनेकी योग्यता रखनेवाले, पहले तीसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थानवर्ती मनुष्योंमें जब साधुत्वका उदय होता है तो उस हास्यतमें उनके पहले सातवाँ गुणस्थान ही होता है छठा गुणस्थान तो, इसके बादमें ही हुआ करता है इसका आशय यही है कि जब मनुष्यकी मानसिक परिणतमें साधुत्व समाधिष्ट हो जाता है तभी बाह्यरूपमें भी साधुत्वको अपनाते हुए वह नग्नताकी ओर उन्मुख होता है।

तात्पर्य यह है कि सप्तम गुणस्थानका आचार साधुत्वकी अन्तर्मुख प्रवृत्ति है और षष्ठ गुणस्थानका आचार साधुत्वकी बहिर्मुख प्रवृत्ति है। साधुत्वकी ओर अभिमुख होनेवाले मनुष्यकी साधुत्वकी अन्तर्मुख प्रवृत्ति पहले हो जाना करती है, इसके बाद ही जब वह मनुष्य बहिःप्रवृत्तिकी ओर झुकाता है तब बस्त्रोंका त्याग करता है अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधुत्वका कार्य नग्नता है नग्नताका कार्य साधुत्व नहीं। यद्यपि नग्नता अंतरंग साधुत्वके बिना भी देखनेमें आती है परन्तु जहाँ अन्तरंग साधुत्वकी प्रेरणासे बाह्य वेषा में नग्नता को अपनाया जाता है वही सच्चा साधुत्व है।

प्रश्न—जब ऊपरके कथनसे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यके सातवाँ गुणस्थान प्रारम्भमें सबत्र हलक

में ही हो जाया करता है और इसके बाध छोटे गुणस्थानमें जानेपर वह वस्त्रको अलग करता है । तो इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि सातवें गुणस्थानकी तरह आठवा आदि गुणस्थानोंका सम्बन्ध भी मनुष्यकी अन्तरंग प्रवृत्तिते होनेके कारण सबस्त्र मुक्तिके समर्थनमें कोई बाधा नहीं रह जाती है और इस तरह वि० जैनसंस्कृतिका स्वीकृत निषेध भी असंगत हो जाता है ।

उत्तर—यद्यपि सभी गुणस्थानोंका सम्बन्ध जीवकी अन्तरंग प्रवृत्तिते ही है, परन्तु कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ बाह्यवेषके आचारपर व्यवहारमें जाने योग्य हैं । ऐसे गुणस्थान पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ; छठा और तेरहवाँ ये सब हैं । शेष गुणस्थान याने दूसरा, सातवाँ, आठवाँ, नववाँ, दशवाँ, अष्टारहवाँ, बारहवाँ और चौदहवाँ ये सब केवल अन्तरंग प्रवृत्तिपर ही आधारित हैं । इसलिए जो मनुष्य सबस्त्र होते हुए भी केवल अपनी अन्तःप्रवृत्तिकी ओर जिस समय उन्मुख हो जाया करते हैं उन मनुष्योंके उस सम्बन्धमें वस्त्रका विकल्प समाप्त हो जानेके कारण सातवेंसे बारहवें तकके गुणस्थान मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है । वि० जैन संस्कृतिके भी चेलोपपृष्ठ साधुओंका कथन तो आता ही है । परन्तु वि० जैनसंस्कृतिकी मान्यतानुसार मनुष्यके छठा गुणस्थान इसलिये सम्भव नहीं है कि वह गुणस्थान ऊपर कहे अनुसार साधुवकी अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ उसके बाह्य वेषपर आधारित है, अतः जबतक वस्त्रका त्याग बाह्यरूपमें नहीं हो जाता है तबतक वि० जैनसंस्कृतिके अनुसार वह साधु नहीं कहा जा सकता है । इसी आधारपर सबस्त्र होनेके कारण इव्यस्त्रीके छोटे गुणस्थानकी सम्भावना तो समाप्त हो जाती है । परन्तु पुरुषकी तरह उसके भी सातवाँ आदि गुणस्थान हो सकते हैं या मुक्ति हो सकती है इसका निर्णय इस आधारपर ही किया जा सकता है कि उसके संहनन कौन-सा पाया जाता है । मुक्तिके विषयमें जैन संस्कृतिकी यही मान्यता है कि वह बन्धवृषभनाराच-संहनन वाले मनुष्यको ही प्राप्त होता है और यह संहनन इव्यस्त्रीके सम्भव नहीं है । अतः उसके मुक्तिका निषेध वि० जैनसंस्कृतिके किया गया है । मनुष्यके तेरहवें गुणस्थानमें वस्त्रकी सत्ताको स्वीकार करना तो सर्वथा अयुक्त है क्योंकि एक तो तेरहवाँ गुणस्थान षष्ठ्युणस्थानके समान अन्तरंग प्रवृत्तिके साथ-साथ बाह्य प्रवृत्तिपर अवलम्बित है, दूसरे वहीपर आत्माका स्वात्मनन धारित और शरीरकी आत्मनिर्भरताकी पूर्णता हो जाती है, इसलिए वही वस्त्रस्वीकृतिकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है । वि० जैनसंस्कृतिके इव्यस्त्रीको मुक्ति न माननेका यह भी एक कारण है ।

जिन लोगोंका यह क्याल है कि साधुके भोजन ग्रहण और वस्त्र ग्रहण दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है उनसे हमारा इतना कहना ही पर्याप्त है कि जीवनके लिए या शरीर रक्षाके लिए जितना अनिवार्य भोजन है उतना अनिवार्य वस्त्र नहीं है, जितना अनिवार्य वस्त्र है उतना अनिवार्य आवास नहीं है और जितना अनिवार्य आवास है उतना अनिवार्य कौटुम्बिक सहवास नहीं है ।

अन्तमें स्त्रूल रूपसे साधुका लक्षण यही हो सकता है कि जो मनुष्य मनपर पूर्ण विजय पा लेनेके अनन्तर यथाशक्ति शारीरिक आवश्यकताओंको कम करते हुए भोजन आदिकी पराधीनताको घटाता हुआ चला जाता है वही साधु कहलाता है ।

जनहृष्टिसे मनुष्योंमें उच्च-नीच व्यवस्थाका आधार

जैन संस्कृतिमें समस्त संसारी अर्थात् नारक, तिर्यक्, मनुष्य और देव—इन चारों ही शक्तियोंमें विद्यमान सभी जीवोंको यथायोग्य उच्च और नीच दो भाषोंमें विभक्त करते हुए यह बतलाया गया है कि जो जीव उच्च होते हैं उनके उच्चगोत्र कर्मका और जो जीव नीच होते हैं उनके नीचगोत्र कर्मका उदय विद्यमान रहा करता है।

यद्यपि जैन संस्कृतिके माननेवालोके लिये यह व्यवस्था विवाद या शंकाका विषय नहीं होना चाहिए। परन्तु समस्या यह है कि प्रत्येक संसारी जीवमें उच्चता अथवा नीचताकी व्यवस्था करनेवाले साधनोंका अस्तित्व हमें परिज्ञान नहीं हो जाता, तबतक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक जीव तो उच्च है और अमुक जीव नीच है ?

यदि कोई कहे कि एक जीवको उच्चगोत्रकर्मके उदयके आधारपर उच्च और दूसरे जीवको नीच-गोत्रकर्मके उदयके आधारपर नीच कहनेमें क्या आपत्ति है ? तो इसपर हमारा कहना यह है कि अपनी वर्तमान अल्पज्ञताकी हालतमें हम लोगोंके लिये जीवोंमें यथायोग्यरूपसे विद्यमान उच्चगोत्र-कर्म और नीचगोत्र-कर्मके उदयका परिज्ञान न हो सकनेके कारण एक जीवको उच्चगोत्र-कर्मके उदयके आधारपर उच्च और दूसरे जीवको नीचगोत्र-कर्मके उदयके आधारपर नीच कहना शक्य नहीं है।

माना कि जैन संस्कृतिके आगम-ग्रन्थोंके कथनानुसार नरकगति और तिर्यग्गतिमें रहनेवाले संपूर्ण जीवोंमें केवल नीचगोत्रकर्मका तथा देवगतिमें रहनेवाले संपूर्ण जीवोंमें केवल उच्चगोत्रकर्मका ही सर्वदा उदय विद्यमान रहा करता है। इसलिए यद्यपि संपूर्ण नारकियों और संपूर्ण तिर्यग्जनोंमें नीचगोत्रकर्मके उदयके आधारपर केवल नीचताका तथा संपूर्ण देवोंमें उच्चगोत्रकर्मके उदयके आधारपर केवल उच्चताका व्यवहार करना हम लोगोंके लिये अशक्य नहीं है। परन्तु उन्हीं जैन आगमग्रन्थोंमें जब संपूर्ण मनुष्योंमेंसे किन्हीं मनुष्योंके तो उच्च-गोत्रकर्मका और किन्हीं मनुष्योंके नीचगोत्रकर्म का उदय होना बतलाया है तो जबतक संपूर्ण मनुष्योंमें पुण्य-पुण्य यथायोग्य रूपसे विद्यमान उक्त उच्च तथा नीच दोनों ही प्रकारके गोत्रकर्मोंके उदयका परिज्ञान नहीं हो जाता तबतक हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक मनुष्योंमें चूंकि उच्चगोत्र-कर्मका उदय विद्यमान है इसलिए उन्हें तो उच्च कहना चाहिए और अमुक मनुष्योंमें चूंकि नीचगोत्र-कर्मका उदय विद्यमान है इसलिए उसे नीच कहना चाहिए ? इसके अतिरिक्त मनुष्योंमें जब गोत्र-परिवर्तनकी बात भी उन्हीं आगम-ग्रन्थोंमें स्वीकार की गयी है तो जबतक उनमें (मनुष्योंमें) यथासमय रहनेवाले उच्चगोत्र-कर्म तथा नीचगोत्र-कर्मके उदयका परिज्ञान हमें नहीं हो जाता, तबतक यह भी एक समस्या है कि एक ही मनुष्य को कब तो हमें उच्च-गोत्र-कर्मके उदयके आधारपर उच्च कहना चाहिए और उसी मनुष्यको कब हमें नीचगोत्र-कर्मके उदयके आधार पर नीच कहना चाहिए ? एक बात और है। जैन संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार सातों नरकोंके संपूर्ण नारकियोंमें परस्पर तथा ऐकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय तककी संपूर्ण तिर्यग्-जातियों और इनकी उपजातियोंमें रहनेवाले संपूर्ण तिर्यग्जनोंमें परस्पर उच्चता और नीचताका कुछ न कुछ भेद पाया जानेपर भी यदि सभी नारकी, नरकगति सामान्यकी अपेक्षा और सभी तिर्यक्, तिर्यग्गति सामान्यकी अपेक्षा नीच गोत्र-कर्मके उदयके आधारपर नीच माने जा सकते हैं तो, और इसी प्रकार भवनवासी, ब्यन्तर, ज्योतिष्क और वैश्रवणिक नामकी संपूर्ण देव जातियों और इनकी उपजातियोंमें रहनेवाले संपूर्ण देवोंमें परस्पर उच्चता और नीचताका कुछ न कुछ भेद पाया जानेपर भी यदि सभी देव देवगति सामान्यकी अपेक्षा उच्चगोत्र कर्मके उदयके आधार पर

उच्च माने जा सकते हैं तो, फिर मनुष्यगतिमें रहनेवाले सम्पूर्ण मनुष्योंमें भी मनुष्य-गति सम्बन्धी विविध प्रकारकी समानता रहते हुए अन्य ज्ञात साधनोंके अभावमें केवल अज्ञात उच्चगोत्र-कर्म और नीचगोत्र-कर्मके उद्भवेके आधारपर पृथक्-पृथक् क्लमस. उच्चता और नीचताका व्यवहार कैसे किया जा सकता है ?

ये सब समस्याएँ हैं जिनका जबतक यथोचित समाधान प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक जैन संस्कृतिके अनुयायी होने पर भी हम लौकिके मस्तित्कमें मनुष्योंको लेकर उच्चता और नीचता सम्बन्धी संदेह पैदा होते रहना स्वाभाविक ही है ।

वदसुत्रागमके सूत्र १३५ का आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी द्वारा किया गया जो व्याख्यान बबलाशास्त्र-की पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ पर पाया जाता है, उसे देखनेसे मालूम पड़ता है कि मनुष्योंकी उच्चता और नीचताके विषयमें आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीके समयमें भी विवाद था, इतना ही नहीं आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीके उस व्याख्यानसे तो यहाँ तक भी मालूम पड़ता है कि उनके समयके कोई-कोई विचारक विद्वान् मनुष्य-गतिमें माने गये उच्च और नीच उन्नयनोन्नत कर्मोंके उदयके सम्बन्धमें निर्णयात्मक समाधान न मिल सकनेके कारण उच्च और नीच दोनों भेदविशिष्ट व समूचे गोत्र-कर्मके अभाव तकको माननेके लिये उद्यत हो रहे थे, आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीका वह व्याख्यान निम्न प्रकार है :

“उच्चैर्गोत्रस्य क्व व्यापारः ? न सावद् राज्यादिलक्षणार्था सम्पत्ति, तस्या. सद्देहत समुत्पत्तः नापि पंचमहाव्रतग्रहणयोग्यता उच्चैर्गोत्रेण क्रियते, देवेष्वभ्रभ्येयु च तद्ग्रहणं प्रत्यययोग्येयु उच्चैर्गोत्रस्योद्यमाभावप्रसंगात्, न सम्यग्ज्ञानोत्पत्तौ व्यापारः ज्ञानावरणस्योपशसहाय्य सम्यग्दर्शन-तस्तदुत्पत्तौः । तिर्यग्नारकेष्वपि उच्चैर्गोत्रस्योदय. स्यात्, तत्र सम्यग्ज्ञानस्य सत्त्वात्, नादेयत्वे, यशसि, सीमायै वा व्यापारः, तथा नामत् समुत्पत्तौ, नैवमाकुकुलाद्युत्पत्तौ, काल्पनिकाना तथा परमार्थतो-ऽस्तत्त्वात्, विश्वाहाणसाधुष्वपि उच्चैर्गोत्रस्योदयदर्शनात्, न सम्पन्नेभ्यो जीनोत्पत्तौ तद्व्यापारः, श्लेष्मराजसमुत्पन्नपृथुकस्यापि उच्चैर्गोत्रोदयप्रसंगात्, माणुव्रतिस्य समुत्पत्तौ तद्व्यापार, देवेष्वी-पपादिकेषु उच्चैर्गोत्रोदयस्यासत्त्वप्रसंगात्, नाभेयस्य नीचगोत्रतापरोक्ष, ततो निष्कलमुच्चैर्गोत्रम्, तत एव न तस्य कर्मत्वमपि, तदभावे न नीचैर्गोत्रमपि, द्वयोरन्योन्याविनाभाधित्वात्, ततो गोत्र-कर्माभाव इति ।”

इस व्याख्यानमें प्रथम ही यह प्रश्न उठाया गया है कि जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मका क्या कार्य होता है ? इसके आगे उच्चगोत्र-कर्मके कार्य पर प्रकाश डालनेवाली तत्कालीन प्रचलित मान्यताओंका निर्बन्ध करते हुए उनका खण्डन किया गया है और इस तरह उक्त प्रश्नका उचित समाधान न मिल सकनेके कारण अन्तमें निष्कर्षके रूपमें गोत्र-कर्मके अभावको प्रस्थापित किया गया है, व्याख्यानका हिन्दी विवरण निम्न प्रकार है ।

शंका—जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मका किस रूपमें व्यापार हुआ करता है ? अर्थात् जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मका कार्य क्या है ?

१. समाधान—जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मका कार्य उनको राज्यादि सम्पत्तिकी प्राप्ति होना है ।

खण्डन—यह समाधान गलत है क्योंकि जीवोंको राज्यादि सम्पत्तिकी प्राप्ति उच्चगोत्र-कर्मके उदयसे न होकर साक्षादेवनीय कर्मके उदयसे ही हुआ करती है ।

२. समाधान—जीवोंमें पंच महाव्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यतका प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोत्र-कर्मका कर्म है ।

खण्डन—यदि जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मके उदयसे पंचमहाव्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यताका प्रादुर्भाव होता है तो ऐसी हालतमें देवोंमें और अभव्य जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मके उदयका अभाव स्वीकार करना होगा, जबकि उन दोनों प्रकारके जीवोंमें, जैन संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार, उच्चगोत्र-कर्मके उदयका तो मद्भाव और पंचमहाव्रतोंके ग्रहण करनेकी योग्यताका अभाव दोनों ही एक साथ पाये जाते हैं ।

३. समाधान—जीवोंमें सम्बन्धानकी उत्पत्ति उच्चगोत्र-कर्मके उदयसे हुवा करती है ।

खण्डन—यह समाधान भी सही नहीं है क्योंकि जैन संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार जीवोंमें सम्बन्धानकी उत्पत्ति उच्चगोत्र-कर्मका कार्य न होकर ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी सहाय्यतासे सापेक्ष सम्बन्धवर्धनका ही कार्य है, दूसरी बात यह है कि जीवोंमें सम्बन्धानकी उत्पत्तिकी यदि उच्चगोत्र-कर्मका कार्य माना जायगा तो फिर तिर्यंचो और नारकियोंमें भी उच्चगोत्रकर्मके उदयका सद्भाव माननेके लिये हमें बाध्य होना पड़ेगा, जो कि अयुक्त होगा, क्योंकि जैनशास्त्रोंकी मान्यताके अनुसार जिन तिर्यंचो और जिन नारकियोंमें सम्बन्धानका सद्भाव पाया जाता है उनमें उच्चगोत्र कर्मके उदयका अभाव ही रहा करता है ।

४. समाधान—जीवोंमें आदेयता, यज्ञ और सुभगताका प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोत्र-कर्मका कार्य है ।

खण्डन—यह समाधान भी इसीलिए गलत है कि जीवोंमें आदेयता, यज्ञ और सुभगताका प्रादुर्भाव उच्चगोत्र-कर्मके उदयका कार्य न होकर क्रमश आदेय, यज्ञ-कीर्ति और सुभग संज्ञा वाले नामकर्मोंका ही कार्य है ।

५. समाधान—जीवोंका इक्ष्वाकुकुल आदि क्षत्रियकुलोंमें जन्म लेना उच्चगोत्र-कर्मका कार्य है ।^१

खण्डन—यह समाधान भी उल्लिखित प्रश्नका उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि इक्ष्वाकुकुल आदि जितने क्षत्रियकुलोंको लोकमें मान्यता प्राप्त है वे सब काल्पनिक होनेसे एक तो अतद्रूप ही है, दूसरे यदि इन्हें वस्तुतः सद्भाव ही माना जाय तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उच्चगोत्र-कर्मका उदय केवल इक्ष्वाकुकुल आदि क्षत्रियकुलोंमें ही पाया जाता है; कारण कि जैन सिद्धान्तकी मान्यताके अनुसार उक्त क्षत्रियकुलोंके अतिरिक्त वैश्यकुलों और ब्राह्मणकुलोंमें भी तथा मनी तरङ्गके कुलोसे बन्धनसे मुक्त हुए साधुओंमें भी उच्चगोत्र-कर्मका उदय पाया जाता है ।^२

६. समाधान—सम्पन्न (घनाढ्य) लोगोंमें जीवोंकी उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्र-कर्मका कार्य है ।

खण्डन—यह समाधान भी सही नहीं है क्योंकि सम्पन्न (घनाढ्य) लोगोंमें जीवोंकी उत्पत्तिकी यदि उच्चगोत्र-कर्मका कार्य माना जायगा तो ऐसी हालतमें म्लेच्छराज्यसे उत्पन्न हुए बालकमें भी हमें उच्चगोत्र-कर्मके उदयका सद्भाव स्वीकार करना होगा, कारण कि म्लेच्छराज्यकी सम्पन्नता तो राजकुलका व्यक्ति होनेके नाते निविबाध है, परन्तु समस्या यह है कि जैन-सिद्धान्तमें म्लेच्छजातिके सभी लोगोंके नियमसे नीचगोत्र-कर्मका ही उदय माना गया है ।

१ 'इक्ष्वाकुकुलाद्युत्पत्ती'का हिन्दी अर्थ षट्सप्तहागम पुस्तक १३ में 'इक्ष्वाकुकुल आदिकी उत्पत्तिमें इसका व्यापार नहीं होता' किया गया है जो गलत है, इसका सही अर्थ 'इक्ष्वाकुकुल आदि क्षत्रियकुलोंमें जीवोंकी उत्पत्ति होना इसका व्यापार नहीं है' होना चाहिए ।

२. यहाँ पर षट्सप्तहागम पुस्तक १३ में विद्वाह्राणसाधुष्वपि' वाक्यका हिन्दी अर्थ 'वैश्य और ब्राह्मण साधुओंमें' किया गया है जो गलत है, इसका सही अर्थ 'वैश्यों, ब्राह्मणों और साधुओंमें' होना चाहिए ।

७. समाधान—अणुव्रतोंको धारण करनेवाले व्यक्तियोंसे जीवोंकी उत्पत्ति होना उच्चगोत्र-कर्मका कार्य है ।

खण्डन—यह समाधान भी निर्दोष नहीं है क्योंकि अणुव्रतोंको धारण करनेवाले व्यक्तियोंसे जीवोंकी उत्पत्तिकी यदि उच्चगोत्र-कर्मका कार्य माना जायगा तो ऐसी हालतमें देवोंमें पुनः उच्चगोत्र-कर्मके उदयका अभाव प्रसक्त हो जायगा, जो कि अयुक्त होगा। देवोंमें एक ओर तो उच्चगोत्र-कर्मका उदय जैनधर्ममें स्वीकार किया गया है तथा दूसरी ओर देवगणमें अणुव्रतोंके धारण करनेकी अमंभ्रताके साथ-साथ मात्र उपपावसायामर ही देवोंकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है। जीवोंकी अणुव्रतोंसे उत्पत्ति होना उच्चगोत्र-कर्मका कार्य माननेपर दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि इस तरहसे तो नाभिराजके पुत्र भगवान् ऋषभदेवको भी नीचगोत्री स्वीकार करना होगा क्योंकि नाभिराजके समयमें अणुव्रत आदि धार्मिक प्रवृत्तियोंका मार्ग खुला हुआ नहीं होनेसे जैन-संस्कृतियोंमें उन्हें अणुव्रतों नहीं माना गया है।

इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्मके कार्यपर प्रकाश डालने वाले उल्लिखित सातों समाधानोंमेंसे जब कोई भी समाधान निर्दोष नहीं है तो इनके आधारपर उच्चगोत्र-कर्मको सफल नहीं कहा जा सकता है और इस तरह निष्फल हो जानेपर उच्चगोत्र-कर्मको कर्मके वर्गमें स्थान देना ही अयुक्त हो जाता है जिससे इसका (उच्चगोत्र-कर्मका) अभाव सिद्ध हो जाता है तथा उच्चगोत्र-कर्मके अभावमें फिर नीचगोत्र-कर्मका भी अभाव निश्चित हो जाता है, कारण कि उच्च और नीच दोनों ही गोत्र-कर्म परस्पर एक-दूसरोंसे सापेक्ष होकर ही अपनी सत्ता कायम रखें हुए हैं। इस प्रकार अतिम निष्कर्षके रूपमें सम्पूर्ण गोत्र-कर्मका अभाव सिद्ध होता है।

उक्त व्याख्यानपर बारीकीसे ध्यान देनेपर इतनी बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीके समयके विद्वान् एक तरफ तो जैन-सिद्धान्त द्वारा माय्य नारिकियों और तिर्यंचोंमें नीचताकी व्यवस्थाको तथा देवोंमें उच्चताकी व्यवस्थाको निर्विवाद ही मानते थे लेकिन दूसरी तरफ मनुष्योंमें जैन-शास्त्रों द्वारा स्वीकृत उच्चता तथा नीचता सम्बन्धी उभयरूप व्यवस्थाको वे शंकास्पद स्वीकार करते थे। नारिकियों और तिर्यंचोंमें नीचताकी व्यवस्थाको और देवोंमें उच्चताकी व्यवस्थाको निर्विवाद माननेका कारण यह जान पड़ता है कि सभी नारिकियों और सभी तिर्यंचोंमें सर्वथा नीचगोत्र-कर्मका तथा सभी देवोंमें सर्वथा उच्चगोत्र-कर्मका उदय ही जैन आगमों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और मनुष्योंमें उच्चता तथा नीचता उभयरूप व्यवस्थाको शंकास्पद माननेका कारण यह जान पड़ता है कि कृत्तिक मनुष्योंमें नीचगोत्र-कर्म तथा उच्चगोत्र-कर्मका उदय छद्मस्वर्णों (अल्पज्ञों) के लिये अज्ञात ही रहा करता है। अतः उनमें नीचगोत्र-कर्मके आधारपर नीचताका और उच्चगोत्र-कर्मके उदयके आधारपर उच्चताका व्यवहार करना हम लोगोंके लिये शक्य नहीं रह जाता है।

यद्यपि धबलाशास्त्रकी पुस्तक १५ के पृष्ठ १५२ पर तिर्यंचोंमें भी उच्चगोत्र-कर्मकी उदीरणाका कथन किया गया है इसलिए मनुष्योंकी तरह तिर्यंचोंमें भी उच्चता तथा नीचताकी दोनों व्यवस्थाएँ शंकास्पद हो जाती हैं परन्तु वहीपर यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि तिर्यंचोंमें उच्चगोत्र-कर्मकी उदीरणाका सद्भाव माननेका आधार केवल उनके (तिर्यंचोंके) द्वारा मयमामयमका परिपालन करना ही है। वह कथन निम्न प्रकार है :

‘तिरिचस्सेसु पीचागोदस्य चैव उदीरणा होदिति सब्बस्य पकविदं, एरथ पुण उच्चगोदसस ति उदीरणा पकविदा। तेषं पुण पुष्पावरपिरोहो ति मण्डि, य, तिरिचस्सेसु संजमसंजमपरी-

पालयित्वा उच्चगोत्रुवलंभावो, उच्चगोत्रे वैससयलसंजमग्निर्बन्धने संते मिच्छाद्दृडीसु तदभावो त्ति
भासंकीषिउत्रं, तत्त्ववि उच्चगोत्रजगिदसंजमजोगतावेक्त्राए उच्चगोत्रसं पठि विरोहाभावावो' ।

यह व्याख्यान शंका और समाधानके रूपमें है । इसमें निदिष्ट जो शंका है वह इसलिए उत्पन्न हुई है कि इस प्रकरणमें इस व्याख्यानके पूर्व ही तिर्यग्गतियें भी उच्चगोत्र-कर्मकी उदीरणाका प्रतिपादन किया गया है ।^१ व्याख्यानका हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है—

शंका—तिर्यग्गोत्रोंमें नीचगोत्रकर्मकी उदीरणा होती है यह तो आगममें सर्वत्र प्रतिपादित की गई है, लेकिन इस प्रकारमें उनके उच्चगोत्रकर्मकी उदीरणाका भी प्रतिपादन किया गया है इसलिए आगममें पूर्वापर विरोध उपस्थित होता है ।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि संयमासयमका पालन करनेवाले तिर्यग्गोत्रोंमें ही उच्चगोत्रकी उपलब्धि होती है ।

शंका—यदि जीवोमें देशसंयम और सकलसंयमके आचारपर उच्चगोत्रका सद्भाव माना जाय तो इस तरह मिथ्यादृष्टियोंमें उच्चगोत्रका अभाव मानना हागा जबकि जैनसिद्धान्तकी मान्यताके अनुसार उनमें उच्चगोत्रका भी सद्भाव पाया जाता है ।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टियोंमें देशसंयम और सकलसंयमकी योग्यताका पाया जाना तो सम्भव है ही इसीलिए उनकी उच्चगोत्रताके प्रति आगमका विरोध नहीं रह जाता है ।

यद्यपि धवलाके उक्त शंका-समाधानसे तिर्यग्गतियें उच्चगोत्रकी उदीरणा सम्बन्धी प्रश्न तो समाप्त हो जाता है परन्तु इससे एक तो देशसंयम और सकलसंयमकी उच्चगोत्रकर्मके उदयके सद्भावमें कारण माननेसे पंचम गुणस्थानमें जैनदर्शनके कर्म-सिद्धान्तके अनुसार प्रतिपादित नीचगोत्र कर्मके उदयका सद्भाव मानना असंगत होगा और दूसरे मनुष्यगतिकी तरह तिर्यग्गतियें भी देशसंयम धारण करनेकी योग्यताका परिज्ञान अल्पज्ञों के लिये असम्भव रहनेके कारण उच्चगोत्रकर्म और नीचगोत्र-कर्मके उदयकी व्यवस्था करना मनुष्यगतिकी तरह जटिल ही होगा ।

उक्त दोनों ही प्रश्न इतने महत्त्वके हैं कि जबतक इनका समाधान नहीं होता तबतक तिर्यग्गतियें भी उच्चगोत्र और नीचगोत्रकी व्यवस्था सम्बन्धी समस्याका हल होना असंभव ही प्रतीत होता है । विद्वानोंको इनपर अपना दृष्टिकोण प्रकट करना चाहिए । हमारा दृष्टिकोण निम्न प्रकार है—

प्रथम प्रश्नके विषयमें हम ऐसा सोचते हैं कि आगम द्वारा तिर्यग्गतियें उच्चगोत्रकर्मकी उदीरणाका भी प्रतिपादन किया गया है उसे एक अपवाद-सिद्धान्त स्वीकार कर, यही मानना चाहिए कि ऐसा कोई तिर्यग्—जो देशसंयम धारण करनेकी किसी विशेष योग्यतासे प्रभावित हो—उसीके उक्त आगमके आचारपर उच्चगोत्र-कर्मका उदय रह सकता है । इस तरह सामान्यरूपसे देशसंयमको धारण करनेवाला तिर्यग् नीचगोत्री ही हुवा करता है ।

दूसरे प्रश्नके विषयमें हमारा यह कहना है कि नरकगति, तिर्यग्गति और देवगतिके जीवोको जीवन-वृत्तिधर्मों समानरूपसे प्राकृतिकताको स्थान प्राप्त है, इसलिए तिर्यग्गोत्रोंमें उच्चता और नीचताजन्म भेदका सद्भाव रहते हुए भी जीवनवृत्तियोकी उस प्राकृतिकताके कारण नारकियों और देवोके समान ही सभी तिर्यग्गोत्रों

१. तिरिकस्यद्दीए.....उच्चगोत्रस्य जहण्णदिठिउदीरणा मंलेज्जगुणा, जदिठिउ० विसेसाहिया ।

में परस्पर जीवनवृत्तिजन्म ऐसी विषयताका पाया जाना सम्भव नहीं है जिसके आधारपर उनमें यथायोग्य दोनों गौणोंके उदयकी व्यवस्था स्वीकार करनेसे ध्यावहारिक गड़बड़ी पैदा होनेकी सम्भावना हो। केवल मानव-जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ जीवनवृत्तिके लिये अनिवार्य सामाजिक व्यवस्थाकी स्वीकृतिके आधारपर गौणकर्मके उच्च तथा नीचरूप उदयभेदका ध्यावहारिक उपयोग होता है। तात्पर्य यह है कि नरकगति, तिर्यग्गति और देवगतिके जीवोंकी जीवनवृत्तियोंमें प्राकृतिकताको जैसा स्थान प्राप्त है वैसा स्थान मनुष्योंकी जीवनवृत्तियोंमें प्राकृतिकताको प्राप्त नहीं है। यही कारण है कि मनुष्यको सामान्यरूपसे कौटुम्बिक संगठन, ग्राम्य संगठन, राष्ट्रीय संगठन और यहाँतक कि मानव संगठन आदिके रूपमें सामाजिक व्यवस्थाओंके अधीन रहकर ही पुरुषार्थ द्वारा अपनी जीवनवृत्तिका संचालन करना पड़ता है। परन्तु यह सब तिर्यग्गतिके लिये आवश्यक नहीं है।

यद्यपि हम मानते हैं कि भोगभूमिगत मनुष्योंकी जीवनवृत्तियोंमें प्राकृतिकताके ही दर्शन होते हैं और यही कारण है कि उन मनुष्योंमें सामाजिक व्यवस्थाओंका सर्वथा अभाव पाया जाता है। इसके अलावा, उनमें केवल उच्चगौणकर्मका ही उदय सर्वउचित विद्यमान रहता है। इसलिए उनके जीवनमें व्यावहारिक विषयताको स्थान प्राप्त नहीं होता है केकिन कर्मभूमिगत मनुष्योंकी जीवनवृत्तियोंमें जो अप्राकृतिकता स्वभावतः पायी जाती है उसके कारण उनको अपनी जीवनवृत्तिकी सम्पन्नताके लिये उक्त सामाजिक व्यवस्थाओंकी अधीनतामें पुरुषार्थका उपयोग करना पड़ता है और ऐसा देखा जाता है कि उनके द्वारा अपनी जीवनवृत्तिके संचालनके लिये अपनाये गये भिन्न-भिन्न प्रकारके पुरुषार्थोंमें उच्चता और नीचताका वैषम्य स्वभावतः हो जाता है जिसके कारण उनकी जीवनवृत्तियाँ भी उच्च और नीचके भेदसे दो वर्गोंमें विभाजित हो जाती हैं। यद्यपि कर्मभूमिगत मनुष्योंमें जीवनवृत्तियोंकी बहुत-सी विविधतायें पायी जाती हैं और जीवनवृत्तियोंकी इन्हीं विविधताओंके आधारपर ही उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र—इन चार वर्गोंकी तथा इन्हीं वर्गोंके अन्तर्गत जीवनवृत्तियोंके आधारपर ही यथायोग्य लुहार, चमार आदि विविध जातियोंकी स्थापनाको जैनसंस्कृतिके स्वीकार किया गया है। परन्तु जीवनवृत्तियोंके आधारपर स्थापित सभी वर्गों और उनके अन्तर्गत पायी जानेवाली उक्त प्रकारकी सभी जातियोंकी भी जीवनवृत्तियोंमें पायी जानेवाली उच्चता और नीचताके अनुसार ही उच्च और नीच दो वर्गोंमें संग्रहीत कर दिया गया है। इस प्रकार उच्च और नीच दोनों प्रकारकी जीवनवृत्तियोंकी ही कमसे उच्चगौण कर्म और नीचगौण कर्मके उदयका जैन संस्कृतिके मापदण्ड स्वीकार किया गया है।

जीवोंमें उच्चगौण कर्मका किस रूपमें व्यापार होता है? अथवा जीवोंमें उच्चगौण कर्मका क्या कार्य होता है? इस प्रश्नका जो समाधान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने स्वयं किया है और जिसे उन्होंने स्वयं ही निर्दोष माना है उसमें मनुष्योंकी इसी पुरुषार्थप्रधान जीवनवृत्तिकी आधार प्ररूपित किया है। आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीका वह समाधानरूप व्याख्यान निम्न प्रकार है।

‘न, जिनवचनस्यास्त्यस्त्वविरोधात्। तद्विरोधोऽपि सन्न स्त्कारणाभावतोऽवगम्यते। न च केवल-ज्ञानविषयीकृतोऽव्ययं सकलेष्वपि रजोबुधा ज्ञानानि प्रवर्तन्ते, येनानुपलम्भ्याजिनवचनस्याप्रमाणत्व-मुच्येत। न च निष्कलमुच्यैर्गौणम्, दीक्षायोग्यसाध्याचाराणां साध्याचारैः कृतसंभन्धानां आर्यप्रत्यया-भिधानव्यवहारनिबन्धानां पुरधाणां संतामः उच्चगौणम्, तत्रोत्पत्तिहेतुः कर्माप्युच्चैर्गौणम्। न चात्र पूर्वोक्तयोः संभवन्ति, विरोधात्, तद्विपरीतं नीचैर्गौणम्। एवं गौणस्य द्वे एव प्रकृती भवतः।’

पहले जो समूचे गौणकर्मके अभावकी आशंका इस लेखमें उद्घृत धवलाशास्त्रकी पुस्तक १३ के पृष्ठ २८८ के व्याख्यानमें प्रकट कर जाये हैं, उसीका समाधान करते हुए आगे वही पर ऊपर लिखा व्याख्यान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने किया है। उसका हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है—

“गोत्रकर्मके अभावकी आशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि जिनेंद्र भगवानने स्वयं ही गोत्रकर्मके अस्तित्वाका प्रतिपादन किया है और यह बात निश्चित है कि जिनेंद्र भगवान्के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं, अस्तव्यताका जिनेंद्र भगवान्के वचनके साथ विरोध है अर्थात् वचन एक ओर तो जिनेंद्र भगवान्के हीं और दूसरी ओर वे असत्य भी हैं—यह बात कभी संभव नहीं है, ऐसा इसलिए मानना पड़ता है कि जिन भगवान्के वचनोंको असत्य माननेका कोई कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

जिन भगवान्ने यद्यपि गोत्रकर्मके सद्भावका प्रतिपादन किया है किन्तु हमें उसकी (गोत्रकर्मकी) उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए, जिनवचनको असत्य माना जा सकता है, पर ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि केवलज्ञानके विषयभूत सम्पूर्ण पदार्थोंमें हम अल्पज्ञोंके ज्ञानकी प्रवृत्ति ही नहीं होती ।

इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्मकी निष्फल मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि जो पुरुष स्वयं तो दीक्षाके योग्य साधु आचारवाले हैं ही तथा इस प्रकारके साधु आचारवाले पुरुषोंके साथ जिनका सम्बन्ध स्थापित हो चुका है उनमें ‘आर्य’ इस प्रकारके प्रत्यय और ‘आर्य’ इस प्रकारके शब्द-व्यवहारकी प्रवृत्तिके भी जो निमित्त हैं, उन पुरुषोंके संतान’ अर्थात् कुलकी जैन संस्कृतिये उच्चगोत्र मंजा स्वीकार की गयी है^२ तथा ऐसे कुलोंमें जीवके उत्पन्न होनेके कारणभूत कर्मको भी जैन संस्कृतिमें उच्चगोत्र-कर्मके नामसे पुकारा गया है ।

इस समाधानमें पूर्व प्रदर्शित दोषोंमेंसे कोई भी दोष सम्भव नहीं है क्योंकि इसके साथ उन सभी दोषों का विरोध है । इसी उच्चगोत्रकर्मके ठीक विपरीत ही नीचगोत्रकर्म है । इस प्रकार गोत्रकर्मकी उच्च और नीच ऐसी दो ही प्रकृतियाँ हैं ।

आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने जीवोंमें उच्चगोत्र-कर्मका किस रूपमें व्यापार होता है, इस प्रश्नका समाधान करनेके लिये जो ढग अपनाया है उसका आशय उन सभी दोषोंका परिहार करना है, जिनका निर्देश उमर उच्चतुल्य पूर्व पक्षके व्याख्यानमें आचार्य महाराजने स्वयं किया है । वे इन समाधानमें यही बतलाते हैं कि दीक्षाके योग्य साधु-आचारवाले पुरुषोंका कुल ही उच्चगोत्र या उच्चकुल कहलाता है और ऐसे गोत्र या कुलमें जीवकी उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्रकर्मका कार्य है । इस प्रकार मनुष्य-गतिमें दीक्षाके योग्य साधु-आचारके आधारपर ही जैन संस्कृति द्वारा उच्चगोत्र या उच्चकुलकी स्थापना की गयी है । इनसे निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यगतिमें तो जिन कुलोंका दीक्षाके योग्य साधु आचार न हो वे कुल नीच-गोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य हैं, ‘गोत्र’ शब्दका व्युत्पत्त्यर्थ गोत्र शब्दके निम्नलिखित विग्रहके आधार पर होना है—

‘नृयतेऽभ्यन्ते अर्थात् जीवस्य उच्चता वा नीचता वा लोके व्यवहियते अनेन इति गोत्रम्”

इसका अर्थ यह है कि जिसके आधारपर जीवोंका उच्चता अथवा नीचताका लोकमें व्यवहार किया जाय वह गोत्र कहलाता है । इस प्रकार जैन संस्कृतिके अनुसार मनुष्योंकी उच्च और नीच जीवनवृत्तियोंके आधारपर निश्चय किये गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण तथा लुहार, क्षमार आदि जातियाँ वे सब गोत्र, कुल आदि नामोंसे पुकारने योग्य हैं । इन सभी गोत्रों या कुलोंमेंसे जिन कुलोंमें पायी जाने वाली मनुष्योंकी जीवनवृत्तिको लोकमें उच्च माना जाए वे उच्चगोत्र या उच्च कुल तथा जिन कुलोंमें पायी जाने वाली मनुष्योंकी जीवनवृत्तिको लोकमें नीच माना जाए वे नीचगोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य हैं, इस

१. संत तर्गोत्र अननकुलान्यभिजानान्यथी । बंशोऽन्वाय. संतान ।—अमरकोष, ब्रह्म वर्ग ।

२. ‘दीक्षायोग्यसाधुआचारणा’ आदि वाक्यका जो हिन्दी अर्थ षट्संख्यागम पुस्तक १३ में किया गया है, वह गलत है, हमने जो यहाँ अर्थ किया है उसे सही समझना चाहिए ।

तर्ह उच्चगोत्र या कुलमें जन्म लेने वाले मनुष्योंको उच्च तथा नीच गोत्र या कुलमें जन्म लेने वाले मनुष्योंको नीच कहना चाहिए। आचार्य जीबीरसेन स्वामीके उल्लिखित व्याख्यानसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि उच्चगोत्रमें पैदा होनेवाले मनुष्योंके नियमसे उच्चगोत्र-कर्मका तथा नीचगोत्रमें पैदा होनेवाले मनुष्योंके नियमसे नीचगोत्र-कर्मका ही उदय विद्यमान रहा करता है अर्थात् बिना उच्चगोत्र-कर्मके उदयके कोई भी जीव उच्च कुलमें और बिना नीचगोत्र-कर्मके उदयके कोई भी जीव नीच कुलमें उत्पन्न नहीं हो सकता है। तत्पार्श्वसूत्रकी टीका सर्वाभिसिद्धिमें उसके आठवें अध्यायके 'उच्चैर्नीचैश्च' (सूत्र १२) सूत्रकी टीका करते हुए आचार्य श्रीपूज्यपादने भी यही प्रतिपादन किया है कि—

“यस्योदयाल्लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम्।
यदुदयाद् गृहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचैर्गोत्रम्।”

अर्थात् जिस गोत्र-कर्मके उदयसे जीवोंका लोकपूजित (उच्च) कुलमें जन्म होता है उस गोत्रकर्मका नाम उच्चगोत्र कर्म है और जिस गोत्रकर्मके उदयसे जीवोंका लोकगृहित (नीच) कुलमें जन्म होता है उस गोत्र कर्मका नाम नीचगोत्र कर्म है।

जैन संस्कृतिके आचारशास्त्र (चरणानुयोग) और करणानुयोगसे यह सिद्ध होता है कि सभी देव उच्चगोत्री और सभी नारकी और सभी तिर्यञ्च नीचगोत्री ही होते हैं, परन्तु ऊपर जो उच्चगोत्र-कर्मकी उदीरणा करने वाले तिर्यञ्चोंका कथन किया गया है उन्हें इस नियमका अपवाद समझना चाहिए, मनुष्योंमें भी केवल आर्यक्षत्रमें बसने वाले कर्मभूमिज मनुष्य ही ऐसे हैं जिनमें उच्चगोत्री तथा नीचगोत्री दोनों प्रकारके वर्णोंका सद्भाव पाया जाता है अर्थात् उक्त कर्म-भूमिज मनुष्योंमेंसे चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाके अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों और इन वर्णोंके अन्तर्गत जातियोंके सभी मनुष्य उच्चगोत्री ही होते हैं, इनसे अतिरिक्त जितने शूद्र वर्ण और इस वर्णके अन्तर्गत जातियोंके मनुष्य पाये जाते हैं वे सब तथा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थासे बाह्य जो शक, यवन, पुलिन्दादिक हैं, वे सब नीचगोत्री ही माने गये हैं। आर्यक्षत्रमें बसनेवाले इन कर्मभूमिज मनुष्योंको छोड़कर शेष जितने भी मनुष्य लोकमें बतलाये गये हैं उनमेंसे भोगभूमिके सभी मनुष्य उच्चगोत्री तथा पाँचों म्लेच्छक्षत्रोंमें बसने वाले मनुष्य और अन्तर्द्वीप मनुष्य नीचगोत्री ही हुआ करते हैं, आर्यक्षत्रमें बसने वाले शक, यवन, पुलिन्दादिकों तथा पाँचों म्लेच्छक्षत्रोंमें और अन्तर्द्वीपोंमें बसने वाले मनुष्योंको जैन संस्कृतिमें म्लेच्छ संज्ञा दी गयी है और यह बतलाया गया है कि ऐसे म्लेच्छोंको भी उच्चगोत्री समझना चाहिए, जिनका दीक्षाके योग्य साधु आचारवालाके साथ सम्बन्ध स्थापित हो चुका हो और इस तरह जिनमें 'आर्य' ऐसा प्रत्यय तथा 'आर्य' ऐसा शब्द व्यवहार भी होने लगा हो। इसमें जैन संस्कृतिमें मान्य गोत्रपरिवर्तन के सिद्धान्तकी पुष्टि होती है, गोत्रपरिवर्तनके सिद्धान्तको पुष्ट करने वाले बहूतसे लौकिक उदाहरण आज भी प्राप्त हैं। जैसे—यह इतिहासप्रसिद्ध है कि जो अन्नवाल आदि जातियाँ पहले किसी समयमें क्षत्रिय वर्णमें थीं वे आज पूर्णतः वैश्य वर्णमें समा चुकी हैं, जैनपुराणोंमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाहोंका उल्लेख है, वे उल्लेख स्थितियोंके गोत्र-परिवर्तनकी सूचना देते हैं। आज भी देखा जाता है कि विवाहके अनन्तर कन्या पितृपक्षके गोत्रकी न रहकर पतिपक्षके गोत्रकी हो जाता है। इस संपूर्ण कथनका अभिप्राय यह है कि यदि परिवर्तित गोत्र उच्च होता है तो नीचगोत्रमें उत्पन्न हुई कन्या उच्चगोत्रकी बन जाती है और यदि परिवर्तित गोत्र नीच होता है तो उच्चगोत्रमें उत्पन्न हुई नारी भी नीचगोत्रकी बन जाती है और परिवर्तित गोत्रके अनुसार ही नारीके यथायोग्य नीचगोत्र कर्मका उदय न रहकर उच्चगोत्र कर्मका उदय तथा उच्चगोत्रका उदय सम्भव होकर नीचगोत्र कर्मका उदय आरम्भ हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यमें जीवनवृत्तिका परिवर्तन न होनेपर

भी गौरव परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि अग्रवाल आदि आचार्योका उदाहरण ऊपर दिया गया है।

पहले कहा जा चुका है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने 'उच्चगोत्र-कर्मका जीवोंमें किस रूपमें व्यापार होता है' इस प्रश्नका समाधान करनेके लिये जो ढंग बनाया है उसका उद्देश्य उन सभी दोषोंका परिहार करना है जिनका निर्देश पूर्व पत्रके व्याख्यानमें किया है। इससे हमारा अभिप्राय यह है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने उच्चगोत्रका निर्धारण करके उद्यममें जीवोंकी उत्पत्तिके कारणभूत कर्मको उच्चगोत्र-कर्म नाम दिया है। उन्होंने बतलाया है कि दीक्षाके योग्य साधु आचारवाले पुरुषोका कुल ही उच्चगोत्र कहलाना है और ऐसे कुलमें जीवकी उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्र-कर्मका कार्य है। इसमें पूर्वोक्त दोषोंका अभाव स्पष्ट है क्योंकि इससे जैन संस्कृति द्वारा देवोंमें स्वीकृत उच्चगोत्र-कर्मके उदयका और नारकियों तथा तिर्यचोंमें स्वीकृत नीचगोत्र-कर्मके उदयका व्याघात नहीं होता है, क्योंकि इसमें उच्चगोत्रका जो लक्षण बतलाया गया है वह मात्र मनुष्य-गतिसे ही सम्बन्ध रखता है और इसका भी कारण यह है कि उच्चगोत्र-कर्मके कार्यका यदि विवाद है तो वह केवल मनुष्यगतिमें ही सम्भव है, दूसरी गतियोंमें याने देव, नरक और तिर्यकन इन्की गतियोंमें, कहाँ किस गोत्र-कर्मका, किस आधारसे उद्यम पाया जाता है, यह बात निर्विवाद है। इस समाधानसे अभव्य मनुष्योंके भी उच्चगोत्र-कर्मके उदयका अभाव प्रसक्त नहीं होता है क्योंकि अभव्योंको उच्च माने जानेवाले कुलोंमें जन्म लेनेका प्रतिबन्ध इससे नहीं होता है। म्लेच्छखण्डोंमें बसनेवाले मनुष्योंके नीचगोत्र-कर्मके उदयकी ही सिद्धि इस समाधानसे होती है क्योंकि म्लेच्छखण्डोंमें जैन संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार धर्म-कर्मकी प्रवृत्तिका संबंधा अभाव विद्यमान रहनेके कारण दीक्षाके योग्य साधु आचारवाले उच्चकुलोंका सद्भाव नहीं पाया जाता है। इसी आधारपर अनलईपज और कर्मभूमिज म्लेच्छके भी केवल नीचगोत्र-कर्मके उदयकी ही सिद्धि होती है। आर्यखण्डके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंशावाले कुलोंमें जन्म लेनेवाले मनुष्योंके इस समाधानसे केवल उच्चगोत्र-कर्मके उदयकी ही सिद्धि होती है क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंशावाले सभी कुल दीक्षा योग्य साधु आचारवाले उच्चकुल ही माने गये हैं। साधुवर्गमें उच्चगोत्र-कर्मके उदयका व्याघात भी इस समाधानसे नहीं होता है क्योंकि जहाँ दीक्षायोग्य साधु आचारवाले कुलों तककी उच्चता प्राप्त है वहाँ जब मनुष्य, कुल-व्यवस्थासे भी ऊपर उठकर अपना जीवन आदर्शमय बना लेता है तो उसमें केवल उच्चगोत्र-कर्मके उदयका रहना ही स्वाभाविक है, शूद्रोंमें इस समाधानसे नीचगोत्र-कर्मके उदयकी ही सिद्धि होती है क्योंकि उनके कौलिक आचारको जैन संस्कृतिमें दीक्षायोग्य साधु आचार नहीं माना गया है। यही कारण है कि पूर्वमें उद्धृत चवलासास्त्रकी पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ के 'विद्ब्राह्मणसाधुर्व्याप उच्चगोत्रस्योदयवर्षानात्' वाक्यमें वैश्यो, ब्राह्मणों और साधुओंके साथ शूद्रोंका उल्लेख आचार्य श्रीवीरसेन स्वामीने नहीं किया है। यदि आचार्यधीको शूद्रोंके भी वैश्य, ब्राह्मण और साधु पुरुषोंकी तरह उच्चगोत्रके उदयका सद्भाव स्वीकार होता तो शूद्रव्यवस्था भी उल्लेख उक्त वाक्यमें करनेसे वे नहीं धूक सकते थे। उक्त वाक्यमें क्षत्रियशब्दका उल्लेख न करनेका कारण यह है कि उक्त वाक्य उन लोगोंकी मान्यताके सम्बन्धमें प्रयुक्त किया गया है जो लोग उच्चगोत्र-कर्मका उद्यम केवल क्षत्रिय कुलोंमें मानना चाहते थे।

यदि कोई यहाँ यह शंका उपस्थित करे कि भोगभूमिके मनुष्योंमें भी तो जैन संस्कृति द्वारा केवल उच्चगोत्र-कर्मका ही उदय स्वीकार किया गया है लेकिन उपर्युक्त उच्चगोत्रका लक्षण तो उनमें ढटित नहीं होता है, क्योंकि भोगभूमिमें साधुमार्गका अभाव ही पाया जाता है, अतः वहाँके मनुष्य-कुलोंको दीक्षा-योग्य साधु-आचारवाले कुल कैसे माना जा सकता है? तो इस शंकाका समाधान यह है कि भोगभूमिके मनुष्य उच्चगोत्री ही होती हैं, यह बात हम पहले ही बतला आये हैं, जैन-संस्कृतिकी भी यही मान्यता है। इसलिये

वहीं मनुष्योंकी उच्चता और नीचताका विवाद नहीं होनेके कारण केवल कर्मभूमिके मनुष्योंको लक्ष्यमें रखकर ही उच्चगोत्रका उपर्युक्त लक्षण निर्धारित किया गया है ।

इस प्रकार षट्संख्यानकी बबलाटीकाके आधारपर तथा सर्वांसिद्धि आदि महान् ग्रन्थोंके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि उच्चगोत्री मनुष्यके उच्चगोत्र-कर्मका और नीचगोत्री मनुष्योंके नीचगोत्र-कर्मका ही उदय रहा करता है लेकिन जो उच्चगोत्री मनुष्य कदाचित् नीचगोत्री हो जाता है अथवा जो नीचगोत्री मनुष्य कदाचित् उच्चगोत्री हो जाता है, उसके यथायोग्य पूर्वगोत्र-कर्मका उदय समाप्त होकर दूसरे गोत्रकर्मका उदय ही जाया करता है ।

षट्संख्यानकी बबलाटीकाके आधारपर दूसरा सिद्धान्त यह स्थिर होता है कि दीक्षाके योग्य साधु आचारवाले जो कुल होते हैं यानि जिन कुलोंका निर्माण दीक्षाके योग्य साधु-आचारके आधारपर हुआ हो वे कुल ही उच्चकुल या उच्चगोत्र कहलाते हैं । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कौलिक आचारके आधारपर ही एक मनुष्य उच्चगोत्री और दूसरा मनुष्य नीचगोत्री समझा जाना चाहिए, गोमटसार कर्मकाण्डमें तो स्पष्टरूपसे उच्चाचरणके आधारपर एक मनुष्यको उच्चगोत्री और नीचाचरणके आधारपर दूसरे मनुष्यको नीचगोत्री प्रतिपादित किया है । गोमटसार कर्मकाण्डका वह कथन निम्न प्रकार है ।

‘संताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा ।

उच्चं नीचं चरणं उच्चं नीचं ह्वे गोदं ॥ १३ ॥

जीवका संतानक्रमसे अर्थात् कुलपरम्परसे आया हुआ जो आचरण है उसी नामका गोत्र समझना चाहिए, वह आचरण यदि उच्च हो तो गोत्रको भी उच्च ही समझना चाहिए, और यदि वह आचरण नीच हो तो गोत्रको भी नीच ही समझना चाहिए ।

गोमटसार कर्मकाण्डकी उल्लिखित माघाका अभिप्राय यही है कि उच्च और नीच दोनों ही कुलोंका निर्माण कुलगत उच्च और नीच आचरणके आधारपर ही हुआ करता है । यह कुलगत आचरण उस कुलकी निश्चिन जीवनवृत्तिके अलावा और क्या हो सकता है ? इसलिये कुलाचरणसे तात्पर्य उस-उस कुलकी निर्धारित जीवनवृत्तिका ही लेना चाहिये, कारण कि वर्माचरण और अशर्माचरणको इसलिए उच्च और नीच गोत्रोंका नियामक नहीं माना जा सकता है कि वर्माचरण करता हुआ भी जोव जैन-संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार नीचगोत्री हो सकता है । इस प्रकार कर्मभूमिके मनुष्योंमें ब्राह्मणवृत्ति, क्षत्रवृत्ति और वैश्यवृत्तिको जैन-संस्कृतिकी मान्यताके अनुसार उच्चगोत्रकी नियामक और शौद्रवृत्ति तथा श्लेच्छवृत्तिकी नीचगोत्रकी नियामक समझना चाहिए ।

एक बाल और है कि वृत्तियोंके सात्त्विक, राजस और तामस ये तीन भेद मानकर ब्राह्मणवृत्तिको सात्त्विक, क्षत्रवृत्ति और वैश्यवृत्तिको राजस तथा शौद्रवृत्ति और श्लेच्छवृत्तिको तामस कहना भी अनुमत नहीं है । जिस वृत्तिमें उदात्त गुणकी प्रधानता हो वह सात्त्विकवृत्ति, जिस वृत्तिमें शीर्षगुण अथवा प्रामाणिक ब्यवहारकी प्रधानता हो वह राजसवृत्ति और जिस वृत्तिमें हीनभाव अर्थात् दीनता या झूराताकी प्रधानता हो वह तामसवृत्ति जानना चाहिए । इस प्रकार ब्राह्मणवृत्तिमें सात्त्विकता, क्षत्रवृत्तिमें शीर्ष, वैश्यवृत्तिमें प्रामाणिकता, शौद्रवृत्तिमें दीनता और श्लेच्छवृत्तिमें झूराताका ही प्रधानतया समावेश पाया जाता है । इन तीन प्रकारकी वृत्तियोंमेंसे सात्त्विक वृत्ति और राजसवृत्ति दोनों ही उच्चताकी तथा तामसवृत्ति नीचताकी निष्ठाकी समझना चाहिए ।

इस लेखमें हमने मनुष्योंकी उन्नतता और नीचताके विषयमें जो विचार प्रकट किये हैं उनका आधार यद्यपि ज्ञानम है फिर भी यह विषय इतना विवादास्पद है कि सहसा समझमें आना कठिन है। अतः विद्वानोंसे हमारा अनुरोध है कि वे भी इस विषयका चिन्तन करें और अपनी विचारधाराके निष्कर्षको व्यक्त करें।

यद्यपि इस विषय पर कर्मसिद्धान्तकी दृष्टिसे भी विचार किया जाना था, परन्तु लेखका कलेबर इतना बड़ चुका है कि प्रस्तुत लेखमें मैंने जो कुछ लिखा है उसमें भी संकोचकी नीतिसे काम लेना पडा है। अतः अतिरिक्त विषय कभी प्रसंगानुसार ही लिखनेका प्रयत्न करेंगा।



भगवान महावीरका समाजदर्शन

इसमें संदिह नहीं, कि वर्तमान युगमें जहाँ एक ओर मनुष्यकी आध्यात्मिक विचारधारा समाप्त हुई है वहीं दूसरी ओर विज्ञानकी भौतिक चकाचौधमें बिलासता जीवनकी आवश्यकताओंका रूप धारण करके मनुष्यके सरपर नाभने लगी है। आज मनुष्यके लिये इतना ही बस नहीं है, कि पेट भरनेके लिए उसे खाना मिल जाय और तन ढकानेके लिये वस्त्र, किन्तु मनुष्यकी आवश्यकताओंके बड़ जानेसे शोबीके रहनेकी क्षीपड़ी आज 'वाशिंग शाप' बनी हुई है, नाईकी बाल बनानेकी मामूली पेटोने 'हेयर कटिंग सलून'का रूप धारण कर लिया है, दर्जी केवल दर्जी न रहकर 'टेलर मास्टर' कह जाने लगे हैं और बजारू होटल तथा सिनेमा घर भी मनुष्यकी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेवाले ही माने जाने लगे हैं। आज साधारण-से-साधारण व्यक्तिके व्यक्तिके घर जाया जाय, तो वहाँ भी कम-से-कम बाल बनानेके लिए एक रेजर, नहानेके लिए बड़िया साबुन, बाल सवारनेके लिये मुगन्धित तेलकी घीघी, कंधा और दर्पण, चाय पीनेके लिये कप-रकबी और बाजारमें घुमते समय हाथमें लेनेके लिए अच्छी लम्बी-चौड़ी बेटरी आदि चीजें अवश्य ही देखनेको मिलेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्यके अन्तःकरणमें मन्दर विलास-भवन, बिजलीकी रोशनी, बिजलीके पंखे, हारमोनियम, ग्रामोफोन, रेडियो, टीबी, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि विलासकी संकडो चीजे पानेकी कल्पनायें निर्वाच गतिसे अपना स्थान बनाती जा रही हैं।

मनुष्यकी उक्त आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए अदृष्ट पैसेकी आवश्यकता है। जिस मनुष्यके पास जितना अधिक पैसा होगा वह मनुष्य विलासकी उननी ही अधिक सामग्री आवश्यकताके नामपर संग्रहीत कर सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्यकी दृष्टि न्याय और अन्यायका भेदरहित छल-बल आदि साधनों द्वारा पैसा संग्रह करनेकी ओर ही झुकी हुई है। भिलारी, मजदूर, किसान, जमींदार, साहूकार, मुनीम, बलक, आफिसर, व्यापारी, राजा, पुजारी, शिक्षक, धर्मोपदेशक, धर्मपालक और साधु-सन्त आदि किसीको भी आज इस दृष्टिका अपवाद नहीं माना जा सकता।

गत द्वितीय महायुद्धने तो प्रत्येक मनुष्यकी उक्त दृष्टिको ओर भी कठोर बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप आज मानवसमष्टि बिलकुल अस्त-व्यस्त हो चुकी है और कोई भी व्यक्ति अपनेको सुखी अनुभव नहीं कर रहा है। पैसा संग्रह करनेकी भावनाने ही मानवसमाजमें जबर्दस्त आर्थिक विषमता उत्पन्न कर दी है, क्योंकि पैसा कमानेके बड़े-बड़े साधन पैसेके बलपर ही खड़े किये जा सकते हैं; इसलिए सम्पत्तिके उत्पादनमें पैसेको ही महत्त्वपूर्ण माघन मान लिया गया है और परिश्रमका इस विषयमें कुछ भी मूल्य नहीं रह गया है। यही कारण है कि जिन लोगोंके पास पैसा है उन लोगोंने पैसा कमानेके बड़े-बड़े साधन खड़े कर लिये हैं और उन साधनोंके जरिये वे विश्वकी समस्त सम्पत्तिको केवल अपने पास ही संग्रहीत कर लेनेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं। इस प्रकार एक ओर जहाँ पैसे वालोंके सजाते दिन-प्रतिदिन बिना परिश्रमके भरने चले जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर उनके इस कार्यमें अपने कुन और पसीनाको एक कर देनेवाले मजदूर पेट भरणेको भोजन और तन ढकानेको वस्त्र तक पानेके लिये तरसा करते हैं।

मानवसमष्टिको भ्रमसात् कर देनेवाली वर्तमान विषम परिस्थितिसे आजके विचारशील लोगोंके मस्तिष्क-में विचारोंकी क्रांति उत्पन्न कर दी है और उम परिस्थितिका समाप्ता करनेके लिये साम्यवादी और समाजवादी आदि निम्न-निम्न दल कायम हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। ये सभी दल अपने-अपने दृष्टिकोणके आधारपर मानवसमष्टिको वर्तमान विषम परिस्थितिका शीघ्र ही अन्त कर देना चाहते हैं। उक्त दलोंके दरम्यान नीति-सम्बन्धी मतभेद कितने ही क्यों न हों, फिर भी जहाँतक मानवसमष्टिकी वर्तमान आर्थिक विषमताका समाप्त

है वहाँ तक इन दलोंकी विचारधारामें प्रायः कुछ भी भेद नहीं है। रूसको साम्यवादो सरकारकी नीतिमें मुक्तः आर्थिक समानताको स्थान प्राप्त ही है परन्तु भिन्न-भिन्न देशोंकी समाजवादी सरकारें भी आर्थिक विषयताको दूर करनेकी दृष्टिसे ही उद्योग-धन्वोंका राष्ट्रीयकरण करनेकी ओर अग्रसर होती जा रही है।

यद्यपि वर्तमान विकासके युगमें मानवसमष्टिसे आर्थिक विषयताको नष्ट कर देना असम्भव नहीं है, परन्तु इतना निश्चित है कि केवल शासनतन्त्रकी कानूनी व्यवस्थाके आधारपर ही इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको नष्ट करनेके लिये कानूनी व्यवस्थाके साथ-साथ प्रत्येक मानवको अपने कर्तव्यको समझनेकी भी अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना शासनतन्त्रकी विद्युद् कानूनी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। साम्यवादी रूसको पहले निश्चित किये गये अपने दृष्टिकोणमें अब इसलिये कुछ परिवर्तन करना पडा है और यही कारण है कि कानूनी विषयके सभी देशोंमें प्रजातन्त्र अथवा राजतन्त्रके रूपमें स्थापित शासनतन्त्रके साथ-साथ धर्मतन्त्र की भी स्थापना की गयी है। भारतवर्षमें तो सामाजिक सुव्यवस्थामें शासनतन्त्रकी अपेक्षा धर्मसंघको ही अग्रिम स्थान मिला हुआ है। विश्वबन्ध महात्मा गांधीने विद्युद् राजनीतिको नगण्य और कुछ मानते हुए विश्वके मामने और विशेषकर भारतवर्षके सामने धर्मतन्त्रकी महत्ताके इस आदर्शको पुन स्थापित कर दिया है। तात्पर्य यह है कि साम्यवादी अथवा समाजवादी सरकारो द्वारा उद्योगधन्वोंका राष्ट्रीयकरण कर देनेके बाद भी मानवसमष्टिसे आर्थिक विषयताको दूर करनेके लिये प्रत्येक व्यक्तिकी कुछ-न-कुछ जवाबदारी अवश्य ही शेष रह जागी है, जिसे व्यक्ति मानवसमष्टिके प्रति निश्चित किये गये अपने कर्तव्यज्ञान द्वारा ही पूरा कर सकता है और उसको इस प्रकारका कर्तव्यपना धर्मतन्त्रके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

भगवान महावीरने धर्मतन्त्रकी महत्ताके इस तथ्यको भली प्रकार समझ लिया था, इसीलिये उन्होने अपने युगकी सामाजिक सुव्यवस्थाको ठीक करनेके लिये अर्थात् मानवसमष्टिसे शोषक और शोष्यके भेदको नष्ट करनेके लिये धर्मतन्त्रके आधारपर प्रत्येक मानवको अपरिग्रहवादके अपनानेका उपदेश दिया था। इस सिद्धान्तके अनुसार आत्मार्थी लोकोत्तर महापुरुष साधु-सन्त वगैरह आत्मकल्याणके उद्देश्यसे आध्यात्मिकताके उच्चतम शिखरपर पहुँचते हुए अहाँ परिग्रहका सर्वथा त्याग कर दिया करने वे यहा ममाजके बीचमें रहनेवाले गार्हस्थ्यमार्गके पथिक जन-साधारणके लिये उक्त अपरिग्रहवाद' के आधारपर 'अ-ईषत्-(अल्प), अर्थात् आवश्यकतानुसार परिग्रह रखनेकी छूट भी प्रदान की गयी थी और इसको भगवान महावीरकी धार्मिक परिभाषामें "परिग्रहपरिमाणवत्" नाम दिया गया था।

तात्पर्य यह है कि भगवान महावीरका युग इस समय जैसा भौतिक विज्ञानका युग नहीं था, उस युगमें कोई भी उद्योगधन्वा कल-कारखानेधि सम्बद्ध नहीं था, प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक धन्वा केवल मनुष्यके हस्तकीबलमें ही सीमित था। इसलिये एक तो इस प्रकारकी आर्थिक विषयता—'एक ओर तो करोड़ोंकी सम्पत्ति तिजोरियोंके अन्दर बन्द रहे और दूसरी ओर भूखे तथा नंगे नरकगाल आम रास्तेपर मारे-मारे फिरें; एक ओर पूजोपति लोग हजारों मजदूरोंको अपना आर्थिक गुलाम बनाकर बिना परिश्रमके ही लाखों रुपया कमायें और दूसरी ओर मजदूर कड़ी-से-कड़ी-मेहनत करनेके बाद भी पीष्टिक भोजन, अच्छे वस्त्र और बच्चों की शिक्षाके साधन भी न जुटा पायें" उस समय न थी। दूसरे, उक्त परिग्रहपरिमाणवत्के जरिये भगवान महावीरने प्रत्येक मानवको अपने पुरुषार्थसे पैदा किये गये द्रव्यका भी सर्वाधिक हितमें उपयोग करना सिखाया था। भगवान महावीरने अहिंसावादके जरिये "दूसरोंको जीने दो" के प्रचारके साथ-साथ "अपरिग्रहवादके जरिये दूसरोंको जीवित रखनेका प्रयत्न भी करो" का भी प्रचार किया था।

भगवान महावीर भूँक परलोकको मानते थे इसलिये उन्होने मानव समष्टिको अपरिग्रहवादकी ओर

शुक्रमेके किए इस बातका बहुतसे लाभ प्रचार किया जा कि पुनर्जन्ममें मनुष्य योनि छोड़ी व्यक्तिको निकल सकती है जो परिग्रहपरिमाणव्रती होकर अर्थात् आवश्यकताके अनुसार परिग्रह स्वीकार करके ही अपने जीवनका-थोका संभालन किया करता है और जो इस प्रकारकी आवश्यकतासे अधिक परिग्रह रखनेका प्रयत्न करता है उसको पुनर्जन्ममें निश्चित ही नरकयोगिके कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि आवश्यकतासे अधिक परिग्रह रखनेका अर्थ दूसरेके हकका अपहरण करना ही तो है और जो इस तरहसे दूसरेके हकका अपहरण करता है उसे प्रकृति इस प्रकारका दण्ड देती है कि पुनर्जन्ममें उसे जीवन-कार्यके संभालनकी सामग्री अप्राप्य ही रहा करती है। यहाँपर यह बात अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक मनुष्यकी जीवनसम्बन्धी क्षोभे-याने पहिनुने-ओड़ने और निवास वगैरहकी आवश्यकतायें समान हैं फिर भी कोई व्यक्ति तो सिर्फ अपने जीवनकी जवाबदारी बहन करता है, कोई व्यक्ति छोटे या बड़े एक कुटुम्बके जीवनकी जवाबदारी बहन करता है और कोई व्यक्ति इससे भी आगे बहुतसे कुटुम्बोंकी जवाबदारी बहन करता है। इसलिए इस आधारपर भिन्न-भिन्न मनुष्योंकी आवश्यकतायें भी तरलमरूपसे भिन्न-भिन्न ही रहा करती हैं। और इस आधारपर परिग्रहका परिमाण भी किया गया है।



जैन मन्दिर और हरिजन

जैन संस्कृतिके आधारपर होनेवाली समाजरचनामें मानव-मानवके बीच छुआछूतको स्थान मिलना असम्भव है। यद्यपि कुछेक जैन ग्रन्थोंमें छुआछूतका उल्लेख है और जैन समाजमें उसका प्रचलन भी एक असें से चला आ रहा है। परन्तु यह निश्चित बात है कि जैन संस्कृतिके ऊपर वैदिक संस्कृतिका प्रभाव पड़ जानेके कारण ही यह सब कुछ हुआ है। इसलिए पहली बात तो यह है कि यदि भारतवर्षमें छुआछूतको समाप्त किया जाता है तो जैनोंको तो प्रसन्न ही होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जैन मन्दिरोंमें हरिजनोंके प्रवेश करनेका विरोध करनेसे पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि समग्र भारतवर्षमें यदि छुआछूतको समाप्त कर दिया जाता है तो जैनोंमें इसका प्रचलन बना रहना असम्भव है।

हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिल्कल केवल इतना ही वाञ्छ्य है कि जो स्थान सर्वसाधारणके उपयोगके लिए खुला हुआ है उस स्थानमें जानेसे हरिजनोंको सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि वे अछूत हैं। अतः जैनोंको इससे डरनेकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हरिजन जैसी चाहे जैनी हाथमें जैन मन्दिरमें प्रवेश करेंगे और वहाँपर मनचाहा काम करेंगे; क्योंकि कानून वैदिक मन्दिरोंके समान जैन मन्दिरोंकी सुरक्षा और सुव्यवस्थाका भी ध्यान रखा जायगा।

जैनोंमें हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिल्कले बारेमें एक भ्रम यह भी फैला हुआ है कि इस बिलसे हरिजनोंको वे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि सिर्फ एक जैनीको ही प्राप्त हो सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जैनोंको यह भ्रम भी अपने दिलसे निकाल देना चाहिये, क्योंकि बिल्के जरिये अजैन ब्राह्मणको भी वे अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो सामान्यतः एक जैनीको प्राप्त हैं।

उपर्युक्त कथनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैन मन्दिरोंके बारेमें हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिल निम्नलिखित रूपसे लागू होता है—

(१) प्रत्येक जैनी, चाहे वह हरिजन ही क्यों न हो, उन सब अधिकारोंके साथ जैन मन्दिरमें प्रवेश पानेका अधिकारी है, जो सामान्यतः जैन होनेके नाते स्वभावतः उसे प्राप्त हो जाते हैं।

(२) जबकि अजैन ब्राह्मण आदि जैन मन्दिरमें प्रवेश कर सकते हैं तो जिस तरहसे और जहाँतक वे मन्दिरके अन्दर प्रवेश करते हैं उस तरहसे और जहाँतक अछूत होनेके कारण अजैन हरिजनोंको प्रवेश करनेसे नहीं रोका जा सकता।

(३) जैन संस्कृतिकी धार्मिक मर्यादा, मन्दिरकी पवित्रता और मन्दिरके अन्दर शान्ति कायम रखनेके उद्देश्यसे मन्दिरकी व्यवस्थापक समिती मन्दिर-प्रवेशके विषयमें सामान्य रूपसे ऐसे नियमोंका निर्माण कर सकती है, जो अछूतताको प्रोत्साहन देनेवाले न हों।

जो लोग मन्दिरोंके बारेमें हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बिल लागू होनेका विरोध करते हैं उनकी मुख्य दलीलें निम्न प्रकार हैं—

- (१) जैन हिन्दू नहीं है, इसलिए यह बिल जैन मन्दिरपर लागू नहीं होना चाहिये।
- (२) ऐसा एक भी हरिजन नहीं है, जो जैनधर्मका माननेवाला हो।
- (३) धर्मके क्षेत्रमें शासनको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है।

पहली दलीलके बारेमें यही कहूँगा कि जैन हिन्दू रहे हैं और रहेंगे। जैनियोंका हित इसीमें है कि वे एक स्वरसे अपने आपको हिन्दू घोषित करें। जैनियोंका यह भय बिल्कुल निराधार है कि हिन्दू सभ्य वैदिक संस्कृतिपरक होनेके कारण जैन संस्कृति केवल वैदिक संस्कृतिकी शाखा मात्र रह जाती है। वास्तवमें "हिन्दू शब्द वैदिक संस्कृतिपरक है" यह बात असत्य है।

अब तक वैदिकों और जैनोके परस्पर जो सामाजिक सम्बन्ध बने चले आ रहे हैं उन्हें जीव' अधिक सुदृढ़ करनेकी आवश्यकता है और ऐसा होनेपर भी यह तो सर्वथा अर्थात् है कि ईश्वरकर्तृत्ववाद तथा वर्णाश्रमव्यवस्थाको लेकर परस्पर पूर्व और पश्चिम जैसा मौलिक भेद रहनेवाली वैदिक और जैन संस्कृतियोंमेंसे एक संस्कृतिको दूसरी संस्कृतिकी शाखाभाज मान लिया जायगा। भारतीय राज्यके असांप्रदायिक राज्य घोषित हो जानेपर ऐसा होना और भी असंभव है।

दूसरी दलीलका बहुत कुछ उत्तर उमर दिया जा चुका है। विशेष यह कि "एक भी हरिजन जैनधर्मका माननेवाला नहीं है" यह जैन समाजके लिये शोभाकी चीज नहीं है। इससे तो जैन समाजकी कट्टर अनुधारता ही प्रकट होती है और इसीका यह परिणाम है कि जैनोकी संख्या अंगुलियोंपर गिनने लायक रह गई है। दूसरी बात यह है कि यदि क्वाचित् कोई हरिजन जैनधर्ममें आज बीक्षित होनेको तैयार हो तो जैन लोग अपनी मूर्खी उसे मंदिरके अन्दर जाने देने व पूजा करनेकी इजाजत देनेको कहीं तैयार है? जिससे इस दलीलके आधारपर जैन मन्दिरोंको हरिजनमंदिरप्रवेश बिलसे अलग कराकर हरिजनोंको जैन मंदिरमें न आने देनेकी अपनी चतुराईको जैन समाज सकल बना सके। हरिजन जैनमंदिरमें प्रवेश न करें, यदि हमारी ऐसी इच्छा है, तो इसका एक ही उपाय हो सकता है कि अजैन मात्रको जैनमंदिरमें न आने दिया जाय, परन्तु जैन समाजका एक भी व्यक्ति यहाँ तक कि जैन मन्दिरमें हरिजनोके प्रवेशका विरोधी भी इतना मूर्ख नहीं हो सकता है जो यह कहनेको तैयार हो कि जैन मन्दिरमें कोई भी अजैन प्रवेश पानेका अधिकारी नहीं है। इसलिए जैन समाजको चाहिए कि त्रिलकी मन्थाके मुताबिक वह अजैन हरिजनोको भी दूसरे अजैनोकी तरह जैन मन्दिरमें उदारतापूर्वक आनेकी इजाजत दे दे।

तीसरी दलीलके बारेमें मैं इतना ही कहूँगा कि यदि जनता स्वयं अपने अन्दरसे राष्ट्रीयताके धातक तत्त्वोंको निकाल दे तो निश्चय ही शासनको इसके लिए कानून बनानेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यसे जनतामें अभी इतनी जागृ त ही कहीं पैदा हुई है? इसलिए छोटी-छोटी बातोंके लिये भी कानून बनानेमें बड़ी मजदूरीके साथ सरकारको अपनी अमूल्य शक्ति खर्च करनी पड़ रही है। रही धार्मिक बातोंमें शासनके हस्तक्षेपकी बात, मो इसके बारेमें यही कहा जा सकता है कि जो तत्त्व राष्ट्रीयताका धातक है वह धर्मक्षेत्रकी भयावामे कभी भी नहीं आ सकता है।

कुछ लोग बिना सोचे समझे यह कहा करते हैं कि जैन भाइयोंने देशको स्वतंत्र करानेमें कांग्रेसको अपने त्याग और बलिदान द्वारा जो सहयोग दिया है उसका पुरस्कार जैनियोंको उनके धार्मिक अधिकारोंका अपहरण करके दिया जा रहा है। मैं ऐसे लोगोंसे पूछता हूँ कि यदि जैन भाई देशकी स्वतंत्रताके लिए कांग्रेसके साथ लड़ाईमें सम्मिलित न होते तो क्या देशब्रह्मका काम उन्हें शोभा दे सकता था? और जैनोके योग न देनेसे क्या देशको स्वतंत्रता मिलना कठिन हो जाता? इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर 'हाँ' मैं देना जैन समाजके किसी भी व्यक्तिके लिए कठिन ही नहीं, असंभव है। मैं तो यह कहता हूँ कि उक्त प्रकारके शासनके बारेमें आक्षेप करना समस्त जैन समाजको कर्त्तव्य करनेके सिवाय और कुछ नहीं है।

आशा है जैन बन्धु इसपर विचार कर समुचित मार्ग अपनायेंगे।

[२]

अब तक कांग्रेसका और हिन्दू महासभाका भी यही दृष्टिकोण रहा है कि जैन हिन्दुओंसे पृथक् नहीं है, इसलिए मध्यप्रान्तीय सरकारने प्रान्तीय असेम्बलीमें अब हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिल विचारार्थ उपस्थित किया था तब उस बिलमें निषिद्ध 'हिन्दू' शब्दकी व्याख्यामें जैनियोंका भी समावेश था, जिससे जैन मन्दिर भी उक्त बिलके दायरेमें आते थे, लेकिन जैन समाजको यह सख्त नहीं था, इसलिए उसकी ओरसे उक्त बिलमें निषिद्ध 'हिन्दू' शब्दकी व्याख्यामेंसे जैन शब्दके निकलवानेके लिये काफी प्रयत्न किया गया था। यद्यपि जैन समाजके इस रवैयका उस समय 'सन्मार्ग प्रचारिणी समिति'की ओरसे मीने विरोध किया था। परन्तु जैन समाजको उसके अपने प्रयत्नमें सफलता मिली और हरिजन-मन्दिर-प्रवेश बिलके दायरेमें जैन मन्दिरोंको मध्यप्रान्तीय सरकारने पृथक् कर दिया। हो सकता है कि जैन समाजको अपनी इस तात्कालिक सफलतापर गर्व हो, परन्तु मुझे आज भी मध्यप्रान्तीय सरकारके दृष्टिकोणमें यकायक परिवर्तनपर आश्चर्य और जैन समाजकी राजनीतिक अदूरदृष्टिता और सांस्कृतिक अज्ञानतापर दुःख हो रहा है।

जैन समाजकी आम धारणा यह है कि हिन्दू संस्कृतिका अर्थ वैदिक संस्कृति होता है और चूंकि जैन संस्कृति अपनी अद्वैती मौलिक विशेषताओंके कारण वैदिक संस्कृतिके बिल्कुल निराला स्थान रखती है। इसलिए उसकी (जैनसमाजकी) रायमें उसकी इच्छाके अनुसार सरकारकी जैनियोंका हिन्दुओंसे पृथक् अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। जबने हमारे देशमें राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हुई है तभीसे जैन समाजके नेता और समाचारपत्र इस बातका अविराम प्रयत्न करते आ रहे हैं कि जैन हिन्दुओंसे पृथक् अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं।

जैन समाजके सामने सबसे पहले विचारणीय बात यह है कि जैन संस्कृतिके अनुसार मानवजातमें अछूत या हरिजन नामका पृथक् वर्ग कायम ही नहीं किया जा सकता है। जैनग्रन्थोंमें जो शूद्रोंके एक वर्गको अछूत बतलाया गया है वह जैन संस्कृतिके लिये वैदिक संस्कृतिकी ही देन समझना चाहिये। जिस प्रकार परिस्थितिवश किसी समय वैदिक संस्कृतिमें जैन संस्कृतिके सिद्धांत प्रविष्ट कर लिये गये थे उसी प्रकार जैन संस्कृतिमें भी परिस्थितिवश एक समय वैदिक संस्कृतिके कतिपय सिद्धान्त प्रविष्ट कर लिए गये थे, उन सिद्धांतोंमें शूद्रोंके एक वर्गको अछूत मानना भी शामिल है। इसलिये हरिजनोंका मन्दिर-प्रवेश स्वीकार कर लेनेसे वैदिक संस्कृतिका तो ह्रास कहा जा सकता है परन्तु इससे जैन संस्कृतिका तो कर्क ही दूर होता है।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि मानवसमष्टिमें अछूत और अछूतका भेद भारतवर्षके लिये अभिघात ही सिद्ध हुआ है। इसलिये सरकार इस भेदको शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहती है। ऐसी हालतमें जैन समाज अपने वर्तमान रवैयेपर कायम रह सकेगा, यह असंभव बात है। बल्कि आज इसका मतलब यह लिया जा रहा है कि नगण्य जैन समाज इन तरहसे एक बड़ी संख्यावाली जातिके साथ ऐसी दुश्मनी मोल लेना चाहती है जो उसके अस्तित्वके लिये खतरा सिद्ध हो सकती है। 'जैनमित्र' २९ जनवरी सन् ४८ के अंकमें जो डॉ० हीरालालजी नागपुरका वक्तव्य प्रकट हुआ है उससे इसी बातकी पुष्टि होती है। अभी उस दिग सिवनीमें जैन समाजकी ओरसे दिये गये अभिनन्दनपत्रके उत्तरमें मध्यप्रान्त और बरारके मुख्यमन्त्री श्रीमान् पं० रविशंकरजी शुक्लने कहा था कि—'मुसलमानोंको जैनियोंसे सचक सीखना चाहिये। जिस तरहसे इनने भारतको अपनी भूमि समझा है और जिस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं उसी प्रकार मुसलमानोंकी भी रहना चाहिये।' हम मुख्यमन्त्रीकी नियतपर हमका नहीं करना चाहते हैं, परन्तु इतना अवश्य निवेदन करेंगे कि सहपुरुषोंको अपने भाषणोंमें नये-नये शब्दोंका ही प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि कौन कह सकता है कि नगण्य-

में इस प्रकारके सम्झौता पुनर्भोग नहीं किया जायगा और जैनियोंके साथ अमराठीयों वंसा ध्वंसहार नहीं किया जायगा । मैंने यहाँपर इसका निर्वेध किया है कि अभी तक जो लोग जैनियोंका हिन्दुओंसे पृथक् अस्तित्व स्वीकार नहीं करते वे उन्हें भी जैन समाजके प्रचारने उसके हिन्दुओंसे पृथक् अस्तित्वको स्वीकार करनेके लिये प्रयत्न कर दिया है और ऐसी हालतमें जैन समाज अपने स्वस्वीकी भली प्रकार रक्षा कर लेगी, इसमें संदेह है । अब तक जैन नेता और जैन समाचारपत्र जैन संस्कृतिके खरम होनेका भय दिखलाकर ही जैनियोंको हिन्दुओंसे पृथक् रहनेके लिये प्रेरित करते आये हैं । परन्तु उनके पास इस बातकी क्या गारंटी है कि वे इस तरहसे जैन संस्कृतिकी रक्षा कर ही लेंगे, जब कि खतरा निर्विवाद सामने है ।

इस समय जैनियोंको बहुत ही सावधानीके साथ लिखने, बोलने और कार्य करनेकी जरूरत है । जैनियोंको सोचना चाहिये कि महात्मा महावीरके बाद जैन संस्कृतिका महत्तम उद्धारक यदि किसीको माना जा सकता है तो वह महात्मा गांधी हैं । इनकी क्रांतिसे जितना बल जैन संस्कृतिको मिला है उतना दूसरी संस्कृतिको नहीं । परन्तु जैनियोंमें जिनसेनाचार्य जैसे प्रभावक-नेताओंका अभाव होनेसे जैनी महात्मा गांधीकी क्रांतिका जैन संस्कृतिके लिये उचित उपयोग नहीं कर सके है । महात्मा गांधीके जीवनका अन्तिम जो लेख १ फरवरी सन् १९४८ के हरिजन सेवकमें प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने जैन मन्दिरोंमें हरिजनोंको जाने देनेकी बात कही है । उनकी बलीक यह है कि यदि जैन मन्दिरोंमें अजीम ब्राह्मण प्रवेश पा सकता है तो भंगीको इसलिये रोकना अन्याय है कि वह अशुद्ध है । यह बात दूसरी है कि जैन विनयका समुचित रीतिसे संरक्षण करनेके लिये जैन मन्दिरोंके व्यवस्थापकों द्वारा नियम बनाये जा सकते हैं । प्रसन्नताकी बात है कि बीनाकी जैन समाजमें सर्व-सम्मतिसे हरिजनोंके लिये अपने यहाँका जैन मन्दिर खोल देनेका निर्णय किया है । जबलपुरके कुछ प्रमुख जैन सज्जनोंसे अभी कुछ दिन हुए वज्रासारागमें मेरी इस विषयपर चर्चा हुई थी वे हरिजनोंको जैन मन्दिर खोल देनेके पक्षमें हैं । पूज्य पण्डित गणेशप्रसाद जी वर्णी जैन मन्दिर हरिजनोंको खोल देनेमें कोई बुराई नहीं समझते हैं और वे चाहते हैं कि बहुत शीघ्र जैन मन्दिर हरिजनोंके लिये खोल दिये जाना चाहिये ।

मेरा जैन समाजसे निवेदन है कि वह उदारतापूर्वक जैन मन्दिर हरिजनोंके लिये खोल देनेका सर्व सम्मत फैसला करे । इसीमें जैन समाज और जैन संस्कृतिका फायदा है और बीनाकी जैन समाजने जैन विनयका संरक्षण करनेके लिये जैसी नियमावली बनाई है वैसी नियमावली बनाकर मन्दिरके दरवाजेपर टाक देना चाहिये । जैन मन्दिरोंमें श्रृंगारका जो सामान प्रदशनके लिये लगा रहता है उसे अलग कर देना चाहिये और ऐसे साधन जुटा देना चाहिये, ताकि लोगोंको मन्दिरोंमें शीतलताका अच्छा परिचय मिल सके ।

ता० १२ फरवरीके 'जैन मित्र'में 'विचित्रता' शीर्षकसे एक लेख श्री राजमल जैन बी० काम, 'राजेश' कलकत्ताका प्रकट हुआ है उस लेखसे उनका जैनत्वके प्रति श्रद्धावकी अपेक्षा दम्भ ही प्रकट होता है । मैं ऐसे लेख लिखनेवालोंसे प्रार्थना करूँगा कि हमलोग केवल भावुकताके ही शिकार न बनें, आपके ऊपर जैन संस्कृतिके भविष्यकी जबाबदारी है । यदि हम इस तथ्यको न समझ सके और समयका उचित उपयोग न कर सके तो भावी पीढ़ीके सामने हमलोग पूर्ण सिद्ध होंगे । अन्तमें मैं इतना और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि किसी तरफसे जैन संस्कृतिके खरम कर देनेकी ही साजिश की जाती है तो उसके विरुद्ध हमारा सर्वदा तैयार रहना अनुचित न होगा । मैं ऐसे किसी भी उचित प्रयत्नका स्वागत करूँगा और इसके लिये 'सम्पूर्ण प्रचारिणी समिति' आगे करती हुई दिखाई देगी ।

भारतीय संस्कृतिके सन्दर्भमें 'हिन्दू' शब्दका व्यापक अर्थ

उक्त विधेयकके सम्बन्धमें जैन समाजकी ओरसे हिन्दू धर्मसे जैन धर्मकी पृथक् सत्ताको लेकर जो आन्दोलन चल पडा है, वह आन्दोलन गलत दृष्टिकोणपर आधारित है, ऐसा मेरा ख्याल है।

“जैन हिन्दू नहीं है” या “वैदिक धर्म (ब्राह्मण धर्म) का ही दूसरा नाम हिन्दू धर्म है” ये दोनों मान्यता-में भ्रान्त हैं क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य हमें इस बातको माननेके लिये बाध्य करते हैं कि जिन जातियों और जिन धर्मोंको जन्मभूमि भारतवर्ष है, वे सब जातियाँ और वे सब धर्म हिन्दू शब्दके वाच्य अर्थमें समा जाते हैं।

अतः जैन समाजके लिये इस प्रकारका आन्दोलन करना उपयोगी नहीं हो सकता है कि “जैन हिन्दू नहीं है” या “जैनधर्म हिन्दू धर्म नहीं है।”

जैन समाजसे मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि वह इस प्रकारके गलत दृष्टिकोणको बदले और इस आधारपर आन्दोलन करे कि सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रोंमें जो हिन्दू शब्दका संकुचित अर्थ प्रचलित है, वह बन्द हो जावे तथा सभी क्षेत्रोंमें हिन्दू शब्द भारतीयताके ही अर्थमें प्रयुक्त होने लग जावे।

सन्मार्ग प्रचारिणी समितिके मंत्रीकी हँसियतमें जो पत्र मैंने भारत सरकारके पास भेजा है, उसकी नकल समाजकी जानकारी और मार्ग दर्शनके लिये यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर !

विषय—नियमका नाम अस्पृश्यता। अपर विधेयक।

क्रमांक—बिल नं० १४ की सन् ५४ का।

विवादग्रस्त—धारा ३ की व्याख्या।

अस्पृश्यता अपराध विधेयकके पारित होने और भारतवर्षके समस्त धर्मावलम्बियोंके साथ जैन-धर्मावलम्बियोंपर भी उसे लागू करनेका मैं इसलिये स्वागत करूँगा कि यह विधेयक जैनधर्म और जैन संस्कृतिकी सैद्धान्तिक परम्पराके अनुरूप है।

इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान केवल हिन्दू धर्मकी व्याख्यामें जो कमी रह गयी है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

ऐतिहासिक तथ्योंपर दृष्टिपात करनेसे यह बात स्पष्ट रूपसे जात हो जाती है कि हिन्दू शब्दका प्रयोग भारतीयताके ही अर्थमें करना चाहिये परन्तु आजकल साधारणतया हिन्दू शब्दका प्रयोग वैदिक धर्म (ब्राह्मण धर्म) को मानने वाले वगैरे लिये किया जाने लगा है जो कि भ्रान्त है और विधेयककी धारा ३ में जो हिन्दू धर्मकी व्याख्या की गयी है, उससे भी न केवल उक्त भ्रान्त धारणाका निराकरण नहीं होता, प्रत्युत उसकी पुष्टि ही होती है।

अतः निवेदन है कि धारा ३ में हिन्दू धर्मकी व्याख्यामें निम्न प्रकार परिवर्तन कर दिया जावे।

१—विधेयकमें हिन्दू शब्दके स्थानपर भारतीय शब्दका प्रयोग कर दिया जावे।

यदि किसी कारणवश विधेयकमें हिन्दू शब्दका रखना अभोष्ट ही हो तो धारा ३ में “हिन्दू धर्मके विकास या रूप” के स्थानपर “समस्त हिन्दू धर्मों” ऐसा परिवर्तन कर दिया जावे।

२—व्याख्यामें सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मोंके साथ वैदिक धर्मका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया जावे।

ऐसा करनेसे जैनधर्म और बौद्धधर्मकी वैदिक धर्मकी अपेक्षा स्वतन्त्र सत्ता, जो वास्तविक तथ्योंपर आधारित है—में कोई आँच नहीं आने पावेगी।

मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह उचित निवेदन स्वीकार कर लिया जावेगा और इस तरह जैन समाजमें विधेयकके प्रति जो विरोधकी लहर उठ खड़ी हुई है, वह या तो समाप्त हो जावेगी या उसका महत्त्व ही कुछ नहीं रह जायेगा।

परिशिष्ट

प्रस्तुत ग्रन्थमें व्याकरणार्थके जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं पूर्व प्रकाशित सामग्री दी गयी है, उसके पूर्व प्रकाशित शीर्षक आदिका विवरण इसमें प्रकाशित शीर्षकोंके साथ यहाँ दिया जाता है—

इस ग्रन्थमें प्रकाशित शीर्षक

अन्वय प्रकाशित शीर्षक आदि विवरण

धर्म और सिद्धान्त

१. तीर्थंकर महावीरकी धर्मतत्त्व देशना : तीर्थंकर महावीरकी धर्मतत्त्व सम्बन्धी देशना, जैन सिद्धान्त भास्कर किरण-१, २ १९७४ ।
२. जैन-दर्शनमें आत्मतत्त्व : जैन दर्शनमें आत्मतत्त्व, ३० वं शब्दाब्द अभिनन्दन-ग्रन्थ, १९५४ ।
३. निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्ग : निश्चय और व्यवहार मोक्ष-मार्गका विश्लेषण, श्री भैरोलाल वाकलीवाल स्मारिका, १९६८ ।
४. निश्चय और व्यवहार धर्ममें साध्य-साधकभाव : निश्चय और व्यवहार धर्ममें साध्य-साधकभाव, श्री सुनहरीलाल अभिनन्दन-ग्रन्थ, १९८२ ।
५. निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थस्थान : जैनागममें प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार शब्दोंका अर्थस्थान-मन्थर केसरी मुनि श्री मिश्रीलालजी महाराज अभिनन्दन-ग्रंथ, १९६८ ।
६. व्यवहारकी अभूतार्थताका अभिप्राय : व्यवहारकी अभूतार्थताका अभिप्राय, दिव्यध्वनि वर्ष-१, अक्टूबर-नवम्बर १९६६ ।
७. संसारी जीवोंकी अनन्तता : जीवोंकी अनन्तता (अप्रकाशित)
८. जैनदर्शनमें भव्य और अभव्य : भव्य और अभव्य (अप्रकाशित)
९. जीवदया : एक परिशीलन : जीव दयाका विश्लेषण, आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ, १९८७ ।
१०. जैनागममें कर्मबन्ध : कर्मबन्धपर विचार (अप्रकाशित)
११. कर्मबन्धके कारण : आगममें कर्मबन्धके कारण, वीर-वाणी वर्ष-४१, अंक १२, १३ मार्च-अप्रैल, १९८८ ।
१२. मोक्ष कर्मके विषयमें मेरी चिन्तन : मोक्ष कर्मके विषयमें मेरी दृष्टि (अप्रकाशित)
१३. भुज्यमान आयुमें अपकर्षण और उत्कर्षण : भुज्यमान आयुमें अपकर्षण और उत्कर्षण, जैनदर्शन १६ सितम्बर १९३३ ।
१४. क्या असंखी जीवोंमें मनका सद्भाव है ? : क्या असंखी जीवोंके मनका सद्भाव मानना आवश्यक है, अनेकान्त वर्ष-१३, किरण-९, १९५५ ।
१५. सम्यग्दृष्टिका स्वभाव : सम्यग्दृष्टिका स्वभाव, दिव्यध्वनि अप्रैल, १९६८ ।
१६. पर्यायें क्रमबद्ध भी होती हैं और अक्रमबद्ध भी । (अप्रकाशित)
१७. जयपुर खानियाँ तत्त्वचर्चा और उसकी : जयपुर (खानियाँ) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा पुस्तकसे समीक्षाके अन्तर्गत उपयोगी १९८२ ।
प्रश्नोत्तर १, २, ३, ४ की सामान्य समीक्षा

दर्शन और न्याय

१. भारतीय दर्शनोंका मूल आधार : भारतीय दर्शनोंका मूल आधार, वीर १९४५ ।

२. जैनदर्शनमें प्रमाण और नय : प्राक्-कथन, डॉ० कोठियाजी द्वारा संपादित म्यायवीपिकाका प्रकाशन, १९४५ ।
३. ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार : ज्ञानके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंका आधार, ज्ञानोदय, जून १९५१ ।
४. जैनदर्शनमें नयवाद : जैनदर्शनमें नयवाद, गुरु गोपालदास वरैया स्मृति ग्रंथ १९६७ ।
५. अनेकान्तवाद और स्वाद्वाद : वीरशासनके मूलतत्त्व अनेकान्तवाद और स्वाद्वाद, अनेकान्त वर्ष-२ किरण-१, १९३८ ।
६. स्वाद्वाद दर्शन और उसके उपयोगका अभाव : स्वाद्वादका जैनधर्ममें स्थान व उसके क्रियात्मक उपयोगका अभाव, जैनदर्शन १९ सितम्बर १९३४ ।
७. दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगका विश्लेषण : दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगका विश्लेषण-आचार्य शिवसागर स्मृतिग्रन्थ वी० नि० सं० २४९९ ।
८. जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान : जैनदर्शनमें दर्शनोपयोगका स्थान, ज्ञानोदय, अप्रैल १९५१ ।
९. जैनदर्शनमें वस्तुका स्वरूप : एक दार्शनिक विश्लेषण-जैनदर्शनकी मान्यतामें वस्तु अनन्त-धर्मात्मक भी है और अनेकान्तात्मक भी है, दिव्यध्वनि वर्ष-१ अंक ९, १९६६ ।
१०. जैनदर्शनमें सप्ततत्त्व और षट्द्रव्य : जैनसंस्कृतिकी सप्ततत्त्व और षट्द्रव्य व्यवस्थापर प्रकाश, अनेकान्त वर्ष-८, किरण ४, ५, १९४६ ।
११. अर्थमें भूल और उसका समाधान साहित्य और इतिहास : अर्थमें भूल (अप्रकाशित)
१. वीराष्टकम् : समस्या-कान्ता-कटाशाक्षतः (क्षता) । : वीराष्टकम् : समस्या-कान्ताकटाशाक्षतः (क्षता) । डिगम्बर जैन, अंक १-२ ।
२. समयसारकी रचनामें आचार्य कुन्द-कुन्दकी दृष्टि : समयसारकी रचनामें आचार्य कुन्दकुन्दकी दृष्टि, महावीर जयन्ती स्मारिका १९८८ ।
३. तत्त्वार्थसूत्रका महत्त्व : तत्त्वार्थसूत्रका महत्त्व, अनेकान्त वर्ष-१२ किरण-४ सितम्बर १९५३ ।
४. जैन व्याकरणकी विशेषताएँ : जैन व्याकरणमें इतर व्याकरणसे विशेषता व उसका महत्त्व, जैनसिद्धान्त भास्कर, वर्ष-११ अंक-४ वी० नि० सं० २४५७ ।
५. षट्क्षणागमके 'संज्ञ' पद्य पर विमर्श : षट्क्षणागमकी सत्प्ररूपणाका ९३वाँ सूत्र, सनातन जैन बुलन्दशहर, अक्टूबर १९४५ ।
६. सांस्कृतिक सुरक्षाकी उपादेयता : अभिभाषण सिवनी विद्वत्परिषद अधिवेशन सन् १९६५ ।
७. जैन संस्कृति और तत्त्वज्ञान : अभिभाषण श्रावस्ती विद्वत्परिषद अधिवेशन ?
८. युगधर्म बननेका अधिकारी कौन ? : युगधर्म बननेका अधिकारी कौन, क्षण्डेलमालहितोष्ण युगधर्मांक वर्ष २६, अंक १, २ ।
९. ऋषभदेवसे वर्तमान तक जैनधर्मकी स्थिति : जैन मान्यतामें धर्मका आदि समय और उसकी मर्यादा, प्रेमी-अभिनन्दन ग्रन्थ १९४६ ।

संस्कृति बीर समाज

- | | |
|---|---|
| १. हमारी ब्रह्म पूजाका रहस्य | : हमारी ब्रह्म पूजाका रहस्य, बीमदर्शन, दिसम्बर १९३६ । |
| २. साधुत्वमें नमनताका महत्त्व | : साधुत्वमें नमनताका स्थान, अनेकान्त, अप्रैल १९५५ । |
| ३. जैनदृष्टिसे मनुष्योंमें उच्च-नीच व्यवस्थाका आचार | : जैनदृष्टिसे मनुष्योंमें उच्च-नीच व्यवस्थाका आचार, धुनि हजारीमल स्मृतिग्रन्थ १९६५ । |
| ४. भगवान महावीरका समाज दर्शन | : भगवान महावीरका अपरिग्रहवाद, बीर, ५ अप्रैल १९४७ । |
| ५. जैन मंदिर और हरिजन | : जैन मंदिर और हरिजन, ज्ञानोदय नवम्बर १९४९ ।
'बीर' २८ फरवरी १९४८, वर्ष २३ । |
| ६. भारतीय संस्कृतिके सन्दर्भमें हिन्दू शब्दका व्यापक अर्थ | : अस्पृश्यता अपराध विशेषकके सम्बन्धमें जैन समाजको सही दृष्टिकोण जपमानेकी आवश्यकता, जैनसन्देश, २४ फरवरी १९५५ । |



